

उत्तर प्रदेश
राज्य मानचित्र

भारत

उत्तराखण्ड

नेपाल

मध्य प्रदेश

बिहार

झारखण्ड

संकेत

- अंतर्राष्ट्रीय सीमा
- राज्य सीमा
- जिला सीमा
- राज्य मुख्यालय
- जिला मुख्यालय

**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021
भाग-1**

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र० लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (भाग 1 से 9 तक) को मा० राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का कारण।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 में संशोधन दिनांक 30 मार्च 2011 के अनुसार निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र० द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे मा० राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (भाग 1 से 9 तक) को मा० राज्य विधान मण्डल के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र० द्वारा निम्नवत् अवगत कराते हुये इस प्रतिवेदन को सदन में रखने का अनुरोध किया गया है—

- (क) मा० पंचायती राज समिति का गठन 24 मार्च, 2014 को हुआ था। तत्पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
- (ख) प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 दिनांक 25.11.2014 को एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 दिनांक 20.12.2017 को लगभग तीन वर्ष बाद मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।
- (ग) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 19.02.2020 को, वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2021 को, वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 24.05.2022 को, वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2023, वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.11.2023, वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2024, वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2024 तथा वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2025 को मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।

तत्क्रम में वित्त विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (भाग 1 से 9 तक) को मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकरण में वित्त विभाग के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है।


(सुरेश कुमार खन्ना)
वित्त मंत्री

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

विषय सूची

प्राक्कथन

अध्याय-1

प्रस्तावना

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	6
2	लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	7
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	7
4	निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, 30 प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	7
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	8
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रुझान	1.6	8
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	9

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, आय/प्राप्ति के स्रोत, क्रियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त
विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	9
2	जिला पंचायत	2.2	10
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	11
4	ग्राम पंचायत	2.4	13

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	17
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	17
3	ग्राम पंचायत	3.3	17

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों

क्र० सं०	जिला पंचायत	4.1	पृष्ठ संख्या
1	आगरा मण्डल		19
2	अलीगढ़ मण्डल		31
3	अयोध्या मण्डल		109
4	आजमगढ़ मण्डल		185
5	बरेली मण्डल		244
6	बस्ती मण्डल		254
7	चित्रकूटधाम मण्डल		294
8	देवीपाटन मण्डल		302
9	गोरखपुर मण्डल		324
10	झाँसी मण्डल		381
11	कानपुर मण्डल		404
12	लखनऊ मण्डल		465
13	मेरठ मण्डल		502
14	मुरादाबाद मण्डल		565
15	प्रयागराज मण्डल		593
16	सहारनपुर मण्डल		604
17	वाराणसी मण्डल		612
18	विन्ध्याचल मण्डल		619

क्र० सं०	क्षेत्र पंचायत	4.2	पृष्ठसंख्या
1	आगरा मण्डल		667
2	अलीगढ़ मण्डल		693
3	अयोध्या मण्डल		719
4	आजमगढ़ मण्डल		760

5	बस्ती मण्डल		845
6	चित्रकूटधाम मण्डल		1027
7	देवीपाटन मण्डल		1034
8	गोरखपुर मण्डल		1086
9	झाँसी मण्डल		1112
10	कानपुर मण्डल		1135
11	लखनऊ मण्डल		1324
12	मेरठ मण्डल		1402
13	प्रयागराज मण्डल		1434
14	सहारनपुर मण्डल		1467
15	वाराणसी मण्डल		1475
16	विन्ध्याचल मण्डल		1600

क्र० सं०	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या
1	आगरा मण्डल		1625
2	अलीगढ़ मण्डल		1742
3	अयोध्या मण्डल		1843
4	आजमगढ़ मण्डल		2240
5	बरेली मण्डल		2589
6	बस्ती मण्डल		2917
7	चित्रकूटधाम मण्डल		3137
8	देवीपाटन मण्डल		3245
9	गोरखपुर मण्डल		3525
10	झाँसी मण्डल		3736
11	कानपुर मण्डल		3758
12	लखनऊ मण्डल		4481
13	मेरठ मण्डल		5220
14	मुरादाबाद मण्डल		5269
15	प्रयागराज मण्डल		5840
16	सहारनपुर मण्डल		6165
17	वाराणसी मण्डल		6257
18	विन्ध्याचल मण्डल		6585

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	6784
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	6784
3	ग्राम पंचायत	5.3	6784

अध्याय-6

निष्कर्ष व सुझाव

1	निष्कर्ष		6.1	6785
2	सुझाव		6.2	6785

पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था

जिला पंचायत



क्षेत्र पंचायत



ग्राम पंचायत

पंचायती राज संस्थागत ढांचा

केन्द्र सरकार



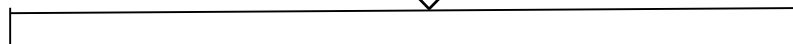
राज्य सरकार

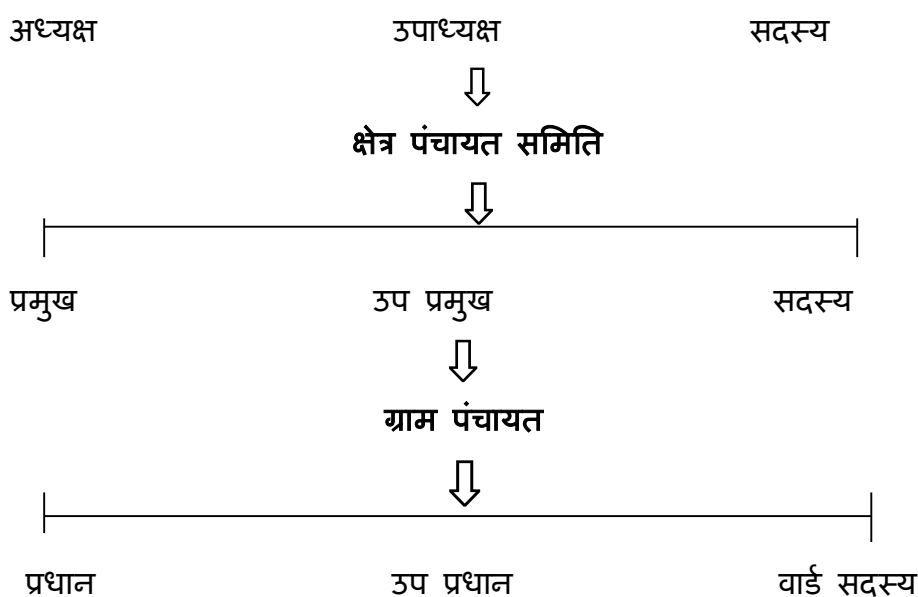


पंचायती संस्थाएं



जिला पंचायत





प्रावक्तथन

निदेशालय सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा 30प्र0(पूर्व में सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा संगठन, 30प्र0) वित्त विभाग 30प्र0 शासन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1951-52 से कार्यरत है। इस विभाग द्वारा 30प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 में निहित व्यवस्थान्तर्गत प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की लेखापरीक्षा की जाती है। 30प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 एवं 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) अधिनियम 1961 एवं नियमावली 1965 में दी गयी व्यवस्थानुसार इस विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित की जाती है।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के लेखों की लेखापरीक्षा राज्य सरकार के अधीन निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा, 30प्र0 द्वारा सम्पन्न कराते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन व अधिभार प्रतिवेदन जारी किया जाता है। अनिस्तारित प्रस्तरों को सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा, 30प्र0 का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 तैयार करके 30प्र0 पंचायती राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली 2011 के नियम- 186 एवं 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा)(छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम- 176 के अन्तर्गत मा0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

जिला लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा जारी संस्थावार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित गम्भीर प्रकृति की ऐसी आपतियाँ(यथा अपहरण, दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित), जिनका अनुपालन प्रशासनिक विभागों द्वारा नहीं किया जाता है अथवा अनुपालन संतोषजनक नहीं होता है, उन्हें निदेशालय द्वारा संकलित करके त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा 30प्र0 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2020-21 के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये गम्भीर प्रकरणों के साथ-साथ विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा वर्ष 2021-22 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में उद्घाटित आपतियों में सन्निहित धनराशि अपहरण/अपक्षय इत्यादि का संस्थावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	संस्था का नाम	गबन, अनियमित भुगतान, अग्राह्य भुगतान, अधिक भुगतान, अनानुमोदित भुगतान, राजकीय राजस्व क्षति व अन्य विविध अनियमितताएं(सम्मिलित प्रस्तर)	सन्निहित धनराशि (करोड़ ₹0 में)
1.	जिलापंचायत	722- प्रस्तर	690.07
2.	क्षेत्र पंचायत	1388- प्रस्तर	402.30
3.	ग्राम पंचायत	8871- प्रस्तर	926.49
	योग	10981- प्रस्तर	2018.86

वर्ष 2021-22 के दौरान 2020-21 के उपलब्ध अभिलेखों के सापेक्ष लेखापरीक्षित लेखों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	कुल संस्थाओं की संख्या	लेखापरीक्षित संस्थाओं की संख्या
1.	जिला पंचायत	75	39
2.	क्षेत्र पंचायत	826	389
3.	ग्राम पंचायत	58193	57815
	योग	59094	58243

इस वार्षिक प्रतिवेदन में कुल छः अध्याय सम्मिलित हैं तथा छः भागों (भाग एक, दो, तीन, चार, पांच, छः) में तैयार किया गया है।-

अध्याय- 1. प्रस्तावना से सम्बन्धित इस अध्याय में विभाग का परिचय व संगठनात्मक ढांचा का वर्णन है।

अध्याय- 2. इस अध्याय में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, आय/प्रति के स्रोत, एवं क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण है।

अध्याय-3. इस अध्याय में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा प्रगति संबन्धी विवरण है।

अध्याय-4. इस अध्याय में क्रमशः जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा के उपरान्त जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन में उद्घाटित गंभीर प्रकृति की आपत्तियों का विवरण है।

अध्याय-5. इस अध्याय में निर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण है।

अध्याय-6. इस अध्याय में निष्कर्ष व सुझावों का उल्लेख है। इसमें आपत्तियों व वित्तीय अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा इनमें सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ भी की गयी हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे जाने के पश्चात मा0 विधान सभा की पंचायती राज समिति द्वारा साक्ष्य बैठकों में प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की समीक्षा करके अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1-इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा-

1. निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।

2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।

3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है। व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है। किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।

4. इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षित इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2-लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा-

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 75 जिला पंचायतें थीं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन हैं। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 826 क्षेत्र पंचायतें थीं। जो ब्लॉक प्रमुख के नियंत्रणाधीन हैं। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 58193 ग्राम पंचायतें थीं। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन हैं। ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

इस प्रकार तत्समय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 59094 पंचायती राज संस्थायें थीं।

1.3-लेखा परीक्षा का प्राधिकार-

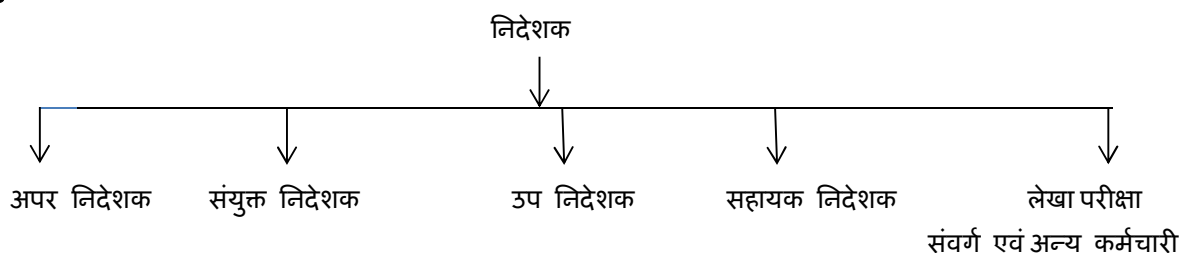
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु 30प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं 30प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम- 2 व नियम- 174 से 180 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा 30प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं 30प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 186 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें 30प्र0 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

1.4- निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना

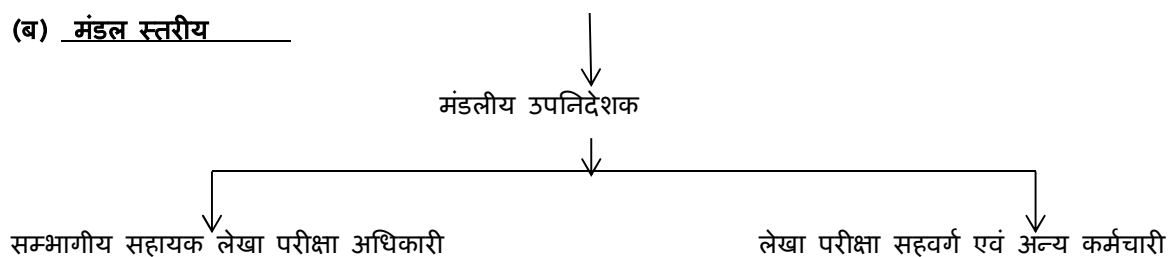
उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कर्मिकों (यथा-लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा- जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर उप निदेशक की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने वाले लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। विभाग का ढाँचा निम्न प्रकार है-

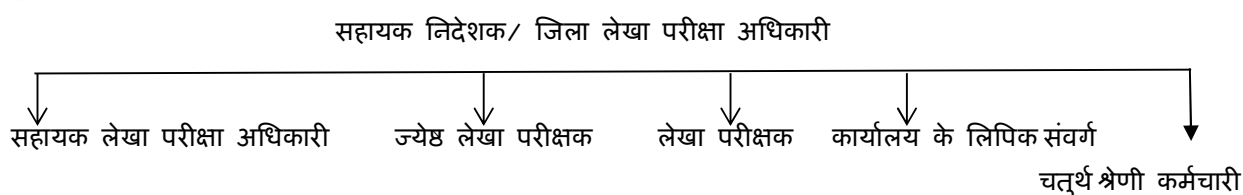
(अ) मुख्यालय स्तरीय



(ब) मंडल स्तरीय



(स) जनपद स्तरीय



1.5-लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन-

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से प्रारम्भ होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तदनुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

प्रशासनिक विभागों के अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित परिक्षेत्र के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा भारत सरकार द्वारा विकसित ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है। वर्ष 2021-22 से शत प्रतिशत लेखा परीक्षा ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर सम्पादित की जा रही है।

1.6-निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रुझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियाँ संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन आख्या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। जैसा कि प्रशासनिक विभाग में संगत अधिनियमों/नियमावली में प्रख्यापित है।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन आख्या मांगे जाने का औचित्य यह है, कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं ? इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही, ब्याज सहित वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ-साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके एवं लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7-लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही-

वर्ष 2010-11 (पूर्ववर्ती वर्षों को सम्मिलित करते हुए) वर्ष 2011-12, 2012-2013, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जिस पर विधान मण्डल की उच्च स्तरीय पंचायती राज समिति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल अपहरण, दुर्विनियोग व अन्य गम्भीर प्रकृति की अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रस्तरों पर चर्चा करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों आय/प्राप्ति के स्रोत, व क्रियाकलापों के संदर्भ में

2.1- सामान्य विवरण-

वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही हैं। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला तिहतरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 24.04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत्समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक- 22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के उन्हीं प्रावधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहतरवां

संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्रावधानों को भी संशोधित किया गया, जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गांव सभा तथा गांव पंचायत कहा जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवें संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गांव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 58193 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में अरबों रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 57815 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2-जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला पंचायतें हैं। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वित्तीय परामर्शदाता, कार्याधिकारी, स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियंता टैक्स आफिसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिकार एवं कृत्य-

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

- 1 जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।
- 2 ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
- 3 जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
- 4 तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
- 5 ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास।
- 6 ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो सरकार द्वारा नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत -

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय-

1-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119-145 में जिला पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

जिला पंचायतों के निजी आय के मुख्य स्रोत हैं- लाइसेंस शुल्क, तहबाजारी, सम्पत्ति व विभव कर, मृत पशु शव निस्तारण शुल्क, सम्पत्तियों(दुकान व भवन) से प्राप्त किराया, मेला प्रदर्शनी आदि से प्राप्त कर, जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज, अन्य मदों से प्राप्तियाँ आदि।

(2) वाह्य स्रोतों से आय-जिला पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया राज्य एवं केन्द्रीय वाहन स्रोत की आय, वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद/विधायक निधि, आंचलिक निधि, सरकार से प्राप्त अनुदान आदि से प्राप्त होती है।

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका-

1 जिला योजना एवं श्रमिक बजट (लेबर बजट) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।

2 जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अंतर्गत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी

2.3-क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को विकास खण्डों में विभक्त किया गया है। 30प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान 826 क्षेत्र पंचायत गठित थी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा-99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य-

अधिनियम की धारा-84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित सदस्यों के 1/5 के

लिखित अध्याचन पर अध्याचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा-86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।

1 क्षेत्र पंचायत विकास खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् विकास खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

2 यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।

3 विकास खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।

4 ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित हैं।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत -

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय-

1-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131-क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. सम्पत्ति व विभव कर
4. काँजी हाउस पर कर
5. अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) बाह्य स्रोतों से आय-

क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य बाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू-राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग
3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य-

अधिनियम की धारा-35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची-3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा-32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय - समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था यथासंभव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। लेखा परीक्षा काल में 30प्र0 में कुल 58193 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। 30प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारु रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खर्चों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

30प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रबी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 1/5 की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

- 1- ग्राम पंचायत के खर्चों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।
- 2- पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।
- 3- ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।
- 4- ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।
- 5- ऐसे अन्य कार्य जो नियत किये जाये

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:-

- क- सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।
- ख- ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हितकारी की पहचान।
- ग- ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार व कर्तव्य कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुद्देशित कर सकती है।

1- पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।

2- पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था।

3- किसी कर या भू-राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपण:-

उOप्रO पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी क- उन क्षेत्रों में जहां उOप्रO जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमींदारी- विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख- उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग- प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

घ- ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ङ- उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड-ग के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च- उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ- वधशालाओ और पडाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज- जल शुल्क- जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता है।

झ- यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ञ- सडकों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट- जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजनाओं जल सम्भरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिचाई दर।

ठ- कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं/ परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उOप्रO पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में

ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1 -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अन्यून के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1-मनरेगा का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा को बढ़ाना है।

2-मनरेगा का लक्ष्य:-

- 1- जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का निर्माण करना है।
- 2- ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण हैं) जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि कटान, कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।
- 3- अधिनियम, ग्रामीण, जीविकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्णरूप से बदलने की क्षमता है।
- 4- ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।
- 5- सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

- 1- जल संचयन व जल प्रबन्धन।
- 2- वानिकी व वृक्षारोपण।
- 3- सिंचाई हेतु नहरें, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।
- 4- सिंचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।
- 5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।
- 6- परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोद्धार, जिसमें टैंकों की सफाई भी सम्मिलित है।
- 7- भूमि सुधार/विकास।
- 8- बाढ़ नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।
- 9- ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, सड़क का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले सड़कों पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अन्तर्गत

सीमेंट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

10- कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।

11-अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य है।

12- मनरेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नहीं है।

2-छात्रवृत्ति योजना:-

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढ़ाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग- अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3- राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान:-

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत कर आरोपित कर सकती है उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयों/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4- मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में शासन द्वारा निर्धारित भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शासनादेशों द्वारा निर्धारित दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं गैस अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। शासनादेशों द्वारा निर्धारित परिवर्तन लागत विद्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गयी है।

1.मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6'8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सके।

2.भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ख-संगठनात्मक ढाँचा- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी , राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1-जिला पंचायतें -

वर्ष 2021-22 में राज्य की कुल 75 जिला पंचायतों में से 39 जिला पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लेखा उपलब्धता अपेक्षित सहयोग न मिलने पर लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.2-क्षेत्र पंचायतें-

वर्ष 2021-22 में राज्य की कुल 826 क्षेत्र पंचायतों में से 389 क्षेत्र पंचायतों वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.3-ग्राम पंचायतें-

वर्ष 2021-22 में राज्य की कुल 58193 ग्राम पंचायतों में से 57815 ग्राम पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में शत प्रतिशत अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

अध्याय-4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य- निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या-

- 1 संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।
- 2 किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

3 न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।

4 संस्था द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।

5 बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।

6 सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।

7 निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 59094 में से 58243 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की गयी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक की टिप्पणियों लेखा परीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत की गयी।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जिला पंचायत आगरा

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जिला पंचायत आगरा वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या 01- पन्द्रहवां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु 244898792.40 को नियमानुसार उपयोग प्रत्यावर्तित न करके बैंक खातों में अवरुद्ध कर रखना:-ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशियाँ अवमुक्त की जाती हैं। अवमुक्त धनराशियों का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कर लेना चाहिए जिससे क्षेत्रीय जनता को विकास कार्यों का यथासम्भव त्वरित लाभ हो सके। जिला पंचायत आगरा की रोकड बही एवं बैंक खातों की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2020-21 के अन्त तक कुल रु0 244898792.40 अवशेष था जिसका उपभोग मार्च 2021 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे उक्त धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिला क्योंकि किसी योजना हेतु प्राप्त किसी वर्ष की धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग कर लेनी चाहिए जिससे उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को उसी वर्ष प्राप्त हो सके। साथ ही 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 107 (5) के अनुसार नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व है कि विनियोजन की धनराशि या उसके अंशको जिसकी वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो, जैसे ही उसके बचत या व्ययगत होने का पूर्वाभास हो तो उसे समर्पित कर दिया जाना चाहिए, का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, तथा गंभीर आपत्तिजनक है। रु0 2448.98 लाख अवशेष था जिसका उद्योग मार्च 2021 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे उक्त धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिला क्योंकि किसी योजना हेतु प्राप्त किसी वर्ष की धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में उपभोग कर लेनी चाहिए। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति श्री प्रदीप कुमार अपर मुख्य अधिकारी व श्री पंकज कुमार सिंह वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -3

प्रस्तर संख्या -2 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि निर्माण/मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष 30प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 2 विन्दु 3(1) (क) में उल्लिखित किसी भी परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति को प्रस्तुत किया जाना था। सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव की जांचोपरान्त प्रस्ताव कार्य समिति को प्रेषित किया जाना था। कार्य समिति से अनुमोदन उपरान्त ही उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा कराया जाना चाहिये। लेखा परीक्षा दौरान किसी भी पत्रावली की जाँच में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं कर सभी कार्य स्वेच्छापूर्वक कराकर धनराशि रु0 232068000.00 का भुगतान कर दिया गया जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय नियमों का विचलन है। उक्त कार्य हेतु प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रमोद कुमार शर्मा, वित्तीय परामर्शदाता श्री पंकज कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार एवं तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रबल प्रताप सिंह की उदासीनता उक्त कृत्य हेतु उत्तरदायी हैं, इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0- 13

प्रस्तर संख्या -3. जिला पंचायत आगरा के नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाशील देशी व विदेशी शराब की दुकानों से वसूल किये जाने वाले अनुज्ञप्ति शुल्क वर्ष 2020-21 की स्थिति निम्नवत् थी-

वर्ष	देशी शराब की दुकाने (लाख रु०में)				विदेशी शराबकी दुकाने (लाख रु०में)			
	संख्या	वसूली योग्य धनराशि दर 5000	वसूल की गयी धनराशि	बकाया धनराशि	संख्या	वसूली योग्य धनराशि दर 5000	वसूल की गयी धनराशि	बकाया धनराशि
20-21	175	8.75	0	8.75	108	6.48	0.18	6.3

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देशी शराब मद में अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली शून्य तथा विदेशी शराब मद में अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली 2.77 प्रतिशत रही। जो अत्यन्त चिंता जनक है क्योंकि राज्य सरकार के पत्रांक 2526 बी/33-02-92-900/89 दिनांक 11 मई 1992 के अनुसार “वर्ष में आरोपित कर और अन्य मदों में जनपद की कुल चालू मांग के 80 प्रतिशत और कुल बकाया मांग का न्यूनतम 80 प्रतिशत की वसूली निश्चित रूप से किया जाना चाहिये।” अतः उक्त वसूल न की गयी धनराशि रु० 15.05 लाख के लिये उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है। नही किये जाने की स्थिति में वसूली का निर्धारित लक्ष्य वसूल नही करने वाले कार्मिकों पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जानी चाहिये परन्तु उक्त कार्मिकों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गयी। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति श्री प्रदीप कुमार अपर मुख्य अधिकारी व श्री पंकज कुमार सिंह वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आ०सं०-19

प्रस्तर संख्या -4 जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में विभव एवं सम्पत्ति कर मद में वसूल योग्य धनराशि की वसूली के सार्थक प्रयास नही किये गये जबकि विभव एवं सम्पत्ति कर जिला पंचायत की आय का एक प्रमुख श्रोत है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम की धारा 239 (2) खण्ड (घ) के अधीन विधि के अन्तर्गत दिनांक 23.08.1997 से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक इकाईयों यथा कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री, गैस सर्विस, आटा मिल आदि से अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल किये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार सम्पत्ति एवं विभव कर आरोपण, निर्धारण एवं वसूली नियमावली 2009 के अध्याय तीन नियम-4 में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी व्यावसायिक इकाई यथा कोल्ड स्टोरेज, फैक्ट्री आटा मिल, दुकान ढाबा आदि की वार्षिक आय रु० 20,0000/- से अधिक होने पर 3 प्रतिशत या अधिकतम रु० 6000/- तक सम्पत्ति एवं विभव कर वसूल किया जायेगा। जिला पंचायत आगरा के अभिलेखों के अनुसार से अनुज्ञप्ति शुल्क एवं सम्पत्ति तथा विभव कर की स्थिति निम्नवत् ज्ञात हुई-

वर्ष	अनुज्ञप्तिशुल्क			सम्पत्ति एवं विभवकर		
	वसूली योग्य धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	बकाया धनराशि	वसूलीयोग्य धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	बकाया धनराशि
20-21	11.13	5.45	5.68	94.95	36.83	58.12

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में लगाये गये अनुज्ञप्ति शुल्क ₹0 11.13 लाख में से मात्र ₹0 5.45 लाख (48.96 प्रतिशत) वसूल किये गये तथा ₹0 5.68 (51 प्रतिशत) वसूली योग्य लम्बित थे। इसी प्रकार सम्पत्ति एवं विभव कर के रूप में वर्ष 2020-21 में ₹0 94.95 लाख वसूल किये जाने थे। 2020-21 में लगाये गये विभव कर ₹0 94.95 लाख में से मात्र ₹0 36.83 लाख (38.78 प्रतिशत) वसूल किये गये तथा ₹0 58.12 (61.21 प्रतिशत) वसूली योग्य लम्बित था, इस प्रकार ₹0 63.80 लाख अनुज्ञप्ति एवं सम्पत्ति व विभव कर की धनराशि वसूली हेतु लम्बित रहने के कारण जिला पंचायत आगरा का राजस्व अवरूद्ध रहा। जो अत्यन्त चिंता जनक है क्योंकि राज्य सरकार के पत्रांक 2526 बी/33-02-92-900/89 दिनांक 11 मई 1992 के अनुसार “वर्ष में आरोपित कर और अन्य मदों में जनपद की कुल चालू मांग के 80 प्रतिशत और कुल बकाया मांग का न्यूनतम 80 प्रतिशत की वसूली निश्चित रूप से किया जाना चाहिये।” उक्त वसूली नहीं किये जाने की स्थिति में वसूली का निर्धारित लक्ष्य वसूल नहीं करने वाले कार्मिकों पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जानी चाहिये परन्तु उक्त कार्मिकों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति श्री प्रदीप कुमार अपर मुख्य अधिकारी व श्री पंकज कुमार सिंह वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-20**

प्रस्तर संख्या - 5 जिला पंचायत द्वारा अपने आय के स्रोत के रूप में मृत पशु शव निस्तारण से सम्बन्धित नीलामी के माध्यम से राजस्व अर्जित किया जाता है। जिला पंचायत आगरा की वर्ष 2020-21 लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि मृत पशु शव निस्तारण से होने वाली आय का विवरण निम्नवत् है –

वर्ष	मृत पशु शव निस्तारण		
	कुल माँग (गत वर्ष के बकाया को सम्मिलित करते हुए)	वसूल की गयी धनराशि	बकाया धनराशि
20-21	8.11	0.89	7.22

जिला पंचायत आगरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 दौरान मृत पशु शव निस्तारण के मद में मात्र ₹ 0.89 लाख की मांग की गयी। उक्त मद में ₹ 7.22 लाख बकाया शेष था। लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि उक्त मद में बजट में आय का प्रावधान ₹ 8.08 लाख प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष दौरान उक्त मद से कुल आय मात्र ₹ 89000.00 दर्शित है। मृत पशु शव निस्तारण के मद में कर निरीक्षकों एवं पटल सहायक की उदासीनता के कारण मात्र कुल मांग के सापेक्ष 11.01 प्रतिशत की वसूली की जा सकी। इसके उपरान्त ₹0 7.22 लाख सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों की उदासीनता के कारण वसूली नहीं हो सकी परिणाम स्वरूप जिला पंचायत को ₹0 7.22 लाख के राजस्व की हानि हुई इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है, इस प्रति श्री प्रदीप कुमार अपर मुख्य अधिकारी व श्री पंकज कुमार सिंह वित्तीय परामर्शदाता एवं अभियंता अनिल कुमार मिश्र का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-2**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

संस्था का नाम - जिला पंचायत फिरोजाबाद

प्रस्तर-1- ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किया जाना- संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 18 ईट भट्टों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को ₹0 1.80 लाख की हानि हुई।

क्र०सं० ईट भट्टे का नाम अवधारित लाइसेन्स शुल्क जो वसूला नहीं गया

1	मै०सिंहनी ईट भट्टा करनपुर नसीरपुर शिकोहाबाद	10000=00
2	मै०तारा सिंह ब्रिक फील्ड रसूलपुर शिकोहाबाद	10000=00
3	मै०बालाजी ईट भट्टा न०कोठी आरोंज शिकोहाबाद	10000=00
4	मै०न्यू०के०आर०ब्रिक फील्ड सराय शेख सिरसागंज	10000=00
5	मै०ओम साईनाथ ईट भट्टा नगला सैदलाल सिरसागंज	10000=00
6	मै०ओम साईनाथ बाबा ईट भट्टा रूधेमई शेखपुर सिरसागंज	10000=00
7	मै०लक्ष्मी ब्रिक फील्ड मौहम्मदपुर मांडई सिरसागंज	10000=00
8	मै०यादव ईट उद्योग नूरपुर थानूमई जसराना	10000=00
9	मै०कृष्ण बलराम ईट उद्योग उत्तरारा जसराना	10000=00
10	मै०राममूर्ति ईट उद्योग फरीदा बरौली जसराना	10000=00
11	मै०बलदेव ईट उद्योग बनवीरपुर कुढी जसराना	10000=00
12	मै०छोटेलाल ईट उद्योग सुराया एका जसराना	10000=00
13	मै०बी०एस० (विजेन्द्र सिंह) ईट उद्योग नगला खजुरिया	10000=00
14	मै०मां दुर्गा ईट भट्टा मौहम्मदपुर उत्तरारा जसराना	10000=00
15	मै०भगवती ईट उद्योग गनेशपुर नगरिया जसराना	10000=00
16	मै०बांके बिहारी ब्रिक फील्ड नानेमउ सिरसागंज	10000=00
17	मै०जयश्री राधे ईट उद्योग हथौली जयसिंहपुर जसराना	10000=00
18	मै०आदर्श ईट भट्टा दन्तगढ एका जसराना	10000=00

महा योग

180000=00

उक्त धनराशि सम्बन्धित ईट भट्टों से न वसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की वसूली संयुक्त रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा श्री शिवम कर अधिकारी से उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या-179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है। वसूली की धनराशि ₹0 1.80 लाख

प्रस्तर-2- शीतगृहों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किया जाना- संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 70 शीतगृहों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को ₹0 14.00 लाख की हानि हुई।

क्र०सं०	शीत गृह का नाम	अवधारित लाइसेन्स शुल्क जो वसूला नहीं गया
1	मै० महारानी कमला कोल्ड स्टोरेज अरांव रोड सिरसागंज	20000=00
2	मै० हिन्द शीतगृह प्रा०लि० धातरी सिरसागंज	20000=00
3	मै० भारत शीतगृह प्रा०लि० करहल रोड सिरसागंज	20000=00
4	मै० चक्रधारी कोल्ड स्टोरेज कबीरपुर सिरसागंज	20000=00
5	मै० मोलेश्वर कोल्ड स्टोरेज अरांव रोड सिरसागंज	20000=00
6	मै० महावीर शीतगृह प्रा०लि० करहल रोड सिरसागंज	20000=00
7	मै० बी०डी०एस० कोल्ड स्टोरेज पैगू रोड सिरसागंज	20000=00
8	मै० गुंजन कोल्ड स्टोरेज पैगू रोड सिरसागंज	20000=00
9	मै० चकोर कोल्ड स्टोरेज अरांव रोड सैपुरी सिरसागंज	20000=00
10	मै० तोमर कोल्ड स्टोरेज रूधमई सिरसागंज	20000=00
11	रामा देवी रिसाल सिंह कोल्ड स्टोरेज रिसाल सिंह नगर सिरसागंज	20000=00
12	मै० मां करौली शीतालया मौलापुरा सिरसागंज	20000=00
13	मै० राजपाल सिंह कोल्ड स्टोरेज करहरा सिरसागंज	20000=00
14	क्रीड एगो प्रोडक्ट सर्विसेज रूधमई सिरसागंज	20000=00
15	मै० फूल सिंह बघेल कोल्ड स्टोरेज सराय लुकमान सिरसागंज	20000=00
16	मै०एच० शीतगृह प्रा०लि० सींगेमई सिरसागंज	20000=00
17	मै०सार्क शीतगृह प्रा०लि० भावली सिरसागंज	20000=00
18	मै०पुष्पादेवी कोल्ड स्टोरेज पुराना इटावा रोड सिरसागंज	20000=00
19	मै०शारदा शीतगृह कौरारा रोड सिरसागंज	20000=00
20	मै०जय भोलनाथ कोल्ड स्टोरेज रूधावली सिरसागंज	20000=00
21	क्रीड एगो प्रोडक्ट एण्ड सर्विसेज प्रा०लि० शेखूपुर सिरसागंज	20000=00
22	मै०गंगादेवी प्यारेलाल कोल्ड स्टोरेज आगरा रोड सिरसागंज	20000=00
23	मै०सिंहवाहिनी कोल्ड स्टोरेज केसरी कटौरा नसीरपुर	20000=00
24	मै०सिरसागंज कोल्ड स्टोरेज इटावा रोड भावली सिरसागंज	20000=00
25	मै०गुंजन आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज	20000=00
26	मै०बी०एस०ए० कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि० केसरी रोड सिरसागंज	20000=00
27	मै०अशोक कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री सिरसागंज	20000=00
28	मै०महावीर शीतगृह प्रा०लि० रूधावली सिरसागंज	20000=00
29	मै०साईं श्रद्धा कोल्ड स्टोरेज आमौर न०जीवन सिरसागंज	20000=00
30	मै०एस०के०डी० कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि० मदनपुर सिरसागंज	20000=00
31	मै०एस०एस०तोमर शीतगृह प्रा०लि० न०पैज परियर मदनपुर सिरसागंज	20000=00

32	मै0पल्लवी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 मक्खनपुर शिकोहाबाद	20000=00
33	मै0लक्ष्मी शीतगृह प्रा0लि0डाहिनी शिकोहाबाद	20000=00
34	मै0चैमुखी एण्ड कैला कोल्ड स्टोरेज एटा रोड शिकोहाबाद	20000=00
35	शीतालय इण्डिया प्रिजर्वेशन जावई मुहम्मदपुर शिकोहाबाद	20000=00
36	मून शीतालय प्रा0लि0 इन्दुमई मक्खनपुर	20000=00
37	कृष्णा कोल्ड स्टोरेज इन्दुमई मक्खनपुर शिकोहाबाद	20000=00
38	बालाजी कोल्ड स्टोरेज एन0एच02 कोठी रूपसपुर मक्खनपुर शिकोहाबाद	20000=00
39	जयदयाल सिंह कोल्ड स्टोरेज बटेश्वर रोड शिकोहाबाद	20000=00
40	पवन प्रिजर्वेशन कोल्ड स्टोर एटा रोड शिकोहाबाद	20000=00
41	बृज एण्ड सन्स कोल्ड स्टोर एटा रोड शिकोहाबाद	20000=00
42	जय दुर्गे कोल्ड स्टोर एटा रोड शिकोहाबाद	20000=00
43	आर0डी0गुप्ता कोल्ड स्टोर रूपसपुर शिकोहाबाद	20000=00
44	मै0हुब्बलाल शीतगृह प्रा0लि0 सराय जावई नौशहरा शिकोहाबाद	20000=00
45	सिद्धेश्वरी कोल्ड स्टोरेज रूपसपुर मक्खनपुर शिकोहाबाद	20000=00
46	लालजी नम्बरदार कोल्ड स्टोरेज नवादा मक्खनपुर शिकोहाबाद	20000=00
47	मै0 जय शिव दुर्गा एण्ड धर्मन्द्र कोल्ड स्टोर एटा रोड शिकोहाबाद	20000=00
48	मै0विष्णुदयाल कोल्ड स्टोर जसराना देहात जसराना	20000=00
49	मै0भगवती शीतगृह प्रा0लि0 दखिनारा शिकोहाबाद	20000=00
50	मै0शीतल रिफ्रिजेशन एण्ड प्रिजर्वेशन प्रा0लि0 मैनपुरी रोड शिकोहाबाद	20000=00
51	मै0अमन कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 मैनपुरी रोड शिकोहाबाद	20000=00
52	मै0राधाकृष्ण कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 भारौल फिरोजाबाद	20000=00
53	मै0द्वारिकाधीश शीतगृह प्रा0लि0 किशनपुर शिकोहाबाद	20000=00
54	मै0 मां वैष्णो फ्रूट प्रिजर्वेशन प्रा0लि0 मांडई शिकोहाबाद	20000=00
55	मै0कुसुमलता एण्ड संस फ्रूट प्रिजर्वेशन प्रा0लि0 बिल्टीगढ फिरोजाबाद	20000=00
56	मै0के0वी0जी0शीतगृह घिनौली जाजूमई शिकोहाबाद	20000=00
57	राम रघु शीतालय प्रा0लि0 अथैज पचोखरा टूण्डला फिरोजाबाद	20000=00
58	पी0एम0वी0कोल्ड स्टोरेज चुल्हावली टूण्डला	20000=00
59	दुर्गेश कोल्ड स्टोरेज ढबरई फिरोजाबाद	20000=00
60	मै0पारसनाथ एग्री फूड्स प्रा0लि0मौहम्मदाबाद टूण्डला	20000=00
61	मै0श्री जी शीतगृह प्रा0लि0 एटा रोड कोटकी टूण्डला	20000=00
62	मै0बालाजी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज उसायनी फिरोजाबाद	20000=00
63	ठाकुर कोल्ड स्टोर ग्राम गढी अफोह नारखी	20000=00
64	मारुतीनन्दन कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 बरतरा नारखी	20000=00
65	जगदीश कोल्ड स्टोरेज ग्राम व पोस्ट नारखी	20000=00

महा योग	14,00,000=00

वसुली की धनराशि	रु0 14.00 लाख

वसूली की धनराशि रु0 27.81 लाख

1	श्री पंचम सिंह आदि मटसैना फिरोजाबाद	5000=00
2	श्री रामसिंह पुत्र श्री बाबूराम पशुमेला मैनपरी	5000=00
3	श्री रामसिंह पुत्र श्री बाबूराम पशुमेला मैनपरी	5000=00
4	श्री पुष्पेन्द्र पुत्र श्री रनवीर सिंह पशुहाट जाजूमई	5000=00
5	श्री भारत सिंह यादव पुत्र श्री रामसहाय यादव निवासी किसराव सिरसागंज	5000=00
6	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह ग्रा०पोस्ट जायमई सिरसागंज	10000=00
7	श्री नीरज कुमार पुत्र श्री राजीव कुमार निवासी ढकपुरा फिरोजाबाद	5000=00
8	श्री अश्वेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह निवासी अर्जुन नगर सिरसागंज	5000=00

9	श्री प्रदीप कुमार व श्री अनुजेश प्रताप सिंह निवासी भारौल	10000=00
10	श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री गंगाराम निवासी कैलई नहर पुल एका	5000=00
11	श्री वर्माजीत पुत्र श्री बाबू सिंह अगोधा फरिहा हाथवन्त	5000=00
12	श्री पुतूलाल पुत्र श्री अजब सिंह पशुहाट कौरारी सरहद फिरोजाबाद	5000=00
13	श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री जयवीर सिंह सिकन्दरपुर पाढम पशुपैठ लालगढी	5000=00
14	श्री शंकरलाल वर्मा आदि पशुपैठ सिरसागंज	5000=00
15	श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह पशुपैठ मानिक, न0राधे	5000=00

महा योग 85,000=00

उपर्युक्त 15 पशु हाट/पशु मेलों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रूपया 85,000=00 (रूपया पचपन हजार) की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। शासन द्वारा निर्धारित उपविधियों तथा 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत व्यवसायों के सम्मुख अंकित धनराशियाँ उपरोक्त पशु हाटों से वसूल की जानी अपेक्षित है। अतः सम्बन्धित व्यक्तियों से बकाया की वसूली रू0 85000=00 उपरोक्तानुसार की जानी अपेक्षित है।

जिला पंचायत मैनपुरी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

प्रस्तर 1- 30 प्र0 जिला एवं पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय (03) के धारा 33 (02) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियाँ एवं कार्य कलापों के वर्णित अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत जिला सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकतम है ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधन कमेटी द्वारा भी इस हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा 30 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधि0 1961 के अध्याय 03 के धारा 34(02) के अधीन जिला पंचायत को अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण कर के रू0 43.55 लाख का निम्न विवरण के अनुसार कराया गया निर्माण कार्य आपत्तिजनक है

लेखा परीक्षा के दौरान शासनादेश संख्या 04/866/33-2-14-93जी/2004टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 का संदर्भ ग्रहण करें मे, इकाइ द्वारा अवगत कराया गया कि सदस्यों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्य योजना स्वीकृत की गयी एवं उक्त के सम्बंध मे शासन से अनुमति भी ली गयी । इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इनके द्वारा भी कोई स्वीकृति विषयक शासनादेश उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः उक्त समस्त कार्य जो निर्माण कार्य कराया गया है। वह भी निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अन्तर्गत आता है 30 प्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम 179(02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत आती है जिसकी वसूली अधिभार के प्रावधानों के अनुसार बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों एवं श्री तपेश चन्द्र वर्मा, अ0मु0अ0 व श्री राजकुमार वि0परा0 से की जानी अपेक्षित है।

क्र	विकास खण्ड	भुगतान की	कार्य का नाम/सीसीकार्य	व्यय की धनराशि (लाख रु0 में)
1		14.8.19	नाना मऊ में महावीर के घर से हुकुम सिंह के घर तक	0.96
2		14.8.19	धारापुर मौजा में राजपाल के घर से चरन के घर तक	0.79
3		14.8.19	ग्राम सुजानपुर में सुनील यादव के घर तक सीसी कार्य	1.42
4		14.8.19	ग्रा0चंदाई में रामलेडेत के घर से फौरन सिंह के घर तक	1.49
5		14.8.19	राजीव गांधी नगर में राजकुमार के घर से रिकू के घर तक	1.44
6		14.8.19	लोधीपुर में कौआटांडा में चतुरीलाल के घर तक	2.36
7		14.8.19	सवज में लखपति के घर से चुन्नी के घर तक	6.70
8		14.8.19	औधा में अशोक पंडित के घर से वीरेन्द्र के घर तक	6.81
9		14.8.19	स्हार में दिनेश के घर से शौकीन के घर तक	1.45
10		14.8.19	जवापुर में ओम सिंह के घर से करन सिंह के घर तक	1.45
11		14.8.19	राजीव गांधी नगर में कलस्टर के घर से शिव मंदिर तक	2.17
12		14.8.19	मौजा सगौनी में फकीरे के घर तक	1.77
13		14.8.19	ग्राम चापरी में धान सिंह के घर से मिलाप सिंह के घर तक	1.58
14		14.8.19	भैसामई में शीतला देवी के घर से संत सिंह के घर तक	1.45
15		14.8.19	बरूबा धार में शैलेन्द्र के घर से सुरेश के घर तक	0.58
16		14.8.19	कछपुरा में रामनाथ सिंह के घर से लाल सिंह के घर तक	0.10
17		14.8.19	मरहरी में अतुल के घर से हरिष्चन्द्र के घर तक	1.57
18		14.8.19	शहजादेपुर में विमलेश के घर से रामकिशोर के घर तक	1.75
19		14.8.19	मई खेडा में सत्यवीर के घर से अतर सिंह के घर तक	4.84
20		14.8.19	मुडौली ढढोस मार्ग से सतीश के घर तक	2.87
		योग		43.55

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर 2- जिला पंचायत मैनपुरी के वर्ष 2019-20 में दिनांक 26.7.2019 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में टैक्सी परमिट बुलेरो वाहन किराये पर लेने हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी। जिसके सापेक्ष 3 कुटेशन प्राप्त कर अशोक कुमार वाहन स्वामी को गाडी सं0 यूपी 78 टी 6434 को अधिकृत कर निम्नानुसार वाहन का किराया भुगतान किया गया। जिसकी स्वीकृति दर रु0 700.00 प्रतिदिन, जिसमें 2 प्रतिशत जीएसटी व 2 प्रतिशत आयकर चालक सहित डीजल का किराया जिला पंचायत द्वारा वहन किया जायेगा। जिसका प्रतिदिन का किराया निम्नविवरण के अनुसार निर्धारित किया गया।

प्रतिदिन का किराया	रु0 700.00
2 प्रतिशत जीएसटी	रु0 14.00
2 प्रतिशत आयकर	रु0 14.00
योग-	रु0 728.00

जिसका कुल 72 दिन का किराया ₹0 728 गुना 72 कुल 52416.00 भुगतान किया गया। उपरोक्त वाहन की लागवुक एवं प्रयुक्त वाहन का प्रतिदिन चलाने का विवरण अप्राप्त रहने से उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी व किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसकी वसूली अजय कुमार अवस्थी लेखाकार एवं तपेश चन्द्र अपर मुख्य अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त वाहन दिनांक 20.8.2019 से 30.10.2019 लगातार प्रयुक्त की गई। जिसमें अवकाश दिवस सम्मिलित हैं।

(मूल आपति संख्या-07)

प्रस्तर 3. जिला पंचायत मैनपुरी में वर्ष 2019-20 में फाइल सं0 55/सी-17 ग्राम पंचायत गंगापुर कुरावली में जीटी रोड की ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य में श्रीमती सुनीता ठेकेदार को कुल ₹0 935497.00 का भुगतान किया गया, के बिल से जिसमें सीजीएसटी ₹0 3000.00 व एसजीएसटी ₹0 3000.00 कुल ₹0 6000.00 की वसूली नहीं की गई। जिसकी वसूली मेसर्स श्रीमती सुनीता कन्स्ट्रक्शन से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-08)

प्रस्तर 4. जिला पंचायत मैनपुरी में वर्ष 2019-20 में फाइल सं0 97/ई-15, राजीव गांधी नगर में अमर सिंह के घर से सीसी रोड तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य में मेसर्स कार्तिकेय कन्स्ट्रू ठेकेदार को कुल ₹0 893597.00 का भुगतान किया गया, के बिल से जिसमें सीजीएसटी ₹0 5050.00 व एसजीएसटी ₹0 5050.00 कुल ₹0 10100.00 की वसूली नहीं की गई। जिसकी वसूली मेसर्स कार्तिकेय कन्स्ट्रक्शन से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-09)

प्रस्तर 5. जिला पंचायत मैनपुरी में वर्ष 2019-20 में फाइल सं0 11 द्वारा भांवत जागीर मार्ग से न0 जगनी लेपन कार्य में श्रीमती सियादेवी ठेकेदार को कुल ₹0 294353.00 का भुगतान किया गया, के बिल से जिसमें सीजीएसटी ₹0 4652.00 व एसजीएसटी ₹0 4652.00 कुल ₹0 9304.00 की वसूली नहीं की गई। जिसकी वसूली श्रीमती सियादेवी ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या-10)

प्रस्तर 6. जिला पंचायत मैनपुरी में वर्ष 2019-20 में ठेकेदार को निर्माण कार्य में आयकर की कटौती ठेकेदार के बिल से 2.00 प्रतिशत की दर से की गयी है जबकि नियमानुसार 2.24 की दर से ठेकेदार के बिलों से भुगतान के समय किया जाना चाहिये था। जिससे ₹0 18204.00 आयकर धनराशि कम कटौती की गई है। अतः श्री श्याम सिंह ठेकेदार से ₹0 18204.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पत्रावली सं0-

टी116/166,	545.00
टी41/43,	11817.00
टी133/166,	2363.00
टी69/166,	250.00
टी62/166	490.00
टी98/166	515.00
टी105/166	510.00
टी55/166	246.00
टी08/166	269.00
टी60/166	460.00

टी72/166	250.00
टी98/166	489.00
योग	18204.

(मूल आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर 7 जिला पंचायत मैनपुरी के वर्ष 2019-20 के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारो ंको बिल की धनराशि के विरुद्ध किये गये भुगतान में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सामान्य सेवाकर/जीएसटी एवं राज्य सामान्य सेवाकर/एसजीएसटी की कटौती सूची में संलग्न ठेकेदारों को भुगतान के समय उक्त जीएसटी एवं एसजीएसटी के कर का भुगतान के समय ठेकेदार के बिल से बिना कटौती किये ही भुगतान कर दिया गया है। जिसकी कुल धनराशि रु0 35489 एवं 35489 कुल 70978.00 सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली करने हेतु संस्था के श्री ओम प्रकाश सिंह अपर मुख्य अधिकारी, अजय कुमार अवस्थी लेखाकार, वित्तीय राजकुमार यादव परामर्श दाता एवं जयराम सिंह अभियंता तथा कोषाध्यक्ष आदि विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त धनराशि को जमा कराने हेतु उत्तरदायी है। सम्बन्धित ठेकेदार के नाम से जितनी कर बकाया है नोटिस जारी करते हुए वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्र	पत्रासं०	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	सीजीएसटी	एसजीएसटी	योग
1	डी-2	ग्राम पं० मोहब्बतपुर बहादुरपुर बम्बासियादेवी पटरी पर लेपन कार्य		4330 948	4330 948	8660 1896
2	डी-1	मैनपुरी ज्योति रोड से ग्राम गडेरी कार्य	सियादेवी	623	623	1246
3	ई-13	किशनी मैनपुरी से न०छोटे सम्पर्क मार्ग का शेष भाग	प्रहलाद सिंह	380	380	760
4	10	मैनपुरी किशनी मार्ग से कुरारी प्रा०पाठ शाला तक लेपन कार्य	मनोज प्रधान	3220	3220	6490
5	एफ 4	ग्रा०पं० कुम्हरौर सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	नीरज कुमार	4630	4630	9260
6	डी 4	मैनपुरी से नगला कैष सम्पर्क मार्ग	सियादेवी	220	220	220
7	एफ 22	नसीरपुर मार्ग से मई खंडों तक लेपन कार्य	सियादेवी	201	201	402
8	एफ 27	एफ 27 ओछा मार्ग से ग्राम पंचायत चपरा की ओर सम्पर्क मार्ग कार्य	होतीलाल	5980 2476	5980 2476	10960 4952
9	एफ 15	मलिकपुर से नगला भौती का शेष कार्य का लेपन कार्य	सियादेवी	727	727	1454
10	एफ 91	अजनी में सुरेन्द्र के मकान से शिवनाथ के घर तक सीसी	सियादेवी	3119	3119	6238
11	ई 28	मलपुर मार्ग से मंकरंदपुर मार्ग तक लेपन कार्य	सर्वेश कुमार	1935	1935	3870
12	डी 9	मेहनपुर डुडगांव मे लेपन कार्य	नीरज कुमार	2456	2456	4912
13	डी 7	ग्रा०न० कंचन से गुलालपुर लेपन कार्य	नीरज कुमार	4244	4244	8488
				35489	35489	70978

(मूल आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर 8. जिला पंचायत मैनपुरी मे वर्ष 2019-20 मे निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य में स्वीकृत लागत से अधिक का भुगतान ठेकेदार को किया गया है किन्तु स्वीकृत लागत से अधिक भुगतान की स्वीकृति अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियंता व वित्तीय परामर्श दाता से नहीं किया गया, जिससे वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुये सम्बन्धित ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹0 1262207.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

क्र	पत्रा०	कार्य का नाम	ठेकेदार	स्वीकृत लाख में	भुगतान लाख में	अधिक भुगतान
1	91	अंजनी मे सुरेन्द्र के मकान से शिवनाथ के घर तक सीसी	सियादेवी	5.00	535144	35144
2	ई 28	मलपुर मार्ग से मकरंदपुर लेपन कार्य	सर्वेष कुमार	9.05	928214	28214
3	29	कोसमा से पुरानी सीसी से डामर रोड की ओर सीसी कार्य	संजीव यादव	35.00	3630814	130814
4	33	शाहजहापुर में विमलेश के घर से रामकिशोर के घर तक इंटरलांकिंग	मनोज कुमार	9.95	1088625	93625
5	38	किशनी स्टेट मार्ग से डबाह सीसी	धर्मेन्द्र कुमार	9.95	1102447	107447
6	1	अगौथा में जू० हाई स्कूल सीसी कार्य	श्याम सिंह	9.95	1068404	73404
7	2	राजीव गांधी नगर में रामविलास के घर तक सीसी कार्य	श्याम सिंह	9.95	1070280	75280
8	3	ग्रा०बैजनाथ पुर की ओर सीसी मार्ग	विद्या देवी	9.95	1071062	76062
9	4	जसवंतपुर सगौनी में फकीरे के घर तक कार्य	विद्यादेवी	9.95	1063445	68445
10	5	कुसमरा से कछपुरा स्वा० केन्द्र तक सीसी कार्य	कर्म बिहारी	10.05	1080190	75190
11	8	ग्रा०चंदाई में रामलडेटे के मकान से फौरन सिंह के घर तक सीसी	ओम बिल्डर्स	9.95	1062355	67355
12	11	कोसमा रेलवे स्टेशन से न० खुशी मार्ग लेपन	नीरजकुमार	20.00	2147001	147001
13	12	नानामऊ महावीर के घर से हुकुम सिंह के घर तक सीसी मार्ग	सुनीता	10.05	1080324	75324
14	13	ग्राम सहारा दिनेश के मकान से शोकीन के मकान तक सीसी	छविनाथ सिंह	10.05	1073726	68726
15	15	औरंध करनपुर में विनोद के घर की ओर सीसी रोड	आर इंटरप्राइजेज	9.95	1068528	73528
16	20	संकिसा मार्ग पर हरि की मडईईया से अनिल के खेत तक सीसी रोड	होतीलाल	10.05	1071648	66648
		योग				1262207

(मूल आपति संख्या-13)

प्रस्तर 9. जिला पंचायत मैनपुरी में अशोक कुमार की गाडी संख्या यूपी 78 टी 6434 को जिला पंचायत द्वारा को जिला पंचायत द्वारा अनुबंध के तौर पर प्रयुक्त किया गया, किन्तु गाडी की लागबुक एवं वाहन चलाने का अनुबंध पत्र एवं गाडी के चलाने का विवरण अप्राप्त रहने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विभागीय उच्च अधिकारी उक्त प्रकरण की जांच करते हुये दोषी कर्मचारी/अधिकारियों ओम प्रकाश सिंह से सम्बन्धित धनराशि की वसूली रु0 210130 का विवरण निम्नलिखित है जिसे वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रमाणक सं०	भुगतान दिनांक	विवरण	भुगोप्राप्त कर्ता	धनराशि	
79	6.7.19	गाडी में प्रयुक्त डीजल का भुगतान	दीपक कुमार अभियंता	1933	
80	6.7.19			7618	
81	6.7.19			3668	
82	6.7.19			4670	
25से37	22.10.19	-तदैव-	-तदैव-	46647	
20से23	4.11.19	-तदैव-	-तदैव-	11194	
		डीजल	योग	75730	

प्रमाणक सं०	भुगतान दिनांक	विवरण	भुगोप्राप्त कर्ता	धनराशि	
13,14	1.10.19	09/2019	अशोक कुमार	29400	
18	4.11.19	10/2019	अशोक कुमार	21000	
23	11.12.19	11/2019	अशोक कुमार	21000	
59	18.1.20	12/2019	अशोक कुमार	21000	
61,62	23.3.20	01.02/20	अशोक कुमार	42000	
		वाहन किराया		134400	
		कुल योग		210130	

(मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर 10. जिला पंचायत मैनपुरी में वर्ष 2019-20 में दिनांक 11.12.2019 को प्रमाणक संख्या 19 से 22 तक में वाहन व जनरेटर मद में डीजल बिल का भुगतान रु0 11536.00 का भुगतान मेसर्स कृष्णा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को किया गया जिसकी पुष्टि में वाहन व जनरेटर का लाग बुक अप्राप्त रहने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय की गई धनराशि की वसूली अपर मुख्य अधिकारी तपेश चन्द्र वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (मू.आ.सं-15)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- जिला पंचायत:-

1- जिला पंचायत:- अलीगढ़ जनपद- अलीगढ़ मण्डल - अलीगढ़-

प्रस्तर -01- मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर वर्ष 17-18 की जांच में पाया गया कि पिछले वर्षों की तुलना में आलोच्य वर्ष 17-18 में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका कम धनराशि में छोड़े गये हैं या फिर अनेक न्याय पंचायत/विकास खण्ड के ठेकों की नीलामी नहीं की गई। जबकि गत वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि में ठेके छोड़े जाने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रकार जिला पंचायत को लगातार आर्थिक क्षति हो रही है जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है। तथा विकास खण्ड वाइज विस्तृत विवरण तालिका के नीचे निम्न प्रकार है:-

मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर प्रस्तर से सम्बन्धित तालिका-1

क्रं सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			पिछला बकाया	बकाया वसूली	दि० 31-03-18 को कुल शेष
		मांग	वसूली	शेष	मांग	वसूली	शेष	मांग	वसूली	शेष			
1	अतरौली	113000	93000	20000	0	0	0	0	0	0	295730	0	295730
2	गंगीरी	120000	120000	0	22000	22000	0	0	0	0	49570	0	49570
3	बिजौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174542	0	174542
4	गोण्डा	373550	312600	60950	100000	100000	0	0	0	0	87450	3000	84450
5	इगलास	137890	88000	49890	00	00	0	00	00	0	118390	10000	108390
6	लोधा	288000	288000	00	53000	53000	0	33000	33000	0	585300	00	585300
7	अकराबाद	00	00	00	70000	70000	0	00	00	0	331975	00	331975
8	जवां	112650	112650	00	22000	22000	0	00	00	0	73462	00	73462
9	धनीपुर	264850	264850	30000	00	00	0	14500	14500	0	169433	15000	154433
10	टप्पल	160000	160000	00	48000	48000	0	16000	16000	0	665060	25000	640060
11	चन्डौस	85000	85000	00	00	00	0	00	00	0	623869	32000	591869
12	खैर	81000	81000	00	10000	10000	0	00	00	0	233483	00	233483
	योग-	1735940	1575100	160840	325000	325000	0	63500	63500	0	3408264	85000	3323264

उक्त तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त में कुल बकाया रु 3323264 दर्शित है जिसकी वसूली नहीं की जा सकी है इस प्रकार नीलामी की धनराशि को सम्बन्धित वर्षों में न वसूल कर अनावश्यक रूप से बकाया किया गया और उसकी वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही न कर बकाया को बढ़ाया गया। जिसकी वसूली न हो पाने के कारण जिला पंचायत को क्षति हो रही है। जिसके लिए जिला पंचायत के तत्कालीन अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

05-जिला पंचायत के सम्पत्ति व किराया रजिस्टर वर्ष 2017-18 की जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा अपने श्रोतों से होने वाली आय को प्राप्त करने में अत्यधिक लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही है। जिला पंचायत अपनी निजी सम्पत्तियों (कार्यालय भवन, दुकाने व आवासीय भवनों) का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं पा रही है। किरायेदार मन मर्जी से किराया देता है। कोई भी ठोस नीति लागू नहीं है। किराया न देने वालों पर कोई किसी तरह के जुर्माना व दंड का कोई प्राविधान नहीं है। जिसका लाभ प्रत्येक किरायेदार ले रहा है। अनेक बड़े किरायेदारों का विगत कई-कई वर्षों से कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है। ज्यादातर जिला पंचायत के किरायेदार बकायेदार बन कर रह गये हैं। किरायेदारों के समक्ष जिला पंचायत बेबस व लाचार दिखाई दे रहा है। किरायेदारों पर लाखों से भी अधिक का किराया बकाया होने के बावजूद जिला पंचायत उनसे कोई वसूली नहीं कर पा रहा है। बकाया किरायेदारों का विस्तृत विवरण नीचे तालिकामें अंकित है:-- तालिका-2

क्रमांक	स्थान	गत वर्ष तक का बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में वसूल	वर्षांत में बकाया
1	जिला पंचायत स्थित कार्यालय एवं भवन	3675997	1219209	1015036	
2	जवाहर भवन स्थित आवास	426019	79242	358695	146566
3	जिला पंचायत परिसर स्थित दुकानें	238465	241584	375994	
4	घंटा घर स्थित दुकानें	105310	3800	0.00	109110
5	मदार गेट स्थित दुकानें	288118	271704	450866	108956
6	जवां स्थित दुकानें	296029	128376	79664	
7	धनीपुर स्थित दुकानें	207098	215448	68640	
8	खैर, टप्पल, जट्टारी एवं इगलास स्थित दुकानें एवं आवास		672863	696915	
9	नानऊ, विजयगढ़, पिलखना एव अतरौली स्थित दुकानें	950461	482454	435566	997349

उक्त विवरण व आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की प्रत्येक सम्पत्ति का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जाता है। और न ही किराया वसूली की कोई ठोस नीति लागू की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किरायेदार किराया देने के लिए स्वतन्त्र है कि जितना मर्जी हो दे या फिर बिल्कुल न दे जिला पंचायत उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी। बकाया किराये के आंकड़े प्रत्येक वर्ष क्रमशः बढ़ रहे हैं लेकिन जिला पंचायत द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिला पंचायत की सम्पत्ति का किराया वसूलना जिला पंचायत के कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिला पंचायत की स्थिति बहुत ही दयनीय व सोचनीय है। किराया वसूलने में अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही व उदासीनता देखने को मिली है। जिसके लिए सम्बन्धित वर्षों में कार्यरत अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 02---वित्तीय वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कृषि फार्म रजिस्टर की जांच व समीक्षा में पाया गया कि अनेक विकास खण्डों के अनेक कृषि फार्म, वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए नीलाम नहीं किये गये हैं अथवा कम कीमत में नीलामी छोड़ी गयी है। जिससे जिला पंचायत को क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में नीलाम नहीं हुए कृषि फार्मों का विवरण निम्नवत है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 03- कृषि फार्म रजिस्टर व उसकी लेखा बन्दी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि विगत वर्षों के कुल बकाया के सापेक्षमात्र रु 5275.00 की वसूली दर्शायी गयी है। दि० 31-03-18 को रु 309425 का बकाया शेष है। जांच में पाया गया कि छोटी धनराशि के बकायेदारों से ही वसूली हो सकी है किसी बड़े बकायेदार से वसूली क्यों नहीं की जा सकी। रु 10000.00 से अधिक के बकायेदारों का विवरण निम्न प्रकार है

क्र० सं०	बकायेदार का नाम	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	बकाया धनराशि
1	श्री खरग सिंह पुत्र श्री हरी सिंह		97-98	12500.00
2	फौरन सिंह पुत्र श्री कीथम सिंह	गोण्डा	02-03	16500.00
3	देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरजपाल	इगलास	08-09	12500.00
4	मकसूर खा पुत्र श्री मौ० अली	खैर	08-09	9900.00
5	“ हरवंश सिंह पुत्र श्री रतन सिंह	टप्पल	02-03	31000.00
6	फिरोज खा पुत्र श्री साबिर अली	चन्डौस	08-09	10200.00
7	फिरोज खा पुत्र श्री साबिर अली	चन्डौस	08-09	13700.00
08	कप्तान सिंह पुत्र श्री जोधपाल सिंह	अकराबाद	04-05	26100.00

उक्त बड़े बकायेदारों की सूची से स्पष्ट है कि जिला पंचायत प्रशासन द्वारा बड़े बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बड़े बकायेदारों के विरुद्ध आर०सी० आदि जारी नहीं की गई है। जिला पंचायत में बकाया वसूली की कोई स्पष्ट व प्रभावी नीति नहीं है। अपेक्षित वसूली न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को ही दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4--वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर व शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12-01-2005 एवं पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/ 866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियमानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्धित धनराशि का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हे प्रदान किया गया हो। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये थे जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। तथा शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि “पंचायतीराज संस्थाओं

द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत का अतिक्रमण किया जा रहा है जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।” यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को कार्य समिति की सहायता से वार्षिक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए थी और क्षेत्र पंचायतों की विकास योजना को शामिल करते हुए एकीकृत विकास योजना बनाई जानी चाहिए थी और तदनुसार विकास कार्यों को सम्पादित किया जाना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराये गये निर्माण कार्यों की उपलब्ध सूची में अन्तिम कार्य का क्रमांक 179 है लेकिन कुल दर्शित कार्य 146 ही हैं क्योंकि क्रमांक 01 से 179 के बीच 33 क्रमांकों की मिसिंग है। सूची में दर्शित कुल 146 कार्यों में से 05 (क्रमांक 28,34,35,36 व 118) कार्य वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित हैं, जिनमें वर्ष 2018-19 में न ही कोई कार्य किया गया और न ही कोई भुगतान किया गया है। इन पाँचों कार्यों को वर्ष 2018-18 की सूची में दर्शाने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा 01 कार्य क्रमांक 42, जो वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित तो है लेकिन कोई कार्य नहीं कराया गया और न ही कोई भुगतान हुआ है। इस प्रकार दर्शित 146 कार्यों में कुल 140 कार्यों में ही वर्ष 2018-19 में भुगतान किया गया है। उक्त से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा अपने निर्माण कार्यों में एक से अधिक क्षेत्र/ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किये जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया गया हो। परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष कराये गये कुल 140 कार्यों में से 34 कार्यों को क्षेत्र/ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जिन पर रु 463.1229 लाख व्यय हुआ है।

अर्थात् वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल कराये गये 140 कार्यों में से 34 ऐसे विकास कार्य थे जो ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये थे जिनका कुल व्यय रु 463.1229 लाख था। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव और उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन सम्पन्न बैठकों में लिए गये प्रस्तावों में उपस्थित सदन के समस्त सम्मानित सदस्य गण व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र व श्री अली वारिस दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों का विवरण/सूची जिला पंचायत में उपलब्ध है।

प्रस्तर -5---मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से सम्बन्धित रजिस्टर वर्ष 18-19 की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत ने उक्त मद में पूरे वर्ष में कुल रु 148500.00 वसूल किया है। इस वसूली गई धनराशि का कोई भी अंशदान ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है जबकि पंचायती राज अनुभाग-2, शासनादेश सं0 2203/33-2-97-43 बी (8), दिनांक-30 मई-1997 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से प्राप्त हुई आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था। आलोच्य वर्ष 18-19 में उक्त मद में वसूली गई धनराशि रु 148500 का आधा भाग रु 742500.00 होता है जिसे ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था लेकिन जिला पंचायत द्वारा अंशदान नहीं दिया गया है। अतः उक्त के प्रति विभागीय नियमानुसार ग्राम पंचायतों को अंशदान किया जाना अपेक्षित है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-06--वित्तीय वर्ष 2018-19 के कराये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई व्यवस्था में स्पष्ट है कि 5 लाख रूपए से अधिक किन्तु 10 लाख रूपए से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा 10 लाख रूपए से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने कि अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है जो निर्धारित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -7 वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल 140 कार्यों में 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम लागत के कुल 36 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 2,92,91,942 है। तथा 10 लाख से अधिक लागत के कुल 97 कार्य हैं जिनकी लागत रु 31,77,40,628 है। उक्त आंकड़ों के अनुसार कुल 133 कार्यों का भुगतान नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है जिसकी कुल लागत रु 34,70,32,570 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके

लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, अभियन्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर8-संस्था के कर निर्धारण रजिस्टर/लेजरो की जांच व समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान केवल वर्ष 2016-17 तक का ही कर निर्धारण रजिस्टर पूर्ण पाया गया। वर्ष 16-17 के कर निर्धारण रजिस्टर की जांच में पाया गया कि रजिस्टर विकास खण्ड वाइज तैयार किये गये हैं। रजिस्ट्रों में कटिंग व अपलेखन बहुत अधिक पाया गया है। इसके अलावा पाया गया कि दर्शित विभिन्न प्रकार की फर्मों की संख्या वास्तविक नहीं लगी। जैसे गोण्डा विकास खण्ड में केवल 2 पेट्रोल पम्प ही दर्शाये गये हैं। इसी प्रकार कोल्ड स्टोर, ईट भट्टे, कारखाना, फैक्ट्री, गैस एजेन्सी, आरा मशीन, आटा चक्की, हास्पिटल, अंग्रेजी शराब की दुकानें व अन्य फर्मों की स्थिति वास्तविक नहीं लगी। दर्शित फर्मों के मिलान हेतु संस्था के पास कोई बुकलेट व प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अत्यधिक लापरवाही बरती जा रही है। जांच में यह भी पाया गया कि अधिकांशतः फर्मों की केवल मांग दर्शित की गई है समय रहते वसूली नहीं की गई। और इसके परिणाम स्वरूप कर का बकाया लगातार बढ़ रहा है। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि संस्था में जो धनराशि बकाया में पड़ जाती है फिर उसकी वसूली होती ही नहीं है और बकाया लगातार बढ़ता रहता है। उपलब्ध रजिस्ट्रों के अनुसार वर्ष के अन्त में दिनांक 31-03-17 को संस्था का विभव व सम्पत्ति कर कुल रु 2,54,45,275.00 बकाया था। जिसकी वसूली का न ही कोई सार्थक प्रयास किया गया और न ही कोई प्रभावी नीति तैयार की गई है। खाना पूर्ति के नाम पर कुछ फर्मों के नाम आर0 सी0 जारी की गई है जो कि नाकाफी है। इसके लिए कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। कर अवधारण, वसूली व बकाया से सम्बन्धित तालिका प्रस्तुत है।

तालिका-3

जिला पंचायत के कर निर्धारण, उसकी वसूली एवं बकाया से सम्बन्धित विकास खण्ड वाइज तालिका:--

क्र.सं	नाम विकास खण्ड	वर्ष	वर्ष की मांग	गत अवशेष	कुल मांग	कुल वसूली	कुल बकाया
1	अकराबाद	14-15	351000	2112705	2463705	309910	2153795
		15-16	189000	2128555	231755	285310	2032245
		16-17	321000	1979965	2300965	175810	2125155
2	अतरौली	14-15	261150	863300	1124450	158000	966450
		15-16	166500	966450	1132950	143750	989200
		16-17	185500	989200	1174700	66650	1108050
3	गंजीरी	14-15	400650	1067055	1467705	194500	1273205
		15-16	190800	1250205	1441005	345255	1095750
		16-17	292800	1118750	1411550	139700	1271850
4	खैर	14-15	361200	1659745	2020945	203400	1817545
		15-16	284850	1687435	1972285	104750	1867535
		16-17	320850	1901800	2222650	95400	2127250
5	जवा	14-15	418650	2392100	2810750	189660	2621090
		15-16	259500	2619900	2879400	139750	2739650
		16-17	283500	2739650	3023150	208750	2814400
6	धनीपुर	14-15	417300	2950005	3367305	282700	3084605
		15-16	290100	3117005	3407105	279650	3127455
		16-17	386100	3066555	3452655	63700	3388955
7	गोण्डा	14-15	263400	1171025	1434425	123490	1310935
		15-16	110250	1310935	1421185	120300	1300885

		16-17	110250	1300885	1411135	131050	1280085
8	इगलास	14-15	351600	1252695	1604295	186000	1418295
		15-16	145200	1087295	1232495	150200	1082295
		16-17	145200	1082295	1227495	142200	1085295
9	लोधा	14-15	839100	3842035	4681135	350550	4330585
		15-16	686550	4393135	5079685	136820	4942865
		16-17	716550	4903075	5619625	50735	5568890
10	चण्डीस	14-15	400200	1697370	2097570	89300	2008270
		15-16	111000	1958370	2069370	120420	1948950
		16-17	132600	1950600	2083200	79140	2004060
11	बिजौली	14-15	160950	1148655	1309605	203000	1106605
		15-16	100500	1106605	1207105	108350	1098755
		16-17	115500	1098755	1214255	104900	1109355
12	टप्पल	14-15	249600	1478870	1728470	128860	1599610
		15-16	96600	1605610	1702210	157650	1544560
		16-17	173400	1520110	1693510	130980	1562530
	वर्ष 14-15 का योग-		4474800	21635560	26110360	2419370	23690990
	वर्ष 15-16 का योग-		2630850	23231500	25862350	2092205	23770145
	वर्ष 16-17 का योग		3183250	23651640	2683489	1389015	25445875

प्रस्तर09-वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेपन कार्य की पत्रावलियों की जांच में निम्न लिखित गम्भीर आपत्तिया पायी गयीं है:--

ए-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम सं० 6 के अनुसार कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ब्योरेवार नक्शा/डिज़ाइन/मानचित्र तथा उसके बाद अनुमान/प्राक्कलन तैयार करने का प्राविधान है। लेकिन निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्य का अनुमान/प्राक्कलन तो तैयार किया गया है। लेकिन कार्य का प्लान व मानचित्र तैयार नहीं किया गया है जो कि आवश्यक था। क्यों कि स्थल सर्वेक्षण के बाद कार्य का डिज़ाइन तैयार किया जाना भी आवश्यक है ताकि स्पष्ट हो सके कि स्थल की वास्तविक स्थिति कैसी है।

बी- पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेपन कार्य हेतु प्रयुक्त किये गये बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाईनरी से लिए जाने के निर्देश थे। लेकिन प्रस्तुत पत्रावलियों में बिटुमिन की आपूर्ति से सम्बन्धित कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिटुमिन की आपूर्ति रिफाईनरी से न कर अन्यत्र से की गई है जो कि शासनादेश के विपरीत है। शासनादेश संख्या-1408/23.03.09/62(जनरल)/08 टी0सी0, लोक निर्माण विभाग-3 लखनऊ- दिनांक 08 मई 2009 के अनुसार सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाईनरी से लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं।

1-कान्ट्रेक्टर द्वारा बिटुमिन की आपूर्ति रिफाईनरी से ही प्राप्त की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रिफाईनरी से प्राप्त किए गये बिटुमिन का प्रमाण, यथा-रिफाईनरी को दिये गये आपूर्ति आदेश, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गये भुगतान की रसीद कन्ट्रेक्टर से प्राप्त किया जाएगा।

2-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जाएगा जब बिटुमिन की मूल इन्वायस कन्ट्रेक्टर द्वारा प्रस्तुत की जाए और इन्वायस को क्रास कर बिल के साथ लगा दिया जाए।

जिला पंचायत में उक्त दोनों ही निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त बिटुमिन की आपूर्ति सीधे से रिफाईनरी से नहीं की गई है तथा नियमों के विपरीत ठेकेदारों को बिल का भुगतान कर दिया गया है। जिससे सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार दोषी व उत्तरदायी है।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 में प्राविधानित है कि एक वैध परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। अग्रेतर, फरवरी-2001, अगस्त-2002 और अक्टूबर-2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों से एमएम-11 प्रपत्रों की वैधता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी रायल्ली की वसूली के लिए उत्तरदायी है।

यदि ठेकेदार द्वारा रायल्ली की रसीद को प्रारूप एमएम-11 के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्ली की कटौती की जानी चाहिये और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। जबकि इसके विपरीत निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदार द्वारा लिखित, अपर मुख्य अधिकारी/अभियन्ता के नाम एक प्रपत्र संलग्न किया गया है जिसमें लिखा गया है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त समस्त उप खनिजों का परिवहन वैध रूप से किया गया है जो कि अपुष्ट है। जिसकी पुष्टि में साक्ष्य के रूप में दूसरे राज्यों की रायल्ली रसीद-बुक/फार्म 12-ए, ट्रांजिट पास/फार्म 12-सी व अन्य प्रकार के प्रपत्र संलग्न किये गये हैं लेकिन संलग्न प्रपत्रों को ठीक से भरा ही नहीं गया है अनेक मदों को खाली छोड़ दिया गया है जैसे- माल प्राप्त करने वाले का नाम, खनिज का प्रकार, खनिज की मात्रा/वजन व स्थान जहा के लिए माल भेजा गया है आदि। आवश्यक सूचनाओं/जानकारी के बिना प्रपत्र को संलग्न करने एवं उन्हे स्वीकार करना, यह इंगित करता है कि अनियमित/फर्जी एमएम-11 प्रपत्रों को स्वीकार किया गया है। अनियमित/फर्जी प्रपत्रों को ही आधार मानकर जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार के बिल में प्रयुक्त कुछ उप-खनिजों पर रायल्ली की कटौती व अन्य उप-खनिजों जैसे- स्टोन ग्रेट पर रायल्ली न काटने की छूट दी गयी है जो कि पूरी तरह से गलत है। राजकीय राजस्व संग्रह को दृष्टिगत रखते हुए ठेकेदारों से प्राप्त रायल्ली जमा सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन, सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों से कराया जाना चाहिए था, जो नहीं कराया गया है। पत्रावलियों में संलग्न एमएम-11 प्रपत्र प्रथम दृष्ट्या नकली/फर्जी प्रतीत होते हैं। ठेकेदार के बिल भुगतान से पूर्व, उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम संख्या-66 के अनुसार लेखाकार द्वारा बिल का परीक्षण " कर ली और सही पाया " का उल्लेख करेगा। जबकि लेखाकार द्वारा ऐसा कोई उल्लेख पत्रावली में कहीं भी नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य बिलों का ठीक से परीक्षण व जांच न कर अथवा मिली भगत कर राजकीय राजस्व की क्षति/चोरी की गई है तथा और भी अन्य प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं की गयी हैं। इस प्रकार, सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन से न केवल शासकीय धन की हानि हुई है बल्कि, अवैध खनन को बढ़ावा मिला एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिवश्री आलोक रंजन उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-3385(1)/86-2015-292/2015 दि० 15 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर 3(3) के अनुसार यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र एम०एम०-11 के किया जाता है तब प्रयुक्त उप खनिज की रायल्ली के साथ-साथ खनिज मूल्य(सामान्यतः रायल्ली का पाच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। उक्त का पालन नहीं हुआ। विवरण तालिका प्रस्तुत है

तालिका-4 (लेपन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में)

अवैध/फर्जी परिवहन पास/एम०एम०-11/ट्रांजिट पास के आधार पर आगणित रायल्ली व प्रभार के वसूली की धनराशि का विवरण:-

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम	प्रयुक्त उप-खनिज स्टोन ग्रेट	आगणित रायल्ली की धनराशि	आगणित खनिज मूल्य	वसूली हेतु कुल धनराशि
1	जरारा उटवारा से नगला के० सी० रोड तक लेपन कार्य	1313.1 घनमी०	144441	722205	866646
2	जामुनका से धर्मपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	1783.8 घनमी०	196218	981090	1177308

3	चन्द्रपुर से नगला बीच पर्सि सम्पर्क मार्ग पर	1066.65घनमी0	117332	586660	703992
4	धर्मपुर से नगला अस्सू-बॉकनेर सम्पर्क मार्ग पर	1276.15घनमी0	140376	701880	842256
5	ऊमरी से बड़ोडा की तरफ सम्पर्क मार्ग पर	1130.00घनमी0	124300	621500	745800
6	सिरौली से सुनपहर की ओर सम्पर्क मार्ग पर	1665.70घनमी0	183227	916135	1099362
7	कौछोड वाली पुलिया से रूस्तमपुर धर्मशाला की ओर	253.26घनमी0	27858	139290	167148
8	गोरई मेन रोड से मर्करपुर मार्ग पर	1139.81घनमी0	125379	626895	752274
9	कछौटपुरा से नगला भुविया मार्ग पर	467.80घनमी0	51458	257290	308748
10	ग्राम राजगहीला सम्पर्क मार्ग से जू0हा0स्कूल मेंसम्पर्क मार्ग पर	91.44 घनमी0	10058	50292	60350
11	रामनगर से नगला भूडा सम्पर्क मार्ग पर-	763.76घनमी0	84013	420068	504081
12	नगला शोभा से रेशरा सम्पर्क मार्ग पर-	281.79घनमी0	30997	154984	185981
13	ग्राम छिडावली से गिरधरपुर की ओर बम्बे की पटरी पर	464.66घनमी0	51112	255563	306675
14	रफायतपुर खेडिया बारात घर से बाईपास सम्पर्क मार्ग पर	517.90घनमी0	56969	284845	341814
15	छलेसर मुजफरा रोड से नगला राज खा सम्पर्क मार्ग पर	600.00घनमी0	66000	330000	396000
16	भोपतपुर से गडराना की ओर	1272.53घनमी0	139978	699891	839869
17	तेहरा छर्छा मोड पर रामनगर से कुतुबपुर तक	1231.66घनमी0	135482	677413	812895
18	हरदोई माइनर पुलिया से नगला रोशन सम्पर्क मार्ग पर	372.10घनमी0	40931	204655	245586
19	सैदपुर से सबलपुर एलमपुरा सम्पर्क मार्ग पर-	1381.00घनमी0	151910	759550	911460
20	टोडरपुर से नगला बाग सम्पर्क मार्ग पर-	829.39घनमी0	91233	456164	547397
21	ग्राम कारस के रिलाइन्स टावर से खिराबर के डाबर रोड तक-	1043.24घनमी0	114756	573782	688538
22	कासिमपुर खुशीपुरा लिंक रोड की तरफ से नगला मन्दिर लिंक रोड की ओर-	580.14घनमी0	63815	319077	382892
23	प्रा0 स्कूल नगला राय सिंह से सोमना पहासऊ की ओर सम्पर्क मार्ग पर-	639.13घनमी0	70304	351521	421825
24	बाजगढी पुल सुनाना मार्ग से दरियापुर खण्डजा तक-	1073.00घनमी0	118030	590150	778869
25	भूरिया की गढ़ी से राजेन्द्र के ट्यूबैल मुडिया मार्ग तक	1050.50घनमी0	115555	577775	693330
26	नगला खूबा से महगौरा सम्पर्क मार्ग पर-	1902.80घनमी0	209308	1046540	1255848
27	ऊतरा से पुरनी की ओर सम्पर्क मार्ग पर-	1783.58घनमी0	196194	980970	1177164
28	ग्राम औगर से ग्वालरा सम्पर्क मार्ग पर-	1021.16घनमी0	112327	561638	673965
29	बूढा गाँव से इन्द्रा नगला सम्पर्क मार्ग पर-	1258.40घनमी0	138424	692120	830544
30	नगला बीच से कुमरउजा सम्पर्क मार्ग पर	614.10घनमी0	67551	337755	405306
31	खडउवा चैक भूपालगढ़ी मार्ग से कासिमपुर खुजीपुरा मार्ग पर	660.45घनमी0	72650	363250	435900
32	खैर जट्टारी मार्ग पर कृष्णा होटल के बगल में जरतौली की ओर लेपन कार्य-	680.40घनमी0	74844	374220	449064
33	नगला बरी से बघियार गाव की ओर-	358.27घनमी0	39409	197049	236458
34	गंगेई से अजनिया सम्पर्क मार्ग पर-	1381.16घनमी0	151927	759638	911565
35	भाय काली रोड से काके की ओर सम्पर्क मार्ग पर-	1426.73घनमी0	156940	784700	941640

36	नीम नदी से पीढौल सम्पर्क मार्ग बाई पास पर-	576.58घनमी0	63424	317119	380543
37	गोरई बेसवा रोड से ग्राम गढ़ी बूचा मार्ग पर	360.00घनमी0	39600	198000	237600
38	पचावरी मे रनवीर सिंह के स्कूल से भुडिया मार्ग पर-	1146.82घनमी0	126150	630750	756900
39	साधू आश्रम पनैठी मार्ग से समस्तपुर गाँव की ओर	788.50घनमी0	86735	433675	520410
40	ऊमरी डाबर रोड से शिव मन्दिर सम्पर्क मार्ग पर-	654.50घनमी0	71995	359975	431970
41	बम्बे के पुल से सहजपुरा सम्पर्क मार्ग पर-	795.00घनमी0	87450	437250	524700
42	जखैरा से पनिहारा रोड के शेष भाग पर-	1478.00घनमी0	162580	812900	975480
43	पला कस्तली से अमरौली रोड की ओर-	674.00घनमी0	74140	370700	444840
44	बाईपास (छभ.91) से गभाना में अनिल प्रधान के घेर की तरफ सम्पर्क मार्ग पर	647.67घनमी0	71243.7	356218.50	427462
45	गिरधरपुर से बम्बा पुल की ओर	427.74घनमी0	52001	260007	312008
46	छर्ना अतरौली रोड पर मण्डी के बराबर नगला बादशाह रोड पर हर प्रसाद के खेत की तरफ-	522.60घनमी0	57486	287430	344916
47	पुराने आगरा बाईपास रोड से ग्राम मुकुन्दपुर तक	243.51घनमी0	26786	133931	160717
48	पनैठी गडराना रोड से भरतुआ सम्पर्क मार्ग पर-	1235.22घनमी0	135874	679371	815245
49	ग्राम पडियावली में छभ.91 से प्राइमरी स्कूल की ओर	238.74घनमी0	26261	131307	157568
50	रामगढ़ पँजीपुरपुलसेआलमपुर सुबकरा रोडतक सी0सी0 व लेपन कार्य	581.65घनमी0	63981	319908	383889
51	हरदोई रजवाहा से गणेशपुर तालुका की ओर	365.04घनमी0	40154	200772	240926
52	जी0टी0 रोड से सराय बुर्ज की तरफ लेपन कार्य	382.33घनमी0	42056	210282	252338
53	मनोहरपुर-कायस्थ सम्पर्कमार्गपरगन्दे नाले तक मरममतलेपन कार्य	251.16घनमी0	27628	138138	165766
54	खैर सोमना मार्ग (छौंकरा इस्माइलपुर मार्ग) से बाजना सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य-	125.90घनमी0	13849	69245	83094
55	खैर सोमना मार्ग (छौंकरा इस्माइलपुर मार्ग) से नीमखेडा सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य	35.55घनमी0	3910	19550	23460
56	कटरा बरौली मार्ग से गौवरी सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य-	54.78घनमी0	6026	30129	36155
57	नगला सरूआ ट्यूबैल रोड से चन्डौस सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य-	134.00घनमी0	14740	73700	88440
58	क्यामपुर ओजोन रोड से नीहार मीरा स्कूल सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य	29.15घनमी0	6206	16033	19239
59	काटा गौदौली मार्ग से कुंवरपुर तक लेपन मरम्मत कार्य	40.80घनमी0	4488	22440	26928
60	भौरा गौरवा डाबर रोड से नगला जार सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य-	83.20घनमी0	9152	45760	54912
61	खैर सोमना रोड से हीसैल वाया चादनेर थानपुर आराम गढ़ी सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य-	336.88घनमी0	37056	185284	222340
62	बोरना से याकूबपुर सम्पर्क मार्ग पर अनुरक्षण एवं आवादी	50.00घनमी0	5500	27500	33000

	क्षेत्र में इण्टरलाकिंग कार्य-				
63	जी० टी० रोड जिरौली से भगवानपुर होते हुए हिरनौटी तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य-	261.00घनमी०	28710	143550	172260
64	योग--		5089411	25517777	30607188

निम्न लेपन निर्माण कार्यों में उप-खनिजों के प्रयोग व उनके परिवहन से सम्बन्धित प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1-ग्राम जरारा उटवारा से लेकर नं० केसी रोड तक लेपन कार्य- प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-04-2018 से प्रारम्भ कर 22-07-2018 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 02-01-2019 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० पलक इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा है में निम्न आपत्तियां पायीं गयीं।

(ए)- पत्रावली में संलग्न बैंक गारण्टी हेतु स्टाम्प रू. 100.00 लगा है जबकि "भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनु० 1बी के प्रस्तर 12 क के अनुसार बैंक गारण्टी हेतु स्टाम्प प्रति रू 1000 पर रू 5 की दर से स्टाम्प ड्यूटी भुगतानित की जायेगी" का उल्लंघन किया गया है।

(बी)- पत्रावली में चयनित फर्म मै० पलक इण्टरप्राइजेज का हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, व्यापार कर विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र, पिछली 05 वर्ष की बैलेन्स शीट, पैन कार्ड एवं पार्टनरशिप डीड की कॉपी संलग्न नहीं है।

(सी)-पत्रावली में संलग्न विवरण के अनुसार विज्ञापन हेतु दिनांक 29.12.2017 को प्रेषित पत्रांक 174 के क्रमांक 6 के अनुसार आप द्वारा मात्र दो दैनिक समाचार पत्रों में टेण्डर हेतु विज्ञप्ति भेजी गयी है जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 1653/33-3-2000-73/2000, लखनऊ, दिनांक 16.03.2000 के प्रस्तर-2(ख) के अनुसार तीन दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें 02 मान्यता प्राप्त एवं बहु प्रसारित होने चाहिए, की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी एवं साथ ही शासनादेश संख्या- 751/33-3-2001-73/2000 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 23-05-2001 के प्रस्तर 3 का उल्लंघन कर मात्र 9 दिनों का समय दिया गया है। इस प्रकार आप द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा हेतु निर्दिष्ट आदेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त का स्पष्टीकरण वांछित है।

(डी)- जिला पंचायत द्वारा माप पुस्तिका उपलब्ध न कराये जाने के कारण "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984" के नियम संख्या 35 एवं 36 के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(इ)-पत्रावली में संलग्न ट्रांजिट पास सं० 0255277 के परीक्षण में निम्न त्रुटियां प्रकाश में आयीं-

(प)-पत्रावली में संलग्न ट्रांजिट पास में परिवहन की दिनांक 20.08.16 दर्ज है। जबकि उक्त निर्माण कार्य का कार्य आदेश दिनांक 23.04.18 को प्रारम्भ हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त ट्रांजिट पास द्वारा प्राप्त की गई सामग्री का प्रयोग उक्त निर्माण कार्य में नहीं किया गया है अतः संलग्न ट्रांजिट पास औचित्यहीन एवं अमान्य है। उ०प्र० खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण एवं निवारण) नियमावली 2002 में प्रावधानित है कि एक वैध परिवहन पास के बिना खनिज का परिवहन अनियमित है परन्तु जिला पंचायत द्वारा संलग्न ट्रांजिट पास निर्गत करने वाले अधिकारी से बिना सत्यापित कराये ही ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत ट्रांजिट पास सही मानते हुये भुगतान करना नियम विरुद्ध है। अग्रेतर फरवरी 2001, अगस्त 2002 एवं अक्टूबर 2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्था को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों से (एमएम11) परिवहन पास की वैधता की पुष्टि कराये जाने उपरान्त ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है।

(II)- ट्रांजिट पास में माल प्राप्तकर्ता का स्थान मात्र अलीगढ़ लिखा है जबकि इस पर कार्य स्थल का पता दर्ज होना चाहिए था। चूंकि ये ट्रांजिट पास, कार्य का टेण्डर प्राप्त करने से पूर्व का है। इसलिए यह ट्रांजिट पास पूरी तरह से अमान्य है।

(III)- जीएसबी और जी 2 के मेटेरियल का गुणवत्ता परीक्षण लोक निर्माण विभाग के डिवीजनल लेबोरेट्री अलीगढ़ में कराये गये हैं जबकि पत्रावली के साथ संलग्न ट्रांजिट पास के अनुसार 6 मिमी का खनिज दिनांक 20.08.2016 को क्रय किया जाना दर्शित है जो निर्माण कार्य आदेश से दो वर्ष चार माह पूर्व का है। पूरी पत्रावली में मात्र एक ही ट्रांजिट पास संलग्न है जो कि अमान्य है। उपरोक्त स्थिति में बिना विभिन्न श्रेणियों के गिट्टियों की उपलब्धता के मटेरियल का गुणवत्ता परीक्षण कराया जाना कैसे सम्भव हो सका, स्पष्ट करें एवं अपेक्षित एवं उपभोगित मात्रा के मटेरियल के ट्रांजिट पास भी परीक्षण हेतु उपलब्ध करायें।

(IV)- जी3 मटेरियल का भी परीक्षण लोक निर्माण विभाग अलीगढ़ के लैब द्वारा को किया गया है जबकि प्रयुक्त सामग्री (समुच्चय और रेत)के आमद का साक्ष्य (ट्रांजिट पास) पत्रवाली में सुलभ नहीं है।

(अ)- पत्रावली में संलग्न मात्रा के बिल के अनुसार जो वास्तविक रूप में सामग्री प्रयुक्त दर्शायी गयी है। वह मात्रा या तो अवैध खनन/अवैध परिवहन के रूप में मंगाकर कार्य पूर्ण किया गया है अथवा दर्शित प्रयुक्त मात्रा प्राप्त ही नहीं की गयी है और काल्पनिक रूप सामग्री प्रयुक्त दर्शाकर गोलमाल किया गया है। क्यों कि प्रयुक्त मात्रा के सापेक्ष उपखनिज के ट्रांजिट पास मात्रानुसार सुमेसित नहीं हैं।

(vi)-लोक निर्माण विभाग के अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1408/23-3-07-62 (जनरल)/08 टी0सी0, लखनऊ दिनांक 8 मई 2009 के अनुपालन में विटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए था परन्तु पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट है कि न तो संस्था द्वारा विटुमिन की मांग का कोई पत्र ही संलग्न है और न ही रिफाइनरी द्वारा मांग के सापेक्ष प्रेषित विटुमिन की इनवाइस एवं किए गए भुगतान का प्रमाण ही संलग्न पाया गया, जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

(vii)- प्रभागीय प्रयोगशाला निर्माण प्रभाग-1, पीडब्ल्यूडी अलीगढ़ को लैब जांच हेतु भेजे जाने वाले मैटेरियल को किस पत्रांक/दिनांक से संलग्न कर भेजा गया, उल्लेख नहीं किया गया है। अवगत कराये।

(viii)-ठेकेदार द्वारा साईट लैब की कोई स्थापना नहीं की गयी है। क्योंकि साईट लैब की कोई रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी है।

(ix)-पत्रावली में संलग्न अंतिम बिल ऑफ मासेरुमेंट के अनुसार कार्य के किनारों पर ईट प्रयोग किया गया है। परन्तु पत्रावली में ईट की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ की जाच का प्रमाणन संलग्न नहीं है। जिससे प्रयुक्त की गई ईट की गुणवत्ता संदिग्ध रही। भारतीय रोड कांग्रेस 2014 के प्रस्तर 2003 के अनुसार ईट का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 8.4 मेगा पास्कल (एम पी ए) एवं पांच ईटों का एवरेज 10.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण वांछित है।

(x)- ग्रामीण सड़क की विशिष्टता:--आई.आर.सी 2014के प्रस्तर 2015.1 में स्पष्ट प्राविधान है कि ठेकेदार द्वारा जिन निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया गया है उनके निर्माण/आपूर्ति कर्ता से परीक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा एवं कार्य स्थल पर भी फील्ड लैब स्थापित करेगा एवं परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण भी रखेगा। परन्तु पत्रावली के अनुसार ऐसा नहीं किया गया है। स्थिति स्पष्ट की जाय।

(xi)-पत्रावली में संलग्न अंतिम बिल एवं मात्रा के बिल (कंमाक 9) के अनुसार संस्था द्वारा टैक कोट कराया गया है जबकि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक 3583 एम.टी.-2007 दिनांक 13.06.2007 के प्रस्तर 5 के अनुसार (ग्रामीण श्रेणी के मार्गों पर यदि बीयरिंग कोट हेतु पी0सी0 कराये जाने का प्रविधान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टाप कोट डब्ल्यू.बी.एम.(वाटर वाउड मैकेन्डम) के ऊपर प्राइम करके पी.सी. व सील कोट का कार्य कराया जायेगा) का स्पष्ट उल्लंघन करते हुये रू 46108 व्यय कर टैक कोट का कार्य कराया गया है। इस प्रकार रू 46108 की वसूली सम्बन्धित दोषियों की जानी अपेक्षित है।

(xii)- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि से अधिक समय लेते हुये विलम्ब से पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा क्या अनुरोध किया गया स्पष्ट नहीं है। अतः किए गए कार्य पर निर्धारित प्रतिशत से वसूली की जानी चाहिए। यहां पर मात्र रू 2000 की तावान कटौती की गयी है जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रायल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जीएसटी जी-1 में 588.71 घन मी0, जी-2 में 327.04 घन मी0, जी-3 में 327.04 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3907 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 70.32 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1313.10 घन मी0 था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी साक्ष्य व प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1313.10 गुणा 110 = 144441.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 722205.00 बनती है। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल से की

जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः रु 866646 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

2- जामुनका से धर्मपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 2018-19:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-2018 से प्रारम्भ कर 22-05-2018 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 03-01-2019 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 शिवानी बिल्डर्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

(I)- जीएसटीऔर जी2के मेटेरियल का गुणवक्ता परीक्षण दिनांक- 21.04.2018 को पी डब्लू डी के डिवीजनल लेबोरेट्री अलीगढ़ में कराये गये हैं जबकि पत्रावली में संलग्न ट्रांजिट पास के अनुसार 53मिमी का खनिज दिनांक 28.05.2018 को क्रय किया गया है उपरोक्त स्थिति में बिना विभिन्न श्रेणियों के गिट्टियों की उपलब्धता के मटेरियल का गुणवक्ता परीक्षण कराया जाना कैसे सम्भव हो सका, स्पष्ट करें एवं उपभोगित मात्रा के मटेरियल के ट्रांजिट पास भी परीक्षण हेतु उपलब्ध करायें।

(II)- जी.3मटेरियल का भी परीक्षण लोक निर्माण विभाग अलीगढ़ के लैब द्वारा दिनांक- 21.04.18 को किया गया है जबकि प्रयुक्त सामग्री (समुच्चय और रेत)आमद का साक्ष्य ;ट्रांजिट पास पत्रावली में सुलभ नहीं है।

(III)-पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट है कि दिनांक 30.04.2018 को बिटुमिन कंटेनर ;बिटुमिन मिक्स मटेरियल का परीक्षण कराया गया था जबकि पानीपत रिफाइनरी के संलग्न चालान के अनुसार इमल्सन की खरीद ही दिनांक-10.08.2018 को की गयी है ऐसी स्थिति में इमल्सन का परीक्षण कैसे सम्भव हो सका । इससे स्पष्ट है कि इमल्सन के गुणवक्ता का परीक्षण न करके उसका सीधे उपयोग किया गया प्रतीत होता है। स्थिति स्पष्ट करें।

(IV)-पत्रावली के अनुसार प्रथम रनिंग बिल का माप अवर अभियन्ता द्वारा दि0-10.05.2018 को लिया गया है जिसमें जीएसबी,जी-2,जी-3 व ब्रिक एजिंग का कार्य दर्शित है जबकि एकमात्र संलग्न ट्रांजिट पास के अनुसार 53 मिमी के गिट्ट का क्रय दिनांक 28.05.2018 को किया गया है। ऐसी स्थिति में जीएसबी, जी-2, जी-3 के लिए गिट्टी व बालू की उपलब्धता किस प्रकार संभव हुई, स्पष्ट नहीं है। तत्काल स्थिति स्पष्ट करें।

(अ)-पत्रावली में संलग्न विवरण के अनुसार विज्ञापन हेतु दिनांक 29.12.2017 को प्रेषित पत्रांक 174 के क्रमांक 6 के अनुसार आप द्वारा मात्र दो दैनिक समाचार पत्रों में टेंडर हेतु विज्ञप्ति भेजी गयी है जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1653/33-3-2000-73/2000, लखनऊ, दिनांक 16.03.2000 के प्रस्तर-2(ख) के अनुसार तीन दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी। इस प्रकार आप द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा हेतु निर्दिष्ट आदेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त का स्पष्टीकरण वांछित है।

(आ)-संलग्न ट्रांजिट पास के परीक्षण से निम्न आपत्तियाँ आयीं:-

1-एक मात्र संलग्न ट्रांजिट पास सं0-0712782, जो शिव एण्ड कम्पनी को जारी की गयी है; इस ट्रांजिट पास के द्वारा 53मिमी का प्रेषित उपखनिज मै0 शिवानी बिल्डर्स को कैसे प्राप्त हुआ। यदि शिव एण्ड कम्पनी द्वारा स्टाकिस्ट के तौर पर उपखनिज लाकर शिवानी बिल्डर्स को दी गयी है उत्तर प्रदेश खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियम, 2002 के नियम सं0 5(2) के अनुसार शिव एण्ड कम्पनी को फॉर्म -सी जारी करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है स्थिति स्पष्ट करें।

2-फरवरी 2001, अगस्त 2002 और अक्टूबर 2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित कराने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों से ट्रांजिट पास की वैधता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिए था। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी, रॉयल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी की रसीद विधिक प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।

3-ट्रांजिट पास के कई कालम खाली छोड़े हुए हैं जिससे यह फर्जी प्रतीत होता है।

4-ट्रांजिट पास पर खनिज का वजन/माप " 45500" अंकित है जिससे प्रतीत होता है कि परिवहित खनिज का वजन 45.5 टन है जो निर्धारित अनुमन्य सीमा से अत्यधिक है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिज में निदेशालय, खनिज भवन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: 1844/एम-5/जी बैठक, लखनऊ, दिनांक 16.02.2004 के अनुसार 10 पहिया ट्रक से उपखनिज के परिवहन की भार क्षमता 15 टन निर्धारित की गयी है जिसके सापेक्ष परिवहित खनिज की मात्रा अत्यधिक है। उक्त पत्र के द्वितीय पैरा के अनुसार-" यदि वाहनों द्वारा निर्धारित/अंकित मात्रा से अधिक मात्रा में परिवहन किया जा रहा है तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध वैसी ही कार्यवाही की जाय जैसे कि अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों के विरुद्ध की जाती है।"

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त किया गया है अथवा बिना प्रयुक्त किये ही अधोमानक स्तर का कार्य सम्पादित कराया गया है जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है स्थिति तत्काल स्पष्ट करें।

5-पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम संख्या-39 के प्राविधान का उल्लंघन करते हुए तृतीय पक्ष निरीक्षण के निर्देश का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार-"5 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा 10 लाख रुपये से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से

पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा।" का पालन नहीं किया गया है स्थिति स्पष्ट करें।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि० 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रायल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

(जीएसबी)जी-1में 794.76 घन मी०, जी-2 में 441.54 घन मी०, जी-3 में 441.54 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 एम एम कारपेट-5587 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 105.96 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1783.8 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी साक्ष्य व प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1783.8 गुणा 110 = 196218.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 981090.00 बनती है। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 1177308.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उक्त आपत्तियों की ही भांति अनेक पत्रावलियों में निम्न प्रकार की आपत्तिया पायीं गयीं हैं, जो निम्नवत हैं:-

(1)- पत्रावली में संलग्न बैठक गारण्टी हेतु स्टाम्प रु. 100.00 लगा है जबकि "भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनु० 1बी के प्रस्तर 12 क के अनुसार बैंक गारण्टी हेतु स्टाम्प प्रति रु 1000 पर रु 5 की दर से स्टाम्प झूठी भुगतानित की जायेगी" का उल्लंघन किया गया है।

(2)- पत्रावली में चयनित फर्म का हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, व्यापार कर विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र, पिछली 05 वर्ष की बैलेन्स शीट, पैन कार्ड एवं पार्टनरशिप डीड की कापी संलग्न नहीं है।

(3)-पत्रावली में संलग्न विवरण के अनुसार विज्ञापन हेतु मात्र दो दैनिक समाचार पत्रों में टेण्डर हेतु विज्ञप्ति भेजी गयी है जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 1653/33-3-2000-73/2000, लखनऊ, दिनांक 16.03.2000 के प्रस्तर-2(ख) के अनुसार तीन दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें 02 मान्यता प्राप्त एवं बहु प्रसारित होने चाहिए, की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी एवं साथ ही शासनादेश संख्या-751/33-3-2001-73/2000 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 23-05-2001 के प्रस्तर 3 का उल्लंघन कर मात्र 9 दिनों का समय दिया गया है। इस प्रकार आप द्वारा खाली प्रतिस्पर्धा हेतु निर्दिष्ट आदेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त का स्पष्टीकरण वांछित है।

(4)-पत्रावली में संलग्न ट्रांजिट पासों के परीक्षण में निम्न त्रुटियां प्रकाश में आयीं-

(I)-पत्रावली में संलग्न ट्रांजिट पासों में परिवहन की जो दिनांक दर्ज है। वह अधिकांशतः निर्माण कार्य के कार्य आदेश की दिनांक से पूर्व अथवा कार्य की समाप्ति के बाद की होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संलग्न ट्रांजिट पास द्वारा प्राप्त की गई सामग्री का प्रयोग दर्शित निर्माण कार्य में नहीं किया गया है अतः संलग्न ट्रांजिट पास औचित्यहीन एवं अमान्य है। उ०प्र० खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण एवं निवारण) नियमावली 2002 में प्रावधानित है कि एक वैध परिवहन पास के बिना खनिज का परिवहन अनियमित है परन्तु जिला पंचायत द्वारा संलग्न ट्रांजिट पास निर्गत करने वाले अधिकारी से बिना सत्यापित कराये ही ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत ट्रांजिट पास सही मानते हुये भुगतान करना नियम विरुद्ध है। अग्रेतर फरवरी 2001, अगस्त 2002 एवं अक्टूबर 2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्था को संबन्धित जिला खनन अधिकारियों से (एमएम11) परिवहन पास की वैधता की पुष्टि कराये जाने के उपरान्त ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है।

(II)- ट्रांजिट पास में माल प्राप्तकर्ता का नमा व स्थान से समक्ष रिक्त छोड़ा गया है जबकि इस पर कार्य स्थल का पता दर्ज होना चाहिए था।

(III)- जीएसबी, जी2, जी1 के मटेरिअल्स का गुणवत्ता परीक्षण लोक निर्माण विभाग के डिवीजनल लेबोरेट्री अलीगढ़ में कराये गये हैं जबकि पत्रावली के साथ संलग्न ट्रांजिट पास के अनुसार मात्र एक ही खनिज को क्रय किया जाना दर्शित है। पत्रावली में मात्र एक ही ट्रांजिट पास संलग्न है जो कि अमान्य है। उपरोक्त स्थिति में बिना विभिन्न श्रेणियों के गिट्टियों की उपलब्धता के मटेरियल का गुणवत्ता परीक्षण कराया जाना कैसे सम्भव हो सका, स्पष्ट करें एवं अपेक्षित एवं उपभोगित मात्रा के मटेरियल के ट्रांजिट पास भी परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

(IV)- पत्रावली में संलग्न मात्रा के बिल के अनुसार जो वास्तविक रूप में सामग्री प्रयुक्त दर्शायी गयी है। वह मात्रा या तो अवैध खनन/अवैध परिवहन के रूप में मंगाकर कार्य पूर्ण किया गया है अथवा दर्शित प्रयुक्त मात्रा प्राप्त ही नहीं की गयी है और काल्पनिक रूप सामग्री प्रयुक्त दर्शाकर गोलमाल किया गया है। क्योंकि प्रयुक्त मात्रा के सापेक्ष उपखनिज के ट्रांजिट पास मात्रानुसार सुमेसित नहीं हैं।

(अ)-लोक निर्माण विभाग के अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 1408/23-3-07-62 (जनरल)/08 टी०सी०, लखनऊ दिनांक 8 मई 2009 के अनुपालन में विटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए था परन्तु पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट है कि अधिकांशतः न तो संस्था द्वारा विटुमिन की मांग का कोई पत्र ही संलग्न है और न ही रिफाइनरी द्वारा मांग के सापेक्ष प्रेषित विटुमिन की इनवाइस एवं किए गए भुगतान का प्रमाण ही संलग्न पाया गया, जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

(VII)- प्रभागीय प्रयोगशाला निर्माण प्रभाग-1 पीडब्ल्यूडी अलीगढ़ को लैब जाच हेतु भेजे जाने वाले मैटेरियल को किस पत्रांक/दिनांक से संलग्न कर भेजा गया, उल्लेख नहीं किया गया है। अवगत करायें।

(VIII)-पत्रावली में संलग्न मासेरूमेंट का विवरण के अनुसार कार्य के किनारों पर ईट प्रयोग किया गया है। परन्तु पत्रावली में ईट की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ की जाँच का प्रमाणन संलग्न नहीं है। जिससे प्रयुक्त की गई ईट की गुणवत्ता संदिग्ध रही। भारतीय रोड कांग्रेस 2014 के प्रस्तर 2003 के अनुसार ईट का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 8.4 मेगा पास्कल (एम पीए) एवं पांच ईटों का एवरेज 10.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण वांछित है।

(IX)- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि से अधिक समय लेते हुये विलम्ब से पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा क्या अनुरोध किया गया स्पष्ट नहीं है। अतः किए गए कार्य पर निर्धारित प्रतिशत से वसूली की जानी चाहिए। यहां पर मात्र रु 1000 अथवा 2000 की तावान कटौती की गयी है जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है।

निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत हैं----

3- चन्द्रपुर से नगला बीच पर्सो सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-2018 से प्रारम्भ कर 22-05-2018 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 06-11-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 उमाशंकर शर्मा एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में उक्त त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रॉयल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 465.73 घन मी0, जी-2 में 272.23 घन मी0, जी-3 में 277.27 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4350 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 78.30 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1093.50 घन मी0 था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र एक ट्रांजिट पास(जिसमें 45.68 एम0टी0 अर्थात 26.85 घन मी0 ग्रेट) पत्रावली में संलग्न पाया गया है। अर्थात 1093.50-26.85 त्र 1066.65 घन मी0 प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-1066.65 गुणा 110 = 117332.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 586660 बनती है। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः रु 703992.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

4-धर्मपुर से नगला अस्सू-बाकनेर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-2018 से प्रारम्भ कर 22-05-2018 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 03-01-2019 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 शिवानी बिल्डर्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में उक्त त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त किया गया है अथवा बिना प्रयुक्त किये ही अधोमानक स्तर का कार्य सम्पादित कराया गया है जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है स्थिति तत्काल स्पष्ट करें।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रॉयल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 582.13 घन मी0, जी-2 में 321.5 घन मी0, जी-3 में 321.54 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4312 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 77.61 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1302.78 घन मी0 था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र एक ट्रांजिट पास(जिसमें 45.30 एम0टी0 अर्थात 26.63 घन मी0 ग्रेट) पत्रावली में संलग्न पाया गया है। अर्थात 1302.78-26.63 त्र 1276.15 घन मी0 प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-1276.15 गुणा 110 = 140376.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 701880 बनती है। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 842256.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

5- ऊमरी से बड़ेडा की तरफ सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 20-02-2018 से प्रारम्भ कर 19-05-2018 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 21-05-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० आर्या एसोसिएट्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में उक्त त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि० 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रॉयल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है। जी-1 में 516 घन मी०, जी-2 में 286 घन मी०, जी-3 में 286 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3825 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 68.85 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1156.85 घन मी० था। ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र एक ट्रांजिट पास(जिसमें 45.44 एम०टी० अर्थात् 26.72 घन मी० ग्रेट) पत्रावली में संलग्न पाया गया है। अर्थात् 1156.85-26.72 = 1130 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-1130 गुणा 110 = 124300.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 621500 बनती है। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 745800.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

6-सिरौली से सुनपहर की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 25-04-2018 से प्रारम्भ कर 24-07-2018 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 09-10-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० मेघा बिल्डर्स एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं। पत्रावली के परीक्षण में उक्त त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त किया गया है अथवा बिना प्रयुक्त किये ही अधोमानक स्तर का कार्य सम्पादित कराया गया है जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है स्थिति तत्काल स्पष्ट करें।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि० 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रॉयल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है। जी-1 में 743 घन मी०, जी-2 में 413 घन मी०, जी-3 में 411 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-5485 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 98.7 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1665.70 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी साक्ष्य व प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-1665.7 गुणा 110 = 183227.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 916135.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 1099362 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 1099362 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

7-कौछोड वाली पुलिया से रूस्तमपुर धर्मशाला की ओर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 21-05-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० अम्बिका कं० कम्पनी एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में उक्त त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त किया गया है अथवा बिना प्रयुक्त किये ही अधोमानक स्तर का कार्य सम्पादित कराया गया है जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है स्थिति तत्काल स्पष्ट करें।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि० 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रॉयल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है। जी-1 में 12.87 घन मी०, जी-2 में 107.32 घन मी०, जी-3 में 107.32 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1431 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 25.75 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 253.26 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र एक ट्रांजिट पास(जिसमें खनिज की मात्रा व साइज तक अंकित नहीं है) माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा

सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं। अर्थात् 253.26 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-253.26 गुणा 110 = 27858.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 139290 बनती है। इस प्रकार कुल रु 167148.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 167148.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8-गौरई माट रोड से मर्कपुर मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 22-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 26-09-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० श्री बालाजी इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में उक्त त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 513.53 घन मी०, जी-2 में 285.44 घन मी०, जी-3 में 272.32 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3807 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 68.52 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1139.81 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 04 ट्रांजिट पास (जिनमें खनिज की साइज तक अंकित नहीं है) माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। पत्रावली में संलग्न पाया गया है। अर्थात् 1139.81 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1139.81 गुणा 110 = 125379.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 626895.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 752274.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 752274.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

9-कछोटपुरा से नगला भुविया मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 09-03-18 से प्रारम्भ कर 08-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 08-09-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० श्री आशीष कुमार गौड़ कम्पनी एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 188.45 घन मी०, जी-2 में 128.59 घन मी०, जी-3 में 119.77 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1722 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 31 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 467.80 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 02 ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न पाया गये हैं, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 467.80 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-467.80 गुणा 110 = 51458 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 257290.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 308748.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 308748.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

10-ग्राम राजगहीला सम्पर्क मार्ग से जूनियर हाई स्कूल में सम्पर्क मार्ग पर लेपन/मरम्मत कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 22-03-18 से प्रारम्भ कर 21-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 22-05-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० श्री सन्तोष कुमार कान्टेक्टर एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 47.74 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2428 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 43.70 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 91.44 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 02 ट्रांजिट पास (जिनमें खनिज की साइज तक अंकित नहीं है) पत्रावली में संलग्न पाया गये हैं, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 91.44 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-91.44 गुणा 110 = 10058 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 50292 बनती है। इस प्रकार कुल रु 60350.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 60350.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

11- रामनगर से नगला भूड़ा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 25-04-18 से प्रारम्भ कर 24-07-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 10-01-2019 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० ओम साईराम कंस्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 337.93 घन मी०, जी-2 में 187.74 घन मी०, जी-3 में 192.01 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2560 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 46.08 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 763.76 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 03 ट्रांजिट पास (जिनमें खनिज की साइज तक अंकित नहीं है) पत्रावली में संलग्न पाया गया है, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 763.76 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-763.76 गुणा 110 = 84013 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 420068.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 504081.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 504081.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

12-नगला शोभा से रेसरा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 17-02-18 से प्रारम्भ कर 16-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 31-10-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० कुनाल इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 36.56 घन मी०, जी-2 में 109.39 घन मी०, जी-3 में 109.59 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1458.75 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 26.25 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 281.79 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 04 ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न पाया गया है, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 281.79 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-281.79 गुणा 110 = 30997 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 154984.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 185981.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 185981.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

13-ग्राम छिड़ावली से गिरधरपुर की ओर बम्बे की पटरी पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 20-02-18 से प्रारम्भ कर 19-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 12-05-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० जितेन्द्र पाल सिंह चेहान एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 211.06 घन मी०, जी-2 में 114.27 घन मी०, जी-3 में 111.70 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1535 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 27.63 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 464.66 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 01 ट्रांजिट पास (जिसमें खनिज की साइज तक अंकित नहीं है) पत्रावली में संलग्न पाये गया है, माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 464.66 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-464.66 गुणा 110 = 51112 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 255563.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 306675.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 306675.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

14-रफायतपुर खेड़िया बारात घर से बाईपास सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 16-02-18 से प्रारम्भ कर 15-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 20-05-2018 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० दीप कन्स्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण शर्मा हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 95.81 घन मी०, जी-2 में 188.44 घन मी०, जी-3 में 188.44 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2512 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 45.21 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 517.90 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 04 ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न पाया गया है, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 517.90 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-517.90 गुणा 110 = 56969.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 284845.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 341814.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 341814.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

15-छलेसर मुजफरा रोड से नगला राज खां सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 10-11-2018 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै० बालाजी इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 236.69 घन मी०, जी-2 में 162.06 घन मी०, जी-3 में 161.84 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2167 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 39.00 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 600 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 06 ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 600.00 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-600.00 गुणा 110 = 66000.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 330000.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 396000.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 396000.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

16-भोपतपुर से गडराना की ओर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 06-05-18 से प्रारम्भ कर 05-08-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 02-01-2019 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै० पलक इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 566.97 घन मी०, जी-2 में 314.98 घन मी०, जी-3 में 314.98 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4200.00 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 75.60 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1272.53 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 02 ट्रांजिट पास (जिनमें खनिज की साइज तक अंकित नहीं है) पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 1272.53 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1272.53 गुणा 110 = 139978.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 699891.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 839869.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 839869.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

17-तेहरा छर्छा मोड़ रोड पर रामनगर से कुतुबपुर तक लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 26-12-2018 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै० अम्बिका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 548.75 घन मी०, जी-2 में 304.87 घन मी०, जी-3 में 304.87 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4065.00 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 73.17 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1231.66 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 01 ट्रांजिट पास है। पत्रावली में संलग्न पाया गया है जिसमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 1231.66 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1231.66 गुणा 110 = 135482.60 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 677413.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 812895.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 812895.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

18-हरदोई माइनर पुलिया से नगला रोशन सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 23-05-2018 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै० सन्तोष कुमार कम्पनी एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 64.70 घन मी०, जी-2 में 137.23 घन मी०, जी-3 में 137.23 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1830.00 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 32.94 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 372.10 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 05 ट्रांजिट पास है।

पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 372.10 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-372.10 गुणा 110 = 40931 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 204655.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 245586.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 245586.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

19-सैदपुर से सबलपुर एलमपुरा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 06-11-2018 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै० शिवानी बिल्डर्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 600.91 घन मी०, जी-2 में 379.68 घन मी०, जी-3 में 379.68 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-5062 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 91.11 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1451.38 घन मी० था। पत्रावली में स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 14 ट्रांजिट पास संलग्न पाये गये हैं, जिसमें 11 ट्रांजिट पासों में अपलेखन किया गया है वर्ष 2017 को अपलेखित कर 2018 किया गया है तथा शेष 03 ट्रांजिट पासों से कुल 119.75 टन ग्रेट प्राप्त किया गया है जिसका घन मी० में कन्वर्जन 70.40 घन मी० होता है। अर्थात् 1451.38 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज के के सापेक्ष मात्र 70.40 घन मी० के प्रपत्र उपलब्ध हुए हैं शेष मात्रा 1381 घन मी० ग्रेट के प्राप्ति के के सम्बन्ध में समुचित प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त कुल अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1381 गुणा 110 = 151910 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 759550.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 911460.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 911460.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

20-टोडरपुर से नगला बाग सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 16-02-18 से प्रारम्भ कर 15-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 03-12-2018 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै० मोना इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 370.56 घन मी०, जी-2 में 205.87 घन मी०, जी-3 में 205.87 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2616.20 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 47.09 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 829.39 घन मी० था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 03 ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 829.39 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-829.39 गुणा 110 = 91233.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 456164.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 547397.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल रु 547397 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

21-ग्राम कारस के रिलाइन्स टावर से खिराबर के डाबर रोड तक लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 21-02-18 से प्रारम्भ कर 20-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 02-06-2019 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै० श्री धनन्जय सिंह कं० एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली में 36 ट्रांजिट पास संलग्न हैं, जिसमें 25 आफलाइन के हैं जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अतः ट्रांजिट पास मान्य नहीं हैं। एवं 11 ट्रांजिट पास आनलाइन के हैं, जिनमें दो में प्राप्तकर्ता का नाम ए०बी० कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर लिखा है एक में मोमिन खान लिखा है तीन में प्राप्तकर्ता का नाम कैश गोमत अलीगढ़ लिखा है दो में बी०के० बिल्डर्स एण्ड सप्लायर लिखा है दो में प्राप्तकर्ता का नाम एम०जे० शिवानी बिल्डर्स एवं एक में शिवानी बिल्डर्स लिखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त सभी ट्रांजिट पास निर्माण कार्य कराने वाली फर्म मै० श्री धनन्जय सिंह का० से सम्बन्धित नहीं हैं। अतः सभी ट्रांजिट पास मान्य नहीं हैं एवं किसी भी ट्रांजिट पास का सत्यापन सक्षम अधिकारी से नहीं कराया गया है। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 467.40 घन मी०, जी-2 में 256.69 घन मी०, जी-3 में 256.95 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3456 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 62.20 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1043.24 घन मी० था। स्टोन ग्रेट की प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी ट्रांजिट पास पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। अर्थात् 1043.24 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1043.24 गुणा 110 = 114756.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का

सामान्यतः 5 गुना ₹573782.00 बनती है। इस प्रकार कुल ₹ 688538.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल ₹ 688538 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

22- कासिमपुर खुशीपुरा लिंक रोड की तरफ से नगला मन्दिर लिंक रोड की ओर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 06-03-18 से प्रारम्भ कर 05-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 27-08-2018 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 अर्धदेव कंस्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 255.70 घन मी0, जी-2 में 144.84 घन मी0, जी-3 में 144.84 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1931.25 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 34.76 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 580.14 घन मी0 था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 08 ट्रांजिट पास (जिसमें खनिज की साइज तक अंकित नहीं है) पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 580.14 घन मी0 प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-580.14 गुणा 110 = 63815.40 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 319077.00 बनती है। इस प्रकार कुल ₹ 382892.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल ₹ 382892.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

23-प्राइमरी स्कूल नगला राय सिंह से सोमना पहासउ की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 16-03-18 से प्रारम्भ कर 15-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 28-09-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 दया शंकर कंस्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 138.80 घन मी0, जी-2 में 228.34 घन मी0, जी-3 में 217.20 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3044 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 54.79 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 639.13 घन मी0 था। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 05 ट्रांजिट पास (जिनमें खनिज की साइज तक अंकित नहीं है) पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं, जिनमें माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् 639.13 घन मी0 प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-639.13 गुणा 110 = 70304.30 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 351521.00 बनती है। इस प्रकार कुल ₹ 421825.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः कुल ₹ 421825.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। 24-बाजगढ़ी पुल सुनाना मार्ग से दरियापुर खण्डंजा तक लेपन कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 09-03-18 से प्रारम्भ कर 08-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 01-11-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 दया शंकर कंस्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आईं पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 482.64 घन मी0, जी-2 में 265.75 घन मी0, जी-3 में 259.49 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3618.62 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 65.13 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1073.00 घन मी0 था। अर्थात् 1073.00 घन मी0 प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 02 ट्रांजिट पास संलग्न हैं जिनमें खनिज प्राप्त कर्ता का नाम व खनिज का साइज तक अंकित नहीं है एवं गोमत, अलीगढ़ के पते पर हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। अर्थात् पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1073.00 गुणा 110 = 118030.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 590150.00 बनती है। इस प्रकार कुल ₹ 708180.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी कार्य 3450 घनमी0 होना था जबकि बिल में मिट्टी कार्य 3795 घनमी0 दर्शाकर ₹ 50370.00 का अधिक भुगतान लिया गया है। इसी प्रकार ह्यूम पाइम 7.5 आर0एम0 के स्थान पर 22.5 आर0एम0 दर्शाकर ₹ 20319.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अर्थात् ₹ 70689.00 का अधिक भुगतान बिना किसी स्वीकृति के किया गया है जो कि मान्य नहीं है। अतः कुल ₹ 778869.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। 25-भूरिया की गढ़ी से राजेन्द्र के ट्यूबवैल मुडिया मार्ग तक लेपन कार्य प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 28-10-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 जयवीर सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न

त्रुटियाँ प्रकाश में आई पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रीट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 468.33 घन मी०, जी-2 में 260.25 घन मी०, जी-3 में 259.59 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3467.75 वर्ग मी० में स्टोन ग्रीट 62.40 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रीट 1050.50 घन मी० था। स्टोन ग्रीट के प्राप्ति की पुष्टि में कोई वैध प्रपत्र व ट्रांजिट पास संलग्न नहीं हैं। प्रयुक्त स्टोन ग्रीट की खरीद मै० बी०के० बिल्डर्स एवं सम्लायर्स, रामघाट रोड, अलीगढ़ से टैक्स इनवाइस से की गयी है। अर्थात् प्रयुक्त 1050.50 घन मी० उप खनिज की रायल्टी भुगतान की पुष्टि में कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रीट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1050.50 गुणा 110 = 115555.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 577775.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 693330.00.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 22.05.2018 के बजाय दिनांक 20.10.2018 को अर्थात् 5 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती मात्र रु 2000 की गयी है जो कि बहुत ही कम है एवं बिटुमिन की खरीद सीधे रिफाइनरी से न कर जैन ट्रेडिंग कम्पनी आगरा से की गयी है जो नियम के विपरीत है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। तथानिर्धारित उक्त कुल रु 693330.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

26-नगला खूबा से महगौरा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 19-02-18 से प्रारम्भ कर 18-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 02-01-19 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० आर० पी० सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रीट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 911.42 घन मी०, जी-2 में 507.62 घन मी०, जी-3 में 507.10 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-5981.25 वर्ग मी० में स्टोन ग्रीट 107.66 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रीट 2033.80 घन मी० था। स्टोन ग्रीट की प्राप्ति से सम्बन्धित कुल 05 वैध प्रपत्र ट्रांजिट पास संलग्न हैं, जिनके अनुसार कुल 222.80 मैट्रिक टन स्टोन ग्रीट प्राप्त किया गया है इसकी गणना घन मी० में करने पर 222.8 गुणा 8.82 भाग 15 बराबर 131 घन मी० होता है। इस प्रकार कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रीट 2033.80 घन मी० के सामेक्ष कुल 131 घन मी० स्टोन ग्रीट प्राप्ति की पुष्टि होती है। अन्तर 1902.80 (2033.8-131.00) घन मी० स्टोन ग्रीट प्राप्ति का कोई वैध प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार कुल 1902.80 घन मी० अवैध परिवहन/अवैध खनन से प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य में 1902.80 घन मी० प्रयुक्त स्टोन ग्रीट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1902.80 गुणा 110 = 209308.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 1046540.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 1255848.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 18.05.2018 के बजाय दिनांक 02.01.2019 को अर्थात् 7.5 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती मात्र रु 2000 की गयी है जो कि बहुत ही कम है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अतः कुल रु 1255848.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

27- ऊतरा से पुरनी की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04-05-18 से प्रारम्भ कर 03-08-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 08-09-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० जय नारायण राठी एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रीट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 794.50 घन मी०, जी-2 में 441.79 घन मी०, जी-3 में 441.29 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-5887.50 वर्ग मी० में स्टोन ग्रीट 106.00 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रीट 1783.58 घन मी० था। पत्रावली में स्टोन ग्रीट प्राप्ति की पुष्टि में कुल 05 ट्रांजिट पास संलग्न हैं, इनमें से कोई भी ट्रांजिट पास निर्माण कराने वाले ठेकेदार मै० जय नारायण राठी से सम्बन्धित नहीं हैं। स्टोन ग्रीट प्राप्त कर्ता के रूप में अन्य पार्टियों का नाम अंकित है। इसके अलावा जो टैक्स इनवाइस के बिल संलग्न हैं उसमें प्राप्त कर्ता का नाम अजीज, एटा अंकित है। अतः संलग्न ट्रांजिट पास व टैक्स इनवाइस मान्य नहीं हैं। अर्थात् 1783.58 घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। पत्रावली में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट भी संलग्न नहीं है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रीट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1783.58 गुणा 110 = 196194.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 980970.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 1177164.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारित कुल रु 1177164 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

28- ग्राम औरग से ग्वारला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। निर्माण कार्य दिनांक 22-05-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० शिवानी बिल्डर्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रीट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 631.46 घन मी०, जी-2 में 186.26 घन मी०, जी-3 में 186.26 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2483 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 44.70 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1048.68 घन मी० था। पत्रावली में स्टोन ग्रेट प्राप्ति की पुष्टि में कुल 11 ट्रांजिट पास संलग्न हैं, इनमें से एक ट्रांजिट पास को छोड़कर शेष सभी ट्रांजिट पासों में खनिज प्राप्त कर्ता का नाम व पता के आगे रिक्त छोड़ दिया गया है जिससे ट्रांजिट पासों की निर्माण कराने वाले ठेकेदार मै० शिवानी बिल्डर्स से सम्बन्धित होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः संलग्न ट्रांजिट पास मान्य नहीं हैं। केवल एक ट्रांजिट पास में ही गन्तव्य स्थान में चन्डौस अंकित है शेष अन्य में खैर, गोमत व अलीगढ़ आदि अंकित है। मान्य ट्रांजिट पास से 46.8 एम.टी. खनिज प्राप्त किया गया है। जिसको घन मी० में गणना करने पर 27.52 घन मी० बनता है। इस प्रकार 1021.16 (1048.68-27.52) घन मी० प्रयुक्त उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। पत्रावली में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट भी संलग्न नहीं है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-1021.16 गुणा 110 = 112327.60 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 561638.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 673965.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारित कुल रु 673965.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

29-बूढ़ा गांव से इन्द्रा नगला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 06-05-18 से प्रारम्भ कर 05-08-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 16-03-2020 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० अर्धदेव कन्स्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 606.49 घन मी०, जी-2 में 336.49 घन मी०, जी-3 में 336.49 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4458 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 80.24 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1359.70 घन मी० था। स्टोन ग्रेट की प्राप्ति से सम्बन्धित कुल 05 प्रपत्र, जिसमें 03 ट्रांजिट पास व दो टैक्स इनवाइस संलग्न हैं, इनमें से एक ट्रांजिट पास वर्ष 2017 का है जो अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से है मान्य नहीं है। शेष दो ट्रांजिट पास व दो टैक्स इनवाइस के द्वारा कुल 172.25 एम.टी. स्टोन ग्रेट प्राप्त किया गया है इसकी गणना घनमी० में करने पर 172.25 गुणा 8.82 भाग 15 बराबर 101.28 घन मी० होता है। इस प्रकार प्रयुक्त स्टोन ग्रेट 1359.70 घन मी० के सामेक्ष कुल 101.28 घन मी० स्टोन ग्रेट प्राप्ति की पुष्टि होती है। अन्तर 1258.4 (1359.70-101.28) घन मी० स्टोन ग्रेट प्राप्ति का कोई वैध प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार कुल 1258.40 घन मी० अवैध परिवहन/अवैध खनन से प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य में 1258.4 घनमी० प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-1258.4 गुणा 110 = 138424.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 692120.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 830544.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 05.08.2018 के बजाय दिनांक 16.03.2020 को अर्थात् एक साल 07 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती मात्र रु 1000 की गयी है जो कि बहुत ही कम है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। तथा निर्धारित कुल रु 830544.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

30- नगला बीच से कुमरउजा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 05-04-18 से प्रारम्भ कर 04-07-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 03-01-19 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै० बी०एस० इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 275.89 घन मी०, जी-2 में 153.27 घन मी०, जी-3 में 153.27 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1761.42 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 31.70 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 614.10 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 614.10 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 01 ट्रांजिट पास संलग्न है जो आर०डी० कन्स्ट्रक्शन, आगरा के नाम का है इस ट्रांजिट पास का निर्माण के ठेकेदार से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः संलग्न ट्रांजिट पास अमान्य है। पत्रावली उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-614.10 गुणा 110 = 67551.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 337755.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 405306.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त कार्य हेतु बिटुमिन की खरीद सीधे रिफाइनरी से न कर मै० श्रेया ट्रेडर्स, अलीगढ़ से की गयी है जो कि विभागीय निर्देशों के विपरीत है एवं उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 04.07.2018 के बजाय दिनांक 03.01.2019 को अर्थात् 06 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती मात्र रु 2000 की गयी है जो कि बहुत ही कम है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। तथा निर्धारित कुल रु 405306 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

31- खडऊआ चैक भूपालगढी मार्ग से कासिमपुर खुजीपुरा मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 20-12-18 से प्रारम्भ कर 19-03-19 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 18-03-19 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 मोना इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 293.55 घन मी0, जी-2 में 163.25 घन मी0, जी-3 में 163.14 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2250.37 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 40.51 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 660.45 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 660.45 घनमी0 उप खनिज का कोई वैध परिवहन प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट की प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 01 ट्रांजिट पाससंलग्न है जिसमें गन्तव्य स्थान का नाम व प्राप्त कर्ता का नाम तक अंकित नहीं है। इस ट्रांजिट पास का निर्माण के ठेकेदार से सम्बन्धित होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः संलग्न ट्रांजिट पास अमान्य है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-660.45 गुणा 110 = 72650.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 363250.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 435900.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त कार्य हेतु बिटुमिन की खरीद सीधे रिफाइनरी से न कर मै0 सूपर पेट्रो केमिकल्स से की गयी है जो कि विभागीय निर्देश के विपरीत है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। तथा निर्धारितकुल रु 435900.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

32- खैर जट्टारी मार्ग पर कृष्णा होटल के बगल में जरतौली की ओर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 06-05-18 से प्रारम्भ कर 05-08-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 13-10-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 अर्धदेव कन्स्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 307.80 घन मी0, जी-2 में 174.85 घन मी0, जी-3 में 157.27 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2250.00 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 40.50 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 680.40 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 680.40 घनमी0 उप खनिज का कोई वैध परिवहन प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट की प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 03 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जिनमें गन्तव्य स्थान का नाम व प्राप्त कर्ता का नाम तक अंकित नहीं है। इस ट्रांजिट पास का निर्माण के ठेकेदार से सम्बन्धित होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः संलग्न ट्रांजिट पास अमान्य है। उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-680.40 गुणा 110 = 74844.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 374220.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 449064.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितधनराशि कुल रु 449064.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

33- ग्राम बहादुरपुर से तालिबनगर रोड के शेष भाग पर लेपन कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 24-01-19 से प्रारम्भ कर 23-04-19 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 31-05-19 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 श्री ओम शान्ती इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 149.80 घन मी0, जी-2 में 80.68 घन मी0, जी-3 में 76.40 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1093.45 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 19.68 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 326.56 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 326.56 घनमी0 उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 04 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जो के0के0 कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स के नाम के हैं, इन ट्रांजिट पासों का निर्माण के ठेकेदार से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः संलग्न ट्रांजिट पास अमान्य हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-326.56 गुणा 110 = 35922.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 179610.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 215532.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 215532 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

34- नगला बरी से बघियार गाव की ओर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 16-02-18 से प्रारम्भ कर 15-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 06-05-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 आर्या एशोसिएट एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 6.91 घन मी0, जी-2 में 162.25 घन मी0, जी-3 में 149.55 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2170 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 39.06 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 358.27 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 358.27 घन मी0 उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी ट्रांजिट पाससंलग्न नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में

कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रीट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-358.27 गुणा 110 = 39409.70 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 197048.50 बनती है। इस प्रकार कुल रु 236458.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त कार्य हेतु बिटुमिन की खरीद सीधे रिफाइनरी से न कर मैं सुपर पेट्रो केमिकल्स इण्डिया से की गयी है जो कि विभागीय निर्देशों के विपरीत है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। एवं निर्धारित कुल रु 236458.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

35- गंगेई से अजनिया सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 17-02-18 से प्रारम्भ कर 16-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 24-11-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मैं कुनाल इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रीट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 625.16 घन मी०, जी-2 में 377.28 घन मी०, जी-3 में 377.28 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-5030.62 वर्ग मी० में स्टोन ग्रीट 90.55 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रीट 1470.27 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1470.27 घनमी० उप खनिज के पर्याप्त वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन ग्रीट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 04 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जिनसे कुल 151.55 टन स्टोन ग्रीट प्राप्त हुआ है जिसे घन मी० में कन्वर्ट करने पर कुल 89.11 घन मी० होता है। इस प्रकार कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रीट 1470.27 के सापेक्ष मात्र 89.11 घन मी० के ही प्रपत्र उपलब्ध हुए हैं। शेष स्टोन ग्रीट 1381.16 घन मी० के कोई प्रपत्र नहीं मिले है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रीट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1381.16 गुणा 110 = 151927.60 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 759638.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 911565.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त कार्य हेतु बिटुमिन की खरीद सीधे रिफाइनरी से न कर पी०एन०सी० केमिकल्स प्राइवेट से की गयी है जो कि विभागीय निर्देशों के विपरीत है एवं उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 16.05.2018 के बजाय दिनांक 24.11.2018 को अर्थात् 06 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती मात्र रु 11500 की गयी है जो कि बहुत ही कम है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अतः निर्धारित कुल रु 911565 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

36- भाय काली रोड से कांके की ओर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 06-05-18 से प्रारम्भ कर 05-08-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 16-05-19 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मैं अथर्व देव कन्स्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रीट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 683.98 घन मी०, जी-2 में 383.33 घन मी०, जी-3 में 383.68 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-5119.37 वर्ग मी० में स्टोन ग्रीट 92.14 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रीट 1543.13 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1543.13 घनमी० उप खनिज के पर्याप्त वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन ग्रीट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 05 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जिनसे कुल 198 टन स्टोन ग्रीट प्राप्त हुआ है जिसे घन मी० में कन्वर्ट करने पर कुल 116.40 घन मी० होता है। इस प्रकार कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रीट 1543.13 के सापेक्ष मात्र 116.40 घन मी० के ही प्रपत्र उपलब्ध हुए हैं। शेष स्टोन ग्रीट 1426.73 घन मी० के कोई प्रपत्र नहीं मिले है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रीट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-1426.73 गुणा 110 = 156940.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 784700.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 941640.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारित कुल रु 941640 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

37- नीम नदी से पीढोल सम्पर्क मार्ग बाई पास पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 06-05-18 से प्रारम्भ कर 05-08-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 10-11-19 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मैं अथर्व देव कन्स्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आई:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रीट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 256.51 घन मी०, जी-2 में 142.93 घन मी०, जी-3 में 142.93 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1901.12 वर्ग मी० में स्टोन ग्रीट 34.21 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रीट 576.58 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 576.58 घनमी० उप खनिज के पर्याप्त वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन ग्रीट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 02 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जो निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व से सम्बन्धित हैं, एक वर्ष 2017 का है तथा दूसरा वर्ष 2018 का है। इस लिए मान्य नहीं हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रीट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-576.58 गुणा 110 = 63423.80 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 317119.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 380543.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 05.08.2018 के बजाय दिनांक 10.11.2019 को अर्थात् एक साल

03 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती भी नहीं की गयी है जो कि बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अतः निर्धारितकुल रु 380543 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

38- गोरई बेसवां रोड से ग्राम गढ़ी बूचा मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 210-05-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै बाला जी इन्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 142.26 घन मी0, जी-2 में 97.19 घन मी0, जी-3 में 97.19 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1296 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 23.32 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 360 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 360.00 घनमी0 उप खनिज के पर्याप्त वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-360.00 गुणा 110 = 39600.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 198000.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 237600.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 237600 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

39- पचावरी में रनवीर सिंह के स्कूल से भुडिया मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 03-03-18 से प्रारम्भ कर 02-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 26-11-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै जयवीर सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 515.31 घन मी0, जी-2 में 280.53 घन मी0, जी-3 में 280.13 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3825.00 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 68.85 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1146.82 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1146.82 घनमी0 उप खनिज के पर्याप्त वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना- 1146.82 गुणा 110 = 126150 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 630750.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 756900.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 02.05.2018 के बजाय दिनांक 26.11.2018 को अर्थात् साढ़े 06 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती भी नहीं की गयी है जो कि बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अतः निर्धारितकुल रु 756900.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

40- साधु आश्रम पनैठी मार्ग से समस्तपुर गाव की ओर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 01-09-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै बाला जी कंक्रीट उद्योग एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 351.32 घन मी0, जी-2 में 195.17 घन मी0, जी-3 में 195.17 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2602 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 46.83 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 788.50 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 788.50 घनमी0 उप खनिज के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-788.50 गुणा 110 = 86735.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 433675.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 520410.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 22.05.2018 के बजाय दिनांक 01.09.2018 को अर्थात् लगभग साढ़े 03 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती भी नहीं की गयी है जो कि बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अतः निर्धारितकुल रु 520410.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

41- ऊमरी डाबर रोड से शिव मन्दिर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 26-12-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै ओम साई राम कन्स्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 291.60 घन मी0, जी-2 में 162.01 घन मी0, जी-3 में 162.01 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2160 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 38.88 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 654.50 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 654.50 घनमी0 उप खनिज के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-654.50 गुणा 110 = 71995.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 359975.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 431970.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय

दिनांक 22.05.2018 के बजाय दिनांक 26.12.2018 को अर्थात् 07 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती भी नहीं की गयी है जो कि बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अतः निर्धारितकुल रु 431970.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

42- बम्बे के पुल से सहजपुरा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 20-02-18 से प्रारम्भ कर 19-58-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 02-01-2019 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 आर0 पी0 सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 354.36 घन मी0, जी-2 में 196.85 घन मी0, जी-3 में 196.86 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2605 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 46.89 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 795.00 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 795 घनमी0 उप खनिज के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-795 गुणा 110 = 87450.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 437250.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 524700.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 19.05.2018 के बजाय दिनांक 02.01.2019 को अर्थात् साढ़े 07 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती भी नहीं की गयी है जो कि बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय एवं निर्धारितकुल रु 524700 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

43- जखैरा से पनहारा रोड के शेष भाग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 03-03-18 से प्रारम्भ कर 02-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 01-01-19 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 श्री चन्द्रपाल सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 657.74 घन मी0, जी-2 में 365.49 घन मी0, जी-3 में 365.49 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4957.07 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 89.23 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 1478 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1478 घनमी0 उप खनिज के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना- 1478 गुणा 110 = 162580 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 812900.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 975480 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 02.06.2018 के बजाय दिनांक 01.01.2019 को अर्थात् 07 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती भी नहीं की गयी है जो कि बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अतः निर्धारितकुल रु 975480.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

44- पला कस्तली से अमरौली रोड की ओर लेपन कार्य:-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 307.72 घन मी0, जी-2 में 164.71 घन मी0, जी-3 में 160.05 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2306.90 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 41.52 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 674 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 674 घनमी0 उप खनिज के पर्याप्त वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 03 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जो सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित नहीं हैं इसके अलावा परिवहन की मात्रा के अनुसार भी वैध परिवहन नहीं है। इस प्रकार कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट 674.00 घन मी0 के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-674.00 गुणा 110 = 74140.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 370700.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 444840.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 444840 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

45-बाईपास (एनएच 91)से गभाना में अनिल प्रधान के घेर की तरफ सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 09-03-18 से प्रारम्भ कर 08-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 19-09-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 फारूख खा एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 288.57 घन मी0, जी-2 में 160.32 घन मी0, जी-3 में 160.30 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2137.50 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 38.48 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 647.67 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 647.67 घनमी0 उप खनिज के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-647.67 गुणा 110 = 71243.70 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 356218.50 बनती है। इस प्रकार कुल रु 427462.00 की

वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के अलावा स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 08.06.2018 के बजाय दिनांक 19.09.2018 को अर्थात् 03 माह बाद पूर्ण किया गया है जिसके लिए तावान कटौती नहीं की गयी है इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाय। तथा निर्धारितकुल रु 427462 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

46- गिरधरपुर से बम्बा पुल की ओर लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 09-03-18 से प्रारम्भ कर 08-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 23-06-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 एस0 ए0 कन्स्ट्रक्शन एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है। जी-1 में 186.77 घन मी0, जी-2 में 127.86 घन मी0, जी-3 में 127.51 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1700 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 30.60 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 427.74 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 427.74 घनमी0 उप खनिज के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-427.74 गुणा 110 = 52001.40 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 260007.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 312008.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 312008 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

47- छर्चा अतरौली रोड पर मण्डी के बराबर नगला बादशाह रोड पर हर प्रसाद के खेत की तरफ लेपन कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 23-05-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार मै0 खिल्लन मिया एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है। जी-1 में 207.76 घन मी0, जी-2 में 140.56 घन मी0, जी-3 में 140.56 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1874.44 वर्ग मी0 में स्टोन ग्रेट 33.74 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 522.60 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 522.60 घनमी0 उप खनिज के वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त अवैध स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-522.60 गुणा 110 = 57486 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 287430.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 344916.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 344916 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

48- पुराने आगरा बाईपास रोड़ से ग्राम मुकुन्दपुर तक लेपन कार्य:-

1-	प्राक्कलन की धनराशि	-	रू0 1519671.72
2-	अनुबन्ध की धनराशि	-	रू0 1518152.00
3-	नाम ठेकेदार / फर्म	-	मै उमाशंकर शर्मा
4-	कार्य प्रारम्भ तिथि	-	16.08.2018
5-	कार्य समाप्ति तिथि	-	17.11.18
6-	अवर अभियन्ता का नाम	-	श्री जगदीश सिंह

प्रयुक्त उपखनिज (स्टोन ग्रेट):-

1-	45.63 मिमी गिट्टी	.	108.71 m ³
2-	22-4 - 53-मिमीगिट्टी	.	108.71 एम3
3-	20 मिमी गाढ़ा प्रीमिक्स	.1449-57एम2*1-8%=26-0	एम3 कार्पेट
	कुल योग	-	243-51 एम3

प्रयुक्त स्टोन ग्रेट का परिवहन:-

क्र0 सं0	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	एचडीबीवाई1001084017	कैश अप कंसाइनी एड-अप	20-7एम टी	27-06-18

उक्त परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ पायी गई:-

- माल प्राप्तकर्ता के पते के स्थान पर यू0पी0 मात्र लिखा है।
- जिला खनन अधिकारी से वैधता सत्यापित नहीं है।

- 3- एक 10 टायर वाले ट्रक में अधिकतम 15 टन की सीमा का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।
- 4- ट्रांजिट पास का दिनांक 27.06.2018 कार्य प्रारम्भ होने के दिनांक 16.08.18 से बहुत पहले का है।
- 5- ट्रांजिट पास की मात्रा 20.7 एम टी अर्थात 12.17 एम3 है। कार्य में प्रयुक्त शेष उपखनिज कहाँ से लाया गया है इसका कोई ट्रांजिट पास या साक्ष्य संलग्न नहीं है। अतः इन सभी उपरोक्त आपत्तियों के कारण परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी।
- 6- बिटुमिन की खरीद रिफाईनरी से की गई है इसका कोई साक्ष्य/प्रपत्र संलग्न नहीं है। अतः कार्य अधोमानक स्तर का एवं अनियमित रहा।

परिणामस्वरूप कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट की रायल्टी की गणना निम्न प्रकार से की गई -

1- 243.51 एम3 स्टोन ग्रेट की रायल्टी -243*51x दर /110 ₹0 26786-10

2- इसका 5 गुना -₹0 133930.50

कुल योग - 160716.60

अर्थात ₹0 160717 की कटौती की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। इस प्रति स्पष्टीकरण/परिपालन अपेक्षित है।
(संदर्भ-आपत्ति संख्या-15 में उल्लिखित समस्त शासनादेश)

49- पनौठी गडराना रोड से भरतुआ सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य:-

1- प्राक्कलन की धनराशि - ₹0 6736511.92

2- अनुबन्ध - ₹0 6735165

3- नाम फर्म - मैं बालाजी एन्टरप्राइजेज

4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018 समाप्ति तिथि- 20.11.18

5- अवर अभियन्ता का नाम - श्री विजय यादव

प्रयुक्त स्टोनग्रेट की मात्रा-

1- जी 1 = 517-50 एम3

2- जी 2 = 320 एम3

3- जी 3 = 320-50 एम3

4- 20 मिमी

प्रीमिक्स कार्पेट 4290 मी2x1-8%

= 77-22 एम3

योग्य = 1235-22 एम3

प्रयुक्त स्टोनग्रेट की मात्रा-

क्र० सं०	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	आईएचएनपी1002783977	बालाजी एंटरप्राइजेज	46-2 मीट्रिक टन	11-12-18
2	सीपीएनआई1001062653	बालाजी एंटरप्राइजेज	47-23 मीट्रिक टन	25-06-18

उक्त परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ पायी गई:-

- 1- एक परिवहन पास कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है तथा एक कार्य समाप्ति के बाद का है।
- 2- जिला खनन अधिकारी से इनकी वैधता सत्यापित नहीं कराई गई है जो आवश्यक थी।
- 3- एक 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम सीमा (15 टन) का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।

4- 2 ट्रांजिट पासों से प्राप्त स्टोन ग्रेट 93.43 एम3

अर्थात् 93.43X 0-588 = 54-94 एम3 प्राप्त किया गया है जबकि कार्य में प्रयुक्त मात्रा 1235.22 एम3 थी। शेष मात्रा कहाँ से प्राप्त की गई है? इसका कोई प्रमाण या परिवहन पास उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः लेखा परीक्षा स्तर से उपखनिज के परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी।

अतः कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट की रॉयल्टी एवं खनिज मूल्य (समान्यतः रायल्टी का 5 गुना) की गणना करने पर यह रू0 815245.00 की कटौती कर (1235.22 एम3 x दर 110 x 6 = 8,15,245-00) खजाने में जमा की जानी थी, जो नहीं की गई।

इस कार्य में दो अन्य आपतियाँ निम्नवत हैं:-

1-I-दिनांक 22.11.2018 में कार्य समाप्ति के बाद बिटुमिन ए.जी.एम. पैट्रोकेम, आगरा रोड, हाथरस से खरीदा गया है। कार्य समाप्ति के बाद का क्रय औचित्यहीन है।

II-दिनांक 23.11.18 में भी कार्य समाप्ति के पश्चात बेंगाल बिटुमिन से क्रय किया गया है।

अतः कार्य के दौरान बिटुमिन कहाँ से खरीदा गया है? अज्ञात रहा। रिफाईनरी से बिटुमिन क्रय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। फिर भी इनके भुगतान किये गये। यह आपत्ति संख्या 15 के बिटुमिन के संदर्भ के शासनादेश का उल्लंघन है अतः सड़क की गुणवत्ता संदिग्ध रही।

2-डिवीजन लेबोरेटरी की रिपोर्ट (लोक निर्माण विभाग)-1 अलीगढ़ में 425 माइक्रोन 8.86% का पास कर दिया गया है परन्तु इसका मानक 10-15 प्रतिशत के मध्य होता है। यह परीक्षण मानक से नीचे रहा।

अतः इन समस्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्य शासनादेशों के उल्लंघन के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में इस आपत्ति का अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-15 में उल्लिखित समस्त शासनादेश यहाँ संदर्भित हैं)

50- ग्राम पड़ियावली में एनएच 91 से प्राइमरी स्कूल की ओर लेपनकार्य (लोधा)-

1-	प्राक्कलन धनराशि	-	रू0 1339660
2-	टेण्टर की धनराशि	-	रू0 1339633.30
3-	ठेकेदार/फर्म का नाम	-	एम/एस खिल्लन मियाँ
4-	कार्य प्रारम्भ तिथि	-	25.08.18
5-	कार्य समाप्ति तिथि	-	20.05.19
6-	अवर अभियन्ता का नाम	-	श्री जगदीश सिंह

प्रयुक्त उपखनिज (स्टोन ग्रेट)-

1-	जी 1	=	106-31 एम3
2-	जी 2	=	58-97 एम3
3-	जी 3	=	59-06 एम3
4-	प्रीमिक्स कार्पेट	=	800 एम3x1-% त्= 14-4 एम3
	कुल योग (स्टोन ग्रेट)	=	238-74 एम3

प्रयुक्त स्टोन ग्रेट का परिवहन-

क्र० सं०	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	डी-256898	---	30 मीट्रिक टन	11-02-18
2	512054	श्री पिन्दू ठाकुर, अलीगढ़	30-0 मीट्रिक टन	06-02-18
3	आईएचएनपी1002306486	खिल्लन मियाँ कंस्ट्रक्शन, अलीगढ़	55-37	25-10-18

			मीट्रिक टन	
4	आईएचएनपी1002376386	खिल्लन मियाँ कंस्ट्रक्शन, अलीगढ़	53-5 मीट्रिक टन	30-10-18

1- क्रमांक 1 व 2 के पास कार्य अवधि के पहले के हैं, अतः औचित्यहीन है। साथ ही उनके दिनांकों में कटिंग की गई है। वर्ष 2019 को काटकर 2018 किया गया प्रतीत होता है। पहले पर किसी अर्थोरेटी की मौहर नहीं है सिर्फ हस्ताक्षर है जबकि दूसरे पर कार्यालय सहायक खनिज, अभियन्ता, भरतपुर (राजस्थान) की मौहर लगी है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है।

2-क्रमांक 3 व 4 के ट्रांजिट पास जिला खनन अधिकारी से सत्यापित नहीं है।

3-एक 10 टायर वाले ट्रक में अधिकतम 15 टन तक की परिवहन सीमा का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।

4- ट्रांजिट पासों से प्राप्त मात्रा, 108.87 एम3 अर्थात 64.02 एम3 ही है जबकि कार्य में 238.74 एम3 स्टोन ग्रेट प्रयुक्त हुई है। शेष ग्रेट कहाँ से परिवहन कर लाये गये हैं? कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ।

इन आपत्तियों के कारण परिवहन की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट की रायल्टी + रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना (खजिन मूल्य) गणना करने पर 238.74 एम3 दर /110 + 5x238-74x दर 110 = ₹ 157568 आती है। इसको काटकर कोषागार में जमा किया जाना था, जो नहीं किया गया है। इस प्रति स्पष्टीकरण/परिपालन अपेक्षित है।

(संदर्भ - आपत्ति संख्या 15 में उल्लिखित समस्त शासनादेश)

51- रामगढ़ पंजीपुर पुल से आलमपुर सुबकरा रोड तक सीसी एवं लेपन कार्य:-

- 1- प्राक्कलन धनराशि - ₹ 4535408
- 2- टेण्डर धनराशि - ₹ 4526337
- 3- फर्म/ठेकेदार का नाम - मै० जयवीर सिंह
- 4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.18 समाप्ति तिथि - 13.12.18
- 5- नाम अवर अभियन्ता - श्री बलराम सिंह

प्रयुक्त खनिज (स्टोन ग्रेट) -

- 1- जी1 = 168-72 एन 3
- 2- जी2 = 88-87 एन 3
- 3- जी3 = 88-87 एन 3
- 4- प्रीमिक्स कार्पेट = 1199 एन 3 x 1-8% = 21 = एन 3
- 5- पी सी सी = 251-31 एन 3 x 0-85 = 213-61 एन 3
- कुल योग - 581.65 एन 3

प्रयुक्त स्टोन ग्रेट का परिवहन -

क्र० सं०	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	वाई एक्स एक्स वी 1002179334	विवेक कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स अलीगढ़	48-2 एम टी	15.10.18
2	क्यूईयूयू 1002128077	श्री पिन्दू ठाकुर, अलीगढ़	56-2 एम टी	06-02-18
3	क्यूईयूयू 2306486	प्रताप सिंह पता - रिक्त	53-1 एम टी	11-10-18

ट्रांजिट पासों की जांच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

1- माल किसी अन्य स्टैकिस्ट के यहाँ आया है अतः ठेकेदार को फार्म - सी स्टैकिस्ट से प्राप्त करके संलग्न करना था।

2- ट्रांजिट पासों की वैधता को जिला खनन अधिकारियों से सत्यापित नहीं कराया गया है।

3- एक 10 टायर वाले ट्रक में अधिकतम 15 टन तक ही परिवहन किया जा सकता है। परन्तु यहाँ अधिकतम सीमा का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।

(शासनादेश निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, खनिज भवन, उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या 1844/एम-5 जी बैठक लखनऊ दिनांक 16.02.2004 के अनुसार)।

4- ट्रांजिट पासों में ग्रीट की मात्रा 157.50 एम टी अर्थात् 157-50X0-588=92-61एन 3 थी। परन्तु कार्य में प्रयुक्त मात्रा 581-65 एन 3 है। शेष स्टोन ग्रीट कहाँ से प्राप्त किया गया, अज्ञात रहा।

उपरोक्त आपत्तियों के कारण इन पासों की वैधता की पुष्टि न की जा सकी। अतः कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रीट की रायल्टी की गणना करने पर 581-65 एन 3x दर 110-x6=Rs 383889 आती है। इसे काटकर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया है। इस प्रति स्पष्टीकरण/परिपालन अपेक्षित है। इस कार्य की कुछ अन्य आपत्तियाँ निम्न प्रकार से हैं।

-1- बिटुमिन जो दिनांक 04.12.18 एवं 05.12.18 में क्रय किया गया है उसे रिफाईनरी से न खरीद कर जैन ट्रेडिंग कम्पनी सिकन्दरा से खरीदा है। अतः यह बिटुमिन सम्बन्धी शासनादेश का उल्लंघन है। अतः यह कार्य गुणवत्ता के स्तर पर संदिग्ध है एवं इसका भुगतान अनियमित है।

52- हरदोई रजवाहा से गणेशपुर तालुका की तरफ लेपन कार्य (बिजौली)-

1-	प्राक्कलन धनराशि	-	रु० 2585714.23
2-	टेण्डर धनराशि	-	रु० 2585197.03
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	श्री रवेन्द्र सिंह
4-	कार्य प्रारम्भ तिथि	-	16.08.18
5-	समाप्ति तिथि-bill में दर्ज (अंतिम),	-	19.06.19

कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रीट की मात्रा:-

1-	जी 1	=	61-95 एन 3
2-	जी 2	=	134-67 एन 3
3-	जी 3	=	134-67 एन 3
4-	प्रीमिक्स कार्पेट	-	1875 एन 3 x1-8%=33-75 एम3 कुल योग - 365.04 एन 3

प्रयुक्त स्टोन ग्रीट का परिवहन

क्र० सं०	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	ओईडीएन1002578316	रवेन्द्र सिंह, कान्ट्रेक्टर, अलीगढ़	45-12एम टी	23-11-18
2	ओईडीएन 1002605628	रवेन्द्र सिंह, कान्ट्रेक्टर, अलीगढ़	43-78 एम टी	25-11-18
3	ओईडीएन 1002578629	रवेन्द्र सिंह, कान्ट्रेक्टर, अलीगढ़	45-61एम टी	23-11-18
4	डब्ल्यू वाई एम वी1000838330	हिदायत रोड लाइन्स कमान सी/ओ खुर्जा	30-04 एम टी	04-06-18
5	ईआईसीयू1006708235	एम/एस शिवानी बिल्डर्स, गौमत	26-9 एम टी	27-04-18

ट्रांजिट पासों की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

- 1- दो पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के हैं।
- 2- ट्रांजिट पासों की वैधता जिला खनन अधिकारियों से सत्यापित नहीं कराई गई है।
- 3- एक 10 टायर वाले ट्रक में अधिकतम परिवहन सीमा 15 टन का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।

4- ट्रांजिट पासों में ग्रिट की मात्रा 134.51 एम टी अर्थात 134-51X दर 0-588=79-09एन 3थी। परन्तु कार्य में प्रयुक्त कुल मात्रा 365.04 एन 3 थी। शेष ग्रिट के परिवहन को कहाँ से किया गया? अज्ञात रहा। उपरोक्त आपत्तियों के कारण इन पासों की वैधता की पुष्टि न हो सकी।

अतः कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रिट की रायल्टी की गणना करने पर 365-04एन 3 x दर 110x.6 = ₹ 240926 आती है। इसे काटकर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया है। इस प्रति स्पष्टीकरण/परिपालन अपेक्षित है। इस कार्य की कुल अन्य आपत्तियाँ निम्न प्रकार से है:-

- 1- 425 माइक्रोन की लैब रिपोर्ट में वैल्यू 9-80% है जबकि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 10.15% के मध्य होनी चाहिए।
- 2- वैरियेबल/डेविेशन चार्ट में दरें अधिक लगाई गई हैं। जो अनियमित है। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष, इंजीनियर एवं जूनियर इंजीनियर ने अपने हस्ताक्षर किये हैं।
- 3- प्राक्कलन से वास्तविक कार्य में 10.86 प्रतिशत का विचलन है। वास्तविक कार्य 10.86 प्रतिशत कम है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुमोदन के बिना 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन (अधिक या कम) अनियमित है। (उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय दो के नियम 15)।

	प्राक्कलन	वास्तविक कार्य
1-	मिट्टी कार्य 1590-75 एम3 =	1299-82 एम3
2-	जी1 95-25 एम3	= 61-95 एम3
	जी2 140-63 एम3	= 134-67 एम3
	जी3 _यथा_.	_ यथा _
	ईट किनारा एम-150	

-0.625 किमी एम-150- 0.590 किमी

350 मिमी ब्लूम पाइप -15 आरएम -एन० ब्लूम पाइप

600 मिमी ब्लूम पाइप -7-5 आर मीटर

स्पष्ट है कि मिट्टी कार्य, जी 1 जी 2 जी 3 एवं ब्रिक एजिंग में काफी कमी की गई है तथा सड़क को पानी से बचाने हेतु अनुमान में दर्शित ह्यूम पाइपों के विरुद्ध एक भी ह्यूम पाइप का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः यह कार्य अधोमानक स्तर का प्रतीक होता है। 10 प्रतिशत से अधिक विचलन के कारण अनियमित भी है। अतः इन आपत्तियों का परिपालन/स्पष्टीकरण अपेक्षित है। (व्यय की धनराशि - ₹० 2018915)

(सन्दर्भ - आपत्ति संख्या 15 में उल्लिखित सभी शासनादेश)

53- जी०टी० रोड से सरायबुर्ज की तरफ लेपन सड़क का निर्माण कार्य (लोधा) :-

- 1- प्राक्कलन धनराशि - ₹० 43,08,867.25
- 2- फर्म/ठेकेदार का नाम - मै० बालाजी एण्टरप्राइजेज
- 3- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
- 4- कार्य समाप्ति तिथि - 12.11.2020
- 5- नाम अवर अभियन्ता - 1-श्री जगदीश शर्मा
2-श्री अरूण कुमार शर्मा

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1.	जीएसबी	.	150-70 एम3
2.	जी2	.	104-09 एम3
3.	जी3	.	102-56 एम3
4.	प्रीमिक्स कार्पेट	.	1387-91 एम3 x 1-8%
			24-98 एम3
योग		.	382-33 एम3

कार्य में प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र० सं०	पास की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा एम टी	दिनांक
1	आईएचएनपी1002774116	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	48-54	11-11-18
2	आईएचएनपी1002724552	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	50-90	5-12-18
3	आईएचएनपी1002742166	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	48-76	7-12-18
4	आईएचएनपी1002724607	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	53-61	5-12-18
5	आईएचएनपी1002698798	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	48-22	3-12-18
6	आईएचएनपी1002665994	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	48-10	30-12-18
7	आईएचएनपी1002637868	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	51-62	28-11-18
8	आईएचएनपी1002594315	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	46-52	24-11-18
9	आईएचएनपी1002534108	मेसर्स बालाजी एंटर, अलीगढ़	48-04	19-11-18

परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. किसी भी पास की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
2. क्रमांक 9 के बाद के सभी पास कार्य प्रारम्भ तिथि से बहुत पहले के हैं। अतः अप्रासंगिक है।
3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 एम टी) का अधिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।
4. पहले 9 क्रमांक तक के पासों में स्टोन ग्रेट की मात्रा 444.31 एम टी , अर्थात् 261.25 एम3 ही थी, जबकि कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट 382.33 एम3 था। शेष के परिवहन का कोई ट्रांजिट पास ही संलग्न नहीं किया गया है।

अतः इन आपत्तियों के कारण इन ट्रांजिट पासों की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः इस परिस्थिति में इस मात्रा पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी की धनराशि ₹ 2,52,338 (382-33 एम3 x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

इस कार्य में कतिपय अन्य आपत्तियाँ भी हैं:-

1. यह सड़क जी०टी० रोड से सरायबुर्ज तक बननी थी, परन्तु रास्ते में पोखर आने के कारण अधूरी सड़क बनी। हालांकि इस पोखर से पानी निकालने का व्यय प्राक्कलन में सम्मिलित (6 दिन / 650 = 3,900 डीवार्टिंग) था, परन्तु कार्य नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि पोखर के रास्ते में आने का तकनीकी अधिकारियों को पता था, फिर भी इसकी स्वीकृति दी गई।
2. तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन एवं निविदा पूरी सड़क की है।
3. (I) प्राक्कलन से वास्तविक कार्य में 47.51 प्रतिशत विचलन है अर्थात् इतनी कम धनराशि पर यह कार्य कराया गया। इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं	मद	प्राक्कलन में माप (एम3/मी2)	वास्तविक कार्य में माप (एम3/मी2)
1	जल-निकासी	6 डेज दर 650	नो वर्क
2	मिट्टी का काम	3271-50 एम3	219-24एम3
3	जीएसबी	297 एम3	150.70 एम3
4	जी2	202-50 एम3	104-09 एम3
5	जी3	202-50 एम3	102.56 एम3

6	एम-150 ईट	0,90 केएमएस	0-412 एमएस
7	प्राइम कोट	2700मी2	1387-91 मी2
8	टैक कोट	---यथा---	---यथा---
9	प्रीमिक्स कार्पेट	---यथा---	---यथा---
10	सील कोट	---यथा---	---यथा---
11	ब्लूम पाइप	45	22.5

स्पष्ट है कि पोखर से पानी न निकालना, मिट्टी कार्य एवं अन्य कार्य लगभग 1/2 ही प्राक्कलन की तुलना में कराये गये हैं, क्योंकि 900 मी0 की सड़क के स्थान पर मात्र 412 मी0 ही सड़क बनी है।

(II) इतने बिचलन के बावजूद (प्राक्कलन की तुलना में) पुनरीक्षित अनुमान तैयार नहीं किया गया और न ही स्वीकृत कराया गया है। (उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय दो के नियम 15 का उल्लंघन)।

(III) कार्य स्थल के निर्विवाद व अवरोधरहित होने की स्थिति में ही कार्य कराया जाना था (उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 के प्राविधान का उल्लंघन है)। समयवृद्धि के ठेकेदार के प्रार्थना पत्र पर अवर अभियन्ता से आख्या मांगी गई है। समयवृद्धि के किसी भी प्रार्थना पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आख्या में जे0ई0 ने विवाद हो जाने के कारण समयवृद्धि की संस्तुति की है परन्तु विवाद के सम्बन्ध में कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(IV) पहले प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.07.2019 तक का और अगले प्रार्थना पत्र पर 20.11.2019 तक का समय मांगा गया है। पहले प्रार्थना-पत्र पर किसी की नोटिंग नहीं है।

(V) जे0ई0 की आख्या (एक अन्य प्रार्थना पत्र में) में "आगे पोखर बनी है तथा 8-9 फुट गहरा पानी भरा" लिखा गया है तथा "विवाद होने की स्थिति" भी बताई गई। ऐसी भौगोलिक स्थिति के बाद भी स्थलीय निरीक्षण व सर्वे कर पूरी सड़क का प्राक्कलन तैयार किया गया एवं उसे तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ भी मिलीं।

(VI) अपर मुख्य अधिकारी द्वारा समयवृद्धि का कोई आदेश नहीं किया गया है। बल्कि टिप्पणी एवं आदेश में हस्ताक्षरों के बाद में किसी ने हाथ से अलग पैन से "30-11-2020" तक समयवृद्धि दी जाती है" लिख दिया गया है। यह कृत्य गंभीर रूप से आपत्तिजनक एवं अनियमित है। समयवृद्धि का आदेश अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अलग से दिया जाना चाहिए था।

4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश से दिनांक 21.05.2020 में निरीक्षण उपरान्त। ईई(आरईएस) श्री विनय कुमार शर्मा की जाँच रिपोर्ट में सड़क की मोटाई सन्तोषजनक पाई गई, परन्तु सड़क की लम्बाई प्राक्कलन में दर्शित लम्बाई 900 मीटर की अपेक्षा 400 मीटर बताई गई (चैड़ाई, जीएसबी, जी2, जी3 एवं पीसी व पत्थर की मोटाई प्राक्कलन के अनुसार पाई गई)।

5. दिनांक 20.07.2019 को एमबी में दर्ज माप में जीएसबी -160-05 एम3 तथा जी2- 109-12 एम3 लिखा गया है। परन्तु कार्य समाप्ति के बाद में एमबी में दर्ज मापें (दि0 16.11.2020) जीएसबी -150-70 एम3 तथा जी2- 104ण09 उ3 लिखी गई है। इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

6. पूरे बिल पर कोई रायल्टी नहीं काटी गई है। सैंड की रायल्टी और काटकर (स्टोन ग्रेट की गणना लेखा परीक्षा में कर ली गई है) कोषागार में जमा की जानी थी, जो नहीं की गई है।

7. कार्य में अत्यधिक देरी के पश्चात भी ठेकेदार के बिल से कोई विलम्ब शुल्क नहीं काटा गया है (लेखा परीक्षा में अलग आपत्ति में इसकी गणना कर ली गई है)।

उपरोक्त समस्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि "पोखर के होने" एवं "विवाद की संभावना" (हालांकि विवाद का कोई प्रमाण नहीं मिला, एफ0आरई0आर0 या किसी राजस्व अधिकारी की कोई पैमाइश सम्बन्धी रिपोर्ट) के तथ्यों की जानकारी के बावजूद इसका प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदि अनियमित थीं। साथ ही वास्तविक कार्य में प्राक्कलन की अपेक्षा 47.51 प्रतिशत की धनराशि का विचलन होने पर भी कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत न कराया जाना भी अनियमित था।

इसके अतिरिक्त 45.78 प्रतिशत सड़क की लम्बाई कम कर देने पर (प्राक्कलन के सापेक्ष) कार्य का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? ज्ञात न हो सका। अतः उद्देश्य की पूर्णता के साक्ष्य के अभाव में यह कार्य अपूर्ण व अधोमानक स्तर का प्रतीत होता है तथा इस कार्य में प्रयुक्त धनराशि का दुरुपयोगित होना प्रतीत हो रहा है। इस प्रति अविलम्ब परिपालन/स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। (व्यय की गई धनराशि ₹0 20,19,251)

नोट:- ऊपर उल्लिखित समस्त आपत्तियों के परिपालन न किये जाने की स्थिति में उपरोक्त सभी लेपन कार्य, सी0सी0 रोड एवं इण्टरलाकिंग के कार्यों में/अन्य निर्माण कार्यों में रॉयल्टी की जो राजस्व हानि हुई है उसके लिए प्रारम्भ में आपत्ति सं0 15 में उल्लिखित शासनादेश के अनुसार तत्कालीन सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) जिम्मेदार हैं। साथ ही अभियन्ता (तत्कालीन) एवं लेखाकार के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन में नाम/पदनाम का उल्लेख भी कर दिया गया है।

54- निम्नलिखित निर्माण कार्यों में, जो लेपन निर्माण कार्य हैं, में पायी गई आपत्तिया:-

मनोहरपुर कायस्थ सम्पर्क मार्ग पर गन्दे नाले तक मरम्मत लेपन कार्य:-

प्राक्कलन लागत - ₹0 2013869.01

टेण्डर पास - ₹0 2013466.23

नाम फर्म/स्वामी - मै0 ओम शान्ति एन्टरप्राइजेज/श्री यतिन दीक्षित

कार्य प्रारम्भ - 25-08-18, समाप्ति - 20-11-2018

नाम अवर अभियन्ता - श्री अरूण शर्मा

प्रयुक्त उपखनिज स्टोन गिट -

1- G- 2 . 74-23 एम3

2- G- 3 . 121-62 एम3

3- प्रीमिक्स कार्पेट . 3072-60मी2 x 1-8% = 55 = 31 एम3

20 मिमी

कुल योग . 251-16 एम3

प्रयुक्त स्टोन गिट का परिवहन:-

क्र.सं	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	आईएचएनपी1001936700	मेसर्स ओम साई बिल्डर्स	49-9 एम टी	24-09-18
2	आईएचएनपी 1002002318	हर्ष बिल्डर, अलीगढ़	50-30 एम टी	30-09-18

उक्त परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ पायी गई:-

1- माल किसी अन्य ठेकेदार/बिल्डर/स्टाकिस्ट के यहाँ आया है। अतः उनसे फार्म-सी प्राप्त करना था।

2- जिला खनन अधिकारी से वैधता सत्यापित नहीं है।

3- एक 10 टायर वाले ट्रक में अधिकतम 15 टन तक ही उपखनिज ढोया जा सकता है परन्तु यहाँ दोनों पासों में इस सीमा का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।

4- यहाँ जो मात्रा पासों में है वह 99.93 एम टी है। अर्थात् यह 99-93X0-588एम3 = 58-76 एम3 ही है जबकि कार्य में प्रयुक्त खनिज (गिट्टी) 251-16 एम3 है। शेष खनिज का परिवहन कहाँ से हुआ है अज्ञात है। इन तथ्यों के कारण खनिज परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः कार्य में प्रयुक्त गिट्टी रायल्टी की गणना करने पर यह 251.16 एम3x दर 110= ₹ 27627-60 + खनिज मूल्य 27627-60x5% = 138138 अर्थात् कुल ₹0 165766 होती है। इतनी रायल्टी की कटौती होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। इस प्रति स्पष्टीकरण/परिपालन अपेक्षित है।

(संदर्भ) - आपति संख्या 15 में उल्लिखित समस्त शासनादेश)

5- बिटुमिन रिफाईनरी से न खरीद कर मनीष पेंट्स एण्ड हार्डवेयर से खरीदा गया है जो संदर्भित शासनादेश का उल्लंघन है। अतः सड़क की गुणवत्ता संदिग्ध है एवं भुगतान अनियमित है।

55-खैर सोमना मार्ग (छौंकरा इस्माइलपुर मार्ग से) बाजना सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 09-03-18 से प्रारम्भ कर 08-06-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 16-04-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 फारूख खां कान्ट्रैक्टर एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 47.88 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4338 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 78.04 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 125.92 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 125.92 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में मात्र 02 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जो निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद की तिथियों के हैं, इस प्रकार इन ट्रांजिट पासों से प्राप्त सामग्री का उपयोग उक्त निर्माण कार्य में नहीं किया गया है। अतः संलग्न ट्रांजिट पास अमान्य हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-125.90 गुणा 110 = 13849.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 69245.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 83094.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 83094.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

56-खैर सोमना मार्ग (छौंकरा इस्माइलपुर मार्ग से) नीमखेडा सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04-01-18 से प्रारम्भ कर 03-04-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 27-04-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 फारूख खां कान्ट्रैक्टर एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रेट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 21.91 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-758 वर्ग मी० में स्टोन ग्रेट 13.64 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रेट 35.55 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 35.55 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन ग्रेट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी ट्रांजिट पाससंलग्न नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन ग्रेट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-35.55 गुणा 110 = 3910.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 19550.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 23460.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 23460.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

57- कटरा बरौली मार्ग से गौवरी सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 29-12-17 से प्रारम्भ कर 28-03-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 24-04-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 उमाशंकर शर्मा एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 14.58 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-2238 वर्ग मी० में स्टोन गिट 40.20 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 54.78 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 54.78 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन गिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी ट्रांजिट पाससंलग्न नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-54.78 गुणा 110 = 6025.8 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 30129.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 36155 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 36155.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

58- नगला सरुआ ट्यूबवेल रोड से चन्डौस सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 10-05-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 कैम्स इ० फ्रा० डेवलपर्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 111.27 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-3045.00 वर्ग मी० में स्टोन गिट 54.80 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 166.07 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 166 घन मी० उप खनिज के पर्याप्त वैध परिवहन प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन गिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में केवल एक ट्रांजिट पाससंलग्न है जिसमें 54.50 एम०टी० गिट प्राप्त हुई है। जिसको घन मी० में गणना करने पर 32.05 घन मी० होता है। इस प्रकार प्रयुक्त 166.07 के सापेक्ष 32.05 घन मी० ही वैध परिवहन से प्राप्त किया गया है। शेष 134.00 घन मी० स्टोन गिट की प्राप्ति का कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त 134 घन मी० स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-134 गुणा 110 = 14740.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 73700.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 88440.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 88440.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

59- क्यामपुर ओजोन रोड से नीहार मीरा स्कूल सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04-01-18 से प्रारम्भ कर 03-04-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 31-08-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 बाला जी कंक्रीट उद्योग एवं अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 10.89 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1014.85 वर्ग मी० में स्टोन गिट 18.26 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 29.15 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 29.15 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन गिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कोई भी ट्रांजिट पाससंलग्न नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-29.15 गुणा 110=3206.50 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 16032.50 बनती है। इस प्रकार कुल रु 19239.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 19239.00

की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

60- काटा गौंदोली मार्ग से कुंवरपुर तक लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04-01-18 से प्रारम्भ कर 03-04-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 26-03-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 जितेन्द्र पाल सिंह चौहान एवं अवर अभियन्ता श्री बलराम सिंह हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 24.17 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-924 वर्ग मी० में स्टोन गिट 16.63 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 40.8 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 40.8 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन गिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में एक ट्रांजिट पाससंलग्न है जो निर्माण कार्य समाप्त होने की तिथि के बाद की तिथि का है जो मान्य नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-40.8 गुणा 110 = 4488.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 22440.00 बनती है। इस प्रकार कुल ₹ 26928.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल ₹ 26928.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

61- भोरा गौरवा डाबर रोड से नगला जार सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04-01-18 से प्रारम्भ कर 03-04-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 26-03-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 बाला जी कंक्रीट उद्योग एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 55.04 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1565.44 वर्ग मी० में स्टोन गिट 28.16 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 83.20 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 83.20 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन गिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में एक ट्रांजिट पाससंलग्न है जो 50 टन गिट परिवहन दर्शा रहा है। मात्रा के अनुसार परिवहन वैध नहीं है। इस प्रकार मान्य नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-83.20 गुणा 110 = 9152.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 45760.00 बनती है। इस प्रकार कुल ₹ 54912.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल ₹ 54912.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

62-खैर सोमना रोडसे हींसैल बाया चादनेर थानपुर आरामगढी सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 20-02-18 से प्रारम्भ कर 19-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 22-05-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 कुनाल इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-2 में 25.63, जी-3 में 221.61 घन मी० तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-4980 वर्ग मी० में स्टोन गिट 89.64 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 336.88 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 336.88 घनमी० उप खनिज का कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। स्टोन गिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में दो ट्रांजिट पाससंलग्न है, जो वर्ष 2017

के हैं अतः मान्य नहीं हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-336.88 गुणा 110= 37056.80 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 185284.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 222340.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 222340 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

63- बोरना से याकूबपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन अनुरक्षण एवं आबादी क्षेत्र में इण्टरलाकिंग कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04-01-18 से प्रारम्भ कर 03-04-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 31-08-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार में0 बाला जी कंक्रीट उद्योग एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।

पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है। जी-3 में 71.84 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-1140 वर्ग मी0 में स्टोन गिट 20.52 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 92.36 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 62.36 घनमी0 उप खनिज के सापेक्ष दोट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जिनसे 72 टन स्टोन गिट प्राप्त किया गया है। जिसे घन मी0 में कन्वर्ट करने पर 42.34 घन मी0 होता है। इस प्रकार प्रयुक्त शेष मात्रा 50.02 (92.36-42.34) घन मी0 कोई प्रपत्र नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-50 गुणा 110=5500.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 27500 बनती है। इस प्रकार कुल रु 33000.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 33000.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

64-जी0टी0 रोडजिरोली से भगवानपुर होते हुए हिरनौटी तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य:-

प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 04-05-18 को पूर्ण किया गया है उक्त कार्य के ठेकेदार में0 बाला जी कंक्रीट उद्योग एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन गिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 170.48 घन मी0 तथा प्रीमिक्स 20 मिमी कारपेट-6758 वर्ग मी0 में स्टोन गिट 121.64 घन मी0 इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन गिट 292.12 घन मी0 था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 29.15 घनमी0 उप खनिज के पर्याप्त वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन गिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में 05 ट्रांजिट पाससंलग्न हैं, जिसमें से दो वर्ष 2016 व दो वर्ष 2017 के हैं, जो मान्य नहीं हैं। एक ट्रांजिट पास मार्च-2018 का है जिससे 53 टन माल प्राप्त किया गया है। जिसे घन मी0 में कन्वर्ट करने पर 31.12 घन मी0 होता है। इस प्रकार शेष प्रयुक्त स्टोन गिट मात्रा 261 (292.12-31.12) घन मी0 के कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रॉयल्टी की गणना-261 गुणा 110= 28710 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रॉयल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 143550.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 172260.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 172260.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर10-- वित्तीय वर्ष 17-18 की सी0सी0 निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पायी गयीं हैं:-

ए-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम सं0 6 के अनुसार कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ब्योरेवार नक्शा/डिजाइन/मानचित्र तथा उसके बाद अनुमान/प्राक्कलन तैयार करने का प्राविधान है। लेकिन निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्य का अनुमान/प्राक्कलन तो तैयार

किया गया है। लेकिन कार्य का प्लान व मानचित्र तैयार नहीं किया गया है जो कि आवश्यक था। क्यों कि स्थल सर्वेक्षण के बाद कार्य का डिजाइन तैयार किया जाना भी आवश्यक है ताकि स्पष्ट हो सके कि स्थल की वास्तविक स्थिति कैसी है।

बी-पत्रावली में संलग्न ठेकेदार की स्व घोषणा शपथ पत्र में ठेकेदार, किस श्रेणी का है अंकित कालम में भरा ही नहीं गया। जो कि अति आवश्यक था। बिना श्रेणी के ठेकेदार कितनी धनराशि तक का ठेका ले सकते हैं अज्ञात रहा। ठेकेदारी लाइसेन्स रिनूवल की जिला पंचायत की रसीद की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है जो कि आवश्यक है।

सी-ठेकेदार जिला पंचायत का अनुमोदित ठेकेदार है या नहीं, की पुष्टि में 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-18 के अनुसार अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा अनुमोदित ठेकेदार की रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में ₹ 100.00 की जमा रसीद का उल्लेख व रसीद की छायाप्रति संलग्न नहीं है जो कि आवश्यक है।

डी-ठेकेदार का टिन व जी.एस.टी. नं0 पत्रावली में कहीं भी अंकित नहीं किया गया जिससे यह पुष्ट हो सके कि ठेकेदार का ब्यापार कर/ जीएसटी आफिस में रजिस्ट्रेशन वैध है अथवा नहीं तथा किस उद्देश्य के लिए है।

ई-पत्रावली में ठेकेदार का चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर व ब्यापार कर विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं किये गये हैं, जो कि अति आवश्यक हैं।

एफ-निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये जाने से पूर्व किये गये स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण रिपोर्ट में अवर अभियन्ता द्वारा केवल कार्य की लम्बाई का उल्लेख किया गया है कार्य की चौड़ाई व अन्य जानकारी नहीं दी गयीं हैं। मार्ग में कीचड़/जल भराव/क्षतिग्रस्त खड्जा/कच्चा मार्ग होना दर्शाया गया है जो पूर्व में छपा हुआ एक लेख्य है जिसे प्रायः प्रत्येक फाइल में कागज पूर्ति के रूप में संलग्न किया गया है। जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसके अलावा कार्य का डिजाइन तैयार कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है जो कि आवश्यक है।

जी-वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-318 के अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही है तथा आगणन की गणनाएँ सटीक एवं समुचित आकड़ों पर आधारित हैं। जबकि निर्माण कार्य पत्रावलियों में ऐसा नहीं पाया गया है।

एच-उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 में प्राविधानित है कि एक वैध परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। अग्रेतर, फरवरी-2001, अगस्त-2002 और अक्टूबर-2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खखन अधिकारियों से एमएम-11 प्रपत्रों की वैधता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी रॉयल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यदि ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी की रसीद को प्रारूप एमएम-11 के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिये और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। जबकि इसके विपरीत निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदार द्वारा लिखित, अपर मुख्य अधिकारी/अभियन्ता के नाम एक प्रपत्र संलग्न किया गया है जिसमें लिखा गया है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त समस्त उप खनिजों का परिवहन वैध रूप से किया गया है जो कि गलत है। जिसकी पुष्टि में साक्ष्य के रूप में दूसरे राज्यों की रॉयल्टी रसीद-बुक/फार्म 12-ए, ट्रांजिट पास/फार्म 12-सी व अन्य प्रकार के प्रपत्र संलग्न किये गये हैं लेकिन संलग्न प्रपत्रों को ठीक से भरा ही नहीं गया है अनेक मर्दों को खाली छोड़ दिया गया है जैसे- माल प्राप्त करने वाले का नाम, खनिज का प्रकार, खनिज की मात्रा/वजन व स्थान जहाँ के लिए माल भेजा गया है आदि। आवश्यक सूचनाओं/जानकारी के बिना प्रपत्र को संलग्न करने एवं उन्हें स्वीकार करना, यह इंगित करता है कि अनियमित एमएम-11 प्रपत्रों को स्वीकार किया गया है अनियमित प्रपत्रों को ही आधार मानकर जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार के बिल में प्रयुक्त कुछ उप-खनिजों पर रॉयल्टी की कटौती व अन्य उप-खनिजों जैसे- स्टोन ग्रेट पर रॉयल्टी न काटने की छूट दी गयी है जो कि पूरी तरह से गलत है।

राजकीय राजस्व संग्रह को दृष्टिगत रखते हुए ठेकेदारों से प्राप्त रायल्टी जमा सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन, सम्बन्धित जिला खखन अधिकारियों से कराया जाना चाहिए था, जो नहीं कराया गया है। पत्रावलियों में संलग्न एमएम-11 प्रपत्र प्रथम दृष्ट्या नकली प्रतीत होते हैं। ठेकेदार के बिल भुगतान से पूर्व, उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम संख्या-66 के अनुसार लेखाकार द्वारा बिल का परीक्षण कर " जांच कर ली और सही पाया " का उल्लेख करेगा। जबकि लेखाकार द्वारा ऐसा कोई उल्लेख पत्रावली में कहीं भी नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य बिलों का ठीक से परीक्षण व जांच न कर अथवा मिली भगत कर राजकीय राजस्व की क्षति/चोरी की गई है तथा और भी अन्य प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं की गयी हैं। इस प्रकार, सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन से न केवल शासकीय हानि हुई है बल्कि, अवैध खखन को बढ़ावा मिला एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिवश्री आलोक रंजन उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-3385(1)/86-2015-292/2015 दि० 15 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर 3(3) के अनुसार यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र एम०एम०-11 के किया जाता है तब प्रयुक्त उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य(सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। उक्त का पालन नहीं हुआ। विवरण तालिका प्रस्तुत हैं ।

तालिका-5 (सी०सी० निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में)

अवैध/फर्जी परिवहन पास/एम०एम०-11/ट्रांजिट पास के आधार पर आगणित रायल्टी व प्रभार के वसूली की धनराशि का विवरण:-

क्र० सं०	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य का नाम	प्रयुक्त उप-खनिज स्टोन ग्रेट	आगणित रायल्टी की धनराशि	आगणित खनिज मूल्य	वसूली हेतु कुल धनराशि
1	शाहपुर औरंगाबाद चैक से औरंगाबाद की ओर सी०सी० रोड का निर्माण।	128.73घनमी०	14160	70802	84962
2	जाट जमालपुर से अलीगढ़ अमरौली बढौली रोड की ओर सी०सी० रोड निर्माण।	79.24घन मी०	8716	43582	52298
3	खुर्द खेडा से नगला आनन्द की ओर सी०सी० रोड	130.40घनमी०	14344	71720	86064
4	भरतपुर काली सड़क से पंचायत घर होते हुए बाईपास मार्ग की ओर सी०सी० कार्य/इण्टरलाकिंग कार्य	49.83घन मी०	5481	27407	32888
5	औरंगाबाद के गुड्डा सिंह, प्रेम कुमार (अमर सिंह) के घर से अम्बेडकर पार्क तक सी०सी० कार्य	69.64घन मी०	7660	38302	45962
6	पिपलौठ से जंगल गढ़ी की ओर सी०सी० रोड	52.05घन मी०	5725	28628	34353

		योग-	56086	280441	336527

निम्न निर्माण कार्यो में उप-खनिजों के प्रयोग व उनके परिवहन से सम्बन्धित प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रस्तर-11- तालिका-6 (इण्टरलाकिंग निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में)

अवैध/फर्जी परिवहन पास/एम0एम0-11/ट्रांजिट पास के आधार पर आगणित रॉयल्टी व प्रभार के वसूली की धनराशि का विवरण:-

क्र0 सं0	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य का नाम	प्रयुक्त उप- खनिज स्टोन ग्रिट	आगणित रायल्टी की धनराशि	आगणित खनिज मूल्य	वसूली हेतु कुल धनराश्
1	ग्राम पिसावा में किले के सामने शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग कार्य	60.86	6695	33475	40170
2	रामगढ़ पंजीपुर मार्ग से नगला पटवारी की ओर इ0ला0	96-00	10560	52800	63360
3	पिसावा तिराहे से मरघट की ओर इण्टरलाकिंग कार्य-	143.44	15779	78893	94672
4	मडराक से अलीपुर बाई पास पर लेपन/इंटरलाकिंग कार्य	191.28	210.41	105204	126245
5	नन्द पाल सड़क से नंदपुर पाल तक	45.06	4957	24783	29740
6	श्री रघुनन्दन इंटर कालेज परिसर में गंगीरी	98.62	10848	54241	65089
7	पीपली से केहरी सिंह मंदिर तक गंगीरी	133.26	14659	73293	87952
8	रामघाट रोड से मंदिर होते हुए तालसपुर की ओर	124.82	13730	68651	82381
9	बजना भवानीपुर रोड से नगला धीमर संपर्क मार्ग पर	238.89	26278	131389	157667
10	बम्बे के पुल से गणेशपुर तक चन्डोस	522.01	57421	287106	344527
11	छर्ना नगला बादशाह रोड से वृद्धा आश्रम की ओर गंगीरी	125.60	13816	69080	82896
12	रामनगर से नगला जेत संपर्क मार्ग तक अवशेष कार्य	262.06	11995	59978	71973
13	नगला कोठी रायपुर खास की ओर से सड़क तक बिजोली	106.05	11995	59978	71973
14	गोंडा खेर रोड से साईं फिश सीड मील तक दरवर गोंडा	50.90	5599	27995	33594
15	श्री लक्ष्मिराज इंटर कालेज गभाना परिसर में	100.26	11029	55143	66172
16	अतरोली आलमपुर रोड से छापरे नगला संपर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण बिजोली	165.79	18237	91184	109421
17	जी.टी.(एनएच 91) से सराय हरनारायण नगला बरी की तरफ लोथा	321.06	35317	176583	211900
18	द्वथाला से नहर सम्पर्क मार्ग पर जवां	16.84	1852	9262	11114
19	इगलास गोंडा रोड पर हरी सिंह कालेज से रामनगरिया गोंडा	81.21	8933	44666	53599
20	मेहगोरा रोड से देवहरा आश्रम की ओर चन्डोस	60.89	6698	33489	40187
21	तालिवनगर नाले पर आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण जवां	42.60	4686	23430	28116
	योग--	2990.50	328957	1644778	1973735

इण्टरलाकिंग कार्य:-

1-ग्राम पिसावा में किले के सामने से शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग कार्य- प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 20-12-2018 से प्रारम्भ कर 19-03-2018 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 09-01-2019

को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 पलक इण्टरप्राइजेज एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं।
में निम्न आपत्तियाँ पायीं गयीं। पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 47.09 घन मी० तथा पी०सी०सी० में स्टोन ग्रिट 13.77 घन मी० है। इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रिट 60.86 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 60.86 घन मी० उप खनिज के पर्याप्त वैध परिवहन प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन ग्रिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कुल एक इनवाइस संलग्न है जिसमें रायल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह प्रयुक्त ग्रिट अवैध परिवहन की श्रेणी में हैं। इस प्रकार प्रयुक्त 60.86 के सापेक्ष वैध परिवहन नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त 60.86 घन मी० स्टोन ग्रिट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-60.86 गुणा 110 = 6695.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 33475.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 40170.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 40170.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

2-रामगढ़ पंजीपुर मार्ग से नगला पटवारी की ओर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्यः--प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 14-02-19 से प्रारम्भ कर 13-05-19 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 10-03-19 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 कैम्स इ० फ्रा० डेवलपर्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आईः-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-1 में 109.29 घन मी० तथा पी०सी०सी० में स्टोन ग्रिट 16.79 घन मी० इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रिट 126.08 घन मी० था। उक्त कार्य में प्रयुक्त 126.08 घन मी० उप खनिज के पर्याप्त वैध परिवहन प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन ग्रिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में केवल एक ट्रांजिट पास संलग्न है जिसमें 51.11 एम०टी० ग्रिट प्राप्त हुई है। जिसको घन मी० में गणना करने पर 30.05 घन मी० होता है। इस प्रकार प्रयुक्त 126.08 के सापेक्ष 30.05 घन मी० ही वैध परिवहन से प्राप्त किया गया है। शेष 96.00 घन मी० स्टोन ग्रिट की प्राप्ति का कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त 96.00 घन मी० स्टोन ग्रिट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-96.00 गुणा 110 = 10560.00 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 52800.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 63360.00 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारितकुल रु 63360.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

3- पिसावा तिराहे से मरघट की ओर इण्टरलाकिंग कार्यः--प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 23-02-18 से प्रारम्भ कर 22-05-18 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन निर्माण कार्य दिनांक 07-05-18 को पूर्ण किया गया है। उक्त कार्य के ठेकेदार में 0 शिवानी बिल्डर्स एवं अवर अभियन्ता श्री अरूण कुमार शर्मा हैं, पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्रकाश में आईः-पत्रावली की जाच में पाया गया कि संलग्न वैरिएशन चार्ट एवं बिलों के अनुसार स्टोन ग्रिट का उपयोग निम्न प्रकार किया गया है।

जी-3 में 143.44 घन मी० तथा पी०सी०सी० में स्टोन ग्रिट अज्ञात घन मी० है। इस प्रकार प्रयुक्त कुल स्टोन ग्रिट 143.44 \$ अज्ञात घन मी० था। उक्त कार्य में ज्ञात प्रयुक्त 143.44 घन मी० उप खनिज के पर्याप्त वैध परिवहन प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्टोन ग्रिट के प्राप्ति व वैध परिवहन के रूप में कुल चार ट्रांजिट पास संलग्न हैं, जिनमें एक ट्रांजिट पास दिसम्बर-18 का है जो मान्य नहीं है। शेष में खनिज का साइज तक अंकित नहीं है तथा माल प्राप्त कर्ता पार्टी/व्यक्ति का नाम व पता आदि अंकित ही नहीं हैं। इसके अलावा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से सत्यापित भी नहीं है। जितमें रायल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह प्रयुक्त ग्रिट अवैध परिवहन की श्रेणी में हैं। इस प्रकार प्रयुक्त 143.44 के सापेक्ष वैध परिवहन नहीं है। पत्रावली के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त 143.44 घन मी०

स्टोन गिट पर निर्धारित होने वाली रायल्टी की गणना-143.44 गुणा 110 = 15778.40 बनती है। तथा खनिज मूल्य जो रायल्टी का सामान्यतः 5 गुना = 78892.00 बनती है। इस प्रकार कुल रु 94670 की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अतः निर्धारित कुल रु 94670.00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता व लेखाकार से कराकर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

4-इण्टरलाकिंग कार्य-

मडराक से अलीपुर बाईपास पर लेपन कार्य (लोधा) इण्टरलाकिंग-

1-	प्राक्कलन की धनराशि	-	रु0 3710131
2-	टेण्डर की धनराशि	-	रु0 3709760
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	श्री चिरंजीलाल गोला, मथुरा
4-	कार्य की प्रारम्भ तिथि	-	25.08.2018
4-	कार्य समाप्ति तिथि	-	18.11.2018
6-	अवर अभियन्ता का नाम	-	श्री जगदीश सिंह

कार्य में प्रयुक्त स्टोन गिट की मात्रा-

1-	जीएसबी	.	155-28 एम3
2.	जी3	.	22-05 एम3
3-	ओ/एल ओ एफ सीसी(1;2;4)	.	15-50एम3x 0-90
			13-95 एम3

योग . 191-28एम3

प्रयुक्त स्टोन गिट के लिए संलग्न ट्रांजिट पास -

क्र0	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	ओईडीएन	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	40-25 एम टी	07-06-2018
2	ओईडीएन	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	53-79	19-06-18
3	एजीएसएल	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	51-30	30-04-2018
4	ओईडीएन	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	42-20	23-04-2018
5	टीक्यूटीएन	संजय चंबल और गिट्टी सप्लायर मथुरा	38-43	15-08-2018

प्रयुक्त परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

- क्रमांक 01 से 4 तक के पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के हैं।
- माल प्राप्तकर्ता के नाम में कोई अन्य स्टाकिस्ट दर्शाये गये हैं।
- ट्रांजिट पासों की वैधता जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
- इसमें 15 एम टी (10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता) की सीमा का अतिक्रमण किया गया है।
- 5 वें पास के उपखनिज की मात्रा मात्र 38-43 के टी अर्थात 22-59 एम3 है। कार्य में प्रयुक्त शेष उपखनिज कहाँ से प्राप्त किया गया है? कोई साक्ष्य न मिला।
- स्टाकिस्ट से क्रय किये गये स्टोन गिट के लिए फार्म-बू (प्रपत्र बू) नहीं है।

अतः इन सभी उपरोक्त आपतियों के कारण उपखनिजों के परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। इस पर रायल्टी की धनराशि ₹0 (126245 %191-28एम3x110-x6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। इसको स्पष्ट किया जाना/परिपालित किया जाना अपेक्षित है।

इस कार्य के सम्बन्ध में कुछ अन्य आपतियाँ निम्नलिखित हैं:-

1-यह कार्य प्राक्कलन की धनराशि से 26-56% कम पर किया गया है। अर्थात् प्राक्कलन व्यय से वास्तविक व्यय में 26.56 प्रतिशत का विचलन है। प्राक्कलन की धनराशि ₹0 3312616.74 थी, परन्तु वास्तविक कार्य ₹0 2432887.09 में कराया गया है।

वैरिएशन चार्ट निम्नवत है -

	प्राक्कलन मात्रा (एम3/मी2)	वास्तविक मात्रा (मी2/एम3)
1- ई/डब्ल्यू	1242.17एम3	185.69एम3
2- जीएसबी	129.09 एम3	155.28 एम3
3- जी 2	59.06 एम3	निल
4- जी 3	59.06 एम3	22.05 एम3
5- प्राइम कोट	1518.75 एम3	निल
6- टैक कोट	यथा	निल
7- प्रीमिक्स कार्पेट	यथा	निल
8- सील कोट	यथा	निल
9- बी/डब्ल्यू इन150(1:4)	24.86एम3	27.25एम3
10- एम-150क्लासब्रिक	24.86एम3	27.25एम3
11- 80 मिमी मोटी रबर मोल्डेड प्रीकास्ट सी.सी. 1 आकार की टाइलें	1762.50मी2	1787.04 मी2
12- 12 मिमी मोटा प्लास्टर 1:4 सीमेंट और महीन रेत	169.20 मी2	106.65 मी2
13- सीसी (1:2:4) का पी/एल	10.81 एम3	15.50 एम3
14- एनपी-3ह्यूम पाइप 30 -	30	-
15. बोर्ड	01	01

इस वैरिएशन चार्ट से स्पष्ट है कि लेपन कार्य कराया ही नहीं गया है बल्कि लेपन के स्थान पर इण्टरलाकिंग कार्य करा दिया गया है। मंजूरता प्राक्कलन से बहुत कम मात्रा में हुआ है जी3 की मात्रा प्राक्कलन से बहुत कम है जी2 शून्य है एम.150 क्लास ब्रिक, 12 मिमी, थिक प्लास्टर बहुत कम या शून्य है। 30 ह्यूम पाइपों के प्राक्कलन के विरुद्ध कोई ह्यूम पाइप नहीं डाला गया है।

2-प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन (अधिक/कम) अनियमित है। इसके लिए कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया गया है। (30प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय दो के नियम 15 का उल्लंघन है)

3-प्राक्कलन व्यय से 26.56 प्रतिशत का विचलन एवं वैरिएशन चार्ट एवं बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन के इस कार्य को अनियमित तरीके से कराया गया है एवं यह कार्य अधोमानक स्तर का प्रतीत होता है। अतः इस पर किया गया समस्त व्यय शासकीय धन का दुरुपयोग है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

(संदर्भ - आपति सं0-15 में उल्लिखित समस्त शासनादेश)

5- नन्दपुर पला सड़क से नन्दपुर पला तक इण्टरलाकिंग कार्य:-

1-	प्राक्कलन की धनराशि	-	रु0 519479
2-	टेण्डर की धनराशि	-	रु0 518701
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	श्री उमाशंकर शर्मा
4-	कार्य की प्रारम्भ तिथि	-	25.08.2018
4-	कार्य समाप्ति तिथि	-	20.10.2018
6-	अवर अभियन्ता का नाम	-	श्री बलराम सिंह

कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट -

1-	जीएसबी	.	34.80 एम3
2.	पीसीसी(1;2;4)	.	12.83 एम3x0.80
			10.26 एम3

कुल . 45.06एम3

परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रांजिट पासों का विवरण -

क्र0सं0	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	आईएचएनपी 1000737049	मुकेश शर्मा अलीगढ़	45.2 एम टी	26.05.2018

प्रयुक्त ट्रांजिट पास में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

- 1- ट्रांजिट पास की तिथि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से बहुत पहले का है।
- 2- इसकी वैधता जिला खनन अधिकारी से सत्यापित नहीं है।
- 3- 15 टन की अधिकतम परिवहन सीमा (10 टायर वाले ट्रक में) का अतिक्रमण किया गया है।
- 4- सामान फर्म के नाम न आकर, किसी स्टाकिस्ट के नाम से आया है स्टाकिस्ट से प्रपत्र सी(फॉर्म -सी) प्राप्त नहीं किया गया है।
- 5- ट्रांजिट पास की मात्रा 45.2 एम टी अर्थात 26.58 एम3 है परन्तु कार्य में प्रयुक्त मात्रा 45.06 एम3 है। शेष मात्रा कहाँ से आई है? ज्ञात न हो सका।

अतः ट्रांजिट पास की वैधता की पुष्टि न होने की दशा में इसकी रायल्टी काटकर (धनराशि रु0 29740-(45.06एम3x110=x6) कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इस प्रति परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त इस कार्य में कतिपय अन्य आपत्तियाँ हैं:-

- 17 मैं0 उमाशंकर शर्मा ने जो अनुबन्ध किया है (10/- के स्टाम्प पेपर पर) वह तिथि 09.07.2018 है जबकि टेण्डर खुलने की तिथि 11.07.2018 थी।
- 2-1- इनका प्रपत्र - 3, शपथ पत्र (100/- के स्टाम्प पेपर पर) दिनांक 20.07.2018 है जो टेण्डर खुलने के पश्चात का है। इसे टेण्डर से पहले की तिथि का होना चाहिए था।

शेष दोनों फर्मों के प्रपत्र-3 (शपथ पत्र, 100/- के स्टाम्प पेपर पर) टेण्डर के साथ संलग्न नहीं है।

II Rs. 5000 के बोर्ड की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है। इनका परिपालन किया जाना भी अपेक्षित है।

6-श्री रघुनन्दन इण्टर कालेज परिसर में (गंगोरी) इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य:-

1-	प्राक्कलन की धनराशि	-	रु0 1523292
2-	टेण्डर की धनराशि	-	रु0 1522976.94
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	बालाजी एण्ड एन्टप्राइजेज

- 4- कार्य की प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
 4- कार्य समाप्ति तिथि - 12.11.2018
 6- अवर अभियन्ता का नाम - श्री विजय कुमार

कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट की मात्रा -

- 1- डब्ल्यू बी एम सबेस . 83.10 एम3
 2. पी सी सी (1;2;4) . 19.40 एम3 ग 0.80

15ण्52 उ3

योग . 98.62एम3

परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रांजिट पासों का विवरण -

क्र0सं0	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा (डज्)	दिनांक
1	0772317 (ई-तिरंजीत)	अलीगढ़	53.10	04.08.2018
	पास नहीं			
2	यूएक्ससीडी 1001919472	मै0 बालाजी एण्टरप्राइजेज अलीगढ़	36.14	22.09.2018
3	आईएचएनपी 1001920283	मै0 बालाजी एण्टरप्राइजेज अलीगढ़	46.75	22.09.2018

ट्रांजिट पास की आपत्तियाँ:-

1. पहला पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व का है।
2. इनकी वैधता को जिला खनन अधिकारी से सत्यापित नहीं कराया गया है।
3. 15 टन की अधिकतम परिवहन समता का अतिक्रमण किया गया है।
4. क्रमांक 2 व 3 के ट्रांजिट पासों में दर्शाई गई मात्रा 82.89 एम टी अर्थात् 48.74 एम3 है जबकि कार्य में प्रयुक्त मात्रा 98.62 एम3 है। शेष मात्रा का परिवहन कहाँ से किया गया है? ज्ञात न हो सका। अतः लेखा परीक्षा में ट्रांजिट पासों की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः इस मात्रा पर रायल्टी की धनराशि रु0 65089 (98.62 एम3 x / 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। अतः इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

7- पीपली से केहरी सिंह मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य (गोंडा) -

1. प्राक्कलन धनराशि - रु0 15,52,839.00
2. टेण्डर धनराशि - रु0 15,37,138.00
3. फर्म/ठेकेदार का नाम - मै0 अम्बिका कन्स्ट्रक्शन कंपनी
4. कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
5. कार्य समाप्ति तिथि - 24.11.2018
6. नाम अवर अभियन्ता - श्री जगदीश सिंह

कार्य में प्रयुक्त उप खनिज की मात्रा -

1. डब्ल्यूबीएम सबबेस _ 115.50 एम3
 2. पीसीसी(1:2:4) _ 22.20 एम3 x 0.80

= 17.76 एम3

कुल . 133.26एम3

ट्रांजिट पासों का विवरण:-

क्र०सं०	ट्रांजिट पास की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1	ट्रांजिट पास नहीं है	मात्र रसीद है बिना जी.एस.टिन की -- (गायत्री स्टोन फ्रेशर, मैरथा, रूपबांस, भरतपुर)	-	45.18 .

यह बिना जी०एस०टिन की गायत्री स्टोन फ्रेशर, मैरथा, रूपबांस, भरतपुर की रसीद है। ई-ट्रांजिट पास संलग्न नहीं है।

अतः बिना ट्रांजिट पास के इस मात्रा पर रायल्टी की धनराशि ₹0 87.952 (133.26 एम3 x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

8--रामघाट रोड से मन्दिर होते हुए तालसपुर की ओर इण्टरलाकिंग का कार्य:-

1. प्राक्कलन धनराशि - ₹0 14,62,190.00
2. टेण्डर की धनराशि - ₹0 14,61,898.00
3. फर्म/ठेकेदार का नाम - मै० बालाजी एन्टरप्राइजेज
4. कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
5. कार्य समाप्ति तिथि - 28.10.2018
6. नाम अवर अभियन्ता - श्री जगदीश सिंह

कार्य में प्रयुक्त उप खनिज की मात्रा -

1. जीएसबी - 111.86 एम3
 2. पीसीसी - 16.20 एम3 x 0.80
= 12.96 एम3
- योग - 124.82एम3

ट्रांजिट पासों का विवरण:-

क्र०सं०	ट्रांजिट पास की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	0277233	अलीगढ़	46.10	07.08.2018
2.	जेडएल1ए 1002000886	विभु स्टोन कशिंग कम्पनी, हामिदपुर, अलीगढ़	37.70	30.09.2018
3.	जेडएल11002000870	विभु स्टोन कशिंग कम्पनी, हामिदपुर, अलीगढ़	36.83	30.09.2018

ट्रांजिट पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. इनकी वैधता जिला खनन अधिकारी से सत्यापित नहीं है।
2. पहले पास की तिथि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व की है।
3. शेष दो पर स्टाकिस्ट का पता है परन्तु स्टाकिस्ट से प्रपत्र-सी नहीं लिया गया है।
4. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन सीमा (15 एम एम) का अतिक्रमण किया गया है।
5. क्रमांक 2 व 3 के पासों में दर्शित मात्रा 74.53 एम टी अर्थात् 43.82 एम3 है परन्तु कार्य में प्रयुक्त उप खनिज 124.82 एम3 है। शेष के परिवहन की स्थिति अज्ञात है।

इस प्रकार परिवहन पासों की वैधता की पुष्टि न की जा सकी। अतः इस मात्रा पर काटी जाने वाली रायल्टी की धनराशि ₹0 82,381 (124.82 33 x दर 110 x 6) को कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

9- बैजना भवानीपुर रोड से नगला धीमर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य बिजौली:-

1. प्राक्कलन धनराशि - ₹0 21,83,648.00
2. टेण्डर की धनराशि - ₹0 21,83,430.00
3. फर्म/ठेकेदार का नाम - मै० जितेन्द्र पाल सिंह चौहान

4. कार्य प्रारम्भ तिथि - 16.08.2018
5. कार्य समाप्ति तिथि - 30.10.2018
6. नाम अवर अभियन्ता - श्री बलराम सिंह

कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा -

1. जीएसबी - 146.66 एम3
2. स्टोन एग्रीगेट्स - 76.19 एम3
3. पीसीसी(1:2:4) - 20.05 एम3 x 0.80
= 16.04 एम3
- योग - 238.89 एम3

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र०सं०	पास की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (डज् में)	दिनांक
1.	जी०सी० 1001854500	जितेन्द्रपाल सिंह, अलीगढ़	37.50	16.09.2018
2.	ईआईयूसी॥१०१०५९४१५१	थान सिंह बिल्डर्स, अलीगढ़	51.12	26.09.2018
3.	बीएच० 1002173304	जितेन्द्रपाल सिंह, अलीगढ़	43.96	15.10.2018
4.	जेएक्सकेआईआई 1002064959	कैश, अलीगढ़	42.90	06.10.2018
5.	जेएक्सकेआई 10021780986	कैश, अलीगढ़	47.00	15.10.2018

परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ पाई गई :-

1. तीन पासों में स्टाकिस्ट का नाम या कैश, अलीगढ़ लिखा गया है। स्टाकिस्ट से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया है।
2. किसी भी परिवहन पास की वैधता को जिला खनन अधिकारी से सत्यापित नहीं कराया गया है।
3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 मीट्रिक टन) का अतिक्रमण किया गया है।
4. पाँचों परिवहन पासों में उपखनिजों की कुल मात्रा 222.48 मीट्रिक टन अर्थात् 130.82 एम3 है जबकि कुल प्रयुक्त उप खनिज 238.89 एम3 है। शेष उप खनिज का परिवहन अज्ञात रहा।

उपरोक्त आपत्तियों के कारण परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः इस मात्रा पर रायल्टी की धनराशि रु 1,57,667 (23.89 x दर 110 x 6) की कटौती कर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 10

बम्बे के पुल से गणेशपुर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (चण्डौस):-

1. प्राक्कलन धनराशि - रु० 49,41,082.73
2. टेण्डर की धनराशि - रु० 49,33,671.11
3. फर्म/ठेकेदार का नाम - बालाजी इण्टरप्राइजेज
4. कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
5. कार्य समाप्ति तिथि - 23.11.2018
6. नाम अवर अभियन्ता - श्री अरूण कुमार शर्मा

कार्य में प्रयुक्त उप खनिज की मात्रा -

1.	जीएसबी	.	309.96 एम3
2.	जी 3	.	173.99 एम3
3.	पीसीसी (1;2;4)	.	47.57 एम3 ग 0.80
		=	38.06 एम3
योग		.	522.01 एम3

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र0सं0	पासों की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	जेडएलआईए 1002002243	विभु स्टोन क्रशिंग कम्पनी, हामिदपुर	37.14	30.09.2018
2.	आईएचएनपी1001920263 मै0	बालाजी एण्टरप्राइजेज, अलीगढ़	47.50	22.09.2018
3.	आईएचएनपी1001928737 मै0	बालाजी एण्टरप्राइजेज, अलीगढ़	48.27	23.09.2018
4.	जेकेकेआई 1002178631	कैश, अलीगढ़	44.68	16.10.2018

परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं :-

1. क्रमांक 1 व 4 के पास किसी स्टाकिस्ट के हैं। इनमें प्रपत्र-सी प्राप्त कर संलग्न नहीं किया गया है।
2. किसी भी पास की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 डब्) का अतिक्रमण किया गया है।
4. सभी पासों के उपखनिज की मात्रा 177.59 एम टी अर्थात् 104.42 एम3 है शेष मात्रा कहाँ से मंगाई गई है अज्ञात रहा।

अतः इन सभी आपत्तियों को देखते हुए यह परिवहन अवैध है। अतः इस पर रायल्टी की धनराशि रु 3,44,527 (522.01 एम3 X दर 110 X 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 11-छर्चा नगला बादशाह रोड से वृद्ध आश्रम की ओर इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (गंगौरी):-

1. प्राक्कलन धनराशि - रु0 13,94,928.00
2. टेण्डर की धनराशि - रु0 13,92,138.00
3. फर्म/ठेकेदार का नाम - श्री सन्तोष कुमार, ठेकेदार, कासगंज
4. कार्य प्रारम्भ तिथि - 16.08.2018
5. कार्य समाप्ति तिथि - 15.11.2018
6. नाम अवर अभियन्ता - श्री विजय यादव

कार्य में प्रयुक्त उप खनिज की मात्रा -

1.	जीएसबी	.	86.80 एम3
2.	अग्रीगेट	.	28.12 एम3
3.	पी/एल (1;2;4)	.	13.35 एम3 x 0.80
		=	10.68 एम3
योग		.	125.60 एम3

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र0सं0	पासों की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा(एम टी में)	दिनांक
1.	एटीक्यूबी 1002166461	सन्तोष कुमार, ठेकेदार, कासगंज	39.00	14.10.2018

2. एटीक्यूबी 1002139953 सन्तोष कुमार, ठेकेदार, कासगंज 41.00 12.10.2018

परिवहन पासों की आपत्तियाँ:-

1. परिवहन पासों की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
2. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 एम टी) का अधिक्रमण किया गया है।
3. परिवहन पासों की कुल मात्रा 80 एम टी अर्थात् 47.04 एम³ है शेष स्टोन गिट कहाँ से मंगाया गया है उसका कोई परिवहन पास संलग्न नहीं है।

अतः इन सभी आपत्तियों को देखते हुए यह परिवहन वैध नहीं है। अतः इस पर रायल्टी (खनिज मूल्य सहित) की धनराशि रु 82,896 (125.60 एम³ x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। नियमानुसार परिपालन अपेक्षित है।

इस कार्य में श्री सन्तोष कुमार, ठेकेदार, कासगंज का बोली प्रस्तुत करने की पुष्टि पत्रावली में संलग्न नहीं है। साथ ही इनका बिड खुलने से पहले का शपथ-पत्र भी पूरा रिक्त है। इस पर दिनांक भी नहीं है मात्र हस्ताक्षर हैं। इसको स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 12--रामनगर से नगला जैत सम्पर्क मार्ग तक अवशेष इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य:-

1. प्राक्कलन धनराशि - रु0 25,29,467.75
2. टेण्डर की धनराशि - रु0 25,29,215.00
3. फर्म/ठेकेदार का नाम - बालाजी एण्टरप्राइजेज
4. कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
5. कार्य समाप्ति तिथि - 22.01.2019
6. नाम अवर अभियन्ता - श्री अरूण कुमार शर्मा

कार्य में प्रयुक्त उप खनिज की मात्रा -

1. जीएसबी . 156.97 एम³
 2. जी 3 . 85.05 एम³
 3. पी/एल (1;2;4) . 25.05 एम³ x 0.80
= 20.04 एम³
- योग - 262.06 एम³

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र०सं०	पासों की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	आईएनएचपी 1002773714	बालाजी एण्टरप्राइजेज, अलीगढ़	55.20	10.12.2018

परिवहन पासों की आपत्तियाँ:-

1. परिवहन पासों की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
2. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 एम टी) का अधिक्रमण किया गया है।
3. उपरोक्त पास में उप खनिज की मात्रा 55.20 एम टी अर्थात् 32.46 एम³ ही है जबकि कार्य में प्रयुक्त कुल उप खनिज 262.06 एम³ है। शेष उप खनिज के परिवहन का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है।

इस प्रकार स्टोन गिट के परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः इस पर रायल्टी (खनिज मूल्य सहित) की धनराशि रु 1,72,960 (262.06 एम³ x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 13 नगला कोठी (रायपुर खास) की ओर से सड़क तक इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (बिजौली):-

1. प्राक्कलन धनराशि - रु0 17,22,489.00
2. टेण्डर की धनराशि - रु0 17,22,144.00
3. फर्म/ठेकेदार का नाम - आर्या एसोसिएट
4. कार्य प्रारम्भ तिथि - 16.08.2018

5. कार्य समाप्ति तिथि - -
6. अन्तिम कार्य दर्ज करने की तिथि (एम टी में) - 10.09.2018
- कार्य में प्रयुक्त उप खनिज का विवरण - वैरिएशन चार्ट संलग्न नहीं किया गया।

एमबी से -

1.	जीएसबी	.	91.10 एम3
2.	पी/एल (1;2;4)	.	22.40 एम3 x 0.80
		=	17.95 एम3
योग		.	109.05 एम3

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र०सं०	पासों की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	पीएमक्यूबी 1001868083	-	61.39	17.09.2018
2.	ईआईयूसी 1010371011	सलीम टेडिंग, अलीगढ़	39.84	16.09.2018

दोनों परिवहन पास कार्य की अन्तिम माप (जो एम टी में दर्ज है) दिनांक 10.09.2018 के बाद की तिथियों के हैं। अतः अप्रासंगिक एवं औचित्यहीन है। स्पष्ट है कि इस स्टोन ग्राट का प्रयोग इस कार्य में हुआ ही नहीं है। इस प्रकार इस उपखनिज के किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह परिवहन अवैध प्रतीत होता है।

अतः इस पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी की धनराशि ₹ 71,973 (109.05 एम3 ग / 110 x 6) काटकर इसे कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया है। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 14--गोण्डा खैर रोड से साईं फिश सीड मील तक (दरबेर गोण्डा में) इण्टरलॉकिंग कार्य:-

1-	प्राक्कलन धनराशि	-	₹ 4.48 लाख
2-	टेण्डर की धनराशि	-	₹ 4.47 लाख
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	श्री राजकुमार शर्मा
4-	कार्य प्रारम्भ तिथि	-	-
5-	कार्यदिश	-	16.08.2018
6-	कार्य समाप्ति तिथि	-	11.12.2018
7-	नाम अवर अभियन्ता	-	श्री जगदीश सिंह

इसकी प्राक्कलन धनराशि पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) हुई है। दिनांक 24.08.2021 में पुनरीक्षित का प्रार्थना पत्र अवर अभियन्ता ने दिया है। यह तिथि कार्य समाप्त होने के बहुत बाद की है। इस कार्य पर व्यय ₹ 5.935 लाख हुआ है अर्थात् 32.47 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है। इसका भुगतान ₹ 6,02,202 किया गया है। 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन के लिए कार्य के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत कराया जाना था, जो नहीं कराया गया है। अतः उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय दो के नियम 15 के अनुसार यह कार्य अनियमित है।

कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा -

1.	जीएसबी	-	48.61 एम3
2.	पीसीसी (:2:4)	-	2.86 एम3 x 0.80
		=	2.29 एम3
योग		-	50.90 एम3

दिनांक 02.09.2018 में विवेक कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, अलीगढ़ से 40मिमी रोड़ी (50.8 .3) खरीदी गई है। परन्तु स्टैकिंग से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया है और न ही कोई ट्रॉजिट पास संलग्न है। अतः प्रपत्र-सी के अभाव में रायल्टी भुगतान के परिवहन की पुष्टि न हो सकी।

इस परिस्थिति में इस मात्रा पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी धनराशि ₹ 33,594 (50.90 एम3x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 15--श्री लक्ष्मीराज इण्टर कालेज गभाना परिसर में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य:-

1-	प्राक्कलन धनराशि	-	₹ 15,95,120.84
2-	टेण्डर की धनराशि	-	₹ 15,94,929.42

3- फर्म/ठेकेदार का नाम - मै0 बालाजी एण्टरप्राइजेज

4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018

5- कार्य समाप्ति तिथि - 10.01.2019

6- नाम अवर अभियन्ता - श्री बलराम सिंह

कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा -

1. जीएसबी . 83.56 एम3
2. पीसीसी(1:2:4) . 20.88 एम3 x 0.80
= 16.70 एम3

योग . 100.26 एम3

उप खनिजों के परिवहन का विवरण:-

क्र०सं०	पासों की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	0781003 (इ-टांजिट पास नहीं)	-	29.10	23.08.2018
2.	आरएसएमके 1002136094	अलीगढ़ (उ०प्र०)	46.04	12.10.2018
3.	आरएसएमके 1002140996	अलीगढ़ (उ०प्र०)	47.58	12.10.2018

परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. परिवहन पासों की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
2. स्टोन ग्रेट को स्टॉकिस्ट से खरीदा गया प्रतीत होता है। परन्तु स्टॉकिस्ट से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया है।
3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15एम टी) का अधिक्रमण किया गया है।
4. पासों में दर्शित कुल मात्रा 122.72 एम टी अर्थात् 72.16 एम3 दर्शित है जबकि कार्य में प्रयुक्त कुल उप खनिज 100.26 एम3 है। शेष ग्रेट कहाँ से खरीदा गया? अज्ञात रहा।

उपरोक्त आपत्तियों के कारण उपखनिजों के परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः कुल मात्रा 100.26 एम3 पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी धनराशि रू० 66,172 (100.26 एम3 x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 16 अतरौली-आलमपुर रोड से छापरे नगला सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य (बिजौली):-

1- प्राक्कलन धनराशि - रू० 22,02,161.84

2- टेण्डर की धनराशि - रू० 22,01,831.52

3- फर्म/ठेकेदार का नाम - मै० रवीन्द्र सिंह, ठेकेदार

4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018

5- कार्य समाप्ति तिथि - 01.05.2019

6- नाम अवर अभियन्ता - श्री विजय यादव

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1. जी एस् बी . 77.28 एम3
2. जी 2 . 46.35 एम3
3. पीसीसी(1:2:4) . 21.60 एम3 x 0.80 = 17.28 एम3
4. कान्क्रीट 40मिमी (1:6:12) . 31.10 एम3 x 0.80 = 24.88 एम3
योग . 165.79 एम3

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र०सं०	पासों की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	ओईडीएन 1002524328	श्रीपाल सिंह ठेकेदार, अलीगढ़	44.85	18.11.2018
2.	ओईडीएन 1002698951	रवेन्द्र सिंह ठेकेदार, अलीगढ़	43.79	03.12.2018

पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. पहले पास में स्टॉकिस्ट से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया है।
2. दोनों पासों की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।

3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 टीएम) का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।
4. दोनों पासों में उपखनिजों की कुल मात्रा 88.64 एम टी अर्थात् 52.12 * 3 दर्शित है जो कि कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों से कम है। शेष मात्रा का परिवहन कहाँ से किया गया, ज्ञात न हो सका।

इन आपत्तियों के कारण उपखनिजों के परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः इस कुल मात्रा पर रायल्टी धनराशि (खनिज मूल्य सहित) ₹ 1,09,421 (165.79 उ3 ग / 110 X 6) काटकर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो जमा नहीं किया गया। इसका परिपालन/स्थिति को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 17--जी0जी0 रोड (एन.एच.-91) से सराय हरनारायण नगला बरी की तरफ इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य (लोधा):-

- 1- प्राक्कलन धनराशि - ₹ 29,61,688.67
- 2- टेण्डर की धनराशि - ₹ 29,61,007.48
- 3- फर्म/ठेकेदार का नाम - मै0 बालाजी एण्टरप्राइजेज
- 4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
- 5- कार्य समाप्ति तिथि - 21.01.2019
- 6- नाम अवर अभियन्ता - श्री अरूण शर्मा

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1. जी 1 - 194.01 एम3
2. जी 3 - 104.10 एम3
3. पीसीसी(1:2:4) 20 मिमी . - 28.69 एम3 x 0.80
= 22.95 एम3

योग . 321.06 उ3

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र0सं0	पासों की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	जेएक्सकेआई 1002390617	कैश अलीगढ़	45.8	14.11.2018
2.	जेएक्सकेआई 1002390617	(वाहन अलग है) कैश अलीगढ़	47.6	14.11.2018
3.	डब्ल्यू एल एन पी 1002607855	नन्द बाबा टेडिंग कंपनी, अलीगढ़	47.19	25.11.2018
4.	आईएचएनपी1002626883	मै0 बालाजी एण्टरप्राइजेज, अलीगढ़	46.52	27.11.2018
5.	आईएचएनपी1002787598	मै0 बालाजी एण्टरप्राइजेज, अलीगढ़	54.36	12.12.2018

इन पासों में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं-

1. परिवहन पासों की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
2. मात्र दो पास फर्म के नाम से हैं, तीन स्टाकिस्ट के हैं। परन्तु स्टाकिस्ट से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किये गये हैं।
3. पास क्रमांक 1 व 2 की संख्या समान है परन्तु वाहन अलग-अलग प्रयुक्त किये गये हैं। प्रत्येक वाहन का ई-टांजिट पास अलग-अलग होना चाहिए। स्थिति संदिग्ध है।
4. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 एम टी) का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।
5. सभी पासों में कुल मात्रा 241.47 एम टी अर्थात् 141.98 एम3 ही है जबकि कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों की कुल मात्रा 321.06 एम3 है। शेष उपखनिजों का परिवहन कहाँ से किया गया है अज्ञात रहा।

अतः इन आपत्तियों को देखते हुए उपखनिजों के परिवहन की वैधता की पुष्टि न की जा सकी।

इस परिस्थिति में सम्पूर्ण मात्रा पर रायल्टी धनराशि (खनिज मूल्य सहित) ₹ 2,11,900 (321.06 एम3 x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो जमा नहीं किया गया। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 18

दवथला से नहर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य (जवाँ):-

- 1- प्राक्कलन धनराशि - ₹ 7,24,845.05
- 2- टेण्डर की धनराशि - ₹ 7,24,120.20
- 3- फर्म/ठेकेदार का नाम - मै0 उमाशंकर शर्मा

- 4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 16.08.2018
 5- कार्य समाप्ति तिथि - 08.09.2018
 6- नाम अवर अभियन्ता - श्री बलराम सिंह

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1. जी3 - 11.08 एम3
 2. पीसीसी (1:2:4) 20 मिमी - 7.20 एम3 x 0.80
 - 5.76 एम3
 योग = 16.84 एम3

प्रयुक्त परिवहन पास का विवरण:-

क्र०सं० पास की संख्या माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता मात्रा (एम टी में) दिनांक

1. आईएचएनपी1000771962 मुकेश शर्मा, अल 43.5 29.05.2018

पास किसी स्टॉकिस्ट के नाम से हैं, जहाँ उपखनिज आया है। साथ ही पास कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति से बहुत पूर्व की तिथि का है एवं इसकी वैधता का सत्यापन भी जिला खनन अधिकारी द्वारा नहीं कराया गया है। अतः यह पास इस कार्य के लिए औचित्यहीन/अप्रासंगिक है।

अतः बिना वैध ई-ट्रांजिट के परिवहन की स्थिति में इस उपखनिज की कुल मात्रा 16.84 एम3 पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी काटकर रू० 11,114 (16.84 एम3 x दर 110 x 6) को कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं की गई। इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना/परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 19-इगलास गोण्डा रोड पर हरि सिंह कालेज से राम नगरियां, इण्टरलाकिंग कार्य (गोण्डा):-

- 1- प्राक्कलन धनराशि - रू० 9,97,175.37
 2- टेण्डर की धनराशि - रू० 9,97,075.65
 3- फर्म/ठेकेदार का नाम - दीप कन्स्ट्रक्शन
 4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
 5- कार्य समाप्ति तिथि - 20.10.2018
 6- नाम अवर अभियन्ता - श्री बलराम सिंह

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1. जीएसबी . 71.47 एम3
 2. पीसीसी (1:2:4) 20 मिमी . 12.17 एम3 x 0.80
 = 9.74 एम3

योग .81.21 एम3

प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र०सं० पासों की संख्या माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता मात्रा (एम टी में) दिनांक

1. जे एफ वाई एल1000805498 कैश अलीगढ़ 30.00 01.06.2018
 2. सी पी एन आई1000804462 - --- 31.01 01.06.2018

पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. माल प्राप्तकर्ता का नाम, पता नहीं है। स्टॉकिस्ट के यहाँ से सामग्री खरीद प्रतीत होती है परन्तु स्टॉकिस्ट से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया है।
 2. परिवहन पासों की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
 3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 एम टी) का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।
 4. पासों में कुल उपखनिज मात्रा 61.01 एम टी अर्थात् 35.87 एम3 ही है परन्तु कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा 81.21 एम3 है। शेष मात्रा का परिवहन कहाँ से किया गया? अज्ञात रहा।

अतः इन आपत्तियों को देखते हुए परिवहन पासों की वैधता की पुष्टि न हो सकी। इस परिस्थिति में इस मात्रा पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी की धनराशि रू० 53,599 (81.21एम3 x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो जमा नहीं किया गया। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 20-मेहगौरा रोड से देवहरा आश्रम की ओर इण्टरलॉकिंग कार्य (चण्डौस):-

1-	प्राक्कलन की धनराशि	-	रू0 9,99,488.00
2-	टेण्डर की धनराशि	-	रू0 9,98,488.00
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	श्री राजकुमार शर्मा
4-	कार्य प्रारम्भ तिथि	-	16.08.2018
5-	कार्य समाप्ति तिथि	-	02.10.2018
6-	नाम अवर अभियन्ता	-	श्री बलराम सिंह

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1.	जीएसबी	.	51.03 एम3
2.	पीसीसी (1:2:4) 20 मिमी	.	12.33एम3 X 0.80
		=	9.86 एम3

योग . 60.89 एम3

प्रयुक्त परिवहन पास का विवरण:-

क्र०सं०	पास की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	यू एक्स सी डी1002022269	श्री राजकुमार शर्मा, अलीगढ़	47.57	02.10.2018

परिवहन पास में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. पास में दिनांक 02.10.2018 है जबकि इसी तिथि में कार्य समाप्त हो चुका है। अतः कार्य समाप्त होने के कारण कार्य में प्रयुक्त हुआ उपखनिज कहाँ से मँगाया गया, अज्ञात रहा। अतः कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के परिवहन का कोई लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस स्थिति में इस पूरी मात्रा 60.89 एम3 पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी की धनराशि रू0 40,187 (60.89 एम3x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी थी, जो नहीं की गई। इस प्रति परिपालन अपेक्षित है।

कार्य संख्या 21

तालिबनगर नाले पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण (जवाँ) :-

1-	प्राक्कलन धनराशि	-	रू0 9,98,000.00
2-	टेण्डर की धनराशि	-	रू0 9,95,505.00
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	मै० उमाशंकर शर्मा
4-	कार्य प्रारम्भ तिथि	-	25.08.2018
5-	कार्य समाप्ति तिथि	-	20.01.2019
6-	नाम अवर अभियन्ता	-	श्री बलराम सिंह

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1.	सीमेन्ट कंक्रीट (1:3:6)	.	25.26 एम3
2.	आरसीसी वर्क (1:2:4)	.	13.38 एम3 x 0.80
3.	पीसीसी (1:2:4)	.	4.69 एम3
4.	जीएसबी	.	7.94 एम3
योग		.	42.60 एम3

कार्य में प्रयुक्त परिवहन पास का विवरण:-

क्र०सं०	पास की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा (एम टी में)	दिनांक
1.	ईआईयूसी 1012751782	शौकीन टेडिंग कम्पनी, सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर	58.01	22.12.2018

इस पास में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. यह माल फर्म के नाम/पते पर नहीं आया है बल्कि किसी स्टॉकिस्ट के नाम पर आया है। परन्तु स्टॉकिस्ट से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया है।
2. परिवहन पास की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15एम टी) का अधिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।

अतः इन आपत्तियों को देखते हुए इस उपखनिज परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। इस परिस्थिति में इस मात्रा पर खनिज मूल्य सहित रॉयल्टी की धनराशि ₹ 28,116 (42.60 एम3 X दर 110 X 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना/परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12-वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित लाइसेन्स रजिस्ट्रारों की जाच में पाया गया कि 12 विकास खण्डों के 12 अलग-अलग रजिस्टर रखे गये हैं। प्रत्येक रजिस्टर में तहबाजारी से लेकर विभिन्न प्रकार की अलग-अलग प्रकार की फर्मों व संस्थाओं को मद के रूप में दर्ज कर उनके सम्मुख पार्टी वाइज नाम दर्शाये गये हैं। दर्शित फर्मों व संस्थाओं के मिलान व जांच हेतु लाइसेन्स अनुभाग के किसी कर्मचारी व अधिकारी के पास प्रमाणित सूची, रजिस्टर व बुकलेट उपलब्ध नहीं है। रजिस्टर में जो भी फर्म व संस्थाएं दर्शित हैं, उनकी संख्या की सत्यता की पुष्टि किसी भी प्रकार से नहीं होती है। रजिस्टर में विभिन्न मदों में जो फर्म दर्शित हैं उनकी संख्या वास्तविकता से बहुत कम है। रजिस्टर की जाच से ऐसा प्रतीत हुआ कि सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक द्वारा जिन फर्मों की लाइसेन्स शुल्क वसूली से सम्बन्धित रसीदें निर्गत की हैं उनको ही रजिस्टर में दर्ज करा दिया गया है तथा जिन फर्मों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली नहीं की गयी है अथवा वसूली नहीं होती है उनका जिक्र रजिस्टर में किया ही नहीं गया है। ऐसा इस लिए किया जा रहा है क्योंकि फर्मों के मिलान के लिए कोई अभिलेख, प्रपत्र व बुकलेट जिला पंचायत पर उपलब्ध ही नहीं है। जबकि राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत को लाइसेन्स शुल्क वसूलने के लिए विधिवत व्यवस्था के तहत अधिकार प्रदान किया है। सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल सन् 2012 में आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ द्वारा जनपद अलीगढ़ की सभी प्रकार की फर्मों व व्यवसायों से लाइसेन्स शुल्क वसूलने के लिए उपविधि प्रकाशित की गयी है। जिसमें विभिन्न प्रकार की फर्मों से लाइसेन्स शुल्क वसूलने की अवधि एवं धनराशि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लेकिन उक्त उपविधि में दिये गये अधिकारों को लागू कराने में भी जिला पंचायत के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली गयी और स्थिति लगातार बदतर होती चली गयी।

प्रत्येक विकास खण्ड के एक ही रजिस्टर में वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-20 तक का दर्शाया गया है। किस वित्तीय वर्ष में कितनी फर्में नई बनी या चालू हुईं, से सम्बन्धित कोई उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। नियमानुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक को बन्द व चालू होने वाली फर्मों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए था। किसी भी रजिस्टर में कर निरीक्षक, कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। वर्ष 2018-19 के अन्त में क्रमांक संख्या 164 के बाद अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर पाये गये हैं लेकिन उनके

द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गयी है जो कि गम्भीर रूप से आपत्ति जनक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रजिस्टर में जो फर्म दर्शित हैं उनके सम्मुख भी प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स शुल्क की वसूली नहीं दर्शित है। अर्थात् लाइसेन्स शुल्क की नियमित वसूली नहीं की गयी है। सम्बन्धित क्षेत्र के कर-निरीक्षक की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर है कि वह किससे लाइसेन्स वसूल करे या किससे न वसूल करे। या फिर यह कहा जा सकता है कि फर्म की मर्जी है कि वह किस वित्तीय वर्ष का लाइसेन्स ले या फिर ना ले। यह दोनों ही स्थितियाँ जिला पंचायत के लिए आर्थिक क्षति का मुख्य कारण बनी हैं। किसी भी कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संस्था की क्षति को गम्भीरता से नहीं लिया गया है केवल अपना कार्य-काल पूरा किया गया है। सरकारों से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भरता बढ़ायी गयी है। संस्था अपने अधिकतम व्ययों को सरकारों से प्राप्त अनुदानों से पूरा कर रही है। संस्था अपनी मूल आय में लगातार गिरावट ला रही हैं। सारांश यह है कि संस्था के उत्तरदायी अधिकारी, संस्था की मूल आय की वसूली में बढ़ि के प्रति रुचि नहीं ले रहे अथवा उदासीन हैं। तथा इस प्रति संस्था में नियुक्त संचालक मंडल द्वारा भी कोई कार्यवाही व नीति निर्धारण नहीं किया गया है। स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है।

लाइसेन्स रजिस्ट्रारों की जांच से स्पष्ट है कि रजिस्टर में जो फर्म दर्शायी गयीं हैं उनकी संख्या वास्तविकता से बहुत कम हैं। फर्मों के नाम व उनकी संख्या छिपाकर लगातार संस्था को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाई जा रही है और इस कृत में संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों की सहभागिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-विकास खण्ड- लोधा

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रतिवर्ष	30	30000.00	12000.00	18000.00
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	11	16500	6000	10500
3	पशु पैठ 15000 ,,	0	0	0	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	02	6500.00	0.00	6500.00
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	13	130000	110000	20000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	07	175000	50000	125000
8	ईट भट्टा 10000 ,,	25	250000	100000	150000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	30	आंकडे अस्पष्ट	22 की वसूली हुई है	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	134	आंकडे अस्पष्ट	73 फर्मों से वसू	अस्पष्ट

				ली नहीं हो सकी।	
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हें रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			348000.00

विकास खण्ड- खैर--

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	43	43000	18000	25000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	05	7500	6000	1500
3	पशु पैठ 15000 ,,	03	45000	30000	15000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	03	4500.00	1500.00	3000.00
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	07	70000	70000	0
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	09	225000	150000	75000
8	ईट भट्टा 10000 ,,	24	240000	90000	150000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	03	आंकडे अस्पष्ट	एक का भी जमा नहीं है।	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	134	आंकडे अस्पष्ट	---	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हें रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			251500.00

विकास खण्ड-इगलास

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	06	6000	1000	5000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	90	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	01	15000	15000	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	01	1500	1500	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	01	10000	10000	0
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	19	475000	375000	100000
8	ईट भट्टा 10000 ,,	30	337000	160000	210000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	01	15000	0	15000
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	23	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 10 फर्मों से हुई है।	13 फर्मों अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।

12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हें रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			330000

विकास खण्ड-अतरौली

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	16	16000	9000	7000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	08	12000	1500	8500
3	पशु पैठ 15000 ,,	12	180000	120000	60000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	03	30000	10000	20000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	0	0	0	0
8	ईट भट्टा 10000 ,,	38	380000	200000	180000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	03	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	132	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 69 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हें रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			277500

विकास खण्ड-धनीपुर

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	16	16000	8000	8000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	03	4500	3000	1500
3	पशु पैठ 15000 ,,	04	6000	60000	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	11	110000	60000	50000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	07	175000	60000	50000
8	ईट भट्टा 10000 ,,	45	450000	190000	260000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	01	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	113	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 15 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।

15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			419500

विकास खण्ड-गंगीरी

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	18	18000	15000	3000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	03	4500	3000	1500
3	पशु पैठ 15000 ,,	03	45000	45000	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	03	4500	4500	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	03	30000	30000	0
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	02	50000	50000	0
8	ईट भट्टा 10000 ,,	62	620000	330000	290000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	30	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	115	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 73 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			294500.00

विकास खण्ड-चन्डौस

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	27	27000	4000	23000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	10	15000	4500	10500
3	पशु पैठ 15000 ,,	02	15000	15000	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	02	2000	2000	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	04	10000	0	10000
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	07	70000	40000	30000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	0	0	0	0
8	ईट भट्टा 10000 ,,	34	340000	100000	240000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	0	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	176	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 62 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
12	आरा मशीन 6000	05	30000	12000	18000
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नहीं गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।

		योग-			298000.00

विकास खण्ड-जवा

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	20	20000	12000	8000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	05	7500	1500	6000
3	पशु पैठ 15000 ,,	13	आंकडे अस्पष्ट	--	60000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	13	आंकडे अस्पष्ट	--	6000
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	06	60000	40000	20000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	0	0	0	0
8	ईट भट्टा 10000 ,,	29	290000	90000	200000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	17 दर्शित हैं।	आंकडे अस्पष्ट	मात्र 5 से वसूली हुई है।	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	73	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 19 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			300000.00

विकास खण्ड-गोण्डा

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	23	23000	13000	10000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	03	4500	3000	1500
3	पशु पैठ 15000 ,,	02	15000	15000	0
4	मुशी पैठ 1500 ,,	01	1000	1000	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	03	30000	30000	0
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	07	175000	100000	75000
8	ईट भट्टा 10000 ,,	29	290000	90000	200000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	30	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	134	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,	&&	जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			236500.00

विकास खण्ड-बिजौली

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	15	15000	8000	7000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	0	0	0	0
3	पशु पैठ 15000 ,,	02	15000	15000	00
4	मुशी पैठ 1500 ,,	02	2000	2000	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	05	50000	40000	10000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	0	0	0	0
8	ईट भट्टा 10000 ,,	24	240000	60000	180000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	30	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	154	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 112 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			197000.00

विकास खण्ड-टप्पल

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	60	60000	16000	44000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	02	3000	1500	1500
3	पशु पैठ 15000 ,,	01	15000	--	15000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	0	0	0	0
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	06	60000	30000	30000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	02	50000	25000	25000
8	ईट भट्टा 10000 ,,	64	640000	190000	450000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	17 दर्शित हैं।	आंकडे अस्पष्ट	मात्र 5 से वसूली हुई है।	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	203	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 45 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शायी ही	नही गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्म जिन्हे रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			565500.00

विकास खण्ड-अकराबाद

क्र० सं०	फर्म का प्रकार एवं लाइसेन्स शुल्क की दर	रजि० में दर्ज सं०	अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क	लाइसेन्स शुल्क वसूली	अन्तर

सं०			शुल्क	शुल्क वसूली	
01	आटा चक्की- 1000/1500 प्रति वर्ष	11	11000	2000	9000
2	स्पेलर 1500/2000 ,,	03	4500	3000	1500
3	पशु पैठ 15000 ,,	04	60000	30000	30000
4	मुशी पैठ 1500 ,,	06	6000	3000	3000
5	हाट बाजार/पैठ 2500 व 4000 ,,	0	0	0	0
6	पेट्रोल पम्प 10000 ,,	06	60000	50000	10000
7	कोल्ड स्टोरेज 25000 ,,	01	25000	25000	0
8	ईट भट्टा 10000 ,,	99	990000	530000	460000
9	फैक्टरीज 5000 से लेकर 5 लाख तक	0	आंकडे अस्पष्ट	--	अस्पष्ट
10	तहबाजारी 500 से लेकर 10000 तक	65	आंकडे अस्पष्ट	वसूली 33 फर्मों से हुई है।	अस्पष्ट
11	गैस एजेन्सीज 5000 प्रति गोदाम,		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
12	अंग्रेजी शराब की दुकान 5000 प्रति वर्ष		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
13	देशी शराब की दुकान 5000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
14	वीयर की दुकान 3000		जो रजिस्टर में	दर्शाया ही	नहीं गयी हैं।
15	उक्त के अलावा अन्य मदों की फर्मों जिन्हें रजिस्टर	में दर्शाया	ही नहीं गया है	का विवरण	अज्ञात है।
		योग-			513500.00

उक्त विवरण/आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला पंचायत के लाइसेंस रजिस्ट्रारों में जिन फर्मों/संस्थाओं को दर्शाया गया है उनमें से अधिकांशतः की लाइसेंस शुल्क वसूली नहीं की जा सकी है। जिससे संस्था को रु 40,31,500.00 की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक, कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। विवरण तालिका-4 में प्रस्तुत है।

तालिका-7

लाइसेंस रजिस्ट्रारों में दर्शित प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क न वसूलने से हुई क्षति का प्रकरण:--

क्र 0 सं 0	विकास खण्ड	आटा चक्की		स्पेलर		पशु पैठ		मुंशी पैठ		हाट बाजार		पेट्रोल पम्प		कोल्ड स्टोरेज		ईट भट्टा		संस्था को हुई
		दर्ज	वसूली	दर्ज	वसूली	दर्ज	वसूली	दर्ज	वसूली	दर्ज	वसूली	दर्ज	वसूली	दर्ज	वसूली	दर्ज	वसूली	लाइसेंस शुल्क की क्षति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	लोधा	30	12	11	04	03	02	03	01	02	0	13	11	07	02	25	10	3480
2	खैर	43	18	05	04	--	--	--	--	--	--	07	07	09	06	24	09	2515
3	इगलास	06	01	0	0	01	01	01	01	0	0	01	01	19	15	37	16	3300
4	अतरौली	16	09	08	01	12	08	0	0	0	0	03	01	0	0	38	20	2775
5	धनीपुर	16	08	03	02	04	04	0	0	0	0	01	06	07	03	45	19	4195
6	गंगीरी	18	15	03	02	03	03	03	03	0	0	03	03	02	02	62	33	2945
7	चन्डौस	27	04	01	03	02	02	02	02	04	0	07	04	0	0	34	10	2980
8	जवा	20	15	05	01	13	01	13	0	0	0	06	04	0	0	29	09	3000
9	गोण्डा	23	13	03	02	02	02	01	01	0	0	03	03	07	04	24	09	2365
10	बिजौली	15	08	0	0	02	02	02	02	0	0	05	04	--	0	24	06	1970

11	टप्पल	60	16	0	02	0	0	0	0	0	0	0	03	0	01	64	19	5655
12	अकराबा द	11	02	03	02	04	02	04	02	0	0	06	05	01	01	99	53	5135
	योग-	28 5	118	53	23	47	28	29	12	06	0	71	52	54	34	50 5	213	40315 00

प्रस्तर-13-लाइसेन्स रजिस्ट्रों में दर्शित फर्मों की संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम है बहुत सारी फर्मों को रजिस्टर में दर्शाया ही नहीं गया है। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रमुख तरह की फर्मों की वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है।

1-कोल्ड स्टोरेज/शीत ग्रह- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से 04 विकास खण्डों में कोल्ड स्टोरेज की संख्या शून्य दर्शायी गयी है शेष 8 विकास खण्डों में कुल 54 कोल्ड स्टोरेज दर्शाये गये हैं। जिला उद्यान विभाग अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार वर्ष 2017 में नवीनीकृत निजी शीत गृहों की संख्या 95 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 41 शीतगृहों को तों रजिस्टर में दर्शाया ही नहीं गया है। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकड़ों के आधार पर 41 शीतगृहों का लाइसेन्स शुल्क रु 25000.00 प्रति शीतगृह की दर से रु 10,25,000.00 होता है। इसके अलावा उक्त विवरण में दर्शित कुल 53 कोल्ड स्टोरेज में से 39 से ही शुल्क वसूला गया है। इस प्रकार 14 शीतगृहों से शुल्क वसूला नहीं गया है। इस प्रकार केवल कोल्ड स्टोरेज/शीतगृहों को रजिस्टर में दर्ज न कर कुल रु 10,25,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

2-पेट्रोल पम्प- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में कुल 71 पेट्रोल पम्प दर्शाये गये हैं। जिला आपूर्ति विभाग अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल पेट्रोल पम्पों की संख्या 157 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 22 पम्प हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 135 पेट्रोल पम्प थे जबकि उक्त विवरण के अनुसार रजिस्ट्रों में कुल 68 पम्प ही दर्शित हैं। इस तरह स्पष्ट है कि 64 पेट्रोल पम्पों को तों रजिस्टर में दर्शाया ही नहीं गया है। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकड़ों के आधार पर 64 पेट्रोल पम्पों का लाइसेन्स शुल्क रु 10000.00 प्रति पेट्रोल पम्प की दर से रु 6,40,000.00 होता है। इसके अलावा उक्त विवरण में दर्शित कुल 71 पेट्रोल पम्पों में से 51 से ही शुल्क वसूला गया है। इस प्रकार 20 पेट्रोल पम्पों से शुल्क वसूला नहीं गया है। इस प्रकार केवल पेट्रोल पम्पों को रजि0 में न दर्शाकर कुल रु 6,40,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

3-गैस एजेन्सी/गोदाम- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में गैस एजेन्सी/गोदाम के मद का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात गैस गोदाम, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शाये ही नहीं गये हैं। जबकि जिला आपूर्ति विभाग अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल गैस एजेन्सियों/गोदामों की संख्या 42 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 18 गैस एजेन्सी हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 गैस एजेन्सी थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्ट्रों में कोई गैस एजेन्सी दर्शित नहीं हैं। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकड़ों के आधार पर 24 गैस एजेन्सियों का लाइसेन्स शुल्क रु 5000.00 प्रति गैस एजेन्सी की दर से रु 1,20,000.00 होता है। इस प्रकार केवल गैस एजेन्सी/गोदाम के मद में कुल रु 1,20,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

4-देशी शराब की दुकान- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में देशी शराब की दुकान का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात देशी शराब की दुकान, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शाया ही नहीं गया है। कुछ विकास खण्डों में तहबाजारी में एक या दो देशी शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क वसूलना दर्शाया गया है कुल 05 देशी शराब की दुकानों की लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है। जबकि जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल देशी शराब की दुकानों की संख्या 194 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 44 दुकाने हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 150 देशी शराब की दुकानें थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्ट्रों में देशी शराब की दुकानें दर्शित नहीं हैं। और ऐसा विगत वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकड़ों के आधार पर 150-05 देशी शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क रु 5000 प्रति दुकान की दर से रु 7,25,000.00 होता है। इस प्रकार देशी शराब की दुकान के मद में कुल रु 7,25,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

5-अंग्रेजी शराब की दुकान- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में अंग्रेजी शराब की दुकान का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात अंग्रेजी शराब की दुकान, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शाया ही नहीं गया है। कुछ विकास खण्डों में तहबाजारी में एक या दो अंग्रेजी शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क वसूलना दर्शाया गया है कुल 04 अंग्रेजी शराब की दुकानों की लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है। जबकि जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल अंग्रेजी शराब की दुकानों की संख्या 102 हैं जिसमें से शहरी क्षेत्र में 42 दुकाने हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 60 अंग्रेजी शराब की दुकानें थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्ट्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानें दर्शित नहीं हैं। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकड़ों के आधार पर 60-04 अंग्रेजी शराब

की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क रु 5000 प्रति दुकान की दर से रु 2,80,000.00 होता है। इस प्रकार केवल अंग्रेजी शराब की दुकान के मद में कुल रु 2,80,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

6-वियर की दुकान- उक्त विवरण के अनुसार कुल 12 विकास खण्डों में से किसी भी विकास खण्ड में वियर की दुकान का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात् वियर की दुकान, लाइसेन्स रजिस्टर में दर्शायी ही नहीं गयी है। कुछ विकास खण्डों में तहबाजारी में एक या दो वियर की दुकान का लाइसेन्स शुल्क वसूलना दर्शाया गया है कुल 02 वियर की दुकानों की लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है। जबकि जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार कुल वियर की दुकानों की संख्या 105 है जिसमें से शहरी क्षेत्र में 50 दुकानें हैं। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 55 वियर की दुकानें थीं जबकि उक्त विवरण के अनुसार लाइसेन्स रजिस्ट्रों में वियर की दुकानें दर्शित नहीं हैं। और ऐसा विगत कई वर्षों से हो रहा है। केवल एक वर्ष के आंकड़ों के आधार पर 105-50 =55-2 =53 वियर की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क रु 3000 प्रति दुकान की दर से रु 1,59,000.00 होता है। इस प्रकार केवल वियर की दुकान के मद में कुल रु 1,59,000.00 की क्षति एक वर्ष में हुई है।

इस प्रकार उक्त क्रमांक 01 से 06 तक में कुल 29,49,000.00 की क्षति जिला पंचायत को हुई है। जिसके लिए तत्कालीन सम्बन्धित क्षेत्र के कर निरीक्षक, कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। तालिका-5 में विवरण प्रस्तुत है।

तालिका -8 (लाइसेन्स शुल्क के सम्बन्ध में)

लाइसेन्स शुल्क हेतु वास्तविक रूप से कार्यरत प्रतिष्ठानों को लाइसेन्स रजिस्टर में अंकित न कर शुल्क की क्षति का प्रकरण:-

क्र० सं०	प्रतिष्ठान का प्रकार	लाइसेन्स रजिस्टर के अनुसार कुल संख्या	सक्षम प्राधिकारी के अनुसार संख्या	वास्तविक अन्तर	अन्तरके आधार पर आगणित लाइसेन्स शुल्क की कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	कोल्ड स्टोरेज/शीत ग्रह	54	जिला उद्यान विभाग 95	41	1025000	
2	पेट्रोल पम्प	71	जिला आपूर्ति विभाग 135	64	640000	
3	गैस एजेन्सी/गोदाम	शून्य	जिला आपूर्ति विभाग 24	24	120000	
4	देसी शराब की दुकान	दर्शित नहीं, वसूली 05 से की गई।	जिला आबकारी विभाग-150	145	725000	
5	अंग्रेजी शराब की दुकान	दर्शित नहीं, वसूली 04 से की गई।	जिला आबकारी विभाग-60	56	280000	
6	बीयर की दुकान	दर्शित नहीं, वसूली 02 से की गई।	जिला आबकारी विभाग- 55	53	1.59,000	
7	सकल योग-				29,49,000	

प्रस्तर-14- हरदोई रजवाहा से गणेशपुर तालुका की तरफ लेपन कार्य (बिजौली)-

- 1- प्राक्कलन धनराशि - रु0 2585714.23
- 2- टेण्डर धनराशि - रु0 2585197.03
- 3- फर्म/ठेकेदार का नाम - श्री रवेन्द्र सिंह
- 4- कार्य प्रारम्भ तिथि - 16.08.18
- 5- समाप्ति तिथि-बिल में दर्ज (अंतिम), - 19.06.19

कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्राट की मात्रा:-

- 1- जी1 = 61-95 एन 3
- 2- जी2 = 134-67 एन 3
- 3- जी3 = 134-67 एन 3
- 4- प्रीमिक्स कार्पेट == 1875 एन 3 x1-8%=33-75 एम3 कुल योग - 365.04 एन 3

प्रयुक्त स्टोन ग्रीट का परिवहन

क्र० सं०	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	ओईडीएन1002578316	रवेन्द्र सिंह, कान्ट्रेक्टर, अलीगढ़	45-12एम टी	23-11-18
2	ओईडीएन 1002605628	रवेन्द्र सिंह, कान्ट्रेक्टर, अलीगढ़	43-78 एम टी	25-11-18
3	ओईडीएन 1002578629	रवेन्द्र सिंह, कान्ट्रेक्टर, अलीगढ़	45-61एम टी	23-11-18
4	डब्ल्यूवाईएमबी 1000838330	हिदायत रोड लाइन्स कान्ट्रेक्टर, खुर्जा	30-04 एम टी	04-06-18
5	ईआईसीयू1006708235	एम/एस शिवानी बिल्डर्स, गौमत	26-9 एम टी	27-04-18

ट्रांजिट पासों की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

- 1- दो पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के हैं।
- 2- ट्रांजिट पासों की वैधता जिला खनन अधिकारियों से सत्यापित नहीं कराई गई है।
- 3- एक 10 टायर वाले ट्रक में अधिकतम परिवहन सीमा 15 टन का अतिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।
- 4- ट्रांजिट पासों में ग्रीट की मात्रा 134.51 एम टी अर्थात् 134-51X दर 0-588=79-09एन 3थी। परन्तु कार्य में प्रयुक्त कुल मात्रा 365.04 एम3 थी। शेष ग्रीट के परिवहन को कहाँ से किया गया? अज्ञात रहा। उपरोक्त आपत्तियों के कारण इन पासों की वैधता की पुष्टि न हो सकी।

अतः कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रीट की रायल्टी की गणना करने पर 365-04एन 3 x दर 110x.6 = ₹ 240926 आती है। इसे काटकर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया है। इस प्रति स्पष्टीकरण/परिपालन अपेक्षित है। इस कार्य की कुल अन्य आपत्तियाँ निम्न प्रकार से हैं:-

- 1- 425 माइक्रोन की लैब रिपोर्ट में वैल्यू 9-80% है जबकि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 10.15% के मध्य होनी चाहिए।
- 2- चर/विचलन चार्ट में दरें अधिक लगाई गई हैं। जो अनियमित है। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष, इंजीनियर एवं जूनियर इंजीनियर ने अपने हस्ताक्षर किये हैं।
- 3- प्राक्कलन से वास्तविक कार्य में 10.86 प्रतिशत का विचलन है। वास्तविक कार्य 10.86 प्रतिशत कम है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुमोदन के बिना 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन (अधिक या कम) अनियमित है। (उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय दो के नियम 15)।

प्राक्कलन	वास्तविक कार्य
1- मिट्टी कार्य 1590-75 एम3 =	1299-82 एम3
2- जी1 95-25 एम3 =	61-95 एम3
जी2 140-63 एम3 =	134-67 एम3
जी3 _यथा_.	_यथा_
ईट किनारा एम-150	
-0.625 के एम	एम -150- 0.590 के एम
350 मिमी ह्यूम पाइप-15आर एम	-एन0 ह्यूम पाइप

600 मिमीह्यूम पाइप-7-5 आर एम

स्पष्ट है कि मिट्टी कार्य, जी1,जी2, जी3 एवं ब्रिक एजिंग में काफी कमी की गई है तथा सड़क को पानी से बचाने हेतु अनुमान में दर्शित ह्यूम पाइपों के विरुद्ध एक भी ह्यूम पाइप का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः यह कार्य अधोमानक स्तर का प्रतीक होता है। 10 प्रतिशत से अधिक विचलन के कारण अनियमित भी है। अतः इन आपत्तियों का परिपालन/स्पष्टीकरण अपेक्षित है। (व्यय की धनराशि - रू0 2018915)

(सन्दर्भ - आपत्ति संख्या 15 में उल्लिखित सभी शासनादेश)

प्रस्तर -15-- जी0टी0 रोड से सरायबुर्ज की तरफ लेपन सड़क का निर्माण कार्य (लोधा) :-

- 1- प्राक्कलन धनराशि - रू0 43,08,867.25
- 2- फर्म/ठेकेदार का नाम - मै0 बालाजी एण्टरप्राइजेज
- 3- कार्य प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
- 4- कार्य समाप्ति तिथि - 12.11.2020
- 5- नाम अवर अभियन्ता - 1-श्री जगदीश शर्मा

2-श्री अरूण कुमार शर्मा

कार्य में प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा -

1. जीएसबी . 150-70 एम3
2. जी2 .104-09 एम3
3. जी3 .102-56 एम3
4. प्रीमिक्स कार्पेट . 1387-91 एम3 x 1-8%

24-98 एम3

कुल . 382-33 एम3

कार्य में प्रयुक्त परिवहन पासों का विवरण:-

क्र0 सं0	पास की संख्या	माल प्राप्तकर्ता का नाम व पता	मात्रा एम टी	दिनांक
1	आईएचएनपी1002774116	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	48-54	11-11-18
2	आईएचएनपी1002724552	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	50-90	5-12-18
3	आईएचएनपी1002742166	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	48-76	7-12-18
4	आईएचएनपी1002724607	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	53-61	5-12-18
5	आईएचएनपी1002698798	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	48-22	3-12-18
6	आईएचएनपी1002665994	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	48-10	30-12-18
7	आईएचएनपी1002637868	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	51-62	28-11-18
8	आईएचएनपी1002594315	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	46-52	24-11-18
9	आईएचएनपी1002534108	मेसर्स बालाजी एंटर., अलीगढ़	48-04	19-11-18

परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. किसी भी पास की वैधता का सत्यापन जिला खनन अधिकारी से नहीं कराया गया है।
2. क्रमांक 9 के बाद के सभी पास कार्य प्रारम्भ तिथि से बहुत पहले के हैं। अतः अप्रासंगिक है।
3. 10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता (15 एम टी) का अधिक्रमण कर अवैध परिवहन किया गया है।
4. पहले 9 क्रमांक तक के पासों में स्टोन ग्रेट की मात्रा 444.31 एम टी , अर्थात् 261.25 एम3 ही थी, जबकि कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट 382.33 एम3 था। शेष के परिवहन का कोई ट्रॉजिट पास ही संलग्न नहीं किया गया है।

अतः इन आपत्तियों के कारण इन ट्रॉजिट पासों की वैधता की पुष्टि न हो सकी। अतः इस परिस्थिति में इस मात्रा पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी की धनराशि ₹ 2,52,338 (382-33 एम3 x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इसका परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

इस कार्य में कतिपय अन्य आपत्तियाँ भी हैं:-

1. यह सड़क जी०टी० रोड से सरायबुर्ज तक बननी थी, परन्तु रास्ते में पोखर आने के कारण अधूरी सड़क बनी। हालांकि इस पोखर से पानी निकालने का व्यय प्राक्कलन में सम्मिलित (6 दिन / 650 = 3,900 डीवार्टिंग) था, परन्तु कार्य नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि पोखर के रास्ते में आने का तकनीकी अधिकारियों को पता था, फिर भी इसकी स्वीकृति दी गई।
2. तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन एवं निविदा पूरी सड़क की है।
3. (I) प्राक्कलन से वास्तविक कार्य में 47.51 प्रतिशत विचलन है अर्थात् इतनी कम धनराशि पर यह कार्य कराया गया। इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं	मद	प्राक्कलन में माप (एम3/मी2)	वास्तविक कार्य में माप (एम3/मी2)
1	जल-निकासी	6 डेज दर 650	नो वर्क
2	मिट्टी का काम	3271-50 एम3	219-24एम3
3	जीएसबी	297 एम3	150.70 एम3
4	जी2	202-50 एम3	104-09 एम3
5	जी3	202-50 एम3	102.56 एम3
6	एम-150 ईट	0,90 केएमएस	0-412 केएमएस
7	प्राइम कोट	2700मी2	1387-91 मी2
8	टैक कोट	---यथा---	---यथा---
9	प्रीमिक्स कालीन	---यथा---	---यथा---
10	सील कोट	---यथा---	---यथा---
11	ब्लूम पाइप	45	22.5

स्पष्ट है कि पोखर से पानी न निकालना, मिट्टी कार्य एवं अन्य कार्य लगभग 1/2 ही प्राक्कलन की तुलना में कराये गये हैं, क्योंकि 900 मी० की सड़क के स्थान पर मात्र 412 मी० ही सड़क बनी है।

(II) इतने बिचलन के बावजूद (प्राक्कलन की तुलना में) पुनरीक्षित अनुमान तैयार नहीं किया गया और न ही स्वीकृत कराया गया है। (उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय दो के नियम 15 का उल्लंघन)।

(III) कार्य स्थल के निर्विवाद व अवरोधरहित होने की स्थिति में ही कार्य कराया जाना था (उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 के प्राविधान का उल्लंघन है)। समयवृद्धि के ठेकेदार के प्रार्थना पत्र पर अवर अभियन्ता से आख्या मांगी गई है। समयवृद्धि के किसी भी प्रार्थना पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आख्या में जे०ई० ने विवाद हो जाने के कारण समयवृद्धि की संस्तुति की है परन्तु विवाद के सम्बन्ध में कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(IV) पहले प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.07.2019 तक का और अगले प्रार्थना पत्र पर 20.11.2019 तक का समय मांगा गया है। पहले प्रार्थना-पत्र पर किसी की नोटिंग नहीं है।

(V) जेओओ की आख्या (एक अन्य प्रार्थना पत्र में) में "आगे पोखर बनी है तथा 8-9 फुट गहरा पानी भरा" लिखा गया है तथा "विवाद होने की स्थिति" भी बताई गई। ऐसी भौगोलिक स्थिति के बाद भी स्थलीय निरीक्षण व सर्वे कर पूरी सड़क का प्राक्कलन तैयार किया गया एवं उसे तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ भी मिलीं।

(VI)अपर मुख्य अधिकारी द्वारा समयवृद्धि का कोई आदेश नहीं किया गया है। बल्कि टिप्पणी एवं आदेश में हस्ताक्षरों के बाद में किसी ने हाथ से अलग पैन से "30-11-2020" तक समयवृद्धि दी जाती है" लिख दिया गया है। यह कृत्य गंभीर रूप से आपत्तिजनक एवं अनियमित है। समयवृद्धि का आदेश अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अलग से दिया जाना चाहिए था।

4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश से दिनांक 21.05.2020 में निरीक्षण उपरान्त।ईई(आरईएस) श्री विनय कुमार शर्मा की जाँच रिपोर्ट में सड़क की मोटाई सन्तोषजनक पाई गई, परन्तु सड़क की लम्बाई प्राक्कलन में दर्शित लम्बाई 900 मीटर की अपेक्षा 400 मीटर बताई गई (चौड़ाई, जीएसबी, जी2, जी3 एवं पी सी व पत्थर की मोटाई प्राक्कलन के अनुसार पाई गई)।

5. दिनांक 20.07.2019 को एमबी में दर्ज माप में जीएसबी -160-05 एम3 तथा जी2- 109-12 एम3 लिखा गया है। परन्तु कार्य समाप्ति के बाद में एमबी में दर्ज मापें (दि० 16.11.2020) जीएसबी -150-70 एम3 तथा जी2- 104.09 एम3 लिखी गई है। इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

6. पूरे बिल पर कोई रायल्टी नहीं काटी गई है। सैंड की रायल्टी और काटकर (स्टोन ग्रेट की गणना लेखा परीक्षा में कर ली गई है) कोषागार में जमा की जानी थी, जो नहीं की गई है।

7. कार्य में अत्यधिक देरी के पश्चात भी ठेकेदार के बिल से कोई विलम्ब शुल्क नहीं काटा गया है (लेखा परीक्षा में अलग आपत्ति में इसकी गणना कर ली गई है)।

उपरोक्त समस्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि "पोखर के होने" एवं "विवाद की संभावना" (हालांकि विवाद का कोई प्रमाण नहीं मिला, एफओआईआर या किसी राजस्व अधिकारी की कोई पैमाइश सम्बन्धी रिपोर्ट) के तथ्यों की जानकारी के बावजूद इसका प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदि अनियमित थीं। साथ ही वास्तविक कार्य में प्राक्कलन की अपेक्षा 47.51 प्रतिशत की धनराशि का विचलन होने पर भी कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत न कराया जाना भी अनियमित था।

इसके अतिरिक्त 45.78 प्रतिशत सड़क की लम्बाई कम कर देने पर (प्राक्कलन के सापेक्ष) कार्य का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? ज्ञात न हो सका। अतः उद्देश्य की पूर्णता के साक्ष्य के अभाव में यह कार्य अपूर्ण व अधोमानक स्तर का प्रतीत होता है तथा इस कार्य में प्रयुक्त धनराशि का दुरुपयोगित होना प्रतीत हो रहा है। इस प्रति अविलम्ब परिपालन/स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। (व्यय की गई धनराशि ₹0 20,19,251)

नोट:- ऊपर उल्लिखित समस्त आपत्तियों के परिपालन न किये जाने की स्थिति में उपरोक्त सभी लेपन कार्य, सीओसीओ रोड एवं इण्टरलॉकिंग के कार्यों में/अन्य निर्माण कार्यों में रॉयल्टी की जो राजस्व हानि हुई है उसके लिए प्रारम्भ में आपत्ति सं० 15 में उल्लिखित शासनादेश के अनुसार तत्कालीन सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) जिम्मेदार हैं। साथ ही अभियन्ता (तत्कालीन) एवं लेखाकार के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अधिभार प्रतिवेदन में नाम/पदनाम का उल्लेख भी कर दिया गया है।

प्रस्तर -16--4-इण्टरलाकिंग कार्य-

मडराक से अलीपुर बाईपास पर लेपन कार्य (लोधा) इण्टरलाकिंग-

1-	प्राक्कलन की धनराशि	-	₹0 3710131
2-	टेण्डर की धनराशि	-	₹0 3709760
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम	-	श्री चिरंजीलाल गोला, मथुरा

- 4- कार्य की प्रारम्भ तिथि - 25.08.2018
 4- कार्य समाप्ति तिथि - 18.11.2018
 6- अवर अभियन्ता का नाम - श्री जगदीश सिंह

कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रीट की मात्रा-

- 1- जीएसबी . 155-28 एम3
 2. जी3 . 22-05 एम3
 3- ओ /एलओएफ सीसी (1;2;4) . 15-50एम3x 0-90
 13-95 एम3

योग . 191-28एम3

प्रयुक्त स्टोन ग्रीट के लिए संलग्न ट्रांजिट पास –

क्र०	ट्रांजिट पास	माल प्राप्तकर्ता का नाम	मात्रा	दिनांक
1	आईडीएन	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	40-25एम टी	07-06-2018
2	आईडीएन	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	53-79	19-06-18
3	एजीएसएल	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	51-30	30-04-2018
4	आईडीएन	राकेश कुमार शर्मा हाथरस	42-20	23-04-2018
5	टीक्यूटीएन	संजय चा एमबी ऑल एंड गिट्टी सप्लायर मथुरा	38-43	15-08-2018

प्रयुक्त परिवहन पासों में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

- क्रमांक 01 से 4 तक के पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के हैं।
- माल प्राप्तकर्ता के नाम में कोई अन्य स्टाकिस्ट दर्शाये गये हैं।
- ट्रांजिट पासों की वैधता जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
- इसमें 15 एम टी (10 टायर वाले ट्रक की अधिकतम परिवहन क्षमता) की सीमा का अतिक्रमण किया गया है।
- 5 वें पास के उपखनिज की मात्रा मात्र 38-43 केटी अर्थात् 22-59 एम3 है। कार्य में प्रयुक्त शेष उपखनिज कहाँ से प्राप्त किया गया है? कोई साक्ष्य न मिला।
- स्टाकिस्ट से क्रय किये गये स्टोन ग्रीट के लिए फार्म-बू (प्रपत्र बू) नहीं है।

अतः इन सभी उपरोक्त आपत्तियों के कारण उपखनिजों के परिवहन की वैधता की पुष्टि न हो सकी। इस पर रायल्टी की धनराशि ₹0 (126245 %191-28एम3x110-x6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। इसको स्पष्ट किया जाना/परिपालित किया जाना अपेक्षित है। इस कार्य के सम्बन्ध में कुछ अन्य आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं:-

1-यह कार्य प्राक्कलन की धनराशि से 26-56% कम पर किया गया है। अर्थात् प्राक्कलन व्यय से वास्तविक व्यय में 26.56 प्रतिशत का विचलन है। प्राक्कलन की धनराशि ₹0 3312616.74 थी, परन्तु वास्तविक कार्य ₹0 2432887.09 में कराया गया है।

वैरिएशन चार्ट निम्नवत है –

	प्राक्कलन मात्रा (एम3/मी2)	वास्तविक मात्रा (मी2/एम3)
1- ई/डब्ल्यू	1242.17एम3	185.69एम3
2- जीएसबी	129.09 एम3	155.28 एम3
3- जी2	59.06 एम3	निल
4- जी3	59.06 एम3	22.05 एम3
5- प्राइम कोट	1518.75 एम3	निल
6- टैक कोट	यथा	निल
7- प्रीमिक्स कार्पेट	यथा	निल
8- सील कोट	यथा	निल
9- बी/डब्ल्यू इन 150(1:4)	24.86एम3	27.25एम3

10-	एम-150क्लास ब्रिक	24.86एम3	27.25एम3
11-	80 मिमी मोटी रबर मोल्डेड प्रीकास्ट सी.सी. 1 आकार की टाइलें	1762.50मी2	1787.04 मी2
12-	12 मिमी मोटा प्लास्टर 1:4 सीमेंट और महीन रेत	169.20 मी2	106.65 मी2
13-	सीसी का पी/एल (1:2:4)	10.81 एम3	15.50 एम3
14-	एनपी-3ह्यूम पाइप 30	-	-
15.	बोर्ड	01	01

इस वैरिएशन चार्ट से स्पष्ट है कि लेपन कार्य कराया ही नहीं गया है बल्कि लेपन के स्थान पर इण्टरलॉकिंग कार्य करा दिया गया है। मंजीवता प्राक्कलन से बहुत कम मात्रा में हुआ है जी3 की मात्रा प्राक्कलन से बहुत कम है जी2 शून्य है एम.150 श्रेणी की ईट, 12 मिमी, मोटा प्लास्टर बहुत कम या शून्य है। 30 ह्यूम पाइपों के प्राक्कलन के विरुद्ध कोई ह्यूम पाइप नहीं डाला गया है।

2-प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन (अधिक/कम) अनियमित है। इसके लिए कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया गया है। (उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय दो के नियम 15 का उल्लंघन है)

3-प्राक्कलन व्यय से 26.56 प्रतिशत का विचलन एवं वैरिएशन चार्ट एवं बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन के इस कार्य को अनियमित तरीके से कराया गया है एवं यह कार्य अधोमानक स्तर का प्रतीत होता है। अतः इस पर किया गया समस्त व्यय शासकीय धन का दुरुपयोग है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। (संदर्भ - आपत्ति सं0-15 में उल्लिखित समस्त शासनादेश)

प्रस्तर -17-- कार्य संख्या 14--गोण्डा खैर रोड से साईं फिश सीड मील तक (दरबर गोण्डा में) इण्टरलॉकिंग कार्य:-

1-	प्राक्कलन धनराशि -	रू0 4.48 लाख
2-	टेण्डर की धनराशि -	रू0 4.47 लाख
3-	फर्म/ठेकेदार का नाम -	श्री राजकुमार शर्मा
4-	कार्य प्रारम्भ तिथि -	-
5-	कायदेश -	16.08.2018
6-	कार्य समाप्ति तिथि -	11.12.2018
7-	नाम अवर अभियन्ता -	श्री जगदीश सिंह

इसकी प्राक्कलन धनराशि पुनरीक्षित (संशोधित) हुई है। दिनांक 24.08.2021 में पुनरीक्षित का प्रार्थना पत्र अवर अभियन्ता ने दिया है। यह तिथि कार्य समाप्त होने के बहुत बाद की है। इस कार्य पर व्यय रू0 5.935 लाख हुआ है अर्थात् 32.47 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है। इसका तमअपेक्षित मंजूरपंजम रू0 6,02,202 किया गया है। 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन के लिए कार्य के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत कराया जाना था, जो नहीं कराया गया है। अतः उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय दो के नियम 15 के अनुसार यह कार्य अनियमित है।

कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा -

1.	जीएसबी	-	48.61 एम3
2.	पीसीसी (:2:4)	-	2.86 एम3 x 0.80
		=	2.29 एम3
	योग	-	50.90 एम3

दिनांक 02.09.2018 में विवेक कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, अलीगढ़ से 40मिमी रोड़ी (50.8 .3) खरीदी गई है। परन्तु स्ट्राकिस्ट से प्रपत्र-सी प्राप्त नहीं किया गया है और न ही कोई ट्रांजिट पास संलग्न है। अतः प्रपत्र-सी के अभाव में रायल्टी भुगतान के परिवहन की पुष्टि न हो सकी।

इस परिस्थिति में इस मात्रा पर खनिज मूल्य सहित रायल्टी धनराशि रू0 33,594 (50.90 एम3x दर 110 x 6) काटकर कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर -18--(प) वर्ष 2018-19 के किराया रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत परिसर स्थित कार्यालयों, दुकानों एवं अन्य स्थानों पर स्थित दुकानों के गृहकर/जलकर की बहुत धनराशि बकाया है। इसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	बकाया	वर्षकीमाँग(	वसूली	शेष धन0

सं.			रू०में)	(रू०मे)	(रू० में)
1	परियोजना निदेशक, सहा० श्रमायुक्त, बालश्रम कल्याण परियोजना, अलीगढ़	277587	19887	--	297474
2	लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, अलीगढ़	51254		31254	20000
3	सहायक निदेशक, कारखाना उ०प्र०, अलीगढ़	144679	27225	7596	164308
4	शाखा प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, जिला पंचायत (परिसर)	209869	18734	--	228603
5	सिंडीकेट बैंक ए.टी.एम., जिला पंचायत परिसर	326340	52500	---	378840
6	सहायक आयुक्त "भविष्य निधि आगरा" जिला पंचायत परिसर	--	49728	--	49728
7	उपनिदेशक, समाज कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़	1795	21545	--	23340
	कुल योग -	1011524	189619	38850	1162293
	जिला पंचायत परिसर स्थित दुकानें:-				
1	दुकान संख्या 2, श्री जमशेद अली	11223	3588	10000	4811
2	दुकान नं० 3, श्री प्यारे खां	25569	4109	15000	14678
3	दुकान नं० 4, श्री सैयद साजिद हुसैन	20569	4109	--	24678
4	दुकान नं० 10, सैयद साजिद हुसैन	13172	6248	--	19420
	कुल योग -	70533	18054	25000	63587
	मदार गेट स्थित दुकानें:-				
1	दुकान नं० 6, श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता	3998	3998	--	7996
2	दुकान नं० 7, श्रीमती कमलेश गुप्ता	3800	3800	--	7600
3	दुकान नं० 10, श्री जितेन्द्र कुमार	3800	3800	--	7600
4	दुकान नं० 12, श्री हरिओम गुप्ता	3800	3800	--	7600
5	दुकान नं० 14, श्री दर्शन लाल	19113	3800	10000	12913
	दुकान नं० 15, श्री अनूप कुमार	--	3286	--	3286
	दुकान नं० 16, श्री मनोहरलालन	3286	3286	--	6572
	दुकान नं० 17, श्री अमृत सिंह	3286	3286	--	6572
	कुल योग -	41076	29049	10000	60125

इस प्रकार कार्यालयों पर रू० 11,62,293, दुकानों पर क्रमशः रू० 63,587 एवं 60,125 बकाया हैं। इसकी वसूली के गम्भीर प्रयास कर इसे वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में जिला पंचायत की इस हानि की जिम्मेदारी तत्कालीन ए०एम०ए०, तत्कालीन कार्य अधिकारी एवं सम्बन्धित गृहकर/जलकर के निरीक्षकों की होगी (कुल धनराशि रू० 12,86,005)।

प्रस्तर -19--(I) कार्यालय, सहायक आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कार्यालय आगरा के वर्ष 2017-2018 का अन्तिम अवशेष रू० 37,296 वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक अवशेष में नहीं लिये गये हैं। इनको छोड़ दिया गया है।

(II) इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/अस्थायी खण्ड अधिकारी कार्यालय, पन्त भवन के ऊपर, प्रथम तल के वर्ष 2017-18 के गृहकर के रू० 21,288 बकाया थे जिन्हें वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में रू० 7,825 लिखा गया है। इस प्रकार प्रारम्भिक अवशेष रू० 13,463 कम लिखे गये हैं।

(III) वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत की दुकानों/कार्यालयों आदि के किराये आदि की जाँच में पाया गया कि कुछ कार्यालयों/दुकानों के वर्ष 2017-18 के बकाया अन्तिम अवशेष को वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में लिखने में कमी/अधिकता कर दी गई है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र सं.	कार्यालय/दुकानों का नाम	वर्ष 2017-18 का अन्तिम बकाया (रू० में)	वर्ष 2018-19 का प्रारम्भिक बकाया (रू० में)	अन्तर (रू० में)
1	जिला पंचायत परिसर स्थित कार्यालय	3675997	3683534	-7537
2	जवाँ स्थित दुकानें	238465	237151	1314
3	जवाँ स्थित दुकानें	296029	254662	41367
4	धनीपुर स्थित दुकानें	207098	205100	1998
5	खैर, टप्पल, जट्टारी एवं इगलास स्थित दुकानें	1280759	1023173	257586

कुल योग (कुल अन्तर)		294728

इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 2,94,728 से वर्ष 2017-18 के बकाया के अन्तिम अवशेष को वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक बकाया अवशेष को कम कर दिया गया है (कमी ₹ 3,02,265, अधिकता ₹ 7,537)

(IV) वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति एवं विभव कर के रजिस्ट्रारों की जाँच में पाया गया कि कुछ विकास खण्डों में वर्ष 2017-18 के अन्तिम बकाया अवशेष को वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक बकाया अवशेष लिखने में कम/अधिक कर दिया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विकास खण्ड	वर्ष 2017-18 का अन्तिम वर्षों के बकाया की धनराशि (₹ में)	वर्ष 2018-19 की प्रारम्भिक बकाया धनराशि (₹ में)	अन्तर (कमी) की धनराशि (₹ में)
1	लोधा	वर्ष 2017-18 - 4063580-00 पूर्व बकाया -- 1723800-00	3779760-00 1720800-00	283820 (-) 3000
2	जवां	271920-00	2757120-00	(+37920-00)
3	धनीपुर	3688890-00		(+29760-00)
		अंतर का योग		1-कमी- 286820-00 २-अधिकता- 67680-00

साथ ही सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्ट्रारों पर कई स्थानों पर अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

वर्ष की माँग में कई विकास खण्डों में कमी कर दी गई है या यथावत् है। जैसे-ब्लाक धनीपुर में पिछले वर्ष 2017-18 की चालू माँग से वर्ष 2018-19 की चालू माँग में ₹ 1,80,000 की कमी की गई है। ब्लाक गंगीरी में ₹ 6,000 से यह चालू माँग कम कर दी गई है। शेष विकास खण्डों में यथावत् है कोई वृद्धि नहीं की गई है। करों का सही निर्धारण कर चालू माँग बढ़ाई जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त सभी आपत्तियों में पिछले वर्ष के अन्तिम बकाया किराये, गृहकर/जलकर एवं सम्पत्ति व विभव कर में जो कमी/अधिकतम की गई है (कुल कमी धनराशि ₹ 6,39,844) एवं अधिकता (₹ 75,217) जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता का कृत्य है। अतः इस कुल धनराशि ₹ 7,15,061 की अनियमितता के प्रति स्थिति स्पष्ट किया जाना/परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसको तैयार करने वाले टैक्स पटल के लेखाकार्मिक/कर निरीक्षक/कर अधीक्षक/पटल के अन्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। इसकी आवश्यक सुधार एवं इसके लिए जिम्मेदार कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -20-- वर्ष 2018-19 में कतिपय निर्माण कार्य ऐसे हैं जिनको कार्यादेश में दी गई समाप्ति की तिथि से बाद में विलम्ब से पूर्ण किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के "ठेका की शर्तों" के खण्ड-2-क (भुगतानों से कटौती) के अनुसार- "समय ठेके का सार तत्व है"। निर्माण कार्य प्रारम्भ और पूरा करने के लिए अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित दिनांक तक ठेके के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्य को ठेकेदार प्रारम्भ और पूरा करायेगा और उन दिनांकों के अन्तराल में ऐसे प्रगति विवरण पत्र में दिखाये गये परिमाण की अनुसूची और दिनांक तक निर्माण कार्य पूरा करेगा, जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और टेंडर के साथ संलग्न किया जायेगा। यदि निर्माण कार्य, चाहे परिमाण में या समय में प्रगति विवरण-पत्र से बकाये में रह जाये, तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें निर्माण कार्य बकाए में रहे, ठेकेदार प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि के 1 प्रतिशत के बराबर या ऐसी धनराशि का देनदार होगा, जैसा मुख्य अधिकारी सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर निश्चित करे जिसका लिखित रूप में निर्णय अन्तिम होगा:-

प्रतिबन्ध संदेव यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसा कि टेंडर में दिया गया हो।"

परन्तु लेखा-परीक्षा में विलम्ब से कराये गये कार्यों पर पेनाल्टी काटी नहीं गई है या बहुत ही कम काटी गई है। यह भी 1ड। द्वारा बिना किसी लिखित निर्णय या आदेश के काटी गई है। बिना लिखित निर्णय के कटौती किया जाना औचित्यहीन है। लेखा-परीक्षा के अनुसार बिना लिखित रूप में निर्णय के पेनाल्टी काटना, निर्णय नहीं करना है। अतः निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर अधिकतम 10 प्रतिशत की पेनाल्टी काटी जानी थी, जो नहीं काटी गई है। नीचे दी गई तालिका के अनुसार यह काटी जानी चाहिए।

क्र.सं.	निर्माण कार्य	प्राक्कलन की धनराशि (₹ में)	अधिकतम 10% पेनाल्टी की धनराशि (₹ में)	काटी गई पेनाल्टी (₹ में)	अन्तर की धनराशि (₹ में)
1	मनोहरपुर कायस्थ सम्पर्क मार्ग पर गन्दे नाले तक मरम्मत लेपन कार्य	2013869-01	201387	2000	199387
2	पुराने आगरा बाईपास रोड से ग्राम मुकुन्दपुर तक लेपन कार्य	1519671-72	151967	500	151467

3	ग्राम पड़ियावली में एन.एच.-91 से प्राइमरी स्कूल की ओर लेपन कार्य	1339660	133966	5000	128966
4	रामगढ़ पंजीपुर पुल से आलमपुर सुबकरा रोड तक सी.सी. एवं लेपन कार्य	4535408	453541	4500	449041
5	रामनगर से नगला जैथ सम्पर्क मार्ग तक अवशेष इण्टरलॉकिंग कार्य	252946-75	252947	1000	251947
6	गोण्डा खैर रोड से साईं फिश सीड मिल तक (दरवर गोंडा में) इण्टरलॉकिंग कार्य संशोधित अनुमान	602202	60220	500	59720
7	हरदोई रजवाहा से गणेशपुर तालुका की तरफ लेपन कार्य	2585714-23	258571	2000	256571
8	श्री लक्ष्मीराज इण्टर कालेज गभाना परिसर में इण्टरलॉकिंग निर्माण	1595120-84	159512	2000	157512
9	अतरौली आलमपुर रोड से छापरे नगला सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य	2202168-84	220216	1000	219216
10	जी.टी. रोड (एन.एच.-91) से सराय हरनारायन नगला बरी की तरफ इण्टरलॉकिंग टाइल्स कार्य	2961688-67	296169	--	296169
11	तालिबनगर नाले पर आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण	998000	99800	2000	97800
12	जी.टी. रोड से सराय बुर्ज की तरफ लेपन सड़क का निर्माण	4308867	430887	--	430887
13	जिला पंचायत के कर्मचारियों के आवासों की आवश्यक मरम्मत कार्य (मुख्यालय)	998000	99800	1000	98800
	कुल योग -	28189831-31	2818983	21500	2797483

इस प्रकार स्पष्ट है कि कुल धनराशि ₹ 27,97,483 पेनाल्टी और जमा करायी जानी थी। परन्तु ऐसा न करके उपरोक्त निर्माण कार्य नियमावली के ठेके की शर्त (खण्ड-2-क) का उल्लंघन किया गया है। साथ ही विभिन्न स्टेजों पर कार्यों की मानीटरिंग भी नहीं की गई है जिससे कतिपय कार्यों में विलम्ब हुआ है। उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन एओएमओ से वसूली एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा है।

प्रस्तर-21-- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-3783 एम0टी0/60 एम0टी0/2007, दिनांक 13.06.2007 के प्रस्तर-5 के अनुसार - "प्रीमिक्स कार्पेटिंग का कार्य ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर यदि बियरिंग कोट हेतु पी0सी0 कराये जाने का प्राविधान कराया जाता है तो पी एम जी एस वाई में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टॉप कोट/डब्लू0बी0एम0 के ऊपर प्राइम कोट करके पी0सी0 व सील कोट का कार्य कराया जायेगा"

इसी प्रकार अगस्त 2007 के प्रमुख अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0 उ0प्र0 के शासनादेश के अनुसार भी "सील कोट के साथ प्रीमिक्स कार्पेटिंग का कार्य (पीसी विद सील कोट) प्राइम कोट को डब्ल्यू बी एम के ऊपर बिछाकर किया जाना चाहिए।"

परन्तु इन स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कई कार्यों में टैक कोट कार्य कराया गया है। इस तरह संस्था पर अनावश्यक व्यय/भार डाला गया है। इन कार्यों की तालिका निम्नवत् है:-

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	टैक कोट की धनराशि(₹ में)
1	मनोहरपुर कायस्थ सम्पर्क मार्ग पर गन्दे नाले तक मरम्मत लेपन कार्य	36256-68
2	पुराने आगरा बाईपास रोड से ग्राम मुकुन्दपुर तक लेपन कार्य	17539-80
3	पनैठी गडराना रोड से भरतुआ सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	51909-00
4	ग्राम पड़ियावली में एन.एच.-91 से प्राइमरी स्कूल की ओर लेपन कार्य	9680-00
5	रामगढ़ पंजीपुर पुल से आलमपुर सुबकरा रोड तक सी.सी. व लेपन कार्य	24459-60
6	हरदोई रजवाहा से गणेशपुर तालुका की तरफ लेपन कार्य	22125-00
7	जी.टी. से सराय बुर्ज की तरफ लेपन सड़क का निर्माण कार्य	16377-34
	योग -	178347-42

अतः ₹ 1,78,347.00 का अनावश्यक व्यय किया गया है जबकि शासनादेश स्पष्ट थे कि प्राइम कोट के पश्चात टैक कोट की आवश्यकता नहीं थी। इस अनावश्यक व्यय के प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में एओएमओ व अभियन्ता से यह वसूली अपेक्षित रहेगी।

प्रस्तर 01- मृत पशु शव निस्तारण रजि0 के अनुसार वर्ष के अन्त में कुल बकाया जो वर्ष 2010-11 से निरन्तर रु0 429059.00 दर्शित हैं इसमें से कोई भी धनराशि चालू वर्ष से सम्बन्धित नहीं हैं। इस प्रकार उक्त की वसूली हेतु संस्था के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं ली गयी जिससे उक्त धनराशि क्षति/गम्भीर अनियमितता के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन पटल अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः रु0 429059.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 02- जिला पंचायत अपनी सम्पत्तियों जैसे आवासीय मकान एवं दुकानों के किराये की चालू माँग व वकाया की वसूली कर पाने में नाकाम व असफल रहा है। वकाया वसूली करने हेतु कोई नीति नहीं बनायी है। इस प्रकार बकाया राशि लगातार बढ़ रही हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त में वर्ष 2017-18 के बकाया में 14-46 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल बकाया किराया रु0 3019752.00 है। बकाया वसूली हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं ली गयी है। जिससे उक्त धनराशि क्षति/गम्भीर अनियमितता के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन कार्य अधिकारी व सम्बन्धित अन्य स्टाफ दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः रु0 3019752.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 04)

प्रस्तर 03- कृषि फार्म रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2018-19 के अन्त में रु0 257915.00 जिसमें रु0 242915.00 वर्ष 2011-12 से निरन्तर बिना वसूले बकाया दर्साया जा रहा है। इसकी अपेक्षित वसूली न कर संस्था का अनावश्यक रूप से क्षति पहुँचायी गयी हैं। जिससे उक्त धनराशि क्षति/गम्भीर अनियमितता के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन पटल अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः रु0 257915.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर 04- अधिनियमों व राजकीय आदेशों एवं निर्देशों के विपरित जिला पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जो अनियमित है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में ऐसे अनियमित क्रमशः 19+67 =86 कार्यों पर किया गया कुल व्यय रु0 59063091.00 व्यय हुआ। जिससे उक्त धनराशि क्षति/दुरुपयोग के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन सम्पन्न बैठकों में किये गये प्रस्तावों में उपस्थित सदन के समस्त सम्मानित सदस्यगण दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः रु0 59063091.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर 05- मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 की कुल वसूली क्रमशः रु0 697900.00 रु0 746000.00 है। शासनादेश के अनुसार कुल वसूली का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिये था। लेकिन ग्राम पंचायतों को कोई धनराशि नहीं दी गयी जो कि अनियमित है। जिससे उक्त धनराशि क्षति/गम्भीर अनियमितता के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं कार्य अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः रु0 721950.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या 08)

प्रस्तर 06- पाँच लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम व दस लाख से अधिक लागत के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के क्रमश 39 व 95 पूर्ण कार्यों का भुगतान नियमावली 1984 के नियम संख्या-39 में निर्धारित अभियन्ताओं से निरीक्षण के बिना ही किया गया है। जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिससे धनराशि **₹0 114064287.00** क्षति/गम्भीर अनियमितता के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन अभियंता श्रीमती रूपिका श्रीवास्तव व तत्कालिन लेखाकार श्री देशराज सिंह एवं श्री कृष्णगोपाल शर्मा दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः **₹0 114064287.00** की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है

(आपति संख्या 09)

प्रस्तर 07- निर्माण कार्यों की लागत का 01 प्रतिशत लेवर सेस को पहले निर्माण कार्य के प्राक्कलन में जोड़ा गया है। इसके बाद अन्तिम भुगतान में कुल लागत का 01 प्रतिशत ठेकेदार के बिल से काटकर सम्बन्धित को भेजा गया है। जो कि गलत है लेवर सेस बहन करने का दायित्व केवल ठेकेदार/नियोक्ता पर हैं। इस प्रकार संस्था को क्षति हुई । जिससे धनराशि **₹0 1372187.00** अपहरण के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन अभियंता श्रीमती रूपिका श्रीवास्तव व तत्कालिन लेखाकार श्री देशराज सिंह एवं श्री कृष्णगोपाल शर्मा दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः **₹0 1372187.00** की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है

(आपति संख्या 10)

प्रस्तर 08- विभव व सम्पत्ति कर की वसूली न कर उसे बकाया मे दर्शा कर लगातार बकाया की बृद्धि की जा रही हैं। कर रजिस्टर वित्तिय वर्ष 2011-12 के अन्त में कुल बकाया कर की धनराशि **₹0 18459759.00** दर्शित हैं। इसकी वसूली न कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी हैं। जिससे उक्त धनराशि क्षति/गम्भीर अनियमितता के रूप में प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन कर अधिकारी कार्य अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः **₹0 18459759.00** की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है

(आपति संख्या 12)

प्रस्तर 09- वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 से सम्बन्धित लाइसेंस रजिस्टर में अनेक प्रकार की फर्मों को दर्ज न कर लाइसेंस शुल्क के रूप में संस्था को भारी क्षति पहुंचायी जा रही हैं। जिसमें धनराशि **₹0 760000.00** गम्भीर अनियमितता की स्थिति में आती हैं जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन कर अधिकारी/कार्य अधिकारी एवं क्षेत्रीय निरीक्षक दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः **₹0 760000.00** की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

(आपति संख्या 17)

प्रस्तर 10- वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसमे **₹0 12712247.00** धनराशि अपहरण के रूप में प्रकाश में आयी हैं ,जिसके लिये पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व श्री हरपाल सिंह एवं तत्कालीन पटल प्रभारी/लेखाकार दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः **₹0 12712247.00** की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

(आपति संख्या 21)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- जिला पंचायत कासगंज

संस्था का नाम- जिला पंचायत जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 01- लेखा परीक्षा वर्ष में पशु शव निस्तारण से मु0 19500.00 की नीलामी करना एवं जोकि विकास खण्ड कासगंज की नीलामी से प्राप्त हुआ। शेष 06 विकास खण्ड की नीलामी नहीं की गयी। अवगत कराया गया कि कोई नीलामी नहीं ले रहा। मृत पशु शव निस्तारण मद में मु0 3.00 लाख रुपये वसूली का प्रावधान किया गया जबकि 0.19 लाख रुपये वसूली की गयी। सम्पूर्ण धनराशि की वसूली अपेक्षित है। शासनादेशानुसार 19500.00 की आधी धनराशि ग्राम पंचायतों में ट्रान्सफर किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री नरेन्द्र सिंह यादव उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित हैं।

आपत्ति संख्या- 8

प्रस्तर 02- उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यों का भुगतान कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा 10 लाख से अधिक कार्यों का लागत के कार्यों के अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा, जो नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	धनराशि (रूपये में)
1	गंजडुण्डवारा पटियाली रोड से दीवान नगर तक लेपन कार्य	1876355
2	अम्बेडकर ग्राम भरसपुर से मेमडा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	2804214
3	गंजडुण्डवारा कासगंज मार्ग से बहारपुर तक लेपन कार्य	2347412
4	ग्राम ब्राहिमपुर से खुरमपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	2385825
5	ग्राम मुबारिकपुर माफी बघेल बस्ती से हयातगढ़ी सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य मरम्मत	1106718
6	कासगंज अतरौली मार्ग छावनी मार्ग नगला विहारी तक लेपन मरम्मत कार्य	2347092
7	मीना देवी इंटर कॉलेज से हनौता तक अवशेष लेपन कार्य	4455583
8	करसेना से बकराई तक अवशेष लेपन कार्य	4462165
9	बकराई दरियावगंज मार्ग से नगला बेरू तक अवशेष लेपन कार्य	2161617
10	नगला पोता से पिथनपुर तक अवशेष लेपन कार्य	4463837
11	पंचपोखरा में इंदरीश के घर से खमानी नगला की पुलियातक अवशेष कार्य	4456640
12	ग्राम पंचायत नौरथा से खुशालपुर तक अवशेष लेपन कार्य	4444806
13	गोरहा चांडी मार्ग पर मंदिर से देवचरी तक अवशेष लेपन कार्य	2137394

14	पटियाली सिद्धपुरा मार्ग से हीरापुर तक अवशेष लेपन कार्य	4213930
15	अहरौली से अमरपुर घाट तक अवशेष लेपन कार्य	2945071
	योग	46608659

उक्त के सन्दर्भ में जिला पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 में दी गयी व्यवस्थायें अत्यन्त पुरानी हैं और वर्तमान में किसी भी जिला पंचायत द्वारा इसका पालन इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता का पद अब जिला पंचायतों में प्रचलित नहीं है। शासन स्तर पर स्टेट क्वालिटी कोऑर्डिनेट एवं स्टेट क्वालिटी मानिटर्स का पैनल नियुक्त किया जा चुका है, जहां चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी तैनात हैं, जो समय-समय पर आकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हैं।

उक्त के संदर्भ में जिला पंचायत से शासनादेश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है एवं यदि कोई निरीक्षण कराया गया हो तो उसकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति परीक्षण हेतु उपलब्ध कराएं। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री नरेन्द्र सिंह यादव उत्तरदायी हैं।

आपत्ति संख्या- 9

प्रस्तर 03- वर्ष 2020-21 में सम्पत्ति कर/विभव कर में 20 लाख रुपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया जबकि लेखा परीक्षा अनुसार 11.64 लाख रुपये वसूली की गयी। शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री नरेन्द्र सिंह यादव उत्तरदायी हैं कार्यवाही अपेक्षित हैं **आपत्ति संख्या- 12**

प्रस्तर 04- वर्ष 2020-21 में लाइसेन्स मद में 15 लाख रुपये का बजट प्राविधान का लक्ष्य रखा गया जबकि वसूली 9.25 लाख रुपये की गयी। जबकि शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री नरेन्द्र सिंह यादव उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित हैं **आपत्ति संख्या- 13**

प्रस्तर 05- 31.03.2021 किराया मद में 4.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया जबकि वसूली 1.02 लाख रुपये किया गया। शत-प्रतिशत वसूली अपेक्षित रही। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्बरीश एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री नरेन्द्र सिंह यादव उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित हैं **आपत्ति संख्या- 14**

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2020-21

जनपद- अम्बेडकरनगर

सम्भाग- अयोध्या

संस्था- जिला पंचायत

अधिभार सम्बन्धी आपतियों का विवरण- वर्ष 2020-21

प्रस्तर 1

जिला पंचायत की आडिट वर्ष 2020-21 में पाया गया कि आडिट में जो कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत रहीं उनमें ग्राम कटेहरी बाजार से प्रतापपुर चमुर्बा खास तक लेपन/मरम्मत कार्य (रा.वि.आ.), की जांच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न एम.एम.-11, निम्न विवरणानुसार, खान निरीक्षक अम्बेडकरनगर के पत्रांक 1639/खनन अनुभाग/एम.एम.-11/सत्यापन आख्या/20 दिनांक 24.08.2020 के क्रमांक 01 पर, पत्रांक 1281/खनन अनुभाग/एम.एम.-11/सत्यापन आख्या/20 दिनांक 25.08.2020 के क्रमांक 7 से 12 एवं 14 पर तथा पत्रांक 1302/खनन अनुभाग/एम.एम.-11/सत्यापन आख्या/20 दिनांक 08.09.2020 के क्रमांक 2 पर अंकित ई-एम.एम.-11 , जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अम्बेडकरनगर को संबोधित है, के अनुसार फर्जी/ पूर्व में ही प्रयुक्त पाये गये हैं:-

क्र. सं./सूची क्र.सं.	ई.एम.एम.-11 संख्या	निर्गत तिथि	मात्रा/आयतन सामग्री घनमीटर में	निहित रायल्टी की धनराशि रुपए
1/1	31451803023903046	22.06.2020	14	1540.00
2/7	31451903031303727	01.05.2020	18	1980.00
3/9	31451903031303733	02.05.2020	18	1980.00
4/10	31451903031303732	02.05.2020	18	1980.00
5/11	31451903031303735	02.05.2020	14	1540.00
6/12	31451903031303736	02.05.2020	14	1540.00
7/14	31451903031303738	02.05.2020	20	2200.00
8/2	31451903033000162	03.05.2020	20	2200.00
			कुल योग-	14960.00

अतः उपरोक्तानुसार 8 प्रति फर्जी/पूर्व में प्रयुक्त ई.एम.एम.-11 के सापेक्ष रायल्टी कुल रुपये 14960.00 का 6 गुना रू0 89760.00 अर्थदण्ड का राजकीय राजस्व सम्बंधित मेसर्स संकटमोचन कान्स्ट्रक्शन/ठेकेदार से वसूल कर निर्धारित रायल्टी हेड में जमा कराए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से उक्त राजकीय राजस्व रू0 89760.00 की वसूली बराबर हिस्सों में करके विहित हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ एमएम-11 के फर्जी होने एवं निर्माण सामग्री प्राप्त न होने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित रही जो भारी अनियमितता का द्योतक

है जिसके लिए नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।
(आ0सं0 33)

प्रस्तर-02

आडिट वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कार्य पत्रावली गढ़ा फतेपुर पिचरोड की समाप्ति से राजकुमार से घर तक लेपन कार्य (रा.वि.आ.) पर कैशबुक में फाइनल बिल वाउचर नं0 58 दिनांक 11.05.2020 से कुल ₹0 1990705.00 व्यय दर्शित किया गया है। कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न एम.एम.-11, निम्न विवरणानुसार, खान निरीक्षक अम्बेडकरनगर के पत्रांक 1055/खनन अनुभाग/एम.एम.-11/सत्यापन आख्या/19 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 के क्रमांक 01 से 03 व 05 एवं पत्रांक 1063/खनन अनुभाग/एम.एम.-11/सत्यापन आख्या/19 दिनांक 08 मई, 2020 के क्रमांक 02, 04, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23 पर अंकित ई-एम.एम.-11, जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अम्बेडकरनगर को संबोधित है, के अनुसार फर्जी/ पूर्व में ही प्रयुक्त पाये गये हैं:-

क्र. सं./ सत्यापन सूची क्र.सं.	ई.एम.एम.-11 संख्या	निर्गत तिथि	मात्रा/आयतन सामग्री घनमीटर में	निहितरायल्टी की धनराशि रुपए
1/1	31451903030100435	06.12.2019	14	1540.00
2/3	31451903030100330	24.11.2019	14	1540.00
3/5	31451903030100367	28.11.2019	14	1540.00
4/2	31451903032900044	18.11.2019	14	1540.00
5/4	31451903032900057	18.11.2019	14	1540.00
6/9	31451903027700177	25.11.2019	11	1210.00
7/11	31451903030100352	25.11.2019	11	1210.00
8/12	31451903030100353	25.11.2019	11	1210.00
9/13	31451903031301554	27.11.2019	14	1540.00
10/16	31451903031301554	27.11.2019	14	1540.00
11/18	31451903032900085	03.12.2019	14	1540.00
12/19	31451903027700199	05.12.2019	11	1210.00
13/23	31451903031301782	07.12.2019	14	1540.00
			योग-	18700.00

अतः उपरोक्तानुसार 13 प्रति फर्जी/पूर्व में प्रयुक्त ई.एम.एम.-11 के सापेक्ष रायल्टी कुल रुपये 18700.00 का 6 गुना ₹0 112200.00 अर्थदण्ड का राजकीय राजस्व सम्बंधित ठेकेदार ओम प्रकाश सिंह से वसूल कर निर्धारित रायल्टी हेड में जमा कराए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर पूष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से उक्त राजकीय राजस्व ₹0 112200.00 की वसूली बराबर हिस्सों में करके विहित हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ एमएम-11 के फर्जी

होने एवं निर्माण सामग्री प्राप्त न होने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित रही जो भारी अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।(आ0सं0 34)

प्रस्तर-03

जिला पंचायत की आडिट वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणकों का मिलान एवं जांच कैशबुक से करने पर पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों पर इस्टीमेट/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति से अधिक अनियमित भुगतान करके संस्था के धन का नियमों के विपरीत भुगतान करके संस्था को हानि पहुंचाई गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य का नाम	कैशबुक वा0सं0/दिनांक	मद नाम	इस्टीमेट के अनुसार	कैशबुक वाउचर के अनुसार	अधिक मात्रा	दर प्रति वर्ग मी0	भुगतानित अधिक धनराशि रु0(8*9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	संजीव वर्मा के ट्यूबेल से पिच मार्ग तक ब्रिक सोलिंग कार्य एस	74/11.05.2020	सोलिंग	907.50 वर्ग मी0	931.14 वर्ग मी0	23.64 वर्ग मी0	409.60	9683.00
02	लारपुर पंचायत भवन से मकदूमपुर बार्डर होते हुए बक्सरपुर तक ब्रिक सोलिंग कार्य एस	79/09/06/2020	सोलिंग	1313.04 वर्ग मी0	1337.15 वर्ग मी0	24.11 वर्ग मी0	409.60	9875.00
03	ग्राम सभा मीर्जापुर में प्रेम चन्द्र के घर से राजेन्द्र के ट्यूबेल तक ब्रिक सोलिंग कार्य एस	27/01.06.2020	सोलिंग	1293.60 वर्ग मी0	1331.53 वर्ग मी0	37.93 वर्ग मी0	409.60	15536.00
04	ग्राम सभा केशवपुर परागदत्त सिंह के खेत से चीनी यादव के ट्यूबेल तक ब्रिक सोलिंग कार्य एस	80/09.06.2020	सोलिंग	1488.30 वर्ग मी0	1551.70 वर्ग मी0	63.40 वर्ग मी0	409.60	25969.00
05	पेठिया अखिलेश कुमार के बाग से दक्षिण नकटुवा हलीमपुर सम्पर्क पिचमार्ग तक ब्रिक सोलिंग कार्य एमबी	64/24.08.2020	सोलिंग	1168.20 वर्ग मी0	1184.61 वर्ग मी0	16.41 वर्ग मी0	409.60	6722.00
06	जहांगीरगंज राजेसुल्तानपुर मुख्य मार्ग पर डा0 विजय के घर से केवटाही तक ब्रिक सोलिंग कार्य एमबी	37/18.12.2020	सोलिंग	2827.50 वर्ग मी0	2915.78 वर्ग मी0	87.78 वर्ग मी0	409.60	35955.00
07	हंसवर पिचरोड से अमरनाथ के घर से ड्योहारे तक सी0सी0 कार्य एस	203/08.01.2021 73/24.09.2020	सीसी इम्बैकमेंट	149.75 घन मी0	शून्य	149.75 घन मी0	87.90	इम्बैकमेंट कार्य शून्य
			अनरेनफो स्टैड्वेल ज्वाइंट	68.85	71.28	2.43	8891.32	21606.00

08	आदमपुर मुख्य मार्ग से डा0 वीरेन्द्र के चक से दहलवा महरूआ अकबरपुर मार्ग तक ब्रिक सोलिंग कार्य आरपी	67/12.09.2020	सोलिंग	1290	1314	24	409.60	9830.00
09	ग्राम पंचायत सुरजपुर में पानी निकाली हेतु नाली निर्माण कार्य आरपी	62/12.09.2020	नाली निर्माण बेड लेइंग सुपर स्ट्रक्चर स्लैब	3.84	9.20	5.36	10389.00	56685.00
			पटिया हेतु सरिया क्रय सप्लाईंग/ फिटिंग एण्ड प्लेसिंग एम.एस. बार	3.77	8.90	5.13	6031.60	30942.00
10	हैदराबाद भिउरा में नहर की पटरी होते हुए खजावा पिच मार्ग तक सोलिंग कार्य	53/05.11.2020	सोलिंग	3498.00	3523.95	25.95	409.60	10629.00
							योग-	233432.00

अतः उक्त प्रकार से इस्टीमेट/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति से वैरिएशन करके अधिक भुगतान कर जिला पंचायत को रू0 233432.00 की हानि पहुचाई गई है। यह हानि आडिट में प्रस्तुत मात्र 26 कार्य पत्रावलियों की जांच में उक्त 10 कार्यों में पाई गई है जबकि जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 144 कार्य का सम्पादित कराए जाने की सूची उपलब्ध कराई गई थी परंतु मौखिक एवं लिखित मांग के बावजूद आडिट में मात्र 26 पत्रावली उपलब्ध कराई गई। यदि समस्त पत्रावलियों की जांच की गई होती तो 233432.00 के स्थान पर कम से कम औसतन रू0 1400000.00 अथवा अधिक मात्रा की इस्टीमेट/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति में वैरिएशन करके अधिक भुगतान की हानि का प्रकरण प्रकाश में आता। यह प्रकरण अत्यंत गंभीर एवं जांच का विषय है। उक्त विवरण में सन्निहित धनराशि रू0 233432.00 की वसूली अभियंता श्री जयराम सिंह, सम्बन्धित अवर अभियंता एवं श्री शिव प्रसाद सोनकर निर्माण लिपिक से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर यह स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमों में विहीत माध्यम से लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की

स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आ0सं0 40)

प्रस्तर-04

ग्राम सभा सिपाह टोंस नदी धरवा घाट पर शवदाह गृह का निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि वा0न0 19 दिनांक 07.10.2020 से कुल ₹0 239747.00 व्यय किया गया है। जिसकी जांच में पाया गया कि उक्त कार्य के कई मदों में इस्टीमेट/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति से अधिक मात्रा में वैरिएशन करके कार्य कराया गया है एवं भुगतान किया गया है। कराए गए कार्य से सम्बन्धित उक्त भुगतान वैरिएशन स्टेटमेंट के बिना भुगतान किया गया है। इस अधिक भुगतान के लिए सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है। अतः निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतानित कुल ₹0 17654.00 नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है। विवरण निम्न प्रकार है।

कैशबुक वा0सं0/दिनांक	मद नाम	इस्टीमेट/वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति के अनुसार	कैशबुक वाउचर के अनुसार	अधिक मात्रा	दर प्रति वर्ग मी0	भुगतानित अधिक धनराशि ₹0(8*9)
3	4	5	6	7	8	9
19/07.10.2020	अर्थ वर्क इम्बैकमेंट	232.96 घन मी0	255.91	22.95	95	2180.00
„ „	ब्रिक वर्क	32.60 घन मी0	35.39	2.79	4920	13727.00
„ „	प्लास्टर	37.80 वर्ग मी0	51.24	13.44	130	1747.00
						17654.00

अतः उक्त इस्टीमेट/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति से वैरिएशन करके अधिक भुगतान कर जिला पंचायत को पहुंचाई गई हानि धनराशि ₹0 17654.00 की वसूली अभियंता श्री जयराम सिंह, अवर अभियंता श्रीमती सुनीता एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर यह स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमों विहित माध्यम से लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आ0सं0 41)

प्रस्तर-05

ग्राम सभा सिपाह टोंस नदी धरवा घाट पर शवदाह गृह का निर्माण कार्य पर इस्टीमेट में ₹0 566000.00 जी0एस0टी0 सहित सप्पलाई एवं फिक्सिंग लार्जर स्पैन पाईप ट्यूबलर सेड(12*06*04) का प्राविधान किया गया है जिसके टेण्डर से सम्बन्धित कोई प्रपत्र/प्रमाणक पत्रावली में अप्राप्त रहा। इसका भुगतान निर्धारित कटौती के बाद कैशबुक में वा0नं0 80 दिनांक 22.05.2020 ₹0 532498.00 से किया गया है। जिसमें निम्न आपत्तियां आडिट के दौरान पाई गई हैं:-

01-उक्त ट्यूबलर सेड मार्क इण्टरप्राइजेज बाबू पुरवा कानपुर द्वारा अपने बिल नं० 09/एमई/2018-19 तिथि विहीन से आपूर्ति की गई है। उक्त क्रय हेतु प्राप्त बिल पर जिला पंचायत से आपूर्ति हेतु दिये गये आर्डर का नं० 1018/जि०पं०/अम्बे०/निर्माण/शवदाह/2017-18 दिनांक 13.10.2017 अंकित है। स्पष्ट है कि दिनांक 22-05-2020 में किए गए भुगतान के लिए दिनांक 13.10.2017 में अर्थात् 3 वर्ष पहले ही आर्डर देने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। अतः संस्था का आर्डर एवं बिल कूट रचित है। इसके लिए टेण्डर आमंत्रण से सम्बन्धित कोई प्रपत्र/प्रमाणक पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा और न ही अलग से उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट है कि क्रय एवं भुगतान नियम विरुद्ध है।

02-मार्क इण्टरप्राइजेज का संलग्न बिल पूर्व में किसी दूसरे ग्राम सभा के नाम से था जिसमें कूट रचित कर ग्राम सभा सिपाह का नाम अंकित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि पूर्व में प्रयुक्त बिल के आधार पर अनियमित भुगतान किया गया है। उक्त से इसका उपयोग कूट करण करके कई अन्य कार्यों पर भी किये जाना प्रमाणित होता है जो संस्था को गंभीर वित्तीय हानि पहुंचाए जाने का प्रकरण है।

(3)-मार्क इण्टरप्राइजेज कानपुर का संलग्न बिल ₹ 566000.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार वा०न० 80 दिनांक 22.05.2022 को चालू द्वितीय भुगतान बिल के रूप में किया गया है। इस वाउचर में पहले उक्त बिल की धनराशि ₹ 566000.00 शामिल नहीं थी जिसे बाद में शामिल किया गया है जिसके लिए जिला पंचायत के बिल में काटपीट कर पूरे बिल की धनराशि बदली गई है। उक्त बिन्दु 1, 2, एवं 3 से स्पष्ट है कि कूटकरण कर उक्त धन का अपरण किया गया है।

04-उक्त ट्यूबलर सेड की एम०बी० एवं स्टाक इंट्री एवं स्टाक स्टोर रिलीज की स्थिति एवं टेण्टर आदि के सम्बन्ध में जानकारी एवं जांच अभिलेखों एवं प्रमाणकों के उपलब्ध न कराए जाने के कारण नहीं हो पाई।

अतः अभिलेखों/प्रमाणकों में कूटकरण कर जिला पंचायत को पहुंचाई गई हानि ₹ 566000.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, अवर अभियंता श्रीमती सुनीता एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में उ०प्र० क्षे०पं० तथा जि०पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर प्राप्त कर नियमों में विहित माध्यम से लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली उक्त सम्बद्ध व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं० 42)

प्रस्तर-06

ग्राम सभा सिपाह टोंस नदी धरवा घाट पर शवदाह गृह का निर्माण कार्य की भुगतान पत्रावली एवं कैशबुक से वाउचर मिलान एवं जांच में पाया गया कि प्रथम बिल का भुगतान वा० न० 17 से दिनांक 13.04.2020 में ₹ 226736.00, द्वितीय बिल का भुगतान वा०न० 80 से दिनांक 22.05.2020 में ₹ 532498.00 का तथा फाइनल बिल का भुगतान वा०न० 19 से दिनांक 07.10.2020 में ₹ 239747.00 का अर्थात् कार्य पर कुल ₹ 998981.00 का किया गया दर्शित है। उल्लेखनीय है कि फाइनल बिल ₹ 891948.17 से ₹ 677888.00 पूर्व पेमेंट घटाया गया है जबकि उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फाइनल बिल के पूर्व में वा० न० 17 एवं 80 से

भुगतानित बिल का योग ₹0 (226736+532498)=759234.00 है, जिसे न घटाकर काल्पनिक रूप से ₹0 677888.00 घटाकर ₹0 81346.00 से अधिक भुगतान कराया गया है।

अतः अभिलेखों/प्रमाणकों में तमाम कटिंग/ओवरराइटिंग एवं कूटकरण कर जिला पंचायत को पहुंचाई गई हानि ₹0 81346.00 की वसूली अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह, अवर अभियंता श्रीमती सुनीता एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में उOप्रO क्षेत्रOपंO तथा जिOपंO (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से संसूचित किए गए अधिसूचना के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आOसंO 43)

प्रस्तर-07

जिला पंचायत की आडिट वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं वाउजर की जांच एवं मिलान में पाया गया कि ग्राम सभा चाचिकपुर में काली चौरा स्थान पर एवं इधना में मिसिर बाबा स्थान पर दो-दो यात्री छादक निर्माण कार्य पर एक ही साथ व्यय दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	वाOनO/दिनांक	धनराशि ₹0	अन्य
01	ग्राम सभा चाचिकपुर में काली चौरा स्थान पर यात्री छादक निर्माण कार्य	98/06.01.2021	819840.00	
02	ग्राम सभा चाचिकपुर में काली चौरा स्थान पर यात्री छादक निर्माण कार्य	109/06.01.2021	819840.00	
03	इधना में मिसिर बाबा स्थान पर यात्री छादक निर्माण कार्य	112/06.01.2021	819840.00	
04	इधना में मिसिर बाबा स्थान पर यात्री छादक निर्माण कार्य	247/09/01.2021	819840.00	
	योग-		3279360.00	

उक्त पर निम्न आपत्तियां पाई गई हैं:-

01-उक्त कार्य की प्रारंभिक परियोजना एवं प्रस्ताव की जांच उOप्रO क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 3 के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण समिति, तत्पश्चात कार्य समिति तथा अंत में दोनों समितियों की सिफारिश सहित जिला पंचायत को प्रेषित एवं अनुमोदित होने की स्थिति का ज्ञान कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना एवं कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं हो सका। जिसके कारण उक्त स्थानों पर दो-दो यात्री छादक बनाए जाने के औचित्य की जांच नहीं की जा सकी।

02- पत्रावली के अभाव में 30प्र0क्षे0प0 एवं एवं जि0प0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुरूप यात्री छादक के निर्माण पर टेण्डरों के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस एवं प्रक्रिया के नियमानुसार होने एवं तदुसार भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

03-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यात्री छादकों के निर्माण हेतु भुगतान प्रायः एक साथ माह जनवरी 2021 में किया गया है परंतु कार्य पत्रावली के अभाव में टेण्डर कोटेशन की प्रक्रिया के अलग होने अथवा एक ही साथ होने की जानकारी नहीं हो पाई।

04-यात्री छादकों पर किये गये व्यय से स्पष्ट है कि निर्धारित राजकीय बजट की धनराशि का हूबहू उपभोग दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि एम0बी0 साइट पर नहीं की गई है अन्यथा कि स्थिति में सभी यात्री छादक पर एक समान माप एवं व्यय का होना संभव नहीं है क्योंकि माप एवं तदुस्य व्यय का कम/अधिक होना साइट पर उपलब्ध भूमि, साइट क भौमिक ऊंची-नीची स्थिति, निर्माण सामग्रियों की साइट पर पहुंच की कास्ट एवं अन्य कई कारकों पर भी निर्भर करता है। अतः गाई फाइल से स्पष्ट है कि सभी यात्री छादकों की काल्पनिक एम0बी0 की गई है। वास्तविक रूप से साइट पर जाकर एम0बी0 नहीं की गई है जो भारी वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

05-यात्री छादक के निर्माण से सम्बन्धित शासकीय गाइडलाइन आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण व्यय की अधिकतम/न्यूनता सीमा एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराए जाने एवं एक स्थान पर अधिकतम यात्री छादक बनाए जाने की संख्या आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

06-उक्त कार्यों की माप पुस्तिका बार-बार आडिट में मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की जा सकी।

07-बिना व्यय प्रमाणक/कार्य पत्रावली उक्त कार्यों पर किया गया भुगतान 30प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64, जिसमें प्राविधानित है कि “कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय जो स्वयं दावेदार का बिल होगा एवं नियम 82 यह कि “बिलों को उनके भुगतान के प्रतीकस्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा” के विपरीत एवं वसूली योग्य है। इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के अध्याय III भाग-4 वाउचर पैराग्राफ 47 (छ) के अनुसार “स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या वाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा।” उक्त लेखा नियम के पैराग्राफ 50 से अनुसार “प्रत्येक वाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा प्रस्तुत किया गया है भुगतान कि एक अभिस्वीकृति को इसमें संलग्न करना चाहिए।” परंतु जिला पंचायत में सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए स्वयं से परिषद से प्रारूप पर बिल बनाकर जिला पंचायत द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए भुगतान किया जाना 30प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 ठेका की शर्तें खण्ड 10 एवं 11 के विपरीत है जिसमें बिना बिल के भुगतान किया जाना वर्जित है।

08-30प्र0क्षे0प0 एवं एवं जि0प0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र उपरोक्त कार्यों की पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

09-कार्य पत्रावली/वाउचर के अभाव में निर्माण काल के पहले, बीच एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लिए गए छायाचित्र एवं अन्य पुष्टिपरक प्रमाणक भी अप्राप्त रहे जिससे एक ही स्थान पर निर्मित किए गए एक से अधिक यात्री छादक के लिए दोहरे भुगतान की भी जांच भी नहीं की जा सकी।

अतः उक्त पत्रावली एवं प्रमाणक विहीन भुगतानित कुल धनराशि ₹ 3279360.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, अवर अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में 30प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आ0सं0 46)

प्रस्तर-08

गार्ड फाइल का मिलान एवं जांच कैशबुक से करते समय आडिट में पाया गया कि दिनांक 11.05.2020 में वा0नं0 78 से ₹ 64238.00, 02.07.2020 में वा0नं0 46 से ₹ 451459.00 एवं इसी तारीख में वा0नं0 47 से ₹ 284011.00 कुल ₹ 799708.00 का भुगतान तारकोल दुलाई भाड़ा श्री राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता की एम0बी0 के आधार पर किया गया है जबकि इसकी पुष्टि में परिवहन रसीद एवं ट्रक भाड़ा रसीद एवं अन्य आवश्यक एवं अनिवार्य प्रमाणक अप्राप्त रहे। अवर अभियंता राजेन्द्र प्रसाद द्वारा बिना बिल के, किस प्रकार एवं किस आधार पर आपूर्ति कार्ता फर्म, तारकोल की मात्रा एवं आमद की एम0बी0 की गई यह भी अज्ञात रहा। अतः समुचित प्रमाणकों के अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती। राजकीय व्यय की पुष्टि में प्रत्येक व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर/भुगतान रसीद आदि पुष्टि में प्राप्त न करना अविधिक व्यय को दर्शाता है।

अतः उक्त प्रमाणक विहीन भुगतान कुल धनराशि ₹ 799708.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, अवर अभियंता श्रीमती सुनीता, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं शिव प्रसाद सोनकर निर्माण लिपिक से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में 30प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से, संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर, उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आ0सं0 47)

प्रस्तर-09

जिला पंचायत की आडिट वर्ष 2020-21 में वाउचिंग के समय पाया गया कि विगत कई वर्षों 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 एवं 2019 से सम्बन्धित विभिन्न तिथियों में ठेकेदारों के बिलों से नकद काटौती की धनराशि की वापसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में बड़ी मात्रा में की गई कैशबुक में दर्शित है जिसका भुगतान जिला पंचायत द्वारा किया गया है। परंतु इन भुगतानों की पुष्टि में सम्बन्धित भुगतान प्राप्त कर्ताओं के प्रार्थना पत्र, तत्समय की गई काटौती के प्रमाण, निर्धारित प्राप्ति रसीदें आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई हैं एवं भुगतान का पूर्ण विवरण एवं इतने

लम्बे समय से कटौती की धनराशि रोके रखने का कारण अंकित नहीं किया गया है तथा बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण इनके भुगतान के नियमानुसार एवं सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी है। विवरण निम्न प्रकार है

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक(जिससे भुगतान किया गया है।)	वा0सं0/दिनांक (जिससे पूर्व में कटौती की गई थी)	प्रमाणक विहीन वापस की गई धनराशि रू0	अन्य
01	19/02.07.2020	61/20.03.2018	50000.00	
02	18/02.07.2020	64/17.05.2018	50000.00	
03	65/17.07.2020	84/30.06.2018	75000.00	
04	36/14.08.2020	19/18.04.2017	150000.00	
05	38/14.08.2020	31/16.03.2016	10000.00	
06	39/14.08.2020	39/15.04.2015	32500.00	
07	40/14.08.2020	50/14.01.2018	40000.00	
08	44/18.08.2020	46/07.11.2014	30000.00	
09	45/14.08.2020	145/22.09.2015	50000.00	
10	46/14.08.2020	107/23.05.2015	25000.00	
11	47/14.08.2020	13/19.12.2014	30000.00	
12	48/14.08.2020	29/05.07.2015	50000.00	
13	49/14/08/2020	29/10.07.2015	30000.00	
14	50/14.08.2020	79/10.09.2015	17500.00	
15	51/14.08.2020	112/28.11.2015	15000.00	
16	52/14.08.2020	113/28.11.2015	25000.00	
17	53/14.08.2020	24/23.03.2017	12000.00	
18	54/14.08.2020	35/.08.04.2015	3000.00	
19	55/14.08.2020	26/02.03.2015	3000.00	
20	56/14.08.2020	06/01.10.2015	30000.00	
21	57/14.08.2020	71/10.09.2015	40000.00	
22	22/14.08.2020	40/03.01.2017	21391.00	
23	24/24.08.2020	40/08.10.2016	53100.00	
24	26/14.08.2020	134/11.01.2019	75000.00	
25	23/14.08.2020	46/01.01.2018	37151.00	****
26	25/14.08.2020	47/04.01.2018	141500.00	****

27	01/14.09.2020	03/07.03.2014	217000.00	
28	27/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	80000.00	
29	28/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	96000.00	
30	29/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	22000.00	
31	30/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	15000.00	
32	31/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	4500.00	
33	32/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	5592.00	
34	33/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	30000.00	
35	34/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	50000.00	
36	35/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	8000.00	
37	37/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	14200.00	
38	44/14.08.2020	विवरण अप्राप्त	75000.00	
39	56/14.08.2020	71/10.09.2015	40000.00	
40	33/07.10.2020	18/02.12.2019	64000.00	
41	34/07.10.2020	73/07.03.2019	33000.00	
42	35/07.10.2020	130/20.04.2018	20000.00	
43	79/22.10.2020	28/02.05.2019	7140.00	
			1877574.00	

अतः उक्त बाउचर/प्रमाणक/बिल बिहीन एवं विवरणहीन भुगतानित कुल धनराशि ₹0 1877574.00 30प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64, जिसमें प्राविधानित है कि “कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय जो स्वयं दावेदार का बिल होगा।” एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के भाग-IV के पैराग्राफ 47 (2छ) यह कि “स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या बाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा” एवं पैराग्राफ 50 यह कि “प्रत्येक बाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा किया गया है भुगतान की एक अभिस्वीकृति को भुगतान के साथ संलग्न करना चाहिए। यह अभिस्वीकृति सदैव भुगतान के समय लेनी चाहिए।” के विपरीत है। भुगतान की प्रकृति का भी ज्ञान बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका। उक्त बाउचर विहीन भुगतानित धनराशि की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में 30प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से, संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर, उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमों में विहित माध्यम से लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना

अपेक्षित है साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।
(आ0सं0 48)

प्रस्तर-10

आडिट के समय वाउचिंग में पाया गया कि वा0नं0 96 से दिनांक 24.09.2020 को रू0 222953.09 वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए जिला पंचायत अम्बेडकर नगर द्वारा कराए गए ई-प्रोक्योरमेंट/टेण्डरिंग प्रणाली हेतु नामित नोडल सं0 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को कस्टमाइजेशन निविदा शुल्क दिया गया है परंतु पुष्टि में कोई प्रमाणक/भुगतान पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त प्रमाणक विहीन भुगतान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के भाग-IV के पैराग्राफ 47 (2छ) यह कि “स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या बाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा” एवं पैराग्राफ 50 यह कि “प्रत्येक बाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा किया गया है भुगतान की एक अभिस्वीकृति को भुगतान के साथ संलग्न करना चाहिए। यह अभिस्वीकृति सदैव भुगतान के समय लेनी चाहिए।” तथा उ0प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64, जिसमें प्राविधानित है कि “कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय जो स्वयं दावेदार का बिल होगा” के विपरीत है।

अतः उक्त बाउचर/प्रमाणक विहीन भुगतान भुगतान कुल धनराशि रू0 222953.09 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं शिव प्रसाद सोनकर निर्माण लिपिक से क्यों न की जाय। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से, संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर, उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज/अर्थदण्ड एवं विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।
(आ0सं0 49)

प्रस्तर-11

जिला पंचायत की वर्ष 2020-21 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार वा0नं0 36 से दिनांक 12.09.2020 में रू0 365000.00 जिला पंचायत ई गवर्नेंस के नाम पर जिला निधि खाते से जिला पंचायत अनुदान खाते को भुगतान किया गया दर्शित है। इस भुगतान/ट्रांसफर की पुष्टि में भुगतान पत्रावली आडिट में उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किस नियम/शासनादेश के तहत यह भुगतान दुसरे खाते में किया गया एवं किस खाते में किया गया। भुगतान पत्रावली प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह से क्यों न की जाय। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से, संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर, उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण

प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज/अर्थदण्ड एवं विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आ0सं0 50)

प्रस्तर-12

आडिट में पाया गया कि दिनांक 22.06.2020 में वा0नं0 131 से रू0 12933.00 कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन सं0 यू0पी045 जी0/0111 का इंश्योरेंस कराए जाने का भुगतान किया गया है। इस भुगतान की पुष्टि में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 शाखा कार्यालय 4101 सिविल लाइन का नवीनीकरण सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो उपयुक्त वाउचर/व्यय प्रमाणक नहीं है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के भाग-IV के पैराग्राफ 47 (2छ) यह कि “स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या बाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा” एवं पैराग्राफ 50 यह कि “प्रत्येक बाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा किया गया है भुगतान की एक अभिस्वीकृति को भुगतान के साथ संलग्न करना चाहिए। यह अभिस्वीकृति सदैव भुगतान के समय लेनी चाहिए।” के विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रमाणक विहीन उक्त धनराशि रू0 12933.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह से क्यों न की जाय इस सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से, संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर, उक्त के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज/अर्थदण्ड एवं विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आ0सं0 51)

प्रस्तर-13

जिला पंचायत की आडिट वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं अनुदान रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्न क्रमांक 01 से 14 तक के स्थानों पर कुल 14 यात्री छादक का निर्माण पर रू0 11477760.00 तथा क्रमांक 15 से 23 कुल 09 शवदाह गृह के निर्माण कार्य पर रू0 8779680.00 कुल रू0 20257440.00 व्यय दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रमाणक संख्या और दिनांक	व्यय का विवरण	व्यय की धनराशि
01	वी99, 06.01.2021	कुढ़ा मोहम्मदगढ़ में शमसान घाट पर यात्री छादक का निर्माण	819840.00
02	वी 100, 06.01.2021	बेवाना में यात्री छादक का निर्माण	819840.00
03	वी 101, 06.01.2021	टाण्डा कलवारी मार्ग पर सम्हरिया में यात्री छादक का निर्माण	819840.00
04	वी 102, 06.01.2021	धवरुआ में यात्री छादक का निर्माण	819840.00
05	वी 103, 06.01.2021	जलालपुर टोंस नदी के किनारे मंगुराडिला में यात्री छादक निर्माण	819840.00
06	वी 106, 06.01.2021	औँघड़ बाबा स्थान पर यात्री छादक निर्माण	819840.00

07	वी 108, 06.01.2021	भीटी में नदी के किनारे यात्री छादक का निर्माण	819840.00
08	वी 113, 06.01.2021	ग्राम किशुनपुर कविरहा में ब्रह्मबाबा के स्थान पर यात्री छादक निर्माण	819840.00
09	वी 115, 06.01.2021	कम्हरिया घाट में यात्री छादक का निर्माण	819840.00
10	वी 116, 06.01.2021	ग्राम झिनका स्थित ब्रह्मबाबा कुटी के पास यात्री छादक का निर्माण	819840.00
11	वी 118, 06.01.2021	ग्राम पिन्डोरिया में सीता घाट पर यात्री छादक का निर्माण	819840.00
12	वी 243, 09.01.2021	भीटी हरी माता मंदिर पर यात्री छादक का निर्माण	819840.00
13	वी 244, 09.01.2021	राजस्व गांव पहुंती के गाटा सं० 74 में यात्री छादक का निर्माण	819840.00
14	वी 245, 09.01.2021	जैतपुर ग्रामसभा में यात्री छादक निर्माण	819840.00
		योग-	11477760.00
15	वी 104, 06.01.2021	भीटी में नदी के किनारे शवदाह गृह का निर्माण	975520.00
16	वी 105, 06.01.2021	जलालपुर में टोंस नदी के किनारे शवदाह गृह का निर्माण	975520.00
17	वी 107, 06.01.2021	कुढा मोहम्मदगढ़ में शमशान घाट पर शवदाह का निर्माण	975520.00
18	वी 110, 06.01.2021	राजस्व गांव पहुंती के गाटा सं० 74 में शवदाह गृह का निर्माण	975520.00
19	वी 111, 06.01.2021	जैतपुर खास में शवदाह का निर्माण	975520.00
20	वी 114, 06.01.2021	ग्राम नगहरा में शवदाह गृह का निर्माण	975520.00
21	वी 117, 06.01.2021	बेवाना में शमशान घाट पर शवदाह गृह का निर्माण	975520.00
22	वी 119, 06.01.2021	धवरुआ में नदी के किनारे शवदाह गृह का निर्माण	975520.00
23	वी 246, 09.01.2021	ग्राम भवानीपुर नदी के किनारे शवदाह का निर्माण	975520.00
		योग-	8779680.00
		कुल योग-	20257440.00

उक्त पर निम्न आपत्तियां पाई गई हैं:-

01-उक्त कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे निर्माण कार्य एवं भुगतान में की गई किसी भी वित्तीय अनियमितता एवं गड़बड़ी की जांच नहीं का जा सकी। यह स्थिति लोक हित में आवंटित धन से कराए गए कार्यों एवं उस पर किए गए व्यय की सही जांच किए जाने से रोके जाना जैसा है एवं लोकहित के विपरीत है साथ ही साथ उत्तरदायी अधिकारियों की राजकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही का भी चोत्क है।

02-आडिट में उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रारंभिक परियोजना एवं प्रस्ताव की जांच उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 3 के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण समिति, तत्पश्चात कार्य समिति तथा अंत में दोनों समितियों की सिफारिश सहित जिला पंचायत को प्रेषित एवं अनुमोदित होने की स्थिति का ज्ञान कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना एवं कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं हो सका।

03-यात्री छादक निर्माण पर शासम द्वारा इस्टीमेटेड कास्ट ₹0 819840.00 एवं शवदाह गृह निर्माण पर ₹0 975520.00 की हूबहू एम०बी० की गई है जिसमें इस्टीमेटेड कास्ट एवं मापीकृत कार्य के अनुरूप कास्ट के अंतर

को ही समाप्त कर दिया गया है जो संभव ही नहीं है। यह स्थिति बिना कार्य स्थल की माप किए फर्जी एम0बी0 किए जाने एवं भारी वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

04-कार्य पत्रावली के अभाव में 30प्र0क्षे0प0 एवं जि0प0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुरूप यात्री छादक एवं शवदाह गृह के निर्माण हेतु टेण्डरों के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के नियमानुसार होने एवं तदुसार भुगतान होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

05-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यात्री छादकों एवं शवदाह गृह के निर्माण हेतु भुगतान प्रायः एक साथ माह जनवरी 2021 में किया गया है परंतु निर्माण कार्य पत्रावली के अभाव में टेण्डर कोटेशन की प्रक्रिया एवं उक्त की कार्य अवधि की जानकारी एवं जांच नहीं की जा सकी। उक्त में से क्रमांक 01 से 05, 08 से 11 एवं क्रमांक 16, 17, 21, 22 से सम्बन्धित गार्डफाइल में भुगतान वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराया गया जो भारी अनियमितता के द्योतक है।

06-यात्री छादकों एवं शवदाह गृह पर किये गये व्यय से स्पष्ट है कि निर्धारित राजकीय बजट की धनराशि का हूबहू उपभोग दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि एम0बी0 साइट पर नहीं की गई है अन्यथा कि स्थिति में सभी यात्री छादक एवं शवदाह गृह पर एक समान माप एवं व्यय का होना संभव नहीं है क्योंकि माप एवं तदुरूप व्यय का कम/अधिक होना साइट पर उपलब्ध भूमि, साइट की भौमिक ऊंची-नीची स्थिति, निर्माण सामग्रियों की साइट पर पहुंच की कास्ट एवं अन्य कई कारकों पर भी निर्भर करता है। अतः स्पष्ट है कि सभी यात्री छादकों की काल्पनिक एम0बी0 करते हुए आश्चर्य जनक रूप से सभी निर्माण के लिए ठीक वही धनराशि भुगतान कर दी गई जो अनुमानित राजकीय बजट में दर्शाया गया था। वास्तविक रूप से साइट पर जाकर एम0बी0 नहीं की गई है जो भारी अनियमितता का द्योतक है।

07-यात्री छादक एवं शवदाह गृह के निर्माण से सम्बन्धित शासकीय गाइडलाइन आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण व्यय की अधिकतम/न्यूनता सीमा एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराए जाने तथा इस्टीमेटेड कार्य की प्रकृति आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

08-उक्त कार्यों की माप पुस्तिका बार-बार आडिट में मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की जा सकी। यह स्थिति राजकीय हितों के विपरीत है।

09-बिना व्यय प्रमाणक उक्त कार्यों पर किया गया भुगतान 30प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64, जिसमें प्राविधानित है कि “कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय जो स्वयं दावेदार का बिल होगा एवं नियम 82 यह कि “बिलों को उनके भुगतान के प्रतीकस्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा” के विपरीत एवं वसूली योग्य है। इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के अध्याय III भाग-4 वाउचर पैराग्राफ 47 (छ) के अनुसार “स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या वाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा।” उक्त लेखा नियम के पैराग्राफ 50 से अनुसार “प्रत्येक वाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा प्रस्तुत किया गया है भुगतान कि एक अभिस्वीकृति को इसमें संलग्न करना चाहिए।” परंतु जिला पंचायत में सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए स्वयं से परिषद से प्रारूप पर बिल बनाकर जिला पंचायत द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए भुगतान किया जाना 30प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 ठेका की शर्तें खण्ड 10 एवं 11 के विपरीत है जिसमें बिना बिल के भुगतान किया जाना वर्जित है।

10-उ0प्र0क्षे0प0 एवं एवं जि0प0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र उपरोक्त कार्यों की पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

11-पत्रावली के अभाव में निर्माण काल के पहले, बीच एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लिए गए छायाचित्र एवं अन्य पुष्टिपरक प्रमाणक भी अप्राप्त रहे जिससे सम्बन्धित जांच भी नहीं की जा सकी।

12-उक्त शवदाह गृह एवं यात्री छादक के हस्तांतरण, स्वामित्व एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना/अभिलेख आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

13-माह जनवरी 2021 में जिला पंचायत द्वारा कराए गए सभी लगभग 85 कार्य की एम0बी0 केवल राजेन्द्र प्रसाद से कराई गई है जो एवं व्यक्ति से प्रायः संभव नहीं है। जबकि दो अवर अभियंता एम0बी0 सिंह एवं सुनीता कुमारी से कोई एम0बी0 नहीं कराई गई है। यह स्थिति भारी मिलीभगत एवं फर्जी एम0बी0 के आधार पर किये गये भुगतान को पुष्ट करती है।

अतः उक्त पत्रावली एवं प्रमाणक विहीन भुगतानित कुल धनराशि रू0 20257440.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, सम्बन्धित अवर अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक श्री शिव प्रसाद सोनकर से क्यों न की जाय? इस सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षे0प0 तथा जि0प0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।(आ0सं0 54)

प्रस्तर-14

जिला पंचायत की आडिट में कैशबुक की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत अम्बेडकर नगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5वां राज्य वित्त/15वां केन्द्र वित्त एवं निजी संशाधनों से निम्न प्रकार कैशबुक में कार्यों पर भुगतान किया गया दर्शित है। निर्माण कार्य पत्रावली जो लोकहित में कराए गए निर्माण कार्यों पर हुए राजकीय अनुदान से व्यय एवं सम्पादित कार्य की जांच का मूल आधार है, आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण राजकीय अनुदान का उपभोग मार्ग दर्शक सिद्धान्तों/नियमों/अधिनियमों एवं शासनादेशों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच नहीं की जा सकी। यह स्थिति भारी वित्तीय अनियमितता को छिपाए जाने का चोतक है। आडिट कार्य कैशबुक एवं गार्ड फाइल के आधार पर तथा कुछ प्राप्त पत्रावली के आधार पर सम्पादित किया गया है। नीचे जो निर्माण कार्यों का विवरण अंकित है कैशबुक से सम्बन्धित है एवं अवर अभियंता द्वारा वर्ष भर में की गई एम0बी0 के आधार पर है। वर्ष में तीन अवर अभियंता द्वारा एम0बी0 की गई है जिसमे सबसे पहले राजेन्द्र प्रसाद, इसके बाद सुनीता कुमारी तत्पश्चात एम0बी0 सिंह द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण अंकित है। विस्तृत विवरण एवं सम्बन्धित आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रमाणक संख्या और दिनांक	एम0 बी 0 नं0	तिथि	व्यय की धनराशि	श्री राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता कार्य का नाम/स्थान
01	57/11.05.2020	72	30.04.2020	485819.00	भिटौरा आसापुर के मजरे विहरामपुर में पुलिया)भरौचा(लेपन कार्य
02	58/11.05.2020	72	06.03.2020	209639.00	गढ़ा फतेपुर में पिच रोड से समाप्ति से रामदुलारे के घर तक
03	81/22.05.2020	72	05.05.2020	525923.00	ग्राम सभा दुल्लापुर में प्रदीप यादव के घर से कमसराय पिच मार्ग तक लेपन कार्य
04	86/22.05.2020	72	06.05.2020	162328.00	दुधौरा रोड से दौलत चन्द्र कुमार से घर तक सोलिंग कार्य
05	87/22.05.2020	72	05.05.2020	363818.00	गोबिन्द साहब बंगला रेलिंग का निर्माण
06	88/22.05.2020	72	05.05.2020	515502.00	सुमेरगंज में पिच रोड से सगिया गांव तक लेपन कार्य
07	89/22.05.2020	72	05.05.2020	496232.00	कटरिया मधुपुर पिच रोड से सुभाषर गांव तक लेपन कार्य
08	90/22.05.2020	72	05.05.2020	540992.00	आंतडीह रामबहादुर सिंह के घर से रामधनी के घर तक लेपिन कार्य
09	91/22.05.2020	72	06.05.2020	344048.00	परवरभारी में ग्राम पंचायत मे बल्ली गांव से होते हुए दुर्गा मंदिर तक लेपन कार्य
10	92/22.05.2020	72	06.05.2020	591242.00	कटेहरी बाजार से चमर्खा गांव तक विशेष लेपन मरम्मत
11	94/22.05.2020	72	05.05.2020	387234.00	आदमपु पुलिया से रामलौट से खेत तक सोलिंग कार्य
12	96/22.05.2020	72	06.05.2020	880906.00	भीटी उमराव रोड से तेज द्विवेदी के घर तक लेपन कार्य
13	31/01.05.2020	63	11.01.2020	71730.00	नरहरपुर देवेन्द्र सिंह के घर के सामने से बुद्धू के घर तक पिच रोड तक सोलिंग कार्य
14	33/01.05.2020	72	27.04.2020	132200.00	वसाइतपुर में अवशेष लेपन मरम्मत कार्य
15	34/01.05.2020	63	11.01.2020	227978.00	महरूआ मार्ग से मझवा गांव तक लेपन कार्य
16	35/01.05.2020	72	27.04.2020	720403.00	जलालपुर से इण्टरकालेज तक होते मंशाराम

					से घर तक सोलिंग कार्य
17	36/01.05.2020	72	27.04.2020	653084.00	केवारी पिच रोड से जगदम्बा सिंह के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
18	38/01.05.2020	72	27.04.2020	298890.00	धवरूआ मस्जिद से फुरकान अली के घर तक सोलिंग कार्य
19	40/08.05.2020	63	18.02.2020	757831.00	माधवपुर पहिति पुर पक्की सड़क से टेउवा दक्षिण पश्चिम तक सीसी कार्य
20	42/08.05.2020	72	28.04.2020	112046.00	बनगांव जयपुर गिरंट 30मा 0से बहरिया गांव तक सीसी कार्य
21	43/08.05.2020	72	28.04.2020	724273.00	पदुमपुर भसडा पिच रोड से समसुदीन पट्टी तक सोलिंग कार्य
22	46/08.05.2020	72	28.04.2020	438326.00	हंसवर टाण्डा मार्ग पर हंसवर मु 0हदीस के बाग से आरिफपुर तक सोलिंग कार्य
23	47/08.05.2020	72	28.04.2020	446835.00	साबुपुर में श्याम बहादुर के घर से रमड़ी के घर होते हुए नंदलाल गुप्ता के घर तक सोलिंग कार्य
24	50/08.05.2020	72	28.04.2020	155637.00	श्रवण क्षेत्र पहितीपुर रोड से सियाराम के घर तक अवशेष
25	05.2020..51.08	72	28.04.22020	103794.00	बन्दनडीह में अवशेष कार्य
26	52/08.05.2020	72	28.04.2020	117358.00	माधवपुर से अवशेष कार्य
27	53/08.05.2020	72	28.04.2020	423968.00	पहितीपुर सोसाइटी से भैरवपुर अस्पताल तक अवशेष लेपन
28	62/11.05.2020	72	29.04.2020	759069.00	सेनपुर गोसाईगंज सम्पर्क मार्ग से पिछवाड़ा होते हुए प्रधान मंत्री रोड तक लेपन कार्य
29	64/11.05.2020	72	29.04.2020	463936.00	दिलावलपुर भीटी सम्पर्क मार्ग सोलिंग अवशेष कार्य
30	65/11.05.2020	72	29.04.2020	724414.00	पिछवारा पहाती सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
31	66/11.05.2020	72	15.04.2020	254675.00	पदुमपुर मखनहा पिचरोड सोलिंग कार्य
32	67/11.05.2020	72	29.04.2020	337388.00	दुधौरा रोड से तौकला सोलिंग कार्य
33	70/11.05.2020	72	29.04.2020	160275.00	करीम नगर से पिण्डोरिया सम्पर्क मार्ग अवशेष लेपन मरम्मत कार्य
34	71/11.05.2020	72	15.04.2020	469119.00	कटेहरी बाजार से चमुरखा गांव तक विशेष लेपन मरम्मत

35	72/11.05.2020	72	30.04.2020	283739.00	परवरभारी ग्रा0पं 0केवटहिया लेपन कार्य
36	77/11.05.2020	72	01.05.2020	211854.00	चाचिकपुर पशु आश्रय स्थल निर्माण
37	20/01.06.2020	72	08.05.2020	617873.00	राम नगर न्योरी मुख्य मार्ग लेपन कार्य
38	21/01.06.2020	63	11.12.2019	413098.00	भीखापुर डीहबाबा के स्थान से सीसी कार्य
39	23/01.06.2020	72	08.05.2020	208632.00	गोसाईगंज सेनपुर मार्ग सीसी कार्य
40	25/01.06.2020	72	11.05.2020	523695.00	तकियाकानून गांव से तिवारीपुर विशेष लेपन मरम्मत
41	28/01.06.2020	72	12.05.2020	387997.00	हाथपाकड़ में बाजार से प्रा0वि 0नाले का निर्माण
42	01.06.2020./29	72	12.05.2020	195319.00	टेऊवा जलालपुर में सीसी कार्य
43	30/01.06.2020	72	28.05.2020	822195.00	न्योरी जलालपुर पिचमार्ग लेपन कार्य
44	31/01.06.2020	72	28.05.2020	916789.00	गोबिन्द साहब लेपन मरम्मत कार्य
45	33/01.06.2020	72	08.05.2020	325753.00	मनवरपुर पिचमार्ग लेपन मरम्मत कार्य
46	37/01.06.2020	72	11.05.2020	623620.00	बेला में लेपन कार्य
47	39/01.06.2020	72	13.05.2020	207038.00	बहोरिकपुर पक्की सड़क सीसी कार्य
48	40/01.06.2020	72	28.05.2020	421217.00	आदमपुर मुख्य मार्ग सोलिंग कार्य
49	41/01.06.2020	72	11.05.2020	195936.00	तिवारीपुर मोड़ सीसी कार्य
50	42/01.06.2020	72	11.05.2020	188890.00	मंशापुर कटौना पिच रोड सीसी कार्य
51	43/01.06.2020	72	28.05.2020	252730.00	जलालपुर सेहरा में लेपन कार्य
52	44/01.06.2020	72	28.05.2020	834128.00	सेमरी इण्टरकालेज से पक्खनपुर विद्यालय तक सोलिंग
53	45/01.06.2020	72	11.05.2020	343198.00	आदमपुर तिन्दौली में अवशेष खंडजा कार्य
54	49/01.06.2020	72	08.05.2020	156623.00	भीटी चनहा सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
55	50/01.06.2020	72	08.05.2020	241904.00	केवारी पिच रोड सोलिंग कार्य
56	51/01.06.2020	72	08.05.2020	332686.00	दिलावलपुर भीटी सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
57	52/01.06.2020	72	07.05.2020	400817.00	भीटी महरूआ रोड सीसी कार्य
58	57/01.06.2020	72	28.05.2020	793081.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबूतरा निर्माण
59	58/01.06.2020	72	28.05.2020	439014.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबूतरा निर्माण
60	59/01.06.2020	72	28.05.2020	793081.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबूतरा निर्माण
61	60/01.06.2020	72	28.05.2020	263309.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबूतरा निर्माण
62	61/01.06.2020	72	28.05.2020	793081.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबूतरा निर्माण
63	62/01.06.2020	72	28.05.2020	793081.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबूतरा निर्माण
64	63/01.06.2020	72	13.05.2020	114038.00	असरफ पुर से अरईभवानी लेपन मरम्मत

					कार्य
65	73/09.06.2020	72	28.05.2020	981956.00	सेनपुर गोसाईगंज पिछवाड़ा होते हुए लेपन कार्य
66	76/09.06.2020	72	28.05.2020	275522.00	गदोपुर में अवशेष सोलिंग कार्य
67	87/09.06.2020	72	02.06.2020	240600.00	चहौड़ा पिचमार्ग लेपन मरम्मत
68	88/22.06.2020	72	28.05.2020	564552.00	शाहपुर कोरांव मे विशेष मरम्मत कार्य
69	90/22.06.2020	72	02.06.2020	546038.00	आशोपुर हंसवर मुख्य मार्ग पर सोलिंग कार्य
70	91/22.06.2020	72	18.05.2020	308755.00	बिड़हर से मिर्जापुर सीसी कार्य
71	96/22.06.2020	72	29.05.2020	496219.00	कम्हरिया बाजार विशेष लेपन मरम्मत कार्य
72	100/22.06.2020	72	28.03.2020	273517.00	साबुकपुर हरसंभार पुलिया निर्माण
73	101/22.06.2020	72	02.06.2020	101324.00	आदमपुर पुलिया से राम छैल के खेत तक सोलिंग कार्य
74	102/22.06.2020	72	02.06.2020	811493.00	अम्बेडकर नगर फैजाबाद मार्ग से अहिरौली भिउरासोलिंग
75	103/22.06.2020	72	02.06.2020	270560.00	सूरजपुर में नाली निर्माण
76	110/22.06.2020	72	04.06.2020	285136.00	हाथपाकड़ में नाला निर्माण
77	113/22.06.2020	72	02.06.2020	449493.00	मनवांपुर पिच रोड से प्रा0वि 0तक लेपन कार्य
78	115/22.06.2020	72	03.06.2020	303739.00	नरियांव जहांगीरगंज पक्की सड़क लेपन मरम्मत कार्य
79	117/22.06.2020	72	04.06.2020	272898.00	पिछवारा पहुंची सम्पर्क मार्ग से काली के घर तक सोलिंग
80	118/22.06.2020	72	29.05.2020	266652.00	जलालपुर में इण्टरकालेज से होते हुए मंशाराम से घर तक सोलिंग कार्य
81	120/22.06.2020	72	02.06.2020	500756.00	बेला में सेमरी पिचमार्ग तक लेपन कार्य
82	122/22.06.2020	72	22.06.2020	441862.00	भीटी महरूआ रोड से रामचन्द्र मौर्य के घर तक सीसी
83	125/22.06.2020	72	.20.05.2020	112661.00	भिटौरा में मरौचा तक लेपन कार्य
84	132/06.2020	72	06.03.2020	281254.00	करीमनगर चौराहा से पिण्डोरिया तक लेपन मरम्मत कार्य

85	133/25.06.2020	72	08.05.2020	26982.00	बसाइतपुर में अवशेष लेपन मरम्मत कार्य
86	20/02.07.2020	72	10.06.2020	479966.00	टेउवा जलालपुर में सीसी कार्य
87	21/02.07.2020	72	11.05.2020	75352.00	बेलवरिया गांव से प्रा0वि 0होते हुए लेपन मरम्मत कार्य
88	22/02.07.2020	71	09.06.2020	648816.00	सेनपुर गोसाईगंज सम्पर्क मार्ग से प्रधान मंत्री रोड तक लेपन मरम्मत कार्य
89	23/02.07.2020	71	09.06.2020	834238.00	अढनपुर बाजार से शुकुल के घर तक सीसी
90	37/02.07.2020	71	10.06.2020	489033.00	मनवरपुर पिचरोड से प्रा0वि 0लेपन कार्य
91	44/02.07.2020	72	07.05.2020	120093.00	डामनेपुर में सीसी कार्य
92	48/17.07.2020	71	11.06.2020	108908.00	दुल्लापुर में प्रदीप यादव के घर से पिच मार्ग तक लेपन कार्य
93	50/17.07.2020	71	11.06.2020	128836.00	बकड़ापुर में पक्की सड़क से पश्चिमी छोर तक सीसी कार्य
94	52/17.07.2020	71	11.06.2020	104801.00	बिड़हर खास में पिच मार्ग से लालचन्द्र पाण्डेय के घर तक सीसी कार्य
95	54/17.07.2020	71	11.06.2020	977766.00	भीटी चनहा स0मा 0से जिआवनपुर तक सोलिंग कार्य
96	55/17.07.2020	71	15.06.2020	52727.00	भीटी चनहा स0मा 0 से सिसावलपुर तक सोलिंग कार्य
97	60/17.07.2020	71	10.06.2020	763172.00	ब्राह्मपुर कुसुमा संतोष के घर तक सीसी कार्य
98	62/17.07.2020	71	11.06.2020	409604.00	गोसाईगंज सेनपुर मार्ग से हृदयपुर ओझा बाबा के स्थान तक सीसी कार्य
99	63/17.07.2020	71	11.06.2020	398072.00	अकबरपुर फैजाबाद मार्ग से देव इंद्रावती कालेज के आगे तक लेपन कार्य
100	64/17.07.2020	71	05.07.2020	520827.00	चाचिकपुर में पशु आश्रय का निर्माण
101	79/19.07.2020	72	29.05.2020	124211.00	जहांगीर पदुमपुर मार्ग से चोरमरा तक अवशेष कार्य
102	82/21.07.2020	72	07.05.2020	51251.00	करीमनगर पिण्डोरिया सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य
103	83/29.07.2020	71	12.06.2020	737808.00	पदमेश्वरपुर माइनर डीह स्थान से सागर मिश्र से घर तक सीसी कार्य
104	84/29.07.2020	74	05.07.2020	398800.00	राम समूझ दूबे के घर से विजय बहादुर के

					घर सीसी
105	85/29.07.2020	71	18.06.2020	48750.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
106	86/29.07.2020	71	17.06.2020	88120.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
107	87/29.07.2020	71	17.06.2020	88120.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
108	88/29.07.2020	71	18.06.202	47837.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
109	89/29.07.2020	71	18.06.2020	98694.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
110	90/29.07.2020	71	18.06.2020	98694.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
111	91/29.07.2020	71	19.06.2020	88120.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
112	92/29.07.2020	71	17.06.2020	54261.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
113	93/29.07.2020	71	17.06.2020	70584.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
114	94/29.07.2020	71	17.06.2020	70584.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
115	95/29.07.2020	71	17.06.2020	70584.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
116	96/29.07.2020	71	17.06.2020	88120.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
117	97/29.07.2020	71	18.06.2020	34714.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
118	98/29.07.2020	71	18.06.2020	98639.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
119	99/29.07.2020	71	17.06.2020	54251.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
120	100/29.07.2020	71	18.06.2020	45488.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
121	101/29.07.2020	71	19.06.2020	292507.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
122	102/29.07.2020	71	19.06.2020	394779.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
123	103/29.07.2020	71	23.06.2020	249752.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
124	104/29.07.2020	71	19.06.2020	434672.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
125	105/29.07.2020	71	19.06.2020	194849.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
126	106/29.07.2020	71	19.06.2020	394779.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
127	107/29.07.2020	71	19.06.2020	581918.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
128	108/29.07.2020	71	19.06.2020	542960.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण
129	109/29.07.2020	71	23.06.2020	499505.00	अहिरौली गोबिन्द साहब में चबुतरा निर्माण

	0				
130	110/29.07.2020	71	19.06.2020	542960.00	अहिरौली गोविन्द साहब में चबुतरा निर्माण
131	60/24.08.2020	71	17.08.2020	180815.00	यरकी के मजरे मजगवां में महेन्द्र के घर से शशि के घर तक सीसी कार्य
132	61/24.08.2020	71	30.06.2020	377436.00	अकबरपुर फैजाबाद मार्ग से जेजीबी म0वि 0 तक सीसी
133	65/24.08.2020	71	24.06.2020	101053.00	चहोड़ा पिचमार्ग से समस्तीन पुर तक लेपन मरम्मत
134	68/24.08.2020	71	09.06.2020	209624.00	तकियाकानूनगो से तिवारी पुर तक लेपन मरम्मत कार्य
135	69/24.08.2020	71	23.06.2020	370093.00	आंतडीह रामबहादुर सिंह के घर से रामचौकी तक लेपन
136	70/24.08.2020	71	23.06.2020	13040.00	माधवपुर से खरगपुर अवशेष कार्य
137	71/24.08.202	71	23.06.2020	272447.00	पहितिपुर से भैरवपुर अस्पताल तक अवशेष कार्य
138	72/24.08.2020	71	24.06.2020	202021.00	सुमेरगंज पिच रोड से सगिया गांव तक लेपन मरम्मत क
139	75/24.08.2020	71	16.06.2020	85426.00	मनवरपुर पिच मार्ग से अशरफाबाद तक लेपन मरम्मत
140	79/24.08.2020	71	30.06.2020	54297.00	कसदहा से हरीराम के खेत तक सोलिंग कार्य
141	43/12.09.2020	74	16.07.2020	489000.00	अकबरपुर फैजाबाद मार्ग पर यादव नगर श्री राम यादव के घर से चन्द्रभान यादव के घर तक सीसी कार्य
142	44/12.09.2020	74	16.07.2020	306576.00	बाला लाल बिहारी पीजी कालेज आमा दरवेशपुर सम्पर्कमार्ग पर जयहिन्द के खेत तक सीसी कार्य
143	59.12.09.2020	74	16.07.2020	989731.00	हैदराबाद भिउरा में पिचरोड से नहर पट्टी होते हुए खजांवा पिच तक सोलिंग कार्य
144	62/12.09.2020	74	24.06.2020	228037.00	सरजूपुर गांव में पानी निकासी हेतु नाली निर्माण
145	67/12.09.2020	74	17.06.2020	276331.00	आदमपुर मुख्य मार्ग से दड़लवा महरूआ सीसी कार्य

146	68/12.09.2020	71	17.06.2021	97037.00	जलालपुर सेहरा में राजकुमार से घर तक सोलिंग कार्य
147	69/12.09.2020	71	16.06.2020	130489.00	आदमपुर तिन्दौली में खड़जा अवशेष कार्य
148	75/24.09.2020	74	04.08.2020	591462.00	बहोरिक पुर पक्की सड़क से भीमदेव के घर तक सीसी कार्य
149	76/24.09.2020	74	04.08.2020	683609.00	अकबरपुर फैजाबाद मार्ग से जेजीबी महा 0 वि 0 तक सीसी
150	77/24.09.2020	71	01.09.2020	504760.00	यरकी के मजरे मजगवां में महेन्द्र के घर से शशि के घर तक सीसी कार्य
151	81/24.09.2020	74	29.08.2020	437960.00	अरोपुर हंसवर मुख्य मार्ग पर जयदुर्गा महा 0 वि 0 से हिसामुद्दीनपुर पिपरा सीमा तक सोलिंग कार्य
152	82/24.09.2020	71	01.09.2020	582226.00	दुल्लापुर पिच मार्ग से राम यादव के घर तक लेपन कार्य
153	83/24.09.2020	73	10.07.2020	800704.00	मंशापुर करौना पिच रोड से रामसुरेश के घर तक सीसी
154	84/24.09.2020	74	29.08.2020	445779.00	तिवारीपुर मेन सड़क से पाण्डेय के घर तक सीसी कार्य
155	85/24.09.2020	71	21.08.2020	809305.00	गोविन्द सारग चौराहे से कस्बा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य
156	86/24.09.2020	72	28.03.2020	217149.00	जैनपुर में माता प्रसाद सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य
157	88/24.09.2020	74	10.08.2020	980863.00	गोसाईगंज मार्ग पर प्रहलाद सिंह के ट्यूबेल तक लेपन कार्य
158	89/24.09.2020	74	04.08.2020	184581.00	अम्बेडकर नगर फैजाबाद मार्ग से सरकारी ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
159	18/07.10.2020	74	18.08.2020	575941.00	ग्रामपंचायत विडहर में मिर्जापुर में पक्की सड़क से घाट तक सीसी कार्य
160	26/07.10.2020	74	05.07.2020	261402.00	परमेश्वर पुर माइनर डीह स्थान से विद्या प्रसाद के घर तक सीसी कार्य
161	29/07.10.2020	74	15.09.2020	194401.000	बेला में सेमरी पिचमार्ग तक लेपन कार्य
162	36/16.10.2020	73	15.09.2020	732985.00	दुल्लापुर पिचमार्ग से रामू के घर तक लेपन कार्य

163	37/16.10.2020	73	08.09.2020	571543.00	लालबिहारी पी0जी0कालेज से मां शारदा तक सीसी कार्य
164	40/16.10.2020	73	30.08.2020	339197.00	बिड़हर खास पिचमार्ग से लालचन्द्र के घर तक सीसी कार्य
165	41/16.10.2020	71	24.06.2020	842898.00	बरियावन टाण्डा मार्ग से बलया जगदीशपुर बस्ती तक नाली
166	42/16.10.2020	73	15.09.2020	280618.00	दुल्लापुर में प्रदीप यादव के घर से पिच मार्ग तक लेपन कार्य
167	46/16.10.2020	73	15.09.2020	291376.00	कटरिया मंशापुर पिच रोड से सुभाखर पुर गांव तक लेपन
168	49/16.10.2020	71	23.06.2020	708055.00	भीटी महरूआ रोड से अढनपुर बाजार में सीसी कार्य
169	52/16.10.2020	73	15.09.2020	437660.00	जलालपुर पिचमार्ग से भीटा में अली हुसैन से घर तक लेपन
170	57/16.10.2020	73	08.09.2020	442384.00	चाचिक पुर पशु आश्रय का निर्माण
171	67/16.10.2020	71	10.06.2020	219874.00	कटेहरी बाजार में प्रतापपुर चमुरखा गांव तक लेपन मरम्मत
172	68/16.10.2020	73	16.09.2020	395258.00	भीटी उमरावा रोड से मनोज द्विवेदी के घर तक लेपन कार्य
173	74/16.10.2020	73	16.09.2020	399223.00	ग्राम पंचायत विडहार मिर्जापुर में पक्की सड़क से बिड़हर घाट तक सीसी कार्य
174	75/22.10.2020	74	29.08.2020	264390.00	अकबरपुक गोसाईगंज मार्ग पर गोपालपुर में सूरज सिंह के घर तक सीसी कार्य
175	77/22.10.2020	73	16.09.2020	763967.00	भीटी गोसाईगंज मार्ग पर राजकिशोर की दुकान से प्रहलाद सिंह से ट्युबेल के बगल देवतापुर तक लेपन कार्य
176	35/05.11.2020	73	20.10.2020	408110.00	चनहा भीटी स0मा0चनहा गांव तक सीसी कार्य
177	37/05.11.2020	71	16.06.2020	72835.00	सीसी गोसाईगंज मार्ग सेनपुर मार्ग से औघड़बाबा से स्थान तक सीसी कार्य
178	38/05.11.2020	73	20.10.2020	265250.00	सहिजना पिचमार्ग से रामसिंगार के घर होते हुए आगेतक सीसी कार्य
179	38A/05.11.2020	74	16.07.2020	420871.00	महुवल पिचरोड से बाबा प्रेमदास तक

180	39/05.11.2020	71	15.09.2020	780646.00	ग्राम पंचायत बेला में रमेश के घर से दुर्गा मंदिर तक लेपन कार्य
181	40/05.11.2020	73	22.09.2020	614690.00	जिला पंचायत आवासीय परिसर में 3नग प्रथम तल का निर्माण
182	47/05.11.2020	71	22.09.2020	232115.00	सरैया हरदो पिचमार्ग से गोहनार पुर गांव तक लेपन/मरम्मत
183	48/05.11.2020	73	21.10.2020	437172.00	विशेष लेपन मरम्मत शाहपुर औरांव शिवतारा प्रधान मंत्री रोड से राउतपारा गांव तक
184	49/05.11.2020	73	27.10.2020	99499.00	बसन्तपुर में खमपुर रामधन पाल के ट्यूबेल से घरवासपुर तक सोलिंग
185	51/05.11.2020	71	15.09.2020	115731.00	सोरोपुर हंसवर मुख्य मार्ग पर जय दुर्गा विद्यालय से सिरासुद्दीन मार्ग तक सो0
186	53/5.11.2020	73	21.10.2020	805152.00	हैदराबाद भिठरा पिच रोड से नहप पटरी होते हुए
187	55/5.11.2020	73	21.10.2020	209494.00	मनवरपुर पिच रोड से राम वचन प्रजापति के घर होते हुए प्रा 0वि 0तक लेपन कार्य
188	56/5.11.2020	71	11.6.2020	91890.00	भियांव में जहांगीर बसखारी पक्की सड़क से पुश्चिम का पूरा तक ले/0म0
189	60/12.11.2020	73	29.10.2020	388688.00	रिसियांवा मे महरूआ बेला सम्पर्क मार्ग तक लेपन
190	75/21.11.2020	73	29.10.2020	467623.00	भीटी गोसाईगंज मार्ग पर राम किशोर की दुकान से ग्राम बरही में प्रहलाद के ट्वेल के बगल से लेपन कार्य
191	76/21.11.2020	73	29.10.2020	113570.00	सीसी ग्राम पंचायत यरकी के मजरे मजगवां में श्री महेन्द्र के घर से शशिकांत के घर तक सीसी कार्य
192	77/21.11.2020	73	29.10.2020	115986.00	कटरिया मंशापुर पिचरोड से शुभाकर गांव तक लेपन कार्य
193	89/21.11.2020	73	29.10.2020	944821.00	सेमरी इण्टरकालेज से पक्खनपुर विद्यालय तक सोलिंग कार्य
194	90/28.11.2020	74	15.072020	222356.00	टेउआ जलालपुर में सीसी कार्य
195	24/02.12.2020	73	02.11.2020	831263.00	गोविन्द साहब चौराहे से सम्पर्क मार्ग तक

					लेपन कार्य
196	27/12.2020	73	30.10.2020	154154.00	ग्राम पंचायत महुआना में नहर से विक्रमाजीत वर्मा के घर सीसी कार्य
197	28/02.12.2020	73	02.11.2020	211957.00	रामनगर न्योरी मुख्य मार्ग से विद्याभारती के घर से आगे तक लेपन कार्य
198	29/02.12.2020	73	30.10.2020	373919.00	बड़ड़पुर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय तक सीसी कार्य
199	30/02.12.2020	73	30.10.2020	49907.00	ग्राम सभा अर्जुनपुर में रामानुज दूवे के घर से विजय वहादुर मिश्रा के घर तक ----- -----?
200	31/02.12.2020	73	02.11.2020	269913.00	ग्राम दुल्लापुर पिचमार्ग से कटौली विद्यालय होते हुए रामयादव के घर तक लेपन कार्य
201	32/02.12.2020	73	03.11.2020	129913.00	ग्राम पंचायत अहलादे में लक्ष्मी जायसवाल के घर होते हुए दक्षिण पश्चिम तक सीसी कार्य
202	41/18.12.2020	73	03.11.2020	330531.00	ग्राम सभा चाचिकपुर में पशु आश्रय स्थल का निर्माण
203	74/18.12.2020	73	32.12.2020	70400.00	ग्राम सभा भिस्वा दक्षिण बस्ती में पुलिया निर्माण
204	76/26.12.2020	73	23.12.2020	90250.00	मेला गोबिन्द साहब रैन वसेरा रंगाई पुताई कार्य
205	77/26.12.2020	73	23.12.2020	95800.00	मेला गोबिन्द साहब डाकबंगला रंगाई पुताई कार्य
206	78/26.12.2020	73	23.12.2020	30500.00	मेला गोबिन्द साहब अलाव व्यवस्था
207	79/26.12.2020	73	23.12.2020	23776.00	मेला गोबिन्द साहब पुआल आपूर्ति/फांगिंग मशीन व्यवस्था
208	80/26.12.2020	73	23.12.2020	45000.00	मेला गोबिन्द साहब में चूना/ब्लिचिंग पाउडर
209	81/26.12.2020	73	तिथिविहीन	74000.00	मेला गोबिन्द साहब मेला प्रांगण में सफाई कार्य
210	83/29.12.2020	74	18.09.2020	221241.00	साबुपुर हलधरपुर चौहान बस्ती जल्लापुर पुलिया निर्माण
211	87/20.12.2020	73	25.12.2020	764778.00	टिकुलीगंज पुलिया से नहर की पटरी होते हुए फूलपुर के बाद पिच रोड तक सोलिंग

					कार्य
212	62/05.01.2021	79	24.11.2020	614807.00	सराय जंगल के पूरब बांकेडीह स्थान से रायगंज तक सोलिंग
213	63/05.01.2021	79	24.11.2020	619655.00	महरुआ मिझाईडा मार्ग पर सेहरा से चनहा तक सोलिंग कार्य
214	65/05.01.2021	79	24.11.2020	387478.00	ग्राम आमा में वीरबल के चक से रमजू के मशीन तक सोलिंग कार्य
215	66/05.01.2021	71	09.09.2020	479237.00	अहिरौली गोविंद साहब में लार्जर पाइप एवं ट्रयूबलर शेड का निर्माण
216	67/05.01.2021	71	08.09.2020	495475.00	अहिरौली गोविंद साहब में लार्जर पाइप ट्रयूबलर शेड का निर्माण
217	68/05.01.2021	71	08.09.2020	307809.00	अहिरौली गोविंद साहब में लार्जर पाइस ट्रयूबलर शेड का निर्माण
218	69/05.01.2021	71	08.09.2020	433387.00	गोविंद सहाब में लार्जर पाइप ट्रयूबलर शेड का निर्माण
219	70/05.01.2021	71	08.09.2020	837278.00	अहिरौली गोविंद साहब में लार्जर पाइस और ट्रयूबलर शेड निर्माण
220	74/05.01.2021	71	24.11.2020	697941.00	ग्राम डाडी में देवी सिंह के खेत से विवेक से घर तक सोलिंग
221	75/05.01.2021	79	12.12.2020	776644.00	सेमरी भीटी सम्पर्क मार्ग पर बथुआ काली की पुरवा में अवधेश प्रताप िद्वेदी के घर तक सोलिंग कार्य
222	76/05.01.2021	79	11.12.2020	321294.00	अहिरौली गोविंद साहब में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी० कार्य
223	78/05.01.2021	79	11.12.2020	643130.00	राज्य वित्त आयोग से जिला निधि में स्थानांतरण तारकोल हेतु आपूर्ति
224	79/05.01.2021	79	11.12.2020	514869.00	फरीदपुर प्रा० स्कूल से सराय जंगल मार्ग तक सोलिंग
225	85/05.01.2021	79	12.12.2020	621029.00	बनगांव रामपुर गिरन्ट मार्ग से रुद्र प्रताप के घर तक सोलिंग
226	86/05.01.2021	79	11.12.2020	619695.00	ग्राम चाचिकपुर पिछवारा से दैलावीर तक सोलिंग कार्य
227	87/05.01.2021	79	12.12.2020	595850.00	बालेडीहा से रायगंज तक सोलिंग कार्य

228	89/05.01.2021	74	18.11.2020	328730.00	लेपन मरम्मत ग्राम सेहरा जलालपुर में विजय प्रकाश सिंह के घर से राम फेर सिंह के घर तक
229	95/06.01.2021	79	24.04.2021	145319.00	ग्राम सम्मनपुर में भीटी उमरावां पिच रोड से अढनपुर कुर्मियाना पिच रोड से सीताराम पांडेय के घर तक
230	96/06.01.2021	79	24.11.2020	401761.00	सी०सी० भीटी तहसील से रजिस्ट्री कार्यालय तक
231	120/06.01.2021	79	17.12.2020	557611.00	ले०/मरम्मत हजपुरा बाकरगंज कालेपुर महुअल का अवशेष कार्य
232	126/06.01.2021	79	13.12.2020	401766.00	आरोपुर रन्नापुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम खत्मीपुर से अखिलेश के घर तक लेपन
233	129/06.01.2021	79	15.12.2020	617929.00	ग्राम मनिहारी प्रा० स्कूल से मितपुर गांव तक सोलिंग
234	130/06.01.2021	79	16.12.2020	415658.00	ग्राम मंशापुर मंगला सिंह के खेत से करौना पिच रोड मार्ग तक लेपन कार्य
235	131/06.01.2021	79	16.12.2020	773019.00	चहोडा सम्पर्क मार्ग से इन्द्रेश यादव के खेत से लखमीपुर सम्पर्क मार्ग से जानकी यादव के खेत तक सोलिंग कार्य
236	132/06.01.2021	79	15.12.2020	544545.00	ग्राम सेहरा जलालपुर से मनवा सम्पर्क मार्ग से राज कुमार निषाद के घर से बसंत उपाध्याय के घर तक सोलिंग कार्य
237	133/06.01.2021	79	27.12.2020	.75150.00	अहिरौली गोबिन्द साहब
238	133A/06.01.2021	79	27.12.2020	72700.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब टेण्ड व्यवस्था
239	134/06.01.2021	79	28.12.2020	42790.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब वाच टावर/वैरियर
240	135/06.01.2021	79	23.12.2020	92220.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब वाच टावर/वैरियर
241	136/06.01.2021	73	28.12.2020	25500.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब में जनरेटर/प्रकाश व्यवस्था
242	137/06.01.2021	73	28.12.2020	76780.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब में जनरेटर/प्रकाश व्यवस्था

243	138/06.01.2021	73	28.12.2020	66875.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब में जनरेटर/प्रकाश व्यवस्था
244	139/06.01.2021	73	28.12.2020	19424.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब में फागिंग एवं पानी व्यवस्था अवशेष भुगतान
245	140/06.01.2021	73	28.12.2020	32000.00	मेला अहिरौली गोबिन्द साहब में अलाव व्यवस्था अवशेष भुगतान
246	161/07.01.2021	79	16.12.2020	399331.00	बिड़हार खास मांझी बस्ती में पुलिया निर्माण
247	163/07.01.2021	79	15.12.2020	105109.00	वस्तीपुर गांव में डिहवां आगनवाड़ी तक खडंजा सोलिंग
248	164/07.01.2021	73	26.12.2020	90489.00	हरदो पिच मार्ग से गोहना तक लेपन
249	165/07.01.2021	73	26.12.2020	443085.00	गोबिन्द साहब चौराहे से कटका तक अवशेष कार्य
250	170/07.01.2021	79	23.12.2020	370784.00	भीटी गोसाईं मार्ग से केवाटी परमानंद तक लेपन कार्य
251	173/07.01.2021	79	23.12.2020	126184.00	मालपुर माइनर से सेमरा मानापुर तक अवशेष लेपन
252	175/07.01.2021	79	22.12.2020	260832.00	पूरे दरबार अहिरन का पूरा पिच रोड से प्रा० विद्यालय पूरे दरबार होते हुए टावर तक लेपन कार्य
253	179/07.01.2021	79	17.12.2020	542465.00	ग्राम मंशापुर से मीरपुर पप्पू तिवारी के घर तक सोलिंग
254	180/07.01.2021	79	22.12.2020	276087.00	पमौली पिच रोड से मल्लेपुर तक ले० कार्य
255	181/07.01.2021	79	23.12.2020	109035.00	बिड़हर रोड से लाल चंद्र पांडेय के घर तक अवशेष सी०सी०
256	184/07.01.2021	79	23.12.2020	259402.00	ग्रा० महेशपुर पाले का पुरवा गोलहवा में दुर्बली दलित के खेत से गोलहवा मंदिर तक ले० कार्य
257	185/08.01.2021	73	02.11.2020	59934.00	अकबरपुर फैजाबाद मार्ग पर यादवनगर श्री राम यादव के घर से चंद्रभान यादव के घर होते हुए महादेव यादव के घर तक सी०सी०
258	192/08.01.2021	73	20.10.2020	263941.00	सी०सी० कार्य तिवारीपुर मेन सड़क से संगम पांडेय के घर तक
259	193/08.01.2021	73	20.10.2020	116807.00	सी०सी० कार्य बहोरिकपुर पक्की सड़क से

					हरिमोहन दूबे के घर तक
260	204/08.01.2021	79	26.12.2020	142208.00	ग्राम सभा खगला में पिचमार्ग से धोबी घाट से आगे नाला तक सोलिंग कार्य
261	207/08.01.2021	79	17.12.2020	449396.00	खजावां में हनीफ की दुकान से प्रा० पा० तक
262	210/08.01.2021	79	17.12.2020	408317.00	ग्राम खजावां में स्व० मोतीलाल वर्मा के घर होते हुए प्रा० स्कूल तक इ०ला०
263	220/09.01.2021	79	26.12.2020	322094.00	ले०/मरम्मत भीटी गोशईगंज मार्ग से केवारी परमानंद तक का अवशेष
264	221/09.01.2021	84	18.11.2020	611296.00	ले०/मरम्मत ग्राम पंचायत मथानी में महेंद्र सिंह के खेत से जेहली का पूरा तक
265	222/09.01.2021	79	26.12.2020	171482.00	दरवन चौराहे से कन्हैया राजभर के मकान तक सी०सी०
266	224/09.01.2021	79	31.12.2020	644954.00	खमपुर सरमनपुर मार्ग से राम शकल के घर तक सी०सी० कार्य
267	229/09.01.2021	79	24.12.2020	139715.00	जलालपुर परशुरामपुर में प्रदीप वर्मा के घर से राम नेवल की सरिया होते हुए सी०सी० कार्य
268	231/09.01.2021	79	2020..31.12	700478.00	ग्रा० संदहा मजगवां मुख्य मार्ग से तालाब तक सोलिंग कार्य
269	232/09.01.2021	74	17.11.2020	469946.00	ले०/मरम्मत भीटी हैदरगंज मार्ग से गोस्वामी के पुरवा तक
270	233/09.01.2021	79	31.12.2020	308525.00	ग्रामसभा चंदापुर मार्ग में जगदेव तिवारी के पूरा तक सी०सी०
271	234/09.01.2021	79	31.12.2020	309827.00	ग्रा० रनीवां में पलहन रोड से जय प्रकाश के घर तक सोलिंग
272	236/09.01.2021	79	04.01.2021	542198.00	ग्राम चपरा से रेवली तक सोलिंग कार्य
273	237/09.01.2021	79	31.12.2020	476737.00	ग्राम सोनावां प्रधानमंत्री सड़क से विजय बहादुर के घर तक सी०सी० / नाली
274	239/09.01.2021	79	31.12.2020	632797.00	ग्राम जैतपुर में शहीद उदय प्रताप के घर से अखिलेश सिंह के घर तक सोलिंग कार्य
275	240/09.01.2021	79	31.12.2020	847178.00	पवन वर्मा के खेत से परकौली पिच मार्ग तक सोलिंग

276	242/09.01.2021	78	17.12.2020	108403.00	विद्या सिंह के बाग से मानिकपुर जंगल तक ले०/मरम्मत
277	249/11.01.2021	73	20.10.2020	203290.00	न्योरी जलालपुर पिचमार्ग से नवीहुसैन के घर तक लेपन कार्य
278	252/11.01.2021	73	26.12.2020	211267.00	ग्राम पंचायत विडहर में मिर्जापुर में पक्की सड़क से विडहर तक सीसी
279	253/11.01.2021	73	25.12.2020	55381.00	ग्राम पंचायत विडहर में पिचमार्ग से मूलचन्द्र के घर तक सीसी
280	254/11.01.2021	78	21.12.2020	354826.00	रामनगर न्योरी मुख्यमार्ग से विद्या के घर तक लेपन
281	256/11.01.2021	78	21.12.2020	240389.00	ग्राम सभा मरूई हाजीपुर से मुस्लिम बस्ती होते हुए झबबर के घर तक सीसी
			योग-	102021587.00	

क्रमांक	वाउचर न० /दिनांक	एम.बी.दिनांक	एम.बी.	धनराशि	सुनीता कुमारी अवर अभियंता स्थान/कार्य का नाम
1.	79/22.5.20	15.05.2020	61	462809.00	टांडा अकबरपुर रोड धागा मिल से अशरफ वर्मा के खेत तक लेपन
2.	82/22.5.20	15.05.2020	61	29777600.	ग्राम सभा रामपुर मुगराडीला मुरली के चक से रामदीन के घर तक सोलिंग कार्य
3.	83/22.5.20	15.05.2020	61	27491400.	ग्राम सभा रामपुर मुगराडीला अमरनाथ के ट्यूबेल से पक्की सड़क तक सोलिंग कार्य
4.	84/22.5.20	15.05.2020	61	32836200.	अकबरपुर जलालपुर मार्ग पर हमपुर से वाकरगंज तक लेपन मरम्मत कार्य
5.	85/22.5.20	15.05.2020	61	67410300.	सकरा युसुफपुर मार्ग से प्रा०पा०एंदलपुर तक लेपन कार्य
6.	97/22.5.20	15.05.2020	61	30362000.	रानीपुर पिचमार्ग से अनिल सिंह के राइस मिल होते हुए तारखुर्द तक सोलिंग कार्य
7.	100/22.5.20	15.05.2020	61	23671300.	ग्राम सभा महमदपुर बस्ती से सीसी रोड तक सीसी कार्य
8.	30/1.5.20	28.04.2020	61	43981600.	हरिपुर जगदीशपुर प्रा०स्कूल से मुर्गी फार्म तक सोलिंग कार्य
9.	37/1.5.20	28.04.2020	61	35041000.	राजू वर्मा के ट्यूबेल से पिच मार्ग तक

					सोलिंग कार्य
10.	39/8.5.20	28.04.2020	61	12422400.	सीहमई मोलनापुर सत्यनारायण के खेत से कमला यादव के घर तक सोलिंग कार्य
11.	44/8.5.20	28.04.2020	61	52226200.	परसपुर कटुई जंगल में शंकर मंदिर से नहर तक सोलिंग कार्य
12.	45/8.5.20	28.04.2020	61	170188.00	मुबारकपुर डैयाडीह तिवारी के घर तक लेपन मरम्मत
13.	48/8.5.20	28.04.2020	61	70623100.	केशवपुर में परागदत्त सिंह के खेत से चीनी यादव के ट्यूबेल/घर तक सोलिंग कार्य
14.	49/8.5.20	28.04.2020	61	47071100.	केशवपुर में रामपाल के खेत से अरविन्द से खेत सोलिंग कार्य
15.	59/11.5.20	01.05.2020	61	36490600.	किशुनपुर मुख्य मार्ग से कृष्णा के खेत से चन्दैनी तक सोलिंग कार्य
16.	60/11.5.20	01.05.2020	61	73152100.	रामपुर गिरधरमऊ सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
17.	63/11.5.20	29.04.2020	61	65243200.	लारपुर पंचायत भवन से मकदूमपुर बार्डर होते हुए बक्सपुर तक सोलिंग कार्य
18.	68/11.5.20	29.04.2020	61	43641700.	ग्राम सभा मिर्जापुर में प्रेमचन्द्र के घर से राजेन्द्र के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
19.	69/11.5.20	29.04.2020	61	26938100.	ग्राम सभा मिर्जापुर में रामनेवल के घर से सत्यनारायण के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
20.	73/11.5.20	29.04.2020	61	71280100.	एंदलपुर युसुफपुर मार्ग से प्रा0पा0तक लेपन कार्य
21.	74/11.5.20	29.04.2020	61	14811800.	संजीव वर्मा के ट्यूबेल से पिच मार्ग तक सोलिंग कार्य
22.	20/13.4.20	07.02.2020	61	32200300.	कार्यालय जिला पंचायत की रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य
23.	68/1.6.20	18.05.2020	61	17637600.	परसपुर कटुई जंगल में शंकर मंदिर से नहर तक सोलिंग कार्य
24.	79/9.6.20	19.05.2020	61	33343700.	लारपुर पंचायत भवन से मकदूमपुर बार्डर होते हुए बक्सपुर तक सोलिंग कार्य
25.	80/9.6.20	19.05.2020	61	13079100.	केशवपुर में परागदत्त सिंह के खेत से चीनी यादव के ट्यूबेल/घर तक सोलिंग कार्य
26.	84/9.6.20	19.05.2020	61	31976200.	इल्तीफाजगंज अकबरपुर स0 मार्ग से भगवत

					प्रसाद के सामने निर्माण
27.	94/22.6.20	29.04.2020	61	10670300.	ममरेजपुर में कुर्सीदेव से पक्की सड़क तक लेपन कार्य
28.	98/22.6.20	20.05.2020	61	74466300.	रानीपुर से हवलदार सिंह के घर तक लेपन कार्य
29.	99/22.6.20	26.05.2020	61	23242000.	अकबरपुर बसखारी मार्ग पर कजरी पोखरा केशवपुर तक लेपन मरम्मत
30.	124/22.6.20	26.05.2020	61	58891600.	सकरा मकदूमपुर में रामकेवल के घर से शिवकुमार की दुकान तक सीसी कार्य
31.	19/1.6.20	16.05.2020	61	56674900.	ग्राम सभा कटरिया से पिचरोड तक लेपन मरम्मत
32.	26/1.6.20	18.05.2020	61	3551900.	सीहमई मोलनापुर सत्यनारायण के खेत से कमला यादव के घर तक सोलिंग कार्य
33.	27/1.6.20	18.05.2020	61	26286100.	ग्राम सभा मिर्जापुर में प्रेमचन्द्र के घर से राजेन्द्र के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
34.	35/1.6.20	16.05.2020	61	49321800.	बनगांव डिहवा से नहर की पट्टी रामबली वर्मा के खेत अमरई गांव तक सोलिंग कार्य
35.	36/1.6.20	16.05.2020	61	60704200.	अकबरपुर बसखारी मार्ग पर महाविद्यालय से पिपरी शाहीपुर पक्की सड़क तक सोलिंग कार्य
36.	38/1.6.20	18.05.2020	61	68507100.	अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग से बालकेवटाही शशि निषाद के घर तक लेपन कार्य
37.	55/1.6.20	18.05.2020	61	66889500.	भगवानपुर शारदा सहायक नहर से संग्रामपुर अकबरपुर सोलिंग कार्य
38.	56/1.6.20	18.05.2020	61	61756100.	रामपुर मुडिला अंकित के चक से पदमपुर नहर तक सोलिंग कार्य
39.	76/29.7.20	17.06.2020	67	49156200.	सकरा युसुफपुर मार्ग से प्रा 0पा 0एंदलपुर तक लेपन कार्य
40.	24/2.7.20	12.06.2020	67	52818300.	जुडावनपुर रामलोचन के घर से बड़ापुर तक लेपन कार्य
41.	25/2.7.20	12.06.2020	67	16652100.	मिर्जापुर में रामनेवल के घर से सत्यनारायण के ट्यूबेल तक लेपन मरम्मत कार्य
42.	26/2.7.20	12.06.2020	67	22627500.	ढोलबजवा रमेश भारती के घर तक अवशेष कार्य

43.	33/2.7.20	12.06.2020	67	63442100.	अकबरपुर बन्दनपुर मार्ग पर अखण्ड सिंह के घर तक लेपन कार्य
44.	34/2.7.20	12.06.2020	67	37132400.	घटकना से ताराखुर्द मार्ग पर गौराबाजार के आगे इटरौरा तक लेपन मरम्मत
45.	35/2.7.20	15.06.2020	67	28382100.	अकबरपुर बसखारी मार्ग पर हनुमान प्रसाद महाविद्यालय से पिपरी शाहीदपुर पक्की सड़क तक सोलिंग कार्य
46.	40/2.7.20	12.06.2020	67	11885800.	हरिपुर जगदीशपुर प्रा०स्कूल से मुर्गी फार्म तक सोलिंग कार्य
47.	42/2.7.20	15.06.2020	67	45989300.	हासिमपुर बनगवां में रामउजागिर वर्मा के खेत तक सोलिंग कार्य
48.	43/2.7.20	12.06.2020	67	49668400.	जुडावनपुर सुरेन्द्र कुमार सिंह के खेत से तालाब तक नाला निर्माण
49.	51/17.7.20	16.06.2020	67	259973.00	हंसवर टाण्डा मार्ग पर हरसम्हार मो०इंद्रीश के बाग से आरिफपुर तक सोलिंग कार्य
50.	53/17.7.20	16.06.2020	67	35618700.	ग्राम पलई कल्यानपुर में नहर पुलिया से मनोज के घर के आगे तक सीसी कार्य
51.	55/17.7.20	20.5.2020	60	35993300.	ब्राहिम्पुर बसड़ा प्रा०पा०पर संतोष के घर तक सीसी निर्माण
52.	56/17.7.20	16.06.2020	67	9267700.	किशुनपुर मुख्य मार्ग से कृष्णा के खेत से चन्दैनी तक सोलिंग कार्य
53.	78/29.7.20	17.06.2020	67	49156200.	सकरा युसुफपुर से प्रा०पा०एन्दलपुर तक लेपन कार्य
54.	19/7.8.20	17.06.2020	67	21902000.	केवटला में सैदपुर मार्ग से गुडियाना तक सीसी कार्य
55.	66/24.8.20	02.06.2020	67	26385400.	कटरिया सम्मनपुर भिठरा में बद्री पाण्डेय के खेत तक लेपन कार्य
56.	73/24.8.20	17.06.2020	67	14336000.	रामपुर में अमरनाथ वर्मा के ट्यूबेल के पक्की सड़क तक सोलिंग
57.	74/24.8.20	24.06.2020	60	17955000.	रामपुर मांगुरडीला अजीत के चक से प्रयागपुर नहर तक सोलिंग
58.	76/24.8.20	23.06.2020	67	39257900.	साबुकपुर श्यामबहादुर सिंह के घर से नन्दलाल गुप्ता के घर तक सोलिंग कार्य

59.	77/24.8.20	23.06.2020	60	14205800.	मसडा छोटी मस्जिद से कोटेदार से घर तक सीसी कार्य
60.	78/.24.8.20	23.06.2020	60	17735900.	परसा मुख्य मार्ग से प्रधान के घर तक सीसी कार्य
61.	42/12.9.20	14.07.2020	67	23153200.	रामपुर कला डीहवा सम्पर्क मार्ग से कपिलदेव के घर तक सोलिंग कार्य
62.	50/12.9.20	28.07.2020	66	18431800.	कार्यालय जिला पंचायत की रंगाई पुताई एवं अन्य कार्य
63.	51/12.9.20	07.07.2020	67	40130000.	मसडा छोटी मस्जिद से कोटेदार से घर तक सीसी कार्य
64.	57/12.9.20	24.06.2020	60	55480000.	रानीपुर चौराहे से हवलदार सिंह के घर तक लेपन कार्य
65.	58/12.9.20	14.07.2020	67	60570000.	गोवर्धनपुर टांडा जुडावनपुर से गोवर्धन पुर तक लेपन कार्य
66.	60/12.9.20	14.07.2020	67	50465500.	वनगांव डिहवा में नहर की पटरी से रामबली वर्मा के खेत से अमरई गांव तक सोलिंग कार्य
67.	61/12.9.20	23.06.2020	67	38588100.	इल्तिफातगंज अकबरपुर सम्पर्क मार्ग से समसपुर सम्पर्क मार्ग पर कमला प्रसाद के घर के पास पुलिया निर्माण
68.	63/12.9.20	07.07.2020	67	32089300.	हरिपुर में हासिमपुर सम्पर्क मार्ग पर कुम्हार गांव में प्रहलाद पाल मार्ग सोलिंग
69.	64/12.9.20	07.07.2020	67	47853700.	हरिपुर में मलियलवा हासिमगढ़ छितुरी मार्ग तक सोलिंग कार्य
70.	65/12.9.20	23.06.2020	67	21647800.	अकबरपुर बन्दनपुर मार्ग से बनगांव अरूण सिंह के घर तक लेपन कार्य
71.	66/12.9.20	07.07.2020	67	21950000.	मरूई हाजीपुर से मुस्लिम बस्ती होते हुए झब्बर के घर तक सीसी कार्य
72.	72/24.9.20	21.08.2020	67	36087600.	ग्राम सभा आलमपुर में कार्य।
73.	73/24.9.20	18.08.2020	67	61244500.	हंसवर में सीसी कार्य
74.	74/24.9.20	18.08.2020	67	40461400.	ग्राम पंचायत अह्लादे में लक्ष्मी नारायण के घर से दलित बस्ती तक सीसी कार्य
75.	79/24.9.20	19.09.2020	67	43023900.	शारदा नहर से रेवती का पूरवा होते हुए

					भसड़ा तक लेपन मरम्मत
76.	87/24.5.20	14.09.2020	67	28173700.	सकरावल सोमा 0पर रामअचल राजभर के खेत से मुरारी राजभर के घर तक
77.	92/24.9.20	25.08.2020	67	8788800.	जिला पंचायत आवासीय परिसर में पटिया नाली मरम्मत कार्य
78.	93/24.9.20	25.08.2020	67	9880200.	जिला पंचायत परिसर में प्लास्टर टाइल्स कार्य
79.	94/24.9.20	14.09.2020	67	4949900.	जिला विकास अधिकारी कार्यालय दो अदद एसी का व्यय।
80.	20/7.10.20	22.08.2020	66	11516300.	भसड़ा छोटी मस्जिद से कोटेदार के घर तक सीसी कार्य
81.	21/7.1.20	24.06.2020	60	25366500.	अकबरपुर से बसखारी मार्ग पर कजरी के पोखरा तक लेपन मरम्मत
82.	25/7.10.20	18.08.2020	67	34224900.	पलई कल्यानपुर नहर पुलिया से मनोज श्रीवास्तव के घर के आगे तक सीसी कार्य
83.	27/7.10.20	22.09.2020	66	20330700.	जुड़ावनपुर में रामलोचन के घर से बहादुर के ट्यूबेल तक लेपन कार्य
84.	28/7.10.20	22.09.2020	66	44019000.	अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग से मंगरू की दुकान से बेलदहिया तालाब होते हुए लेपन कार्य
85.	30/7.10.20	22.09.2020	66	29724800.	जुड़ावनपुर से गोबर्धनपुर तक लेपन कार्य
86.	31/7.10.20	22.09.2020	66	39685100.	रानीपुर चौराहे से हवलदार सिंह के घर तक लेपन कार्य
87.	38/7.10.20	22.09.2020	66	73116000.	केवटला से सैदपुर तक आगे मार्ग से गुडिया तक सीसी कार्य
88.	39/16.10.20	23.09.2020	66	98199800.	अल्लीपट्टी से पचाऊख तक लेपन कार्य
89.	45/16.10.20	23.09.2020	66	68587700.	ग्राम पंचायत सस्पना से नौगवां तक लेपन कार्य
90.	53/16.10.20	07.07.2020	67	80923000.	परसा मुख्य मार्ग से द0ब0प्रधान के घर तक सीसी कार्य
91.	78/22.10.20	29.09.2020	66	17072600.	शारदा नहर से रेवती पूरा होते हुए आगे तक लेपन कार्य
92.	33/5.11.20	08.10.2020	66	35794000.	ग्राम पंचायत मीठेपुर पिच रोड से आशाराम वर्मा के खेत तक लेपन कार्य

93.	34/5.11.20	29.09.2020	66	13794800.	ग्राम पंचायत मीठपुर पिच रोड भगौती प्रसाद के घर से दक्षिण तक लेपन कार्य
94.	36/6.10.20	06.10.2020	60	31988000.	ग्राम पंचायत उदयपुर में सी सी कार्य
95.	42/5.11.20	06.10.2020	66	32927100.	टांडा अकबरपुर मुख्य मार्ग टाण्डा ब्लाक से रामपुर राम कोमल वर्मा के घर तक ले/0म 0 कार्य
96.	45/5.11.20	06.10.2020	66	38122700.	रामपुर गिरधरामऊ सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग कार्य
97.	46/5.11.20	06.10.2020	66	2491500.	कार्यालय जिला पंचायत पूर्वी गेट से तहशील तक लेपन
98.	52/5.11.20	06.10.2020	66	37582300.	केवटला सैदपुर मार्ग से चुटियाना तक सीसी कार्य
99.	54/5.11.20	29.09.2020	66	31752800.	ग्राम पंचायत अमिया में मुख्य सड़क से हरिवंश के घर तक सी सी कार्य
100.	57/12.11.20	06.10.2020	66	13168200.	ग्राम पंचायत सकरा युसुफपुर द0ब 0में राम केवल के घर से अनिल कुमार की दुकान तक सीसी कार्य
101.	58/12.11.20	20.10.2020	66	71769300.	लक्ष्मी नारायण के घर से होते हुए दलित वस्ती तक सीसी कार्य
102.	59/12.11.20	20.10.2020	66	12240800.	मुबारकपुर डैयाडीह में मनोज कुमार तिवारी के घर तक लेपन कार्य
103.	66/12.11.20	21.10.2020	66	34089500.	अलीपट्टी से पचाउख तक लेपन कार्य
104.	78/21.11.20	22.10.2020	66	30237700.	जुडावनपुर सुरेन्द्र कुमार सिंह के खेत से कच्चे नाले तक नाला निर्माण
105.	23/2.12.20	14.10.2020	60	32889000.	हरीपुर में हासिमपुर सम्पर्क मार्ग पर कलमुलहा गांव से रामनायक वर्मा के घर होते हुए मार्ग पर सोलिंग कार्य
106.	32/2.12.20	03.11.2020	60	12991300.	अहलादे में लक्ष्मी नारायण के घर से होते हुए दलित बस्ती तक सीसी कार्य
107.	33/2.12.20	20.10.2020	60	17332200.	ग्राम पंचायत उदयपुर में सी सी कार्य
108.	34/2.12.20	06.10.2020	66	31644200.	घटकना से ताराखुर्द मार्ग पर गौराबाजार के आगे धौरहरा होते हुए इटरौरा तक लेपन मरम्मत कार्य

109.	35/18.12.20	03.11.2020	60	49375200.	छित्तूनी में मेवालाल के घर से वनगांव तक सोलिंग कार्य
110.	36/18.12.20	03.11.2020	60	32938100.	ग्राम पंचायत सस्पना से नौगवां तक लेपन कार्य
111.	86/29.12.20	03.11.2020	60	95792400.	ग्राम पंचायत अमिया में मुख्य मार्ग से हरिवंश के घर तक सीसी कार्य
112.	17/13.4.20	21.01.2020	61	22673600.	ग्राम सभा सिपाह टोंस नदी धरवा घाट पर शवदाह घाट का निर्माण
113.	20/13.4.20	07.02.2020	61	32200300.	जिला पंचायत रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य
		योग-		39641174.00	

क्रमांक	वाउचर न० /दिनांक	एम.बी.दिनांक	एम.बी.	धनराशि	एम०बी० सिंह अवर अभियंता स्थान/कार्य का नाम
1.	19/13.04.20	22.01.2020	68	16162200.	गोबिन्द साहब में मण्डी लेपन मरम्मत कार्य
2.	32/01.05.20	13.12.2019	69	20348800.	चौबे पेट्रोल पम्प के आगे से दाउदपुर तक लेपन कार्य
3.	41/08.05.20	28.02.2020	65	42309400.	ग्राम अहिरौली से बसहा तक लेपन कार्य
4.	95/22.05.20	18.05.2020	64	52467900.	भाऊकुआं राइस मिल के दक्षिण से लारपुर मास्टर के घर तक सोलिंग कार्य
5.	99/22.05.20	21.05.2020	70	17760700.	अहती दिलावलपुर पिच रोड से तावापुर तक सोलिंग कार्य
6.	101/22.5.20	20.05.2020	64	66899400.	भिटौरा सम्पर्क मार्ग से दुर्गा मंदिर तक लेपन कार्य
7.	102/22.5.20	18.05.2020	64	45893900.	जगदीशपुर कादीपुर मुख्य खडंजा मार्ग से राजदेव प्रजापित के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
8.	103/22.05.20	18.05.2020	64	77494600.	उमरी जलालपुर से हरदिया जलालपुर सोलिंग कार्य
9.	104/22.05.20	18.05.2020	64	34059500.	बन्दीपुर में दुर्गेश राजभर के घर से दिनेश मोर्य के घर तक अवशेष कार्य
10.	105/22.5.20	20.05.2020	64	99868800.	चितईपट्टी बड़ी नहर से राम अवतार सिंह के गोदाम तक सोलिंग कार्य
11.	70/01.06.20	27.05.2020	64	64170100.	जफरपुर पिच मार्ग से गौड़ के चक चौराहे तक सोलिंग कार्य
12.	710/9.06.20	30.05.2020	64	25156600.	धारुपुर जनेश्वरी बुजुर्ग प्रधानमंत्री सड़क से राजबहादुर सिंह के घर तक सीसी कार्य
13.	72/09.06.20	30.05.2020	64	34138300.	राजे सुल्तानपुर मार्ग से बालिका इण्टरकालेज तक लेपन मरम्मत

14.	74/09.06.20	31.05.2020	64	22365300.	नरहरपुर पिच मार्ग से सत्य नारायण के घर तक सीसी कार्य
15.	75/09.06.20	29.05.2020	64	26783300.	बिहरामपुर भिटौरा रोड से प्राइमरी स्कूल तक सोलिंग कार्य
16.	77/09.06.20	29.05.2020	64	52868500.	नरियांव पक्की सड़क से दलित बस्ती तक लेपन कार्य
17.	78/09.06.20	30.04.2020	64	10025800.	न्योरी जलालपुर मार्ग से भोगपुर मार्ग सोलिंग कार्य
18.	81/09.06.20	01.06.2020	68	5041300.	ग्राम पंचायत शिवपाल में अवशेष सोलिंग कार्य
19.	82/09.06.20	31.05.2020	64	47951000.	जफरपुर प्रा० वि० से मंदिर तक सोलिंग कार्य
20.	83/09.06.20	29.05.2020	64	37246300.	जफरपुर हनुमान मंदिर से दयाराम के घर तक लेपन कार्य
21.	85/09.06.20	02.06.2020	68	90696800.	पदुमपुर मार्ग से उत्तरी सम्पर्क तक लेपन मरम्मत
22.	92/22.06.20	14.06.2020	68	23039600.	जगदीशपुर कादीपुर खंडजा मार्ग से रामदेव से ट्यूबवेल तक सोलिंग कार्य
23.	93/22.06.20	12.06.2020	64	68050900.	नरियांव पक्की सड़क से दलित बस्ती तक लेपन कार्य
24.	95/22.06.20	14.06.2020	68	61236100.	जहांगीरगंज कम्हरिया कादीपुर फरीदपुर पिच मार्ग से शुक्ला का पुरा तक लेपन कार्य
25.	104/22.06.20	18.06.2020	64	34836800.	लौघना पुरवा घोसियाना में अवशेष सोलिंग कार्य
26.	105/22.06.20	13.06.2020	68	30404900.	ग्राम सभा गोडवा डंडवा से शिप प्रसाद के घर सिपाह तक सोलिंग कार्य
27.	106/22.06.20	13.06.2020	68	16494900.	नगपुर जलालपुर पिचरोड से महावीर से स्कूल तक सोलिंग कार्य
28.	107/22.06.20	13.06.2020	68	60588300.	मरहरा माइनर से अनारा के घर तक सोलिंग कार्य
29.	108/22.06.20	13.06.2020	68	99655000.	ग्राम बिलारी पिच रोड से विनोद के घर तक सीसी कार्य
30.	109/22.06.20	13.06.2020	68	97926700.	ग्राम निमटिनी मुख्य मार्ग से राजेन्द्र प्रसाद के घर तक सीसी कार्य
31.	114/22.06.20	16.06.2020	64	18226500.	चितईपट्टी बड़ी नहर से गोदाम तक सोलिंग कार्य
32.	116/22.06.20	16.06.2020	64	17927800.	सेहरी कोचपुर टावर से महमदपुर सड़क तक सोलिंग कार्य
33.	126/22.06.20	18.06.2020	64	51547400.	नगपुर कब्रिस्तान से भारत गैस एजेंसी तक लेपन मरम्मत कार्य
34.	22/01.06.20	28.05.2020	64	21131600.	न्योरी जलालपुर से नेमपुर मार्ग तक सोलिंग कार्य
35.	24/01.06.20	22.05.2020	64	69445300.	नगपुर जलालपुर पिच रोड से स्कूल तक सोलिंग कार्य
36.	32/01.06.20	27.05.2020	64	62526300.	आशापार भिटौरा स0मा 0से संजय सिंह के घर तक

					लेपन कार्य
37.	46/01.06.20	26.05.2020	64	61939400.	सेहरी कोचपुर टावर से महमदपुर सड़क तक सोलिंग कार्य
38.	47/01.06.20	27.05.2020	64	61558900.	चितईपट्टी बड़ी नहर से राम आसरे सिंह के खेत तक सोलिंग कार्य
39.	48/01.06.20	26.05.2020	64	50367000.	मुस्तफाबाद से प्रा Oपा Oहोते हुए आगे तक लेपन मरम्मत कार्य
40.	53/01.06.20	26.05.2020	64	51759900.	जलालपुर रामगढ़ पर हरिजन बस्ती तक लेपन कार्य
41.	54/01.06.20	27.05.2020	64	74628900.	भिटौरा में राम पलट के चक से वोदरा माइनर तक लेपन कार्य
42.	64/01.06.20	22.05.2020	64	34894800.	ग्राम पंचायत शिवपाल में अवशेष कार्य सोलिंग कार्य
43.	65/01.06.20	27.05.2020	64	55075000.	पेठिया अखिलेश कुमार के बाग से हलीमपुर पिचमार्ग तक सोलिंग कार्य
44.	66/01.06.20	20.05.2020	64	47451400.	पहितीपुर से यादव बस्ती तक लेपन कार्य
45.	67/01.06.20	26.05.2020	64	7447900.	भाऊकुआं राइस मिल के दक्षिण से लारपुर मास्टर के घर तक सोलिंग कार्य
46.	27/02.07.20	01.06.2020	68	16198600.	ढोल बजवा रमेश भारती के घर तक अवशेष कार्य
47.	28/02.07.20	26.06.2020	64	46849600.	जलालपुर बसखारी मार्ग से पक्खरपुर तक अवशेष कार्य
48.	29/02.07.20	26.06.2020	64	87337600.	ग्राम सभा दुल्हूपुर मस्त्यजीवी समिति से सर्विस रोड तक सोलिंग कार्य
49.	30/02.7.20	25.06.2020	64	64142400.	धारपुर जनेश्वरी मार्ग से रामबहादुर सिंह के घर तक सीसी कार्य
50.	31/02.07.20	25.06.2020	64	43545600.	ग्राम समडीह प्रधानमंत्री सड़क से शुबु राजभर के घर लेपन कार्य
51.	32/02.07.20	25.06.2020	64	45539200.	ग्राम बलरामपुर में लालचन्द्र निषाद के घर तक अवशेष कार्य
52.	36/02.07.20	29.06.2020	64	66080000.	नहरपुर पिच मार्ग से सत्यराम यादव के घर तक सीसी कार्य
53.	38/02.07.20	29.06.2020	64	37374400.	ग्राम सभा कालेपुर महुवल में सिधारी गौतम के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
54.	39/02.07.20	26.06.2020	64	48048000.	ग्राम तिलक टांडा में हीरालाल मास्टर के चक से मोती निषाद के घर तक लेपन कार्य
55.	41/02.07.20	26.06.2020	64	15661100.	जफरपुर पिच मार्ग से चौधरी के चक तक मिट्टी/सोलिंग कार्य
56.	49/02.07.20	17.07.2020	64	88995200.	राजे सुल्तानपुर अतरेठ मार्ग पर तिहाइतपुर तक

					सीसी कार्य
57.	58/17.07.20	03.7.2020	64	35176300.	ग्राम बिलारी ब्राह्मण बस्ती पिच रोड से विनोद के घर तक सीसी कार्य
58.	59/17.07.20	03.07.2020	64	47277400.	ग्राम निमिटनी में मुख्य मार्ग से राजेन्द्र प्रसाद के घर तक सीसी कार्य
59.	61/17.07.20	03.07.2020	64	26960000.	जफरपुर प्रा० वि० से महादेव मंदिर तक सोलिंग कार्य
60.	80/29.07.20	24.07.2020	68	72038400.	ग्राम सभा बिहामदपुर भिटौरा रोड से प्रा०स्कूल तक सीसी कार्य
61.	111/29.07.20	27.07.2020	70	22338300.	ग्राम सभा दुल्हपुर मस्त्यजीवी समिति द्वारा निर्मित सर्विस रोड तक सोलिंग कार्य
62.	59/24.08.20	13.08.2020	70	85254400.	ग्राम सभा कटका बन्दीपुर मार्ग से दूबोलिया अवशेष कार्य
63.	62/24.08.20	03.08.2020	64	21145600.	ग्राम कटघर कमालपुर में मन्ने के घर से पी एच सी तक सीसी कार्य
64.	63/24.8.20	20.7.2020	64	5492300.	जहांगीरगंज राजे सुल्तानपुर मार्ग से आदर्श बालिका इण्टर कालेज पक्की सड़क लेपन मरम्मत
65.	64/24.08.20	22.07.2020	64	77115600.	पेठिया अखिलेश कुमार के बाग से हलीमपुर पिचमार्ग तक सोलिंग कार्य
66.	67/24.08.20	16.06.2020	64	8489500.	जलालपुर रामगढ़ मार्ग पर गहनागर बाबा हरि 0 बस्ती तक लेपन मरम्मत
67.	70/24.09.20	30.07.2020	64	10447300.	राजे सुल्तानपुर उत्तरेट मार्ग पर धारूपुर सीसी कार्य
68.	71/24.09.20	16.09.2020	64	225645.00	ग्राम सभा कालेपुर महुवल में सिधारी गौतम के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
69.	80/24.09.20	22.09.2020	65	40980800.	कर्बला गौरा मुहम्मदपुर मार्ग से द०बस्ती प्रा०वि० तक सीसी कार्य
70.	90/24.09.20	16.09.2020	68	54790100.	जफरपुर हनुमान मंदिर पक्की सड़क से दलित वस्ती दयाराम के घर तक लेपन कार्य
71.	91/24.09.20	16.09.2020	68	38981200.	अल्लीपुर के पुरवा रामगढ़ रोड यादव वस्ती तक लेपन कार्य
72.	41/12.9.20	07.09.2020	68	20940800.	ग्राम सभा सिहामदपुर भिटौरा रोड से प्राइमरी स्कूल तक सीसी कार्य
73.	45/12.09.20	25.06.2020	64	72600000.	माइनर से लारपुर लेपन कार्य
74.	46/12.09.20	17.08.2020	64	88524800.	ग्राम आशीपुर इहिया योगेन्द्र के घर से पप्पू के घर तक सीसी कार्य
75.	47/12.09.20	04.09.2020	64	93777600.	ग्राम सभा कर्बला गौरा मुहम्मदपुर मार्ग से प्रा०वि० तक सीसी कार्य
76.	48/12.09.20	17.08.2020	64	61588800.	मालीपुर नेमपुर सम्पर्क मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य

					केन्द्र तक सीसी कार्य
77.	49/12.09.20	20.07.2020	64	39621700.	ग्राम सभा मेदनिया में नैकापुर तक अवशेष कार्य
78.	52/12.09.20	07.09.2020	68	65385600.	मालीपुर बैरागल से दलित बस्ती तक सीसी कार्य
79.	53/12.09.20	04.09.2020	64	32412800.	राजे सुल्तानपुर पोखरे भिट्ठा मार्ग से कुटी बाबा श्रीश्री 1008भागीरथी दास के स्थान पर टाइल्स निर्माण
80.	54/12.09.20	28.08.2020	64	22870400.	कमहरिया पटुमपुर मुख्य मार्ग से धर्मेन्द्र गौतम के घर तक सीसी कार्य
81.	55/12.09.20	28.08.2020	64	26532800.	चोरमरा कमालपुर से राजबहादुर सिंह के घर तक सीसी कार्य
82.	56/12.09.20	04.07.2020	64	10518600.	धारुपुर जनेश्वरी मार्ग से राजबहादुर सिंह के घर तक सीसी कार्य
83.	22/07.10.20	23.09.2020	69	5324700.	लवङ्ग्या पिण्डोरिया माइनर से राजभर बस्ती सम्पर्क मार्ग तक सोलिंग कार्य
84.	23/07.10.20	23.09.2020	69	98784000.	पुरौनी हरिजन बस्ती से फुलवरिया नहर तक सोलिंग कार्य
85.	24/07.10.20	23.09.2020	69	28791800.	किशन कविरहा सहकारी समिति से ब्रह्मस्थान तक सोलिंग/मिट्टी कार्य
86.	43/16.10.20	05.10.2020	68	74144000.	गुवांवा जमालपुर में अच्छेलाल के घर से शिव दयाल सिंह के घर तक सीसी कार्य
87.	44/16.10.20	09.10.2020	68	66550400.	कमहरिया पटुमपुर मुख्य मार्ग से धर्मेन्द्र गौतम के घर तक सीसी कार्य
88.	47/16.10.20	09.10.2020	68	44049200.	भिटौरा से आशापर पर वोदरा नहर तक लेपन कार्य
89.	48/16.10.20	08.10.2020	68	70241200.	ग्राम सभा ईधना में भिटौरा सम्पर्क मार्ग से दुर्गा मंदिर तक लेपन कार्य
90.	50/16.10.20	05.10.2020	68	30551000.	आशापर भिटौरा सम्पर्क मार्ग से संजय सिंह के घर तक सोलिंग कार्य
91.	51/16.10.20	08.10.2020	68	68118400.	जहांगीरगंज राजेसुल्तान मुख्य मार्ग से केवटाही तक सोलिंग कार्य
92.	25/02.12.20	09.10.2020	64	89152000.	ग्राम सभा अरई में अजईपुर मोड़ से फूलचन्द्र वर्मा के खेत तक सीसी कार्य
93.	26/02.12.20	25.11.2020	68	14542600.	मालीपुर बैरागल सम्पर्क मार्ग से दलित बस्ती तक सीसी कार्य
94.	37/18.12.20	05.10.2020	64	81674300.	जहांगीरगंज राजेसुल्तान मुख्य मार्ग से केवटाही तक सोलिंग कार्य
95.	38/18.12.20	26.11.2020	64	52315200.	पटुमपुर नहर मार्ग से उसरा सम्पर्क मार्ग लेपन/मरम्मत

96.	39/18.12.20	26.11.2020	64	74576700.	ग्राम सभा चितई पट्टी से रफीगंज तक सोलिंग कार्य
97.	40/18.12.20	14.12.2020	64	54454400.	खजुरी करौंदी में रामउजवल के घर से रामतलवा तक नाली कार्य
98.	74/18.12.20	07.12.2020	68	58027200.	ग्राम सभा विस्वा दलित बस्ती में पुलिया निर्माण
99.	82/29.12.20	20.11.2020	64	24494400.	ग्राम सभा एनवा में महमदपुर चरहिया मार्ग से राम प्रसाद यादव के घर तक लेपन कार्य
100.	84/29.12.20	15.12.2020	64	9213000.	ग्राम सभा उदयापुर के मजरे से कामता तिवारी के घर तक सीसी कार्य
101.	85/29.12.20	31.12.1920	64	26588800.	तिलक टांडा में हरिलाल मास्टर से घर से मोती निषाद के घर तक लेपन कार्य
102.	41/5.11.20	15.12.2019	64	40289700.	पुरैना हरिजन बस्ती से फुलवरिया नहर तक सोलिंग कार्य
103.	43/5.11.20	02.11.2020	64	27260300.	नगपुर कब्रिस्तान से भारत गैस एजेन्सी तक विशेष लेपन मरम्मत कार्य
104.	44/5.11.20	30.11.2020	68	15766300.	चोरमरा कमालपुर से जीत बहादुर सिंह के घर तक सीसी कार्य
105.	62/12.11.20	21.10.2020	64	34294400.	राजे सुल्तानपुर पोखरे भिट्ठा मार्ग से कुटी बाबा श्रीश्री 1008भागीरथी दास के स्थान पर टाइल्स निर्माण
106.	63/12.11.20	04.11.2020	64	97204800.	ग्राम सभा एनवा में महमदपुर चरहिया मार्ग से राम प्रसाद यादव के घर तक लेपन कार्य
107.	64/12.11.20	03.11.2020	64	20137600.	जहांगीरगंज कमहरिया मार्ग पर सरजू नहर घाट मार्ग कादीपुर फरीदपुर पिच मार्ग से कमाल पुरा हरिजन बस्ती होते हुए शुकुलपुरा प्रधान मंत्री तक लेपन कार्य
108.	65/12.11.20	03.11.2020	68	26476800.	खजुरी करौंदी में रामतलवा तालाब तक नाली निर्माण
109.	91/28.11.20	25.11.2020	64	12946300.	गोविन्द साहब में कैम्प कार्यालय का मरम्मत कार्य
		योग-		49774366.00	
				191437127.00	(अपहरण ₹0 19601393+अनिय0171835734=191437127)

उक्त सारणी में दर्शित निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों पर दर्शित व्यय कुल ₹0 191437127.00 की पुष्टि में व्यय पत्रावली एवं वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे आडिट में कार्य एवं व्यय के सही होने की जांच नहीं की जा सकती। यह स्थिति लोकहित में आवंटित धन से कराए गए कार्यों एवं उस पर किए गए व्यय की सही जांच किए जाने से आडिट को रोके जाने जैसा एवं जिला पंचायत के उच्चाधिकारियों के राजकीय दायित्व के विपरीत है। आडिट में प्राप्त मात्र कैशबुक एवं गार्ड फाइल के आधार पर दर्शित उक्त सारणी में दर्शित विवरण के विश्लेषण मात्र

से निर्माण कार्य एवं भुगतान में की गई भारी वित्तीय अनियमितता एवं गड़बड़ी प्रमाणित होती है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कई कार्यों हेतु भुगतान एक साथ किया गया है। जैसे राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता की एम0बी0 के आधार पर दिनांक 22.05.2020 को 10 भुगतान एक साथ, 08.05.2020 में 08, 11.05.2020 में 09, 01.06.2020 में 28, 22.06.2020 में 18 एवं 29.07.2020 में 28 भुगतान एक साथ किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य अवर अभियंता की एम0बी0 के आधार पर भी एक साथ कई अनियमित भुगतान किए गए हैं, जो आपसी सांठगांठ कर कराए गए कार्यों एवं भुगतान में किए गए भारी वित्तीय अनियमितता की द्योतक है। उक्त सभी कार्य अल्पकालीन निविदा के विषय है जिसमें किसी कार्य के पूर्ण किए जाने की अवधि अधिकतम तीन माह निर्धारित की गई है। परंतु तीन माह में इतने अधिक कार्य कराये जाने का टेण्डर आमंत्रित करना ही अपने आप में भारी वित्तीय अनियमितता है। क्योंकि जिला पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल तीन अवर अभियंता से कार्य लिया गया है जिनके द्वारा कम दूरी पर स्थित साइट की अधिकतम दो या तीन कार्य की एम0बी0 एवं निगरानी की जा सकती थी परंतु इनके द्वारा उक्त विवरण में दर्शित कई-कई कार्यों की एम0बी0 की गई दर्शाई गई है जो बिना कार्य स्थल पर गये अवास्तविक एम0बी0 किए जाने का प्रमाण और भारी वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। उक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख एवं प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत ही नहीं किए गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी द्वारा स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

02-कैशबुक एवं गार्ड फाइल के मिलान एवं जांच में पाया गया कि जिला पंचायत के अवर अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 28.05.2020 में 14 एम0बी0 एक दिन में की गई है। इसी प्रकार राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 28.04.2020 में 8 एम0बी0, दिनांक 29.04.2020 में 4 एम0बी0 तथा 05.05.2020 में 6 एम0बी0 एक ही दिन में की गई है दर्शित है जो उनके द्वारा कराए गए उक्त विवरण में दर्शित कार्यों से स्पष्ट है। श्रीमती सुनीता अवर अभियंता द्वारा दिनांक 15.05.2020 में कुल 8 एम0बी0, 28.04.2020 में कुल 7 एम0बी0, दिनांक 29.04.2020 में 6 एम0बी0 तथा दिनांक 18.05.2020 में 6 एम0बी0 एक ही दिन में की गई दर्शित है जो नियम विरुद्ध है। सुनीता कुमारी द्वारा एक ही दिन में कई एम0बी0 की गई है जो उक्त विवरण से स्पष्ट है। इसी प्रकार अन्य अभियंताओं द्वारा भी कई तिथियों में तीन या 4 एम0बी0 एक दिन में की गई है। यह स्थिति कार्य एवं भुगतान में की गई भारी वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। उक्त प्रकार से की गई एम0बी0 जो लगभग पचासों किलो मीटर दूर विभिन्न विकास खण्डों में कराए गए कार्यों से सम्बन्धित है, बिना साइट पर जाकर माप लिए बगैर अवास्तविक/फर्जी एम0बी0 किए जाने पर ही संभव है। यह स्थिति ठेकेदार, अवर अभियंता एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की आपसी सांठगांठ कर किए गए भारी वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

03-कैशबुक एवं गार्ड फाइल के मिलान एवं जांच में पाया गया कि जिला पंचायत के अवर अभियंताओं द्वारा एक ही वित्तीय वर्ष में कई एम0बी0 एक साथ प्रयोग की गई हैं। जिसमें अपनी सुविधानुसार अनियमित एम0बी0 की गई है। उपरोक्त क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम 36 के उप नियम (3) के अनुसार कार्यालय से जारी किसी भी एम0बी0 में कोई सादा पृष्ठ न छोड़ा जाएगा और न फाड़ा जाएगा। किसी भी जेई को एक वित्तीय वर्ष में एक एम0बी0 निर्गत की जानी चाहिए थी जिसके सभी पृष्ठ प्रयुक्त हो जाने पर पहली एम0बी0 कार्यालय में जमा कराने के बाद दूसरी एम0बी0 निर्गत की जानी चाहिए थी। जिससे किसी प्रकार की फर्जी एम0बी0 न की जा सके। परंतु जिला पंचायत में अवर अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद को एक साथ एम0बी0

नं० 63, 71, 72, 73, 74, 78 एवं 84 कुल 07 एम०बी० जारी रही। इसी प्रकार अवर अभियंता श्री एम०बी० सिंह को एक साथ एम०बी० नं० 64, 65, 68, 69 एवं 70 कुल 05 एम०बी० जारी की गई थी। श्रीमती सुनीता को एक साथ एम०बी० नं० 61, 67, 60 एवं 66 कुल 04 एम०बी० जारी की गई थी। जहां नियम कहता है कि एम०बी० में कोई सादा पृष्ठ न छोड़ा जाएगा और न फाड़ा जाएगा इसके स्थान पर पूरी की पूरी कई नई एम०बी० ही जारी कर दी गई जिससे सुविधानुसार किसी भी कार्य की एम०बी० कभी भी की जा सके। यह स्थिति भारी अनियमितता के द्योतक है।

04-निर्माण कार्य हेतु एम०एम०-11 से आपूर्ति की गई सामग्रियों से हटकर अन्य सामग्रियों ईंट/सीमेंट/सरिया आदि के क्रय का कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे क्रय एवं निर्माण की जांच नहीं की जा सकी। सम्बन्धित फर्मों/दुकानों से क्रय के सापेक्ष बिल न लेकर यहां तक की ठेकेदार से भी बिना बिल प्राप्त किए सीधे एम०बी०/जेई बिल के आधार पर भुगतान करना राजकीय राजस्व की वसूली को क्षति पहुंचाना है। इसके साथ-साथ सामग्री के वास्तविक एवं गुणवत्तापूर्ण क्रय की जांच से बचना भी है। खादानों से क्रय के सापेक्ष एम०एम०-11 एवं स्थानीय स्तर पर क्रय सामग्री के लिए प्रमाणक के रूप में फर्मों/दुकानों/ठेकेदार का बिल आडिट में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के अध्याय III भाग-4 वाउचर पैराग्राफ 47 (छ) के अनुसार “स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या बाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा।” उक्त लेखा नियम के पैराग्राफ 50 से अनुसार “प्रत्येक बाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा प्रस्तुत किया गया है भुगतान कि एक अभिस्वीकृति को इसमें संलग्न करना चाहिए।” परंतु जिला पंचायत में सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए स्वयं से जिला पंचायत के प्रारूप पर बिल बनाकर भुगतान कर दिया जाता है। सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए भुगतान किया जाना 30प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 ठेका की शर्तें खण्ड 10 एवं 11 के विपरीत है जिसमें बिना बिल के भुगतान किया जाना वर्जित है। अतः स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित किए गए हैं।

05- राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च, 2020 से 08 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय लाकडाउन से चलते जन सामान्य के बाहर आवागमन एवं व्यक्तिगत कार्यों तथा सार्वजनिक कार्यों पर भी मजदूरों आदि के कार्य करने पर सख्त प्रतिबन्ध लगाया गया था। परंतु आपत्ति क्रमांक 55 की सारणी से स्पष्ट है कि निम्न विवरण में दर्शित धनराशियां इस दौरान भी राजकीय आदेशों के विपरीत कागजी फर्जी माप दर्शाकर एवं भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण/गबन किया गया है एवं भारी वित्तीय अनियमितता की गई है। उक्त सारणी से लिया गया विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रमाणक संख्या और दिनांक	एमबी नं०	तिथि	व्यय की धनराशि	श्री राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता कार्य का नाम/स्थान
01	57/11.05.2020	72	30.04.2020	485819.00	भिटौरा आसापुर के मजरे विहरामपुर में पुलिया)भरौचा(लेपन कार्य

02	81/22.05.2020	72	05.05.2020	525923.00	ग्राम सभा दुल्लापुर में प्रदीप यादव के घर से कमसराय पिच मार्ग तक लेपन कार्य
03	86/22.05.2020	72	06.05.2020	162328.00	दुधौरा रोड से दौलत चन्द्र कुमार से घर तक सोलिंग कार्य
04	87/22.05.2020	72	05.05.2020	363818.00	गोबिन्द साहब बंगला रेलिंग का निर्माण
05	88/22.05.2020	72	05.05.2020	515502.00	सुमेरगंज में पिच रोड से सगिया गांव तक लेपन कार्य
06	89/22.05.2020	72	05.05.2020	496232.00	कटरिया मधुपुर पिच रोड से सुभाषर गांव तक लेपन कार्य
07	90/22.05.2020	72	05.05.2020	540992.00	आंतडीह रामबहादुर सिंह के घर से रामधनी के घर तक लेपन कार्य
08	91/22.05.2020	72	06.05.2020	344048.00	परवरभारी में ग्राम पंचायत में बल्ली गांव से होते हुए दुर्गा मंदिर तक लेपन कार्य
09	92/22.05.2020	72	06.05.2020	591242.00	कटेहरी बाजार से चमर्खा गांव तक विशेष लेपन मरम्मत
10	94/22.05.2020	72	05.05.2020	387234.00	आदमपु पुलिया से रामलौट से खेत तक सोलिंग कार्य
11	96/22.05.2020	72	06.05.2020	880906.00	भीटी उमराव रोड से तेज द्विवेदी के घर तक लेपन कार्य
12	33/01.05.2020	72	27.04.2020	132200.00	वसाइतपुर में अवशेष लेपन मरम्मत कार्य
13	35/01.05.2020	72	27.04.2020	720403.00	जलालपुर से इण्टरकालेज तक होते मंशाराम से घर तक सोलिंग कार्य
14	36/01.05.2020	72	27.04.2020	653084.00	केवारी पिच रोड से जगदम्बा सिंह के ट्यूबेल तक सोलिंग कार्य
15	38/01.05.2020	72	27.04.2020	298890.00	धवरूआ मस्जिद से फुरकान अली के घर तक सोलिंग कार्य
16	42/08.05.2020	72	28.04.2020	112046.00	बनगांव जयपुर गिरंट 30मा 0से बहरिया गांव तक सीसी कार्य
17	43/08.05.2020	72	28.04.2020	724273.00	पदुमपुर भसड़ा पिच रोड से समसुद्दीन

					पट्टी तक सोलिंग कार्य
18	46/08.05.2020	72	28.04.2020	438326.00	हंसवर टाण्डा मार्ग पर हंसवर मु 0 हदीस के बाग से आरिफपुर तक सोलिंग कार्य
19	47/08.05.2020	72	28.04.2020	446835.00	साबुकपुर में श्याम बहादुर के घर से रमड़ी के घर होते हुए नंदलाल गुसा के घर तक सोलिंग कार्य
20	50/08.05.2020	72	28.04.2020	155637.00	श्रवण क्षेत्र पहितीपुर रोड से सियाराम के घर तक अवशेष
21	05.2020..51.08	72	28.04.22020	103794.00	बन्दनडीह में अवशेष कार्य
22	52/08.05.2020	72	28.04.2020	117358.00	माधवपुर से अवशेष कार्य
23	53/08.05.2020	72	28.04.2020	423968.00	पहितीपुर सोसाइटी से भैरवपुर अस्पताल तक अवशेष लेपन
24	62/11.05.2020	72	29.04.2020	759069.00	सेनपुर गोसाईगंज सम्पर्क मार्ग से पिछवाड़ा होते हुए प्रधान मंत्री रोड तक लेपन कार्य
25	64/11.05.2020	72	29.04.2020	463936.00	दिलावलपुर भीटी सम्पर्क मार्ग सोलिंग अवशेष कार्य
26	65/11.05.2020	72	29.04.2020	724414.00	पिछवारा पहती सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
27	66/11.05.2020	72	15.04.2020	254675.00	पदुमपुर मखनहा पिचरोड सोलिंग कार्य
28	67/11.05.2020	72	29.04.2020	337388.00	दुधौरा रोड से तौकला सोलिंग कार्य
29	70/11.05.2020	72	29.04.2020	160275.00	करीम नगर से पिण्डोरिया सम्पर्क मार्ग अवशेष लेपन मरम्मत कार्य
32	71/11.05.2020	72	15.04.2020	469119.00	कटेहरी बाजार से चमुरखा गांव तक विशेष लेपन मरम्मत
31	72/11.05.2020	72	30.04.2020	283739.00	परवरभारी ग्रा0पं 0केवटहिया लेपन कार्य
32	77/11.05.2020	72	01.05.2020	211854.00	चाचिकपुर पशु आश्रय स्थल निर्माण
33	20/01.06.2020	72	08.05.2020	617873.00	राम नगर न्योरी मुख्य मार्ग लेपन कार्य
34	23/01.06.2020	72	08.05.2020	208632.00	गोसाईगंज सेनपुर मार्ग सीसी कार्य
35	33/01.06.2020	72	08.05.2020	325753.00	मनवरपुर पिचमार्ग लेपन मरम्मत

					कार्य
36	49/01.06.2020	72	08.05.2020	156623.00	भीटी चनहा सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
37	50/01.06.2020	72	08.05.2020	241904.00	केवारी पिच रोड सोलिंग कार्य
38	51/01.06.2020	72	08.05.2020	332686.00	दिलावलपुर भीटी सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
39	52/01.06.2020	72	07.05.2020	400817.00	भीटी महरूआ रोड सीसी कार्य
40	82/21.07.2020	72	07.05.2020	51251.00	करीमनगर पिण्डोरिया सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य
			योग-	15620866.00	

क्रमांक	वाउचर न० /दिनांक	एम.बी.दिनांक	एम.बी.	धनराशि	स्थान/कार्य का नाम जूनियर इंजिनियर श्रीमती सुनीता
01	30/1.5.20	28.04.2020	61	439816.00	हरिपुर जगदीशपुर प्रा०स्कूल से मुर्गी फार्म तक सोलिंग कार्य
02	37/1.5.20	28.04.2020	61	350410.00	राजू वर्मा के ट्यूबेल से पिच मार्ग तक सोलिंग कार्य
03	39/8.5.20	28.04.2020	61	124224.00	सीहमई मोलनापुर सत्यनारायण के खेत से कमला यादव के घर तक सोलिंग कार्य
04	44/8.5.20	28.04.2020	61	522262.00	परसपुर कटुई जंगल में शंकर मंदिर से नहर तक सोलिंग कार्य
05	45/8.5.20	28.04.2020	61	170188.00	मुबारकपुर डैयाडीह तिवारी के घर तक लेपन मरम्मत
06	48/8.5.20	28.04.2020	61	706231.00	केशवपुर में परागदत्त सिंह के खेत से चीनी यादव के ट्यूबेल/घर तक सोलिंग कार्य
07	49/8.5.20	28.04.2020	61	470711.00	केशवपुर में रामपाल के खेत से अरविन्द से खेत सोलिंग कार्य
08	59/11.5.20	01.05.2020	61	.364906.00	किशुनपुर मुख्य मार्ग से कृष्णा के खेत से चन्दैनी तक सोलिंग कार्य
09	60/11.5.20	01.05.2020	61	731521.00	रामपुर गिरधरमऊ सम्पर्क मार्ग सोलिंग कार्य
		योग-		3880269.00	

क्रमांक	वाउचर न० /दिनांक	एम.बी.दिनांक	एम.बी.	धनराशि	एम.बी. सिंह कार्य का नाम
1.	78/09.06.20	30.04.2020	64	100258.00	न्योरी जलालपुर मार्ग से भोगपुर मार्ग सोलिंग कार्य
		योग-		100258.00	
		कुल योग-		19601393.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 15620866.00 की फर्जी मापी श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा, 3880269.00 की फर्जी मापी श्रीमती सुनीता द्वारा तथा ₹0 100258.00 की फर्जी मापी श्री एम0बी0 सिंह द्वारा कुल ₹0 19601393.00 की फर्जी मापी करके राजकीय धन का अपहरण किया गया है। उक्त कुल अपहृत धनराशि में ₹0 15620866.00 की वसूली निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण न प्राप्त होने अथवा आडिट में स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, अवर अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक शिव प्रसाद सोनकर से, ₹0 3880269.00 की वसूली, अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, अवर अभियंता श्रीमती सुनीता, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक शिव प्रसाद सोनकर से तथा ₹0 100258.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, अवर अभियंता श्री एम0बी0 सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक शिव प्रसाद सोनकर से किया जाना अपेक्षित है।

06-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019.20 में एम0बी0 कृत कार्यों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020.21 में बिना कोई औचित्य दर्शाए किया गया है। उदाहरणार्थ उक्त सारणी में दिए गये विवरण में राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता की एम0बी0 के आधार पर किया गया भुगतान क्रमांक 02, 13, 15, 38, 72 एवं 84 एवं श्रीमती सुनीता अवर अभियंता की एम0बी0 के आधार पर भुगतान क्रमांक 24, 117 एवं 118 तथा श्री एम0बी0 सिंह की एम0बी0 के आधार पर किए गए भुगतान क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 का अवलोकन किया जा सकता है जो उक्त विवरण में अंकित है। उल्लेखनीय है कि इनका भुगतान कई एम0बी0 के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष के दौरान भी पहले की गई ए0बी0 के कार्य का भुगतान बिना किसी कारण के बाद में किया गया जिसमें दूसरी एम0बी0 का प्रयोग किया गया है। यह भुगतान औचित्यहीन एवं भारी वित्तीय अनियमितता का चोकर है।

07-शासनादेश सं0-1408/23-03-2009-62(जनरल)/08 दिनांक 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं विटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा, जब विटुमिन की मूल इनवायस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाय। परन्तु उक्त विवरण में दर्शित पिच व लेपन कार्य की पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रकरण की जांच नहीं की जा सकी। सभी निर्माण कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

08-आडिट में उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रारंभिक परियोजना एवं प्रस्ताव की जांच उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 3 के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण समिति, तत्पश्चात कार्य समिति तथा अंत में दोनों समितियों की सिफारिश सहित जिला पंचायत को प्रेषित एवं अनुमोदित होने की स्थिति का ज्ञान कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना एवं कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं हो सका।

09-पत्रावली के अभाव में उ0प्र0क्षे0प0 एवं जि0प0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुरूप उक्त कार्यों हेतु टेण्डरों के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के नियमानुसार होने एवं तदुसार भुगतान होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

10-उक्त कार्यों की माप पुस्तिका बार-बार आडिट में मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की जा सकी। यह स्थिति राजकीय हितों के विपरीत एवं आडिट जैसे महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही पूर्ण तथा आडिट से बचना है।

11-बिना व्यय प्रमाणक/वाउचर उक्त कार्यों पर किया गया भुगतान 30प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64, जिसमें प्राविधानित है कि “कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय जो स्वयं दावेदार का बिल होगा एवं नियम 82 यह कि “बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा” के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

12-पत्रावली के अभाव में निर्माण काल के पहले, बीच में एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लिए गए तीन स्टेप के छायाचित्र एवं अन्य पुष्टि परक प्रमाणक भी अप्राप्त रहे जिससे सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।

13-शासनादेश सं0-1838/33-3-15-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्य में ₹0 1000000.00 (₹0 दस लाख) की लागत से अधिक की परियोजनायें अधिकांश रूप में अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करेगी तथा जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किये जा सकता है वो उसी स्तर पर कराए जाय एवं जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्य न कराए जाय। जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी। परन्तु उक्त शासनादेश के विपरीत वर्ष 2020-21 में अधिकांश कार्य 10 लाख से कम लागत के एवं एक ही ग्राम पंचायत में कराकर भारी वित्तीय अनियमितता की गयी है, जो अधिकांशतः उक्त सारणी में अंकित विवरण में कार्यों के नाम से ही स्पष्ट है।

14-आपत्ति के विवरण से स्पष्ट है कि अधिकांश परियोजनाओं के नाम से निर्माण कार्य के स्थान एवं प्रारंभिक तथा अंतिम बिन्दु को लैण्डमार्क से चिन्हित नहीं किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण अंकित किए जाने चाहिए। यह स्थिति पूर्णतया अनियमित एवं शासनादेश सं0-1838/33-2015-3/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31 जुलाई 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। कार्य योजना में निर्माण कार्यों के नाम को उन समस्त सूचनाओं से आच्छादित किया जाना चाहिए जिससे कार्य के कराए जाने के स्थान की स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

15-आडिट में गार्ड फाइल का मिलान एवं जांच कैशबुक से करते समय पाया गया कि खादान से क्रय निर्माण सामग्री हेतु प्राप्त एमएम-11 के अलावा स्थानीय स्तर पर क्रय किसी भी निर्माण सामग्री की पुष्टि में सम्बन्धित फर्मों के बिल/रसीदें प्राप्त नहीं की जाती है जो अनिवार्य है। सम्बन्धित फर्म/दुकान से बिल प्राप्त न किया जाना राजकीय राजस्व की हानि करना है। एम0बी0 से केवल इस बात की पुष्टि होती है कि क्रय सामग्री की मात्रा एवं दर तथा उसकी गुणवत्ता सही है। बिना बिल के सामग्री की एम0बी0 आधारहीन है। इनका अंकन स्टॉक बुक में भी नहीं किया गया है। आडिट में बताया गया कि वर्टिकल टेण्डर में केवल जेई बिल के आधार पर भुगतान का प्राविधान है परन्तु नियम/शासनादेश मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

16-उक्त सारणी में दर्शित कुल व्यय 204704304.00 में, जनपद में प्रति वर्ष लगने वाले गोबिन्द साहब मेले के नाम पर ₹0 16250423.00 का भुगतान राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता की एम0बी0 के आधार पर तथा ₹0 291085.00 एम0बी0 सिंह की एम0बी0 के आधार पर अर्थात् कुल ₹0 16541508.00 का भुगतान किया गया है, जिसमें राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता द्वारा कराए गए कार्यों की सूची क्रमांक 245 से 253 तक कुल ₹0 503439.00 केवल अलाव एवं प्रकाश व्यवस्था पर खर्च दर्शित है। मेले के नाम पर दर्शित उक्त कुल व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली एवं एम0बी0 उपलब्ध नहीं कराई गई जो 30प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 ठेका की शर्तें खण्ड 10 एवं 11, 30प्र0 जिला पं0/क्षे0प0(बजट एवं सामान्य लेखा)

नियमावली 1965 के नियम 64 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के अध्याय III भाग-4 वाउचर पैराग्राफ 47 (छ) के विपरीत एवं वसूली योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत की वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय-व्यय विवरणी के अनुसार गोविन्द साहब मेले के लिए कुल आय ₹0 10.00 लाख एवं व्यय ₹0 10.350 लाख का प्राविधान किया गया था जिसके विपरीत ₹0 16250423.00 वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत तथा नियंत्रण विहीन व्यय किया गया है जिसमें राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियंता द्वारा कराए गए कार्यों की सूची क्रमांक 245 से 253 तक कुल ₹0 503439.00 केवल अलाव एवं प्रकाश व्यवस्था पर खर्च दर्शित है।

17-गोविन्द साहब मेले के नाम पर पूर्व वर्षों में भी प्रत्येक वर्ष तमाम निर्माण कार्यों पर एवं अन्य प्रकार के व्यय किए गए हैं जिनके सम्बन्ध में निर्माण कार्य रजिस्टर/कार्य की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा सकी जिससे कार्य पर पुनर्व्ययन की प्रबल संभावना है। अतः कार्यों पर किये गये पुनर्व्ययन की जांच नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्यों की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे समुचित जांच नहीं की जा सकी। अभिलेख आडिट में उपलब्ध न कराकर राजकीय दायित्व की अवहेलना की गई है।

18-शासनादेश दिनांक 15.10.2015 बिन्दु सं0-3(3) के अनुसार रायल्टी की कटौती न होने की दशा में 6 गुना धनराशि वसूली योग्य है। परंतु उक्त पत्रावलियां प्रस्तुत न किए जाने के कारण रायल्टी कटौती एवं जमा की जांच नहीं की जा सकी।

19-उक्त विवरण में दर्शित एक साथ भुगतानित कार्यों पर एक साथ इतने अधिक मजदूरों की उपलब्धता संभव नहीं थी। ठेकेदार द्वारा कार्य के अंत में भुगतान हेतु न तो अपना बिल प्रस्तुत किया गया और नहीं स्थानीय स्तर पर सामान क्रय से सम्बन्धित कोई बिल जिला पंचायत को उपलब्ध कराया गया और संस्था द्वारा प्राप्त भी नहीं किया गया जिससे सभी परिप्रेक्ष्य में जांच से बचा जा सके। जो मिलीभगत कर अनियमित भुगतान का द्योतक है।

20-आडिट में पाया गया कि उक्त सारणी में दर्शित भुगतान के सापेक्ष बिलों से काटी गई आइ0टी0, जी0एस0टी0 लेबर सेस, सेक्योरिटी, पेनाल्टी आदि कटौतियों के सापेक्ष किसी का विवरण निर्धारित रजिस्टर पर नहीं रखा गया है। सभी कटौतियां सीधे भुगतान के समय भुगतान पत्र पर काटी गई हैं परंतु सभी कटौतियों के समय से एवं सही रूप से जमा होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। कुछ कटौतियों के सम्बन्ध में विवरण भी नहीं अंकित किया गया है कि किस मद की कटौती की गई है। अतः समुचित एवं सही जांच नहीं की जा सकी।

21-आडिट में प्रस्तुत पत्रावलियों में सभी प्रमाणक अप्राप्त होने के कारण प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक -3383एम0टी0/69/एम0टी0/2007 दिनांक 13.06.17, कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक -93सी0ई0सी0जेड0-सामान्य/07 दिनांक-31/3/2007, शासनादेश संख्या-6738/23-7-2006-176(सा0)/06 दिनांक 5 जनवरी 2007 एवं आई0आर0सी0-16-2000 स्टैंडर्ड स्पेशिफिकेशन एण्ड कोड आफ प्रैक्टिस फार प्राइम एण्ड टैक कोड इसा प्राइम कोट ओवर ग्रानुलर बेस के सम्बन्ध में अनुपालन की स्थिति अज्ञात रही। उक्त आसि के अनुपालन में उक्त शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच एवं समीक्षा अपेक्षित है

22-माह जनवरी 2021 में जिला पंचायत द्वारा कराए गए सभी लगभग 85 कार्य की एम0बी0 केवल राजेन्द्र प्रसाद से कराई गई है जो एवं व्यक्ति से प्रायः संभव नहीं है जबकि दो अवर अभियंता एम0बी0 सिंह एवं सुनीता कुमारी से एम0बी0 न कराए जाने का कोई कारण नहीं पाया गया। पूरे वित्तीय वर्ष में राजेन्द्र प्रसाद से लगभग 300, सुनीता कुमारी से लगभग 125 एवं एम0बी0 सिंह से लगभग 110 एम0बी0 कराई गई है। अवर अभियंताओं की

एम0बी0 करने की क्षमता के आकलन का कोई निर्धारित नियम भी नहीं बताया जा सका। राजेन्द्र प्रसाद के कार्यों की गार्ड फाइल में लगे कई भुगतान प्रपत्र/वाउचर भी किसी अन्य की हस्तलिपि में हैं इनके द्वारा केवल हस्ताक्षर किए गए हैं। यह स्थिति भारी मिलीभगत एवं फर्जी एम0बी0 के आधार पर किये गये भुगतान को पुष्ट करती है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं।

23-आडिट में प्राप्त 26 प्रावतियों में से 10 में इस्टीमेट/तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों से अधिक का कार्य एवं भुगतान का विचलन पाया गया। जिसमें आपति संख्या 40 में ₹0 233432.00 एवं 41 में ₹0 17654.00 के अधिक भुगतान का विचलन पाया गया है। सभी 144 पत्रावलियों में भारी मात्रा में इस्टीमेट/तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों से विचलन कर भुगतान किया गया है। सभी पत्रावलियों की जांच कराई जानी अपेक्षित है जिससे किसी राजकीय कोष की क्षति का आकलन किया जा सके।

24-स्पष्टीकरण के साथ पुनर्व्यय नहीं किया गया इसका पुष्टि में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त विवरण में शामिल पत्रावली एवं प्रमाणक विहीन, वित्तीय औचित्य विहीन अनियमित भुगतानित कुल धनराशि ₹0 191437127.00 जिसमें अपहरण ₹0 19601393.00 एवं अनियमितता 171835734.00 कुल ₹0 191437127.00 की धनराशि शामिल है। इसकी वसूली उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2क) के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, सम्बन्धित अवर अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक शिव प्रसाद सोनकर से क्यों न की जाय? के सम्बन्ध में सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उक्त नियमावली के नियम 179 के अंतर्गत उक्त सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपतियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।(आ0सं0 55)

प्रस्तर-15

जिला पंचायत के अनुदान रजिस्टर की जांच में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग से जिला निधि में वा0नं0 77 से दिनांक 05.01.2021 को ₹0 7738263.00 एवं 15वां वित्त आयोग से जिला निधि में वा0नं0 90 से दिनांक 05.01.2021 को ₹0 124740.00 कुल ₹0 7863003.00 का स्थानान्तरण तारकोल आपूर्ति हेतु किया गया है। मदांतरण/स्थानांतरण से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का कोई आदेश एवं नियमानुसार स्थानांतरण से सम्बन्ध में कोई पुष्टिपरक प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के अध्याय III भाग-4 वाउचर पैराग्राफ 47 (छ) के अनुसार “स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित आदेश या बाउचर के बिना किसी भी धन का भुगतान नहीं किया जाएगा।” उक्त लेखा नियम के पैराग्राफ 50 से अनुसार “प्रत्येक बाउचर को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से दावा प्रस्तुत किया गया है भुगतान कि एक अभिस्वीकृति को इसमें संलग्न करना चाहिए।” परंतु जिला पंचायत में सम्बन्धित ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए स्वयं से परिषद से प्रारूप पर बिल बनाकर जिला पंचायत द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। सम्बन्धित

ठेकेदार से बिना कोई बिल प्राप्त किए भुगतान किया जाना उOप्रO क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 ठेका की शर्तें खण्ड 10 एवं 11 के विपरीत है जिसमें बिना बिल के भुगतान किया जाना वर्जित है। अतः उक्त स्थानांतरण के सही एवं नियमीनुसार होने की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उOप्रO क्षेत्रOपंO तथा जिOपंO (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह से संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपतियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।(आOसंO 56)

प्रस्तर-16

जिला पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार वाOनंO 93 दिनांक 22.05.2020 एवं 45 दिनांक 02.07.2020 से क्रमशः रूO 829273.00 तथा 822443.00 कुल रूO 1651716.00 ग्राम सभा बरियावन में संजय यादव के घर तक लेपन कार्य दर्शाकर भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि इस पर दुबारा भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि निविदा स्वीकृति पत्र, भुगतान बिलों में कार्य के कराये जाने का स्थान एवं नाम ग्राम सभा बरियावन में संजय यादव के घर तक लेपन कार्य दर्शाया गया है जो कार्य के कराए जाने की एवं उसके स्थान के सम्बन्ध नें अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना है। कार्य कहां से कहां तक कराया गया इसकी सूचना अंकित नहीं है। जबकि अभियंता द्वारा जिला पंचायत से निर्गत कार्यादेश एवं इस्टीमेट में कार्य का नाम ग्राम सभा बरियावन में संजय यादव के घर से इन्द्रजीत चौधरी के खेत तक लेपन अंकित किया गया है। एक ही कार्य के कई प्रमाणकों में अलग-अलग नाम अंकित करना भ्रामक एवं आपत्तिजनक है। अतः अनियमित व्यय कुल रूO 1651716.00 के सम्बन्ध में उOप्रO क्षेत्रOपंO तथा जिOपंO (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2क) के अंतर्गत अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव, अभियंता श्री जयराम सिंह, सम्बन्धित अवर अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनंद कुमार सिंह एवं निर्माण लिपिक शिव प्रसाद सोनकर से उनके संसूचित होने के दिनांक से दो माह से अनधिक अवधि के अंदर उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को नियमों में विहित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इसकी वसूली सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमों में विहित व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। (आOसंO 57)

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

जनपद-अमेठी

नाम संस्था - जिला पंचायत

मण्डल का नाम:- अयोध्या

प्रस्तर संख्या - 01

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 682 बी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43 बी (8)/95 टी0सी0 दिनांक 30.05.1987 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु देय है। जिला पंचायत अमेठी में आलोच्य वर्ष में इस मद कुल रु. 23250.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त आय का 50 प्रतिशत अंश रु. 11625.00 जिला पंचायत के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायतों को इसी वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया। इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि को रोककर रु. 11625.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिये जिला पंचायत अमेठी के अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता व लेखाकार श्री कृष्णकांत त्रिवेदी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 02

मृत पशु शव निस्तारण पंजिका की जांच में पाया गया कि 31.03.2020 को मुर्दा मवेशी ठेको का बकाया रु. 239168.00 रहा। किन्तु बकाये की वसूली हेतु किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की गयी इस प्रकार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता एवं नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण अनियमित रूप से रु. 239168.00 31.03.2021 को बकाया पड़ी रही। जिसकी वसूली हेतु प्रभावी विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त अनियमितता के उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता व लेखाकार श्री कृष्णकांत त्रिवेदी व पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 03

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत अमेठी की दुकानों से किराया वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि दुकानों के किराया वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही जिला पंचायत के कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी है। वसूली के प्रति उदासीनता के कारण दिनांक 31.03.2021 को बड़ी धनराशि दुकानों का किराया वसूली हेतु बकाया है। वसूली न किये जाने के कारण संस्था को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसके लिये संस्था के कार्याधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है-

क्र	विकास खण्ड का नाम	स्थान का नाम जहां दुकाने हैं	दुकानों की संख्या	31.03.2021 को बकाया धनराशि
01	भादर	प्राथमिक पाठशाला रामगंज अमेठी	13	176275.00
02	अमेठी	जूनियर हाईस्कूल अमेठी	30	391410.00
03	जामों	पौण्ड जामों	06	37350.00
04	मुसाफिरखाना	पौण्ड मुसाफिरखाना	07	39300.00

05	मुसाफिरखाना	गांधी पार्क मुसाफिरखाना	30	403450.00
06	गौरीगंज	सैठा रोड सब्जी मण्डी	10	124030.00
07	गौरीगंज	जूनियर हाईस्कूल गौरीगंज	16	145826.00
08	गौरीगंज	कन्या प्राथमिक पाठशाला गौरीगंज	12	134110.00
09	गौरीगंज	कन्या पाठशाला अन्दर	19	281138.00
10	जगदीशपुर	जूनियर हाईस्कूल जगदीशपुर	42	994668.00
11	जगदीशपुर	जूनियर हाईस्कूल जगदीशपुर	38	387185.00
12	जगदीशपुर	जूनियर हाईस्कूल जगदीशपुर	05	110200.00
13		योग	228	3224942.00

उपरोक्तानुसार कुल अवशेष बकाया धनराशि रु. 3224942.00 बड़ी धनराशि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता एवं जिला निधि के राजस्व वसूली में निष्प्रभावी रहने के कारण अनियमित रूप से बकाया पड़ी है उक्त अनियमितता के उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता, कर अधिकारी श्री राज कुमार शुक्ल एवं लेखाकार श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी एवं पटल प्रभारी हैं। उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 04

जिला पंचायत के ईट भट्ठा लाइसेन्स/नवीनीकरण रजिस्टर की जांच में पाया गया कि गत वर्ष 2019-20 व आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्रमशः 87 व 88 भट्ठों से लाइसेंस शुल्क/नवीनीकरण धनराशि नहीं ली गयी थी विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		कुल भट्ठा	बकाया	कुल भट्ठा	बकाया	कुल भट्ठा	बकाया
1	भेंदुआ	17	11	17	9	17	10
2	भादर	24	5	24	25	24	5
3	अमेठी	14	4	14	4	14	5
4	शाहगढ़	09	05	09	05	09	02
5	गौरीगंज	23	16	23	14	23	14
6	बहादुरपुर	20	04	20	05	20	06
7	मुसाफिरखाना	29	05	29	04	29	02
8	जगदीशपुर	26	12	26	11	26	11
9	संग्रामपुर	21	04	21	02	21	06
10	जामों	23	17	23	15	24	11
11	सिंहपुर	23	05	23	09	26	10
12	तिलोई	05	04	05	02	07	01
13	बाजारशुकुल	13	01	15	02	18	05
	योग	247	93	249	87	257	88

इस प्रकार जिला पंचायत अमेठी में ईट भट्ठों के लाइसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क न लेने से रु. 2948000.00 क्षति पहुंचायी गयी विवरण निम्नवत् है-

क्रम	वर्ष	बकाया भट्ठों की	लाइसेंस शुल्क 10000.00 रु	दण्डात्मक शुल्क 1000	योग

		संख्या	प्रति भट्ठा	रु. प्रतिभट्ठा	
1	2018-19	93	930000.00	93000.00	1023000.00
2	2019-20	87	870000.00	87000.00	957000.00
3	2020-21	88	880000.00	88000.00	968000.00
		योग	2680000.00	268000.00	2948000.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2018-19 में रु. 1023000.00; वर्ष 2019-20 में रु. 957000.00 तथा वर्ष 2020-21 में रु. 968000.00 की वसूली न करके संस्था को कुल रु. 2948000.00 की भारी आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी तथा ईट भट्ठों को अवैध व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित भी किया गया। उक्त अनियमितता के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता कर अधिकारी, श्री राज कुमार शुक्ल कर निरीक्षक तथा राजस्व निरीक्षक श्री अनिल कुमार, श्री उदय प्रताप सिंह तथा श्री हरिकेश प्रताप एवं पटल प्रभारी आदि उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 05

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व ग्राम पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव आमन्त्रित करेगी जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभ हो सके। जिला पंचायत ऐसे किसी गांव के अन्दर इस घर से उस घर तक सड़कों का निर्माण नहीं करा सकती है। यह काम ग्राम पंचायतों का है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान भी किया जायेगा। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत द्वारा बहती में निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र	कार्य का विवरण	वाउचर नं०/दिनांक	व्यय धनराशि
1	ग्राम सभा मऊ में सी0सी0 एवं इण्टरलांकिंग	04/07.04.2020	412390.00
2	ग्राम सभा भीखीपुर के पक्की सड़क से इण्टरलांकिंग मोड़ तक सी0सी0	06/07.04.2020	161200.00
3	ग्राम सभा नौरंगाबाद में संजय के घर से कुआं तक सी.सी.	08/08.04.2020	35900.00
4	ग्राम सभा सिरखिरी में उदय प्रताप सिंह के घर से जवाहर गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड	09/08.04.2020	494300.00
5	राहीपुर गांव तक विशेष मरम्मत कार्य	10/08.04.2020	278500.00
6	ग्राम सभा इटौजा पश्चिम में पश्चिम गांव से नहरपुल होते हुये मधु के घर तक ईट सीलिंग मरम्मत कार्य	12/08.04.2020	99700.00
7	जामों के मवाई में महादेव मन्दिर से तिवारी के पुरवा तक सी0सी0 रोड	15/08.04.2020	480580.00
8	ग्राम सभा सैंठा से बछिलाही में नाली निर्माण व इ0ला0 कार्य	16/08.04.2020	500000.00
9	ग्राम सभा भदौर से पूरे बाबू रोड तक ईट सिलिंग	17/08.04.2020	99320.00
10	ग्राम सभा सेमरा में अबलामाता चबूतरा से शिवकुमार पासी के घर से होते हुये मदन पासी के घर तक सी0सी0 रोड	22/08.04.2020	257042.00
11	कुशबैरा प्राथमिक स्कूल से मन्दिर तक विशेष मरम्मत	23/22.04.2020	496600.00
12	ग्राम सभा सिरखिरी में उदय प्रताप सिंह के घर से जवाहर गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड	24/22.04.2020	406200.00

13	ग्राम सभा मऊ में सी0सी0 एवं इण्टरलांकिंग	27/23.04.2020	404500.00
14	ग्राम सभा गुड्डर में पूरे (खलवा) शिवादास में ट्रांसफार्मर से दुर्गा मन्दिर तक सी0सी0 रोड	29/23.04.2020	175000.00
15	ग्राम सभा बस्तीदेई के पूरे मंशा में माइनर से पण्डित लक्ष्मीदत्त के दरवाजे तक	03/03.05.2020	461298.00
16	गौरीगंज के बासुपूर में पूरे चन्दीलक्ष्य में इ0ला0 रोड से रामबक्श यादव के घर तक नाली निर्माण	04/03.05.2020	174700.00
17	ग्राम सभा कुंदापुर में पप्पू मिश्रा के घर तक अवशेष सी0सी0 रोड	05/03.05.2020	174400.00
18	कुशबैरा प्राथमिक स्कूल से मन्दिर तक विशेष मरम्मत कार्य	06/02.05.2020	374400.00
19	ग्राम सभा पूरेकोदई चितहुला पक्की सड़क से गंगा प्रसाद आदि के खेत तक सी0सी0	10/03.05.2020	367000.00
20.	ग्राम सभा बासपुर सम्पर्क मार्ग से छोटेलाल गुप्ता के घर तक सी0सी0	11/03.05.2020	628300.00
21	ग्राम सभा रमागांव से रेलवे लाइन तक लेपन कार्य	12/03.05.2020	629068.00
22	ग्राम सभा हेरूआ पक्की सड़क से हेरूआ ग्राम तर्क इंट सैलिग मरम्मत कार्य	13/03.05.2020	373200.00
23	ग्राम सभा उमराडीह पूरे गुरुदत्त में सुनील सिंह के घर तक लेपन कार्य	14/03.05.2020	998900.00
24	ग्राम सभा अतानगर में इ0ला0 रोड से प्राथमिक विद्यालय तक अवशेष सी0सी0	15/03.05.2020	1348000.00
25	ग्राम सभा जोधनपुर में पुरानी इ0ला0 से जावेद खाँ के घर तक सी0सी0	24/18.05.2020	1348000.00
26	ग्राम सभा छिटेपुर में राजकुमार विश्वकर्मा घर से बिन्दू मिश्रा के घर तक सी0सी0	25/18.05.2020	630500.00
27	ग्राम सभा सूखीबाजगढ़ में सूखी मार्ग से रामगंज में साहबदीन कोरी के घर से होते हुये रामलीला मैदान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	26/18.05.2020	515000.00
28	ग्राम सभा गुड्डर में इ0ला0 से मदन मौर्या के घर व स्व0 वीरेन्द्र सिंह के घर होते हुये शिवान बाबा के स्थान तक सी0सी0	28/18.05.2020	199000.00
29	अलीनगर में पूरे दादू सम्पर्क मार्ग के अवशेष मार्ग का निर्माण	30/18.05.2020	291200.00
30	ग्राम सभा सोरांव में काली सड़क से मीरा आश्रम तक सी0सी	32/18.05.2020	664936.00
31	ग्राम पिण्डारा कसाई में सी0सी0 रोड से ठाकुर बाबा तक सी.सी	38/18.05.2020	1016100.00
32	ग्राम सभा पलियापूरब में निमस मौर्या का घर का अवशेष सी0सी0	40/18.05.2020	109030.00
33	ग्राम सभा वैयाकर पुरवा में इ0ला0 से मन्दिर तक सी0सी0	41/18.05.2020	1121000.00
34	ग्राम सभा उमराडीह मे। नहर पटरी से पूरे अयोध्या सिंह से संतोष सिंह के घर तक सी0सी	46/08.05.2020	57800.00
35	ग्राम सभा मढ़ना में पिच रोड से मढ़वा तक सी0सी0	47/18.05.2020	13530.00
36	पूरे रजई में पक्की सड़क से कब्रिस्तान तक सी0सी0	48/18.05.2020	550700.00
37	ग्राम सभा पिण्डारा करनाई में तालाब के पास पास बस्ती तक सी0सी0	50/18.05.2020	457900.00
38	बरारा ग्राम सभा रोड पर से खड़न्जा तक सी.सी0	51/18.05.2020	335800.00
39	ग्राम सभा पलियापूरब में रेलवे लाइन से प्राथमिक पाठशाला से मेन रोड तक सी0सी	53/18.05.2020	673000.00

40	ग्राम सभा तारा जरौटा में पिचरोड से प्राथमिक विद्यालय के आगे तक सी0सी0	54/18.05.2020	693600.00
41	ग्राम सभा कमरौली में मदुपुर मार्ग से भोला के घर के पास होकर राकेश के प्लाट तक सी0सी0	57/18.05.2020	746400.00
42	ग्राम सभा मेदनमवई के पूरे शुक्लडीह नहर से होते हुये पक्की सड़क तक सी0सी0	61/18.05.2020	49304.00
43	ग्राम सभा सेम्भुई जयसिंहपुर पक्की रोड से रामलला मन्दिर तक सी0सी0	69/18.05.2020	595464.00
44	ग्राम सभा कोदई चिटहुला में पक्की सड़क से गया प्रसाद की मशीन के पास तक सी0सी0 रोड	73/18.05.2020	369100.00
45	ग्राम सभा टेढ़ई में करौंदा के पुल से शिवसदन यादव के घर तक सी0सी0 रोड	79/18.05.2020	754100.00
46	नवनीतपुर सम्पर्क मार्ग में सी0सी0	88/18.05.2020	1037900.00
47	ग्राम सभा हसवाक्षखन में पक्की सड़क से पिंवा के तालाब तक सी0सी0	17/02.06.2020	354600.00
48	ग्राम सभा नाराअढ़नपुर के अढ़नपुर में सी0सी0 रोड से गांव तक सी0सी0	18/02.06.2020	595819.00
49	पाला वौता के तिवारीपुर खड़न्जा से बाबा रघुनाथ दास मंदिर तक सी0सी0	29/02.06.2020	461800.00
50	पहाड़पुर चिलबिली में पक्की सड़क से राजकुमार सिंह के घर तक अवशेष सी0सी0	30/02.06.2020	119230.00
51	ग्राम सभा कोरारी हरिशाह में अजय सिंह के घर तक अवशेष सी0सी0	42/02.06.2020	507700.00
52	ग्राम सभा मऊ में नाली निर्माण	61/02.06.2020	491915.00
53	ग्राम सभा पिण्डारा करनाई में तालाब के पास से पासी बस्ती तक सी0सी0	64/02.06.2020	487700.00
54	टिकरी में पिचमार्ग नहर की पटरी से श्यामसुन्दर सिंह के घर तक सी0सी0	65/02.06.2020	662332.00
55	ग्राम सभा टिकावर में पिचमार्ग से श्री अयोध्या सिंह के घर तक सी0सी0	66/02.06.2020	878547.00
56	ग्राम सभा नेवादा में इण्टलांकिंग रोड से इ0ला0 सड़क तक सी0सी0	67/02.06.2020	558759.00
57	बेरारा ग्राम सभा रोड पर से खड़न्जा तक सी0सी0	68/02.06.2020	174200.00
58	ग्राम सभा उमराडीह के पूरेजलीम सिंह में पक्की सड़क से पंचायत घर तक सी0सी0	70/02.06.2020	292400.00
59	ग्राम सभा मढ़वा में पिचरोड से मढ़वा तक सी0सी0	71/02.06.2020	1031200.00
60	ग्राम सभा उमराडीह में नहर पटरी से पूरे अयोध्या सिंह से संतोष के घर तक सी0सी0	72/02.06.2020	197300.00
61	ग्राम सभा अगरवां में पक्की सड़क से दल बहादुर के घर तक सी0सी0	78/02.06.2020	396600.00
62	ग्राम सभा सेम्भुई में सेम्भुई से पूरेवाल तक सी0सी0	80/02.06.2020	589931.00
63	ग्राम सभा पूरब बेसारा के पक्की सड़क से बाबा रामदास की समाधि तक सी0सी0	82/02.06.2020	564944.00

64	ग्राम सभा बरौली के पनिहा से पक्की सड़क से बबन गुर्जर के दरवाजे के आगे तक सी0सी0	85/02.06.2020	562431.00
65	ग्राम सभा दरपीपुर के गरथोलिया सम्पर्क मार्ग से जय कुमार कश्यप के घर तक सी0सी0	86/02.06.2020	841809.00
66	ग्राम सभा गुजरटोला में पक्की काली सड़क से सरोज ंसिह के घर तक सी0सी0	88/02.06.2020	488800.00
67	ग्राम सभा सादीपुर में नेवादा-गाजनपुर मार्ग से होते हुये दशरथ महाराज की कुटिया तक सी0सी0	89/02.06.2020	272144.00
68	ग्राम सभा राजीपुर में राग बहादुर के घर के पीछे से मुराईटोला तक सी0सी0	93/23.06.2020	732196.00
69	ग्राम सभा के भोंये के फुलपुर के इण्टरलांकिंग से रामशाहपुर इण्टरलांकिंग तक सी0सी0	97/23.06.2020	408700.00
70	ग्राम सभा कमई में पक्की सड़क जूनियर हाईस्कूल से प्राथमिक पाठशाला तक सी0सी0	98/23.06.2020	960900.00
71	ग्राम सभा सेम्भुई के जयसिंहपुर पक्की रोड से रामलला मन्दिर तक सी0सी0	100/23.06.2020	402712.00
72	ग्राम सभा घोसियान में रामसुमेर के चक से कल्लू सिंह की बाग तक लेपन कार्य	103/23.06.2020	1001300.00
73	ग्राम सभा मऊ में नाली निर्माण	104/23.06.2020	507000.00
74	ग्राम सभा घरौली में काशीराम आवास से नहर की पटरी से राजू शुक्ला के घर तक सी0सी0	105/23.06.2020	549000.00
75	ग्राम सभा राहीपुर में कल्लू ठाकुर के घर के सामने मन्दिर से होते हुये लालमणि मिश्रा के घर तक सी.सी	106/23.06.2020	584100.00
76	नवनीतपुर सम्पर्क मार्ग में सी0सी0	109/23.06.2020	455900.00
77	पूरे जैन (जमुरवा) सम्पर्क मार्ग सी0सी0	110/23.06.2020	202900.00
78	पूरे राजा भदसाना सम्पर्क मार्ग अवशेष सी0सी0	111/23.06.2020	473000.00
79	ग्राम सभा गोण्डा में राम प्रकाश मौर्य के दरवाजे से नईम के दरवाजे तक सी0सी0	112/23.06.2020	616700.00
80	ग्राम सभा घोसियान में पक्की सड़क से शेर बहादुर के चेक तक सी0सी0	114/23.06.2020	1237300.00
81	ग्राम सभा बलभद्रपुर में पक्की सड़क से शिवकुमार के घर तक सी0सी0	115/23.06.2020	309100.00
82	ग्राम सभा तारा जरौटा में पिचरोड से प्राथमिक विद्यालय के आगे तक सी0सी0	117/23.06.2020	148800.00
83	ग्राम सभा नैया का पुरवा में इण्टरलांकिंग से मन्दिर तक सी0सी0	118/23.06.2020	378000.00
84	शिवचरन का पुरवा के आगे नहर पुल पक्की सड़क से मदरसा स्कूल गजरे तेन्दुआ तक सी0सी0	119/23.06.2020	302500.00
85	ग्राम सभा उमराडीह में नहर पटरी से पूरे अयोध्या सिंह से संतोष सिंह के घर तक सी0सी0	123/23.06.2020	22200.00
86	ग्राम सभा उमराडीह के पूरे जलीम सिंह में पक्की सड़क से पंचायत घर	125/23.06.2020	32400.00

	तक सी0सी0		
87	कठौरा समरौता रोड से प्राइजके स्कूल तक सी0सी0	126/23.06.2020	229000.00
88	बेरारा ग्राम सभा रोड पर से खड़न्जा तक सी0सी0	127/23.06.2020	56400.00
89	ग्राम सभा पिण्डारा करनाई में तालाब के पास से पासी बस्ती तक सी0सी0	128/23.06.2020	53500.00
90	ग्राम सभा मढ़वा में पिच रोड से मढ़वा तक सी0सी0	129/23.06.2020	114500.00
91	ग्राम सभा गढ़ामाफी में इण्टरलांकिंग रोड से पुलिया निर्माण	130/23.06.2020	320967.00
92	ग्राम सभा भरेथा के अन्तर्गत हथकिला (टोला) भरेथा मुख्य सम्पर्क मार्ग पर रामचन्दर तिवारी के घर से इण्टरलांकिंग मार्ग के आगे से भरेथा गांव तक सी0सी0 रोड	131/23.06.2020	551000.00
93	आनापुर में नेता रोड पक्की सड़क से नाला निर्माण	135/23.06.2020	398338.00
94	ग्राम सभा सेम्भुई में सेम्भुई से पूरे पाल तक सी0सी0	136/23.06.2020	402289.00
95	ग्राम सभा पूरे बेसारा के पक्की सड़क से बाबा रामदास की समाधी तक सी0सी0	139/23.06.2020	314167.00
96	ग्राम सभा बस्तीदेई के पूरे मंशा में माइन से पं0 लक्ष्मीदत्त मिश्रा के घर तक सी0सी0	140/23.06.2020	417944.00
97	ग्राम सभा दरपीपुर के गरथौलिया सम्पर्क मार्ग से जय कुमार कश्यप के घर के आगे तक सी0सी0	141/23.06.2020	324417.00
98	ग्राम सभा किटियावां के कमलानगर बाजार से राम खेलावन के घर से शिवराम यादव के खेत तक सी0सी0	144/23.06.2020	771442.00
99	ग्राम सभा नरौली के पनिहा में पक्की सड़क से बबन गुर्जर के दरवाजे के आगे तक सी0सी0	145/23.06.2020	369221.00
100	ग्राम सभा मऊ में सी0सी0 रोड से कुंवर सिंह के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण	147/23.06.2020	474000.00
101	ग्राम सभा धारूपुर में सोगरा असुरा मार्ग से बेसन का पुरवा तक सी0सी0	149/23.06.2020	546971.00
102	ग्राम सभा धरौली में स्टेडियम नहर पुल से मुन्ना बैटरी वाले के घर के आगे तक सी0सी0	151/23.06.2020	576793.00
103	ग्राम सभा गाईमऊ में पूरेलहाई से गाईमऊ तक सी0सी0	152/23.06.2020	350400.00
104	ग्राम सभा मेदनमवई के पूरे शुक्लडीह के नहर से होते हुये पक्की सड़क तक सी0सी0	154/23.06.2020	237426.00
105	ग्राम सभा मुदूनपुर में पक्की सड़क रामभवन की दुकान से प्राथमिक पाठशाला स्कूल होते हुये पूरे रामसेवक तक सी0सी0	157/23.06.2020	645654.00
106	ग्राम सभा टिकरा के डिगूरे पूरे गिपाल नही टरी से राम अकबाल के घर तक सी0सी0	158/23.06.2020	303000.00
107	ग्राम सभा बेसरावां में पूरे राम आसरे सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0	159/23.06.2020	964100.00
108	ग्राम सभा बेसारा सम्पर्क मार्ग अवशेष सी0सी0	160/23.06.2020	462400.00
109	टलीनगर में पूरे दादू सम्पर्क मार्ग के अवशेष मार्ग का निर्माण	161/23.06.2020	229543.00
110	ग्राम सभा पैंगा के पूरे बकरात से पूरे कोडारी के पुरवा स्कूल तक	164/23.06.2020	325469.00

	सी0सी0		
111	ग्राम सभा पूरे फाजिल के पूरे सरदार में सौलिंग से धुरवराज सिंह के घर तक सी0सी0	165/23.06.2020	465573.00
112	ग्राम सभा महमूदपुर में शंकरपुर धधुवा का पुरवा सम्पर्क मार्ग से बदई का पुरवा तक सी0सी0	169/23.06.2020	400315.00
113	ग्राम सभा दरखा में ताला-गोसाईगंज पक्की सड़क से सुन्दर नगर तक सी0सी0	170/23.06.2020	452606.00
114	ग्राम सभा कोरारी चैराहे से कोरारी गांव तक लेपन	171/23.06.2020	278922.00
115	ग्राम सभा सोरांव में काली सड़क से मीरा आश्रम तक सी0सी0	173/23.06.2020	529438.00
116	टिकरी में पिच मार्ग नहर की पटरी से श्याम सुन्दर सिंह के घर तक सी0सी0	174/23.06.2020	335400.00
117	ग्राम सभा कमरौली में मदुपुर मार्ग से भोला के घर के पास होकर राकेश के प्लाट तक सी0सी0 रोड	175/23.06.2020	253100.00
118	ग्राम सभा बाहया में पूरे पाटिल सम्पर्क मार्ग नया पुरवा तक सी0सी0	176/23.06.2020	253300.00
119	ग्राम सभा नेवादा में इण्टरलांकिंग रोड से इ0ला0 सड़क तक सी0सी0	177/23.06.2020	221677.00
120	ग्राम सभा पलिया पूरब में निर्मल मौर्या के घर तक अवशेष सी0सी0	178/23.06.2020	4083300.00
121	पूरे रजई में पक्की सड़क से काब्रिस्तान तक सी0सी0	179/23.06.2020	448800.00
122	ग्राम सभा पिण्डारा करनाई में सी0सी0 रोड से ठाकुर बाबा तक सी0सी0	180/23.06.2020	483400.00
123	ग्राम सभा पूरे कोदई चिटहुला में पक्की सड़क से गंगा प्रसाद आदि के खेत तक सी0सी0	181/23.06.2020	138000.00
124	ग्राम सभा पलिया में रेलवे लाइन से प्राथमिक पाठशाला से मेन रोड तक सी0सी0	182/23.06.2020	326700.00
125	ग्राम सभा मऊ में सी0सी0 रोड से शुन्य बाबा तक सी0सी0	184/23.06.2020	551678.00
126	ग्राम सभा मानशाहपुर के पिण्डारा अनखरा मार्ग से नक्टी के पुरवा तक सी0सी0	03/24.07.2020	332195.00
127	ग्राम सभा बस्तीदेई के पूरे श्रीपाल में नहर पटरी काली सड़क से होते हुये सुधाकर तिवारी के घर आगे तक सी0सी0	04/24.07.2020	361560.00
128	ग्राम सभा बलभद्रपुर में मस्जिद तक गांव तक सी0सी0	06/24.07.2020	1200000.00
129	ग्राम सभा बलभद्रपुर में मेन रोड से अहोरवादीन शिक्षण संस्थान तक सी0सी0	07/24.07.2020	769600.00
130	ग्राम सभा बेनीपुर रामानगर पिच मार्ग से ग्राम सभा बेनीपुर में विनय तिवारी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	09/24.07.2020	467633.00
131	ग्राम सभा जुगराजपुर में सेमरौता कठौरा मार्ग से पूरे बादल खंा का पुरवा तक सी0सी0	10/24.07.2020	821700.00
132	ग्राम सभा उत्तरगांव पक्की सड़क से रामपुर रामचन्द्र शुक्ल के घर के आगे तक सी0सी0	11/24.07.2020	797700.00
133	ग्राम सभा हसवासुखन में पक्की सड़क से मियां के तालाब तक सी0सी0	12/24.07.2020	260200.00
134	ग्राम सभा मुबारकपुर जायस रोड से जे0एन0 मौर्या स्कूल तक सी0सी0	14/24.07.2020	73300.00

135	ग्राम सभा सरेसर सलावतगढ़ में रायबरेली रोड इ0ला0 रोड से गांव के अन्दर तक सी0सी0	15/24.07.2020	238900.00
136	ग्राम सभा चन्दईपुर के महन्तबाबा के चबूतरे से पूरे गुजरन तक सी0सी0	16/24.07.2020	803645.00
137	ग्राम सभा राघीपुर में पक्की सड़क से ओमप्रकाश पुराने इण्टरलाकिंग तक सी0सी	17/24.07.2020	352800.00
138	ग्राम सभा सूखीबाजगढ़ के नटई के पुरवा में कटारी सूखी मार्ग से नटई के पुरवा तक सी0सी	18/24.07.2020	636900.00
139	जामों सूखीबाजगढ़ में पूर नटई से खडन्जा से सुफाई पासी के घर से दलित बस्ती तक सी0सी0	19/24.07.2020	610200.00
140	ग्राम सभा पिण्डारा ठाकुर के पूरे साहबक्श के पुरवा से बनमानुष के पुरवा तक सी0सी0	20/24.07.2020	1233810.'00
141	ग्राम सभा बहेरापुर में पक्की सड़क से गांव तक	21/24.07.2020	585183.00
142	ग्राम सभा भौरी कोछित मार्ग से बारात घर तक व अवशेष श्रीराम सेठ के दुकान से आर0सी0सी0 रोड तक सी0सी0	22/24.07.2020	340400.00
143	ग्राम सभा उसरापुर में श्यामानाई के घर से हेमन्त यादव के घर तक ईंट सौलिंग	24/24.07.2020	411838.00
144	ग्राम सभा गलौनीपुर बस्ती में पिच रोड से नाजिम के घर तक सी0सी0	25/24.07.2020	698810.00
145	ग्राम सभा सादीपुर में नेवादा गाजनपुर मार्ग से होते हुये दशरथ महाराज की कुटिया तक सी0सी0	26/24.07.2020	255194.00
146	ग्राम सभा जुठीपुर के सेवई वासेपुर मार्ग से पटखौली तक सी0सी0	27/24.07.2020	1377111.00
147	ग्राम सभा पूरे प्रेमशाह के पूरे पटई में आशीष के दरवाजे से पूरे लुलई मार्ग तक सी0सी0	01/01.09.2020	316044.00
148	ग्राम सभा राघीपुर में राम बहादुर के घर के पीछे से मुराईन टोला तक सी0सी0	02/01.09.2020	504000.00
149	ग्राम सभा खदरी पिच रोड से बूढा मां के धाम तक सी0सी0	03/01.09.2020	801800.00
150	ग्राम सभा रोहसी बुजुर्ग के भवन शाहपुर में अत्तानगर माइनर से श्यामलाल के घर तक सी0सी0	04/01.09.2020	594507.00
151	ग्राम सभा कोदई चिटहुला में पक्की सड़क से गया प्रसाद की मशीन की पास तक सी0सी0	05/01.09.2020	130500.00
152	ग्राम सभा पहाड़पुर में सी0सी0 कार्य	06/01.09.2020	393500.00
153	ग्राम सभा राघीपुर के कल्लू ठाकुर के घर के सामने मन्दिर से होते हुये लालमणि मिश्रा के घर तक सी0सी0	12/01.09.2020	675300.00
154	ग्राम सभा जलालपुर तिवारी में सौलिंग रोड से आश्रम तक सी0सी	14/01.09.2020	276100.00
155	ग्राम सभा सेमरा रेलवे क्रांसिंग से सेमरा गांव तक सी0सी0	15/01.09.2020	316600.00
156	ग्राम सभा गाईमऊ में पूरे बधई से गाईमऊ तक सी0सी0	16/01.09.2020	263200.00
157	ग्राम सभा बलभद्रपुर में पक्की सड़क से शिवकुमार के घर तक सी0सी0	18/01.09.2020	333200.00
158	जेनपुर गांव नहर से पटरी पर सी0सी0	19/01.09.2020	945000.00

159	कोरारी लच्छनशाह परेरवा पक्की सड़क राम अभिलाष के घर से राम कुमार के घर तक सी0सी0	20/01.09.2020	321000.00
160	ग्राम सभा सनहा सपहा पक्की सड़क से सेमरा गांव तक सी0सी0	22/01.09.2020	316534.00
161	ग्राम सभा गढ़ामाफी से इण्टरलांकिंग रोड से पुलिया निर्माण	25/01.09.2020	229091.00
162	ग्राम सभा मऊ मे सी0सी0 रोड से कुबेर सिंह के घर तक सी0सी0/नाली	29/01.09.2020	425789.00
163	ग्राम सभा गुजर टोला में काली सड़क से सरोज सिंह के घर तक सी0सी0	30/01.09.2020	315000.00
164	ग्राम सभा छिटेपुर में राजकुमार विश्वकर्मा के घर से बिन्दु मिश्रा के घर तक सी0सी0	31/01.09.2020	363000.00
165	ग्राम सभा रामपुर कुडवा के कांची पट्टी गांव से काजू बाबा तक लेपन	34/26.09.2020	180689.00
166	ग्राम सभा मानशाहपुर के पिण्डारा अनखरा मार्ग से नक्टी के पुरवा तक सी0सी0	38/26.09.2020	332195.00
167	ग्राम सभा रेशी के पूरे हेम सिंह के पुरवा में रामफल के घर होते हुये विन्धाचल मन्दिर तक सी0सी0	39/26.09.2020	584470.00
168	ग्राम सभा मऊ में सी0सी0 रोड से शम्भू बाबा तक सी0सी0	41/26.09.2020	61297.00
169	जामों सूखीबाजगढ में बढई में पूरे रामेश्वर तिवारी शिव पटल तिवारी के घर से खडन्जा तक सी0सी0	50/26.09.2020	125200.00
170	ग्राम सभा अगरावा में पक्की सड़क से दल बहादुर सिंह के घर तक सी0सी0	51/26.09.2020	217100.00
171	ग्राम सभा सूखीबाजगढ सूखी मार्ग से रामगंज में साहबदीन कोरी के घर से होते हुये रामलीला मैदान तक सी0सी0 एवं नाली	52/26.09.2020	288000.00
172	ग्राम सभा मवई में मवई गांव से नारे पुल तक विशेष मरम्मत कार्य	17/05.01.2021	898052.00
173	काहनाला थौरी रोड से मवई तक विशेष मरम्मत कार्य	20/05.01.2021	336362.00
174	ग्राम सभा अगूरा पक्की सड़क से सरनाम सिंह के पुरवा से सी0सी0 का निर्माण	30/11.01.2021	998500.00
175	ग्राम सभा कल्याणपुर में कल्याणपुर कुटी से मेन रोड तक सी0सी0	31/11.01.2021	997820.00
176	ग्राम सभा उमराडीह में माहदेवन मक्की सड़क से होते हुये मुर्गी फार्म तक सी0सी0	32/11.01.2021	999700.00
177	ग्राम सभा असुरापुरे वैश्य में अवशेष सी.सी0	33/11.01.2021	998500.00
178	ग्राम सभा मऊ के आनन्द नगर सी0सी0 रोड से इण्टरकालेज तक सी0सी0	34/11.01.2021	598700.00
179	ग्राम सभा भोयें पक्की सड़क से बड़ी नहर तक सी0सी0	35/11.01.2021	599600.00
180	ग्राम सभा मझगरा में पक्की सड़क से पुदई पुरवा तक सी0सी0	36/11.01.2021	998700.00
181	ग्राम सभा निजामुद्दीन में पिच रोड से इण्टरलांकिंग तक अवशेष लेपन	92/29.12.2021	287852.00
182	ग्राम सभा मंगौली में जगदीशपुर रोड हर्ष कुमार पाण्डेय के घर से देव स्थल तक सी0सी0	93/29.12.2021	998300.00
183	ग्राम सभा भीखीपुर में काली सड़क वक्तावर के पुरवा से पुरे निहाल कुंवर बरौलिया काली सड़क तक अवशेष इंट सॉलिंग	02/04.01.2021	368100.00

184	ग्राम सभा सेम्भुई के मोहनपारा में अवशेष सी0सी0	05/04.01.2021	268998.00
185	ग्राम सभा ऐंथी के बघिलाही की काली सड़क से राजाराम मिश्र के घर के आगे तक सी0सी0	38/11.01.2021	998500.00
186	ग्राम सभा गौरा में छोटा राजा के पुरवा में अवशेष सी0सी0 निर्माण	39/11.01.2021	998800.00
187	ग्राम सभा बेलखौर में प्राथमिक पाठशाला से गांव की ओर सी0सी0 रोड मरम्मत कार्य	40/11.01.2021	998800.00
188	ग्राम सभा घोसियान में सी0सी0 रोड पुलिया निर्माण कार्य	68/11.01.2021	198000.00
189	ग्राम सभा परशुरामपुर में बिहारीगंज मार्ग से कल्लू देवी प्रधान के घर से सगढ़िया तक विशेष मरम्मत कार्य	70/11.01.2021	99600.00
190	कोटवा ग्राम में छोट्टन लम्बरदार के दरवाजे से अमर बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	04/04.11.2021	163400.00
191	मुसाफिरखाना घरौली नया कोढ से पक्की सड़क से विजय विक्रम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	05/04.11.2021	84600.00
192	पूरे चितई में राम औतार के घर से दलित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	06/04.11.2021	443800.00
193	गौरीगंज तुलसीपुर के विजय शुक्ल के खेत से प्राथमिक पाठशाला रानीपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य	07/04.11.2021	382400.00
194	गौरीगंज तुलसीपुर के विजय शुक्ल के खेत से प्राथमिक पाठशाला रानीपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य	08/04.11.2021	84300.00
195	ग्राम सभा पहाड़पुर में अवशेष सी0सी0	58/23.12.2020	222700.00
196	ग्राम सभा कपई में पक्की सड़क जूनियर हाईस्कूल से प्राथमिक पाठशाला तक अवशेष सी0सी0	59/23.12.2020	429300.00
197	गौरीगंज में बहरपट्टी पक्की सड़क मार्ग से पप्पू मिश्र मकरहा के घर अवशेष सी0सी0	60/23.12.2020	509100.00
	योग		100355997.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में विभिन्न मदों में प्राप्त राजकीय अनुदान के अन्तर्गत (क्रमांक 01 से 198) व्यय धनराशि द्वारा उपरोक्त ग्राम पंचायतों में कार्य कराना शासनादेश संख्या 8307/33-02-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.04.2005 का भी उल्लंघन है। शासनादेश द्वारा भी ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायतों का क्षेत्राधिकार माना गया है। इस प्रकार जिला पंचायत अमेठी द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर कार्य कराया जाना गम्भीर अनियमितता है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 05 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा एवं 01 लाख रुपये से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों के अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया है। शासनादेश संख्या 1838/33-3-245-03/2015 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित होने वाले कार्यों को सम्पादित करायेंगी किन्तु जिला पंचायत अमेठी द्वारा ग्राम पंचायतों की सीमा में कार्य कराकर इस शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की है। उपरोक्त उल्लिखित कार्यों में क्रमांक 01 से 125 तक के कार्यों का भुगतान अप्रैल

2020 मई 2020 जून 2020 में किया गया है। जबकि अप्रैल व मई 2020 में पूर्ण लाक डाउन लगा था और उक्त वैश्विक आपदा की अवधि में कार्य को पूर्ण करा पाना सम्भव नहीं था इस प्रकार संस्था द्वारा उक्त अवधि में भुगतान करना संदिग्ध प्रमाणित होता है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार रु. 100355997.00 का व्यय अनियमति रहा जिसके उत्तरदायी जिला पंचायत अमेठी के अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता, लेखाकार श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी तथा अभियन्ता श्री देवेन्द्र कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह हैं। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 06

जिला पंचायत अमेठी द्वारा पंचम वित्त आयोग से वाउचर 46(i) सा0नि0 में ग्राम सभा कोदई में चिटहूला स0 मार्ग से रामलखन के घर तक सी0सी0 कार्य कराया गया है-

दिनांक	ठेकेदार	आयकर	जी0एस0टी0	श्रमकर	योग
21.12.2020	53331.00	9955.00	53331.00	4444.00	497700.00

फाइल में ठेकेदार को रु. 429970.00 दिया गया है फाइल में दिखाया गया है जबकि वाउचर में रु. 53331.00 को भुगतान दिखाया जा रहा है। अन्तर की स्थिति अन्तरिम आपति के बावजूद लेखा परीक्षा के दौरान नहीं कराया गया।

(ii) फाइल में कार्य के पहले की कार्य करते समय तथा तथा कार्य समाप्त की फोटो संलग्न नहीं किया गया है।

(iii) इस फाइल में जमानत राशि का कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है। इसमें दिनांक 28.10.2020 टी0डी0आर0- 100000.00 रु नं0 732054 लिखा गया है कि कार्य से 4/12 में संलग्न है। जबकि इसमें जमानत राशि के लिये एफ0डी0 या और कोई बैंक प्रपत्र संलग्न नहीं है।

अतः अन्तर की धनराशि रु0 376639.00 की वसूली उत्तर दायी व्यक्ति श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता, लेखाकार श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी एवं वित्तीय सलाहकार श्री राजेन्द्र कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 07

दिनांक 07.04.2020 में कुशबैरा प्रा0 स्कूल से मन्दिर तक कार्य

(i) ठेकेदार	आयकर	जी0एस0टी0	लेबर सेस	जमानत	योग
321231.00	8744.00	46915.00	3910.00	57000.00	437800.00

का भुगतान किया गया है।

(ii) दिनांक 22.12.2020 को कुशबैरा प्रा0 स्कूल से मन्दिर तक विशेष कार्य का भुगतान किया गया है।

ठेकेदार	आयकर	जी0एस0टी0	सी0जी0एस0टी0	एस0जी0एस0टी0	जमानत	लेबर	योग
321231.00	3744.00	39095.00	3910.00	3910	57000	3910	437800.00

(i) और (ii) एक ही कार्य प्रतीत होता है। जिसका भुगतान दोबार किया जा रहा है। लेखा परीक्षा के दौरान अन्तरिम आपति देने के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी।

उक्त कार्य के लिये दो बार भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता लेखाकार कृष्णकान्त त्रिवेदी एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह वित्तीय सलाहकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0 437800.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 08

दिनांक 21.12.2020 ग्राम सभा रेशी में पूरे हेमासिंह के पुरवा में रामफूल के घर से विन्ध्याचल

मन्दिर तक अवशेष कार्य (सी0सी0कार्य) (अयोध्या एसो0)

ठेकेदार	आयकर जी0एस0टी0	श्रमकर	योग
241463.00	5591.00	29950.00	2496.00
			279500.00

इसमें जमानत नहीं काटी गयी है इस फाइल में (कार्य संख्या 20/20) रसीद नं0 732051.00 बैंक आफ बड़ौदा 600000.00 एम0आई0पी0 को फोटोकापी संलग्न की गयी है। जमानत राशि में मूल प्रति संलग्न किया जाना अपेक्षित है। जमानत राशि जमा न होने व बिल से न काटकर नियम विरुद्ध भुगतान किया गया फलस्वरूप कार्य पर व्यय अनियमित है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता लेखाकार कृष्णकान्त त्रिवेदी एवं वित्तीय सलाहकार श्री राजेन्द्र कुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः रु. 27950.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता लेखाकार कृष्णकान्त त्रिवेदी एवं वित्तीय सलाहकार श्री राजेन्द्र कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 09

आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत द्वारा काँजी हाउस त्रिलोकपुर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण बाछिल कन्स्ट्रक्शन द्वारा रु. 5553089.00 में करवाया गया है। जिसका 10 प्रतिशत जमानत राशि रु. 555309.00 आता है। जिसमें संस्था द्वारा जमानत 280400.00 काटा गया है। तथा एफ0डी0 नं0 50470984074.00 में (एक लाख) 100000.00 तथा एफ0डी0 नं0 50478450476 में दस हजार 10000.00 फाइल में संलग्न है। जिला पंचायत द्वारा कुल जमानत राशि रु. 390400.00 जमा करवाया गया है। जबकि 5553089.00 रुपये जमा करवाया जाना चाहिये। इस प्रकार रु. 164909.00 कम जमा करवाया गया है। कम जमानत राशि जमा कर वित्तीय अनियमितता किया जाना। अतः धनराशि रु 164909.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता लेखाकार कृष्णकान्त त्रिवेदी से अद्यावधि व्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 10

आलोच्य वर्ष 2020-21 में दिनांक 13.12.2020 से 10.01.2021 तक यूनिट ट्रेडर्स द्वारा काँजी हाउस (त्रिलोकपुर, मोहनगंज और सत्थिन) में चारा (भूसा चोकर) सप्लाई किया गया है जिसका भुगतान रुपये 323177.00 किया गया है। परन्तु इसके लिये कोई टेण्डर प्रकाशित नहीं कराया गया है। न ही कोई टेण्डर पास कराया गया जो कि आपत्तिजनक है। बिना टेण्डर के किया गया भुगतान अनियमित है। अतः धनराशि रु. 323177.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता लेखाकार कृष्णकान्त त्रिवेदी से अद्यावधि व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 11

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत द्वारा रिसोर्स सेन्टर की बाउन्ड्री वाल एवं ब्रिककोवा अयोध्या एसो0 द्वारा निर्माण करवाया गया है। रिसोर्स के वाउचर में दिनांक 11.01.2021 को भुगतान रु. 2206381.00 किया गया है। रिसोर्स वाउचर के अनुसार विवरण निम्न है-

आयकर	जी0एस0टी0	श्रमप्रतिकर	जमानत	रायल्टी	विलम्ब	ठेकेदार	योग
44128.00	236398.00	-	-	-	-	1906155.00	2206381.00

जिसमें कुल योग रु. 2186681.00 आता है जबकि यह योग 2206381.00 किया गया है। इस प्रकार 19700.00 का अन्तर आता है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु. 19700.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता लेखाकार कृष्णकान्त त्रिवेदी से अद्यावधि व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 12

विकास खण्ड गौरीगंज की निम्नलिखित दुकानों के लाइसेंस 2017-18 या 2018-19 तक ही वैध थे जिनके नवीनीकरण का आवेदन संस्था में अप्राप्त है। त्वरित आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

1. श्री छोटेलाल पुत्र रामफेर नारायनपुर मझवारा भटगवां परचून की दूकान लाइसेंस नं0 282703 दिनांक 04.10.2018 फीस 500/- वैध 2018-19
2. श्री दिलीप पुत्र हरिराम मोबाइल शाॅप लाइसेंस नं0 014344 दिनांक 27.07.2017 फीस 300/- वैध 2017-18
3. श्री मनीष कुमार पुत्र रामसुन्दर जनरल क्राकरी लाइसेंस नं0 0143444 दिनांक 17.07.2017 फीस 200/- वैध 2017-18
4. श्री सियाराम पुत्र जगदीश किराना स्टोर लाइसेंस नं0 0143457 दिनांक 27.07.2017 फीस 250/- वैध 2018-19
5. श्री राम जियावन पुत्र रामनरेश आटा तेल की मशीन लाइसेंस नं0 0143458 दिनांक 27.07.2017 फीस 800/- वैध 2017-18
6. श्री कृष्णचन्द्र पुत्र गुरुचरन मिठाई की दुकान लाइसेंस नं0 0143462 दिनांक 28.07.2017 फीस 250/- वैध 2017-18
7. श्री छोटेलाल पुत्र रामफेर मझवारा परचून की दुकान लाइसेंस नं0 288703 दिनांक 04.10.2018 फीस 500/- वैध 2018-19
8. श्री प्रमोद पुत्र रामकृष्ण भटगवां मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान लाइसेंस नं0 288704 दिनांक 06.10.2018 फीस 450/- वैध 2018-19
9. श्री सालिकराम पुत्र राजाराम भटगवां आटा चक्की स्पेलर लाइसेंस नं0 288732 दिनांक 14.11.2018 फीस 1300/- वैध 2018-19

अतः रु 4550.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता लेखाकार कृष्णकान्त त्रिवेदी से अद्यावधि व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 13

जिला पंचायत को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने हेतु प्रत्येक निर्धारित राजस्व की शत

प्रतिशत वसूली अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद में जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाली शराब की दुकानों पर लाइसेंस शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया है। शराब की दुकानों से लाइसेंस शुल्क न तो कोई मांग की गयी, और न ही लाइसेंस शुल्क की वसूली की कोई कार्यवाही की गयी। जिला पंचायत अमेठी द्वारा शराब की दुकानों के लाइसेंस शुल्क की कोई भी मांग न किये जाने के कारण उक्त अवधि में राजस्व की क्षति हुई है। जबकि जिला आबकारी से जनपद में जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाली देशी शराब, विदेशी शराब एवं बीयर की दुकानों की सूची प्राप्त करके लाइसेंस शुल्क की वसूली सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 में शराब की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दुकान का प्रकार	संख्या	दर	अवशेष धनराशि

1	देशी शराब	93	750	रु0 69750.00
2	विदेशी शराब	34	1000	रु0 34000.00
3	बियर	21	1000	रु0 21000.00
4	भंाग की दुकान	9	500	रु0 4500.00
5	माॅडल शाॅप	1	1500	रु0 1500.00
	योग-			रु0 130750.00

रु. 130750.00 की वसूली श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी , श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी लेखाकार एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह वित्तीय सलाहकार तथा राजकुमार शुक्ल कर अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 14

जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्य के बिलों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों में अतिरिक्त जोड़ा गया है तथा भुगतान देते समय ठेकेदारों के बिलों से 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती करके उसे सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया गया है। इस प्रकार के इन्द्राज किये जाने का सीधा मतलब होता है कि लेबर सेस का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा न करके जिला पंचायत द्वारा सरकारी ग्रांट से किया गया है, जबकि बिल्डिंग एण्ड अन्य कान्सट्रक्शन वर्क्स सेस एक्ट 1996 के अनुसार सार्वजनिक विभागों एवं उपक्रमों, शासकीय विभागों द्वारा लेबर सेस भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, यदि निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व वाद में माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार लेबर सेस का भुगतान दायित्व ठेकेदार का होता है न कि मुख्य नियोक्ता का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी भारत सरकार अधिनियम के अनुपालन में अधिसूचना द्वारा अधिनियम को लागू किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य में संलग्न समस्त शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर ठेकेदारों के बिलों से 1 प्रतिशत की दर से उपकर के कटौती का दिशा-निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया। किन्तु आलोच्य वर्ष में सीधे शासकीय ग्रांट से जिला पंचायत द्वारा रूपया 2308989.00 लेबर सेस का भुगतान कर सीधे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया जो अनियमित रहा जिसके लिये श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह वित्तीय सलाहकार उत्तरदायी रहे हैं। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 15

विभव व सम्पत्ति कर मांग व वसूली की रजिस्टर की जांच में पाया गया कि सभी विकास खण्डों में विभव व सम्पत्ति कर की मांग व बकाये के सापेक्ष वसूली बहुत कम हुयी इसका मुख्य कारण वसूली प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों की उदासीनता रही। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में डिमाण्ड व आरसी की कार्यवाही नहीं की गयी जिससे बकाया कर में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती गयी। परिणामस्वरूप 31.03.2021 को कुल बकाया 5.69 लाख रुपये चतुर्थ त्रैमास प्रगति रिपोर्ट में अंकित है। उल्लेखनीय है कि उक्त परिसम्पत्ति व विभव कर रजिस्टर में वर्ष की मांग वसूली व बकाया के योग का अंकन नहीं किया गया है जिसे किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक था। उपरोक्तानुसार विभव व सम्पत्ति कर के उक्त अनियमित रूप से बकाया धनराशि रूपया 5.69 लाख रूपया के उत्तरदायी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी यथा अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता वित्तीय सलाहकार राजेन्द्र कुमार सिंह कर अधिकारी श्री राजकुमार शुक्ल, कर निरीक्षक श्री अनिल कुमार श्री उदय प्रताप सिंह श्री हरिकेश प्रताप एवं सहायक

राजस्व निरीक्षक श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, श्री राजीव रंजन वर्मा, श्री राम सिंगार यादव, श्री बच्चू लाल व श्री सन्तोष कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 16

वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.04.2020 के पूर्व से ही कोविड 19 महामारी के कारण महामारी

अधिनियम के अन्तर्गत पूरे देश में लाकडाउन के कारण बंदी जारी थी, इसके बावजूद लाकडाउन अवधि में निम्नानुसार भुगतान किया गया है

07.04.2020 के भुगतान	ग्राँस अमाउंट	नेट पेमेंट
बाछिल कस्ट्रक्सन	437800/-	321231/-
बाछिल कस्ट्रक्सन	412390/-	356275/-
श्री बंजरग भगवान इन्फ्रास्ट्रक्चर	442600/-	381868/-
श्री बंजरग भगवान इन्फ्रास्ट्रक्चर	161200/-	138754/-
08/04/2020		
बाछिल कस्ट्रक्सन	368300/-	317685/-
बाछिल कस्ट्रक्सन	35900/-	31012/-
बाछिल कस्ट्रक्सन	494300/-	426527/-
श्री बंजरग भार्गव	278500/-	240591/-
श्री बंजरग भार्गव	422460/-	364975/-
पीयूष ट्रेडर्स	99700/-	85626/-
पीयूष ट्रेडर्स	296800/-	256404/-
कनिष्क कंस्ट्रक्शन	480500/-	414616/-
कनिष्क कंस्ट्रक्शन	480580/-	414686/-
कनिष्क कंस्ट्रक्शन	500000/-	431921/-
कनिष्क कंस्ट्रक्शन	99320/-	85305/-
जे0से0 कंस्ट्रक्शन	377500/-	325627/-
अमन कंस्ट्रक्शन	403000/-	347654/-
सुरेन्द्र कुमार तिवारी	210300/-	178979/-
मशाराम त्रिपाठी	492500/-	424979/-
राजपूत कंस्ट्रक्शन	257042/-	221566/-
22/04/2024		
बाछिल कस्ट्रक्सन	496600/-	428526/-
बाछिल कस्ट्रक्सन	406200/-	350421/-
23/04/2024		
बाछिल कस्ट्रक्सन	122700/-	105494/-
बाछिल कस्ट्रक्सन	443900/-	382989/-
बाछिल कस्ट्रक्सन	404500/-	348951/-
विजय प्रकाश त्रिपाठी	232500/-	199359/-
विजय प्रकाश त्रिपाठी	175000/-	150681/-
विजय प्रकाश त्रिपाठी	280100/-	241481/-

श्री बंजरग भगवान कंस्ट्रक्शन	99800/-	85719/-
बाछिल कंस्ट्रक्शन	59700/-	51072/-
न्यू मिश्रा एसोसिएशन	320350/-	276259/-
25/04/2020		
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल	499000/-	380698/-
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल	499000/-	380698/-
कुल योग	10789604/-	8387051/-

इस प्रकार लाकडाउन अवधि में जब ना कार्य सम्भव था न दफ्तर खुले थे तब केवल पैसा अपहरण के उद्देश्य से रूपया 8387051.00 निकाला गया जो कि आपतिजनक है अतः उक्त व्यय रु. 8387051.00 की वसूली श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता तथा लेखाकार श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी एवं वित्तीय सलाहकार श्री राजेन्द्र कुमार सिंह अद्यावधि व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या – 17

लाकडाउन पीरियड में कुल एम0बी0 की गयी है जो संदिग्ध है क्योंकि लाकडाउन पीरियड में कोई काम नहीं हो सकता था। अंसभव कार्य दर्शाकर धन की क्षति/अपहरण किया गया है।

(क) ग्राम बस्तीदेई के पूरे मंशा में माइन से पं0 लक्ष्मीदत्त मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड

4612981 जेई सीताराम जायसवाल-30.04.2020

(ख) गौरीगंज के बासुपुर में पूरे चन्दी बैस में इण्टरलाकिंग रोड से राम बख्श यादव के घर तक नाली निर्माण में 136626/जेई सीताराम जायसवाल 29.04.2020

(ग) ग्राम सभा कुन्दापुर के पप्पु मिश्रा के घर तक अवशेष सीसी174700/दिनांक 29.04.2020 जेई सीताराम जायसवाल

(घ) रौंथी भोला का पुरवा पक्की सड़क से ठाकुर राम के पुरवा होते हुये पूरे पण्डित तक लेखन कार्य डामरीकरण 600300/- दिनांक 30.04.2020 जेई शोभाराम वर्मा

(च) ग्राम सभा उसरापुर में शमशेरियन भवानी पक्की सड़क से दूबेपुर होते हुये पुरखीपुर तिराहे तक सोलिंग कार्य । 368970/28.04.2020 जेई सीताराम जायसवाल

(छ) रामदैपुर पक्की सड़क से सीतारामीहर खण्डजा पर लेपन कार्य 565290/28.04.2020 जेई सीताराम जायसवाल

(ज) ग्राम सभा पूरे कोदई चिहतुल पक्की सड़क से गंगा प्रसाद आदि के खेत तक पक्की सड़क का कार्य 361000/- दिनांक 30.04.2020 जेई शोभाराम वर्मा

(झ) ग्राम पंचायत बाहापुर सम्पर्क कार्य से छोटेला गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड 628600/- दिनांक 30.04.2020 जेई शोभाराम वर्मा

(ट) ग्राम सभा रेभागांव से रेलवे लाइन तक लेपन कार्य 629068/- दिनांक 28.04.2020 जेई सीताराम जायसवाल

(ठ) ग्राम सभा उमराडीह पूरे गुरुदत्त से सुनील ंसिंह के घर तक लेपन कार्य 998900/- दिनांक 30.04.2020 जेई - शोभाराम वर्मा

(ड) ग्राम सभा अन्तानगर में इण्टरलाकिंग रोड प्राथमिक विद्यालय तक अवशेष सी0सी0 रोड 86434/- दिनांक 29.04.2020 जेई सीताराम जायसवाल

(ढ) शाहगढ़ चिलबिली बेनीपुर शाहगढ़ मार्ग से जूठीपुर मार्ग से पहाड़पुर गांव तक अवशेष सी0सी0 रोड कार्य 101900/- दिनांक 29.04.2020 जेई सीताराम जायसवाल

इस प्रकार लाकडाउन अवधि में जेई श्री सीताराम जायसवाल द्वारा सक्षम 20.04.2024 एम0बी उध्वाधर क्षति पहुंचायी गयी श्री शोभाराम वर्मा ने 30.04.2021 को सभी एम0बी0 दर्शाकर दोषपूर्ण है। अतः रु0 4477088.00 की वसूली श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी व श्रीकृष्णकान्त त्रिवेदी लेखाकार व राजेन्द्र कुमार सिंह वित्तीय सलाहकार से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 18

ग्राम सभा सुरपुर काशीपुर नहर पटरी से अनखरा टिकरा मार्ग काली सड़क तक शून्य से लेपन। पत्रावली में सीसी/जेई/19/11/2021 को दर्शाया गया है कि कार्य पूर्ण हो गया है। उपरोक्त की आवश्यकता नहीं है यह स्थिति अभियन्ता द्वारा अंकित है। अगले ही पृष्ठ पर यह दर्शाया गया है कि कार्य पूर्ण करने की तिथि को 15.03.2022 तक समय वृद्धि की गयी है। रु 1500 अर्थदण्ड के साथ रु. 515536.00 का भुगतान किया गया है। जेई सीताराम जायसवाल द्वारा अंकित बकाया भुगतान कार्य संदिग्ध है। अतः रु. 515536.00 की वसूली श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा कृष्णकान्त त्रिवेदी तत्कालीन अभियन्ता लेखाकार से वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप- 2

संस्था – जिला पंचायत

वर्ष – 2020-21

जनपद – बाराबंकी

दुकान किराया किराया सम्बंधी आपतियाँ-

प्रस्तर संख्या 01- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2020-21) का दुकान किराया रजिस्टर की जांच में पाया गया कि सेक्टर हैदरगढ, सिरौलीगौसपुर, रामसनेहीघाट, कुर्सी, फतेहपुर, देवां, जहांगीराबाद, नवाबगंज, दरियाबाद (रामसनेहीघाट) तथा जैदपुर(हरख) में स्थित परिषदीय दुकानों की किराये का गत वर्ष का बकाया वित्तीय वर्ष (2020-21) की डिमाण्ड, बकाये के विरुद्ध वसूली, डिमाण्ड के विरुद्ध वसूली, दिनांक 31.03.2021 को बकाये के विरुद्ध अवशेष, डिमाण्ड के विरुद्ध अवशेष की स्थिति निम्नवत है-

क्रमांक	सेक्टर	वर्ष की कुल माँग बकाया सहित	वर्ष की कुल वसूली बकाया सहित	वसूली का प्रतिशत	वर्षात में बकाया	अभ्युक्ति
01	हैदरगढ,	575071-00	140385-00	24.41 प्रतिशत	434686-00	
02	सिरौलीगौसपुर,	26073-00	12234-00	46.92 प्रतिशत	13839-00	
03	रामसनेहीघाट,	109629-00	44278-00	40.39 प्रतिशत	65351-00	
04	कुर्सी,	226733-00	80197-00	35.37 प्रतिशत	146536-00	
05	फतेहपुर,	686054-00	517369-00	75.41 प्रतिशत	168655-00	
06	देवां,	170472-00	150983-00	88.56 प्रतिशत	19489-00	
07	जहांगीराबाद,	379384-00	185338-00	48.85 प्रतिशत	194046-00	
08	जिला पंचा0 परिसर (नवाबगंज)	1222296-00	344762-00	28.21 प्रतिशत	877534-00	
09	दरियाबाद (रामसनेहीघाट)	343620-00	78212-00	22.76 प्रतिशत	265401-00	
10	जैदपुर (हरख)	1530278-00	0	0	1530276-00	
	योग	5269610-00	1553758-00	29.46 प्रतिशत	3715843-00	

01. उक्त दुकान किराया से सम्बंधित सूचनाओं के अनुसार अधिकांश सेक्टरों में कुल माग के विरुद्ध वसूली की स्थिति नगण्य है उदाहरणतः हैदरगढ जिला पंचायत परिसर (नवाबगंज), दरियाबाद (रामसनेहीघाट), जैदपुर उक्त सेक्टरों के निरीक्षकों द्वारा वसूली हेतु

सारथक प्रयास किया जाना अपेक्षित है। वर्षान्त में दुकान किराया अत्यधिक बकाया होने से जिला पंचायत को व्याज की हानि हो रही है जिसके लिये सम्बंधित सेक्टर निरीक्षक का दायित्व निर्धारित कर विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। बकायो के विरुद्ध व डिमाण्ड के विरुद्ध बकाया किराया की वसूली हेतु सक्रिय प्रयास नहीं किया गया है।

02. अंकित दुकान किराया तालिका के अनुसार जैदपुर (हरख) में बकाया सहित कुल मांग रु0 1530278.00 के सापेक्ष शून्य वसूली से यह स्पष्ट होता है उक्त सेक्टर के निरीक्षक द्वारा वसूली हेतु किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया जो अत्यन्त आपत्ति का विषय है। उक्त प्रकरण विभागीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

03. संलग्नक समस्त सेक्टरों के दुकान किराया रजिस्टर में संकलित की गई सूची की समीक्षा में यह प्रकाश में आया कि समस्त सेक्टरों में बकाया के विरुद्ध नगण्य वसूली की गई है जो आपत्तिजनक है। बकाये की वसूली हेतु प्राथमिकता पर उच्च अधिकारियों द्वारा ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति सं० -01 धनराशि रु० - 3715843.00

प्रस्तर सं० 02- विकास खण्ड वार ईट भट्ठों से सम्बंधित बकायेदारों की सूची-

जिला पंचायत बाराबंकी में संचालित ईट भट्ठों से बकाया शुल्क 31.03.2021 तक

क्रम	लाइसेंस धारी का नाम व पता		विकास खंड	वसूली गयी धनराशि	बकाया 31.03.20 21 तक	अभ्युक्ति
01	मेसर्स कबीर ईट उद्योग बाराबंकी		बंकी	&	8005-00	
02	यादव ब्रिक फील्ड बीजेमऊ प्रो० अमर सिंह यादव		बंकी	&	8005-00	
03	मेसर्स माही ब्रिक फील्ड प्रो० जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व० मुन्नुलाल वर्मा नानमऊ		हरख	&	8005-00	
04	मेसर्स विजय लक्ष्मी ब्रिक फील्ड प्रो० संजीव कुमार		हरख	&	8005-00	
05	मेसर्स एस०वी०आर०एल०सैहारा प्रो० संजय कुमार		देवा	&	8005-00	
06	मेसर्स अंजनी ब्रिक फील्ड बबुरीगाँव		देवा	&	8005-00	
07	मेसर्स भारत ब्रिक फील्ड कौंडियार प्रो०कमरूल हसन		फतेहपुर	&	8005-00	
08	टार०पी० ब्रिक फील्ड बरगदिया प्रो० रमेश कुमार		रामनगर	&	8005-00	
09	बुढवल ईट उद्योग बुढवल प्रो० ओमकार सिंह पुत्र भवानीबक्स सिंह		रामनगर	&	8005-00	
10	विछलखा ब्रिक फील्ड विछलखा बुढवल रामनगर		रामनगर	&	8005-00	
11	भावना ब्रिक फील्ड कंदरवल प्रो० सहदेव सिंह महमूदपुर		सूरतगंज	&	8005-00	
12	साई ब्रिक फील्ड महमूदपुर प्रो० घनश्याम सिंह बाबा बक्श सिंह		सूरतगंज	&	8005-00	
13	सिंह ब्रिक फील्ड श्रीमती रागिनी सिंह थोरथिया		बनीकोडर	&	8005-00	
14	रामलखन सिंह ब्रिक फील्ड बहरेलाडीह		बनीकोडर	&	8005-00	
15	माँ गायत्री ब्रिक फील्ड प्रो०विमला सिंह		बनीकोडर	&	8005-00	
16	अवध ब्रिक फील्ड प्रो० कमलेश कुमार जेठवानी		बनीकोडर	&	8005-00	
17	अयोध्या ब्रिक फील्ड ताजीपुर (कोटवाधाम) विवेकानंद पाण्डेय		दरियाबाद	&	8005-00	
18	कमलम ब्रिक फील्ड चांदमऊ प्रो० राम किशोर यादव		हैदरगढ़	&	8005-00	
19	माँ पार्वती ब्रिक फील्ड प्रो० सुनील कुमार महतो दादपुर बाराबंकी		हैदरगढ़	&	8005-00	
20	सिंह ब्रिक फील्ड प्रो० जितेन्द्र प्रताप सिंह हैदरगढ़		हैदरगढ़	&	8005-00	

	बाराबंकी					
21	विजय ब्रिक फील्ड हरचन्दपुर प्रो० रामकिशोर गुप्ता सुबेहा		हैदरगढ़	&	8005-00	
22	सलमान ब्रिक फील्ड प्रो० अनवर अहमद सराय मोहिउद्दीनपुर		हैदरगढ़	&	8005-00	
23	मे० आनन्द ब्रिक फील्ड जौरास प्रो० हंसराज चन्दली		त्रिवेदीगंज	&	8005-00	
24	बनवारी ब्रिक फील्ड फील्ड सुसेनाबाद प्रो० विजय कुमार वर्मा		त्रिवेदीगंज	&	8005-00	
25	किसान ब्रिक फील्ड प्रो० राममिलन यादव नि० बाराबंकी		सिद्धौर	&	8005-00	
26	प्रताप ईट उद्योग प्रो० प्रताप नारायण वर्मा कोठी सिद्धौर		सिद्धौर	&	8005-00	
27	एम०ए०ब्रिक फील्ड प्रो० मसरम आलम पुत्र अली प्रो० जैदी पूरे बेलाव सिद्धौर		सिद्धौर	&	8005-00	
28	मेसर्स भूमि ब्रिक फील्ड बहरौलपुर प्रो० बहादुर यादव		सिरौली गौसपुर	&	8005-00	
	योग -				224140-00	

ईट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार उक्त तालिका के अनुरूप ईट भट्ठों का लाइसेंस शुल्क आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। अतः उक्त दर्शित तालिका में दर्शित राशि 224140.00 की वसूली न होने के कारण एवं संस्था को होने वाली वित्तीय क्षति के कारण उक्त राशि को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी राजस्व निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों पर प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं०-04 धनराशि-2,24,140.00

प्रस्तर संख्या 03- हड्डी चमड़ा पटल सम्बंधी आपतियाँ -

पशु शव निस्तारण समितियों का बकाया 31.03.2021

क्रमांक	समिति का नाम	विकास खंड	जमा धनराशि 31.03.2021	अवशेष धनराशि 31.03.2021
01	मो०वसी निवासी सैदनपुर सिरौलीगौसपुर बाराबंकी	सिरौली गौसपुर	15000-00	6786-00
02	श्री सिराज पुत्र साकिर निवासी ग्राम व पो० कुर्सी बाराबंकी	निन्दूरा	30000-00	33500-00
03	श्री राम विलास पुत्र हीरालाल नि० देवां रोड बंकी नगर बाराबंकी	बंकी	5000-00	200-00
04	श्री तिलकराम निवासी मुण्डवा रालभारी बाराबंकी	फतेहपुर	5000-00	1000-00
05	श्री मैनुद्दीन नि० असन्द्रा तहसील हैदरगढ़ बाराबंकी	हैदरगढ़/सिद्धौर	5000-00	200-00
06	श्री मैनुद्दीन नि० असन्द्रा पो० शेषपुर दामोदर बाराबंकी	सिद्धौर	5000-00	200-00
07	श्री खुर्शीद अहमद (खजुरी) नि० दरियाबाद बाराबंकी	दरियाबाद	50000-00	200-00
08	श्री खुर्शीद अहमद (गाजीपुर) नि० दरियाबाद	दरियाबाद	5000-00	5000-00
	योग-		75000-00	42586-00

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मृत पशु शव निस्तारण हेतु जिन समितियों/व्यक्तियों को लाइसेंस दिया गया है। उनमें से कुल 8 समितियों/व्यक्तियों के कुल ₹ 42586.00 की वसूली दिनांक 31.03.2021 तक नहीं हो पायी थी जबकि बकाया राशि को समान मासिक किश्तों में वसूल किया जाना था वसूली के प्रति लापरवाही बरतने के कारण संस्था को कुल ₹ 42586.00 की वित्तीय क्षति/हानि उठानी पड़ी है। उक्त वित्तीय क्षति/ वित्तीय अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी/ पटल सहायक उत्तरदायी हैं जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-05 धनराशि-42586.00

प्रस्तर संख्या 04- मृत पशु शव निस्तारण सम्बंधी लाइसेंस रजिस्टर एवं पत्रावली के अनुसार कतिपय ऐसी समितियाँ थी जिन पर वर्ष 2016-2017 वर्ष 2017-2018 एवं वर्ष 2018-2019 का लाइसेंस शुल्क बकाया था और जिसकी वसूली दिनांक 31.03.2021 तक नहीं की जा सकी थी।

क्रमांक	समिति का नाम	विकास खंड	बकाया 2016-17	बकाया 20-18	बकाया 20-18	बकाया 31.03.2021
01	श्री मोहियद्दीन सभापति पशु शव उत्पादन औ0सह0समि0	मसौली	35325	35325	35325	35325
02	श्री पवन कुमार सभापति पशु शव उत्पादन औ0सह0समि0	बनीकोडर	25253	25253	25253	25253
03	योग-		60578-00	60578-00	60578-00	60578-00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि समितियों से अवशेष रू0 60578.00 की वसूली अद्यतन 31.03.2021 तक नहीं की जा सकी है। अतः वसूली के लिए पटल सहायक/अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-06 धनराशि-60578.00

विभव व सम्पत्ति कर सम्बंधी आपतियाँ -

प्रस्तर संख्या-5 - सम्पत्ति व विभव कर पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-2021 में कुल प्रस्तावित कर रू0 13583680.00 था निर्धारित रू0 12328130.00 था इस प्रकार कुल रू0 1255550.00 की धनराशि कर अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कम कर दिया गया है। जब कि कर निरीक्षकों एवं सहायक कर निरीक्षकों के प्रमाण पत्र एवं उनके द्वारा आंकलित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का आय-व्यय का व्योरा वाणिज्य कर जी0एस0टी0 आदि का कोई भी प्रमाणक विकास खण्डवार पत्रावली में संलग्न कर अंकित नहीं किया गया। इस प्रकार रू0 1255550.00 की धनराशि की अनियमितता कर अधिकारी, कर निरीक्षकों द्वारा की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए कर अधिकारी एवं कर निरीक्षकों द्वारा की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए कर अधिकारी एवं कर निरीक्षक उत्तरदायी हैं जिन पर नियमानुसार विभागीय ध् प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-07 (2) धनराशि-1255550.00

प्रस्तर संख्या-6- धारा 158 के अन्तर्गत कर की वसूली हेतु किन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी कई बार मांग के बाद भी कर अधिकारी द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों की कोई जानकारी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। वसूली 13 प्रतिशत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कर वसूली हेतु जिला पंचायत द्वारा कोई भी सक्रिय प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण जिला पंचायत को कुल रू0 46857297.00 की राजस्व की क्षति उठानी पड़ी है। इस गम्भीर वित्तीय क्षति एवं अनियमितता के लिए कर अधिकारी, कर निरीक्षक एवं सहायक कर निरीक्षक एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-07 (6) धनराशि-4,68,57,297.00

प्रस्तर संख्या 07- चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये कार्य- खेवराजपुर सम्पर्क मार्ग से जमदवा तक लेपन कार्य विकास खण्ड बनीकोडर ठेकेदार- मेसर्स आरविका कान्टैक्टर,

उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पायी गयीं।

01. उक्त कार्य माननीय मुख्य मंत्री जी के गड्ढा मुक्त सड़कें अभियान के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना था जिसके लिए 17.03.2018 को अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी।

02. उक्त कार्य के लिए ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट 22.04.2018 को किया गया जिसके अनुसार कार्य को 30.06.2018 तक कार्य पूर्ण किया जाना था।

03. उक्त कार्य का एस्टीमेट ₹0 846726.46 है और भुगतानित धनराशि वर्ष 2020-2021 में ₹0 212800.00 है।

04. उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय-4 में वर्णित ठेका की शर्तें खण्ड 2 (ग) के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात् ₹0 84000.00 तक जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जा सकता था। परन्तु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000.00 का जुर्माना लगाकर संस्था को ₹0 83000.00 की वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

05. नियम 47 के अनुसार जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जायेगी उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतिकर स्वरूप प्रपत्र सं0- निर्माण कार्य-11 में दिनांकित अभि स्वीकृति ली जायेगी परन्तु ऐसी अभि स्वीकृति की प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेपन हेतु सौंपे गये वी0जी0 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त आपतियों का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया अतः उक्त सभी आपतियों के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से ₹0 83000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जिनके लिए अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-19 धनराशि-83,000.00

प्रस्तर संख्या 08- चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य- भैरमपुर भिठौली मार्ग से ग्राम मथुरा तक लेपन कार्य विकास खण्ड-सूरतगंज, ठेकेदार - उमेश कुमार वर्मा

उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्न आपतियाँ पायी गयीं-

01. उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गड्ढा मुक्त सड़कें अभियान के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना था जिसके लिए 18.01.2020 को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी।

02. उक्त कार्य के लिए ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट किया गया जिसके अनुसार कार्य को 3 महीने में पूर्ण किया जाना था। परन्तु वास्तव में कार्य अद्यतन अभी तक पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

03. उक्त कार्य का एस्टीमेट लागत धनराशि ₹0 1590574.00 और भुगतान वर्ष 2020-2021 में ₹0 1075200.00 है।

04. नियम 47 के अनुसार जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जायेगी उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतिकर स्वरूप प्रपत्र सं0- निर्माण कार्य-11 में दिनांकित अभि स्वीकृति ली जायेगी परन्तु ऐसी अभि स्वीकृति की प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेपन हेतु सौंपे गये वी0जी0 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी।

05. उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय -4 में वर्णित ठेका की शर्तों खण्ड-2 (ग) के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात् ₹0 159000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 2000.00 का जुर्माना लगाकर संस्था को ₹0 157000.00 की वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

उपरोक्त आपतियों का कोई स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। आपतियों के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से ₹0 157000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-20 धनराशि-1,57,000.00

प्रस्तर संख्या 09- चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य- पर्वतपुर प्रधान मंत्री सड़क से ग्राम मंदरहा तक मिट्टी व खडण्जा कार्य- ठेकेदार श्री ओम प्रकाश

उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपतियाँ पायी गयीं-

01. कार्य के प्राक्कलन पर गत पाँच वर्षों में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। ऐसा प्रमाण पत्र अंकित नहीं पाया गया।

02. उक्त कार्य के लिए ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट 16.03.2018 को हुआ जिसके अनुसार कार्य को 3 महीने में पूर्ण करना था। परन्तु वास्तव में कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। कार्य प्रगति पर दिखाया जा रहा है।

03. उक्त कार्य स्थल पर पूर्व में खडण्जा लगा था या नहीं इसके परिप्रेक्ष्य में कोई फोटो ग्राफ्स कार्य के प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य करते समय एवं कार्य के पूर्ण होने के बाद का पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। उक्त तीनों फोटो ग्राफ्स पत्रावली में चस्पा होने चाहिए।

04. उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय -4 में वर्णित ठेका की शर्तों खण्ड-2 (ग) के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात् ₹0 160000.00.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 1000.00 का जुर्माना लगाकर संस्था को ₹0 159000.00 की वित्तीय क्षति पहुँचायी गयी।

उपरोक्त आपत्तियों का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। अतः उक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लगाकर ₹0 159000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियन्ता अवर, अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीयध्प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-21 धनराशि-1,59,000.00

प्रस्तर संख्या 10- चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य-

भिटौली कला में संजय के घर के पास से सँदौली डामर रोड तक लेपन कार्य-

उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तिया पायी गयी- टेण्डर धनराशि ₹0 3038166.00

01. उक्त कार्य माननीय मुख्य मंत्री जी के गड्ढा मुक्त सडकें अभियान के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना था जिसके लिए 16.06.2019 को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी।

02. उक्त कार्य के लिए ठेकेदार के साथ एग्रीमेण्ट 20.04.2019 को किया गया कार्य को 3 महीने में पूर्ण किया जाना था। लेकिन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है। कार्य प्रगति पर दिखाया जा रहा है।

03. उक्त विलम्बित अवधि के लिए अध्याय -4 में वर्णित ठेका की शर्तों खण्ड-2 (ग) के अन्तर्गत कार्य टेण्डर मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थात् ₹0 30,0000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए ठेकेदार पर मात्र 2000.00 का जुर्माना लगाकर संस्था को ₹0 298000.00 की वित्तीय क्षति पहुँचायी गयी।

04- नियम-47 के अनुसार जैसे ही ठेकेदार को कोई निर्माण सामग्री सौंपी जायेगी। उससे सामग्री प्राप्त करने के प्रतिकर स्वरूप प्रपत्र सं0- निर्माण कार्य -11 में दिनांकित अभिस्वीकृति ली जायेगी। परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति की प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी और सामग्री का स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेपन हेतु सौंपे गये वी0जी0 10 की मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त आपत्तियों का कोई तार्किक स्पष्टीकरण लिखित रूप से नहीं दिया गया है। अतः उक्त आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य पर जुर्माना कम लेने से ₹0 2,98,000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीयध्प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-22 धनराशि-2,98,000.00

प्रारूप -2

जिला पंचायत

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

जनपद -आजमगढ़

प्रस्तर -1

वर्ष 2020-21 के सम्पत्ति एवं विभवकर के मांग वसूली के विवरण पत्र के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार रही

सम्पत्ति विभवकर संकलन -2020-21

क्रम सं	विकास खंड	चालू मांग	गत वर्ष का	ब्याज	योग	वर्ष	की	अवशेष

			बकाया			वसूली	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लालगंज	361050.00	190888.00	8027.00	559965.00	376117.00	183848.00
2.	रानी की सराय	343750.00	1245722.00	57582.00	1647054.00	59082.00	1056772.00
3.	मार्टिनगंज	330700.00	767515.00	32079.00	1130294.00	469059.00	661235.00
4.	बिलरियागंज	524000.00	1024297.00	67587.00	1615884.00	714474.00	901410.00
5.	महराजगंज	243150.00	408163.00	29943.00	681256.00	310709.00	370547.00
6.	मिर्जापुर	184050.00	689114.00	67747.00	940911.00	279338.00	661573.00
7.	अतरौलिया	277200.00	283552.00	13002.00	573754.00	314449.00	259305.00
8.	अहिरौला	293850.00	977721.00	41825.00	1313396.00	535144.00	778252.00
9.	हरैया	263850.00	219433.00	11745.00	495028.00	339225.00	155803.00
10.	मुहम्मदपुर	418450.00	151694.00	10625.00	580769.00	377609.00	203160.00
11.	अजमतगढ़	395700.00	514935.00	27343.00	937978.00	445515.00	492463.00
12.	तरवाँ	413450.00	757326.00	22618.00	1193394.00	500429.00	692965.00
13.	पल्हना	192150.00	368321.00	6169.00	566640.00	240587.00	326053.00
14.	ठेकमा	311500.00	311234.00	11762.00	634496.00	344455.00	290041.00
15.	सठियांव	274700.00	349342.00	33314.00	657356.00	307915.00	349441.00
16.	पल्हनी	511000.00	570413.00	21644.00	1103057.00	703864.00	399193.00
17.	कोयलसा	300800.00	745499.00	39145.00	1085444.00	413263.00	672181.00
18.	मेंहनगर	298900.00	178646.00	9354.00	486900.00	290279.00	196621.00
19.	जहानागंज	234700.00	288931.00	20380.00	544011.00	220253.00	323758.00
20.	फूलपुर	261650.00	377402.00	18384.00	657436.00	303765.00	353671.00
21.	तहबरपुर	340850.00	86280.00	10124.00	437254.00	437039.00	215.00
22.	पवई	334150.00	888443.00	51849.00	1274442.00	428693.00	845749.00
23.	शराब	959300.00	235600.00	14832.00	1209732.00	767920.00	441812.00
	योग -	8068900.00	11630471.00	627080.00	20326451.00	9710383.00	10616068.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में बकाया रु० 11630471.00 ,वर्ष की मांग रु० 8068900.00 ,ब्याज 627080.00 (कुल बकाया ब्याज सहित योग – 20326451.00) के सापेक्ष मात्र रु० 9710383.00 की ही वसूली हो सकी । इस प्रकार बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है । वर्षात में कुल बकाया रु० 10616068.00 रहा ,जिसमें निम्नविवरणानुसार रु० 1383476.00 चालू वर्ष के मांग के सापेक्ष वसूली हेतु अवशेष रहा ।

क्रम संख्या	विकास खण्ड	धनराशि
1.	लालगंज	58100.00
2.	रानी की सराय	71888.00
3.	मार्टिनगंज	91775.00

4.	बिलरियागंज	81980.00
5.	महराजगंज	74272.00
6.	मिर्जापुर	42974.00
7.	अतरौलिया	74200.00
8.	अहिरौला	86102.00
9.	हरैया	39894.00
10.	मुहम्मदपुर	88078.00
11.	अजमतगढ़	94150.00
12.	तरवाँ	73731.00
13.	पल्हना	25400.00
14.	ठेकमा	38300.00
15.	सठियांव	56941.00
16.	पल्हनी	28300.00
17.	कोयलसा	69572.00
18.	मेंहनगर	47000.00
19.	जहानागंज	72609.00
20.	फूलपुर	32533.00
21.	तहबरपुर	8286.00
22.	पवई	127841.00
	योग -	1383476.00

उक्त धनराशि रु० 1383476.00 की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि उ.प्र. जिला पंचायत सम्पत्ति एवं विभव कर का आरोपण निर्धारण और वसूली नियमावली 1965 के नियम सं. 15 (क),(ख)एवं उ. प्र. क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 8 की धारा 147 से 155 के उपबंधों के अधीन नियत रीति से या अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2)के अधीन उपबंधित तरीके से बकाया एवं संपत्ति विभव कर करदाताओं से वसूल किया जाना अपेक्षित था किन्तु उक्त धनराशि की वसूली न कर जिला पंचायत को राजस्व को क्षति पहुंचाई गई है । उक्त नियमावली के नियम सं. 5 के अनुसार करदाताओं से संपत्ति एवं विभव कर वसूल करवाने के लिए श्री जनार्दन प्रसाद , कार्याधिकारी तथा श्री प्रिंस चौधरी ,कर अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -2

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा शासनादेश के विपरीत कई कार्य ग्राम सभा के अन्दर कराए गये हैं । जो कि आपत्तिजनक है । शासनादेश सं. 1838/33-3-2015-03/201,पंचायतीराज अनुभाग -3 लखनऊ , दि. 31.07.2015 के अनुसार निर्गत दिशा -निर्देश के अनुसार जो कार्य ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के स्तर पर बेहतर तरीके से कराया जा सकता है ,वह उसी स्तर पर कराया जाए और जिला पंचायतों द्वारा वह कार्य न कराए जाने के निर्देश हैं । जिला पंचायत द्वारा ग्राम सभा के अन्दर कराये गए कार्यों का विवरण निम्नवत है -

क्रम सं.	कार्य का नाम	लागत (लाख में)

1.	विकास खण्ड कोयलसा के ग्राम पं. कार्य सी. लहरपार में अवशेष भाग पर सी.	2.00
2.	विकास खण्ड कोयलसा के ग्राम लखनपुर में अनु मिट्टी सोलिंग कार्य ।। बस्ती से राजेन्द्र वर्मा के ...	3.713
3.	विकास खण्ड कोयलसा के ग्राम तोनारी में पिच रोड से सुखराज प्रजापति के मिट्टी सॉलिंग कार्य ...	3.391
4.	विकास खण्ड अतरौलिया के ग्राम नंदना में अनु कार्य सी. बस्ती मार्ग पर सी.	3.577
5.	विकास खण्ड कोयलसा के ग्राम मदिआपुर अवशेष भाग पर लेप.. निन्हकू यादव...न कार्य	3.695
6.	विकास खण्ड पल्हना के ग्राम कटाई के आगे तक अवशेष सी. कार्य सी.	3.950
7.	विकास खण्ड अतरौलिया के सिकंदरपुर गौड़ बस्ती से नदी तक नाली कार्य	4.479
8.	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम सभा शेखपुर पियरी में पं. भवन से पुलिया तक नाली कार्य ..	4.334
9.	विकास खण्ड अजमतगढ़ के ग्राम महदेवा में नदी तक नाली कार्य .. गोपी यादव के	4.160
10.	विकास खण्ड सठियांव के जिला पं. रिसोर्स सेंटर में वर्षा जल संचयन कार्य ...	4.070
11.	विकास खण्ड हरैया के ग्राम सभा देवरा इस्मैलपुर में राजेश मास्टर के पुरवा में नाली निर्माण कार्य ...	4.800
12.	विकास खण्ड हरैया के ग्राम सभा अजगरा में जनार्दन यादव खंडजे तक .. मिट्टी सॉलिंग कार्य ...	4.196
13.	विकास खण्ड कोयलसा के ग्राम तोनारी में बाहा पर सीपुलिया निर्माण कार्य.. सी ..	4.336
14.	विकास खण्ड लालगंज के ग्राम चकउमरी रामेशगिरि में प्रा. पोखरी तक नाली निर्माण कार्य .. एवं छोटेलाल के. पा.	5.533
15.	विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम चकजाफ़र में मंगला पोखरी तक नाली कार्य	5.341
16.	विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम पं. सचिवालय भादों में शौचालय एवं बॉउन्ड्री निर्माण कार्य..	5.150
17.	विकास खण्ड पल्हना के ग्राम पं. सचिवालय लहुआखुर्द में शौचालय एवं बॉउन्ड्री निर्माण कार्य..	5.150
18.	विकास खण्ड अहिरौला के ग्राम पं. सचिवालय गजन्धरपट्टी भदौरा में शौचालय एवं बॉउन्ड्री निर्माण कार्य..	5.150
19.	विकास खण्ड फूलपुर के ग्राम पं. सचिवालय सैदपुर में शौचालय एवं बॉउन्ड्री निर्माण कार्य..	5.150
20.	विकास खण्ड फूलपुर के ग्राम पं. सचिवालय मेंहनगर में शौचालय एवं बॉउन्ड्री निर्माण कार्य..	5.150
21.	विकास खण्ड पवई के थाना पवई के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	5.470
22.	विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम खानपुर तहसील निजामाबाद में जय गुरुदेव आश्रम के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य ..	5.470
23.	विकास खण्ड फूलपुर के प्रा. अम्बारी के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य.. पा..	5.470
24.	विकास खण्ड तहबरपुर के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	5.470
25.	विकास खण्ड पवई के सरस्वती शिशु मंदिर के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	5.470
26.	विकास खण्ड अजमतगढ़ के तहसील सगड़ी के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	5.470
27.	विकास खण्ड मार्टिनगंज के थाना दीदारगंज के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	5.470

28.	विकास खण्ड तरवाँ के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	5.470
29.	विकास खण्ड सठियांव के सठियांव चौराहे पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	5.470
30.	विकास खण्ड पल्हनी के ग्राम सभा नीवी में आबादी से पोखरी तक नाली निर्माण कार्य	5.920
31.	विकास खण्ड मेंहनगर के ग्राम सभा खरिहानी में बेलनाडीह रोड पर आबादी की तरफ नाली निर्माण कार्य...	5.470
32.	विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम सभा मिर्जापुर में सीमार्ग के आगे से नाली निर्माण कार्य ...	5.240
33.	विकास खण्ड रानी की सराय के नखुआ चौहान बस्ती में अवशेष सी. कार्य सी.	5.300
34.	विकास खण्ड पल्हनी के ग्राम सभा पटखौली में राजाराम के घर तक नाली निर्माण कार्य...	6.280
35.	विकास खण्ड अजमतगढ़ के मुहम्मदपुर में सतना रोड से पोखरी तक नाली निर्माण कार्य..	6.550
36.	विकास खण्ड मार्टिनगंज के मुख्य बाजार में सड़क के किनारे नाली निर्माण कार्य	6.890
37.	विकास खण्ड पल्हनी के सरायमंदराज में आबादी से बाहा तक नाली निर्माण कार्य	7.459
	योग -	185.664

इस प्रकार शासकीय निर्देशों का उल्लघन कर उपरोक्त कार्य ग्राम सभा के अन्दर करा के निर्माण कार्यों में रु० 18566400.00 की अनियमितता की गई है जिसके लिए अजय कुमार सिंह ,अपर मुख्य अधिकारी व श्री शशि चंद्र यादव , उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -3

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी. आर. जी. एफ. योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008.09 में ग्राम पंचायत सचिवालय निर्माण हेतु नोडल संस्था जिला पंचायत , कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत एवं पैक्सपेड द्वारा लगभग 13 वर्ष बीत जाने के बाद और रु० 160.96 लख व्यय के बावजूद वही निम्नलिखित 13 ग्राम सचिवालय अपूर्ण रहे -

क्रम सं.	कार्यदायी संस्था	ग्राम पंचायत सचिवालय की संख्या	स्वीकृत अनुमानित लागत (लाख रु० में)	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1.	क्षेत्र पंचायत पल्हना	01	10.74	10.74	10.74	---
2.	क्षेत्र पंचायत हरैया	01	10.74	10.74	05.04	5.70
3.	पैक्सपेड	11 ग्राम पं. वि. खण्ड 1. छत्तरपुर ठेकमा 2. बनगांव मार्टिनगंज 3. कोराघाटमपुरअहिरौला 4. बस्तीभुजवल अहिरौला	182.22	164.04	145.18	18.86

		5.खानजहापुर फूलपुर 6. बढ़या अतरौलिया 7. मदनपट्टी अतरौलिया 8. मकसुदिया पवई 9. बागबहार पवई 10. गुवाई फूलपुर 11. बैसपुर अतरौलिया				
	योग -	13	203.70	185.52	160.96	24.56

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 13 वर्ष से अधिक की अवधि के समाप्ति के पश्चात बही कार्य अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप 13 अपूर्ण ग्राम पंचायत सचिवालयों पर रु० 16096000.00 का व्यय अलाभकारी रहा तथा संबंधित योजना के लाभ से ग्राम पंचायत के निवासियों को वंचित रखा गया । जिसके लिए अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी व श्री शशि चंद्र यादव, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। ।

प्रस्तर -4

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा ईट -भट्टों से लाईसेन्स शुल्क वसूली में शिथिलता बरते जाने के कारण रु० 27,20,000 .00 की वसूली बकाया रह गई , विवरण निम्नवत रहा -

ईट -भट्टों की सं.	शुल्क जमा किये जाने वाले ईट -भट्टों की सं.	शुल्क जमा न किये जाने वाले ईट -भट्टों की सं.	बकाया लाईसेन्स शुल्क रु० 10000.00 तथा सम्पत्ति एवं विभवकर रु० 6000.00 प्रति ईट - भट्टों की दर से (16000*170)
1038	868	170	2720000.00

जिला पंचायत के ईट -भट्टों से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपविधि के अनुसार प्रति वर्ष 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर के लिए रु० 10000.00 की दर से लाईसेन्स शुल्क लेकर लाईसेन्स निर्गत किये जाने थे । आलोच्य वर्ष में ईट -भट्टों के लाईसेन्स हेतु कुल 1038.00 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 868 आवेदकों द्वारा लाईसेन्स शुल्क जमा किया गया तथा 170 आवेदकों द्वारा लाईसेन्स शुल्क जमा नहीं किया गया । परिणामस्वरूप प्रति ईट -भट्टों लाईसेन्स शुल्क रु० 10000.00 तथा संपत्ति एवं विभवकर रु० 6000.00 कुल रु० 16000.00 की दर से रु० 2720000.00 के राजस्व की क्षति हुई । साथ ही बिना उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए 170 ईट -भट्टों के अवैध संचालन से पर्यावरणीय क्षति पहुंची , जिसके लिए मुख्य रूप से श्री अजय कुमार सिंह , अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री प्रिंस चौधरी ,कर अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -5

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार करेतर राजस्व से किराया आदि मद की धनराशि वसूली हेतु रु० 97,12,000.00 अवशेष रही ।

क्रम सं.	निजी आय के मद	प्रा. अवशेष	वर्ष की मांग	वसूली	अवशेष
1.	हाट बाज़ार एवं तहबाजारी	25.93	--	0.64	25.30

2.	पड़ाव अड्डा	03.49	--	0.15	3.34
3.	दुकान व भवन किराया	72.02	24.54	28.08	68.48
	योग -	101.44	24.54	28.87	97.12

उक्त धनराशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है , जबकि उ. प्र. जिला पंचायत रिकवरी ऑफ एरियाज़ ऑफ टैक्स एंड रेट ओ लैंड नियमावली 1975 के नियम सं. 4 व 5 के तहत उक्त धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित था । धनराशि की वसूली न कर जिला पंचायत के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है । जिसके लिए श्री जनार्दन प्रसाद कार्याधिकारी , तथा श्री प्रिंस चौधरी , कर अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप 2

जनपद- बलिया

संभाग- आजमगढ़

जिला पंचायत बलिया वर्ष-2020-21

प्रस्तर-1

शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93जी/2014 टी.सी.दिनांक 24-06-2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015 -03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करेगी का पालन नहीं किया गया है अधिकांश कार्य या तो एक ग्राम पंचायत से दुसरे ग्राम पंचायत या एक ही ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है।

अतः वह कार्य अनियमित है इसके लिये श्री रमेश कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह अभियंता, श्री कन्हैया सिंह लेखाकार उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	मलेरा नहर पर पुलिया	241472
2	हुसैनाबाद चट्टी से उदयनारायण के खेत होते हुए ग्राम सभा मार्ग का पिच	1998080
3	रसूलपुर पुलिया से जनकबहादुर सिंह के घर तक सी.सी. कार्य	474880
4	बांसडीह मनियर पिच रोड से छितौनी बालीजी के स्थान तक सी.सी.कार्य	397600
5	बसनवार दिह बाबा के स्थान से बजरंगी वर्मा के घर तक सोलिंग	199360
6	नाथपुरा में पी.डब्ल्यू.डी. रोड से उमाशंकर सिंह के घर होते मस्जिद के	395360

	पीछे तक सी.सी	
7	मझौआ व नई बस्ती मार्ग पर डीह बाबा के स्थान से ग्राम सभा मार्ग पर सी.सी. रोड	499072
8	पुरानी रेलवे लाइन होते हुए बकुलहा गांव में होते हुए किनारा तक सी.सी. रोड	1995392
9	बेलहरी पी.डब्ल्यू.डी. सम्पर्क मार्ग प्रा0वि0 के सामने देवितर की ओर जाने वाले मार्ग पर सी.सी	96129
10	रामपुर महावल में चिल्ड्रेन स्कूल से शर्मा के मकान तक इंटरलांकिंग	1000000
11	बछईपुर पिच रोड से चौहान बस्ती तरफ सोलिंग/नाली	249760
12	मलपहरसेनपुर में भगवा टोला पर सी.सी.	697400
13	रिगवन के पूरब मठिया को जोड़ने वाले मार्ग पर सी.सी	695968
14	देवलवीर जू.हा.वि. से भोसपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन	986048
15	सीयर चौरब पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से ब्रिजेन्द्र सिंह के मिल तक सी.सी.	461888
16	राजपुर में रामलोचन के खेत से गडेरी बस्ती तक सी.सी.	447440
17	ताड़ीबड़ागांव भगवती मंदिर नाहर पुल से देवेन्द्र सिंह के घर तक सी.सी.	996688
18	मेंठली में मुक्तिनाथ के घर से योगेन्द्र राजभर के घर तक सी.सी.	994336
19	सबरूबांध माधोपरु मार्ग से बलजीत के घर तक इंटरलांकिंग सी.सी	486000
20	करम्मर-बेरुआरबारी पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से गोपाल सिंह के घर की ओर जाने वाले रोड पर सी.सी.	296128
21	छितौनी मुख्य मार्ग से श्यामदेव गौंड के घर तक सी.सी.	479248
22	बेरुआरबारी-करम्मर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से विजयसिंह के घर तक सी.सी.	467600
23	करम्मर पी.डब्ल्यू.डी.रोड से चन्दन शूक्ल के आगे अवशेष कार्य	352800
24	अहिरौली मुख्य मार्ग से शमशेर सिंह के दरवाजे से गुलफाम खान तक सी.सी. रोड	482160
25	अहिरौली में तेजबहरदुर यादव के घर से विजय यादव के पिच रोड तक सी.सी.	998480
26	रामपुर कटराई रेहारी मेन रोड से चन्दन यादव तक सी.सी.	588448
27	उरैली सी.सी. मेन रोड से रमेश सिंह तक सी.सी.	475888
28	जगदरा काली मंदिर से कुम्हार बस्ती सम्पर्क मार्ग तक सी.सी.	482944
29	कार्य पंचमा में राजू के घर जानेवाले मार्ग पर पुलिया निर्माण	496608
30	रामपुर महावल में मंशा बाबा से चंद्रशेखर नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर सी.सी.	808040

31	बेरुआरबारी करम्मर पी.डब्ल्यू.डी. रोड से नारद मल्होरी के घर तक सी.सी.	257376
32	रामपुर महावल में मोहनजी के घर से श्रीराम सिंह के घर के कोने तक इंटरलाकिंग	199360
33	सिकंदरपुर मनियर मुख्य मार्ग से शिवकुमार यादव के मिल तक सी.सी.	359072
34	बडसरी नहर से जावहर राजभर के घर सी.सी.	287616
35	छितौनी पिच रोड से हरिजन बस्ती पुलिया तक सी.सी.	676480
36	कोथ में रामभवन के घर से रामाभ के खेत तक सी.सी.	930720
37	एकबारी पिच रोड से एकबारी गांव की ओर सी.सी. कार्य	521920
38	देवडीह पिच मार्ग से देवडीह गांव तक सी.सी.	499520
39	अडारे मंगरू के डेरा नेवर्स से नन्द व राकेश के घर तक सी.सी.	698880
40	बीराभाटी पिच मार्ग से ब्राम्हण बस्ती होकर जाने वाले मार्ग पर सी.सी.	666400
41	अगरसंडा पौहारीपुर में दिनेश उपाध्याय के घर से ब्रह्म बाबा के स्थान की ओर सी.सी.	518560
42	कदमतर दुबहड बंधे से होकर ओझा के डेरा की ओर जाना वाले मार्ग पर सी.सी.	299040
43	बहुआरा हृदयपुर सम्पर्क मार्ग पर सी.सी.	525504
44	एन.एच.-31 से भरसौता महदू बस्ती तक सी.सी. कार्य	302400
45	मनियर-बेरुआरबारी पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग सेपरमहंस के घर की ओर सी.सी.	437584
46	एन.एच.-31 से सुल्तानपुर की तरफ जानेवाले सम्पर्क मार्ग पर सी.सी. कार्य	672000
47	एन.एच.-31पर बंकाशाह के घर से सूदर्शन पाठक के घर तक सी.सी.कार्य	666400
48	बलिया नगर मुख्य मार्ग से बलेसरा में विनय वर्मा के घर तक सी.सी.	439040
49	बलिया - बैरिया मार्ग से बादिलपुर पोखरा पिच रोड राजू के घर तक सी.सी.	294560
50	ग्राम पंचायत भंडारी में नवका गांव पिच रोड तक चांदपुर बस्ती मार्ग पर पुलिया	133392
51	उकछी में माइनर से लोपन राजभर के घर सी.सी.	481264
52	एन.एच.-31 से जमुआ सम्पर्क मार्ग पर सी.सी.	991200
53	एन.एच.-31 से जमुआ समपर्क मार्ग पर सड़क निर्माण	999040
54	खरीद में नगीना चौधरी के डेरा के पास पुलिया	688800
55	ग्राम पंचायत इटही में मुन्ना तिवारी के घर होते बैजनाथ गोंड के घर तक पेवर्स	231840

56	जनउपुर में मासहा सम्पर्क मार्ग से राजभर बस्ती तक सोलिंग	163276
57	सोबईबंधा में बलिया सिकंदपुर मार्ग से हनुमान मंदिर कुटिया तक इंटरलॉकिंग	496160
58	ओझा छपरा में श्रीराम तुरहा के घर से श्रीरामचन्द्र पाण्डेय के हाता तक इंअरलॉकिंग	649600
59	बिसुकिया पिच रोड पुल से हरिजन बस्ती जानेवाले मार्ग पर सी.सी.	526400
60	अकोल्ही में भुवाली राजभर के घर से स्वामीनाथ गौंड के पोखरे तक नाली	384172
61	नरनी मठिया पी.डब्ल्यू.डी. रोड से सुनील गिरी के घर तक सी.सी. कार्य	437920
62	चांदपुर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से चांदपुर जानेवाले मार्ग पर रोड	637680
63	एकवारी में निबियापोखरा एकवारी सम्पर्क मार्ग के दक्षिण देवला यादव बस्ती की सी.सी.	290080
64	देवडीह पिच मार्ग से देवडीह की ओर सी.सी. सडक का निर्माण	497840
65	कुंवरजसाव में जलेश्वरयादव के घर से डीह बाबा के स्थान तक सोलिंग	898240
66	मठौरा में अजीत सिंह प्रधान के घर की ओर मार्ग पर सी.सी.	542080
67	फत्तेपुर मुख्य मार्ग से जगदीश चौधरी के घर तक सी.सी.	1001616
68	मलेर सरायडीह भगत नहर पर पुलिया	677040
69	छितौनी पिच रोड से हरिजन बस्ती पुलिया तक सी.सी.	322000
70	बिशुनपुर नई बस्ती की ओर जाने वाले मार्ग पर रामसकल के दुकान के सामने मस्जिद तक सी.सी.कार्य	1008560
71	पहाड़पुर में यादव बस्ती में नाली निर्माण	201600
72	नगपुरा बांडर से वर्मा बस्ती तक सी.सी. रोड	496048
73	रतसड मछली बाजार से नबाबा के घर होते हुए डफली टोला जाने वाले मार्ग पर ढक्कन नाली	130480
74	सवरूबांध संपर्क मार्ग से सवरू बांध गांव की ओर सी.सी.कार्य	192640
75	टी.एस. बंधा से रेवती झरकटहा सोमाO पर झरकटहा गेट से ग्राम सभा पर सी.सी. रोड	549248
76	सोनपुर कला से पुल से पाण्डेय के छपरा तक सोलिंग	348320
77	जिडिगसर पिच रोड से बलिया सम्पर्क मार्ग पर सी.सी. कार्य	997920
78	रिगवन पिच रोड मठिया योगेन्द्र गिरी के धर तक सी.सी.	996800
79	कार्य पटखौली में अमवाटोला में केसव सिंह के घर से दीनानाथ के खेत तक सी.सी	724640
80	झूहाविहरा भारती के पूरा नहर से राजेन्द्र के घर तक सी.सी.	997696

81	डूहाविहरा पिच रोड से प्रदीप सिंह के घर तक सी०सी० कार्य	998704
82	तियरा अतरौली पिच मार्ग से ग्राम सभा तियरा अतरौली में हरेन्द्र यादव तक सी.सी.	985120
83	जजौली नं-2 हरिजनबस्ती लीला के घर से दिनेश के घर तक सी.सी.	468160
84	बलेजी में फेफना गड़वार मु०मा०से कन्हैया यादव के घर होते हुए सी.सी. रोड	997920
85	कोलिया में जीता चौहान के ट्युबेल के पास पिच रोड से हरिजन बस्ती तक सी.सी.	697688
86	भरसौता में एन.एच.-31 से भरसौता नई बस्ती तक सी.सी. रोड	252000
87	हरपुर नहर पुल से रंगलाला के घर तक सी.सी.	997920
88	छितौना में चंद्रमान सिंह के घर से भूपेन्द्र सिंह के खेत तक सी०सी०	998480
89	सुआपाली हरिजन बस्ती से लालमुनि के खेत तक सी.सी	997920
90	बलिया बांसडीह मार्ग से परिखारा कली मंदिर से वर्मा बस्ती तक सी.सी.नाली	557984
91	किर्तुपुर में राजेन्द्र वर्मा के घर से हरनाथ सिंह के डेरा तक सी.सी.	493920
92	नाली कैथीकला मेनरोड से समई बाबा के स्थान तक सी.सी	998480
93	छितौनी में रोड से कन्हैया के दरवाजे के तरफ जू०हा०स्कूल तक सी.सी. कार्य	493472
94	ग्रा० स० नवादा में लालचन्द के घर से शिवमुनि के घर तक सी.सी. कार्य	497280
95	नारायणपुर प्र०वि० सम्पर्क मार्ग से सुभाष व अजय के घर तक सी.सी. सड़क	999360
96	नराछ प्र०वि० से दलित बस्ती तक नाली निर्माण	397040
97	गोपालपुर सी.सी. मार्ग से गोपालपुर ब्राम्हण बस्ती तक सोलिंग कार्य	395360
98	अडारे डेरा पिच रोड से अडारे तक लेपन कार्य	996240
99	नारायणपुर मार्ग से परमात्मा के मिल की ओर सी.सी. रोड	497280
100	परिवा मार्ग से रामजी के खेत के आगे तक सी.सी	997360
101	पोखरा पर स्थित करची ब्रम्ह स्थान से करची को जोड़ने वाले मार्ग पर सी.सी.	997920
102	नारायणपुर में पेवर्स ब्लॉक के आगे सी.सी. कार्य	496160
103	कोट मझरिया में बाबा रविदास मंदिर के प्रांगण में रैन बसेरा	1251620
104	अपाइल ग्रा०स० में शनिचरा बाबा के स्थान से सुरेन्द्र सिंह के आगे तक सी.सी	295680

105	सिंहपुर प्रा०वि० विन्ध्याचल सिंह के हाता तक सी.सी. रोड	507360
106	पिपराकला ब्रम्ह स्थान में रामबदन सिंह के दरवाजे तक सी.सी.	511840
107	रामपुर महावल में दिवेदी मेडिकल स्टोर से ललिता पेट्रोलियम के घर के आगे सी.सी	325920
108	हरिपुर मार्ग से अनु०बस्ती सम्पर्क मार्ग पर सी.सी	996800
109	इंदौर काली मां मंदिर पिच से पुलिया तक सी.सी	498400
110	पहौरीपुर सावित्रीनगर में कृष्णा यादव के दरवाजे से तिवारीजी के घर के आगे सी.सी.	398496
111	परिवा मार्ग पर भुनेश्वर के खेत के पास सी.सी.	996800
112	वीरपुर के तकिया में प्रभु के घर से धर्मेन्द्र यादव के घर तक सी.सी	605920
113	बुड्डा में काशीनाथ यादव के घर से लालन यादव तक सी.सी.	997920
114	ग्राफिक्स नेशनल स्कूल के सामाने करनई अराजीमाफी नहर पर पुलिया	540960
115	बलिया बांसडीह रोड से टाउन पालीटेक्निक तक सी.सी	1699936
116	प्राणपुर तुरहा बस्ती होते हुए शनिचरा बाबा के स्थान तक सी.सी. कार्य	948368
117	केवरा में पी.डब्ल्यू.डी. रोड छठु धोबी के घर तक सी.सी.	997920
118	नारायणपुर में महाराजराजभर के घर के पास पुलिया	427728
119	pwd सड़क से जिगनी जाने वाले मार्ग पर खडंजा	313600
120	सोनपुर कला पुल सर प्रा०वि० कला संपर्क मार्ग सोलिंग	1111040
121	पुर में कथिला सनेही यादव के डेरा के सामने से पुर रजवाहा तक सी सी	602560
122	पकड़ी प्रसादी बाबा के स्थान से नहर तक सीसी	499520
123	परिखरा पिच रोड से मोतीनगर कॉलोनी में अजय पाण्डेय के घर तक सी सी	613536
124	पकड़ी के तरजपाली राजभर बस्ती में सड़क के किनारे नाली ढक्कन	424032
125	नहर से सिकरिया बाबुलाल चौहान के घर तक सीसी	597632
126	कल्यानीपुर में पिच रोड से रविदास मंदिर तक सी सी	697260
127	सैयदपूरा में कंचन सिंह के मकान से हरिजन बस्ती तक सी सी	687456
128	परिखरा मेन रोड से एस के सिंह के हाता से परिखरा की ओर सी सी	474320
129	रामपुर में शैलेश के घर के नाले पर पुलिया	327821
130	उसौली में शहीद मनोज कुमार सिंह स्मृति द्वार का निर्माण	399840
131	अलावलपुर में बागला चौधरी के दरवाजे से अरविन्द सिंह के घर तक सोलिंग	309680

132	रामपुर महावल में अवधनाथ सिंह के घर से कटहल नाला तक पेबर्सनाली/	249700
133	राजपुर में रामसोय के खेत से गडेरी बस्ती तक सी सी	542976
	महायोग	82251650

प्रस्तर- 2

निम्नलिखित तिथियों में व्यय दर्शित है परन्तु प्रमाणक पर हस्ताक्षर नहीं, जी.एस.टी. युक्त बिल न लगाकर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री रमेश कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी तथा अनिल कुमार यादव प्रथम श्रेणी लिपिक जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्रमांक	तिथि	विवरण	प्रमाणक के अनुसार	धनराशि	ऑनलाइन फिदिंग के अनुसार
1	4-1-2021	फोटोस्टेट मशीन की सर्विसिंग	सिंह ऑटो ल्युब	9410	अनिल यादव
2	12/01/2021	सफाई सामग्री	संतोष	6381	अज्ञात
3	12/01/2021	बैटरी खरीद	शिवम् बैटरी	6200	अज्ञात
4	12/01/2021	शिलान्यास कार्यक्रम हेतु टेंट कुर्शी	यूपी टेंट हाउस	,16800 9730 17650 7500	अज्ञात
5	27/6/2020	एसी का सर्विसिंग 10	डिजिटल वर्ल्ड	16715	अज्ञात
			योग-	90386	

प्रस्तर- 3

वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त के कार्य योजना के अनुसार कुल 19 लेपन कार्य किया गया है परन्तु जिला पंचायत द्वारा इमल्शन एवं मेक्सफ्ल्ट की आपूर्ति नहीं की गयी क्योंकि आलोच्य वर्ष में सम्बन्धित के आपूर्ति हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन पर रु0 43030.00 भी व्यय किया गया परन्तु किसी फर्म ने बिटुमिन की आपूर्ति हेतु टेण्डर नहीं डाला शासनादेश सं0 1408/23.03.2009-62 जनरल/ 08दि0 08-05-2009 के अनुसार कार्यदायी सं0 द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है

तो कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा, जब बिटुमिन की मूल इनवायस ठीकेदार द्वारा प्रस्तुत पिच व लेपन कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठीकेदार को बिना मूल इनवायस प्राप्त किये भुगतान कर दिया गया है। राज्य वित्त के अंतर्गत कुषहा ब्राम्हण में रोड से त्रिलोकी के घर होते हुए भीमपुर माता परमेश्वरी मंदिर तक लेपन कार्य के पत्रावली में बिटुमिन हेतु हिन्कोल (झांसी) तथा मथुरा से बलिया लाने का भाड़ा प्रति टन तो लिखा है परन्तु ठीकेदार द्वारा स्वयं बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा, जब बिटुमिन की मूल इनवायस ठीकेदार प्रस्तुत किया जाये। परन्तु पिच व लेपन कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठीकेदार को बिना मूल इनवायस प्राप्त किये ही भुगतान कर दिया गया है। अतः बिटुमिन का क्रय अनियमित है अतः उक्त कार्य पर कुल 978320.00 व्यय किया गया है जो अनियमित है जिसके लिए श्री रमेश कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी वित्तीय परामर्शदाता श्री विपुल कुमार सिंह एवं श्री मनोज कुमार सिंह अभियन्ता जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है निम्नलिखित सभी कार्यों की उच्चस्तरीय द्वारा जांच किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	कार्य का नाम
1	लालगंज बाजार से सुर्यभानपुर संपर्क मार्ग पर कलि मंदिर से भगवानपुर संपर्क मार्ग तक लेपन
2	पन्दह रजवाहा से बरवां पंचायत भवन तक संपर्क मार्ग पर लेपन कार्य
3	नगरा सिकन्दरपुर मार्ग से एकइल कोइरी टोला तक लेपन-
4	अडारे डेरा पिच रोड से अडारे लेपन
5	पूरादुलारराय से रामनिवास के घर तक लेपन
6	रतसरएकइल मुख्य मार्ग से पुर होते नहर तक संपर्क मार्ग का लेपन
7	करनई मार्ग का अवशेष भाग पर लेपन मरम्मत
8	सुखपुरा भलुही मार्ग का लेपन कार्य
9	रसड़ा नगरा मार्ग से तहसील रसड़ा तक लेपन कार्य-
10	लालगंज बाजार से सुर्यभानपुर पी डब्ल्यू डीसंमां पर मुंमां से धर्मवीर उपां के घर होते गोपालपुर तक लेपन
11	पहाराजपुर पिच रोड से चकिया संपर्क मार्ग पर लेपन
12	मैंउली जगदरा पिच रोड से एकभिरिया चौहान बस्ती संमां पर लेपन
13	बांसडीह राजागाँव खरौनी मार्ग से शाहपुर राजभर बस्ती पोखरा तक संपर्क मार्ग का लेपन-
14	बांसडीह हुसैनाबाद रोड से नईबस्ती संपर्क मार्ग का लेपन
15	सह्तवार पूरा पिठाइच रोड से कुसौरी संपर्क मार्ग का लेपन
16	आरीपुर सरया आरी पिच रोड के आगे से खानपुर राजभर बस्ती की ओर लेपन कार्य

17	नगरा भीमपुरा बरौली मुख्य मार्ग से मुजली गाँव तक लेपन
18	सहतवार बांसडीह मार्ग से से कुसौरा मार्ग के अवशेष भाग का लेपन कार्य

प्रस्तर- 4

निम्नलिखित कार्यों में सी सी रोड तथा अन्य कार्यों पर गिट्टी बालू मोरंग, मिट्टी आदि का प्रयोग ठीकेदार द्वारा किया गया है। पत्रावली में एम0एम0 11 संलग्न किया गया है। परन्तु ऐसा पाया गया है एम0एम0-11 से सम्बंधित अभिलेख कार्य प्रारंभ होने के बहुत पहले या कार्य समाप्ति के बाद का है तथा संलग्न बिल में रॉयल्टी की धनराशि नहीं लिखा है अतः यह अभिलेख लेखा परीक्षा में अमान्य है तथा अनियमितता का द्योतक है शासनादेश सं0 3385/86-15-292/2015 दि0 15 अक्टूबर 2015 बिन्दु सं0 3(3) के अनुसार कटौती न होने की दशा में 5 गुना की वसूली वित्तीय परामर्शदाता श्री विपुल कुमार सिंह तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य का प्रारम्भ/समाप्त	उपखनिज लाने की तिथि	कार्य में प्रयुक्त खनिज	रायल्टी की धनराशि	5 गुना वसूली की धनराशि
1	पुरानी रेलवे लाइन से बकुलहा गाँव के किनारे तक अवशेष मार्ग से सी सी	26-10-2020/ 25-01-2021	12-10-2019	सैंड स्टोन 107.13 डाला 54.67 सैंड 27.34	23561.20	117806.00
2	पलानी सुल्तानपुर पिच मार्ग से ग्राम अठिला के तरफ जाने वाले मार्ग पर सी सी	26-10-20 25-01-21	27-11-2020	सैंड स्टोन 69.82 डाला 69.25 सैंड 34.63	23256.50	116282.50
3	सियर चरौवा रोड से ब्रजेन्द्र सिंह के पी.डब्ल्यू.डी0	14-02-20 13-05-20	26-06-2019 07-10-2019 15-10-2016 16-01-2020 20-02-2020	सैंड स्टोन 55.93 डाला 69.02 सैंड 42.98	22763.00	113815.00
4	करँजा बाबा तर से तेतार मार्ग पर रिटेनिंग बाल सी सी मार्ग	14-2-20 13-5-20	31-03-2019	सैंड स्टोन 57.22 डाला 30.92 सैंड 37.34	14770.20	73851.00
5	रसड़ा मऊ pwd-मार्ग से ब्रम्हचारी पिच रोड के आगे से रसूलपुर जानेवाले मार्ग पर सी	25-2-20 24-5-20	18-05-2020	सैंड स्टोन 54.99 डाला 67.08 सैंड 41.27	22422.30	112111.50

	सी					
6	औदी जगदीशपुर मार्ग से इस्लामिया स्कूल के तरफ जानेवाले मार्ग पर सी सी	17-02-20 6-05-20	-	सैंड स्टोन 57.52 डाला 67.99 सैंड 40.85	22757.90	113789.50
7	बलिया गाजीपुर मार्ग से पटसार गाँव की सी सी	03-03-20 02-06-20	30-01-2020	सैंड स्टोन 50.53 डाला 27.52 सैंड 17.11	12022.70	60113.50
				योग-	141553.80	707769.00

प्रस्तर- 5

सहतवार से बांसडीह रोड से कुसौरा मार्ग के अवशेष भाग का लेपन कार्य के पत्रावली तथा व्यय प्रमाणको की जांच में पाया गया की निर्माण कार्य के इकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक 22-02-2020 से 21-05-2020 तक पूर्ण कराया जाना है परन्तु प्रथम बिल रू0 140000.00 दिनांक 23-11-2020 को तथा द्वितीय बिल रू0 117600.00 का भुगतान दिनांक 3-01-2021 को किया गया जबकि अर्थदण्ड की कटौती नहीं कर जिला पंचायत को हानि पहुंचायी गयी है जबकि ठेकेदार द्वारा कार्य में काफी विलम्ब किया गया है अतः अर्थदण्ड कुल लागत के 1 की कटौती रू0 2576.00 श्री रमेश कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह अभियन्ता से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 6

व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य बिलों से मनमाने ढंग से अर्थदण्ड की कटौती की गयी है जबकि ठेकेदार को भुगतानित धनराशि का 1 प्रतिशत अर्थदण्ड कटौती की जानी चाहिए विवरण निम्न प्रकार है:-

बाउचरसं0/दिनांक	अर्थदण्ड की कटौती	कटौती की जानी अपेक्षित	अन्तर की धनराशि	ठेकेदार को भुगतानित धनराशि
03/03-04-2020	500.00	4170.00	3670.00	417000.00
224/28-05-2020	500.00	1295.00	795.00	129500.00
225/28-05-2020	500.00	1970.00	1470.00	197000.00
232/28-05-2020	1000.00	4465.00	3465.00	446500.00
01-07-4 एवं 2020-2-21	1790.00	6200.00	4410.00	617792.00
योग-	4290.00	18100.00	13810.00	1807792.00

अतः 1 प्रतिशत कटौती न कर रु0 13810.00 जिला पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री कन्हैया सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-7

दिनांक 27-06-2020 को नौकाघाट हेतु टेण्डर विज्ञापन (दिनांक 05-03-2016) पर सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन्स को रु0 5802 का भुगतान दर्ज है अतः विगत वर्ष के विज्ञापन का भुगतान आलेख्य वर्ष में कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री कन्हैया सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-8

वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि प्रकीर्ण विधि व्यय के अंतर्गत श्री मृगराज सिंह अधिवक्ता तथा अन्यको जिला पंचायत बलिया के वादों के निस्तारण हेतु हाई कोर्ट तथा जिला न्यायालय में गत वर्ष 2019-20 में विभिन्न तिथियों में कुल रु0 197500.00 भुगतान किया गया है जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194(जे0) के अनुसार रु0 30000.00 या उपर के विधिक सेवा के भुगतान पर 10 प्रतिशत टी.डी.एस. की कटौती किया जाना अपेक्षित है लेकिन जिला पंचायत द्वारा उक्त कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई कन्हैया सिंह जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर- 9

निम्नलिखित निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज का एम.एम.-11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है विवरण-

1. वि0ख0 गड़वार में रतसर कला में गड़वार-नगरा सम्पर्क मार्ग से बिल्ला मास्टर के पोखरे तक सी.सी. व नाली निर्माण ए पी./एल. डब्ल्यू.बी.एम. 37.86 घनमी

बी पी.एल. सी.सी.20एम.एम.79.69 घनमी0 बिल की धनराशि 1067296

2. बलिया बांसडीह मार्ग से टाउन पालीटेकनिक गेट तक सी.सी. कार्य

ए. जी.एल. -- 78.15 घन मी

बी. जी.2 -- 58.59 घन मी

बिल की धनराशि 1517800

सी- सी.सी.- 109.02 घन मी

3. रतसर पचखोरा माइनर से प्राणपुर तुरह बस्ती होतेहुए शनिचरा बाबा स्थान तक सी.सी. कार्य- सी.सी. 79.70 घन मी. बिल की धनराशि 892287

योग- 3477383

उपरोक्त विवरण से यह दर्शित होता है कि ₹0 3477383.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह तथा श्री मनोज कुमार सिंह अभियन्ता जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-10

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 के निर्माण कार्यों में प्रत्येक कार्य में ₹0 5000.00 का साइन बोर्ड पर व्यय दर्शाया गया है लेकिन उक्त कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के दौरान साइन बोर्ड नहीं पाया गया अतएव बोर्ड व्यय अनियमित रहा, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह तथा श्री मनोज कुमार सिंह अभियन्ता जिम्मेदार हैं। ₹0 30000.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है विवरण:-

क- बलिया गड़वार मुख्य मार्ग से बनरही को जोड़ने वाले मार्ग पर सी.सी. कार्य ₹0 5000.00

ख-असेगा नारायणपुर मार्ग से असेगा राजभर बस्ती होते हुए यादव बस्ती तक सी.सी. ₹0 5000.00

ग- खडसरा जिगिडसर पिच मार्ग से जिगिडसर राजभर बस्ती की ओर सी.सी. कार्य ₹0 5000.00

घ- कुर्दिपुर मार्ग का अवशेष भाग का लेपन कार्य ₹0 5000.00

ड- ग्राम कैथिकला मेन रोड से समरी बाबा तक सी.सी. कार्य ₹0 5000.00

च- ग्राम सभा नगरा में पूरब मुहल्ल से भिटकुना सम्पर्क मार्ग से बारात घर तक सी.सी. ₹0 5000.00

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रकाशन/निविदा/टेण्डर पर ₹0 1262883.00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय पर टीडीएस. की कटौती नहीं की गयी है जिसे जिला पंचायत को हानि हुआ जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री कन्हैया सिंह जिम्मेदार हैं। जबकि उक्त व्यय पर टी.डी.एस. की कटौती किया जाना अपेक्षित है अतएव ₹0 1262883.00 का 10 प्रतिशत ₹0 126288.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष के किराया रजिस्टर से प्राप्त कुछ बकायादारों की सूची से स्पष्ट है कि मांग के सापेक्ष वसूली नहीं हो रही है। जो जिला पंचायत को हानि हो रही है जो गम्भीर अनियमिता है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री रमया कुमार सिंह तथा सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेवार हैं।

क्र०	नाम/पिता/पत्नी का नाम	लेजर रजिस्टर	चालू मांग	बकाया	योग
1	हजारीलाल/श्री कलिका	195/2340	2340	4680	7020
2	कृष्णा ठाकुर/अर्जुन कुंवर	195/2340	2340	6555	8895
3	चन्द्रशेखर प्रसाद भृगुआश्रम	195/2340	2340	8505	10845
4	कन्हैया/विश्वनाथ	195/2340	2340	8430	10770
5	प्रकाश/जर्नादन	175	2100	10364	12464
6	अशोक चौरसिया/ बसंतलाल	175	2100	5108	7208
7	वशिष्ठ मुनि चौबे	370	4440	-	4440
8	अशोक कु०/बच्चा	146	1752	4312	6064

9	रामप्रीत सिंह/धमेदेव सिंह	146	1752	6841	8593
10	अशोक कु0/बच्चा सिंह	146	1752	4312	6064
11	परमेश्वर/धुरी राम	146	1752	11946	13698
12	अजीत/काशीनाथ सिंह	300	3600	7800	11400
13	धर्मन्द्र बहादुर/सुरेन्द्र	300	3600	9000	12600
14	लक्ष्मीशंकर/अनंत यादव	300	3600	9000	12600
15	काशिप्रताप/अरविन्द सिंह	3-21/30-11-2021	4680	13110	18940
16	परमेश्वर/धुरीराम	344/4128	4128	19121	23249
17	मदन सिंह/तारकेश्वरसिंह	390/4689	4689	41410	46090
18	कमला देवी/विश्वनाथ	299/3516	3516	43565	47081
19	रघुनाथ/विश्वनाथ	390	4680	26610	31290
20	विजय सिंह/भृगुनाथ सिंह	293	3516	33190	36706
21	मिथलेश प्रताप सिंह	294	3528	40022	43550
22	राजेन्द्र सिंह/बबन सिंह	390	4680	31110	35790
23	शिव कुमार /सुख लाल	537	6444	73506	79950
24	भरत राम/मिश्री	537	6444	70633	67077(10000 वसूली)
25	तारा देवी/विनोदकुमार	625	7500	54600	62100
26	छोटेलाल/रामबलराम	625	7500	54600	62100
				योग-	686584.00

इनमें बकाया किराया वसूला जाना बाहिये अन्यथा जिला पंचायत के राजस्व में कमी होगी, टैक्स इंस्पेक्टरों को कड़ाई पूर्वक किराया, लाइसेंस तथा संपत्ति/विभव कर वसूलना चाहिए।

प्रस्तर-13

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कर निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गए ब्लाकवार मांग - वसूली सूची के अनुसार प्रस्तावित विभव/संपत्ति कर ₹0 3854300.00 वसूला जाना है जबकि प्रपत्र-5 के कैश रसीद के गणना के अनुसार ₹0 950700.00 कर वसूला गया है अतः ₹0 2903600.00 कम वसूल कर जिला पंचायत को हानि पहुंचाया गया है जो गम्भीर अनियमिता है, जिसके लिए सम्बन्धित कर निरीक्षक तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह जिम्मेवार हैं आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है विभव/सम्पत्ति कर से सम्बन्धित कोई प्रमाणिक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जो बहुत आपत्तिजनक है जबकि संस्था में प्राप्त कर सम्बन्धित मासिक रजिस्टर (किराया, लाइसेंस तथा विभव/सम्पत्ति कर) को अप्रमाणिक बताया जा रहा है परन्तु सम्बन्धित रजिस्टर में अपर मुख्य अधिकारी सहित कर अधिकारी का हस्ताक्षर पाया गया है।

प्रारूप-2

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत मऊ में उद्घाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपत्तियों का विवरण -

जनपद - मऊ

सम्भाग - आजमगढ़

जिला पंचायत मऊ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार अपहरण, दुरुविनियोग एवं गम्भीरवित्तीय अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये। जिनके प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:-

प्रस्तर-1

शासनादेश सं०-1838/33-3-15-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्य में ₹0 1000000.00 (₹0 दसलाख) की लागत से अधिक की परियोजनायें अधिकांश रूप में अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करेगी। परन्तु उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2020-21 में अधिकांश कार्य 10 लाख से कम लागत के कराकर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत	कार्यपर 2020-21 में कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	बड़राव में ग्राम सभा कन्धेली कैलाश चौहान के घर से छट्ठ राजभर के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य।	5.23 लाख	395360.00	10 लाख से कम की परियोजना
2	मंसूरपुर महेन्द्र के घर से रामध्यान बनवासी के घर तक सी.सी. कार्य।	6.35 लाख	628320.00	पूर्ण " "
3	ग्राम सभा कन्धेली में सी.सी. रोड से भैसही नदी तक सोलिंग कार्य	7.95 लाख	604800.00 अपूर्ण	" " "
4	घोसी मधुबन मुख्य मार्ग से कुण्डा शरीफ हरिजन बस्ती तक सामान्य लेपनकार्य।	8.98 लाख	711200.00	अपूर्ण " "
5	विकास खण्ड बड़राव में बोझी पुलिसचैकी से सवरहद पोखरी तक अवशेष भाग परनाली सहित पटिया तथा इण्टरलाकिंग कार्य।	9.98 लाख	993440.00	पूर्ण " "
6	केपागंज ग्राम सभा पारा पिचरोड से शमशान घाट तक सी.सी. कार्य।	2.49 लाख	248640.00	पूर्ण " "
7	मधुबन मवेशी खाना का मरम्मत कार्य।	6.92 लाख	409920.00	अपूर्ण " "
8	फतेहपुर ताल रतोय मवेशीखाना का मरम्मत कार्य।	8.88 लाख	560000.00	अपूर्ण " "
9	बड़राव में करनपुर बड़राई से स्कूल तक विशेषलेपन/मरम्मत कार्य।	6.39 लाख	532000.00	अपूर्ण " "

9	वृहद गोसंरक्षण केन्द्र कुडवा का बाउण्ट्री वाल निर्माण व मिट्टी भराई कार्य।	9.99 लाख	996800.00	पूर्ण " "
11	जिला पंचायत डाक बंगले का सुन्दरीकरण एवं सूट नं0-1 व 2 में रंगाई पोताई व टाइल्स कार्य।	9.89 लाख	700000.00	अपूर्ण " "
12	ग्राम सभा सूरजपुर में पिच रोड से पूर्व सांसद राजकुमार राय के घर तक सी.सी. कार्य।	4.67 लाख	464800.00	पूर्ण " "
13	सरायसादी में रामवृक्ष कन्वैजिय के घर से पप्पू चौहान के दुकान तक नाली निर्माण।	3.99 लाख	398720.00	पूर्ण " "
14	देवलास में सूर्यमन्दिर से इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग के अवशेषभाग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	6.98 लाख	695520.00	पूर्ण " "
15	ग्राम सूरजपुर कुटी से गुलाबराय के घर तक सी.सी. कार्य।	7.48 लाख	592480.00	अपूर्ण " "
16	पहसा इटौरा मार्ग से छतरपुर होते हुए जगदीशपुर गांव तक लेपन मरम्मत का शेष कार्य।	9.99 लाख	988960.00	पूर्ण " "
17	परशुपुरा पिचरोड से रामफेरराम के घर तक सी.सी. कार्य।	5.98 लाख	415200	अपूर्ण " "
18	छतरपुरा सिवान से मुस्तफाबाद तक मिट्टी/सोलिंग का कार्य।	4.43 लाख	418880.00	पूर्ण " "
19	ग्राम सभा गोठा के समीपनहर से प्रहलाद यादव के खेत से कैलाश के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	9.83 लाख	856800.00	" " "
20	भीटी बहादुरगंज मार्ग से नसोपुर उमापुर मार्ग तक विशेष मरम्मत कार्य।	9.00 लाख	713440.00	" " "
21	सहरोज मतलपुर मार्ग से सहरोज बगीचे तक सोलिंग कार्य।	6.54 लाख	314720.00	" " "
22	विचैरा देवकली से कटवास सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग कार्य।	7.97 लाख	629440.00	" " "
23	रामविजय सिंह के ट्यूबवेल से सन्तोष सिंह के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	8.31 लाख	514080.00	" " "
24	ग्राम सभा भातकोल मंगल चौहान के घर से बच्चन चौहान के खेत होते हुए पोखरी तक नाली निर्माण कवर के साथ।	3.99 लाख	228480.00	" " "
25	ग्राम सभा महुवार के समीप नहर से शेषनाथ सिंह के घर होते हुए हृदय सिंह के घर तक सोलिंग कार्य।	8.10 लाख	430080.00	" " "
26	लघुवाई राजभर बस्ती होते हुए मुस्तफाबाद सिवान तक सोलिंग का कार्य।	6.90 लाख	509600.00	" " "
27	ग्राम सभा लघुवाईजाफर के घर से सफीउल्लाह के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य।	3.50 लाख	235200.00	" " "
28	ग्राम सभा दरियांव के रामलालगौड़ के घर से सोनभरिया गांव तक सोलिंग कार्य।	7.84 लाख	598080.00	" " "
29	ब्लाक कोपागंज में कोटवा कोपड़ा पिच रोड से पंचायत भवन तक सोलिंग कार्य।	8.05 लाख	415520.00	" "
30	युसुफपुर खडंजे से मकखनसराय (देईस्थान) तक सोलिंग कार्य।	9.70 लाख	566720.00	" " "

31	ग्राम सभा गोठा के समीप मोहन के घर से स्व0 रामकरन के घर तक नाली कार्य।	9.97 लाख	828800.00	" " "
32	मऊ-बलिया मार्ग से मरूखा नहर पुल तक सोलिंग कार्य।	9.00 लाख	689920.00	" " "
33	ग्राम सभा खजुहा में शिवप्रसाद के घर से नहर साइफन तक ढक्कनदार नाली निर्माण	9.36 लाख	604800.00	" " "
34	ग्राम सभा कोल्हुआ उपेन्द्र के घर से दरगाह मेन नाला तक ढक्कन दारनाली निर्माण	9.37 लाख	607040.00	" " "
35	ग्राम सभा गरथौली झारखण्डी बाबा के मन्दिर से इटौरा सम्पर्क मार्ग तक पिच मरम्मत कार्य।	4.96 लाख	299936.00	" " "
36	मुहम्मदाबादगोहना चिरैयाकोट मुख्य मार्ग से प्रभुनाथ लेखपाल का घर होते हुए चैहान बस्ती तक सी.सी. नाली का अवशेषभाग का कार्य।	7.62 लाख	532000.00	" " "
37	शारदा सहायक नहर पहाडपुर पुल से मिर्जापुर तक लेपन कार्य।	9.87 लाख	591360.00	" " "
38	गडैली पिच से मुस्तफाबाद यादव बस्ती तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	7.39 लाख	577920.00	" " "
39	ब्लाक दोहरी घाट में ग्राम सभा सरफोरा मेन पिच रोड से शिवानन्द पाण्डेय के घर तक सी.सी. कार्य।	5.26 लाख	397600.00	" " "
40	गौहरपुर प्राइमरी पाठशाला से मन्दिर तक सोलिंग का कार्य।	2.41 लाख	200480.00	" " "
41	ग्राम सभा भेडकुल सुल्तानपुर में अखिलेश सिंह के खेत से शिवनाथ सिंह के घर तक सी.सी. कार्य।	6.43 लाख	504000.00	" " "
42	रैनी के समीप श्री निवासराय के घर से सी.सी. के अवशेषभाग का सी.सी. कार्य।	9.89 लाख	791840.00	" " "
43	भुजही में पिच रोड से सरकारी ट्यूब वेल तक सी.सी. रोड का निर्माणकार्य।	6.98 लाख	431200.00	" " "
44	खुरहट बाजार में नाली निर्माण	9.96 लाख	452480.00	" " "
45	ग्राम सभा अमारी से अमरहट जाने वाले मार्गपरकमला राय के मकान से सरकारी ट्यूब वेल तक सी.सी. कार्य।	9.98 लाख	723520.00	" " "
46	रानीपुर ग्राम सभा रसड़ा के पास रामजान की मन्दिर से केदार पाल के दरवाजे तक सोलिंग कार्य।	4.71 लाख	340480.00	" " "
47	खुशामदपुर के समीप पिच रोड से मुन्नी यादव के घर तक नाली निर्माण।	7.19 लाख	423360.00	" " "
48	मऊ-रानीपुरमार्ग से पिचरोड ग्राम सभा खानपुर से खरीदया कुटी तक सी.सी. कार्य।	9.88 लाख	817600.00	" " "
49	मुहम्मदपुर के समीप एन.एच.-29 झझवा पिचरोड से नदी तक सोलिंग कार्य।	2.45 लाख	191408.00	" " "
50	ग्राम सभा कन्धेली पिच रोड से दुखी के घर से डुमराव दलित बस्ती तक पिच मरम्मत कार्य।	5.61 लाख	456960.00	" " "

51	ग्राम सभा एकौना के समीप सुरेन्द्र के चक से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	4.38 लाख	350560.00	" " "
52	ग्राम सभा रजपुरा में खुन्दवा सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग कार्य।	6.44 लाख	399840.00	" " "
53	ग्राम सभा भैसाखरडा में जंगली सोनकर के मकान से इन्द्रजीत यादव के मकान तक सी.सी. कार्य।	5.44 लाख	479360.00	" " "
54	मऊ-बलियामार्ग से धर्मागतपुर बबलू यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	7.50 लाख	506240.00	" " "
55	रतनपुरा गाढा पिच से रतनपुरा हरिजन बस्ती तक नाली एवं सी.सी. कार्य।	3.00 लाख	260960.00	" " "
56	हलधरपुर-बेलौंझा मार्ग से पालिटेक्निक स्कूल तक सी.सी. कार्य।	9.16 लाख	789488.00	" " "
57	रतनपुरा मुस्तफाबाद मुख्य मार्ग से पुलिस चौकी की दीवार से नेहरू इण्टर कालेज के गेट सी.सी. कार्य	2.50 लाख	218400.00	" " "
58	बहुआगोदाम काझा मार्ग पर कुशमौर बाजार से कहिनौर दलित बस्ती तक लेपन मरम्मत कार्य।	7.75 लाख	658560.00	" " "
59	ग्राम सभा खण्डेरायपुर (भरकुवां) पिचरोड से जय बहादुर के ट्यूबवेल तक सी.सी. कार्य।	9.98 लाख	788480.00	" " "
60	ग्राम सभा लउवासाथ पिच मार्ग से ग्राम सभा दुबारी ट्रान्सफार्मर से प्रा0पा0 विग्रहपुर तक सी.सी. कार्य	9.80 लाख	829920.00	" " "
61	बह रामपुर लसरा पिच मार्ग से बहरामपुर यादव बस्ती तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	7.39 लाख	527520.00	" " "
62	ग्राम सभा दरगाह के समीप पकड़ी चैक से दरगाह पिच मार्ग तक सी.सी. कार्य।	6.30 लाख	552160.00	" " "
63	मऊ-बलियामार्ग से मेडडीचट्टी सेहवरपुर मार्ग अम्बेडकर मूर्ति से श्यामबहादुर यादव के घर तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	7.50 लाख	534240.00	" " "
64	दोहरीघाट मधुवन मुख्य मार्ग पर बेलौलीचट्टी से राधेश्याममौर्या के दरवाजे तक पिच मरम्मत कार्य। ग्राम सभा काझा खुर्द मार्ग आगन बाड़ीकेन्द्र से बिहारी दास स्कूल तक सी0सी0 कार्य	5.82 लाख 9.45 लाख	478240.00 605920.00	" " " " " "
65	बोझी बाजार पश्चिमी पटरी भोला जायसवाल के मकान से रामबचन गुप्ता के घर तक नाली निर्माण।	8.95 लाख	774200.00	" " "
66	हरिहरपुर सोहन के खेत से रमाशंकर के खेत तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	9.00 लाख	717920.00	" " "
67	मऊ-दोहरीघाट मार्ग पर अर्जुन मेमोरियल पब्लिक स्कूल तक सोलिंग कार्य।	4.97 लाख	390880.00	" " "
68	बोझी-अजमतगढ मार्ग पर बोझी सबरहद विरैचा ट्रान्सफार्मर से रामप्यारे पासवान के घर तक सी.सी. कार्य।	4.24 लाख	369600.00	" " "
69	बड़ाव में भाड़ीदुल्लाह हरिजनबस्ती शारदा सहायक नहर से	9.30 लाख	507360.00	" " "

	भाडीदुल्लाहपोखरी तक नाली निर्माण।			
70	बेलभद्रपुर मुख्य मार्ग से मुखराज यादव के घर होते हुए नाली मरम्मत कार्य।	6.00 लाख	495040.00	" " "
71	बड़राव में अमिला कटघरा मार्ग पर रेयांव में बंशराजीदेवी महाविद्यालय पतिराज यादव के मकान के पूरब पोखरी तक नाली निर्माण।	8.96 लाख	519680.00	" " "
72	सौनी सिपाह मार्ग से सौनी राजाराम के खेत तक सोलिंग कार्य।	6.59 लाख	497280.00	" " "
73	बोझी घरौली मार्ग पर ग्राम सभा सोहड़ डीह स्थान नारद सिंह के पास पुलिया तक नाली निर्माण।	6.48 लाख	408800.00	" " "
74	बोझी-अजमतगढ़ मार्ग पर बोझी नर्सरी के बगल से डा0 धर्मनंद के खेत तक विशेष मरम्मत।	9.21 लाख	299936.00	" " "
75	पारा तड़ियांव मार्ग से ग्राम मडियांव के समीप संजीवन पाण्डेय के घर तक सी.सी. कार्य।	2.65 लाख	227360.00	" " "
76	बोझी-बरौली मार्ग पर विजय गुप्ता के घर से डा0 सदानन्द के घर होते हुए अशोक गुप्ता के घर तक सी.सी. कार्य।	8.50 लाख	696640.00	" " "
77	गोरखपुर एन.एच.-29 से तिलई खुर्द नेवादा रमेश सिंह के घर तक सी.सी. कार्य।	7.18 लाख	630560.00	" " "
78	धर्मपुर कसायर ज्ञानप्रकाश के घर से पोखरी तक ढक्कन दार नाली निर्माण।	7.08 लाख	396480.00	" " "
79	मिर्जाजमालपुरा नवापुरा में वाहा पर पुलिया निर्माण कार्य।	8.00 लाख	471520.00	" " "
80	गोविन्दपुर चन्द्रशेखर यादव के घर से नवजागिर के घर तक नाली निर्माण।	9.96 लाख	585760.00	" " "
81	ग्राम सभा पकड़ी बुजुर्ग रामलखन के घर से सुबाष निषाद के घर तक सी.सी. कार्य।	5.28 लाख	441280.00	" " "
82	घोसी मधुबन मार्ग पर जामडीह में रामशब्द के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली निर्माण।	8.96 लाख	269920.00	" " "
83	घोसी-मधुबनमार्ग से कुण्डाकुचाई इण्टर कालेज तक सी.सी. कार्य।	6.38 लाख	535360.00	" " "
84	सुल्तानपुर माइनर से चमरियांव पाइव बस्तीतक मरम्मत कार्य।	9.57 लाख	351680.00	" " "
85	ग्राम कुडहनी पिच से खिजिरपुर दीपक राय के घर तक सी.सी. कार्य।	5.28 लाख	434560.00	" " "
86	पीवाताल बेलभद्रपुर मार्ग से प्रेम चन्द पासवान के घर तक सोलिंग कार्य।	1.99 लाख	138880.00	" " "
87	ग्राम सभा बरौली में रसूलपुर में बापू इण्टर कालेज के सामने नहरपर पुलिया निर्माण।	5.85 लाख	328160.00	" " "
89	घोसी-मझवरामार्ग से ग्राम सभा भावापुर तक पिच मरम्मत	9.43 लाख	744800.00	" " "

	कार्य।			
90	नदवल में विजय शंकर सिंह के घर से जयप्रकाश के घर होते हुए पोखरी तक नाली निर्माण।	8.96 लाख	468160.00	" " "
91	बड़राव में ग्राम निविहा सी0सी0 रोड से गुड्डू राजभर के घर होते हुए इन्द्रदेव के घर तक सी.सी. कार्य।	9.15 लाख	264320.00	" " "
92	कुडहनी सरायसुदनी पिच मार्ग से ग्राम कुडहनी शिव बहादुर राय के घर तक सी.सी. कार्य।	8.02 लाख	499968.00	" " "
93	ग्राम सभा पहाड़पुर विनोद के घर से पंचायत भवन होते हुए पोखरी तक नाली निर्माण।	8.16 लाख	482720.00	" " "
	योग:	48158616.00		

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में उपरोक्तनुसार शासनादेश के विपरीत 10 लाख से कम की कार्ययोजनाएं बनाते हुए उन पर कुल ₹0 48158616.00 का व्यय (कुल 93 कार्यों पर) करते हुए वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्रीअरविन्द कुमार आनन्द, अभियन्ता स्व0 लाल देवेन्द्र विक्रम सिंह एव वित्त परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव का रहा। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-02

वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में यह पाया गया कि कार्य के कराये जाने में विलम्ब होने की स्थिति में ठेकेदारों के बिलों से विलम्ब शुल्क एक प्रतिशत की दर से नहीं की गयी है विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	कार्य का नाम	विलम्ब शुल्क जो काटा जाना चाहिए	विलम्ब शुल्क जिसकी कटौती की गयी है।	कम विलम्ब शुल्क की कटौती
1.	ग्राम सभा काझा बीच बाजार से काझा उत्तर हरिजन बस्ती पिल ूकुमार के घर तक विशेष मरम्मत कार्य।	14805.00	3530.00	11275.00
2.	बड़राव में ग्राम रजपुरा में हीरासोनकर के खेत से सकलूचैहान के घर तक पिच मरम्मत कार्य।	3710.00	1430.00	2280.00
3.	बड़राव में कलौरापुर से उत्तर नहर के पश्चिम बन्धा होते हुए एस.एस.बी. स्कूल बहराम पुर तक खडंजा कार्य।	1730.00	1000.00	730.00
4.	ग्राम सभा नगपुर में पिच रोड से यादव बस्ती राजेन्द्र यादव के मकान तक सी.सी. कार्य।	4190.00	1600.00	2590.00

5.	ग्राम सभा रमऊपुर में रामासाहनी के खेत के पास पुलिया निर्माणकार्य।	2300.00	1500.00	800.00
6.	बड़ाव में ग्राम सभा गोधना दलित बस्ती होते हुए इब्राहिमाबाद रोड पर पुलिया निर्माण	8737.00	2000.00	6737.00
7.	ब्लाक घोसी में डा0 खुशीदअहमद के मकान से इक्षाक के मकान तक इण्टर लाकिंग कार्य।	3124.00	500.00	2624.00
8.	घोसी के ग्राम सभा पवनी में रामानन्द के घर से राममिलन यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	10970.00	4502.00	6468.000
9.	पकड़ीबुजुर्ग घोसी मार्ग से फेकन निषाद के घर तक सी.सी. कार्य।	6730.00	6540.00	190.00
10.	बड़ाव में ग्राम सभा सरायसाढ़ी में सौर ऊर्जा प्लान्ट से अयोध्या के घर तक सी.सी. कार्य।	8390.00	5900.00	2490.00
11.	बड़ाव में ग्राम पंचायत टेघनी में प्रभुनाथ गुप्ता के घर से रविन्द्र सिंह व अशोक सिंह के घर होते हुए पिच रोड तक इण्टर लाकिंग कार्य।	8755.00	3905.00	4850.00
12.	ग्राम सभा गौर पार मेन पिच मार्ग से कैलाश पाण्डेय के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	3940.00	1500.00	2440.00
13.	ग्राम सभा कसारा गांधी पार्क से दिनेश राय के खेत तक सी.सी. कार्य।	16300.00	15740.00	560.00
14.	ग्राम सभा लिलारी भरौली चक जमीन में श्री कान्त चैरसिया के घर से जगरनाथ पिता शिवनाथ के घर तक सी.सी. कार्य।	1740.00	1000.00	740.00
15.	ग्राम पंचायत डगौली में हरिश्चन्द्र मौर्य के खेत से हरिनाथगाँव के खेत तक सी.सी. कार्य।	4100.00	4030.00	70.00
16.	घोसी पकड़ी मार्ग से जमीन कैथवली पिच से उमेश के घर तक सी.सी. कार्य	4780.00	1300.00	3480.00
17.	ग्राम सभा ढाढाचवर में विक्रान्त के ट्यूबवेल से रामप्रवेशचैहान के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9500.00	2080.00	7420.00
	योग:	113801.00	58057.00	55744.00

उपरोक्तानुसार विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों के बिलों से बिलम्ब शुल्क की कम कटौती कर संस्था को क्षति पहुँचायी गयी है। कुल ₹0 55744.00 की क्षति का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द, वित्तीय परामर्शदाता श्री अजय कुमार यादव तथा लेखाकार श्री जय प्रकाश मिश्र का रहा। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-03

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्री के सापेक्ष रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	निर्माण मात्रा	प्रयुक्त सामग्री का नाम/साइज	सामग्री की मात्रा	रायल्टी की दर प्रति एम३	रायल्टी	कार्य पर कुल रायल्टी	बिल से काटी गयी रायल्टी / प्रस्तुत एम.एम . .11 का विवरण	कम काटी गयी रायल्टी
1	ग्राम सभा काझा बीच बाजार से काझा उत्तर हरिजन बस्ती पिलु कुमार के घर तक विशेष लेपन मरम्मत कार्य।	डब्लू-बी-एम-जी-3 पी-कोस्ट सेल कोट	179-64 एम ³ 3000 एम 2 3000 एम 2	स्टोन ग्रेड 53-22-4एम.एम. स्टोन डस्ट डाला ग्रेड 13-2-5-6एम.एम. - डाला ग्रेड 9-5-2-36एम.एम. - -	217-36 एम ³ 43-12 एम ³ 81-00 एम ³ 27-00 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 160/ए म ³ 160/ए म ³	23910 4743 12960 4320			
								45953	28742	17211
2	मधुबन बेलथरा मुख्य मार्ग से ढिलईफिरोजपुर तक लेपन मरम्मत के अवशेष भाग पर विशेष मरम्मत कार्य।	डब्लू-बी-एम-जी-3 पी-कोस्ट सेल	164-36 एम ³ 3000 एम 2 3000 एम 2	स्टोन ग्रेड 53-22-4एम.एम. स्टोन डस्ट डाला ग्रेड 13-2-5-	198-88 एम ³ 39-45 एम ³ 81-11 एम ³ 27-00 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 160/ए म ³ 160/ए म ³	21877 4340 12960 4320			
								43497	26298	17199

		कोट		6एम.एम. - डाला गिड 9-5-2- 36एम.एम. - -		म ³				
3	बड़राव में ग्राम सभा राजपुरा में हीरा सोनकर के खेत से सकलू चौहान के घर तक पिच मरम्मत कार्य।	डब्लू-बी-एम-जी-3 पी-कोस्ट सेल कोट	90-90 एम ³ 1800 एम 2 1800 एम 2	स्टोन गिड 53-22-4एम.एम. स्टोन डस्ट डाला गिड 13-2-5-6एम.एम. - डाला गिड 9-5-2-36एम.एम. - -	110-00 एम ³ 19-09 एम ³ 48-60 एम ³ 16-20 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 160/ए म ³ 160/ए म ³	12100 2100 7776 2592			
								24568	14544	10024
4	बनपोखरा पक्की सड़क पुल से कुसहा सम्पर्क मार्ग तक सामान्य मरम्मत कार्य।	डब्लू-बी-एम-जी-3 पी-कोस्ट सेल कोट	143-74 एम ³ 2190 एम 2 2190 एम 2	स्टोन गिड 53-22-4एम.एम. स्टोन डस्ट डाला गिड 13-2-5-6एम.एम. - डाला गिड 9-5-2-36एम.एम. - -	173-93 एम ³ 34-50 एम ³ 59-13 एम ³ 19-71 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 160/ए म ³ 160/ए म ³	19132 3795 9461 3154			
								35542	22998	12544
5.	घोसी मधुबन मुख्य मार्ग से कु.डा शरीफ हरिजन बस्ती तक सामान्य लेपन मरम्मत कार्य।	डब्लू-बी-एम-जी-3 पी-कोस्ट सेल कोट	61-99 एम ³ 2175 एम 2 2175 एम 2	स्टोन गिड 53-22-4एम.एम. स्टोन डस्ट डाला गिड 13-2-5-6एम.एम. -	73-81 एम ³ 14-88 एम ³ 58-73 एम ³ 19-58 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 160/ए म ³ 160/ए म ³	8119 1637 9396 3132			
								22284	9918	12366

				डाला गिड 9-5-2- 36एम.एम . -						
6.	सेमारी डीह अम्बेडकर मूर्ति में गौरीडीह चौहान बस्ती तक लेपन मरम्मत कार्य।	जीएस बी W-B- M-G-2 डब्लू- बी-एम- जी-3 पी- कोस्ट सेल कोट	84-56 एम³ 47-25 एम³ 42-75 एम³ 570 एम 2 570 एम 2	स्टोन गिड 53-9- 5एम.एम. स्टोन गिड 9-5- 2- 36एम.एम . - स्टोन गिड 2-36 & से काम स्टोन गिड 63- 45एम.एम . - स्टोन डस्ट स्टोन गिड 53- 22- 4एम.एम. - स्टोन डस्ट डाला गिड 13-2-5- 6एम.एम. - डाला गिड 9-2-2- 36एम.एम . -	54-12एम³ 21-42 एम³ 32-47 एम³ 57-17 एम³ 12-60 एम³ 51-73 एम³ 10-26एम³ 15-39 एम³ 5-13 एम³	110/ए म³ 110/ए म³ 110/ए म³ 110/ए म³ 110/ए म³ 110/ए म³ 110/ए म³ 160/ए म³ 160/ए म³	5953 2356 3572 6289 1386 5690 1129 2462 821	29658	14291	15367
7.	बोझी कटिहारी पिच से पलिया गांव तक पिच मरम्मत कार्य।	डब्लू- बी-एम- जी-3 पी- कोस्ट सेल	105-7 एम³ 1500 एम 2 1500 एम 2	स्टोन गिड 53- 22- 4एम.एम. स्टोन डस्ट डाला गिड	127-9 एम³ 25-37 एम³ 40-50 एम³ 13-50	110/ए म³ 110/ए म³ 160/ए म³	14069 2790 6480 2160	25499	23400	2099

		कोट		13-2-5-6एम.एम. - डाला गिड 9-5-2-36 एम.एम. -	एम ³	160/एम ³				
8	पहसा इटौरा मार्ग से छत्तरपुर होते हुए जगदीशपुर गांव तक लेपन मरम्मत का अवशेष भाग का कार्य।	डब्लू-बी-एम-जी-3 पी-कोस्ट सेल कोट	65-40 एम ³ 2400 एम 2 2400 एम 2	स्टोन गिड 53-22-4एम.एम. स्टोन डस्ट डाला गिड 13-2-5-6एम.एम. - डाला गिड 9-5-2-36 एम.एम. -	79-13 एम ³ 15-70 एम ³ 64-80 एम ³ 21-60 एम ³	110/एम ³ 110/एम ³ 160/एम ³ 160/एम ³	8704 1727 10368 3456			
								24255	18125	6130
9	रतनपुरा में हलधरपुर बेलौझा मार्ग से मऊ कुबेर मेंपिच रोड से रामलखन कोहार तक सी.सी. कार्य।	जीएस बी	28-8 एम ³	स्टोन गिड 53-9-5एम.एम. स्टोन गिड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन गिड 2-36 & से कम	18-43 एम ³ 7-29 एम ³ 11-06 एम ³	110/एम ³ 110/एम ³ 110/एम ³	2027 802 1217			
		ब्रिक वर्क 1:4 Plaster पीसीसी 1:2:4	19-32 एम ³ 130 एम 2 47-76 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	4-87 एम ³ 2-62 एम ³ 21-49 एम ³ 42-98 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³ 150/एम ³ 160/एम ³	730 393 3224 6877		कॉर्से सेंड डाला गिट एम.एम . -11 izLrqr gS Rs-11324	4046
								4046	—	4046
								11324		

10	बलुआ पोखरा बाजार में रामकृष्ण के मकान से वंशी का हाता होते हुए आनन्द मेडिकल के रास्ते सी.सी. कार्य।	जीएस बी	50-36 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5 एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36 एम.एम स्टोन ग्रेड 2-36 & से कम	32-23 एम ³ 12-74 एम ³ 19-34 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	3545 1401 2127	25229	14590	10639
		ब्रिक वर्क 1:4 Plaster पीसीसी 1:2:4	39-15 एम ³ 153 एम ³ 2 76-65 एम ³	कोर्स सैंड डाला गिट	9-87 एम ³ 3-08 एम ³ 34-49 एम ³ 68-99 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1481 463 5174 11038			
11.	ग्राम सभा नगपुर मे पिच रोड से (सलारू बाबा) के स्थान यादव बस्ती में राजेन्द्र यादव के मकान तक सी.सी. कार्य।	जीएस बी ब्रिक वर्क 1:4 Plaster पीसीसी 1:2:4	37-88 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5 एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36 एम.एम स्टोन ग्रेड 2-36 से कम	24-24 एम ³ 9-58 एम ³ 14-55 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	2666 1054 1600	18757	11121	7636
			28-05 एम ³ 159 एम ³ 2 56-25 एम ³	कोर्स सैंड डाला गिट	7-07 एम ³ 3-21 एम ³ 25-31 एम ³ 50-62 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1061 481 3796 8099			
12	बड़राव मे ग्राम सभा कटिहारी	जीएस बी	53-99 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-	34-55 एम ³	110/ए म ³	3800 1505	27969	—	27969

	बुजुर्ग में शिव हनुमान मन्दिर से गुलाब शकिग्री के घर तक सी. सी. कार्य।			5एम.एम. स्टोन गिड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन गिड2-36 &से कम	13-68 एम ³ 20-73 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³	2280			
		ब्रिक वर्क 1:4 Plaster पीसीसी 1:2:4	31-05 एम ³ 90एम 2 89-54 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	7-82 एम ³ 1-81 एम ³ 40-29 एम ³ 80-59 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1174 272 6044 12894			
13	विकास ख.ड रतनपुरा अतरौली पा.डेय सी.सी. रोड से रमाशंकर सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्मा. कार्य।	जीएस बी	46-20 एम ³	स्टोन गिड 53-9-5एम.एम. स्टोन गिड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन गिड 2-36 से कम	29-57 एम ³ 11-69 एम ³ 17-74 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	3253 1286 1951			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	22-08 एम ³ 64 एम 2 73-84 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	5-56 एम ³ 1-29 एम ³ 33-23 एम ³ 66-46 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	835 194 4984 10634	23137	12692	10445
14.	ब्लाक रतनपुरा परमानन्द पट्टी गांव पोखरे से अनुसूचित बस्ती	जीएस बी	55-25 एम ³	स्टोन गिड 53-9-5एम.एम. स्टोन	35-36 एम ³ 13-98 एम ³ 21-22	110/ए म ³ 110/ए म ³	3890 1538 2334	28146	एम.ए म. - 11 प्रस्तुत हैपरन्तु	2814 6

	तक सी.सी. कार्य।			ग्रिड 9-5-2-36एम.एम स्टोन ग्रिड 2-36 से कम	एम ³	110/एम ³			समस्त कार्य प्रारम्भ के पूर्व का है।	
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	31-05 एम ³ 90 एम 2 89-54 एम ³	कोर्स सेंड डाला ग्रिट	7-82 एम ³ 1-81 एम ³ 40-29 एम ³ 80-59 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³ 150/एम ³ 150/एम ³	1174 272 6044 12894			
15	ब्लाक रतनपुरा में रजमलपुर में अम्बेडकर स्कूल तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	53-26 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रिड 9-5-2-36एम.एम स्टोन ग्रिड 2-36 & से कम	34-09 एम ³ 13-49 एम ³ 20-45 एम ³	110/एम ³ 110/एम ³ 110/एम ³	3750 1482 2250			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	36-84 एम ³ 106-8 एम 2 86-24 एम ³	कोर्स सेंड डाला ग्रिट	9-28 एम ³ 2-15 एम ³ 38-81 एम ³ 77-62 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³ 150/एम ³ 160/एम ³	1393 323 5821 12419			
								27438	कोर्स सेंड एण्ड डल्ला एम.एम . -11 प्रस्तुतरहा है	7482
16.	बड़राव में ग्राम सभा गोधना दलित बस्ती होतेहुए इब्राहिमाबाद रोड पर पुलिया निर्मा. कार्य।	ब्रिक वर्क सप स्टर्ष	92-88 एम ³	कोर्स सेंड डाला ग्रिट	23-41 एम ³	150/एम ³	3511		कोर्स सेंड 17एम ³ डीके एम.एम . -11 प्राप्तरहा है	
		R-C-C-1:6:12 पीसीसी	20-80 एम ³ 10-68	कोर्स सेंड डाला ग्रिट	9-98 एम ³ 4-80 एम ³ 9-60 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³	1498 721 1537			
								7267	2552	4715

		स्लैब	एम 2			म ³ 160/ए म ³				
17	ब्लाक घोसी में डा0 खुशींद अहमद के मकान से इशलाक के मकान तक इ.टर लॉकिंग कार्य।	ब्रिक वर्क	20-70 एम ³	कोर्स सेंड	5-22 एम ³	150/ए म ³	783	5507	718	4789
		पीसीसी1 :6:12	42-00 एम ³	कोर्स सेंड	20-16 एम ³	150/ए म ³	3024			
		लोकल	सेंड	लोकल सेंड	18-75 एम ³	65-00/एम ³	1219			
			प्लैस्टर	159 एम 2	कोर्स सैण्ड	3-21 एम ³	150/एम ³	481		
18.	घोसी के ग्राम सभा पवनी में रामानन्द के घर से राममिलन यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	जीएस बी	61-81 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन ग्रेड 2-36 & से कम	39-56 एम ³ 15-64 एम ³ 23-74 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	4351 1720 2611	32386	12476	19910
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	60-99 एम ³ 225 एम 2 97-95 एम ³	कोर्स सेंड डाला ग्रेड	15-37 एम ³ 4-54 एम ³ 44-08 एम ³ 88-16 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	2306 681 6612 14105			
19.	लड्डू (घोसी) रामसनेही धरकार के घर से जयराम के घर तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	42-53 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन ग्रेड	27-22 एम ³ 10-76 एम ³ 16-33 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	2994 1184 1796	24552	8581	1597 1

				2-36 & से कम						
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	42-48 एम ³ 105 एम 2 78-75 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	10-70 एम ³ 2-12 एम ³ 35-44 एम ³ 70-87 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1605 318 5316 11339			
20.	हृदय पट्टी मे प्राथमिक विद्यालय से शैलेन्द्र सिंह आजाद के दरवाजे तक सी. सी. कार्य।	जीएस बी	36-25 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9- 5एम.एम. स्टोन ग्रिड 9-5- 2- 36एम.एम . स्टोन ग्रिड 2-36 & से कम	23-20 एम ³ 9-17 एम ³ 13-92 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	2552 1008 1531			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	36-30 एम ³ 135 एम 2 67-5 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	9-15 एम ³ 2-72 एम ³ 30-38 एम ³ 60-75 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1372 408 4557 9720	21148	12885	8263
21.	पकड़ी बुजुर्ग घोसी मार्ग से फेकन निषाद के घर तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	42-47 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9- 5एम.एम. स्टोन ग्रिड 9-5- 2- 36एम.एम .	27-18 एम ³ 10-74 एम ³ 16-31 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	2990 1181 1794	21296	11507	9789
				स्टोन ग्रिड 2-36 & से कम						

		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	28-17 एम ³ 150-50 एम 2 65-32 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	7-09 एम ³ 3-03 एम ³ 29-39 एम ³ 58-79 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1063 454 4408 9406			
22.	बड़राव में ग्राम सभा सराय सादी में सौर ऊर्जा प्लान्ट से अयोध्या के घर तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	48-37 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9- 5एम.एम. स्टोन ग्रिड 9-5- 2- 36एम.एम स्टोन ग्रिड 2-36 &से कम	30-96 एम ³ 12-24 एम ³ 18-57 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	3405 1346 2042			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	41-40 एम ³ 212 एम 2 77-30 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	10-43 एम ³ 4-27 एम ³ 34-78 एम ³ 69-57 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1564 640 5217 11131	25345	13818	11527
23	बड़राव में ग्राम पंचायत टेघनी में प्रभुनाथ गुप्ता के घर से रविन्द्र सिंह व अशोक सिंह के घर होते हुए पिच रोड तक इंटर लॉकिंग कार्य।	जीएस बी	70-57 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9-	45-16 एम ³	110/ए म ³	4967 1963			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर प्लास्टर	31-05 एम ³ 126 एम 2 103-5 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	7-82 एम ³ 2-54 एम ³ 2-07 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³	1173 381 310	11775	1128	10647
24	ग्राम सभा गौर पार मेन पिच मार्ग से कैलाश	जीएस बी	100-0 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9-	64-0 एम ³ 25-3 एम ³	110/ए म ³	7040 2783 4257	51998	27787	24211

	पा.डेय के घर तक सी0सी0 रोड का निर्मा. कार्य।			5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन ग्रेड 2-36 & से कम	38-7 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³				
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	133-88 एम ³ 200 एम 2 152-3 एम ³	कोर्स सैंड डाला ग्रेट	33-74 एम ³ 4-30 एम ³ 68-54 एम ³ 137-07 एम ³ grit	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	5061 645 10281 21931			
25	ग्राम सभा डाढाचवर में विक्रान्त ट्यूबवेल से रामप्रवेश चौहान के घर तक सी0सी0 रोड निर्मा.	जीएस बी	75-75 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन ग्रेड 2-36 & से कम	48-48 एम ³ 19-16 एम ³ 22-09 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	5333 2108 3200			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	93-6 एम ³ 120 एम 2 119-4 एम ³	कोर्स सैंड डाला ग्रेट	23-59 एम ³ 2-42 एम ³ 53-46 एम ³ 107-46 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	3538 363 8059 17194	39795	21616	18179
26.	नेमडाढ़ में गुलाब गोड़ के घर से इमाउद्दीन का घर	जीएस बी	70-38 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-	45-4 एम ³ 17-81	110/ए म ³	4954 1959 2973	36811	22058	1475 3

	होते हुए ईदगकिगा के पीछे तक सी0सी0 रोड निर्मा. कार्य।			5एम.एम. स्टोन गिड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन गिड 2-36 &से कम	एम ³ 27-03 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³				
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	36-57 एम ³ 106 एम 2 119-25 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	9-22 एम ³ 2-14 एम ³ 53-66 एम ³ 107-33 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1383 321 8049 17172			
27	विकास ख.ड कोपागंज मे जहनियापुर मे सुछदन के घर से डीह स्थान तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	58-44 एम ³	स्टोन गिड 53-9-5एम.एम. स्टोन गिड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन गिड 2-36 &से कम	37-40 एम ³ 14-79 एम ³ 22-44 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	4114 1626 2468			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	53-46 एम ³ 233 एम 2 92-62 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	13-47 एम ³ 4-70 एम ³ 41-68 एम ³ 83-36 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	2020 705 6252 12504	29689	17784	11905
28	विकास ख.ड कोपागंज मेंग्राम सभा लिलारीभरौली चक जमीन में श्री	जीएस बी	60-93 एम ³	स्टोन गिड 53-9-5एम.एम. स्टोन	39-00 एम ³ 15-42 एम ³ 23-40	110/ए म ³ 110/ए म ³	4290 1696 2574	31211	17220	1399 1

	कान्त चौरसिया के घर से जगरनाथ पिता शिवनाथ के घर तक सी0सी0 कार्य			ग्रिड 9-5-2-36एम.एम स्टोन ग्रिड 2-36 & से कम	एम ³	110/एम ³				
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	34-5 एम ³ 100 एम 2 99-50 एम ³	कोर्स सेंड डाला ग्रिट	8-69 एम ³ 2-02 एम ³ 44-78 एम ³ 89-55 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³ 150/एम ³ 160/एम ³	1303 303 6717 14328			
29.	विकास ख.ड फतह मंडाव ग्राम सभा हृदय पट्टी ग्राम रसूलपुर गौतम में चन्द्रभूष.। सिंह के दरवाजे से रामनगीना के घर होत हुए नहर तक सी0सी0 कार्य	जीएस बी	46-43 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रिड 9-5-2-36एम.एम स्टोन ग्रिड 2-36 & से कम	29-72 एम ³ 11-75 एम ³ 17-83 एम ³	110/एम ³ 110/एम ³ 110/एम ³	3269 1292 1961			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	27-6 एम ³ 120 एम 2 88-50 एम ³	कोर्स सेंड डाला ग्रिट	6-96 एम ³ 2-42 एम ³ 39-83 एम ³ 79-65 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³ 150/एम ³ 160/एम ³	1044 363 5974 12744	26647	16425	10222
30.	विकास ख.ड फतह म.डाव ग्राम सभा मोलनापुर मिश्रौली के अन्तर्गत अनुसूचित बस्ती (मिश्रौली) में नाली निर्मा.।	पीसीसी1:6:12	21-6 एम ³	कोर्स सेन्ड	10-37 एम ³	110/एम ³	1555			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी	66-0 एम ³ 398-4 एम 2 21-89	कोर्स सेंड डाला ग्रिट	16-63 एम ³ 8-03 एम ³ 9-85 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³	2494 1204 1477 3152	9882	6379	3503

		1:2:4	एम ³		19-70 एम ³	150/ए म ³ 160/ए म ³				
31.	विकास ख.ड फतह म.डाव पर सियाजयरामगिरि में प्रा0पा0 बन्धे से जय प्रकाश यादव के खेत तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	37-14 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम स्टोन ग्रेड 2-36 &से कम	23-77 एम ³ 9-40 एम ³ 14-26 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	2614 1034 1568	21315	13084	8231
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसी सी1:2:4	22-08 एम ³ 96 एम 2 70-80 एम ³	कोर्स सेंड डाला ग्रेड	5-56 एम ³ 1-94 एम ³ 31-86 एम ³ 63-72 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	834 291 4779 10195			
32.	कोपागंज ग्राम पंचायत दुगौली में जगधारी राजभर के बगीचा से मर्मन राजभर के घर तक इ.टरलाकिंग कार्य।	जीएस बी	47-77 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम स्टोन ग्रेड 2-36 &से कम	31-85 एम ³ 12-59 एम ³ 19-12 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	3503 1385 2103	8164	521	7643
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर	20-7 एम ³ 129 एम 2	कोर्स सेंड	5-22 एम ³ 2-60 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³	783 390			

33.	कोपागंज ग्राम सभा कुतुबपुर खितन यादव के ट्यूबवेल से लेकर सन्तोष यादव के घर होते हुए वर्जला पिच मार्ग तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	24-55 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन ग्रेड 2-36 & से कम	15-71 एम ³ 6-21 एम ³ 9-43 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	1728 683 1037	12639	6740	5899
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	17-48 एम ³ 40 एम 2 39-8 एम ³	कोर्स सैंड डाला ग्रेड	4-35 एम ³ 0-81 एम ³ 17-91 एम ³ 35-82 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	652 121 2687 5731			
34	कोपागंज ग्राम पंचायत दुगौली में हरिश्चन्द्र मौर्य के खेत से हरिनाथ गोंड के खेत तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	21-75 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-5एम.एम. स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम. स्टोन ग्रेड 2-36 & से कम	13-92 एम ³ 5-50 एम ³ 8-35 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	1531 605 918	12415	7029	5386
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	21-73 एम ³ 40 एम 2 39-80 एम ³	कोर्स सैंड डाला ग्रेड	5-48 एम ³ 0-81 एम ³ 17-91 एम ³ 35-82 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	822 121 2687 5731			
35.	विकास ख.ड घोसी ग्राम सभा	जीएस बी	27-78 एम ³	स्टोन ग्रेड 53-9-	17-78 एम ³	110/ए म ³	1955 773	16325	स्टोन एमण्	3902

	हमीरपुर में एन0एच0 29 से रामनारायन के घर तक सी0सी0 कार्य।			5एम.एम. स्टोन ग्रिड 9-5- 2- 36एम.एम. . स्टोन ग्रिड 2-36 & से कम	7-03 एम ³ 10-67 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³	1174		मण् .11 प्राप्त नहीं है बवंतेम ेंदक का 5।ए मडव डाला गि ट का 54एमड का एमण् मण् .11प्राप्त त्े. 12423	
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्ट र पीसी सी1:2: 4	39-38 एम ³ 154 एम 2 49-50 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	9-92 एम ³ 3-10 एम ³ 22-28 एम ³ 44-55 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1488 465 3342 7128			
36.	विकास ख.ड रतनपुरा परमानन्दपट्टी गांव पोखरे से अनुसूचित बस्ती तक सी0सी0 कार्य।	जीएस बी	55-25 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9- 5एम.एम. स्टोन ग्रिड 9-5- 2- 36एम.एम. . स्टोन ग्रिड 2-36 & से कम	35-36 एम ³ 13-98 एम ³ 21-22 एम ³	110/ए म ³ 110/ए म ³ 110/ए म ³	3890 1537 2334			
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	31-05 एम ³ 90 एम 2 89-54 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	7-82 एम ³ 1-81 एम ³ 40-29 एम ³ 80-59 एम ³	150/ए म ³ 150/ए म ³ 150/ए म ³ 160/ए म ³	1173 271 6043 12894	28142	—	28142
37.	विकास ख.ड बड़राव घोसी पकड़ी मार्ग से जमीन कैथवली	जीएस बी	28-24 एम ³	स्टोन ग्रिड 53-9- 5एम.एम.	18-07 एम ³ 7-14 एम ³ 10-84	110/ए म ³ 110/ए	1987 785 1192	15119	7709	7410

	पिच से उमेश के घर तक सी0सी0 कार्य।			स्टोन ग्रेड 9-5-2-36एम.एम	एम ³	म ³ 110/एम ³				
		ब्रिक वर्क 1:4 प्लास्टर पीसीसी 1:2:4	43-12 एम ³ 134-90 एम 2 43-12 एम ³	कोर्स सेंड डाला गिट	10-86 एम ³ 2-27 एम ³ 19-40 एम ³ 38-80 एम ³	150/एम ³ 150/एम ³ 150/एम ³ 160/एम ³	1629 408 2910 6208			
								906730	468439	438291

उपरोक्तानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज सामग्री के सापेक्ष पत्रावली में एम.एम.-11 संलग्न न कर या फिर कम कर, प्रयुक्त खनिज की मात्रा पर कुल रायल्टी ₹0 438291.00 से कम कटौती करके, राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। शासनादेश सं0-3385ध्86.15.292ध्2015दिनांक 15.10.2015 बिन्दु सं0-3(3) के अनुसार रायल्टी की कटौती न होने की दशा में 6 गुना धनराशि ₹0 2629746.00 वसूली योग्य है। उक्त का दायित्व वित्तीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द एवं लेखाकार श्री जय प्रकाश मिश्र का रहा। इनसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

शासनादेश सं0-1408/23-03-2009-62(जनरल)/08दिनांक08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं विटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा, जब विटुमिन की मूल इनवायस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाय। परन्तु पिच व लेपनकार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार को बिना मूल इनवायस प्राप्त किये भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 में ₹0 1732693.84 का अनियमित विटुमिन/इमल्शन क्रय के सापेक्ष भुगतान किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द व अभियन्ता जिलापंचायत स्व0 देवेन्द्र विक्रम सिंह तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरणनिम्न है:-

क्र म सं 0	कार्य का विवरण	हिमकोल एस एस -2पी कोट इमल्सन			टैक कोट			20एम.एम. -ट्रैक			सील कोट			कुल धनराशि
		मात्रा	दरप्रति किया0	धनराशि T	मात्रा	दरप्रतिकि ग्रा0	धनराशि	मात्रा T	दरप्रतिकि किया0	धनराशि	मात्रा	दरप्रतिकि ग्रा0	धनराशि	
1.	ग्राम सभा काझा बीच बाजार से काझा उत्तर हरिजन बस्ती पिलुकुमार के घर तक विशेष मरम्मतकार्य	2100 किया	31- 842	6686 8-20	900 किया	34- 82	31338-00	43 80 कि ग्रा	34- 82	152511- 60	1950 किया	34-82	67899- 00	318616- 80
2.	मधुबन बेल्थरा मुख्य मार्ग से दिलई फिरोजपुर तक लेपन मरम्मत के अवशेष भाग पर विशेष मरम्मत कार्य।	2100 कि ग्रा	31- 842	6686 8-20	900 किया	34- 82	31338-00	43 80 कि ग्रा	34- 82	152511- 60	1950 किया	34-82	67899- 00	318616- 80
3.	बड़राव में ग्राम सभा रजपुरा में ही रासोनकर के खेत से सकल चौहान के घर तक पिच मरम्मत कार्य।	630 कि ग्रा	33- 94	2138 2-20	630 किया	37- 41	23568- 30	26 28 कि ग्रा	37- 41	98313- 48	1170 किया	37-41	43769- 70	187033- 68
4.	बनपोखरा पक्की सड़क पुल से कुसहा सम्पर्क मार्ग तक सामान्य मरम्मत कार्य।	153 3 कि ग्रा	31- 82	4878 0-06	657 किया	34- 82	22876- 74	31 97 -4 कि ग्रा	34- 82	111333 -47	1423- 50 किया	34-82	49566- 27	232556- 54
5.	घोसी मधुबन मुख्य मार्ग से कुडा शरीफहरिजन बस्ती तक सामान्य लेपन मरम्मत कार्य।	152 2-5 कि ग्रा	31- 82	4844 5-95	761- 25 किया	34- 82	26506- 73	31 75 -5 कि ग्रा	34- 82	110570 -91	1413- 75 किया	34-82	49226- 78	234750- 37
6.	सोमारीडीह अम्बेडकर मूर्ति से गौरीडीह चौहान बस्ती तक लेपन कार्य।	399 कि ग्रा	34- 84	1549 7-16	199- 5 किया	37- 41	7463-30	83 2- 2 कि ग्रा	37- 41	31132- 60	370-5 किया	37-41	13860- 41	67953- 47
7.	बोझी कटिहारी पिच मार्ग से पलिया गांव तक पिच मरम्मत कार्य।	105 0 कि ग्रा	33- 94	3563 7-00	525 किया	37- 41	19640- 25	21 90 कि ग्रा	37- 41	81927- 90	975 किया	37-41	36474- 75	173679- 90
8.	पहसा इटौरा मार्ग से छतरपुरा होतेहुए जगदीशपुर गांव तक लेपन मरम्मत का अवशेष भाग	493 -5 कि ग्रा	34- 45	1700 1-08	720 किया	31- 55	22716- 00	35 04 कि ग्रा	31- 55	110551 -20	1560 किया	31-55	49218- 00	199486- 28
														1732693- 84

प्रस्तर-5

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग 30प्र0 लखनऊ के पत्रांक-सी.ई.सी.जेड.सा-7 दिनांक 31.01.2007 द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टर लाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक निर्देश दिये गये हैं। इनके अनुसार इण्टर लाकिंग टाइल्स का प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक 50 टाइल्स में एक टाइल्स की गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही सही गुणवत्ता वाली टाइल्सों का प्रयोग ही इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न विवरणानुसार इण्टरलाकिंग कार्य कराये गये हैं-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1.	टडियाव में सम्पर्क पिच रोड से ठाकुरजी के मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य।	779408.00	इण्टरलाकिंग कंक्रीट ब्लाक की टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
2.	बड़राव में अम्बेडकर प्रा०वि० सबरहद विरैचा सम्पर्क मार्ग से डा० नईम के घर होते हुए पोखरी तक इण्टर लाकिंग कार्य	912800.00	मात्र एक पेवर्सब्लाक की टेस्टिंग कराई गई है।
3.	ब्लाक घोसी में डा० खुर्शीद अहमद के मकान से इश्ताक के मकान तक इण्टर लाकिंग कार्य।	546896.00	मात्र एक पेवर्स ब्लाक की टेस्टिंग कराई गई है।
4.	बड़राव में ग्राम पंचायत टेघनी में प्रभुनाथ गुप्ता के घर से रविन्द्र सिंह व अशोक सिंह के घर होत हुए पिचरोड तक इण्टर लाकिंग कार्य।	980560.00	मात्र एक पेवर्सब्लाक की टेस्टिंग कराई गई है।
5.	ग्राम पंचायत डगौली में जगधारी राजभर के बगीचा से मर्म नराजभर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	683200.00	एक भी पेवर्सब्लाक की टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
6.	विकास खण्ड घोसी में ग्राम सभा जैनापुर सरवरपुर ग्राम सभा भावनपुर में गनपत के घर से रामशब्द के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य का अवशेष भाग का कार्य।	665677.00	मात्र 5 पेवर्सब्लाक का टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
7.	रतपुरा ब्लाक में मखना इटौरा पिच मार्ग से मखना राजभर बस्ती मूरत राजभर के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।	796992.00	मात्र 5 पेवर्सब्लाक का टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
	योग:	5365533.00	

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि क्रमांक-1 व 5 की पत्रावली में एक भी टाइल्स टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है तथा क्रमांक-2, 3 व 4 की पत्रावली में मात्र एक टाइल्स की टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न रहा तथा क्रमांक-6 एवं 7 की पत्रावली में मात्र 5 टाइल्स टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न रहा। इस प्रकार 7 कार्यों पर कुल धनराशि ₹ 5365533.00 व्यय किया गया है। परन्तु टाइल्स टेस्टिंग का प्रमाण-पत्र नियमानुसार न प्रस्तुत कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द, अभियन्ता स्व० लाल देवेन्द्र विक्रम सिंह एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव का रहा। उक्त अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

निम्नांकित निर्माण कार्यों के पूर्ण कराये जाने में, कार्य के पटरी निर्माण कार्य में मिट्टी कार्य पर व्यय किया गया है जबकि निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न अन्तिम चरण के फोटोग्राफ से स्पष्ट होता है कि पटरी पर मिट्टी पटायी का कार्य नहीं कराया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य के पटरी निर्माण में लगी मिट्टी की मात्रा	दर प्रति घनमी०	मूल्य
1.	बड़राव में ग्राम पंचायत टेघनी में प्रभुनाथ गुप्ता के घर से रविन्द्र सिंह व अशोक सिंह के घर होते हुए पिच रोड तक इण्टर लाकिंग कार्य अवर अभियन्ता इन्द्रजीत प्रसाद	126 घन मी०	156.00	19656.00
2.	ग्राम सभा सराय सादी में सौर ऊर्जा प्लांट से अयोध्या के घर तक सी.सी. कार्य अवर अभियन्ता इन्द्रजीत प्रसाद	153 घनमी०	73.00	11169.00
3.	हृदय पट्टी में प्राथमिक विद्यालय से शैलेन्द्र सिंह आजाद के दरवाजे तक सी.सी. कार्य अवर अभियन्ता श्वेता यादव	60 घनमी०	73.00	4380.00
4.	लड्डपुर राम सनेही धरकार के घर से जयराम के घर तक सी.सी. कार्य अवर अभियन्ता श्वेता यादव	86 घनमी०	73.00	6278.00
5.	घोसी के ग्राम सभा पवनी में रामानन्द के घर से राममिलन यादव के घर तक सी.सी. कार्य अवर अभियन्ता श्वेता यादव	158 घनमी०	73.00	11534.00
6.	ब्लाक रतनपुरा में रजमलपुर में अम्बेडकर स्कूल तक सी.सी. कार्य अवर अभियन्ता इन्द्रजीत प्रसाद	228 घनमी०	73.00	16664.00
7.	ग्राम सभा तिलारी भरौली चकजमीन में श्री कान्तचैरसिया के घर से जगरनाथ पिता शिवनाथ के घर तक सी.सी. कार्य अवर अभियन्ता इन्द्रजीत प्रसाद	160 घनमी०	73.00	11680.00
8.	ग्राम सभा हृदय पट्टी ग्राम रसूलपुर गौतम में चन्द्रभूषण सिंह के दरवाजे से रामनगीना के घर होते हुए नहर तक सी.सी. कार्य अवर अभियन्ता श्वेता यादव	83.88 घनमी०	73.00	6123.00
	योग:	1054.88 घनमी०		87484.00

उपरोक्तानुसार पटरी कार्य पर बिना मिट्टी पटाई के भुगतान करके राजकीय धनराशि का अपहरण अवर अभियन्ताओं, अभियन्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं ठेकेदार की मिली-भगत से किया गया है। अतः उक्त धनराशि ₹ 87484.0 की ब्याज सहित वसूली अभियन्ता स्व० देवेन्द्र विक्रम सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द व कार्यों के अवर अभियन्ताओं श्री इन्द्रजीत एवं श्रीमती श्वेता यादव से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-7

वर्ष 2020-21 के निम्नांकित खड्जा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में बेसपर खड्जा बिछने के पश्चात् पटरी निर्माण कार्य में आवश्यकता से अधिक मिट्टी पर व्यय दिखा कर राजकीय अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की मद	न०-	एल	बी	डी/एच	क्वांटि टी-	अभियुक्ति
1.	एन.एच.-29 से डोडा गांव तक मिट्टी/सोलिंग कार्य अवर अभियन्ता इन्द्रजीत	बेसपर खड्जा बिछने के बाद पटरी निर्मा.	1x2	700	0-75	0-60	630-00 एम ³	प्राक्कलन में दर्शित है।
			1x2	700	0-75	0-15	157-50	लेखा परीक्षा

	प्रसाद						एम ³	के अनुसार होना चाहिए।
2.	बड़वाँ में कोलौरापुल से उत्तरनहर के पश्चिम बन्धा होते एस. एस.बी. स्कूल बहरामपुर तक मिट्टी/सोलिंग कार्य अवर अभियन्ता इन्द्रजीत प्रसाद	बेसपर खड्गजा बिछने के बाद पटरी निर्मा.	1x2 1x2	1100 1100	0.75 0.95	0.35 0.30	577-50 <u>627-00</u> 1204-5 एम ³	प्राक्कलनमें दर्शित है।
			1x2	1100	0.95	0.15	313-5 एम ³	लेखा परीक्षा के अनुसार होना चाहिए।

लेखा परीक्षा के अनुसार होना चाहिए।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बेसपर खड्गजा बिछने के बाद ईट की ऊँचाई लगभग 12 सेमी० होगी। अस्तु पटरी बनान में अधिक से अधिक 15 सेमी० ऊँचाई की मिट्टी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रथम कार्य पर मात्र 157.50 घनमी० मिट्टी तथा द्वितीय कार्यपर मात्र 313.50 घन मी० मिट्टी की ही आवश्यकता होगी। अर्थात् दोनों कार्यो पर कुल-रु० 63015(5/1204-5-313.5/1363-50 मूल्य दर रु० 73/-प्रति घन मी से रु० 99535.50 अधिक मूल्य की मिट्टी को प्राक्कलन एवं तदुसार एम०बी० में दर्शित कर राजकीय अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त का दायित्व अवर अभियन्ता श्री इन्द्रजीत प्रसाद, अभियन्ता स्व० देवेन्द्रविक्रम सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द का रहा। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु० 99535.50 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में तीनों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्य ग्राम सभा ढाढाचवर में विक्रान्त के ट्यूबवेल से रामप्रवेशचैहान के घर तक सी.सी. कार्य के प्राक्कलन में 125 माइक्रोनपालीथीन की 900 वर्गमी० मात्रा दर रु० 28/-प्रति वर्गमी० की दर से रु० 25200.00 का प्रावधान अलग से किया गया है जबकि पी.सी.सी. कार्य के रेट /दर में उक्तपालीथीन का मूल्य शामिल रहता है। ऐसेमेंपालीथीन का अलग से प्रावधान कर के ठेकेदार की मिलीभगत से धन अपहरण का कार्य किया गया है। उक्त का दायित्व अवर अभियन्ता श्री इन्द्रजीतप्रसाद, अभियन्ता स्व० देवेन्द्रविक्रम सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्दकुमार आनन्द का रहा। अतः सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली तीनों से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9

वर्ष 2020-21में राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्य "ग्राम सभा रमऊपुर में रामासाहनी के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य" के प्राक्कलन में पुलिया के दोनों तरफ $(2 \times 43 \times (5+4) / 2 \times (1.5+0.5) / 3)$ माप का मिट्टी कार्य कराया गया है। कुल 387.00 घनमीटर का मूल्य रु० 245.00 प्रति घनमी० की दर से रु० 94815.00 का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

जबकि कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ देखने से यह स्पष्ट होता है कि पुलिया निर्माण कार्य खेत के पास, गांव एवं आवादी से बिल्कुल दूर है। अर्थात् कार्टेज मिट्टी का प्रश्न ही नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में 387.00 घमी० मिट्टी का मूल्य दर रु० 73.00 प्रति घनमी० से रु० 28251.00 ही होना चाहिए।

अर्थात् मिट्टी के दर में वृद्धि कर कुल ₹0 66564.00 मिट्टी पर अधिक व्यय का प्रावधान व भुगतान कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका दायित्व अवर अभियन्ता श्रीमती श्वेता यादव, अभियन्ता स्व० देवेन्द्रविक्रम सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द का रहा। अतः सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तीनों से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्य "जिला पंचायत डाक बंगले का सुन्दरी करण एवं सूट नं०-1 व 2 में टाइल्स एवं रंगाई पोताई का कार्य।' की पत्रावली की जांच में यह पाया गया कि निम्न प्रकार डाक बंगले में इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रानिक सामानों को नया क्रय करते हुए लगाया गया है।

क्रम सं०	सामग्री का नाम	दर	मूल्य	
1.	5अदद स्पिलिट एसी	49950.00		249750.00
2.	2 अदद विंडो एसी	44900.00		89800.00
3.	2 अदद गीजर	14999.00		29998.00
4.	6 अदद सीलिंग फैन	2500.00		15000.00
	योग			384548.00

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार डाक बंगले में लगे पुराने सामानों को अनउपयोगी बताते हुए निकाला गया है। जिसके अनुपयोगी होने के सम्बन्ध में कोई तकनीकी रिपोर्ट संलग्न नहीं रहा तथा उन अनुपयोगी सामानों में से एक अदद स्पिलिट एसी को डायनिंग रूप में लगा देने का भी विवरण दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि समस्त सामान क्रियाशील थे जिन्हें बदलकर/नया क्रय कर राजकीय अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः उक्त सामग्री क्रय में लगी समस्त धनराशि ₹0 384548.00 वसूली योग्य है। उक्त धनराशि की वसूली अभियन्ता स्व० लालदेवेन्द्रविक्रम सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्दकुमार आनन्द तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव से ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्य "ग्राम सभा ढाढाचवर में विक्रान्त के ट्यूबवेल से रामप्रवेश चौहान के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य" की पत्रावली की जाँच में यह पाया गया कि दिनांक 28.11.2020 को श्री भारत भीम जनार्दन चौहान के शिकायती-पत्र के क्रम में अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि सी०सी० कार्य पूरी तरह उखड़ गया है तथा कार्य आगणन के प्रावधानों एवं अनुबन्ध/शर्तनामा की शर्तों के अनुसार नहीं कराया गया है जिसे पुनः आगणन के अनुसार सही कराने का निर्देश दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में अभियन्ता जिला पंचायत के द्वारा दिनांक 18.12.2020, 30.12.2020 एवं 20.01.2021 को ठेकेदार श्री अमित कुमार राय को पत्र दिये जाने के बावजूद भी कार्य ठीक नहीं कराया गया।

उक्त कार्य पर कुल व्यय ₹0 1613920.00 किया गया है जिसका अन्तिम भुगतान दिनांक 28.05.2020 को किया गया है। इस प्रकार निर्माण कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष के अन्दर ही सी0सी0 रोडपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया जिससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया था।

अतः कार्य को निर्धारित मानकों के अधीन पूर्ण (दुरुस्त) कराया जाय। कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण (दुरुस्त) न होने की स्थिति में कार्य पर व्यय समस्त धनराशि ₹0 1613920.00 को दुरुपयोगित मानते हुए उसकी वसूली ठेकेदार श्री अमित कुमार राय से की जानी अपेक्षित है तथा ठेकेदार से वसूली न होने की स्थिति में उक्त की बायज सहित वसूली अवर अभियन्ता श्री इन्द्रजीत प्रसाद, अभियन्ता स्व0 लालदेवेन्द्रविक्रम सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

वर्ष 2020-21 में ईट-भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर के जाँच में पाया गया कि जिला पंचायतमऊ के अन्तर्गत कुल 371 भट्ठे संचालित हैं। जिसमें से मात्र 141 ईट-भट्ठों का ही नवीनीकरण हुआ है। जिससे कुल ₹0 407070.00 की वसूली हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-1152/33-2-217-62(जी)/17 दिनांक 04 अप्रैल 2018 द्वारा जिला पंचायतों के लाइसेंस फीस में एक रुपता लाने हेतु निर्धारित किया गया है। जिसमें फिक्सचीमनीईट-भट्ठा(20 पाया तक) के लिए ₹0 10000.00 एवं(20 पाया) से अधिक वाले चीमनी के लिए ₹0 15000.00 लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उक्त शासनादेश के क्रम में वर्ष 2020-21 में कुल 147ईट-भट्ठों से वसूल की गयी लाइसेंस शुल्क अधिकतम ₹0 2050.00 प्रति भट्ठा की दर से स्पष्ट होता है कि कुल ₹0 7950.00 प्रति ईट-भट्ठे से कम लाइसेंस शुल्क की वसूली की गयी है। अर्थात् कुल ₹0 1168650.00 की कम लाइसेंस शुल्क की वसूली की गयी है तथा शेष 224 ईट-भट्ठों से वसूली न कर प्रति ईट-भट्ठा ₹0 10000/-प्रति की दर से कुल ₹0 2240000.00 की क्षति पहुँचायी गयी है।

अर्थात् वर्ष 2020-21में कुल ₹0 1168650.00 की कम लाइसेंस शुल्क की वसूली करके एवं ₹0 2240000.00 लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर कुल ₹0 3408650.00 की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए कार्य अधिकारी डा0 वीरेन्द्र बहादुर पटल लिपिक श्री राजेश कुमार तथा प्रत्येक ब्लाक के कर निरीक्षक एवं सहायक कर निरीक्षक तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्दपूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	कार्यरत भट्ठों की सं0	नवीनीकरण किये गये ईट भट्ठों की सं0	नवीनीकरण से प्राप्त धन	नवीनीकरण में कम ली गयी धनराशि	नवीनीकरण न किये गये ईट भट्ठों की सं0	नवीनीकरण न होने से क्षति ₹0 में	ब्लाक में कार्यरत कर निरीक्षक/ सहायक कर निरीक्षक
1.	परदहं	36	14	30670.00	111300.00	22	220000.00	श्री अमरेन्द्रराय
2.	फतेहपुर मण्डाव	41	09	29865.00	71550.00	32	320000.00	श्री कन्हैया श्रीवा0 /श्री सन्तोष

3.	बड़राव	34	18	47810.00	143100.00	16	160000.00	श्री अनिलकुमार राव
4.	दोहरी घाट	34	06	15585.00	47700.00	28	280000.00	श्री सन्तोष
5.	घोसी	36	10	24605.00	79500.00	26	260000.00	श्री कन्हैया श्रीवा
6.	रतनपुरा	31	18	43445.00	143100.00	13	130000.00	श्री ओमप्रकाश
7.	कोपागंज	63	38	118830.00	302100.00	25	250000.00	श्री रामकेवल
8.	रानीपुर	49	18	50310.00	143100.00	31	310000.00	श्री चन्द्रमोहन चौहान
9.	मोहम्मदा बाद							
गोहना	47	16	45950.00	127200.00	31	310000.00	श्री ओमप्रकाश/ श्री रामकेवल	
	योग:	371	147	407070.00	1168650.00	224	2240000.00	

प्रस्तर-13

वर्ष 2020-21में जिला पंचायत मऊ द्वारा विभिन्न प्रकार के कर/करेतर से राजस्व प्राप्त किये जाते हैं निम्न आकड़ों के अनुसार ₹ 73.85लाख वर्षान्त में अवशेष दर्शित है। वसूली वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत वसूली न किया जाना शिथिलता का द्योतक है।

क्रम सं०	मद का नाम	गतवर्ष का बकाया	वर्ष की मांग	योग	वर्ष की वसूली	अवशेषवसूली
1.	सम्पत्ति एवंविभवकर	32.18	26.16	58.34	25.97	32.37
2.	लाइसेंस	3.30	4.07	7.37	4.07	3.30
3.	मृतपशु शव निस्तारण	0.10	-	0.10	-	0.10
4.	सम्पत्ति से आय दुकान/भवनकिराया	16.64	6.95	23.59	5.79	17.80
5.	नौका घाट	1.75	-	1.75	-	1.75
6.	मेलाप्रदर्शनी	0.02	-	0.20	-	0.02
7.	हाटबाजार एवंतहबाजारी	3.11	-	3.11	-	3.11
8.	पड़ावअड्डा	14.90	-	14.90	-	14.90
9.	काजीहाउस	0.50	-	0.50	-	0.50

10.	तरुपालन	-	-	कृ	-	-
	योग:	72.50	37.18	109.68	35.83	73.85

उपरोक्तानुसार निजी स्रोतों से आय की वसूली समय से नहीं किये जाने के कारण रु0 73.85 लाख की क्षति पहुँचायी गयी है। इसके लिए कार्य अधिकारी डा0 वीरेन्द्र बहादुर पटेल एवं सभी कर निरीक्षक/सहायक कर निरीक्षक एवं अपर मुख्य अधि0 श्री अरविन्द कुमार आनन्दपूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। साथ ही दुकान/भवनकिराया की मांग में प्रत्येक तीन वर्ष के बाद नियमानुसार वृद्धि नहीं की गयी है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कर अनुभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन एवं अन्य भत्ता मद में कुल भुगतान रु0 133.72 लाख है, जिसके सापेक्ष वसूली मात्र 35.83 लाख है जिससे स्पष्ट है कि वसूली के सापेक्ष वेतन का भुगतान लगभग 3.73 गुना अधिक है। उक्त अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर14

निर्माण कार्य रजिस्टर/प्रपत्र संख्या-6 क की जाँच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य जो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ किये गये थे परन्तु सम्बन्धित कार्य 31.03.2021 की समाप्ति तक भी पूर्ण नहीं किये जा सके हैं जिससे किये गये व्यय अलाभकारी रहा। विवरण निम्न है:-

क्रम सं०	कार्य का नाम	वर्ष 2019.20 तक/मैसम्बन्धित कार्य पर व्यय की गयी धनराशि	वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित कार्य पर व्यय की गयी धनराशि	स्टीमेट के अनुसार कार्य पर व्यय की जानेवाली धनराशि
1.	विकास खण्ड परदहा में अजीत विश्वकर्मा के घर से ग्राम सभा भार पिच रोड तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	556160.00	-	7.58 लाख
2.	फतेहपुरमण्डाव में ग्राम सभा मतकौली के मौजा (भिषहा) प्रा०वि० से राहुल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	608160.00	-	7.34 लाख
3.	ग्राम सभा देवसीपुर में बृजभान पासवान के घर से सुजीत सिंह के घर तक सी.सी. कार्य	1848000.00	-	20.79 लाख
4.	ग्राम सभा धवरियासाथ हिलसाकोडरा सम्पर्क मार्ग से धर्मेन्द्र यादव, बेचन के घर तक सी.सी. कार्य।	605136.00	-	11.63 लाख.
5.	ग्राम सभा नसोपुर में गुरफान के खेत से भाटा पारसरहद तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	396740.00	-	7.59. लाख
6.	रामगढ़ में विजयी प्रजापति के दरवाजे से जनार्दन उपाध्याय के दरवाजे तक सी.सी. कार्य।	510720.00	-	7.28 लाख
7.	अमिला कुसम्हा पिचमार्ग से कुसम्हा चक तुरन्त होते हुए सभासरन पंडित के ट्यूबवेल तक सोलिंग कार्य।	540960.00	-	8.89 लाख
8.	बडराव अतरसावा में बोझी मादीमार्ग से ब्रह्मानन्द यादव के घर तक लेपन कार्य।	616000.00	-	12.32 लाख
9.	बोझी बाजार में प्रा०पा० तक सामान्य लेपन मरम्मत का अवशेष भाग पर कार्य	193760.00	-	3.26 लाख
10.	केपागंज ग्राम सभा सरवा में दशरथ के घर से नरजाताल तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	406224.00	-	7.77 लाख
11.	मुहम्मदाबाद चिरैयाकोट मार्ग से करहा सरहद होते हुए	680960.00	-	9.93 स्वे. लाख

	रामअवध के खेत तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।			
12.	ग्राम सभा में पिच रोड से गोरख राय के खेत से पहलवान चौहान के भट्ठे होते हुए विजयी पटेल के खेत तक सोलिंग कार्य।	888160.00	-	11.71लाख
13.	अली नगर पिचरोड से पवन त्रिपाठी के मकान से संदीप राजभर के घर तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	338240.00	-	6.29लाख
14.	परसियाजयरामगिरि में कल्लन अहमद के घर से भूषण के घर तक सी.सी. कार्य।	214480.00	-	2.71लाख
15.	ग्राम सभा बैजापुर में रामविलास शर्मा के घर से हरिकेश यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	595840.00	-	6.69. लाख
16.	ग्राम सभा दाउदपुर बाहा पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य।	600320.00	-	7.75 लाख
17.	अलीनगर इन्दारा सम्पर्क मार्ग से पूरब सीमात क सोलिंगकार्य।	384160.00	-	5.94लाख
18.	मुहम्मदाबाद केरमा ग्राम सभा से बरहद तक सोलिंग कार्य।	693280.00	-	7.78लाख
19.	हथिनी पीच रोड से हथिनी शीतला माता स्थान तक सी.सी. कार्य।	926240.00	-	17.28लाख
20.	ग्राम पंचायत हृदय में देवल बाबा मन्दिर से पिच सम्पर्क मार्ग हृदयपट्टी तक सी.सी. कार्य।	966540.00	-	14.99लाख
21.	बड़राव में जमालपुर विक्कमपुर पिच रोड से जमालपुर फौजदार राम के घर तक सी.सी. कार्य।	151200.00	-	5.41 लाख
22.	ग्राम सभा गुरमा पिच रोड से भानू सिंह के दरवाजा होते हुए भूल्लन धोबी के घर तक सी.सी. कार्य।	480480.00	-	5.37 लाख
23.	बोझी बाजार से सवरहद विरैचा रामभवन मौर्या के घर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण।	2377424.00	-	27.97लाख
24.	रसूलपुर में पिच रोड से हमीरपुर सरहद तक सी.सी. कार्य।	333760.00	-	9.20 लाख
25.	हमीरपुर में रहमत के घर से शम्श के घर तक सी.सी. कार्य।	822080.00	-	9.20 लाख
26.	ब्लाक रतनपुरा में अतरौल इटैली मार्ग से अंशु का घर होते हुए राम अधार सिंह के घर तक सी.सी. कार्य।	478240.00	-	6.00 लाख
27.	ग्राम सभा माणिकपुर असना में भटौली रोड से सर्वेश यादव के घर तक सोलिंग कार्य।	530880.00	-	5.68 लाख
28.	भात कोल मार्ग से ललित मिश्रा के स्कूल तक अवशेष भाग का सी.सी. कार्य।	423260.00	-	4.99 लाख
29.	बड़ी देवरिया मनीराम राजभर के घर से गांव तक सी.सी. कार्य।	500000.00	-	6.75 लाख
30.	ग्राम पंचायत चकौत घोसी सूरजपुर मार्ग से चकरधनदास कुटी तक सी.सी. कार्य।	1638580.00	-	20.17 लाख
31.	घोसी मुहम्मदाबाद रोड से विक्कमपुर हनुमानजी मन्दिर से विक्कमपुर चौहान बस्ती तक नाली निर्माण कार्य।	238560.00	-	9.97 लाख
32.	मीरपुर मुहम्मदाबाद दरियाबाद में सुदर्शन राजभर के दरवाजे से मिट्टू कुम्हार के दरवाजे तक सी.सी. कार्य।	476000.00	-	5.60 लाख
33.	बड़राव में ग्राम सभा कन्धेली कैलाश चौहान के घर से छट्ठू राजभर के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य।	-	395360.00	5.23 लाख
34.	घोसी मधुबन मुख्य मार्ग से कुण्डा शरीफ हरिजन बस्ती तक सामान्य लेपन मरम्मत कार्य।	-	711200.00	8.98 लाख
35.	मधुबन मवेशी खाना का मरम्मत कार्य।	-	40992.00	0.92 लाख

36.	फतेहपुर ताल रतोय मवेशी खाना का मरम्मत कार्य।	-	56000.00	0.88 लाख
37.	बडराव में करनपुर बडराई से स्कूल तक विशेष लेपन मरम्मत कार्य।	-	532000.00	8.39 लाख
38.	ग्राम रसड़ी के डीहस्थान से लालचन्द सिंह के घर तक लेपन कार्य।	-	887040.00	21.95 लाख
39.	वृहद गोसंरक्षण केन्द्र कुडवा का बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं मिट्टी भराई कार्य।	-	560000.00	9.99 लाख
40.	ग्राम सभा सूरजपुर में कुटी से गुलाबराय के घर तक सी.सी. कार्य।	-	592480.00	7.48 लाख
41.	परशुपुरा पिच रोड से रामकेस राम के घर तक सी.सी. कार्य।	-	415520.00	5.98 लाख
42.	मऊ रानीपुर मार्ग चौहान चौक से ग्राम सभा ठकुरमनपुर तक लेपन मरम्मत कार्य।	-	716800.00	9.00 लाख
43.	शेखमदपुर कोलौरा पिचमार्ग से करजौली खडंजा से बाबा सरजूदास अनाथालय तक सोलिंग कार्य।	-	882500.00	11.42 लाख
44.	सरौदा राम सम्पर्क मार्ग से वीरबल पासवान के घर से सरौदा तक लेपन मरम्मत कार्य।	-	1526560.00	19.26 लाख
45.	ग्राम सभा सरौदा विनोद के घर से यादव बस्ती तक लेपन मरम्मत कार्य।	-	1518720.00	19.26 लाख
46.	ग्राम सभा गोठा के समीपनहर से प्रहलाद यादव के खेत एवं कैलाश के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	-	856800.00	9.82 लाख
47.	चकरा हॉल्ट रोड से भृगुनाथ के घर होते हुए हाजीपुर सीमा तक सोलिंग कार्य।	-	1101856.00	13.12 लाख
48.	बुकुची तलवा पिच से दशरथ के ट्यूब वेल होते हुए बस्ती सम्पर्क मार्ग तक खडंजा कार्य	-	1609440.00	19.63 लाख
49.	मऊ-बलिया मार्ग से मंसूर चक (परमानन्द पट्टी) तक पिच मरम्मत कार्य।	-	1499680.00	17.09 लाख
50.	मऊ-बलिया मार्ग से गढवा तक पिच मरम्मत कार्य।	-	1033760.00	14.81 लाख
51.	किसान मजदूर महाविद्यालय पिच रोड भानुपुर मुर्गी फार्म से पट्टीस्कूल तक सोलिंग कार्य।	-	959840.00	11.23 लाख
52.	ग्राम सभा पनियरा के फुलचन्द राजभर के घर से वनशक्ति माई के स्थान तक सोलिंग कार्य।	-	1302560.00	17.42 लाख
53.	ग्राम सभा अछार में पिच रोड से रविन्द्र राम के घर से मानिक चन्द के घर होते हुए पंचगडहीतकनालानिर्माणकार्य।	-	844480.00	10.00 लाख
54.	ग्राम सभा कन्धेली में सी.सी. रोड से भैंसही नदी तक सोलिंग कार्य।	-	604800.00	7.95 लाख
55.	भीटी बहादुरगंज मार्ग से नसोपुर उमा मार्ग तक विशेष मरम्मत कार्य।	-	713440.00	9.00 लाख
56.	सहरोज मतलूपुर मार्ग से सहरोज बगी चेतक सोलिंग कार्य।	-	520800.00	6.54 लाख
57.	ग्राम सभा गौहरपुर के समीप शिन्नु के खेत से मीरपुर सरहद तक सोलिंग कार्य।	-	917280.00	13.04 लाख
58.	घिचैरा देवकली से कटवास सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग कार्य।	-	629440.00	8.05 लाख
59.	ग्राम सभा इटौरा चैबेपुर के चन्दन बाबा के घर से राजभर बस्ती तक नाली निर्माण।	-	536480.00	10.07 लाख

60.	ग्राम सभा कुडसर पिच मार्ग से ग्राम सभा अतरौल पाण्डेय तक खडंजा कार्य।	-	1102976.00	16.33 लाख.
61.	भुजही पिच रोड से विरजू चैहान के घर तक सी.सी. कार्य।	-	748160.00	9.98 लाख
62.	रामविजय सिंह के ट्यूबवेल से सत्येन्द्र सिंह के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	-	514080.00	8.31 लाख
63.	मऊ-हलीमाबाद पिच मार्ग से हलीमाबाद गांव तक पिच मरम्मत कार्य।	-	673120.00	13.99 लाख.
64.	करहां जहानागंज मार्ग से तिलसवा सरहद तक सी.सी. कार्य।	-	1048480.00	14.41 लाख
65.	ग्राम सभा भात कोल मंगल चैहान के घर से बच्चन चैहान के खेत होते हुए पोखरी तक नाली निर्माण कार्य कवर सहित।	-	228480.00	3.99 लाख
66.	ग्रामसभामहुवार के समीपनहर से शेषनाथ सिंह के घरहोतेहुए हृदय सिंह के घरतकसोलिंगकार्य।	-	430080.00	8.11 लाख.
67.	लघुवाईराजभरबस्तीहोतेहुए मुस्तफाबादसिवानतकसोलिंगकार्य।	-	509600.00	6.90 लाख.
68.	ग्राम सभा सहरोज चकिया मुहम्मदपुर बन्धा से योगेन्द्र नाथ राय के खते से देई स्थान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	-	489440.00	9.99 लाख
69.	ग्राम सभा लघुवाई जाफर के घर से सफीउल्लाह के घर तक ढक्कनदार नाली	-	235200.00	3.35 लाख.
70.	ग्राम सभा हरियाव के रामलाल गौड़ के घर से सोनभरियां गांव तक सोलिंग कार्य	-	598080.00	7.84 लाख.
71.	ब्लाक कोपागंज में कोटवाकोपड़ा पिच रोड से पंचायत भवन तक सोलिंग कार्य।	-	415520.00	8.05 लाख
72.	युसुफपुर खडंजे से मक्खन सराय (देई स्थान) तक सोलिंग कार्य।	-	566720.00	9.70 लाख
73.	बाबूपुर राजभर बस्ती में नाली निर्माण।	-	742560.00	
74.	ग्राम सभा गोठा के समीप मोहन के घर से स्व रामकरन के घर तक नाली निर्माण कार्य।	-	828800.00	9.97 लाख
75.	रतनपुरा भीमपुरा मार्ग पर सेमराजपुर चट्टी से नहर की पटरी होते हुए सम्मनपुरा तक मिट्टी/ सोलिंग कार्य।	-	1538880.00	19.18 लाख.
76.	दोहरीघाट मधुबन मार्ग पर बेलौली में शक्करपुर तक पिच मरम्मत कार्य।	-	1457120.00	18.95 लाख
77.	मऊ-बलिया मार्ग से मरूखा नहर पुल तक सोलिंगकार्य।	-	689920.00	9.00 लाख
78.	ग्राम सभा खजुहा में शिव प्रसाद के घर से नहर साइफन तक ढक्कनदार नाली निर्माण।	-	604800.00	9.36 लाख.
79.	ग्राम सभा कोल्हुआ उपेन्द्र के घर से दरगाह मेन नाला तक ढक्कनदार नाली निर्माण।	-	607040.00	9.37 लाख
80.	सरवांडौरापिचमार्ग से हथिनीतकसी.सी. कार्य।	-	1164800.00	13.22 लाख.
81.	ग्रामसभागरथौलीझारखण्डीबाबा के मन्दिर से इटौरासम्पर्कमार्गतकपिचमरम्मतकार्य।	-	299936.00	4.97 लाख
82.	धरोहिया बाजार में सी0सी0 कार्य।	-	1015840.00	13.48 लाख.
83.	मुहम्मदाबाद गोहना चिरैयाकोट मुख्य मार्ग से प्रभुनाथ लेखपाल के घर होते हुए चैहान बस्ती तक सी.सी. नाली का अवशेष भाग का कार्य।	-	532000.00	7.62 लाख
84.	शारदा सहायक नहर पहाड़पुर पुल से मिर्जापुर तक लेपन कार्य।	-	591360.00	8.87 लाख

85.	सरौदा कुटी से पासपुरा होते हुए देवठारी प्रा०पा० सम्पर्क मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	-	702240.00	19.78 लाख
86.	मडैली पिच से मुस्तफाबाद यादव बस्ती तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	-	577920.00	7.39 लाख
87.	ढैचा बहादुरगंज बंधा से मझौवा हरिजन बस्ती तक सोलिंग कार्य।	-	734720.00	11.30 लाख.
88.	ब्लाक दोहरीघाट में ग्राम सभा सरफोरा मेन पिच से शिवानन्द पाण्डेय के घर तक सी० सी० कार्य।	-	397600.00	5.26 लाख
89.	ग्राम सभा सोडसर के रामदास राम के घर श्रीनिवास के घर होते हुए पोखरे तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य।	-	622720.00	11.64 लाख.
90.	गौहरपुर प्रा० पा० से मन्दिर तक सोलिंग कार्य।	-	200480.00	2.41 लाख
91.	ग्राम सभा भेड़कुल सुल्तानपुर में अखिलेश सिंह के खेत से शिवनाथ सिंह के घर तक सी.सी. कार्य।	-	504000.00	6.43 लाख
92.	रैनी के समीप श्रीनिवासराय के घर से सी.सी. के शेषभाग का सी.सी. कार्य।	-	791840.00	9.89 लाख
93.	भुजहीं में पिच रोड से सरकारी ट्यूबवेल तक सी.सी. रोड	-	431200.00	6.98 लाख
94.	खुरहट बाजार में नाली निर्माण।	-	452480.00	9.96 लाख
95.	ग्राम सभा अमारी से अमरहट जाने वाले मार्ग पर कमलाराय के मकान से सरकारी ट्यूबवेल तक सी. सी. कार्य।	-	723520.00	9.98 लाख
96.	रानीपुर ग्राम सभा जसड़ा के पास रामजानकी मन्दिर केदार पाल के दरवाजे तक सोलिंग कार्य।	-	340480.00	4.71 लाख
97.	पहसा इटौरा मार्ग से बकुची तक पिच मरम्मत कार्य।	-	794080.00	16.03 V.
98.	बीबीपुर मेन पिच से महेन्द्र यादव के घर होते हुए शिवपूजन के घर तक सी.सी. कार्य।	-	1158080.00	13.14 लाख.
99.	सिधवल सीमा से पिपरसाथ में कुबेर यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	-	880320.00	10.00 लाख
100.	ग्राम सभा भैसा खरडा में जंगली सोनकर के मकान से इन्द्रजीत यादव के मकान तक सी.सी. कार्य।	-	479360.00	5.44 लाख
101.	मऊ-बलिया मार्ग से धर्मागतपुर बबलू यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	-	506240.00	7.50 लाख
102.	रतनपुरा गाढा पिच से रतनपुरा हरिजन बस्ती तक नाली एव ंसी.सी. कार्य।	-	260960.00	3.00 लाख
103.	ग्राम पंचायत खेसारी में उदय नारायण के खेत से चन्द्रिका गौड़ के खेत तक सी.सी. कार्य।	-	571200.00	9.00 लाख
104.	राजेन्द्र प्रसाद के खेत से जमालपुर सरहद होते हुए देवनाथ राजभर के ट्यूबवेल तक सोलिंग कार्य।	-	575680.00	9.99 लाख
105.	हलधरपुर-बेलौड़ा मार्ग से पालीटेक्निक स्कूल तक सी.सी. कार्य।	-	789488.00	9.16 लाख
106.	रतनपुरा मुस्तफाबाद मुख्य मार्ग से पुलिस चौकी की दीवार से नेहरू इण्टर कालेज के गेट तक सी.सी. कार्य।	-	218400.00	2.50 लाख
107.	इन्दारा देई स्थान से श्री किशुन के दरवाजे से स्व० सिधारी के मडई तक सी.सी. कार्य।	-	906080.00	12.46 लाख.
108.	बहुआ गोदाम काड़ा मार्ग पर कुशमौर बाजार से कहिनौर दलित बस्ती तक लेपन कार्य।	-	658560.00	7.75 लाख

109.	ग्राम सभा खण्डेरायपुर (भरकुवां) पिचरोड से सहबहादुर के ट्यूबवेल तक सी.सी. कार्य।	-	788480.00	9.98 लाख
110.	ग्राम सभा लउवासाथ पिच मार्ग से ग्राम सभा दुबारी ट्रान्सफार्मर से प्रा0पा0 विग्रहपुर तक सी.सी. कार्य।	-	829920.00	9.80 लाख
111.	श्री मती श्वेता यादव जे.ई., के.के. राय, विभूति यादव, सतीश यादव के आवास का मरम्मत कार्य।	-	566608.00	9.80 लाख
112.	ग्राम सभा दिघेडा के पिचरोड से अजय सिंह के घर तक सी.सी. कार्य।	-	383040.00	17.94 लाख.
113.	ढैचा बहादुर मार्ग से मुन्ना राजभर के घर तक सी.सी. कार्य।	-	773920.00	9.99 लाख
114.	पिपरसाथ खडंजे से सरवन यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	-	822080.00	10.00 लाख.
115.	व्हरामपुर लसरा पिच मार्ग से बहरापुर यादव बस्ती तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	-	527520.00	7.39 लाख
116.	ग्राम सभा दरगाह के समीप पकड़ी चैक से दरगाह पिच मार्ग तक सी.सी. कार्य।	-	551260.00	6.30 लाख
117.	मऊ-बलिया मार्ग से मेउड़ी चट्टी से हबरपुर मार्ग अम्बेडकर मूर्ति से श्यामबहादुर यादव के घर तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	-	534240.00	7.50 लाख
118.	दोहरीघाट मधुबन मुख्य मार्ग पर बेलौलीचट्टी से राधेश्याम मौर्या के दरवाजे तक पिच मरम्मत कार्य।	-	478240.00	5.82 लाख
119.	ग्राम सभा काझा खुर्द मार्ग आंगन बाडी केन्द्र से बिहारी दास स्कूल तक सी.सी. कार्य।	-	605920.00	9.46 लाख
120.	बोझी बाजार पश्चिम पटरी भोला जायसवाल के मकान से रामबचन गुप्ता के घर तक सी.सी. कार्य।	-	773920.00	8.95 लाख
121.	हरिहरपुर सोहन के खेत से रमाशंकर के खेत तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	-	717920.00	9.00 लाख
122.	हरथौली उसरी मार्ग पर महरबाबा नाका के पुल से पश्चिम तरफ ताल तक नाला निर्माण	-	1150240.00	13.21 लाख.
123.	स्बरहद विरैचा मेन पिच पर ओसियर के घर से रमायनचैहान के घर होते हुए पोखरी तक नाली निर्माण	-	1246560.00	15.00 लाख
124.	मऊ-दोहरीघाट मार्ग पर अर्जुन मेमोरियल पब्लिक स्कूल तक सोलिंग कार्य।	-	390880.00	4.97 लाख
125.	ग्राम सभा कटिहारीबुजुर्ग के समीप नाली निर्माण कार्य।	-	829920.00	10.00 लाख.
126.	करमामहरूपुर में श्रीठमा यादव के खेत से डीहस्थान होते हुए महरूपुर महेन्द्र यादव के खेत तक सोलिंग कार्य।	-	1245440.00	14.71 लाख
127.	बोझी अजमतगढ़ मार्ग पर बोझी सबरहद विरैचा ट्रान्सफार्म से राम प्यारे पासवान के घर तक सी.सी. कार्य।	-	369600.00	4.24 लाख
128.	बडराव में भादी दुल्लाह हरिजन बस्ती शारदा सहायक नहर से भादी दुल्लाह पोखरी तक नाली निर्माण कार्य।	-	507360.00	9.30 लाख
129.	बेलभद्रपुर मुख्य मार्ग से मुखराज यादव के घर होते हुए नाली मरम्मत कार्य।	-	495040.00	6.00 लाख
130.	बडराव में अमिलाकोट घाट मार्ग पर रेयांव में वंश राजी देवी महाविद्यालय पतिराज यादव के मकान के पूरब पोखरी तक नाली निर्माण कार्य।	-	519680.00	8.96 लाख
131.	सौनीसिपाह मार्ग से सौनी राजा राम के खेत तक सोलिंग कार्य।	-	497280.00	6.59 लाख

132.	बोझी घरौली मार्ग पर ग्राम सभा सोहाइडीह स्थान नारद सिंह के पास पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	-	408800.00	6.48 लाख
133.	विक्कमपुर गुल्लु चैहान के घर से कुचहरा सिवान तक पिच मरम्मत कार्य।	-	831600.00	10.00 लाख.
134.	बोझी अजमतगढ़ मार्ग पर बोझी नर्सरी के बगल डा0 धर्मन्द्र के खेत तक विशेष मरम्मत कार्य।	-	299936.00	9.21 लाख
135.	ग्राम सिपाह के चैहान बस्ती चट्टी से कमालपुर गांव में बादामी देवी इ0का0 तक पिच कार्य।	-	903168.00	10.19 लाख.
136.	पारा तड़ियाव मार्ग से ग्राम तड़ियाव के समीप संजीवन पाण्डेय के घर तक सी.सी. कार्य।	-	227360.00	2.65 लाख
137.	बोझी घरौली मार्ग पर विजय गुप्ता के घर से डा0 सदानन्द के घर होते हुए अशोक गुप्ता के घर तक सी. सी. कार्य।	-	696640.00	8.50 लाख
138.	गोरखपुर एन.एच.-29 से तिलई खुर्द नेवादा रमेश सिंह के घर तक सी.सी. कार्य।	-	630560.00	7.18 लाख
139.	धर्मपुर कसायर ज्ञानप्रकाश के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य।	-	396480.00	7.08 लाख
140.	अमिला अजमतगढ़ मार्ग से अतरसावा मार्ग तक सी.सी. कार्य।	-	874720.00	11.95 लाख.
141.	ठाजीपुर कोपागंज मार्ग से लारपुर विजय प्रतापगौड़ के घर तक सोलिंग कार्य।	-	767200.00	10.00 लाख
142.	मिर्जाजमालपुर नवपुरा में बाहा पर पुलिया निर्माण।	-	471520.00	8.00 लाख
143.	गोविन्दपुर चन्द्रशेखर यादव के घर से नवजागिर के घर तक नाली निर्माण कार्य।	-	585760.00	9.96 लाख
144.	ग्राम सभा पकडी बुजुर्ग रामलखन के घर से सुबाष निषाद के घर तक सी.सी. कार्य।	-	441280.00	5.28 लाख
145.	घोसी मधुबन मार्ग पर जामडीह में रामशब्द के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली निर्माण।	-	269920.00	8.96 लाख
146.	घोसी मधुबनमार्ग से कुण्डा कुचाई इण्टरलांकिंग तक सी.सी. कार्य।	-	535360.00	6.38 लाख
147.	रामपुरपूर्वी के श्यामदेव मल्लाह के घर से पोखरी तक सी.सी. कार्य व ढक्कनदार नाली मरम्मत कार्य।	-	745920.00	9.99 लाख
148.	ग्राम सभा चमरई सरजू पुल से ग्राम सभा चमरई तक सी.सी. कार्य व नाली निर्माण।	-	1708000.00	19.80 लाख.
149.	भिखारीपुर में जन सेवा केन्द्र से पप्पू मल्लाह के दुकान तक नाली निर्माण कार्य।	-	288960.00	11.48 लाख
150.	ग्राम सभा लखनीपुर के समीप अशोक यादव देवसी यादव के घर से रामलखन के घर तक मिट्टी/सोलिंग कार्य।	-	217280.00	8.00 लाख
151.	बोझी घरौली मार्ग पर चक जगरनाथ में सुरेन्द्र यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	-	637280.00	10.00 लाख.
152.	सुल्तानपुर माझर से चमरियाव पाडव बस्ती तक मरम्मत कार्य।	-	351680.00	9.57 लाख
153.	ग्राम सभा तिलई बुजुर्ग सन्तोष राय के मकान से पोखरी तक सी.सी. व नाली कार्य।	-	235200.00	9.99 लाख.
154.	ग्राम सभा कुडहनीपिच से खिजिरपुर दीपक राय के घर तक सी.सी. कार्य।	-	434560.00	5.28 लाख

155.	घोसी मधुबन मार्ग पर खेमराजपुर रामजी यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	-	906080.00	13.25 लाख.
156.	ओसियर के घर से डीह स्थान होते हुए रामअवतार के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।	-	350560.00	13.00 लाख
157.	लखनी मुबारकपुर के सौरही से मुबारकपुर तक सी.सी. कार्य।	-	807520.00	12.00 लाख
158.	ग्राम सभा बरौली में रसूलपुर में बापू इण्टर कालेज के सामने नहर पर पुलिया निर्माण।	-	328160.00	5.85 लाख
159.	पीवाताल बेलभद्रपुर मार्ग से प्रेम चन्द्र पासवान के घर तक सोलिंग कार्य।	-	138880.00	1.99 लाख
160.	घोसी मझवारा मार्ग से ग्राम सभा भावापुर तक पिच मरम्मत कार्य।	-	744800.00	9.43 लाख
161.	दोहरीघाट कैनाल से ग्राम सभा नरवल तक पिच मरम्मत कार्य।	-	784000.00	9.90 लाख
162.	मुबारकपुर के समीप हैदरअली के मकान से नहर तक सी.सी. कार्य।	-	649936.00	-
163.	नदवल मेंविजयशंकर सिंह के घर से जय प्रकाश के घर होते हुए पोखरी तक नाली निर्माण।	-	468160.00	8.96 लाख
164.	बडराव में ग्राम सभा निबिहा सी.सी. रोड से गुड्डू राजभर के घर होते हुए इन्द्रदेव के घर तक सी.सी. कार्य।	-	264320.00	9.15 लाख
165.	कुडहनी सराय सुदनी पिच मार्ग से ग्राम सभा कुडहनी शिवबहादुर राय के घर तक सी.सी. कार्य।	-	499968.00	8.02 लाख
166.	अकोल्ही नहर पुल से चकवक्सपुर तक पिच मरम्मत कार्य।	-	950880.00	12.50 लाख
167.	बेलभद्रपुर पीवाताल मार्ग से बेलभद्रपुर मोहन के घर होते हुए रामप्रवेश के घर तक सी. सी. कार्य।	-	1310520.00	19.90 लाख
168.	बोझी अजमतगढ़ मार्ग से टेघना के आगे मेन रोड पर लालचन्द चौहान के घर से नहर पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	-	731360.00	15.38 लाख.
169.	ग्राम सभा पहाड़पुर विनोद के घर से पंचायत भवन होते हुए पोखरी तक नाली निर्माण।	-	482720.00	8.16 लाख
170.	चकवक्सपुर नहर पुल से लड्डूपुर नहर तक पिच मरम्मत का कार्य।	-	882560.00	15.00 लाख.
171.	अमिला भटमिका मार्ग पर रामवृक्ष के घर से अम्बेडकर मूर्ति होत ेहुए पोखरी तक नाली नि०	-	609280.00	10.00 लाख
172.	घोसी सुल्तानपुर मार्ग से असना चमार बस्ती तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	-	680960.00	9.98 लाख
173.	ग्राम सभा रामपुर कुड़ियारी वीरेन्द्र राजभर के घर से सम्पर्क मार्ग की ओरसी.सी. कार्य।	-	450240.00	10.00 लाख.
	योग:	21020544.00	94482524.00	115503068.00

उपरोक्तानुसार कुल 173 कार्य जिसे 31 मार्च 2021 तक पूर्ण नहीं किया जा सका है।उपरोक्त समस्त कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि अलाभकारी रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय हैकि उक्त दर्शितकार्यों में क्रमांक-1 से 32 तक के कार्य वर्ष 2019-20 या इससे पूर्व वर्षों के हैं तथा शेष 33 से 173 तक के कार्य वर्ष 2020-21 के हैं।इस प्रकार निर्माण कार्यों के कराये जाने की समय सीमा नियमों की अन

देखी कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जो 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सा0लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2)क से (ड) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य प्रकरण है।

अतः सम्बन्धित कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 115503068.00 के अनियमितता के का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द, अभियन्ता स्व0 लाल देवेन्द्र विक्रम सिंह एवं कार्यों से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं का रहा। उक्त अनियमितता हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-15

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि निर्माण कार्य कहाँ से कहाँ तक हुआ है, का पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	कार्य का नाम	कार्य पर भुगतानित धनराशि	
1.	धरोहिया बाजार में सी.सी. कार्य।		1015840.00
2.	खुरहट बाजार में नाली निर्माण		452480.00
	योग:		1468320.00

इस प्रकार निर्माण कार्य का स्पष्ट उल्लेख न करके रू0 1468320.00 का भुगतान किया गया है जो पूर्णतया अनियमित एवं शासनादेश सं0-1838/33-2015-3/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31 जुलाई 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द, अभियन्ता स्व0 लालदेवेन्द्रविक्रम सिंह एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रारूप- 02

जनपद- पीलीभीत।

मण्डल- बरेली

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ-

प्रस्तर सं01- जिला पंचायत के आय व्यय प्रपत्र- 01 स्कन्ध के अनुसार निम्न विवरण अनुसार गत वर्षों का बकाया 40.96 लाख और आलोच्य वर्ष- 2017-18 की माँग 103.48 लाख कुल अंकन 144.44 लाख दर्शित है। एवं वसूली 108.01 लाख तथा वर्षान्त में बकाया 36.43 लाख दर्शित है।

क्रम सं०	मद का नाम	मांग की धनराशि			वसूली की धनराशि			शेष
		वर्ष की मांग	गत वर्ष का बकाया	योग	वर्ष की मांग	गत वर्ष का बकाया	योग	
1	सम्पत्ति एवं विभवकर	19.40	10.78	30.18	11.24	6.88	18.12	12.06
2	लाइसेन्स	40.31	-	40.31	40.31	-	40.31	-
3	मृतपशु व शव निस्तारण	1.82	5.89	7.71	2.52	2.51	5.03	2.68
4	सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया	21.70	15.54	37.24	11.45	16.39	27.84	9.40
5	नौकाघाट	-	-	-	-	-	-	-
6	मेला /प्रदर्शनी	-	-	-	-	-	-	-
7	हाट बाजार एवं तहबाजारी	18.00	1.68	19.68	12.81	2.98	15.79	3.89
8	कृषि एवं तरुपालन	2.25	7.07	9.32	0.37	0.55	0.92	8.40
	योग-	103.48	40.96	144.44	78.70	29.31	108.01	36.43

जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक मद का संस्थावार सूची अंकित करते हुए पत्रावली / रजिस्टर तैयार कर उसमें नियमानुसार गत वर्षों की बकाया, वर्ष की माँग एवं वसूली की प्रविष्टि दर्ज कर रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है और जो तैयार किया गया है उसे आर्थ - अधूरे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। बकाया अपुष्टित होने से निजी स्रोत से कुल आय योग्य धनराशि संस्था द्वारा छिपा ली गयी।प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में सम्भाव्य है कि वसूली ज्यादा करके जमा कम किया जा रहा है।धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया जा रहा है। जबकि इसी कार्य हेतु संस्था पर विकास खण्डवार कर संग्राहक एवं एक कर अधिकारी तैनात की गयी है। इस प्रकार निजी स्रोतों से आय की वर्षवार मांग गत वर्षों की बकाया सहित एवं वर्ष में वसूली का आंकलन बिना वांछित रजिस्टर / पत्रावली के लेखा परीक्षा में सम्भव नहीं हो पा रहा है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कर अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अविलम्ब मदवार रजिस्टर पूर्ण करवाकर लेखाबन्दी करते हुए बकायादारों की वर्षवार सूची तैयार कर यह स्थिति प्रकाश में लायी जाये कि कितनी वसूली हेतु बकाया शेष पडी हुई है। तत्पश्चात् उसकी वसूली के ठोस प्रयास किये जाये। योजना बद्ध तरीके से अपहरण करने के उद्देश्य से अभिलेखों को पूर्ण न रखने हेतु अपरमुख्य अधिकारी / कर अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी है।

यदि गत वर्ष की वसूली को आधार बनाकर वर्ष की माँग 10 प्रतिशत अधिक मान ली जाए तो भी निम्न विवरण अनुसार दो मर्दों में ही रु. 22.70 लाख की क्षति आ रही है। संस्था स्तर पर बनाए गए प्रपत्र-03 में वर्ष की माँग और वर्षान्त में बकाया को इस आधारपर पुष्टि नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रपत्र-03 के पुष्टि में संस्था स्तर पर कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र०सं०	मद विवरण	वर्ष- 2016-17 की वसूली	10 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त	वर्ष में वसूली	क्षति
01	लाइसेन्स	56.42	62.07	40.31	21.76
02	कृषि एवं तरुपालन	1.69	1.86	0.92	0.94
	योग-				22.70

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अपेक्षित है। कि यथाशीघ्र समस्त अपेक्षित अभिलेख/पत्रावलियां तैयार करवाकर लेखाबन्दी करवाते हुए वसूली हेतु बकाया धनराशि सम्बन्धित अभिलेखों में प्रकाश में लाई जाए एवं लेखा परीक्षा में पुष्टि कराई जाए, वसूली के ठोस प्रयास किए जाए। दर्शित वसूली (अर्जित ब्याज और जमानत छोड़कर) अंकन रु. 108.01 लाख की पुष्टि में चल-अचल सम्पत्ति के विवरण पत्र में दर्शित मर्दों के रजिस्टर पत्रावलियां पूर्ण करवाकर आवास दुकान के किरायेदारों नाम सहित दर/बकाया/वसूली आदि विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार मनमाने ढंग से बरती गयी न्यूनताओं के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी एवं कर संग्रहकर्ता को उत्तरदायी ठहराते हुए सुधार हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा०आ०सं०- 7 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 02- लेखा परीक्षा वर्ष में प्रपत्र- 01 के अनुसार जिला पंचायत ब्याज के रूप में अंकन रु. 68.10लाख की आया निजी स्रोतों से दर्शायी गयी है।जोकि जिला पंचायत द्वारा विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान के सम्यक उपभोग न करके ब्याज का श्रोत बनाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शासन द्वारा जो धनराशि विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गयी थी उसका पूर्ण रूप से उपभोगन कर बैंक से ब्याज के रूप में आय की गई है। जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। इस हेतु मुख्य रूप से विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। क्योंकि शतप्रतिशत उपभोग हर क्षेत्र का विकास करना उद्देश्यों की पूर्ति है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर अर्जित किया गया ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जायेग, किन्तु जमा कराने की स्थिति स्पष्ट नहीं रही। (शासनादेश सं०- ए-1-122-10(33)/2010 दिनांक- 21.03.2012)।

(सा०आ०सं०- 8 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 03 - शासनादेश सं०- 710/दस-स०नि०मितव्यता-2-97 दिनांक- 29 मई, 1999 केन्द्रीय संसाधन अनुमाभ जो कि सभी विभागीय प्रमुख सचिवों को पृष्ठांकित है। के अनुसार संस्था के अपर मुख्य अधिकारी श्री जागन सिंह के वेतन से प्रतिमाह रु. 400.00 (रु. चार सौ मात्र) जीप प्रयोग करने पर कटौती कराकर जिला पंचायत कोष में जमा किया जाना अनिवार्य था। साथ ही उक्त से सम्बन्धित वर्तमानमें संसाधन (केन्द्रीय सहायत) अनुभाग दिनांक 24 सितम्बर, 2017 के शासनादेश सं०- 01/2017 के द्वारा जीप के लिए रु. 800.00 प्रतिमाह कटौती की राशि निश्चित कर दी गयी है। अतः रु. (400.00 x 6) रु. 2400.00 एवं रु. (800.00 x 6) रु.4800.00 कुल रु. 7200.00 की क्षतिपूर्ति अपर मुख्य अधिकारी श्री जागन सिंह से की जानी अपेक्षित है।(सा०आ०सं०- 11 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18

प्रस्तर सं 04- जिला पंचायत पीलीभीत के द्वारा मृतपशु शव निस्तारण मद में विगत वर्षों में जारी किये गये लाइसेन्स के बकाया मांग के विरुद्ध नाम मात्र ही वसूली हो पा रही है। जोकि गम्भीर आपत्ति जनक है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	वर्ष/विकास खण्ड	नाम ठेकेदार / आवंटी (सर्व श्री)	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वसूली	वर्ष के अन्त में अवशेष

1	1984-85 पूरनपुर	नन्कू सिंह, पूरनपुर	6100.00	-	6100.00
2	1984-85	मो0 इकवाल, पूरनपुर	2350.00	-	2350.00
3	1984-85	नसीर अहमद, पूरनपुर	2400.00	-	2400.00
4	1986-87 बीसलपुर	मो0 यासीन, बीसलपुर	2000.00	-	2000.00
5	1987-88 पूरनपुर	मो0 इस्लाम , पूरनपुर	4000.00	-	4000.00
6	1987-88 बीसलपुर	अब्दुल रउफ, पीलीभीत	1100.00	-	1100.00
7	1988-89 पूरनपुर	मो0 साविर , पूरनपुर	3500.00	-	3500.00
9	1988-89 पूरनपुर	मो0 अब्दुल गनी, पूरनपुर	2000.00	-	2000.00
10	1988-89 पूरनपुर	जहीर अहमद, पूरनपुर	1200.00	-	1200.00
11	1988-89 बरखेड़ा	सादिक हुसैन, पीलीभीत	200.00	-	200.00
12	1998-99 पूरनपुर	मो0 शरीफ, पूरनपुर देहात	60000.00	-	60000.00
13	2000-01 बिलसण्डा	इस्रत , बीसलपुर	15000.00	-	15000.00
14	2001-02 बरखेड़ा	मो0 मियां , खमरिया पंडरी, मो0 अरबीज, बीसलपुर	20000.00	-	20000.00
15	2003-04 ललौरीखेड़ा	मो0 अयूब जहानाबाद	48400.00	-	48400.00
16	2004-05 बिलसण्डा	मो0 हनीफ, बिलसण्डा	24650.00	-	24650.00
17	2005-06 ललौरीखेड़ा	मो0 अहमद, जहानाबाद	30000.00	-	30000.00
18	2005-06 ललौरीखेड़ा	मो0 असलम, पीलीभीत	5000.00	-	5000.00
19	2005-06 अमरिया	मो0 शरीफ, पीलीभीत	34000.00	-	34000.00
20	2006-07 ललौरीखेड़ा	मो0 शहरोज अहमदी, पीलीभीत	5000.00	-	5000.00
21	2008-09 बिलसण्डा	मुन्ना कुरैसी, दियोरिया कलां	27500.00	-	27500.00
22	2009-10 पूरनपुर	अकील अहमद, पूरनपुर	25000.00	-	25000.00
23	2010-11 बीसलपुर	अब्दुल सलीम, रसिया खानपुर	15000.00	-	15000.00
24	2010-11 बरखेड़ा	इमरान, पीलीभीत	3000.00	-	3000.00
25	2011-12 मरौरी	आफताब मियां, पीलीभीत	17700.00	-	17700.00
26	2012-13 मरौरी	अनीस , पीलीभीत	15000.00	-	15000.00
27	2014-15 ललौरीखेड़ा	लईक , पीलीभीत	3500.0	-	3500.0
28	2013-14 मरौरी	हबीब अहमद, पीलीभीत	56200.00	-	56200.00
29	2013-14 अमरिया	मो0 यामीन, पीलीभीत	20000.00	-	20000.00

30	2015-16 मरौरी	किशोर कुमार, पीलीभीत	94000.00	-	94000.00
31	2015-16 अमरिया	रईस अहमद, अमरिया	30000.00	-	30000.00
32	2015-16 बिलसण्डा	रफीक कुरैसी, शाहजहाँ	13000.00	-	13000.00
33	2016-17 ललौरीखेड़ा	तस्लीम , पीलीभीत	31500.00	5000.00	26500.00
34	2016-17 बरखेड़ा	इस्लाम अहमद, पीलीभीत	19200.00	-	19200.00
35	2016-17 बीसलपुर	अब्दुल अजीज, बीसलपुर	40000.00	-	40000.00
36	2016-17 मरौरी	हरी सिंह, पीलीभीत	32000.00	15000.00	17000.00
37	2016-17 बिलसण्डा	शमशाद, बीसलपुर	10500.00	-	10500.00
		योग-	720000.00	20000.00	700000.00

लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त राशि रु. 700000.00 विगत वर्ष से बकाया चली आ रही है, जिसकी अशोध्य / संदिग्ध पूंजी होने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत हो रही है। अतः सम्बन्धित अनुभाग / अधिकारी / कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए बकाया धनराशि शतप्रतिशत वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 21 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 05- आलोच्य वर्ष - 2017-18 में हड़डी चस्पा मद में जारी किये गये लाइसेन्स प्राप्तकर्ता/आवंटी से शत-प्रतिशत लाइसेन्स शुल्क प्राप्त किया जाना चाहिये था। परन्तु विकास खण्डवार जारी किये गये लाइसेन्स में निम्न लाइसेन्स प्राप्तकर्ता से पूर्ण वसूली नहीं की गयी है जो कि गम्भीर आपत्ति जनक है।

क्रम सं0	लाइसेन्स प्राप्तकर्ता	वर्ष/विकास खण्ड	लाइसेन्स शुल्क	प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि
01	मे0 यूनुस सेरपुर कलां पूरनपुर	2017-18 पूरनपुर	170000.00	110000.00	60000.00
02	श्री फरहान पीलीभीत	2017-18 बिलसण्डा	60000.00	24000.00	36000.00
				योग-	96000.00

लाइसेन्स जारी करने के उपरान्त चालू वर्ष के भी लाइसेन्स शुल्क शत प्रतिशत वसूल नहीं किया जाना सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लक्ष्य / वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं किया जाना है। अतः सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 22 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 06- आलोच्य वर्ष - 2017-18 के लाइसेन्स रजिस्टर प्रपत्र- 26नियम-107 तहसील पूरनपुर की जाँच में पाया कि वर्ष दौरान संस्थाओं से लाइसेन्स शुल्क वसूल की गयी है उसमें 30 जून के बाद वसूल होने के उपरान्त भी विलम्ब शुल्क 10 प्रतिशत प्रति माह की दर से व राइसमिल हेतु 30 सितम्बर के बाद वसूल होने के उपरान्त भी विलम्ब शुल्क 5 प्रतिशत की दर से संस्था से वसूल नहीं किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	नाम संस्था	वर्ष	रसीद सं0 दिनांक	प्राप्त धनराशि	विलम्ब शुल्क सहित जमा किया जाना चाहिए था	अन्तर धनराशि

1	सरस्वती सीड्स आसम रोड, पूरनपुर	2017-18	0004382 05-11-2017	5000.00	8500.00	3500.00
2	श्री भगवान राइस मिल जमुनिया खास पुर	2017-18	0004389 09-11-2017	10000.00	11000.00	1000.00
3	के0टी0 इन्डस्ट्रीज चॉट फिरोजपुर	2017-18	0004394 30-11-2017	10000.00	11000.00	1000.00
4	देव एगो फूड प्रोडक्ट चॉट फिरोजपुर पूरनपुर	2017-18	0004398 02-12-2017	20000.00	23000.00	3000.00
5	श्री जी राइस मिल, आसाम रोड, पूरनपुर	2017-18	0004399 04-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
6	नव भारत राइस मिल, पूरनपुर	2017-18	00144515 14-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
7	लाजबन्ती राइस मिल, पूरनपुर	2017-18	0144516 16-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
8	जगगुरु राइस मिल, पूरनपुर	2017-18	0144517 16-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
9	आशुतोष फ्लोर मिल पूरनपुर	2017-18	0144518 16-12-2017	20000.00	23000.00	3000.00
10	गर्ग राइस मिल, पूरनपुर	2016-17	0144519 18-12-2017	10000.00	16000.00	6000.00
11	गर्ग फ्लोर मिल पूरनपुर	2016-17	0144520 18-12-2017	20000.00	32000.00	12000.00
12	गर्ग राइस मिल पूरनपुर	2017-18	0144521 20-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
13	गर्ग फ्लोर मिल पूरनपुर	2017-18	0144522 20-12-2017	20000.00	23000.00	3000.00
14	जय अम्बे राइस मिल पूरनपुर	2017-18	0144525 22-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
15	विद्या फूड्सराइस मिल, पूरनपुर	2017-18	0144526 23-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
16	नेवा इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	2017-18	0144534 29-12-2017	10000.00	11500.00	1500.00
17	सिंह राइस मिल, पूरनपुर	2017-18	0144537 13-01-2018	10000.00	12000.00	2000.00
18	श्रीराम इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	2017-18	0144538 20-01-2018	10000.00	12000.00	2000.00
19	ओम राइस इन्डस्ट्रीस पूरनपुर	2017-18	0144547 29-01-2018	10000.00	12000.00	2000.00
20	नवल किशोर सन्स राइस मिल, पूरनपुर	2017-18	0144549 06-02-2018	10000.00	12500.00	2500.00
21	किसान राइस मिल पूरनपुर	2017-18	0144550 06-02-2018	10000.00	12500.00	2500.00
22	सरल गगो सीड्स पूरनपुर	2017-18	0144551	5000.00	6250.00	1250.00

			06-02-2018			
23	राजा माधव इन्डस्ट्रीस पूरनपुर	2017-18	0144552 10-02-2018	10000.00	12500.00	2500.00
24	गणपति राइस इन्डस्ट्रीस पूरनपुर	2017-18	0144553 12-02-2018	10000.00	12500.00	2500.00
25	सूर्या एगो सीड्स पूरनपुर	2017-18	0144556 08-03-2018	10000.00	13000.00	3000.00
26	श्याम बाबा इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	2017-18	0144557 10-03-2018	10000.00	13000.00	3000.00
27	अग्रवाल इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	2017-18	0144560 11-03-2018	10000.00	13000.00	3000.00
28	अकील खां रईस मिल पूरनपुर	2016-17	0012595 23-05-2017	10000.00	16000.00	6000.00
29	शिव गंगा राइस मिल पूरनपुर	2016-17	0004369 22-09-2017	10000.00	16000.00	6000.00
30	बालाजी राइस इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	2016-17	पौSd }kjk 28-03-2018	10000.00	13000.00	3000.00
31	सन्त साई इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	2017-18	0144587 28-03-2018	10000.00	13000.00	3000.00
32	कुमार राइस इन्डस्ट्रीज पूरनपुर	2017-18	0144591 28-03-2018	10000.00	13000.00	3000.00
33	गुरुकृपा राइस मिल पूरनपुर	2017-18	0144598 28-03-2018	10000.00	13000.00	3000.00
धर्मकांटा						
34	के0जी0एन0 धर्मकांटा गढ़वाखेड़ा पीलीभीत	2017-18	0144416 18-12-2017	2000.00	3600.00	1600.00
35	संगम मैरिज पैलेस	2017-18	0120800 15-09-2017	10000.00	15000.00	5000.00
36	जतिन मैरिज हाल	2017-18	0173519 15-12-2017	10000.00	18000.00	8000.00
बरखेड़ा						
37	नोवल शुगर मिल नकटा मुरादपुर	2017-18	0028355 14-11-2017	10000.00	10000.00	00
मोटरसाइकिल एवं कार एजेन्सी						
38	एच0के0 आटोमोबाइल के0वी0एस0 माटर साइकिल	2017-18	0002627 26-08-2017	3000.00	4200.00	1200.00
39	खण्डेलवाल आटो मोबाइल पूरनपुर	2017-18	0002692 05-09-2017	3000.00	4500.00	1500.00

40	हॉण्डा आटो मोबाइल माधोटांडा	2017-18	0000914 14-09-2017	3000.00	4500.00	1500.00
41	के0एस0 आटो मोबाइल पूरनपुर	2017-18	0004361 14-09-2017	3000.00	4500.00	1500.00
सीड्स प्लान्ट						
42	स्टार सीड्स	2017-18	0004328 13-07-2017	5000.00	6500.00	1500.00
43	भगवन पन्तनगर सीड्स जमुनिया	2017-18	0002675 06-08-2017	5000.00	7000.00	2000.00
44	शारदा सीड्स प्लान्ट रघुनाथपुर	2017-18	0004349 08-08-2017	5000.00	7000.00	2000.00
				419000.00	539550.00	120550.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विलम्ब शुल्क अंकन रु. 120550.00 की वसूली न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी/ कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली / क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 24 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 07- व्यय प्रमाणक संख्या- 13 दिनांक- 01.08.2017 के द्वारा स्टेशनरी क्रय हेतु रु. 27427.00 का भुगतान चैक नं0- 571942 से मैसर्स देव स्टेशनर्स पीलीभीत को किया गया है। प्रमाणक के साथ निम्न प्रकार बिल पाये गये।

दिनांक	बिल नं0	मद विवरण	धनराशि
15-09-2015	966	स्टेशनरी क्रय	4357.00
20-09-2015	973	स्टेशनरी क्रय	4357.00
10-01-2016	974	स्टेशनरी क्रय	4368.00
15-01-2016	978	स्टेशनरी क्रय	4992.00
20-01-2016	975	स्टेशनरी क्रय	4996.00
05-02-2016	972	स्टेशनरी क्रय	4357.00
		योग-	27427.00

उक्त बिलों की जांच में पाया कि सभी बिल वित्तीय वर्ष - 2015-16 से सम्बन्धित है जबकि भुगतान वित्तीय वर्ष- 2017-18 में किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि दिनांक- 20.09.2015 को बिल नं0- 973 एवं दिनांक- 05.02.2016 को बिल नं.- 972 जारी की गयी जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त भुगतान यदि विगत वर्ष से सम्बन्धित होता तो जिला पंचायत की वर्ष- 2015-16 एवं 2016-17 की प्रगति आख्या के देनदारी में प्रदर्शित किया गया होता, जो कि नहीं किया गया है अतः उक्त कार्य कलाप मात्र जिला पंचायत को क्षति पहुँचाने हेतु ही भुगतान किया गया है। उक्त व्यय की विधिक पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त दोषपूर्ण भुगतान के उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी से जांचोपरांत क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

इसी प्रकार बिल नं0- 175 दिनांक-20.01.2016 तथा बिल नं0- 972 दिनांक- 05.02.2016 एवं बिल नं0- 978 दिनांक- 15.01.2016 को जारी किये गये हैं, जिसमें यह स्पष्ट है कि फर्म से सांठ-गांठ कर कूटरचित ढंग से बिल तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 27427.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही (सा0आ0सं0- 30 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 08- व्यय प्रमाणक संख्या- 112 दिनांक- 27.03.2018 के द्वारा रु. 35000.00 बाहन संख्या- एनएच 26 बी-9299 के किराया मद पर श्री अखिलेश कुमार सक्सेना को भुगतान किया गया है। जोकि वर्ष- 2012-13 में जनवरी, फरवरी एवं मार्च के माह में अपर मुख्य अधिकारी के प्रयोगार्थ उपभोग किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	प्रमाणक बिल नं० दिनांक	धनराशि	कब से कब तक	दर	निर्गत बिल धनराशि
01	शून्य/ 03-02-2013 (पेड पर)	5500.00	21-01-2013 से 31-01-2013	500.00	500.00 x 11 = 5500.00
02	शून्य/ 02-03-2013	14000.00	01-02-2013 से 28-02-2013	500.00	500.00 x 28 = 14000.00
03	शून्य/ 05-04-2013	15500.00	01-03-2013 से 31-03-2013	500.00	500.00 x 31 = 15500.00
		35000.00			

उक्त विवरण से निम्न अनियमितताएं प्रकाश में आती है।

1. उक्त बाहन किराया वर्ष- 2012-13 के माह जनवरी, फरवरी, मार्च-2013 से सम्बन्धित है, जिसका विवरण / देनदारी वर्ष- 2012-13, 2013-14, एवं 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के प्रगति आख्या में प्रदर्शित नहीं किया गया है।
 2. बिल मैसर्स प्रिया इण्टरप्राइजेज, सेल डिस्ट्रीब्यूटर सीड एण्ड पेस्टी साइड के पैड पर दिया गया जबकि ट्रान्सपोर्ट्स की बिल पर होना चाहिये था।
 3. वाहन सं०-एन.एच.26 बी.9299 का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट वाहन के रूप में है या कामर्शियल वाहन के रूप में है। अज्ञात रही।
 4. वाहन की संविदा प्रतिदिन रु. 500.00 की दर से लगाया गया है बिल का भुगतान रविवार एवं राजकीय अवकाश के दिनों का किया गया है।
- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त भुगतान फर्म से सांठ-गांठ कर कूटरचित ढंग से बिल तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि 35000.00की वसूली उत्तरदायी उत्तर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 32 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 09- प्रमाणक सं०- 111 दिनांक- 27.03.2018 के द्वारा रु. 32123.00 चैक सं०- 573512 से मैसर्स भारत इलेक्ट्रिक प्रेस पीलीभीत कोकिया गया है। प्रमाणक के साथ संलग्न बिलों से यह स्पष्ट होता है, स्टेशनरी मद में जो व्यय किया गया कोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनाकर मूल्य स्पर्धा सुविधा का लाभ नहीं लिया गया, जो क्रय नियमावली के विपरीत है। बिल निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	बिल नं० दिनांक	सामग्री उपलब्ध कर्ता का नाम	धनराशि
01	90/15-07-2017	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	4800.00
02	91/20-07-2017	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	4003.00
03	7/30-12-2017	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	2240.00
04	8/30-12-2017	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	3500.00
05	4/02-01-2018	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	4480.00
06	5/04-01-2018	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	4120.00
07	108/25-01-2018	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	4500.00
08	191/29-02-2018	भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, मस्जिद पठानी, पीलीभीत	4480.00

	योग	32123.00

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि स्टेशनरी क्रय के जो भी प्रमाणक के साथ संलग्न हैं, उसमें केवल क्रम सं० अंकित है। बुक नं. अंकित नहीं किया गया। जबकि बिलों पर बुक नं. एवं क्रम सं०- दोनों अंकित होना चाहिए था। साथ ही नियम के अनुसार बिलों की क्रम सं० की जांच से स्पष्ट होता है कि आगे की दिनांक पर कम क्रम सं० का बिल जारी किया गया एवं पहले दिनांक पर आगे की क्रम सं० का बिल जारी किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से साठ-गांठ कर कूटरचित ढंग से बिल तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 32123.00 की क्षतिपूर्ति उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से तात्तरीय प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 36 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 10- जिला पंचायत पीलीभीत की वर्ष- 2017-18 के लाइसेन्स एवं विभवकर वसूली के दौरान पाया गया कि जिला पंचायत पीलीभीत की उपविधि 12 मई, 2012 के अनुसार मोबाइल टावर्स की स्थापना पर लाइसेन्स शुल्क हेतु रु.5000.00 निर्धारित कर अनुज्ञा पत्र जारी की गयी है। साथ ही विभव कर नियमावली के अनुसार अधिकतम 6000.00 कर आरोपित की गयी है। परन्तु लेखा परीक्षा वर्ष दौरान जनपद में कुल 45 मोबाइल टावर्स में से किसी भी मोबाइल टावर्स से लाइसेन्स की वसूली नहीं की गयी, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस प्रकार वर्ष में संस्था को रु. (5000.00 x 45 नग) रु. 225000.00 की राजस्व हानि हुई। इस प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वसूली न किये जाने वाले उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी पर वैधानिक कार्यवाही कर संस्था को राजस्व हानि से बचाया जा सके।

(सा०आ०सं०- 60 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 11- आलोच्य वर्ष- 2017-18 में कुल अंकन रु.1212.86 लाख का निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित किया गया है, जिसमें निम्न गम्भीर आपतियां प्रकाश में आईं-

(क) लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य से सम्बन्धित जनपद की अन्य कार्यवाही संस्थाओं यथा पी०डब्ल्यू०डी०, आर०ई०एस०, गन्ना संघ, मण्डी परिषद, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत, आदि से इस आशय का आनापत्ति प्रमाण-पत्र ली जानी चाहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नहीं करा लिया गया है या कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार विना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए दर्शित निर्माण कार्य से डुप्लीकेशी की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) शासनादेश संख्या- 4/866/32-2-14-93 जी०/2004 टीसी दिनांक- 24.06.2014 एवं शासनादेश दिनांक- 12.01.2005 द्वारा अनियमितता/भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेशी रोकने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य दर्शित किए जाने पर प्रतिबन्ध है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने से ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गया दर्शाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए जिला पंचायतों को दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित कराया जाना चाहिए किन्तु अधिकांश निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत ही दर्शित है जो कि उक्त शासनादेश/दिशानिर्देश का उल्लंघन है।

(ग) जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अभियन्ता से पी०सी०आर० प्राप्त नहीं की गई है। निर्माण कार्यों के स्टीमेंट (प्राक्कलन) तकनीकी भाषा में है। एवं उसमें केवल धनराशि का आंकलन किया गया है। उसमें उपखनिज कितना-कितना प्रयुक्त होना है। उसका कोई आंकलन नहीं किया गया है। जबकि तकनीकी भाषा के प्राक्कलन के साथ उपखनिज और लेवर का आंकलन भी तैयार कर सरल भाषा में संलग्न करना उचित है। ताकि नानटेक्निकल अधिकारी / कर्मचारी भी प्राक्कलन को समझ सके।

(घ) सार्वजनिक निर्माण कार्यों के पत्रावलियों के जांच में पाया कि फाइलों में अन्य अभिलेख के साथ वैध अभिवहन प्रपत्र (एम०एम०-11) एवं प्रपत्र-सी अप्राप्त रहे, जिससे निर्माण कार्यों में उपखनिजों के प्राप्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी

गयी अज्ञात रही। जिससे मुख्य खनिज शासनादेश सं०- 3385/86-2015-292-292-2015 दिनांक- 15.04.2015 के अनुपालन की स्थिति अस्पष्ट है।

(ड) निर्माण कार्यों के पत्रावलियों के जांच में पाया कि निर्माण कार्य विज्ञापन/टेण्डर विज्ञप्ति के दिनांक के दिनांक से पूर्व ही ठेकेदार द्वारा कार्यों के टेण्डर के लिए नोटरी का प्रमाणन/शपथपत्र प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही प्रपत्र-3/शपथ पत्र पर कार्य के नाम पर सफेदा लगाकर कार्य को बदला गया है। जो कि गम्भीर अनियमितता है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	नोटरी का प्रमाणन का दिनांक	टेण्डर विज्ञप्ति का दिनांक	अभ्युक्ति
1	वि०ख० पूरनपुर में न्यूरिया मार्ग से मल्लपुर की तरफ खड़ण्जा कार्य।	श्री तौकीर मलिक	14-12-2017	23-12-2017	घोषणा-पत्र / शपथ-पत्र पर कार्य के नाम पर सफेदा लगा पाया जाना
2	बिलसण्डा के बहदिया के देवस्थान से गांव की ओर खड़ण्जा	श्री अवरार अहमद	15-12-2017	23-12-2017	घोषणा-पत्र / शपथ-पत्र पर कार्य के नाम पर सफेदा लगा पाया जाना
3	पूरनपुर के आसपुर में माधौटांडा पीलीभीत लिंक रोड से शंकरजी की धार्मिक स्थल की ओर खड़ण्जा कार्य	श्री कुँवरसेन	17-12-2017	23-12-2017	-
4	खीरी नौरामद में हरनाथपुर रोड से झण्डावाला तक खड़ण्जा कार्य	श्री अवरार अहमद	15-12-2017	23-12-2017	-
5	वारह पत्थर मिल से ग्राम ढूंगीपुर खंडवा के मजरा परगवां तक खड़ण्जा कार्य	श्रीमती कंचन देवी	17-12-2017	12-02-2018	-
6	जिरौनिया पेंटिंग मार्ग से चिनौरा की ओर सी०सी० रोड कार्य	श्री मुजीब अहमद	27-10-2017	23-12-2017	-
7	पूरनपुर के सारदा सागर डैम से बन्दरबोझ की ओर खड़ण्जा कार्य	श्री अवरार अहमद	15-12-2017	23-12-2017	घोषणा-पत्र / शपथ-पत्र पर कार्य के नाम पर सफेदा लगा पाया जाना
8	ग्राम अमरा करोड़ में हाफिस नगर बन्नाई रोड से भसूडा मार्ग की ओर खड़ण्जा कार्य	श्री अजय सिंह	16-12-2017	23-12-2017	-
9	पूरनपुर में सिमराया गांव में बिलसण्डा रोड टावर के पास सिमराया की ओर सी०सी० कार्य	श्री अजय सिंह	16-12-2017	23-12-2017	-

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18 में रु. 1212.86 लाख के निर्माण कार्यों में नियमों / अधिनियमों का स्पष्ट उलंघन करते हुये विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाना दर्शाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। अतः उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 61 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रस्तर सं 12- आलोच्य वर्ष - 2017-18 के निर्माण कार्यों के पत्रावलियों के जांच में पाया गया कि फाइलों में अन्य अभिलेख के साथ वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0 एम0 -11) रायल्टी जमा जी0 एस0 टी0 जमा के चालान /प्रपत्र अप्राप्त रहे। जिससे निर्माण कार्यों में उपखनिजों के प्राप्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी अज्ञात रहा। निर्माण कार्यों के बिलों से यह स्पष्ट होता है कि ठेकेदारों द्वारा उपखनिज अवैध रूप से प्राप्त कर निर्माण कार्यों में प्रयोग कर बिल से रायल्टी की धनराशि कटवाकर संस्था द्वारा जमा करवा दिया जाता है। ठेकेदारों का उक्त कृत्य खान एवं खनिज /विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957 की धारा -4ए एवं उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इस प्रकार उपखनिज उपलब्ध किये जाने से न सिर्फ अवैध खनन की प्रवृत्ति के बढ़ावा मिलता है अपितु अनियंत्रित खनन से पर्यावरण एवं परिस्थितियों के कुप्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। मुख्य सचिव शासनादेश सं0 3385/86-2015 -292-2015 दिनांक 15.10.2015 में स्पष्ट निर्देश है कि यदि कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी उपखनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र एम0 एम0-11 के किया जाता है तो प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यता रायल्टी का 5 गुणा)की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग -102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाये।

वर्ष 2017-18 में लेखा परीक्षा में जो पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गयी उसमें वैध रवन्ना एम0 एम0 -11 संलग्न नहीं था। वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की रायल्टी कटौती करके कुल रु. 3016020.00 राजकीय कोषागार में जमा किया गया परन्तु एम0एम0-11 वैध अभिवहन पत्र न होने के कारण खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुणा) रु. 15080100.00 की कटौती निर्माण कार्य बिलों से न करके उक्त धनराशि से राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी पर बैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (उत्तरदायी अधिकारी का नाम- तत्कालीन अध्यक्ष -श्रीमती आरतीमहेन्द्र, तत्कालीन ए0 एम0 ए0 श्री जागन सिंह, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता, श्री त्रिभुवन लाल, तत्कालीन अभियन्ता श्री मो0 हारून तत्कालीन लेखाकार श्री अंगन लाल।

(सा0आ0सं0- 62 जिला पंचायत- वर्ष- 2017-18)

प्रारूप -2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियां)

जनपद-बस्ती

मण्डल-बस्ती

प्रस्तर1- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा कार्यों की डुप्लीकेसी से बचने के लिये शासनादेश सं0-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जारी किये गये दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किय गया था कि जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो उसी स्तर पर कराया जाये और जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्य न कराये जावें एवं जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित करायेगी।

संस्था की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में पाया गया कि जिलापंचायत राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य सम्पादित कराया गया है जिसका लाभ एक से अधिक ग्राम पंचायतों को नहीं मिल सका।

कार्यों का नाम-

क्र०सं 0	कार्य का नाम	31.03.2021 तक भुगतान
1	नदायें में सं०मा० खण्डजा	385293.00
2	ठाकुरपुर पक्की सडक से हरनखा खण्डजा	414003.00
3	मिश्रौलिया गांव से पी०डब्लू०डी० सडक तक खण्डजा	129546.00
4	माझामानपुर सडक से मरवटिया तक खण्डजा	604913.00
5	सिसवारी से प्रतापपुर मार्ग सामान्य मरम्मत	383976.00
6	मेवरिया से गोपालपुर पी०एम०एस०वाई० सडक तक खण्डजा	217326.00
7	महावरपुर से आगे खण्डजा	270382.00
8	खैरपुर चक सडक से आगे खण्डजा	248770.00
9	रामपुर से पी०डब्लू०डी० सडक तक खण्डजा	337454.00
10	हडियाजोत सिंह पिच से मधवापुर खण्डजा	311320.00
11	छनवटिया मोहल्ला सडक मार्ग खण्डजा	293795.00
12	सूरत गढ में हरिराम के खेत से खण्डजा	350963.00
13	आमा भूईलपार के भरटोला से खण्डजा	620053.00
14	दुर्वाहनिर्वहन के पिच मार्ग से खण्डजा	394002.00
15	नदायें में खण्डजा	123593.00
16	ठाकुरपुर पक्की सडक से हरगांव खण्डजा	499559.00
17	नदायें सं०मा० पर खण्डजा	525016.00
18	गोपालपुर के नाली पर खण्डजा	48387.00
19	जमौलिया माफी के पैकेपुर तक खण्डजा	167579.00
20	जमौलिया माफी के काली मंदिर तक खण्डजा	217428.00
21	रानीपुर काली मंदिर कबरा मार्ग तक खण्डजा	230157.00
22	नरखेरहा पिच पर सामान्य मरम्मत	546237.00
23	सराये में सं०मा० पर खण्डजा	117728.00
24	अमरौना में खण्डजा	325614.00
25	सलेमपुर पाण्डेय में खण्डजा	83489.00
26	एन०एच०२८ से देईपार खण्डजा	30507.00
27	फरदापुर पिच मार्ग से परसौरी खण्डजा	280008.00
28	देवयाबक्स में पिचसे शिवप्रसाद के चक कीतरफ खण्डजा	99699.00
29	सुकरौली में पिच से राजेन्द्र के घर तक खण्डजा	60454.00
30	खरकुआं पिच से सुकरौली शेष खण्डजा	255611.00
31	नदायें में सं०मा० खण्डजा	526636.00
32	मदनपुर पक्की सडक से संतोष के घर खण्डजा	77125.00
33	सूरतगढ में हरिराम के खेत से खण्डजा	145305.00
34	मूडबरा सं०मा० से शमशान तक खण्डजा	66819.00
	योग	9388747

इस प्रकार शासनादेश के विपरीत ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य पर रु 9388747.00 व्यय कर अनियमितता की

गयी है इस प्रति कार्यअवधि अनुसार अ0मु0अधि0 श्री विकास मिश्र अभियन्ता 1 श्रीमती हेमलता दोहरे, 2 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2)

प्रस्तर2- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आई0आर0सी0-16-2000 स्टैंडर्ड स्पेशिफिकेशन एण्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्राइम एण्ड टैक कोट इसा प्राइम कोट ओवर गानुलर बेस के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं-

3-1 डिफिनेशन एण्ड ऑब्जेक्टिवस

3.1.1 प्रिमिंग इज स्प्राइंग ऑफ लॉ विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मैटेरियल्स ऑन द सर्फेस ऑफ नान- बिटुमिनस गानुलर बेसकोर्स प्रापरट्टरी टू द सुप्रिमपोजिशन ऑफ बिटुमिनस ट्रिटमेंट द ऑब्जेक्टिवस ऑफ प्रिमिंग अ गानुलर सर्फेज आर ऐज अन्डर:

- (1) टू पेनेट्रेट द इकजिक्सटिंग बेस कोर्स सर्फेस सो ऐज टू पियुग कपिलरी वॉयट्स इन इट
 - (2) टू कोट एण्ड बान्ड लूज मिनरल पार्टिकल्स आन द सर्फेस ऑफ द बेस कोर्स
 - (3) टू सील सर्फेस पोर्स एण्ड मेक द सर्फेस आफ द बेस कोर्स वाटर-रेसीस्टेंट
 - (4) टू प्रोवाइड अधेसी ऑन बिटवीन द बेस एण्ड द सुप्रिमपोस्ट बिटुमिनस सर्फेस कोर्स इन कन्जक्सन विद अ टेक कोट
- 3.1.2 प्राइम कोट इज नाट टू बी रिगार्डेड ऐज ए सबसीट्यूट फार टेक कोट, द आब्जेक्टिव आफें विच इज टू इन्श्योर ए प्रापर बान्ड बिटवीन द सर्फेस बिइंगपाव्ड एण्ड द न्यू बिटुमिनस कोर्स बिइंग प्लेस्ड ओवर ईट।

इसके साथ ही प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग 30प्र0 लखनऊ के पत्रांक-3383एम0टी0/69/एम0टी0/2007 दिनांक 13.06.17 में सर्फेस ड्रेसिंग प्राइम कोर्ट, टेक कोट तथा सील कोट की विशिष्टियों का निर्धारण करते हुये स्पष्ट किया है कि ग्रामीण श्रेणी के मार्गों पर यदि वियरिंग कोट हेतु पी0सी0 कार्य कराये जाने का प्राविधान किया जाता है तो पी0एम0जी0वाई0 में अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टॉप कोट/ डब्लूवीएम के उपर प्राइम कोट करके पी0सी0 व सील कोट का कार्य कराया जायेगा।

जिला पंचायत की वर्ष 2020-21 में भुगतान किये गये बाउचरों एवं प्रस्तुत पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संलग्न में दिये गये कार्यों में वाटर बान्ड मैकडम (डब्लूबीएम) की सतह के उपर प्राइम कोट के स्थान पर टेक कोट डालकर प्रिमिक्स कारपेटिंग का कार्य कराया गया है प्राइम कोट का कार्य विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मैटेरियल (बिटुमिन इमल्सन) से कराया गया है, जिसकी खपत 0.70 के0जी0/स्क्वायर मी0 होती है जबकि टैक कोट का कार्य वीजी-10 बिटुमिन से किया गया जिसमें मात्र 0.30 के0जी0/स्क्वायर मी0 की खपत की गयी। नान बिटुमिनस लेयर के उपर बिटुमिन लेयर डालने के लिये बिटुमिन इमल्सन का प्राइम कोट डाला जाता है जिससे अधिक बिटुमिन के खपत से दोनो लेयर के मध्य की मजबूती अधिक रहे जबकि टैक कोट का प्रयोग दो बिटुमिन लेयर के मध्य वीजी-10 बिटुमिन डाला जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संलग्नक में दिये गये सभी रु 188.58 लाख के कार्य आईआरसी- 16-2000 एवं उपरोक्त आदेश के क्रम में अधोमानक हो गये।

इस प्रकार बिना प्राइम कोट के प्रिमिक्स कारपेटिंग का कार्य किया गया है तथा अधोमानक कार्य करवाया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	निर्माण कार्य का नाम	बिल नं0	बाउचर नं0	दिनांक	निर्माणपर भुगतान
1	शिवाघाट कैथवलिया मुस्लिम गांव पिच	प्रथम रनिंग	21	22.4.20	452804.00
2	इटवाराजा से बरगदवा मार्ग पिच	प्रथम रनिंग	23	22.4.20	414398.00
3	अवधेश सिंह ढाबा कलकरहा पिच	प्रथम रनिंग	24	22.4.20	284253.00
4	फोरलेन बरगदवा बांसी मार्ग तक लेपन	प्रथम रनिंग	29	12.6.20	929459.00

5	एन0एच0 -28 से कटरीदूबे लेपन कार्य	प्रथम रनिंग	36	12.6.20	406284.00
6	रेहरवा पी0एम0जी0एस0वाई0 से मरवटिया लेपन कार्य	प्रथम रनिंग	27	12.6.22	607322.00
7	अर्जुनपुर सं0मा0 लेपन	प्रथम रनिंग	41	12.6.20	274435.00
8	हल्लौरकराह पिठिया चोरखरी लेपन	प्रथम रनिंग	44	12.6.20	931439.00
9	मेवापार बहतियां से गांव तक लेपन	प्रथम रनिंग	73	12.6.20	446741.00
10	भानपुर रूधौली पी0डब्लू0डी0 से मिश्रौलिया पिच	प्रथम रनिंग	19	1.7.20	927362.00
11	कटरा बुजुर्ग प्रा0वि0 सं0मा0 लेपन	प्रथम रनिंग	20	1.7.20	917288.00
12	एन0एच0-28 विवेकानन्द के आगे रिठिया पिच	प्रथम रनिंग	22	1.7.20	887118.00
13	देवापार बहतिया स्कूल से ग्राम तक लेपन	द्वितीय रनिंग	39	1.7.20	466678.00
14	चिलवनिया में शेष भाग लेपन	तृ0अन्तिम	42	1.7.20	182289.00
15	गोभिया में गांव की तरफ शेष लेपन	द्वितीय अन्तिम	61	1.7.20	109705.00
16	मस्जिदिया पिच से पूरब लेपन	द्वितीय अन्तिम	66	1.7.20	244105.00
17	जगदीशपुर में लेपन	तृ0 रनिंग	69	7.1.20	769022.00
18	मुकलिया में किशोर के घर से स्कूल तरफ खण्डजा से पिच	द्वितीय रनिंग	71	1.7.20	696838.00
19	शिवाघाट के मोलिया मुस्लिम गांव तक पिच	द्वितीय रनिंग	74	1.7.20	503804.00
20	देवापार बहतिया स्कूल से गांव तक लेपन	तृ0 रनिंग	187	27.7.20	922385.00
21	भानपुर रूधौली पी0डब्लू0डी0 से लेपन	द्वितीय रनिंग	189	27.7.20	497439.00
22	पिपरागौतम अकारी मार्ग से पिच	प्रथम रनिंग	196	27.7.20	353154.00
23	दुधौरा में चन्द्रप्रकाश के घर से पिच	प्रथम रनिंग	201	27.7.20	756851.00
24	रतनपुरराय से बांसगांव अजगरा पिच	द्वितीय अन्तिम	227	27.7.20	179408.00
25	महसों में विरेन्द्र के घर के आगे पिच	द्वितीय अन्तिम	229	27.7.20	106854.00
26	रैनेताल बन्धा पर अवशेष पिच	द्वितीय अन्तिम	230	27.7.20	137512.00
27	बस्ती डुमरियागंज पी0डब्लू0डी0 से खुटहना लेपन	तृ0 अन्तिम	31	27.7.20	68941.00
28	करही एन0एच0 -28 करही सं0मा0 पिच	तृ0 अन्तिम	34	27.7.20	81667.00

29	बस्ती डुमरियागंज पी0डब्लू0डी0 से नरखोरिया पिच	तृ0 अन्तिम	36	27.7.20	54090.00
30	कटरा बुजुर्ग प्रा0वि0 लेपन	द्वितीय अन्तिम	37	27.7.20	610426.00
31	फोरलेन बरगदवा बस्ती मार्ग से खण्डजा से लेपन	द्वितीय रनिंग	42	27.7.20	942376.00
32	कप्तानगंज पोखरा मार्ग से खलगवा पिच	द्वितीय अन्तिम	62	27.7.20	51470.00
33	जगदीशपुर में संजय पाण्डेय के घर के तरफ पिच	द्वितीय अन्तिम	62	27.7.20	123639.00
34	कप्तानगंज मार्ग से ब्रह्मबाबा स्थान पिच	तृ0 अन्तिम	67	27.7.20	65157.00
35	सडवलिया चौराहे से हरिजन बस्ती मार्ग पिच	तृ0 अन्तिम	73	27.7.20	125844.00
36	रेहरवा पी0एम0जी0एस0वाई0 से हरिजन बस्ती मार्ग का पिच	द्वितीय अन्तिम	112	27.7.20	279708.00
37	घोरकुलगंज कैथोलिया माग्र से लेपन	द्वितीय अन्तिम	114	27.7.20	95815.00
38	दसिया महनुआ हरिहर शाहपुर लेपन	द्वितीय अन्तिम	126	27.7.20	98999.00
39	दुबिहना सं0मा0 लेपन	द्वितीय अन्तिम	39	17.10.20	159654.00
40	जगदीशपुर में लेपन कार्य	प्र0अन्तिम	41	17.10.20	509665.00
41	दुबौला टिनिच मार्ग से करमियां शुक्ल पिच	प्र0अन्तिम	52	17.10.20	631303.00
42	एन0एच028 से कटरी गांव तक पिच	प्र0अन्तिम	53	17.10.20	603411.00
43	करियापार राउत बोरिंग से गांव तक पिच	प्र0अन्तिम	54	17.10.20	659316.00
44	पाण्डेय बाजार बांसी रोड महुडर तक पिच	द्वितीय अन्तिम	88	17.10.20	291550.00
				योग	18857978.00

इस प्रकार अधोमानक कार्य करवाने से परियोजना पर किये गये सम्पूर्ण व्यय रु 18857978.00 निरर्थक हो गया है जिससे भविष्य में सम्पूर्ण कार्य के नष्ट होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इस अधोमानक कार्य हेतु कार्यावधिनुसार अ0मु0अधि0 श्री विकास मिश्रा एवं अभियन्ता श्री अनिल कुमार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर3- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में - भारतीय सड़क कांग्रेस के कोड आई0आर0सी0एस0पी0 63-2004 द्वारा सीमेन्ट, कंक्रीट, इण्टरलाकिंग ब्लाक टाइल्स से मार्ग निर्माण की विशिष्ट

निर्माण पद्धति का तरीका व प्राविधान निर्धारित किया गया है। कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक-93सी0ई0सी0जेड0-सामान्य/07 दिनांक-31/3/2007 के अनुसार इ0ला0 टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रण करने हेतु प्रत्येक निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली इ0ला0 टाइल्स 30 एम0पी0ए0&4.5 के0जी0/नो कांम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ के होने चाहिये।

संस्था के निर्माण संबंधी पत्रावली की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में भुगतान किये गये निम्नलिखित इ0ला0 कार्य गुणवत्ता जांच कराये बिना ही किये गये। इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गयी इ0ला0 टाइल्स गुणवत्ता के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। इ0ला0 कार्यों पर वर्ष 2020-21 में व्यय/भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं	कार्य का नाम	बाउचर सं0	दिनांक	योजना का नाम	व्यय धनराशि
1	बारीघाट के बैरवा में महदेवा मार्ग इ0ला0	33	12.6.20	रा0वि0 आयोग	494030.00
2	तुषायल में कांटे खैरा मार्ग इ0ला0	34	12.6.20	रा0वि0 आयोग	420224.00
3	रनिया के पृथ्वीपुर के सोनहटा तक इ0ला0	35	12.6.20	रा0वि0 आयोग	425606.00
4	सगरा में रूधौली मार्ग से डीह तक इ0ला0	47	12.6.20	रा0वि0 आयोग	282830.00
5	सिकन्दपुर हरिजन बस्ती में इ0ला0	54	12.6.20	रा0वि0 आयोग	478107.00
6	बगही में नेवास अली के घर से सं0मा0 पर इ0ला0	62	12.6.20	रा0वि0 आयोग	381057.00
7	भतरन्हिया में सं0मा0 पर इ0ला0	65	12.6.20	रा0वि0 आयोग	344751.00
8	पैडा पिच मार्ग से दलित बस्ती तक इ0ला0	66	12.6.20	रा0वि0 आयोग	301624.00
9	कलवारी से राजकुमार पुरवा तक इ0ला0	67	12.6.20	रा0वि0 आयोग	409795.00
10	डडवा महैया मार्ग से इ0ला0	72	12.6.20	रा0वि0 आयोग	383045.00
11	पाण्डेयपुर में अम्बिका के घर तक इ0ला0	74	12.6.20	रा0वि0 आयोग	393154.00
12	मुरादपुर में हनीफ के घर से इ0ला0	75	12.6.20	रा0वि0 आयोग	148489.00
13	डिंगरापुर के रमौना गांव में इ0ला0	77	12.6.20	रा0वि0 आयोग	429594.00
14	खम्हरिया सं0मा0 परइ0ला0	79	12.6.20	रा0वि0 आयोग	325907.00
15	बगुरीबाबू में अनिल सिंह के घर इ0ला0	82	12.6.20	रा0वि0 आयोग	424580.00
16	एन0एच0 28 घोडसायें मार्ग से इ0ला0	84	12.6.20	रा0वि0 आयोग	423928.00
17	कम्हरिया में विश्वनाथ के घर से इ0ला0	87	12.6.20	रा0वि0 आयोग	136602.00
18	कैथवलिया शिवघाट हलुआ मार्ग इ0ला0	21	1.7.20	रा0वि0 आयोग	86045.00
19	गोपालपुर में सं0मा0 परइ0ला0	37	1.7.20	रा0वि0 आयोग	103041.00
20	देवरिया के अन्दर सं0मा0 इ0ला0	31	1.7.20	रा0वि0 आयोग	106222.00
21	लगुनी में सं0मा0 इ0ला0	32	1.7.20	रा0वि0 आयोग	99690.00
22	पाकरडाड मेंसं0मा0 इ0ला0	33	1.7.20	रा0वि0 आयोग	99541.00
23	जगरांव ग्राम में उमाशंकर के घर इ0ला0	34	1.7.20	रा0वि0 आयोग	105164.00
24	भुवनी के अन्दर तरफ इ0ला0	35	1.7.20	रा0वि0 आयोग	100819.00
25	हवेलीखास मार्ग पर इ0ला0	43	1.7.20	रा0वि0 आयोग	105148.00
26	हसनी बासदेव कला से ग्राम तक इ0ला0	44	1.7.20	रा0वि0 आयोग	116170.00
27	डिलिया में सं0मा0 पर इ0ला0	45	1.7.20	रा0वि0 आयोग	106282.00
28	देवरांव में पिच मार्ग से इ0ला0	47	1.7.20	रा0वि0 आयोग	102941.00
29	गोपालपुर में पिच से आगे इ0ला0	49	1.7.20	रा0वि0 आयोग	99969.00
30	कौलपुर में सं0मा0 पर इ0ला0	50	1.7.20	रा0वि0 आयोग	100919.00
31	मल्हवार गांव में इ0ला0	51	1.7.20	रा0वि0 आयोग	325526.00
32	सुकरौली घुसकिया शेष इ0ला0	52	1.7.20	रा0वि0 आयोग	177157.00

33	सूदीपुर में संमा 0 इला	53	1.7.20	रावि 0 आयोग	144305.00
34	चिलवनिया में इला	54	1.7.20	रावि 0 आयोग	165618.00
35	कृष्णा भगौती में संमा 0 इला	55	1.7.20	रावि 0 आयोग	105164.00
36	बांसखोर कला के भरवलिया में इला	56	1.7.20	रावि 0 आयोग	177900.00
37	कथकपुरवा में इला	57	1.7.20	रावि 0 आयोग	110305.00
38	औराई में संमा 0 पर इला	58	1.7.20	रावि 0 आयोग	101980.00
39	मेनीगांव में इला	59	1.7.20	रावि 0 आयोग	112425.00
40	खम्भा गांव में इला	60	1.7.20	रावि 0 आयोग	339404.00
41	छरदही में इला	62	1.7.20	रावि 0 आयोग	274766.00
42	सुकौली तिराहा से राघवेन्द्र पुरवा इला	64	1.7.20	रावि 0 आयोग	176857.00
43	छतरिया गांव में संमा 0 इला	65	1.7.20	रावि 0 आयोग	119351.00
44	बेलसुही में इला	67	1.7.20	रावि 0 आयोग	99699.00
45	सेहड़ाखुर्द गांव में इला	68	1.7.20	रावि 0 आयोग	125154.00
46	पचवस में मदनसिंह के घरसे उत्तर इला	162	27.7.20	रावि 0 आयोग	198503.00
47	पचवस में बंसत के घर कसामने इला	164	27.7.20	रावि 0 आयोग	212128.00
48	परसाजपजती में इला	169	27.7.20	रावि 0 आयोग	164957.00
49	बभनी मिश्र बैरिहावां महरूआ तक इला	172	27.7.20	रावि 0 आयोग	109805.00
50	हसनी में इला	177	27.7.20	रावि 0 आयोग	208751.00
51	कनेथू में अभिनय उपध्याय के घर से इला	181	27.7.20	रावि 0 आयोग	139502.00
52	अकुरहा गंजौला संमा 0 इला	184	27.7.20	रावि 0 आयोग	91409.00
53	खड़ौला पुरवा पकडी नासिर इला	186	27.7.20	रावि 0 आयोग	55151.00
54	हटवा बाजार संमा 0 इला	191	27.7.20	रावि 0 आयोग	135790.00
55	बभनी मिश्र महरूआ गांव तक इला	192	27.7.20	रावि 0 आयोग	113486.00
56	बभनी बैरिहावां से बभनीमिश्र गांव तक इला	193	27.7.20	रावि 0 आयोग	344944.00
57	डडवा से सिहारी खुर्द इला	198	27.7.20	रावि 0 आयोग	333339.00
58	जुआंजाता में महेन्द्र के घर इला	199	27.7.20	रावि 0 आयोग	133638.00
59	भैसिंहपुर इला	202	27.7.20	रावि 0 आयोग	115609.00
60	शिवहौरवा में अम्बेडकर पार्क इला	204	27.7.20	रावि 0 आयोग	72533.00
61	गायघाट रामजानकी मार्ग सरस्वती विद्यालय इला	205	27.7.20	रावि 0 आयोग	55140.00
62	रामजानकी मार्ग पिपरपाती मुस्तकहम इला	206	27.7.20	रावि 0 आयोग	73425.00
63	सेल्हरा में नन्दलाल के घर से मंदिर तरफ इला	207	27.7.20	रावि 0 आयोग	51782.00
64	मुण्डेरवा बाजार मस्जिद से नटबगिया तक इला	208	27.7.20	रावि 0 आयोग	105002.00
65	कुदरहा बाजार से जानदास के घर इला	210	27.7.20	रावि 0 आयोग	47328.00
66	किठुरी में इला	212	27.7.20	रावि 0 आयोग	65257.00
67	मनिकौरा भैंसा केवहिया मार्ग इला	215	27.7.20	रावि 0 आयोग	166522.00
68	पंखोबारी में इला	219	27.7.20	रावि 0 आयोग	573297.00
69	पचवस में तिरथ के घरसे इला	220	27.7.20	रावि 0 आयोग	172365.00
70	अहरा में इला	221	27.7.20	रावि 0 आयोग	108744.00
71	कुढापट्टी काली जी क स्थान संमा 0 इला	222	27.7.20	रावि 0 आयोग	449772.00
72	कथकपुरवा में इला	224	27.7.20	रावि 0 आयोग	248358.00
73	बायपोखर कला में इला	225	27.7.20	रावि 0 आयोग	245005.00

74	सोनहा में पिच से प्रा0 पाठशाला इ0ला0	23	5.9.20	रा0वि0 आयोग	174789.00
75	जि0पं0 व्यायमशाला के सामने इ0ला0	32	5.9.20	रा0वि0 आयोग	89654.00
76	एन0एच0 28 से विवेका नन्द इन्स्टीट्यूट रिठिया में इ0ला0	35	5.9.20	रा0वि0 आयोग	147428.00
77	आगौना धोबहत पिच से दक्षिण यादव पुरवा में इ0ला0	39	5.9.20	रा0वि0 आयोग	68241.00
78	चरकैला के मस्टरपुरवा में इ0ला0	40	5.9.20	रा0वि0 आयोग	80206.00
79	किशुनपुर सं0मा0 इ0ला0	49	5.9.20	रा0वि0 आयोग	77425.00
80	जरवलिया में सं0मा0 इ0ला0	50	5.9.20	रा0वि0 आयोग	43482.00
81	रघुनाथपुर में इ0ला0	51	5.9.20	रा0वि0 आयोग	120912.00
82	कडसरा में इ0ला0	52	5.9.20	रा0वि0 आयोग	375465.00
83	भिटठा में इ0ला0	53	5.9.20	रा0वि0 आयोग	325667.00
84	गौखोर सं0मा0 इ0ला0	57	5.9.20	रा0वि0 आयोग	207916.00
85	कप्तागंज पण्डूलघाट से नरेन्द्र चौधरी के घर इ0ला0	60	5.9.20	रा0वि0 आयोग	205444.00
86	मरवटिया के एकडेंगवा मेंसवारे के घर इ0ला0	65	5.9.20	रा0वि0 आयोग	86470.00
87	कमोखर में रामअजोर के घरसे इ0ला0	69	5.9.20	रा0वि0 आयोग	252431.00
88	नकटीदेई टिनिच मार्ग से टिनिच संमा0 इ0ला0	70	5.9.20	रा0वि0 आयोग	58993.00
89	विश्वा में तालुकदार के घर सं0मा0 इ0ला0	72	5.9.20	रा0वि0 आयोग	259356.00
90	गोविन्दापुर सं0मा0 इ0ला0	74	5.9.20	रा0वि0 आयोग	194607.00
91	बनकटा के राजस्व गांव पिकोरा में इ0ला0	76	5.9.20	रा0वि0 आयोग	108609.00
92	करमा देवी विद्यालय शेष इ0ला0	101	21.9.20	रा0वि0 आयोग	248179.00
93	बबूरी बाबू में अनिल सिंह केघर इ0ला0	102	21.9.20	रा0वि0 आयोग	218671.00
94	एन0एच0 28 से रेडवल इ0ला0	103	21.9.20	रा0वि0 आयोग	222523.00
95	पी0एम0जी0एस0वाई0 से कान्हूपुर इ0ला0	104	21.9.20	रा0वि0 आयोग	241824.00
96	बरहपुर कोपवा से भानू सिंह के घर तक इ0ला0	106	21.9.20	रा0वि0 आयोग	82834.00
97	कजरीकुण्ड से एकडेंगवा इ0ला0	109	21.9.20	रा0वि0 आयोग	318192.00
98	सगरा से रूधौली डुमरियागंज इ0ला0	110	21.9.20	रा0वि0 आयोग	494817.00
99	नगरखास में राजकोट बाजार मार्ग इ0ला0	111	21.9.20	रा0वि0 आयोग	215899.00
100	कनेथू में विनय उपाध्याय के घर मार्ग पर इ0ला0	113	21.9.20	रा0वि0 आयोग	126215.00
101	हसनी में सं0मा0 इ0ला0	115	21.9.20	रा0वि0 आयोग	247127.00
102	पिपरा गौतम में अखिलेश के घर इ0ला0	119	21.9.20	रा0वि0 आयोग	422133.00
103	मदनपुरा से उमेश केपुरवा तक इ0ला0	120	21.9.20	रा0वि0 आयोग	273643.00
104	इटैली मुख्य सडक से चौधरी पुरवा इ0ला0	121	21.9.20	रा0वि0 आयोग	187731.00
105	कचूरे मुख्य सडक से इटैली इ0ला0	122	21.9.20	रा0वि0 आयोग	189852.00
106	बारीघाट के बेरवा में लालगंज महोदया में इ0ला0	123	21.9.20	रा0वि0 आयोग	128035.00
107	रेनिया पृथ्वीपुरसे सोनहटी सं0मा0 इ0ला0	124	21.9.20	रा0वि0 आयोग	221373.00
108	महादेवा में पक्कीसडक से पहलवान के घर इ0ला0	45	17.10.20	रा0वि0 आयोग	199960.00
109	मसौडा सं0मा0 से गांव तक इ0ला0	60	17.10.20	रा0वि0 आयोग	413656.00
110	अरवापुर बैलिया सुनील के घर इ0ला0	61	17.10.20	रा0वि0 आयोग	163368.00
111	छितही सं0मा0 इ0ला0	68	17.10.20	रा0वि0 आयोग	266249.00
112	रेहार जंगल में भैंसहवा में मार्ग इ0ला0	70	17.10.20	रा0वि0 आयोग	231479.00

113	रेहार जंगल में इ0ला0	73	17.10.20	रा0वि0 आयोग	57273.00
114	दुबौलासेमरा मार्ग अमरडीहा इ0ला0	74	17.10.20	रा0वि0 आयोग	187731.00
115	दसिया से कुडिलिया पुरवा इ0ला0	77	17.10.20	रा0वि0 आयोग	144244.00
116	इटहिया सं0मा0 इ0ला0	78	17.10.20	रा0वि0 आयोग	133321.00
117	आमा भानपुर में इ0ला0	81	17.10.20	रा0वि0 आयोग	233270.00
118	बक्सर में इ0ला0	84	17.10.20	रा0वि0 आयोग	55155.00
119	बहादुरपुर पिच से आगे इ0ला0	87	17.10.20	रा0वि0 आयोग	98638.00
				योग	23782914

इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्तापरीक्षण कराये बिना ही कार्यो पर रु 23782914.00 लाख का व्यय के संदर्भ में पूछे जाने पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जांच के आधार पर ही गुणवत्ता के मानक का निर्धारण किया जाता है जो संस्था द्वारा सुनिश्चित किये बिना ही ठेकेदार को कार्य का पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

अतः इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराये बिना ही कार्यो पर धनराशि रु 23782914.00 लाख व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है इस प्रति कार्यावधि अनुसार अ0मु0अधि0 श्री विकास मिश्रा एवं अभियन्ता, श्री अनिल श्रीवास्तव संयुक्त रूप से पूर्णता उत्तरदायी है इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-4)**

प्रस्तर4- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0-6738/23-7-2006-176(सा0)/06 दिनांक 5 जनवरी 2007 में निहित प्राविधानों के अनुसार सभी निविदाओं को निदेशक सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाना चाहिये ताकि सभी निविदा सूचना निदेशक सूचना की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो सके शासनादेश सं05864/23-07-2000-48डै1/2000 दिनांक 01.12.2000 में निर्देशित किया गया था कि रु 200000.00 से ज्यादा लागत वाले कार्य की पूर्णकालिक निविदा प्रकाशित की जानी चाहिये ताकि विभागीय निविदा पर उसकी कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके ताकि विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ भी मिल सके।

जिला पंचायत बस्ती द्वारा उपलब्ध कराई गयी वर्ष 2020-21 निविदा संबंधी पत्रावलियों की जांच में पाया गया संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न तिथियों में कुल 151 कार्यो के लिये ठेकेदारों को टेण्डर भरने के लिये मात्र 6 दिन का समय देकर अति अल्पकालीन निविदा प्रकाशित कर कार्य कराये गये जिससे विभागीय निविदा पर उसकी कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो सका तथा विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ भी न मिल सका।

जिला पंचायत बस्ती द्वारा 2020-21 में प्रकाशित अतिअल्पकालीन निविदा का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लागत जी0एस0टी0 (लाख रु मे)
1	ग्राम टेमा में मेन रोड से विद्यालय होते हुये गांव के दक्षिण तक पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	बस्तीसदर	7.66
2	पोखरनी पोखरा पिच मार्ग से डीहवा गोयरी होते हुये कैथोलिया तक पिच का मरम्मत कार्य	बहादुरपुर	7.27
3	करहली से हथिया दूबे तक पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	बहादुरपुर	7.17
4	सिकरा हकीम मेन रोड से उत्तर की तरफ पिच मार्ग मरम्मत कार्य	बस्तीसदर	7.24
5	कल्यानपुर से कनैला तक पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	बहादुरपुर	8.59

6	एन0एच0-28 महुघाट गांव में मस्जिद होते हुये आगे तक पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	हरैया	6.09
7	हलुआ प्रधानमंत्री सडक से सांवडीह यादव का पुरवा का अवशेष भाग पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	गौर	5.32
8	बढया ग्राम में बभनान से हलुआ मार्ग तक पिच मरम्मत कार्य	गौर	4.90
9	गौर सं0मा0 से सुकरौली लेपन मरम्मत कार्य	गौर	5.91
10	गौर सं0मा0 से गिधनी में खण्डजा से लेपन मरम्मत कार्य	गौर	3.60
11	गौर सं0मा0 से गिधनी में खण्डजा से लेपन मरम्मत कार्य	गौर	2.98
12	सांवडीह समिति से गजडिया नाले के अवशेष भाग पर लेपन मरम्मत कार्य	गौर	5.52
13	पेडरिया से बेगम अब्दुल मोईद गल्स इण्टर कालेज के बीच लेपन मरम्मत कार्य	गौर	3.70
14	ग्राम देवखाल में मिट्टी से लेपन मरम्मत कार्य	विक्रमजोत	4.67
15	ग्राम अमानाबाद में पडरी मार्ग पर पिच मरम्मत कार्य	बनकटी	6.32
16	बस्ती महुली मार्ग से छबिलहा की तरफ लेपन कार्य	बस्तीसदर	37.21
17	गौरा भटपुरवा पिच रोड से पुस्तकालय तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	सांउघाट	14.09
18	गिधौरा जय विजय पिच से नगरा बैडिहार सं0मा0 पर मरम्मत कार्य	बनकटी	12.83
19	खजौला में पिच मार्ग से गांव तक लेपन कार्य	सांउघाट	32.52
20	प्रधानमंत्री सडक से ग्राम पंचायत सडवलिया तक मिट्टी से लेपन कार्य	कप्तानगंज	38.58
21	बस्ती डुमरियागंज मार्ग से औसापुर सं0मा0 पिच मरम्मत कार्य	बस्तीसदर	12.47
22	ग्राम तिगोडिया में पिच मरम्मत कार्य	रूधौली	16.66
23	बस्ती गोरखपुर मार्ग मलिकपुरवा सं0मा0 पर पिच मरम्मत कार्य	सांउघाट	12.39
24	ग्राम पंचायत मनयापार में लेपन कार्य	रूधौली	71.59
25	फरदापुर पक्की सडक से विशुनपुर तक पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	हरैया	13.49
26	देवराव पिच मार्ग से महुली पिच मार्ग तक लेपन कार्य	बस्तीसदर	32.10
27	दरौल भटपुरवा पिच मार्ग से पिपरा चन्द्रपति गांव तक पिच मरम्मत कार्य	सांउघाट	12.22
28	द्विबजेश मार्ग से देईपार मार्ग से देईपार तक पिच मरम्मत कार्य	सांउघाट	17.40
29	बैदोलिया ग्राम बारीनाथ के मोड से सुधीर यादव के घर तक सी0सी0	गौर	13.59
30	हल्लौर हरिहरपुर मार्ग से पडरी अमानाबाद मार्ग पर पिच मरम्मत कार्य	बनकटी	12.81
31	प्लास्टिक काम्पलेक्स कौशल मार्ग से ग्राम जिगिनी पिच मरम्मत कार्य	सांउघाट	12.50
32	बस्ती बांसी मार्ग के मानिकचन्द्र चौराहे से डडवा होते हुये पकडी चौबे तक पिच मरम्मत	सल्टौआ	14.84
33	एन0एच0-28 (गोटवा बाजार) से आंगनबाडी केन्द्र तक पिच मार्ग का	बस्तीसदर	11.01

	मरम्मत काय		
34	कठनौलिया से पुर्सिया मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य	सांउघाट	24.56
35	भदेश्वरनाथ पिच मार्ग से भैंसहिया गांव तक लेपन कार्य	बस्तीसदर	42.38
36	बस्ती महुली मार्ग से ताडीजोत ग्राम तक लेपन कार्य	बस्तीसदर	53.83
37	महसों पिच मार्ग से मस्जिदिया होते हुये पशुधन ट्रेनिंग सेन्टर तक मिट्टी से लेपन कार्य	बस्तीसदर	57.76
38	बस्ती महसो मार्ग से पाण्डेयडीह जी के गांव तक लेपन कार्य	बस्तीसदर	50.10
39	एन0एच0-28 से बेदहा से सैफलिया ग्लोबल स्कूल तरफ मिट्टी से लेपन कार्य	बस्तीसदर	29.28
40	ग्राम पंचायत देवखाल में रामजानकी मार्ग से महेश सिंह के घर तक लेपन मरम्मत कार्य	विक्रमजोत	19.11
41	विक्रमजोत बाजार के मुख्य मार्ग से लेपन मरम्मत कार्य	विक्रमजोत	18.87
42	छावनी बाजार में पिच मरम्मत कार्य	विक्रमजोत	11.84
43	एन0एच0-28 से आर0के0 सिंह के मकान तक पिच मरम्मत कार्य	विक्रमजोत	23.51
44	परसा परसुरामपुर मार्ग से भिटिनिया गांव तक पिच मरम्मत कार्य	परसरामपुर	18.76
45	गौरा पाण्डेय से नागपुर टिकैत तक पिच मरम्मत कार्य	परसरामपुर	11.67
46	नागपुर टिकैत ग्राम में पिच मरम्मत कार्य	परसरामपुर	11.66
47	अवधेश की दुकान से भाट पिकौरा पिच मरम्मत कार्य	परसरामपुर	11.61
48	मझौवाकला में पुरैना सं0मा0 पर लेपन कार्य	रूधौली	26.79
49	भितहरा से नटाईकला पुरैना सं0मा0 पर लेपन कार्य	रूधौली	27.00
50	मुगहरा में साहपुर सं0मा0 पर लेपन कार्य	रूधौली	21.55
51	ग्राम लोनहा से पकरी नकहा माग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	रूधौली	9.97
52	दस नं0 ठोकर पिच छोर से छाजन तक सी0सी0 एवं छाजन के अन्दर फलोर कार्य लम्बाई 15 मी0	विक्रमजोत	3.01
53	सिन्दुरिया पुल से गांव के बीच में अन्तिम छोर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	विक्रमजोत	9.97
54	महसों के मुख्य बाजार में स्टार्म वाटर ड्रेनेज 200 मी0	बस्तीसदर	7.74
55	गौसपुर के मुख्य बाजार में स्टार्म वाटर ड्रेनेज 200 मी0	बहादुरपुर	7.74
56	सनवलिया डैंगरहा मार्ग से कनिकापुर गांव के दक्षिण तरफ बाबूराम वर्मा आदि के खेत तक 150 मी0 सी0सी0 रोड	गौर	7.78
57	फूलचन्द्र वर्मा के खेत से चन्द्रिका सिंह आदि के खेत तक 150 मी0 सी0सी0 रोड	गौर	7.81
58	केशवापुर मुख्य बाजार में स्टार्म वाटर ड्रेनेज 200 मी0	रूधौली	7.74
59	हनुमानगंज मुख्य बाजार में स्टार्म वाटर ड्रेनेज 200 मी0	रूधौली	7.74
60	वि0ख0 रामनगर के भानपुर बाजार में यशपाल सिंह के घर से तेनुआ असनहरा मार्ग के बगल पोखर तक स्टार्म वाटर ड्रेनेज 250 मी0	रामनगर	9.67
61	बस्ती डुमरियागंज मार्ग से महादेवा ग्राम सं0मा0 पर लेपन कार्य	बस्तीसदर	7.50
62	बघाडी चौराहे पर स्टार्म वाटर ड्रेनेज 200 मी0	बनकटी	7.74

63	मानिकचन्द्र चौराहे से सल्टौआ मार्ग पर स्टार्म वाटर ड्रेनेज 255 मी०	सल्टौआ	9.97
64	महसौ मार्ग पर मुण्डेरवा चौराहा आर०के० पाण्डेय के होटल से एच०पी० पेट्रोलपम्प तक स्टार्म वाटर ड्रेनेज 255 मी०	बस्तीसदर	9.97
65	आमा टिनिच इतवार बाजार में स्टार्म वाटर ड्रेनेज 182 मी०	सल्टौआ	7.05
66	साहूपार चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 193 मी०	कुदरहा	7.47
67	पैकवलिया शिवघाट मार्ग पर तेनुआबाजार में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	गौर	7.74
68	कथकपुरवा चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 183 मी०	रूधौली	7.09
69	नकहा चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 183 मी०	रूधौली	7.09
70	गौरा धमौरा चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 185 मी०	सांउघाट	7.17
71	सल्टौआ मुडबरा मार्ग रुदलापुर चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 182 मी०	सल्टौआ	7.05
72	ग्राम कडहा में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 183 मी०	सल्टौआ	7.09
73	मौलाना सल्लार के घर से सरयू नहर कैनाल तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 183 मी०	सांउघाट	7.09
74	सरद मिश्रा के घर के सामने से शंकरपुर चौराहे तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 181मी०	रामनगर	7.01
75	महादेवा चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 181 मी०	बनकटी	7.01
76	नशीबगंज चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 183 मी०	रूधौली	7.09
77	मकबूलगंज चौराहे पर राजेश के दुकान के आगे से नाला तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज	सांउघाट	9.86
78	परसालालशाही चौराहे से पप्पू गुप्ता के घर तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 185 मी०	सांउघाट	7.17
79	नगर मार्ग बिचलाचौक होते हुये तालाब की तरफ स्टार्मवाटर ड्रेनेज 258 मी०	कप्तानगंज	9.97
80	दुर्गा मंदिर से अलगू धोबी के घरसे होते हुये तालाब तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 257 मी०	कप्तानगंज	9.93
81	कप्तानगंज चौराहे से टिनिहवा नाला की तरफ स्टार्मवाटर ड्रेनेज 250 मी०	बस्तीसदर	9.67
82	हरदिया चौराहे से पुलिया की तरफ स्टार्मवाटर ड्रेनेज 192 मी०	बस्तीसदर	7.44
83	गा०पं० रतनपुर के मुलायमगंज बाजार में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 187 मी०	हरैया	7.25
84	मुडघाट दुबौला मुख्य मार्ग के ग्राम चयनपुर रामकृपाल के दुकान से नाले की तरफ स्टार्मवाटर ड्रेनेज 186 मी०	बस्ती सदर	7.20
85	ग्राम सहसरांव के मार्केट बुद्धियागंज में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 258 मी०	हरैया	9.97
86	जोगापुर बाजार में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 186 मी०	हरैया	7.20
87	एकसडा चौराहे से नदी की तरफ स्टार्मवाटर ड्रेनेज 250 मी०	बहादुरपुर	9.67
88	बरहुआ चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 185 मी०	बनकटी	7.17
89	रेहार जंगल में चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 182मी०	सल्टौआ	7.05

90	शंकरपुर चौराहे से नाले तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 181 मी०	रामनगर	7.01
91	मनौरी चौराहे नाले से पाण्डेय बाजार रोड पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 183 मी०	सांउघाट	7.09
92	मनौरी चौराहे से नाले तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 182 मी०	सांउघाट	7.05
93	मुण्डेरवा बाजार में ग०वि०इ०का० के सामने स्टार्मवाटर ड्रेनेज 182 मी०	बनकटी	7.05
94	अहरा चौराहे से कष्टहरनी नदी तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 183 मी०	बनकटी	7.09
95	मकबूल गंज बाजार गोरखपुर रोड के बगल में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 181 मी०	सांउघाट	7.01
96	हरदी बाजार से साहिदबाबा तिराहे पर रोड के बगल नहर तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	गौर	7.74
97	वाल्टरगंज गौर मार्ग पर बभनगांवाकला में नाले तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	गौर	7.74
98	प्रतापगढकला में आरसी खान के घर से नाले तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	विक्रमजोत	7.74
99	सडवलिया डेंगरहा मार्ग पर सौरहा बाजार में नाले तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	गौर	7.74
100	संतोष गुप्ता के घर और राजू गुप्ता के घर होते हुये भानलाल श्रीवास्तव के घर के बगल तालाब तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	परसरामपुर	7.74
101	ग्राम फूलडीह में पटकापुर चौराहे पर शेर मोहम्मद के घर से राजबहादुर माली के घर तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	विक्रमजोत	7.74
102	चिलमा बाजार में विश्वनाथ गुप्ता के दुकान से रामफेर के घर के पास तालाब तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 100 मी०	दुबौलिया	3.90
103	चिलमा बाजार में विक्रान्तसिंह के दुकान के पास नाले से दिनेश गुप्ता घर के पास तालाब तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 100 मी०	दुबौलिया	9.00
104	विशेरगंज बाजार में मायाराम के घर से तालाब तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 200 मी०	दुबौलिया	7.74
105	गौरा पाण्डेय मस्जिदपुरवा पर टूलेन सडक के बगल स्टार्मवाटर ड्रेनेज 250 मी०	परसरामपुर	9.67
106	लाला पिकौरानन्दनगर चौरी के बगल मस्कनवां टूलेन पर सडक के बगल स्टार्मवाटर ड्रेनेज 250 मी०	परसरामपुर	9.67
107	परसरामपुर मे पुरानी बाजार में मौर्या की दुकान से दुर्गा मंदिर के बगल गडहा तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 250 मी०	परसरामपुर	9.67
108	अमौली बाजार में प्रा०वि० से स्कूल से नहर तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 250 मी०	परसरामपुर	9.67
109	हथिवाकला चौराहे से इन्द्रभान चौधरी के दुकान की तरफ स्टार्मवाटर ड्रेनेज 188 मी०	कुदरहा	7.28
110	डारीडीहा चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 191 मी०	बस्तीसदर	7.39

111	जिगिना में मार्ग से पोखरों की तरफ स्टार्मवाटर ड्रेनेज 192 मी०	बस्तीसदर	7.44
112	नगरबाजार में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 191 मी०	बहादुरपुर	7.39
113	शुभमनगर चंगेरवा में स्थित जिला पंचायत बस्ती की डाक बंगले की रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य	बस्तीसदर	6.93
114	न्यायलय मार्ग पर स्थित शाप नं०-18 के बगल मूत्रालय/शौचालय निर्माण	बस्तीसदर	1.74
115	पकडीरायठ नकहा मार्ग पर ग्राम पकडीसोयम में पुलिया मरम्मत कार्य	रामनगर	2.52
116	रामपुर नरौली मार्ग से छबिलहा मार्ग पर 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया मरम्मत कार्य	बस्तीसदर	3.24
117	नरखोरिया बाजार में बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 400 मी०	रामनगर	17.35
118	भिरिया बाजार में सोनहा शिवाघाट मार्ग पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 400 मी०	सल्टौआ	15.42
119	आमारी बाजार में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 400 मी०	हरैया	15.42
120	ग्रामपंचायत एकटेकवा चौराहे पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 400 मी०	गौर	15.42
121	डारीडीहा नाले से एच०पी० पेट्रोल पम्प तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 520 मी०	बस्तीसदर	15.47
122	खरका प्रा०वि० स्कूल के आगे से नाले तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 350 मी०	बनकटी	13.51
123	चौरी बाजार में डा० अशोक शुक्ला घर के सामने से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	परसरामपुर	20.72
124	भौरा चौराहे से नहर की पुलिया तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज 250 मी०	बस्तीसदर	7.01
125	ग्राम पंचायत रमना तौफीर में बाण्डरी वाल निर्माण कार्य	दुबौलिया	26.73
126	बभनगावां पिच रोडसे अनूप सिंह के घर तक सी०सी० कार्य लम्बाई 228 मी०	विक्रमजोत	17.45
127	चरथी भठ्ठ झलियाबाबा के पुरवा में इ०ला० रोड से शिवकुमार वर्मा के घरतक सी०सी० कार्य 147 मी०	विक्रमजोत	14.11
128	अगौना से धोबहठ जाने वाले मार्ग पर स्टार्मवाटर ड्रेनेज 192 मी०	बहादुरपुर	7.44
129	ग्राम पचवस में बसन्त सिंह घर से धर्मवीर के घर के आगे तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज कार्य	विक्रमजोत	7.74
130	आमाटिनिच इतवार बाजार में स्टार्मवाटर ड्रेनेज 182 मी०	सल्टौआ	7.05
131	गाउखोर के सं०मा० पर सी०सी० रोड निर्माण कार्य	सांउघाट	9.80
132	बस्तीबांसी सं०मा० से पटखौली में नाला निर्माण कार्य	सांउघाट	9.80
133	बस्ती बांसी से राधास्वामी सत्संग ब्यास की तरफ आर०सी०;सी० नाली निर्माण कार्य	बस्तीसदर	9.96
134	ग्राम हरैया जप्ती मार्ग पर 02 की स्पान की आर०सी०सी० पुलिया मरम्मत	सांउघाट	2.35
135	ग्राम डुहवा में मुख्य मार्ग से प्रा०वि० तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	सल्टौआ	8.51

136	किथुरी रेलवे क्रांसिंग पिच रोड से ग्राम सभा माग पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	बनकटी	8.00
137	न्यायालय मार्ग पर स्थित अर्बन को0 बैंक के उपर शांप नं0 22 ए का मरम्मत कार्य	बस्तीसदर	3.08
138	ग्राम मस्जिदिया में जनेश्वरमिश्र सामुदायिक केंद्र का अवशेष भाग का निर्माण	बस्तीसदर	9.92
139	फुटहिया स्थित कारगिल शहीद सौर्य स्तम्भ का अवशेष भाग का कार्य	बस्तीसदर	5.25
140	बंधुआ मोड से समयामाता मंदिर सं0मा0 पर मिट्टी लेपन कार्य	बस्तीसदर	7.50
141	ग्राम सिंहोरवा पश्चिम मुख्य भाग से कोहडवा गांव तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	बनकटी	9.67
142	ग्राम बसडीला में मुख्य मार्ग से हरिराम चौधरी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	सल्टौआ	9.86
143	ग्राम तिनौथ में बेलवरिया बाग से दक्षिण तरफ पिच रोड निर्माण कार्य	हरैया	9.90
144	ग्राम तिनौथ में बेलवरिया बाग से दक्षिण तरफ पिच रोड अवशेष निर्माण कार्य	हरैया	9.87
145	ग्राम मस्जिदिया में सं0मा0 पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	बस्तीसदर	9.97
146	चाईबारी में सं0मा0 पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	बस्तीसदर	9.96
147	शेरापार में सं0मा0 पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	बस्तीसदर	9.98
148	ग्राम पगारे खास में सं0मा0 पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	बनकटी	9.97
149	श्रीपालपुर में सं0मा0 पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	हरैया	9.97
150	ग्राम सभा गनेशपुर में प्रा0वि0 से पशुचिकित्सालय तक सी0सी0 रोड निर्माण 128	बस्तीसदर	9.50
151	घाटमपुर रानीपुर पिच मार्ग से रानीपुर अन्धनपुर सं0मा0 पर पिचरोड निर्माण कार्य 190 मी	हरैया	9.56
	योग		1820.58

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में आंगणित धनराशि रु 1820.58 लाख अर्थात रु 182058000.00 के 151 कार्यों के लिये अति अल्पकालिन निविदा आमंत्रित कर विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरो के लाभ से वंचित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है कार्यावधि अनुसार अ0मु0अधि0 श्री विकास मिश्रा व अभियन्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से जिम्मेदार है इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति सं0-5)**

प्रस्तर5- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायतों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रावधानित राजस्व कीवसूली अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

जिला पंचायत के संपत्ति एवं विभव कर लाईसेंस शुल्क आदि से संबंधित प्रस्तुत मांग के सापेक्ष वसूली अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मांग एवं वसूली की स्थिति निम्नवत थी-

(धनराशि रु लाख में)

मद	वर्ष के दौरान मांग	वसूली	वसूलीप्रतिशत	अवशेष वसूली
संपत्ति एवं विभव कर	249.83	26.19	10.48	223.64
लाईसेंस	29.61	29.61	100.00	-
संपत्ति से आय दुकान भवन,	69.34	53.67	77.40	15.67

किराया व मरम्मत प्रिमियम				
नौकाघाट	5.15	0.00	0.00	5.15
हाट बाजार एवं तहबजारी	1.28	-	-	1.28
कृषि तथा तरूपालन	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	355.21	109.47	30.81	245.74

उपरोक्त विवरण के अनुसार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त मद में की रु 355.21 लाख के सापेक्ष केवल रु 109.47 लाख 30.81 प्रतिशत की ही वसूली की जा सकी एवं रु 245.74 लाख की वसूली लम्बित पायी गयी।

उक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर संस्था द्वारा बताया गया कि वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संस्था का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मांग के सापेक्ष वसूली बहुत ही कम है एवं यह संस्था की स्वयं की आय है जिसे वसूली किया जाना संस्था का कार्य है। जिला पंचायतों को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ करने हेतु प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रावधानित राजस्व की वसूली अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

इस प्रकार संपत्ति एवं विभवकर, लाईसेंस शुल्क आदि की लंबित वसूली रु 245.74 लाख आर्थात् रु 24574000.00 वसूली न होने के प्रति कार्यवधि अनुसार अ०मु०अधि० श्री विकास मिश्रा एवं कर अधिकारी श्री अमित कुमार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-6)

प्रस्तर6- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत का किराये पर दिये गये भवनों/कमरों की किराये की वसूली विगत कई वर्षों से नहीं हो पा रही है जिसका विवरण दिनांक 31.3.21 को बकाया वसूली रजिस्टर के अनुसार निम्नवत है-

क्र०सं०	बकायेदार/कार्यालय/व्यक्ति का नाम	31.3.21 को बकाया धनराशि
1	कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती	2786819.00
2	कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक बस्ती	651037.00
3	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड बस्ती	718929.00
4	श्री रामशंकर गुप्ता पुत्र सहदेव गुप्ता	10463.00
5	श्री मदनलाल गुप्ता एडवोकेट	97614.00
6	प्रबन्धक पी०एन०बी० बैंक	93125.00
7	यू०पी० एगो बस्ती	14997.00
8	प्रदीप कुमार सिंह	36289.00
9	अवधेश कुमार पाण्डेय	3516.00
10	श्रीमती किरन पाण्डेय	3516.00
11	शीला चौधरी	30376.00
12	सुभाष चन्द्र	8464.00
13	श्रीलक्ष्मी नारायण पाण्डेय	87996.00
14	श्री मजहर आजार पत्रकार	109162.00

15	श्रीमती सुनीता मिश्र	12692.00
16	श्री रामनरेश त्रिपाठी	6860.00
17	श्री शब्बीर खान	2352.00
18	श्रीमती नीता यादव	218400.00
19	श्री रामप्रताप सिंह	8000.00
20	प्रबन्धक गांधी आश्रम हरैया	47621.00
21	श्री राधेश्याम सिंह लेखाकार (वर्तमान में संतकबीरनगर)	172927.00
22	अरबन को0 बैंक	5156.00
23	श्री रामजीत	8549.00
24	जिला विकास अधिकारी	31284.00
25	श्री मालती आर्या	17573.00
26	श्री कौशल किशोर राव	36393.00
27	श्री राजेश कुमार चौधरी	16740.00
28	श्री राममिलन यादव	14544.00
29	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	4844.00
30	प्रबन्धक गांधी आश्रम बस्ती	11339.00
31	श्री लालजी	33608.00
32	श्री रामनयन	19008.00
33	श्री रामसागर चौहान	11358.00
34	श्री रामशंकर गुप्ता	10463.00
35	श्री बाबूराम	4050.00
36	श्री हरिराम तिवारी	3400.00
37	श्री केशव प्रसाद	5400.00
38	श्री शेषमणि ओझा	15150.00
39	श्री जयप्रकाश नारायण	27970.00
40	श्री रामनारायण	4350.00
41	श्री अयोध्या प्रसाद	8950.00
42	श्री बब्बन	3300.00
43	श्री सहदेव शुक्ल	21625.00
44	श्री अजेय कुमार सिंह	36201.00
45	श्री अम्बेश्वर सिंह	36201.00
46	श्री प्रदीप कुमार	6625.00
47	श्री जयदेवी सिंह	6375.00
48	श्री सुभावती देवी	4375.00
49	श्री अनिमेश त्रिपाठी	55780.00
50	श्री पी0एन0बी0 ए0टी0एम0	63000.00
	योग	5644766.00

अतः दिनांक- 31/3/21 को बकाया अवशेष रु 5644766.00 की वसूली क्षेत्र समिति एवं जिलापंचायत अधिनियम 1961

यथा संशोधित 1994 की धारा 158(2) एवं रेवेन्यू रिकवरी 30प्र0 रिकवरी एक्ट 1890 उपबंधों के अधीन आर0सी0 की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

31/3/21 को बकाया अवशेष धनराशि रु 5644766.00 रहने का मुख्य कारण कर वसूली कर्मचारियों द्वारा वसूली कार्य में रुचि न लेना कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वसूली की समीक्षा नहीं करना, वसूली कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही एवं बकायादारों पर वसूली हेतु विधिक कार्यवाही न किया जाना रहा। अतएव इस प्रति कार्यावधि अनुसार अ0मु0अधि0 श्री विकास मिश्रा एवं कर अधिकारी श्री अमित कुमार एवं वसूली कर्मचारी 1 श्री महमूद अहमद रा0नि0, 2 श्री राजेन्द्र प्रसाद सहा0रा0नि0, 3 श्री राजकुमार गौतम सहा0रा0नि0 जिम्मेदार है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-7)

प्रस्तर7- जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ किये गये थे परन्तु दिनांक 31.03.21 तक अपूर्ण रहे जिससे दर्शित कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता अलाभकारी रही।

विवरण निम्नवत है-

(आंकड़े लाख में)

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	दिनांक 31.03.21 तक व्यय	अभियुक्ति
1	विकास खण्ड बनकटी पंखोबारी में इ0ला0	1040.00	6.71	अपूर्ण
2	रामजानकी मार्ग से जैतापुर मार्ग में देवखाल बबूरी में शिवनारायण के फार्म तक पिच मरम्मत	22.07	18.90	अपूर्ण
3	रामजानकी मार्ग से जट्टपुर पिच मरम्मत	9.95	5.57	अपूर्ण
4	बैजलपुर सरनायगंज मार्ग से जौनापुर तक पिच मरम्मत	14.32	11.62	अपूर्ण
5	मस्कनवां सिकन्दपुर मार्ग से किशुनपुर हरिराय किसान इण्टर कालेज तक पिच मरम्मत	15.40	13.46	अपूर्ण
6	कलावारी मार्ग से वैष्णवपुर पिच मरम्मत	10.60	5.52	अपूर्ण
7	पंचपेडवा डुहवा पिपर मार्ग से अगयाबुजुर्ग कठौतिया सांवडीह तक पिच मरम्मत	21.41	15.79	अपूर्ण
8	एन0एच0 28 से चोकडी मुस्लिम बस्ती तक पिच मरम्मत	16.41	4.04	अपूर्ण
9	मंहुघाट विशेशरगंज रोड से नदायें गांव पुजारी के घर सं0मा0 पिच मरम्मत	6.42	2.73	अपूर्ण
10	डीघापार से आमानाबाद पिच रोड से पडरी हरिजन बस्ती तक पिच मरम्मत	3.59	2.38	अपूर्ण
11	ग्राम कडियापार राउत में करमा सरकारी बोर्डिंग से करमा गांव सं0मा0 पिच रोड	8.40	7.04	अपूर्ण
12	ग्राम गायघाट में रामजानकी मार्ग से विशुनपुरवा गांव के सं0मा0 पर इ0ला0	8.40	7.15	अपूर्ण
13	ग्राम कुरियार में रामनरेश प्रजापति के खेत से जीवलाल के मकान सं0मा0 पर इ0ला0	8.40	7.15	अपूर्ण
14	ग्राम निरंजनपुर में बाबूराम प्रजापति के घर से हरिराम यादव के घर सं0मा0 पर इ0ला0	3.92	2.97	अपूर्ण
15	ग्राम कटरिया पक्की सडक अर्जुन मांझी के घर से होते हुये बन्धे तक इ0ला0	6.72	4.33	अपूर्ण

16	चन्द्रिका प्रधान के घर से इन्द्रपाल के घर होते हुये प्रा०वि० रेवडादास तक सी०सी० रोड	7.90	3.60	अपूर्ण
17	ग्रा०पं० मुडबरा में परीक्रमा मार्ग पिच कार्य	5.04	2.28	अपूर्ण
18	ग्राम सभा मडवानगर बडेबन में तिलकपुर कोठी के बगल नाला निर्माण एवं मिट्टी भराई	7.28	3.96	अपूर्ण
19	पं० दीनदयाल उपाध्याय व्यवसायिक काम्पलेक्स उपकोषागार भानपुर के बगल	11.20	4.16	अपूर्ण
20	करमा देवी विद्यालय के फुटहिया सं०मा० के पटरी पर इ०ला०	8.96	2.26	अपूर्ण
21	बडेबन मडवानगर मे शीतल शुक्ला के घर के सामने एन०एच० 28 मुख्य नाला ढक्कनदार नाली	5.60	2.77	अपूर्ण
22	करिगहना में नाली पर 2.5 मी स्पान पुलिया	5.48	3.40	अपूर्ण
23	महेश प्रसाद यादव कर्मचारी आवास अवशेष भाग	1.12	0.60	अपूर्ण
24	ग्राम करमा कला में पिच मार्ग के पश्चिम सं०मा० पर 4 मी० पुलिया	8.85	5.32	अपूर्ण
25	ग्राम पंचायत हथिनास सं०मा० पर खण्डजा	5.60	4.76	अपूर्ण
26	पकडीजप्ती इटवा मार्ग से पकडी जप्ती मदरसा तक सी०सी० रोड	8.96	4.88	अपूर्ण
27	मुसहा बेलघाट मार्ग से भैंसा में मोहित के घर सं०मा० की तरफ सी०सी० रोड	4.82	3.21	अपूर्ण
28	ग्रा०पं० हरिपालपुर के बंधे के बगल 4मी० पुलिया	8.96	3.70	अपूर्ण
29	ग्राम डैगापुर में लक्ष्मी सिंह के घर की तरफ सं०मा० पर इ०ला०	3.36	2.12	अपूर्ण
30	ग्राम बगही में नेवासअली के घर से संतराम के घर तक इ०ला०	5.60	4.33	अपूर्ण
31	ग्रा०पं० बगली में राजितराम चौधरी के घर से सुभाष चौधरी के घर की तरफ इ०ला०	4.93	2.47	अपूर्ण
	योग	-	169.18	

उपरोक्त दर्शित कार्य पर व्यय रु 169.18 लाख अर्थात रु 16918000.00 व्यय कर गम्भीर अनियमिततायें की गयी तथा व्यय अलाभकारी रहा जिसके लिये कार्यावधि अनुसार अ०मु०अधि० श्री विकास मिश्रा व अभियन्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव विशेष रूप से जिम्मदार हैं इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-8)

प्रारूप-02
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21
(जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ)

जनपद- संतकबीरनगर

संभाग -बस्ती

प्रस्तर सं0-1

जिला पंचायत संतकबीरनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2014 पंचायती राज अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 31-जुलाई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार जिला पंचायत एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करेगी परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश के विपरीत एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा किसी भी दशा में ग्राम सभा के अन्दर कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव अनुमन्य नहीं होंगे। गांव के अन्दर निर्माण कार्य कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों का है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान भी किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत संतकबीरनगर द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। उदाहरणार्थ

क्रम सं.	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय लाख रु. में
1	ग्राम सभा सिसवा तालिब में पिच रोड / मस्जिद से पश्चिम पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	2020-21	564480.00
2	ग्राम सभा गोनदौरा में ननकू के घर से पोखरे तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	2020-21	985600.00
3	ग्राम सभा औराडाड रामपुर पिचरोड / रामचन्द्र राजभर के घर से रामपुर तिलहा सम्पर्क मार्ग पर पिच निर्माण कार्य	2020-21	1935360.00
4	ग्राम सभा महुआरी में महुवारी प्रसादपुर पिचरोड से महुवारी गांव तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच कार्य	2020-21	853440.00
5	ग्राम सभा अमांवा में परदेशवा- परसवा पिच रोड / आयूब के घर के पास से अमांवा गांव के तरफ जाने वाले रोड पर पिच रोड निर्माण कार्य	2020-21	853440.00
6.	ग्राम सभा बौरब्यास से हावपुर भड़ारी बौर ब्यास पिच रोड पुलिया से बौरब्यास गांव तरफ जाने वाले रोड पर लेपन कार्य	2020-21	884800.00
7	ग्राम सभा कटया में पिच / गोविन्द के घर से प्रा0वि0 / गोवंश आश्रय स्थल के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर पिच कार्य	2020-21	871360.00
8	ग्राम सभा औराडाड पिच / राजू राजभर के घर से औराडाड पाण्डेय पुरवा पिच रोड के तरफ जाने वाले मार्ग पर लेपन कार्य	2020-21	909440.00
9	ग्राम सभा नन्दौर में बखिरा नंदौर पिच रोड से इ0ला0 रोड के आगे	2020-21	582400.00

	पंचराम यादव के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर पिच निर्माण कार्य		
10	ग्राम महुई में मेनरोड से तामेश्वरनाथ के तरफ जाने वाले मार्ग पर लेपन कार्य	2020-21	784000.00
11	ग्राम पंचायत भक्तान से राउतपार पिच का अवशेष भाग का पिच कार्य	2020-21	1370880.00
12.	ग्राम सभा करमा कला में पी0डब्लू0डी0रोड से पिच रोड / स्वास्थ्य केंद्र से तरैनी पिच रोड के तरफ जाने वाले रोड पर लेपन कार्य स्वास्थ्य केन्द्र से तरैनी पिच रोड के तरफ जाने वाले रोड पर लेपन कार्य	2020-21	2700320.00
13	ग्राम सभा ढोढई में हरपुर पिच रोड से ढोढई गांव तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड तक लेपन कार्य	2020-21	852320.00
14	ग्राम सभा विषयाहन्नु पोखरे वाले कुटी पक्की रोड से हरिराम बाबा के कुटी तक पिच कार्य	2020-21	669200.00
15.	सोनहन अखिलेश के खेत से पिच रोड तक लेपन कार्य	2020-21	656320.00
16	ग्राम पंचायत सतहरा नाथनगर में खजुरिया से बसहिया वाले मार्ग पर पिच कार्य	2020-21	1433600.00
17	ग्राम देवरिया गंगा के कुलवना हरिजन बस्ती से कोनी नौरंगिया सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	2020-21	893760.00
18	ग्राम सभा छोटी सरौली में इ0ला0 / ट्रासफार्मर से शोभित पाण्डेय के घर जाने वाले रोड पर सी0सी0रोड निर्माण कार्य	2020-21	717920.00
19	ग्रामसभा अतरी नानकार में पिच रोड / रविन्द्र शुक्ला के खेत से अतरी नानकार प्रा0स्कूल के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच निर्माण कार्य	2020-21	2896960.00
20	ग्राम सभा औराडाड रामपुर पिच रोड / रामचन्द्र राजभर के घर से रामपुर तिलहा सम्पर्क मार्ग पर पिचरोड निर्माण कार्य	2020-21	3353280.00
21	ग्राम गजौली शेख के सामान्य सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य	2020-21	898016.00
22	ग्राम पंचायत गोपालपुर मुख्य मार्ग से पसनहर गांव के तरफ जाने वाले इ0ला0 कार्य	2020-21	598080.00
23	लोहरसन मुख्य मार्ग से लोहरसन कब्रिस्तान के जनाजागाह मार्ग तक इ0ला0 कार्य	2020-21	398720.00
24	ग्राम संझदिवकली में चिढढापर ग्राम नहर से राम आसरे के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य	2020-21	996800.00

25	शिवसरा पिच रोड से मन्झरिया मुख्य मार्ग के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर पिच कार्य	2020-21	1159200.00
26	लगड़वार मे सोनू सिंह के घर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य	2020-21	598080.00
27	ग्राम मुजहना अंकुर सिंह के बोरिंग से अब्दरहमान के घर होते हुए सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य	2020-21	996576.00
28	एन0एच0 28 से दलेलगंज गांव तक इ0ला0 कार्य	2020-21	897120.00
29	चन्दौली माफी गोविन्दगंज में शिव मन्दिर से केवटहिया टोला के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य	2020-21	997920.00
30	ग्राम सभा नरायनपुर में पिच रोड से राम जी मौर्या के घर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	2020-21	784000.00
31	ग्राम बेबवाजिगर में पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बहरेमाफी मन्दिर तक पिचरोड कार्य।	2020-21	407680.00
32.	ग्राम सुल्तानपुर में लेपन कार्य	2020-21	740400.00
33	ग्राम सभा धुरपाती में शहीद तोरण द्वार का निर्माण कार्य	2020-21	515200.00
34	ग्राम पंचायत विरण जोगिया पिच अनुरक्षण कार्य	2020-21	636160.00
35	ग्राम सभा हैंसर बालमपुर पिच रोड से ढढरा गांव में के घर तक जाने वाले मार्ग पर लेपन कार्य।	2020-21	557760.00
36	ग्रामपंचायत कुडीमनमन में पिच रोड / सजाद के खेत से चडियांवा गांव के तरफ जाने वाले रोड पर लेपन कार्य	2020-21	1716960.00
37	डिहवा गांव पिच से इस्लामिया स्कूल तक खण्डंजा कार्य	2020-21	571200.00
38	ग्राम टिकुई कोल चौबे से ट्रान्सफारमर के पास पिच रोड से अनु0 बस्ती तक अवशेष पिच कार्य	2020-21	197120.00
39	ग्राम पंचायत मीरगंज में एन0एच028 से हाजिर अली के राइसमिल तक लेपन कार्य	2020-21	899360.00
40	ग्राम पंचायत परसहर से प्रतिहना / मझरिया सिवान तक पिच कार्य	2020-21	2151520.00
41	ग्राम सभा महादेव सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य	2020-21	226240.00
42	ग्राम सभा के हारापट्टी के धुसियापुरवा में बखिरा नन्दौर मुख्य मार्ग हरिकेश यादव के घर से दीनानाथ चौधरी के घर होते हुए रामरूप ।	2020-21	627872.00
43	ग्राम सभा दुधारा में मुख्य मार्ग पी0डब्लू0डी0 सडक से बड़हरा पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	2020-21	1372000.00

44	ग्राम बजहड़ा में दुधारा चुरेब पिच मार्ग पुलिया से सिकरिया नाला तक नाला निर्माण	2020-21	1949808.00
45	खलीलाबाद में ग्राम रामपुर तमेश्वरनाथ, रामसुमेर भारती के घर से निवियहिया तक नाली निर्माण कार्य	2020-21	1020320.00
46	खलीलाबाद में ग्राम रानीपार में हरिजन बस्ती से खुदवा नाले तक नाली निर्माण ।	2020-21	980000.00
47	विकास खण्ड बघौली में ग्राम सभा छराह में वरवीरा दुर्गजोत पीओडब्लूडीओ के उत्तर नाला निर्माण कार्य	2020-21	383040.00
	योग		48046032.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय उक्त के अतिरिक्त निम्न आपतियाँ हैं।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं. -39 के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा एव 10 लाख रु. से अधिक की लागत से सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा । किन्तु निर्माण कार्यों के अन्तिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया है।
2. शासनादेश संख्या – 1838/33-3-2015-03-2015 पंचायती राज अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले 10 लाख से अधिक लागत के कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी । किन्तु जिला पंचायत संतकबीरनगर ने अधिकांश निर्माण कार्य रु. 10 लाख की लागत से कम लागत का कराया है। जो आपति जनक है।
3. शासनादेश संख्या – 3852/33-सेल /2018 जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लखनऊ दिनांक 24 दिसम्बर 2018 द्वारा जिला पंचायत द्वारा निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गों के निर्धारण के सम्बन्ध में केवल लेपन सी.सी. व खडपंजा के कार्य स्वीकृत किये जाने का दिशा निर्देश दिया गया है। इस प्रकार सम्पर्क मार्ग पर इ.ला. कार्य योजना में अनुमन्य नहीं होंगे। सम्पर्क मार्ग पर इ.ला. कार्य अनुमन्य न होने के बावजूद इ.ला. कार्य कराया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत संतकबीरनगर ने उक्त निर्माण कार्यों में रुपया 48046032.00 व्यय कर अनियमितता की है । इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मदेशिया उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	48046032.00	48046032.00

प्रस्तर संख्या -2

जिला पंचायत संतकबीरनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार सी.पी. टैक्स के आय का विवरण निम्न प्रकार है।

2017-18	3113974.00
2018-19	1879180.00
2019-20	1931966.00
2020-21	1251177.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2020-21 में सी0पी0 टैक्स में 3113974-1251177=1862797 कम आय हुई है। उक्त आय में कमी के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मद्देशिया व कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह तथा करसमाहर्ता श्री भरतलाल , मोतीलाल, राम प्रकाश तिवारी , आशीष कुमार, निलेश कुमार, रामजतन मौर्य व राजस्व निरीक्षक श्री राम शब्द श्री कमलेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। प्रकरण गंभीर अनियमितता का है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1862797.00	1862797.00

प्रस्तर संख्या -3

जिला पंचायत संतकबीरनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार लाइसेंस से आय का विवरण निम्न प्रकार रहा ।

2017-18	-- 1455170.00
2018-19	-- 1451146.00
2019-20	-- 1345800.00
2020-21	-- 1199400.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2020-21 में लाइसेंस टैक्स में 1455170-1199400--255770 कम आय हुई है। उक्त आय में कमी के लिए अपरमुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मद्देशिया व कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह तथा करसमाहर्ता श्री भरतलाल , रामप्रकाश तिवारी , आशीष कुमार , निलेश कुमार, रामजतन मौर्य व राजस्व निरीक्षक श्री राम शब्द श्री कमलेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। प्रकरण गंभीर अनियमितता का है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	255770.00	255770.00

प्रस्तर सं0-4

जिला पंचायत संतकबीरनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से बिना अर्थदण्ड लिये समय वृद्धि कर दिया गया है जो अनियमित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	निविदा की धनराशि	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्त तिथि	समय वृद्धि पश्चात समाप्त तिथि	अर्थदण्ड जो काटा गया	समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण अर्थदण्ड की धनराशि
1	ग्राम सभा सिसवा तालिब में पिच रोड / मस्जिद से पश्चिम पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	19.54 लाख	श्री अमीकूर रहमान	25-3-2021	24.6.2021	30-12-2021		19540
2.	ग्राम सभा गोनदौरा में ननकू के घर से पोखरे तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	15.22 लाख	श्री सत्येन्द्र कुमार पाठक	22.3.2021	21.6.2021	30.11.2021	-	15220
3	ग्राम सभा औराडाड रामपुर पिचरोड / रामचन्द्र राजभर के घर से रामपुर तिलहा सम्पर्क मार्ग पर पिच निर्माण कार्य	59.50 लाख	श्री पंचराम यादव	28.12.2020	27.6.2021	30.12.2021		59500
4	प्रधानमंत्री सड़क से इ0ला0रोड तक अवशेष पिच रोड निर्माण कार्य	36.65 लाख	श्री सत्येन्द्र कुमार पाठक	15.1.2021	14.7.2021	30.12.2021		36650
5	वि0ख0 मेंहदावल	19.92	श्री	15.1.2021	14.7.2021	30.12.2021		19920

	में बी०एम०सी०टी० रोड / साईं खुर्द से भण्डारे जाने रोड पर अवशेष भाग का पिच निर्माण कार्य	लाख	वंशीधर पाण्डेय					
6	बौरब्यास चौराहे पर राजेडीहा बौरब्यास पी०डब्लू०डी० रोड के उत्तर के तरफ कनौजिया के मकान से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	16.89 लाख	श्री वंशीधर पाण्डेय	3.6.2021	2.9.2021	31.3.2021		16890
7	ग्राम सभा दुधारा मे मुख्य मार्ग पी०डब्लू०डी० सड़क से बड़हरा पोखरे तक इ०ला० सड़क से प्रा०वि० तक नाली निर्माण कार्य	16.11 लाख	श्री सत्येन्द्र पाठक	22.3.2021	21.6.2021	30.11.2021त क किया गया है पुनः 30.2.2022 समयवृद्धि किया गया है ।	1500	30720
8	खलीलाबाद में ग्राम रामपुर तमेश्वरनाथ, रामसुमेर भारती के घर से निवियहिया तक नाली निर्माण	9.11 लाख	श्रीसत्ये न्द्र पाठक	22.3.2021	21.6.2021	30.11.2021 तक किया गया है पुनः 30.2.2022 समयवृद्धि किया गया है	1500	16720

	कार्य							
9	खलीलाबाद में ग्राम रानीपार में हरिजन बस्ती से खुदवा नाले तक नाली निर्माण ।	27.39 लाख	श्री सत्येन्द्र पाठक	3.6.2021	2.9.2021	30.11.2021		27390
10	ग्राम सभा छराह मे वरवीरा दुर्गजोत पी0डब्लू0डी0 के उत्तर नाला निर्माण कार्य	9.13 लाख	श्री वंशीधर पाण्डेय	3.6.2021	2.9.2021	30.3.2022		9130.00
11	ग्राम बजहड़ा मे दुधारा चुरेब पिच मार्ग पुलिया से सिकरिया नाला तक नाला निर्माण	31.88 लाख	श्री विनय कुमार सिंह	25.3.2021	24.6.2021	30.3.2022		31880
12	बी0एम0सी मार्ग के बगल साड़े खुर्द पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	20.07 लाख	श्री वंशीधर पाण्डेय	3.6.2021	2.9.2021	26.6.2022 तक कार्य अपूर्ण है ।		20070
13	कसया पी0डब्लू0डी0/ साईं मंदिर से जखनिया पिच रोड तक जाने वाले रोड पर निर्माण कार्य	52.49 लाख	मेसर्स राय एण्ड कंपनी श्री सत्येन्द्र कुमार पाठक	28.12.202 0	27.6.2021	30.12.2021		52490

14	विकास खण्ड खलीलाबाद में भरपुरवा से कविसा अवशेष भाग का लेपन कार्य	18.06 लाख	मेसर्स आर.के. कम्पनी एण्ड सप्लाय र्स	28.1.2021	27.7.2021	30.5.2022	2000	16600
							योग	372720

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि नियमानुसार 1 प्रतिशत अर्थदण्ड न वसूल कर रुपया 372720 की क्षति जिला पंचायत संतकबीरनगर की हुई है। उक्त अर्थदण्ड की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी संतकबीरनगर श्री अशोक कुमार मद्देशिया का होगा। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	372720.00	372720.00

प्रस्तर सं0-5

जिला पंचायत संतकबीरनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 31.3.2021 दुकान किराया पंजिका की वार्षिक लेखाबन्दी निम्न प्रकार है -

- वर्ष 2020-21 की मांग - 376368.00
- गत वर्ष का बकाया - 1262100.00
- योग - 1638468.00
- वर्ष में कुल वसूली - 1287105.00
- 31 मार्च 2021 को अवशेष बकाया की धनराशि - 351363.00

उक्त विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण अनुसार है उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किराया की एक बड़ी धनराशि वसूल न हो पाने के कारण बकाया है जिसकी वसूली सम्बन्धित किरायेदारों से की जानी अपेक्षित है। विपरीत अवस्था में दायित्व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक कुमार मद्देशिया व कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह का होगा। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	351363.00	351363.00

प्रस्तर सं0-6

जिला पंचायत संतकबीरनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण पत्र के अनुसार आलोच्य वर्ष में अन्त्योदय / स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र म सं	योजना का नाम	शासन प्राप्त कुल धनराशि (लाख में)	वितरित की गयी कुल धनराशि (लाख में)	अनुदान सब्सिडी के रूप में समायोजित धनराशि (लाख में)	शासन को वापस धनराशि (लाख में)	ऋण के रूप में वसूली जाने वाली बकाया कुल धनराशि ब्याज सहित (लाख में)		
						ऋण धन0	ब्याज धन0	ब्याज सहित कुल धन0
1	अन्तर्योदय	37.23	37.23	18.62	00	18.61	19.10	37.71
2	स्थानीय विकास	21.34	21.34	7.11	00	14.23	30.46	44.69
3	स्पेशल कम्पोनेन्ट	10.24	10.24	5.12	00	5.12	10.24	15.36
	योग	68.81	68.81	30.85	00	37.96	59.80	9776000

लेखा परीक्षा में उपरोक्त से सम्बन्धित अभिलेख मांगोपरांत अप्रस्तुत रहे। जिसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथा संस्था द्वारा उपरोक्त अवशेष धनराशि की वसूली के प्रयास का कोई अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे सम्बन्धित जानकारी न हो सकी। दिनांक 31.3.2021 को उक्त ऋण की वसूली हेतु अवशेष रहना गम्भीर अनियमितता है। उक्त ऋण की वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है विपरीत अवस्था में दायित्व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संतकबीरनगर श्री अशोक कुमार मदेशिया का होगा। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	9776000.00	9776000.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष -2020-21

जिला-सिद्धार्थनगर

मण्डल-बस्ती

प्रारूप-01

जिला पंचायत की आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01-जिला पंचायत के कार्यालय जाप पृ0सं 542/जि0पं0सिद्धार्थनगर/18-19 दिनांक 26.08.18 द्वारा कार्यालय परिसर में स्थित आवास संख्या- बी-1 श्री रामाश्रय प्रसादअभियंताजिला पंचायत सिद्धार्थनगर के नाम से दिनांक 04.09.2018 से आवांठित किया गया था। इस आवास का किराया पूर्व में निर्धारित किराया के अनुसार नियत किराया मु0 290 एवं बिजली व्यय मु0-320 प्रत्येक माह भुगतान करने के साथ ही आवास भत्ता देय नहीं होगा के आधार पर किया गया। जिसके संबंध में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आया है-

- 1.आवंटन के पश्चात श्री रामाश्रय प्रसादअभियंता से माह नवम्बर 18 एवं दिसम्बर 18 हेतु आवास भत्ता रु0 4480 की दर से दो माह का रु0 8960 की कटौती की गईजिसे बाद में एरियर के रूप में उन्हें वापस भुगतान कर दिया गया। फिर किसी भी माह में उनके द्वारा न तो निर्धारित किराया एवं बिजली बिल जमा किया गया और न ही उनसे आवास भत्ता की कटौती की गयी।
- 2.पत्रावलियों से स्पष्ट है कि उक्त आवास जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के अभियंता के लिए आरक्षित है। पूर्ववर्ती सभी अभियंताओं को आवंठित किए जाने से भी स्पष्ट है कि उक्त आवास

जिला पंचायत द्वारा अभियंता के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए अभियंता के लिए ही निर्मित की गई थी।

3. वर्ष दौरान उक्त आवास पूरे वर्ष खाली रहा क्योंकि अभियंता के लिए आरक्षित होने के कारण यह किसी को भी आवंटित नहीं किया गया।

4. वर्ष 18-19 एवं 19-20 में आपत्ति किए जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक ₹0 290 नियत किराया एवं ₹0 4480 आवास भत्ताकुल ₹0 4770 प्रति माह के दर से पांच माह का कुल ₹0 23850 की कटौती न करके संस्था को ₹0 23850 की क्षति पहुंचाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रकरण अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद नये पदास्थापित अभियंता श्री मिठाई लाल यादव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के माह से ही उन्हें यह आवास आवंटित कर उनसे किराये की वसूली नियमानुसार किया जा रहा है। स्पष्ट है कि आपसी मिलीभगत करके अभियंता हेतु आरक्षित आवास को खाली दर्शाकर सितम्बर 2018 से अगस्त 2021 तक का किराया वसूल न करके संस्था को राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिए अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
23850.00	0	0	23850.00

प्रस्तर संख्या-02 - जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के कर अनुभाग के पत्रावली एवं अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत में विगत कई वर्षों से विकास खंडवार कर निर्धारण रजिस्टर कर वसूली रजिस्टर नहीं बनाया गया है/अपूर्ण है। जबकि विकास खंडवार कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है। सम्पत्ति एवं विभव कर का कार्य विवरण पत्र भी नहीं बनाया गया है। बार बार सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर/कार्यविवरण पत्र मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख एवं पत्रावली अनुपलब्ध रहा/आधा अधूरा प्रस्तुत किया गया जिससे उसकी जांच नहीं की जा सकी। वर्ष 20-21 के सम्पत्ति एवं विभव कर की प्राप्त 4976 करदाताओं की सूची के अनुसार प्रस्तावित कुल कर ₹0 8023127 की स्वीकृति कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की गयी। इस प्रकार वर्ष की कुल मांग ₹0 8023127 रही। परन्तु दिनांक 31.03.21 के त्रैमासिक विवरण पत्र 03 में ₹0 8023127 के स्थान पर वर्ष की मांग मात्र ₹ 4000000 अंकित किया गया है जो वास्तविक अनुमोदित मांग से ₹0 4023127 कम है। इस प्रकार सम्पत्ति एवं विभव कर को वर्ष की वास्तविक मांग से ₹0 4023127 कम करके संस्था को नुकसान पहुंचाया गया है जिसके लिए समस्त कर अनुभाग अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रकरण अत्यंत गंभीर है मांग एवं वसूली के उपरांत वर्षांत में बकाया कर में सुधार कर वास्तविक बकाया समस्त कर

को वसूल किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	4023127.00	4023127.00

प्रस्तर संख्या-03-वर्ष 20-21 में बिजली किराया एवं विद्युत बिल संबंधित व्यय प्रमाणकों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष में जिला पंचायत द्वारा कुल ₹0 223296 बिजली उपभोग पर व्यय किया गया है। जिसमें कार्यालय एवं परिसर के आवसीय भवनों का एक ही मीटर है। जिसका समस्त भार जिला पंचायत द्वारा वहन किया जाता है। जबकि नियमों के अन्तर्गत कार्यालय का विद्युत मीटर अलग तथा आवसीय भवनों के प्रत्येक आवास के लिए अलग अलग मीटर होना चाहिए। आवास विशेष का उपयोग कर रहे अधिकारी/कर्मचारी को संबंधित उपयोगित बिजली के बिल का भुगतान करना चाहिए अन्यथा की स्थिति में बड़े पैमाने पर संस्था के राजकीय राजस्व की क्षति हो रही है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वर्ष 20.21 के लिए उक्त का आकलन कर समस्त भुगतान का आधा ₹0 111648.00 कार्यालय के नाम तथा आधा ₹0 111648.00 आवसीय भवनों के नाम की सूची तैयार कर भवन उपयोग करने वाले कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी/अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरि ओम नारायण चंद उत्तदायी हैं। विगत कई वर्षों से आपत्ति किए जाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गयी है जो गंभीर आपत्तिजनक है। प्रकरण अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	111648.00	111648.00

प्रस्तर संख्या-04-उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (चल तथा अचल सम्पत्ति) नियमावली, 1965 के प्रस्तर -5 में प्रावधानित है कि जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत नियतकालिक रूप से प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार अचल सम्पत्ति रजिस्टर का परीक्षण करायेंगी और परीक्षण अधिकारी से अपेक्षा करेगी कि अभिलेख की शुद्धता या उसके अन्यथा होने को प्रमाणित करें और किसी अशुद्ध प्रविष्टि की रिपोर्ट जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत को कार्यवाही करने के निमित्त दें। अचल सम्पत्तियों के सम्यक सत्यापन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1437/33-3-106/91 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 28 जून 1993 के द्वारा निर्देशित है कि जिला परिषदों अब जिला पंचायतों की सम्पत्ति रजिस्टर को अद्यावधिक/अद्यतन बनाया जाय और उनका सत्यापन किया जाय।

जिला पंचायतों की अचल सम्पत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 703/एक-2-2014-रा-2राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 जून 2014 के द्वारा

निर्देशित किया था कि सम्पत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में प्रभावी प्रयास सुनिश्चित किया जाय।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के संबंधित अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में पाया गया कि संस्था द्वारा उपरोक्त निर्देशों का सम्यक एवं समुचित पालन न करने के कारण संस्था की निम्नलिखित सम्पत्तियों अतिक्रमित हैं और आलोच्य अवधि में इन सम्पत्तियों का मूल्य ₹0 577435000.00 लाख है।

dz - la	तहसील जिसमें भूखण्ड स्थित है।	अतिक्रमित भूखण्ड का विवरण	अतिक्रमित भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में।	सर्किल दर प्रति वर्गमीटर	भूखण्ड की मूल्यांकित धनराशि ¼लाख में½4x5
1	2	3	4	5	6
1	नौगढ़	मवेसी खाना रेहरा	560	16500	9240000.00
2	नौगढ़	जू . हाई . स्कूल परती उसका बाजार	21970	18500	406445000.00
3-	बांसी	लाशघर बांसी	1010	19000	19190000.00
4	डुमरियागंज	टेलीफोन एक्सचेंज के कोने में डूमरियागंज	17400	8000	139200000.-
5	डुमरियागंज	मवेसी खाना डूमरियागंज	420	8000	3360000.00
		योग	41360		577435000.00

लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त सम्पत्तियों के अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में कोई भी प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उक्त अतिक्रमित सम्पत्तियों को मुक्त कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	577435000.00	577435000.00

प्रस्तर संख्या-05-शासनादेश सं0 -8307/33-2-2004-93जी/2004दिनांक 12.01.2015 के द्वारा तीनों पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का निर्धारण किया गया है जिसमें जिला पंचायत को अपने कार्य क्षेत्र के अलावा दो विकास खण्डों को जोड़ने वाली सड़क एवं अन्य कार्य कराना निर्धारित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लिए गांव के अंदर के कार्य एवं सड़क का निर्माण कराना निर्धारित है एवं क्षेत्र पंचायत के लिए दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराना निर्धारित है। जिला पंचायत के कार्य रजिस्टर एवं उपलब्ध पत्रावली के संविक्षा में, यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला पंचायत द्वारा राज वित्त मद से गांव के अंदर सड़क निर्माण एवं इन्टरलाकिंग का कार्य कराया गया है। पंचायती राज विभाग के शासनादेशों का उल्लंघन किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए सम्पूर्ण अभियंत्रण अनुभागनिर्माण पटल प्रभारी अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी

हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के अंदर कराये गए कार्यों से संबंधित गांव पंचायतों से संदर्भित परियोजनाओं के ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र एवं सहमति भी नहीं ली गयी है। विवरण निम्नलिखित है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०स	कराये गए कार्य का नाम	धनराशि
1	कम्हरिया में पिच रोड से गांव तक इं०लाकिंग	873488
2	महोखवा सम्पक मार्ग से गाँव तक इं० लाकिंग	786688
3	मनोखरिया के खंडजा पश्चित गांव तक इं० लाकिंग	1022560
4	तेलियाडिह में पिच रोड से उत्तर गांव तक इं० लाकिंग कार्य	870912
5	गदाखौआ से पिपरहिया ताल तक सी सी रोड	1271312
6	परमोहिया डढवल सम्पर्क मार्ग से परसोहिया पश्चिम डीह तक विशेष मरम्मत कार्य	1237400
7	योग	6062360.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	6062360.00	6062360.00

प्रस्तर संख्या-06-लेखा परीक्षा में दुकान किराया रजिस्टर की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिला पंचायत के विभिन्न विकास खंडों में स्थित दुकानों को आवंटित किया गया है। जिनसे नियमानुसार प्रत्येक माह किराया वसूल किया जाना है। परन्तु कई आवंटियों द्वारा विगत कई वर्षों से किराया जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे जिला पंचायत को राजस्व की क्षति हो रही है। जबकि आवंटनअनुबंध के अनुसार लगातार तीन महीने किराया न देने वाले आवंटियों से दुकान खाली कराने का स्पष्ट प्रावधान है। उक्त नियम का कड़ाई से पालन करके किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा किराया वसूल न होने की समस्त जिम्मेवारी पटल सहायककर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद की है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०स	दुकान का नाम एवं दुकान स०	विकास खंड	आवंटी का नाम	31.03.21 को बकाया किराया	बकाय विवरण कितने माह से
1	बांसी चीर घर /02	बांसी	श्री अनिश अहमद	39607	180 माह
2	बांसी चीर घर /04	बांसी	श्रीअनुमप कुमार अग्रहरी	40707	180 माह
3	बांसी चीर घर /05	बांसी	श्री अशोक कुमार गुप्ता	40707	180 माह
4	बांसी चीर घर /08	बांसी	श्री राजेश कुमार	40307	180 माह
5	बांसी चीर घर /09	बांसी	श्री विनोद कुमार	40307	180 माह
6	बांसी चीर घर /10	बांसी	श्री अमित कुमार	40637	180 माह
7	बांसी चीर घर /11	बांसी	श्री अलोक कुमार	40637	180 माह
8	बांसी चीर घर /12	बांसी	श्री रामदेव गुप्ता	40807	180 माह
9	बांसी चीर घर /13	बांसी	अहरी अब्दुल करीम	40307	180 माह
10	बांसी चीर घर /15 एवं 16	बांसी	श्री सुनील कुंर अग्रहरी	80559	180 माह
11	मानव अस्पताल बांसी/02	बांसी	श्रीरामुजगिर विश्वकर्मा	19866	19 माह
12	मानव अस्पताल बांसी/गैलरी न०	बांसी	श्री अनिल कुमार	31912	84 ekkg

	01		विश्वकर्मा		
13	मानव अस्पताल बांसी /7x18 भूमि	बांसी	श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा	20288	84 ekg
14	मानव अस्पताल बांसी/खपरैल आवास	बांसी	श्री राम लखन पाठक	31618	84 ekg
15	जूहा0स्कूल नौगढ/01	नौगढ	श्री अशुन मकरानी	10536	14 माह
16	जूहा0स्कूल नौगढ/02	नौगढ	श्री अल्ताफ अहमद	18359	24माह
17	जूहा0स्कूल नौगढ/03	नौगढ	श्री हफीजुद्दीन	9199	12 माह
18	जूहा0स्कूल नौगढ/04	नौगढ	श्री शमसुद्दीन	9000	12 माह
19	जूहा0स्कूल नौगढ/05	नौगढ	श्री मो0 अली	5448	08 माह
20	जूहा0स्कूल नौगढ/08	नौगढ	श्री अली राजा	12284	16 माह
21	जूहा0स्कूल नौगढ/09	नौगढ	श्रीमति सुरसती देवी	39059	51 माह
22	कार्यालय कैम्पस नौगढ/01	नौगढ	श्री विनय सिंह	43531	71 माह
23	कार्यालय कैम्पस नौगढ/02	नौगढ	श्री मिथलेश सिंह	8396	14 माह
24	कार्यालय कैम्पस नई दुकान 01	नौगढ	श्री विषाल जयसवाल	8500	07 माह
25	कार्यालय कैम्पस नई दुकान 02	नौगढ	श्री जुबैदा खानुन	23000	18 माह
26	कार्यालय कैम्पस नई दुकान 03	नौगढ	श्री अनिल कुमार मित्तल	28500	23 माह
27	कार्यालय कैम्पस नई दुकान 05	नौगढ	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	20500	17 माह
28	कार्यालय कैम्पस नई दुकान06	नौगढ	श्री विवेक जयसवाल	7500	06 माह
29	कार्यालय कैम्पस नई दुकान07	नौगढ	श्री हिमांशु जयसवाल	18500	15 माह
30	कार्यालय कैम्पस नईगैलरी 09	नौगढ	श्री रवि श्रीवास्तव	46000	46 माह
31	जूहा0स्कूल बर्डपुर/ 20 एवं21	वर्डपुर	श्री प्रमोद कुमार मिश्र	34651	35 माह
32	जूहा0स्कूल बर्डपुर22 एवं23	वर्डपुर	श्री रामगणेश जयसवाल	10696	07 माह
33	जूहा0स्कूल बर्डपुर/ 24 एवं25	वर्डपुर	श्री षषिप्रकाश यादव	14864	10 माह
34	जूहा0स्कूल बर्डपुर17	वर्डपुर	श्री मंजेश कुमार यादव	8579	12 माह
35	जूहा0स्कूल बर्डपुर01	वर्डपुर	श्री अवधेश कुमार	8331	09 माह
36	जूहा0स्कूल बर्डपुर/ 06	वर्डपुर	श्रीमति कौषल्या देवी	6640	09 माह
37	जूहा0स्कूल बर्डपुर/ 12	वर्डपुर	श्री राजेन्द्र प्रसाद	12525	16 माह
38	जूहा0स्कूल बर्डपुर/ 15	वर्डपुर	श्री वृजबिहारी	7218	09 माह
39	जूहा0स्कूल शोहरतगढ/01	शोहरतगढ	श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी	55184	72 माह
40	जूहा0स्कूल शोहरतगढ/04	शोहरतगढ	श्री रामलखन मिस्त्री	45527	72 माह
41	छात्रावास/छात्रावास 01	शोहरतगढ	श्री योगेन्द्र सिंह	28603	55 माह
42	आवास/03	शोहरतगढ	श्री योगेन्द्र सिंह	17908	56 माह
43	आवास/02	शोहरतगढ	श्री राकेश प्रताप सिंह	11052	21 माह
44	इटवा दुकान सं0 01	इटवा	श्री समीउल्लाह	9474	13 माह
45	इटवा दुकान सं0 02	इटवा	श्री कौशल किशोर सिंह	26806	31 माह
46	इटवा दुकान सं0 04	इटवा	श्री सुजीत कुमार सिंह	31969	42 माह
47	इटवा दुकान सं0 05	इटवा	श्री रामकुबेर उपाध्याय	20454	27 माह
48	इटवा दुकान सं0 06	इटवा	श्री चन्द्रप्रकाश दूबे	32926	43 माह
49	इटवा दुकान सं0 07	इटवा	श्री सौरभ पाण्डेय	9684	12 माह
50	इटवा दुकान सं0 08	इटवा	श्रीमती सीमा पाण्डेय	9684	12 माह
51	इटवा दुकान सं0 09	इटवा	श्री प्याम सुन्दर	9684	12 माह

52	इटवा दुकान सं0 12 एवं13	इटवा	श्रीमति सैहरुनिषा	20402	13 माह
53	इटवा दुकान सं0 15	इटवा	श्री चन्द्रप्रकाश दूबे	15885	21 माह
54	इटवा दुकान सं0 16	इटवा	श्री किशोरी लाल	24138	32 माह
55	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ पुरानी दुकान 08	डुमरियागंज	श्रीमति चंपा देवी	10573	14 माह
56	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ पुरानी दुकान 12	डुमरियागंज	श्री रणविजय सिंह	42593	61 माह
57	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ पुरानी दुकान 13	डुमरियागंज	श्री रमेशचन्द्र अग्रहरी	41375	33 माह
58	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 16	डुमरियागंज	श्री तरकीब हसन	23280	31 माह
59	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 17	डुमरियागंज	श्री ओमप्रकाश मिश्र	21983	29 माह
60	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 19	डुमरियागंज	श्री सै0 अली अबास	12162	16 माह
61	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 21	डुमरियागंज	श्री वसी हैदर	13825	18 माह
62	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 25	डुमरियागंज	श्री फजल्लुरहमान	18639	25 माह
63	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 24	डुमरियागंज	श्री जहीर अहमद	9474	12 माह
64	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 30	डुमरियागंज	श्री अब्दुल मन्नान	15584	21माह
65	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 31	डुमरियागंज	श्री ललीत कुमार	30254	40 माह
66	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 38	डुमरियागंज	श्री मल्लिक मुप्ताक	9168	12 माह
67	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 40	डुमरियागंज	श्री सुजीर	10657	14 माह
68	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 41	डुमरियागंज	श्री मसौब्वर अली	36182	32 माह
69	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 42	डुमरियागंज	श्री पटेशवरी प्रसाद	12692	17 माह
70	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 43	डुमरियागंज	श्री सैयद वजीर हैदर	20649	27 माह
71	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 49	डुमरियागंज	श्री याकुब मल्लिक	24138	32 माह
72	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 50 एवं 51	डुमरियागंज	श्री मो0 हनीफ	37618	25 माह
73	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 52	डुमरियागंज	श्री विसमिल्लाह	24138	32 माह
74	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 55	डुमरियागंज	श्री नजीर अहमद	35782	47 माह
75	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 57	डुमरियागंज	श्री अजीम मुहम्मद	8192	11 माह
76	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 59	डुमरियागंज	श्री कमाल अहमद	18138	24 माह
77	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 60	डुमरियागंज	श्री मुस्तफा	18428	25माह
78	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 64	डुमरियागंज	श्रीमति इन्दु निशा	9328	12 माह
79	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 71 एवं 72	डुमरियागंज	श्री वासदेव	38007	25 माह
80	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 73	डुमरियागंज	श्री नजीर अहमद	77954	104 माह
81	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 74	डुमरियागंज	श्री अली हैदर	35349	56 माह
82	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ नई 75	डुमरियागंज	श्री षकील	48351	74 माह
83	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ गैलरी 03	डुमरियागंज	श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव	9069	24 माह
84	राज0कन्या इण्टर कालेज डुमरियागंज	डुमरियागंज	राज0कन्या इण्टर कालेज डुमरियागंज	19872	12 माह
85	जू0हा0स्कूल डुमरियागंज/ दुकान 13 के उपर	डुमरियागंज	श्री रमेश चंद्र अग्रहरी	12525	16 माह

86	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 02	डुमरियागंज	श्रीमति पुष्पा	22693	39 माह
87	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 04	डुमरियागंज	मो0शोयब	24607	73 माह
88	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 06	डुमरियागंज	काजी अनीस अहमद	14614	25 माह
89	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 10	डुमरियागंज	श्री दिनेश कुमार अग्रहरी	12360	32 माह
90	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 11 एवं12	डुमरियागंज	श्री सेतोश कुमार अग्रहरी	32009	44 माह
91	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 15	डुमरियागंज	श्री चन्द्रप्रकाश	8604	23 माह
92	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 17	डुमरियागंज	श्री ओम प्रकाश मिश्र	45283	88 माह
93	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 22	डुमरियागंज	श्री शाहिद रिजवी	54283	112 माह
94	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 28 एवं29	डुमरियागंज	श्री मो0 मुस्तफा	29673	41 माह
95	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 30	डुमरियागंज	श्री शेख मु0 मुस्तफा	22274	42 माह
96	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 31 एवं32	डुमरियागंज	श्रीमति मेहरू निशा	108580	112 माह
97	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 33 एवं34	डुमरियागंज	श्रीमति पुष्पा श्रीवास्तव	71987	74 माह
98	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 35	डुमरियागंज	श्रीमति नूर फातिमा	54283	112 माह
99	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 38	डुमरियागंज	श्री अजय कुमार गुप्ता	31504	76 माह
100	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 41	डुमरियागंज	श्री जावेद	17566	41 माह
101	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 42	डुमरियागंज	श्री पटेश्वरी प्रसाद वर्मा	54283	112 माह
102	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 43	डुमरियागंज	श्री अब्दूल हई	27566	65 माह
103	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 44	डुमरियागंज	श्री मुनिव	27566	65 माह
104	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 46	डुमरियागंज	श्री गुफरान	27566	65 माह
105	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 47	डुमरियागंज	श्री शिववपुजन लाल	27566	65 माह
106	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 48 एवं49	डुमरियागंज	श्री हरपाल सिंह भाटिया	55132	68 माह
107	जू0हा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी	डुमरियागंज	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	27566	65 माह

	तल 50				
108	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 51 एवं 52	डुमरियागंज	श्री ऐनुल हक	35132	41 माह
109	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 53	डुमरियागंज	श्री विष्णु बिहारी श्रीवास्तव	27566	65 माह
110	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 54	डुमरियागंज	श्रीमति निलम	27566	65 माह
111	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 55	डुमरियागंज	श्री सहज राय	17566	41 माह
112	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 56	डुमरियागंज	श्री सत्यनारायण	17566	41 माह
113	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 57	डुमरियागंज	श्री षकील अहमद	27566	65 माह
114	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 58	डुमरियागंज	श्री श्रवण कुमार चैरसिया	21066	53 माह
115	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 59	डुमरियागंज	श्री अवधेष प्रसाद सिंह	27566	65 माह
116	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 63	डुमरियागंज	श्री महेश कुमार यादव	27566	65 माह
117	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 64	डुमरियागंज	श्री प्रेम षंकर श्रीवास्तव	21566	54 माह
118	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 65	डुमरियागंज	श्री योगेश चंद्र	21566	54 माह
119	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 66	डुमरियागंज	श्री सिराज अहमद	54283	112 माह
120	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 67	डुमरियागंज	श्री विषाल कृष्ण श्रीवास्तव	17566	41 माह
121	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 69	डुमरियागंज	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	20566	53 माह
122	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 70	डुमरियागंज	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	21566	54 माह
123	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 71	डुमरियागंज	श्री संजय श्रीवास्तव	27566	65 माह
124	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 72	डुमरियागंज	श्री अशटभूजा श्रीवास्तव	20566	53 माह
125	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 73 एवं 74	डुमरियागंज	श्री अनिरुद्ध सिंह	40132	53 माह
126	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 75 एवं 76	डुमरियागंज	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	42132	55 माह
127	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 77	डुमरियागंज	श्री रामशीस यादव	16754	36 माह
128	जूहा0स्कूलडुमरियागंज/ उपरी तल 78	डुमरियागंज	श्री धीरेन्द्र प्रताप	21754	51 माह

				3428183.00	

उपरोक्तानुसार बडे बकायेदार के पास रू0 3428183.00 दुकान किराया बकाया है। स्पष्ट है दुकानों से किराया वसूली में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है जिससे दुकानों से किराया वसूल नहीं हो पा रहा है जो गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसके लिए संबंधित सह0 राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक ,कर अधिकारी ,पटल प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी हैं। उपरोक्त बकायादारों से दंड ब्याज सहित कड़ाई से किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	3428183.00	3428183.00

प्रस्तर संख्या-07 -शानादेश संख्या 1408/23.3.2009.62(जनरल)/08 दि0 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जाएगा जब बिटुमिन की मूल इनवायस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाय । उपलब्ध कराये गए पिच व लेपन कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुसार न तो संस्था द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय किया गया और न ही संबंधित ठेकेदार से बिटुमिन का मूल इनवायस ही प्राप्त किया गया। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा बिना मूल इनवायस प्राप्त किए बिटुमिन मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। प्रकरण अत्यंत गंभीर एवं शासन के आदेश के विपरीत है। जिसके लिए ठेकेदार निम्न विवरण अनुसार, अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद, लेखाकार श्री नथुनी सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री श्रवण कुमार सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

क्र०स	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	धनराशि
1	बकैनिया से महनी तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	विजय लक्ष्मी कन्सट्रक्शन	221148
2	परसोहिया डबल सम्पर्क मार्ग से परसोहिया पश्चिम डीह तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	युवराज इन्टरप्रा०	236716
			457864

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	457864.00	457864.00

प्रस्तर संख्या-08-वर्ष 2020-21 में राज वित्त के अन्तर्गत कराये गए निम्न पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से अर्थदंड की निर्धारित न्युनतम धनराशि प्राकलन का 1 प्रतिशत की वसूली नहीं की गयी है। ठेकेदारों से वसूली गयी अर्थदंड की धनराशि में एकरूपता नहीं है एवं निर्धारित न्युनतम धनराशि से कम अर्थदंड की वसूली करके संस्था को क्षति पहुंचाई गई है जो निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विपरीत है। जिसके लिए अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी हैं। प्रकरण अत्यंत गंभीर है इस हेतु संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	प्राक्कलन की धनराशि	न्यूनतम अर्थदंड न्यूनतम 1 प्रतिशत	वसूल अर्थदंड	कम वसूली
1	कम्हरिया में पिच रोड से गांव तक इ0लाकिंग	श्री मेहताब आलम	796481	7965	1000	6965
2	महोखवा सम्पर्क मार्ग से गाँव तक इ0 लाकिंग	श्री ओम शंकर लाल	720116	7200	3500	3700
3	मनोखोरिया के खंडजा से पश्चिम गांव तक इ0 लाकिंग	श्री मेहताब आलम	1017070	10170	500	9670
4	तेलियाडिह में पिच रोड से उत्तर गांव तक इ0लाकिंग	श्री मेहताब आलम	884512	8845	500	8345
5	ग्राम गदाखौआ में पिपरहिया ताल तक सीसी रोड	में0श्रुष्टि कन्सट्रक्शन	1149049	11490	4500	6990
6	परसोहिया डढवल सम्पर्क मार्ग से परसोहिया पश्चिम डीह तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	में0 विजय लक्ष्मी कन्सट्रक्शन	1558961	15590	3000	12590
7	बकेनिया से महुनी तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	में0 विजय लक्ष्मी कन्सट्रक्शन	1438883	14390	3000	11390
						59650

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	59650.00	59650.00

प्रस्तर संख्या-09-जिला पंचायत वर्ष 20-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर कराये गये कार्यों के सापेक्ष कुल ₹0 7305984.00 का भुगतान लेखा परीक्षा तिथि तक किया गया है। वर्क रजिस्टर अनुसार उक्त समस्त परियोजना अपूर्ण थी। इस प्रकारकार्य समाप्ति के निर्धारित तिथि के एक वर्ष बीत जाने के बावजूद उक्त परियोजनायें पूरी नहीं की गयी हैं। काफी समय से अपूर्णपरियोजनाओं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। जिससे इन परियोजनाओं कीवांछित उद्देश्योंकी पूर्ति नहीं हो सकी। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर किया गया व्यय/ भुगतान अलाभकारी एवं राजकीय धनका दुरुपयोग है। जिसके लिए ठेकेदार सूची अनुसारअभियंता श्री रामाश्रयप्रसाद एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

क्र०स	परियोजना का नाम	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत धनराशि लाख में	कार्य समाप्ति निर्धारित तिथि	कुल भुगतान कि गयी धनराशि
1	ग्राम सभा करमा मेन रोड पक्कीसड़क से समय माता के स्थान तक सीसी रोड निर्माण	में0 सागर कन्सट्रक्शन	11.10	22.01.21	281120

2	बढनी में चंदवा मेन पक्की सडक से मोहन कोला ग्राम तक सी सी रोड निर्माण	में0 राज एंड ब्रदर्श	10.00	02.03.21	332640
3	ग्राम सभा जुडही कुइया के ग्राम विशुनपुर औरंगाबाद में सीसी कार्य	श्री प्रकाश	3.50	28.01.21	113120
4	ग्राम सभा सकियापुर के परसोहिया तिवारी में मछली गांव को जाने वाली सडक पर सीसी कार्य	में0 वैभवी कन्सट्रक्शन	7.55	15.01.21	263200
5	ग्राम डिहवा पर सीसी निर्माणकार्य	में0 वैभवी कन्सट्रक्शन	9.50	11.02.21	759360
6	ग्राम सिकन्दरपुर श्री काली जी के स्थान तक सीसी कार्य	में0 वैभवी कन्सट्रक्शन	6.85	15.01.21	165760
7	ग्राम डोमसरा में सीसी रोड से दातादीन बाबा के घर तक सीसी कार्य	श्री प्रकाश	5.00	28.01.21	431200
8	ग्राम पिपरा में मझिगंवा तक सीसी कार्य	में0 राज इन्टरप्राईजेज	10.00	18.03.21	459200
9	महादेवा गजपुर में श्री शंकर जी के स्थान से श्री कालीजी के स्थान तक सीसी कार्य	श्री अमरनाथ	8.23	26.01.21	722400
10	ग्राम मुडिला से चनरैया तक खंडजे से लेपन कार्य	श्री मारकण्डेय सिंह	21.00	28.02.21	1620640
11	महादेवा पीडब्लू डी मार्ग से तखवा पिच रोड के बीच शून्य से लेपन कार्य एवं पुलिया निर्माण।	में0 शिवांस इन्टो प्रा0	17.36	31.01.21	1333024
12	जगदीशपुर खुर्द बाजार में पुजारी मौर्य के घर से पश्चिम सडक से पवन सिंह के घर तक शून्य से लेपन कार्य	में0 वैभवी कन्सट्रक्शन	12.46	15.01.21	824320
				योग	7305984

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	7305984.00	0	7305984.00

- :- जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ :-

जिला पंचायत - चित्रकूट जनपद - चित्रकूट मंडल - चित्रकूट

प्रस्तर सं० 1-सम्पत्ति से आय (किराया) की जांच में ट्राफिक चौराहा पर स्थिति दुकान संख्या 1, 2 एवं 3 सड़क चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण अन्तर्गत प्रशासन द्वारा माह मई सन् 2005 में तोड़ दिये जाने कारण संस्था द्वारा प्रत्येक माह किराया मद में मांग लगाये जाने से दिनांक 31.03.2020 तक उक्त तीनों दुकानों से रूपया 432445.00 किराया पाना शेष में वर्ष 2020 21 में रूपया 41748 वर्ष की मांग रूपया 210493.00 वर्ष में वसूल एवं रूपया 86000.00 के समायोजन पश्चात् 31.03.2021 को तीनों दुकानों से रूपया 177700.00 किराया पाना शेष निम्न प्रकार था।

क० सं०	दुकान संख्या	31.03.2020 तक बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में वसूल	वर्ष में समायोजन	31.03.2021 तक बकाया
1	1	131181.00	9756.00	50035.00	—	90902.00
2	2	92500.00	8400.00	20000.00	—	80900.00
3	3	208764.00	23592.00	140458.00	86000.00	5898.00
		432445.00	41748.00	210493.00	86000.00	177700.00

प्रशासन द्वारा तोड़ दिये जाने के फलस्वरूप दुकान 01 एवं 03 के किरायेदार द्वारा अपनी अपनी दुकानों का पुनः निर्माण करा लिया गया।

पुनः निर्माण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दुकान संख्या 03 किरायेदार श्री नागेन्द्र कुमार त्रिपाठी के प्रयास फलस्वरूप जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 10.02.2019 में प्रस्ताव संख्या-10 किराये से किये जाने का प्रस्ताव के द्वारा निर्माण पर हुए व्यय में रूपया 50000.00 का समायोजन सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

जिला पंचायत बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के विरुद्ध दिनांक 24.11.2020 को रसीद संख्या- सी 50/24 द्वारा रूपया 86000.00 का समायोजन दिनांक 31.03.2020 तक बकाया किराया रूपया 208764.00 से कर दिया गया।

पारित प्रस्ताव के विरुद्ध अधिक समायोजन रूपया 36000.00 निजी श्रोत से आय का दुरुपयोग रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा उत्तरदायी रहे जिनसे वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 2मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 881/81-5-2019 दिनांक 21.11.2019 एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला वृक्षारोपण समिति चित्रकूट के पत्रांक 2746/29-1/वृक्ष/20-21/27.03.2020 के द्वारा जिला पंचायत चित्रकूट को 10000 पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित के सापेक्ष ठेकेदारों के माध्यम से पौध रोपण करा आदेशों का परिपालन किया। जिला पंचायत द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से पौध रोपण कार्य पर भुगतान निम्न प्रकार रहा।

दिनांक	क्षेत्र पंचायत	क० सं०	स्थान का नाम	लगाये गये पौध की संख्या	कुल भुगतानित
25.08.20	रामनगर	1	बुध्दवल सम्पर्क मार्ग के बायें पटरी के बगल में	1500	62048.00
25.08.20	रामनगर	2	2 बुध्दवल सम्पर्क मार्ग के दायें पटरी के बगल में	1500	62048.00
25.08.20	मानिकपुर	3	पैकौरा नहर पटरी के बगल में	1500	62048.00

25.08.20	मानिकपुर	4	भौरी से डहवी मार्ग में पटरी के बगल में	1000	45500.00
25.08.20	मानिकपुर	5	भौरी से गेटा पुरवा मार्ग में पटरी के बगल में	500	22736.00
25.08.20	मानिकपुर	6	भौरी के वीरूराम पुरवा सम्पर्क मार्ग पटरी के बगल	500	22808.00
25.08.20	मानिकपुर	7	भौरी के वंशरूप के पुरवा सम्पर्क मार्ग के बगल में	1200	54109.00
25.08.20	मानिकपुर	8	जिला पंचायत डाँक बगला में	1200	54656.00
25.08.20	मऊ	9	बरगढ़ काजी हाउस में	50	2240.00
25.08.20	कर्वी	10	लेढवारा से भीठाखेडा की पटरी के बगल	1000	41440.00
28.08.20		11	जिला पंचायत परिसर में	50	2072.00
			योग-	10000	437977.00

भुगतानित धनराशि में 8771.00 रुपया आयकर 3916.00 रुपया लेवर सेस, 3916.00 रुपया सी० जी० एस०टी०, 3916.00 रुपया एस०जी०एस०टी० एवं 46988.00 रुपया जी०एस०टी० सम्मिलित है।

पौध रोपण जिला पंचायत द्वारा निम्न शर्तों अधीन कराया गया।

- 1- स्थल सफाई, मलवा फिकवाई व गडढा (0.60x0.60x0.60) खुदाई।
- 2- गड्डों में गोबर खाद डालना।
- 3- गड्डों में कीट नाशक दवा मिलाना।
- 4- गड्डों में गोबर खाद मिलाकर भरना।
- 5- पौधरोपण सिचाई व वावला बनाना।
- 6- पौधे की पांच बार सिंचाई करना।
- 7- रोपे गये पौधे 1050 सामुदायिक भूमि, 3200 राजकीय परिसर, 2700 राजकीय भूमि, 50 कृषि भूमि एवं 3000 निजी भूमि पर थे।
- 8- रोपे गये पौधों में 1050 यूकेलिप्टस, 3200 सागौन, 1500 शीसम, 50 फलदार, 3000 सहजन एवं 1200 खैर प्रजाति

उपरोक्त शर्तों के साथ पौध रोपण कराये जाने के बाद भी संस्था द्वारा रोपे गए पौधों में कितने सजीव पौध हैं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सजीव पौधों का विवरण प्रस्तुत न रहने से संस्था द्वारा रुपया 437977.00 के किये व्यय की सार्थकता का आकलन किया जाना सम्भव न हो सका।

बिना सजीवता का सत्यापन कराये अभियन्ता स्वीकृति पश्चात् किया भुगतान दुरुपयोगिता रहा। जिसके लिए संस्था अध्यक्षता, अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता उत्तरदायी रहे।

अतः दुरुपयोगित रुपया 437977.00 की वसूली अध्यक्षता, अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता से अपेक्षित है। प्रस्तर सं०-3 संस्था द्वारा सौरभ अग्रवाल एण्ड कम्पनी, एकाउन्टेड, अग्रवाल वर्तन भण्डार पुरानी बजार, चित्रकूट से अपना टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 रिटर्न पैन् एन्ड टैन् बेस्ड दाखिल कराकर उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तिथियों के विभिन्न

कमांक एवं अलग-अलग धनराशि के (इनवाइस) जिसकी सकल, धनराशि रूपया 24500.00 एवं 36000.00 पर दिनांक 21.09.2020 को चंक संख्या 809891 द्वारा रूपया 24500.00 एवं दिनांक 26.12.2020 को चेक संख्या 916889 के द्वारा 32400.00 दस प्रतिशत इनकम टैक्स रूपया 3600 काटकर भुगतान किया जो कैश बुक के पृष्ठ के संख्या 39/24 एवं 39/83 पर दर्शित था।

उपरोक्त के क्रम में संस्था ने बिना बिल प्राप्त किये कर्ता द्वारा संस्था में प्रस्तुत इनवाइस पर किया गया भुगतान एक धनराशि पर आयकर छोड़ दूसरी धनराशि पर 10 प्रतिशत काट कर रु0 60500/अनियमित रहा जिसके लिए लेखाकार, अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्शदाता उत्तरदायी रहे। अतः किये गये कुल भुगतान रूपया 60500.00 की वसूली लेखाकार, अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्शदाता से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 4 दिनांक 15.12.2020 को शासन से प्राप्त चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अनुदान से रूपया 564374.00 का भुगतान ठेकेदार श्री वेद प्रकाश को सेमरदहा से मकवई तक लेपन अनुरक्षण कार्य करा कर अभियन्ता सहमति पश्चात किया गया पर निम्न बिन्दु रहे।

- 1- कराया कार्य वर्ष 2019-20 की कार्य योजना के कमांक 17 पर 650 मीटर अनुमानित लागत 598000.00 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की ग्राम पंचायत सेमरदहा से मकवई (मकवई उर्फ कुकरहाई सेमरदहा का मजरा है) था।
- 2- कराया कार्य दिनांक 10.11.2020 को प्रारम्भ एवं अवर अभियन्ता द्वारा 12.11.2020 को मापा गया था।
- 3- कराये कार्य पर रूपया 189622.00 के बिटुमिन / इमल्सन की पूर्ति विभागीय थी।
- 4- कराये कार्य पर कुल व्यय रूपया 564374.00 निम्न प्रकार था।

आयकर 2.24%	=	7495.00
लेवर सेस 1%	=	3346.00
सी०जी०एस०टी० 1%	=	3346.00
एस०जी०एस०टी० 1%	=	3346.00
जमानत	=	23000.00
विभागीय आपूर्ति	=	189622.00
जी०एस०टी० 10%	=	33460.00
ठेकेदार को	=	<u>300759.00</u>
योग-	=	<u>564374.00</u>

- 5- कराये गये अनुरक्षण कार्य का उल्लेख परिसम्पत्ति पंजिका में अंकित नहीं था और न ही मार्ग पंजिका बनायी गयी जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं चल/अचल सम्पत्ति मैनुवल 1965 के नियम 8(1) के अनुसार जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने के लिए परिसम्पत्ति पंजिका का रख रखाव अपेक्षित है तथा नियम 4 के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण यथा नव निर्माण / अनुरक्षण का वर्ष, स्थान, लम्बाई एवं चौड़ाई आदि की सूचना को अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख रखाव अपेक्षित है।
- 6- कराया कार्य सेमरदहा से मकवई तक लेपन अनुरक्षण कार्य वर्ष 2011- 2012 में तेरहवां वित्त आयोग से सेमरदहा से कुकरहाई सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य अनुमानित लागत 7 लाख स्वीकृति आदेश संख्या 77 / 21.06.2011 के कम में कराया पर ठेकेदार श्री अनुपम मिश्रा द्वारा दिनांक 06.02.2012 तक कुल रु0 481000.00 प्राप्त कर कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि अपूर्ण कार्य के मजरा का नाम बदल कर, कार्य योजना में सम्मिलित कर, परिसम्पत्ति पंजिका में बिना अंकित किये कुल व्यय रूपया 564374.00 दुरुपयोगित रहा जिसके लिए अवर अभियन्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार उत्तरदायी रहे। अतः रु0 564374=00 की वसूली अवर अभियन्ता, अभियन्ता, अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 5- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 के बिन्दु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवन्ति धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में ₹0 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजना ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेगी।

उक्त शासनादेश के बिन्दु 03 के अनुसार जिला पंचायतों प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी।

शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न योजनाओं का सम्पादन कराया गया।

क्र० सं०	नाम क्षेत्र पंचायत	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन धनराशि	31.03.2021 तक व्यय धनराशि
1	रामनगर	ग्राम पंचायत ढढवार मजरा मटियारा में गांव तक सी०सी०रोड निर्माण	720000.00	669088.00
2	रामनगर	ग्राम पंचायत जोरवारा में एन०एच० सेन्टर से बलराम द्विवेदी के घर तक सी०सी०रोड निर्माण	685000.00	583856.00
3	रामनगर	ग्राम पंचायत-छीबों में सी०सी०रोड से कमलेश गर्ग के डेरा की ओर सी०सी०रोड निर्माण	769000.00	739312.00
4.	मानिकपुर	जगदेव बाबा तक अनुरक्षण कार्य ग्राम पंचायत कोठिलिडाई में फूलबन्द के मकान से	847000.00	814810.00
5.	मानिकपुर	ग्राम पंचायत भौरी में मजरा वंशरूप का पुरवा से पहरावावा स्थान तक आर०सी०सी० रोड का निर्माण	980000.00	962080.00
6.	मानिकपुर	ग्राम पंचायत ऊँचासी चमरौहा मरदहा नाला के पास सी०सी०रोड निर्माण	630000.00	619248.00
7.	मानिकपुर	ग्राम पंचायत कोठिलिहाई में सार०सी०सी० कलवर्ट निर्माण कार्य	567000.00	562240.00
8.	पहाडी	ग्राम पंचायत सपहा में कर्ती बृद्धा राजापुर मार्ग से भैरम बाबा तक सी०सी०रोड निर्माण	999000.00	985376.00
9.	पहाडी	पहाडीग्राम पंचायत पहाडी में विसण्डा रोड से जमुना गुप्ता के दरवाजे से ननभैया के दरवाजे तक नाला निर्माण	593000.00	588784.00
10.	पहाडी	पहाडीग्राम पंचायत देवल में मेन रोड से गनेश महाराज के पुरवा तक सी०सी०रोड निर्माण	856000.00	851088.00
11.	पहाडी	पहाडीग्राम पंचायत बेराउर भरे पुरवा पक्की रोड से शिववर्त के घर तक सी०सी०लोड निर्माण	833000.00	826560.00
12.	कर्वी	ग्राम पंचायत उसरी में मुख्य मार्ग से हायर	77000.00	508640.00

		सेकेण्डरी स्कूल तक सी०सी०रोड निर्माण		
13.	कर्वी	ग्राम पंचायत कादर में प्रौटेलाज के पुरखा तक बनी सी०सी०रोड का अवशेष आम का निर्माण	500000.00	391888.00
14	कर्वी	ग्राम पंचायत बालापुर के मजरा बन्दरकोल में चुनवाद के दरबाजे ये भइयालाल के दरबाजे तक सी०सी०रोड का निर्माण	850000	759808.00
15	कर्वी	ग्राम पंचायत बिहारा के मजरा बरगदहा पुरवा में कुबेर के घर से पिचरोड तक सी०सी०रोड का निर्माण	990000.00	983360.00
		योग-	11496000.00	10846138.00

शासनादेश का उल्लंघन कर रूप्या 10846138.00 की योजनाओं का कराया गया सम्पादन अनियमिति रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, एवं वित्त परामर्श दाता उत्तरदायी रहे। अनियमित भुगतान रूप्या 10846138.00 की विभागीय कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं पित्त परामर्श दाता से अपेक्षित है।

प्रस्तर 6 उत्तर-प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत चल/अचल सम्पत्ति मैनुवल 1965 के नियम 3(1) के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित पसिम्पतियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने के लिए परिसम्पत्ति पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है तथा नियम 4 के अनुसार जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत में निर्मित सडकों का विवरण यथा नव निर्माण/अनुरक्षण का वर्ष, स्थान, लम्बाई एवं चौड़ाई आदि की सूचना को अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख रखाव अपेक्षित है।

किन्तु आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का उल्लेख न तो परिसम्पत्ति पंजिका में अंकित किया गया और न ही मार्ग पंजिका तैयार की गयी, जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि जिन मार्गों का मरम्मत कराना दर्शाया गया है। उनका पूर्व में निर्माण / मरम्मत कब कराया गया था। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	31.03.2021 तक भुगतानित
1	ग्राम पंचायत बरगढ में मवेशीखाना (कांजी हाउस) में इण्टर लांकिंग और सोलर पम्प लगाने का कार्य (अनुरक्षण कार्य)	458080.00
2.	ग्राम पंचायत- खण्डेहा में मवेशी खाना में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण (अनुरक्षण कार्य)	200320.00
3	ग्राम पंचायत छीबों में इण्टरलांकिंग रोड से राजापुर ललता रोड तक अनुरक्षण कार्य (1000 मीटर लेपन)	823875.00
4	ग्राम पंचायत खरौंध में अहिरन पुरवा से कोरियन पुरवा तक लेपन अनुरक्षण कार्य (600 मीटर लेपन)	532095.00
5	ग्राम पंचायत हनुवा से पथरहीपेटिंग स्टर अनुरक्षण कार्य (1000 मीटर लेपन)	824612.00
6	कर्वी पहाड़ी रोड से मुहरवां तक लेपन स्तर अनुरक्षण कार्य (355 मीटर लेपन)	326972.00
7	ग्राम पंचायत नांदी में हनुमान जी के मन्दिर में टीन शेड एवं मरम्मत	861280.00
8	ग्राम पंचायत ऐंचवारा में मानिकपुर कर्वी मार्ग से सोभन सरकार जी आश्रम तक पेटिंग अनुरक्षण कार्य (700 मीटर लेपन रोड)	1057208.00
9	ग्राम पंचायत भैसौधा से सहादेव का पुरवा तकसम्पर्क मार्ग पिच स्तर	587013.00

	अनुरक्षणकार्य (600 मीटर लेपन)	
10	ग्राम पंचायत पनौटी रोड से गरीबदास के पुरवा तक अनुरक्षण कार्य (1200 मीटर लेपन रोड)	2360046.00
	योग-	8031501.00

जिला पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से अनुरक्षण पर व्यय रूपया 8031501.00 परिसम्पत्ति पंजिका में न होने से पूर्व में निर्माण / मरम्मत का वर्ष, स्थान, लम्बाई और चौड़ाई अज्ञात रहने से अनियमित रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं वित्त परामर्श दाता उत्तरदायी रहे। अतः अनियमित व्यय रूपया 8031501.00 की वसूली विभागीय अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं वित्त परामर्शदाता से अपेक्षित

जिला पंचायत-महोबा वर्ष-2019-20

प्रस्तरसंख्या-1- शासनादेश संख्या 1/2017/सी.ए. 400/10-2013 मित-1/2017 दिनांक 24.10.2017 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उन्हें मु.800.00 रु. प्रतिमाह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बंधित मद में जिससे किराया दिया जाता है जमा किया जाना चाहिये किन्तु जिला पंचायत महोबा से वर्ष 2019-20 में कोई भी वाहन कटौती की धनराशि जमा नहीं की गयी। अतः दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक 12 माह की कुल धनराशि मु. 9600.00रु. की कटौती की धनराशि की कटौती श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र (अपर मुख्य अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तरसंख्या-2- लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत महोबा द्वारा विभिन्न अनुदानों से प्राप्त धनराशि से मु. 10 लाख रुपये से कम व्यय की गयी लागत के निर्माण कार्य हेतु ही ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं। जबकि उ.प्र. पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं. 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रविधानों के अनुरूप हो कराया जाना चाहिये था। जिसका उल्लंघन करके एक ही ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले मु. 445.72 लाख के लगभग कार्य आलोच्य वर्ष में कराये गये हैं। जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता उत्तरदायी हैं। वर्ष 2019-20 में मु. 10 लाख रुपये से कम लागत के निर्माण कार्यों की सूची सलग्न है। जिसे हेतु श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र (अपर मुख्य अधिकारी) श्रीमती यज्ञेश सिंह श्री शफीफ अहमद (वित्तीय परामर्शदाता) श्री के.एन. गुप्ता श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव श्री जयप्रकाश सिंह अभियन्ता, अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम व पूर्ण विवरणराज्य वित्त	अनुमानित लागत (लाख ₹०में)	व्यय धनराशि
1	महोबा राजमार्ग से साहू के खुड़े की ओर सी.सी.रोड निर्माण (जैतपुर)	9.95	9.66
2	ग्राम कुलपहाड़ भटेवरा लेपन मार्ग से प्रताप के खुड़े की ओर सी.सी.रोड	9.90	9.88
3	ग्राम बागौल में भगवानदास के मकान से पुलिया की तरफ सी.सी. रोड	9.00	8.92
4	ग्राम भटेवरा में बारातशाला से कुलपहाड़ की ओर सी.सी.रोड निर्माण	9.95	9.82
5	ग्राम भटेवरा खुर्द में प्रकाश यादव के मकान से हैण्डपम्प के आगे की ओर सी.सी. रोड	8.90	8.87
6	ग्राम कुलपहाड़ भटेवरा लेपन मार्ग से अर्जुनबाँध की ओर सी.सी.रोड	9.90	9.84
7	ग्राम सैला खालसा प्रा.पाठशाला से शमशान घाट की ओर सी.सी. रोड	9.95	9.75
8	ग्राम सैला खालसा से कारस देव की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.98	9.93
9	ग्राम गहरा पहाड़िया सी.सी. से मशान बाबा स्थान की ओर सी.सी.रोड	9.98	9.57
10	ग्राम सुगिरा पुलिया से कब्रिस्तान होते हुये भोला बाबू के खुड़े की ओर सी.सी. रोड	9.50	9.47
11	ग्राम सुगिरा से भोला बाबू के खुड़े चैराहे से सुगिरा गांव की ओर सी.सी. रोड	9.50	9.43
12	ग्राम हाड़वे सतारी मार्ग से सुगिरा गांव की ओर सी.सी. रोड	9.00	8.89
13	ग्राम द्वासी से सतारी नरवा बाले हनुमान मन्दिर की ओर सी.सी.रोड निर्माण	9.98	9.67
14	ग्राम भरवारा पुलिया से गौंड बाबा के स्थान की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.80	9.68
15	ग्राम महोबकंठ से भूरा मार्ग से टूडर ग्राम की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.92	9.10
16	ग्राम भूरा मैन रोड से टूडर हरिजन बस्ती की तरफ जाने बाले मार्ग पर सी.सी. रोड निर्माण	9.90	9.62
17	ग्राम महोबकंठ रूरी कला मार्ग से गुप्ता फार्म हाउस की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.95	9.21
18	ग्राम कनौरा मैन से मन्दिर की ओर सी.सी.रोड निर्माण	9.85	9.79
19	ग्राम पिपरी मे ग्राम सभा के नाले की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.10	8.93
20	ग्राम घुटई मे क्षेत्र पंचायत के सी.सी. मार्ग से अम्बेडकर भवन होते हुये सी.सी.रोड निर्माण	9.00	8.94

21	ग्राम बमरारा में मैन रोड से खुडे की ओर सी.सी.रोड निर्माण	9.98	9.95
22	ग्राम मदारनदेवी सी.सी. रोड के दोनो ओर 1.50 मी. की चौड़ाई से सी.सी. रोड निर्माण	10.00	9.76
23	ग्राम जिला पंचायत लेपन मार्ग से राजू सिंह के फार्म हाउस होते हुये सी.सी. रोड निर्माण	9.95	9.86
24	कुआँ से कुआँ खोडा की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.95	9.87
25	खरेला रिवई रोड से संसद निधि की सी.सी. के आगे से खिरुवा वाले सी.सी. निर्माण	9.61	9.08
26	वहिंगा में जिला पंचायत की इण्टरलाकिंग से सिद्ध बाबा के स्थान तक सी.सी. निर्माण	9.95	9.91
27	सगुनियां माफ में नाला से काली माता मन्दिर के आगे तक सी.सी. निर्माण	9.85	9.22
28	जैतपुर में बडी नहर की पुलिया से तालाब तक सी.सी. रोड निर्माण	9.90	9.87
29	जैतपुर में जिला पंचायत की सी.सी.के आगे से कब्रिस्तान की ओर सी.सी. निर्माण	9.90	9.16
30	कुडई में मैन रोड से हसला सम्पर्क मार्ग की ओर सी.सी.रोड निर्माण	9.92	9.79
31	श्रीनगर सूपा मार्ग से प्रकाश राजपूत के खुडा की ओर सी.सी. निर्माण	9.90	9.87
32	बम्हौरी गोसाई गांव से बलराम का खोडे की ओर सी.सी. निर्माण	9.95	8.74
33	चन्द्रपुरा से महानपुरा स. मार्ग तक सी.सी. रोड निर्माण	9.95	9.75
34	रैपुरा में गांव से नेशनल हाईवे की ओर सी.सी. निर्माण	9.86	9.84
35	चमर्रा में गांव से शमशान घाट की ओर सी.सी. निर्माण	9.95	9.93
36	कोटरा में तालाब से शमशान घाट की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.90	9.85
37	वरीपुरा में मैनरोड से गांव की ओर सी.सी. रोड	5.75	5.60
38	राठ पनवाडी मुख्य मार्ग से जखा मार्ग की ओर सी.सी. रोड	9.73	9.67
39	रिछा में जू0 हाई0 स्कूल से गांव तक सी.सी. रोड निर्माण	9.75	9.64
	योग-	376.76	368.33
	जिलानिधि		
40	धवरा में कन्या पा0 से जू0 हाई0 स्कूल की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.00	8.92
41	नेशनल हाईवे से चमरुआ मार्ग होते हुये म0प्र0 सीमा अलीपुरा की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.80	9.74

42	मगरौल कला में जिला पंचायत की सी.सी. रोड से वन्दू कुम्हार के खेत की ओर सी.सी.निर्माण	9.85	9.79
43	अरघटमऊ में गुंदी कुशवाहा के मकान से बगराजन माता तक सी.सी रोड निर्माण	9.95	9.84
44	नौगांव - कुलपहाड मार्ग से रेलवे अन्डर पास की ओर सी.सी रोड निर्माण	9.90	9.84
45	ग्राम जैतपुर में अर्जुन के मकान से सिद्ध बाबा की ओर सी.सी रोड निर्माण	9.75	9.66
46	बेलाताल मगरौल लेपन मार्ग से धनीराम के खुड़े की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.80	9.75
47	नौगांव बेलाताल मैन रोड से कुशवाहा बगिया की ओर सी.सी. रोड निर्माण	9.90	9.85
	योग -	77.95	77.39
	कुल योग -	454.71	445.72

प्रस्तरसंख्या-3- लेखा परीक्षा दौरान वर्ष 2019-20 में पाया गया कि ग्राम पंचायत कुवों में श्री रामवली यादव के मकान से जू.हा.स्कूल की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य में स्वीकृति आगणन रु. 990000.00 में स्वीकृति 987525.00 श्री शिवशरण मिश्रा ठेकेदार को 25 प्रतिशत कम पर विभागीय दर से दिनांक 23.10.2019 को टेण्डर स्वीकृति किया गया जिसकी लम्बाई 190 मीटर में राज्यवित्त आयोग निधि से ठेकेदार श्री शिवशरण मिश्रा पुत्र श्री जयकरन मिश्रा समद नगर महोबा को एम.बी.सं.6/2018-19 के पेज संख्या 84-85 दिनांक 21.01.20 में द्वितीय रनिंग भुगतान रूपया 337680.00 का किया गया है। जबकि निर्माण कार्य पत्रावली को नोटशीट पर कटिंग कर 337680.00 के स्थान पर रु.336336.00 अंकित किया गया है। जिससे रु. 1344.00 का अन्तर पाया गया जिसके भुगतान से सम्बन्धित बिल आडिट दौरान अप्राप्त रहे। जिससे भुगतान की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः जिस हेतु श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र(अपर मुख्य अधिकारी) श्रीमती यज्ञेश सिंह श्री शफीफ अहमद(वित्तीय परामर्शदाता) श्री के.एन. गुप्ता श्री अरूण कुमार श्रीवस्तव श्री जयप्रकाश सिंह अभियंता, अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। जिनके प्रति वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जनपद का नाम- गोण्डा

मण्डल का नाम- देवीपाटन

संस्था- जिला पंचायत गोण्डा

वर्ष 2020-21

प्रस्तर-1

जिला पंचायत गोण्डा का भवन दुकान के रूप में किराए पर आवंटित है। आवास दुकान एवं भूखण्ड रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष में मांग एवं वसूली का रजिस्टर तैयार किया गया है। दिनांक 31.03.2021 को दुकानों पर किराया का बकाया रहा, जिसको अगले वित्तीय वर्ष में जमा किया गया है। किन्तु कतिपय दुकानदारों द्वारा किराया की धनराशि जमा नहीं की जा रही है।

दिनांक 31.03.2020 को बकाया किराया रु० 399651.00 था, वर्ष की मांग रु० 549000.00 सहित कुल मांग रु० 948651.00 थी। वर्ष में कुल वसूली रु० 351476.00 (वर्ष की मांग के सापेक्ष रु० 316684.00 एवं बकाया के सापेक्ष रु० 34792.00) की गयी, जो वर्ष की मांग के सापेक्ष 57.68 प्रतिशत तथा बकाया के सापेक्ष 8.70 प्रतिशत है।

31.03.2021 को किराया अवशेष रु० 597175.00 है। इससे स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा दुकानों के बकाया किराया वसूली हेतु ठोस एवं सक्रिय प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिससे संस्था को रु० 364859.00 के राजस्व की क्षति हुई है। उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 364859.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आसं०-2)

प्रस्तर-2

कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गोण्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे मोबाइल टावरों को नियंत्रित करने हेतु सं०-2493/एल०बी०ए० (उप दरों-संशोधन)/2013, उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत दिनांक 04.09.2013 को उपविधि में संशोधन किया गया था। इस संबंध में टावरों को नियंत्रित करने एवं संशोधित दरों को लागू करने हेतु सं०-2990/एल०बी०ए० उपविधि/ 2014 दिनांक 31.05.2014 द्वारा प्रकाशन किया गया था। मोबाइल टावरों को नियंत्रित करने हेतु उपविधि के बिन्दु सं०- 08 के अनुसार प्रत्येक टावर प्रोपराईटर को रु० 25000.00 प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात ही जिला पंचायत के परिधिगत मोबाइल टावर लगाए जाने की स्वीकृति प्राप्त होनी थी। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 240 में निहित प्रावधानों के अनुरूप उपविधि का उल्लंघन करने एवं न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर जिला पंचायत द्वारा रु० 1000.00 का अर्थदण्ड लगाया जाना था। तथा प्रथम दोष सिद्ध होने पर प्रत्येक दिन के लिए रु० 50.00 का अर्थदण्ड लगाया जाना था, एवं अर्थदण्ड जमा न किए जाने की स्थिति में तीन माह के कारावास का भी प्रावधान था। जिला पंचायत गोण्डा द्वारा, जिला पंचायत के परिधिगत स्थापित टावरों की सूची एवं अपने स्तर से सर्वे कराकर सूचना भी एकत्र नहीं की गयी है। इस संबंध में भारतीय दूर संचार निगम लि० के पत्रांक- डी०जी०एम०(ओ०पी०/आडिट/ 2021-22 दिनांक 09.11.2021 द्वारा प्राप्त विवरण के आधार पर माह फरवरी 2013 तक ग्रामीण अंचलों में 83 टावर स्थापित किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में लाइसेंस शुल्क के संबंध में लागू उपविधि के अनुसार 83 टावरों से रु० 25000.00 प्रति टावर की दर से रु० 2075000.00 वसूल किया जाना चाहिए था। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 2075000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आसं०- 6)

प्रस्तर-3

कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत गोण्डा की उपविधि दिनांक 04.09.2013 सं०-2493/एल०बी०ए० (उप दरों-संशोधन)/2013, उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत गोण्डा द्वारा पूर्व में सृजित की गयी विभिन्न उपविधियों के अन्तर्गत व्यवसायों की प्रचलित लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 242 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दरों के संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि की गयी और उसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया गया। उक्त प्रस्ताव के अनुसार स्थाई चिमनीदार ईट भटठा हेतु रु० 3450.00 प्रति ईट भटठा की संशोधित वार्षिक दर लागू की गयी। वित्तीय वर्ष 20-21 में जनपद में संचालित 258 ईट भटठों के सापेक्ष मात्र 94 ईट भटठों से लाइसेंस शुल्क की वसूली की गयी है। जनपद में संचालित ईट भटठों को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाना था। जिला पंचायत द्वारा 164 ईट भटठों से लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। अगर वसूली होती तो जिला पंचायत को 164 ईट भटठों का 3450.00/ईट भटठा की दर से रु० 565800.00 की आय होती। अतः रु० 565800.00 की वसूली न कर उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से

(ड) तक के अन्तर्गत अनियमितता की गयी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 14)

प्रस्तर-4

विभिन्न विभागों को आवंटित भवन के किराया का पावने का शासनादेश सं०-3689/33-3-217 जी०/96 पंचायतीराज अनुभाग-3, दिनांक 09.07.1996 के विन्दु (च) में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्धारित अवधि में आवास/निरीक्षण गृह खाली न किए जाने पर मानक किराया का चार गुना या बाजार किराया का दूना, जो भी अधिक हो आवंटियों से वसूल किया जाना था। कुल 05 किराएदारों से वसूली नहीं हो रही है, न तो उनके विरुद्ध आवास खाली कराए जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है। इस कारण संस्था को रु० 543296.00 की क्षति उठानी पड़ रही है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 19)

प्रस्तर-5

जिला पंचायत गोण्डा के ईट भटठों के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड मुजेहना में स्थित कुल 17 ईट भटठों पर सम्पत्ति एवं विभव कर का बकाया रु० 460000.00 रहा ।

उक्त बकाया धनराशि रु० 460000.00 की वसूली फर्म मालिकों से न कर संस्था को रु० 460000.00 की क्षति पहुँचायी गयी। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 460000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 21)

प्रस्तर-6

जिला पंचायत गोण्डा के ईट भटठों के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड बभनजोत में स्थित कुल 10 ईट भटठों पर सम्पत्ति एवं विभव कर का बकाया रु० 300000.00 रहा ।

उक्त बकाया धनराशि रु० 300000.00 की वसूली फर्म मालिकों से न कर संस्था को रु० 300000.00 की क्षति पहुँचायी गयी। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 300000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 22)

प्रस्तर-7

जिला पंचायत गोण्डा के ईट भटठों के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड इटियाथोक में स्थित कुल 05 ईट भटठों पर सम्पत्ति एवं विभव कर का बकाया रु० 150000.00 रहा ।

उक्त बकाया धनराशि रु० 150000.00 की वसूली फर्म मालिकों से न कर संस्था को रु० 150000.00 की क्षति पहुँचायी गयी। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 150000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 23)

प्रस्तर-8

जिला पंचायत गोण्डा के ईट भटठों के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड बेलसर में स्थित कुल 10 ईट भटठों पर सम्पत्ति एवं विभव कर का बकाया रु० 204000.00 रहा ।

उक्त बकाया धनराशि रु० 204000.00 की वसूली फर्म मालिकों से न कर संस्था को रु० 204000.00 की क्षति पहुंचायी गयी। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 204000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 24)

प्रस्तर-9

जिला पंचायत गोण्डा के ईट भटठों के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड छपिया में स्थित कुल 16 ईट भटठों पर सम्पत्ति एवं विभव कर का बकाया रु० 408000.00 रहा ।

उक्त बकाया धनराशि रु० 408000.00 की वसूली फर्म मालिकों से न कर संस्था को रु० 408000.00 की क्षति पहुंचायी गयी। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 408000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 25)

प्रस्तर-10

जिला पंचायत गोण्डा के ईट भटठों के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड वजीरगंज में कुल 03 ईट भटठों पर बकाया धनराशि रु० 66000.00, विकास खण्ड नवाबगंज में कुल 01 ईट भटठों पर बकाया रु० 22000.00, विकास खण्ड तरबगंज में कुल 03 ईट भटठों पर बकाया रु० 50000.00, एवं विकास खण्ड रुपईडीह में कुल 05 ईट भटठों पर बकाया रु० 62000.00, कुल रु० 200000.00 सम्पत्ति एवं विभव कर बकाया रहा ।

उक्त बकाया धनराशि रु० 66000.00 विकास खण्ड वजीरगंज, रु० 22000.00 विकास खण्ड नवाबगंज, रु० 50000.00 विकास खण्ड तरबगंज, एवं रु० 62000.00 विकास खण्ड रुपईडीह, कुल रु० 200000.00 की वसूली फर्म मालिकों से न कर संस्था को रु० 200000.00 की क्षति पहुंचायी गयी। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 200000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 26 क ख ग)

प्रस्तर-11

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि के उपभोग संबंधी शासनादेश सं०-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर-3 द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिला पंचायतें विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को ही सम्पादित कराएगी। ऐसे आदेश इसलिए निर्गत किए गए थे क्योंकि ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान प्रश्रुगत कार्यों को कराए जाने हेतु प्राप्त होते हैं। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 33 (2) में वांछित रोड रजिस्टर जिसमें दो या दो से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क अथवा जनपद सड़क के रूप में नक्शे सहित वर्गीकरण हो, को ही बनाए जाने की अनुमति है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न विकास खण्डों में ग्राम पंचायत के भीतर कुल 07 कार्य कराए गए हैं। शासनादेश में यह भी उल्लिखित है कि कतिपय ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है परन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य स्वयं द्वारा कराया दर्शाकर भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है, जो अनुचित है, तथा अधिकांश कार्यों में अनियमितता एवं डुप्लीकेशी की संभावना विद्यमान रहती है। उपरोक्त कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में

अनियमितता एवं डुप्लीकेशी रोकने हेतु कोई सर्वे या जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उपरोक्त शासनादेश का पालन न कर एवं एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कार्य कराकर रु० 337.94 लाख की अनियमितता जिला पंचायत गोण्डा द्वारा की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 29)

प्रस्तर-12

समय ठेके का सार तत्व है। ठेकेदार टेन्डर में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करेगा। इस अवधि की गणना कार्यदेश के दिनांक से की जाएगी। जिला पंचायत, गोण्डा की निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-2021 की परियोजनाएं समय से पूर्ण नहीं हुई। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 के खण्ड-ग के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूरा न होने पर ठेकेदार प्रतिकर/विलम्ब के लिए प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के 1 प्रतिशत के बराबर होगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि टेन्डर में दर्शित निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संस्था द्वारा ठेकेदार के बिलों से 1 प्रतिशत की कटौती न कर नाम मात्र की कटौती की गयी है।

ठेकेदारों से नाम मात्र का जुर्माना वसूल कर संस्था को रु० 45278.00 की क्षति पहुंचायी गयी है। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 45278.00.00 दुरुपयोगित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 34)

प्रारूप 1

जिला पंचायत- बलरामपुर (लेखा परीक्षा वर्ष – 2020-21)

प्रस्तर संख्या-01

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा डेली वेज बेलदार व मजदूर / मेट रखकर कार्य कराया गया है तथा मजदूरी का भुगतान किया गया है। भुगतान की गई धनराशि रु. 471800.00 पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियां हैं-

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01-09-2008 से कर्मकारों के वेतन / मजदूरी का भुगतान संस्था द्वारा सीधे उनके खाते में किया जाना था किन्तु जिला पंचायत द्वारा समस्त कर्मकारों की मजदूरी का भुगतान अभियन्ता के नाम चेक जारी करके किया गया है। जो राज्य सरकार की वर्णित व्यवस्था के प्रतिकूल रहा।

(2) जिला पंचायत द्वारा समस्त कार्य निविदा के आधार पर ठेकेदारों से कराया गया है। किन्तु बिना कोई आधार या औचित्य स्पष्ट किये पहरी संरक्षण का कार्य अभियन्ता के देख-रेख में मेट / मजदूरों से कराकर भुगतान किया गया।

(3) कराये गये कार्यों की न तो कोई योजना बनाकर बोर्ड की बैठक में पारित कराया गया और न ही कराये गये कार्यों की नियोजन/निर्माण समिति के संज्ञान में लाकर नियमित पुष्टि कराई गई है।

अस्तु उपरोक्त दर्शित कार्यों पर व्यय रु० 471800.00 का भुगतान अनियमित रहा जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत

तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02

शासनादेश संख्या 315/10-02-(9) दिनांक 19-03-1997 के द्वारा सरकारी स्थानीय निकायों तथा सर्वजनिक उपक्रमों में ऐसे अधिकारियों जिन्हें राजकीय / संस्था वाहन (बोलेरो) आवंटित है के वेतन से प्रतिम रुपये 800 कटौती करके राजकीय कोष/ जिला निधि कोष जमा करने का प्राविधान है । लेकिन जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में अपर मुख्य अधिकारी को उपलब्ध कराये गये बोलेरो वाहन के लिए प्रतिमाह वेतन से रुपये 800 की कटौती करके जिला निधि में जमा नहीं कराया गया है । इस धनराशि के स्थान पर रूप ये 400 की कटौती प्रतिमाह की गई है। अस्तु रुपये 400 प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह का रू० 4800 की अवशेष कटौती कर जिला निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार वेतन बिल से कटौती न किय जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3

जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2020-21 में पुलिया/अप्रोच निर्माण पर कुल धनराशि रु. 10690700.00 का व्यय किया गया है जिस पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (1) जिला पंचायत द्वारा जिन स्थानों पर/ मार्गों पर पुलिया निर्माण कराया गया है वहां पूर्व में क्या था स्पष्ट नहीं रहा तथा संपर्क मार्ग जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र था ।
- (2) किसी अन्य कार्य जाए संस्था यथा ग्राम पंचायत आदि का (एन०ओ० सी०)प्राप्त नहीं किया गया है।
- (3) पुलिया निर्माण में प्रयुक्त रेत बजरी मोरल मोरंग की रॉयल्टी जमा नहीं की गई है ।
- (4) निर्माण समिति के संचालन में लाकर पुलिया निर्माण एवं भुगतान की पुष्टि नहीं कराई गई है
- (5) लगभग 1 साइज एक प्रकार की पुलिया निर्माण हेतु अलग-अलग धनराशि का भुगतान किया गया है ।

अस्तु संस्था द्वारा किया गया उक्त भुगतान रू० 10690700.00 पूर्णत अनियमित है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कराए गए निर्माण कार्य में अधिकांश निर्माण कार्य सीसी निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कराया गया है।

जिला पंचायत द्वारा कराए गए सीसी निर्माण कार्य पर निम्न आपत्ति रही-

1- निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई क्योंकि किसी भी पत्रावली में रॉयल्टी जमा चालान एवं वैध खन्ना (वैध अभिवहन) प्रपत्र नहीं पाया गया ऐसी स्थिति में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज सामग्री की आपूर्ति किस प्रकार रही स्पष्ट नहीं है।

2 -प्रयुक्त खनिज सामग्री पर देय रॉयल्टी की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नहीं की गई है जबकि शासनादेश संख्या 4991/11/770/5-6 दिनांक 5-10-2006 के अनुसार उपखनिज (मिट्टी, मोरंग, बालू, गिट्टी आदि) की आपूर्ति पर रॉयल्टी जमा चालान प्रपत्र प्राप्त कर बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए।

3- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के परिपत्र संख्या 192 एम टी /160 एम टी /2007 दि० 10-01-2008 द्वारा ग्रामीण मार्गों पर सीमेंट कंक्रीट निर्माण हेतु विशिष्टियों का निर्धारण करते हुए प्रावधान किया गया है कि हल्के यातायात वाले मार्गों पर सब बेस में डब्ल्यूबीएम ग्रेड वन जीएमबी की न्यूनतम मोटाई 7.50 सेंटीमीटर डाल कर उसके ऊपर 125 माइक्रोन थिकनेस की प्लास्टिक शीट डालकर उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटाई में 1:5:3 अनुपात में सीमेंट बालू एवं गिट का प्लेन सीमेंट कंक्रीट जॉइंट स्लैब डाला जाए तथा कंक्रीट कार्य के सभी लेयर में सीमेंट फाइन सैंड एवं गिट के अलावा अलग-अलग अनुपात का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण की सभी विशिष्टियों में स्टोन ब्लास्ट के साथ सीमेंट, कंक्रीट एवं सैंड को भी डालने का प्राविधान किया गया है। किसी भी विशिष्टि में सिर्फ स्टोन ब्लास्ट डालना अनुमन्य नहीं था। परंतु जिला पंचायत द्वारा बनवाए गए सीसी रोड के अभिलेखों से स्पष्ट है कि स्टोन ब्लास्ट में सीमेंट सैंड के बिना ही कामपैक्ट किया गया है। जबकि बिना सीमेंट डालें गिट्टी बालू अच्छी तरह मजबूत नहीं होगा और कार्य की मजबूती नहीं रहेगी। इतनी प्रभुत धनराशि निर्माण कार्यों पर व्यय की गई लेकिन बेसलाइन में सीमेंट ना डालने से कार्य अधोमानक हो गया साथ ही व्यय धनराशि से निर्माण निर्माण कार्यों का उपयोग दीर्घ काल तक नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त के बिन्दुओं के आलोक में ₹0 9007518.00 का व्यय अनियमित रहा जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा विकासखंड बलरामपुर के ग्राम पंचायत समगरा गांव से दुर्गापुर जाने वाले मार्ग पर डिप निर्माण कार्य कराया गया। ठेकेदार श्री कुलदीप सिंह को कार्य का भुगतान ₹0 324300.00 किया गया। उक्त व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(i) बरसात में कार्य अपूर्ण रहा।

(ii) जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा गठित समितियों का किसी भी स्तर पर किसी भी समिति जैसे नियोजन, प्रशासनिक समिति की स्वीकृति योजना निर्माण एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई। भुगतान के समय के समय कराए गए कार्य को समितियों के संज्ञान में नहीं लाया गया और ना ही निर्माण समिति से स्वीकृति लेकर भुगतान किया गया।

(iii) डीप निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा को और अप्राप्त रहीं।

(v) राज्य वित्त से ऐसे कार्यों को कराए जाने का निर्देश नहीं है।

अस्तु उक्त के आलोक में जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा विकासखंड गैसडी अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में सुरक्षा दीवाल निर्माण हेतु ठेकेदार श्री तारिक वाहिद को 499750.00 का भुगतान किया गया है। इस व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं -

(i) राज्य वित्त से भुगतान किया गया है जबकि राज्य वित्त अनुदान की गाइड लाइन में ऐसे कार्यों का प्राविधान नहीं है।

(ii) सुरक्षा दीवाल हेतु सामग्री प्रयुक्त किए जाने पर देय रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के बिल से नहीं की गई है न ही वैध खन्ना प्रपत्र एम एम -11 ही पाया गया।

अस्तु उक्त व्यय अनियमित है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2020-21 में विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं विकास खंडों में ईट सेलिंग का कार्य किया कराया गया है।

उक्त व्यय के धनराशि पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तिया है---

(i) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में पी0डब्लू0डी0 /आर0इ0एस0/मण्डी परिषद/ ग्राम पंचायत से इस आशय का अनापित्त प्रमाण-पृ नहीं प्राप्त किया गया कि उक्त कार्य या कार्य के किसी भाग पर उनके द्वारा पूर्व में कोई कार्य तो नहीं कराया गया है अथवा कराया जाना प्रस्तावित तो नहीं है/था।

(ii) वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अस्तु उक्त भुगतानित धनराशि **रु0 7306820.00** का भुगतान पूर्णतः अनियमित है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत प्रांगण में स्थित कर्मचारी /अधिकारी वर्ग के आवासों की साज-सज्जा एवं मरम्मत पर 2133800.00 रु0 का व्यय किया गया है।

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तिया रही—

(i) संदर्भित कार्य पर व्यय राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किया गया। अनुदान क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्राप्त हुआ था न कि साज-सज्जा पर व्यय किये जाने के लिए प्राप्त था।

(ii) उक्त प्रकार के कार्य निजी स्रोत से प्राप्त धनराशि से कराया जाना चाहिए।

(iii) आवास विशेष पर इतनी बड़ धनराशि व्यय करके प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग किया गया है

अस्तु स्पष्ट है कि विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग नियम विपरीत कार्य करके राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9

जिला पंचायत कार्यालय में उपयोग हेतु जनरेटर लगवाया गया है। जिसके लिए शंकर फिलिंग स्टेशन बलरामपुर से समय-समय पर डीजल क्रय कर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान संस्था द्वारा रु0 7945.00 का डीजल क्रय किया गया है। डीजल क्रय के सापेक्ष जनरेटर की लॉग बुक दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रही जनरेटर लॉग बुक प्रस्तुत कर आगामी लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि कराई जाए। अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि काजी हाउस मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय/ भुगतान किया गया है। उक्त व्यय धनराशि एवं विवरण से स्पष्ट है कि काजी हाउस के संचालन पर उपलब्ध प्रदत्त लेखों के अनुसार चारा-भूसा मद में 2924605.00 रुपया एवं मजदूरी मद में 855757.00 का भुगतान किया गया जिस पर लेखा परीक्षा की प्रमुख आपत्ती निम्नवत है-

i- चारा भूसा का भुगतान संबंधित किसान/फर्म को अकाउंट पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा ना करके लेखा मैनुअल में विहित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है और भुगतान नियमों का उल्लंघन करके चारा-भुसा पर व्यय धनराशि का भुगतान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को कर दिया गया।

ii- काजी हाउस में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उनके खाते में ना करके अपर मुख्य अधिकारी को किया गया जो समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों एवं निर्धारित विनियमों के विपरीत रहा।

इस प्रकार संस्था द्वारा **₹ 3780362.00** का अनियमित भुगतान किया गया है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11

दौरान लेखा परीक्षा तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत प्रांगण में कुल 19 अधिकारी और कर्मचारी आवास आवंटित हैं। जिसमें जिला पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी रहते हैं। आवासों में न तो सरकारी आवासों की भाँति बिजली के सब मीटर लगाकर बिजली का बिल वसूल किया जा रहा है और ना ही वार्षिक मेटेनेंस चार्ज वसूल किया जा रहा है। जिससे जिला पंचायत को हजारों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंच रही है। प्रकरण गंभीर है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार वर्ष में ₹ 546645.00 का विधुत बिल का भुगतान संस्था द्वारा किया गया बिधुत बिल में आवासों का भी बिल सम्मिलित है। कर्मचारी / अधिकारी आवासों से बिजली बिल के सापेक्ष नाममात्र की वसूली की जा रही है। कार्यालय के अतिरिक्त आवासों में भी एयरकण्डिशनर लगाया गया है जिससे अधिक बिल का भुगतान किया जा रहा है। आवासीय बिल का भुगतान संस्था द्वारा किये जाने से संस्था को लगभग अनुमानित ₹ 300000.00 की क्षति हो रही है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

दिनांक 31-3-2021 को दर्शित रोकड़ बही के अवशेष में से रुपए 483536.61 इस आशय से घटाया गया है कि यह धनराशि रोकड़ बही में है किंतु बैंक पासबुक में नहीं है अर्थात् बैंक पासबुक में उपलब्ध अवशेषों में से मिलान करने हेतु रोकड़ बही के अवशेषों में से यह धनराशि कम की गई है। उक्त अंतर की धनराशि के संबंध में अवगत कराया गया कि बैंक द्वारा कलेक्शन चार्ज एवं हेतु उक्त धनराशि खाते में डेबिट की गई है। जिसका लेखा मिलान नहीं होने के कारण रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया है लेखा अनुभाग द्वारा उक्त धनराशि की जो सूची तैयार की गई है उससे स्पष्ट है कि धनराशि रुपया 455121.00 बैंक चार्जस की धनराशि नहीं है। अस्तु उक्त अंतर की धनराशि रुपया 483536.61 में से रुपया 455121.00 का कारण स्पष्ट करते हुए समाधान विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये अन्यथा

आहरण की धनराशि को गबन मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त अनियमितता के लिए जिला पंचायत के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

पंचायती राज अनुभाग दो के शासनादेश संख्या 866 /33-2-14-93G/2004 TC दिनांक 24 जून 2014 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या (03) के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदान उसे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएंगे। साथ ही तीनों पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अतिक्रमण की संभावना व्यक्त करते हुए अतिक्रमण की दशा में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कुल ₹. 17581836.00 के विभिन्न सी.सी रोड निर्माण / अनुरक्षण पर कराए गए कार्यों में उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन न करते हुए क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर अनियमितता की गई है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1761 की धारा 101 (एम) के अनुसार जिला निधि क्षेत्र निधि का धन सरकारी खजाने या उप खजाने में या ऐसे बैंक में जिसे सरकारी खजाने का कार्य सौंपा गया हो जमा की जाएगी। अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार यह निधि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एक या अधिक अनुसूचित बैंकों या सहकारी बैंकों में जमा की जाएगी जिन्हें वह तदर्थ निर्दिष्ट करें। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड बलरामपुर में जिला निधि आदि के खाते खोले गए थे किंतु जिला सहकारी बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति अधिनियम के उक्त प्राविधान के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिला सहकारी बैंक बलरामपुर में 31 मार्च 2021 को अंतिम अवशेष 14577568.65 रुपए विगत वर्ष की भांति यथावत दर्शित है जिसकी पुष्टि में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट/बैंक प्रबंधक का पुष्ट प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे धनराशि अपुष्ट रही। इस प्रकार राज्य सरकार की आवश्यक अनुमति के बिना ही जिला सहकारी बैंक में खाते का संचालन किए जाने से संस्था को रुपए 14577568.65 की क्षति हुई है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत फेस वहीं के अनुसार चेक संख्या 532295 दिनांक 15 जनवरी 2021 द्वारा रुपए एक लाख का भुगतान पारिश्रमिक यात्रा भत्ता के बाबत किया गया है। संस्था द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त भुगतान जिला पंचायत प्रकोष्ठ के पत्र संख्या 3756/33-सेल/2020 दिनांक 04-01-2021 के अनुपालन में किया गया है। लेखा परीक्षा में जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का उक्त पत्र अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे श्री मनीष कुमार को रुपए 100000.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अनुदान की धनराशि से अनुदान के उद्देश्यों के विपरीत भुगतान कर ₹0 100000.00 का दुरुपयोग किया गया। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार

मालवीय एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री मंगलेश पालीवाल व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार चेक संख्या 532309 द्वारा दिनांक 16-01-2021 को रुपया 34300.00 का भुगतान मे0 स्टील फर्नीचर को किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में वित्त (लेखा) अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस 2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुपालन में कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो अनियमित रहा। नियमानुसार 20 हजार से ऊपर की प्रत्येक खरीद पर कोटेशन प्राप्त किया जाना चाहिए था। संस्था द्वारा पालन नहीं किया गया जो अनियमित रहा, लेखा परीक्षा में उक्त स्टॉक के क्रय की पुष्टि हेतु स्टॉक रजिस्टर ,क्रय आदेश आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जो अनियमित रहा जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार दिनांक 31-03-2021 को बिना भुनाये गये चेकों का विवरण निम्नवत रहा –

क्रम सं.	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
1	454886	09-01-2018	5073
2	003070	26-11-2018	10000
3	003856	08-03-2019	8
4	091258	12-11-2019	137300
5	091272	13-01-2020	99922
6	091282	13-01-2020	1500
7	214238	02-09-2020	450615
8	040676	28-01-2020	13673
9	000096	26-03-2021	133644
10	000097	26-03-2021	133644
11	000098	26-03-2021	299362
12	000099	26-03-2021	133644
13	000100	26-03-2021	602500
14	532330	26-03-2021	36801
15	532661	26-03-2021	3450
16	532662	26-03-2021	2273
17	532663	26-03-2021	274680
18	532665	26-03-2021	86632
19	532666	26-03-2021	1457782
20	043130	26-03-2021	12771
21	043131	26-03-2021	12771

22	043132	26-03-2021	28605
23	043133	26-03-2021	12771
		टोटल	3949421.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्रमांक 01 से 08 तक के चेक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 से सम्बन्धित है। जिसमें कुल सन्निहित धनराशि ₹0 718091.00 सम्मिलित है। विगत वर्षों के चेकों का आतिथि समाधान न किया जाना उक्त भुगतान को संदिग्ध एवं अनियमित बना देता है। अतः वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के समाधान रहित चेकों पर अंकित धनराशि ₹0 718091.00 को अनियमित मानते हुये तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार दिनांक 31-03-2021 को बनाये गये समाधान विवरण पत्र में ₹0 1249552.00 अन्तर की धनराशि अंकित है जिसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्तर की धनराशि का समाधान न होने के कारण उक्त धनराशि को अनियमित मानते हुये तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री गिरीजेश कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियमों के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-2

वर्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद-बहराइच

सम्भाग-देवीपाटन,गोण्डा

वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत बहराइच में उदघटित अपहरण, दुरुपयोग तथा अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण:-

प्रस्तर संख्या 1. ग्राम पंचायत शेख दहीर के वैद्यपुरवा से मीरगंज सम्पर्क मार्ग पर रईस हाजी के खेत के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य पर बिल सं0 82 दिनांक 12.2020 से ₹0 645680.00 एवं बिल सं0 54 दिनांक 09.2021 से ₹0 180544.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी है।

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स एस0के0 कान्स0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.06 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी । मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. पत्रावली में 20 घनमी0 मोरंग हेतु जो एमएम 11 प्राप्त हुआ उसका डिलिवरी एड्रेस जनपद सीतापुर का पाया गया जबकि कार्य जनपद बहराइच में सम्पन्न कराया गया है जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

3. पत्रावली में 18 घनमी० गिट्टी हेतु जो एमएम 11 प्राप्त हुआ उसका डिलिवरी एड्रेस जनपद बलरामपुर का पाया गया जबकि कार्य जनपद बहराइच में सम्पन्न कराया गया है जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु०- 826224.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है। एवं 30प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-21)

प्रस्तर संख्या 2. ग्राम पंचायत कनेरा में कोटवा धाम मंदिर से पूर्व तालाब के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण कार्य पर बिल सं० 47 दिनांक 12.2020 से रु० 602026.00 एवं बिल सं० 09 से रु० 227798.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स कोमल कान्स० की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.01 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. कार्यादेश पर तिथियों को अंकित नहीं किया गया है जिससे कार्यादेश की वैधता शून्य हो जाती है। जो आपत्तिजनक है। भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

3. प्राक्कलन की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 06.05.2020 को की गयी किन्तु इकरारनामा में क्रमांक 4 में कार्य अन्दर मियाद दिनांक 13.02.2020 तक समाप्त कर दूंगा लिखा पाया गया जो कार्य पूर्ण होने को संदिग्ध बना देता है।

4. पंजीयन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र कार्य प्रारम्भ तिथि के पूर्व ही अमान्य हो जा रहे हैं। जो आपत्तिजनक है।

इससे स्पष्ट है कि पत्रावली जल्दबाजी में तैयार की गयी है। निर्धारित मानकों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः रु०- 829824.00 का भुगतान अनियमित है। एवं 30प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-

22)

प्रस्तर संख्या 3. ग्राम पंचायत गण्डारा में डामर रोड से खालेपुरवा जाने वाले मार्ग पर हिरई के खेत के पास आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य पर बिल नं० 130 दिनांक 12.01.21. से रु० 698432.00 एवं बिल सं० 23 दिनांक 16.08.2021 से रु० 267456.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स अवध कान्स० की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.014 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. पत्रावली में प्राप्त एम०एम० 11 जो 11 घनमी० आर्डिनरी सेन्ड का श्री प्रवीन कुमार के नाम से बना पाया गया, जिसका गन्तव्य स्थान जनपद गोण्डा है। इस प्रकार बिना आर्डिनरी सेन्ड मंगाये ही ग्राण्ट का अपहरण किया गया है।

3. पत्रावली में मोरंग एवं गिट्टी का भी एमओएम 11 नहीं लगाया गया है जिससे कार्य में प्रयुक्त सामग्री खरीद की पुष्टि नहीं होती है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रु0- 965888.00 अनियमित एवं वसूल योग्य है। जिसकी वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता, वित्तीय परामर्श दाता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। एव 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साओआओसं0-23)

प्रस्तर संख्या 4. ग्राम पंचायत चिकनिया में दिनेश के घर से मुन्नेलाल के बाग तक खण्डजा निर्माण कार्य पर बिल सं0 11 दिनांक 05.11.20 से रु0 325193.00 एवं बिल सं0 90 दिनांक 08.01.21 से रु0 214816.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स कोमल कान्स0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.12 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी । मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. पत्रावली में कार्य से पूर्व का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। कार्य के दौरान एवं कार्य के बाद का फोटोग्राफ नहीं पाया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना ही संदिग्ध रहा। अतः कार्य पर व्यय की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार रु0- 540009.00 का भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य हैं। पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्त का प्रारूप अधूरा पाया गया। जो आपत्तिजनक है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूल योग्य है। एव 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (साओआओसं0-24)

प्रस्तर संख्या 5. ग्राम पंचायत हरदीगौरा में डामर रोड से भगवानपुर सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य पर बिल सं0 92 दिनांक 23.12.2020 से रु0 355905.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में ठेकेदार श्री कृष्ण कुमार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.50 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी । मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. कार्यादेश पर तिथियों को अंकित नहीं किया गया है जिससे कार्यादेश की वैधता शून्य हो जाती है। जो आपत्तिजनक है। भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

3. कार्य अवधि दिनांक 23.12.2020 से 31.12.2020 तक है किन्तु हैसियत प्रमाण पत्र दिनांक 28.07.2020 तक ही मान्य है। इस प्रकार कार्य प्रारम्भ तिथि के पूर्व ही अमान्य हो जा रहा है। जो आपत्तिजनक है।

4. पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिनांक 28.07.2020 को अमान्य हो गया। इस प्रकार कार्य प्रारम्भ तिथि के पूर्व ही अमान्य हो जा रहा है। जो आपत्तिजनक है।

इससे स्पष्ट है कि पत्रावली जल्दबाजी में तैयार की गयी है। निर्धारित मानकों पर ध्यान नहीं दिया गया है अतः ₹0- 355905.00 का भुगतान अनियमित है। एव 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-25)

प्रस्तर संख्या 6. ग्राम पंचायत भोगियापुर से तारापुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य पर बिल सं0 73 दिनांक 08.01.21 से ₹0 179872.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स एस0के0कान्स0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.05 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास में क्रेता का नाम जितेन्द्र श्रावस्ती जनपद है। जबकि कार्य जनपद बहराइच में सम्पन्न कराया गया है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

3. इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास दिनांक 05.12.2020 का लगा है जबकि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 19.09.2020 है। सामग्री काफी समय बाद क्यों मंगाई गई। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान ₹0- 179872.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है। एव 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-26)

प्रस्तर संख्या 7. राजस्व ग्राम एकधरा के बाजपुरवा सम्पर्क मार्ग पर लेपन/मरम्मत कार्य पर बिल सं0 74 दिनांक 07.01.21 से ₹0 632128.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स एस0के0 कान्स0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.03 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. पत्रावली में कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ प्राप्त रहा। कार्य के दौरान के फोटोग्राफ अनुसार प्रतीत होता है कि मिट्टी का कार्य नहीं कराया गया है। जबकि मिट्टी कार्य पर ₹0 69685.00 का व्यय दर्शाया गया है। जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

3. 18.03 घनमी0 गिट्टी का इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास छतरपुर मध्य प्रदेश का प्राप्त रहा जबकि आर0एम0आर0 शंकरगढ़, कबरई हल्द्वानी का लगा है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4. इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास में क्रेता का नाम जितेन्द्र श्रावस्ती जनपद है। जबकि कार्य जनपद बहराइच में सम्पन्न कराया गया है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

5. इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास दिनांक 18.12.2020 का लगा है जबकि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 19.09.2020 है। सामग्री काफी समय बाद क्यों मंगाई गई। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किया गया भुगतान ₹0- 632128.00

अनियमित एवं वसूली योग्य है। एव 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-27)

प्रस्तर संख्या 8. ग्राम पंचायत बेलवापदुम में डामर रोड से प्राथमिक विद्यालय जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 10 दिनांक 22.06.20 से रू0 1034112.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में नागेन्द्र पाल सिंह ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 1.45 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 6 रोड वर्क के क्र0सं0 8 अनुसार इण्टरलाकिंग 80 एम0एम0रबर मोल्डेड रू0 814.70 प्रति वर्ग की दर से गणना किया गया है। इस प्रकार 598.85 ग 96.70=57908.79 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किया गया भुगतान रू0- 1034112.00 अनियमित एवं वसूली योग्य है। एव 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-28)

प्रस्तर संख्या 9. ग्राम पंचायत झाला जालिमनगर सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य पर वाउचर सं0 50 दिनांक 11.11.20 से रू0 570242.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्रीमती लक्ष्मी देवी ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.05 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 6 ब्रिक वर्क के क्र0सं0 4 अनुसार ब्रिक वर्क 1:3 का शिड्यूल आफ रेट रू0 5400.00 रहा। जबकि बिल में ब्रिक वर्क 1:3 का कार्य रू0 5770.00 प्रति घन मी0 की दर से दर्शाया गया है। इस प्रकार 50.84x370=18810.80 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रू0- 570242.00 अनियमित एवं वसूल योग्य है। एव 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-30)

प्रस्तर संख्या 10. ग्राम पंचायत बरई बिलासा में मल्हीपुर रोड से बरई बिलासा तक सोलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 18 दिनांक 01.2021 से रू0 743904.00 एवं बिल सं0 145 दिनांक 01.2021 से रू0 403536.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में सावित्री देवी ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 5.13 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार साइड पटरी पर मिट्टी नहीं डाली गयी है, जबकि फोटोग्राफ अनुसार पटरी है ही नहीं। जबकि इस्टीमेट में इसपर 218.70 घनमी० मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 218.70 घनमी०, ₹ 86.00 प्रति घनमी० की दर से ₹ 18808.00 का व्यय संदिग्ध है। मिट्टी के कार्य में स्लोप नहीं लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो 30प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28, व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान ₹ 1147440.00 अनियमित एवं वसूल योग्य है। एव 30प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी श्री अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री रघुवंश सिंह, अभियन्ता तथा मो० खालिक, लेखाकार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-31)

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन (जिला पंचायत), वर्ष 2020-21

जिला पंचायत – श्रावस्ती

जनपद – श्रावस्ती

प्रस्तर – 1

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 14008/23-03-07-62 (सामान्य) / 08 टी०सी० दिनांक 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा विटुमिन / इमल्सन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जाए, जब विटुमिन का मूल इन्वाइस ठेकेदार द्वारा संस्था पर भुगतान के समय प्रस्तुत कर दिया जाय। वर्ष आलोच्य में संस्था द्वारा विभिन्न सड़कों पर लेपन कार्य कराया गया जिसे ठेकेदारों को भुगतान कर विटुमिन के मूल इन्वाइस प्राप्त न कर अनियमित भुगतान किया गया निम्न विवरणानुसार संस्था द्वारा कुल ₹ 14662262.00 का अनियमित भुगतान किया गया :-

क्र०सं०	कार्य/परियोजना का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतान तिथि	भुगतान राशि
1	वि०ख० हरिहरपुर रानी में ग्राम पंचायत वर्गाबर्गी के पोखरा पक्की सड़क से वर्गा गाँव तक लेपन रोड़ निर्माण कार्य।	श्रीमती कलावती उर्फ सावित्री देवी	18.01.21 25.09.21 22.10.21	95556.00 738823.00 298469.00
2	वि०ख० गिलौला में ग्राम पंचायत सुबिखा सम्पर्क मार्ग से बेल समय माता मन्दिर तक लेपन कार्य।	श्री राम तीरथ पाण्डेय	15.01.21 06.08.21	1000000.00 423673.00
3	वि०ख० इकौना में ग्राम पंचायत इकौना देहात में बहराइच-बलरामपुर मुख्य मार्ग से नत्था पुरवा गाँव तक लेपन कार्य।	श्री बृज किशोर शुक्ला	23.10.20 12.01.21	1000000.00 536070.00
4	वि०ख० सिरसिया में ग्राम पंचायत विशुनापुर पडवलिया में विशुनापुर पक्की सड़क से डोमाई	श्री सुनील कुमार सिंह	11.12.20 07.01.21	891000.00 750300.00

	पक्की सड़क तक पेंटिंग कार्य ।		07.01.21	567470.00
5	वि०ख० सिरसिया में ग्राम पंचायत बनकटा कलां के मिश्री लाल के पालिशर से प्रधानमन्त्री सड़क तक पेंटिंग कार्य।	श्री सुनील कुमार सिंह	10.11.20 30.12.20 07.01.21	751000.00 666900.00 509867.00
6	वि०ख० सिरसिया में ग्राम पंचायत फतेहपुर मजरा पक्की सड़क से ग्राम भरथां कलां तक लेपन कार्य ।	श्री पिताम्बर दास ओझा	05.01.21 02.11.21	960000.00 336175.00
7	वि०ख० इकौना में ग्राम पंचायत टडवा महन्थ रामपुर में अक्षयबर के घर से पं० बलभद्र शुक्ल 30मा०वि० तक लेपन कार्य ।	श्री सुधाकर मिश्र	13.01.21 06.08.21	1000000.00 626000.00
8	वि०ख० जमुनहा के ग्राम पंचायत शिकारीचौड़ा में भिनगा जाने वाली पक्की सड़क से ऐठा सम्पर्क मार्ग पर पेंटिंग कार्य ।	श्री पिताम्बर दास ओझा	13.01.21 17.01.22	781074.00 470226.00
9	वि०ख० हरिहरपुर रानी के ग्राम पंचायत कोकल में कोकल-मल्हीपुर सम्पर्क मार्ग से शिवगढ़ कला सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य ।	श्री चन्द्रदेव तिवारी	12.01.21 19.01.21	1000000.00 538290.00
10	वि०ख० हरिहरपुर रानी में ग्राम पंचायत गजोवरी पी०डब्ल्यू०डी० सड़क से गजोवरी गाँव के पूरब ट्रांसफॉर्मर तक लेपन कार्य ।	मै० बजरंग कंस्ट्रक्सन	12.01.21	721369.00
योग :-				14662262.00

उक्त रु० 1466226200 के अनियमित भुगतान के लिये अवर अभियन्ता श्री सहीम अहमद खाँ लेखाकार शैलेन्द्र प्रताप सिंह अभियन्ता श्री जे०एन० श्रीवास्तव वित्त परामर्शदाता श्री नीलोत्तम चौबे एवं श्री श्रीकान्त दुबे अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(02) के (क) से (ड) के अन्तर्गत अवर श्री अगदी लेखाकार श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह अमित श्रीवास्तव वित्त परामर्शदाता श्री नीलोत्तम एवं श्री श्रीकान्त दुबे अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपति संख्या 06)

प्रस्तर -2

आलोच्य वर्ष के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर के अनुसार जिला पंचायत श्रावस्ती की कुल पाँच विकास खण्डों की माँग वर्ष 2020-2021 में रु० 7356900.00 लाख है किन्तु संख्या द्वारा अपने अभिलेखों में मात्र रु० 1905464.00 लाख की ही माँग दर्शायी गयी है, जिसके सापेक्ष रु० 1882942.00 लाख की वसूली की गयी सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली हेतु विकास खण्ड गिलौला एवं हरिहरपुर रानी में श्री पंकज सिंह टैक्स कलेक्टर विकास खण्ड इकौना में श्री बाबूराम पाण्डेय विकास खण्ड सिरसिया में श्री लवलेश एवं विकास खण्ड जमुनहा में श्री गंगाराम की नियुक्ति है। किन्तु इन कर्मचारियों द्वारा वसूली के प्रयास न किये जानेके कारण संस्था को भारी आर्थिक हानि हो रही है। जिसके लिये नियुक्त कर्मचारियों के साथ-साथ लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारीपूर्ण उत्तरदायी हैं। सम्पत्ति एवं विभव कर से हुई हानि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष की वास्तविक मांग	वर्ष की वसूली	हानि की धनराशि
1	हरिहरपुर रानी	1746000.00	412955.00	1333045.00
2	इकौना	1368000.00	334418.00	1033582.00

3	गिलौला	1828000.00	326688.00	1501312.00
4	सिरसिया	1119600.00	409941.00	709659.00
5	जमुनहां	1295300.00	398940.00	896360.00
योग :-		7356900.00	1882942.00	5473958.00

उपरोक्त विवरणानुसार संस्था द्वारा वर्ष आलोच्य में कुल वसूल की गयी धनराशि ₹0 7356900.00 के सापेक्ष ही 1905464.00 की मांग अपनी वार्षिक वित्तीय समीक्षा पुस्तिका में दर्शायी है। जबकि वास्तविक मांग ₹0 7356900.00 है। जिला पंचायत में सम्पत्ति एवं विभय कर के अभिलेखों का रख रखाव संतोषजनक नहीं है। संस्था को कुल ₹0 5473958.00 की हानि सम्पत्ति एवं विभय कर की वसूली न कर पाने के कारण पहुंचायी गयी। उपरोक्त के क्रमांक 1 एवं 3 पर दर्शित हानि के लिये श्री पंकज सिंह, क्रमांक 2 के लिये श्री बाबूराम पाण्डेय क्रमांक 4 के लिये श्री लवलेश तथा क्रमांक 5 पर अंकित हानि के लिये श्री गंगाराम उत्तरदायी है। जबकि श्री श्रीकान्त दुबे अपर मुख्य अधिकारी वित्तीय परामर्शदाता श्री नीलोत्तम चौबे एवं श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार उक्त के साथ संयुक्त रूप से हानि की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी है, उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179 (02) के (क) से (ड) के अन्तर्गत श्रीकान्त दुबे अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता श्री नीलोत्तम चौबे एवं श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार श्री पंकज सिंह, श्री बाबूराम पाण्डेय, श्री लवलेश एवं श्री गंगाराम के विरुद्ध अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है मूल आपत्ति संख्या 14

प्रस्तर - 3

जिला पंचायत श्रावस्ती द्वारा वर्ष 2020-21 में विभिन्न तिथियों में अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य कराया गया अथवा सेवायें ली गयी तथा भुगतान किया गया। किन्तु भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अन्तर्गत आय स्रोत पर कर की कटौती न कर राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

भुगतान की तिथि	प्रमाणक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	सेवा/कार्य की प्रकृति	भुगतान की धनराशि	टी०डी०एस० जो नहीं काटा गया
04.05.2020	18 से 20	मै० रायल ट्रेडर्स प्रा० लि०, लखनऊ	आउट सोर्स कर्मचारी आपूर्ति	81900.00	1638.00
19.05.2020	21 से 38	श्री रामजी पुत्र श्री राम अचल श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	वाहन आपूर्ति	63300.00 66750.00	633.00 668.00
06.07.2020	24 से 29	श्री रामजी पुत्र श्री राम अचल श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	वाहन आपूर्ति	42000.00 45000.00	420.00 450.00
15.07.2020	50	मै० रायल ट्रेडर्स प्रा० लि०, लखनऊ	आउट सोर्स कर्मचारी आपूर्ति	54600.00	1092.00
24.08.2020	49 से 54	श्री रामजी पुत्र श्री राम अचल श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	वाहन आपूर्ति	42000.00 45000.00	420.00 450.00
09.09.2020	30 एवं 31	मै० रायल ट्रेडर्स प्रा० लि०, लखनऊ	आउट सोर्स कर्मचारी आपूर्ति	54600.00	1092.00
21.10.2020	25 से 33	श्री रामजी पुत्र श्री राम अचल	वाहन आपूर्ति	63000.00	630.00

		श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम प्रताप सिंह		67500.00	675.00
09.11.2020	24 एवं 25	मै० रायल ट्रेडर्स प्रा० लि०, लखनऊ	आउट सोर्स कर्मचारी आपूर्ति	60300.00	905.00
07.12.2020	17 से 19 20 से 22	श्री रामजी पुत्र श्री राम अचल श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	वाहन आपूर्ति	21000.00 22500.00	158.00 169.00
12.01.2021	84	मै० रायल ट्रेडर्स प्रा० लि०, लखनऊ	आउट सोर्स कर्मचारी आपूर्ति	30150.00	452.00
12.01.2021	119 से 120	श्री रामजी पुत्र श्री राम अचल श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	वाहन आपूर्ति	42000.00 45000.00	315.00 338.00
योग :-					10505.00

अतः उक्त विवरण के अनुसार ₹0 10505.00 की वसूली सम्बन्धित पक्षों से कर आयकर विभाग में मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करायी जानी अपेक्षित है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(02) के (क) से (ड) के अन्तर्गत श्रीकान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार के विरुद्ध अधिभार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 16)

प्रस्तर - 4

दिनांक 01.06.2020 को प्रमाणक सं० 16 द्वारा ₹0 83768.00 एवं दिनांक 24.08.2020 को प्रमाणक सं० 61 द्वारा ₹0 195447.00 का अर्थात् कुल ₹0 279215.00 भुगतान श्री श्रीकान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी को उनकी पत्नी के चैकत्सिक बिलों की प्रतिपूर्ति का किया गया। लेखा परीक्षा जाँच में सम्बन्धित पत्रावली सुलभ नहीं करायी गयी। प्रतिपूर्ति भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आय स्रोत पर 10 प्रतिशत अर्थात् सं० 27922.00 की कटौती न कर राजस्व की हानि पहुँचायी गयी साथ ही प्रतिपूर्ति की रकम को वेतन मद में जोड़कर स्लैब में कर निर्धारण कर आयकर टैक्स स्व-निर्धारण के अन्तर्गत जमा नहीं किया गया। अतः ₹0 27922.00 श्री श्रीकान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी से मय 12 प्रतिशत ब्याज वसूल कर आयकर विभाग में जमा करायी जाना अपेक्षित है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(02) के (क) से (ड) के अन्तर्गत श्रीकान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 17)

प्रस्तर - 5

जिला पंचायत द्वारा संचालित कांजी हाउस पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वर्ष लेखा परीक्षा में विभिन्न तिथियों में आवारा पशुओं के आहार हेतु भूसे की कीमत का भुगतान प्राप्त किया गया। किन्तु व्यय से सम्बन्धित प्रमुख अभिलेख एवं कृत कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं की गयी, किये गये भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपतियाँ दृष्टिगत रही-

1. मवेशियों का स्टाक रजिस्टर अर्थात् लाइव स्टॉक रजिस्टर बार-बार मांगे पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. पशुओं को दिये गये दैनिक आहार पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. पशुओं का वैटनिटी डाक्टर द्वारा निर्गत मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. पशुओं की टैगिंग नहीं कराई गयी है मात्र राजकीय उद्देश्यों की औपचारिकतावश ही काजी हाउसों का संचालन किया जा रहा है।

5. अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कभी भी कांजी हाउसों का निरीक्षण नहीं किया गया है।

वर्ष लेखा परीक्षा में पशु आहार के लिये किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है –

भुगतान	प्रमाणक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता कर्मचारी का नाम	धनराशि
15.6.2020	25 ए से 32 तक	श्री सूरज सिंह	52650.00
09.09.2020	46 से 51 तक		41070.00
27.10.2020	66 से 70 तक		36720.00
12.01.2021	71 से 76 तक		45900.00
योग			176340.00
20.06.2020	43 से 50 तक	श्री पंकज सिंह	73500.00
09.09.2020	32 से 36 तक		42000.00
27.10.2020	58 से 65 तक		64080.00
12.01.2021	64 से 70 तक		50760.00
योग			230340.00
15.06.2020	33 से 39 तक	श्री भृगु नाथ मिश्रा	49360.00
09.09.2020	37 से 40 तक		19710.00
योग			69070.00
09.09.2020	41 से 45 तक	श्री लवलेश	41040.00
27.10.2020	71 से 73 तक		20400.00
12.01.2021	77 से 82 तक		51000.00
योग			112440.00
योग			588190.00

उक्त विवरणानुसार ₹ 588190.00 के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(82) के (क) से (ड) के अन्तर्गत श्री सूरज सिंह श्री पंकज सिंह श्री भृगू नाथ मिश्रा एवं श्री लवलेश कुमार के विरुद्ध अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है। अतः ₹ 588190.00 की वसूली उक्त कर्मचारियों के सम्मुख अंकित कॉलम के अनुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपति संख्या 18)

प्रस्तर -6

दिनांक 12.01.2021 में प्रमाणक सं० 71 से 76 तक का भुगतान ₹ 45900.00 श्री सूरज सिंह द्वारा दिनांक 02.08.2020 से 31.12.2020 तक प्राप्त किया गया, जबकि 01.08.2020 से 07.10.2020 तक का भुगतान ₹ 36720.00 दिनांक 27.10.2020 में प्रमाणक सं० 66 से 70 तक श्री सुरज कुमार द्वारा पूर्व में ही प्राप्त किया जा चुका था। इस प्रकार श्री सूरज कुमार ₹ 36720.00 का दोहरा भुगतान प्राप्त कर अपहरण किया गया। अतः 36720.00 की श्री सूरज कुमार से अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(02) के (1) से (क) के

अन्तर्गत रु. 36720.00 श्री सूरज कुमार के विरुद्ध अधिभार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपति संख्या 19)

प्रस्तर-7 दिनांक 21.10.2020 में प्र0सं0 43 द्वारा 30,000.00 का भुगतान जिला पंचायत सदस्यों को दिनांक 16.11.2019 एवं 29.01.2020 की बैठकों में उपस्थित होने के लिये मानदेय का भुगतान किया गया दर्शाया गया है। भुगतान बैठक सम्पन्न होने के लगभग 10 माह पश्चात किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। भुगतान की पावतियां भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। भुगतान फर्जी तौर पर किया गया दर्शाकर रु0 30000.00 का अपहरण किया गया है। जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179 (02) के (क) से (ड) के अन्तर्गत रु0 30000.00 की वसूली श्री श्रीकान्त दुबे, अपर मुख्य अधिकारी से अधिभार के अन्तर्गत मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपति संख्या 22)

प्रस्तर -8

विकास खण्ड हरिहरपुर रानी में ग्राम पंचायत अचलापुर बमनपुरवा सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा व पुलिया निर्माण कार्य में जीमल अहमद ठेकेदार द्वारा किया गया। कार्य का सुपरविजन एवं माप श्री सहीम अहमद खाँ जे० ई० द्वारा किया गया भुगतान बिल भी श्री सहीम अहमद खाँ द्वारा ही निर्मित है। अन्तिम भुगतान मिल के अनुसार आईटम सं० 4 ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर इन फाउण्डेशन की माप 17:49 घन मी० अंकित है जबकि एस्टीमेट में माप 13.62 घन मी० है। इस प्रकार माप 3.87 घन मी० अधिक दर्शाकर रु0 6113.30 प्रति घन मी० की दर से रु० 26497.48 तथा उस पर 12 प्रतिशत से जी०एस०टी० रु० 2890.01 अर्थात् कुल रु0 26497.48 की हानि जिला पंचायत को पहुंचाई गयी 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(02) (क) से (ड) के अन्तर्गत रु0 26497.48 की वसूली श्री सहीम अहमद खाँ, जे०ई० एवं श्री श्रीकान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी से अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आ. सं 23)

प्रस्तर - 9

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में क्षेत्र के विकास खण्डों में सी० सी० रोड निर्माण एवं लेपन कार्य कराया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार की खनिज निर्माण सामाग्री प्रयुक्त हुई। खनन अधिनियम 1952 की धारा 21 के अन्तर्गत खनिज सामाग्री के उपयोग करने के लिये खनन हेतु ठेकेदारों से रायल्टी का भुगतान किया जाता है। जिसके लिये खनन विभाग से फार्म एम एम 11 निर्गत किया जाता है। यह ठेकेदार के ठेका कार्य के निष्पादन के लिये खनिजों के उपयोग का प्रमाण होता है जिसका सत्यापन विभाग द्वारा ई-पोर्टल पर किया जाता है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावलियों की जाँच करने पर पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा जो एम एम 11 सत्यापित कराये गये हैं वे कराये गये निर्माण कार्य की अवधि के समय से मेल ही नहीं खाते अथवा अवैध हैं। ऐसे मामलों में जिला पंचायत द्वारा निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती नहीं की गयी। खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अनुसार रायल्टी दर के पाँच गुना पेनाल्टी का प्राविधान है। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार रायल्टी एवं पाँच गुना रायल्टी की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियन्ता, निर्माण विभाग प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी से की जानी है

:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रयुक्त खनन सामाग्री घनमी० में	रायल्टी दर प्रति घन मी०	रायल्टी धनराशि	कुल धनराशि पैनाल्टी सहित	ठेकेदार एवं जे० ई० का नाम
1	वि०ख० इकौना में ग्राम पंचायत इकौना देहात में बहराइच-बलरामपुर मुख्य मार्ग से नत्थापुरवा तक लेपन कार्य	गिट्टी 196.91 डस्ट 42.89 गिट्टी पी सी40.64	110.00 110.00 160.00	21660.00 4718.00 6502.00	129960.00 28308.00 39012.00	श्री जीमल अहमद, ठेकेदार श्री सहीम अहमद, जे०ई०

	। लम्बाई 300 मी०					
				योग	197280.00	
2	वि०ख० गिलौला में इमिलिया नरायन के मजरा खाले कटौतिया में गुलजारी के घर के पार रिटर्निंग बाल एवं सी०सी० रोड निर्माण कार्य ।	मोरंग 22.33 गिट्टी 2.55	160.00 110.00	3573.00 281.00	21438.00 1686.00	श्री ब्रजकिशोर शुक्ल, ठेकेदार श्री कपिल देव यादव, जे०ई०
				योग	23124.00	
3	वि०ख० गिलौला में ग्राम पंचायत काशीपुर मूसा के मजरा शिवाला पुरवा में कमला मिस्त्री के खेत से शिव मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य ।	गिट्टी जी एस बी 39.91 " जी 3 27.21 " 20 एम एम 45.16 मोरंग 22.58	110.00 160.00 110.00 160.00	4390.00 4354.00 4968.00 3613.00	26340.00 26124.00 29808.00 21678.00	श्री सुनील कुमार सिंह, ठेकेदार श्री कपिल देव यादव, जे०ई०
				योग	103950.00	
4	वि०ख० जमुनहा में ग्राम पंचायत शिकारी चैड़ा में भिनगा जाने वाली पक्की सड़क से ऐठा मार्ग पर पेंटिंग कार्य ।	गिट्टी जी एस बी 53.00 " जी 2 78.00 " जी 3 75.00 " पी सी 22.50 सेंड 7.50	110.00 110.00 160.00 160.00 160.00	5830.00 8580.00 12000.00 3600.00 1200.00	34980.00 51480.00 72000.00 21600.00 7200.00	श्री जीमल अहमद श्री सहीम अहमद
				योग	187260.00	
बृहत्त योग					511614.00	

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(02) के (क) से (ड) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल ₹ 511614.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित ठेकेदारों अवर अभियन्ताओं अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे एवं निर्माण विभाग प्रभारी श्री शंकर सिंह से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 24)

जिला पंचायत- गोरखपुर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद का नाम - गोरखपुर

मण्डल का नाम- गोरखपुर

प्रस्तर संख्या 1

आलोच्य वर्ष 2020-21 के कार्य रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निम्नलिखित विवरणानुसार उनके सम्मुख अंकित कार्यों पर आंशिक भुगतान किया गया है । कार्यालय जिला पंचायत गोरखपुर 2020-2021 दिनांक 05/12/2020, 21/12/2020, 22/12/2020 के द्वारा कुल स्वीकृत 234 परियोजनाओं में कार्य समाप्ति की अवधि 3 माह निर्धारित की गयी है । नियमानुसार कार्यदेश निर्गत होने के बाद एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसी वित्तीय वर्ष में अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य को पूर्ण हो जाना चाहिए, परन्तु संदर्भित प्रकरण में आंशिक भुगतान

कर कार्य लंबित रखा गया एवं अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ एवं कुछ अद्यतन अपूर्ण रहा। जिस हेतु संस्था द्वारा यह उत्तर नहीं दिया गया कि कार्य क्यों अपूर्ण रहा जिससे स्पष्ट है कि कतिपय कार्यों पर किया गया भुगतान रु० 5307480 अलाभकारी रहा। अतः अलाभकारी कार्य पर किया गया भुगतान रु० 5307480 उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अंतर्गत दुरुपयोगित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	विकास खण्ड	परियोजना का नाम	अनुबन्ध तिथि	समाप्ति तिथि	लागत(लाख में)	व्ययित धनराशि
1	गगहा	रामपुर गड़री पिच से बेलघाट सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (हाट मिक्स प्लांट से)	03/02/2021	-	25.20	869120
2	गगहा	एनएच 29 से इमिलिहा गाँव पिच तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य (हाट मिक्स प्लांट से)	28/01/2021	-	29.29	1876000
3	गोला	ग्राम नवली पुरानी पिच रोड से ग्राम भदौरा जाने वाले पिच रोड तक लेपन	28/01/2021	-	14.77	889080
4	गगहा	तिल्सठ डेढ़आपार पिच से सिहाइचपार सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य (हाट मिक्स प्लांट से)	28/01/2021	-	19.12	1245440
5	कौडीराम	एनएच 2 परसोपार गाँव तक सी० सी० लेपन मरम्मत नवीनीकरण	21/01/2021	-	-	427840
	योग					5307480

प्रस्तर संख्या 2

आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने पर ठेकेदारों के बिलों से रु० 500 से 1000 तक विलम्ब शुल्क काटा गया है। जबकि जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 अध्याय -2 (ठेके की शर्तों) के अनुसार परियोजना के लागत मूल्य का 1% विलम्ब शुल्क काटा जाना चाहिए तथा ठेकेदारों द्वारा शपथ पत्र (एफिडेविट) में यह स्वीकार किया गया है कि यदि मेरे द्वारा अनुबंध में दी गयी समय सीमा के अंदर कार्य नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी मेरे भुगतान की धनराशि से 1% अर्थदण्ड की कटौती कर ले, किन्तु इकाई द्वारा ऐसा न कर नियमों का उल्लंघन एवं अनियमितता कर रु० 189957 की अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नवत रहा -

प्रमाणक	क्र०सं०	परियोजना का नाम	लागत मूल्य	काटना चाहिए	काटी गयी धनराशि	कम काटी गयी
17	जून 1	ग्राम सभा नरायनपुर अमावा पिच रोड से विक्रम के घर मार्ग पर पुलिया निर्माण	221645	2216	500	1716
18	2	ग्राम सभा बुदैली में मेन रोड से नन्हे दूबे के घर तक सी०सी० एवं	339024	3390	500	2890

		नाली निर्माण				
42	3	अरजी भैसहा रोशन चौराहे से बल्ली चौराहा मार्ग पर पिच कार्य	591248	5912	1000	4912
43	4	पिच रोड से विनय शाही के घर मार्ग पर इंटरलॉकिंग कार्य	818000	8180	2000	6180
44	5	गोरखपुर लखनऊ मार्ग बरहुआ से साधीपार पूर्वोक्त पुलिया खंडजा	657216	6572	500	6072
17	मई 6	मिभौलिया से खेतडिया मार्ग पर आरसीसी पुलिया	235984	2359	500	1859
29	7	रूपह्वा में संजय दूबे के घर से यादव टोला तक खंडजा मरम्मत कार्य	500640	5006	500	4506
2	जुला ई 8	अवई पाकड़ में दिग्विजय सिंह के खेत होते हुए विमल चतुर्वेदी के खेत तक पिच कार्य	234080	2340	500	1840
23	9	रामडीह में शिवकुमार हरिजन के घर होते हुए नव निर्माण लेपन	527400	5274	500	4774
13	अगस्त 10	गाँव करका में लक्ष्मी सिंह के घर से प्रा०वि० करका तक मि०/सो०	499520	4995	500	4495
63	11	डिहवा कनैचा मार्ग से महथा होते हुए मऊ तक लेपित पैच मरम्मत	525840	5258	1000	4258
64	12	ग्राम भिउरी में पुलिया निर्माण	371840	3718	1000	2718
87	13	पिच रोड से हासवारी मार्ग पर क्रास सलेक्स सहित इंटरलॉकिंग	493472	4934	500	4434
108	14	ग्राम मामखोर में नरेन्द्र पाण्डेय के घर से सुधाकर शुक्ल एवं नाटे शुक्ल के घर सोलिंग	211680	2116	500	1616
116	15	भीटी रावल नेशनल हाईवे से अनु० बस्ती होते हुए इंटरलॉकिंग	396480	3964	1000	2964
108	सितम्बर 16	मामखोर में भूटकुल्ली राजभर के घर से प्रभाकर शुक्ल के घर तक नाली	817600	8176	1000	7176
109	17	ग्राम सभा सियारामपुर के टोला तेनुडाड में पुलिया निर्माण	219184	2191	1000	1191
18	अक्टूबर 18	ग्राम सभा बुदैली में मेन रोड से नन्हे दूबे के घर तक सी०सी० एवं नाली निर्माण	844368	8443	500	7943
56	19	ग्राम सभा करनजही में पिच रोड से नवापार गाँव तक लेपन	415520	4155	500	3655

57	20	ग्राम सभा करनजही में पिच रोड से आईमा गाँव मार्ग पर मि०/सो०	291200	2912	500	2412
87	21	ग्राम सभा राजधानी पीएमजीयसवाई सड़क से घुटली घाट तक लेपन कार्य	428608	4286	500	3786
92	22	मोतीराम मगहां मुख्य मार्ग से पथरू के घर जाने वाले मार्ग पर लेपन	408800	4088	500	3588
110	23	बौरडीह बेलाव पिच मार्ग से ग्राम पिपरी तक पिच कार्य	369376	3693	500	3193
111	24	सोहनाग पिच मार्ग से ग्राम सफरौली को जोड़ने वाले मार्ग पर लेपन	437808	4378	500	3878
6	नव म्बर 25	ग्राम सभा भीटी खैरिया में बबलू गुप्ता के घर के आगे दयाशंकर पाण्डेय	592200	5922	1000	4922
34	26	सेहुआ से पुंडा जाने वाले मार्ग पर लेपन कार्य	548800	5488	500	4988
35	27	मामखोर में भूटकुल्ली राजभर के घर से प्रभाकर शुक्ल के घर तक नाली	675360	6753	500	6253
36	28	पिच रोड से ग्राम चडरज में क्रास रोड, स्लैब व इंटरलॉकिंग	499520	4995	500	4495
41	29	ग्राम सभा ब्रह्मपुर से राघोपट्टी पडरी टोला से खुटहन टोला तक लेपन	331520	3315	500	2815
57	30	बेलपार नेवार पिच रोड से आनन्द मठ गाँव तक लेपन कार्य	416640	4166	1000	3166
29	दिस म्बर 31	उंचगाँव में एनएच 29 से गाँव तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	699328	6993	500	6493
34	32	धडसरा हसही मार्ग से गोपालपुर काली मंदिर तक लेपन	208320	2083	500	1583
35	33	उरुवा में पिच व पीएमजीयसवाई रोड से पिडरी तक लेपन	718480	7184	500	6684
36	34	पाण्डेयपार बन्धुआ सम्पर्क मार्ग पिच रोड से बेलखडी गाँव तक लेपन	670880	6708	500	6208
37	35	बरडाड चौराहा से कुशलनाथ बगहा वाले स्थान रोड तक सी०सी० रोड	938560	9385	500	8885
53	36	मोतीराम अड्डा गगहा मुख्य मार्ग से लक्ष्मीपुर हरिजन बस्ती तक पुलिया	985040	9850	500	9350

55	37	डागीपार सिमौर मेन रोड से अतुल गैस गोदाम मार्ग पर खडंजा	883680	8836	1000	8336
57	38	ग्राम खैरवा में पिच रोड से गाँव तक लेपन कार्य	641280	6412	500	5912
60	39	बेलौरा अधुआपार पिच रोड से करटिया पिच रोड तक लेपन कार्य	642880	6428	500	5928
64	40	ग्राम सभा पठखौली भीटी रावल मार्ग से बलिया भटकापार मार्ग तक सोलिंग कार्य	656880	6568	500	6068
66	41	ग्राम पंचायत मडौरा में पिच रोड से उत्तर टोला तक सी०सी० रोड	631568	6315	500	5815
		योग				189957

इस प्रकार लागत मूल्य का 1% विलम्ब शुल्क न काटकर रु० 189957 की अनियमितता की गयी है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 3 –

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31/07/2015 के प्रस्तर 3 अनुसार जिला पंचायत प्राप्त अनुदान से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं पर कार्य करायेगी जिसके विपरीत जिला पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर लोगों के घरों को जोड़ने का कार्य किया है जो शासनादेश का उल्लंघन किया गया है | कतिपय उदाहरण निम्नवत हैं-

क्रम	कार्य का नाम	व्ययित धनराशि
1	जमरू में मेन रोड से हलब यादव के घर तक एवं सी०सी० रोड से सुरेश के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	299824
2	गोपालपुर मेन रोड से दशरथ यादव के घर तक सी०सी० रोड	600000
3	भीटी खोरिया में टोला गतिराम पार की तरफ से रामधारी प्रसाद के घर के तरफ आने वाले रास्ते पर सी० सी० रोड निर्माण	699000
4	ग्राम ककराखोर में सी०सी० रोड से गिरिजेश के मकान तक खडंजो से लेपन कार्य	535000
5	भीटी खोरिया में लालमन के घर से सागर के घर जाने वाले मार्ग पर सी०सी० रोड निर्माण	893760
6	मिर्जापुर मेन रोड से करीमन के घर से जयनारायन के घर तक सी०सी०	749000

योग	3776584

इस प्रकार इन्टरलॉकिंग एवं पिच कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों को न जोड़कर व्यक्तियों के घरों को जोड़ने का कार्य कर रु० 3776584 की अनियमितता की गयी है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 4 -

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31/07/2015 के प्रस्तर 7 अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशियों से कराये जाने वाले कार्यों में 10 लाख की लागत से अधिक परियोजना ही अधिकांश रूप से अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करेगी लेकिन जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021 में मात्र 52 परियोजना ही 10 लाख से ऊपर की ली हैं एवं शेष 10 लाख से कम की परियोजनाएं ग्राम पंचायतों से कराया गया है जो अनियमितता रहा। कतिपय उदाहरण निम्नवत हैं-

क्रम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	व्ययित धनराशि(लाख में)
1	भीटी खोरिया में वाचनालय से पारस निषाद के घर जाने वाले मार्ग पर सी०सी० रोड निर्माण	कार्य पत्रावली बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गयी।	4.98
2	ग्राम साखडाड बाबु में सिसई सम्पर्क मार्ग से विनय शंकर यादव के घर तक सी०सी० रोड निर्माण		6.00
3	बेदौली में पिच रोड से गामा सिंह के घर होते हुए प्रभुनाथ के घर तक सी०सी० रोड निर्माण		5.00
4	फुटहवा चौराहे से श्रीराम जायसवाल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण		4.99
5	ग्राम माह चकरोड खडंजे पर सी०सी० रोड		4.97
	योग		25.94

इस प्रकार उक्त शासनादेश के प्रस्तर 7 का उल्लंघन कर 25.94 लाख का अनियमित व्यय किया गया है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदाई रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -5 -

आलोच्य वर्ष 2020-21 के जिला पंचायत गोरखपुर के दुकान किराया रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायतों के प्रांगण/बाजारों में स्थित दुकानों में अधिकांशतः दुकानों का किराया जमा नहीं हो रहा है एवं अधिकांश दुकानों के किराया वसूली नाम मात्रिक या शून्य हो रही है। जिससे स्पष्ट होता है की सम्बन्धित क्षेत्र के कर समाहर्ता/प्रभारी कर अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया जा रहा है जिससे संस्था को वित्तीय/आर्थिक अनियमितता हो रही है जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट

एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के प्रावधानों के विपरीत रहा। किराया जमा न होने के कारण विगत वर्षों तक के बकाये किराये की वसूली हेतु रु० 9938629 का अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जा चुका है किन्तु कार्यवाही/अनुपालन न किये जाने से आलोच्य वर्ष में कुल रु० 10553826 बकाया किराया रहा। अतः किराया जमा न होने के लिए संलग्न तालिका के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली के प्रति लापरवाही के लिए जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों/प्रबन्धतंत्र एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है। विवरण निम्नवत है-

क्र म सं ०	क्षेत्र पंचाय त का नाम	प्रस्तर सं०	स्थल का नाम जहां दुकान स्थित है	वर्ष 20- 21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	गत वर्ष की धनराशि जिस पर अधिभार कार्यवाही हो चुकी है
1	गगहा	6 (1)	जूनियर हाई स्कूल का प्रांगण	268464	1022030	1290494	1200	1289294	रामशीष कर निरीक्षक,राजीव शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी,अशो क कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी	1039824
2	गगहा	6 (2)	मवेशी खाना हाटा बाजार	195840	844799	1040639	25900	1014739	उपरोक्त	842999
3	गगहा	6 (3)	मवेशी खाना मझगावा	36780	135857	172637	0	172637	उपरोक्त	135857
4	खज नी	6 (4)	जूनियर हाई स्कूल खजनी का प्रांगण	159960	198346	358306	18000	340306	दयाशंकर यादव कर समाहर्ता,राजीव शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी,अशो क कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी	198346

5	कौडी राम	6 (5)	जूनियर हाई स्कूल कौडीराम का प्रांगण	264378	787629	1052007	212412	839595	राजेश सिंह कर निरीक्षक,राजीव शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी,अशो क कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी	788893
6	कौडी राम	6 (6)	पुराने दुकानों के छत के उपर	65988	233456	299444	53553	245891	उपरोक्त	233476
7	कौडी राम	6 7)	पुराने दुकानों के छत के नीचे	69000	239512	308512	46686	261826	उपरोक्त	249512
8	बांस गांव (क)	6 (8 क)	बोर्डिंग हाउस बांसगांव के प्रांगण में	229200	748828	978028	18324 9	794779	सन्तोष सिंह कर अधिकारी	740660
	बांस गांव (ख)	6 (8 ख)	नार्मल स्कूल बांसगांव खजनी रोड	189648	574562	764210	98324	665886	उपरोक्त	598326
	योग			418848	1323390	1742238	28157 3	1460665		4827893
9	उरुवा	6 (9)	प्रा०पा० माल्हनपा र के प्रांगण में	144024	1198176	1342200	28229 0	1059910	उपरोक्त	1558916
10	उरुवा	6(10)	सिकरीगं ज	172684	420948	593632	97180	496452	उपरोक्त	426166
11	पाली	6(11 क)	प्रा०पा० घघसरा बाजार	158700	483812	642512	13150 0	511012	अनिरुद्ध सिंह कर समाहर्ता	483812
	पाली	6(11)	मवेशी	162720	655940	818660	12916	689500	उपरोक्त	655940

		ख)	खाना घघसरा बाजार				0			
योग				321420	1139752	1461172	26066 0	1200512		1139752
12	चरगा वां	6(12)	पादरी बाजार	121392	75025	196417	95325	101092	धरीक्षण कर समाहर्ता	61013
13	बडहल गंज	6(13)	बडहलगं ज	608258	1147361	1755619	58019 8	1175421	पंचदेव चतुर्वेदी कर निरीक्षक	1131254
योग				284703 6	8766281	11613317	19549 77	9658340		9144991
14	सह जन वां	6(1 4)	मवेशीखाना	100848	794638	895486	0	895486	अनिरुद्ध प्रसाद शर्मा	794638
योग				294788 4	9560919	1250880 3	19549 77	10553826		

विस्तृत विवरण क्षेत्र पंचायतवार/स्थलवार निम्नवत है-

संलग्नक

जूनियर हाई स्कूल का प्रांगण

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 19-20 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 19-20 में वसूली	31/03/20 को अवशेष
1	1	संजय कुमार सिंह	5712	41469	47181	0	47181
2	2	पन्नेलाल	5712	39452	45164	0	45164
3	3	परमहंस सिंह	5712	28725	34437	0	34437
4	4	छेदी सिंह	5712	28076	33788	0	33788
5	5	शिवेंद्र सिंह	5712	17211	22923	0	22923
6	6	सुनील कुमार सिंह	5712	17211	22923	0	22923
7	7	राजेश कुमार सिंह	5712	19337	25049	0	25049
8	8	शिवाजी सिंह	5712	26562	32274	0	32274
9	9	इन्द्रसेन सिंह	5712	41808	47520	0	47520
10	10	योगेश्वर सिंह	5712	40487	46199	0	46199
11	11	सत्यप्रकाश भारती	5712	27223	32935	0	32935

12	12	सतीश सिंह	5712	15534	21246	0	21246
13	13	रामानंद सिंह	5712	5534	11246	0	11246
14	14	मंगनी साहू	5712	15008	20720	0	20720
15	15	दयाशंकर	5712	30103	35815	0	35815
16	16	आनंदशंकर सिंह	5712	31280	36992	0	36992
17	17	रामअवध यादव	5712	30391	36103	0	36103
18	18	राधिका देवी	5712	12323	18035	0	18035
19	19	श्रीमती किशोरीलाल	5712	30337	36049	0	36049
20	20	विनय कुमार सिंह	5712	32278	37990	0	37990
21	21	बालमुकुन्द चंद	5712	29596	35308	0	35308
22	22	उमेश कुमार सिंह	5712	23222	28934	0	28934
23	23	रणवीर सिंह	5712	8776	14488	0	14488
24	24	श्रीराम मूरत	5712	22002	27714	0	27714
25	25	श्री पूजन	5712	19404	25116	0	25116
26	26	श्री राजाराम पटवा	5712	30010	35722	0	35722
27	27	रामसिंहासन सिंह	5712	22282	27994	0	27994
28	28	अवधेश सिंह	5712	10504	16216	0	16216
29	29	सुरेन्द्र सिंह	5712	6712	12424	0	12424
30	30	श्रीमती सुधा सिंह	5712	5712	11424	0	11424
31	31	दिनेश सिंह	5712	33184	38896	0	38896
32	32	अच्छेलाल	5712	4876	10588	0	10588
33	33	श्री राम नारायण	5712	16309	22021	0	22021
34	34	शान्ति सिंह	5712	2531	8243	0	8243
35	35	श्री राम सुन्दर प्रसाद	5712	9030	14742	0	14742
36	36	रामचन्द्र गुप्ता	5712	19816	25528	0	25528
37	37	रामेश्वर सिंह	5712	44792	50504	0	50504
38	38	अंगनू	5712	22392	28104	1200	26904
39	39	मदनेश भारती/रुद्र प्रताप सिंह	5712	28704	34416	0	34416
40	40	परमेश्वर साहू	5712	15996	21708	0	21708
41	41	सूर्यनाथ सिंह	5712	13996	19708	0	19708
42	42	श्रीमती चांदमती देवी	5712	20870	26582	0	26582
43	43	श्रीमती सोना देवी	5712	15163	20875		20875

44	44	रामबली	5712	34969	40681		40681
45	45	श्री देवीलाल	5712	10274	15986		15986
46	46	श्रीमती दुर्गावती देवी	5712	10278	15990		15990
47	47	अलमबरदार	5712	10281	15993		15993
		योग	268464	1022030	1290494	1200	1289294

संलग्नक

मवेशी खाना हाटा बाजार

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	गौरीशंकर	19584	60727	80311	7830	72481
2	2	रामदेव तिवारी	19584	79814	99398	7830	91568
3	3	श्री निवास शाही	19584	62735	82319	5220	77099
4	4	अविनाश चन्द्र पाण्डेय	19584	111957	131541	2610	128931
5	5	श्री रामजी दूबे	19584	131030	150614	0	150614
6	6	श्री पृथ्वीराज सिंह	19584	99122	118706	0	118706
7	7	श्री राधेश्याम चौरसिया	19584	92355	111939	0	111939
8	8	श्री आशिक अली	19584	75337	94921	0	94921
9	9	श्री सुल्तान मोहम्मद	19584	60797	80381	1205	79176
10	10	श्री इस्लाम अन्सारी	19584	70925	90509	1205	89304
		योग	195840	844799	1040639	25900	1014739

संलग्नक

मवेशी खाना मझगाँवा

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	हरिराम सिंह	7356	36693	44049	-	44049
2	2	राजमंगल	7356	28558	35914	-	35914

3	3	रामसिंहासन सिंह	7356	23058	30414	-	30414
4	4	परमात्मा हलवाली	7356	20758	28114	-	28114
5	5	अशोक कुमार हलवाई	7356	26790	34146	-	34146
योग			36780	135857	172637	-	172637

संलग्नक

जूनियर हाई स्कूल खजनी का प्रांगण

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदा र	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	सुशीला देवी	13740	14656	28396	0	28396
2	2	प्रेमनारायण तिवारी	13740	14656	28396	0	28396
3	3	रामदेव	13740	14656	28396	0	28396
4	4	चंद्रप्रकाश	13740	14656	28396	0	28396
5	5	श्रीमती सुलमा देवी	13740	14656	28396	0	28396
6	6	दिनेश कुमार त्रिपाठी	13740	12824	26564	0	26564
7	7	शिवदत्त राम त्रिपाठी	13740	12824	26564	0	26564
8	8	वीरेन्द्र कुमार	13740	14656	28396	0	28396
9	9	श्रीमती चंपा देवी	13740	14656	28396	0	28396
10	10	श्री सच्चिदानंद	13740	14656	28396	0	28396
11	11	श्री राकेश कुमार तिवारी	13740	14656	28396	0	28396
12	12	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	4410	20397	24807	9000	15807
13	13	श्री जनार्दन यादव	4410	20397	24807	9000	15807
योग			159960	198346	358306	18000	340306

संलग्नक

जूनियर हाई स्कूल कौडीराम का
प्रांगण

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदा र	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	श्री रामवृक्ष	5898	7306	13204	0	13204
2	2	श्री शम्भूशरण पाण्डेय	5868	0	5868	4180	1688
3	3	श्री अजीत कुमार मिश्र	7332	6212	13544	10000	3544
4	4	श्री यागवेंद्र सिंह	7332	13146	20478	0	20478
5	5	श्री जय गोविन्द	7332	6930	14262	4930	9332
6	6	श्री कृष्ण मुरारी पाण्डेय	7332	40722	48054	0	48054
7	7	श्री राघव राम	7332	47261	54593	0	54593
8	8	श्री रामजतन	7332	20764	28096	0	28096
9	9	श्री भैरवनाथ गुप्ता	7332	14687	22019	7332	14687
10	10	श्री सुभाषचन्द्र सिंह	7332	31032	38364	0	38364
11	11	श्री सुनील राय	7332	37762	45094	0	45094
12	12	श्री संजय कुमार राय	7332	37698	45030	0	45030
13	13	श्री रामदरश राय	7332	17668	25000	11000	14000
14	14	श्री रामनिवास राय	7332	8822	16154	8822	7332
15	15	श्री अनिल कुमार तिवारी	7332	8796	16128	0	16128
16	16	श्री हौसिला प्रसाद	7332	19140	26472	0	26472
17	17	श्री विजय नारायण	7332	9872	17204	7332	9872
18	18	श्री राम नारायण यादव	7332	18512	25844	14664	11180
19	19	श्रीमती कलावती देवी	7332	31032	38364	0	38364
20	20	श्री हौसिला प्रसाद मिश्र	7332	7332	14664	7320	7344

21	21	श्री भोजनाथ राय	7332	40932	48264	10000	38264
22	22	श्री दिवाकर पाण्डेय	7332	37432	44764	0	44764
23	23	श्री अनिल कुमार राय	6258	6258	12516	13592	-1076
24	24	श्री मुरारी गुप्ता	7332	6918	14250	6918	7332
25	25	श्री राधेश्याम जायसवाल	7332	23932	31264	2000	29264
26	26	श्रीमती लीलावती देवी	7332	732	8064	7332	732
27	27	श्री ब्रह्मनंद राय	732	37400	38132	0	38132
28	28	श्री बैजनाथ राम	7332	0	7332	0	7332
29	29	श्री केशभान राय	7332	25332	32664	5000	27664
30	30	श्री सदावृक्ष मद्देशिया	7332	13140	20472	13140	7332
31	31	श्री रामप्रवेश	7332	39132	46464	0	46464
32	32	अश्वनी पाण्डेय/श्री भगवान चौधरी	7332	5707	13039	3000	10039
33	33	श्रीमती फूलवासी देवी	7332	23532	30864	3000	27864
34	34	श्री रविन्द्र सिंह	7332	27032	34364	0	34364
35	35	श्रीमती रीता देवी	7332	16876	24208	24231	(+) 23
36	36	श्री रामभवन यादव	7332	32252	39584	4000	35584
37	37	श्री रामवृक्ष	3666	6646	10312	7332	2980
38	38	श्री प्रेमसागर	3666	28126	31792	22742	9050
39	39	श्री मुक्तिबाथ राय	3666	31556	35222	14545	20677
		योग	264378	787629	1052007	212412	839595

संलग्नक

पुरानी दुकानों के छत के उपर

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	सुरेश राय	7332	21992	29324	3000	26324
2	2	चन्द्रभान राय	7332	36658	43990	0	43990

3	3	कन्हैया	7332	23598	30930	0	30930
4	4	श्री कैलाश	7332	13692	21024	3500	17524
5	5	श्री मोतीलाल	7332	27513	34845	2000	32845
6	6	श्री काली प्रसाद	7332	11052	18384	2000	16384
7	7	श्री यागवेन्द्र सिंह	7332	49758	57090	0	57090
8	8	श्री अनिल कुमार गुप्ता	7332	10381	17713	10381	7332
9	9	श्री सच्चिदानंद तिवारी	0	14672	14672	14672	0
10	10	श्री परमेश्वर गौड़	7332	24140	31472	18000	13472
योग			65988	233456	299444	53553	245891

संलग्नक

पुरानी दुकानों के छत के नीचे

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	सुरेश राय	6900	34302	41202	3000	38202
2	2	चन्द्रभान राय	6900	33352	40252	0	40252
3	3	श्री सुभाष	6900	17215	24115	0	24115
4	4	श्री भोलानाथ	6900	30702	37602	4911	32691
5	5	श्री मोतीलाल	6900	12944	19844	15000	4844
6	6	श्री दुर्गा	6900	9944	16844	5000	11844
7	7	श्री यागवेन्द्र	6900	68912	75812	0	75812
8	8	श्री अनिल कुमार राय	6900	9775	16675	9775	6900
9	9	श्री शिवानन्द तिवारी	6900	1150	8050	0	8050
10	10	श्री दिनेश	6900	21216	28116	9000	19116
योग			69000	239512	308512	46686	261826

संलग्नक

बोर्डिंग हाउस बासगांव के प्रांगण में

क्र	दुकान	नाम	वर्ष 20-21	पिछला	योग	वर्ष 20-21	31/03/21 को

म सं०	सं०	किरायेदार/दुकानदार	की मांग	मांग		में वसूली	अवशेष
1	1	मानवेन्द्र सिंह	9168	17592	26760	0	26760
2	2	श्री धर्मपाल सिंह	9168	31793	40961	0	40961
3	3	श्री शम्भुनाथ सिंह	9168	10501	19669	5500	14169
4	4	श्री मंजर आलम	9168	22636	31804	22636	9168
5	5	श्रीमती पूनम सिंह	9168	28792	37960	0	37960
6	6	श्री धर्मपाल सिंह	9168	38593	47761	0	47761
7	7	श्री पवन कुमार सिंह व श्री लक्ष्मीकांत सिंह	9168	23123	32291	0	32291
8	8	श्रीमती कमलावती	9168	29056	38224	13000	25224
9	9	श्रीमती गीता देवी	9168	10260	19428	7332	12096
10	10	श्री मुन्ना लाल	9168	25478	34646	2500	32146
11	11, 12	श्री शिवाजी सिंह	18336	49908	68244	0	68244
12	13	श्री वेद प्रकाश शाही	9168	51343	60511	0	60511
13	14	श्री अमरनाथ गुप्ता	9168	18808	27976	3000	24976
14	15	श्री शम्भूनाथ सिंह	9168	10256	19424	5500	13924
15	16	श्रीमती कमलावती	9168	50168	59336	0	59336
16	17	श्री सुरेश सिंह	9168	44507	53675	0	53675
17	18	श्री हरिश्चन्द्र सिंह	9168	38995	48163	4000	44163
18	19	श्री दीनानाथ गुप्ता	9168	16496	25664	7332	18332
19	20	श्री संजय सिंह	9168	52118	61286	4000	57286
20	21	श्री शिवाजी पाण्डेय	9168	26997	36165	6000	30165
21	22	श्री सोमनाथ गुप्ता	9168	32343	41511	1500	40011
22	23	श्रीमती सुन्द्रावती देवी	9168	16579	25747	7332	18415
23	24	श्री सन्त कुमार सिंह	9168	53118	62286	58617	3669
24	25	श्री सुभाष सिंह	9168	49368	58536	35000	23536
		योग	229200	748828	978028	183249	794779

नोट- दुकान सं० 26 से 50 तक किरायेदारी विवादित बताई गयी एवं इसका पूर्व में बकाया कितना है का

उल्लेख रजिस्टर में नहीं है, आगे दुकान सं० 51 से नार्मल स्कूल बासगांव खजनी रोड की दुकानों का विवरण है। दुकान सं० 26 से 50 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जानी अपेक्षित है ।

संलग्नक

नार्मल स्कूल बासगांव खजनी रोड

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदा र	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	51	श्री सुनील कुमार सिंह	9168	8796	17964	8796	9168
2	52	श्री अशोक सिंह	9168	34670	43838	1000	42838
3	53	श्री सोनू सिंह	9168	4371	13539	0	13539
4	54	श्री कृष्णकांत सिंह	3264	427	3691	7332	-3641
5	55	श्री बलराम सिंह	3174	7212	10386	11000	-614
6	56	श्री अभिषेक कुमार सिंह	3666	31387	35053	0	35053
7	57	श्रीमती राय कुमारी पत्नी रविन्द्र सिंह	9168	7332	16500	0	16500
8	58	श्रीमती अनीता सिंह	9168	34178	43346	0	43346
9	59/1	श्री तीरथ सिंह	3072	2460	5532	5532	0
10	59/ 2	श्री प्रकाश	3072	1902	4974	0	4974
11	59/ 3	श्री गोधन गुसा	3072	3932	7004	0	7004
12	60	श्री मोतीलाल	9168	36204	45372	10000	35372
13	61	श्री रामचन्द्र पाण्डेय	9168	33602	42770	0	42770
14	62	श्री दान बहादुर सिंह	9168	14396	23564	14664	8900
15	63	श्री महदेव सिंह	9168	63860	73028	0	73028
16	64	श्री ओमप्रकाश हलवाई	9168	40792	49960	0	49960
17	65	श्री सुरेश सिंह	9168	6792	15960	0	15960
18	66	श्री आनन्द सिंह	9168	44664	53832	3000	50832
19	67	श्री रामजतन सिंह	9168	30806	39974	4000	35974
20	68/1	श्री मोतीलाल	4656	21288	25944	5000	20944

21	68/ 2	श्री राणा प्रताप सिंह	4656	18066	22722	3000	19722
22	69	श्री इन्द्रसेन सिंह	7332	39838	47170	0	47170
23	84	रमेश सिंह	7332	0	7332	0	7332
24	81	महेश प्रसाद	7932	40620	48552	5000	43552
25	82	श्रीप्रकाश	7932	40620	48552	20000	28552
26	84	राकेश पुत्र राजेन्द्र	7332	0	7332	0	7332
27	85	राकेश सिंह	3972	6347	10319	0	10319
योग			189648	574562	764210	98324	665886

नोट- किराया रजिस्टर के अनुसार दुकान सं० 70 से 80 तक का विवरण रजिस्टर में अंकित न करके खाली छोड़ दिया गया है। दुकान सं० 83 में दुकानदार के नाम का उल्लेख है परन्तु मांग वसूली बकाया का कोई विवरण अंकित नहीं है। इसी प्रकार दुकान 86 से 89 तक रजिस्टर पर दुकानदार का नाम अंकित है परन्तु मांग वसूली बकाया का कोई विवरण अंकित नहीं है। साथ ही दुकान सं० 84 ,81,85 में केवल पिछला बकाया अंकित है वर्ष की डिमांड वसूली एवं अवशेष का विवरण अंकित नहीं है। (दुकान सं० 70 आवंटन निरस्त (निर्माण कार्य नहीं), 83 श्रवण सिंह, 86 रविन्द्र प्रताप सिंह, 87 विनोद सिंह, 88 अष्टभुजा सिंह, 89 गोपाल सिंह का नाम अंकित है) स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

संलग्नक

प्रा०पा० मालहनपार के प्रांगण में

क्र म सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकान दार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	श्री विद्यापुरी	8472	112550	121022	10450	110572
2	2	श्री ब्रह्मचर्य पाण्डेय	8472	103326	111798	16990	94808
3	3	श्री रामसुमेर मौर्य	8472	64316	72788	16990	55798
4	4	श्रीमती शान्ति देवी	8472	67166	75638	16990	58648
5	5	श्री रामचन्द्र गुप्ता	8472	81382	89854	16990	72864
6	6	श्री समर बहादुर चंद	8472	67410	75882	16990	58892
7	7	श्री सत्य नारायण चंद	8472	25724	34196	16990	17206
8	8	श्री घनश्याम शुक्ल	8472	72068	80540	16990	63550
9	9	श्री नारद पाण्डेय	8472	67362	75834	16990	58844
10	10	श्री बेनी माधव	8472	80202	88674	16990	71684
11	11	श्री रामनंदन मौर्य	8472	87502	95974	16990	78984

12	12	श्री पुरुषोत्तम राम	8472	40820	49292	16990	32302
13	13	श्री राजेन्द्र सिंह	8472	63794	72266	16990	55276
14	14	श्री चन्द्र देव राय	8472	69252	77724	16990	60734
15	15	श्री राकेश	8472	73958	82430	16990	65440
16	16	श्री विजय शंकर यादव	8472	64842	73314	16990	56324
17	17	श्री दीनदयाल पाण्डेय	8472	56502	64974	16990	47984
योग			144024	1198176	1342200	282290	1059910

नोट- जिला पंचायत बोर्ड के आदेश के क्रम में सभी दुकानों का समायोजन रु० 282290 किया गया है वसूली नहीं है और घटाया भी नहीं गया है।

संलग्नक

सिकरीगंज

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	श्री भृगुनाथ सिंह	10992	10992	21984	4000	17984
2	2	श्री रामदेव प्रसाद	8748	10154	18902	9000	9902
3	3	श्रीमती अनारी देवी	8748	21711	30459	0	30459
4	4	श्री रामवृक्ष	5728	0	5728	3910	1818
5	5	श्रीमती मजिबुन निशा	8748	36410	45158	2000	43158
6	6	श्री राधेश्याम सिंह	8748	43418	52166	4000	48166
7	7	श्री सत्यानन्द	8748	45986	54734	4500	50234
8	8	श्री दिलीप कुमार	8748	20652	29400	14920	14480
9	9	श्री सरिक अन्सारी	8748	884	9632	0	9632
10	10	श्री उदयरज गुप्ता	13752	6216	19968	2748	17220
11	11	श्री केदार प्रसाद	10992	26220	37212	10000	27212
12	12	श्री उमेश प्रताप सिंह	8748	24774	33522	2190	31332
13	13	श्री जगदीश प्रसाद	8748	8430	17178	2916	14262
14	14	श्री त्रियुगी नारायण ओझा	8748	40817	49565	0	49565
15	15	श्री रामलाल	8748	48444	57192	0	57192
16	16	श्री हरिराम	8748	25339	34087	6500	27587
17	17	श्री रामसिंहासन मिश्र	8748	8748	17496	17496	0
18	18	श्री रविन्द्रनाथ	8748	16038	24786	7000	17786
19	19	श्री विद्यासागर सिंह	8748	25715	34463	6000	28463
योग			172684	420948	593632	97180	496452

संलग्नक

प्रा०पा० घघसरा बाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	राजेश कुमार	6900	3944	10844	8500	2344
2	2	रामललित	6900	13284	20184	4000	16184
3	3	जगदम्बा मौर्य	6900	4216	11116	6200	4916
4	4	बलराम मौर्य	6900	10760	17660	5400	12260
5	5	दिनेश कुमार विश्वकर्मा	6900	16336	23236	7800	15436
6	6	अश्विनी कुमार s/o रामउग्रह	6900	5734	12634	4000	8634
7	7	लालमन सिंह	6900	12696	19596	16000	3596
8	8	रामदरश गिरी	6900	49824	56724	14000	42724
9	9	धर्मेन्द्र मदेशिया	6900	15854	22754	5400	17354
10	10	रामकेवल	6900	0	6900	11900	(+) 5000
11	11	कृष्ण मुरारी यादव	6900	10300	17200	17200	0
12	12	राजाराम सिंह	6900	0	6900	6900	0
13	13	चंद्रेश सिंह	6900	43078	49978	4000	45978
14	14	रामलौट पाण्डेय	6900	58234	65134	0	65134
15	15	फेरई प्रसाद	6900	14414	21314	4800	16514
16	16	हरिराम सिंह	6900	38434	45334	0	45334
17	17	जंगली सिंह	6900	34204	41104	0	41104
18	18	रामजीवन	6900	20564	27464	6000	21464
19	19	द्वारिका प्रसाद	6900	21752	28652	0	28652
20	20	विष्णु सिंह	6900	37104	44004	7000	37004
21	21	अमर सिंह	6900	30934	37834	0	37834
22	22	प्रदुम्न सिंह	6900	36414	43314	0	43314
23	23	चक्रधारी	6900	5732	12632	2400	10232
		योग	158700	483812	642512	131500	511012

संलग्नक

मवेशी खाना घघसरा

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1	संजय राय	13740	8502	22242	13740	8502
2	2	कृष्णमुरारी	11460	51395	62855	6000	56855
3	3	भानमती देवी	11460	66925	78385	30000	48385
4	4	बनारसी पाण्डेय	11460	28001	39461	0	39461

5	5	पत्थर गुप्ता	11460	54106	65566	4000	61566
6	6	राधेश्याम	11460	92281	103741	2000	101741
7	7	लालचंद गुप्ता	11460	81191	92651	5000	87651
8	8	सुनील दत्त मिश्र	11460	61149	72609	7000	65609
9	9	अशोक कुमार	11460	59599	71059	15000	56059
10	10	राम सिंह	11460	8650	20110	9000	11110
11	11	सरोज पाण्डेय	11460	35449	46909	15000	31909
12	12	त्रियुगी नारायण दूबे	11460	39038	50498	1000	49498
13	13	गोपाल	11460	48399	59859	2000	57859
14	14	नागेश्वर राज	11460	21255	32715	19420	13295
योग			162720	655940	818660	129160	689500

संलग्नक

पादरी बाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	1 व 2	उषा देवी	13800	9660	23460	17250	6210
2	3 व 4	सन्तोष कुमार वर्मा	13800	2300	16100	12500	3600
3	5	माता प्रसाद	6900	2470	9370	4500	4870
4	6	शरीक खां	6900	2031	8931	5500	3431
5	7 व 8	शंकर प्रसाद	13800	6290	20090	6925	13165
6	9	अलोक कुमार वर्मा	6900	11155	18055	7300	10755
7	10	मुखराम	6900	295	7195	6900	295
8	11	सी० के० सिंह	6900	3320	10220	0	10220
9	12	राजकुमार	6900	6900	13800	6900	6900
10	13	गणेश प्रसाद श्रीवास्तव	6900	7700	14600	0	14600
11	14	रामसिंगारी	6900	7260	14160	0	14160
12	15	बबिता सिंह	6900	4020	10920	8625	2295
13	16	रमाकांत चौहान	7332	2956	10288	10000	288
14	17	विजय कुमार	3660	4068	7728	2000	5728
15	8	अखिलेश कुमार s/o स्व० शंकर	6900	4600	11500	6925	4575
योग			121392	75025	196417	95325	101092

संलग्नक

बडहलगांज

क्रम	दुकान	नाम	वर्ष 20-21	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में	31/03/21 को

सं०	सं०	किरायेदार/दुकानदार	की मांग			वसूली	अवशेष
1	1	ज्वाला प्रसाद दूवे	13032	17282	30314	16000	14314
2	2	ओमप्रकाश शुक्ल	13032	25471	38503	22000	16503
3	3	सत्य प्रकाश	13032	29704	42736	11000	31736
4	4	दयाशंकर	13032	14008	27040	20008	7032
5	5	मोहरम अली	13032	13275	26307	13275	13032
6	6	राजाराम	13032	1700	14732	1700	13032
7	7	वकील अहमद	13032	28423	41455	7000	34455
8	8	प्रभावती देवी w/o राजबहादुर	13032	29768	42800	5000	37800
9	9	ओम प्रकाश चौरसिया	10296	12360	22656	12360	10296
10	10	मुहम्मद हुसैन	10296	21515	31811	11500	20311
11	11	छविनाथ	10296	40691	50987	4000	46987
12	12	किशुन	10296	44468	54764	0	54764
13	13	शिवपूजन	10296	49868	60164	5000	55164
14	14	राधेश्याम	10296	28517	38813	3500	35313
15	15	विद्या निवास शुक्ल	10296	23971	34267	7000	27267
16	16	कृष्ण मुरारी जायसवाल	5160	1024	6184	6184	0
17	17	प्रशांत कुमार चौरसिया	10296	13022	23318	6500	16818
18	18	कैलाश	10296	18700	28996	17000	11996
19	19	ओम प्रकाश चौरसिया	10296	18700	28996	17000	11996
20	20	प्रमोद कुमार	10296	18700	28996	14500	14496
21	21	हरिशंकर	10296	22040	32336	12000	20336
22	22	आकाश कुमार चौरसिया	10296	27072	37368	9500	27868
23	23	फूलचंद	10296	13155	23451	9000	14451
24	24	नागेन्द्र सिंह	13032	22203	35235	28000	7235
25	25	प्रदीप कुमार मोदनवाल	13032	21548	34580	10000	24580
26	26	मुहम्मद इस्माइल	13032	38178	51210	0	51210
27	27	अशोक कुमार गुप्ता	13032	28678	41710	10000	31710
28	28	शशिकला तिवारी	13032	21038	34070	5700	28370
29	29	मुन्नी देवी	13032	31813	44845	10200	34645
30	30	सोमा देवी	13032	46612	59644	5900	53744

31	31	अम्बिका प्रसाद मौर्य	13032	15338	28370	18338	10032
32	32	निवास शुक्ला	13032	46531	59563	5000	54563
33	33	राधेश्याम	13032	64850	77882	22000	55882
34	34	नैय्यर सुल्तान	24000	2762	26762	24000	2762
35	35	आफताब आलम	24000	2762	26762	18000	8762
36	36	अभिनव दूबे	13032	30567	43599	12000	31599
37	37	सुरेश नाथ	13032	26563	39595	15000	24595
38	38	सुभाष	13032	20457	33489	33489	0
39	39	दीपनारायण पाण्डेय	13032	44606	57638	7500	50138
40	40	विजय प्रताप शाही	13032	13409	26441	26441	0
41	41	श्री राजबहादुर	13032	31171	44203	8000	36203
42	42	बलवंत शाही	13032	11309	24341	24341	0
43	43	रामफकी जायसवाल	13032	0	13032	13032	0
44	44	सन्तोष दूबे	10296	18154	28450	8000	20450
45	45	श्रवण कुमार शाही	10296	2214	12510	12510	0
46	46-47/1	श्रीमती विंध्यवासिनी	15492	26164	41656	0	41656
47	47/2	श्रीमती रामप्यारी देवी	5160	21327	26487	10320	16167
48	47/3	सुरेन्द्र सिंह	5160	7126	12286	0	12286
49	47/4	ध्रुव नारायण	5160	8129	13289	3300	9989
50	48	विनोद कुमार चौरसिया	10296	22182	32478	10100	22378
51	49	कृष्ण चौरसिया	10262	8236	18498	8000	10498
योग			608258	1147361	1755619	580198	1175421

**संलग्नक
सहजनवां**

मवेशीखाना

**मासिक किराया
प्रतिमाह-764**

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 20-21 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 20-21 में वसूली	31/03/21 को अवशेष
1	16	सुमन देवी	9168	71957	81125	0	81125
2	17	रामसहाय	9168	83693	92861	0	92861
3	18	फलचन्द्र अग्रहरि	9168	83693	92861	0	92861
4	19	सुनील कुमार	9168	77680	86848	0	86848
5	20	नाम अंकित नहीं	9168	76680	85848	0	85848
6	21	मीरा श्रीवास्तव	9168	77680	86848	0	86848
7	22	माला श्रीवास्तव	9168	68512	77680	0	77680
8	23	चंद्रभान यादव	9168	12837	22005	0	22005

9	24	रमेश त्रिपाठी	9168	77680	86848	0	86848
10	25	रामप्रीत यादव	9168	83613	92781	0	92781
11	26	रामबरन यादव	9168	80613	89781	0	89781
		योग	100848	794638	895486	0	895486

विगत वर्षों में इन दुकानों का उल्लेख किराया रजिस्टर में नहीं किया गया था। आलोच्य वर्ष में उक्त की प्रविष्टियाँ की गयी हैं जिससे पिछली मांग के अवशेष की पुष्टि न की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -6-

जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय कार्यो हेतु ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये बी०जी० 10 एवं इमल्सन का समायोजन उनके बिलों से नहीं किया गया है। समायोजन न कर ठेकेदारों को अधिक भुगतान कर जिला पंचायत की रु०2387649.07 की अनियमितता की गयी है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य एवं सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी रहे। विवरण निम्नवत है-

क्र म सं ०	माह	प्रमाण क	कार्य की माप	प्रयुक्त बी०जी० 10			प्रयुक्त इमल्सन			कुल धनराशि
				मात्रा (एमटी)	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि	
1	मई	18	1170	2.878	43266.8 6	124521.9 6	0.877	5191 5	4552945	170051.41
2	"	19	720	1.771	"	76625.57	0.54	"	28034.10	104659.67
3	"	20	297	0.730	"	31584.79	0.222	"	11525.13	43109.92
4	"	21	1164	2.863	"	123872.9 6	0.873	"	45321.79	169194.75
5	"	22	9566	0.235	"	10167.70	0.06 0	"	3114.90	13282.60
6	"	23	1455.3 7	3.579	"	154852.0 2	0.352	"	18274.08	173126.10
7	"	30	625 144.57	1.537	"	66501.13	0.108	"	5606.82	72107.95
8	"	35	230 183.52	0.417	"	18042.27	0.137	"	7112.35	25154.62

9	जून 20	42	1470 453	3.616	”	156452.8 9	0.339	”	17599.18	174052.07
10	जुलाई 20	2	576	1.416	”	61265.84	0.432	”	22427.28	83693.12
11	”	23	1692.4	4.163	”	180119.85	1.269	”	65880.13	245999.98
12	अगस्त 20	16	720	1.771	”	76625.57	0.54	”	28034.10	104659.67
13	”	17	295.30	0.726	”	31411.72	0.221	”	11473.21	42884.93
14	”	37	2561.7 4	6.301	”	272624.3 5	1.806	”	93758.49	366382.84
15	अवई पाकड़ जगरना थ बेलदार		740.35	1.821	”	78788.91	0.555	”	28812.82	107601.73
16	अगस्त 20	63	750	.845	”	36560.47	0.45	”	23361.25	59922.22
17	जनवरी 21	174	2970 61520	7.307	”	316150.7 9	2.227	”	115614.7 0	431765.49
योग										2387649.0 7

नोट-

(1) क्रमांक 5 पर अंकित कार्य तिवारी कोहिया चौराहे से पिडवा गाँव तक कराये गये पैच मरम्मत कार्य में एक बार बिल में मेय फॉल रु० 12906.67 जोड़ा गया है पुनः रु० 12906 घटा लिया गया है।

(2) कतिपय कार्यों में खाली ड्रम मूल्य का समायोजन किया गया है कतिपय कार्यों में नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या 7 –

प्रमाणकों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय कार्यों हेतु ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये बी०जी० 10 एवं इमल्सन के मूल्यों का कम ठेकेदारों के बिलों से समायोजन कर रु० 58767.89 से जिला पंचायत की अनियमितता की गयी है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य एवं सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम	माह	प्रमा	समायोजन जो होना चाहिए था	कुल	समायोजि	कम

सं०		णक	प्रयुक्त बी०जी० 10			प्रयुक्त इमल्सन			धनराशि	त धनराशि	समायोजित
			मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि			
1	जुलाई 20	39	2.430	43266.84	105138.42	0.598	51915	31045.17	136183.59	131961.87	4221.72
2	अगस्त	14	3.394	''	146847.65	0.542	''	28137.93	174985.58	169517.95	5467.63
3	अक्टूबर 20	24	2.877	''	124478.69	0.877	''	45529.45	170008.14	168910	1098.14
4	''	25	2.877	''	124478.69	0.877	''	45529.45	170008.14	168910	1098.14
5	''	67	3.198	''	138367.35	0.975	''	50617.12	188984.47	187514.20	1470.23
6	''	74	3.134	''	135598.27	0.955	''	49578.52	185177.09	183447.21	1729.88
7	''	88	3.391	''	146717.27	1.034	''	53680.93	200398.78	193831.03	6567.75
8	''	109	1.00	''	53266.84	0.304	''	15782.16	59049	56591.20	2457.80
9	''	113	3.027	''	130968.72	0.217	''	11265.55	142234.27	140010.69	2223.58
10	दिसम्बर 20	34	1.490	''	64467.59	0.454	''	23569.41	88037	87446.67	590.33
11	''	35	1.900	''	82206.99	0.579	''	30058.78	112264.77	109116.05	3148.72
12	''	36	1.795	''	77663.97	0.547	''	28397.50	106061.47	100549.83	5511.64
13	''	45	1.835	''	79394.65	0.559	''	29020.48	108415.13	105482.17	2932.96
14	जनव	72	0.99	''	43050.50	0.45	''	23465.5	66516.08	52175.46	14340.6

	री 21		5			2		6			2
15	”	164	1.760	”	76149.63	0.53 6	”	27826.4 4	103976.0 7	102367	1609.07
16	मार्च 21	45	3.913	”	169303.14	1.192	”	61882.6 8	231185.8 2	226886.1 4	4299.68
योग											58767.8 9

प्रस्तर संख्या -8-

ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये बी०जी०-10 एवं इमल्सन जो ड्रम में किये जाते हैं के मूल्य का समायोजन उनके बिलों से किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। इस प्रकार बी०जी०-10 दर 200 रु एवं इमल्सन दर 150 रु० से खाली ड्रमों के मूल्यों का समायोजन न कर जिला पंचायत रु० 66100 से अनियमितता की गयी है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य एवं सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम सं०	माह	प्रमाणक	प्रयुक्त बी०जी० 10				इमल्सन			
			मात्रा	ड्रम	दर	धनराशि	मात्रा	ड्रम	दर	धनराशि
1	मई 20	23	3.579	23	200	4600	0.352	2	150	300
2	”	30	1.537	10	”	2000	0.108	1	”	150
3	”	35	0.417	3	”	600	0.137	1	”	150
4	जुलाई 20	2	1.416	9	”	1800	0.432	3	”	450
5	”	23	4.163	27	”	5400	1.269	7	”	1050
6	अगस्त	37	6.301	41	”	8200	1.806	9	”	1350
7	”	113	2.214	15	”	3000	0.675	4	”	600
8	अक्टूबर	95	0.774	5	”	1000	0.236	1	”	150
9	”	116	1.586	10	”	2000	0.483	3	”	450
10	दिसम्बर	34	1.490	10	”	2000	0.454	3	”	450
11	”	35	1.900	13	”	2600	0.579	3	”	450
12	”	36	1.795	12	”	2400	0.547	3	”	450
13	”	73	1.542	10	”	2000	0.410	3	”	450
14	जनवरी 21	174	7.307	47	”	9400	2.227	12	”	1800
15	दिसम्बर 20	41	3.247	21	”	4200	0.99	5	”	750
16	”	45	1.835	12	”	2400	0.559	3	”	450
17	”	51	1.954	13	”	2600	0.595	3	”	450
	योग			281		56200		66		9900
	कुल योग		66100							

प्रस्तर संख्या -9 -

ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये बी०जी० 10 एवं इमल्सन जो ड्रम में किये जाते हैं, मूल्य का समायोजन उनके बिलों से जो किया गया है वास्तविक मूल्य से कम किया गया है। इस प्रकार बी०जी० 10 दर 200 एवं इमल्सन दर 150 रु० से खाली ड्रमों का कम समायोजन कर जिला पंचायत की रु० 9760 से अनियमितता की गयी है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष कुमार मौर्य एवं सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम सं०	माह	प्रमाणक	प्रयुक्त बी०जी० 10				इमल्सन				कुल योग	समायोजित धनराशि	कम समायोजित
			मात्रा	ड्रम	दर	धनराशि	मात्रा	ड्रम	दर	धनराशि			
1	मई	18	2.878	19	200	3800	0.877	5	150	750	4550	4040	510
2	जून 20	42	3.616	24	"	4800	0.339	2	"	300	5100	4540	560
3	अगस्त 20	14	3.394	22	"	4400	0.542	3	"	450	4850	4360	490
4	अक्टूबर 20	88	3.391	22	"	4400	1.034	6	"	900	5300	4780	520
5	"	90	3.494	23	"	4600	1.065	6	"	900	5500	4960	540
6	"	93	0.781	5	"	1000	0.238	2	"	300	1300	400	900
7	"	99	0.848	6	"	1200	0.258	2	"	300	1500	1100	400
8	"	109	1.00	7	"	1400	0.304	2	"	300	1700	1280	420
9	"	113	3.027	20	"	4000	0.217	1	"	150	4150	3620	530
10	जनवरी 21	17	4.059	26	"	5200	1.237	7	"	1050	6250	1880	4370
11	मार्च 21	50	3.357	22	"	4400	1.023	6	"	900	5300	4780	520
योग													9760

प्रस्तर संख्या 10-

श्री संजय सहाय द्वारा रसीद संख्या 289 के क्रमांक 49 से 52 तक क्रमशः रु० 135, 10050, 10050, 10050 कुल रु० 30285 की वसूली दिनांक 30/09/2020 को की गयी है। जिसे जिला पंचायत निधि बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है और न ही कोष बही में प्राप्ति की प्रविष्टि की गयी है। इस प्रकार श्री संजय सहाय द्वारा धनराशि जमा न कर अपहरण कर ली गयी है। अतः श्री सहाय से तत्काल वसूली करके जिला निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर संख्या 11-

जिला पंचायत गोरखपुर के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में संचालित ईट भट्टों के रजिस्टर की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शेष ईट भट्टों पर गत वर्ष के बकाया की डिमांड नहीं लगाई जा रही है। जितनी वसूली हुई है उतनी ही डिमांड दर्शायी जा रही है, जबकि गत वर्ष की बकाया+वर्ष की मांग एवं वर्ष में वसूली पुनः अन्तिम शेष(बकाया) दिखाया जाना चाहिए जो नहीं दर्शाया जा रहा है साथ ही कतिपय ईट भट्टों पर न तो डिमांड लगाई गयी है न ही वसूली की गयी है एवं कतिपय ईट भट्टों के आगे लिखा है “बंद हैं” किन्तु तिथि नहीं अंकित है कि कब से बंद हैं। कुल 183 ईट भट्टों का निम्न विवरणानुसार लाइसेंस जारी नहीं किया गया है जिनकी धनराशि (न्यूनतम दर से आकलित लेखा परीक्षा में की गयी) रु० 1839150 अवशेष है। अवशेष ईट भट्टों की धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	वि०ख० का नाम	कुल ईट भट्टों का सं०	संख्या जिनकी वसूली हुई	धनराशि	बन्द ईट भट्टों की सं०	संख्या जिनकी वसूली नहीं हुई	धनराशि (दर 10050)
1	चरगावां	35	13×10050 16×10350	130650 165600	-	6	60300
2	जंगल कौड़िया	21	6×10050 7×10350	60300 72450	2	6	60300
3	खजनी	37	1×10050 11×10350	10050 113850	-	25	251250
4	गोला	12	3×10350	31050	-	9	90450
5	पिपराइच	32	13×10050 8×10350	130650 82800	-	11	110550
6	भटहट	36	8×10050 17×10350	80400 175950	-	11	110550
7	खोरावार	13	4×10050 3×10350	40200 31050	-	6	60300
8	पिपरौली	33	4×10050 19×10350	40200 196650	-	10	100500
9	पाली	19	- 12×10350	- 124200	-	7	70350
10	सरदारनगर	27	6×10050 13×10350	60300 134550	-	8	80400
11	ब्रह्मपुर	18	3×10050 10×10350	30150 103500	-	5	50250
12	सहजनवां	27	- 13×10350	- 134550	-	14	140700
13	कौडीराम	30	5×10050 6×10350	50250 62100	2	17	170850
14	बोसगाँव	21	2×10050 9×10350	20100 93150	-	10	100500

15	गगहा	27	10×10050 6×10350	10500 62100	-	11	110550
16	बड़हलगंज	14	- 3×10350	- 31050	-	11	110550
17	उरुवा	10	5×10050 1×10350	50250 10350	1	3	30150
18	बेलघाट	24	2×10050 11×10350	20100 113850	-	11	110550
19	कैम्पियरगंज	14	8×10050 4×10350	80400 41400	-	2	20100
	योग	450	262	2684700	5	183	1839150

जिला पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जिला-कुशीनगर

मण्डल-गोरखपुर

प्रस्तर स०-01-लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 के दौरान पाया गया कि विज्ञापन /स्टेशनरी पर निम्न प्रकार भुगतान किया है। विवरण निम्न है -

क्र०स०	विवरण	भुगतान राशि	टी०डी०एस 02 प्रतिशत की दर से
1	नारायण प्रिंटिंग प्रेस पडरौना	37140.00	743.00
2	लक्की बुक डिपो स्टेशनरी	32400.00	648.00
3	विज्ञापन जागरण प्रकाशन लि०	349240.00	6985.00
4	विज्ञापन हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लि०	122843.00	2457.00
	योग	541623.00	10833.00

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194-c के अनुसार यदि कोई संस्थान किसी अथवा संस्था को विज्ञापन/सेवा सेक्टर के बदले रु० 30000.00 या उससे ऊपर का भुगतान करता है तो 02 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस की कटौती की जाएगी। लेकिन जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा उपरोक्त भुगतान बिलों से टी०डी०एस की कटौती न करके रु० 10833.00 से जिला पंचायत को अनियमितता पहुंचाई गयी है। जिसके लिए श्री अमितराज सिंह एवं विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार श्री अभय प्रताप सिंह उत्तरदायी रहे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	10833.00	10833.00

प्रस्तर सं०-02- पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन ,पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं०-1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 के बिंदु -2 के अनुसार तीनो स्तर की पंचायते सबसीडियरी के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात जो कार्य नीचे के स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से कराया जा सकता है ,वह उसी स्तर पर पंचायत द्वारा कराया जाये । बिंदु-3 के अनुसार जिला पंचायतो को जो धनराशि /अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है ,उससे एक से अधिक ग्रामो को लाभान्वित करने के लिए कार्य सम्पादित कराएगी ।बिंदु-7 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में दस लाख रुपये से अधिक की कार्य योजनाये ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित कराएंगी ।परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। वर्ष 20-21 में रु० 82097268.00 आवंटित कर दिनांक 31.03.2021 तक रु० 56856160.00 का अनियमित व्यय किया गया है ।जिसके लिए श्री अमित राज सिंह (अपर मुख्य अधिकारी) श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा (अपर मुख्य अधिकारी) एवं श्री अभय प्रताप सिंह (लेखाकार) है । विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना के अनुसार इस प्रकार के कार्यों का विवरण अंकित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	विकास क्षेत्र	31.03.21 भुगतान की धनराशि
1	ग्राम सभा मोहनपुर में रामायण यादव के घर से भठ्ठे के तरफ खंडजा	646240.00	फ़ाज़िलनगर	643104.00
2	ग्राम सभा बड़हरा से रुनिहवा टोला भानपुर पिच मार्ग मार्ग तक नहर की पट्टी पर खंडजा कार्य	806960.00	फ़ाज़िलनगर	803936.00
3	ग्राम सभा धौडहरा में कैलाश गुसा के खेत से दुबौली संपर्क मार्ग हनुमान मंदिर तक मिटटी /खंडजा कार्य	949200.00	फ़ाज़िलनगर	947520.00
4	पोखरभिंडा चन्दनपुर बड़े टोला से सीवान के तरफ मिटटी /खंडजा कार्य	922880.00	मोतीचक	922880.00
5	अकटहां से नारायनपुर जाने वाले मार्ग पर मिटटी / खंडजा कार्य	812000.00	मोतीचक	810880.00
6	हाटा मथौली पिच मार्ग से सुदामा चक में केदार ओझा के तरफ मिटटी /खंडजा कार्य	471520.00	मोतीचक	470400.00
7	हेतिमपुर नैका छपरा पिच मार्ग से पिपरी गांव के तरफ मिटटी /खंडजा कार्य	641760.00	हाटा	641200.00
8	मरचहवा बसंतपुर में पिच मार्ग से मवेशीखाना होते हुए पुराने खंडजे तक खंडजा कार्य	638400.00	खड्डा	638400.00
9	एक नहवी में बैजनाथ यादव के खेत से व्यापारी टोला जाने वाले मार्ग मिटटी /खंडजा कार्य	259840.00	विशुनपुरा	234080.00
10	एक नहवी में ट्रान्सफ़ारमर से शिवमंदिर मार्ग पर मिटटी /खंडजा कार्य	344960.00	---	---
11	बहोरा रामनगर में मैन पिच रोड से शारदा यादव के खेत से चितहॉ जाने वाले मार्ग पर मिटटी /खंडजा कार्य	344960.00	विशुनपुरा	344400.00
12	जटहॉ में मैन पिच रोड से नारायण कुशवाहा के घर से	740320.00	विशुनपुरा	739200.00

	गांव के तरफ जाने वाले मार्ग पर सी०सी० रोड			
13	ग्राम सभा धोकरहा में नन्द किशोर कुशवाहा के घर से ग्राम पंचायत दशहवा बॉर्डर तक सी०सी०	700000.00	दुदही	698880.00
14	ग्राम सभा बडहरा लक्ष्मीपुर पिपरहिया पिच रोड से दलित बस्ती जाने वाले मार्ग के तरफ सी०सी० कार्य	980000.00	मोतीचक	977760.00
15	नेशनल हाई वे ग्राम लक्ष्मीपुर में पकडीहवा मार्ग पर खडंजा कार्य	359520.00	नेबुआ नौरंगिया	-
16	ग्राम सभा महुआ बुजुर्ग में सुरेश वर्मा के घर से हरगोविंद शाही के घोटठा तक सी०सी० कार्य	468944.00	तमकुही	468384.00
17	किन्नर पट्टी बाजार में मंदिर के चारो तरफ सी०सी० कार्य	999040.00	विशुनपूरा	230720.00
18	धरमपुर बुजुर्ग में काली माई स्थान से सोहनरिया जाने वाले मार्ग पर अवशेष सी०सी० कार्य	555020.00	पडरौना	554288.00
19	बढवलिया खुर्द में साधन सहकारी समिति से सलाउद्दीन के घर तक सी०सी० कार्य	999040.00	पडरौना	--
20	डूम्रभरभार अहिरौली पिच से जटहाँ गांव में इंटरलॉकिंग के आगे गाव की तरफ सी०सी० कार्य	741440.00	पडरौना	644000.00
21	बडहरा लक्ष्मीपुर पिच मार्ग के अवशेष मुसहरी मार्ग पर सी०सी० कार्य	523040.00	मोतिचक	426720.00
22	लोहेपार में रामजियावन के घर से मेन रोड के तरफ सी०सी० कार्य	954240.00	मोतिचक	950880.00
23	लक्ष्मीपुर पिच से मुन्ना प्रधान के घर के तरफ सी०सी० कार्य	582400.00	मोतिचक	582400.00
24	रामपुर भाठ गैस एजेंसी से जय प्रकाश के घर के तरफ सी०सी० कार्य	997920.00	दुदही	987056.00
25	कोइन्दी गोसाई पट्टी में अवशेष सी०सी० कार्य	499520.00	तमकुही	498064.00
26	मुंडेर उपाध्यय टोला से कन्हौली सिवान तक मिट्टी/खडंजा कार्य	672000.00	हाटा	670880.00
27	भिसवा लाला में गणेशी पट्टी से मठिया राम में सी०सी० कार्य	700000.00	पडरौना	-----
28	पकडी बुजुर्ग में सी०सी० कार्य	999040.00	पडरौना	---
29	घिनुहआ में सी०सी० कार्य	924000.00	नेबुआ नौरंगिया	---
30	फरदहाँ टोला में नहर की पट्टी मिट्टी/खडंजा कार्य	672000.00	मोतिचक	667520.00
31	ग्राम सभा परशुरामपुर में श्रीकांत मुंशी के घर से कबीर मठ के तरफ सी०सी० रोड निर्माण	999040.00	नेबुआ नौरंगिया	974960.00

32	गोगराइ ढोढहवा टोला से गदहिया जाने वाली मुख्य मार्ग से प्रधानमंत्री सड़क के तरफ सी०सी० रोड निर्माण	999040.00	कसानगंज	----
33	सपही बुजुर्ग में छठ स्थान तक खडंजा कार्य	744800.00	तमकुही	----
34	भठही खुर्द में महाशंकर राय के घर से छठ स्थान जाने वाले मार्ग पर सी०सी० कार्य	999040.00	फ़ाज़िलनगर	---
35	ग्राम सभा गुलेलहा में डा० दयाशंकर मलिक के बगीचे से नाला निर्माण कार्य	993664.00	पडरौना	---
36	पिपरासी टोला बसंतपुर में नाली निर्माण कार्य	647472.00	पडरौना	647248.00
37	ग्राम सभा पिपरा जटरामपुर के नौका टोला में हबीब के घर से नहर के तरफ नाली निर्माण कार्य	854560.00	पडरौना	839216.00
38	धर्मपुर खुर्द में द्वारिका पाण्डेय के घर से संतोष पाण्डेय के खेत तक गांव तक नाली निर्माण कार्य	902160.00	पडरौना	686560.00
39	ग्राम सभा भठही बुजुर्ग में नथुनी राय के खेत से ड्रेन के तरफ नाली निर्माण कार्य	992544.00	फ़ाज़िलनगर	--
40	भिसवा बाज़ार में नाली निर्माण कार्य	299936.00	हाटा	299040.00
41	डुमरी में नाली निर्माण कार्य	299936.00	हाटा	282240.00
42	परसौन खुर्द में नाली निर्माण कार्य	399952.00	रामकोला	399728.00
43	सोहौना खुर्द में नाली निर्माण कार्य	999040.00	रामकोला	150000.00
44	मुंडेरवा में पुराने नाली के अवशेष भाग का नाली निर्माण कार्य	499968.00	सुकरौली	----
45	पिपरा बाज़ार धोबी टोला काली माता के स्थान से पूर्णमासी के घर तक नाली निर्माण कार्य	576800.00	विशुनपुरा	---
46	कलौरा में सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य	954240.00	दुदही	
47	रकबा दुलमा पट्टी योगेन्द्र के घर से चकनाली तक नाली निर्माण कार्य	764960.00	दुदही	
48	ग्राम सभा मोती छपर योगेन्द्र के घर से अमरेन्द्र के घर तक सी०सी० एवं नाली निर्माण कार्य	667416.00	पडरौना	239680.00
49	पकड़ी बुजुर्ग में नाली निर्माण कार्य	999040.00	पडरौना	--
50	पाण्डेय देवरिया चौराहे पर नाली निर्माण कार्य	999040.00	पडरौना	--
51	होरलापुर मंदिर से नहर तक नाला निर्माण कार्य	988960.00	पडरौना	603680.00
52	मंगलपुर उर्फ मगरुआ में भोला सिंह के खेत से सिवान के तरफ नाली निर्माण कार्य	999040.00	हाटा	---
53	फरदहा में अबशेष नाली से ईदगाह के तरफ नाली निर्माण कार्य	999040.00	मोतीचक	---
54	गंगौली में रामचंद्र गुप्ता के दुकान से ड्रेन तक नाली निर्माण कार्य	999040.00	पडरौना	---
55	धौरहरा में परमहंस सिंह के घर से उत्तर तरफ सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य	999040.00	फाज़िलनगर	809760.00

56	धौरहरा टोला माधोपुर में कैलाश यादव के घर के आगे सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य	999040.00	फाजिलनगर	809760.00
57	महुआबुजुर्ग में खजांची रौनियार के घर से हरिलाल रौनियार के घर के पास मुख्य नाली तक नाली निर्माण कार्य	652000.00	तमकुही	----
58	परसिया में नाली निर्माण कार्य	990080.00	नेबुआ नौरंगिया	982240.00
59	हरका शिवपुर मार्ग शौकत चौराहे से शिवपुर डीह जाने वाले मार्ग पर जिला पंचायत के पिच के आगे पिच कार्य	995680.00	पडरौना	989968.00
60	नौरंगिया के ग्राम पंचायत नेबुआ में एन०एच०-28 से काली स्थान की तरफ सी०सी० रोड	996128.00	नेबुआ नौरंगिया	---
61	ग्राम सभा सरैया महंथ पट्टी में ठाकुर जी के मंदिर से बढ़िया टोला के तरफ से सी०सी० कार्य	998368.00	फाजिलनगर	881440.00
62	ग्राम सभा बनकटा में पुराने इंटरलॉकिंग से ब्रह्मस्थान जाने वाली मार्ग पर सी०सी० कार्य	995120.00	फाजिलनगर	984144.00
63	नरकटिया पिच से राजन के घर तक सी०सी० रोड	980000.00	हाटा	----
64	ग्राम सभा धनहा में जोकवा जौरा पिच मार्ग से शिव मंदिर सड़क पर अवशेष भाग पर सी०सी० कार्य	870576.00	फाजिलनगर	865872.00
65	ग्राम सभा महुआ प्राथमिक विद्यालय के पास महुआ जाने वाली मार्ग पर सी०सी० कार्य	998368.00	फाजिलनगर	990864.00
66	एच०एन -28 पटहेरवा में योगेन्द्र श्रीवास्तव के घर से दक्षिण विन्ध्या अकादमी के तरफ जाने वाले मार्ग पर सी०सी० कार्य	999488.00	फाजिलनगर	974400.00
67	ग्राम सभा भठही बुजुर्ग नहर के पास गया गोड के घोटठा के पास पुलिया निर्माण कार्य	430528.00	फाजिलनगर	378560.00
68	ग्राम सभा नकटहा में पिच रोड से भानपुर पुलिया तक सी०सी० कार्य	853216.00	फाजिलनगर	751520.00
69	ग्राम सभा बरहज छठ घाट पर सी०सी० कार्य	345128.00	पडरौना	341488.00
70	ग्राम सभा महुआ खुर्द आंगनबाड़ी केंद्र से सोहंग जाने मार्ग पर सी०सी० कार्य	845488.00	फाजिलनगर	843808.00
71	ग्राम सभा गांगी टिकर तुर्क पट्टी फाजिलनगर मुख्य मार्ग नहर पुल से मछली पालन जाने वाले मार्ग पर सी०सी० कार्य	996128.00	फाजिलनगर	936096.00
72	ग्राम सभा मठही खुर्द में अलाउद्दीन के घर से नूर अंसारी के घोटठा तक सी०सी० कार्य	994000.00	फाजिलनगर	993104.00
73	ग्राम सभा झनकौर में पिच रोड से हनुमान मंदिर के तरफ सी०सी० कार्य	741776.00	तमकुही	741664.00
74	गजरा काली मंदिर के तरफ से सी०सी० कार्य	980000.00	कसानगंज	978880.00

75	सिकटा पिच रोड से पी०जी स्कूल होते हुए गंभीरपुर गांव के तरफ सी०सी० कार्य	657064.00	कसानगंज	651840.00
76	पचार पी०सी०एफ गोदाम के सामने हरीनारायण कुशवाहा के स्कूल से कोठरी टोला के तरफ सी०सी० कार्य	678160.00	कसानगंज	669760.00
77	बेलवा सुदामा पिच मार्ग से बेलवा गांव के तरफ सी०सी० कार्य	920640.00	मोतीचक	918400.00
78	नारायनपुर प्राथमिक विद्यालय से पिच टावर तरफ सी०सी० कार्य	81360.00	मोतीचक	812000.00
79	लक्ष्मीपुर मेन पिच रोड रिलायंस टावर के तरफ सी०सी० कार्य	97200.00	मोतीचक	906080.00
80	बड़हरा पिच मार्ग से बड़हरा पिच मार्ग के तरफ सी०सी० कार्य	88240.00	हाटा	897120.00
81	भठही पिच मार्ग से भठही शिवमंदिर के तरफ सी०सी० कार्य	41600.00	हाटा	480480.00
82	कसया रामकोला पिच मार्ग से गोबरही प्राथमिक विद्यालय से गोबरही परशरामपुर पुराने इंटरलॉकिंग के तरफ सी०सी० कार्य	845820.00	हाटा	843360.00
83	अहिरौली चिर गोडा पिच मार्ग से पुराने इंटरलॉकिंग से खड्डा टोला जखनी के तरफ सी०सी० कार्य	883680.00	हाटा	881440.00
84	महुआडीह पिच मार्ग से महुआडीह लौंगरापुर प्राथमिक विद्यालय के तरफ सी०सी० कार्य	729120.00	हाटा	728560.00
85	हेतिमपुर -नौका छापर पिच रोड से पिपरी गांव के तरफ सी०सी० कार्य	768320.00	हाटा	767200.00
86	नरकटिया-सोहसा पिच मार्ग से मुहई झूसी टोला के तरफ सी०सी० कार्य	844480.00	हाटा	843360.00
87	नरकटिया-सोहसा पिच मार्ग से सोनबरसा पिच मार्ग से तरफ सी०सी० कार्य	775040.00	हाटा	773920.00
88	टेकुआटार-सोहसा पिच मार्ग नहर से पटरी पर पुराने इंटरलॉकिंग से सोहसा इन्टरकॉलेज के तरफ सी०सी० रोड	898240.00	हाटा	897120.00
89	जौरा-धनहा सिवान हीरा प्रसाद के घर से विवेक पाण्डेय के घर जाने वाले मार्ग पर सी०सी० कार्य	805860.00	फाजिलनगर	805280.00
90	नरकटिया पिच से श्रीराम मिश्र के घर तक सी०सी० निर्माण	980000.00	हाटा	---
91	ग्राम पंचायत करहवा के टोला गोबरही में कसया - रामकोला मुख्य रोड पर रामनारायण के खेत से सूरेंद्र दुबे के घर की तरफ सी०सी० कार्य	677600.00	हाटा	676480.00
92	परसौनी-पडरी पिच मार्ग से पडरी गोदाम टोला के तरफ	871360.00	रामकोला	870240.00

	सी०सी० कार्य			
93	बरवा महादेव टोला झुगिया पट्टी से बरवा बाजार के तरफ सी०सी० कार्य	844480.00	रामकोला	844480.00
94	पडरी-नाहद पिच मार्ग से सिसवा मठिया के तरफ सी०सी० कार्य	573440.00	रामकोला	572320.00
95	पडरी पिच मार्ग से पडरी गांव के तरफ सी०सी० कार्य	700000.00	सुकरौली	698880.00
96	रामघाट से रामजानकी मंदिर के तरफ सी०सी०	529760.00	विशुनपूरा	529200.00
97	पुरनहा बुजुर्ग नौका टोला में लाल बिहारी कुशवाहा के खेत से भगत टोला वाले मार्ग पर सी०सी० कार्य	994560.00	विशुनपूरा	991648.00
98	पकनहा में रोड से गांव जाने वाली मार्ग पर सी०सी०	999040.00	विशुनपूरा	
99	पकहा में मुसहरी टोला से छठी माई के स्थान से मेंन पिच रोड तक सी०सी०रोड	994560.00	विशुनपूरा	993440.00
100	पटेहरवा मंगलपुर नहर पुल पिच से बरकटी भरटोला जाने वाले मार्ग पर सी०सी० कार्य	980000.00	विशुनपूरा	979328.00
101	नवगावां में पिच रोड से मेहंदीगंज जाने वाली मार्ग पर सी०सी० कार्य	992320.00	विशुनपूरा	991312.00
102	खिरिया में सी०सी० रोड से बब्लू के घर के तरफ सी०सी० कार्य	945280.00	दुदही	944720.00
103	खिरिया में इंटरलॉकिंग से मैनेजर साहब के घर के तरफ सी०सी० कार्य	959840.00	दुदही	958720.00
		82097268		56856160

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0	0	56856160	56856160

प्रारूप - 02

वार्षिक प्रतिवेदन-2020-2021

जनपद का नाम – देवरिया मण्डल का नाम – गोरखपुर

जिला पंचायत के अनिस्तारित आपतियों का विवरण:-

जिला पंचायत देवरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण निम्नवत है:-

प्रस्तर संख्या-01- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत देवरिया द्वारा निर्माण कार्यो के निविदा/विज्ञापन पर निम्न प्रकार राज्य वित्त अनुदान धनराशि से भुगतान किया गया है जबकि विज्ञापन व प्रचार-प्रसार का कार्य जिला निधि धनराशि से किया जाना चाहिए ।

क्र०सं०	वा०सं०	दिनांक	समाचार पत्र	धनराशि
1.	82	23.06.2020	दैनिक जागरण	4946.00
2.	83	23.06.2020	दैनिक जागरण	297220.00
3.	84	23.06.2020	दैनिक जागरण	27470.00
4.	85	23.06.2020	अमर उजाला	245824.00
5.	86	23.06.2020	सहारा इंडिया	12936.00
6.	87	23.06.2020	सहारा इंडिया	109927.00
7.	128	07.03.2021	अमर उजाला	11739.00
8.	129	07.03.2021	जन मण्डल (आज)	8327.00
9.	130	07.03.2021	स्वतंत्रता चेतना	8251.00
10.	131	07.03.2021	दैनिक जागरण	9274.00
11.	132	07.03.2021	सहारा इंडिया	4777.00
12.	133	07.03.2021	हिन्दुस्तान	4479.00
13.	134	07.03.2021	सहारा इंडिया	3257.00
14.	135	07.03.2021	जागरण प्रकाशन	7029.00
15.	136	07.03.2021	सहारा इंडिया	3909.00
16.	137	07.03.2021	जागरण प्रकाशन	10201.00
			योग-	769566.00

इस प्रकार विज्ञापन पर जिला निधि से व्यय न करके राजकीय अनुदान की धनराशि ₹ 769566.00 निर्माण कार्यो पर व्यय न करके अनियमितता किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल उत्तरदायी है | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

(मूल आपति संख्या 02)

प्रस्तर संख्या- 02- प्रमाण संख्या 75 दिनांक 19.09.2020 को रोकड़ वही से

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	769566.00

गृहकर व जलकर की धनराशि ₹2110348 नगर पालिका परिषद देवरिया को भुगतान किया गया है जिसमें सरचार्ज के रूप में ₹ 211035.00 भुगतान करना पड़ा। यदि गृहकर जलकर की धनराशि संस्था द्वारा समय पर दिया गया होता तो

सरचार्ज रु० 211035.00 के नुकसान से संस्था को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता था। इस प्रकार अनियमित भुगतान हेतु प्रशासनिक अधिकारी श्री सुशील कुमार शुक्ल व अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल उत्तरदायी रहे हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	211035.00

प्रस्तर संख्या-03- प्रमाण संख्या 73 दिनांक 17.02.2021 को कार्यालय के साज- सज्जा हेतु ठेकेदार श्री भानु प्रताप सिंह से कार्य कराकर रु० 140000.00 राज्य वित्त से भुगतान किया गया है। बिल के अनुसार उक्त बिल से निम्न डेड स्टॉक क्रय भुगतान भी दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार रहा-

स्टील बेंच	06 नग	7500.00
सोफा	02 नग	35000.00
दीवान	01 नग	12500.00
आफिसर टेवल	01 नग	40000.00
चेयर	01	15000.00
सफाई पुताई पेंट मजदूरी पर		30000.00
योग		140000.00

इस प्रकार कार्यालय साज सज्जा के नाम पर राज्य वित्त अनुदान धनराशि रु० 140000=00 का दुरुपयोग किया गया है जबकि कार्यालय साज-सज्जा का कार्य जिला निधि धनराशि से कराया जाना चाहिए। साथ ही उक्त क्रय डेड स्टॉक की प्रविष्टि संस्था के डेड स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है। उक्त दुरुपयोग हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	140000.00	00.00

प्रस्तर संख्या- 04- शासनादेश संख्या 8307/33-2-04-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2015 के अनुसार जिला पंचायत प्राप्त अनुदान से दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को जोड़ने वाली परियोजनाओं पर कार्य करायेंगी जिसके विपरित जिला पंचायत, देवरिया द्वारा ग्राम पंचायतों में लोगों के घर को सड़क से जोड़ने का कार्य किया गया है जो शासनादेश का उल्लंघन है विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	ग्राम-रामपुर महुआवारी टोला पिच रोड से मुजमिल के दरवाजे तक सी०सी० कार्य।	8.40
2.	भटनी भिंगारी मार्ग पूरब टोले में सी०सी० कार्य।	7.95
3.	भिंगारी चौराहे से मस्जिद होते हुए सी०सी० कार्य।	8.29
4.	ग्राम भैदवा में रामदरश मठेशिया के घर होते काली मन्दिर तक सी०सी० कार्य।	4.46
5.	ग्राम मेलउर राम चैत के घर की ओर जाने वाले मार्ग का इण्टरलाकिंग ।	1.82
6.	तेलिया शुक्ल में पारस शुक्ल के दरवाजे से व्यास शुक्ल के घर तक सी०सी० कार्य।	4.04
7.	ग्राम सभा लालचक में सी०सी० कार्य।	9.82
8.	ग्राम विराजभार में ब्रम्ह स्थान से संतोष सिंह के घर तक सी०सी० कार्य।	5.04

9.	बनकटा मिश्र में ब्रह्म स्थान से प्रत्युश मिश्रा के घर तक सी०सी० कार्य।	8.32
10.	ग्राम-समोहर में शेनवान गोड़ के घर से शिवमन्दिर तक सी०सी० कार्य।	6.28
11.	ग्राम-पडरी झिल्लीपार में मेन पिच से रूदल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग।	7.04
12.	प्रा०वि० सजाव पिच रोड से संतोष दूबे के घर के पीछे तक सी०सी० कार्य।	12.10
13.	पहाड़पुर में सी०सी० कार्य ।	5.32
14.	बलुआ अफगान में छठे मदेशिया के घर से आगे छठ घाट तक सी०सी० कार्य ।	12.00
15.	ग्राम श्रीनगर पिच रोड से रमेश यादव के घर तक सी०सी० कार्य।	5.51
16.	ग्राम गरीब पट्टी में रामअवध के घर होते हुए राजेन्द्र मिश्र के घर होते हुए महुआ बुजुर्ग तक सी०सी० कार्य ।	5.25
17.	ग्राम-खुदिया में पिच मार्ग से फुलेश्वर नाथ मार्ग का सी०सी० कार्य।	10.64
18.	पैकौली चौराहा से लालता के घर जाने वाला मार्ग का सी०सी०कार्य ।	5.93
19.	वंकुल में रामबली सिंह के घर से श्री लाल शर्मा के खेत से आगे सी०सी० कार्य ।	13.18
20.	एकौना पिच रोड से सिकन्दर यादव के खेत से आगे तक सी०सी० कार्य।	9.57
21.	ग्राम दनउर मेन रोड से गांव की तरफ सी०सी० कार्य।	8.80
22.	ग्राम सोन्दा श्री प्रकाश के चक से होते हुए प्रा०वि० की ओर सी०सी० कार्य।	3.64
23.	ग्राम-खुरहरी में अवशेष सी०सी० कार्य मरम्मत।	0.98
24.	ग्राम रतनपुर में ज्ञानचन्द के खेत से राम प्रताप शर्मा के खेत तक सी०सी० कार्य।	7.38
25.	चकिया शुक्ल में अछैवर शुक्ल के घर से उदय शुक्ल के घर तक सी०सी० कार्य।	6.05
26.	ग्राम खामपार पिच सड़क से गोपाल यादव के घर तक सी०सी० कार्य।	4.11
27.	पहाड़पुर में सी०सी० मरम्मत ।	1.42
	योग	183.34

इस प्रकार जिला पंचायत देवरिया द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्य कराकर अनियमितता कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश पटेल उत्तरदायी रहे हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 05)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	183.34

प्रस्तर संख्या- 05 — लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021 के दौरान निम्न प्रकार स्टेशनरी क्रय व छपाई का भुगतान किया गया है लेकिन स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार लिखित तथा मौखिक मांग के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र०सं०	रोकड़ वही में भुगतान दिनांक	प्रमाणक सं०	धनराशि
1	15.05.2020, बी० प्रिटर्स, गोरखपुर	71	46078.00
2	16.07.2020, बी० प्रिटर्स, गोरखपुर	57	46648.00
3	19.09.2020, बी० प्रिटर्स, गोरखपुर	76	48928.00
4	01.01.2021, बी० प्रिटर्स, गोरखपुर	28	49500.00
5	16.03.2021, बी० प्रिटर्स, गोरखपुर	19	48870.00
		योग	240024.00

इस प्रकार संस्था द्वारा कोई भी क्रय तभी संस्था का होगा जब उस सामग्री की प्रविष्टि संस्था के स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर में हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त क्रय के सभी स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इसलिए स्टेशनरी स्टॉक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार क्रय स्टेशनरी रु० 240024.00 के पक्ष में पटल से डिमाण्ड व आयुक्त महोदय के स्वीकृति के अभाव में दुरुपयोगित रही। जिसके लिए स्टेशनरी बाबू श्री अंकित कुमार सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	240024.00	00.00

प्रस्तर संख्या- 06 — लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021 में पाया गया कि निम्न प्रकार डेड स्टॉक क्रय कर रोकड़वही से भुगतान किया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में जो डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया उसमें आलोच्य वर्ष में जो सामग्री क्रय किया गया है उसकी प्रविष्टि नहीं किया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा -

क्र० सं०	प्रमाण सं०/दिनांक	नाम सामग्री	धनराशि	विक्रेता
1.	100/02.06.2020	वायर व अन्य सामग्री	4815.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
2.	577/01.06.2020	2 सिलिंग फैन	4905.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
3.	539/06.06.2020	2 पोली फैन	3380.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
4.	592/08.06.2020	1 पोली फैन व अन्य सामग्री	2070.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
5.	77/13.10.2020	थाल	3824.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
6.	21/01.01.2021	बिजली समान	38210.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
7.	17/06.03.2021	बिजली समान	48358.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
8.	49/14.08.2020	बिजली समान	11935.00	हरि इलेक्ट्रिक कोतवाली रोड, देवरिया
		योग	117497.00	

इस प्रकार संस्था द्वारा कोई भी क्रय तभी संस्था का होगा जब उस सामग्री की प्रविष्टि संस्था के डेड स्टॉक रजिस्टर में हो। अतएव वर्ष में बिजली समान क्रय धनराशि रु० 117497.00 अनियमित रहा। जिसके लिए नाजीर, श्री जुबेर अहमद व अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल उत्तरदायी रहे हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	117497.00

प्रस्तर संख्या - 07— लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021 में पाया गया कि वसूली नियम के अनुसार पहले बकाया का वसूली किया जाना चाहिए फिर चालू मांग की जानी चाहिए लेकिन जिला पंचायत देवरिया द्वारा बकाया वर्षों का वसूली छोड़कर भी वसूली किया गया है विवरण निम्न रहा:-

क्र.	फर्म का विवरण	2015-16 से पूर्व का बकाया	वसूली 2020-21 तक (वर्ष 2017-18 को छोड़कर)	बकाया धनराशि 2017-18 का	बकाया दर्शित	बकाया होना चाहिए
1.	भारत ब्रिक फिल्ड प्रो० हेमन्त राव पुत्र श्री महातम राव बेलवा देसही देवरिया	12.50	-	6000.00	12.50	6012.50

2.	वी० के०ओ० ईट उद्योग कुवर धीर सिंह/नन्हें भुजौली, हेतिमपुर	500	-	6000.00	500	6500.00
3.	राव इ०उ० अनिरुद्ध राव शामपुर	400	-	6000.00	400	6400.00
4.	चौरसिया इ०उ० विजय कुमार धनौती, रजडीहा	-	-	6000.00	-	6000.00
5.	राजेन्द्र शुक्ला, नकहोद, देवरिया	-	-	6000.00	-	6000.00
	योग			30000.00	912.50	30912.50

इस प्रकार बीच के वर्षों का वसूली छोड़कर रु० 30000.00 से अनियमितता कर राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है जिसके लिए कर समाहर्ता व कार्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	30000.00

प्रस्तर संख्या - 08 - जिला पंचायत देवरिया के दुकानों के रेंट वसूली की जांच में पाया गया कि चालू मांग का वर्ष में धनराशि रु० 122782.00 बकाया पड़ गया तथा बकाया धनराशि जो गत वर्ष रु० 3230238.00 थी, कुछ भी वसूल नहीं हुआ विवरण निम्न प्रकार रहा -

क्रमां क	स्थान	दुकान सं०	चालू मांग	बकाया धन	वर्ष में वसूली	31 मार्च 21 को शेष
1.	रूद्रपुर	39	242522	782672	447798	577396.00
2.	बरहज	56	699924	403729	659935	443718.00
3.	तरकुलवा	19	115536	160294	133880	141950.00
4.	बैराना	18	142380	687073	83036	746417.00
5.	हेतिमपुर	01	40392	105706	25000	121098.00
6.	रामपुर का०	01	8772	21756	-	30528.00
7.	कोटवा	01	18300	2093	20393	-
8.	लार	14	124800	466168	156949	434019.00
9.	भाटपाररानी	02	23604	185293	8141	200756.00
10.	नवलपुर		-	19356	-	19356.00
11.	भिगारी बाजार	07	53844	247139	10381	290602.00
12.	मईल		7332	1809	9111	30.00
13.	गढरामपुर	10	-	147150	-	147150.00
	योग		1477406	3230238.00	1554624.00	3153020.00

इस प्रकार किराया बकाया रु० 3153020.00 वसूली न करके अनियमितता किया गया है जबकि वसूली में गाड़ी पूरे साल चली और गाड़ी किराया, तेल पर लाखों रुपये व्यय किये गये हैं जिसके लिए वसूली कर्मचारी व कार्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	3153020.00

प्रस्तर संख्या-09- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021 में पाया गया कि राव ईट उद्योग प्रोपेराइटर जय प्रकाश राव विकास क्षेत्र देसही देवरिया से वर्ष 2014-15, 2015-16 के टैक्स का डिमाण्ड वर्ष 2015-16 में रु० 6000 + 6000 लगी और वसूल हुआ लेकिन रु० 8100.00 बकाया धनराशि यथावत पड़ा रहा। फिर 2017-18 में वर्ष 2016-17, 2017-18 का डिमाण्ड वर्ष 2020-2021 में लगी और वसूल हुआ लेकिन वर्ष 2020-2021 में रु० 8100 यथावत पड़ा रहा। जबकि वसूली नियम के अनुसार पहले बकाया का वसूली किया जाना चाहिए फिर करेन्ट डिमाण्ड की वसूली जिसके लिए वसूली कर्मचारी तथा कार्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	8100.00

प्रस्तर संख्या-10- आलोच्य वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 82 से 87 से निविदा/विज्ञापन पर निम्न समाचार पत्रों को भुगतान किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 1994 सी० के अनुसार उक्त व्यय पर 2% टी०डी०एस० की कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है।

क्रमांक	बाउचर सं०/दिनांक	समाचार पत्र	भुगतान	टी०डी०एस०
1.	82/23.06.2020	दैनिक जागरण	338910.00	6778.20
	83/23.06.2020			
	84/23.06.2020			
2.	85/23.06.2020	अमर उजाला	249824.00	4996.48
3.	86, 87/23.06.2020	सहारा इंडिया	134806.00	2696.12
		योग	702323.00	14470.80

इस प्रकार टी०डी०एस० रु० 14470.80 का कटौती न करके अनियमितता किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल व लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी रहे हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	14470.80

प्रस्तर संख्या - 11- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021 में भटनी विकास क्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि अवधेश नारायण सिंह पुत्र श्री लालबचन सिंह, ग्राम-सवरेजी ईट भट्ठा से निम्न प्रकार सी०पी० टैक्स वसूल किया गया है विवरण निम्नांकित है

क्रमांक	रसीद सं०/दिनांक	वर्ष का टैक्स वसूली		ले०प०नुसार वसूल होना चाहिए	धन वसूल नहीं हुआ और बकाया
		वर्ष	धनराशि		

					शून्य दर्शित
1.	041403/08.06.2020	17- 18 18- 19 19- 20	9000.00	17- 18,17-18 18- 19 19- 20,व20- 21	-
2.	041671/04.09.2020	20-21	6000.00	24000.00	9000.00
	योग		15000.00	24000.00	9000.00

इस प्रकार वर्ष 2020-21 का सी०पी टैक्स वसूल नहीं हुआ लेकिन बकाया शून्य दर्शित कर रु. 9000.00 से अनियमितता किया गया है जिसके लिए कर समहार्ता तथा कार्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	9000.00

प्रस्तर संख्या-12- आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.05.2020 को प्रमाणक संख्या 60 रोकड़ वही से स्टेशनरी क्रय/ छपाई/टेबल ग्लास अंकित कर भुगतान रु0 7390.00 किया गया है। जबकि आलोच्य वर्ष में मासिक लेखा अनुसार रु० 240024.00 का स्टेशनरी क्रय/छपाई दर्शाया गया है जिसमें रु०7390.00 शामिल नहीं है। यदि टेबल ग्लास क्रय किया गया होता तो उसकी प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में होना चाहिए। इस प्रकार रु० 7390.00 का स्टेशनरी या डेड स्टॉक क्रय की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करके व काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए नाजीर श्री जुबेर अहमद व अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
7390.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-13- विकास क्षेत्र देवरिया के सम्पत्ति विभव कर डिमाण्ड व वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में उक्त विकास क्षेत्र से वर्ष में न तो डिमाण्ड लगी है और न ही करेण्ट मांग व बकाया की वसूली ही किया जाना दर्शित है विवरण निम्नांकित है

विकास क्षेत्र	वर्ष	वर्ष की डिमाण्ड	बकाया	चालू मांग वसूली	बकाया वसूली	बकाया शेष
देवरिया	2018-19	535200.00	336213.00	534700	--	336713.00
	2019-20	521850.00	336713.00	521850	3050	333663.00
	2020-21	--	333663.00	--	--	333663.00
				योग		1004039.00

इस प्रकार विकास क्षेत्र देवरिया के सम्पत्ति विभव कर का वर्ष 2020-21 में वर्ष की डिमाण्ड नहीं लगाई गयी है। औसत डिमाण्ड रु० 528525.00 व बकाया रु० 333663.00 कुल धनराशि रुपये 1532564 की वसूली न करके अनियमितता किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल व कार्य अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या 28)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	1532564.00

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(जिला पंचायतों से संबन्धित आपत्तियां)

जनपद- महाराजगंज

मंडल-गोरखपुर

प्रस्तर-01 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के ठेका शर्तों के नियम खण्ड 1 (ग) के अनुसार विलम्ब के लिए प्रतिकार के सम्बन्ध में उल्लेख है कि परियोजना के लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क की कटौती की जानी चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा शपथ पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि यदि अनुबन्ध में दी गयी समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी मेरे भुगतान की धनराशि से 1 प्रतिशत अर्थदण्ड की कटौती कर ले। परन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	वा० सं०	दिनांक	लागत मूल्य	विलम्ब शुल्क की कटौती	अपेक्षित कटौती	अन्तर की धनराशि
1	35	11.05.20	1605000.00	1000.00	16050.00	15050.00
2	36	11.05.20	1605000.00	1000.00	16050.00	15050.00
3	73	18.05.20	1041264.00	1000.00	10412.00	9412.00
4	45	13.07.20	1001775.95	1000.00	10017.00	9017.00
5	34	17.08.20	882500.00	1000.00	8825.00	7825.00
6	13	01.09.20	914817.25	1000.00	9148.00	7148.00
7	14	01.09.20	995000.00	1000.00	9950.00	7950.00
8	21	08.10.20	1787800.00	1000.00	17878.00	16878.00
9	39	12.10.20	1239790.00	1000.00	12397.00	11397.00
10	62	15.10.20	774400.00	1000.00	7744.00	6744.00
11	64	15.10.20	609400.00	1000.00	6094.00	5094.00
12	61	28.12.20	890900.00	1000.00	8909.00	7909.00
13	62	28.12.20	890200.00	2000.00	8902.00	7902.00
14	64	28.12.20	890600.00	2000.00	8906.00	7906.00
15	65	28.12.20	822000.00	1500.00	8220.00	6720.00
16	66	28.12.20	597200.00	1000.00	5972.00	4972.00
17	66	28.12.20	892100.00	1000.00	8921.00	7921.00
18	69	28.12.20	1930000.00	1000.00	19300.00	18300.00
19	71	28.12.20	4480000.00	2000.00	44800.00	42800.00
20	87	28.12.20	205000.00	1000.00	2050.00	1050.00
21	92	28.12.20	1040000.00	1000.00	10400.00	3900.00
22	96	28.12.20	1229200.00	1000.00	12292.00	11292.00

23	100	28.12.20	1194200.00	1000.00	11942.00	10942.00
24	102	28.12.20	1877500.00	1000.00	18775.00	16775.00
25	103	28.12.20	306100.00	1000.00	3061.00	2061.00
26	111	30.12.20	195000.00	500.00	1950.00	1450.00
27	112	30.12.20	889933.37	1000.00	8899.00	7899.00
28	114	30.12.20	730000.00	1000.00	7300.00	6300.00
29	115	30.12.20	1604705.54	1000.00	16047.00	15.47.00
30	117	30.12.20	580000.00	1000.00	5800.00	4800.00
31	120	30.12.20	1042000.00	1000.00	10420.00	9420.00
32	121	30.12.20	666400.00	1000.00	6664.00	5664.00
33	45	11.01.20	1365000.00	1000.00	13650.00	12650.00
34	46	11.01.20	400000.00	1000.00	4000.00	3000.00
35	59	11.01.20	2488800.00	1000.00	24888.00	23888.00
36	65	11.01.20	1736900.00	1000.00	17369.00	16369.00
37	70	11.01.20	890200.00	1000.00	8902.00	7902.00
38	76	11.01.20	1118800.00	1000.00	11188.00	10188.00
39	79	11.01.20	887500.00	1000.00	8875.00	7075.00
40	80	11.01.20	993700.00	1000.00	9937.00	8937.00
41	83	11.01.20	1343600.00	1000.00	13436.00	11936.00
42	84	11.01.20	3673400.00	1000.00	36734.00	35734.00
43	88	11.01.20	1000000.00	1500.00	10000.00	8500.00
44	89	11.01.20	1548900.00	1500.00	15489.00	13989.00
45	90	11.01.20	2341900.00	1800.00	23419.00	21619.00
46	91	11.01.20	2423800.00	1800.00	24238.00	22438.00
47	100	12.01.20	3142400.00	1800.00	31424.00	29624.00
48	102	12.01.20	2264700.00	1800.00	22647.00	20847.00
49	106	12.01.20	966600.00	1000.00	9666.00	8666.00
50	107	12.01.20	978300.00	1000.00	9783.00	8783.00
51	109	12.01.20	1691000.00	1000.00	16910.00	15410.00
52	114	12.01.20	302200.00	1000.00	3022.00	2022.00
53	125	12.01.20	790000.00	1000.00	7900.00	6900.00
54	69	06.03.20	728000.00	1000.00	7280.00	6280.00
55	70	06.03.20	732500.00	1000.00	7325.00	6325.00
56	72	06.03.20	798500.00	1000.00	7985.00	6985.00
57	74	06.03.20	492800.00	2000.00	4928.00	2928.00
58	78	17.03.20	1432700.00	1000.00	14327.00	13327.00
59	80	17.03.20	780000.00	1000.00	7800.00	6800.00
		योग-				730717.00

इस प्रकार लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क न काटकर ₹0 730717.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं श्री राम निहोर प्रसाद एवं लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह एवं निर्माण प्रभारी श्री राजकुमार जयसवाल जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या 3385 दिनांक 15 अक्टूबर 15 के प्रस्तर 3 (3) में यह व्यवस्था दी गयी है कि कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उपखनिज का प्रयोग बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य दण्ड (सामान्यतः रायल्टी का 5 गुना)की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कर लिया जाए। परन्तु जिला पंचायत महाराजगंज द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में वाछित एम0एम0-11 संलग्न नहीं है और न ही शासनादेश के अनुसार धनराशि वसूल की गयी है। इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त का अनुपालन अगले वित्तीय वर्ष से किया जाएगा, परन्तु विगत वर्षों के अवशेष रायल्टी के वसूली के प्रति कोई समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घनमीटर	मानकानुसार प्रयुक्त उप खनिज बालू घनमीटर	रायल्टी दर	रायल्टी कटौती
	1- मवेशीखाना पिपरा परसौनी में शेड का निर्माण।				
1	सीसी 1:4:8	2.91*0.45	1.30	150.00	195.00
2	बी/डब्लू 1:3 & 1:4	4.90*0.27	1.32	150.00	198.00
3	प्लास्टर	34.35*0.45	15.45	65.00	1004.25
				योग	1398.00
	2- ग्राम सभा खेमपिपरा मार्ग पर टेमर नाले पर 2*3 मीटर स्पान की पुलिया निर्माण कार्य।				
1	सीसी 1:4:8	36.59*0.45	16.46	150.00	2469.00
2	बी/डब्लू 1:3 & 1:4	151.67*0.27	40.95	150.00	6142.50
3	आरसीसी/पीसीसी	41.14*0.45	18.51	150.00	2776.50
4	एसटी प्वाइंट	147.62*0.003	0.59	65.00	38.31
				योग	11426.00
	3- ग्राम सभा खेमपिपरा मार्ग पर टेमर नाले पर 2*3 मी0 स्पान की पुलिया निर्माण कार्य।				
1	सीसी 1:4:8	36.34*0.45	16.35	150.00	2452.50
2	बी/डब्लू 1:3 & 1:4	168.55*0.27	45.50	150.00	6825.00
3	आरसीसी/पीसीसी	18.33*0.45	8.24	150.00	1236.00
4	एसटी प्वाइंट	182.54*0.003	0.54	65.00	35.10
				योग	10548.00
	4- ग्राम सभा बसहिया गाव के मुराली चौराहा से रखौना टोला जानेवाले मार्ग पर नहर पर 3*3 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य।				
1	सीसी 1:4:8	54.24*0.45	24.40	150.00	3660.00
2	बी/डब्लू 1:4	216.54*0.27	58.46	150.00	8769.00

3	आरसीसी 1:2:4	30.26*0.45	13.61	150.00	2041.50
4	एसटी प्वाइंट	210.14*0.003	0.63	65.00	40.95
				योग	14511.00
5-ग्राम सभा नईकोट मवेशीखाना में चटनी, भूसा घर, बरामदा, केयर टेकर रूम व वाउण्डीवाल निर्माण कार्य।					
1	आरसीसी/पीसीसी 1:6:15	23.79*10.70	10.70	150.00	1605.00
2	बी/डब्लू 1:3 & 1:4	95.20*0.27	25.70	150.00	3855.00
3	प्लास्टर	545.71*0.003	1.63	65.00	105.95
				योग	5566.00
6- ग्राम सभा चरगहा मवेशीखाना में चटनी, भूसा घर, बरामदा, केयर टेकर रूम व वाउण्डीवाल निर्माण कार्य।					
1	बी/डब्लू 1:3	32.30*0.27	22.23	150.00	3334.50
2	आरसीसी 1:2:4	28.54*0.45	12.84	150.00	1926.50
3	प्लास्टर	422.92*0.003	1.26	65.00	81.90
				योग	5344.00
7- ग्राम सभा डिगुरी साधू टोला शीतलापुर में पी0डब्लू0डी0 रोड के किनारे कन्हैया के मकान से दक्षिण नाले तक नाली निर्माण कार्य।					
1	सीसी 1:4:8	18.12*0.45	8.15	150.00	1222.50
2	बी/डब्लू 1:4	95.38*0.27	29.75	150.00	4462.00
3	प्लास्टर	397.94*0.003	1.19	65.00	77.35
				योग	5763.00
8- ग्राम सभा मंगलापुर पटखौली के पिच से मन्दिर मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य।					
1	सीसी 1:4:8	6.15*0.50	3.07	65.00	199.53
2	बी/डब्लू 1:4	16.47*0.27	4.44	150.00	666.00
3	एसटी प्वाइंट	58.83*0.003	0.17	65.00	11.05
				योग	877.00
9- ग्राम सभा बसडीला में इन्टरलाकिंग कार्य।					
1	पी/एलसीसी 1:6:12	72.032*0.50	36.16	65.00	2350.40
2	बी/डब्लू 1:4	43.22*0.27	11.66	150.00	1749.00
3	एसटी प्वाइंट	85.79*0.003	0.25	65.00	16.50
				योग	4116.00
10- जिला पंचायत कैम्पस में अपर मुख्य अधिकारी आवास का मरम्मत व वाउण्डीवाल/रंगाई-पुताई कार्य।					
1	बी/डब्लू	194.27*0.27	52.45	150.00	7867.00
2	आरसीसी	5.71*0.50	2.037	150.00	305.66
3	प्लास्टर	530.65*	1.59	65.00	238.50
				योग	8412.00
11- 1*3 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण ग्राम सभा मुडिला से भिटौली मार्ग के बगल में।					

1	सीसी 1:4:8	34.06*0.45	15.32	150.00	2298.00
2	बी/डब्लू 1:4	95.15*0.27	25.69	150.00	3853.50
3	एसटी प्वाइंट	78.24*0.003	0.23	65.00	14.95
				योग	6166.00
12- 1*3 मी0 आर0सी0 पुलिया निर्माण विकास खण्ड सदर के ग्राम प्रतापपुर में।					
1	सीसी 1:4:8	45.27*0.45	2.37	150.00	3055.50
2	बी/डब्लू 1:4	103.69*0.27	27.99	150.00	4198.00
3	एसटी प्वाइंट	69.92*0.003	0.20	65.00	13.00
				योग	7266.00
13- 1*3 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण ग्राम प्रतापपुर में।					
1	सीसी 1:4:8	34.53*0.45	15.45	150.00	2331.00
2	बी/डब्लू 1:4	97.11*0.27	26.22	150.00	3933.00
3	एसटी प्वाइंट	78.24*0.003	0.23	65.00	15.00
				योग	6279.00
14- ग्राम सभा मधुवनीखास के पश्चिम टोले पर जगतपलाल के खेत के पास पुलिया कार्य।					
1	पीसीसी	25.62*0.45	11.52	150.00	1728.00
2	बी/डब्लू 1:5	80.56*0.27	21.75	150.00	3262.50
3	आरसीसी/पीसीसी	8.55*0.45	3.84	150.00	576.00
4	एसटी प्वाइंट	80.60*0.003	0.24	65.00	15.60
				योग	5582.00
15- ग्राम सभा बरवाराजा वरईपट्टी में राजेन्द्र वर्मा के खेत के पास ड्रेन पर पुलिया कार्य।					
1	पीसीसी	25.62*0.45	11.52	150.00	1728.00
2	बी/डब्लू 1:5	75.00*0.27	20.25	150.00	3037.50
3	आरसीसी/पीसीसी	8.64*0.45	3.88	150.00	682.00
4	एसटी प्वाइंट	80.65*0.003	0.24	65.00	15.60
				योग	5363.00
16- ग्राम सभा सिन्दुरिया से सोनवल सम्पर्क कच्चे मार्ग पर टेडवा पुलिया निर्माण कार्य।					
1	सीसी ग्रेड	22.07*0.45	9.93	150.00	1489.50
2	बी/डब्लू 1:3	81.50*0.27	22.02	150.00	3303.00
3	आरसीसी	7.65*0.45	3.44	150.00	516.00
4	एसटी प्वाइंट	82.42*0.003	0.24	65.00	15.60
				योग	5324.00
17- ग्राम सभा परसा गिदही में सुरेश के खेत के पास नहर पर पुलिया।					
1	सीसी 1:4:8	45*0.45	20.25	150.00	3037.50
2	बी/डब्लू 1:3	182.51*0.27	49.27	150.00	7391.65

3	आरसीसी 1:2:4	20.87*0.45	9.36	150.00	1404.00
4	एसटी प्वाइंट	182.83*0.003	0.54	65.00	35.10
				योग	11868.00
18- मवेशीखाना कमासिन खुर्द में शेड निर्माण कार्य।					
1	सीसी 1:4:8 & 1:2:4	1.76*0.45	0.792	150.00	119.00
2	बी/डब्लू	51*0.27	13.77	150.00	2065.00
				योग	2184.00
	कुल कटौती योग-				117994.00

इस प्रकार शासनादेश के अनुसार रायल्टी ₹0 117994.00 के साथ खनिज मूल्य (रायल्टी का पॉच गुना कुल ₹0 707964.00) की रायल्टी कटौती होनी चाहिए। जबकि वर्ष में जिला पंचायत द्वारा मात्र ₹0 115683.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹0 592281.00 की रायल्टी की वसूली न कर राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार, अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राजनिहोर प्रसाद जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि गैंग फरेन्दा द्वारा विभिन्न तिथियों में अवास्तविक रूप से कराये गये कार्यों का पारिश्रमिक दिया जा रहा है। दर्शित कार्यों की व्यय पत्रावली की माँग करने पर बताया गया है उक्त कार्यों की अभी तक कोई पत्रावली नहीं बनाई गयी है। जिस कारण कार्यों का स्टीमेट, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रहा। भुगतान प्रमाणको के साथ संलग्न मस्टररेल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है जिसके कारण श्रमिकों की उपस्थिति अपुष्ट रही। प्राप्त एम0बी0 बुक में कार्य की माप अंकित नहीं है, न ही मिटटी कार्यकी मात्रा ही अंकित है ज्ञातव्य है कि मानक के अनुसार एक श्रमिक को एक दिन में कम से कम तीन घनमी0 मिटटी कार्य करना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गैंग फरेन्दा द्वारा किया गया दर्शित कार्य पूर्णतः अवास्तविक है जो वस्तुतः हुआ ही नहीं है। इस प्रकार अवास्तविक कार्यों पर भुगतान कर ₹0 397490.00 के राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्री तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद, अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्राप्त एम0बी0 बुक रोकड बही एवं भुगतान प्रमाणकों के अनुसार माहवार व्यय विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	प्रमाणक संख्या	भुगतान दिनांक	कार्य अवधि	धनराशि	कार्य का विवरण
1	13	03.04.20	01.03.20 से 31.03.20	41180.00	मिटटी कार्य रोड पटरी मरम्मत चरगहा पी0डब्लू0डी रोड से रमईता घाट तक
2	34	04.05.20	01.04.20 से 30.06.20	32100.00	01.02.20 से 20.04.20 तक जि0पं0 परिसर की सफाई एवं 21.04.20 से 30.04.20 तक चौक धरमौली सडक पटरी मरम्मत कार्य।
3	20	06.07.20	01.05.20 से 31.05.20	32100.00	रोड पटरी मरम्मत कोल्हुई लोटन मार्ग से खैरा गाँव तक।
4	42	04.06.20	01.06.20 से 30.06.20	33170.00	मिटटी कार्य रोड पटरी मरम्मत, बंगला चौराहे से भैसापुर करमहा लेहडा रोड पर।

5	13	04.08.20	01.07.20 से 31.07.20	33170.00	मिटटी कार्य रोडपटरी मरम्मत, कानापार पी0डब्लू0डी0 रोड रामपुर गुल्हरिया तक।
6	22	08.09.20	01.08.20 से 31.08.20	33170.00	रोड पटरी मरम्मत लेहडा करमहा मार्ग से चौराहे तक।
7	31	08.10.20	01.09.20 से 30.09.20	32100.00	मिटटी कार्य रोड पटरी मरम्मत फरेन्दा धानी मार्ग से सिकंदराजीत सम्पर्क मार्ग तक।
8	14	10.11.20	01.10.20 से 31.10.20	33170.00	मिटटी कार्य रोड पटरी मरम्मत पी0डब्लू0डी0 रोड से रामपुर गुल्हरिया तक
9	01	10.12.20	01.11.20 से 30.11.20	32100.00	मिटटी कार्य बगला चौराहे से भैसासुर होते हुए करमहा लेहडा तक
10	15	01.01.21	01.12.20 से 31.12.20	32100.00	मिटटी कार्य रोड पटरी मरम्मत छितही मोड से गोसाई टोला होते हुए करमहवाँ तक
11	56	04.03.21	01.01.21 से 31.01.21	33170.00	बृजमनगंज में सहजनवाँ बाबू मार्ग से सहजनवा गाँव तक पटरी रोड
12	60	04.03.21	01.02.21 से 20.02.21	29960.00	रोड पटरी मरम्मत कोल्हुई लोटन मार्ग खैरा गाव तक
				397490.00	

क्रमांक 04 एवं 09 पर एवं क्रमांक 05 व 08 पर एक ही कार्य दर्शित है, जो संदिग्ध है। इस प्रति संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-04 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 30 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल-अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के प्रस्तर-5 के अनुसार संस्था अचल सम्पत्ति पंजिका का प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक परीक्षण कराएगी और परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही करेगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप संस्था का विकास खण्ड सिसवा टाउन एरिया जो निरीक्षण गृह स्थित है उसमें विगत कई वर्षों से पुलिस चौकी संचालित है। लेखा परीक्षा में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। इस हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किराया जमा कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज से अनुरोध भी किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक तत्सम्बन्धी कोई कार्यवाही/वसूली नहीं हुयी है। प्रदत्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.20 तक अवशेष किराया ₹0 1636990.00 बकाया था। वित्तीय वर्ष 20-21 में ₹0 65415.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का किराया ₹0 784980.00 अवधारित करते हुए 31.03.21 तक कुल अवशेष किराया ₹0 2421970.00 बकाया आकलित रहा। नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय के साथ-साथ तत्सम्बन्ध में शासन को अवगत कराते हुए विधिक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य अधिकारी के साथ ही मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि ताकि जिला पंचायत को हो रही आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके एवं भविष्य में निजी स्रोत से अर्जित आय में वृद्धि हो सके। बकाया धन न वसूल कर गम्भीर अनियमितता हो रही है। आर्थिक क्षति के लिए सम्बन्धित पटल प्रमुख एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहार प्रसाद उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-05 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 30 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल-अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के प्रस्तर-5 के अनुसार संस्था अचल सम्पत्ति पंजिका का प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक परीक्षण कराएगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया

गया है। परिणामस्वरूप जनपद महाराजगंज में स्थित जिला पंचायत के समस्त दुकानों का बकाया किराया दिनांक 31.03.21 तक ₹0 5333449.00 रहा, जिसकी वसूली हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वसूली न होने के लिए समस्त कर समाहर्ता, पटल प्रमुख एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहोर प्रसाद उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नप्रकार है-

क्र0 सं0	दुकान न0	अचल सम्पत्ति (दुकान जहाँ स्थित है)	मासिक किराया	माह मार्च21 तक कुल किराया	कुल जमा किराया	31 मार्च21 को कुल बकाया किराया
1	127	मेन रोड दुकान महाराजगंज	76295.00	1270902.00	731902.00	539000.00
2	127	मेन रोड छत दुकान महाराजगंज	24551.00	1299141.00	126624.00	1172517.00
3	185	व्यापारिक प्रतिष्ठान महाराजगंज	129321.00	4157977.00	1394007.00	2763970.00
4	06	जिला पंचायत परिसर महाराजगंज	9108.00	167703.00	119961.00	47742.00
5	31	नौतनवा मेन रोड दुकान	23387.00	504046.00	325355.00	178691.00
6	25	निरीक्षण गृह नौतनवा	11510.00	258148.00	127944.00	130204.00
7	19	मवेशीखाना नौतनवा	16186.00	88176.00	0.00	88176.00
8	16	निचलौल मेन रोड	4696.00	99682.00	32746.00	66936.00
9	12	निचलौल मवेशीखाना	2820.00	60598.00	19544.00	41054.00
10	18	ठूठीबारी रोड साइट	9898.00	251799.00	80500.00	171299.00
11	16	ठूठीबारी मवेशीखाना	3148.00	106248.00	33000.00	73248.00
12	15	परियना मेन रोड	6899.00	116699.00	56087.00	60612.00
		योग-	317819.00	8381119.00	3047670.00	5333449.00

प्रस्तर-06 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग के पत्रांक-1838/33.03.2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दू-2 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतों सब्सिडीयरिटी के आधार पर कार्यों का चयन करे, अर्थात जो कार्य नीचे के स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से कराया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाये। प्रस्तर-03 के अनुसार जिला पंचायतों को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा शासनादेश के विपरीत एक ही ग्राम सभा के अन्दर कार्य कराकर नियमों की अनदेखी किया गया और न ही ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र ही लिया गया इस प्रकार संस्था द्वारा ₹0 33.60 लाख की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहोर प्रसाद एवं निमार्ण अनुभाग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	भुगतान की धनराशि (आकड़े लाख)

		रु0 में)
1	ग्राम सभा कम्हरिया बुजुर्ग के अन्दर कम्हरिया बुजुर्ग के टोला गोठवा के उत्तर पिच तक मिटटी एवं खण्डजा कार्य।	4.98
2	ग्राम सभा खुटहा बाजार के अन्दर खुटहा बाजार टेलीफोन आफिस के आगे गडढा मुक्त कार्य।	2.69
3	ग्राम सभा धनेवा धनेई के अन्दर धनेवा धनेई में शाही जी के टोले पर अवशेष सी0सी0 कार्य।	9.97
4	ग्राम सभा सिसवा नवीन के अन्दर सिसवा नवीन में पोखरे के किनारे राबिश भराई एवं रिटर्निंगवाल कार्य।	9.98
5	ग्राम सभा लेदी के अन्दर लेदी में दूबे के छावनी जाने वाले मार्ग पर अवशेष सी0सी0 कार्य।	5.98
	योग-	33.60

प्रस्तर-07 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या-1838/33.03.2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर-7 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार जिला पंचायतों को अपनी कार्ययोजना में रु0 10.00 लाख तक की परियोजनाओं तथा पंचायतीराज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-866/33.02.14-93जी/ 2004 टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 के प्रस्तर-3 के अनुसार एक से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभावन्ति करने वाले कार्यों को कार्ययोजना में सम्मिलित कर निर्माण कार्य सम्पादित करनी चाहिए, परन्तु संस्था द्वारा उक्त दोनों शासनादेशों के विपरीत एक ही विकास खण्ड के अन्दर कार्य सम्पादित कराकर उक्त कार्यों पर गंभीर अनियमितता की गई। जिसके लिए सम्पूर्ण अभियन्त्रण विभाग उत्तरदायी है। इसप्रकार समस्त कार्यों के स्थान का पता कर यह जाँच किया जाना आवश्यक है कि उक्त कार्य कहीं किसी और दूसरे कार्यदायी संस्था द्वारा तो नहीं कराया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	भुगतान की धनराशि (आकडे लाख रु0 में)
1	लेहडा बरडाड मार्ग से खरहनिया तक गडढामुक्त कार्य।	धानी	2.44
2	छितही मोड गोसाई टोला होते हुए करमहाँ तक गडढा मुक्त कार्य।	धानी	0.91
3	भागवतनगर परसिया से हथौसा मार्ग तक गडढा मुक्त कार्य	फरेन्दा	0.87
4	महाराजगंज परतावल मार्ग पर सेमरा चन्दौली से बसवार जाने वाले मार्ग पर गडढा मुक्त कार्य	परतावल	2.06
5	बरगदवा थाने से देवघट्टी जाने वाले मार्ग पर 5*5 मी0 स्पान की पुलिया	नौतनवा	8.98
6	पनियरा के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग अडबडहवा करियारी टोला तक अनुरक्षण कार्य।	पनियरा	4.97
		योग-	20.23

इस प्रकार एक ही क्षेत्र पंचायत में कार्य कराकर रु0 20.23 लाख की गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहार प्रसाद, अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं अभियन्त्रण अनुभाग जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-08 -जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यो में ठेकेदार के साथ जो अनुबन्ध किये गये थे, वे मात्र रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर थे, जबकि शासनादेश संख्या- 429(2)-10-75-1-2 के/सी/5-1988 दिनांक 26.04.1988 एवं शासनादेश संख्या- क0स0वि05-714/11-99 दिनांक 04.04.1999 के अनुसार जमानत धनराशि पर नगद की स्थिति में रु0 125.00 प्रति हजार की दर से जमानत एफ0डी0 अथवा एन0एस0सी0 होने पर रु0 70.00 प्रति हजार की दर से स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध किये जाने चाहिए। परन्तु आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त, जिला निधि एवं कच्ची सड़क मरम्मत मद से निर्माण कार्य भुगतान रु0 271219049.00 (मासिक लेखे के आधार पर) कम से कम रु0 70.00 प्रति हजार की दर से रु0 18985333.00 के स्टॉम्प पर अनुबन्ध सम्पादन न राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद, अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं लेखाकारी श्री पुरुषोत्तम कुमार उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में भुगतान प्रमाणकों के साथ संलग्न बिल/वाउचर बिना जी0एस0टी0 नम्बर के है। बिना जी0एस0टी0 नम्बर के वाउचर नियमानुसार अमान्य है-

क्र0सं0	भुगतान प्रमाणक संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	बिल वाउचर का सं0 एवं दिनांक	धनराशि
1	71/27.04.20	श्री साई हार्डवेयर	522/26.02.20	3010.00
2	14/01.07.20	देव प्रिंटर्स	169/24.06.20	4950.00
3	07/01.06.20	महालक्ष्मी वस्त्रालय	119/20.03.20	4685.00
4	08/01.06.20	महालक्ष्मी वस्त्रालय	112/19.03.20	4800.00
5	09/01.06.20	महालक्ष्मी वस्त्रालय	105/18.03.20	4980.00
6	154/12.01.21	इंडियन कम्प्यूटर्स	235/05.01.21	1380.00
7	155/12.01.21	स्पेक्ट्रम एक्वा सर्विस	225/06.11.20	4395.00
8	157/12.01.21	इंडियन कम्प्यूटर्स	204/09.10.20	800.00
9	160/12.01.21	अमित फोम हाउस	561/26.11.20	1550.00
			योग-	30550.00

इस प्रकार रु0 30550.00 बिना जी0एस0टी0 नम्बर के बिल वाउचरों पर भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार, अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत वाहन संख्या यू0पी0-56/टी0 8054 के वर्ष 2020-21 के लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि लागबुक में यात्रा स्थल दर्शित है परन्तु यात्रा का उद्देश्य कालम रिक्त है। निरीक्षण आख्या एवं रिपोर्ट कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किये जाने के बावजूद अप्राप्त रही। इस प्रकार उद्देश्य विहिन यात्रा पर किया गया व्यय रु0 8751.85 दुरुपयोगित रहा, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद, लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार एवं पटल प्रमुख श्री बी0बी0 सिंह जिम्मेदार है। विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र० सं०	दिनांक	यात्रा स्थल		यात्राकर्ता	दूरी	मीटर रीडिंग	
		कहाँ से	कहाँ तक			कहाँ से	कहाँ तक
1	30.05.20	जि०पं०मु०	नईकोट नौतनवा	अ०मु०अधि०	165	60952	61117
2	28.07.20	जि०पं०मु०	निचलौल	अ०मु०अधि०	50	69385	64435
3	04.08.20	जि०पं०मु०	नवनीघाट	अ०मु०अधि०	120	64585	64705
4	05.08.20	जि०पं०मु०	बैठवलिया	अ०मु०अधि०	65	64705	64770
5	10.08.20	जि०पं०मु०	रानियपुर	अ०मु०अधि०	70	64786	64856
6	11.08.20	जि०पं०मु०	मु०/चौक	अ०मु०अधि०	40	64856	64896
7	08.01.21	जि०पं०मु०	फरेन्दा मेहदावल ल०	अ०मु०अधि०	320	74157	74477
8	09.01.21	जि०पं०मु०	लखनउ सचिवालय	अ०मु०अधि०	30	74477	74507
9	10.01.21	जि०पं०मु०	मेहदावल फरेन्दा मह०	अ०मु०अधि०	298	74507	74805
10	22.01.21	जि०पं०मु०	मुख्यालय सिंहपुर खुटहा	अ०मु०अधि०	35	75469	75504
				योग-	1193		

इस प्रकार 1193 किमी० यात्रा पर 1193 किमी० यात्रा पर 10 कि०मी० औसत दर से 1190.30 ली० डीजल खर्च हुआ। जिसका मूल्य ₹ 73.36 प्रति लीटर की दर से ₹ 8751.85 अवधारित है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 -जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन सं० यू०पी० 56/टी०सी०- 8054 के वर्ष 2020-21 के लॉगबुक की जाँच में पाया गया कि उक्त वाहन की विभिन्न तिथियों में काजी हाउस निरीक्षण, निर्माण कार्य निरीक्षण एवं वसूली हेतु चलाया जाना दर्शित है। उक्त की पुष्टि में निरीक्षण आख्या, वसूली प्रगति रिपोर्ट एवं भ्रमण पंजिका बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किये जाने के बावजूद भी अप्राप्त रहा। संस्था द्वारा बताया गया कि उक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। लॉग बुक के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यात्राएँ निजी हित में करके अवास्तविक रूप से शासकीय हित में दर्शित करते हुए मीटर रीडिंग को समायोजित किया गया है। मीटर रीडिंग को रजिस्टर किया है। क्योंकि एक ही स्थान की यात्रा उल्प अन्तराल में ही कईबार दुहराया गया है। इस प्रकार की गई यात्रायें राजकीय हित में प्रतीत नहीं होती हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस प्रकार की गयी यात्रा 1430 कि०मी० आकलित है, जिसका 10 कि०मी० प्रति लीटर की दर से 1339 लीटर ईंधन व्यय हुआ है जिसका मूल्य ₹ 73.36 ₹ 105565.00 प्रति लीटर की दर से आंकलित है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिसके लिए लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार, अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद एवं पटल प्रमुख श्री बी०बी० सिंह जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 -जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रयोगार्थ वाहन संख्या- यू०पी० 56 टी० 6838 के लॉगबुक की जाँच में पाया गया कि लॉगबुक में यात्रा स्थल दो दर्शित हैं परन्तु यात्रा का उद्देश्य कॉलम रिक्त है। भ्रमण पंजिका अप्राप्त रहा। इस प्रकार उद्देश्य विहीन यात्रायें दर्शाकर ईंधन का अपव्यय किया गया है। विवरण इस प्रकार है।

1	दिनांक 01.05.20 से 30.05.20 तक की गयी यात्रा (प्रा० रीडिंग 99515 अन्तिम रीडिंग 101272)	1757 कि०मी०
2	दिनांक 25.07.20 से 20.11.20 तक की गयी यात्रा (प्रा० रीडिंग 109607 से अन्तिम रीडिंग 116520)	6913 कि०मी०
	कुल	8670 कि०मी०
	10 कि०मी० प्रति लीटर की दर ईंधन 867 लीटर ₹ 73.36 प्रति लीटर की दर से मूल्य- 63603.12 ₹	

इस प्रकार रू0 63603.12 की वित्तीय अनियमितता के जिम्मेदार जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल चौहान, अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसार एवं लेखाकारी श्री पुरुषोत्तम कुमार व पटल प्रमुख श्री बी0बी0 सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन संख्या यू0पी0 56/टी-6838 के लॉगबुक के अनुसार दिनांक 30.05.2020 को गाडी की मीटर रीडिंग 101272 थी उसके बाद गाडी दिनांक 24.07.20 से चलाई गयी जिसकी प्रारम्भिक रीडिंग 109507 थी। इस प्राकर दिनांक 01.06.20 से 23.07.20 की अवधि में 109507-101272=8235 किमी0 गाडी चली जिसकी प्रविष्टि लॉगबुक में नहीं की गयी है। इस प्रकार उक्त अवधि में 8235 किमी0 पर लगे ईंधन 10किमी0 प्रति लीटर की दर से 823.50 लीटर मूल्य 73.36 प्रति ली0 की दर से 60411.96 का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल चौहान, अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद, लेखाकारी श्री पुरुषोत्तम कुमार एवं पटल प्रमुख श्री बी0बी0 सिंह जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27.10.2020 को प्रमाणक संख्या 104 द्वारा रोकड बही अनुसार जिला पंचायत के कांजी हाउस पर 02 अदद सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य पर रू0 212985.00 का भुगतान नेडा को किया गया है उक्त पत्रावली में मात्र नेडा द्वारा जारी स्टीमेट एवं भुगतान आदेश संलग्न है। परन्तु न तो नेडा द्वारा लगाये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है न ही कार्यस्थल का विवरण अंकित है और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन ही कराया गया है, जिससे इनकी क्षमता आदि की स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार बिना उचित पुष्टि के रू0 212985.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा, जिसके लिए लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत के चिमनी ईट भटठा के लाइसेन्स शुल्क की मॉग एवं वसूली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में लाइसेन्स शुल्क बकाया रू0 2913100.00 रहा। ये धनराशियां मुख्यतः पूर्व वर्षों बकाया धनराशि है। निम्नानुसार विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान मॉग की वसूली कर ली गयी है। परन्तु विगत वर्षों के बकाया/विलम्ब शुल्क की वसूली हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही है। जातव्य है कि स्वीकृत 12 पदों के विरुद्ध 10 कर समाहर्ता नियुक्त है। विगत वर्ष की वसूली रू0 3077451.00 के सापेक्ष वर्षालोच्य में वसूली रू0 3156295.00 रहा इस प्रकार वृद्धि रू0 2.56 प्रतिशत रहा जो न्यूनतम है। मॉग में वृद्धि कर एवं बकाया के वसूली हेतु समुचित वैधानिक कार्यवाही आवश्यक है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी, वसूली अधिकारी एवं सम्बन्धित पटल सहायक जिम्मेदार है- नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कर समाहर्ता का नाम	वर्तमान मॉग	पुराना बकाया	कुल योग	वसूली	शेष धनराशि
1	पनियरा	श्री रामायण सिंह	174150	49100	223250	153150	70100
2	सिसवा	श्री शैलेश पटेल	540410	212200	752610	524010	228600
3	परतावल	श्री अवनीन्द्र प्र0 मिश्र	241220	49100	290320	220220	70100

4	सदर	श्री जियालाल	384350	217310	601660	400660	201000
5	धानी	श्री रविन्दर मिश्र	73070	34500	107570	73070	34500
6	मिठौरा	श्री शिवमूर्ति सिंह	336230	171600	507830	252230	255600
7	घुघली	श्री सुशील त्रिपाठी	316240	317310	633550	257850	375700
8	बृजमनगंज	श्री गोपाल यादव	204180	90510	294690	206190	88500
9	फरेन्दा	श्री संदीप सिंह	173170	6900	180070	173170	6900
10	लक्ष्मीपुर	श्री रामायण सिंह	273245	41105	314350	254250	60100
11	नौनतवा	श्री गोपाल यादव	316155	208900	525055	232155	292900
12	निचलौल	श्री शैलेश सिंह	787340	851100	1638440	409340	1229100
		योग-	3819760	2249635	6069395	3156295	2913100

प्रस्तर-16 -जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कांजी हाउस में गायों के संरक्षण हेतु चोकर मद में ₹0 1091250.00 एवं भूसा मद में ₹0 2135582.00 कुल ₹0 3226832.00 व्यय दर्शित है। उक्त की पुष्टि में कांजी हाउस में संबन्धित पशुओं की प्रमाणित संख्या की सत्यापित सूची अनुपलब्ध रहा। साथ ही कांजी हाउस के स्टॉक रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहा जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि किस कांजी हाउस पर कितना उपयोग एवं अवशेष रहा। ज्ञातव्य हो कि चोकर एवं भूसा प्रति पशु प्रतिदिन ₹0 30.00 अनुमन्य है। संस्था द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार मांग किये जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया तथा सम्बन्धित पटल सहायक द्वारा बताया गया कि कांजी हाउसों पर स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं है। निरीक्षण प्रभारी द्वारा निरीक्षण आख्या भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार बिना प्रमाणित उपभोग के चोकर एवं भूसा पर किया गया व्यय ₹0 3226832.00 अनियमितता का द्योतक है। इसके दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए पटल प्रभारी श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक, लेखाकार श्री पुरुषोत्तम कुमार, अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद एवं संबन्धित निरीक्षण प्रभारी जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	कांजी हाउस का नाम	चोकर		भूसा	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	चरगहा	116 बोरी	130500	296.95 कुन्तल	227900
2	चौक	120 बोरी	135000	336.80 कुन्तल	292272
3	झिगडी	75 बोरी	84375	137.75 कुन्तल	136372
4	नवाबी घाट	24 बोरी	27000	57 कुन्तल	46630
5	सिंहाभार	100 बोरी	112500	214.40 कुन्तल	192656
6	नईकोट	81 बोरी	91225	171.15 कुन्तल	154738
7	परतावल	96 बोरी	108000	249.40 कुन्तल	247252
8	सेमरा महाराज	60 बोरी	67500	100.35 कुन्तल	84646
9	कमर्सिन खुर्द	113 बोरी	127125	294.50 कुन्तल	267055
10	चन्दन माफी	108 बोरी	121500	270.35 कुन्तल	250986
11	पिपरा परसौनी	53 बोरी	59625	165.40 कुन्तल	163746
12	बैठवलिया	24 बोरी	27000	72.05 कुन्तल	71329

योग-	970 बोरी	1091250	2366.45 कुन्तल	2135582
कुल योग- 3226832.00 रु0				

प्रस्तर-17 -जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कांजी हाउसो पर श्रमिक का भुगतान रु0 185.00 की दर से अनुमन्य है, जबकि संस्था द्वारा रु0 305.00 एवं रु0 185.00 दोनो की दर से भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु0 305.00 की दर से किया गया भुगतान अनुयमित रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	कांजी हाउस का नाम	दर	श्रमिक संख्या	दिवस	वर्ष में किया गया भुगतान (रु0 305.00 दर से)	अनुमन्य (रु0 108.00 दर से)	अधिक किया गया भुगतान
1	चरगहा	305.00	01	364	111020.00	67340.00	43680.00
2	चौक	305.00	01	364	111020.00	67340.00	43680.00
3	झिगडी	305.00	01	365	111325.00	67525.00	43800.00
4	नवाबी घाट	305.00	01	365	111325.00	67525.00	43800.00
5	सिंहाभार	305.00	01	365	111325.00	67525.00	43800.00
6	नईकोट	305.00	01	365	111325.00	67525.00	43800.00
7	परतावल	305.00	01	364	111020.00	67340.00	43680.00
8	सेमरा महाराज	305.00	01	365	111325.00	67525.00	43800.00
9	कमर्सिन खुर्द	305.00	01	364	111020.00	67340.00	43680.00
10	चन्दन माफी	305.00	01	364	111020.00	67340.00	43680.00
11	पिपरा परसौनी	305.00	01	365	111325.00	67525.00	43800.00
12	बैठवलिया	305.00	01	365	111325.00	67525.00	43800.00
	योग-						525000.00

इस प्रकार रु0- 525000.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए पटल प्रभारी श्री राजेश कुमार, लेखाकारी श्री पुरुषोत्तम कुमार, अपर मुख्य अधिकारी श्री रामनिहोर प्रसाद एवं संबन्धित निरीक्षक प्रभारी जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 - जिला पंचायत महाराजगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के सम्पत्ति एवं विभव कर के मांग वसूली एवं बकाया की जाँच में पाया गया कि वर्षालोच्य में रु0 2175852.00 की डिमाण्ड लगी और वर्ष दौरान रु0 2186982.00 की वसूली की गई। इस प्रकार पुराने बकाया सहित दिनांक 31.03.21 को रु0 3399008.00 बकाया अवशेष रहा, जो मूलतः पुराना बकाया है। निम्न विवरणानुसार दर्शित ब्लाकवार आंकड़ों से विदित होता है कि जितने की वसूली होती है लगभग इतना ही डिमाण्ड में दर्शाया गया है। बकाये की वसूली हेतु केवल नोटिस दिया गया है लेकिन उसके बाद डिमाण्ड जारी नहीं किया गया और न ही कोई बैधानिक कार्यवाही ही की गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित कर समाहर्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहोर प्रसाद उत्तरदायी है:- नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	कर समाहर्ता का नाम	वर्तमान मॉग	पुरान बकाया	कुल योग	वसूली	शेष बकाया
1	लक्ष्मीपुर	श्री रामायण सिंह	206382	396760	603142	206382	396760
2	सिसवा	श्री शैलेश पटेल	248490	139480	387970	248490	139480
3	नौतनवा	श्री गोपाल यादव	143130	1513089	1656219	143130	1513089
4	बृजमनगंज	श्री गोपाल यादव	147750	178410	326160	147750	178410
5	धानी	श्री रविन्द्र यादव	68460	41690	110150	68460	41690
6	फरेन्दा	श्री संदीप सिंह	148860	137982	286842	146860	139982
7	पनियरा	श्री रामायण सिंह	115590	55540	171130	115590	55540
8	घुघुली	श्री सुशील त्रिपाठी	225630	0	225630	225630	0
9	सदर	श्री जियालाल	309360	185360	494720	323390	171330
10	मिठौरा	श्री शिवमूर्ति सिंह	143580	192610	336190	142680	193510
11	निचलौल	श्री शैलेश सिंह	178830	122717	301547	178830	122717
12	परतावल	श्री अनवीन्द्र प्रताप सिंह	239790	446500	686290	239790	446500
		योग-	2175852	3410138	5585990	2186982	3399008

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020.21

जनपद का नाम: जालौन

मण्डल का नाम: झांसी

जिला पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ -

प्रस्तर-1- उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या-1/2017- सी०ए०-400/ दस/2017- सित०-1 /2017 दि० 24 सितम्बर 2017 के अनुसार कार के लिये ₹0 1000.00 तथा जीप के लिये आवंटित वाहन पर ₹0 800.00 प्रतिमाह कटौती की जानी चाहिये किन्तु संस्था द्वारा अपर मुख्य अधिकारी विजय प्रकाश वर्मा का आवंटित वाहन पर कोई कटौती नहीं किया गया है। इस प्रकार दिनांक 01-02-2020 से 31-03-2021 तक /800.00 प्रतिमाह की दर से 14 माह की कटौती न कर ₹0 11200.00 की संस्था को हानि पहुंचायी गयी। अतः श्री विजय प्रकाश वर्मा अपर मुख्य अधिकारी से ₹0 11200.00 की वसूली मय सूद की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं०- 04

प्रस्तर-2 - शासन द्वारा निर्माण कार्यो में डुप्लीकेसी को रोकने हेतु चतुर्थ रा०वि० आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 एवं शासनादेश सं० 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। किन्तु उक्त का परिपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश सं० 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दु 03 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करायेगी तथा बिन्दु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो में ₹0 10 लाख की लागत से अधिक

की परियोजनायें ही अधिकांश रूप से अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित की जायेगी। जिसका संस्था द्वारा उल्लंघन किया गया है, साथ ही 30प्र0 शासन जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक सं-305(1)33-सेल/2019 दिनांक 26 फरवरी 2019 के प्रस्तर 01 के क्रमांक 11 के अनुसार जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मार्ग निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जाये तथा क्रमांक 19 में अनुरक्षण के कार्य में मूल निर्माण कार्य का वर्ष तथा पूर्व में किये गये अनुरक्षण कार्य का वर्ष अंकित करना अनिवार्य है। लेपनकार्यों का सतह नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के चक्रानुक्रम में किया जायेगा। उक्त का भी अनुपालन नहीं किया गया है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। संस्था द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत की कार्ययोजना में अधिकांश कार्य 10 लाख से ऊपर एवं ग्राम पंचायत के बाहर कार्य कराये गये हैं। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है। अतः शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार रूपया 300.940 लाख की स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर कार्य का सम्पादन कराया गया है। जो अनियमित रहा। जिसके लिये अपर मुख्यअधिकारी विजय प्रकाश वर्मा एवं वित्त परामर्शदाता श्री आर0के0 श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के बाहर के कार्य-

क्र0सं0	कार्य का नाम व स्थान राज्य वित्त योजनातर्गत	लाख में
1	ग्राम परेथा में मुख्य मार्ग (मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र) से प्राईमरी स्कूल तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य (कोंच)	9.806
2	ग्राम हथनाबुजुर्ग में नाले की पुलिया से देवी के मन्दिर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य (जालौन)	6.977
3	ग्राम हथेरी में इन्टर लॉकिंग मार्ग से प्रा0वि0 तथा सी0सी0 व पुलिया निर्माण कार्य (जालौन)	9.974
4	ग्राम धनौरा कलाँ (पुलिया) में मुख्य मार्ग से कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (जालौन)	7.525
5	ग्राम कुढेरे में खडण्जा मार्ग से मन्दिर (पुलिया) तक सम्पर्क मार्ग में खडण्जा निर्माण (रामपुरा)	3.230
6	ग्राम जमरोही खुर्द में मन्दिर के पास कुँआ से सलारोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (कोंच)	5.352
7	ग्राम धमसेनी में श्याम किशोर के बाड़ा से मरघट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (कोंच)	7.091
8	ग्राम भरसूडा में सी0सी0रोड से मैकासुर बाबा तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य (कोंच)	2.306
9	ग्राम व्यौना रियासत में मैन रोड से हरिजन वस्ती (सरवन सिंह जाटव के मकान) तक सी0सी0 रोड व पुलिया निर्माण कार्य (नदीगांव)	9.994
10	ग्राम खकल्ल में डामर रोड से काली मइया मन्दिर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य (नदीगांव)	9.937
11	ग्राम जमरोही में शमसान घाट (तलैया) से नहर तक सम्पर्क मार्ग में खडजा निर्माण कार्य (माधौगढ़)	6.134
12	ग्राम अण्डा में जिला पंचायत नाले पर (नवी वक्स चच्चा के मकान के पीछे) पुलिया निर्माण (कोंच)	4.839
13	ग्राम करसान में मुख्य मार्ग से छोटे सिंह के मकान तक खडण्जा निर्माण कार्य (डकोर)	5.218
14	ग्राम लौना में खडण्जा मार्ग से मलंगा नाला तक खडण्जा निर्माण कार्य। (महेवा)	4.010
15	ग्राम बम्हौरा में हनुमान जी मन्दिर से नदी तक खरंजा निर्माण कार्य (महेवा)	2.921
16	ग्राम कुन्द्रऊ में पुलिया (डामर रोड) से मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (माधौगढ़)	5.406
17	ग्राम विरगुवाँ में शवदाह गृह का निर्माण कार्य (माधौगढ़)	7.724

18	ग्राम अतरछला में जिला पंचायत इंटरलॉकिंग मार्ग से तरसौर चैकडैम तक सी0सी0रोड़ निर्माण (जालौन)	4.918
19	ग्राम सिमिरिया में जू0हा0 से बजरंग वली मन्दिर तक सी0सी0रोड़ निर्माण कार्य (डकोर)	3.956
20	ग्राम सतोह में लाबू खाँ के मकान से स्वास्थ्य केन्द्र तक तक नाला निर्माण (कोंच)	8.632
21	ग्राम पड़री में गया कुआ से श्री महादेव जी के प्राचीन मन्दिर (पुलिया) तक सी0सी0रोड़ निर्माण (कोंच)	5.676
22	ग्राम सचारा में प्राथमिक पाठशाला से पंचायत भवन तक सी0सी0 रोड़ निर्माण (महेबा)	9.586
23	ग्राम मुसमरिया में रा0इ0 का0 से गांव तक सम्पर्क मार्ग के शेष भाग में सी0सी0 रोड़ निर्माण (महेबा)	1.600
24	ग्राम जैसारी कला में सी0सी0रोड़ से गंधा पुल तक तक सी0सी0 रोड़ (डकोर)	9.278
25	ग्राम कपासी में प्रा0वि0 से बड़ा तालाब पुलिया तक रोड़ निर्माण (डकोर)	9.252
26	ग्राम पहाड़पुरा में कामाख्या देवी मन्दिर मार्ग से जू0हा0 मार्ग (सी0सी0मार्ग) तक रोड़ निर्माड कार्य (जालौन)	8.265
27	ग्राम विचौली में बम्बी से देवी जी के मन्दिर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण (कुठौंद)	9.719
28	ग्राम इटौरा में संस्कृत महाविद्यालय के पास नाला निर्माण (कदौरा)	5.279
29	ग्राम दमरास में अटरा मार्ग में पशुबाजार तक नाला निर्माण (महेवा)	8.582
30	ग्राम अकोढी दुवे में पंचायत भवन से मरघट तक नाला निर्माण (जालौन)	7.428
31	ग्राम कुठौंद में मैन रोड़ से सचिवालय के पीछे तालाब तक नाला निर्माण (कुठौंद)	5.741
32	ग्राम कुठौंद में प्रेम सिंह कोटेदार के मकान के पीछे से बड़े तालाब तक तक नाजा निर्माण कार्य (कुठौंद)	9.339
33	ग्राम मुसमरिया में डा0 गुलाटी की पुलिया से नाला तक नाला निर्माण कार्य (महेवा)	9.262
34	ग्राम महेवा में देवी दयाल पाल के घेरा से नदी की ओर नाला निर्माण (महेवा)	9.653
35	ग्राम मिनौरा (कालपी) में डामर रोड़ से राम प्रताप के खेत तक नाला निर्माण (डकोर)	8.602
36	ग्राम परैथा में बुद्ध में मकान से पंचायत भवन के पास (राम खिलौने के मकान) तक नाला निर्माण (कोंच)	4.319
37	ग्राम सिहारी पडैया के मजरा कसपुरा में डामर रोड़ से तालाब तक नाला निर्माण कार्य (नदीगांव)	7.457
38	विरगुवाँ बुजुर्ग में गांव के बाहर तालाब (सामुदायिक शौचालय) से शवदाह गृह तक सम्पर्क मार्ग से खड़जा पुलिया व सुरक्षा दीवार का निर्माण (कोंच)	9.636
39	ग्राम रतनपुरा में ट्रांसफार्मर से गांव (इंटरलॉकिंग मार्ग) होते हुये शंकर जी मन्दिर तक सी0सी0रोड़ व क्रासिंग निर्माण कार्य (कोंच)	4.948
40	ईगुई खुर्द में आंगनवाड़ी केन्द्र से मबतन तक सी0सी0रोड़ निर्माण कार्य (कोंच)	1.911

41	ईगुईकला मे रेलवे क्रॉसिंग से पूर्व मा0वि0 तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (कॉच)	9.812
42	ग्राम छिरावली में सुपर सिंह के मकान से पुलिया तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (कॉच)	8.453
43	ग्राम बसोब में सी0सी0 रोड से बाहराही देवी जी के मन्दिर तक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र पंचायत भवन तक सी0सी0रोड निर्माण (कॉच)	5.724
44	ग्राम दौलतपुरा (कालपी) में सामुदायिक शौचालय से गौशाला होते हुये देवी जी के मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (डकोर)	5.468
	योग	300.940

मूल आपत्ति सं0- 05

प्रस्तर-3 जिला पंचायत जालौन द्वारा 30प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2ग(ख) के प्रावधानों के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन/मोबाइल टावर आदि को नियंत्रित/नियमित करने हेतु तैयार की गयी उपविधि के अनुसार (शासकीय गजट में प्रकाशन तिथि 14 जून 2014 से प्रभावी) टेलीफोन/मोबाइल टावर का लाइसेन्स शुल्क प्रति वर्ष ₹0 5000.00 निर्धारित किया गया तथा लाइसेन्स शुल्क 31 मार्च तक जमा न करने की दशा में विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने का प्राविधान किया गया है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 47 टेलीफोन/मोबाइल टावर स्थापित हैं जिनसे उपविधि के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाइसेन्स शुल्क वसूल नहीं किया गया है जिससे संस्था को प्रतिवर्ष ₹0 2.35 लाख की हानि हो रही है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही/नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0- 06

प्रस्तर-4 30प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2ग(ख) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित नये कारखानों, दुकान, संग्रह केन्द्र एवं अन्य व्यवसाय आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु देशी, विदेशी मदिरा एवं वियर की दुकानों से प्रतिवर्ष ₹0 1000.00 प्रति दुकान की दर से लाइसेन्स शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। शुल्क 31 मार्च 2021 तक न जमा करने की स्थिति में विलम्ब शुल्क के साथ वसूलने का प्राविधान किया गया है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 210 देशी, विदेशी मदिरा एवं वियर की दुकानों के कोटा/लाइसेंस के सापेक्ष संस्था द्वारा मात्र 71 देशी, विदेशी मदिरा एवं वियर की दुकानों के लाइसेंस प्रदान किये गये थे इस प्रकार संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों के गंभीर प्रयास न किये जाने के कारण शेष 139 से वसूली न कर रु 139000/- की हानि की गई है। इस प्रकार संस्था को वर्ष दौरान ₹0 1,39,000/- की हानि हुयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा कर अधिकारी व सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही/नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0- 07

प्रस्तर-5 वर्ष 2020-21 में मृत पशु शव निस्तारण मद में संस्था को ₹0 40900.00 की आय हुई है किन्तु 30प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 682/13-13/33-3-14(2) 184 दिनांक 10.03.1987 एवं पत्र सं0 2203/33-3-97-4313/8-95 टी.सी. लखनऊ दि. 30.05.1997 तथा शासनादेश सं0 2987/1/33-2-2005-15 वी0 14/02 दि0 17.10.2002 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु 50 प्रतिशत अंश ₹0 20450.00 का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त आय की ग्राम पंचायत वार सूची बनाकर के 50प्रतिशत राशि सम्बन्धित ग्रामपंचायत को भुगतान किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0- 10

प्रस्तर-6 जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उप धारा 2ग (ख) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पम्पों से ₹0 5000 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क की वसूली की जानी चाहिये। जिला पूर्ति अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 43 पेट्रोल पम्प कार्यरत हैं जिसमें से मात्र 10 की वसूली ही हो रही है, शेष 33 पेट्रोल पम्पों से कोई वसूली नहीं की जा रही है जिससे संस्था को प्रति वर्ष ₹0 165000 की क्षति हो रही है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह कर अधिकारी, श्रीमती स्वप्ना सिंह एवं सम्बन्धित फील्ड स्टाफ उत्तरदायी रहा। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही/नियमानुसार वसूली अपेक्षित है। मूल आपति सं0- 21

प्रस्तर-7 यू0पी0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 के प्रस्तर 14-15(4) के अनुसार निर्माण कार्य हेतु समान्यतः कम से कम 03 सफल तकनीकी निविदा प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु यदि सफल तकनीकी निविदायें 03 से कम हो और अधिप्राप्ति अधिकारी अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को जारी रखना अति आवश्यक समझता हो तो उसे अधिप्राप्ति प्रक्रिया कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये अग्रिम कार्यवाही करना चाहिये। संस्था द्वारा निम्न अवलोकित पत्रावलियों में 02 सफल तकनीकी निविदा प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया गया है तथा कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया है जो उचित नहीं है।

क्र0स0	कार्य का नाम व स्थल का नाम	अवधि	व्यय राशि
1	ग्राम अमीटा में राज० आयुः चिकित्सालय के आगे से पंचायत भवन होते हुये स्वास्थ्य केन्द्र तक खरंजा व पुलिया निर्माण कार्य (डकोर)	23.06.2020 से 22.08.2020	9.968
2	जालौन हरदोई मार्ग से ग्राम छानी खास (सी०सी० मार्ग) तक सम्पर्क मार्ग का अनुरक्षण कार्य	11.02.2021 से 11.04.2021	9.845
3	परिसर में स्थित आवासों की मर० व जिलापंचायत की दुकानों के सामने नाली व अन्य मरम्मत कार्य	22.06.2020 से 21.08.2020	9.845
4	ग्राम हमीरपुर शाख मार्ग से ईगुईकला खरेला जमरोही सम्पर्क मार्ग में मरम्मत कार्य (कोच)	20.10.2020 से 20.11.2020	5.588
5	ग्राम पिथुऊपुर में शंकर जी के मन्दिर से गांव के बाहर तक नाला निर्माण कार्य (महेवा)	24.07.2020 से 23.09.2020	9.548
6	ग्राम छौना में जगरूप कुशवाहा के मकान से गांव के बाहर बड़े नाले तक नाला निर्माण (रामपुरा)	17.06.2020 से 16.08.2020	9.824
7	ग्राम महरौली में मुख्य मार्ग से काली मझ्या स्थान तक खरंजा निर्माण (रामपुरा)	12.06.2020 से 11:08 2020	3.330
8	जगम्मनपुर-कजौसा मार्ग में मैकासुर बाबा तक खरंजा व पुलिया निर्माण (रामपुरा)	12.06.2020 से 11:08 2020	4.057
9	जगम्मनपुर-वेनीपुर मार्ग से कब्रिस्तान तक खरंजा निर्माण (रामपुरा)	17.06.2020 से 16:08 2020	1.484
10	इंटों-पिचौरा मार्ग से ग्राम मदनेपुर (सी०सी० मार्ग) तक खरंजा निर्माण (रामपुरा)	12.06.2020 से 11.08.2020	3.213
11	ग्राम कुँवरपुरा में तेजराम के प्लांट से मरघट तक खरंजा निर्माण कार्य (कोच)	18.06.2020 से 17.08.2020	4.912
12	नवादा मार्ग से ईंटों-पिचौरा मार्ग तक खरंजा निर्माण (रामपुरा)	12.06.2020 से 11.08.2020	5.167

13	जिला पंचायत स्वामित्व भवन उ०प्र० वीज प्रमाणीकरण कार्यालय (जिला पंचायत कार्या० परिसर) में रंगाई-पुताई फर्श व अन्य मरम्मत कार्य (डकोर)	22.06.2020 से 21.08.2020	9.958
14	उरई-राठ मार्ग से ग्राम मुहम्मदाबाद हरिजन वस्ती होते हुये सरकारी ट्यूबवेल (पानी की टंकी) तक खरजा निर्माण (डकोर)	18.06.2020 से 17.08.2020	6.168
	योग		94.334

उक्त स्थिति के कारण संस्था को कम्पटीशन (प्रतिस्पर्धा) का यथोचित लाभ नहीं मिल पाता तथा ठेकेदारों द्वारा आपसी सांठ-गांठ (मिली-भगत) की भी सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त अनियमिता हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा एवं वित्त परामर्शदाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव व अभियन्ता श्री गजराज सिंह उत्तरदाई रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति सं०- 26

प्रस्तर-8 शासनादेश सं० 5837/33-2-2017-122 जी०/17 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के प्रस्तर (1) के क्रमांक 8 के अनुसार कन्टीजेन्सी/सेसकर का निर्धारण आकलित लागत में जी०एस०टी० जोड़ने के उपरान्त प्राप्त लागत पर किया जाना है जबकि संस्था द्वारा मात्र आंकलित मूल लागत पर 1 प्रतिशत सेस का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार सेस का कम निर्धारण कर ठेकेदार को लाभान्वित किया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में सी जी एस टी /एस जी एस टी 2% की दर से ठेकेदारों से ₹ 4791460.00 की कटौती करके चालान द्वारा सम्बन्धित विभाग को जमा किया गया है। इस प्रकार 12% जी एस टी ₹ 28748760 होता है। जिसका 1% लेवर सेस ₹ 287488.00 होता है। जिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से करके जमा कराया जाये। उक्त हेतु अपर मुख्य अधि० श्री विजय प्रकाश वर्मा वी पी एड श्री आर०के० श्रीवास्तव एवं एकाउण्टेन्ट उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही/नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

मूल आपति सं०- 28

प्रस्तर-9 30 आलोच्य वर्ष 2020-21 के निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि संस्था द्वारा निर्माण कार्यों के अनुबंध पर स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर न लगा करके मात्र ₹ 100.00 के स्टाम्प पर अनुबंध किये जा रहे हैं। जिसके कारण सरकार को राजस्व की बड़ी हानि हो रही है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर याचिका में तत्समय यह आदेश दिया था कि अनुबंध मात्र ₹ 100.00 के स्टाम्प पर किया जाना है किन्तु यह अनुबंध क्षतिपूर्ति की श्रेणी में आता है। यदि स्टाम्प शुल्क की देयता वनती है तो सम्बन्धित ठेकेदार को बाद में भुगतान करना होगा।

वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में सिविल अपील सं० 3895 ऑफ 2009 नसीरुद्दीन वनाम उ०प्र० सरकार में दिनांक 06 दिसम्बर 2017 को निस्तारण करते हुये यह व्यवस्था दी है। कि विभिन्न प्रकार के अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क की देयता स्टाम्प अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर सम्बन्धित द्वारा देव होगा। प्रमुख सचिव कर एवं संस्थागत वित्त उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्राक सं०क०नि०-714/11-99 लखनऊ दि० 12 अप्रैल 1999 के अनुसार निर्माण कार्य की निविदा के अनुबंध में प्रतिभूति धनराशि (जो स्टीमेट का 10 प्रतिशत होता है) नगद जमा करने पर ₹ 125.00 प्रति हजार व सावधि, एन०एस०सी० आदि वॉण्ड जमा करने पर ₹ 70 प्रतिहजार की दर से आगणित कर स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना चाहिये। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में ठेकेदारों से स्टाम्प नियमावली के अनुसार स्टाम्प पेपर पत्रावली में लगाये जाने चाहिये। जो नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं में 280 नये कार्यों की संविदा की गयी है जिस पर लेखा परीक्षा अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क ठेकेदारों से न जमा करके रूपया 26,48,450.00/- के राजस्व की हानि की गई है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा वित्त परामर्श श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं एकाउण्टेन्ट उत्तर दायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही/नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

व्यय का विवरण व अगणित स्टाम्प शुल्क

क्र०	योजना का नाम	निर्माण कार्यों की सं०	कुल व्यय धनराशि
1	चतुर्थ रा०वि०	154	22,27,15,200.00
2	जिला निधि	20	4,30,92,500.00
3	रा०वि०	04	23,47,800.00
4	पंचम रा०वि०	57	6,43,01,700.00
5.	15वीं वित्त (टाइड एवं अनटाइड)	44	9,39,25,000.00
6	कांजी हाउस	01	9,57,000.00
कुल व्यय योग		280	428239200.00 (जी एस टी सहित)
मूल लागत (जी एस टी छोड़कर)			382356428.00
जमा प्रतिभूति 10 प्रतिशत			38235643.00
70रु० प्रतिहजार की दर से आगणित स्टाम्प शुल्क			2676450.00
जमा स्टाम्प शुल्क 100रु० प्रतिकार्य			28000.00
कुल देय स्टाम्प शुल्क			2648450.00

मूल आपत्ति सं०- 30

प्रस्तर-10 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 1929 (J) के अनुसार संस्था द्वारा प्रोफेसनल सेवा (कानूनी व्यय आदि) पर भुगतान की जाने वाली धनराशि वर्ष दौरान यदि रु० 30000.00 या अधिक का भुगतान किया गया है तो भुगतान प्राप्तकर्ता के विल से स्रोत पर ही 10 प्रतिशत की आयकर (टी डी एस) की कटौती की जानी चाहिये किन्तु संस्था द्वारा निम्नांकित भुगतानों पर उक्त आयकर की कटौती नहीं किया गया है। इस प्रकार टी डी एस की कटौती न करके राजस्व की क्षति की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विजयप्रकाश वर्मा वित्त परामर्श दाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं एकाउटेन्ट उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही/नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता निर्धारित करो की	
1	27.06.2020	30900	श्री सुशील कुमार एडवोकेट	88150.00 का 10 प्रतिशत 8815.00
	27.11.2020			57250
2.	27.04.20	15150	श्री विजय सिंह सेंगर एडवोकेट	31600.00 का 10 प्रतिशत 3160.00
	26.12.20	16450		

योग 11975.00

मूल आपत्ति सं०- 31

जनपद का नाम - झांसी

मण्डल का नाम - झांसी

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियां

प्रस्तर -1

सम्पत्ति एवं विभव कर की जिला पंचायत झांसी की वर्ष 2020-21 की कुल बकाया की ब्लाक वार स्थिति निम्न प्रकार है -

क्र0	विकासखण्ड	गत वर्ष का शेष	चालू माग	कुल माग	वसूली	कुल अवशेष
1-	बबीना	2418050	368050	2786100	229000	2557100
2-	बडागाव	1976990	426500	2403490	252900	2150590
3-	मौठ	1468904	291000	1759904	52050	1707854
4-	चिरगाव	1809452	285050	2094502	147250	1947252
5-	मऊरानीपुर	2601410	419910	2021320	338550	2682770
6-	बंगरा	2849399	364220	3213619	88020	3125599
7-	गुरसराय	1236080	191420	1427500	113499	1314001
8-	बामौर	440650	66120	506770	100440	406330
	योग -	14800935	2412270	17213205	1321709	15891496

इस प्रकार वर्ष 2020-21 तक कुल बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर का रू0 15891496-00 है। उक्त वसूली न होने के उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारीश्री अशोक कुमारयादव, पटल प्रभारी श्री हरिओम एवं वसूली कर्मचारी हैं। वसूली के सार्थक प्रयास नहीं किये गये। इस ओर प्रबन्ध एवं उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विगत वर्ष 2019-20 तक रू0 14800935-00 का अधिभार किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 का बकाया रू0 1090561.00 की वसूली अपेक्षित है।

शासनादेश संख्या 6735 /33-3-97-213 जी /97 पंचायती राज अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 19 मार्च 1988 में जिला पंचायतों के आर्थिक सुदृढीकरण हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार जिला पंचायतों में सम्पत्ति एवं विभव कर की उपविधियां बनाकर प्रभावी नहीं की गयी है, उनको अविलम्ब बनाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासन से अनुमोदन प्राप्त किये जाये। वसूली में प्रगति लायी जाये। वसूली समयबद्ध तरीके से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -2

जनपद झांसी के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रा0 पा0/जू0 हा0 से सम्बद्ध से कृषि योग्य भूमि की नीलामी वर्ष 2018 से 2021 जून तक के लिए निम्न विवरण अनुसार विभिन्न ठेकेदारों को की गयी थी। जिसकी अवशेष वसूली रू0 210000.00 की ठेकेदारों से अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क्रसं0 प्रा0 पा0/जू0 हा0 से सम्बद्ध भूमि स्थल का विवरण ठेकेदार/बोली दाता का नाम व पता अवशेष धनराशि

1. प्रा0 पा0/जू0 हा0सकरार श्री शमशुद्दीन पुत्र नवी बक्स नि0 ग्राम व पोस्ट सकरार तह0 मऊरानीपुर जिला झांसी 85000.00
2. जू0 हा0 घाट लहचूरा श्री भानुप्रकाश पुत्र श्री ठाकुर दास नि0 व पोस्ट घाट लहचूरा तह0 मऊरानीपुर 31000.00
3. प्रा0 पा0 बंका पहाड़ी श्री मुकेश पुत्र रामप्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट बंका पहाड़ी थाना गुरसराय जिला झांसी 18000.00
4. प्रा0 पा0/जू0 हा0 अमरौख श्री अभय यादव पुत्र जनक सिंह नि0 गोपुरा तह0 मौठ जिला झांसी 30000.00

5. प्रा० पा० शाहजहांपुर श्री अभय यादव पुत्र श्री जनक सिंह नि० गोपुरा पोस्ट रौंड़ी तह० मौंठ जिला झांसी
21000.00

6. प्रा० पा० काशीपुरा श्री रामजी यादव पुत्र श्री तुलाराम नि० ग्राम काशीपुरा पोस्ट पहाड़गाँव जिला झांसी
25000.00

योग 210000.00

इस वसूली का उत्तरदायित्व पटल प्रभारी श्री देवेन्द्र धारिया एवं वसूली कर्मचारियों का है। उक्त वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -3

आलोच्य वर्ष 2020-21 में दुकान/भवन किराया की बकाया मद में वर्षान्त में अवशेष बकाया रु० 2322010.00 था। रु० 2322010.00 की वसूली अपेक्षित है। समय से वसूली न होने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति हो रही है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वसूली हेतु संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। वसूली न करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव पटल प्रभारी श्री देवेन्द्र धारिया एवं वसूली कर्मचारी उत्तरदायी हैं। अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उक्त वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -4

श्री बिहारी लाल पुत्र श्री परसादी हाल निवासी 583/3सी रितु विहार कॉलोनी, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के पीछे, ग्वालियर रोड झांसी ने तहबाजारी के ठेका वर्ष 2020-21 ई- निविदा रु० 55500101.00 का स्वीकृत हुआ था। जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत नदियों, तालाबों, नालों, पोखरों, आदि का उदगम स्थलों से निकाले जाने वाली बालू, मौरंग, बजरा, गिट्टी, बोल्टर, खंडा, आदि का खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी का वर्ष 2020-21 की अवशेष धनराशि 5000000 (मु० पचास लाख) की वसूली बिहारी लाल पाल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -5

ग्राम ककरवारा संपर्क मार्ग से रेवन श्री संतोष मास्टर के बाड़े तक लेपन रोड निर्माण कार्य पूर्ण 2020-21 में हुआ है। जिसका भुगतान रु० 1655546.00 का हुआ है। शासनादेश संख्या 1408/23-03-09-02 (जनरल) 08 मई 2000 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा आपूर्ति मूल इनवाइस इण्डियन आयल रिफाइनरी की होनी आवश्यक है। सड़क की गुणवत्ता खराब रही। निर्माण पत्रावली में इंडियन ऑयल की मूल इनवाइस नहीं लगी है। रुपए 1655546.00 का दुर्विनियोग है। इसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव, अवर अभियंता श्री राजेश सचान एवं वित्त परामर्श दाता झांसी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -6

ग्राम कदौरा में डा० दयाराम के घर से विजयपुर मध्य प्रदेश की सीमा तक शून्य से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य रु० 3188221.00 का भुगतान हुआ है। शासनादेश संख्या 1408/23-03-09-02 (जनरल) 08 मई 2000 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा आपूर्ति मूल इनवाइस इण्डियन आयल रिफाइनरी की होनी आवश्यक है। सड़क की गुणवत्ता खराब रही। निर्माण पत्रावली में मूल इनवाइस नहीं लगी है रु० 3188221.00 का दुर्विनियोग है। इसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव झांसी, अवर अभियंता श्री गोविंद कोटार्य एवं वित्त परामर्श दाता झांसी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -7

मुख्य मार्ग घाट लहचूरा से ग्राम धवाकर लिंक मार्ग पर लेपन निर्माण कार्य वर्ष 2019-20 में स्वीकृत हुआ था। अंतिम भुगतान वर्ष 2020-21 में हुआ है। निर्माण पत्रावली में मूल इनवाइस इंडियन ऑयल की नहीं लगी है। रुपए 2748000.00 का दुर्विनियोग है। शासनादेश संख्या 1408/23-03-09-02 (जनरल) 08 मई 2000 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा आपूर्ति मूल इनवाइस इण्डियन आयल रिफाइनरी की होनी आवश्यक है। सड़क की गुणवत्ता खराब रही। इसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव, अवर अभियंता श्री राजेश सचान एवं वित्त परामर्श दाता झांसी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -8

वर्ष 2020-21 की जिला पंचायत झांसी का लाइसेंस शुल्क विकास खंडवार रुपए 906964.00 अवशेष है। जिसकी वसूली की ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी झांसी श्री अशोक कुमार यादव एवं वसूली कर्मचारी व श्री भरतराम पटल प्रभारी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है

क्रम संख्या विकास खण्ड अवशेष धनराशि

1.	मऊरानीपुर	232764.00
2.	ढंगरा	195005.00
3.	वामौर	59360.00
4.	गुरसराय	155660.00
5.	बबीना	अभिलेख तैयार नहीं।
6.	बड़ागांव	69007.00
7.	मोठ	105402.00
8.	चिरगांव	89766.00
	योग	906964.00

प्रस्तर -9

शासन द्वारा निर्माण कार्यो में डुप्लीकेसी को रोकने हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र पंचायतो को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1639/33-03-2015-03/2015 दि० 19-06-2015 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-03-2015 -03/2015 दि० 31-07-2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गये है। किन्तु उक्त का परिपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश संख्या 1838/33-03-2015-03/2015 दि० 31-07-2015 के बिंदु 03 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करायेगी तथा बिंदु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा की आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो में रु० 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाये ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित की जाएगी। जिसका संस्था द्वारा उल्लंघन किया गया है, साथ ही उ० प्र० शासन जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक सं०- 305 (1) 33 -सेल/2019 दि० 26 फरवरी 2019 के प्रस्तर 01 के क्रमांक 11 के अनुसार जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदाई संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही मार्ग निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जाये तथा क्रमांक 19 में अनुरक्षण के कार्य में मूल निर्माण कार्य का वर्ष तथा पूर्व में किये गये अनुरक्षण कार्य का वर्ष अंकित करना अनिवार्य है। लेपन कार्य का सतह नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के चक्रानुक्रम में किया जायेगा। उक्त का भी अनुपालन नहीं किया गया है जो गंभीर आपत्ति का विषय है।

संस्था द्वारा बताया गया की जिला पंचायत की कार्य योजना में अधिकांश कार्य 10 लाख से ऊपर एवं ग्राम पंचायत के बाहर कराये गये है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है। अतः शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार रु० 6922034=00 की स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर कार्य का सम्पादन कराया गया है। जो अनियमित रहा है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव एवं वित्त परामर्शदाता श्री सुधीर कुमार जैन उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र० सं० कार्य का नाम व स्थान राज्य वित्त आयोजक योजान्तर्गत

व्यय

1. ग्राम पूँछ में मेन रोड से सनराइज स्कूल तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य।	564890.00
2. ग्राम पंचायत डोमागोर में शमशानघाट पर आर० सी० सी० शैड निर्माण कार्य।	694000.00

3. ग्राम पंचायत बम्हरोली स्टेट से धरमपुरा से मध्य प्रदेश की सीमा तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य ।	798030.00
4. ग्राम पथर्रा में मेन रोड से पाड़री की ओर सी० सी० रोड का निर्माण कार्य।	490200.00
5. ग्राम नरी में नहर की पुलिया से हनुमान मंदिर की ओर अवशेष सी० सी० रोड का निर्माण कार्य।	321461.00
6. ग्राम पंचायत ठिकौली में शमशानघाट पर आर० सी० सी० शैड का निर्माण कार्य।	642000.00
7. सरांय मगूसा संपर्क मार्ग की पेंच मरम्मत का कार्य।	83372.00
8. ग्राम पंचायत धनौरा में शमशानघाट पर आर० सी०सी० शैड का निर्माण कार्य।	717819.00
9. ग्राम चितगुवाँ में हरदौल मंदिर से गाँव तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य।	840888.00
10. ग्राम पंचायत जरया काशीपुरा में शमशानघाट पर आर०सी०सी० शैड का निर्माण कार्य।	702300.00
11. ग्राम पंचायत मठ में शमशानघाट पर आर० सी० सी० शैड का निर्माण कार्य।	658000.00
12. ग्राम भिटौरा में करन दादा के मकान के पास रिपटा व सी० सी० रोड का निर्माण कार्य।	409074.00
योग	6922034.00

प्रारूप- 2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम- झाँसी

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ -

प्रस्तर- 1 आलोच्य वर्ष में शासनादेश संख्या - 179/9-7-9/जी/09/दिनांक 30.07.2009 एवं शासनादेश संख्या 151 नो-9-2010-164जी/2009 दिनांक 16.10.2010 के द्वारा किसी निर्माण कार्य/लेपन कार्य हेतु प्रयुक्त बिटुमिन/इमल्सन के भुगतान हेतु बिटुमिन/इमल्सन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से ही प्राप्त की जायेगी तथा ठेकेदार द्वारा सीधे रिफाइनरी की मूल इनवाइश पत्रावली में रखी जायेगी तदनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा परन्तु संस्था द्वारा शासनादेशों के विपरीत भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी।

शासनादेश के विपरीत कार्य करने हेतु जिला पंचायत के अधिकृत की स्थिति में भी संस्था द्वारा ग्राम प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए था कि उक्त निर्माण कार्य को ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत नहीं कराना चाहती प्रमाण पत्र के अभाव में गम्भीर अनियमितता की है। इस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	संस्था का नाम जिससे बिटुमिन क्रय किया गया	ठेकेदार का नाम	बिटुमिन/इमल्सन क्रय करने की धनराशि
1.	ग्राम खाँदी से महिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग लेपन कार्य	हिन्दुस्तान कोल प्राइवेट लि.	में० राठौर विल्डर्स	503964-00
2.	ग्राम पूराकलाँ में श्योरा नाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग लेपन	हिन्दुस्तान कोल प्राइवेट लि.	में० राठौर विल्डर्स	503964-00
3.	वि०खण्ड जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नर्सिंह विद्यामंदिर से बम्होरी तक संपर्क मार्ग पर पेंच मरम्मत (गड़्ढा मुक्त)	में० शीतल पेट्रो. कैम. इण्टरप्राइजेज	में० विश्वनाथ सिंह परमार	401200-00

4.	वि०खण्ड जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नर्सिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पर पेंच मरम्मत (गड़्ढा मुक्त)	में० शीतल पेट्रो. कैम. इण्टरप्राइजेज	में० विश्वनाथ सिंह परमार	42480-00
5.	वि०खण्ड जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नर्सिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पर पेंच मरम्मत (गड़्ढा मुक्त)	में० शीतल पेट्रो. कैम. इण्टरप्राइजेज	में० विश्वनाथ सिंह परमार	42480-00
6.	वि०खण्ड जखौरा अंतर्गत नर्सिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पर पेंच मरम्मत	में० शीतल पेट्रो. कैम. इण्टरप्राइजेज	में० विश्वनाथ सिंह परमार	21240-00
7.	बिजरौठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	हिन्दुस्तान कोल प्राइवेट लि.	में० राठौर विल्डर्स	503964-00
8.	ग्राम बालाबेहट मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	हिन्दुस्तान कोल प्राइवेट लि.	में० राठौर विल्डर्स	640453-00
योग				2659745.00

(मूल आपति संख्या 44)

प्रस्तर- 2

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों को भुगतान किये गये बिलों की धनराशि से सेस टैक्स की कटौती निर्धारित नियमानुसार 1% से कम करके ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजस्व की हानि हुई है अतः सेस की 1% के कम की वसूली की धनराशि को ठेकेदारों से वसूल किया जाना चाहिये राजस्व की निर्धारित दर से कम कटौती करना नियमों का उल्लंघन करना है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री विष्णुकांत द्विवेदी एवं पटल लेखाकार श्री हरीलाल यादव उत्तरदायी हैं मु० 28236=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	बिल की धनराशि	1% सेस की धनराशि	काटी गयी सेस की धनराशि	कम काटा गया सेस (अन्तर)
1	2	3	4	5	6	7
1	वि०ख० बिरधा के ग्राम पाली नीलकण्ठ रोड से सीतामढी संपर्क मार्ग	विश्वनाथ सिंह परमार	169693.00	1697.00	1515.00	182.00
2	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे० राठौर बिल्डर्स	734341.00	7343.00	6557.00	786.00
3	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे० राठौर बिल्डर्स	394605.00	3946.00	3523.00	423.00
4	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे० राठौर बिल्डर्स	439708.00	4397.00	3926.00	471.00

5	बिजरौठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	875487.00	8755.00	7817.00	938.00
6	बिजरौठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	760135.00	7601.00	6787.00	814.00
7	बिजरौठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	186363.00	1864.00	1664.00	200.00
8	ग्राम बछलापुर में सिद्ध बाबा पर सी०सी० रोड निर्माण कार्य	श्री श्याम बिहारी कौशिक	290323.00	2903.00	2592.00	311.00
9	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	499365.00	4994.00	4459.00	535.00
10	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	317620.00	3176.00	2836.00	340.00
11	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	178580.00	1786.00	1595.00	191.00
12	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	997868.00	9979.00	8910.00	1069.00
13	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	761116.00	7611.00	6796.00	815.00
14	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	1041477.00	10415.00	9299.00	1116.00
15	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	834420.00	8344.00	7450.00	894.00
16	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	955516.00	9555.00	8531.00	1024.00
17	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	106168.00	1062.00	948.00	114.00
18	जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नृसिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पंच मरम्मत	विश्वनाथ सिंह परमार	380611.00	3806.00	3398.00	408.00
19	जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नृसिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पंच मरम्मत	विश्वनाथ सिंह परमार	330485.00	3305.00	2951.00	354.00
20	ग्राम पूराकलां में श्योरनाला पुलिया	मे० राठौर	901247.00	9012.00	8047.00	965.00

	से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	बिल्डर्स				
21	ग्राम पूराकलां में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	558568.00	5586.00	4987.00	599.00
22	ग्राम पूराकलां में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	217317.00	2173.00	1940.00	233.00
23	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	995425.00	9954.00	8888.00	1066.00
24	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	859143.00	8591.00	7671.00	920.00
25	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	288061.00	2881.00	2572.00	309.00
26	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड़ से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	989849.00	9898.00	8838.00	1060.00
27	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड़ से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	999805.00	9998.00	8927.00	1071.00
28	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड़ से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	960465.00	9605.00	8576.00	1029.00
29	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड़ से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	987657.00	9877.00	8818.00	1059.00
30	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड़ से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	723247.00	7232.00	6458.00	774.00
31	तालबेहट के ग्राम लालौन से बिजराँठा रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग पर पेंच मरम्मत कार्य	श्री हरि प्रकाश गुप्ता	280672.00	2807.00	2506.00	301.00
32	ग्राम कुम्हैडी के अंजनीमाता मंदिर पर महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण	-	256676.00	2567.00	2292.00	275.00
33	ग्राम कुम्हैडी के अंजनीमाता मंदिर पर महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण	-	499493.00	4995.00	4460.00	535.00
34	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंग रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	मे0 मोनू कंस्ट्रक्शन	917128.00	9171.00	8189.00	982.00

35	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	500072.00	5001.00	4465.00	536.00
36	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	517433.00	5174.00	4620.00	554.00
37	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	688015.00	6880.00	6143.00	737.00
38	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	483438.00	4834.00	4316.00	518.00
39	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़ एवं लेपन	श्रीमती किरन जैन	914637.00	9146.00	8166.00	980.00
40	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	497858.00	4979.00	4445.00	534.00
41	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	709486.00	7095.00	6335.00	760.00
42	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	894982.00	8950.00	7991.00	959.00
43	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	461857.00	4619.00	4124.00	495.00
योग						28236.00

(मूल आपति संख्या - 45)

प्रस्तर- 3

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि अधोलिखित निर्माण कार्यो से सम्बन्धित बिलों पर आयकर कम काटा गया था जिससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचा एवं जिला पंचायत को राजस्व की क्षति पहुँची है उक्त के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री विष्णुकान्त द्विवेदी तथा लेखाकार श्री हीरालाल यादव उत्तरदायी हैं। उक्त अधिकारी/कर्मचारी से मु0 56458=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	बिल की धनराशि	2ः इन्कमटैक्स की धनराशि	काटी गयी टैक्स की धनराशि	कम काटा गया इन्कमटैक्स

						(अन्तर)
1	2	3	4	5	6	7
1	वि०ख० बिरधा के ग्राम पाली नीलकण्ठ रोड से सीतामढी संपर्क मार्ग	विश्वनाथ सिंह परमार	169693.00	3394.00	3030.00	364.00
2	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे० राठौर बिल्डर्स	734341.00	14687.00	13115.00	1572.00
3	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे० राठौर बिल्डर्स	394605.00	7892.00	7047.00	845.00
4	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे० राठौर बिल्डर्स	439708.00	8794.00	7852.00	942.00
5	बिजरोठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	875487.00	17510.00	15634.00	1876.00
6	बिजरोठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	760135.00	15203.00	13574.00	1629.00
7	बिजरोठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	186363.00	3727.00	3328.00	399.00
8	ग्राम बछलापुर में सिद्ध बाबा पर सी०सी० रोड निर्माण कार्य	श्री श्याम बिहारी कौशिक	290323.00	5806.00	5184.00	622.00
9	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	499365.00	9987.00	8917.00	1070.00
10	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	317620.00	6352.00	5672.00	680.00
11	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	178580.00	3572.00	3190.00	382.00
12	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	997868.00	19957.00	17819.00	2138.00
13	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	761116.00	15222.00	13591.00	1631.00
14	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	1041477.00	20830.00	18598.00	2232.00
15	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य	श्रीमती	834420.00	16688.00	14900.00	1788.00

	प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	किरन जैन				
16	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	955516.00	19110.00	17063.00	2047.00
17	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	106168.00	2123.00	1896.00	227.00
18	जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नृसिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पेंच मरम्मत	विश्वनाथ सिंह परमार	380611.00	7612.00	6800.00	812.00
19	जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नृसिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पेंच मरम्मत	विश्वनाथ सिंह परमार	330485.00	6610.00	5905.00	705.00
20	ग्राम पूराकलां में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	901247.00	18025.00	16094.00	1931.00
21	ग्राम पूराकलां में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	558568.00	11171.00	9974.00	1197.00
22	ग्राम पूराकलां में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	217317.00	4346.00	3881.00	465.00
23	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	995425.00	19909.00	17775.00	2134.00
24	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	859143.00	17183.00	15342.00	1841.00
25	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	288061.00	5761.00	5144.00	617.00
26	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	989849.00	19797.00	17676.00	2121.00
27	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	999805.00	19996.00	17854.00	2142.00

28	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	960465.00	19209.00	17151.00	2058.00
29	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	987657.00	19753.00	17637.00	2116.00
30	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे० राठौर बिल्डर्स	723247.00	14465.00	12915.00	1550.00
31	तालबेहट के ग्राम लालौन से बिजरौठा रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग पर पेंच मरम्मत कार्य	श्री हरि प्रकाश गुसा	280672.00	5613.00	5015.00	598.00
32	ग्राम कुम्हैडी के अंजनीमाता मंदिर पर महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण	-	256676.00	5134.00	4584.00	550.00
33	ग्राम कुम्हैडी के अंजनीमाता मंदिर पर महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण	-	499493.00	9990.00	8920.00	1070.00
34	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में० मोन् कंस्ट्रक्शन	917128.00	18343.00	16380.00	1963.00
35	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में० मोन् कंस्ट्रक्शन	500072.00	10002.00	8930.00	1072.00
36	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में० मोन् कंस्ट्रक्शन	517433.00	10349.00	9240.00	1109.00
37	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में० मोन् कंस्ट्रक्शन	688015.00	13760.00	12286.00	1474.00
38	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में० मोन् कंस्ट्रक्शन	483438.00	9669.00	8633.00	1036.00
39	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड एवं लेपन	श्रीमती किरन जैन	914637.00	18293.00	16335.00	1958.00

40	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	497858.00	9957.00	8890.00	1067.00
41	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	709486.00	14190.00	12670.00	1520.00
42	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	894982.00	17900.00	15982.00	1918.00
43	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड़	श्रीमती किरन जैन	461857.00	9237.00	8247.00	990.00
योग						56458.00

(मूल आपति संख्या - 46)

प्रस्तर- 4

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों को भुगतान किये गये बिलों की धनराशि से जी0एस0टी0 निर्धारित नियम के अनुसार 2% से कम करके ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है जिससे संस्था को राजस्व की हानि हुई है राजस्व की निर्धारित दर से कम कटौती करना नियमों का उल्लंघन करना है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री विष्णुकांत द्विवेदी तथा लेखाकार श्री हरीलाल यादव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं मु0 56471.00 रु0 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रं0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतान किये गये बिल की धनराशि	2% जी0एस0टी0 की धनराशि	काटी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	वि0ख0 बिरधा के ग्राम पाली नीलकण्ठ रोड़ से सीतामढी संपर्क मार्ग	विश्वनाथ सिंह परमार	169693.00	3394.00	3030.00	364.00
2	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड़ की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे0 राठौर बिल्डर्स	734341.00	14687.00	13114.00	1573.00
3	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड़ की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे0 राठौर बिल्डर्स	394605.00	7892.00	7046.00	846.00
4	ग्राम सेमरा पुलिया से बालाबेहट रोड़ की ओर संपर्क मार्ग निर्माण एवं लेपन	मे0 राठौर बिल्डर्स	439708.00	8794.00	7852.00	942.00
5	बिजरौठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मर्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	875487.00	17510.00	15634.00	1876.00
6	बिजरौठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मर्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	760135.00	15203.00	13574.00	1629.00
7	बिजरौठा पुलिया से बाबाताल तक संपर्क मर्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	186363.00	3727.00	3328.00	399.00

8	ग्राम बछलापुर में सिद्ध बाबा पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	श्री श्याम बिहारी कौशिक	290323.00	5806.00	5184.00	622.00
9	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ट्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	499365.00	9987.00	8918.00	1069.00
10	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ट्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	317620.00	6352.00	5672.00	680.00
11	ग्राम मुहारा में शमशानघाट पर बाउण्ट्रीवॉल निर्माण कार्य	श्री लक्ष्मी शंकर	178580.00	3572.00	3190.00	382.00
12	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	997868.00	19957.00	17819.00	2137.00
13	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	761116.00	15222.00	13592.00	1630.00
14	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	1041477.00	20830.00	18598.00	2232.00
15	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	834420.00	16688.00	14900.00	1788.00
16	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	955516.00	19110.00	17062.00	2048.00
17	ग्राम भदौरा में मुख्य मार्ग से मध्य प्रदेश की सीमा तक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	श्रीमती किरन जैन	106168.00	2123.00	1896.00	227.00
18	जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नृसिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पैच मरम्मत	विश्वनाथ सिंह परमार	380611.00	7612.00	6796.00	816.00
19	जखौरा अंतर्गत रघुनाथपुरा नृसिंह विद्यामंदिर से बम्हौरी तक संपर्क मार्ग पैच मरम्मत	विश्वनाथ सिंह परमार	330485.00	6610.00	5902.00	708.00
20	ग्राम पूराकला में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	901247.00	18025.00	16094.00	1931.00
21	ग्राम पूराकला में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	558568.00	11171.00	9974.00	1197.00

22	ग्राम पूराकलां में श्योरनाला पुलिया से रसगइयन खिरक संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	217317.00	4346.00	3881.00	465.00
23	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	995425.00	19909.00	17776.00	2133.00
24	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	859143.00	17183.00	15342.00	1841.00
25	ग्राम खाँदी में अहिरावन माता मंदिर की ओर संपर्क मार्ग में लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	288061.00	5761.00	5144.00	617.00
26	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	989849.00	19797.00	17676.00	2121.00
27	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	999805.00	19996.00	17854.00	2142.00
28	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	960465.00	19209.00	17152.00	2057.00
29	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	987657.00	19753.00	17636.00	2117.00
30	ग्राम बालाबेहट में मैनरोड से सेमरा की ओर संपर्क मार्ग एवं लेपन कार्य	मे0 राठौर बिल्डर्स	723247.00	14465.00	12916.00	1549.00
31	तालबेहट के ग्राम लालौन से बिजराँठा रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग पर पेंच मरम्मत कार्य	श्री हरि प्रकाश गुप्ता	280672.00	5613.00	5012.00	601.00
32	ग्राम कुम्हैड़ी के अंजनीमाता मंदिर पर महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण	-	256676.00	5134.00	4584.00	550.00
33	ग्राम कुम्हैड़ी के अंजनीमाता मंदिर पर महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण	-	499493.00	9990.00	8920.00	1070.00

34	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	917128.00	18343.00	16378.00	1965.00
35	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	500072.00	10002.00	8930.00	1072.00
36	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	517433.00	10349.00	9240.00	1109.00
37	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	688015.00	13760.00	12286.00	1474.00
38	ग्राम सलैया में शीतल के खेत से सजनाम लिंक रोड तक कुलुआ तिगड़ा संपर्क मार्ग पर लेपन	में0 मोनू कंस्ट्रक्शन	483438.00	9669.00	8632.00	1037.00
39	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड एवं लेपन	श्रीमती किरन जैन	914637.00	18293.00	16332.00	1961.00
40	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड	श्रीमती किरन जैन	497858.00	9957.00	8890.00	1067.00
41	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड	श्रीमती किरन जैन	709486.00	14190.00	12670.00	1520.00
42	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड	श्रीमती किरन जैन	894982.00	17900.00	15982.00	1918.00
43	ग्राम सलैया में पेवर से नत्थू के खेत तक संपर्क मार्ग रोड	श्रीमती किरन जैन	461857.00	9237.00	8248.00	989.00
योग						56471.00

(मूल आपति संख्या- 47)

प्रस्तर- 5

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि शासन द्वारा निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी को रोकने हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों को संक्रमिक की जाने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में शासनादेश संख्या 1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 15.06.2015 एवं शासनादेश संख्या- 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं किन्तु उक्त का परिपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश संख्या- 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दु 03 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों में से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराया जायेगा तथा बिन्दु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में ₹0 10 लाख की लागत से अधिक के परियोजनाये ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित की जायेंगी, जिसका संस्था द्वारा उल्लंघन किया गया है साथ ही 30प्र0 शासन जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक सं0- 305(1)33-सेल/2019 दिनांक 26.02.2019 के प्रस्तर 01 के क्रमांक 11 के अनुसार जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मार्ग निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जायें तथा क्रमांक 19 में अनुश्रवण के कार्य में मूल निर्माण कार्य का वर्ष तथा पूर्व में किये गये अनुश्रवण कार्य का वर्ष अंकित करना अनिवार्य है। लेपन कार्य का सतह नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के चक्रानुक्रम में किया जायेगा। उक्त का भी अनुपालन नहीं किया गया है जो कि गंभीर आपत्ति का विषय है। संस्था द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत की कार्ययोजना में अधिकांश कार्य 10 लाख से ऊपर एवं ग्राम पंचायतों के बाहर कराये गये हैं। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है। अतः शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार रुपया 219-01 (लाख) की स्वीकृत कार्य योजना के आधार पर कार्य का सम्पादन कराया गया है जो कि अनियमित रहा है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री विष्णुकान्त द्विवेदी उत्तरदायी रहे। इस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र०	कार्य का नाम एवं स्थान	व्यय की गई धनराशि
1	2	3
1	ग्राम पाह में हनुमान मंदिर के पास टीन शैड निर्माण कार्य	721650=00
2	ग्राम थनवारा में मंदिर में टीन शैड निर्माण कार्य	720987=00
3	ग्राम कुआगाँव में देवीजी मंदिर पर टीन शैड कार्य	721796=00
4	ग्राम सुनवाहा में हनुमान मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	721650=00
5	ग्राम अडवाहा के मजरा प्रतापपुरा में हनुमान मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721360=00
6	ग्राम कल्यानपुरा में हनुमान जी मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	727194=00
7	ग्राम बीघामहावत में हनुमान मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	721578=00
8	ग्राम हर्षपुर के तालाब के बंध के हनुमान मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	721276=00
9	ग्राम वांसी में मढई माता मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	721506=00
10	ग्राम जमालपुर में जमालशाह बाबा के पास टीन शैड निर्माण	972928=00
11	ग्राम तेरा में दुर्गा जी मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721650=00
12	ग्राम अंधियारी में सिद्ध बाबा मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	721144=00
13	ग्राम पिपरिया डोंगास में काली माता मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721433=00
14	ग्राम बजरा में कारस देव मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721722=00
15	ग्राम जाखलौन में हरसिद्ध मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721834=00
16	ग्राम जाखलौन में गणेश मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721650=00
17	ग्राम बजरा में सिद्धन मंदिर के टीन शैड के नीचे चबूतरा निर्माण	721650=00

18	ग्राम भारौन में हनुमान मंदिर पर टीन शैड निर्माण कार्य	721578=00
19	ग्राम जाखलौन में ईदगाह पर टीन शैड निर्माण	721433=00
20	ग्राम बारौद में कारसदेव मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	721650=00
21	ग्राम ऐरा में सिद्ध बाबा मंदिर के टोरिया पर टीन शैड निर्माण	721650=00
22	ग्राम भडरऊ में कारस देव मंदिर के पास टीन शैड निर्माण	721578=00
23	ग्राम खजुरिया में मस्जिद के पास टीन शैड निर्माण	721144=00
24	ग्राम भोरदा में पीरबाबा मौजा टपरियन तोर पर टीन शैड निर्माण	721834=00
25	ग्राम कल्याणपुरा में देवी जी मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721433=00
26	ग्राम पिपरिया जागीर में हनुमान मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721360=00
27	ग्राम पिपरई के लक्ष्मणगढ़ मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721578=00
28	ग्राम ककरूआ में कब्रिस्तान पर टीन शैड निर्माण	721144=00
29	ग्राम खिरिया भारन्जू में हरदौल बाब्बा के मंदिर पर टीन शैड निर्माण	721216=00
30	ग्राम सुनौरा में गौड़ बाबा मंदिर के पास टीन शैड निर्माण कार्य	721132=00
योग		21901738=00

(मूल आपति सं0- 65)

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद का नाम- औरैया

मण्डल- कानपुर

संस्था का नाम- जिला पंचायत औरैया ले0प0 वर्ष 2019-20

आपतियों का विवरण-

प्रस्तर संख्या 01- संस्था द्वारा प्रस्तुत हस्तगत कार्यों की सूची के अनुसार समस्त कार्य की सीमा अधिकतम 03 माह निर्देशित की गयी है जो वित्तीय वर्ष के अधीन होती है। जिसे समय से पूर्ण नहीं किया गया। समय सीमा से कार्य पूर्ण न किये जाने से बजारी मूल्य के चढ़ाव होने से संस्था की हानि की संभावना या कार्य गुणवत्ता प्रभावित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसका दायित्व अपर मुख्य अधिकारी का है। अतः रु 544.06 लाख के विलंबित कार्य का दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह का निर्धारित किया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। अपूर्ण कार्यों की सूची संलग्न है। (मूल आपति संख्या 13)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	वि0ख0 अजीतमल में निवाडी कला अटसू मार्ग से ग्राम लक्ष्मणपुर में हनुमान मन्दिर तक सी0सी0 कार्य	18.93	0.00	18.93
2	वि0ख0 अजीतमल में पैगुपर ब्बम्बा से बड़ी नहर तक नाला निर्माण।	13.32	9.94	3.38
3	वि0ख0 औरैया में ग्राम मुर्दना डामर रोड से ग्राम धमसेनिया तक मिट्टी/खरंजा कार्य।	13.61	5.53	8.08

4	वि०ख० भाग्यनगर के ग्राम दौलतपुर से शकुन्तला देवी विरेन्द्र सिंह स्कूल होते हुए खजुहा महिपतपुर सम्पर्क तक मिट्टी खरंजा कार्य	19.94	11.77	8.17
5	वि०ख० औरैया में एन०एच०-2 मौजा चिरुहली में अन्नपूर्ण होटल के बगल से माता प्रसाद के खेत तक सी०सी० कार्य।	9.96	8.24	1.72
6	वि०ख० औरैया में बहादुरपुर जौरा मार्ग से (भट्टा के बगल से) जौरा कादलपुर सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी खरंजा कार्य।	9.97	-	9.97
7	वि०ख० औरैया में तुर्कीपुर-मल्हानपुरा डामर रोड से ग्राम मल्हानपुरा(नवल सिंह पुरा/सलेमपुर) तक लेपन कार्य।	29.84	14.04	15.80
8	वि०ख० औरैया के ग्राम रूदौली में (सी०सी०) से ग्राम शहबदिया तक लेपन कार्य।	29.47	20.21	9.26
9	वि०ख० औरैया में रूदौली डामर रोड से ग्राम बिरिया तक सी०सी० कार्य।	3.57	3.02	0.55
10	वि०ख० औरैया में ग्राम कखावतू से शहबदिया मार्ग पर अम्बेडकर पार्क के किनारे नाला/पुलिया/सी०सी० निर्माण।	10.72	5.31	5.41
11	वि०ख० औरैया में भरतपुर करियापुर सलेमपुर मार्ग(महादेव के भट्टा) से तुर्कीपुर डामर रोड तक लेपन कार्य।	25.56	8.95	16.61
12	वि०ख० औरैया के ग्राम नरोत्तमपुर में नहर को पटरी डामर रोड के किनारे से रासेवक के खेत तक नाला ।	6.44	4.73	1.71
13	वि०ख० बिधूना के ग्राम खरगपुर से वन विभाग के कार्यालय की तरफ सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० निर्माण कार्य।	8.22	7.17	1.05
14	वि०ख० बिधूना के रामगढ, बिधूना सम्पर्क मार्ग से श्री हाकिम सिंह इ०का० तक मिट्टी खरंजा कार्य।	2.69	-	2.69
15	वि०ख० औरैया के रहट के पुरा डेरा बजारन सम्पर्क मार्ग से गाजीपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खरंजा कार्य।	2.60	-	2.60
16	वि०ख० औरैया के एन०एच०-2 से गौरव कोल्ड स्टोरेज की तरफ सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० कार्य।	17.06	13.87	3.19
17	वि०ख० औरैया में कादलपुर से सुन्दरीपुर में जौरा डामर रोड तक मिट्टी खरंजा कार्य।	11.63	7.12	4.51
18	वि०ख० औरैया में क्योटरा परसोतमपुर सम्पर्क मार्गसे आदर्श पाण्डेय के बाबा के मन्दिर तक सी०सी० कार्य।	5.56	4.01	1.55
19	वि०ख० अछल्दा के ग्राम नगरिया में खालिद के मकान से बम्बा तक अनुरक्षण कार्य।	3.28	2.85	0.43
20	वि०ख० औरैया की ग्राम पंचायत भासौन में स्वरूप नगर चौराहे से भैरोपुर सम्पर्क पर मिट्टी एवं खरंजा कार्य।	23.68	-	23.68
21	वि०ख० सहार में मन रेड से बम्बी होते हुये गमा देवी मन्दिर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	11.69	-	11.69
22	वि०ख० सहार के ग्राम दिवरी में अमरेश गुप्ता के दरवाजे से जागेश्वर के खेत तक नाला निर्माण कार्य।	9.28	-	9.28
23	वि०ख० सहार के ग्राम पुरा बन्दी में पक्के सम्पर्क मार्ग खारजा की पुलिया से श्री कृष्ण के दरवाजे तक खरंजा निर्माण कार्य।	7.09	5.62	1.47

24	वि०ख० बिधूना के ग्राम डोडापुर में रवीन्द्र तिवारी के मकान से राम रनेश मिश्रा के मकान की तरफ खरंजा निर्माण कार्य।	6.73	5.5	1.18
25	वि०ख० अछल्दा में ग्राम पंचायत हरचन्दपुर के मजरा छन्नहन में डामर रोड से नाले की पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	9.99	7.68	2.31
26	वि०ख० अछल्दा के ग्राम मिश्रीपुर में डामर रोड से मिश्रीपुर में ट्यूबवेल तक सी०सी० निर्माण कार्य।	9.99	-	9.99
27	वि०ख० औरैया में इकौरापुर- रूदौली रूरंजा(अस्पताल) से ग्राम रूदौली (शंकर जी के मन्दिर) के आगे तक सी०सी० कार्य	11.69	7.91	3.78
28	वि०ख० औरैया के अयाना ग्राम में प्रा०पा० के सामने से रवीन्द्र सिंह चौहान पूर्व विधायक के आवास होते हुए तयोरलालपुर बाईपास तक सी०सी० कार्य।	12.35	10.86	1.49
29	वि०ख० औरैया के ग्राम गड़ा मानिकचन्द में बीरबल सिंह भदौरिया के मकान के पास से सेंगर नदी तक नाला निर्माण कार्य।	11.15	-	11.15
30	वि०ख० औरैया के ग्राम मधुपुर कैनाल पटरी से ग्राम मधुपुर तक सी०सी० निर्माण।	5.49	4.17	1.32
31	वि०ख० भाग्यनगर की ग्राम पंचायत लहोखर में मुख्य मार्ग से ग्राम लहोखर की तरफ पेटिंग कार्य।	19.53	9.85	9.68
32	वि०ख० औरैया के भरसैन सुन्दरीपुर मार्ग से ग्राम भरसैन सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० निर्माण कार्य।	6.65	3.45	3.20
33	वि०ख० औरैया के भरसैन सुन्दरीपुर मार्ग से ग्राम भरसैन में परिकमा मार्ग का खडंजा निर्माण कार्य।	9.80	5.83	3.97
34	वि०ख० औरैया के ग्राम सुरान में औरैया-जौरा मार्ग से लेकर सतेन्द्र कुमार अवस्थी के घर हाते हुये सुबोध अवस्थी के प्लॉट तक सी०सी० निर्माण कार्य।	5.57	4.28	1.29
35	वि०ख० औरैया में इकौरापुर-बहादुरपुर मार्ग से जनता महाविद्यालय तक मिट्टी व खरंजा कार्य।	5.76	3.88	1.88
36	वि०ख० औरैया में तुर्कीपुर मल्हानपुरवा डामर रोड से करियापुर सलेमपुर(सेंगर जी के अड्डा इ०ला०) तक लेपन कार्य।	26.74	20.01	6.73
37	वि०ख० अजीतमल के ग्राम महाराजपुर व बेरी कपरिया सम्पर्क मार्ग से ग्राम दुर्वासपुर में प्रदीप सिंह भदौरिया के दरवाजे तक सी०सी० निर्माण कार्य।	13.90	13.56	0.34
38	वि०ख० औरैया में ग्राम तुर्कीपुर से(हरनाम सिंह स्कूल) से तुर्कीपुर सरदार पुर्वा तक मिट्टी/खरंजा कार्य।	5.71	4.60	1.11
39	वि०ख० औरैया की ग्राम पंचायत बमुरीपुर के मौजा पुर्वा कुम्हारन से तालावब तक नाला निर्माण कार्य।	14.18	12.36	1.82
40	वि०ख० औरैया के ग्राम आनेपुर में पेटिंग मार्ग से जूनियर हाईस्कूल तक बम्बा व पटरी पर अनुरक्षण कार्य।	9.24	8.16	1.08
41	वि०ख० अजीतमल के अटसू निवाडीकला मार्ग से ग्राम सवलपुर में रामपाल सिंह शिकरवार के घर तक सी०सी० कार्य।	7.56	6.18	1.38
42	वि०ख० औरैया के ग्राम बहादुर में औरैया जौरा मार्ग से बृजेश के घर के पास नाला निर्माण कार्य।	2.20	1.88	0.32

43	वि०ख० औरैया के ग्राम बरममपुर में लज्जाराम के घर से राजकुमार के घर तक नाला निर्माण।	5.72	3.96	1.76
44	वि०ख० औरैया में कादलपुर से सुन्दरीपुर तक मिट्टी खरंजा कार्य।	12.20	7.96	4.24
45	वि०ख० बिधूना में कानपुर बिधूना रोड से पूर्वा दुजा(पिपरौली शिव) तक सी०सी० निर्माण कार्य।	18.37	-	18.37
46	वि०ख० औरैया में आनेपुर कलापुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम गोहना में देशराज के घर तक सी०सी० कार्य।	12.86	9.61	3.25
47	वि०ख० औरैया के भाग्यनगर में तुर्कीपुर से अटटा बरुआ तक मिट्टी/खरंजा कार्य।	16.65	7.80	8.85
48	वि०ख० सहार के ग्राम पंचायत मडोकमीत में शिव मंदिर से डामर रोड तक सी०सी० निर्माण कार्य।	8.85	7.84	1.01
49	वि०ख० औरैया के ग्राम डेरा बंजारा में नाला निर्माण।	8.37	6.57	1.80
50	वि०ख० औरैया के ग्राम भाऊपुर में नाला कार्य।	7.22	5.36	1.86
51	वि०ख० औरैया के बहादुरपुर शहबदिया मार्ग के नाले पर पुलिया एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण।	6.80	4.94	1.86
52	वि०ख० सहार में सहायल रोड से अबावर प्रा०पा० तक अनुरक्षण कार्य।	7.70		7.70
53	वि०ख० औरैया के ग्राम बरमपुर में नहर के घाट से औरैया फर्गूड रोड की तरफ नाला निर्माण कार्य।	19.71	-	19.71
54	वि०ख० औरैया के ग्राम फरिहा में मंदिर तक सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० कार्य।	9.47	7.93	1.54
55	वि०ख० औरैया में बहादुरपुर में डामर रोड(इ०ला०)से प्रा०पा० होते हुए पुरानी सी०सी० तक सी०सी० कार्य।	10.93	8.82	2.11
56	वि०ख० औरैया के ग्राम पूर्वा उम्मेद मौजा ऊधमपुर में भगवान श्री राम के मन्दिर तक नाला निर्माण।	7.07	5.50	1.57
57	वि०ख० सहार के ग्राम परसू से पूराकला डामर रोड तक खडंजा निर्माण कार्य।	15.72	13.69	2.03
58	वि०ख० सहार के ग्राम पूर्वा भिखनी में जय नरायन पाठक के दरवाजे से प्राथमिक विद्यालय तक खरंजा निर्माण।	6.89	-	6.89
59	वि०ख० सहार के ग्राम पंचायत असू के मजरा पूर्वा कथूले पूर्वा देव काण्ड तक खेतों के बीच से होकर बने कच्चे सम्पर्क मार्ग पर खडंजा निर्माण।	8.46	6.59	1.87
60	वि०ख० सहार में पूर्वा गेहूँ चना में सुर्जन लाल के खेत से महिपाल के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य।	5.19	-	5.19
61	वि०ख० सहार ग्राम पंचायत नदी गोहन के मंजरा सिखू में जगपाल सिंह भदौरिया के दरवाजे से रमेश सिंह भदौरिया के दरवाजे तक नाला निर्माण।	9.89	7.06	2.83
62	वि०ख० सहार के ग्राम धुपकरी मार्ग से जेवेश्वर मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० निर्माण कार्य।	13.64	-	13.64
63	वि०ख० सहार के बेला रसूलाबाद मार्ग से श्याम सुन्दर प्यारे लाल गुप्ता महाविद्यालय की तरफ सी०सी० कार्य।	5.39	4.20	1.19
64	वि०ख० एरवाकटरा में बैवहा-चौपला बम्बा से सीपुरिया ग्राम तक खडंजा निर्माण कार्य।	9.39	-	9.39

65	वि०ख० औरैया के ग्राम भासौन में भैरोपुर भासौन डामर रोड से बारात घर होते हुए देवी मन्दिर तक सी०सी० कार्य।	16.48	9.86	6.62
66	वि०ख० बिधूना के ग्राम अनेसो से पाल अड्डा तक खडंजा कार्य।	15.91		15.91
67	वि०ख० बिधूना के मिश्रपुर घाट से भऔरा जू०हा० स्कूल तक खडंजा कार्य।	15.80	9.82	5.98
68	वि०ख० भाग्यनगर में ग्राम पंचायत तुर्मीपुर अटा में ठाकुर चतुर सि हके दरवाजे से गमनामऊ की पुलिया तक सम्पर्क मार्ग पर खरंजा निर्माण कार्य।	15.67	-	15.67
69	वि०ख० सहरा में विझाही पुल से अमौआहार जाने वाली सड़क से कसहा ग्राम में जू०हा० स्कूल तक सी०सी० निर्माण।	5.39	-	5.39
70	वि०ख० भाग्यनगर के औरैया दिबियापुर मार्ग(बजरंग धर्मकाटा दिबियापुर) के सामने से ग्राम ककराही तक सी०सी० कार्य एवं नाली तथा पुलिया निर्माण।	10.30	9.11	1.19
71	वि०ख० बिधूना की ग्राम सबहद के मजरा कटरा में बंथरा सबहद मार्ग(प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र) से राधे शर्मा के दरवाजे तक सी०सी० निर्माण कार्य।	10.74	9.87	0.87
72	वि०ख० बिधूना के ग्राम पंचायत मढा में बन्थरा सबहद मार्ग से मढा के किनारे दिनेश सिंह के मकान तक सी०सी० कार्य।	10.74	-	10.74
73	वि०ख० बिधूना के कैथवा हसेरन मार्ग से नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज कैथावा तक सी०सी० कार्य।	6.73	5.95	0.78
74	वि०ख० बिधूना के कीरतपुर में बेला बिधूना मार्ग से बृजेश वर्मा के मकान तक सी०सी० निर्माण कार्य।	10.74	-	10.74
75	वि०ख० बिधूना के ग्राम उसरहा में उसरहा से पूर्वा हीरा तक खडंजा निर्माण कार्य।	14.26	-	14.26
76	वि०ख० सहरा के ग्राम सहायल में पप्पू की गली से मदरसे तक मिट्टी खरंजा कार्य।	7.16	-	7.16
77	वि०ख० औरैया की ग्राम पंचायत खानपुर में मस्जिद मदारान से कब्रिस्तान तक सी०सी० निर्माण।	4.46	-	4.46
78	वि०ख० औरैया की ग्राम पंचायत खानपुर में ईदगाह से नाला निर्माण।	6.17	4.06	2.11
79	वि०ख० अछल्दा में ग्वारी सकरावा मार्ग न० भज्जू तक मिट्टी व खरंजा कार्य।	6.95		6.95
80	वि०ख० अछल्दा में ग्राम न० महातिया डामर रोड से ग्राम बरूआ तक सी०सी० कार्य।	17.00	17.00	00
81	वि०ख० अछल्दा में नेविलगंज बहादुरपुर मार्ग से ग्राम समुरियाई तक सी०सी० कार्य।	8.39	7.46	0.93
82	वि०ख० अछल्दा में विसरमऊ न० उम्मेद माग से ग्राम विसरमऊ तक सी०सी० कार्य।	11.84	-	11.84
83	वि०ख० अछल्दा के ग्राम सेरा घसारा मार्ग से पुराने विजयपुर तक सी०सी० कार्य।	11.26	9.80	1.46
84	वि०ख० बिधूना की ग्राम सभा बराहार में मजरा नगला लेधियान अड्डा में सोहनी बराहार डामर रोड से सोबरन फौजी के मकान तक सी०सी० निर्माण कार्य।	8.68	-	8.68
85	वि०ख० बिधूना की ग्राम बरका पूर्वा में ग्राम हतनापुर में पुष्पेन्द्र सेंगर के खेत के पास पुलिया निर्माण।	5.51	-	5.51
86	वि०ख० बिधूना की ग्राम सभा बराहार मजरा उदनकपुर अड्डा सड़क से जिलेदान के मकान तक सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	9.91	8.34	1.57

87	वि०ख० विधूना के ग्राम पंचायत भिखरा में पंचायत घर के लिए खरंजा निर्माण कार्य।	3.44	-	3.44
88	वि०ख० सहार के सरैया में ग्राम भिखरा में भगवान सिंह के घर से रामपुर-बामपुर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा निर्माण कार्य।	11.01	-	11.01
89	वि०ख० विधूना के किशनी रोड से इस्लामिया इण्टर कॉलेज रठगाँव तक सी०सी० निर्माण कार्य।	5.33	4.66	0.67
90	वि०ख० एरवाकटरा की तहसील विधूना के ग्राम सामपुर में साधन सहकारी समिति से केशव सिंह के दरवाजे तक सी०सी० निर्माण कार्य।	15.70	-	15.70
91	वि०ख० एरवाकटरा की तहसील विधूना के रतनपुर माइनर से मुकुट सिंह के अड्डा तक खडंजा कार्य।	15.84	9.42	6.42
92	वि०ख० एरवाकटरा की तहसील विधूना के सामपुर में सड़क से ओंकार सिंह के ट्यूबवैल तक खडंजा निर्माण कार्य।	11.75	9.30	2.45
93	वि०ख० विधूना में अछल्दा रोड से लघुपुरा तक खडंजा निर्माण कार्य।	6.80	5.46	1.34
94	वि०ख० एरवाकटरा की तहसील विधूना के किशनी रोड से रठगाँव अजमेर के दरवाजे तक सी०सी० निर्माण कार्य।	8.36	7.38	0.98
95	वि०ख० एरवाकटरा में कुदरकोट रोड से हमीरपुर रूठ रोड से पूहो अड्डा तक खडंजा निर्माण कार्य।	8.59	7.30	1.29
96	वि०ख० औरैया के ग्राम तालेपुर से खादी बम्बा जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर सरताज के समर के आगे तक मिट्टी व खरंजा कार्य।	9.96	-	9.96
97	वि०ख० औरैया के ग्राम इंगुठिया(नाथूराम) के घर से तालेपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया सी०सी० निर्माण।	9.92	8.09	1.83
98	वि०ख० औरैया के ग्राम बखरिया में डामर रोड से प्रेमनारायण के घर तक सी०सी० परिक्रमा मार्ग।	7.93	4.67	3.26
99	वि०ख० औरैया के ग्राम बखरिया पूर्वा जू०हा० स्कूल(डामर रोड) से बखरिया पूर्वा तक सी०सी० कार्य।	9.67	7.97	1.70
100	वि०ख० औरैया में ग्राम विक्रमपुर खडंजा से ग्राम निगड़ा तक सी०सी० कार्य।	9.95	4.82	5.13
101	वि०ख० अजीतमल में ग्राम ततारपुर में (ज्ञानेन्द्र भदौरिया) डामर रोड से ग्राम हैदरपुर पक्के तालाब की पुलिया तक खडंजा कार्य।	10.55	7.11	3.44
102	वि०ख० अजीतमल में स्वास्थ्य केन्द्र (डामर रोड) से बिरुहुनी तक सी०सी०(पुरानी सी०सी०) तक।	9.61	6.22	3.39
103	वि०ख० अजीतमल में कस्बा दलेलनगर में पुराने एन०एच० 2 के किनारे रेशम फार्म के सामने से पंचायत घर होते हुए परदेशी कब्रिस्तान तक नाला निर्माण कार्य।	18.03	16.29	1.74
104	वि०ख० भाग्यनगर के ग्राम कैजरी में ट्रान्सफार्मर से मैन रोड तक सी०सी० निर्माण कार्य।	8.98	7.94	1.04
105	वि०ख० भाग्यनगर के ग्राम कैजरी में नहर की पटरी से मैन रोड तक सी०सी० निर्माण कार्य।	6.85	6.04	0.81
106	वि०ख० अजीतमल में ग्राम सिकरोडी में यश्रशाला के बगल से शमशान	12.30	9.97	2.33

	घाट(यमुना पुल) तक सी0सी0 कार्य।			
107	वि0ख0 अजीतमल के ग्राम पंचायत चिटकापुर मैन रोड से देवी के स्थान तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	9.56	7.73	1.83

प्रस्तर संख्या 02.- शासनादेश सं0 866/33-2-14-93 जो /2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 द्वारा जिला पंचायतो द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के दुहराव, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की सम्भावना को देखते हुये जिला पंचायतो को प्राप्त विविध अनुदानों से दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करने के दिशा निर्देश दिये गये हैं। लेखा परीक्षा दौरान जिला पंचायत औरैया में अनुदान उपयोग दौरान यह पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कराकर भुगतान किया गया है या इस प्रकार का कार्य कराया गया जो अनुदान की शर्तों के अधीन नहीं रहा। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह उत्तरदायी हैं इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है -

क्र0स0	विकास खण्ड	विवरण	व्यय	धनराशि
1-	अजीतमल	ग्राम दलेलनगरमें कुरैशी के घर से प्रा0स्कू0 तक इन्टर लाकिंग	955000.00	
2-	अजीतमल	ग्राम कलापुर में कांजी हाउस निर्माण	482000.00	
3-	औरैया	तिर्वापनवारी मार्ग से चिलौली तक सम्पर्क मार्ग पर इन्टर लाकिंग	345000.00	
4-	औरैया	पूरनाहट में पुलिया से तालाब तक नाला निर्माण	167000.00	
5-	भाग्यनगर	ग्रा0 नौली में नाला निर्माण	227000.00	
6-	औरैया	भगौतीपुर सरैया में भगत सिंह के घर से रामसिंह बाग तक नाला निर्माण	684000.00	
7-	भाग्यनगर	प्रीति दौहरे के घर से रोड की तरफ नाला निर्माण	270000.00	
8-	अजीतमल	ग्रा0 अयाना में मवेशी खाना निर्माण	391000.00	
9-	अजीतमल	ग्रा0 बडेग में पुरानी सी0सी0 से यमुना घर तक इन्टर लाकिंग	525000.00	
10-	सहार	बेला मार्ग रूरापुरा सम्पर्क मार्ग पर इन्टर लाकिंग	728000.00	
11-	अजीतमल	ग्राम दलेलनगरमें कुरैशी के घर से प्रा0स्कू0 तक इन्टर लाकिंग	1080000.00	
12-	एरवाकटरा	उमरैन में वृक्षारोपण	25800.00	
13-	अछल्दा	रूरुगंज में वृक्षारोपण	24000.00	
14-	अजीतमल	जि0पं030मा0वि0 मूरादगंज में वृक्षारोपण	24400.00	
15-	औरैया	ग्रा0 बहादूरपुर बाडा से बाबू के वोर तक मिट्टी स0मा0निर्माण	265000.00	
16-	औरैया	ग्रा0 राहतपुर केशरीपुरा में सूजान जौरा से केशरीपुरा तक स0मा0नि0	176200.00	
17-	औरैया	ग्रा0 राहतपुरकेशरी बम्बा की पट्टी के पार्क बदरी के पुरा तक सी0सी0	110800.00	
18-	औरैया	भारूपुर में दिनेश रैदास के से नलकूप तक निर्माण कार्य	206500.00	
19-	औरैया	राहतपुर केशरी बिनोद राजपूत के घर से हरि सिंह घर तक सी0सी0कार्य	259400.00	
20-	औरैया	जौरा सुन्दरीपुर मार्ग से लालता प्रसाद भारती के घर तक इन्टर लाकिंग	128260.00	
21-	औरैया	बरीपुर माफी सम्पर्क मार्ग पर काली मन्दिर तक इन्टर लाकिंग	371400.00	
22-	भाग्यनगर	बूढादाना में मवेशी खाना निर्माण	363000.00	
23-	अजीतमल	ग्रा0 अयाना में मवेशी खाना निर्माण	187600.00	
24-	बिधूना	ग्रा0 बरूआ में छोटे ठाकुर के दरवाजे से बम्बा तक इन्टर लाकिंग कार्य	108000.00	

25-अछल्दा	ग्रा० रूकला में राममनोहर के घर से श्याम प्रकाश घर तक इन्टर लाकिंग	92800.00
26- औरैया	ग्राम जनेतपुर में इन्टर लाकिंग कार्य	218300.00
27- बिधूना	ग्राम खुसौली में इन्टर लाकिंग कार्य	173886.00
28- अजीतमल	ग्राम बल्लालपुर में मवेशी खाना निर्माण	521500.00
29- अजीतमल	जि०प०इ०कालेज मुरादगंज में अनुरक्षण कार्य	102246.00
योग-		9213092.00

(मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या 03.-आकस्मिक बिल सं० 14/7.5.19 से रु० 49400.00 का भुगतान मेला लिपिक को इटावा मुद्रण स्टेशनरी एवं प्रकाशन सहकारी समि०लि० के बिल सं०. 131/18.09.19 के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में आपति यह है कि उक्त स्टेशनरी प्राप्ति हेतु कोई प्रत्यावेदन विभाग में प्रस्तुत नहीं है। भुगतान की प्रकृति का विवरण नहीं है तथा स्टेशनरी प्राप्ति हेतु कोई यात्रा का विवरण भी नहीं पाया गया। जिससे उक्त क्रय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसकी वसूली अपर मुख्य अधि० श्री रामपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं. 15)

प्रस्तर संख्या 04.- आक० बिल सं० 28/17.5.19 से अपर मु० अधि० के प्रयोगार्थ भाडा गाडी सं यू०पी०78 सी०टी० 4747 इन्द्र प्रकाश ट्रेवल से लेकर चलायी जाती रही है जिसका प्रतिदिन का किराया 67० की दर से रु० 4924.00 भुगतान है इसी प्रकार आगे भी सप्ताह वार वर्ष भर भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा की आपति यह कि भाडा गाडी हायर करने का टेण्डर नहीं लिया गया है तथा इसकी शर्तों का ज्ञान लेखा परीक्षा को नहीं कराया गया है जिससे वर्ष दौरान रु 161785.00 का भुगतान किया जाना अनियमित है। जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह जिम्मेदार है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल.आ०स०16)

प्रस्तर संख्या 05.-आ०बिल सं० 10/11.06.19 से रु० 4350.00 का भुगतान इटावा मुद्रण एवं प्रकाशन सह०समि०लि० के बिल 146/22.09.19 के सापेक्ष किया गया है। जिसमें 10 प्रति वर्गीकृत रजि० खरीदा गया है। उक्त सम्बन्ध में निम्न आपति है। उक्त भुगतान नकद है या चेक से कही अंकित नहीं है (2) क्रय सम्बन्धित कोई प्रलेख आदेश एवं अनुमति पत्र नहीं पाया गया। (3) क्रय सामग्री किसके द्वारा लायी गयी कोई यात्रा विवरण नहीं है। (4) जिला पंचायत में प्रत्येक वर्ष एक ही वर्गीकृत रजि० प्रयोग किया जाता रहा है (लेखा विस्तार अनुसार) ऐसी दशा में एक साथ 10 रजि० क्रय कर रु० 4350.00 की हानि की गयी है। अतः रु० 4350.00 की वसूली श्री राम पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। (मूल.आ०स०18)

प्रस्तर संख्या 06.-आ० बिल सं० 11/11.06.19 से सहारा इण्डिया मास कम्प्यूनिक्शन पत्र के बिल सं० एच० डी० के० एन० डी०3871/2302.19 का मृत पशु शव निस्तारण सम्बन्धी विज्ञापन हेतु रु० 4841.00 का भुगतान पारित है परन्तु बिल के साथ विज्ञापन प्रति संलग्न न होने से विज्ञापन एवं भुगतान धनराशि की वास्तविकता पुष्टि नहीं होती साथ ही भुगतान नकद है या चेक से अंकित नहीं है। इसी प्रकार बिल सं० एच०डी०के०एन०डी० 3204 से रु० 4269.00 का उक्त भुगतान में भी उपरोक्त कमियाँ हैं। स्पष्ट है कि रु 9110.00 का भुगतान अपुष्ट है, जिसकी वसूली श्री राम पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। (मूलआ०स०19)

प्रस्तर संख्या 07.-आ०बिल सं०17/11.6.19 से रु० 3030.00, आ०बिल सं० 18/11.6.19 से रु० 3560.00 आ०बिल सं०19/11.6.19 एवं आ०बिल सं० 20/11.6.19 से क्रमशः रु० 2965.00 व रु० 4950.00 जे०पी० इलेक्ट्रानिक के प्रस्तुत बिल सं० 55 /18.03.19, 51/5.01.19, 52/10.5.19 व 54/11.3.19 से कुल रु 14505.00 के विद्युत सामग्री

मरम्मत सामान क्रय का भुगतान किया गया है। उक्त फर्म के बिलो के भुगतान का प्रकार का विवरण अंकित नहीं है तथा फर्म द्वारा देय एवं प्राप्त बिलो की संख्या एवं तिथि क्रय के मददेनजर उक्त भुगतान संदिग्ध है। स्पष्ट है कि रु 14505.00 का भुगतान अपुष्ट है, जिसकी वसूली अ०मु०अधि० श्री रामपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। (मूल.आ०स० 20)

प्रस्तर संख्या 08.-आ०बिल सं० 41/30.7.19 एं० 42/30.7.19 से क्रमशः रु० 3950.00 एवं रु० 4000.00 शर्मा होमकेयर सर्विस सेन्टर के बिल सं० 469/12.6.19 व 465/10.6.19 के सापेक्ष भुगतान है जो कार्यालय में लगे दो ए०सी०मरम्मत हेतु प्रस्तुत था। उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है।

(1) उक्त करायी गयी ए०सी० सर्विस हेतु कोई नोट सीट या प्रार्थना पत्र पर अनुमति किसी सक्षम अधिकारी से नहीं लिया गया है जिससे कृत कार्य भुगतान अनियमित है।

(2) कुल रु 7950.00 के आकस्मिक बिल पर कार्यालय ए०सी० मरम्मत व्यय लिया है, जबकि कार्या० में कोई ए०सी० लगा ही नहीं है। स्पष्ट है कि ए०सी० मरम्मत हेतु किया गया भुगतान वसूली योग्य है। जिसकी वसूली श्री राम पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ०स०22)

प्रस्तर संख्या 09.- जिला पंचायत औरैया संचालित जनरेटर की लाग बुक में डीजल व्यय पर निम्न आपत्ति पाई गयी।

दिनांक	जनरेटर कब से कब तकचला	लाग बुक में दर्शित घण्टा	ले०प०अनुसार वास्तविक घण्टा	अन्तर	उत्तरदायी व्यक्ति
03.05.2019	1.05 से 4.05	4	3	1	श्री संजीव कुमार
मई 2019	कुल घण्टे चला	70	69	1	श्री नगेन्द्र सिंह
21.06.2019	1.00 से 5.00	5	4	1	श्री संजीव कुमार
26.06.2019	1.00 से 5.00	5	4	1	श्री नगेन्द्र सिंह
30.10.2019	2.10 से 3.10	2	1	1	श्री संजीव कुमार
23.11.2019	1.15 से 3.15	3	2	1	श्री संजीव कुमार
	योग	104	94	10	ले०प०अनुसार 10 घण्टा कम चला

ले०प०अनुसार जनरेटर 10घण्टा कम चला, अर्थात् 10 गुणा 3 वरावर 30 लीटर डीजल कम प्रयोग हुआ। माह अक्टूबर 2019 में जनरेटर लाग बुक में माह दौरान 160 लीटर डीजल क्रय किया गया है। तथा गत माह का अवशेष डीजल 20 लीटर लाग बुक में दर्शाया है, परन्तु उसे माह के योग में जोड़ा नहीं गया है। इसप्रकार 30 लीटर डीजल कम प्रयोग व 20 लीटर डीजल कम जोड़कर कुल 50 लीटर डीजल की क्षति संस्था को पहुंचायी गयी है। जिसकी औसत कीमत 67.00 प्रति लीटर से रु 3350.00 की वसूली जनरेटर संचालक श्री संजीव कुमार व श्री नगेन्द्र सिंह से वरावर भाग में की जानी अपेक्षित है। (मूल.आ०स०32)

प्रस्तर संख्या 10.- निर्माण पत्रावली सं० (13) से वि०ख० अजीतमल के निवाडीकला अटसू मार्ग से ग्राम लक्ष्मनपुर में हनुमान मन्दिर तक 340मी०ग०3मी० की सी०सी० रोड निर्माण का कार्य मै० ईशू ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी द्वारा किये जाने का टेण्डर मय जी०सी०टी० रु० 1893314.00 का पारित है। पत्रावली में ठेकेदार श्याम सिंह का चरित्र प्रमाण पत्र, जारी द्वारा जिलाधिकारी औरैया दिनांक 28.4.17 का सलंगन है जबकि टेण्डर दिनांक 20.12.19 का डाला गया है इस प्रकार चरित्र प्रमाण पत्र टेण्डर के दो वर्ष पूर्व का है। जो कि अमान्य है। अस्तु देय ठेका कार्य भी अनियमित है। इसी प्रकार अजीतमल के पैगम्बरपुर बम्बा से बडी नहर तक नाला निर्माण 260ग०75मी० के देय ठेका रु 1331775.00 में भी उक्त चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो प्रति के आधार पर है। जिसका टेण्डर भी दिनांक 20.12.19 को हुआ है जो अनियमित है। उक्त दोनों कार्य रु० 10 लाख से अधिक के हैं। जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से नहीं ली गयी है। स्वीकृति के अभाव में किया गया व्यय अनियमित है। जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं तत्कालीन अधिशाषी

अभियंता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी जिम्मेदार है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं अधिशाषी अभियंता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0स034)

प्रस्तर संख्या 11.-पत्रावली सं0 (17) जो वि0ख0 औरैया में मुर्दना डामर रोड से ग्राम धमसेनिया तक मिटटी एवं खडन्जा कार्य 850ग3.30 की परिमाण में किया जाना है जिसकी मय जी0एस0टी0 लागत रु0 1354368 है। उक्त ठेका पत्रावली में संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर नहीं हैं। चरित्र प्रमाण पत्र दि0 22.7.17 का है। जबकि टेण्डर 20.12.19 का है। उक्त कार्य की स्वीकृति पर निदेशक पंचायत राज द्वारा 25.6.20 को आपत्ति दर्ज है। इसके बाद पुनः स्वीकृति नहीं ली गयी जो सर्वथा अनियमित एवं अनुचित है। उक्त कार्य की चार फोटोग्राफ ली गयी हैं परन्तु चारों एक ही परिस्थिति की एवं भिन्न-2 स्थान की हैं जो भिन्न-2 परिस्थिति एवं एक स्थान की होनी चाहिये उक्त में श्रम विभाग का श्रम रजिस्ट्रेशन पत्र एवं ठेकेदार का ठेका रजिस्ट्रेशन पत्र भी संलग्न नहीं है। जमानत के रूप में रु0 1 लाख व रु0 30000 की दो एफ0डी0 पत्र एच0डी0एफ0सी0 बैंक के संलग्न हैं जिस पर ए/सी गुडलक ट्रे0 कम्पनी लिखा है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त एफ0डी0 अपर मुख्य अधि0 जि0पं0 औरैया के नाम बन्धक है। इस प्रकार उक्त ठेका कार्य अनियमित प्रकार से कराया जाना दर्शित होता है। जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं अधिशाषी अभियंता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी जिम्मेदार है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं अधिशाषी अभियंता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0 स0 35)

प्रस्तर संख्या

12.- जिला पंचायत औरैया द्वारा तैयार की गयी कार्य पत्रावलियों में निम्नलिखित कमियों के बाद भी कार्य कराया गया तथा कार्य का भुगतान किया गया है जो सर्वथा अनुचित, मनमानी एवं नियम विरुद्ध है। जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं अभियंता श्री सुरेन्द्र बाबू जिम्मेदार हैं। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं अधिशाषी अभियंता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	पत्रावली व कार्य का नाम, ठेकेदार फर्म	कार्य का ठेका लागत बिना जी0एस0टी0	पत्रावली में पायी गयी कमी
1	21- भट्टा के बगल से जौरा से कादलपुर सम्पर्क मार्ग, खडन्जा कार्य (मै गुडलक ट्रे0 एण्ड कम्पनी)	885859.00	1.हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का एवं चरित्र प्रमाण पत्र 7/2017 का है जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। 2.कार्य पूर्व की एक फोटोग्राफ है जिसमें सम्पर्क मार्ग बना स्पष्ट दिखता है।
2	1473/23 रूदौली में सी0सी0 रोड से ग्राम शहबदिया तक लेपन कार्य (मै गुडलक ट्रे0 एण्ड कम्पनी)	2631000.00	1.ठेकेदार हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का संलग्न, चरित्र प्रमाण पत्र 7/17 का तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं।
3	1475/25, कखावतू से शहबदिया मार्ग पर अम्बेडकर पार्क के किनारे से, नाला, पुलिया, सी0सी0 कार्य निर्माण(मै गुडलक ट्रे0 एण्ड कम्पनी)	957140.00	1.ठेकेदार हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का संलग्न, चरित्र प्रमाण पत्र 7/17 का तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं।
4	1477, भरतपुर करियापुर सलेमपुर मार्ग तुर्कीपुर डामर रोड तक लेपन कार्य (मै गुडलक ट्रे0एण्ड कम्पनी)	2282117.00	1. हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का व चरित्र प्रमाण पत्र 22.07.17 का है। 2.बी0 / डब्ल्यू0 एकल कार्य फोटोग्राफ है जो त्रिस्तरीय होनी चाहिये।

			3.रु010 लाख से ऊपर के निदेशक आदेश नहीं।
5	1481, पूर्वा रहट डेरा बंजारन स0मा0 से गाजीपुर स0मार्ग पर मिटटी व खण्डजा कार्य	230472.00	1.जमानत धनराशि जमा द्वारा ठेकेदार रु0 20000 मात्र है जो न्यूनतम 10 प्रतिशत से रु0 23047 अपेक्षित थी।
6	1485, वि0ख0 अछल्छा के ग्राम नगरिया मे खालिद के घर से बम्बा तक अनुरक्षण कार्य/ कार्य अनुरक्षण स्पष्ट नहीं है। (मै गुडलक ट्रे0 एण्ड कम्पनी)	291119.00	1.कार्य विलम्ब से पूर्ण है अस्तु 1 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क रु0 2911 होता है जो बिना कारण मात्र रु0 500 लिया गया जो अनुचित है। 2.हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का है। चरित्र प्रमाण पत्र 22/7/17 का है। 3.एकल फोटोग्राफ लगी है जो स्पष्ट नहीं है कि कार्य पूर्ण की है या बाद की जो अनियमित है। 4. ठेका चार्ट मे मै0 साई शिवचन्द इण्टर प्राइजेज का टेण्डर मूल्य रु0 278065 पडा है जबकि मै0 गुडलक ट्रे0 एण्ड कम्पनी को टेण्डर मू0 रु0 291119 पर नियम विरुद्ध कार्यादेश जारी किया गया है।
7	1487, बबाइन मे हनुमान जी महाराज सिद्ध गुफा से डामर रोड तक मिटटी खडन्जा कार्य (मै बी0डी0 गुप्ता कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर)	945162.00	1.कम्पनी प्रोप0का हैसियत चरित्र प्रमाणपत्र, आधार न0 ,आयकर न0 ,ठेका प्रमाणपत्र, श्रमविभाग का लेवर प्रमाणपत्र आदि प्रमाण संलग्न नहीं पाये गये जिसके बिना पर कार्यादेश व भुगतान किया जाना अनियमित है।
8	1493, वि0ख0 अछल्छा मे मिश्रीपुर डामर रोड से ट्यूबवेल तक सी0सी0 रोड निर्माण। (मै0गुडलक ट्रे0 एण्ड कम्पनी)	887571.00	1.ठेकेदार हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का है,तथा चरित्र प्रमाण पत्र दि0 22/07/2017 का है जो कार्यादेश से 2 वर्ष से अधिक का है जोकि अनियमित है। 2. मै0 गुडलक की टेण्डर राशि रु0 887570.81 है जबकि मै0साई शिवचन्द्रा इण्टरप्राइजेज की ठेका राशि रु0 847685 है इस प्रकार न्यूनतम दर के विरुद्ध ठेका बिना किसी कारण अनियमित है।
9	1489, वि0ख0 सहार मे अमरेश गुप्ता के दरवाजे से जागेश्वर के खेत तक नाला निर्माण	824606.00	1.हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। 2.कार्य राशि का 10 प्रतिशत जमानत धन रु0 82460 होता है जबकि जमानत जमा है रु0 80000 जो अनियमित है।
10	1495,वि0ख0औरैया.रूदौली खडन्जा से (अस्पताल) शंकर जी के मन्दिर आगे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण 230मी0(मै0गुडलक ट्रे0 कम्पनी)	1044148.00	1.ठेकेदार की हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र क्रमशः वर्ष 2010 व दि0 22/7/17 का बना संलग्न है जो न्यूनतम दो वर्ष के अन्दर का होना चाहिये।
11	1498,वि0ख0औरैया के गढा मानिक चन्द्र मे बीरबल सिंह भदौरिया के मकान से सेंगर नदी तक नाला	9995695.00	1.श्रम विभाग मे लेवर रजिस्ट्रेशन पत्रावली मे नहीं पाया गया।

	निर्माण 60मी० (मै० अमर सिंह परिवार)		
12	1500, ग्राम मधुपुर में कैनाल पटरी से मधुपुर तक सी०सी० मार्ग निर्माण (123मी०) (मै० गुडलक ट्रे० एण्ड कम्पनी)	549233.00	1. हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का है तथा चरित्र प्रमाण पत्र दि० 22/7/17 का जो कार्यादेश से 2 वर्ष पूर्व का है। 2. कार्य समापन निर्धारित अवधि वाद सम्पन्न है फिर भी बिलम्ब शुल्क 1 प्रतिशत की दर से ₹ 5492 होता है जो बिना कारण ही मात्र ₹ 4170 काटा गया है। 3. कृत कार्य का एक भी फोटोग्राफ संलग्न नहीं है जो नियम विरुद्ध है।
13	1504, जौरा मार्ग से सत्येन्द्र अवस्थी के घर से सुबोध अवस्थी के घर तक सी०सी० मार्ग निर्माण (100मी० ग 75मी०) मै० गुडलक ट्रे० क०	494217.00	1. चरित्र प्रमाण पत्र दि० 22/7/17 का है तथा हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का है जो 2 वर्ष पूर्व के है। 2. एकल फोटोग्राफ लगी है वह भी निर्माण पूर्व की है जो नियमतः त्रिस्तरीय होनी चाहिये।
	योग	रु	22018339.00

(मूल आ० स० 39)

प्रस्तर संख्या 13.- जिला पंचायत किराया रजि० का अवलोकन करने एवं किराया वसूल धनराशि का मिलान करने के दौरान यह पाया गया कि जि० प० द्वारा निर्मित विभिन्न बाजारों/स्थानों की दुकानों से नियमित किराया नहीं वसूल हुआ है अस्तु बकाया पड गया, जिससे जिला पंचायत की वर्ष की निजी आय प्रभावित हुई है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं राजस्व निरीक्षक श्री दीवान सिंह जिम्मेदार हैं। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राम पाल सिंह एवं राजस्व निरीक्षक श्री दीवान सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०स०. दुकान	बाजार/स्थान जहाँ दुकान स्थिति है।	बकाया धन० (जो वसूल नहीं हुई)
3	अयाना रोड मुरादगंज	660
14	अयाना रोड मुरादगंज	294
16	अयाना रोड मुरादगंज	500
17	अयाना रोड मुरादगंज	771
1	आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुरादगंज	220
3	आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुरादगंज	441
4	आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुरादगंज	441
4	इटावा कानपुर रोड मुरादगंज	1274
9	इटावा कानपुर रोड मुरादगंज	620
11	इटावा कानपुर रोड मुरादगंज	546
2	क्रीडास्थल के सामने फूड रोड मुरादगंज	626
3	क्रीडास्थल के सामने फूड रोड मुरादगंज	939
6	क्रीडास्थल के सामने फूड रोड मुरादगंज	313
7	क्रीडास्थल के सामने फूड रोड मुरादगंज	313
8	क्रीडास्थल के सामने फूड रोड मुरादगंज	939
9	क्रीडास्थल के सामने फूड रोड मुरादगंज	939
12	क्रीडास्थल के सामने फूड रोड मुरादगंज	939

13	क्रीडास्थल के सामने फफूद रोड मुरादगंज	626
14	क्रीडास्थल के सामने फफूद रोड मुरादगंज	2817
18	क्रीडास्थल के सामने फफूद रोड मुरादगंज	1250
1	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1125
2	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1125
4	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1125
6	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1125
7	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1125
8	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1500
10	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	750
11	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	750
12	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1125
14	जिला पंचायत इ0का0 मुरादगंज के सामने	1125
14	जिला पंचायत मार्केट विधूना	4375
15	जिला पंचायत मार्केट विधूना	7500
31	जिला पंचायत मार्केट विधूना	11250
32	जिला पंचायत मार्केट विधूना	22125
33	जिला पंचायत मार्केट विधूना	4375
38	जिला पंचायत मार्केट विधूना	7500
39	जिला पंचायत मार्केट विधूना	7500
40	जिला पंचायत मार्केट विधूना	3125
48	जिला पंचायत मार्केट विधूना	1875
48	जिला पंचायत मार्केट विधूना	3125
49	जिला पंचायत मार्केट विधूना	1875
54	जिला पंचायत मार्केट विधूना	7500
55	जिला पंचायत मार्केट विधूना	8500
56	जिला पंचायत मार्केट विधूना	1875
57	जिला पंचायत मार्केट विधूना	5000
59	जिला पंचायत मार्केट विधूना	1875
	योग-	125718.00

(मूल आ0 स0 46)

प्रस्तर संख्या 14.- जिला पंचायत बजट रजि0 के अवलोकन में यह पाया गया कि जि0प0 द्वारा विभिन्न मदों पर प्रस्तावित बजट से अधिक धन वास्तव में व्यय किया गया है, जिस हेतु पुनरीक्षित बजट अनुमोदित करा कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो अनियमित एवं आपत्ति जनक है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी हैं। इस प्रकार प्रस्तावित बजट से रु0 1339740.00 अधिक व्यय हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

मद	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
1.क्र0 1से 11 तक(क्रम 07 छोड़कर)	965000.00	1068452.00	103452.00
2. पेंशन	6000000.00	7236288.00	1236288.00
योग			1339740.00

(मूलआ0स047)

प्रस्तर संख्या 15.- दिनांक 31.03.20 को जिला पंचायत की सामान्य कैश बुक के अनुसार रोकड शेष रु0 332632383.86 रही। जबकि बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष रु0 333328055.36 है। इस प्रकार संस्था की रोकड व संस्था के विभिन्न बैंक खातों के दि0 31.03.20 को जमा रोकड में रु0 695671.50 का अन्तर है। जिसके सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया गया है जो निम्नवत रहा।

1. कैश बुक के अनुसार शेष रु0 - 332632383.86
2. अनाहरित चैक रु0- 735430.00
3. बैंक व्यय जो कैशबुक से नहीं घटी है- 29629.70
4. कैश बुक की रोकड शेष रु0 333338184.16
5. बैंक पास बुक अनुसार शेष रु0 - 333328055.36
6. कैश बुक व बैंक में अन्तर की राशि रु- 10128.80

उक्त बैंक समाधान विवरण पत्र की लेखा परीक्षा दौरान जांच की गई और रु 10128.80 का अन्तर पाया गया। जिस हेतु लेखाकार श्री सुनील कुमार शुक्ला उत्तरदायी है। जिसकी वसूली श्री सुनील कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0स048)

प्रारूप-2

नाम संस्था-जिला पंचायत इटावा लेखा परीक्षा टिप्पणी वर्ष-2020-21

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर प्रपत्र-26 की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड भरथना की निम्नलिखित दुकानों का लाइसेन्स नवीनीकरण न कर शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न है :

क्र.सं.	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	मोढ़ी	नितिन कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार	मेडिकल स्टोर	1200.00
2	मोढ़ी	कृष्ण पुत्र श्री अमर सिंह	सिलाई	200.00
3	वैशौली घाट	संजय कुमार पुत्र श्री इतवारी लाल	परचूनी	400.00
4	वैशौली घाट	सुदेश कुमार पुत्र श्री मनीराम	टेन्ट हाउस	1000.00
5	गंसरा	प्रमोद कुमार पुत्र श्री नाथूराम	परचूनी	400.00
6	सरैया	मो0 शकील पुत्र मो0 तब्दील	साईकिल मरम्मत	200.00
7	चन्द्रपुरा	शिव नन्दन पुत्र श्री छोटे सिंह	टेन्ट एवं परचूनी	1400.00
8	ढकपुरा	ईश्वर दयाल श्री बड़े लाल	आटा चक्की	500.00
			योग	5300.00

इस प्रकार मु0 5300.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं श्री पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल अपति संख्या- 11)

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष लाइसेन्स शुल्क रजिस्ट्रर प्रपत्र-26 की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड जसवन्तनगर की निम्नलिखित दुकानों का लाइसेन्स नवीनीकरण न कर शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	धनुवों	पवन कुमार पुत्र सूगर सिंह	साई0 मरम्मत	200.00
2	होटल	दुर्गा ढाबा एन.एच.-2 मालाजनी जसन्त नगर	होटल	2000.00
			योग	2200.00

इस प्रकार मु0 2200.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं श्री पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल अपति संख्या- 12)

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष लाइसेन्स शुल्क रजिस्ट्रर प्रपत्र-26 की जांच में पाया गया कि विकास खण्ड बढपुरा की निम्नलिखित दुकानों का लाइसेन्स नवीनीकरण न कर शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	जैतपुरा	प्रो0 मुनेश बघेल	मिठाई	400.00
2	जैतपुरा	सुबोध पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	परचूनी	400.00
3	उदीमोड़	नरेन्द्र पुत्र श्री रामस्नेही	जनरल स्टोर	400.00
4	उदीमोड़	श्री भदौरिया मेडिकल स्टोर	मेडि. स्टोर	1200.00
5	उदीमोड़	सुरेश पुत्र सीताराम	गल्ला फड़	400.00
6	उदीमोड़	वीरेन्द्र पुत्र रामनाथ	पुस्तक भण्डार	250.00
7	उदीमोड़	शिवशंकर पुत्र राम कुमार	गल्ला फड़	400.00
8	उदीमोड़	मे. लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल्स प्रो0 अंकित भदौरिया	लोहा	800.00
9	उदीमोड़	बहादुर खॉपुत्र इस्माल खॉ	जन. स्टोर	400.00
10	उदीमोड़	संजीव कुमार पुत्र राम नारायण	आभूषण	1200.00
11	उदीमोड़	दिनेश पुत्र छवि राम	टैक्टर मरम्मत	400.00
12	उदीमोड़	सुरेन्द्र सिंह पुत्र दीवान सिंह	गैस चूल्हा म.	600.00
13	उदीमोड़	विवेक कुमार पुत्र श्याम चन्द्र जैन	परचूनी	400.00
14	उदीमोड़	जैन स्वीट हाउस प्रो0 विनय कुमार	मिठाई	400.00
15	उदीमोड़	राकेश जैन पुत्र सनुज जैन	परचूनी	400.00
16	उदीमोड़	रंजीत पाल पुत्र जयदेव सिंह	टैक्टर मरम्मत	400.00
17	उदीमोड़	प्रमोद कुमार पुत्र मुन्ना लाल	कपड़ा	400.00
18	उदीमोड़	सौरभ जैन पुत्र चन्द्र प्रकाश	परचूनी	400.00
19	उदीमोड़	डिम्पल उफ्र जितेन्द्र कुमार पुत्र राज कुमार गुप्त	परचूनी	400.00

20	उदीमोड़	श्री मे. महावीर जनर स्टोर प्रो० महावीर प्रसाद जैन	जनरल स्टोर	400.00
21	उदीमोड़	सत्यवीर पुत्र रामदास	कपड़ा	400.00
22	उदीमोड़	मे० रिन्कू सूज स्टोर (प्रो० कमल किशोर)	शूज स्टोर	800.00
23	उदीमोड़	मे. भगवत जनरल स्टोर प्रो० भगवत राजपूत	जन. स्टोर	400.00
24	पछाय गाँव	विनोद पुत्र राजेन्द्र सिंह	परचूनी	400.00
25	पछाय गाँव	गीस कुमार पुत्र कैलाश नारायण	परचूनी	400.00
26	पछाय गाँव	धमेन्द्र पुत्र रवीन्द्र सिंह	परचूनी	400.00
27	पूठन सकरौली	शतू जनरल स्टोर प्रो० प्रदुम्य सिंह	जन. स्टोर	400.00
28	पूठन सकरौली	राजेन्द्र पुत्र छत्रपाल	परचूनी	400.00
29	पूठन सकरौली	अरविन्द पुत्र राम सिंह	बॉसबल्ली	1000.00
30	पूठन सकरौली	सरवन सिंह पुत्र रामजीत	साई० मरम्मत	200.00
31	पूठन सकरौली	सुरेश पुत्र लाला राम	परचूनी	400.00
32	पूठन सकरौली	रवीन्द्र पुत्र सुबेदार	परचूनी	400.00
33	पूठन सकरौली	राकेश पुत्र सुभाष बाबू राजपूत	जन. स्टोर	400.00
34	पूठन सकरौली	अखिलेश कुमारी पत्नी सूर्य प्रकाश	जन. स्टोर	400.00
35	पूठन सकरौली	मे० प्रमोद कुमार राजपूत पुत्र किशन	आटो पार्ट्स	400.00
36	पीधूपुर	सतीश चन्द्र पुत्र जैन	परचूनी	400.00
37	परमधाम	विपिन कुमार पुत्र लाल बहादुर	परचूनी	400.00
38	वेतालपुरा	श्री आरती टेलर्स प्रो० पूरन सिंह	सिलाई	200.00
39	उदीगाँव	राम कुमार पुत्र गोविन्द सिंह	परचूनी	400.00
40	उदीगाँव	नरेश पुत्र नौपत सिंह	परचूनी	400.00
41	उदीगाँव	प्रवेन्द्र सिंह पुत्र रंजीत सिंह	परचूनी	400.00
42	उदीगाँव	रणवीर सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह	परचूनी	400.00
42ए	रमीकावर	राधे श्याम पुत्र लाल सिंह	साई. मरम्मत	200.00
43	रमीकावर	अजब सिंह पुत्र सोने लाल	परचूनी	400.00
44	मानिकपुर मोहन	बलवीर सिंह पुत्र छकौड़ी लाल	परचूनी	400.00
45	मानिकपुर मोहन	मे. संजीव कुमार	जन. स्टोर	400.00
46	मानिकपुर विशु	दिनेश बाबू पुत्र श्याम सुन्दर	परचूनी	400.00
47	मानिकपुर विशु	करन सिंह पुत्र भीखम सिंह	परचूनी	400.00
48	मानिकपुर विशु	मोनू पुत्र विश्वनाथ	परचूनी	400.00
49	मानिकपुर विशु	शैलेन्द्र सिंह पुत्र मचल सिंह	परचूनी	400.00
50	मानिकपुर विशु	सर्वेश कुमार पुत्र श्याम सुन्दर	परचूनी	400.00
51	मानिकपुर विशु	सुनील कुमार पुत्र अवधेश कुमार	परचूनी	400.00
52	नगला नगौली	श्याम वीर पुत्र उम्मेद सिंह	परचूनी	400.00
53	गहलोत चौराहा	दर्शन सिंह पुत्र फूल सिंह राजपूत	बॉसबल्ली सटरिंग	1000.00
54	गहलोत चौराहा	शनि कुमार पुत्र कृष्ण कुमार	परचूनी	400.00

55	गहलोत चौराहा	बेटा लाल पुत्र श्याम लाल	परचूनी	400.00
56	गहलोत चौराहा	श्री शैलेन्द्र पुत्र राम कृपाल शर्मा	फर्नी0 लकडी की दुकान	400.00
57	गहलोत चौराहा	लाल बाबू पुत्र राम नरेश	परचूनी	400.00
58	गहलोत चौराहा	लाल बाबू पुत्र राम नरेश	शू- स्टोर	800.00
59	गहलोत चौराहा	मुकेश कुमार पुत्र श्री राम	मिठाई	400.00
60	गहलोत चौराहा	बृजेश बाबू पुत्र सुल्तान सिंह	परचूनी	400.00
61	जहरौली चौराहा	जागेश्वर पुत्र अर्जुन सिंह	परचूनी	400.00
62	पावरमिल नगला बाबा	सुमेर सिंह पुत्र कन्हैया लाल	चक्की	500.00
63	पावरमिल नगला बाबा	मोहन लाल पुत्र तुलसी राम	चक्की	500.00
64	पावरमिल नगला बाबा	पवन आटा चक्की प्रो0 कुसुमा देवी	चक्की	500.00
65	देसरमऊ	हरि बाबू पुत्र सीताराम	चक्की	500.00
66	देसरमऊ	मुरारी लाल पुत्र भीम सेन	चक्की	500.00
67	देसरमऊ	रामदास पुत्र तोसे लाल नि. पटेल नगर।	चक्की	500.00
68	फूल सकरौली	मे. सपना आटा चक्की पो. सेवाराम	चक्की	500.00
69	फूल सकरौली	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी हरनाथ सिंह	चक्की	500.00
			योग	32250.00

इस प्रकार जिला पंचायत को मु0 32250.00 से क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं श्री पटल प्रभारी श्री रविकान्त उत्तरदायी रहे। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल अपति संख्या- 13)

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष लाइसेन्स शुल्क रजिस्ट्रर के अवलोकन में पाया गया कि विकास खण्ड सैफई की निम्नलिखित दुकानों का लाइसेन्स नवीनीकरण न कर शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	हैबरा	श्याम बाब पुत्र श्याम सुन्दर	इलेक्ट्रिकल्स	1000.00
2	बैदपुरा	मे0 किशान बजी भण्डार प्रेम चन्द्र पुत्र गंगा राम	बीज	800.00
3	“	ग्रीस चन्द्र पुत्र करन चन्द्र सिंह	मिठाई	400.00
4	“	कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मी नारायण	बर्तन	400.00
5	हरदोई	प्रो0 राधा कृष्णन मे0 किसान मेडिकल स्टोर	मेडिकल स्टोर	1200.00
6	“	राजीव कुमार पुत्र महेश चन्द्र	परचूनी	400.00
7	“	अवधेश कुमार गुप्ता पुत्र हरि किशान	परचूनी	400.00
8	“	मे. कन्हैया खाद्य बीज भण्डार प्रो0 बृज किशोर	खाद् बीज	1200.00
9	“	मे0 मौनी ज्वलर्स (प्रो0 सिपाही राम शाक्य)	आभूषण	1200.00
10	“	मनोज कुमार शाक्य पुत्र छेदा लाल	इलेक्ट्रिकल्स	1000.00
11	कुम्हावर	महेश चन्द्र पुत्र मुन्नी लाल	मिठाई	400.00
12	“	मे0 कुलदीप जनरल स्टोर	जनरल स्टोर	400.00
13	“	आशीष कुमार पुत्र महेश चन्द्र	जनरल स्टोर	400.00
14	कुईया	राघवेन्द्र शाक्य पुत्र गया प्रसाद	परचूनी	400.00
15	होटल	प्रो0 राजू यादव पुत्र रमा शंकर नि0 (कुंजपुरा)	होटल	2000.00

		वाले)		
16	पावर मिल	बलवन्त िसंह पुत्र रघुनाथ सिंह	आटा चक्की	500.00
			योग	12100.00

इस प्रकार जिला पंचायत को मु0 12100.00 से क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं श्री पटल प्रभारी श्री रविकान्त उत्तरदायी रहे। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल अपति संख्या- 14)

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष लाइसेन्स शुल्क रजिस्ट्रर के अवलोकन में पाया गया कि विकास खण्ड ताखा की निम्नलिखित दुकानों का लाइसेन्स नवीनीकरण न कर शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	उसराहार	अवनीश पुत्र ओम प्रकाश	जनरल स्टोर	400.00
2	“	प्रदीप पुत्र मन्नी लाल	किराना	200.00
3	“	मुरारी शरण पुत्र राम शरण	शू-स्टोर	800.00
4	“	सन्तोष कुमार पुत्र सोने लाल	मावा	800.00
5	“	शमशाद अली पुत्र नन्हे खों	जनरल स्टोर	400.00
6	ताखा	गनेश चन्द्र मित्र पुत्र विद्याधर	पुस्तक	250.00
7	समथर	जारवीर मोबाइल प्रो0 आदेश कुमार	मोबाइल	1000.00
8	पावर मिल	विवेक कुमार पुत्र कृपाल सिंह	आटा चक्की	500.00
9	“	मे0 अजय आटा चक्की (प्रो0 राम प्रकाश)	आटा चक्की एवं स्पेलर	1100.00
10	“	नजरा पुत्र जोरा सिंह	आटा चक्की	500.00
11	“	राजवीर सिंह पुत्र निक्सन लाल नि0 रौरा	आटा चक्की एवं स्पेलर	1100.00
12	“	किशन दयाल सक्सेना पुत्र छोटे लाल	आटा चक्की	500.00
13	उसराहार	प्रो0 अविनाश सिंह यादव व मानसिंह यादव	मैरिज होम	5000.00
14	उदयपुर कलों	ओम साई राम मैरिल होम (प्रो0 विजय कुमार)	मैरिज होम	5000.00
15	धर्मकोटा	मे0 ओम साईराम धर्मकोटा (प्रो0 विजय कुमार)	धर्मकोटा	1500.00
16	गैस एजेन्सी	मे0 ताखा इण्डियन सर्विस प्रो0 चनेश कुमार माथुर	जनरल स्टोर	6000.00
			योग	25050.00

इस प्रकार जिला पंचायत को मु0 25050.00 से क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं श्री पटल प्रभारी श्री रविकान्त उत्तरदायी रहे। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल अपति संख्या- 15)

प्रस्तर-6 आलोच्य वर्ष लाइसेन्स शुल्क रजिस्ट्रर के अवलोकन में पाया गया कि विकास खण्ड महेवा की निम्नलिखित दुकानों का लाइसेन्स नवीनीकरण न कर शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	महेवा	शिवा आटो पार्टस (प्रो0 बीनू तिवारी)	आटो पार्टस	400.00

2	अहेरीपुर	संजय जनर स्टोर(विष्णु प्रसाद)	जनरल स्टोर	400.00
3	व्यासपुर	रायाखिलाड़ी पुत्र विष्णुपाल)	परचूनी	400.00
4	"	कृपाशंकर पुत्र हर नारायण	परचूनी	400.00
5	निवाडी खुर्द	विनोद कुमार पुत्र बहादुर	परचूनी	400.00
6	"	रूकसाना पत्नी तौहीद खों	परचूनी	400.00
7	सुनवर्षा	राम आसरे पुत्र राम अवतार	परचूनी	400.00
8	इंगुरी	कौशलेश िंसह पुत्र राम प्रवेश सिंह	परचूनी	400.00
9	"	उदयवीर पुत्री स्वामीदीन सक्सेना	जनरल स्टोर	400.00
10	"	अनिल कुमार पुत्र उदय वीर	परचूनी	400.00
11	"	राम स्नेही पुत्र गुलाब चन्द्र	परचूनी	400.00
12	"	सुदामा पाल पुत्र कृष्ण बिहारी	परचूनी	400.00
13	"	छोटे लाल पुत्र विद्या सागर कठेरिया	परचूनी	400.00
14	कर्वा बुजुर्ग	गिरजेश पुत्र वृन्दावन	जनरल स्टोर	400.00
15	"	आशुतोष पुत्र सुमित नारायण	परचूनी	400.00
16	"	मयंक पाण्डे पुत्र अवधेष कुमार	परचूनी	400.00
17	सराय जलाता	वेदप्रकाश पुत्र विश्राम सागर	परचूनी	400.00
18	कुडारिया	भूपेन्द्र कुमार पुत्र हरदेव	परचूनी	400.00
19	"	जयपाल पुत्र मुलायम सिंह	जनरल स्टोर	400.00
20	"	दीपक कुमार पुत्र राम कृष्ण दोहरे	परचूनी	400.00
21	"	छोटे लाल पुत्र बलवंत दोहरे	परचूनी	400.00
22	धौरखा	महेश कुमार पुत्र शिवराम गुप्ता	जनरल स्टोर	400.00
23	"	लालाराम पुत्र रघुनन्दन	परचूनी	400.00
24	"	सुरजीत पुत्र रघुवीर दोहरे	जनरल स्टोर	400.00
25	"	मुकेश पुत्र अतबल सिंह	जनरल स्टोर	400.00
26	"	अमृत लाल पुत्र बलराम दोहरे	जनरल स्टोर	400.00
27	"	गोविन्द पुत्र बाकेलाल	परचूनी	400.00
28	"	सुबोध कुमार पुत्र कृष्ण प्रसाद राठौर	परचूनी	400.00
29	"	उमेश चन्द्र पुत्र महेश चन्द्र	परचूनी	400.00
30	धुबियाई	धर्मेन्द्र पुत्र मुनीम	परचूनी	400.00
31	"	महेशसिंह पुत्र उमराव सिंह	परचूनी	400.00
32	ईश्वरीपुर चौराहा	भारतसिंह पुत्र जगन्नाथ	रेडियो म0	400.00
33	"	प्रेम सिंह पुत्र पुलिन्दर सिंह	वस्त्र भण्डार	400.00
34	"	अजय सिंह पुत्र पहलवान सिंह	परचूनी	400.00
35	"	बैजनाथ पुत्र बुद्धसिंह	साईकिल म0	200.00
36	दाईपुरा	संजीव कुमार पुत्र अहिवरन सिंह	परचूनी	400.00
37	"	शिवबालक पुत्र सुखन्नदन	परचूनी	400.00
38	"	अभिषेक कुमार पुत्र शतीशचन्द्र	परचूनी	400.00
39	"	भानुप्रताप पुत्र देशराज	परचूनी	400.00

40	“	महावीर पुत्र श्रीलीलाधर दिवाकर	परचूनी	400.00
41	जगमोहनपुर	नितीन कुमार पुत्र महावीर सिंह	परचूनी	400.00
42	“	प्रभुदयाल पुत्र रोशन लाल	परचूनी	400.00
43	“	बड़े लाल पुत्र देशराज	परचूनी	400.00
44	“	रूपसिंह पुत्र चन्द्रभान राजपुत	परचूनी	400.00
45	“	दीनदयाल पुत्र रामसेवक	परचूनी	400.00
46	बेरी खेरा	जगतनारायण पुत्र विजयबहादुर	परचूनी	400.00
47	पटिया चौराहा	राधेश्याम पुत्र रामभरोसे	परचूनी	400.00
48	“	रामभरोसे पुत्र सीयाराम	परचूनी	400.00
49	“	मनोज कुमार पुत्र तुलसीराम	परचूनी	400.00
50	“	रिंकू पोरवाल पुत्र रामभरोसे	परचूनी	400.00
51	न0 खजुरी	विवेक कुमार पुत्र अजीत िंसह	गल्ला फर्द	800.00
52	“	अनिल कुमार पुत्र गंगा राम	गल्ला फर्द	800.00
53	उझियानी	लक्ष्मीकान्त पुत्र सुन्दर लाल	आटा चक्की	500.00
54	महेवा	विमल पाल पुत्र राम बाबू	आटा चक्की	500.00
55	अहेरीपुर	तस्बीन बेगम पत्नी रसूल खॉ	आटा चक्की	500.00
56	न. बाजार नखला	नरेश पुत्र जवाहर लाल	2 आटा चक्की, 1 स्पेशलर	1600.00
57	इंगुरी रोड लखना	कन्हैया लाल पुत्र अशोक कुमार	आटा चक्की, एवं स्पेशलर	1100.00
58	“	राम चन्द्र पुत्र बिहारी लाल	आटा चक्की, एवं स्पेशलर	100.00
59	पुराना पुल	सन्तोष कुमार पुत्र खुशी लाल गुप्ता	4 आटा चक्की, एवं 2 स्पेशलर	2000.00 1200.00
60	अडडा वृन्दावन	सन्त कुमार पुत्र राम किशोर त्रिपाठी	आटा चक्की	500.00
61	सरायमीठे	श्रीमती विलाशवती पत्नी कोमल सिंह	आटा चक्की, स्पेशलर एवं धान मशीन	1700.00
62	पहाडपुरा	लोकेन्द्र पुत्र कमल सिंह	आटा चक्की	500.00
63	दाईपुरा	राजाराम पुत्र उमा शंकर	आटा चक्की	500.00
64	धर्मपुरा	हरनाम सिंह पुत्र जोधा िंसह	आटा चक्की	500.00
65	“	हरगोविन्द पुत्र कल्याण सिंह	आटा चक्की	500.00
66	जैतपुरा	दीपा आटा चक्की प्रो0 अचनीश कुमार	आटा चक्की	500.00
67	परसुपुरा	शिवकान्त पुत्र गया प्रसाद	आटा चक्की	500.00
68	ब्यासपुर	सन्दीप कुमार पुत्र जगदम्बा प्रसाद	आटा चक्की	500.00
			योग	35600.00

इस प्रकार जिला पंचायत को मु0 35600.00 से क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं श्री पटल प्रभारी श्री रविकान्त उत्तरदायी रहे। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल अपति संख्या- 16)

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष लाइसेन्स शुल्क रजिस्ट्रर के अवलोकन में पाया गया कि विकास खण्ड चकरनगर की निम्नलिखित दुकानों का लाइसेन्स नवीनीकरण न कर शुल्क की वसूली नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	चकरनगर	अशोक कुमार पुत्र चन्देल सिंह	परचूनी	400.00
2	"	मुनेश पुत्र सीताराम	स्टेशनरी	250.00
3	हनुमन्तपुरा	राज कुमार पुत्र श्याम किशोर	जनरल स्टोर	400.00
4	"	सुनील कुमार पुत्र केशव पाल	कपड़ा	400.00
5	"	गोपाल कृष्ण पुत्र राधा चरन	परचूनी	400.00
6	"	भगवती पुत्र किशन प्रसाद	स्वर्णकार	1200.00
7	"	चन्दन पुत्र विद्या सागर	परचूनी	400.00
8	"	सदन कुमार पुत्र शियाराम	स्टेशनरी	250.00
			योग	3700.00

इस प्रकार जिला पंचायत को मु0 3700.00 से क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं श्री पटल प्रभारी श्री रविकान्त उत्तरदायी रहे। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल अपति संख्या- 17)

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में अत्यन्त विलम्ब किया जा रहा है कार्यों में कार्यादेश के समय पूर्ण करने की दी गयी तिथि के लगभग एक वर्ष पश्चात भी कार्य अपूर्ण रहे। जिसके कारण व्ययकृत धन का पूर्णतया: सदुपयोग नहीं हुआ है तथा विकास कार्यों को भी प्रभावित किया गया है। क्योंकि जनमानस को इन कार्यों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जी0एस0टी0 सहित	कार्यालय आदेश दिनांक	31.03.2021 तक व्यय की धनराशि	कार्योदेश में समय कार्य पूर्ण करने का दिनांक
1	वि0 क्षेत्र जसवन्तनगर के गा. शाहजहाँपुर मुख्यमार्ग से गम्भीर सिंह के मकान की ओर सी0सी0 व नाला निर्माण कार्य।	27.85	24.12.19	20.04	31.03.20
2	वि0 क्षेत्र. महेवा के गा. तुर्कपुर में देवी स्थान से मेन रोड नगला श्रीराम तक सी0सी0 कार्य।	21.85	24.12.19	18.22	31.03.20
3	वि0 क्षेत्र भरथना के भरथना- सराय चौरी मार्ग से न0 बरवा पाली खुर्द तक सी0सी0 कार्य।	24.56	09.01.20	21.23	15.04.20
4	वि0 क्षेत्र सैफई के गा0 रूपपुरा (बर्वा) में बैदपुरा सुपहरी लिंक की ओर सी0सी0 कार्य।	16.24	24.12.19	5.37	31.03.20
5	वि0 क्षेत्र सैफई के ग्राम बटौआ से ग्राम	17.54	24.12.19	14.50	31.03.20

	सबी सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य।				
6	वि0 क्षेत्र सैफई के गा0 वर्माजीत से ग्राम नायकपुर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य	37.86	09.01.20	4.27	15.04.20
7	वि0 क्षेत्र भरथना के गा0 कुसना मार्ग से दीनपुरा की ओर अवशेष मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	20.18	24.12.19	17.00	31.03.20
8	वि0 क्षेत्र जसवन्त नगर ब्राह्मणी मन्दिर सम्पर्क मार्ग से सतौर तक खड्जा कार्य।	12.01	24.12.19	3.79	31.03.20
9	वि0 क्षेत्र चकरनगर के ग्राम सहसो में सीताराम के दरवाजे से शमशान घाट तक सी0सी0 कार्य।	17.73	24.12.19	6.09	31.03.20
10	वि0 क्षेत्र महेवा के बेनवा ताल मौजा हरचन्दपुर मुख्य मार्ग से न0 थान सिंह सी0सी0 कार्य।	21.94	09.01.20	6.84	15.04.20
11	वि0 क्षेत्र चकर नगर के ग्राम कुन्दौल में गोविन्द के मकान से गाँव की ओर सी0सी0 कार्य।	18.58	09.01.20	12.66	15.04.20
12	वि0 क्षेत्र सैफई के हैबरा में मवेशी खाना का अनुरक्षण कार्य।	11.86	27.02.19	10.38	30.09.19
13	वि0 क्षेत्र बसरेहर के बनकटी सिरसा माइनर के न0 बाबा से मोहब्बतपुर गाँव तक सी0सी0 कार्य।	36.03	09.01.20	21.05	15.04.20
14	वि0 क्षेत्र महेवा के निवाडी पेवली मार्ग मजनू का अड़डा की ओर खड्जा कार्य।	16.82	24.12.20	12.22	31.03.20
15	वि0 क्षेत्र भरथना के बाजू नगर सम्पर्क मार्ग से बैशौली घाट तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	23.93	09.01.20	22.12	15.04.20
16	विकास क्षेत्र ताखा के सुतियानी कुदरैल मार्ग से सुखैयों गाँव की ओर अवशेष भाग पर खड्जा कार्य।	10.77	24.12.19	2.31	31.03.20
17	वि0 क्षेत्र सैफई के गा0 गीजा में मन्दिर से न0 भूरे की ओर सी0सी0 कार्य।	31.8	24-12-19	23.08	31-03-20
18	वि0 क्षेत्र महेवा के नसीरपुर- बोझा मार्ग से घुघसीना तक खड्जा कार्य।	14.08	09-01-20	8.08	15-04-20

इस प्रकार संस्था द्वारा मु0 229.350 लाख निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए संस्था के अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल, लेखाकार श्री गया प्रसाद, अभियन्ता श्री नीरज रस्तोगी एवं पटल प्रभारी श्री जय मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल अपति संख्या- 18)

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष 2020-21 में वेतन,पेन्शन व महंगाई भत्ता मद में रुपये 185.000 लाख व्यय जिला पंचायत के बजट में स्वीकृत था जबकि इस मद में रुपये 212.195 लाख व्यय किया गया है। इस प्रकार रुपये 27.195 लाख स्वीकृत बजट से अधिक व्यय कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं लेखाकार श्री गया प्रसाद गुप्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल अपति संख्या- 19)

प्रस्तर-10 जिला पंचायत कांजी हाउस मद में वर्ष 2020-21 के लिए कोई बजट व्यय हेतु स्वीकृत नहीं है इसके उपरान्त भी रुपये 3.157 लाख व्यय किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल एवं लेखाकार श्री गया प्रसाद गुप्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल अपति संख्या- 20)

प्रारूप -2

जनपद - फर्रुखाबाद

मण्डल-कानपुर

जिला पंचायत-फर्रुखाबाद लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

प्रस्तर-1-दिनांक 31.03.2018 को जिला पंचायत के विभिन्न खातों में जमा धनराशियों एवं इन खातों में कैश बुक में दर्शित अवशेषों में निम्नवत अन्तर विद्यमान रहा:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता सं०	दि० 31.03.2018 को बैंक के अनुसार शेष	दि० 31.03.2018 को कैशबुक के अनुसार शेष	अन्तर की धनराशि
1	2	3	4	5	6
	जिला निधि:-				
1	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	1888	3346891=45	23202092=19	5963490=30
2	जिला सहकारी बैंक लि० फतेहगढ़	1107	157442=70		
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया फतेहगढ़	5468	926932=00		
4	एच०डी०एफ०सी० फतेहगढ़	1376	24734316=34		
	योग:-		29165582=49		
	राज्य वित्त:-				
5	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	0290	297822383=18	320945271=21	42022=00
6	आई०डी०बी०आई०	7909	7833642=00		
7	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया फतेहगढ़	1957	4637557=00		
8	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक फतेहगढ़	3606	118105=00		
9	पी०एल०ए० खाता	8448	10575606=03		
	योग:-		320987293=21		
	सम्पूर्ण योग (जिला निधि+राज्य वित्त)		350152875=70	344147363=40	6005512=30

उक्त अन्तर ₹०-6005512=30 के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किये गये हैं। जबकि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम-84 के अनुसार प्रत्येक

माह के अन्त में पाये जाने वाले अन्तरो के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जायेगा। इस प्रकार जिला पंचायत में 31.03.2018 को ₹0-6005512=30 असमाधानित अन्तर विद्यमान रहा। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्ब्रेष सयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर-2- वर्ष 2017-18 में जिला पंचायत प्रपत्र-05 रसीद संख्या-245852 से 245863 तक कर समारहता श्री राकेश सिंह द्वारा ₹0-15980.00 वसूल किये गये, उक्त वसूली के सापेक्ष दिनांक 12.06.2017 को ₹0-5000.00 एवं दिनांक 14.06.2017 को ₹0-10580.00 कुल ₹0-15580.00 ही बैंक में जमा किया गया। इस प्रकार ₹0-400.00 कर समारहता श्री राकेश सिंह द्वारा वसूली का धन कम जमा किया गया है। अतः ₹0-400.00 कर समारहता श्री राकेश सिंह से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर-3- वर्ष 2017-18 में जिला पंचायत प्रपत्र-05 रसीद संख्या-244066 से 244073 तक कर समारहता श्री राकेश सिंह द्वारा ₹0-1960.00 वसूल किये गये, उक्त वसूली के सापेक्ष यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया में ₹0-1740.00 ही जमा किया गया है। इस प्रकार ₹0-220.00 कर समारहता श्री राकेश सिंह द्वारा वसूली का धन कम जमा किया गया है। अतः ₹0-220.00 कर समारहता श्री राकेश सिंह से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपति संख्या-04)**

प्रस्तर-4- वर्ष 2017-18 के व्यय प्रमाणको की जाँच में पाया गया कि दिनांक 22.11.2017 को प्रमाणक संख्या-30 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता विधुत वितरण खण्ड (नगरीय) फतेहगढ़ को दिनांक 07.06.2017 से दिनांक 05.07.2017 तक विधुत बिल (पिछले एरियर बिल सहित) कुल ₹0-76678.00 का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में आपति यह है कि सम्बन्धित बिल में पेनाल्टी ₹0-2160.00 लेट पे सरचार्ज ₹0-48.11 एवं एरियर लेट सरचार्ज ₹0-9310.68 दर्शित है। इस प्रकार कुल ₹0-11518.79 का जिला पंचायत की लापरवाही/उदासीनता से अतिरिक्त भुगतान करना पडा। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तर दायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **(मूल आपति संख्या-05)**

प्रस्तर-5- भवन अग्रिम पत्रावली से सम्बन्धित लेजर की जाँच में पाया गया कि कतिपय कर्मचारियों को वर्ष 2011-12 में अग्रिम दिया गया दर्शित है, किन्तु सम्बन्धित लेजर दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण कर नहीं रखे गये है। जिससे दिनांक 31.03.2018 को कर्मचारियों पर अवशेष अग्रिम की स्थिति अज्ञात रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में संलग्न नोट शीट के अनुसार “ वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-05 भाग-1 के नियम-242(2)के अनुसार ब्याज की अदायगी ऋण की प्रत्येक किस्त के साथ की जायेगी” किन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों से ब्याज की वसूली किस्त के साथ नहीं की गयी, साथ ही लेजर में ब्याज की डिमान्ड भी नहीं लगाई जा रही है। अतः दिनांक 31.03.2018 को असल बकाया एवं ब्याज बकाया की स्थिति अज्ञात रही। उदाहरणार्थ:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	दिये गये अग्रिम की धनराशि	वसूली की किस्ते	लेजर में अंकित किस्तें	रजिस्टर पर अंकित अवशेष की धनराशि	अभ्युक्ति/आपति
1	श्री नित्यानन्द दीक्षित	250000=00	100	47	132500=00	लेजर अपूर्ण है।
2	श्री राम नरेश	441000=00	अज्ञात	अज्ञात	शून्य	कटौती पूर्ण किन्तु ब्याज की वसूली नहीं की गयी।

	(डाइवर)					
3	श्री सुख पाल कर समार्हता	432000=00	108	6	408000=00	1.लेजर अपूर्ण है। 2.ब्याज की वसूली नहीं है। 3.वसूली न होने की स्थिति स्पष्ट की जाय। 4.सम्पत्ति बंधक सम्बन्धी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।
4	श्री राकेश कुमार सिंह कर समार्हता	500000=00	140	05	479284=00	1.लेजर अपूर्ण है।2.ब्याज की वसूली नहीं है। 3.वसूली न होने की स्थिति स्पष्ट की जाय। 4.सम्पत्ति बंधक सम्बन्धी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।
5	श्री नरेश कुमार यादव अपर मुख्य अधिकारी	1000000=00	108	29	731460=00	1.लेजर अपूर्ण है।2.ब्याज की वसूली नहीं है। 3.वसूली न होने की स्थिति स्पष्ट की जाय। 4.सम्पत्ति बंधक सम्बन्धी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये। 5.प्रार्थना पत्र अपूर्ण

योग

17,51,244=00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कर्मचारियों से अग्रिम की कटौती नहीं की जा रही है। कर्मचारियों से नियमानुसार ब्याज सहित अग्रिम की वसूली की जानी अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता एवं तत्कालीन लेखाकार को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (मूल आ सं-10)

प्रस्तर-6-वर्ष 2017-18 में दिनांक 28.11.2017 को प्रमाणक संख्या-32 (मई-2017)द्वारा आकाश प्रिन्टिंग प्रेस फतेहगढ़ को ₹0-9240.00 स्टेशनरी क्रय का भुगतान किया गया है। किन्तु सम्बन्धित स्टेशनरी क्रय की डिमान्ड एवं इस खरीद की अनुमति प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं पाई गयी। साथ ही सम्बन्धित प्रमाणक पर यह प्रमाण पत्र भी अंकित नहीं किया गया है कि खरीद की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर पर कर ली गयी है।

इस प्रकार स्टेशनरी खरीद पर अनियमित रूप से किये गये व्यय ₹0-9240=00 के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अग्रेश तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन स्टेशनरी प्रभारी श्री संजीव कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-11)

प्रस्तर-7-वर्ष 2017-18 के प्रमाणको की जाँच में पाया गया कि कतिपय तिथियों में श्री रूपेश कुमार को गाडी संख्या- यू0पी0-81 बी0एच0-8280 से सम्बन्धित शासकीय भ्रमण के दौरान की गयी यात्रायो का निम्नवत भुगतान किया गया है:-

यात्रा की दिनांक (अवधि)	भुगतान का दिनांक	भुगतान की धनराशि	फर्म का नाम
05.11.2016 से 09.11.2016 तक	20.09.2017	15050.00	रूपेश कुमार ट्रवैल्स न्यू नवदिया रामनगर फतेहगढ़
12.11.2016 से 25.11.2016 तक	20.09.2017	19050.00	रूपेश कुमार ट्रवैल्स न्यू नवदिया रामनगर फतेहगढ़
04.06.2017 से 28.06.2017 तक	17.10.2017	26810.00	रूपेश कुमार ट्रवैल्स न्यू नवदिया रामनगर फतेहगढ़
02.08.2017 से 31.08.2017 तक	10.07.2017	17600.00	रूपेश कुमार ट्रवैल्स न्यू नवदिया रामनगर फतेहगढ़
29.06.2017 से 27.07.2017 तक	17.10.2017	27260.00	रूपेश कुमार ट्रवैल्स न्यू नवदिया रामनगर फतेहगढ़
-	योग:-	105770.00	-

उपरोक्त से सम्बन्धित निम्नांकित आपत्तियाँ पाई गयी:-

(अ)-गाडी संख्या यू0पी0-81 बी0एच0-8280 की लॉग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो अपेक्षित रही।

(ब)-लॉगबुक अप्राप्त रहने से यात्रा का उद्देश्य एवं यात्रा किसके द्वारा की गयी आदि की स्थिति अस्पष्ट रही।

(स)-सम्बन्धित फर्म से स्टाम्प पेपर पर कोई अनुबन्ध नहीं किया गया। पत्रावली में संलग्न श्री रूपेश कुमार के पत्र में उल्लेख है कि “मुझे ज्ञात हुआ है कि जिला पंचायत कार्यालय फर्रुखाबाद को शासकीय भ्रमण हेतु गाडी की आवश्यकता रहती है। ” के आधार पर गाडी लगाने हेतु इच्छा व्यक्त की गयी है। जबकि नियमानुसार जिला पंचायत द्वारा गाडी किराये पर लेने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी एवं तदनुसार न्यूनतम दर पर दी गयी निविदा वाली ही फर्म को ही अनुबन्ध कर गाडी का भुगतान किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।

(द)-पत्रावली के साथ गाडी का बीमा, गाडी की आर0 सी0 एवं गाडी ड्राइवर का लाइसेन्स भी संलग्न नहीं पाया गया।

इस प्रकार सम्बन्धित भुगतान अनियमित रहे। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर-8-राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड कमालगंज के ग्राम जहानगंज मार्ग से इकटरिया सम्पक मार्ग पर पी0सी0 निर्माण कार्य (0.000 से 1.000 किलो मीटर) का ठेका मै0 आनन्द कान्सट्रक्सन प्रो0 गिरजा शंकर कटियार को दिया गया। उक्त कार्य हेतु किये गये भुगतान ₹0-849626=00 में से ₹0-5038=00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि उक्त भुगतान में से 2.24% की दर से ₹0-19032=00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार ₹0-13994=00 की आयकर की कटौती कम की गयी है। अतः ₹0-13994=00 ठेकेदार से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्जवल अम्बेश, वित्तीय परामर्श दाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर-9-वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड कमालगंज के ग्राम जहानगंज मार्ग से इकटरिया सम्पक मार्ग पर पी0सी0 कार्य (0.000 से 1.000 किलो मीटर) का ठेका मै0 आनन्द कान्सट्रक्सन प्रो0 गिरजा शंकर कटियार को दिया गया, उक्त कार्य हेतु कुल ₹0-913347=00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1% की दर से ₹0-9133=00 की श्रम उपकर की कटौती की जानी चाहिये, किन्तु ₹0-3155=00 की ही श्रमउपकर की कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹0-5978=00 की श्रम उपकर की कटौती कम की गयी है। अतः ₹0-5978=00 ठेकेदार

से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्जवल अम्ब्रेश, वित्तीय परामर्श दाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-30)

प्रस्तर-10-वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड मोहम्मदाबाद बेवर रोड से सुभानखान सम्पक मार्ग निर्माण कार्य का ठेका मै0 आनन्द कान्सट्रक्सन प्रो0 गिरजा शंकर कटियार को दिया गया। उक्त कार्य हेतु किये गये भुगतान ₹0-780652=00 में से ₹0-4968=00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि उक्त भुगतान में से 2.24: की दर से ₹0-17487=00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार ₹0-12519=00 की आयकर की कटौती कम की गयी। अतः ₹0-12519=00 ठेकेदार से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्जवल अम्ब्रेश, वित्तीय परामर्श दाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू. आ. सं-31)

प्रस्तर-11-वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड मोहम्मदाबाद बेवर रोड से सुभानखान सम्पक मार्ग निर्माण कार्य का ठेका मै0 आनन्द कान्सट्रक्सन प्रो0 गिरजा शंकर कटियार को दिया गया, उक्त कार्य हेतु कुल ₹0-836078=00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1% की दर से ₹0-8361=00 की श्रम उपकर की कटौती की जानी चाहिये, किन्तु ₹0-2772=00 की ही श्रमउपकर की कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹0-5589=00 की श्रम उपकर की कटौती कम की गयी है। अतः ₹0-5589=00 ठेकेदार से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्जवल अम्ब्रेश, वित्तीय परामर्श दाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ. सं-32)

प्रस्तर-12-वर्ष 2017-18 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि से 07 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया और ठेकेदार प्रो0 श्रीमती मीना बेगम को परियोजनाओं के सम्पादन हेतु कार्यादेश जारी किया गया इन परियोजनाओं हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल के आधार पर ठेकेदार प्रो0 श्रीमती मीना बेगम को भुगतान किया गया, और बाद में सन्दर्भित समस्त परियोजनाओं को इकाई द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपूर्ण 07 परियोजनाओं पर ₹0-152700=00 का अलाभकारी व्यय किया गया। परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

(1)पुखरिया पुलिया से निनौरा श्रृंखलापुर तक लेपन पैच मरम्मत का ₹0-76565=00 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया निविदा निस्तारण के उपरान्त चयनित कार्यदायी संस्था मै0 मीना कान्ट्रैक्टर्स प्रो0 श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को दिनांक 28.06.2017 को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल के सापेक्ष ईकाई द्वारा दिनांक 09.08.2017 को ₹0-32500=00 का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान के उपरान्त कोई भी ऐसा अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि प्रश्नगत परियोजना पूर्ण हो रही थी। इस प्रकार अपूर्ण परियोजना पर ₹0-32500=00 का अलाभकारी भुगतान किया गया।

(2)ग्राम निनौरा घूरे तक व राजेपुर सरायमेदा हिसामुल के टयूबवेल तक संपर्क मार्ग पैच मरम्मत कार्य हेतु ₹0-142700=00 के प्राक्कलन की स्वीकृति ईकाई द्वारा प्रदान की गयी। निविदा निस्तारण के उपरान्त दिनांक 28.06.2017 को कार्यदायी संस्था मै0 मीना कान्ट्रैक्टर्स प्रो0 श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यदायी

संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल ₹0-15100=00 के सापेक्ष दिनांक 09.08.2017 को ₹0-15100=00 का भुगतान ठेकेदार प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद किया गया। इसके उपरान्त सन्दर्भित कार्य निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपूर्ण परियोजना पर ₹0-15100=00 अलाभकारी व्यय किया गया।

(3)ग्राम भडौसा से सलेमपुर होते हुये श्रृंगीरामपुर मार्ग तक संपर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य की स्वीकृति दिनांक 21.05.2017 को प्रदान की गयी जिसकी प्राक्कलित धनराशि ₹0-141616=00 थी। निविदा निस्तारण के उपरान्त दिनांक 08.08.2017 को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पादित कार्य के सापेक्ष प्रथम रनिंग बिल के रूप में ₹0-31800=00 के भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल के सापेक्ष जिला पंचायत फर्रुखाबाद द्वारा ₹0-31800=00 का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया। कालान्तर में सन्दर्भित परियोजना निरस्त कर दी गयी। इस प्रकार अपूर्ण परियोजना पर ₹0-31800=00 अलाभकारी व्यय किया गया।

(4)शर्फाबाद में ईदगाह से दादामियां की मजार तक पैच मरम्मत कार्य हेतु ₹0-78879=00 के प्राक्कलन की स्वीकृति ईकाई द्वारा प्रदान की गयी। निविदा निस्तारण के उपरान्त दिनांक 28.06.2017 को कार्यदायी संस्था मै० मीना कान्ट्रैक्टर्स प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल ₹0-6800=00 के सापेक्ष दिनांक 09.08.2017 को ₹0-6800=00 का भुगतान ठेकेदार प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद किया गया। इसके उपरान्त सन्दर्भित कार्य निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपूर्ण परियोजना पर ₹0-6800=00 अलाभकारी व्यय किया गया।

(5)शर्फाबाद में इंतजार के ट्यूबवेल से पीर बाबा की मजार तक पैच मरम्मत कार्य हेतु ₹0-50679=00 के प्राक्कलन की स्वीकृति ईकाई द्वारा प्रदान की गयी। निविदा निस्तारण के उपरान्त दिनांक 28.06.2017 को कार्यदायी संस्था मै० मीना कान्ट्रैक्टर्स प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल ₹0-11800=00 के सापेक्ष दिनांक 09.08.2017 को ₹0-11800=00 का भुगतान ठेकेदार प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को किया गया। इसके उपरान्त सन्दर्भित कार्य निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपूर्ण परियोजना पर ₹0-11800=00 का अलाभकारी व्यय किया गया।

(6)कंझाना चैराहे से न्यामतपुर संपर्क मार्ग वर पैच मरम्मत कार्य हेतु ₹0-48173=00 के प्राक्कलन की स्वीकृति ईकाई द्वारा प्रदान की गयी। निविदा निस्तारण के उपरान्त दिनांक 28.06.2017 को कार्यदायी संस्था मै० मीना कान्ट्रैक्टर्स प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल ₹0-18400=00 के सापेक्ष दिनांक 09.08.2017 को ₹0-18400=00 का भुगतान ठेकेदार प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को किया गया। इसके उपरान्त सन्दर्भित कार्य निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपूर्ण परियोजना पर ₹0-18400=00 का अलाभकारी व्यय किया गया।

(7)पावर हाऊस से ट्यूबवेल नं०-099 से होता हुआ तालाब पर बजरिया कब्रिस्तान तक संपर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य हेतु ₹0-149233=00 के प्राक्कलन की स्वीकृति दिनांक 21.05.2017 को ईकाई द्वारा प्रदान की गयी। निविदा निस्तारण के उपरान्त दिनांक 28.06.2017 को कार्यदायी संस्था मै० मीना कान्ट्रैक्टर्स प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल ₹0-36300=00 के सापेक्ष दिनांक 09.08.2017 को ₹0-36300=00 का भुगतान ठेकेदार प्रो० श्रीमती मीना बेगम, फर्रुखाबाद किया गया। इसके उपरान्त सन्दर्भित कार्य निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपूर्ण परियोजना पर ₹0-36300=00 का अलाभकारी व्यय किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त दर्शित 07 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹0-152700=00 का अनियमित व्यय किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय अलाभकारी होता है, क्योंकि परियोजनाओं की अपूर्णता के कारण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं होती है।

अतः अनियमित रूप से अपूर्ण परियोजनाओं पर किये गये कुल व्यय ₹0-152700=00 के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्ब्रेश, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार, तत्कालीन अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह

एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-33)

प्रस्तर-13- जिला पंचायत के लेखाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त में निम्नांकित विवरण के अनुसार असमायोजित अस्थाई अग्रिम की धनराशि विद्यमान है:-

क्र०स०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धनराशि	वर्ष	अग्रिम दिये जाने का प्रयोजन
1	श्री दिलीप कुमार मिश्रा	2000.00	1991	मेला कार्तिक की श्रृंगीरामपुर
2	श्री दर्याव सिंह आदित्य	1050.00	1990	स्थानान्तरण अग्रिम वेतन
3	श्री दर्याव सिंह आदित्य	2000.00	1990	स्थानान्तरण अग्रिम वेतन
4	श्री रणवीर सिंह	2000.00	1998	बाढ की पैरवी हेतु अग्रिम
	योग:-	7050.00	-	-

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों हेतु दिये गये अस्थाई अग्रिमों का समायोजन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कर लिया जाना चाहिये, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि असमायोजित अग्रिम वर्ष 1990 से 1998 के मध्य के थे। इस प्रकार 28 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थाई अग्रिम असमायोजित दर्शित है।

इस प्रकार असमायोजित दर्शित अग्रिम की धनराशि ₹0-7050.00 की अतिशीघ्र सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूल कर अग्रिम का समायोजन किया जाना अपेक्षित है। अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल न हो पाने की स्थिति में उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीधर गुप्त एवं श्री अशोक कुमार यादव एवं श्री लक्ष्मी नारायण खरे एवं श्री सुरेश चन्द्र यादव से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मू. आ. सं.-35)

प्रस्तर-14- विकास खण्ड कमालगंज के ग्राम जहाँनगंज मार्ग से इकटरिया सम्पक मार्ग पर पी0सी0 कार्य का ठेका मै0 आनन्द कान्ट्रसन प्रो0 गिरजा शंकर कटियार को दिया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली के अनुसार दिनांक 07.01.2018 को उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, उक्त निर्माण कार्य हेतु कुल ₹0-9,13,347=00 का भुगतान किया गया। पत्रावली में संलग्न अंतिम भुगतान से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण कार्य सन्तोष जनक होने का प्रमाण-पत्र अंकित नहीं किया गया। जो अपेक्षित था।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार ₹0 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि जिला पंचायत फर्रुखाबाद के अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिली भगत होने एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के लिए सक्षम अधिकारियों से निरीक्षण कार्य न करवा कर उक्त निर्माण कार्य पर अनियमित रूप से ₹0-913347=00 का भुगतान किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्ब्रेश, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार, एवं तत्कालीन अपर अभियन्ता श्री अजय कुमार मिश्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-37)

प्रस्तर-15-वर्ष 2017-18 में प्रकीर्ण व्यय (विधि,मीटिंग,राष्ट्रीय पर्वो, अनुदानों में अंशदान आदि) मद हेतु बजट में ₹0-1,00,000=00 का प्राविधान किया गया है। किन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष में प्रकीर्ण व्ययों पर ₹0-1,32,322=82 का व्यय किया गया है। इस प्रकार प्रकीर्ण व्यय मद में प्राविधानित बजट से ₹0-32,322=82 का अधिक व्यय किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्ज्वल अम्ब्रेश एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्श दाता श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपति संख्या-39)

जिला पंचायत-फर्रुखाबाद लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-16 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग 2-लखनऊ दिनांक 24.06.2014के प्रस्तर -3 के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करायेंगे। जिला पंचायत फर्रुखाबाद के द्वारा वर्ष 2018- 19में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि से निम्नलिखित कार्य सम्पादित कराए गए जो कि पंचायत प्रकृति के नहीं है-

क्र. सं.	योजना		योजना का नाम	भुगतान की कुल धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	2018-19	सरफाबाद ईदगाह से दादमियाँ की मजार सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य	1504188.00
2.	राज्य वित्त आयोग	2018-19	पुखरिया पुलिया से निरौरा श्रृंखलापुर सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य	1636287.00
3.	राज्य वित्त आयोग	2018-19	पावर हाउस से ट्यूबवेल नसे होते हुए 99 0 तालाब पार बजरिया कब्रिस्तान सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य	1644540.00
4.	राज्य वित्त आयोग	2018-19	सरफाबाद में इंतजार के ट्यूबवेल से परिबाबा की मजार सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य	1256241.00
5.	राज्य वित्त आयोग	2018-19	विकास खण्ड मोहम्मदाबाद के ग्राम नदौरा में नगला धर्म तक खडन्जा कार्य	2529468.00
			योग-	8570724.00

इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से अलग ₹0 8570724.00 का अनियमित व्यय किया गया । जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी ऐन०पी०सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता योगेश कुमार उत्तरदायी है । अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आपति सं०--3)

प्रस्तर-17 वर्ष 2018-19 में संस्था द्वारा दिए गए सम्पत्तियों के किराए का न भुगतान होने पर आय का स्रोत घटते जा रहा है एवं इसके वसूली हेतु किए जा रहे प्रयास का कोई ठोस उत्तर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके लिए प्रबन्ध तन्त्र उत्तरदायी है । वसूली हेतु ठोस एवं सार्थक प्रयास अपेक्षित है। जिस हेतु अपर मुख्य श्री एन0 पी0 सिंह उत्तरदायी है।

क्रसं0.	संस्था का नाम	माँग	वसूली	अवशेष
1	2	3	4	5
1	आर०ई०एस०	29952.00	--	1144976.00

2	ए०आर०टी०ओ०	23760.00	12384.00	363837.00
3	राजेश सिंहदुकान सं01 ,	13940.00	--	61767.00
4	राजेश सिंहदुकान सं02 ,	13940.00	--	69967.00
5	हरीश कुमारदुकान सं03 ,	13940.00	3000.00	10940.00
6	रामबाबु4 दुकान सं0 ,	13940.00	20000.00	59451.00
7.	शिवेन्द्र कु दूबे दुकान सं0 0 5	13940.00	33500.00	24783.00
8	निर्वाचन नगर निकाय एवं पंचायत	13596	--	122364.00
9	डी०आर०डी०ए०	72456.00	--	289824.00
				2147909.00

(मूल आपति सं0--19)

प्रस्तर-18 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 119 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा अपने निजी स्रोतों से आय में वृद्धि, संग्रहण हेतु नियमानुसार कर, शुल्क एवं किराए की वसूली हेतु कार्यवाही करना है। जिला पंचायत के विभव एवं संपत्ति कर वसूली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 को जनपद के सभी 07 विकास खंडों में ईट भट्टों, पावर मिलों, कोल्ड स्टोरेज, आबकारी, पशु बाजार, एवं संचालित दुकानों आदि से विभव एवं संपत्ति कर वसूली की अवशेष वसूली का विवरण निम्नवत है।

क्र० सं 0	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित मांग	पिछला बकाया	कुल माँग	जमाधन	बकाया
1	विकास खण्डमोहम्मदाबाद,	334800.00	1638708.00	1973508.00	153380.00	1820128.00
2	विकास खण्डशमशाबाद,	438780.00	1338382.00	1777162.00	318190.00	1458972.00
3	विकास खण्डनवावगंज,	223000.00	1182839.00	1405839.00	106000.00	1299839.00
4	विकास खण्डकमालगंज,	404550.00	1947450.00	2352000.00	133000.00	2219000.00
5	विकास खण्डराजेपुर,	अभिलेख अपूर्ण				
6	विकास खण्ड बढपुर,	अभिलेख अपूर्ण				
7	विकास खण्डकायमगंज ,	अभिलेख अपूर्ण				
		1401130.00	6107379.00	7508509.00	710570.00	6797939.00

उपरोक्तानुसार सभी 07 विकास खण्डों में से 04 विकास खण्डों में दिनांक 31.09.2019 को कुल मांग के सापेक्ष रूपया 6797939.00 वसूली हेतु वकाया दर्शित है। जिला पंचायत के विभव एवं संपत्ति कर विभाग की शिथिलता के कारण उक्त धनराशि वकाया थी । क्रमांक 5,6,7 पर दर्शित क्रमशः विकास खण्ड राजेपुर, बढपुर, कायमगंज कि विभव एवं संपत्ति कर मांग व वसूली रजिस्टर तैयार न किया जाना एं विभव एवं संपत्ति कर की बहुत बड़ी धनराशि बकाय रहने के कारण जिला पंचायत की वसूली विभाग की शिथिलता एवं तैनात कर्मचारियों एवं पटल प्रभारियों के वसूली कार्य के प्रति

उदासिनता का परिचायक है। जिला पंचायत की वसूली हेतु बाकया धनराशि की प्राथमिकता के आधार पर वसूली कर एवं विकास खण्डवार विभव एवं संपत्ति कर मांग व वसूली रजिस्टर/ सूचि/ अभिलेख अद्यतन तैयार किये जाने अपेक्षित हैं। जिसके लिए पटल प्रभारी नित्यानन्द दीक्षित एवं जगत प्रकाश गौड़ कर निरीक्षक एवं श्री एनपीओ सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं० 20)

प्रस्तर-19 वर्ष 2018-19 में निजी स्रोतों से हुई आय में मृत पशु शव निस्तारण शीर्ष में ₹0 180000.00 की आय हुई। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 862 बी/35-314(2) 84 दिनांक 10.03.87 एवं शासनादेश सं०- 2203/3-2797-43 बी (87)/95 टी.सी. दिनांक 30.05.1997 के प्राविधानों के अनुसार उक्त आय का 50% ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जानी चाहिए। किन्तु जिला पंचायत द्वारा ऐसा न कर शासनादेश का श्री एन.पी. सिंह द्वारा उल्लंघन किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं०-21)

प्रस्तर-20 जिला पंचायत में प्रमाणक संख्या 29 दिनांक 19-07-2018 को उप निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, 30प्र० लखनऊ को रिट याचिका 14941/2017 , उज्जवल अम्बेश / 30 प्र० लखनऊ को चेक संख्या 00125 एच०डी०एफ०सी० के द्वारा ₹0 15000.00 का भुगतान दर्शित है। संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस भुगतान हेतु अपर मुख्य अधिकारी ए०पी०सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-22)

प्रस्तर-21 प्रमाणक सं० 53 द्वारा ₹0 33275.00 का चेक सं० 00137 के द्वारा (मेला कांवाड़ यात्री) हेतु भुगतान किया गया है। संबंधित भुगतान की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः भुगतान अनुचित रहा। जिसके लिए ए.एसए श्री एनपीओसिंह एवं वित्त परामर्श दाता श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं०-23)

प्रस्तर-22 वर्ष 2018-19 में विकास खंड कमालगंज में इसेपुर से महोई सम्पर्क मार्ग पर खड्गजा कार्य कराया गया, पत्रावली के अवलोकन पर निम्न आपतियाँ प्रकाश में आयीं -

- उपर्युक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्यालय जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा जारी पत्रांक 743/जि.पं.फ./निर्माण/2018-19 दि० 23.10.2019 से संशोधित अल्पकालिक ई.निविदा सूचना का प्रकाशन किसी भी समाचार पत्र में नहीं करवाया गया।
- उपर्युक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि तुलनात्मक चार्ट के अनुसार मेसर्स कल्पना देवी की निविदा अनुमानित लागत ₹0 846980.00 से 0.01% अर्थात् ₹0 846900.00 स्वीकृत की गई। जमानत राशि 10% की दर से ₹0 84690.00 होती है। मेसर्स कल्पना देवी द्वारा अनुबन्ध पत्र पर कार्य जमानत राशि का विवरण दिया गया है किन्तु पुष्टि हेतु बैंक जमा विवरण की छाया प्रति पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- उपर्युक्त कार्य हेतु पत्रांक सं० 1089/निर्माण-जि० पं० फ०/2018-19 दिनांक 26.12.2018 को कार्य आदेश जारी हुआ तथा निर्माण कार्य दिनांक 25.03.2019 तक पूर्ण करने का शर्तनामा दिया गया किन्तु कार्य पूर्ण होने की पुष्टि हेतु कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- सार्वजनिक कार्य रजिस्टर (2018-19) में कार्य के भुगतान हेतु अंतिम लेखा बिल ₹0 284923.00 का अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया व्यय ₹0 832939.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन ए०एम०ए० श्री एनपीओ सिंह, वी०पी०डी० श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं।

अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं० 26)

प्रस्तर-23 वर्ष 2018-19 में कायमगंज में कायमगंज जौरा मार्ग पर सुग्रीव के भट्टे से गोदाम सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य कराया गया निर्माण पत्रावली के अवलोकन पर निम्न आपत्तियों प्रकाश में आयी जिसके निराकरण हेतु सम्बन्धित निर्माण लिपिक एवं अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता का ध्यान गम्भीरता से आकृष्ट किया जाता है।

- i. उपर्युक्त कार्य हेतु जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक 1002/ जि०पं०फ०/निर्माण /2018-19 दिनांक 29.11.2018 को जारी निविदा सूचना की समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गयी।
- ii. उपर्युक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि तुलनात्मक चार्ट के अनुसार मेसर्समाँ विन्ध्यवासिनी क्रन्सट्रक्शन की निविदा अनुमानित लागत ₹0 1458487.00 से 0.15% कम पर अर्थात् 1456304.00 स्वीकृत की गई जिसकी 10% जमानत राशि ₹0 145630.00 होती है। ठेकेदार माँ विन्ध्यवासिनी क्रन्सट्रक्शन द्वारा अनुबन्ध पत्रपर कार्य जमानत का विवरण दिया गया है किन्तु पुष्टि हेतु बैंक जमा विवरण की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं की गई है।
- iii. जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा जारी पत्रांक 1277/दि० 18.02.2019 में कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 18.02.2019 व कार्य समाप्ति की तिथि 17.04.2019 दर्शित है, कार्य पूर्ण होने की पुष्टि में कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- iv. नियमानुसार कार्य की,तीन फोटोग्राफ होनी चाहिए, एवं कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व की, एक कार्य के दौरान व एक कार्य पूर्ण होने के बाद किन्तु कार्य के दौरान की साइट फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि-निविदा को स्वीकृत धनराशि ₹0 1456304.00 थी जबकि, प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम भुगतान ₹0 1479389.00 की गई इस प्रकार ₹0 23085.00 का अधिक भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ए.एम.ए. श्री एन० पी० सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं०--27)

प्रस्तर-24 वर्ष 2018-19 में विकास खंड कमालगंज में टडानगला करमुल्ला कोहरिया मार्ग से प्रा० पाठशाला टडानगला तक इन्टर लॉकिंग कार्य कराया गया, पत्रावली के अवलोकन उपरान्त निम्न आपत्तियों प्रकाश में आयी, जिसके निराकरण हेतु सम्बन्धित निर्माण लिपिक, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्या अधिकारी का ध्यान गम्भीरता से आकृष्ट किया जाता है।

- i. उपर्युक्त कार्य हेतु जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक, 743/जि.पं०फ०/निर्माण /2018-19 दिनांक 23.10.2018 को जारी संशोधित ई.निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गई।
- ii. उपर्युक्त कार्य के पत्रावली की जांच में पाया गया कि तुलनात्मक चार्ट के अनुसार मेसर्स गणेश प्रसाद ठेकेदार की निविदा अनुमानित लागत ₹0 797890.00 से 0.11% कम अर्थात् ₹0 797012.00 स्वीकृत की गयी जिसकी 10% जमानत राशि ₹0 7970/- होती है। ठेकेदार गणेश प्रसाद द्वारा अनुबन्ध पत्र पर कार्य जमानत का विवरण दिया गया है, किन्तु पुष्टि के लिए बैंक जमा विवरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है।

जिला पंचायत फर्रुखाबाद द्वारा जारी पत्रांक 878 दिनांक 14.11.2018 में कार्य प्रारम्भ की तिथि 14.11.2018 व कार्य समाप्ति की तिथि 13.02.2019 दर्शित है किन्तु 13.02.2019 तक कार्य पूर्ण हो गया इसकी पुष्टि के लिए पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उक्त कार्य का टेंडर ₹0 797890.00 अनुमानित किया गया था जबकि कुल भुगतान 828945.00 किया गया है इस प्रकार ₹0 31055.00 का अधिक भुगतान करना अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन ए०एम०ए० श्री एन०पी० सिंह एवं वि०पी०डी० श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०--28)

प्रस्तर-25 वर्ष 2018-19 में विकास खंड मोहम्मदाबाद के ग्राम नदौरा में नदौरा से नगला धर्म तक खड्गजा निर्माण कार्य कराया गया, पत्रावली के अवलोकन उपरान्त निम्न आपतियाँ प्रकाश में आयी, जिसके निराकरण हेतु सम्बन्धित निर्माण लिपिक , वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान गम्भीरता से आकृष्ट किया जाता है।

- i. उपर्युक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य कराए जाने की निविदा किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गई जबकि नियमानुसार कम से कम तीन समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए तथा पत्रावली में समाचार पत्र की कटिंग संलग्न की जानी चाहिए।
- ii. उपर्युक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि तुलनात्मक चार्ट के अनुसार मेसर्स बलराम यादव की निविदा 0.14 % कम पर ₹0 2305054.00 स्वीकृत की गई। जमानत राशि 10% की दर से 230505 होती है। मेसर्स बलराम यादव द्वारा अनुबन्ध पत्र पर कार्य जमानत का विवरण दिया गया है। किन्तु बैंक जमा की विवरण की छाया प्रति संलग्न नहीं किया गया है।
- iii. उपर्युक्त कार्य को प्रारम्भ करने का कार्यादेश दिनांक 22.11.2018 व कार्यादेश में काम पूर्ण की तिथि 21.02.2019 दर्शित है किन्तु कार्य पूर्ण होने की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसकी पुष्टि कारायी जानी अपेक्षित है। उक्त कार्य का टेन्डर ₹0 2305054.00 का था जबकि पूर्ण भुगतान ₹0 2529468.00 का भुगतान किया गया इस प्रकार ₹0 224414.00 का अधिक भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन एओएमओ श्री एनपीएसिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०--29)

प्रस्तर-26 वर्ष 2018-19 में विकास खण्ड कमालगंज में अहमदपुर देवरिया से उदीलगला सम्पर्क मार्ग में निम्न आपतियाँ पायी गयी-

- i. उपर्युक्त कार्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक 1002/जि० पं० फ०/निर्माण /2019 दिनांक 29.11.2018 को जारी ई-निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया।
- ii. उपर्युक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि तुलनात्मक चार्ट के अनुसार मेसर्स श्रीमती माधुरी मिश्रा की निविदा अनुमानित लागत ₹0 2273258.00 से 0.20% कम पर अर्थात् ₹0 2268713.00 स्वीकृत की गयी जिसकी जमानत राशि 10% की दर से ₹0 226880.00 होती है। मेसर्स श्रीमती मिश्रा द्वारा अनुबन्ध पर कार्य जमानत राशि का विवरण दिया गया है किन्तु पुष्टि के लिए बैंक जमा विवरण की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।
- iii. उपर्युक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में निविदा दाताओं के विड इन्फार्मेशनलेटर संलग्न नहीं किया गया है।
- iv. जिला पंचायत द्वारा जारी कार्यादेश पत्रांक 1285/दिनांक 18.02.2019 में उक्त कार्य प्रारंभ करने की तिथि 18.02.2019 व कार्य पूर्ण करने की तिथि 17.04.2019 दर्शित है किन्तु ले० प० में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
- v. भुगतान हेतु प्रथम रनिंग बिल ₹0 771568.00 एवं द्वितीय रनिंग बिल ₹0 72496.00 के भुगतान में जी०एस०टी० इन्कम टैक्स सेस का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया। उक्त टेंडर ₹0 2268713.00 का अनुमानित किया गया वर्ष में कुल भुगतान ₹0 2426277.00 किया गया इस प्रकार ₹0 15764.00 अधिक अनियमित भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन ए.एम.ए. श्री एन. पी. सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०--32)

प्रस्तर-27 मेला प्रदर्शनी व्यय पर बजट से अधिक व्यय को अधिभार में सम्मिलित करते हुए 10 लाख के सापेक्ष 14.16 लाख का व्यय किया गया है जो कि अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन ए.एम.ए एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार संयुक्त रूप से जिम्मेवार है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपति सं०--39)

प्रस्तर-28 जिला पंचायत द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर अनुमानित लागत से अधिक व्यय किया गया है जिसके लिए संबंधित अभियन्ता श्री जितेन्द्र सिंह एवं अवर अभियंता श्री अजय मिश्र उत्तरदायी हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	व्यय	अधिक व्यय
1	जहानगंज मार्ग से चुरसई कंतला सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन	लाख 8.73	लाख 9.46	लाख 0.73
2	पुठरी मार्ग से पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	माधुरी मिश्रा	15.87लाख	लाख 15.93	लाख 0.06
3	कंझना चौराहा से नियमातपुर सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य	बलराम सिंह यादव	लाख 8.86	लाख 9.46	लाख 0.60
4	सितौली मार्ग से कंतला गाँव सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन	लाख 12.10	लाख 12.81	लाख 0.71
5	सिंगुरापुर मलखान के मकान से प्राथमिक पाठशाला तक इटरलाकिंग कार्य	मंशा इटरप्राइजेस	लाख 6.89	लाख 9.19	लाख 2.30
	योग				लाख 4.40

उपरोक्त किये गए अनियमित व्ययों के लिए अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपति सं०--40)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष – 2020-21

जनपद- कन्नौज

मण्डल- कानपुर

जनपद- कन्नौज की जिला पंचायत में लेखा परीक्षा के दौरान अधिभार योग्य पाए गए प्रस्तर -

1- जिला पंचायत वर्ष – 2016-1

प्रस्तर सं० -1- वर्ष 2016-17 में मृत पशु शव निस्तारण पंजिका के अनुसार रु. 420200 वसूल किया गया। शासनादेश संख्या 2203/33.02.97 / 43वीं / 81/95 टी.सी. दिनांक 30-05-97 के अनुसार इसका आधा 210100 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को डी.पी.आर.ओं. के माध्यम से लौटाया जाना चाहिये, इसे लौटाया नहीं गया। इस अनिमित्यता के लिये लेखाकार प्रदीप कुमार त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधि. श्री ज्योति कुमार दीक्षित उत्तरदायी रहे। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -2- वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत कन्नौज में निम्न मदों में पारित बजट से अधिक व्यय किया गया है

क्रम सं०	मद का नाम	बजट के अनुसार प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
1	मोटर गाड़ियों के पेट्रोल, डीजल एवं अनुरक्षण पर व्यय	3.950 लाख	4.022 लाख	0.072 लाख
2	विविध व्यय	5.400 लाख	13.480 लाख	8.080 लाख
	योग=	9.35 लाख	17.502 लाख	8.152 लाख

उक्त अधिक व्ययों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित बजट तैयार कर जिला पंचायत बोर्ड से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है इस प्रकार बिना बोर्ड की स्वीकृत के पूर्व पारित बजट से अधिक व्यय जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी, जिसके लिए लेखाकार श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -3- दिनांक 31-03-17 को जिला पंचायत कन्वोज में निम्न विवरण के अनुसार अनुदान उपभोग किया जाना शेष रहा ।

क्रमांक	मद का विवरण	31-03-17 का शेष अनुदान	90 दिनों के अन्दर प्राप्त अनुदान	90 दिनों से पूर्व का शेष अनुदान
1	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	100018908.94	53654984.00	46363924.94
2	तेरहवां वित्त से प्राप्त अनुदान	शून्य	-	-
3	डॉ० अम्बेडकर ग्रामीण समग्र योजना	541400.00	-	541400.00
		100560308.94	53654984.00	46905324.94

उल्लेखनीय है कि वित्त आयोगों द्वारा जिला पंचायत को अनुदान का आवंटन इस निर्देश के साथ दिया गया था कि समुचित कार्य योजना तैयार कर प्राप्त अनुदान का 90 दिन के अंदर जिला पंचायत परि क्षेत्र में विकास कार्य कराने जिला पंचायत की सम्पत्तियों का स्रजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने में उपभोग कर लिया जाए । किन्तु जिला पंचायत व उसके कर्मिकों की शिथिलता एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण रु. 46905324.94 का अनुदान उपभोग हेतु शेष रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी संजू कटियार उत्तरदायी है । जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -4- मत्स्य आखेट माँग व वसूली रजि० की पत्रवालिओं की जाँच से निम्न ठेकों में स्टाम्प लगाकर ठेकेदारों से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया गया जिससे राजकीय राजस्व की हानि हुई ।

क्रमांक	नाम घाट	ठेका उठा	जमा स्टाम्प	स्टाम्प कम
1	चियासर गंगा नदी	130000.00	-	10400.00
2	बलिमपुर से नीचे औरैया बॉर्डर, अरिन्द नदी	18000.00	-	1440.00
3	कल्सना से दायीपुर गंगा नदी	221500.00	-	17720.00
4	चुरैया से उल्लेपुर काली नदी	60500.00	-	4840.00
5	खन्तागाँव से भैरिखपुर काली नदी	5000.00	-	400.00
6	हड़हाला पूर्वा से इन्दुइयागंज काली नदी	28500.00	-	2280.00
7	हड़हापूर्वा से इन्दुइयागंज काली नदी	55000.00	-	4400.00
			योग=	41480.00

अतः उक्त कम लगा स्टाम्प शुल्क रु.41480.00 एवं इस पर दंडात्मक शुल्क उक्त ठेकेदारों से जमा कराया जाय। ठेकेदारों से वसूली न हो पाने की दशा में उक्त धनराशि एवं दंडात्मक शुल्क का दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित पर निर्धारित कर उनसे धनराशि वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय

प्रस्तर सं० -5- मृत पशु शव निस्तारण मांग व वसूली की पत्रावलियों की जाँच से पता चला कि जलालाबाद श्री मुफीन पिता मुस्तिकिन निवासी-जलालाबाद को वर्ष 16-17 के मृत पशु शव निस्तारण का ठेका रु 88000.00 में दिया गया था। इस प्रकार उनसे रु. 7040.00 के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट होना था जो सम्बंधित की पत्रावली में नहीं लगा है। अतः उक्त स्टाम्प शुल्क रु. 7040.00 एवं इस पर दण्डात्मक शुल्क उक्त ठेकेदार से वसूली न हो पाने की दशा में उक्त धनराशि एवं दण्डात्मक शुल्क का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित पर निर्धारित कर उनसे धनराशि वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।

प्रस्तर सं० -6- मत्स्य आखेट मांग व वसूली रजिस्टर एवं पत्रावलियों की जाँच से पता चला कि निम्न ठेकेदारों पर वर्ष 2016-17 में मांग के सापेक्ष रु 120500 का बकाया अभी भी दर्शित रहा। जबकि इसके पूर्व का रु 200950 की बकाया राशि का विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 के बकायेदारों की सूची -

क्रम सं०	नाम बकायेदार	पटरी का नाम	वर्ष	धनराशि
1.	रामाधार पिता श्री द्वारिका प्रसाद नि.भानुपुर पो० थुवरियापुर	चियासर गंगा नदी	2016-17	80000.00
2.	श्री गोल्डन मिश्रा पिता श्री लाडली मिश्रा नि. सिजही ठाकुर अगौस	चुरैया से डगलेपुर काली नदी	2016-17	40500.00
		योग		120500.00

जिला पंचायत कार्मिकों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण जिला पंचायत की उक्त धनराशियाँ वसूली हेतु शेष पड़ी हुई हैं। और जिला पंचायत को लगातार आर्थिक क्षति हो रही है। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं है। उक्त धनराशियों की अविलम्ब वसूली की जानी चाहिये। उक्त दर्शित धनराशि रु.120500 की वसूली न होने के लिये तत्कालीन पटल प्रभारी, वसूली कर्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -7- जिला पंचायत कन्नौज की लाइसेंस शुल्क माँग वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस जारी नहीं किये गये और न ही उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया इस प्रकार इन (संस्थाओं) कोल्ड स्टोरेज पर दिनांक 31-03-17 को निम्नवत लाइसेंस शुल्क की क्षति हुई।

क्रम सं०	रजि० पेज सं० / क्रमांक	नाम संस्था	वर्ष	धनराशि
1.	3/9	मे० गणेश कोल्ड स्टोरेज श्री बदलू राम गुप्ता स्थल तिर्वा रोड नसरापुर	2016-17	5000.00
2.	6/22	मे० सूरज कोल्ड स्टोरेज मुसाफिर, मानीमऊ	2016-17	5000.00
3.	7/27	मे० आशीर्वाद कोल्ड प्रा० लि० नजरापुर कन्नौज	2016-17	5000.00
4.	13/50	मे० मशमूर एगोटेक इंडिया लि. प्रो. शमशाद	2016-17	5000.00

		अहमद		
5.	17/66	मे० पी० एन कोल्ड स्टोरेज ताहपुर	2016-17	5000.00
6.	19/75	मे० एम० वाई० कोल्ड स्टोरेज, इस्माइलपुर अहमदी टोला	2016-17	5000.00
7.	22/86	मे० आर० पी० कोल्ड स्टोरेज चपुन्ना खाम	2016-17	5000.00
		योग		35000.00

जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण उक्त कोल्ड स्टोरेज बिना लाइसेंस के ही संचालित होते रहे तथा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति होती रही यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं रही उक्त धनराशि रु.35000 अविलम्ब वसूली जानी चाहिये। उक्त दर्शित धनराशि रु.35000.00 की वसूली समय से न होने के लिये तत्कालीन पटल प्रभारी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, वसूलीकर्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित जिम्मेदार है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -8- जिला पंचायत कन्नौज की लाइसेंस शुल्क मांग वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित ईट भट्टों को लाइसेंस जारी नहीं किए गए, और न ही उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया। इस प्रकार इन ईट भट्टों पर दिनांक 31-03-2017 को निम्नवत लाइसेंस शुल्क की क्षति हुई।

क्रम सं०	ब्रिक फील्ड का नाम पता	रजि० पत्र संख्या / क्रमांक	वर्ष बकाया	धनराशि
1	मे० शारदा ब्रिक फील्ड ईजलपुर	11/19	2016-17	10000.00
2	मे० अन्नपूर्णा ब्रिक ताहपुर	11/20	2016-17	10000.00
3	मे० यादव ब्रिक फील्ड किशवापुर	13/24	2016-17	10000.00
4	मे० संगम ब्रिक फील्ड, मांगेमऊ	18/33	2016-17	10000.00
5	मे० आकांक्षा ब्रिक्स फील्ड, बलनपुर	22/42	2016-17	10000.00
6	मे० पारस ब्रिक फील्ड लोहामढ	23/43	2016-17	10000.00
7	मे० किसान ईट भट्टा विरियन नगला	24/46	2016-17	10000.00
8	मे० राजू ब्रिक फील्ड ठठिया	25/47	2016-17	10000.00
9	मे० गंगा ब्रिक फील्ड उमराव पूर्वा मांगेमऊ	27/51	2016-17	10000.00
10	मे० वंशी ब्रिक फील्ड ईजलपुर	27/52	2016-17	10000.00
11	मे० न्यू ममता ब्रिक फील्ड मौसमपुर मौरारा	29/56	2016-17	10000.00
12	मे० आदिल हुसैन ईट भट्टा उद्योग सिकन्दर नगर	30/58	2016-17	10000.00
13	मे० न्यू वंशी ब्रिक फील्ड ठठिया	33/63	2016-17	10000.00
14	मे० ओम ईट उद्योग ब्योरे पो० बमरौरी	33/64	2016-17	10000.00
15	मे० कुलदीप ब्रिक फील्ड ईजलपुर	34/66	2016-17	10000.00
16	मेसर्स माँ दुर्गा ब्रिक्स फील्ड	35/68	2016-17	10000.00

	आहेरुआ			
17	मे० दोलेश्वर ब्रिक्स फील्ड कनपुरा	38/73	2016-17	10000.00
	योग			170000.00

जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण उक्त ईट भट्ठों बिना लाइसेंस के ही संचालित होते रहे तथा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति होती रही यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं रही उक्त धनराशि रु.170000.00 अबिलम्ब वसूली जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि रु.170000.00 की वसूली समय से न होने के लिये पटल अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, वसूली कर्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित जिम्मेदार हैं। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -9- आलोच्य वर्ष में चियासर घाट नौका घाट का ठेका श्री लाल मोहम्मद पिता नन्दूखां पूर्वाशाह को 69000 में दिया गया था किन्तु इनके द्वारा मात्र 50000 जमा किया गया शेष 19000 की वसूली अभी तक बकाया पड़ी है। विगत वर्षों की बकाया धनराशि रु. 518748.34 का विशेष प्रतिवेदन विगत वर्ष 15-16 में निर्गत है। आलोच्य वर्ष के ठेके से सम्बंधित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहा। मांग वसूली रजिस्टर मात्र दिखाया गया है, वह भी अपूर्ण ही रहा। पत्रावलियों में लगे स्टाम्प पेपर की जाँच न की जा सकी। जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण जिला पंचायत की उक्त धनराशियाँ वसूली हेतु शेष पड़ी हुई है और जिला पंचायत को लगातार आर्थिक क्षति हो रही है। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं है। उक्त धनराशियों की अबिलम्ब वसूली की जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि रु.19000.00 की वसूली न होने के लिये श्रीबेचे लाल वर्मा पटल कर्म० / अधि०, वसूली कर्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित जिम्मेदार हैं। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -10- जिला पंचायत कन्नौज की ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी कन्नौज द्वारा वर्ष 2016-17 में देशी शराब, अंग्रेजी शराब एवं बियर की दुकानों का निम्न विवरण के अनुसार लाइसेंस प्रदान किया गया था।

क्रम सं०	दुकान का प्रकार	2016-17
1	देशी शराब	125
2	अंग्रेजी शराब	23
3	बीयर	15

जिला पंचायत के लाइसेंस शुल्क वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विगत चार वर्षों में उक्त में से कतिपय दुकानों से लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही दुकानों को जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस ही निर्गत किया गया इस प्रकार आलोच्य वर्ष में उक्त कतिपय दुकान अवैध रूप से संचालित होती रही एवं लाइसेंस शुल्क न वसूल किये जाने से जिला पंचायत को आर्थिक क्षति भी होती रही। जिला पंचायत नियमों में दी गयी लाइसेंस शुल्क दरों के अनुसार निम्नलिखित दुकानों पर बकाया सूची इस प्रकार रही।

देशी शराब -

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	दुकान का नाम	वर्ष बकाया 2016-17
1	श्री अनिल कुमार पिता श्री शिव प्रसाद धान कुट्टी	जलालपुर पनवारा	500
2	श्री दीप कुमार पिता स्व. छोटे लाल फतेहपुर	जसपूरापुर सरैया	500
3	श्रीमती संतोष मिश्रा पत्नी श्री गिरजेश मिश्रा देविन टोला	देवा पट्टी	500
4	श्री राजेंद्र सिंह पिता श्री हरिनाम होलेपुर ठठिया	फगुहा भठ्ठा	500

5	श्री सूर्यकान्त पिता श्री रमाकांत कछियापुर तिराहा	कछियापुर तिराहा	500
6	श्री पुष्पेन्द्र यादव पिता श्री सिपाही लाल- अवन्ती वाई नगर	औसेर	500
7	श्री छत्रपाल सिंह पिता श्री राजबहादुर सिंह - उन्तीपुर	हरईपुर	500
8	श्री दीनदयाल पिता श्री नाथूराम - मेघपुर	बेलामऊ सरैया	500
9	श्री प्रवीण कुमार चतुर्वेदी पिता श्री शिव कुमार चतुर्वेदी - कोलेपुरवा	इन्द्रगढ़	500
10	श्री अंजुल कुमार पिता श्री लल्हू सिंह - ईटखारी तिर्वा	लितुइया	500
11	श्री मालती देवी पत्नीश्री राघवेन्द्र सिंह - भवानीपुर अनौगी	अनौगी	500
12	श्री सुधीर कटियार पिता श्री राम कुमार - बमियापुर बिल्हौर कानपुर	मंझिला	500
13	श्री कुलदीप सिंह पिता श्री हरनाम सिंह - नेरापुर	बारामऊ सराय	500
14	श्री प्रभु दयाल पिता स्व. सोहन लाल - बहादुरपुर	खानपुर	500
15	श्री राजा राम पिता श्री राम लाल - उमरन ठठिया	उमरन	500
16	श्री दीनदयाल पिता श्री नाथूराम - मधेपुरा	हमीर डिब्बा पूर्वा	500
17	श्री हरेन्द्र सिंह पिता श्री राजबहादुर - अलीपुर रामहार	सिमरिया	500
18	श्रीमती विमला देवी पत्नीश्री देवशरण - वहसुईया	सुर्सी	500
19	श्री अजब सिंह पिता श्री सियाराम - कुतुबापुर	अज्यौरा मिश्रीपुरवा	500
20	श्रीमती रामवती पत्नीश्री रामविलास - विशुनगढ़	विशुनगढ़	500
21	श्री सर्वेश कुमार पिता श्री गुलजारी - मेसीगंज	खडनी	500
22	श्री बंधन जायसवाल पिता श्री सूर्य प्रसाद	अकबरपुर	500
23	श्री अंकित कटियार पिता श्री शिव सिंह कटियार चौकड़ी बिल्हौर	तेराजकेट	500
24	श्री कृष्ण कुमार पिता श्री राधेश्याम अगोरा	सराय प्रयाग	500
25	श्री राम लाल पिता श्री गेंदालाल - सुभाषनगर	सराय दौलत	500
26	श्री रामदास पिता श्री गुरुबखश सिंह - सहियापुर	अमोलर	500
27	श्री सुरेश चन्द्र पिता श्री धम्मन सिंह - गाँधी नगर	सकरावा	500
28	श्री प्रवीण कुमार पिता श्री बादाम सिंह - बरकागंज	विरियम नगला	500
29	श्री अमित कुमार सिंह पिता श्री महेंद्र पाल सिंह - लोहियानगर	भाउलपुर	500
30	श्री राजेंद्र बाबू पिता श्री ईश्वर दयाल - पटेल नगर	टडारायपुर	500
31	श्रीमती सर्वेश कुमारी पत्नीश्री शिवराम सिंह - 344, अशोक नगर	जाफराबाद	500
32	श्री साहब सिंह पिता श्री सुगर सिंह - सकरावा	डडौली	500
33	श्री राजेश कुमार पिता श्री रामेंद्र सिंह - गढ़े का पुरवा	सकतपुर	500
34	श्री योगेन्द्र कुमार पिता श्रीकान्त तिवारी - जसपुरापुर सरैया	इस्माइल	500
35	श्री देवेन्द्र सिंह पिता श्री रणवीर सिंह - उघी	मिरगावां बाजार	500
36	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता पिता श्री राम स्वरूप गुप्ता - 199 सलेमपुर	सलेमपुर	500
37	श्री कुलदीप सिंह पिता श्री सत्यवीर सिंह - ईजलपुर	परौर	500
38	श्री ओम प्रकाश पिता श्री भगवंत सिंह - दौलतपुर	खजुरागढ़	500
39	श्री छोटे सिंह तोमर पिता श्री लाल बहादुर सिंह - किराई जगदीश	मिझौली	500

40	श्री अजय यादव पिता श्री राम विलास - विसुनगढ़	कुवर बनवारी	500
41	श्री संजीव कुमार पिता श्री बृजमोहन - भवानीपुर	मतौली	500
42	श्री साहब सिंह पिता श्री सुधर सिंह - सकरावा	हसनपुर	500
43	श्री अजय पाल सिंह पिता श्री सुधर सिंह - पुरारायपुर	राजपुर	500
44	श्री आशीष कुमार पिता श्री चन्द्रशेखर - रडवापोस्ट	बेहताखास	500
45	श्री कमलेश कुमार पिता श्री आदेश कुमार - इन्द्रानगर मिर्जापुर	मिर्जापुर	500
46	श्री आशुतोष पिता श्री गया प्रसाद - दौलताबाद	दौलताबाद	500
47	श्री सर्वेश कुमारी पत्नी श्री शिवराम सिंह - पश्चिमी अशोक नगर	खोजीपुर	500
48	श्री शत्रुघ्न सिंह पिता श्री सूरज पाल सिंह - अलूपुर	सुल्तान सिंह	500
49	श्री अजय पाल सिंह पिता श्री सुधर सिंह - पुरारायपुर	वीरपुर	500
50	श्रीमती कीर्ति कटियार पिता श्री राम नाथ कटियार - अम्बेडकर नगर	हाथिन	500
51	श्री संदीप कुमार पिता श्री तनवीर सिंह - ईजलपुर सौरिख	भीखमपुर सानी	500
52	श्री देवेन्द्र सिंह पिता श्री बसंत सिंह - मिरुईया तिर्वा	मिदुईया	500
53	श्री ब्रजेन्द्र सिंह पिता श्री भारत सिंह - सोनपुरवा	जनखत	500
54	श्री योगेन्द्र सिंह पिता श्री राम नाथ कटियार - अम्बेडकर नगर	वढवलपुर	500
55	श्री विपिन कुमार पिता श्री अजय पाल सिंह - धीरतपुर	अनिभोज	500
56	श्रीमती प्रवीन देवी पत्नी श्री राजेंद्र सिंह - होलेपुर ठठिया	जुनैदपुर	500
57	श्री आशीष तिवारी पिता श्री जनार्दन गोपाल - गदनापुर बड़ू	नंगापूर्वा	500
58	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता पिता श्री रामस्वरूप गुप्ता - 199 सलेमपुर	बरगावां	500
59	श्री अजय कुमार पिता श्री राघवेन्द्र कुमार - सेंगरनपूर्वा	तिसौली	500
60	श्री देवेश चन्द्र पिता श्री राम नरेश मिश्रा - बरामऊ सराय	भवानीपुर चचासांडा	500
61	श्रीमती फूलन देवी पत्नी स्व. दयाराम - वरघईया रोड	मलिकपुर खड्नी	500
62	श्री हरि शरण पिता श्री रामदास - पट्टीपुरवा	गुरसहायगंज	500
63	श्री संजीव शुक्ला पिता श्री जागेश्वर दयाल - इन्द्रगढ़	शाहनगर	500
64	श्री अनिल कुमार पिता श्री जगत सिंह - जरियापुर	जरियापुर	500
65	श्री सूर्यकान्त कटियार पिता श्री रमाकांत कटियार	खड़ियापुर	500
66	श्री सौरभ कटियार पिता श्री राकेश कुमार कटियार - सिपाही ठाकुर	महाचन्द्रापुर	500
67	श्री मुदित अग्निहोत्री पिता श्री देवेन्द्र कुमार - ठठिया तिर्वा	हंसापुर	500
	योग		33500

अग्रेजी शराब -

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम / पता	दुकान का नाम	वर्ष बकाया 2016-17
1	श्री सुशील कुमार पिता श्री सुरेश चन्द्र	ठठिया	500
2	श्री मुदित कुमार अग्निहोत्री पिता श्री देवेन्द्र कुमार अग्निहोत्री	पटेल नगर	500
3	श्री उमेश चन्द्र वर्मा पिता श्री गंगाराम - देवपुरवा	पाल चौराहा	500

4	श्री विपिन कुमार पिता स्व० छोटेलाल – फतेहपुर	जशोदा	500
5	श्री राम सनेही पिता स्व० गया प्रसाद – बघवा	गंगागंज	500
6	श्री नरेन्द्र सिंह पिता श्री सुल्तान सिंह – उसराधर	हसेरन	500
7	श्री देवानन्द तिवारी पिता श्री सुरेशनन्द – ईशनगर	सरवौली तिर्वा रोड	500
8	श्री अरविंद कुमार यादव पिता श्री मुन्नु सिंह यादव	रोहतामई	500
9	श्री शत्रुघन सिंह पिता श्री सूरज पाल सिंह डालपुर	प्रेमपुर बाज़ार	500
10	श्री अनिल कुमार पिता श्री बनवारी लाल गुप्ता	खड्नी	500
11	श्री नरेन्द्र पिता श्री विश्राम – 135 मेसीगंज	विसुनगढ़	500
12	श्री राम निवास पिता श्री वीर सिंह – काकरपुर सौरिख	सकरावा	500
13	कु० सोनी गुप्ता पुत्री श्री राजेन्द्र गुप्ता – जवाहर नगर	अकबरपुर	500
14	श्रीमती रजनी वेरिया पत्नी श्री उमा शंकर वेरिया – इंद्रगढ़	ताहपुर	500
15	श्री धर्मेन्द्र सिंह पिता श्री गंगा राम – नौरंगपुर तिर्वा	पडरी बाजार	500
	योग		7500

बियर शराब -

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम / पता	दुकान का नाम	वर्ष बकाया 2016-17
1	श्रीमती विमलेश गुप्ता पत्नी श्री राजेश कुमार - अजय पाल रोड	पाल चौराहा	500
2	श्रीमती शशी गुप्ता पत्नी श्री लालाराम गुप्ता – सुभाष नगर	इन्दरगढ़	500
3	श्री शिव कुमार द्विवेदी पिता श्री रामस्वरूप - श्याम नगर	जलालपुर पनवारा	500
4	श्री राहुल शर्मा पिता श्री ब्रह्मानन्द शर्मा – बनवारी नगर	प्रेमपुर	500
5	श्री विजय बाबू पिता श्री राम विलास – विशुनगढ़	विशुनगढ़	500
6	श्री पूरे सिंह पिता श्री विजय पाल सिंह	उमर्दा	500
7	श्री सन्नी यादव पिता श्री राजवीर सिंह यादव – नगला केहरी बैबर	भाउलपुर	500
8	श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री कुलदीप सिंह – अशोक नगर	हसेरन	500
	योग		4000

उपरोक्तनुसार देशी शराब, अंग्रेजी शराब एवं बियर शराब लाईसेंस की फीस निम्नांकित बकाया रहा -

देशी शराब : 33500.00

अंग्रेजी शराब : 7500.00

बियर शराब : 4000.00

योग= 45000.00

इस प्रकार जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण उक्त अंग्रेजी शराब, बियर एवं देशी शराब की दुकाने बिना लाईसेंस के ही संचालित होती रही तथा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति होती रही यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं रही उक्त धनराशि 33500+7500+4000 = 45000.00 की वसूली समय से न होने के लिए पटल प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार दुबे, वसूली कर्ता, अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित जिम्मेदार है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -11- जिला पंचायत कार्यालय आदेश सं० 651 दिनांक 17-03-2016 द्वारा वाहन सं० यू.पी.74डी2452 (बोलेरो) रु. 19000.00 प्रति माह किराये पर कार्यालय से सम्बन्ध की गयी है इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) वाहन मालिक एवं जिला पंचायत के मध्य उक्त वाहन किराये पर लेने सम्बन्धी एग्रीमेंट लेखा परीक्षा में अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

(ख) उक्त वाहन कामार्शियल कार्य हेतु रजिस्टर्ड नहीं है। इस प्रकार कामार्शियल प्रयोग अनियमित रहा।

(ग) उक्त वाहन अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया है किन्तु वाहन प्रयोग करने की दशा में वाहन शुल्क उनके वेतन से प्रति माह नहीं काटा गया है, जो उनसे जमा कराया जाना चाहिए। अपर मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा दिनांक-01.04.2016 से 31.08.2016 तक एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित द्वारा दिनांक-01.01.2017 से 31.03.2017 तक उक्त वाहन का प्रयोग किया गया है, किन्तु उनके वेतन से प्रति माह रु.800.00 की कटौती नहीं की गयी है। अतः अपर मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम शर्मा से रु.4000.00 एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित से रु.2400.00 जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -12- निर्माण कार्य पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कतिपय अभिवहन प्रपत्रों द्वारा ट्रक की क्षमता से अधिक स्टोन ग्रेट का परिवहन किया गया है। अभिवाहन प्रपत्रों में सम्बंधित जिलों के खनिज अधिकारी के हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अवैध परिवहन द्वारा स्टोन ग्रेट की आपूर्ति ली गयी है एवं ट्रकों में ओवर लोडिंग को बढ़ावा दिया गया है। फलस्वरूप राज्य सरकार को रॉयल्टी की क्षति पहुँचाई गयी है।

पत्रावली संख्या	अभिवाह प्रपत्र संख्या	ट्रक नं०	गिट्टी की मात्रा	रॉयल्टी की दर प्रति घन मी०	रॉयल्टी की धनराशि
39/56	842749	एमपी07एटी2212	28 घन मी०	75.00 रु	2100.00
40/57	842750	अंकित नहीं	28 घन मी०	75.00 रु	2100.00
				योग	4200.00

प्रमुख सचिव उ. प्र० शासन के पत्रांक 3891/77-5-2002(216)93 दिनांक 5-8-2002 एवं शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292 दिनांक 15-10-2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली उप खनिजों (गिट्टी, साधारण बालू, मौरंग, इमारती पत्थर, साधारण मिट्टी आदि) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.-11) द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है। साथ ही रॉयल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म / संस्था से रॉयल्टी भुगतान का ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाए तथा जिन मामलों में बिना रॉयल्टी का भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर कोषागार में जमा कराया जाए। किन्तु उक्त खनिज-गिट्टी की आपूर्ति करते समय रॉयल्टी की राशि कोषागार में जमा की पुष्टि में जमा का ट्रेजरी चालान पत्रावली में संरक्षित नहीं पाया गया, जिससे उक्त खनिज पर रॉयल्टी के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त शासनादेशों के बिंदु तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ठेकेदार द्वारा उपखनिज पर रॉयल्टी का भुगतान न करने की दशा में रॉयल्टी की धनराशि एवं रॉयल्टी का 5 गुना पेनाल्टी की धनराशि ठेकेदार के बिलों से कटौती कर लेखा शीर्षक – “0853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 102-खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क” में जमा कराया जाना चाहिए।

चूँकि उक्त गिट्टी आपूर्ति में रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए उपरोक्तानुसार रु. 4200.00 रॉयल्टी एवं इसका पांच गुना रु. 21000.00 कुल रु. 25200.00 ठेकेदार ने बिलों से कटौती कर उक्त लेखा शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था किन्तु जिला पंचायत कर्मियों द्वारा ऐसा न कर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया है। अतः इस कृत्य के लिए उत्तरदायी लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित से क्रमशः रु. 12600.00 एवं रु. 12600.00 वसूल कर उक्त लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर सं० -13- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु.10 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जायेगा एवं उनकी संतुष्टि के बाद ही निर्माण कार्य का अंतिम भुगतान किया जायेगा। जबकि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में उक्त सक्षम अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त किये बिना ही अंतिम भुगतान किया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत कन्वोज के अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव अवर अभियन्ता श्रीमती साधना सचान अभियन्ता श्री सुरेश बाबू त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	नाम निर्माण कार्य	कार्य स्वीकृति तिथि	अनुमानित लागत	कुल भुगतान
राज्य वित्त आयोग				
1	चिन्तागढी चौराहे बाबा गोपेश्वर मंदिर मार्ग से शिव मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण	17-10-16	1680000	1679512.00
2	ग्राम रैगावा से ग्रामीण बैंक जसपुरापुर सरेया तक खडंजा निर्माण	08-11-16	1870000	1862200.00
3	ग्राम माया पूर्वा डामर रोड से ग्राम भुलानी तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण	17-10-16	1550000	1548839.00
4	ग्राम उदयापुर से पट्टी मार्ग पर खडंजा रोड निर्माण	17-10-16	1800000	1789470.00
5	बाई पास ओवरब्रिज के पास से ग्राम बतादी तक इंटर लॉकिंग रोड निर्माण	08-11-16	2000000	1977958.00
6	ग्राम महादेव पूर्वा से जनेशपुर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण	28-12-16	1100000	1098391.00
7	विशुनगढ़ में नवगिची मार्ग का शेष भाग की मरम्मत / इंटरलॉकिंग कार्य	09-11-16	1100000	1098861.00
8	ग्राम ताहपुर-गुरुसहायगंज मार्ग से सबरामरु तक पी.सी. मरम्मत कार्य	17-10-16	1200000	1197098.00
9	खडिनी-मलिकपुर मार्ग से नगलागूठा तक पी. सी. मरम्मत कार्य	28-10-16	1800000	1799589.00
10	बलनपुर इन्दरगढ़ मार्ग से ग्राम महोरा होते हुए	17-10-16	1800000	1796920.00

	परसरामऊ तक पी.सी. मरम्मत कार्य			
11	घिलोय प. परामार्ग से ग्राम कहपुरा होते हुए मेरापुर गडिया मार्ग तक खडंजा व पुलिया निर्माण	30-11-16	2000000	1986235.00
12	ठठिया-मकनपुर मार्ग से रिक्सापूर्ण तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण	22-11-16	1700000	1699138.00
13	रावी मस्जिद नूरबाग (बगिया) मार्ग पर खडंजा से (बगिया तक) इंटरलॉकिंग रोड निर्माण	30-11-16	1840000	1839439.00
14	मौजा सरदामई दानसहाय नगला से नगलामेला तक खडंजा रोड निर्माण	20-12-16	2000000	1979048.00
15	ग्राम वीरपुर (अस्पताल) सी.सी. रोड से डामर रोड तक इंटर लॉकिंग रोड निर्माण	09-11-16	2000000	1963110.00
16	ग्राम मुनियापुर फिरोजपुर मार्ग से धरमंगदपुर तक खडंजा रोड व पुलिया निर्माण	09-11-16	1700000	1685823.00
17	खैर नगर ठठिया मार्ग से ग्राम सिंघापुरा संपर्क मार्ग की मरम्मत कार्य	22-12-16	1500000	1482531.00
18	ग्राम सैय्यदपुर सकरी तालाब के पास से गदनपुर नरहा तक इंटरलॉकिंग रोड व पुलिया निर्माण	09-11-16	1375000	1374717.00
19	कल्सान सरैया / नाले की पुलिया से भगवंतापुर तक संपर्क मार्ग की मरम्मत	17-10-16	2400000	2397532.00
20	चांदापुर से कीरतपुर तक इंटरलॉकिंग कार्य	22-11-16	2000000	1999393.00
21	गुरुसहायगंज सुजान सराय मार्ग पर यादव नगर में मदिवन देवी मंदिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	22-11-16	1800000	1799906.00
22	अमोलर मवई मार्ग से सीताराम तक शेष भाग पर इंटर लॉकिंग कार्य	28-10-16	1600000	1595900.00
23	ग्राम रौसेर से नगला मूरा तक पी.सी. कार्य	28-10-16	2000000	1999143.00
24	खड्नी डिगरी मार्ग से दलित बस्ती होती हुई फूलममती मंदिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	05-11-16	1850000	1848820.00
25	तिर्वा ठठिया मार्ग से ग्राम चन्दियापुर तक शेष भाग पर सी.सी. कार्य	28-10-16	1700000	1698539.00
26	इन्दरगढ़ नादेमऊ मार्ग से ग्राम गवचरियापुर तक सी.सी. कार्य	08-11-16	1300000	1259635.00
27	ग्राम रितुकला से बुर्जम बाबा मजार तक सी.सी. कार्य	22-11-16	1500000	1498827.00
28	ग्राम रूरा से निस्तौली मार्ग पर पी.सी. पुलिया कार्य	19-11-16	1700000	1698740.00

29	ग्राम पुखरायां से माधौनगर मार्ग पर पी.सी. मरम्मत कार्य	17-10-16	2300000	2291568.00
30	ग्राम जैनपुर से ईदगाह से विनायक पूर्वा तक इंटर लॉकिंग कार्य	18-11-16	2000000	1849456.00
31	राजाराम जी.टी. रोड मार्ग के किनारे ग्राम विराहिमपुर में नाले की मरम्मत कार्य	22-12-16	1500000	1498658.00
			योग	53294996.00
तेरहवां वित्त आयोग				
1	इंद्रगण नादेमऊ मार्ग से भट्टपुरा का परिक्रमा मार्ग का शेष भाग पर सी.सी. कार्य	08-07-16	2486000 + 248576	2483976.00
2	मोचीपुर तेरामऊ मार्ग से सतुआपुर से आकिलपुर तक इंटरलॉकिंग कार्य	08-07-16	2100000	2099068.00
3	जी० टी० रोड जशोदा सरस्वती शिशु मंदिर तक सी.सी. कार्य	14-07-16	2060000	2059319.00
4	ठठिया जनखत मार्ग से आर वी शिक्षा सदन राज नगर कुरियाना तक इंटरलॉकिंग कार्य	29-06-16	2100000	2098206.00
5	चचासण्डा से भज्जापुरा तक	29-06-16	2490000	2474439.00
6	कसोली में मु० 45 मार्ग से मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	08-07-16	1250000	1248788.00
7	तिर्वा बरघड़िया मार्ग से मालती देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज तक	28-07-16	2496000	2493294.00
8	जी० टी० रोड से ग्राम डोडा पालीनपुर का शेष भाग पर कार्य	26-08-16	1220000	1219222.00
			योग	16176312.00
			कुल योग	69471308.00

उपरोक्त तथ्य के आधार पर निर्माण कार्यों में गम्भीर अनियमितताएं परिलक्षित हो रही हैं | अतः निर्माण कार्यों हेतु किया हुआ भुगतान रु. 69471308.00 अनियमित रहा |

प्रस्तर सं० -14- जिला पंचायत कन्नौज के अंतर्गत 10 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं के अंतर्गत उ.प्र. शासन की स्वीकृति पत्र सं० 1156-टी/33-सेल/2016 दिनांक- 27-09-2016 द्वारा क्रमांक-30 पर अंकित व स्वीकृत निर्माण कार्य विकास खण्ड- हसेरन में इन्द्रगढ़ – पुराराय मार्ग से ग्राम- गहरा तक 400 मी.पी.सी. रोड निर्माण की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गयी |

1- कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ऊ० प्र० लखनऊ के परिपत्र सं० 7399/एम.टी./ सामान्य वर्ग/ 60/एम.टी./ 2008 दिनांक 16-09-2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारम्भिक आगठन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जाएगा एवं तदनुसार प्रारम्भिक आगठन तैयार किया जाएगा | किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डायग्राम सलग्न नहीं है | स्पष्ट है कि स्टीमेट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है |

2- उक्त निर्माण कार्य का स्टीमेट अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव द्वारा तैयार किया गया एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी द्वारा अनुमोदित किया गया | उनके द्वारा यह स्टीमेट किस सक्षम अधिकारी के आदेश पर तैयार किया गया, पत्रावली से

स्पष्ट नहीं है। स्टीमेट में किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट न हो सका की स्टीमेट कब तैयार किया गया एवं स्टीमेट में प्रयुक्त दरें प्रान्तीय ला०नि० विभाग के किस शेड्यूल रेटसे ली गयी है।

3- उक्त निर्माण कार्य स्थल पर पूर्व में खडंजा निर्मित होना पत्रावली से स्पष्ट है किन्तु यह खडंजा किस विभाग की सम्पत्ति था पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। पूर्व निर्मित खडंजा जिस विभाग की सम्पत्ति था उससे परिसंपत्ति का हस्तांतरण जिला पंचायत कन्नौज के पक्ष में नहीं कराया गया जबकि सम्बंधित विभाग से सहमति प्राप्त कर एवं सम्पत्ति का हस्तांतरण अपने पक्ष में कराकर ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए था।

4-स्टीमेट में पूर्व निर्मित खडंजों की कीमत का समायोजन नहीं किया गया है। इस प्रकार स्टीमेट खडंजे की कीमत से काल्पनिक रूप से बढ़ा कर तैयार किया गया है।

5-उक्त निर्माण कार्य की निविदा 29-08-2016 को जिला पंचायत कार्यालय कन्नौज में खोली गयी एवं न्यूनतम दरों के आधार पर (स्टीमेट की दर पर) इस कार्य का ठेका ठेकेदार श्री सुरेश चन्द्र यादव को देकर दिनांक 14-10-2016 को जिला पंचायत कार्यालय के पत्र सं० 707 द्वारा उन्हें निविदा स्वीकृत हो जाने की सूचना दी गयी एवं तदक्रम में दिनांक 18-11-16 को कार्यालय के पत्रांक-848 द्वारा उन्हें कार्यादेश जारी करते हुए उक्त कार्य को दिनांक 17-01-2017 तक पूर्ण करने का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश के अनुपालन में श्री सुरेश चन्द्र यादव द्वारा उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त स्टोन ग्रेट की आपूर्ति की पुष्टि में निम्नलिखित अभिवहन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये गये –

क्रम सं०	अभिवहन पत्र सं०	जारी होने की तिथि / समय	आपूर्ति गिट्टी की मात्रा (घन मी० में)	वाहन सं०	जारीकर्ता	अन्य विवरण
1	एबी186301/79	01-03-2017/7:20	20 घन मी०	यूपी 75एम9576	कलेक्टर भिण्ड एमपी	दिनांक – 27-09-16 (गन्तव्य स्थल, खरीददार, पहुँचने की तिथि आदि अंकित नहीं है)
2	एबी 186301/76	01-03-2017/6:50	20 घन मी०	यूपी 75एम9572	कलेक्टर भिण्ड	दिनांक – 27-09-16
3	एबी 186261/76	19-12-2015/9:45	20 घन मी०	यूपी 75 एम 9572	जिला अधि० मुरैना	तिथि अंकित नहीं है
4	सीडी 0151/010	24-12-2015/4:20	28 घन मी०	यूपी 75 एम 9572	कलेक्टर मुरैना	तिथि अंकित नहीं है
5	एबी 186943/43	27-11-2016/9:60	28 घन मी०	यूपी 75 एम 9574	कलेक्टर मुरैना	तिथि अंकित नहीं है
6	एबी 194603/66	10-01-2017/5:46	28 घन मी०	यूपी 75 एम 8724	कलेक्टर मुरैना	तिथि अंकित नहीं है
7	एबी 186943/50	25-11-2016/11:46	28 घन मी०	यूपी 75 एम 8720	कलेक्टर मुरैना	तिथि अंकित नहीं है
8	एबी 186942/68	29-11-2016/10:02	28 घन मी०	यूपी 75 एम 8724	कलेक्टर मुरैना	तिथि अंकित नहीं है
9	एबी 194603/63	10-01-2017/3:43	28 घन मी०	यूपी 75ए.टी.0654	कलेक्टर मुरैना	तिथि अंकित नहीं है
10	एबी 194602/98	12-2016/7:49	28 घन मी०	यूपी75 एम	कलेक्टर	तिथि अंकित नहीं है

				8720	मुरैना	
		योग	264 घन मी०			

क- उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम- 35,36 एवं 52 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति की गयी गिट्टी की तिथिवार मात्रा माप पुस्तिका में दर्ज की जानी चाहिए एवं निर्माण कार्य स्टॉक रजिस्टर प्रारूप सं० 14 में भी सामग्री का अंकन कर तिथिवार प्रयोग की गयी गिट्टी व शेष गिट्टी की माप को अंकित किया जायेगा तथा माप पुस्तिका में अभिवहन पत्र की संख्या भी अंकित की जाएगी। किन्तु उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका में उक्त गिट्टी आपूर्ति का अंकन नहीं किया गया और न ही स्टॉक रजिस्टर में ही उक्त गिट्टी स्टॉक का लेखा अंकित किया गया।

ख- उक्त निर्माण कार्य दिनांक 18-11-16 को ठेकेदार को आवंटित किया गया जबकि क्र० 03 व 04 के अभिवहन पत्रों से स्पष्ट है की गिट्टी आपूर्ति माह दिसम्बर- 15 में हुई है। जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त गिट्टी को काल्पनिक बनाता है।

ग- किसी भी अभिवहन पत्र में गन्तव्य स्थल, खरीददार, पहुँचने की तिथि आदि विवरण अंकित नहीं है।

घ- क्रमांक - 01 व 02 के अभिवहन पत्रों में जारी होने की तिथि 01-03-2017 अंकित है, जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा इन वाहनों को पास करने की तिथि 27-09-2016 अंकित है। जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

ङ- क्र० 10 पर अंकित अभिवहन पत्र में जारी होने की तिथि अंकित नहीं है।

च- क्र० 03 से 10 के वाहनों के सक्षम अधिकारी द्वारा पास किये जाने की तिथियाँ अंकित नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर पत्रावली में संरक्षित सभी अभिवहन-प्रपत्र प्रथम दृष्ट या काल्पनिक प्रतीत हुए। अतः इनकी सम्बंधित जिलों से पुष्टि करायी जानी चाहिए।

6- प्रमुख सचिव उ. प्र० शासन के पत्रांक 3891/77-5-2002(216)93 दिनांक 05-08-2002 एवं शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292 दिनांक 15-10-2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली उप खनिजों (गिट्टी, साधारण बालू, मौरंग, इमारती पत्थर, साधारण मिट्टी आदि) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.-11) द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है। साथ ही रॉयल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म / संस्था से रॉयल्टी भुगतान का ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाए तथा जिन मामलों में बिना रॉयल्टी का भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर कोषागार में जमा कराया जाए। किन्तु उक्त खनिज-गिट्टी की आपूर्ति करते समय रॉयल्टी की राशि कोषागार में जमा की पुष्टि में जमा का ट्रेजरी चालान पत्रावली में संरक्षित नहीं पाया गया, जिससे उक्त खनिज पर रॉयल्टी के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7- उक्त शासनादेशों के बिंदु तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ठेकेदार द्वारा उपखनिज पर रॉयल्टी का भुगतान न करने की दशा में रॉयल्टी की धनराशि एवं रॉयल्टी का 5 गुना पेनाल्टी की धनराशि ठेकेदार के बिलों से कटौती कर लेखा शीर्षक - "0853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 102-खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क" में जमा कराया जाना चाहिए।

चूँकि उक्त गिट्टी आपूर्ति में रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए गिट्टी की मात्रा 264 घन मी० पर रु. 75 प्रति घन मी० की दर से रु. 19800.00 रॉयल्टी एवं इसका पांच गुना रु. 99000.00 कुल रु. 118800.00 ठेकेदार ने बिलों से कटौती कर उक्त लेखा शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था किन्तु जिला पंचायत कर्मियों द्वारा ऐसा न कर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया है। अतः इस कृत्य के लिए उत्तरदायी लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित से क्रमशः रु. 59400.00 एवं रु. 59400.00 वसूल कर उक्त लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए।

8- मुख्य सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं० 1408/23-3-09-62 (जनरल) / 08 टी० सी० दिनांक- 08/05/2009 के बिन्दु-3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मार्ग निर्माण कार्य में बिटुमिन की आपूर्ति विभाग द्वारा की जानी थी तथा रिफायनरी से बिटुमिन क्रय हेतु क्रयादेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा रिफायनरी को सीधे प्रेषित किया जाना था । इस शासनादेश का उद्देश्य मार्ग की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था । किन्तु उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त बिटुमिन की आपूर्ति जिला पंचायत द्वारा न कर बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान ठेकेदार को ही किया गया है जो उक्त शासनादेश की मंशा के विपरीत रहा एवं निर्माण कार्य में अधोमानक बिटुमिन के प्रयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

9- उ० प्र० क्षे० पं० तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु. 10 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्य का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जायेगा एवं उनकी संतुष्टि के बाद ही निर्माण कार्य का अंतिम रूप से भुगतान किया जायेगा । जबकि उक्त निर्माण कार्य में सक्षम अधिकारी की संस्तुति प्राप्त किये बिना ही अन्तिम भुगतान किया गया है ।

10- एम.ओ.आर.डी. स्पेसिफिकेशन के क्लॉज 401 (6.1) के अनुसार जी० यस० बी० को रोड पर बिछाने से पूर्व उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कराया जाना अपेक्षित था जी० यस० बी० कार्य पूर्ण होने के पश्चात डिग्री ऑफ कॉम्पैक्सन का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी कराया जाना अपेक्षित था किन्तु निर्माण पत्रावली में उक्त प्रकार के टेस्ट कराए जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया । जिससे जी० यस० सी० कार्य को गुणवत्ताविहीन होने से इंकार नहीं किया जा सकता ।

उक्त तथ्यों से इस निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं परिलक्षित हो रही हैं । अतः निर्माण कार्य हेतु किया हुआ भुगतान रु. 1049048.00 अनियमित रहा । इस अनियमित भुगतान के लिए जिला पंचायत के विभा० अधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी रहे ।

क्रम सं०	नाम कर्मचारी / अधिकारी	पदनाम
1	श्री सुरेश चन्द्र यादव	अपर अभियन्ता
2	श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी	अभियन्ता
3	श्री बेचे लाल वर्मा	निर्माण लिपिक
4	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी	लेखाकार
5	श्री ज्योति कुमार दीक्षित	अपर मुख्य अधिकारी
6	श्री गजेन्द्र सिंह	वित्तीय परामर्शदाता

प्रस्तर सं० -15- शासन के पत्र सं० 1156-T/33-सेल/2016 दिनांक- 27-09-2016 द्वारा स्वीकृत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान जिला पंचायत कन्नौज के निर्माण कार्य की सूची के क्रमांक 25 पर अंकित कार्य मौजा सरदाभई दान सहाय नगला से नगला भोला तक खडंजा रोड निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं।

- (1) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उ०प्र० लखनऊ के परिपत्र सं० 7399/ एम.टी./सामान्य वर्ग/60एम.टी./2008 दिनांक 16-09-08 के बिन्दु एक के अनुसार प्रारम्भिक आगठन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायेगा एवं तदनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार किया जायेगा किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डायग्राम संलग्न नहीं है । स्पष्ट है कि स्टीमेट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है ।
- (2) उक्त खडंजा निर्माण हेतु तैयार किये गये आगणन में तीन मीटर चौड़ाई में खडंजा निर्माण किया जाना दर्शाया गया है जबकि मिटटी पुराई का कार्य 11 मी० चौड़ाई में कराया जाना प्रस्तावित किया गया है । 3 मीटर चौड़ा खडंजा निर्माण हेतु खडंजा के दोनों तरफ 1-1 मीटर मिटटी का बंध तैयार किया जाना चाहिए था । इस प्रकार

मिट्टी पुराई अधिकतम 5 मी० चौड़ाई में की जानी चाहिए थी | इस प्रकार 11 मी० चौड़ाई में मिट्टी पुराई कराना दर्शाकर एवं इस कार्य हेतु 2663.66 घन मी० मिट्टी कार्य दर्शाकर इस हेतु रु. 290338.94 का भुगतान किया गया | इस प्रकार 6 मी० चौड़ाई में काल्पनिक मिट्टी कार्य दर्शाकर 1815 घन मी० काल्पनिक मिट्टी पुराई व्यय रु. 197835.00 का ठेकेदार श्री जयवीर सिंह को भुगतान कराने के लिए तत्कालीन अपर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव, अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित उत्तरदायी है |

- (3) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 व 36 के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गिनती व माप की जाएगी तथा उसकी यथोचित रूप से माप पुस्तिका में अंकन किया जायेगा | उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंट की आपूर्ति का तिथिवार लेखा माप पुस्तक में नहीं किया गया जो उक्त नियमों के विपरीत रहा |
- (4) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 10 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) एवं अधिक्षण अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जायेगा एवं उनकी संतुष्टि के बाद ही निर्माण कार्य का अंतिम भुगतान किया जायेगा | जबकि उक्त निर्माण कार्य में उक्त सक्षम अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त किये बिना ही अंतिम भुगतान किया गया है इस प्रकार जिला पंचायत कन्नौज के अपर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव, अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है | जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -16- जिला पंचायत कन्नौज वर्ष 2016-17 कृषि फार्मों से सम्बंधित पत्रावलियों की जाँच में स्टाम्प पेपर की कमी पाई गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा -

क्रम सं०	नाम कृषि फॉर्म	निलामी धन	स्टाम्प जो लगना था	स्टाम्प जो लगा है	कमी
1	प्रा० प० भौरामऊ	9400	752	-	752
2	जु० हा० स्कूल इन्दरगढ़	4000	320	-	320
3	जु० हा० स्कूल सौरिख	31000	2480	-	2480
4	जु० हा० स्कूल मित्रसेनपुर-1	20100	1608	-	2480
5	जु० हा० स्कूल मित्रसेनपुर-2	20000	1600	1500	100
	योग	84500	6760	1500	5260

इस प्रकार 5260.00 रु स्टाम्प पेपर कम लगाकर सरकार को रु. 5260.00 का नुकसान पहुंचाते हुए राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी जिसके लिए श्री सुरेश चन्द्र वर्मा पटल अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी राधेश्याम शर्मा जिम्मेदार है | जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जिला पंचायत:- कानपुर देहात (माती)
लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

जनपद - कानपुर देहात

प्रस्तर सं० 01

जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में भोगनीपुर के मजरा कृपालपुर/फतेपुर पर बने ताल की गाटा सं० 507/326 पर सार्वजनिक घाट निर्माण कार्य के बिल पर रूपया 2526185.00 पर 1 प्रतिशत लेबर सेस रूपया 25261.85 ठेकेदार के बिल में अतिरिक्त जोड़ा गया है। इतना ही नहीं उक्त लेबर सेस पर 12 प्रतिशत की दर से 3031.42 जी०एस०टी० का भी

भुगतान किया गया है। इस प्रकार के इन्द्राज किए जाने का सीधा मतलब होता है कि लेबर सेस का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा न करके जिला पंचायत द्वारा सरकारी ग्रांट से किया गया है। बिल्डिंग एण्ड अदर कान्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के अनुसार सार्वजनिक विभागों/उपक्रमों द्वारा लेबर सेस का भुगतान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, यदि निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाता है। 30प्र0 सरकार द्वारा भी भारत सरकार के अधिनियम के अनुपालन में अधिसूचना द्वारा अधिनियम को लागू किया गया है। तदोपरान्त 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन 2009 में किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य में संलग्न समस्त शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर ठेकेदार के बिलों से 1 प्रतिशत की दर से उपकर के कटौती का दिशा निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि लेबर सेस की कटौती ठेकेदार के बिलों से ही की जानी चाहिए किन्तु उक्त कार्य में सीधे शासकीय ग्राण्ट से जिला पंचायत द्वारा जी०एस०टी० सहित रु० 28293.27 लेबर सेस का भुगतान कर सीधे ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है जो अनियमित रहा। अतएव उक्त अनियमित भुगतान के लिए अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे हैं। अतएव उक्त दोनों से रु० 28293.27 की वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 14)

प्रस्तर सं० 2

ग्राम सिंगरसीपुर डामर रोड से विद्युत उपकेन्द्र (33/11) तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य में पुलिया निर्माण कार्य में कन्जम्प्शन आफ मैटेरियल में दिए गए विवरण के अनुसार 22.4-53 एम०एम० गेज स्टोन बैलास्ट 209.73 घन मीटर, 45-63 एम०एम० गेज स्टोन बैलास्ट 220.46 घन मी०, स्टोन डस्ट 104.28 घन मी०, 6.7 एम०एम० गेज स्टोन एग्रीगेट 20.71 घन मी०, 10 एम०एम० गेज स्टोन एग्रीगेट 0.27 घ० मीटर, 11.2 एम०एम० स्टोन एग्रीगेट 20.71 घन मीटर, 13.2 एम०एम० स्टोन एग्रीगेट 41.41 घन मीटर, 20 एम०एम० स्टोन एग्रीगेट 0.80 घन मीटर एवं 40 एम०एम० स्टोन एग्रीगेट 1.59 घन मीटर कुल 619.96 घन मीटर स्टोन प्रयुक्त किया जाना दर्शाया गया है। शासनादेश सं० 2146/86-2019-52 (सा०) 2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के बिन्दु सं० 4 के अनुसार परिवहन प्रपत्र एमएम-11 के त्रुटिपूर्ण/अवैध पाये जाने पर उपखनिज की रायल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य जो रायल्टी का 5 गुना होगा की ठेकेदार के बिल से कटौती कर संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। पत्रावली में उपलब्ध एमएम-11 आनलाइन सत्यापन शीट के अनुसार उक्त कार्य हेतु कुल 618 घन मीटर गिट्टी का एमएम-11 प्रस्तुत किया गया जिसमें 20 घन मीटर गिट्टी का एमएम-11 अवैध पाया गया तथा 1.96 घन मीटर गिट्टी का एमएम-11 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार 21.96 घनमीटर गिट्टी का अवैध एमएम-11 मांगते हुए रु० 160/- प्रति घन मीटर रायल्टी दर का 6 गुना करके रु० 21,082.00 ठेकेदार में साईं कंस्ट्रक्शन के बिल से कटौती की गयी है, किन्तु 21.96 घन मीटर गिट्टी का वैध एमएम-11 प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम 52 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रपत्र संख्या 14 में प्रत्येक किलोमीटर में प्रयुक्त सामाग्री का स्टाक रजिस्टर तैयार न किए जाने से उक्त अवैध एमएम-11 द्वारा प्राप्त गिट्टी की आपूर्ति एवं उपभोग प्रमाणित नहीं हो सका।

चूंकि 21.96 घन मीटर गिट्टी डबल्यूबीएम के कार्य में कम प्रयोग किया गया है अतः प्रति घन मीटर रु० 3,514.50 की दर से रु० 77,178.42 अर्थात् रु० 77,178.00 का भुगतान लेस 0.2% बिल टैडर रु० 154.00 घटाकर तथा शेष पर 12 प्रतिशत जी०एस०टी० रु० 9,443.00 कुल रु० 86,467.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसमें से रु० 21,082.00 दण्ड स्वरूप प्राप्त रायल्टी की धनराशि घटाने के पश्चात रु० 65,385.00 का भुगतान ठेकेदार को अधिक किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह एवं अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उनसे रु० 65,385.00 समान अनुपात में वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 15)

प्रस्तर सं० 3

जिगनीपुरवा बाजार से लोहारी रोड संपर्क मार्ग लेपन कार्य में कंज्यूसन आफ मैटेरियल में दिये गए विवरण के अनुसार 63.45 एमएम स्टोन बैलास्ट, 204.38 घन मीटर, 22.4-53 एमएम स्टोन गिट, 197.90 घन मीटर, 13.2-5.6 एमएम स्टोन गिट 78.53 घन मीटर, स्क्रीनिंग मैटेरियल 97.52 घन मीटर कुल 578.33 अर्थात् 579 घन मीटर स्टोन का प्रयोग उक्त कार्य में किया जाना दर्शाया गया है। एमएम-11 आनलाइन सत्यापन शीट के अनुसार उक्त कार्य हेतु 579 घन मीटर गिट्टी का एमएम-11 प्रस्तुत किया गया जिसमें से 49 घन मीटर गिट्टी का एमएम-11 अवैध पाया गया। इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 20/09/2019 का पालन करते हुए 49 घन मीटर गिट्टी का $160.00 \times 6 = \text{रु० } 47,040.00$ की कटौती उक्त कार्य के बिल से कर ली गयी। किन्तु 49 घन मीटर गिट्टी के निर्माण कार्य में प्रयोग होने की पुष्टि में प्रपत्र संख्या 14 प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर 49 घन मीटर गिट्टी का प्रयोग डब्ल्यूबीएम के कार्य में कम किया गया हो तो $\text{रु० } 3560.50$ प्रति घन मीटर की दर से $\text{रु० } 174464.50$ में से 0.26 प्रतिशत लेस टेण्डर मूल्य 453.60 नेट धनराशि 174010.90 पर 12 प्रतिशत जीएसटी $\text{रु० } 20881.30$ जोड़कर कुल रूपया 194892.20 का अधिक पेमेण्ट ठेकेदार को कर दिया गया हो। इस प्रकार $194892.20 - 47040 = 147852.20$ का अधिक भुगतान ठेकेदार को अधिक किया गया संभावित है जिसके लिए अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह एवं ठेकेदार की मिलीभगत संभावित है, अतएव गैर विभागीय उच्च अधिकारियों से थिकनेस की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 16)

प्रस्तर सं० 4

बकसोधी से अनवा विशेष मरम्मत लेपन कार्य में कंजम्पसन आफ मैटेरियल में दिये गये विवरण के अनुसार कुल 517 घन मीटर गिट्टी का प्रयोग किया गया किन्तु पत्रावली में संलग्न एमएम-11 ऑनलाइन सत्यापन शीट के अनुसार उक्त कार्य हेतु कुल 412 घन मीटर गिट्टी वैध एवं 102 घन मीटर गिट्टी का एमएम-11 अवैध पाया गया उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के बिन्दु सं० 4 का पालन करते हुए जिला पंचायत द्वारा $102 \times 160 \times 6 = 97120$ की कटौती उक्त ठेकेदार के बिल से कर ली गयी। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि 102 घन मीटर गिट्टी का प्रयोग उक्त कार्य में किया ही न गया हो। अगर 102 घन मीटर गिट्टी का प्रयोग डब्ल्यूबीएम के कार्य में कम किया गया हो तो $\text{रु० } 3848.90$ प्रति घन मीटर की दर से $\text{रु० } 392587.81$ लेस बिलो टेण्डर दर 0.25 प्रतिशत $\text{रु० } 981.46$ घटाने के पश्चात शेष $\text{रु० } 391606.34$ में 12 प्रतिशत जीएसटी $\text{रु० } 46992.72$ जोड़ने के पश्चात कुल रूपया 438599.06 का अधिक भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया हो। इस प्रकार $\text{रु० } 438599.06 - 97120 = \text{रु० } 341479$ का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया है, जिसके लिए अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह एवं ठेकेदार की मिली भगत है। जिसकी वसूली सम्बंधित तत्कालीन लेखाकार एवं अभियाहता श्रीमती मंजू से की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 17)

प्रस्तर सं० 5

ग्राम पिलखनी पक्की सड़क से कानपुर झांसी हाईवे पक्की सड़क सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग पर लेपन कार्य में निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न कंजम्पसन ऑफ मैटेरियल चार्ट के अनुसार 297.88 घन मीटर गिट्टी का प्रयोग उक्त कार्य में किया गया है किन्तु पत्रावली में संलग्न एमएम-11 आनलाइन सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्य हेतु कुल 11.88 घन मीटर गिट्टी का एमएम-11 अवैध पाया गया उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के बिन्दु सं० 4 का पालन करते हुए जिला पंचायत द्वारा $11.88 \times 160 \times 6 = 11405$ की कटौती उक्त ठेकेदार के बिल से कर ली गयी। इससे इस की पुष्टि होती है कि 11.88 घन मीटर गिट्टी का प्रयोग उक्त कार्य में कम किया गया है। चूंकि 11.88 घन मीटर गिट्टी का प्रयोग डब्ल्यूबीएम के कार्य में कम किया गया है तो $\text{रु० } 3560.30$ प्रति घन मीटर की दर से $\text{रु० } 42296.36$ लेस बिलो टेण्डर / 0.2 प्रतिशत $\text{रु० } 8.45$ घटाने के पश्चात शेष $\text{रु० } 42287.91$ पर 12 प्रतिशत जीएसटी $\text{रु० } 5074.54$ जोड़ने के पश्चात कुल रूपया 47362.45 का अधिक भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया है। इस प्रकार $\text{रु० } 47362.45 - 11405 = 35957.45$ का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया है जिसके लिए

अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह एवं ठेकेदार की मिली भगत जिम्मेदार है। अतः समाहित धनराशी रुपये 35957.45 की वसूली श्रीमती मंजू देवी (अभियन्ता) एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(मू०अ०सं० 18)

प्रस्तर सं० 6

मॉर्ड स्पेसिफिकेशन के क्लॉज 401 (2) के अनुसार पहले से निर्मित सब ग्रेड से घास, पेड़ पौधे, झाड़ियों आदि को साफ कराकर उस पर रोड रोलर से रोल करके ही सब बेस का कार्य कराया जाना चाहिए। किन्तु आलोच्य वर्ष में निगोही चौबेपुर लेपन सम्पर्क मार्ग से ताजियागंज मेघना सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य हेतु सब ग्रेड से घास, पेड़, पौधों, झाड़ियों आदि को साफ कराने के लिए 505 स्क्वायर मीटर का प्रावधान किया गया था। किन्तु उक्त कार्य को ठेकेदार द्वारा नहीं कराया गया। उक्त निर्माण कार्य पर जी०एस०टी० सहित ₹0 2126047.00 का भुगतान किया गया है, किन्तु उक्त निर्माण कार्य में उक्त आइटम का कार्य न कराये जाने के कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित रही जिसके लिए मुख्य रूप से अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे हैं। जिनसे नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मू०आ०सं० 20)

प्रस्तर सं० 7

आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्यों में जी०एस०बी० की कॉम्पेक्टेड थिकनेस 12.5 से०मी० दर्शायी गयी है लेकिन उसे रोल करने हेतु श्री व्हील 80-100 केएन स्टैटिक रोलर का प्रयोग किया गया है, जबकि मॉर्ड स्पेसिफिकेशन क्लॉस - 401.3 के अनुसार जी०एस०बी० की कॉम्पेक्टेड थिकनेस 10 से०मी० से ज्यादा होने पर डिजाइन क्रस्ट तैयार किया जाना चाहिए तथा श्री व्हील 80-100 केएन स्टैटिक रोलर के स्थान पर वाइब्रेटरी रोलर का प्रयोग किया जाना चाहिए था, क्योंकि श्री व्हील 80-100 केएन स्टैटिक रोलर एक बार में 10 से०मी० कॉम्पेक्टेड लेयर ही रोल कर सकती है। 10 से०मी० से अधिक अर्थात् 12.5 से०मी० कॉम्पेक्टेड थिकनेस को रोल करने के लिए 2 लेयर में स्टैटिक रोलर से रोल किया जाना चाहिए अथवा वाइब्रेटरी रोलर का प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु इसका निर्माण पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में सम्पन्न कराये गये निम्न निर्माण कार्य अधोमानक पाये गये जिसके लिए अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहे हैं अतएव उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान की धनराशि
1	निगोही चौबेपुर लेपन सम्पर्क मार्ग से ताजियागंज मन्धना सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	2405681.00
2	ग्राम पिलखनी पक्की सड़क से करनपुर मांझी हाइवे पक्की सड़क लेपन कार्य	849515.00
	कुल योग	3255196.00

(मू०आ०सं० 22)

प्रस्तर सं० 8

आलोच्य वर्ष 2020-21 के लेपन सम्बन्धित निर्माण पत्रावलियों की जांच में जी०एस०बी० से सम्बन्धित एनॉलिसेस ऑफ रेट में देखा गया कि जी०एस०बी० मैटेरियल में 53 - 9.50 एम०एम० एग्रीगेट 50 प्रतिशत 9.5 - 2.36 एम०एम० एग्रीगेट 20 प्रतिशत एवम् बिल्वो 2.36 एम०एम० एग्रीगेट 30 प्रतिशत का मिश्रण दिखाया गया है। किन्तु उक्त मिश्रण की जांच

अवर अभियन्ताओं/अभियन्ता द्वारा कैसे की गयी इसका कोई उल्लेख निर्माण पत्रावलियों में नहीं पाया गया इससे इससे बात की पुष्टि होती है कि जी०एस०बी० मिश्रण में अधिक कीमत वाले एग्रीगेट का अनुपात ठेकेदार द्वारा कम रखा गया एवं सस्ते कीमत वाले यथा बिल्वो 2.36 एम०एम० एग्रीगेट का प्रतिशत भाग उक्त मिश्रण से अधिक रखा गया हो। इस प्रकार ठेकेदार एवम् अभियन्ता की मिली भगत से जी०एस०बी० कार्य में अधोमानक सामग्री का प्रयोग किया गया हो। उक्त कार्य के लिए अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। अतएव उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 23)

प्रस्तर सं० 9

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सं० 39 के अनुसार ₹० 5 लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था तथा दस लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किए जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जाना चाहिए था। किन्तु आलोच्य वर्ष 2020-21 की निर्माण पत्रावलियों में उक्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि जिला पंचायत के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने के लिए उक्त सक्षम अधिकारियों से निरीक्षण कार्य जानबूझ कर नहीं कराया गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सम्बन्धित निर्माण कार्यों की सूची अग्रलिखित है-

जिला पंचायत, कानपुर देहात द्वारा वर्ष 2020-21 में मु० 5.00 लाख से अधिक तथा मु० 10.00 लाख से कम लागत के कार्यों की सूची -

क्रमांक	विकासखण्ड	परियोजना का नाम व विवरण	लम्बाई (किमी० में)	अनुमानित लागत जी०एस०टी० सहित (लाख ₹० में)
1	2	3	4	5
1	सरवनखेडा	रनियां में मालवर रोड से अश्वनी कैमिकल्स होते हुए विद्युत विभाग तक सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य	0.300	0.42
2	मैथा	जैतपुर पुरवा भउवापुरवा डॉमर रोड से नहर पटरी तक सम्पर्क मार्ग पर पुलिया कार्य	-	0.84
3	राजपुर	औडैरी दोहरापुर मार्ग से छोटे सिल्हौला तक सम्पर्क मार्ग लेपन पैच मरम्मत कार्य	0.760	1.08
4	मलासा	मुंगीसापुर शाहजहाँपुर डॉमर रोड से नेरा कृपालपुर सम्पर्क मार्ग लेपन पैच मरम्मत कार्य	0.988	1.54
5	अकबरपुर	मंशुखपुरवा से बंशनपुरवा मार्ग पर डबले से ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य	-	2.07
6	डैरापुर	इन्जुआरामपुर रेलवे अण्डरपास के बगल गढेवा मार्ग पर खडंजा कार्य	0.140	2.17
7	रसूलाबाद	ऊगा रसवल डॉमर रोड से मुलही के खडंजे तक खडंजा कार्य	0.150	2.36

8	मैथा	ग्राम सभा खलगपुर में राजेश के घर के पास खडंजे से रामशिला मन्दिर के खडंजे तक खडंजा कार्य	0.150	2.36
9	रसूलाबाद	करकरापुर खडंजा से करकरापुर गांव के खडंजे तक खडंजा कार्य	0.150	2.37
10	झींझक	अमौली भरथू डॉमर रोड से जोगी डेरा तक खडंजा कार्य	0.160	2.51
11	मैथा	कैलई के मजरा बखशपुरवा में शिवली रावतपुर रोड के मध्य डॉमर रोड से खडंजे तक खडंजा कार्य	0.176	2.63
12	रसूलाबाद	कल्लापुरवा गांव डॉमर रोड से प्रा0वि0 तक खडंजा कार्य	0.170	2.66
13	रसूलाबाद	जोत डॉमर रोड से रायपुर खडंजा तक खडंजा कार्य	0.175	2.74
14	मलासा	महर्षि दयानन्द बाल विद्यालय के सामने मीनापुर डॉमर रोड से इण्टरलॉकिंग मार्ग तक सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य	0.070	3.60
15	झींझक	भूटा मंगलपुर मार्ग से एस0एल0आर0 विद्यालय मार्ग पर सी0सी0 कार्य	0.055	3.71
16	झींझक	मंगलपुर ककोर रोड से रियाजुल कब्रिस्तान तक खडंजा कार्य	0.250	3.86
17	अकबरपुर	रूरा शिवली रोड से मदर लैण्ड एकेडमी स्कूल के गेट तक सी0सी0 कार्य	0.060	3.90
18	रसूलाबाद	सुनासी डॉमर रोड से काली देवी मन्दिर मार्ग पर खडंजा कार्य एवं पुलिया कार्य	0.200	3.92
19	झींझक	मंगलपुर ककोर रोड जरौली डॉमर रोड तक खडंजा कार्य	0.305	4.79
20	रसूलाबाद	अन्ता में राम भजन की दुकान के पास डॉमर रोड से टॉवर तक सी0सी0 कार्य	0.095	5.13
21	डेरापुर	अलियापुर स्टेशन से उमराव पुरवा मार्ग पर सी0सी0 कार्य	0.100	5.23
22	रसूलाबाद	इडा महुआ गांव के खडंजा से उच्च प्रा0वि0 तक खडंजा कार्य	0.380	5.81
23	झींझक	झींझक दत्तपुर मार्ग से किसौरा में इण्टरलॉकिंग तक खडंजा कार्य	0.415	6.33
24	संदलपुर	लाडपुर छिवना में कमल सिंह राजेन्द्र सिंह इण्टर कालेज के सामने डॉमर रोड से गांव में लगे खडंजे तक सम्पर्क मार्ग खडंजा कार्य	0.450	6.83
25	झींझक	शाहपुर में खडंजे से राठौर अड्डा तक खडंजा कार्य	0.45	6.88
26	रसूलाबाद	तुर्कियापुर सम्पर्क मार्ग से कुशलपुरवा में प्रकाश के घर के पास तक सी0सी0 कार्य	0.140	7.42
27	राजपुर	कच्ची महटौली में प्रा0वि0 तक सी0सी0 कार्य	0.150	7.60
28	सरवनखेडा	ग्राम जैनपुर में डॉमर रोड से गांव तक सी0सी0 कार्य	0.165	7.88

29	मैथा	ढाकन शिवली में ईदगाह के पास इंटरलॉकिंग से पूर्व निर्मित सी0सी0 तक सी0सी0 कार्य	0.155	7.98
30	अमरौधा	ग्राम मदनपुर से रतनगढ मन्दिर तक खडंजा कार्य	0.530	8.06
31	राजपुर	मनपुर डेरे से नैनापुर प्रा0पा0 तक खडंजा कार्य	0.545	8.12
32	अकबरपुर	रोशनमऊ लेपन से इकधरा लेपन तक खडंजा कार्य	0.550	8.20
33	राजपुर	घसमऊ गौशाला से लेपन तक सी0सी0 कार्य	0.170	8.40
34	राजपुर	छोटे सिल्हौला में मन्दिर से बौहरापुर लेपन तक लेपन कार्य	0.270	8.60
35	मलासा	रायरामापुर में डॉमर रोड मोड़ पर कन्हैया पाल के घर के पीछे से राम सजीवन के खेत होते हुए डॉमर रोड तक सम्पर्क मार्ग खडंजा कार्य	0.590	8.61
36	मलासा	मीनापुर चौराहे से गांव सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य	0.170	8.62
37	सन्दलपुर	खानपुर में इंटरलॉकिंग मार्ग से देवी जी के मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य	0.170	8.87
38	सन्दलपुर	असलनापुर डॉमर रोड से होरीलाल यादव के मन्दिर तथा वीरेन्द्र तिवारी के घर तक सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य	0.170	9.01
39	राजपुर	रसधान में हाइवे से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्ग तक इंटरलॉकिंग तक लेपन कार्य	0.267	9.05
40	रसूलाबाद	सजावरपुर में प्रधानमंत्री रोड से सी0सी0 तक सी0सी0 कार्य	0.170	9.11
41	सन्दलपुर	टोपापुरवा डॉमर रोड से सरकारी ट्यूबवेल होते हुए ग्राम जौरवा में गमा देवी मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग खडंजा कार्य	0.600	9.12
42	झींझक	झींझक सिकन्दरा मार्ग से कनकरानी दर्शन सिंह महाविद्यालय तक लेपन कार्य	0.170	9.14
43	रसूलाबाद	सजावरपुर में प्रधानमंत्री रोड से गांव तक सी0सी0 कार्य	0.140	9.31
44	मैथा	भाऊपुर मैथा मार्ग में गणेश एजुकेशन सेन्टर तक लेपन कार्य	0.200	9.43
45	रसूलाबाद	सुनाली डॉमर रोड से मल्हपुर गांव तक खडंजा कार्य एवं पुलिया कार्य	0.570	9.47
46	सरवनखेडा	सेरूआ रूपपुर रोड से शंकर जी के मन्दिर तक एवं बरगदी देवी की ओर खडंजा कार्य	0.630	9.48
47	झींझक	रूरा मिण्डा कुंआ डामर रोड से गजान डॉमर रोड तक लेपन एवं पुलिया निर्माण कार्य	0.160	9.53
48	डैरापुर	फतेपुर में डैरापुर मंगलपुर रोड से इंटरलॉकिंग तक सी0सी0 कार्य	0.192	9.58
49	राजपुर	छोटे सिल्हौला में हैण्डपम्प से बौहरापुर लेपन तक	0.283	9.65

		लेपन कार्य		
50	झींझक	अमौली जसू डामर रोड से बचीत जसू गांव तक लेपन कार्य	0.285	9.83
51	अकबरपुर	किशुनपुर बंजाराडेरा से भटौली में इण्टरलॉकिंग तक सी0सी0 कार्य	0.192	9.85
52	रसूलाबाद	ग्राम जौत में सी0सी0 रोड से जमदगिनी आश्रम मार्ग पर सी0सी0 कार्य	0.185	9.86
53	डेरापुर	कटेही में शिव मन्दिर से गांव मार्ग पर सी0सी0 कार्य	0.170	9.89
54	राजपुर	मुंगीसापुर पुखरांया मार्ग से ग्राम बीवापुर तक सी0सी0 कार्य	0.200	9.95
55	राजपुर	मनपुर नैनापुर मार्ग से घसमऊ तक खडंजा कार्य	0.700	9.97
56	राजपुर	सन्दलपुरवा में इण्टरलॉकिंग से बम्बा तक सी0सी0 कार्य	0.198	9.98

(मू०आ०सं० 24)

प्रस्तर सं० 10

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सं० 31 (2) (घ) के अनुसार टेण्डर प्रपत्र में उन परीक्षणों का जो निर्माण कार्यों एवं सामग्री पर किए जाते हो का उल्लेख किया जाना चाहिए। किन्तु लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि टेण्डर प्रपत्र में किसी प्रकार के परीक्षणों का तो उल्लेख किया गया है और न ही निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किसी भी सामग्री का परीक्षण ही किया गया है। इस प्रकार की अनियमितता हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मू०आ०सं० 25)

प्रस्तर सं० 11

आलोच्य वर्ष में सी०सी० निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सी०सी० मसाले की गुणवत्ता की जांच हेतु क्यूब टेस्ट नहीं करवाया गया है, जिससे लेखा परीक्षा में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि सी०सी० निर्माण कार्यों में सही मात्रा में सीमेन्ट, कोर्स सैंड एवं एग्रीगेट का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि सी०सी० रोड की थिकनेस की जांच हेतु कोर कटिंग टेस्ट भी नहीं कराया गया है जिससे सी०सी० रोड की थिकनेस की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी। उक्त जांच न करवाये जाने से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन कराये गये हैं। जांच न कराने के लिए अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहे हैं अतः इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 27)

प्रस्तर सं० 12

मॉड स्पेसिफिकेशन के क्लॉज 503.2.1 इण्डियन रोड कॉन्ग्रेस के स्पेसिफिकेशन के क्लॉज 16.2008, मॉर्थ स्पेसिफिकेशन के क्लॉज 501.8.7.4 तथा न्यसडॉट स्टैन्डर्ड स्पेसिफिकेशन के सेक्शन 702/2006 के सब सेक्शन टेबल 702-9 के अनुसार टैक कोट में विटुमिन इमल्सन आरएस-1 या एमएस-1 का प्रयोग किया जाना चाहिए। उक्त क्लॉज के अनुसार विटुमिनस सरफेस पर टैक कोट के लिए 0.20 0.30 केजी० प्रति वर्ग मीटर विटुमिन इमल्सन का प्रयोग किया जाना चाहिए। किन्तु आलोच्य वर्ष में सभी लेपन कार्यों में प्री मिक्स कारपेट 20 एम०एम० थिकनेस के होने के बावजूद टैक कोट में विटुमिन वीजी-10 का प्रयोग 0.35 केजी० प्रति वर्ग मीटर किया गया है। यदि विटुमिन वीजी-10 के स्थान

पर नियमानुसार विटुमिन इमल्सन का प्रयोग किया गया होता तो कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित न होती तथा अनुदान धनराशि की बचत भी होती। इस प्रकार लेपन कार्यों में टैंक कोट में विटुमिन इमल्सन के स्थान पर विटुमिन वीजी-10 का प्रयोग करके कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित किया गया है जिसके लिए अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतएव इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 29)

प्रस्तर सं० 13

(क) निर्माण पत्रावलियों की जांच में गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि गिट्टी आदि की क्वैरी रेट से स्टोन बैलास्ट, स्टोन ग्रेड, स्क्रीनिंग मैटेरियल आदि के रायल्टी दरों को घटाने के पश्चात नेट धनराशि निकालकर इस्टीमेट तैयार नहीं किया गया है जबकि रायल्टी की धनराशि उक्त मैटेरियल में सम्मिलित रहती है। रायल्टी की धनराशि पर ओवर हेड एवं कान्ट्रैक्टर प्राफिट भी देय नहीं होता है, जबकि निम्न विवरणानुसार निर्माण पत्रावलियों की जांच में यह देखा गया कि रायल्टी की धनराशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से ओवर हेड एवं कान्ट्रैक्टर प्राफिट दिया गया है। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार रायल्टी की धनराशि पर ₹० 50351.85 अनियमित रूप से ओवर हेड एवं कान्ट्रैक्टर प्राफिट ठेकेदार को भुगतान करके सरकारी ग्रांट का अप्रत्यक्ष रूप से अपहरण करवाया गया है, जिसके लिए मुख्य रूप से अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे हैं अत एव अपहरण की धनराशि ₹० 55978.85 उक्त दोनों उत्तरदायी अधिकारियों से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(ख)

क्रमांक	कार्य का नाम	यूनिट	53-90 एमएम जीएसबी	9.5-2.36 एमएम जीएसबी	45-63 एमएम डब्ल्यूबीएम जी2	22.4-53 एमएम डब्ल्यूबीएम जी3	13.2-5.6 एमएम स्टोन ग्रेट	स्क्रीनिंग मैटेरियल	कोर्स सैण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निगोही चौबेपुर लेपन सं०मा० से ताजियागंज मेघना सं०मा० लेपन कार्य	घमी० / वर्गमी०	58.55	23.51	206.39	173.13	51.53 17.17	35.03 49.97 41.92	निल
2	ग्राम सिंगरसीपुर डॉमर रोड से विद्युत उपकेन्द्र तक सं०मा० लेपन एवं पुलिया निर्माण कार्य	घमी० / वर्गमी०	—	—	221.32	209.72	62.10 20.70	53.59 50.78	निल
3	वैरी लेपन सं०मा० दुकानों से ताजियागंज सं०मा० सी०सी० कार्य	घमी० / वर्गमी०	85.13	34.00	—	—	185.78	51.00	92.89
4	अतवलपुर से सहावापुर सं०मा० लेपन कार्य	घमी० / वर्गमी०	—	—	299.07	286.17	84.64 28.21	72.42 69.29	—
5	ग्राम गौर में भोगनीपुर मूसानगर डॉमर रोड से कस्तूरबा गांधी बा०आ० विद्यालय सं०मा० लेपन कार्य	घमी० / वर्गमी०	—	—	87.88	85.34	25.11 8.37	21.30 20.69	—
	योग		143.68	57.51	814.66	754.36	483.61	665.99	92.89

1	कॉलम 4 से 8 तक का योग 2253.99 X रायल्टी दर 160	360638.40
2	9 वाँ कॉलम का योग 665.99 X रायल्टी दर 110	73258.90

3	कॉलम 10 का योग 92.89 X रॉयल्टी दर 150	13933.50
	योग	447830.80

(447830.80x12.5 प्रतिशत (ओवर हेड\$कान्ट्रैक्टर प्राफिट) = 55978.85

(मू०आ०सं० 30)

प्रस्तर सं० 14

उपरोक्त प्रस्तर में रायल्टी की धनराशि ₹0 55978.85 पर 12 प्रतिशत की दर से ₹0 6717.46 जी०एस०टी० का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। जबकि उक्त रायल्टी की धनराशि पर जी०एस०टी० की धनराशि देय नहीं थी। इस प्रकार अनियमित तरीके से जी०एस०टी० ₹0 6717.46 का भुगतान करके सरकारी ग्रांट का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए मुख्य रूप से अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे हैं अतएव उक्त दोनों के वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 31)

प्रस्तर सं० 15

डेरापुर रूरा डामर रोड से प्राथमिक विद्यालय चिलौली तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य में, कार्य में टोटल बिल से ठेकेदार को विभागीय अपूर्णित इमल्सन 0.683 एमटी एवं विटुमिन वीजी-10 2.239 एमटी का मूल्य कमशः 34876.00 एवं 96085.00 काटा गया है। जबकि कार्य माप के अनुसार उक्त कार्य में 0.667 एमटी इमल्सन एवं 2.186 एमटी विटुमिन वीजी-10 का प्रयोग किया गया है जिसका मूल्य कमशः 34058.00 रुपया एवं 93810.00 रुपये होता है। इस प्रकार ठेकेदार के बिल से कमशः 818.00 रुपये एवं 2275.00 रुपया कुल 3093.00 रुपये की अधिक कटौती की गयी है। उक्त कार्य हेतु जो बिटुमिन एवं इमल्सन की सप्लाई ठेकेदार को की गयी है वह मात्रा इस्टीमेट में निर्धारित कार्य की मात्रा के हिसाब से की गयी है जबकि वास्तविक कृत कार्य इस्टीमेटेड कार्य से कम करवाया गया है। इस प्रकार उक्त ठेकेदार को 0.016 एमटी इमल्सन एवं 0.053 विटुमिन वीजी-10 जिला पंचायत के कार्य के सापेक्ष ज्यादा दिया गया है। यद्यपि उक्त इमल्सन एवं विटुमिन वीजी-10 के अन्तर की मात्रा की धनराशि की वसूली ठेकेदार के अन्तिम बिल से कर ली गयी है, किन्तु जिला पंचायत विटुमिन वीजी -10 एवं इमल्सन की बिक्री कार्य नहीं करता है। इस प्रकार ठेकेदार को दी गयी अधिक मात्रा का प्रयोग ठेकेदार द्वारा अन्य विभाग में कार्यों/अन्य कार्यों में किया गया होगा जो नियम विरुद्ध रहा। चूंकि इस अनियमितता हेतु अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे हैं अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु आपत्ति दर्ज की जाती है।

(मू०आ०सं० 32)

प्रस्तर सं० 16

फाइनेन्सिल हैण्ड बुक के वाल्यूम 6 के प्रस्तर 397 (1) के अनुसार इस्टीमेट में स्वीकृत मात्रा से अधिक सामग्री का प्रयोग करने हेतु संशोधित इस्टीमेट तैयार कर उसकी स्वीकृति ली जानी चाहिए भले ही अधिक मात्रा की धनराशि की पूर्ति अन्य आइटमों के बचत से हो जाती हो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सं० 16 (1) के अनुसार ₹0 10 लाख से अधिक मूल्य के इस्टीमेट की प्राविधिक स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है। किन्तु निगोही चौबेपुर लेपन सम्पर्क मार्ग से ताजियागंज मेघना सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में देखा गया कि क्लीनिंग ऑफ जंगल कार्य 500 वर्ग मीटर स्वीकृत किया गया था, किन्तु उक्त आइटम का कार्य नहीं कराया गया। इस प्रकार उक्त मद में 2323.00 का कार्य कम करवाया गया। इसी प्रकार अर्थ वर्क इम्बैकमेन्ट कार्य 257.55 क्यूबिक मीटर प्राक्कलित किया गया था जिसके सापेक्ष 247.500 घन मीटर कार्य कराया गया इस प्रकार उक्त कार्य में ₹0 879.37 का कार्य कम करवाया गया। इसी प्रकार जीएसबी कार्य 109.03 घन मीटर प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष 91.48 घन मीटर कार्य कराया गया। इस प्रकार उक्त कार्य ₹0 56181.23 का कम कराया गया। इसी प्रकार ब्रिक एजिंग का कार्य 404 वर्ग मीटर का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष 356.50 वर्ग मीटर

का कार्य कराकर ₹0 16211.75 का कार्य कम कराया गया। किन्तु संशोधित इस्टीमेट तैयार कर राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं ली गयी। इस अनियमितता हेतु अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहे | विभागीय प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित है |

(मु.आ.सं०.33)

प्रस्तर सं० 17

ग्राम सिगरसीपुर डामर रोड से विद्युत उपकेन्द्र तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य हेतु 22 जुलाई 2020 को 3 बार में कमशः 2.34 एमटी, 1.872 एमटी एवं 1.446 एमटी विटुमिन वीजी-10 ठेकेदार में साई कान्ट्रेक्टर को कार्यालय से इश्यू किया गया जबकि विटुमिन का प्रयोग डामर रोड कार्य में बरसात के मौसम में किया जाना प्रतिबन्धित होता है। उक्त विटुमिन का प्रयोग ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य में एम0बी0 के अनुसार दिसम्बर 2020/जनवरी 2021 से पहले नहीं कराया गया। तो फिर बरसात के मौसम में जुलाई माह में ठेकेदार को जिला पंचायत द्वारा बिटुमिन वीजी-10 जारी करने का क्या उद्देश्य रहा पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है अतएव दोषी कर्मचारी/अधिकारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मु०आ०सं०34)

प्रस्तर सं० 18

है जिगनीपुर बाजार से लोहारी रोड तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य में डब्ल्यूबीएमजी-2 आइटम में ओवर साइज स्टोन ग्रेड इन फ्यू पोर्सन के लिए टोटल डब्ल्यूबीएमजी -2 वर्क 168.91 घन मीटर का 1.25 प्रतिशत ओवर साइज ग्रेड मानते हुए 2.11 घन मीटर स्टोन ग्रेड / 3458.40 की दर से 7297.00 की कटौती ठेकेदार के फाइनल बिल से की गयी है तथा पुवर वर्क मैनिफेस्ट के लिए ₹ 2000.00 कुल रुपया 9297.00 की कटौती की गयी है, किन्तु पुअर वर्क की गणना काल्पनिक रही तथा यह भी अवगत कराना है कि पुअर वर्क से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुयी है जिसके लिए मात्र 9297.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से पर्याप्त नहीं थी। प्रभावित कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए ठेकेदार को भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹ 1924000.00 पर पेनाल्टी चार्ज किया जाना अपेक्षित था। जो समयानुसार नहीं किया गया अतः नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित | (मु०आ०सं०35)

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

जनपद का नाम - कानपुर नगर मण्डल-कानपुर

संस्था का नाम -जिला पंचायत कानपुर नगर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या 1- जिला पंचायत कानपुर नगर के संपत्ति व विभव कर संबंधी अभिलेख संलग्न विवरण के अनुसार

गत बकाया- 44424332.00

वर्ष की मांग(2020-21)- 4233361.00

योग- 48657693.00

वर्ष की वसूली(2020-21)- 1826555.00

31/03/2021 को अवशेष- 46831138.00

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि विभव एवं संपत्ति कर मे ब्लॉक वार निम्न वसूली की गयी :-

ब्लॉक का नाम	गत वर्षों का बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	बकाए के विरुद्ध वसूली	चालू वर्ष की वसूली	शेष
सरसौल	4680364	458751	277485	4861630		

चौबेपुर	10735030	814670	13200	177150		11359350
बिलहौर	4889501	463990	-	31380		5322111
पतारा	2762019	234180	12000	109060		2875139
विधनू	3328636	613620	356250			3586006
भीतर गाँव	4938186	283550	-	202380	18900	5000456
शिवराजपुर	2167735	199150	-	26520		2340365
कल्यानपुर	3953786	614650	189760	52370		4319306
घाटमपुर	5339920	488250	18000	359700		5450470
ककवन	1629155	62550	-	1800	-	1689905
योग						46831138.00

दिनांक 31-03-2021 को अवशेष 46831138.00 बकाया अवशेष हैं, इस विवरण पर निम्न आपति हैं-

अधिकांश ब्लॉकों में संपत्ति व विभव कर की वसूली बहुत कम की जा रही है। ककवन ब्लॉक में वर्ष में मात्र रु.1800/- की वसूली की गई। कार्यवाही व वसूली न किए जाने के लिए तत्कालीन कार्याधिकारी श्री विनोद सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप.सं.1)

प्रस्तर संख्या 2. वर्ष में मृत पशु शव निस्तारण का ठेका मात्र घुघुआ रेऊना (ब्लॉक घाटमपुर) व नरवाल, बौसर, सिकठिया, एमा (ब्लॉक सरसौल) में क्रमशः 2000/- व 4000/- में ही उठ सका जबकि उक्त मद के विज्ञापन में आज प्रकाशन लिमिटेड को दि.24/12/20 को रु.3523.00 व दि.14/7/20 को 5674/- व दि.2/03/20 को भुगतान किया गया व स्वतंत्र चेतना को 29/02/20 को 2606/-, दि.14/07/20 को 2171 /- व दि.24/12/20 को रु.1846/ व जागरण प्रकाशन लिमिटेड को रु.14840/- का भुगतान दि.8/12/20 को कुल रु.35332/- किया गया। मृत पशु शव निस्तारण का ठेका मात्र 6000/- का उठ सका। संस्था पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए तत्कालीन कार्याधिकारी श्री विनोद सिंह एवं अन्य दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप.सं.5)

प्रस्तर संख्या 3. संस्था में हड़डी एवं चमड़ा मद में बकाया रु.1942512/- की वसूली आद्यदिनांक तक नहीं हुई है गत बकाय की वसूली मात्र रु.250 की हुई है। कार्यवाही व वसूली न किए जाने के लिए तत्कालीन कार्याधिकारी श्री विनोद सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप.सं.8)

प्रस्तर संख्या 4. मत्स्य आखेट रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में विगत वर्षों का बकाया रु.298850.00 की वसूली अद्यतन नहीं हुई है। कार्यवाही व वसूली न किए जाने के लिए तत्कालीन कार्याधिकारी श्री विनोद सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। वसूली का विवरण तैयार कर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप.सं.10)

प्रस्तर संख्या 5. नौकाघाट से संबंधित आय वर्ष में शून्य दर्शाई गई है विगत कई वर्षों से नौकाघाट जो जिला पंचायत कानपुर के अंतर्गत आते हैं से आय न होने की स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। साथ ही विगत वर्षों का बकाया रु.363584.00 की वसूली भी नहीं की गयी। कार्यवाही व वसूली न किए जाने के लिए तत्कालीन कार्याधिकारी श्री विनोद सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप.सं.15)

प्रस्तर संख्या 6 . उ.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी मदिरा के व्यवसाय पर प्रस्तावित लाईसेंस दरों को अधिनियम की धारा 243(2) के अंतर्गत प्रावधानित करते हुए जिला पंचायत कानपुर नगर द्वारा अपने परिधिगत क्षेत्र में रु.5000 बियर पर एवं 2500 प्रतिवर्ष दुकान राजस्व वसूली हेतु गज़ट दिनांक 12 जुलाई 2014 में प्रकाशित करवाया था वर्ष 2020-21 में देसी विदेशी शराब की दुकानें 261 थी जिनमें से लगभग 200 दुकानों से वसूली रु.200x2500=500000.00 हेतु न तो मांग श्रजित की गयी न ही वसूली की गयी। इसके लिए कार्य अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप.सं.40)

प्रस्तर संख्या 7. चकरपुर मंडी में जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र की 1197 दुकानें हैं जिनसे गत कई वर्षों से वसूली लाइसेंस शुल्क व विभव कर की वसूली नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की गजट 12-07-2014 के अनुसार लाइसेंस शुल्क रु 2500X97=242500 एवं विभव का रूपए 6000 X1197=7182000 कुल 7424500.00 प्रतिवर्ष के आधार पर गत 4 वर्षों का बकाया रु.29698000.00 एवं वर्तमान वर्ष का रु. 7424500.00 कुल रु. 2227350.00 की क्षति जिला पंचायत को हुई। इस वसूली हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया इसके लिए तत्कालीन कार्य अधिकारी श्री विनोद कुमार एवं वर्तमान कार्य अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आप.सं.42)**

प्रस्तर संख्या 8. संस्था द्वारा वर्ष में प्रकीर्ण मद में रु.23085466.00 की धनराशि व्यय की गयी है जबकि बजट में स्वीकृत धनराशि रु.19860000.00 थी। संस्था द्वारा रु.3225466.00 अतिरिक्त व्यय किया गया, जो कि नियम के विरुद्ध रहा। अतिरिक्त व्यय की धनराशि की वसूली उत्तरदायी लेखाकार श्रीमती रेखा देवी लेखाकार व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञान धन सिंह से की जानी अपेक्षित है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आप.सं.43)**

प्रारूप-2

जनपद-लखनऊ

जिला पंचायत- लखनऊ
वर्ष 2020-21

मण्डल-लखनऊ

प्रस्तर-1

वित्तीय वर्ष 2020-21 के त्रैमास में नौकाघाट की गत वर्ष बकाया की धनराशि रु0 0.736 लाख दर्शित है। जिस हेतु पटल प्रभारी, कर अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी, व जिलापंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2019-20 में मृत शव निस्तारण से संबंधित त्रैमास सूचना (चतुर्थ) में वर्षान्त शेष रु0 77.035 लाख दर्शित है। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तिम त्रैमास में मृत शव निस्तारण का गत वर्ष का बकाया रु0 56.312 लाख दर्शित है। इस प्रकार प्रारम्भिक अवशेष रु0 20.723 लाख कम दर्शाया गया है। अवशेष संबंधित स्पष्टीकरण विकास खण्डवार विवरण बनाकर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त वसूली हेतु पटल प्रभारी, कर अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी, व जिलापंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2020-21 के कांजी हाउस से संबंधित त्रैमास सूचना (चतुर्थ) में गत वर्ष की बकाये की मांग शून्य दर्शित है। कुल भी मांग शून्य दर्शित है। जबकि वर्ष 2019-20 में कांजी हाउस मद में कुल बकाया रु0 19000.00 दर्शित है। परन्तु वर्ष 2020-21 में गत वर्ष का बकाया शून्य दर्शित है। अतः रु0 19000.00 का अवशेष का आगामी वित्तीय विवरण में क्यूं छोड़ा गया इससे संबंधित स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा। विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर बकाया

व वसूली की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। इसके लिए पटल प्रभारी, कर अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी, व जिलापंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 141 के अनुसार सम्पत्ति तथा विभव कर से होने वाली शुद्ध आय से जिले की ग्राम पंचायतों की निधियों में ऐसी राशियां देगी जो वह प्रत्येक ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अवधारित करें। जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2020-21 के सम्पत्ति तथा विभव कर की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमिक आय रु० 62.189 लाख थी जिसमें से कोई धनराशि ग्राम पंचायत निधियों में हस्तान्तरित नहीं किया गया है। जिस हेतु पटल प्रभारी, कर अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी, व जिलापंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 जिला पंचायतों की आय वृद्धि करने संबन्धित शासनादेश संख्या-2004-1/33.01.2007-26 बी/2001 दिनांक 26.09.2001 के क्रम में उ०प्र० शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये कि किसी भी प्रकार की वसूली प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य पूर्ण कर लिए जाए एवं किसी भी प्रकार की वसूली प्रत्येक दशा में अग्रेजित न किये जाय किन्तु इस शासनादेश का अतिक्रमण करते हुए समुचित प्रबन्धन के अभाव में न केवल वर्तमान लेखापरीक्षा वर्ष की वसूली रु० 44.443 लाख से बाधित कर संस्था को क्षति पहुंचाई गई, बल्कि विगत वर्षों के अवशेष रु० 171.262 लाख सहित सम्पूर्ण अवशेष की वसूली रहित बाधित धनराशि रु० 213.64 लाख लेखा परीक्षा द्वारा आगणित की गई है। पुनः यह देखने में आया है कि समस्त शीर्षों में कर निर्धारण जिला पंचायत की उपविधि के अनुसार नहीं किया गया है तथा जिला पंचायत लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर निर्धारण संस्थाओं/प्रतिष्ठानों पर सूची बनाकर कराधान एवं वसूली का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं पाया गया तथा बकाया करदाताओं का सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई इसके लिए पटल प्रभारी, कर अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 क्रमांक सं०-2 लाइसेंस की वित्तीय वर्ष 2020-21 की मांग में रु० 70.00 लाख एवं गत वर्ष की मांग व वसूली एवं अवशेष दर्शाया गया है। सम्पूर्ण अन्तिम अवशेष शून्य दर्शाया गया है जो कि आपत्तिजनक है। जबकि सम्पूर्ण अन्तिम अवशेष दर्शाया जाना चाहिए था। जबकि अन्तिम अवशेष रु० 2.061 लाख परीक्षा के अनुसार अन्तिम अवशेष होना चाहिए था। लेखाकार, कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 दिनांक 27.06.2020 को कैशबुक के अनुसार बाउचर सं० 129,134,135,138,140,141,145 व 146 से अर्थदण्ड के रूप में चालान नं० 087469 से रु० 8000.00 जमा दर्शाया गया है जबकि वर्गीकृत सारपत्र में रु० 109210.00 जमा दर्शाया जा रहा है। अतः रु० 1.01 लाख की वसूली नहीं होने के लिये अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार, कार्याधिकारी, कर अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 शासनादेश संख्या 2967 दिनांक 09 अक्टूबर 2002 के अनुसार समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को आदेशित है कि पशु शवनिस्तारण से होने वाली आय का आधा भाग नियमित रूप से ग्राम पंचायतों को देना सुनिश्चित

करें एवं अब तक देय बकाया का भी भुगतान करें। परन्तु वर्ष 2020-21 में हुई इस मद में कुल आय रू0 23.581 लाख का आधा भाग रू0 11.79 लाख पंचायतों को हस्तान्तरित न करके उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी, व जिलापंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 दिनांक दिनांक-16.6.2020 को मोहनलालगंज में निर्मित जिला पंचायत की दुकानों का बकाया किराया जमा कराने हेतु आवंटियों को नोटिस भेजने हेतु माननीया अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र मिश्रा, श्री वी0एन0 मिश्रा, श्री शीशिर मोहन मिश्रा, श्रीमती विभा मिश्रा, राजेश मिश्रा, श्रीमती रचना अवस्थी को रू0 6200.00 फीस दी गई। फीस की रसीद की प्राप्ति गाडफाइल में चस्पा नहीं है। इसके लिए लेखाकार, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 जिला पंचायत में दुकान किराये से सम्बन्धित पंजिका 2020-21 के अनुसार कुल बकाया किराया का विवरण निम्नवत है-

क्षेत्र का नाम-काकोरी चिकित्सालय					
क्र०	आबंटी का नाम	दुकान संख्या	प्रति माह दर	टोटल	कुल बकाया किराया मार्च, 2021 तक
1	अनूप कुमार वर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार वर्मा	1	977.00x12	11724.00	11724.00
2	हरिशंकर पुत्र नन्द लाल	2	977.00x12	11724.00	8793.00
3	सुशील कुमार पुत्र कमलेश कुमार	3	781.00x12	9372.00	15220.00
4	अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ	4	400.00x12	4800.00	25219.00
	योग				60956.00

क्षेत्र का नाम-काकोरी					
क्र०	आबंटी का नाम	दुकान संख्या	प्रति माह दर	टोटल	कुल बकाया किराया मार्च, 2021 तक
1	अमर कांत गुप्ता	2	687.00x12	8244.00	4113.00
2	हरिनारायण गुप्ता पुत्र राम लाल गुप्ता	3	687.00x12	8244.00	10244.00
3	दुर्गेश यादव पुत्र बाबूलाल यादव	4	687.00x12	8244.00	7404.00
4	जय नारायण गुप्ता पुत्र जगत नारायण	5	687.00x12	8244.00	8235.00

5	कृष्ण कुमार पुत्र सुख लाल	6	687.00x12	8244.00	7404.00
	योग				37400.00

क्षेत्र का नाम-अर्जुनगंज वि०क्षे० सरोजनीनगर					
क्र०	आबंटी का नाम	दुकान संख्या	प्रति माह दर	टोटल	कुल बकाया किराया मार्च, 2021 तक
1	कमल कुमार यादव पुत्र अमर पाल यादव	1	1007.00x12	12084.00	
2	मुकेश कुमार यादव पुत्र सोहन लाल	2	645.00x12	7740.00	15741.00
3	वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र छोटेलाल	3	645.00x12	7740.00	15461.00
4	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रघुनाथ प्रसाद				129030.00
	योग				160232.00

क्षेत्र का नाम- बंधरा वि०क्षे० सरोजनीनगर					
क्र०	आबंटी का नाम	दुकान संख्या	प्रति माह दर	टोटल	कुल बकाया किराया मार्च, 2021 तक
1	राजीव सिंह पुत्र राम दुलारे	1	375.00x12	4500.00	46794.00
2	सुनील कुमार गुप्ता पुत्र सूरज प्रसाद	2	1490.00x12	17880.00	41318.00
3	बाबू लाल पुत्र जनेन्द्र प्रसाद	3	1490.00x12	17880.00	42918.00
	योग				131030.00

क्षेत्र का नाम- बिजनौर वि०क्षे० सरोजनीनगर					
क्र०	आबंटी का नाम	दुकान संख्या	प्रति माह दर	टोटल	कुल बकाया किराया मार्च, 2021 तक
1	शिवपाल सिंह यादव बाबू लाल	1,2	1259.00x12x2	30216.00	43698.00
2	रामकरन यादव पुत्र ईश्वरदीन	4,5	330.00x12x2	7920.00	15810.00
3	ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र राम गुप्ता	6	1007.00x12	12084.00	26332.00
	योग				85840.00

क्षेत्र का नाम- हैवतमऊ मवैया वि०क्षे० सरोजनीनगर					
1	दीपक गुप्ता	7	4211.00x12	50532.00	9585.00

	योग				9585.00
क्षेत्र का नाम- मलिहाबाद पुरुष चिकित्सालय वि०क्षे० मलिहाबाद					
1	ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मी	1	1211x4 1514x8	16956.00	3631.00
2	अशोक कुमार पुत्र चन्द्रिका	3	1211x12	14532.00	4833.00
3	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र राम भरोसे	4	1211x12	14532.00	2280.00
4	मो० एहतिसाम खाँ पुत्र स्व० अजीम खाँ	6	1211x12	14532.00	15024.00
5	अनिल कुमार यादव पुत्र राम आसरे	10	1453x12	17436	2906.00
6	कृष्ण कुमार यादव पुत्र छोटे लाल	12	1211x12	14532	6052.00
7	लल्लन पुत्र अहशाल अली	13	882x12	10584	7584.00
8	राम प्रकाश पुत्र लच्छी चन्द	ए-2	897x12	10764	2673.00
	योग				44983.00
क्षेत्र का नाम- मलिहाबाद महिला चिकित्सालय वि०क्षे० मलिहाबाद					
1	राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र राम औतार	1	675x12	8100.00	1350.00
2	राम खेलावन पुत्र गरीबे	2	675x12	8100.00	4725.00
3	सत्य नारायण पुत्र राम नारायण	3	675x12	8100.00	2025.00
4	श्रीमती सूफिया खान पत्नी अनवर जावेद खान	4	675x12	8100.00	4050.00
5	राजाराम गुप्ता पुत्र माता प्रसाद	5	675x12	8100.00	3375.00
6	कैलाश प्रसाद पुत्र स्व० गरीबे	6	675x12	8100.00	4075.00
7	कुवरजीत रस्तोगी पुत्र राधेश्याम	8	675x12	8100.00	3375.00
8	डा० एफ०आई० जुबैरी पुत्र जुबैरी अहमद राही	9	675x12	8100.00	2425.00
	योग				25400.00
क्षेत्र का नाम- बक्शी का तालाब - वि०क्षे० बक्शी का तालाब					
1	भूमि/भवन (नागेश्वर मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी	1	2140x12	25680.00	22436.00

	योग				22436.00
जिला पंचायत लखनऊ कैम्पस कैंटीन					
1	अतीक पुत्र लतीफ	1	2140x12	25680.00	22436.00
	योग				22436.00
विकास क्षेत्र का नाम चिनहट					
क्र०	आबंटी का नाम	दुकान संख्या	प्रति माह दर	टोटल	कुल बकाया किराया मार्च, 2021 तक
1	मंजीत कौर	4	604x12	7248.00	893.00
2	अशोक कुमार	2,25	572x12x2	13728.00	19163.00
3	रमेश जायसवाल	10,17	197x12x2	4728.00	3340.00
4	जीमल अहमद	6,21	824x12x2	19776.00	8368.00
5	इजहार अहमद	7,20	422x12x2	10128.00	17786.00
6	सुरेन्द्र सिंह	5,22	660x12x2	15840x12	5280.00
7	मो० शरीफ पुत्र बच्चू	9,18	601x12x2	14424	13321.00
8	मो० शफीक	3,24	858x12x2	20592.00	40639.00
9	यादवेन्द्र प्रताप सिंह	13,14	405x12x2	9720.00	52114.00
10	अनिकेत चक्रवर्ती	28	600x12	7200.00	7200.00
11	तुषार शर्मा पुत्र आशीष शर्मा	11,16	338x12x2	8112.00	6300.00
	योग				174404.00
क्षेत्र का नाम- गंगा गंज वि०क्षे० मोहनलालगंज					
1	लाला प्रसाद वर्मा	1,2	-	-	33100
2	जगदेव प्रसाद	3	-	-	14000
3	राकेश कुमार गुप्ता	4	-	-	7590
4	विजय कुमार गुप्ता	5	-	-	11600
5	श्याम बिहारी वर्मा	6	-	-	9700
	योग				75990.00
1	रमेश कुमार पुत्र मैकू लाल	1	-	-	14500.00
2	रामसुमिरन	2	-	-	29500.00
3	रामफेर पुत्र द्वारिका	3	-	-	18750.00
4	कृष्ण कुमार पुत्र जगन्नाथ	4	-	-	14250.00
5	रामशंकर पुत्र बाबादीन	5	-	-	26750.00
	योग				103750.00
विकासक्षेत्र मोहनलालगंज					
1	जूनैल आबदीन पुत्र मो० हाजिम	1	1220x12	14640	31132

2	विभूति बाजपेई पुत्र ब्रह्मदत्त बाजपेई	2	97.5x12	1170.00	2820.00
3	राम स्वरूप सिंह यादव पुत्र शिव रतन सिंह	3	97.5x12	1170.00	1170.00
4	बी०एन० मिश्रा पुत्र स्व० गंगा प्रसाद	1	300x12	3600.00	68262.00
5	श्रीमती विभा मिश्रा पत्नी शिशिर मोहन	2	300x12	3600.00	95098.00
6	राजेश मिश्रा पुत्र बी०एन० मिश्रा	3	300x12	3600.00	94825.00
7	शिशिर मोहन मिश्रा पुत्र बी०एन० मिश्रा	4	300x12	3600.00	88824.00
	योग				388131.00
क्षेत्र का नाम- निगोहापोण्ड वि०क्षे०					
1	मनमोहन तिवारी पुत्र ब्रजकिशोर तिवारी	1	469x12	5628	9997.00
2	लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी पुत्र चन्द्रभान त्रिपाठी	2	469x12	5628	2167.00
3	मधुरमोहन तिवारी पुत्र ब्रजकिशोर तिवारी	3	469x12	5628	9807.00
4	आनन्द मोहन तिवारी पुत्र ब्रजकिशोर तिवारी	4	469x12	5628	16027.00
5	सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र रामदास गुप्ता	5	469x12	5628	3302.00
	योग				40580.00
क्षेत्र का नाम- सिसैंडी पोण्ड - वि०क्षे० मोहनलालगंज					
1	कमरुद्दीन पुत्र करिमुल्लाह	1	500x12	6000.00	41000.00
2	बदरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन	2	500x12	6000.00	41000.00
3	देवकी नन्दन मिश्रा	3	500x12	-	-
4	संजीव कुमार मिश्रा	4	500x12	6000.00	41000.00
	योग				88000.00

कुल महायोग – रु० 1471153.00

जिला पंचायत की आय में वृद्धि करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2004-1/33-1-2001/2000-2001 दिनांक 26.09.01 के क्रम में उ०प्र० शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि किसी भी प्रकार की वसूली प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के अन्त में आवश्यकपूर्ण कर लिये जाए किन्तु शासनादेश के वितरित लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में दुकान किराया 934277.00 की वसूली न करके संस्था को हानि पहुंचायी गयी। वसूली हेतु वर्षान्त दुकान किराया वर्ष 2019-20 में

रू0 934277.00 शेष रहा। कर अधिकारी कार्याधिकारी अपर मुख्य अधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है।
उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

क्र०सं०	नाम	पद का नाम	मकान किराया भत्ता रू०	योग रू०
1	श्री नरेन्द्र बहादुर	अपर मुख्य अधिकारी	7560x12	90720
2	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखाकार	3340x12	40030
3	श्री सत्यम	चतुर्थ श्रेणी	2200x12	26400
4	श्री राजकुमार	चतुर्थ श्रेणी	2200x12	26400
5	श्रीमती रंजना दिवेदी	द्वितीय लिपिक	2940x12	35280
6	श्रीमती सरिता वर्मा	द्वितीय लिपिक	2400x12	28800
7	श्री जितेन्द्र यादव	कनिष्ठ लिपिक	2400x12	28800
8	श्री शिशुपाल सिंह	सुरक्षा गार्ड	2940x12	35280
9	श्री अशोक कुमार द्वितीय	चतुर्थ श्रेणी	2940x12	35280
10	श्रीमती पुष्पा वाजपेयी	चपरासी	3340x12	40080
11	श्री दिनेश कुमार वर्मा	चपरासी	2940x12	35280
12	श्री ओम प्रकाश सिंह	चपरासी	2940x12	35280
13	श्री राम सेवक खेलावन	चपरासी	2940x12	35280
14	श्री राम मिलन	चपरासी	2940x12	35280
15	श्री इन्द्रपाल मौर्या	चपरासी	2320x12	27840
16	श्री इन्द्रवीर सिंह रावत	चपरासी	2940x12	35280
17	श्री रमेश चन्द मिश्रा	चपरासी	2940x12	35280
18	श्री मुकेश	स्वीपर	2940x12	35280
	कर अनुभाग			
19	श्री प्रवीण	कर अधिकारी	4040x12	48480
20	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी	कर अधिकारी	5620x12	67440
21	श्रीमती नरगिस अवस्थी	लिपिक प्रथम श्रेणी	4040x12	48480
22	श्रीमती सुनीता चौधरी	सह०राज स्व०निरी०	3340x12	40080
23	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	सह०राज स्व०निरी०	3340x12	40080
24	श्रीमती उषा वर्मा	लिपिक प्रथम श्रेणी	3340x12	40080
25	श्रीमती सर्वेश्वरी चौहान	लिपिक द्वितीय श्रेणी	2400x12	28800
26	श्री विचित्र	द्वितीय श्रेणी कर्मचारी	2400x12	28800
27	श्री मनोज कुमार सोनकर	सह०राजस्व निरीक्षक	4040x12	48480
28	श्री मो० सलमान	सह०राजस्व निरीक्षक	4040x12	48480
29	श्री सुनील कुमार राय	सह०राजस्व निरीक्षक	3340x12	40080
30	श्री राम प्रकाश रावत	सह०राजस्व निरीक्षक	3340x12	40080
31	श्री सुरेश कुमार	सह०राजस्व निरीक्षक	3340x12	40080

32	श्री सुशील कुमार सिंह	चपरासी	3340x12	40080
33	श्री रामगति सिंह यादव	वार्ड ब्याय	3340x12	40080
34	श्री नन्द किशोर	चपरासी	3340x12	40080
	निर्माण			
35	श्री वासुकृष्णा	अभियन्ता	6300x12	75600
36	श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान	अवर अभियन्ता	6300x12	75600
37	श्री अशोक सिंह	अवर अभियन्ता	5620x12	67400
38	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	6300x12	75600
39	श्री पूर्णेन्द्र प्रताप सिंह	अवर अभियन्ता	4040x12	48480
40	श्री जय नारायण यादव	बेलदार	3340x12	40080
41	श्री रमेश कुमार	बेलदार	1110x12	13320
42	श्रीमती गायत्री पाण्डेय	चपरासी	2320x12	27840
			महायोग	1765560.00

उ०प्र० जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 नियम-57 निःशुल्क निवास या मकान किराया भत्ता (जिला पंचायत) की कार्य समिति निःशुल्क निवास या इसके बदले मकान के किराए का उतना भत्ता जो अदा किये गये वास्तविक किराए के बराबर हो या प्रारम्भ में मकान किराए का भत्ता निश्चित करते समय]समस्त भत्तों को निकाल कर मासिक वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर हो]उनमें से जो भी कम हो जिला पंचायत के किसी सेवक को जो नीचे दी गयी किसी शर्त को पूरा करे दे सकती है अन्यथा नहीं।

1.उससे अपने शासकीय कार्य के निर्दिष्ट स्थान पर मकान में रहने की अपेक्षा की जाती है।

2.उसके कर्तव्यों के प्रकार के कारण कभी भी किसी भी समय दिन या रात में बुलाया जाता हो या बुलाया जा सकता हो। प्रतिबन्ध यह भी है कि उस सेवक को जो ऐसे मकान में रहता हो]जिसका वह स्वयं स्वामी हो मकान के किराए का कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा।

नियम-58 मकान किराए का भत्ता देने लिये प्रमाण पत्र-

प्रत्येक बिल के साथ नीचे दिये गये प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र चाहिए और जो सम्बद्ध विभागध्यक्ष के सम्यक् रूप से हस्ताक्षर होना चाहिए। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि यथास्थिति वह व्यक्ति जिन्होंने मकान किराए का भत्ता लिया है वास्तव में किराए के मकान में रहता तथा जिसके सम्बन्ध में भत्ता है।

प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि वे समस्त व्यक्ति जिन्होंने इस बिल में मकान के किराए का भत्ता लिया है वास्तव में किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने किराया दिया है।

जिला पंचायत कार्यालय परिसर में अधिकारी/कर्मचारी हेतु आवास निर्मित है कितने आवास किस अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित है अथवा रिक्त है से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का शासकीय कार्य के हित में निर्दिष्ट स्थान या मकान में रहने की अपेक्षा की जाती है से सम्बन्धित किसी भी सक्षम/अधिकृत अधिकारी आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त नियमावली का पालन नहीं किया गया।

संस्था को रू० 1765560.00 अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देकर आर्थिक हानि पहुँचायी गयी है। उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिये सहायक लेखाकार अपर

मुख्य अधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 विभव एवं सम्पत्ति मांग व वसूली रजि० देखने से ज्ञात हुआ कि वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम बेहटा में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का बैंक भवन किराया 6000.00 निर्धारित है कर मांग वसूली रजि० में 2020-21 के वर्षान्त रू० 6000.00 का मांग दर्शाया गया है। विगत वर्ष का बकाया कर रू० 81000.00 दर्शाया जा रहा है। जबकि आलोच्य वर्ष में रू० 6000.00 की मांग लगाकर बकाया रू० 87000.00 दर्शाया जाना चाहिए। लेकिन रू० 6000.00 की मांग कर दर्शाया जा रहा है जो कि आपत्ति जनक है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 विभव सम्पत्ति कर रजि० वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम बेहटा न्यू सागर हाउस प्रो० नईम पुत्र रज्जन का रू० 1500.00 कर निर्धारित हैं वर्ष 2020-21 के वर्षान्त रू० 1500.00 निर्धारित वर्ष 2020-21 के वर्षान्त रू० 1500.00 कर निर्धारित नहीं किया गया है। विगत वर्षों का बकाया कर रू० 20800.00 दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 की मांग लगाकर बकाया कर कुल रू० 21300.00 होता है। रू० 1500.00 कर कम दर्शाया जा रहा है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 विभव सम्पत्ति कर रजि० वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम बेहटा व्यवसाय बक्सा निर्माण मो० समीर पुत्र रसूल बक्श का रू० 1200.00 कर निर्धारित है किन्तु वर्ष 2020-21 के वर्षान्त मांग व वसूली रजि० में रू० 1200.00 की मांग दर्शित नहीं है। जबकि पिछला बकाया कर रू० 11900.00 वर्षान्त वर्ष 2020-21 का मिलाकर कुल रू० 13100.00 कर बकाया है। इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। इसके लिये कर अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 विभव सम्पत्ति कर रजि० में वि०बी०के०टी० ग्राम बेहटा व्यवसाय सागर बैंड लाइट सर्विस प्रो० जब्बार पुत्र गफुर पर रू० 1200.00 का कर निर्धारित है किन्तु वर्ष 2020-21 के वर्षान्त मांग वसूली रजि० में रू० 1200.00 की मांग नहीं दर्शित है। जबकि पिछला बकाया रू० 14600.00 दर्शाया जा रहा है वर्षान्त 2020-21 का कर मिलाकर कुल रू० 15800.00 कर होता है। इसकी वसूली नहीं हो पा रही है इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम बेहटा व्यवसाय ग्रिल लोहा मो० कलीम पुत्र शफीकुर रहमान पर रू० 1320.00 कर निर्धारित हैं किन्तु वर्षान्त 2020-21 के मांग व वसूली रजि० में रू० 1320 की मांग को नहीं दर्शाया गया है। जबकि विगत वर्षों का बकाया कर रू० 11680.00 दर्शित है। वर्षान्त 2020-21 का कर रू० 1320.00 मिलाकर रू० 13000.00 होता है। इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम बेहटा व्यवसाय पेट्रोल पम्प सूर्या फिलिंग सेन्टर प्रो० श्रीमती ज्योति अग्रवाल पर रू० 2500.00 कर निर्धारित है। किन्तु वर्षान्त 2020-21 के मांग वसूली रजि० में रू० 2500.00 की मांग को नहीं दर्शाया गया है। जबकि निर्गत वर्षों पर बकाया कर 2500.00 दर्शाया जा रहा है। कर अधिकारी के आदेश से

सम्पत्ति मूल्य ₹0 83335.00 पर दिनांक 30.03.2019 को ₹0 2500.00 का कर निर्धारण किया गया है कर दाता के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.03.2019 का फर्म का नाम परिवर्तन किया गया है। कर अधिकारी के अनुसार फर्म का पूर्व में क्या नाम था उस पर कितना कर बकाया था इसका उल्लेख कर अधिकारी द्वारा रजि० में दर्ज नहीं है। जो गम्भीर अनियमितता है। फर्म द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र व स्वीकृति लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिली पुराने फर्म का उल्लेख उस पर बकाया कर की वसूली कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम बेहटा व्यवसाय सुहाग महल प्रो० कलीम सुहाग महल एवं गिफ्ट कार्नर प्रो० कलीम पर ₹0 1200.00 पर कर निर्धारित होता है किन्तु वर्ष 2020-21 के मांग व वसूली रजि० में 1200.00 मांग नहीं दर्शाया गया है जबकि विगत वर्षों का बकाया ₹0 13200.00 दर्शाया जा रहा है। वर्षान्त 2020-21 का कर मिलाकर ₹0 14400.00 की वसूली नहीं हो पा रही है इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम बेहटा व्यवसाय सुनारी बब्लू ज्वैलर्स प्रो० आशीष कुमार पर 1200.00 ₹0 कर निर्धारित है किन्तु वर्षान्त 2020-21 के मांग वसूली रजि० पर 1200.00 कर की मांग को नहीं दर्शाया गया है जबकि पिछला बकाया कर 13200.00 रजि० में दर्शित है। वर्षान्त 2020-21 का कर मिलाकर ₹0 14400.00 की कर वसूली नहीं हो पा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम मिश्रपुर व्यवसाय डिपो व्यवसाय सामान रेडियो मिश्रा इलेक्ट्रानिक प्रो० पप्पू पुत्र चन्द्र मिश्र पर ₹0 1500.00 कर निर्धारित है। किन्तु वर्षान्त 2020-21 के मांग व वसूली रजि० में 1500.00 ₹0 कर नहीं दर्शाया गया है जबकि विगत वर्षों का कर बकाया 9850.00 दर्शाया जा रहा है वर्षान्त 2020-21 का कर मिलाकर ₹0 11350.00 कर होता है। इसकी वसूली नहीं हो पा रही है इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम मिश्रपुर व्यवसाय डिपो व्यवसाय साईकिल पार्ट्स पर वर्तमान कर ₹0 1500.00 कर निर्धारित है। किन्तु वर्षान्त 2020-21 के मांग व वसूली रजि० में 1500.00 ₹0 कर नहीं दर्शाया गया है जबकि विगत वर्षों का कर बकाया 13350.00 आलोच्य वर्ष का ₹0 1500.00 मिलाकर ₹0 14850.00 की वसूली नहीं हो पा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम मिश्रपुर व्यवसाय डिपो व्यवसाय ज्ञान इन्सटिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट 2 टेक्नोलोजी (जीआईएमटी) पर वर्तमान कर ₹0 6000.00 कर निर्धारित है। विगत वर्षों का कर बकाया 48000.00 है वर्ष 2020-21 का कर बकाया 6000.00 मिलाकर कुल कर बकाया वर्ष का ₹0 54000.00 होता है जिसकी वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम गोइला व्यवसाय डिपो व्यवसाय चूनी चोकर रामपाल पुत्र राम दास वर्तमान में इसका कर रू० 1800.00 कर निर्धारित हैं। विगत वर्षों का कर बकाया 18300.00 है वर्ष 2020-21 का कर बकाया 1800.00 मिलाकर कुल कर बकाया आलोच्य वर्ष का रू० 20100.00 कर बकाया हो गया है जिसकी वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 विभव सम्पत्ति कर रजि० में ग्राम अमानीगंज व्यवसाय कार्य बर्तन का जिला पंचायत रू० 1220.00 कर निर्धारण कर रखा है। विगत वर्षों का कर बकाया 11390.00 है वर्ष 2020-21 का कर बकाया 1220.00 मिलाकर कुल कर बकाया आलोच्य वर्ष का रू० 20610.00 की वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 विभव सम्पत्ति कर रजि० में वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम चन्द्राकोडर कार्य व्यवसाय दूध डेरी जहीर पुत्र रहूफ जिला पंचायत ने वर्तमान में रू० 3000.00 कर निर्धारण कर रखा है। विगत वर्षों का कर बकाया 9000.00 है आलोच्य वर्ष का रू० 12000.00 की वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 विभव सम्पत्ति कर रजि० में वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम चन्द्राकोडर व्यवसाय कपड़ा यादव वस्त्रालय प्रो० सुरेन्द्र यादव पर जिला पंचायत ने वर्तमान में रू० 2100.00 कर निर्धारण कर रखा है। विगत वर्षों का बकाया कर 6300.00 है। आलोच्य वर्ष 2020-21 का बकाया कर रू० 2100.00 मिलाकर कुल बकाया रू० 8400.00 की वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 विभव सम्पत्ति कर रजि० में वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम देवरी रनखवारा कार्य व्यवसाय पाईप फैक्ट्री आदित्य पाइप उद्योग प्रो० मुकेश अग्रवाल पर वर्तमान में रू० 6000.00 कर निर्धारित है। विगत वर्षों का बकाया कर 24000.00 है। आलोच्य वर्ष 2020-21 का बकाया कर रू० 6000.00 मिलाकर कुल बकाया कर रू० 30000.00 की वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 विभव सम्पत्ति कर रजि० में वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम देवरी रनखवारा कार्य व्यवसाय इंजीनियरिंग कालेज नोबेल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी पर वर्तमान में रू० 6000.00 निर्धारित हैं। विगत वर्षों का बकाया कर 22000.00 है। आलोच्य वर्ष 2020-21 का बकाया कर रू० 6000.00 मिलाकर कुल बकाया कर रू० 28000.00 की वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 विभव सम्पत्ति कर रजि० में वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम शिवपुरी कार्य व्यवसाय गैस गोदाम इण्डेन गोदाम प्रो० पद्मावती पर वर्तमान में रू० 4000.00 निर्धारित है। विगत वर्षों का बकाया कर 28000.00 है। आलोच्य वर्ष 2020-21 का बकाया कर रू० 4000.00 मिलाकर कुल बकाया कर रू० 32000.00 की वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 विभव सम्पत्ति कर रजि० में वि०क्षे० बी०के०टी० ग्राम राजापुर कार्य व्यवसाय परचून]खाद प्रो० आलोक कुमार पुत्र पुत्तनलाल पर वर्तमान कर रू० 1320.00 निर्धारित है। विगत वर्षों का बकाया कर 10560.00 है। आलोच्य

वर्ष 2020-21 का बकाया कर ₹0 1320.00 मिलाकर कुल बकाया कर ₹0 11880.00 की वसूली नहीं की जा रही है। इसके लिये कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 दिनांक 12.01.2021 को मोहनलालगंज में निर्मित जिला पंचायत की दुकानों का बकाया किराया जमा करने हेतु आवंटियों को नोटिस भेजने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र मिश्रा]श्री बी०एन० मिश्रा आदि को ₹0 20000.00 व ₹0 10000.00 का भुगतान किया गया। लेकिन फीस रसीद की प्राप्ति का प्रमाण गार्ड फाइल में चस्पा नहीं है इसके लिये सहायक लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 निर्माण पत्रावली-20 (टाइड) वि०क्षे० लि०क्षे० गोसाईगंज में तीरगांव सम्पर्क मार्ग पर फतेपुर गांव से तेज नारायण की बाग होते हुए फजलीपुर तक खड़न्जा निर्माण कार्य को करने अवधि 20.11.20 से 20.01.2021 तक (02 माह) अनुबन्ध के अनुसार समाप्त करना था लेकिन कार्य 7 दिन बाद 27.01.21 को समाप्त हुआ अनुबन्ध की अनुमानित लागत ₹0 1627031.00 पर जिला पंचायत द्वारा अर्थदण्ड ₹0 1000.00 की वसूली की गयी जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार 30प्र० निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दण्ड शुल्क के रूप से ठेकेदार के बिल से काटी जानी चाहिए इस प्रकार अनुमानित लागत पर अर्थदण्ड शुल्क ₹0 113892.0 हुआ अंतर ₹0 112892.00 ठेकेदार के बिल से वसूल की जानी चाहिए इसके लिये अवर अभियन्ता अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 निर्माण पत्रावली-20 (अनटाइड) वि०क्षे० चिनहट में ग्राम पल्हरी में मेनरोड से मस्जिद होकर खलील के घर मार्ग पर सी०सी० निर्माण कार्य निर्माण कार्य करने की अवधि 23.11.2020 से 22.01.2021 तक 02 माह अनुबन्ध के अनुसार समाप्त हुआ अनुबन्ध के अनुसार समाप्त करना था लेकिन कार्य एम०वी० के अनुसार 20.03.2021 को लगभग 02 माह बाद समाप्त हुआ अनुबन्ध अनुमानित लागत ₹0 857352.00 पर जिला पंचायत द्वारा अर्थदण्ड ₹0 500.00 की वसूली की गयी। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार 30प्र० निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार कुल अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दण्ड शुल्क के रूप से ठेकेदार श्री रौनक अली से पेमेन्ट बिल से काटी जानी चाहिए इस प्रकार अनुमानित लागत ₹0 857352 पर अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड शुल्क ₹0 85735.00 हुआ अन्तर ₹0 85235.00 ठेकेदार के बिल से वसूल की जानी चाहिए इसके लिये अवर अभियन्ता]अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 निर्माण पत्रावली-55 (अनटाइड) वि०क्षे० मोहनलालगंज कार्य करौंदी में जागेश्वर के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य करने की अवधि 28.11.2020 से 27.01.2021 तक 02 माह में अनुबन्ध के अनुसार समाप्त हुआ अनुबन्ध के अनुसार समाप्त करना था लेकिन कार्य एम०वी० के अनुसार 10.04.2021 को लगभग ढाई माह बाद समाप्त हुआ जिला पंचायत द्वारा अनुमानित लागत ₹0 992845.00 पर जिला पंचायत द्वारा अर्थदण्ड ₹0 1000.00 की वसूली की गयी। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार 30प्र० निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार कुल अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दण्ड शुल्क के रूप से ठेकेदार अनुकृति कान्टेक्टर एण्ड डेवलपर के पेमेन्ट बिल से काटी जानी चाहिए इस प्रकार अनुमानित लागत ₹0 992845.00 पर अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड शुल्क ₹0 99285.00 हुआ अन्तर ₹0 98285.00 ठेकेदार के बिल से वसूल की जानी चाहिए इसके लिये अवर अभियन्ता]अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली न होने की दशा में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 निर्माण पत्रावली-11 (अनटाइड) वि०क्षे० काकोरी कार्य का नाम मोहानमेन रोड से मंगलू पासी के घर स०मा० पर खड़न्जा निर्माण कार्य करने की अवधि 11.12.2020 से 10.02.2021 तक 02 माह में अनुबन्ध के अनुसार

समाप्त हुआ अनुबन्ध के अनुसार समाप्त करना था लेकिन कार्य एम0वी0 के अनुसार 15.04.2021 को लगभग 02 माह बाद समाप्त हुआ जिला पंचायत द्वारा अनुमानित लागत ₹0 410339.00 पर क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड ₹0 500.00 की वसूली की गयी। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार 30प्र0 निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार कुल अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दण्ड शुल्क के रूप से ठेकेदार के पेमेन्ट बिल से काटी जानी चाहिए इस प्रकार अनुमानित लागत ₹0 410339.00 पर अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड शुल्क ₹0 41034.00 हुआ अन्तर ₹0 40534.00 ठेकेदार मे0 विजय इलेक्ट्रिकल्स से वसूल की जानी चाहिए इसके लिये अवर अभियन्ता]अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली न होने के दशा में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 निर्माण पत्रावली-19 (अनटाइड) वि0क्षे0 गोसाईगंज कार्य का नाम ग्राम सठवारा स0मा0 से नवाबअली का पुरवा स0मा0 पर खड्गजा निर्माण कार्य करने की अवधि 27.11.2020 से 26.01.2021 तक 02 माह में अनुबन्ध के अनुसार समाप्त हुआ अनुबन्ध के अनुसार समाप्त करना था। लेकिन कार्य एम0वी0 के अनुसार 15.01.2021 को लगभग 20 दिन बाद समाप्त हुआ जिला पंचायत द्वारा अनुमानित लागत ₹0 2577642.00 पर क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड ₹0 1000.00 की वसूली की गयी। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार 30प्र0 निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार कुल अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दण्ड शुल्क के रूप से ठेकेदार के पेमेन्ट बिल से काटी जानी चाहिए इस प्रकार अनुमानित लागत ₹0 2577642.00 पर अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड शुल्क ₹0 257764.00 हुआ अन्तर ₹0 256764.00 ठेकेदार मे0 ओम इण्टरप्राइजेज से वसूल की जानी चाहिए इसके लिये अवर अभियन्ता]अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली न होने के दशा में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 निर्माण पत्रावली-25 (अनटाइड) वि0क्षे0 गोसाईगंज कार्य का नाम ग्राम भमरौली में मुख्य मार्ग स0मा0 पर सी0सी0 निर्माण कार्य करने की अवधि 15.01.2021 से 14.03.2021 तक 02 माह में अनुबन्ध के अनुसार समाप्त हुआ अनुबन्ध के अनुसार समाप्त करना था लेकिन कार्य एम0वी0 के अनुसार 06.09.2021 को लगभग 06 महीने बाद समाप्त हुआ जिला पंचायत द्वारा अनुमानित लागत ₹0 907556.00 पर क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड ₹0 1000.00 की वसूली की गयी। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार 30प्र0 निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार कुल अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दण्ड शुल्क के रूप में ठेकेदार के पेमेन्ट बिल से काटी जानी चाहिए इस प्रकार अनुमानित लागत ₹0 907556.00 पर अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड शुल्क ₹0 90755.00 हुआ अन्तर ₹0 89755.00 ठेकेदार मे0 तिरूपति बालाजी इण्टरप्राइजेज से वसूल की जानी चाहिए इसके लिये अवर अभियन्ता]अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली न होने के दशा में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 निर्माण पत्रावली-56 (अनटाइड) वि0क्षे0 मोहनलालगंज कार्य का नाम ग्राम बदनखेड़ा में नन्दकिशोर के घर से बड़े नाले तक नाला निर्माण कार्य करने की अवधि 28.11.2020 से 27.01.2021 तक 02 माह में अनुबन्ध के अनुसार समाप्त हुआ अनुबन्ध के अनुसार समाप्त करना था लेकिन कार्य एम0वी0 के अनुसार 10.04.2021 को लगभग ढाई महीने बाद समाप्त हुआ जिला पंचायत द्वारा अनुमानित लागत ₹0 998449.00 पर क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड ₹0 1000.00 की वसूली की गयी। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार 30प्र0 निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार कुल अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दण्ड शुल्क के रूप से ठेकेदार के पेमेन्ट बिल से काटी जानी चाहिए इस प्रकार अनुमानित लागत ₹0 998449.00 पर अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड शुल्क ₹0 99845.00 हुआ अन्तर ₹0 98845.00 ठेकेदार मे0 अनुकृति कान्टेक्टर एण्ड डेवलपर से वसूल की जानी चाहिए थी। इसके लिये अवर अभियन्ता] अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली न होने के दशा में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत-रायबरेली

प्रस्तर-1

क्रम संख्या-1 आपति सं0-2- शासनादेश के विपरीत रुपये 213.16 लाख का कार्य कराया जाना

पंचायती राज विभाग के शासनादेश सं0अनुभाग 3 के पत्रांक 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार जिला पंचायतों को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को कार्यान्वित कराना चाहिए व ग्राम पंचायतों के अन्दर ग्राम पंचायतों को कराना चाहिए। जिला पंचायत के वर्ष 2018-19 के निर्माण कार्य पंजिका की जांच में पाया गया कि निम्नानुसार कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर ही कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विपरीत है तत्कालीन मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी उक्त गंभीर वितीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	बहाई में डा0 मुस्लिम के घर इसरार बेग के घर तक इण्टर0 व नाली निर्माण	347200.00
2	ग्राम सभा टैंगना में पक्की रोड से चन्द्रभान के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	298118.00
3	ग्राम सभा भितरी में सेमरी रोड से राम अवतार धोबी के घर तक इण्टरलाकिंग	938600.00
4	ग्राम सभा खरिगापुर में लालमणि दीक्षित के घर से इण्टरलाकिंग	755300.00
5	डीह में छगू नाई की दुकान से अभय सिंह के घर की ओर इण्टरलाकिंग	705900.00
6	प्रांसदेदौर में संग्राम सिंह के खेत से राम बहादुर के खेत की ओर खंकार्य	935500.00
7	दुबे के कुआं से राधेश्याम के घर तक खडन्जा कार्य	384900.00
8	मझिगांवा में रामफेर के दरवाजे से देवी दयाल के घर तक इण्टरलाकिंग	408700.00
9	प्रांसशिवपुरी में अशोक के दरवाजे से ननई सोनकर के दरवाजे तक खडन्जा	758000.00
10	नारायणपुर में राम नारायण के घर से फूलचन्द्र मास्टर के घर तक इण्टर0	421800.00
11	थुलवांसा में राम मिलन के घर से नई बस्ती तक इण्टरलाकिंग	699600.00
12	बहाई में डा0 मुस्लिम के घर गयासुद्दीन के घर तक इण्टरलाकिंग	499900.00
13	खतियारा में राम स्वरूप के घर अवधेश नारायण के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग	458000.00
14	गोहना में वासुदेव की चक्की से राम खेलावन के घर तक इण्टरलाकिंग	446182.00
15	प्रांस0 परसीपुर में कोटेदार के दरवाजे से बृज लाल के घर तक खडन्जा	241900.00
16	खतियारा में अवधेश नारायण के दरवाजे से दिलीप के पालेशर तक खडन्जा	267600.00
17	हसनापुर में शिवचरन के घर से रघुवीर के नये मकान तक खडन्जा कार्य	107950.00
18	गोझरी में सी०एम०सिंह के दरवाजे से पक्की सडक तक सी०सी० कार्य	401400.00
19	सेहगों में राजेन्द्र चौधरी की दुकान से कल्लू के घर तक इण्टरलाकिंग	505385.00
20	पांस० अतरी में शिवशंकर लोधी के घर से दिनेश के घर तक इण्टरलाकिंग	999800.00
21	इमामगंज में लालबहादुर के घर के पास से रामशंकर के घर की ओर खडन्जा	179900.00
22	ग्रांस० सरायपरसू में रतीपाल के दरवाजे से राजाराम के घर तक खंकार्य	746300.00
23	ग्रांस० सवैयाराजे में बलबीर के दरवाजे से पू०मा०वि०सवैयाराजे तक खंकार्य	750700.00

24	ग्रा०स०जब्वारीपुर में रामदुलारे के दरवाजे से अर्जुन के दरवाजे तक इण्टर०	396200.00
25	ग्रा०स०बहेरवा में रमेश मौर्या के घर से बल्लू अग्रहरि के दरवाजे तक ख०कार्य	912800.00
26	ग्रा०स० कोटियाचित्रा में लल्लन के दरवाजे से जगदीश के दरवाजे तक इण्टर०	338700.00
27	ग्रा०स०सरेनी में राजमणि शुक्ला के दरवाजे से प्रा०वि०सरेनी तक इण्टर०	997400.00
28	ग्रा०स०चकसुण्डा ग्रा०स० चकसुण्डा में शीतल मास्टर के घर से छेदू पासी के घर तक इण्टर०	402575.00
29	ग्रा०स०पूर जग्गा में रामप्यारे के घर से पक्की सड़क तक इण्टर०	997601.00
30	ग्रा०स०चिलौला में शिवशंकर के दरवाजे से पन्नालाल के दरवाजे तक सी०सी०कार्य	631200.00
31	ग्रा०स०चांदमऊ में प्रा०वि०से ईश्वरदीन के घर की ओर इण्टर०	560290.00
32	ग्रा०स०रघुनाथ खेड़ा में सी०सी० कार्य	941140.00
33	ग्रा०स०सुल्तानपुरखेड़ा में लालगंज रोड से रामलखन के ट्यूबवेल तक ख०कार्य	499000.00
34	ग्रा०स० चिलौला में पुरुषोत्तम की दुकान से रामनरेश मौर्या के घर तक इण्टर०	877000.00
35	ग्रा०स०अटौराखुर्द में औसान के घर से चन्द्रकिशोर के खेत तक ख०कार्य	225000.00
36	ग्रा०स०हमीरगांव में पूरेसेवक बजन्त के दरवाजे से श्रीपाल के दरवाजे तक इण्टर	721900.00
37	ग्रा०स० सतीपुर में सुतान के घर से नरेश लोधी के घर तक इण्टर०	556255.00

प्रस्तर-2 क्रम संख्या-2 आपति सं-3-रू० 4.46 लाख के नियम विरुद्ध लेवर सेस के भुगतान का प्रकरण

जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य के बिलों पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नियमानुसार ठेकेदारों के बिलों में अतिरिक्त जोड़ा गया है-

दिनांक	बाउचर नं०	बिल की धनराशि	जीएसटी सहित धनराशि	सेस की धनराशि जो बिल में जोड़ी गयी
16/04/18	4/सा०नि०	928240.00	--	9482.00
16/04/18	7/सा०नि०	379683.12	425245.09	4252.45
16/04/18	8/सा०नि०	483364.38	541371.06	5413.21
16/04/18	9/सा०नि०	307326.66	344205.85	5442.05
16/04/18	10/सा०नि०	246675.34	276276.38	2762.76
16/04/18	11/सा०नि०	565896.00	633803.52	6338.04
16/04/18	12/सा०नि०	870320.85	974759.35	9741.59
16/04/18	22/सा०नि०	692208.49	775273.50	7752.73
16/04/18	23/सा०नि०	172263.60	192935.23	1929.35
16/04/18	25/सा०नि०	988200.00	--	9882.00
16/04/18	26/सा०नि०	988200.00	--	9882.00
20/04/18	29/सा०नि०	843307.40	989212.25	9445.00
01/08/18	4/सा०नि०	948240.00	--	9482.00
01/08/18	6/सा०नि०	133639.00	--	1336.39
09/08/18	13/सा०नि०	988200.00	--	9882.00
11/08/18	15/सा०नि०	1006258.27	1127009.26	11270.09

11/08/18	18/सा0नि0	1234397.59	1382525.30	13825.25
11/08/18	19/सा0नि0	971208.00	--	9712.08
18/08/18	26/सा0नि0	2083870.00	2333935.10	2339.35
18/08/18	28/सा0नि0	1727875.74	--	17278.75
18/08/18	29/सा0नि0	1964113.26	2199806.85	21998.06
18/08/18	30/सा0नि0	653973.59	--	7324.50
18/08/18	31/सा0नि0	425704.07	--	4257.04
18/08/18	34/सा0नि0	165642.68	--	1656.42
18/08/18	8/सा0नि0	820332.80	918772.74	9187.73
18/08/18	9/सा0नि0	988200.00	--	9882.00
18/08/18	10/सा0नि0	988200.00	--	9882.00
18/08/18	12/सा0नि0	176353.00	197515.60	1975.15
18/08/18	13/सा0नि0	747202.25		7242.01
11/08/18	27/सा0नि0	988200.00		9882.00
11/08/18	51/सा0नि0	988200.00		9882.00
11/08/18	56/सा0नि0	988200.00		9882.00
11/08/18	57/सा0नि0	752349.15		7523.49
11/08/18	58/सा0नि0	988200.00		9882.00
11/08/18	95/सा0नि0	238726.40		2387.26
11/08/18	101/सा0नि0	2378560.10		23785.60
11/08/18	102/सा0नि0	2456155.09		24561.55
11/08/18	133/सा0नि0	973993.00		9739.93
11/08/18	13/सा0नि0	875359.87	980403.05	9804.03
11/08/18	14/सा0नि0	181799.98	203615.97	2036.15
11/08/18	15/सा0नि0	960408.00	--	9604.08
09/07/18	25/सा0नि0	988200.00	998082.00	9882.00
09/07/18	25/सा0नि0	988200.00	998082.00	9882.00
09/07/18	28/सा0नि0	960408.00	--	9604.00
09/07/18	29/सा0नि0	948240.00	--	9482.40
09/07/18	32/सा0नि0	618849.75	693111.72	6931.11
09/07/18	53/सा0नि0	979848.00	--	9798.48
25/07/18	66/सा0नि0	960948.00	--	9609.48
			योग -	446014.46

उपर्युक्तानुसार ठेकेदारों के बिलों में जोड़े गये सेस को उन्हें भुगतान देते समय उनके बिलों से 1 प्रतिशत कटौती करके उसे सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया गया है। इस प्रकार लेबर सेस का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा न करके जिला पंचायत द्वारा सरकारी ग्राण्ट से किया गया है जबकि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के अनुसार सार्वजनिक विभागों, उपकर्मों, शासकीय विभागों द्वारा लेबर सेस भुगतान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी अपने प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 के पैरा 12 में भी अनुसंशा की है कि

लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जायेगी। किन्तु आलोच्य वर्ष में सीधे शासकीय ग्राण्ट से जिला पंचायत द्वारा ₹0 4.46 लाख लेबर सेस का भुगतान कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है जिसके लिए श्री बी०के०सिंह चौहान अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री बृजेश कुमार वर्मा लेखाकार उत्तरदायी रहे। प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-3

शासनादेश के उल्लंघन का प्रकरण

आलोच्य वर्ष में गाड़ियों के लाग बुक की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कार द्वारा निम्नानुसार (किमी०) यात्रा तय की गयी-

प्रथम त्रैमास	अप्रैल	मई	जून	कुल योग
किमी०	3873	4247	5062	12927
द्वितीय त्रैमास	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	
किमी०	4337	4072	3950	12359
तृतीय त्रैमास	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	
किमी०	4780	3660	3419	11859
चतुर्थ त्रैमास	जनवरी	फरवरी	मार्च	
किमी०	5073	4865	3761	13699

उपर्युक्तानुसार प्रति माह 2400 किमी० व एक तिमाही में कुल यात्रा 7200 किमी० से अनधिक यात्रा अर्थात् वर्ष में 28800.00 किमी० के सापेक्ष 50844 किमी० यात्रा की गयी है जो अनुमन्य से 22044 किमी० अधिक है। इस प्रकार दर 10 किमी० प्रति ली० से 2204.40 ली० डीजल दर 66.38 अर्थात् कुल ₹0 146328.00 अधिक खर्च किया गया है जो शासनादेश सं० 4908वी / 33-2-1976 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 1976 का उल्लंघन था । अतएव उक्त ₹0 146328.00 के दुरुपयोग का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। इस दुरुपयोग के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री बी के सिंह चौहान लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा तथा कैशियर (पटल प्रभारी) श्री देवेन्द्र तिवारी उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 50 लीटर डीजल के अधिक भुगतान का प्रकरण -आलोच्य वर्ष में लाग बुक संख्या-1 की जांच में पाया गया कि गाडी सं० यूपी33एजी0561 माह मई 2018 में 4247 कि०मी० चलने व 450 ली० डीजल के खरीद की प्रविष्टि लागबुक के पृष्ठ सं० 70 पर की गयी है जबकि मई माह में क्रमशः दिनांक 01 मई को 50 ली०, 04 मई को 50 ली०, 07 मई को 50 ली०, 09 मई को 50 ली०, 12 मई को 50 ली०, 17 मई को 50 ली०, 22 मई को 50 ली०, 24 मई को 50 ली०, 28 मई को 50 ली०, व 30 मई को 50 ली० सहित कुल 500 ली० डीजल का भुगतान मेसर्स शिव फिलिंग सेण्टर को कैश ममो क्रमांक 572 / 01-06-2018 को किया गया है। इस प्रकार 50 ली० डीजल दर 66.38 की दर से ₹0 3319.00 का अधिक भुगतान किया गया है। उक्त वसूली के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री बी के सिंह चौहान लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा तथा कैशियर (पटल प्रभारी) श्री देवेन्द्र तिवारी उत्तरदायी हैं इनके समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 क्रम संख्या-5 आपति सं0-14 राजकीय धन के दुरुपयोग का प्रकरण

राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जिला पंचायत रायबरेली में ₹0 39421.00 अवशेष दर्शित है जो गत दस वर्षों से यथावत दर्शित है। समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में इस मद में कोई धनराशि संस्था को प्राप्त नहीं हुई है। समीक्ष्य वर्ष में अवशेष धनराशि का उपभोग भी नहीं किया गया है। अवशेष धनराशि को केन्द्र / राज्य सरकार को समय से वापस कर दिया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके जिला पंचायत द्वारा राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त दुरुपयोग का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। इस दुरुपयोग के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री बी के सिंह चौहान लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा तथा कैशियर (पटल प्रभारी) श्री देवेन्द्र तिवारी उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

जी०एस०टी० की धनराशि ₹0 3750410.00 न जमा करने का प्रकरण

जिला पंचायत रायबरेली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि ईकाई द्वारा वर्ष 2018-19 में 2 प्रतिशत जी०एस०टी० संग्रहण ₹0 3750410.00 किया गया है, जिसे समयान्तर्गत व अद्यतन सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण राजकीय राजस्व का प्रकरण है जिसके प्रति आवश्यक सतर्कता नहीं बरती गयी है। उक्त से संबंधित पत्रावली बार-बार मांग किये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी व वर्ष 2018-19 में 2 प्रतिशत जी०एस०टी० संग्रहण की धनराशि ₹0 3750410.00 विभागीय शीर्ष में न जमा हो सकने की सूचना लेखाकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण इस आशय से प्रकाश में लाया जाता है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि को विभागीय शीर्ष में यथाशीघ्र जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा विलम्ब हेतु आरोपित दाण्डिक धनराशि के प्रति लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता व अपर मुख्य अधिकारी के दायित्व निर्धारण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। इस दुरुपयोग के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री बी के सिंह चौहान लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा तथा तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

विद्युत बिल विलम्ब से जमा करने पर ₹0 135562.27 के सरचार्ज का प्रकरण

आचोच्य वर्ष में विद्युत बिलों की जांच में पाया गया कि विद्युत बिल तिथि 22 फरवरी 2018 तक बिल की धनराशि रुपये 91521800 जिसमें अवशेष रुपये 7796655.84 एवं प्री लेट पेमेंट सरचार्ज रुपये 135562.27 हैं में से रुपये 250000.00 का भुगतान जिला निधि खाता संख्या 56810100000617 से चेक संख्या 102233 दिनांक 18.04.2018 को किया गया है। बिल समय से न जमा किये जाने के कारण संस्था को रुपये 135562.27 का सरचार्ज भुगतान करना पड़ रहा है जो कि आपति जनक रहा। उक्त प्रकरण को इस आशय से प्रकाश में लाया जाता है कि जिम्मेदार कर्मचारी / अधिकारी का दायित्व निर्धारण पूर्वक आवश्यक कार्यवाही किया जाय। इस दुरुपयोग के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी के सिंह चौहान लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा तथा कैशियर (पटल प्रभारी) श्री देवेन्द्र तिवारी उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

टैक्सी स्टैंड की नीलामी शासनादेश के अनुसार न करके ₹0 5.46 लाख के क्षति का प्रकरण

टैक्सी स्टैंड रजिस्टर वर्ष 2018-19 की जांच में पाया गया कि टैक्सी स्टैंड आवंटन के समय नीलामी की सूचना समाचार पत्रों में प्रसारित किये जाने की स्थिति से लेखा परीक्षक को अवगत नहीं कराया गया। नीलामी के शासनादेश के अनुसार विगत तीन वर्षों की औसत आय की धनराशि पर कम से कम 10 प्रतिशत अधिक पर नीलामी की जाय।

इस मद में समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ₹0 9.22 लाख 2016-17 में ₹0 8.44 लाख व 2017-18 में ₹0 7.23 लाख की नीलामी हुई। वर्ष 2018-19 के लिए गत तीन वर्षों के औसत के 10 प्रतिशत अधिक सहित ₹0 9.13 लाख में नीलामी होनी चाहिए थी जिसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष 2018-19 में नीलामी ₹0 3.67 लाख ही हुई। इस प्रकार शासनादेश के अनुसार नीलामी न करके जिला पंचायत को ₹0 5.46 लाख की क्षति पहुंचाई गयी है। उक्त अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। इस दुरुपयोग के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी के सिंह चौहान तथा तत्कालीन कर अधिकारी उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 जिला पंचायत के वर्ष 2019-20 के लाइसेन्स शुल्क वसूली की जांच में पाया गया कि लाइसेन्स शुल्क की वसूली हेतु तैयार किये गये उपविधि के अनुसार जिला पंचायत की सीमा की परिधि में आने वाली देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से लाइसेन्स शुल्क अधिरोपित किया जायेगा किन्तु वर्ष 2019-20 में उक्त दुकानों से लाइसेन्स शुल्क वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ही दुकानों की सूची ही उपलब्ध करायी जा सकी। जिला आबकारी अधिकारी रायबरेली से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण परिक्षेत्र में कुल देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों पर लाइसेन्स शुल्क न अधिरोपित करके वर्ष 2019-20 में ₹0 314000.00 के राजस्व की हानि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत है- वर्ष 2018-19 के दौरान देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों पर वसूली योग्य लाइसेन्स शुल्क

क्रम सं०	वर्ष	देशी मदिरा के दुकानों की कुल संख्या	लाइसेन्स शुल्क/750.00	विदेशी मदिरा एवं बियर के दुकानों की कुल संख्या	लाइसेन्स शुल्क/1000.00
1	2019-20	240	180000.00	134	134000.00

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में उपर्युक्त पर कुल ₹0 314000.00 के राजस्व की हानि हुई है

प्रस्तर-10

पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या अनुभाग-3 के पत्रांक 1838/33-3-2015-03 / 2015 दिनांक 31.07.2015 अनुसार जिला पंचायतों को एक से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित कराने वाले कार्यों को सम्पादित करना चाहिए तथा ग्राम पंचायतों के अन्दर के कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाना चाहिए। कार्यालय जिला पंचायत के निर्माण के अभिलेखों के जांच में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 39 ऐसे थे जो ग्राम पंचायतों के अन्दर थे दो ग्राम पंचायतों को एक साथ लाभान्वित नहीं कर रहे थे, जो कि शासकीय नियमों के विपरीत थे।

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्राम पंचायत इब्राहिम पुर में पुन्नू पासी के दरवाजे से किशोर पासी के दरवाजे की ओर खडंजा कार्य	528800.00
2	ग्राम पंचायत बेडारू में महारानी मंदिर से आनन्द वर्मा की घर की ओर सी०सी० कार्य	992900.00
3	ग्राम पंचायत कुण्डौरा में राजुद्दीन के घर से स्वदेश साहू के घर की ओर सी०सी० कार्य	9995690.00

4	ग्राम पंचायत हिडइन में अमृत लाल के घर से माता बक्श सिंह के घर की ओर सी०सी० कार्य	602150.00
5	वि०ख० सतांव में ग्राम पंचायत किलौली में सतपाल के घर से राजेन्द्र मौर्या की ओर सी०सी० कार्य	619700.00
6	पूरे मंसाराम म० ग्राम पंचायत किठावां में मनीष के दरवाजे से अनिल के दरवाजे की ओर सी०सी० रोड	899280.00
7	पूरे टेढ़े म० ग्राम पंचायत अम्बारा पश्चिम में रामकुमार के घर से सुरेश की ओर सी०सी० कार्य	617700.00
8	ग्राम पंचायत उत्तरा गौरी में नायक सिंह की चक्की से मारुत सिंह की ओर सी०सी० रोड	739600.00
9	छोटी खेडा ग्राम पंचायत बहादुर नगर में रामकिशोर के दरवाजे से रामचन्द्र के दरवाजे की ओर सी०सी० कार्य	956950.00
10	ग्राम पंचायत ओसाह छाता सिंह का पुरवा में शिवा सिंह के घर से उत्तम सिंह के घर की ओर सी०सी० कार्य	886700.00
11	ग्राम भीतर गांव में लखपति भुजवा के घर से अन्जू मिश्रा की ओर सी०सी० कार्य	598800.00
12	ग्राम सभा खजूर गांव में कन्हैया के दरवाजे से लाला के दरवाजे की ओर सी०सी० कार्य	690600.00
13	ग्राम सभा इचौली में हरि प्रसाद नाई के घर से राम दत्त कोरी के ओर सी०सी० कार्य	979300.00
14	ग्रामसभा मलिकमऊचौबारा के पूरे रत्ती में सुखलाल के घर से कल्लू के घर की ओर सी०सी० कार्य	997800.00
15	ग्राम सभा हलौर में बाबू पासी के दरवाजे से मोहम्मद के घर की ओर सी०सी० कार्य	954600.00
16	ग्राम सभा पारा में कन्हैई पासी के घर से राजेन्द्र के घर की ओर सी०सी० कार्य	889800.00
17	ग्रामसभा सीवन के पूरे सुब्बा में राजाराम के दरवाजे से शिवकुमार सिंह के घर की ओर सी०सी० कार्य	979000.00
18	ग्राम सभा सुल्तानपुर में राधे की दुकान से गोवर्धन की ओर सी०सी० कार्य	779400.00
19	ग्राम सभा दौतरा में रामकुमार के दरवाजे से श्रीप्रकाश के दरवाजे की ओर सी०सी० कार्य	798600.00
20	ग्राम सभा कोटरा म० कोटरा बहादुरगंज में मुनेश्वर कोरी के दरवाजे से शारदा निर्मल के घर के आगे की तरफ सी०सी० कार्य	943200.00
21	ग्रामसभा कुसुण्डी में अरविन्द बाजपेई के दरवाजे गुरु घर की ओर सी०सी० कार्य	698200.00
22	ग्राम सभा कान्हमऊ में सी०सी० कार्य	775100.00
23	ग्राम सभा ओनई में सी०सी० कार्य	618900.00
24	ग्राम पंचायत लखनापुर इटकुटी में सी०सी० कार्य	997570.00

25	ग्राम पंचायत चक बहादुर में कब्रिस्तान के पश्चिम की ओर से दक्षिण की ओर सी०सी० कार्य	994700.00
26	ग्राम पंचायत सैम्बसी में उदयभान कुशवाहा के दरवाजे से राशन कोटा की ओर सी०सी० कार्य	996700.00
27	ग्राम पंचायत पूरे बिन्दासिंह जतुआ की ओर मरम्मत कार्य	996200.00
28	ग्राम पंचायत रसूलपुर में चरपुरवा में पवन मौर्य के दरवाजे की ओर सी०सी० कार्य	986700.00
29	ग्राम सभा पहरावा में काशीगुप्ता के घर से सर्वजीत के घर की ओर सी०सी० कार्य	799230.00
30	पूरे उम्मेद में म० ग्राम पंचायत देदौर में रामबली पटेल के मोड़ से रामलखन पटेल के दरवाजे तक सी०सी० कार्य	986100.00
31	ग्राम सभा गुमावाँ में गौहर के पुरवा में राम सागर के दरवाजे से राम इकबाल के दरवाजे की ओर सी०सी० कार्य	698200.00
32	ग्राम पंचायत पूरे बाबा मथुरपुर सरेनी में रनबहादुर सिंह के खेत से सिन्धु बाग की ओर सी०सी० कार्य	856300.00
33	ग्राम पंचायत किलौली में सतपाल मौर्या के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर की ओर सी०सी० कार्य	1794000.00
34	ग्राम पंचायत कोरिहर में रोहित शुक्ला के दरवाजे से फूल चन्द्र तिवारी के घर की ओर सी०सी० कार्य	772900.00
35	ग्राम पंचायत मझिगवां मरुल्ला के पुरवा में सी०सी० रोड निर्माण कार्य	796580.00
36	छोटा भगत ग्राम पंचायत सेमरी में लल्ला पाल के घर से अवध पाल के घर के पास तक सी०सी० कार्य	689920.00
37	ग्राम जमुनी हार में राम आधार के घर से धनराज पासी की घर की ओर सी०सी० कार्य	997920.00
38	ग्रामसभा सिहापुर में रामगुलाम के घर से प्रधान के घर होते हुये रामपाल चमार के घर तक	936096.00
	कुल व्यय	32841886.00

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में शासनादेश का अनुपालन जायेगा। अतः शासनादेश के विरुद्ध रुपये 32841886.00 लाख के कार्यों का निष्पादन किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी के सिंह चौहान लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

टेण्डर फार्म का मूल्य प्रत्येक परियोजना हेतु ₹ 500 निर्धारित किया गया है। जबकि प्रत्येक परियोजना में उसकी लागत के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के साथ दर निर्धारित करते हुये एवं उसमें जोड़ते हुए, निर्धारित दरों का प्रकाशन कराया जाना चाहिए था। ईकाई द्वारा केवल ₹ 500.00 प्रति परियोजना निर्धारित करके 145 परियोजनाओं हेतु न्यूनतम 3 निविदाओं पर 12% की दर से ₹ 26100.00 की क्षति लेखा परीक्षा द्वारा आकलित की गयी है,। उक्त क्षति के लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता जिम्मेदार रहे। इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

वर्ष 2019-20 में गाड़ियों के लाग बुक की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कार द्वारा द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त सितम्बर) में 9808 किमी यात्रा की गयी है जो प्रति माह 2400 किमी0 व एक तिमाही में कुल अनुमन्य यात्रा 7200 किमी0 से अधिक रही। इस प्रकार एक तिमाही में 2608 किमी0 अधिक यात्रा की गयी। जो शासनादेश सं0 4908वी / 33-2-1976 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 1976 का उल्लंघन है। इस प्रकार अनुमन्य यात्रा से अधिक की गयी 2608 किमी0 को दर10 किमी0 प्रति ली0 से आकलन करने पर 260.8 ली0 डीजल अधिक खर्च हुआ है जिसकी कीमत दर66.38 से ₹0 17311.00 होती है। अतएव उक्त ₹0 17311.00 के दुरुपयोग का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। उक्त दुरुपयोग के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन पटलप्रभारी उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

जिला पंचायत रायबरेली के वर्ष 19-20 के बैंक खातों एवं मासिक लेखा प्रपत्र (ड.) की जाँच में यह पाया गया कि 31-03-2020 लेखा परीक्षा में संस्था से प्राप्त विभिन्न बैंक स्टेटमेंट के अनुसार समस्त जमा धनराशि ₹0 50,91,25,718.97 है। जबकि मासिक लेखा प्रपत्र (ड.) के अनुसार अंतिम रोकड़ शेष ₹0 32,89,30,262.00 दर्शित है। इस प्रकार दोनों में अंतर की धनराशि ₹0 18,01,95,456.97 का कोई समाधान विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे लेखा परीक्षा प्रमाणन असुविधाजनक रहा। लेखा परीक्षा दौरान लेखाकार एवं विभिन्न पक्षों को पत्र निर्गत कर बैंक खातों एवं उनके समाधान विवरण विषयक आवश्यक अभिलेख की माँग की गयी जिसे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जमा करने की तिथि तक लेखा परीक्षक को उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे गंभीर अनियमितता, दुरुपयोग एवं अपहरण के प्रकरण भी हो सकते हैं। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी रहे। प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

जिला पंचायत की कैशबुक के अनुसार अंतिम रोकड़ शेष ₹0 39,71,25,600.00 दर्शाया गया है जबकि मासिक लेखा प्रपत्र (ड.) में ₹0 32,89,30,262.00 दर्शाया गया है इस प्रकार दोनों खातों जो संस्था के ही हैं, में गंभीर अंतर प्रकाश में आया है। लेखा परीक्षा दौरान लेखाकार से उक्त विषय संबंधी अंतर का कारण, पत्र द्वारा एवं मौखिक रूप कई बार पूछा गया किन्तु, अन्तर का कारण बताने में असमर्थ रहे। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी रहे। प्रकरण शासन के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

मासिक विवरण पत्र प्रपत्र (ड.) के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि ₹0 110759731.00 दर्शायी गयी है जबकि अनुदान रजिस्टर वर्ष 2019-20 के अनुसार यह धनराशि ₹0 64545831.00 दर्शायी गयी है। लेखा दृष्टि से दोनों अभिलेखों में साम्य होना चाहिए। स्पष्ट है कि लेखों के मिलान करने में विभिन्न स्तरों पर हिसाबत से मिलाया नहीं गया है और मनमानी ढंग से अंकों को दर्शाया गया है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। अंतर की धनराशि को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक संबंधित अंतर को समाधान न किये जाने के कारण इसे अधिभारित किया जाता है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

जिला पंचायत रायबरेली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि ईकाई द्वारा वर्ष 2019-20 में 2: प्रतिशत जी०एस०टी० संग्रहण ₹0 1934148.00 किया गया है, जिसे

समयान्तर्गत व अद्यतन सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण राजकीय राजस्व का प्रकरण है जिसके प्रति आवश्यक सतर्कता नहीं बरती गयी है। उक्त से संबंधित पत्रावली बार-बार मांग किये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी व वर्ष 2019-20 में 2 प्रतिशत जी०एस०टी० संग्रहण की धनराशि ₹0 1934148.00 विभागीय शीर्ष में न जमा हो सकने की सूचना लेखाकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण इस आशय से प्रकाश में लाया जाता है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि को विभागीय शीर्ष में यथाशीघ्र जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा विलम्ब हेतु आरोपित दण्डिक धनराशि के प्रति लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता व अपर मुख्य अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित से वसूलकर जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 17

ग्राम पंचायतों के अन्दर शासनादेश के विपरीत कार्य कराये जाने का प्रकरण (अनुदान रजिस्टर 2020-21 के अनुसार) क. जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़को द्वारा जोड़ना उनका अनुरक्षण वा अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों का कराना है ना कि गाँव में अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्रीवाल, बारातघर, नाली, खड़जा, सी०सी० कार्यों आदि निर्माण कराना ये सभी कार्य ग्राम पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों के अन्तर्गत आते हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 सेक्शन 33(II) में किया गया है। साथ ही शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 द्वारा भी कार्यों को कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है ना कि जिला पंचायत को। शासनादेश संख्या 8307/33/2/2014/93जी/2004 दिनांक 12 जनवरी 2005 तथा शासनादेश संख्या-5/866/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार

तीनों स्तर की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) सब्सिडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें। अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाये तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य ना कराया जाये इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निहित मार्गदर्शी प्रस्तर 3 व 4 के अनुसार “जिला पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मतों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये। निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतें अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यों का चयन करेंगी तथा मात्र अध्यक्ष य चन्द सदस्यों के विवेक पर मामला नहीं छोड़ा जायेगा।”

ख- जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा पी०डब्ल्यू०डी०, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आर०इ०एस० तथा मण्डी परिषद आदि को इस आशय की अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नहीं करा लिया गया है या कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार बिना आपत्ति प्राप्त किये दर्शित निर्माण कार्य से डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

ग. जिला पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अभियन्ता से पी०सी०आर० (project completion report) प्राप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ₹0 24450468.00 के निर्माण कार्य जान बूझकर नियमों की अनदेखी कर के कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत रायबरेली द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय ₹0 24450468.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ०प्र० शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इस दुरुपयोग के लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्य धनराशि
1.	गढ़के ग्राम पंचायत से राम खिलावन के खेत तक खड़जा कार्य।	149700.00
2.	प्यारेपुर में राजस्व ग्राम कानहट में गया प्रसाद के खेत से हरचंदपुर माइनर तक खड़जा कार्य।	399490.00
3.	गुल्लुपुर में प्रा० वि० से हजियापुर तक खड़जा कार्य।	499200.00
4.	ग्रामसभा तकरवा में कटघर सम्पर्क मार्ग से भट्टे के पास पुराने खड़जे से हीरामऊ की ओर खड़जा।	899900.00
5.	सुलतानपुरखेड़ा के लालगंज रोड से रामलखन के ट्यूबवेल तक खड़जा कार्य।	661700.00
6.	अटौरा में अवशेष खड़जा।	299800.00
7.	इब्राहिमपुर में चुन्नी पासी के घर से किशोर पासी के दरवाजे की ओर खड़जा।	458100.00
8.	ग्रामसभा चुरवा में श्रीनेतखेड़ा से दीनाखेड़ा की ओर खड़जा।	533000.00
9.	जोहवाशर्की में मीर से काशी प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर खड़जा।	531400.00
10.	सरायउमर में पुलिया व खड़जा का निर्माण।	793370.00
11.	इब्राहिमपुर में धुनू पासी के दरवाजे से रामकिशोर के दरवाजे की ओर खड़जा कार्य।	70700.00
12.	जोहवाशर्की में भीट से काशी प्रसाद उ०मा०वि० की ओर खड़जा।	89460.00
13.	सरायउमर में पुलियान खड़जा निर्माण।	101660.00
14.	जतुवा से पक्की रोड की ओर खड़जा कार्य।	926700.00
15.	दुसौती में साईदाता मंदिर से मुजफ्फरपुर की ओर खड़जा।	670500.00
16.	सेमरी में छोटा मंगलखेड़ा से जगन्नाथ की ओर खड़जा।	808600.00
17.	सरायउमर में खड़जा कार्य का अवशेष।	79800.00
18.	चन्दापुर में आश्रम मठ तक खड़जा कार्य।	698100.00
19.	गुल्लुपुर कांजीहाऊस में मिट्टी भराई व खड़जा कार्य।	448700.00
20.	चरुआ में श्रीनेतखेड़ा से दीनाखेड़ा की ओर खड़जा कार्य।	107200.00
21.	मेलथुवा गांव से बनईमऊ डामर रोड की ओर खड़जा कार्य।	34500.00
22.	शिवगढ़ के जड़ावगंज में नये कांजीहाऊस में खड़जा निर्माण।	295300.00
23.	चिरवड़ी माइनर जगतपुर रामगढ़ी में सुजबली के दरवाजे से खेरोलाल गंजरोड तक खड़जा।	464464.00
24.	महाकुटी माइनर कोरिहर में चन्द्रपाल का पुरवा होते हुए चन्द्रबल तक खड़जा।	485856.00
25.	खुसकपुर में हरदेवलाल मंदिर से शेखपुरा सड़क तक खड़जा।	705264.00
26.	नुनैरा से सेहरामऊ सम्पर्क मार्ग से सेहरामऊ में धर्मराज के घर तक खड़जा।	99680.00
27.	रूपखेड़ा मा० हरिपुर निहस्था में धनदेवी के घर से शिवप्रकाश के घर तक खड़जा।	705264.00
28.	खीरो में मिश्र खेड़ा से कालपुर के मध्य खड़जा कार्य।	215152.00
29.	कक्केपुर मा० दबौली से लोसडाही मा० दतौली तक खड़जा कार्य।	861952.00
30.	गुल्लुपुर मा० पूरे हरिनापुर तक खड़जा का अवशेष।	170000.00
31.	बेतौरा में भगवानदीन के पुल से बेतौरा सड़क तक खड़जा।	578592.00
32.	मढ़कुली मा० कोरिहर में चन्द्रपाल के पुरवा होते हुए चन्द्रबल तक खड़जा।	379644.00
33.	चिरवड़ी मा० जगतपुर मगढ़ी से सूरजबली के दरवाजे से खीरो लालगंज रोड तक खड़जा।	331072.00
34.	सुसरूपुर में हरदेवलाल मंदिर से शेखापुर सड़क तक खड़जा।	92960.00
35.	धराहिआबाला में घमरिया स्कूल से मीरास्केप तक खड़जा।	562000.00
36.	मिर्जापुर किशुनखेड़ा में छंगालाल घर के सामने मंदिर से खड़जा तक खड़जा।	99780.00
37.	गुल्लुपुर में पूरेगोहरी से ककवारा तक खड़जा।	806000.00

38.	महाराजीगंज में वकील के घर से ए0एन0एम0 सेन्टर होते हुए खरगापुर मार्ग तक खड़जा।	302000.00
39.	कोलोनी मा0 पारा से पेडरा डामर रोड तक खड़जा।	531000.00
40.	रोहनिया में उमरान कांजी हाऊस में खड़जा।	399840.00
41.	खीरो मिश्र खेड़ा से कालपुर के मध्य खड़जा।	80976.00
42.	रूपखेड़ा माइनर हरिपुर निहरथा में धनदेवी के घर तक खड़जा।	91280.00
43.	पाराकला में डामर रोड से कुटी तक खड़जा।	900000.00
44.	बेतौरा में भगवानदीन पुल से बेतौरा सड़क तक खड़जा।	71400.00
45.	पंचम पुरवा में मा0 डिघौरा में नन्हकऊ लोहिया के घर से रामनाथ के घर तक खड़जा।	299000.00
46.	कान्हावीर दहीवीर मंदिर से छिदू के खेत तक खड़जा।	790000.00
47.	महाराजी गंज में वकील के घर से ए0एन0एम0 सेन्टर होते हुए खरगापुर मार्ग तक खड़जा।	65600.00
48.	रानीखेड़ा रोड से पूरेगरवर से घोसीपुर तक खड़जा कार्य	87600.00
49.	कालोनी मा0 पारा से पेडरा डामर रोड तक खड़जा।	67600.00
50.	ग्राम गुलपुर में पूरेगोहारी से कठवारा तक खड़जा कार्य।	187000.00
51.	पेडरा बॉर्डर रहवाँ खड़जा से पूरेलोहरान पुरवा तक खड़जा कार्य।	102000.00
52.	खीरो के ग्राम सभा अकोहरिया के कांजीहाऊस में मिट्टी भराई एवं खड़जा।	263000.00
53.	ईटहा से पूरेरतीमान तक खड़जा कार्य।	363888.00
54.	गुलपुर मा0 से पूरेहजियापुर तक खड़जा का अवशेष।	24000.00
55.	हाजीपुर में पक्की सड़क के बारखण्डेश्वर मंदिर तक खड़जा।	164000.00
56.	खीरो के मदनापुर में गांव के अन्दर से प्रावि0 की ओर खड़जा।	487800.00
57.	पूरेजंगली मा0 ताजपुर में रामबहादुर पासी के घर से तालपुर की ओर पीपल के पेड़ की तरफ खड़जा।	599000.00
58.	लखनाखेड़ा का अवशेष भाग।	86100.00
59.	टिकरामऊ में पूरेसूबा से मेन खड़जा तक खड़जा कार्य।	666200.00
60.	हाजीपुर में पक्की सड़क से बटकेश्वर मंदिर तक खड़जा।	402600.00
61.	खगिया खेड़ा मा0 कोसा में बांदा बहराइच मार्ग से अजय वाजपेयी के घर तक खड़जा।	178500.00
62.	खीरो के अतहर रोड से शिवपाल खेड़ा मा0 बसैण्डी तक खड़जा।	498848.00
63.	ईटहा से पूरेरतीमान तक खड़जा कार्य।	626976.00
	योग	24450468.00

प्रस्तर- 18 जिला पंचायत रायबरेली के समीक्ष्य वर्ष (2020-21) में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में मूल अनुदान (अनटाइड) एवं सशर्त अनुदान (टाइड) शीर्षान्तर्गत निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ प्राप्त हुई।

1.	10.07.2020	मूल अनुदान (अनटाइड)	6,10,84,184.00
2.	29.07.2020	सशर्त अनुदान (टाइड)	6,12,25,666.00
3.	15.03.2021	मूल अनुदान (अनटाइड)	6,11,01,715.00
4.	31.03.2021	सशर्त अनुदान (टाइड)	6,11,01,715.00
कुल धनराशि-24,45,13,280.00			

ध्यातव्य हो कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त सशर्त अनुदान (टाइड) की धनराशि को पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा स्वच्छता जैसे विन्धित कार्यों पर व्यय किया जाना था किन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त सशर्त अनुदान रु0 12,23,27,381.00 में से रु0 1,36,71,180.00 (अनुदान रजिस्टर के अनुसार) का व्यय टाइड फण्ड से, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य विन्धित कार्यों पर व्यय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किया गया है-

1. सी0सी0 निर्माण—	6899580.00
2. सोलर लाइट स्थापना—	4240865.00
3. खड़जा कार्य—	834000.00
4. लेपन व मरम्मत कार्य—	994495.00
5. टीनशेड व चबूतरा निर्माण—	702240.00
कुल धनराशि — 13671180.00	

उपक्त धनराशि का इकाई द्वारा आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध मनमाने ढंग से व्यय किया जाना घोर अनियमितता है। उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 19

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के पत्रांक 3852/33—सेल/2018 दिनांक 24-12-2018 के अनुसार राज्य वित्त योजना में इन्टरलाकिंग के कार्य 1.5 मी0 चौड़ाई (फुटपाथ हेतु) ही अनुमन्य हैं। सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु लेपन, सी0सी0 एवं खड़जा ही स्वीकृत किये जाएंगे।

क. जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़को द्वारा जोड़ना उनका अनुरक्षण वा अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों का कराना है ना कि गाँव में अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्रीवाल, बारातघर, नाली, खड़जा, सी0सी0 कार्यों आदि निर्माण कराना ये सभी कार्य ग्राम पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों के अन्तर्गत आते हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 सेक्शन 33(II) में किया गया है। साथ ही शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 द्वारा भी कार्यों को कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है ना कि जिला पंचायत को। शासनादेश संख्या 8307/33/2/2014/93जी/2004 दिनांक 12 जनवरी 2005 तथा शासनादेश संख्या-5/866/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार

तीनों स्तर की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) सब्सिडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें। अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाये तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य ना कराया जाये इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निहित मार्गदर्शी प्रस्तर 3 व 4 के अनुसार “जिला पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मतों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये। निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतें अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यों का चयन करेंगी तथा मात्र अध्यक्ष य चन्द सदस्यों के विवेक पर मामला नहीं छोड़ा जायेगा।”

ख- जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा पी०डब्ल्यू०डी०, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आर०इ०एस० तथा मण्डी परिषद आदि को इस आशय की अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नहीं करा लिया गया है या कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार बिना आपत्ति प्राप्त किये दर्शित निर्माण कार्य से डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

ग. जिला पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अभियन्ता से पी०सी०आर० (प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) प्राप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ₹0 42591294.00 के निर्माण कार्य जान बूझकर नियमों की अनदेखी कर के कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत रायबरेली द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय ₹0

42591294.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ०प्र० शासन के संज्ञान में लाया जाता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्र० सं०	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि
1.	परसीपुर में पतौना से रसूलपुर रोड तक इ०लॉ०।	493500.00
2.	कुरौलीदमा के पूरे गुलाब में रामबाबू पासी के दरवाजे से सुनील पासी के दरवाजे तक इ०लॉ०।	305000.00
3.	ताजपुर बेलीगंज रोड से छोटे लाल मौर्या के दरवाजे तक इ०लॉ०।	494900.00
4.	ओनाई जंगल में मंजू प्रधान के घर से पक्की रोड तक इ०लॉ०।	319000.00
5.	पूरे मिया मा० बघेल में अतीक के दरवाजे से खड़ंगा तक इ०लॉ०।	499900.00
6.	अम्बारामथई में पूरे दिखलन सड़क से वीरेन्द्र सिंह के दरवाजे की ओर इ०लॉ० कार्य।	484090
7.	वासीपरान के अधरपुर किशुनपुर रोड से राम किशुन के घर तक इ०लॉ० कार्य।	144960.00
8.	बरस बाजार में चबूतरा एवं इ०लॉ० कार्य।	446460.00
9.	ग्राम उबरनी में उबरनी रोड से राम प्रसाद मौर्य के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	295530.00
10.	गोंदवारा में नजीर के दरवाजे से अयोध्या रैदास के दरवाजे तक इ०लॉ०।	180000.00
11.	प्रयाग के सुल्तानपुर में पक्की सड़क से करन सिंह के घर तक इ०लॉ०।	304450.00
12.	रसूलपुर घुरांव में शिवदास पासी के दरवाजे से रसूलपुर बाजार की ओर इ०लॉ०।	497066.00
13.	अलीपुर में सुतान गुप्ता के घर से नरेश लोदी के घर तक इ०लॉ०।	60665.00
14.	एकौना में मेररोड से अरुण पं० के दरवाजे होते हुए भोले बाबा मंदिर तक इ०लॉ० का कार्य।	494100.00
15.	अशरफपुर के मवैया में सी०सी० रोड से नसीर के घर की ओर इ०लॉ०।	374800.00
16.	चकैया अन्दावां में श्री राम पासी के घर से राम सजीवन के घर तक इ०लॉ०।	495200.00
17.	खलीलपुर की भीमगंज में प्राथमिक विद्यालय से गंगा प्रसाद के घर की ओर इ०लॉ०।	293620.00
18.	ग्राम सभा रामचंद्रपुर लाला सेठ के दरवाजे से पक्की सड़क तक इ०लॉ०।	480600.00
19.	ग्राम सभा गहरौली में पक्की सड़क से नरेन्द्र सिंह के घर तक इ०लॉ० कार्य।	496300.00
20.	ग्राम सभा उमरौला में रामप्यारे के दरवाजे से बड़ाकुआपूरे बाबा साहब इ०लॉ० कार्य।	989900.00
21.	फतेहपुर मोलिया सरॉय मो० शरीफ में मेनरोड से पंचायत भवन तक इ०लॉ० कार्य।	591000.00
22.	ग्राम राघव में अमरनाथ के दरवाजे से छोटे घर की ओर इ०लॉ० कार्य।	245300.00
23.	पूरेडिटी मा० बहापुर नगर में रामबाबू के घर से जगदीश के घर तक इ०लॉ० कार्य।	227700.00
24.	दिवतनखेड़ा कामरती से गणेश सिंह के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	52290.00
25.	ग्राम जमेड़ी में संजू शुक्ला के घर से गोविन्द अग्निहोत्री के घर तक इ०लॉ० कार्य।	488900.00
26.	ग्राम मकादिदौली में बाबूगंज पहेरवा मार्ग के दिदौली में मानसिंह से हनुमान मंदिर तक इ०लॉ० कार्य।	497600.00
27.	ग्राम सभा हरदी दीगर में पम्पी सुरसों इन्द्रजीत के घर की ओर इ०लॉ० कार्य।	439400.00
28.	ग्राम सिद्धौर में रामपाल के दरवाजे से सुरेन्द्र सिंह के घर तक इ०लॉ० कार्य।	381200.00
29.	महराजगंज गेस्टहाऊस निर्माणाधीन बारात घर के सामने इ०लॉ० कार्य।	176700.00
30.	ग्राम सभा किठौली राकेश मौर्या के मार्ग से डामर रोड तक इ०लॉ० कार्य।	999500.00
31.	जहानमऊ में श्रीराम पासी के घर से हरिश्चन्द्र पासी के घर तक इ०लॉ० कार्य।	699760.00
32.	ग्राम सभा धितौता में पुरुषोत्तम वाजपेयी की दुकान से राम नरेश मौर्य के घर की ओर इ०लॉ० कार्य।	377500.00
33.	पूरेनन्दा दिदौली में नहर पुलिया से अतुल के घर होते हुए बाघ बिहारी के घर तक इ०लॉ० कार्य।	498100.00
34.	सिधापुर मटौली में राजेन्द्र के घर से तुलसी के घर तक इ०लॉ० कार्य।	302700.00
35.	फतेहपुर मोहलिया सरॉय मो० शरीफ में मेन रोड से पंचायत भवन तक इ०लॉ० कार्य।	378800.00
36.	परसीपुर में पतौरा से रसूलपुर रोड तक इ०लॉ० कार्य।	494300.00
37.	गंगौली के महिमापुर पक्की सड़क से अनिल यादव के घर से होते भगौती निर्मल के घर तक इ०लॉ० कार्य।	965300.00
38.	पट्टीरहस कैथवल में मोती मौर्य के सामने से छोटे शर्मा के घर होते हुए सड़क तक इ०लॉ० कार्य।	497800.00
39.	तकियानाथ हरेमऊलिक मार्ग से देवराज के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	984500.00
40.	वसाअली रसूलपुर में राम औतार के दरवाजे से धर्मराज के दरवाजे के आगे तक इ०लॉ० कार्य।	420200.00
41.	ग्राम पारी के कछवाहन के पुरवा में इ०लॉ० कार्य।	103205.00

42.	पूरैवैशन का नन्दौरा में सुरेश सिंह के दरवाजे से होते हुए सन्तलाल पासी के घर तक इ०लॉ० कार्य।	919968.00
43.	प्रेमराजपुर में भगौती पासी के दरवाजे से गंगा प्रसाद वर्मा के घर तक इ०लॉ० कार्य।	984700.00
44.	कजियाना में राजेश के दरवाजे से शिवराम के घर तक इ०लॉ० कार्य।	238000.00
45.	खागीपुर सड़वाचौरा से पूरे पण्डित की ओर इ०लॉ० कार्य।	986590.00
46.	सिंघापुर भटौली में राजदेव यादव के घर से तुलसी के घर तक इ०लॉ० कार्य।	691000.00
47.	घुरवारा में चन्द्रकिशोर के दरवाजे से कमलेश पासी के घर तक इ०लॉ० कार्य।	799780.00
48.	गोविन्दपुर माधव में पक्की सड़क से शिवकंठ के दरवाजे से होते हुए भोले बाबा तक इ०लॉ० कार्य।	997590.00
49.	गहरौली में पक्की सड़क से नागेन्द्र सिंह के घर तक इ०लॉ० कार्य।	102600.00
50.	पुरवारा में राजकुमार सरोज के होटल से राम गरीब के घर तक इ०लॉ० कार्य।	485300.00
51.	आलमपुर में मुकेशपाल के दरवाजे से वृजेश रैदास के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	798400.00
52.	शिवकुमार मास्टर के दरवाजे से जागेश्वर के घर से होते हुए गोकर्न दीक्षित के घर की ओर इ०लॉ० कार्य।	981800.00
53.	हरिदासपुर में अवशेष इ०लॉ० कार्य।	386600.00
54.	खैरहना के सिंधाराम पुरवा में राम लखन के दरवाजे से रामदेव के घर तक इ०लॉ० कार्य।	812800.00
55.	दाऊद नगर में सुल्तानपुर रोड से गुरु प्रसाद के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	498100.00
56.	रूपा मऊ में प्रमोद गुप्ता के दरवाजे से मेन रोड तक इ०लॉ० कार्य।	997700.00
57.	सरेबच्चू सिंह मा० कोडरस बुजुर्ग में प्रा०पा० से शोभा यादव के घर तक इ०लॉ० कार्य।	397400.00
58.	समरहदा गांव में पूरे ओली मेन रोड से श्याम लाल के घर से होते हुए मेन रोड तक इ०लॉ० कार्य।	977700.00
59.	सेमरा में कल्लू गौतम के घर से भरत यादव के घर तक इ०लॉ० कार्य।	996300.00
60.	पूरे विपेनल मा० सलीमपुर सीकी सन्तराम के दरवाजे से नहर पुलिया तक इ०लॉ० कार्य।	999200.00
61.	सुल्तानपुर आइमा डामर रोड से सुनील चौरसिया के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	348500.00
62.	बहेटाकला में डाकखाने के बगल से कन्हई बढई के दरवाजे की ओर इ०लॉ० कार्य।	826700.00
63.	कजिपुरवा में राजेश कुमार के दरवाजे से शिवराम के घर तक इ०लॉ० कार्य।	759000.00
64.	विन्नांवा में इच्छा सिंह के पुरवा से सुरेन्द्र सिंह के घर की ओर इ०लॉ० कार्य।	975900.00
65.	विश्वनाथगंज से पूरेसरदार सिंह गांव तक इ०लॉ० कार्य।	987390.00
66.	बेहतकला में डाकखाने के बगल से कन्हई बढई के दरवाजे की ओर इ०लॉ० कार्य।	127500.00
67.	धोबहा में नीथ सिंह के दरवाजे से राजेन्द्र पाल के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	798900.00
68.	हमीर गांव के पूरे सेवक बसन्त के दरवाजे से श्रीपाल के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	712900.00
69.	खैरहना के सिंधराव के पुरवा में राम लखन के दरवाजे से राम देव के घर तक इ०लॉ० कार्य।	171100.00
70.	बमनपुर में कृष्णलाल जयसवाल के दरवाजे से रंजना चौधरी के दरवाजे होते हुए देवन सरोज के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	657900.00
71.	कानपुर जँचाहार हाइवे से रज्जन मिश्रा ईश्वरदासपुर के घर तक इ०लॉ० कार्य।	324100.00
72.	पूरे बच्चू सिंह कोडरस बुजुर्ग से प्रा०पा० के पास से शोभा यादव के दरवाजे तक इ०लॉ० कार्य।	561100.00
73.	मोगंवा में रामगंज बाजार से पूरे अन्तू का पुरवा तक इ०लॉ० कार्य।	997800.00
74.	रूस्तमपुर के दरवापुर से नहर पुल तक इ०लॉ० कार्य।	986580.00
75.	बमनपुर में कृष्णलाल जयसवाल के दरवाजे से रंजना चौधरी के दरवाजे से होते हुए देवन सरोज के घर की ओर इ०लॉ० कार्य।	333500.00
76.	नरेशुवा बॉर्डर इ०लॉ० कार्य।	999100.00
	कुल घनराशि	4,25,91,294.00

प्रस्तर- 20

सम्पत्ति एवं विभव कर जिला पंचायत की आय का प्रमुख राजस्व स्रोत है जिसकी बकाया में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसकी वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। इकाई द्वारा लेखा परीक्षा में सुलभ कराई गयी कर निर्धारण सूची एवं सम्बन्धित पटल सहायकों से प्राप्त प्रपत्र सं०-23 से प्राप्त सूचना के आधार पर, रायबरेली स्थित 18 विकासखण्डों में से, मात्र 9 विकासखण्डों के मांग के सापेक्ष वर्ष 2020-21 की सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली एवं बकाया की धनराशि की गणना के आधार पर संस्था को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति का विवरण निम्न रहा—

क्र०सं०	विकासखण्ड का नाम	2019-20 का बकाया	2020-21 की मांग	कुल मांग के सापेक्ष वसूली	31.03.2021 को वसूली योग्य बकाया कर
1.	डीह	241940.00	459530.00	46190.00	655280.00
	ईट भट्टे (17) / 6000.00	60000.00	102000.00	30000.00	132000.00
2.	सरैनी	2557736.00	1080380.00	146260.00	3491856.00
	ईट भट्टे (17) / 6000.00	—	102000.00	18000.00	84000.00
3.	अमावाँ	1480270.00	416870.00	2070.00	1895070.00
	ईट भट्टे (15) / 6000.00	361000.00	90000.00	—	451000.00
4.	महाराजगंज	1614985.00	332180.00	47370.00	1899795.00
	ईट भट्टे (12) / 6000.00	242000.00	72000.00	6000.00	308000.00
5.	हरचंदपुर	4054285.00	564160.00	2670.00	4615775.00
	ईट भट्टे (24) / 6000.00	701500	144000.00	—	845500.00
6.	छतोह	707211.00	267970.00	10200.00	964981.00
	ईट भट्टे (20) / 6000.00	444000.00	120000.00	—	564000.00
7.	खीरो	639875.00	656335.00	14280.00	1281930.00
	ईट भट्टे (25) / 6000.00	114000.00	150000.00	—	264000.00
8.	जगतपुर	—	379420.00	—	379420.00
	ईट भट्टे (07) / 6000.00	—	42000.00	—	42000.00
9.	डलमऊ	—	508750.00	—	508750.00
	ईट भट्टे (21) / 6000.00	—	126000.00	—	126000.00
योग		1,32,18,802.00	56,13,595.00	3,23,040.00	1,85,09,357.00

इस प्रकार उपर्युक्त मात्र 9 विकासखण्डों की बकाया एवं वर्ष की मांग एवं कुल मांग के सापेक्ष वसूली के बाद 31.03.2021 को ₹0 1,85,09,357.00 बकाया रहा। बकाया ₹0 1,32,18,802.00 एवं वर्ष की मांग 56,13,595.00 के सापेक्ष वसूली 1.72 प्रतिशत रही। जबकि मांग के सापेक्ष 5.75 प्रतिशत रही। इस प्रकार सम्पत्ति एवं विभव कर वसूल न किये जाने के कारण संस्था को निजी स्रोत से आय में क्षति हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच दुरभि सन्धि के तहत निज हित में संस्था की घोर उपेक्षा की जा रही है। इसके लिए सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ-साथ संस्था के कर अधिकारी एवं तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 21 जिला पंचायत रायबरेली के समीक्ष्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त एवं 15वें वित्त आयोग से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु टेंडर फार्मों की विक्री की गयी। इकाई के मौद्रिक पंजी (प्रपत्र सं० 39) के पेज 86 एवं पेज 92 पर निम्न विवरणानुसार निविदा प्रपत्रों की विक्री की गयी।

दिनांक	प्रा० निविदा प्रपत्रों की संख्या	पेज संख्या	विक्री दिनांक	मूल्य दर	विक्री प्रपत्रों की संख्या	कुल विक्री धनराशि
01.04.2020	1145	86	21.09.2020	500	174	87000.00
			28.09.2020	500	626	313000.00
01.04.2020	747	92	01.04.2020	500	746	300000.00
			14.10.2020	500	46	23000.00
कुल योग						723000.00

इस प्रकार निर्माण कार्यों पर टेंडर फार्मों की विक्री से कुल ₹0 723000.00 की धनराशि प्राप्त हुई। इकाई द्वारा विक्री के मूल्य पर 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की दर से ₹0 130140.00 की वसूली नहीं

की गयी। ऐसा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जो नियम विरुद्ध रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री जी०के० सिंह एवं ज्येष्ठ लेखाकार एवं द्वितीय परामर्शदाता उत्तरदायी रहे। राजकीय राजस्व जी०एस०टी० की धनराशि वसूलकर जी०एस०टी० खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 22

(क) आलोच्य वर्ष 2020-21 में गाड़ी यू०पी० 33ए०एक्स०-1378 की लॉगबुक (1) के अनुसार दिनांक 12.10.2020 को 20 ली० डीजल गाड़ी में भराया गया जबकि उक्त तिथि में शिवफिलिंग सेन्टर के बिल नं० 2148 दिनांक 12.10.2020 को (50+20=70 ली०) रु० 71.25 की दर से भुगतान किया गया। इस प्रकार 50 ली० डीजल का मूल्य रु० 3562.50 का अधिक भुगतान तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री जी०के० सिंह द्वारा किया गया। उक्त वसूली का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा

उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(ख) इसी प्रकार गाड़ी यू०पी० 33ए०एक्स०-1378 की लॉगबुक (1) के अनुसार दिनांक 23.12.2020 को गाड़ी में कोई डीजल भरवाना दर्ज नहीं है। जबकि उक्त तिथि में 26.99 ली० डीजल रु० 74.11 की दर से मूल्य रु० 2000.00 का भुगतान तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ए०के०एम०डी०एस० फिलिंग स्टेशन, कनकहा को किया गया है। उक्त वसूली का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 23

आलोच्य वर्ष 2020-21 में गाड़ियों के लॉगबुक की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कार द्वारा निम्नानुसार किमी० यात्रा तय की गयी-

प्रथम त्रैमास	अप्रैल	मई	जून	कुल योग
किमी०	482	2416	245	3446
द्वितीय त्रैमास	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	
किमी०	3725	4793	4337	12855
तृतीय त्रैमास	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	
किमी०	4854	2978	3897	11729
चतुर्थ त्रैमास	जनवरी	फरवरी	मार्च	
किमी०	1202	—	—	1202
			कुल योग	29232 किमी०

उपर्युक्तानुसार प्रतिमाह 2400 किमी० व एक तिमाही में कुल यात्रा 7200 किमी० से अनधिक अर्थात् वर्ष में 28800 किमी० के सापेक्ष 29232 किमी० की यात्रा की गयी जो अनुमत्य से 432 किमी० अधिक है। इस प्रकार / प्रति 10 किमी० प्रति लीटर से 43.20 लीटर डीजल / 71.25 रुपये अर्थात् कुल रु० 3078.00 अधिक खर्च किया गया है। जो शासनादेश संख्या 4908वी/33-2-1976 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 1976 का उल्लंघन था। अतएव उक्त रु० 3078.00 के दुरुपयोग का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 24

जिला पंचायत रायबरेली के भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड (भेल) के सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से सम्बन्धित खाता संख्या 50100023318319, एच०डी०एफ०सी० बैंक रायबरेली से रु० 39,18,374.00 की निकासी कर, धनराशि के अपहरण के सम्बन्ध में-

इकाई द्वारा भेल के सामाजिक उत्तरदायित्व से सम्बन्धित खाता नं० 50100023318319 एच०डी०एफ०सी० बैंकरायबरेली में दिनांक 12.10.2013 को इकाई द्वारा खाता खोला गया था। उक्त खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 23.12.2020 को रु० 3918374.00 बैंक में जमा अवशेष दर्ज था। किन्तु दिनांक 23.12.2020 को ही चेक नं० 010378 द्वारा खाते से क्लीयरिंग के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि की निकासी कर खाते को बंद कर दिया गया। उक्त निकासी को इकाई के वित्तीय वर्ष 2020-21 की कोषबही के आय-व्यय पक्ष में लेखाकार द्वारा कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की गयी। साथ ही उक्त धनराशि संस्था के किसी अन्य खातों में अंतरित नहीं की गयी। उक्त निकासी के सम्बन्ध में वर्तमान लेखाकार से मौखिक एवं पत्र द्वारा पूछताछ की गयी किन्तु उक्त के सम्बन्ध में लेखाकार कुछ भी बताने में असमर्थ रहे।

अतः ऐसी दशा में उक्त धनराशि रु० 39,18,374.00 का इकाई के तत्कालीन अधिकारियों एवं लेखाकार के मिली भगत से धनराशि का अपहरण किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाते हुए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही

अपेक्षित है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह से रु 1306124.66 एवं वित्तीय परामर्शदाता श्रीमती सीमा पाण्डेय से रु 1306124.66 एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा से रु 1306124.66 की वसूली की जानी अपेक्षित है लेखाकार को निकासी के सम्बन्ध में पूछताछ सम्बन्धी पत्र एवं एचडीएफसी बैंक खाते के स्टेटमेंट की छायाप्रति आलेख के साथ संलग्न है।

प्रस्तर- 25

जिला पंचायत के वर्ष 2020-21 के लाइसेन्स शुल्क वसूली की जांच में पाया गया कि लाइसेन्स शुल्क की वसूली हेतु तैयार किये गये उपविधि के अनुसार जिला पंचायत की सीमा की परिधि में आने वाली देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से लाइसेन्स शुल्क अधिरोपित किया जायेगा किन्तु वर्ष 2020-21 में उक्त दुकानों से लाइसेन्स शुल्क वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ही दुकानों की सूची ही उपलब्ध करायी जा सकी। जिला आबकारी अधिकारी रायबरेली से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण परिक्षेत्र में कुल देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों पर लाइसेन्स शुल्क न अधिरोपित करके वर्ष 2020-21 में रु0 628000.00 के राजस्व की हानि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	वर्ष	देशी मदिरा के दुकानों की कुल संख्या	लाइसेन्स शुल्क / 750.00	विदेशी मदिरा एवं बियर के दुकानों की कुल संख्या	लाइसेन्स शुल्क / 1000.00
1	2019-20	240	180000.00	134	134000.00
2	2020-21	240	180000.00	134	134000.00

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में उपर्युक्त पर कुल रु0

628000.00 के राजस्व की हानि हुई है जिसके लिए समस्त राजस्वकर्मी तथा कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 26

निजी स्रोत से आय की रु0 249.53 लाख वसूली अवशेष रहना एवं अभिलेखों का खराब रखरखाव किया जाना- जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र 3 के अनुसार वर्ष 2020-21 में निजी स्रोतों से आय का विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	मदवार विवरण	प्रा०अवशेष	वर्ष की मांग	वर्ष में वसूली	अन्तिम अवशेष	अभ्युक्ति
1	संपत्ति एवं विभव कर	43.72	80.00	38.19	85.53	
2	लाइसेन्स एवं अन्य शुल्क	—	75.00	39.25	35.75	
3	मृत पशु शव निस्तारण	—	20.00	0.19	19.81	
4	सम्पत्ति किराया	—	35.00	12.86	22.14	
5	नौका घाट	—	—	—	—	
6	मेला प्रदर्शनी	—	40.00	—	40.00	
7	हाट बाजार	—	—	—	—	
8	कांजी हाउस	—	0.10	0.00	0.10	
9	कृषि तरुपालन	—	0.20	0.00	0.20	
10	टैक्सी स्टैंड	—	—	—	—	
11	जि०नि० में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज	—	100.00	98.76	1.24	
12	प्रकीर्ण	—	190.00	145.24	44.76	

	योग	43.72	540.30	334.49	249.53	

निजी स्रोत से दर्शित मांग, प्राप्तियां व बकाये की पुष्टि हेतु जिला पंचायत से मदवार मांग बकाया वसूली के मूल अभिलेख की मांग की गयी व साथ ही दर्शित प्राप्तियां अंकन रु0 334.49 लाख (प्रपत्र 3 के अनुसार) को संस्था द्वारा संचालित किस बैंक खाते में जमा किया गया की पुष्टि सम्बन्धित खाते के स्टेटमेंट से करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही वर्षान्त में वसूली हेतु बकाये की दर्शित धनराशि रु0249.53 लाख की पुष्टि एवं गतवर्षों का बकाया मात्र 43.72 लाख ही किस प्रकार सम्भव हुआ, की समीक्षा संस्था द्वारा निर्धारित रजिस्टर तैयार कर पूर्ण न करने, लेखा बन्दी न करने के कारण सम्भव न हो सकी। चिंतनीय है कि एक वर्ष का है। बकाया रुपये 249.53 लाख है तो गत वर्षों का बकाया मात्र रुपये 43.72 लाख दर्शित किया जाना स्थिति को संदिग्ध बनाता है। अभिलेखों को तैयार न करने के पीछे प्रबल सम्भावना है कि धनराशियों की वसूली करके योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समस्त रजिस्ट्रों को पूर्ण कराकर वर्ष वार लेखा बन्दी कराते हुए संगत बैंक स्टेटमेंट की प्रति के साथ आडिट टीम को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है ताकि वास्तविक स्थिति प्रकाश में आ सके। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 की वसूली हेतु बकाया धनराशि रुपये 249.53 लाख को प्रपत्र-03 में तो दर्शित कर दिया गया है किन्तु जानबूझ कर प्रपत्र-ड० दर्शित नहीं किया गया है जो स्पष्ट करता है कि आगामी वर्ष में दर्शित बकाया को मनमाने ढंग से बदलकर संस्था को हानि पहुँचाया जा सके। संस्था में विद्यमान उपरोक्त अनियमितता जिसमें बड़े पैमाने पर गबन / अपहरण की सम्भावना है के लिए कर अधिकारी श्री धनंजय वर्मा एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री जी० के० सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

अग्रेतर जांच में पया गया कि गत वर्ष का बकाया रु0 237.58 लाख था जो बढ़कर रु0 248. 29 हो गया।

प्रस्तर- 27

वर्ष 2020-21 में की लेखा परीक्षा में सम्पत्ति से आय से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न होने का प्रकरण- 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये जिला पंचायत की 96 दुकानों से सम्बन्धित पंजिका की जांच में गत वर्ष के बकाया किराया व वर्ष में अवधारित मांग के सापेक्ष वसूल व 31.03.2020 में वसूली हेतु बकाये की स्थिति निम्नानुसार रही-

क्र 0 सं०	स्थान जहां दुकाने स्थित हैं	कुल दुकानों की संख्या	बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष में वसूली	31.03.2020 में वसूली हेतु बकाया
1	सिविल लाइन्स	52	879000.00	706800.00	337800.00	1248000.00
2	महाराजगंज प्रा०पा० परिसर	21	133600.00	96000.00	49200.00	180400.00
3	महाराजगंज पौण्ड परिसर	23	255734.00	130800.00	अज्ञात	261434.00
		96	1274034.00	933600.00	387000.00	1820634.00

2019-20 को सम्पत्ति से आय का आधार मानते हुए 2020-21 में निम्न विवरणानुसार बकाया एवं वर्ष की माँग एवं वसूली हेतु बकाया की धनराशि निम्नलिखित रही। आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

इस प्रकार जिला पंचायत की दुकानों की वर्ष 2020-21 की मांग रु0 1820634.00 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में वसूली अज्ञात रही। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में मांग के सापेक्ष वसूली न करके जिला पंचायत की क्षति की गयी है जिसके

लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 28

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत के माह मार्च के मासिक लेखा प्रपत्र-ड० के अनुसार प्राप्त राजकीय अनुदानों एवं विधायक निधि से जनपद के सीमान्तर्गत निर्माण कार्यों पर रुपये 29,25,47,589.00 के कार्य कराये गये हैं जिन पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं-

1-जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़को द्वारा जोड़ना उनका अनुरक्षण वा अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों का कराना है ना कि गाँव में अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्रीवाल, बारातघर, नाली, खड़जा, सी.सी. कार्यों आदि निर्माण कराना ये सभी कार्य ग्राम पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों के अन्तर्गत आते हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 सेक्शन 33 (II) में किया गया है। साथ ही शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 द्वारा भी कार्यों को कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है ना कि जिला पंचायत को। शासनादेश संख्या 8307/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 12.जनवरी 2005 तथा शासनादेश संख्या-5/866/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 24. जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार- तीनों स्तर की पंचायत (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) सब्सिडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें। अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाये तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य ना कराया जाये इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निहित मार्गदर्शी प्रस्तर 3 व 4 के अनुसार "जिला पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मतों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये। निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यों का चयन करेंगी तथा मात्र अध्यक्ष य चन्द सदस्यों के विवेक पर मामला नहीं छोड़ा जायेगा।"

II- जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा पी०डब्ल्यू०डी०, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आर०३०एस० तथा मण्डी परिषद आदि को इस आशय की अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नहीं करा लिया गया है या कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार बिना आपत्ति प्राप्त किये दर्शित निर्माण कार्य से डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

III- जिला पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अभियन्ता से पी०सी०आर० (प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) प्राप्त नहीं की गई है।

IV- निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत किसका स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि सृजित सम्पत्ति न तो परिसंपत्ति पंजिका में अंकित कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहें और न ही किसी को हस्तान्तरित की गयी है, ऐसी स्थिति में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निर्माण कार्य वास्तविक रूप से न होकर सिर्फ पत्रावलियों/ कागजों में ही सीमित हो। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है कि विभागीय स्तर पर सृजित सम्पत्ति के सृजन के पश्चात् परिसंपत्ति पंजिका में अंकन और सम्पत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षित कार्यवाही की जांच कर अपने स्तर से संतुष्ट हो ले अन्यथा की दशा में निर्माण कार्य को काल्पनिक मानते हुए जांचोपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जाय।

V- शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, इसके अनुसार 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में यह निर्देश दिये गये हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम०एम०-11 के आधार पर परिवहन किये गये हैं। आगे शासनादेश सं०-2799/86-2016-292/2015 दिनांक-12/09/2016 के

अनुसार वैध फार्म 3 सी० प्रस्तुत नहीं किया तो ऐसे मामलों जिनमें एम०एम०-11/फार्म 3 सी० प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाये।

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय रु०- 29.25 करोड़ से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही निर्माण कार्यों पर किये गये भुगतान के समय की गयी कटौतियों का विवरण यथा टी०डी०एस०, जी०एस०टी०, सेस, रायल्टी आदि का विवरण उपलब्ध कराते हुए संगत विभागों में जमा की पुष्टि के प्रपत्र उपलब्ध कराये गये जिस कारण दर्शित व्यय रु०-29.25 करोड़ की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। समस्त निर्माण पत्रावलियाँ, कटौतियों का विवरण एवं उसके जमा की पुष्टि में चेक निर्गत रजिस्टर संगत बैंक खातों का स्टेटमेंट व सम्बन्धित विभागों के दाखित रिटर्न / मिलान पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित एवं अनिवार्य है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु० 29,25,47,589.00 के निर्माण कार्य जान बूझकर नियमों की अनदेखी कर के कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत रायबरेली द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय रु० 29,25,47,589.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ०प्र० शासन के संज्ञान में लाया जाता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह से वित्तीय परामर्शदाता श्रीमती सीमा पाण्डेय एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 29 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमवली 1984 के नियम-45 जिला पंचायत स्तर पर क्रय सामग्री के अभिलेखीकृत करने हेतु एक स्टॉक रजिस्टर रखे जाने का प्रावधान करती है। किन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित सामग्री निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी किन्तु उक्त सामग्रियों की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में नहीं की गयी जो कि खरीद प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध है। उक्त अनियमितता प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। किन्तु खरीद किये गये उक्त सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका नहीं की गयी है जो कि खरीद प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध है। उक्त अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। **उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह से एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है**

दिनांक	आकस्मिक बिल संख्या	क्रय की गयी सामग्री	फर्म का नाम	धनराशि
13.01.2021	263	एच०पी० नोटबुक 155डी०वी० 106550, 8 जी०बी० रैम	अफरोज टेक्नोलॉजी	54350.00
05.03.2021	अज्ञात	एच०पी० डेस्कटॉप, प्रिंटर, यू०पी०एस०, कम्प्यूटर टेबल	अफरोज टेक्नोलॉजी	88264.00
				142614.00

प्रस्तर- 30 ईट भट्टों का लाइसेंस रजिस्टर अपूर्ण होने का प्रकरण-

क्र०सं०	विकास खण्ड	कुल भट्टे	अनुज्ञा पत्र जारी	अवशेष
1	राही	36	04	32
2	खीरों	33	08	25
3	सतांव	39	03	36
4	ऊँचाहार	28	03	25
5	रोहनिया	04	01	03
6	लालगंज	24	05	19
7	सरेनी	23	05	18
8	दीनशाह गौरा	14	—	14
9	महराजगंज	13	06	07
10	हरचन्दपुर	21	06	15
11	बछरावाँ	17	05	12
12	छतोह	19	08	11
13	सलोन	26	12	14
14	जगतपुर	08	01	07
15	डलमऊ	26	07	19
16	डीह	18	03	15
17	अमावाँ	13	03	10
18	शिवगढ़	11	06	05
	योग	373	86	287

आलोच्य वर्ष 2020-21 में लाइसेंस रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। नज़ारत अनुभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ईट-भट्टों की सूची व अनुज्ञापत्र जारी व अवशेष के आधार पर अवशेष लाइसेंस शुल्क की वसूली बकाया रही। निम्नानुसार विकास खण्डों में कुल ईट भट्टों की संख्या एवं उनके सापेक्ष उन्हें निर्गत अनुज्ञापत्र व अनुज्ञा हेतु अवशेष भट्टों का विवरण निम्नवत है :-

सम्बंधित विकास खण्डों के समस्त राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा 373 भट्टों में से मात्र 86 ईट भट्टों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। इस प्रकार 287 ईट भट्टों से लाइसेंस शुल्क की वसूली (प्रत्येक ईट भट्टे से ₹0 5,000 की दर से 287 भट्टों का ₹0 14,35,000.00) ₹0 14,35,000.00 न वसूल करके जिला पंचायत की आय को क्षति पहुंचाई गयी है। चूंकि ईट भट्टों से लाइसेंस शुल्क की वसूली निजी स्रोतों से आय का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिस ओर विभागीय अधिकारी को ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में ₹0 14,35,000.00 वसूल न करने के लिए तत्कालीन कर अधिकारी एवं सम्बंधित विकास खण्ड के राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक जिला पंचायत की आय प्रभावित करने के लिए

उत्तरदायी रहे। इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। **उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है**

प्रस्तर- 31

उप निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक 614 दिनांक 04.02.2023 के पत्र में उल्लिखित बिन्दु द्वारा जिला पंचायत से जमानत मद में दर्शित आय रुपये 85.44 लाख एवं दर्शित जमानत राशि अंकन रुपये 3.02 करोड़ (प्रपत्र-ड०) के अनुसार की पुष्टि हेतु जमानत रजिस्टर, जमानत प्राप्ति का स्वरूप एवं रखरखाव किस रूप में किस के पास किया गया की स्थिति स्पष्ट करते हुए कैशबुक, सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, जमानत रजिस्टर एवं जमानत वापसी से सम्बन्धित कराये गये कार्यों की निर्माण पत्रावलियों उपलब्ध कराने हेतु अपर मुख्य अधिकारी को लिखा गया था किन्तु आतिथि अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जो जमानत वापसी के रूप में दर्शित रुपये 3.02 करोड़ की स्थिति संदिग्ध है। अविलम्ब उपरोक्त अभिलेखों को उपलब्ध कराकर अंकन रुपये 3.02 करोड़ की पुष्टि संस्था के हित में कराया जाना अनिवार्य है। उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जी के सिंह से एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

जिला पंचायत सीतापुर - वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

प्रस्तर संख्या- 1 कांजी हाउस(पौण्ड) पशुबाजार दुकान किया मृत पशु शव निस्तारण एवं नौका घाट के अभिलेखों के अनुसार मांग वसूली एवं वर्षान्त में शेष तथा उक्त मदों में लेखा प्रपत्र-3 के दर्शित धनराशि में अन्तर की स्थिति है कि निम्न प्रकार हैं-

क्रमांक	मद का विवरण	लेखा प्रपत्र-3 के अनुसार			अभिलेखों के अनुसार		
		मांग	वसूली	भोश	मांग	वसूली	भोश
01	कांजी हाउस	3.05	2.82	0.23	2.31	2.06	0.25
02	पशु बाजार	24.34	6.62	17.72	37.99	20.26	17.73
03	दुकान किराया	37.14	18.71	18.43	36.95	13.18	23.77
04	मृत पशु निस्तारण	27.93	5.35	22.58	36.99	5.74	31.25
05	नौका घाट	08.55	3.18	3.37	5.18	4.84	0.34
		101.01	38.68	62.33	119.42	46.08	73.34

जिला पंचायत सीतापुर के वर्ष 2018-19 के लेखा प्रपत्र-3 के अनुसार कांजी हाउस पशु बाजार दुकान किराया, मृत पशु निस्तारण एवं नौका घाट की कुल मांग 101.01 लाख के सापेक्ष कुल वसूली ₹0 38.68 लाख एवं वर्षान्त में शेष ₹0 62.33 लाख दर्शित है जबकि उपरोक्त शीर्षों में संस्था के अभिलेखों/रजिस्ट्रों के अनुसार कुल मांग ₹0 119.42 के सापेक्ष वसूली ₹0 46.08 एवं वर्षान्त में शेष ₹0 73.34 लाख दर्शायी गई हैं। अभिलेखों के अनुसार वर्षान्त में शेष ₹0 73.34 लाख की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही न करके गम्भीर अनियमितता की गई हैं जिसके लिये संस्था के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तत्कालीन कर अधिकारी, लेखाकार एवं पटल प्रभारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत -उन्नाव
वार्षिक प्रतिवेदन -2020-21

प्रस्तर-1

सम्पत्ति व विभव कर से प्राप्त आय से जनपद की ग्राम पंचायतों की निधियों में धारा 141 के अनुसार धनराशि स्थानान्तरित न करना। कुल रुपया 3039600-00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-2

मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय का आधा भाग जनपद की ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित न करना। कुल रुपया 53250-00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-3

ईट भट्टा लाइसेंस / नवीनीकरण उप विधि व्यवस्थानुसार बिलम्ब शुल्क की वसूली न करके क्षति कुल रुपया 5400-00 की वसूली संबंधित क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-4

प्रपत्र 5 की धनराशि को जिला निधि में कम से कोषापूर्णा करना कुल रुपया 160-00 की वसूली श्री संतोष कुमार सैनी राजस्व निरीक्षक से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-5

प्रपत्र 5 की धनराशि को जिला निधि में कम से कोषापूर्णा करना कुल रुपया 1020-00 की वसूली श्री रोहित त्रिपाठी सहायक राजस्व निरीक्षक से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-6

प्रपत्र 5 की धनराशि को जिला निधि में कम से कोषापूर्णा करना कुल रुपया 1110-00 की वसूली श्री अजमल अंसारी सहायक राजस्व निरीक्षक से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-7

प्रपत्र 5 की धनराशि को जिला निधि में कम से कोषापूर्णा करना कुल रुपया 1160-00 की वसूली श्री सुरेश कुमार सहायक राजस्व निरीक्षक से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8

आपत्ति में निम्न अंकित विवरणानुसार आबकारी दुकानों के लाइसेंस निर्गत नहीं किये जाने के कारण जिला पंचायत की वर्ष की आय कम से प्रभावित हुयी कुल रुपया 191000-00 की वसूली तत्कालीन अपर अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक से की जानी अपेक्षित है ।

शासनादेश सं0-1962/21ए-15 (2016-17) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 143 के साथ पठित धारा-145 एवं 239 (2) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों को नियमित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधि की धारा 2 अद्यतन संशोधित/संवर्धन के अनुसार धारा-2 लाइसेंस निर्गमन का दायित्व कार्य/कर अधिकारी व राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020-21 में जि0पं0 उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नांकित आबकारी व्यवसायियों/दुकानों का लाइसेन्स निर्गत नहीं पाये गये जिस से जिला पंचायत की आय (कम से) प्रभावित रही।

उपरोक्त सूची में दुकानों के निम्नानुसार कम आय हुयी

क्र०स०	विवरण	संख्या	ला० शुल्क दर	धनराशि
1	देशी शराब दुकान	88	1500.00	132000.00
2	विदेश शराब दुकान	20	2000.00	40000.00
3	बियर दुकान	19	1000.00	19000.00
			योग	191000.00

प्रारूप-02

जनपद का नाम- बागपत

मण्डल का नाम- मेरठ

जिला पंचायत बागपत की वर्ष 2017-18 से संबंधित आपतियां

प्रस्तर संख्या-01-- आलोच्य वर्ष 2017-18 के मृत पशु शव निस्तारण पंजिका की जांच में पाया गया कि 30.03.2018 को मुर्दा मवेशी ठेकों का बकाया रुपये 1679483.00 रहा किन्तु उक्त बकाये की वसूली हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने से अनियमित रूप से रुपये 1679483.00 की धनराशि बकाया हो गयी है। उक्त बकाया धनराशि रुपये 1679483.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

मुर्दा मवेशी ठेको का अवशेष विवर

क्रमांक	मृत पशु शव निस्तारण वर्ष	ठेकेदार का नाम	बकाया धनराशि
1	2015-16	श्री शीशपाल सभापति मै० पशु शवच्छेदन एवं चर्म शोधन	15000.00
2	2002-03	श्री अजब सिंह पुत्र श्री हिशाल सिंह निवासी सिनौली	79100.00
3	2002-03	श्री हरि सिंह पुत्र श्री सगुआ सिंह, निवासी सिनौली	62000.00
4	2002-03	श्री सुरजन पुत्र ताराचन्द, निवासी अमिनगर सराय	34000.00
5	2002-03	सभापति श्री विरेन्द्र पुत्र कबूल मै० पशु शवच्छेदन एवं चर्म शोधन और उत्पादन सह०स०लि० काठा	253773.00
6	2002-03	श्री श्रीपाल पुत्र श्री कबुल निवासी रेलवे स्टेशन के पास खेकड़ा	90000.00
7	2002-03	श्री मनोज पुत्र श्री दुल्लन निवासी ढिकौली	62200.00
8	2004-05	श्री हरलाल पुत्र श्री रिच्छा सभापति मै० पशु शवच्छेदन	86410.00
9	2004-05	श्री संजय पुत्र श्री मनवीर सिंह निवासी ढिकौली	77800.00
10	2005-06	श्री शोराज पुत्र श्री दोलतराम निवासी ढिकौली	71100.00
11	2005-06	श्री शोराज पुत्र श्री दोलतराम निवासी ढिकौली	25500.00
12	2007-08	श्री जीत सिंह पुत्र श्री जोगराज निवासी दारा	21000.00
13	2007-08	श्री सीमर दास पुत्र श्री हीरा सिंह सभापति कासिमपुर खेडी	22000.00
14	2007-08	श्री कवल सिंह पुत्र श्री नन्दु निवासी आदर्श नंगला	53000.00
15	2007-08	श्री शंकर पुत्र श्री खजान निवासी काठा	36000.00
16	2007-08	श्री राज सिंह सभापति निवासी झुण्डपुर	36600.00
17	2007-08	श्री प्रवेन्द्र व जीत सिंह पुत्र श्री जग्गु निवासी दाहा	21500.00
18	2007-08	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री दोलतराम निवासी ढिकौली	54000.00
19	2008-09	श्री हरलाल पुत्र श्री रिच्छा सभापति सिनौली	154000.00
20	2008-09	श्री अजय कुमार पुत्र श्री नौरंग सभापति बड़ा गांव	154000.00
21	2008-09	श्री विनोद पुत्र श्री करतोर निवासी काठा	40000.00
22	2008-09	श्री गोविन्द पुत्र श्री कालू निवासी ढूकाली	16500.00

23	2008-09 श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री सतपाल निवासी गुलमान	40000.00
24	2008-09 श्री बाबूराम पुत्र श्री कलीराम निवासी पलडी	31000.00
25	2008-09 श्री पाला पुत्र गुदड सभापति निवासी सिरसली	93000.00
26	2008-09 श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री महाबीर निवासी वाजीपुर	10000.00
27	2016-17 सभापति श्री धर्मवीर मै0ओ0स0स0लि0 गांधी	55000.00

योग

1694483.00

जिसमें दिनांक 18.04.2017 को रसीद संख्या 793886 से 15000.00 रु० की वसूली की गयी है। अतः शेष 1679483.00 जो उपरोक्तानुसार काफी समय से बकाया चला आ रहा है। जिसकी वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त अनियमितता के लिए श्री प्रदीप कुमार सक्सैना (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री जितेन्द्र कुमार ढाका (कर अधिकारी) उत्तरदायी है।

(मूल आपति संख्या - 02)

प्रस्तर संख्या-02-- आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व ग्राम पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या दो में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव आमंत्रित करेगी, जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभ हो सके। जिला पंचायत ऐसे किसी गांव के अंदर इस घर से उस घर तक सड़कों का निर्माण नहीं करा सकती है, यह काम ग्राम पंचायतों का है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत द्वारा बस्ती में निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में संबंधित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। विवरण निम्न है-

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान वर्ष	व्यय	लाख
रूपये में				
01	घिटोरा में भगत जी वाले रास्ते पर इंटरलॉक	2017-185.00		
02	तुगाना में नरेन्द्र भोपाल मकान से इंटरलॉक	2017-181.36		
03	निवाडा में मस्जिद वाले रास्ते पर इंटरलॉक	2017-184.15		
04	गोठरा में विभिन्न गलियों में इंटरलॉक	2017-185.92		
05	घिटोरा में शिव मंदिर से इंटरलॉक	2017-180.50		
06	बागपत रोड पर ग्रीन सिटी से आगे मि०/खडंजा नि०	2017-182.71		
07	जिवाना गुलियान में सहायक गलियों में इंटरलॉक	2017-187.27		
08	जोहडी में हरिश पंडित वाले रास्ते में इंटरलॉक	2017-181.49		
09	झूडा हेडा में विभिन्न गलियों में इंटरलॉक	2017-181.07		
10	मालीगढी में मा० विमल के मकान से इंटरलॉक	2017-181.53		
11	ढिकोली में विभिन्न गलियों में इंटरलॉक	2017-180.85		
12	हिसावदा में विभिन्न गलियों में इंटरलॉक	2017-181.78		
13	चिरचिटा में सुंदर ढाका के मकान से इंटरलॉक	2017-180.77		
14	हेडा में सूरजपाल के मकान से इंटरलॉक	2017-181.49		
15	सिंघावली में विभिन्न गलियों में इंटरलॉक	2017-180.72		
16	पाबला में ट्रांसफार्मर वाले रास्ते पर इंटरलॉक	2017-181.12		
17	सोनीपत रोड पर नंदन कानन पार्क में इंटरलॉक	2017-189.85		
18	पाबला में वाल्मिकी बस्ती से इंटरलॉक	2017-180.90		
19	चोपडा में मुस्लिम बस्ती में इंटरलॉक	2017-180.95		

20	पिलाना में विभिन्न गलियों में इंटरलॉक	2017-180.84
21	निरपुडा में तेजपाल कश्यप के मकान से इंटरलॉक	2017-181.02
22	बडका हरिजन बस्ती से इंटरलॉक	2017-181.96
23	रामनगर में राजेंद्र के मकान/सहायक गलियों में इंटरलॉक	2017-180.79
24	मतानत नगर में ईश्वर प्रधान के खेत में मि0/खडंजा	2017-186.69
25	बाखरपुर बालैनी में शयशरण इंटरलॉक	2017-188.80
26	घटौली में हरिशचंद वाली गली में अवशेष इंटरलॉक	2017-181.58
27	ढिकौली में भूपेंद्र ढाका रास्ते इंटरलॉक	2017-1813.18
28	मुकारी में पंचायत घर से नूर मुहम्मद इंटरलॉक	2017-187.40
29	पावला में पंडित वाली मुख्य गली एवं सहायक गली इंटरलॉक	2017-189.18
30	अहमदनगर में हरिशचंद मकान से इंटरलॉक	2017-188.00
31	पांची में अशोक फौजी गली व सहायक गली में इंटरलॉक	2017-182.84
32	भगोट कर्मवीर मकान से शमशान घाट की ओर	2017-184.93
33	डगरपुर में शिव मंदिर से गांधी इंटरलॉक	2017-1812.15
34	फतेहपुर में संजय शर्मा घर से शमशान की ओर इंटरलॉक	2017-186.60
35	नंगला में रोशन के मकान से शिव मंदिर इंटरलॉक	2017-186.88
36	पलडा में मदरसे वाले रास्ते पर इंटरलॉक	2017-183.90
37	पलडा में मस्जिद वाली गली में इंटरलॉक	2017-185.29
38	फिरोजपुर में राजेंद्र क्रान्ति इंटरलॉक	2017-184.18
39	चमरावल में पंकज विक्रम से क्रान्ति पंडित तक इंटरलॉक	2017-184.70
40	पाली में सलेक के घर से इंटरलॉक	2017-188.50
41	गढी कलंजरी में मिंटू रूपराम से इंटरलॉक	2017-183.78
42	गौसपुर में ब्राह्मणों व कश्यपों वाली गली में इंटरलॉक	2017-184.30
43	बन्दपुर में विकास तिलकराम झीमर इंटरलॉक	2017-183.50
44	बाजिदपुर में हरिजन बस्ती में सामुदायिक केंद्र	2017-183.95
45	दाहा में मैनरोड से विनोद के मकान तक रास्ते इंटरलॉक	2017-182.00
46	कुर्डी में प्रथक-2 गलियों इंटरलॉक	2017-182.55
47	निरोजपुर एम्मा में रामकिशन घर से इंटरलॉक	2017-181.74
48	भगोट में धर्मपाल लम्बरदार गली इंटरलॉक	2017-181.75
49	तमेला गढी में कश्यपों वाली गली इंटरलॉक	2017-184.68
50	फिरोजपुर में राजेन्द्र क्रान्ति इंटरलॉक	2017-180.58
51	पाली में सलेक के घर से इंटरलॉक	2017-181.50
52	ढिकौली में भूपेंद्र ढाका रास्ते इंटरलॉक	2017-184.82

योग---

203.99

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व जिला पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या तीन के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित होने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी। किन्तु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की सीमा के अंदर कार्य कराकर इस शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की गयी है। उपरोक्त में यह भी गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य है कि निर्माण पत्रावलियों में निम्नलिखित मूलभूत कमियाँ भी प्रकाश में आयी। जो कार्य की प्रमाणिकता को संदिग्ध करती है।

1. निर्माण पत्रावलियों में अभियन्ता व अपर अभियन्ता का निश्चित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. ड्रॉइंग संलग्न नहीं है।
3. साइट प्लान संलग्न नहीं है।
4. पत्रावलियों में अभियन्ता व अपर अभियन्ता की प्रतिवेदन आख्य संलग्न नहीं है।
5. कार्य प्रारम्भ होने की, कार्य के मध्य की तथा कार्य के पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नहीं है।
6. एनालाइसेस ऑफ रेट व आर.एम.आर. संलग्न नहीं है।
7. कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रुपये 203.99 लाख का व्यय अनियमित रहा। जिसके उत्तरदायी जिला पंचायत बागपत के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना तथा अभियन्ता श्री बृजेश कुमार मावी रहे। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 03)

प्रस्तर संख्या-03-- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 682बी/33-314(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी(8)/95टी0सी0 दिनांक 30.05.1987 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु देय है। जिला पंचायत बागपत में इस मद में कुल रुपये 761000.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त आय का 50 प्रतिशत अंश रुपये 380500.00 जिला पंचायत के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायतों को उसी वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया। इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि को रोककर रुपये 380500.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए जिला पंचायत बागपत के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना व वित्तीय परामर्शदाता श्री सुरेन्द्र कुमार देवरा उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 04)

प्रस्तर संख्या-04-- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 के विभव एवं सम्पत्ति कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार अवधारित कर को मुक्त कर दिया गया है। उसका कोई आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न है-

गुड मण्डी की दुकानें

क्रमांक	नाम	धनराशि
1	प्रभुनारायण	1005.00
2	भोल्लर ओमप्रकाश	1005.00
3	लक्ष्मण पुत्र रोहताश	1005.00
4	दाताराम पुत्र प्रमोद कुमार	1005.00

ईट भट्टा की दुकानें

1	मां लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	6000.00
2	श्री महा लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	6000.00
3	आर0बी0एस0 भट्टा	6000.00
4	श्री शिव ब्रिक फील्ड	6000.00
5	श्री ओम भट्टा अद्योग	6000.00
6	श्री दुर्गा ब्रिक फील्ड	6000.00
7	मै0 कलिंगा भट्टा	6000.00
8	श्री ओम ब्रिक फील्ड	6000.00
9	श्री ऊषा भट्टा कम्पनी	6000.00
10	श्री बडौत ब्रिक फील्ड	6000.00

11	देव ब्रिक फील्ड	6000.00
12	श्री राम कृष्ण ब्रिक फील्ड	6000.00
13	श्री वासा श्री ब्रिक फील्ड	6000.00
14	श्री देवेंद्र ब्रिक फील्ड	6000.00
15	श्री टिकाना को दिलेश	6000.00
16	श्री महेश ब्रिक फील्ड	6000.00
17	श्री मान सिंह ब्रिक फील्ड	6000.00
18	श्री प्रकाश ब्रिक फील्ड	6000.00
19	श्री सुशील ब्रिक फील्ड	6000.00
योग----		118020.00

इसके अतिरिक्त अन्य उदहरण भी थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 118020.00 गुड मण्डी एवं ईट भट्टा का माफ कर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना एवं कर निरीक्षक श्री पंकज तोमर का है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपति संख्या - 05)**

प्रस्तर संख्या-05-- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 05.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व अधिशाषी अभियंता द्वारा एवं 10.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यों के अंतिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

1.	भगोट में तालाब से नाला निर्माण	-	12.69 लाख
2.	गौना में परी बाबा वाले रास्ते पर इंटरलॉक	-	11.01 लाख
3.	हिसावदा में कोर वाले रास्ते की मरम्मत	-	13.40 लाख
4.	ढिकाना से लुहारी की ओर	-	12.58 लाख
5.	सुन्हैडा में बसी की ओर पेंटिंग रोड	-	19.09 लाख
6.	डौलचा में मेहरचंद से इंटरलॉक	-	12.00 लाख
7.	डगरपुर में शिव मंदिर से गांधी इंटरलॉक	-	12.15 लाख
कुल-		-	92.92 लाख

उपरोक्त विषयक के अनुसार परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण न कराकर अनियमितता की गयी जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना एवं अभियंता श्री बृजेश कुमार मावी एवं अवर अभियंता श्री रोहित कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति संख्या - 06)**

प्रस्तर संख्या-06-- आलोच्य वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों में व्यय की गयी धनराशि में एक प्रतिशत धनराशि लेबर सैस के मद में वित्त में प्रावधान कर भुगतान कर दिया गया है। जिसकी गणना करने पर ₹0 6.72 लाख रुपये है। जिसका भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली श्री प्रदीप कुमार सक्सेना (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री सुरेन्द्र कुमार देवरा (वित्त अधिकारी) से करायी जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति संख्या - 08)**

प्रस्तर संख्या-07-- आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये विभिन्न कार्यों में 4648 घनमीटर मिटटी भरायी गयी, जिसकी 14 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 65072.00 रुपये रॉयल्टी कर जमा नहीं किया गया, जो गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसकी वसूली श्री प्रदीप कुमार सक्सेना (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री बृजेश कुमार मावी (अभियंता) से करायी जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति संख्या - 09)**

प्रस्तर संख्या-08-- आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न पत्रावलियों की जांच के समय निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गयी सामग्री जैसे- पत्थर, रोडा, डस्ट, सीमेंट आदि की खरीद करते समय ठेकेदार द्वारा एम0एम-11 की रसीदे संलग्न नहीं की गयी, जिनकी धनराशि ₹0 494565.00 होती है। जो गम्भीर अनियमितता दर्शाती है। जिसका उत्तरदायी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना (अपर मुख्य अधिकारी) व सुरेन्द्र कुमार देवरा (वित्त अधिकारी) का है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09-- जिला पंचायत स्तर पर अनुदान संबंधी बैंक खातों पर ब्याज का कोई एकाउंट तैयार नहीं किया गया है। विगत वर्षों तक संबंधित खातों पर कुल 18.18 लाख ₹0 ब्याज प्राप्त हुआ जो अभी तक बैंक खातों में जमा दर्शित है। जिसे नियमानुसार अनुदात कर्ता को वापस किया जाना अपेक्षित है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व श्री प्रदीप कुमार सक्सैना (अपर मुख्य अधिकारी) का है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10-- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभव व सम्पत्ति कर मांग की वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों में विभव व सम्पत्ति कर की मांग व बाकए के सापेक्ष वसूली बहुत कम हुई। इस मुख्य कारण वसूली प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों की उदसीनता व मनमानी पूर्ण कार्यशैली रही है। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष 2017-18 में डिमांड व आर0सी0 की कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे बकाया कर उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। विवरण निम्नवत है-

विकास खण्ड	वर्ष 2017-18 की मांग रुपये में	गत बकाया ₹0	वर्ष में वसूली ₹0	अवशेष ₹0
बागपत	991330.00	5415163.00	1044420.00	5362073.00
बडौत	1184315.00	9645363.00	604885.00	10224793.00
खेकड़ा	899865.00	2518658.00	758415.00	2660108.00
बिनौली	1220885.00	8470433.00	515130.00	9176188.00
पिलाना	679875.00	5328523.00	424550.00	5583848.00
छपरोली	724920.00	4943845.00	482050.00	5186715.00
योग	8701190.00	36321985.00	3829450.00	38193725.00

इस प्रकार वर्ष की कुल मांग रुपये 5701190.00 के सापेक्ष रुपये 3829450.00 की वसूली की गयी जो वर्ष की मांग का 67.15 प्रतिशत है। जबकि गत वर्ष बकाया 36321985.00 रुपये शत प्रतिशत पड़ा रहा, जिसकी वसूली हेतु आलोच्य वर्ष में कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कुल रुपये 38193725.00 अनियमित रूप से बकाया रहा। जिसके मुख्य उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना, वित्त अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार देवरा, कर निरीक्षक श्री लाल सिंह व श्री पंकज तोमर हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या - 26)**

प्रस्तर संख्या-11-- जिला पंचायत बागपत की नौकाघाट नीलामी की विगत वर्षों की बकाया राशि 786000.00 रुपये यथावत पड़ी रही, किन्तु वसूली नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	वर्ष	वर्ष की मांग	बकाया धनराशि	कुल वसूली	शेष धनराशि
1	2000-01	388000.00	40000.00	348000.00	80000.00
2	2001-02	449500.00	-	449500.00	-
3	2002-03	485000.00	10000.00	475000.00	20000.00
4	2003-04	611000.00	140000.00	516000.00	235000.00
5	2004-05	471000.00	31000.00	471000.00	31000.00
6	2005-06	436000.00	70000.00	366000.00	140000.00
7	2006-07	484600.00	71000.00	484600.00	71000.00
8	2007-08	414300.00	95000.00	364300.00	145000.00

9	2008-09	312500.00	64000.00	312500.00	64000.00
10	2009-10	74500.00	-	74500.00	-
11	2010-11	97200.00	-	97200.00	-
12	2011-12	175500.00	-	175500.00	-
13	2012-13	237500.00	-	237500.00	-
14	2013-14	287000.00	-	287000.00	-
15	2014-15	385000.00	-	385000.00	-
16	2015-16	423000.00	-	423000.00	-
17	2016-17	398500.00	-	398500.00	-
18	2017-18-	-	-	-	-
योग--		6130100.00	521000.00	5865100.00	786000.00

शासनादेश संख्या 675/27-2-2017-28 सामान्य/2017 दिनांक 13 जून में वर्णित पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना सं० 3270-33-2-2016-229जी/2016 दिनांक 02.12.2016 के द्वारा सार्वजनिक नौका घाटों को पथकर वसूली को निरस्त किया गया है। परन्तु उपरोक्त वर्षों की शेष धनराशि ₹0 786000.00 की वसूली का कोई प्रयास नहीं किया गया। उक्त अनियमित रूप से बकाया पड़ी धनराशि के उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना व कर निरीक्षक श्री लाल सिंह व पंकज तोमर हैं। उक्त धनराशि ₹0 786000.00 की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 27)

जिला पंचायत, बुलंदशहर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर संख्या 01- प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 682पी/33-3-14(2) दिनांक 10 मार्च 1987, पत्रांक 2203/3-2-797-43 बी (8)95 टी-सी, दिनांक 30-05-1997, पत्रांक 2967/11/32-2- 2002/15 बी/4-02, दिनांक 07.10.2002 एवं पत्रांक 3/138/2004-03/85, दिनांक 13.02. 2004 द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृत पशु शव निस्तारण मद का आधा भाग (50%) जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें। तथा अप्रदत्त बकाया धनराशि का अविलंब भुगतान किया जाए। वर्ष 2020-21 के आंकड़े निम्नवत हैं-

वर्ष 2020-21 - धनराशि 12000.00

इस प्रकार ग्राम पंचायतों को धन हस्तांतरित ना करके जहां एक और शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा बाधा पहुंचाई गई है। अतएव आवश्यक कार्यवाई अपेक्षित है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विद्या शंकर पाण्डे व लेखाकार मनोज कुमार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर संख्या 02 - उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 710 /10 -संवि०मित०-2-97 परिवहन अनुभाग 4, लखनऊ दिनांक 29.05.1999 के अनुपालन में संस्था का वाहन प्रयोग करने वाले अपर मुख्य अधिकारी अपने वेतन से रुपए 800/- प्रतिमाह कटौती करके जिला निधि में जमा करायेंगे। परंतु उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। तदनुसार 800x12 = रुपये 9600.00 जमा ना किया जाना आपतिजनक रहा। अतः ₹ 9600/- की कटौती कर जिला निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विद्या शंकर पाण्डे व लेखाकार मनोज कुमार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर संख्या 03- विवेच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रयुक्त कैशबुक के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 के अंतिम अवशेष की जांच में पाया गया कि दिनांक 31 मार्च 2021 को कैशबुक में विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि का कुल योग रुपये 457863504.07 दर्शित है, जबकि कैश बुक के अनुसार अंतिम अवशेष रुपए 439635746.06 दर्शाया

गया है। इस प्रकार अंतर की धनराशि रूप 18227758.01 आकलित की गई। उक्त अंतर का मौखिक स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण तत्कालीन लेखाकार, अपर मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। अतएव उक्त अंतर का कारण व निवारण वांछनीय है। तत्पश्चात् उत्तरदायित्व निर्धारित कर यथा योग्य कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विद्या शंकर पाण्डे व लेखाकार मनोज कुमार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर संख्या 04- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 119 के अंतर्गत जिला पंचायत, संपत्ति एवं विभव कर, कर योग्य आय को 3% की दर से ऐसे व्यक्तियों पर आरोपित करेंगे व वसूलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या व्यवसाय करते हो। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अभिरोपण, निर्धारण तथा संपत्ति एवं विभव कर का संग्रहण) नियम 1994 के नियम 8 के अनुसार कर अधिकारी, जिला पंचायत में अनुमोदन एवं तत्पश्चात् बिलों को निर्गत किए जाने हेतु प्रत्येक वर्ष एक सूची तैयार करता है।

जिला पंचायत बुलंदशहर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की सी0पी0 टैक्स के अंतर्गत रूप 19.62 लाख की वसूली दर्शित है। प्रपत्र (ड) में शराब की दुकानों से कर वसूली शून्य दर्शित है, जबकि लेखा परीक्षा आकलन (टैक्स जमा रसीदों) के अनुसार रु० 255000/-की वसूली शराब की दुकानों से हुई जो कि अत्यल्प है क्योंकि आबकारी विभाग की स्वीकृत सूची अनुसार 295 दुकाने कार्यरत है। (देशी शराब 156, विदेशी शराब 73 व बीयर की 66) अतः 295x6000 = रु० 1770000/- की कर वसूली संभव थी। अर्थात् रु० 1515000 की कम वसूली की गयी। अतः इस प्रति विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्ड वार मांग व वसूली रजिस्टर कर अनुभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जिस हेतु कर अधिकारी श्री धनंजय सोम व पटल सहायक उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर संख्या 05- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 119 के अन्तर्गत जिला पंचायतें, सम्पत्ति एवं विभव कर, एवं करयोग्य आय को तीन प्रतिशत की दर से ऐसे व्यक्तियों पर आरोपित करेंगे व वसूलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते या व्यवसाय करते हों। उ0प्र0 जिला पंचायत (अभिरोपण, निर्धारण तथा सम्पत्ति एवं विभव कर का संग्रहण नियम 1994 के नियम 8 के अनुसार कर अधिकारी, जिला पंचायत में अनुमोदन एवं तत्पश्चात् बिलों को निर्गत किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष एक सूची तैयार करता है। जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात् तसंबंधित व्यक्ति को अपील दाखिल करने के लिये एक माह का नोटिस जारी किया जाये, यदि कोई हो। लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत में सम्पत्ति एवं विभव कर लागू कर सही तरीके से वसूल नहीं किया गया था। सम्पत्ति एवं विभव कर का निर्धारण और वसूली किया गया लेकिन अधिकांश बकाया रह गया। निर्धारित कर एवं कम निर्धारित राजस्व से राजस्व की हानि हुई। जिला पंचायत बुलन्दशहर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सी0पी0 टैक्स के अन्तर्गत रु0 18.02 लाख की वसूली हुई जोकि वर्ष की मांग से काफी कम है। इस प्रकार अवशेष धनराशि में वृद्धि हो रही है, लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्डवार मांग व वसूली रजिस्टर कर अनुभाग द्वारा तैयार किये गये हैं, परन्तु कतिपय प्रविष्टिया अपूर्ण हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के करो से सम्बंधित कर निर्धारण की मांग व वसूली रजिस्ट्रो की विगत वर्षों से लेखा बंदी नहीं की गयी है। आलोच्य वर्ष की मांग के साथ विगत वर्ष विगत वर्ष अवशेष धनराशि को सम्मिलित किया जाना चाहिये था। जोनकर ने से संस्था को आर्थिक क्षति की गई। इस हेतु कर अधिकारी श्री धनंजय सोम व पटल सहायक उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर संख्या 06- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के लाइसेंस व अन्य शुल्क मद में रु0 63.66 लाख की वसूली की गयी, जो कि लक्ष्य से 16.34 लाख कम रही इस हेतु लाइसेंस नवीनीकरण का कार्य सजगता से किया जाना चाहिए ताकि कर वसूली का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। संस्था द्वारा कम वसूली किये जाने का कोई उचित कारण नहीं प्रस्तुत किया गया। अगले वित्तीय वर्ष में उक्त बकाया धनराशि को डिमाण्ड में न पकड़कर संस्था की आर्थिक हानि की गई। इस हेतु कर अधिकारी श्री धनंजय सोम व पटल सहायक पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

जनपद-गाजियाबाद

मण्डल का नाम-मेरठ।

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित आपतियाँ

प्रस्तर संख्या-01- जिला पंचायत गाजियाबाद के वर्ष 2014-15 व विगत वर्षों के पशु शव निस्तारण मद का ₹0 36.74 लाख प्राप्त हुआ। इसका 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 18.37 लाख ग्राम पंचायतों को नियमानुसार हस्तांतरित किया जाना था। जो कि नहीं किया जाना आपत्तिजनक है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम, उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 जिला पंचायत गाजियाबाद के वर्ष 1991-92 से 2008-09 की अवधि का मृत पशुशव निस्तारण मद का ₹0 15.55 लाख बकाया चल रहा है। यद्यपि आर.सी. की कार्यवाही की जा चुकी है। तथापि अधावधि वसूली न हो पाना आपत्तिजनक रहा। इसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी विनय सिंह सिरौही एवं लेखाकार बाबूराम, उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में पाया गया कि ₹0 17551832.00 का कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराया गया है जो कि प्रत्यक्षतः शासनादेश का उल्लंघन है। अतएव उक्त भुगतान अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी विनय सिंह सिरौही, तत्कालीन अभियन्ता श्री प्रेमचन्द, श्री बाबूराम जिम्मेदार है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 जिला पंचायत गाजियाबाद की वर्ष 2015-16 तक बकाया संपत्ति व विभव कर ₹0 152.41 लाख की वसूली नहीं की गयी जो कि गंभीर अनियमितता का द्योतक है। इसके लिये लेखाकार श्री बाबूराम सम्बन्धित कर निरीक्षक व अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 जिला पंचायत गाजियाबाद की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम मसूरी में होली क्रास के सामने मुख्य मार्ग से बाईं ओर मदरसा जामिया महमूद उलेमा मदरसा की ओर नाला निर्माण की स्वीकृति ₹0 9.99 लाख व ₹0 8.20 लाख कुल ₹0 18.19 लाख दो टुकड़ों में दी गयी। इस प्रकार कार्य को अलग-अलग ठेकेदारों से कराकर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। इसके लिये अभियन्ता श्री प्रेम चन्द व श्री वी.पी.शर्मा, लेखाकार श्री बाबूराम एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 जिला पंचायत गाजियाबाद निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में लगभग 15 सड़कों के निर्माण में इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा ₹0 132.28 लाख व्यय किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। उक्त हेतु लेखाकार श्री बाबूराम, अभियन्ता श्री प्रेम चन्द व श्री वी.पी.शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में शासनादेश अनुसार मृतशव पशु निस्तारण मद का आधा भाग ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना था। आलोच्य वर्ष में इस मद में ₹0 11.38 लाख की आय हुयी। जिसका आधा भाग 5.69 लाख ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना था जो कि नहीं किया गया। इसके लिये लेखाकार बाबूराम, एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 जिला पंचायत गाजियाबाद द्वारा 13वे वित्त से प्राप्त अनुदान से 35.50 लाख के निर्माण कार्य की स्वीकृत प्रदान की गयी थी तथा उक्त कार्य हेतु ₹0 16.26 लाख का भुगतान भी किया गया। परन्तु शेष कार्य किसी अन्य संस्था द्वारा कराया जा रहा है। इस प्रकार नियमों का पालन न करके कार्य किया गया। इस प्रकार वस्तुतः 16.26 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। इसके लिये लेखाकार बाबूराम, अभियन्ता श्री प्रेम चन्द व श्री वी.पी.शर्मा, एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 ₹0 45.85 लाख के कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं जबकि शासनादेश अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर के कार्य कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों का है। अतः उक्त भुगतान शासनादेश के विरुद्ध है। अतः ₹0 45.85 का अनियमित भुगतान किया गया। इसके लिये लेखाकार श्री बाबूराम, विनय सिंह सरोही (एओएमओ) अभियन्ता श्री प्रेम चन्द व वी पी शर्मा अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में ₹0 59390.11 अर्बन कोपरेटिव बैंक में व ₹0 84209.30 पीओएलओओ अकाउंट में व ₹0 994.65 पोस्ट आफिस में विगत वर्षों से जमा है। इस प्रकार कुल ₹0 1.44 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस हेतु लेखाकार श्री बाबूराम व अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 उसके कर्मचारी/अधिकारी स्थानान्तरण पश्चात भी आवास खाली नहीं कर रहे हैं व किराया भी नहीं दे रहे हैं। जो कि ₹0 4.42 लाख बकाया है जिसकी प्रभावी वसूली अपेक्षित है। उक्त हेतु लेखाकार श्री बाबूराम व अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में ₹0 70.20 लाख वेतन पेंशन व अन्य मदों में वित्तीय अंशदान व्यय किया गया। जबकि निजी आय से वेतन आदिका व्यय किया जाना चाहिए। ये एक गंभीर अनियमितता है। इस प्रकार 70.20 लाख का भुगतान अनियमित है उक्त हेतु लेखाकार श्री बाबूराम व अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में विभिन्न खातों पर ₹0 35.92 लाख ब्याज अर्जित किया गया है इसे शासन को वापस न करके वित्तीय अयिमितता की गयी है। इस हेतु लेखाकार श्री बाबूराम, अभियन्ता श्री प्रेम चन्द व श्री वी.पी.शर्मा, एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनय सिंह सिरौही, श्री प्रेम सिंह व श्री देशराज सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 जिला पंचायत गाजियाबाद के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा अनुसार किराया वसूली का ₹0 24.82 लाख बकाया है। जोकि अनियमितता है। उक्त हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह, वित्तीय व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में पाया गया कि भिक्कनपुर में सैतल वाली सड़क पर रणवीर के खेत से जयसिंह के खेत तक मिट्टी एवं खण्डजा निर्माण कार्य में 30 रुपये की दर से ₹0 51637.50 रायल्टी नहीं काटी गयी। जो राजकीय क्षति है। उक्त हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह, तत्कालीन अभियन्ता श्री वी.पी.शर्मा, व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को कतिपय बैंक केश नहीं हुये तथा उक्त बैंक पुनः पेश नहीं किये गये तथा अपने बैंक के रूप में दर्शाये गये हैं अतः उक्त बैंक पुनः निर्गत न किया जाना अनियमितता है। इसी क्रम में लेबर सेस का ₹0 41.80 लाख व अन्य ₹0 0.35 लाख कुल ₹0 42.15 का बैंक निर्गत न किया जाना भी अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह,

तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री संजय अग्रवाल व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में शासनादेश सं० 8307/33-02-2004-93 सी/2004 दिनांक 17.01.2005 का उल्लंघन कर ग्राम पंचायतों के भीतर धनराशि ₹0 307.50 लाख का कार्य कराया गया जो कि अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अभियन्ता श्री वी.पी.शर्मा व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम का उत्तरदायित्व है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में की गयी टी.डी.एस., वैट, लेबर सेस एवं रायल्टी क्रमशः ₹0 2498180, ₹0 4802786, ₹0 1278871 एवं ₹0 321880 इस प्रकार कुल ₹0 8901717.00 को संगत शीर्ष में जमा करने संबंधी प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अतः उक्त धनराशि की राजकीय हानि हुयी। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री संजय अग्रवाल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2017-18 में शासनादेश सं० 8307/33-02-2004-93 सी/2004 दिनांक 17.01.2005 का उल्लंघन कर ग्राम पंचायतों के भीतर धनराशि ₹0 115.81 लाख का कार्य कराया गया जो कि अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री संजय अग्रवाल, श्री अभिशेक जैन तत्कालीन अभियन्ता श्री वी.पी.शर्मा व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम का उत्तरदायित्व है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2017-18 में की गयी टी.डी.एस., वैट, लेबर सेस एवं रायल्टी क्रमशः ₹0 676581, ₹0 1260924, ₹0 371002 एवं ₹0 714355 इस प्रकार कुल ₹0 3022862.00 को संगत शीर्ष में जमा करने संबंधी प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अतः उक्त धनराशि की राजकीय हानि अनियमित रही। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री संजय अग्रवाल व श्री अभिशेक जैन एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 में दुकान एवं भवन किराया वसूली रजिस्टर अनुसार ₹0 45.30 लाख बकाया रहा। जो कि अनियमितता है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह एवं श्री सुभाष मिश्रा, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम का है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22- जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 में मृत पशु शव निस्तारण मद में विगत वर्षानुसार ₹0 15.73 लाख बकाया रहा। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह एवं श्री सुभाष मिश्रा, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम का है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 में की गयी टी.डी.एस., वैट, लेबर सेस एवं रायल्टी क्रमशः ₹0 7343299, ₹0 5204085, ₹0 2576110 एवं ₹0 2788368 इस प्रकार कुल ₹0 17911862.00 को संगत शीर्ष में जमा करने संबंधी प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अतः उक्त धनराशि की राजकीय हानि अनियमित रही। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह एवं श्री सुभाष मिश्रा, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार रहे है। रायल्टी जमा की पुष्टि जमा रसीद से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 जिला पंचायत गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 में शासनादेश सं० 8307/33-02-2004-93 सी/2004 दिनांक 17.01.2005 का उल्लंघन कर ग्राम पंचायतों के भीतर धनराशि ₹0 46.46 लाख का कार्य कराया गया जो कि अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री देशराज सिंह एवं सुभाष मिश्रा, तत्कालीन वित्तीय

परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन, तत्कालीन अभियन्ता श्री वी.पी.शर्मा व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम का उत्तरदायित्व है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 20-21

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियां

जनपद-हापुड

मण्डल-मेरठ

प्रस्तर सं0 01- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत प्रपत्र-5(रसीदों) की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्रपत्र-5 निर्गत की गई हैं। लेकिन इनसे प्राप्त की गई धनराशि को अधिक दिनों तक रोके रखे जाने के उपरान्त बैंक शाखा छपरावत,बुलन्दशहर में जमा की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस पर आकलित ब्याज की धनराशि 419.00 सम्बन्धित कर वसूल कर्ता से जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी कर निरीक्षक श्री खेमराज सिंह है।

क्रम	रसीद संख्या	दिनांक	धनराशि	बैंक में जमा	करने का दिनांक आकलित
ब्याज					
1	423427-423431	30.5.2020	14290.00	----	127.00
2	423432-423449	2.6.2020	20678.00	----	163.00
3	423450-423457	3.6.2020	6750.00	----	50.00
4	423458-423463	6.6.2020	13330.00	----	79.00
योग-		55048.00	18.6.2020		419.00

प्रस्तर सं0 02- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रपत्र-5(रसीदों) की जाँच में पाया गया कि रसीद संख्या-0403901-0403928 तक दिनांक 31.05.20 से 05.06.20 तक काटी गई है। इन रसीदों से 252640.00 की आय हुई है। लेकिन समस्त धनराशि दिनांक 18.6.2020 को छपरावत, बुलन्दशहर में 12 से 17 दिन उपरान्त जमा की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। अतः इस पर आकलित ब्याज की धनराशि 1869.00 सम्बन्धित कर निरीक्षक से जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी कर निरीक्षक श्री खेमराज सिंह है।

प्रस्तर सं0 03- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रसीद संख्या 214732 से 214791 तक दिनांक 28.06.20 से 30.06.20 तक प्रयुक्त कर 144450.00 की आय की गई है। लेकिन उक्त धनराशि दिनांक 17.07.20 को अर्थात् 17 दिनों के उपरान्त यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा छपरावत, बुलन्दशहर में जमा की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस पर आकलित ब्याज की धनराशि 1140.00 सम्बन्धित कर निरीक्षक से जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी कर निरीक्षक श्री खेमराज सिंह है।

प्रस्तर सं0 04- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रसीद संख्या 472601-472605 से दिनांक 30.06.20 के 8780.00 की आय की गई है। लेकिन उक्त धनराशि दिनांक 17.07.20 को बैंक शाखा में जमा की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस पर आकलित ब्याज की धनराशि 69.00 सम्बन्धित कर वसूल कर्ता से जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी कर निरीक्षक श्री खेमराज सिंह है।

प्रस्तर सं0 05- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 3.11.20 को अध्यक्ष महोदया से टेण्डर बिक्री 127718.00 के साथ जी0एस0टी0 की धनराशि 19488.00 जमा किये जाने की स्वीकृति ली गई है। गणना करने पर 18 प्रतिशत की दर से उपरोक्त बिक्री पर 22989.00 जी0एस0टी0 की धनराशि होती है। (स्वीकृति पत्र संख्या-9/11) इस प्रकार 3501.00 से जी0एस0टी0 कम जमा किया गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इसे जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार है।

प्रस्तर सं० ०६ आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निर्माण एवं अन्य कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ठेकेदारों एवं फर्मों को किये गये भुगतान में से कटौतियाँ की गई हैं। लेकिन इन कटौतियों को निर्धारित मदों में जमा किया गया है या नहीं, कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है। कटौतियों का विवरण निम्न प्रकार है।

क०	माह	आई०टी०	जी०एस०टी०	सेस	रायल्टी	पेनाल्टी	बिडुमेन	ड्रम	जमानत	कुल
1	अप्रैल 20	1784.00	1784.00	--	---	---	---	---	---	3568.00
2	मई'20	2790.00	----	----	---	---	---	---	35000.00	37790.00
3	3जून'20	97365.00	95456.00	69753.00	113900	7000.00	---	---	---	383474.00
4	जुलाई20	561142.00	561148.00	128667	----	7000.00	---	---	---	1257957.00
5	अगस्त 20	508542.00	508542.00	118965	78040.00	3000.00	---	---	---	1217089.00
6	सितम्बर20	411512.00	408551.00	224205	96250.00	4000.00	---	---	---	1144518.00
7	अक्टुबर 20	583462.00	582856.00	251135	308600.00	10000.00	---	---	---	1736053.00
8	नवम्बर 20	354405.00	351412.00	150702	176841.00	10500.00	---	---	---	1043860.00
9	दिसम्बर 20	742260.00	740048.00	506504	1226475.00	28500.00	3363706	229746	---	6837239.00
10	जनवरी 21	1129447.00	1124346.00	691887	1217680.00	35000.00	2293168	134166	---	6625694.00
11	फरवरी 21	12208.00	12208.00	---	---	---	---	---	---	24416.00
12	मार्च 21	57972.00	57972.00	---	---	---	---	---	---	115944.00
	योग-	4462889.	4444323.	2141818	3217786.	105000.00	5656874	363912	35000.00	20427602.00

उपरोक्त विवरण में माह अगस्त'20 में रायल्टी की धनराशि 78040.00 जमा किये जाने की स्वीकृति अध्यक्ष महोदया के स्वीकृति पत्र द्वारा लिये जाने की पुष्टि होती है (स्वीकृति पत्र-58/9)। लेकिन जमा कहाँ किया गया, कोई प्रमाण संलग्न नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि 2,04,27,602.00 का जमा किया जाना अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार हैं। प्रस्तर सं० ०७- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि एक ही कार्य के विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न दर लिया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०/ कार्य माह	प्रमाणक	नाप एवं दर घनमी० में	दी गई धनराशि	अधिक दी गई धनराशि जो देनी थी	नाम ठेकेदार
1. कन्सट्रक्शन आफ	21/6	99.00×3005	297495.00	284130.00	यशपाल सिंह
2. ग्रेनुलर सब बेस	45/7	47.98×3418	163395.64	137703.00	यशपाल सिंह
3. न्यूनतम दर	42/8	41.97×3231	135605.	120454.00	देव इंटरप्राइजेज
4. 2870.00	43/8	52.66×3301.40	173851.72	151134.20	शंकर इंटरप्राइजेज
5. प्रमाणक	44/8	102.74×3466.6	356158.48	294864.00	रिया एसोसियेट
6. सं० 20/6	48/8	48.75×3350.	163312.50	139912.50	यशपाल सिंह
7	50/8	59.83×3005	179789 17	1712.00	पुरू त्यागी
8	61/8	48.28×3231	155992.68	138563.60	गंगा कन्सट्रक्शन
9	8/9	88.18×3486.10	307404.30	253076.60	मुकेश चन्द्र गुसा
10	9/9	68.11×3231.	220063.41	195475.70	मुकेश चन्द्र गुसा
11	24/9	19.35×3005	58146.75	55534.50	ग्लोबल इन्फ्रा
12	51/9	14.01×3447.20	48295.27	40208.70	नरेन्द्र शर्मा
13	63/9	35.95×3231	116154.45	103176.50	गंगा कं०
14	10/10	39.48×3231	127559.88	113307.60	विकास कं०
15	13/10	52.45×3418	179274.10	150531.50	यशपाल सिंह

16	15/10	51.15×3350	171352.50	146800.50	24552.00	यशपाल सिंह
17	28/10	100.91×3515.20	354718.83	289611.70	65107.13	रिद्धि इन्फ्रा
18	35/10	85.69×3544.40	303719.63	245930.30	57789.33	गाड कंन्सट्रक्शन
19	55/10	83.21×3231.	268851.51	238812.70	30038.81	शिवा इन्टरप्राइजेज
20	25/11	42.51×3427.70	145711.52	122003.70	23707.83	प्रताप कं०
21	31/11	175.17×3515.20	615757.58	502737.90	113019.68	रिद्धि इन्फ्रा
22	37/11	79.74×3379.10	269449.43	228853.80	40595.63	वैष्णो सप्लायर्स
23	39/11	54.59×3320.80	181282.47	156673.30	24609.17	शिवा इन्टरप्राइजेज
24 कन्सट्रक्शन	22/12	90.76×3005	272733.80	260481.20	12252.60	सचिन बिल्डर्स
25 आफ	23/12	102.74×3466.60	356158.48	294863.80	61294.68	रिया एसोसिएट
26 ग्रेनुलर सब बेस	25/12	32.42×3456.90	112072.70	93045.40	19027.30	ओम कं०
27 न्यूनतम दर	28/12	39.48×3231	127559.88	113307.60	14252.28	विकास कं०
28 2870.00	29/12	52.40×3231	169304.40	150388.00	18916.40	गंगा कं०
29 प्रमाणक	30/12	36.07×3231	116542.17	103520.90	13021.27	गंगा कं०
30 सं० 20/6	31/12	68.23×3231	220451.13	195820.10	24631.03	मुकेश चन्द्र गुप्ता
31	32/12	57.39×3231	185427.09	164709.30	20717.79	देव इन्टरप्राइजेज
32	33/12	13.95×3447.20	48088.44	40036.50	8051.94	नरेन्द्र शर्मा
33	34/12	88.30×3486.10	307822.63	253421.00	54401.63	मुकेश चन्द्र गुप्ता
34	35/12	34.04×3281.95	111717.57	97694.80	14022.77	पंचशील कं०
35	37/12	76.00×3388.90	257556.40	218120.00	39436.40	यशपाल सिंह
36	39/12	52.62×3301.40	173719.66	151019.40	22700.26	शंकर इन्टरप्राइजेज
37	40/12	24.69×3231	79773.39	70860.30	8913.09	शिवा इन्टरप्राइजेज
38	45/12	150.37×3456.90	519814.05	431561.90	88252.15	उमेश चन्द गुप्ता
39	49/12	46.95×3466.63	162758.28	134746.50	28011.78	नरेन्द्र शर्मा
40	50/12	103.18×3231	333374.58	296126.60	37247.98	सुदेश कन्स्ट्रक्टर
41	52/12	42.61× 3320.80	141499.29	122290.70	19208.59	विकास कं०
42	56/12	39.21× 3369.43	132115.35	112532.70	19582.65	पंचशील कं०
43	68/12	93.16× 3544.40	330196.30	267369.20	62827.10	गाँड कं०
44	69/12	215.95× 3515.20	759107.44	619776.50	139330.94	रिद्धि इन्फ्रा
45	49/1	102.18× 3281.90	335344.54	293256.60	42087.94	गंगा कं०
46	56/1	81.39× 3388.90	275822.57	233589.30	42233.27	यशपाल सिंह
47	59/1	150.37×3456.90	519814.05	431561.90	88252.15	उमेशचन्द
48	66/1	99.32× 3379.10	335612.21	285048.40	50563.81	वैष्णो सप्लायर्स
49 कन्सट्रक्शन	74/1	7.30× 3554.10	25944.93	20951.00	4993.93	शिवा इन्टरप्राइजेज
50 आफ ग्रेनुलर	79/1	7.27×3466.63	25202.90	20864.90	4338.00	ग्लोबलइन्फ्रा
51 सब बेस	82/1	104.48×3281.90	342892.91	299857.60	43035.31	गंगा कं०
52 न्यूनतम दर	83/1	42.51×3427.70	145711.52	122003.70	23707.82	प्रताप कं०
53 2870.00	84/1	46.95×3466.63	162758.28	134746.50	28011.78	नरेन्द्रकुमार
54 प्रमाणक	87/1	33.88×3350.00	113498.97	235.60	16262.40	वैष्णो इन्फ्राटेक
55 सं० 20/6	88/1	13.23×3350.00	44320.50	37970.10	6350.40	यदवेन्द्र सिंह
56	89/1	43.81×3350.00	146763.50	125734.70	21028.80	पंचशील कं०
57	128/1	29.88×3320.80	99225.50	85755.60	13469.90	गाड कं०
58	130/1	23.46×3427.70	80413.84	67330.20	13083.64	जे०पी०एस०
59	131/1	19.73×3486.10	68780.75	56625.10	12155.65	आर०एस०कं०
60	138/1	69.21×3320.80	229832.56	198632.70	31199.86	विकास कं०
61	143/1	153.27×3466.60	531325.78	439884.90	91440.88	रिया एसोसिएट

62	146/1	363×3231.00	1172853.	1041810.00	131043.00	आरओएसओकंओ
63	148/1	73.59×3320.80	244377.67	211203.30	33174.37	भवानी कंओ
64	149/1	36.78×3340.30	122856.23	105558.60	17297.63	गाड कंओ
65	14/3	66.33×3231.00	214312.00	190367.10	23944.90	वैष्णो सप्लायर्स
योग---					2175909.43	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही वर्ष में, एक ही काम का लगभग बत्तीस प्रकार की दरों से ठेकेदारों को 21,75,909.43 का अधिक भुगतान किया गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय एओएमओएओ व मनोज कुमार लेखाकार है। ठेकेदारों से अधिक भुगतान राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है प्रस्तर संओ 08- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि एक ही कार्य की न्यूनतम दर से काफी अधिक दर से ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	कार्यप्रमाणक नाप एवं दी गई	धनराशि जो अधिक दी	नाम ठेकेदार संओ/माह	घन मीओमेंओ	धनराशि दी जानी थी	गई धनराशि
1	ब्रिक वर्क मशीनरी	59/63.10×5647.30	356344.63	318655.00	37689.63	उमेश चन्द गुप्ता
2	इन 1:4 सीमेन्ट	74/113.71×5666.50	77687.72	69235.50	8452.22	शिवा इन्टरप्राइजेज
3	एण्ड कोर्स सैण्ड	126/124.06×5633.90	135551.63	121503.00	14048.63	शिवा इन्टरप्राइजेज
4	दर- 5050.00	127/139.46×5637.80	222467.50	199273.00	23194.50	शिवा इन्टरप्राइजेज
5	140/1	4.13×5616.70	23196.97	20856.50	2340.47	सचिन बिल्डर्स
6	145/1	15.66×5676.00	88886.16	79083.00	9803.1	बीओएसओकंओ
7	15/3	13.13×5643.50	74099.16	66306.50	7792.66	
योग-					103321.27	

अतः उपरोक्त किया गया 103321.27 का अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय एओएमओएओ व मनोज कुमार लेखाकार है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संओ 09- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि कराये गये कार्य की दरें अधिक ली गई हैं। विवरण निम्न प्रकार है।--

क्रम	कार्य का नाम	प्रमाणक	नाप एवं दर	दी गई	धनराशि जो	अधिक दी	नाम ठेकेदार
		संओ/माह	स्क्वायर मीओमेंओ	धनराशि	दी जानी थी	गई धनराशि	
1	डिस्टेम्परिंग आफ टू	79/1	667.20×69.00	46036.80	31358.40	14678.40	ग्लोबल इन्फ्रा कोट, दर-47.00
2	डिस्टेम्परिंग आफ टू	79/1	667.20×69.00	46036.80	31358.40	14678.40	ग्लोबल इन्फ्राकोट, दर-47.00
3	डिस्टेम्परिंग आफ टू	157/1	124.58×69.00	8596.02	5855.26	2740.76	ग्लोबल इन्फ्राकोट, दर-47.00
योग-				43253.32			

इस प्रकार किया गया उपरोक्त 43253.32 का अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय एओएमओएओ व मनोज कुमार लेखाकार है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 10- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि कराये गये कार्यों की दरें अधिक ली गई हैं। विवरण निम्न प्रकार है।---

क्रम	कार्य का नाम	प्रमाणक सं०/माह	नाप एवं दर घन मी०में०	दी गई धनराशि	धनराशि जो दी जानी थी	अधिक दी गई धनराशि	नाम ठेकेदार
1	आर०सी०सी०वर्क इन 1:2:4 वीथ सीमेंट एण्ड कोर्स सैण्ड, 20एम०एम. दर -7600	13/3	2.93×8150	23879.50	22268.00	1611.50	भवान कं०
2	आर०सी०सी०वर्क इन कालम 1:1.5:3 सीमेंट वीथ कोर्स सैण्ड, 20एम०एम.-8150.	13/3	5.77×8400	48468.00	47025.50	1443.00	भवानी कं०

योग- 3054.50

इस प्रकार किया गया अधिक भुगतान 3054.50 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 11-वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के कई प्रकार के दर लिये गये हैं।

क्रम	कार्य का नाम	प्रमाणक सं०/माह	नाप एवं दर घन मी०में०	दी गई धनराशि	धनराशि जो दी जानी थी	अधिक दी गई धनराशि	नाम ठेकेदार
1	ब्रिक मेशनरी	45/7	9.44×5639.70	53238.76	46086.08	7152.68	यशपालसिंहवर्क
2	इन सीमेंट	67/7	3.20×5603.30	17930.56	15622.40	2308.16	प्रताप कं०
3	मोर्टार इन	71/7	1.17×5603.30	6555.86	5711.94	843.92	शंकर इन्टरप्राइजेज
4	फाउन्डेशन	18/8	19.41×5635.90	109392.82	94759.62	14633.20	यशपाल सिंह
5	इनकम्प्लीट	43/8	14.92×5616.70	83801.16	72839.44	10961.72	शंकर इन्टरप्राइजेज
6	न्यूनतम दर-4882	48/8	15.44×5626.30	86870.00	75378.00	11492.00	यशपाल सिंह.
7		62/8	15.18×5614.80	85232.66	74108.76	11123.90	ओम कं०
8		63/8	50.72×5632.00	285655.04	247615.04	38040.00	रविन्द्र सिंह
9		64/8	63.28×5632.00	356392.96	308932.96	47460.00	आर०एस०कं०
10		11/9	14.72×5639.70	83016.38	71863.04	11153.34	चाहत कं०
11		16/9	17.50×5620.60	98360.50	85435.00	12925.50	वैष्णो इन्फ्राटेक
12		31/9	21.71×5618.60	121979.00	105988.22	15990.78	कृष्णा बिल्डर्स
13		13/10	10.60×5639.70	59780.82	51749.20	8031.62	यशपाल सिंह
14		14/10	20.31×5635.90	114465.12	99153.42	15311.70	यशपाल सिंह
15		15/10	16.76×5620.30	94296.79	81822.32	12474.47	यशपाल सिंह
16		16/10	19.41×5635.90	109392.82	94759.62	14633.20	यशपाल सिंह
17		19/10	72.14×5632.00	406292.48	352187.48	54105.00	आर०एस०कं०
18		29/10	20.37×5020.60	102269.62	99446.34	2823.28	ग्लोबल इन्फ्रा

19	मेशनरी	30/10	4.91×5633.90	27662.44	23970.62	3691.82	वैष्णोइन्फ्राटेकवर्क
20	इन सीमेंट	52/10	4.63×5603.30	25943.27	22603.66	3339.61	प्रताप कं0
21	मोर्टार इन	53/10	42.51×5620.60	238931.71	207533.82	31397.89	रविन्द्र सिंह
22	फाउन्डेशन	56/10	68.04×5603.30	381248.53	332171.28	49077.25	शिवा इन्टरप्राइजेज
23	इनकम्प्लीट	57/10	27.37×5637.80	154306.59	133620.34	20686.25	नरेन्द्र शर्मा
24	न्यूनतम दर-4882	58/10	9.06×5632.00	51025.92	44230.92	6795.00	गीता इन्टरप्राइजेज
25		18/11	17.67×5651.20	99856.70	86264.94	13591.76	चेतन एसोसिएट्स
26		20/11	8.45×5641.60	47671.52	41252.90	6418.62	नरेन्द्रशर्माआर
27		21/11	72.14×5632.00	406292.48	352187.48	54105.00	0एस0कं0
28		24/11	5.74×5603.30	32162.44	28022.68	4139.76	रविन्द्रसिंहप्रतापकंकृष्णा
29		25/11	10.29×5641.60	58052.06	50235.78	7816.28	0
30		28/11	22.33×5618.60	125963.33	109015.06	16948.27	बिल्डर्स
31		32/11	29.59×5632.00	166650.88	144458.38	22192.50	चाहत कं0
32		34/11	45.02×5630.10	253467.10	219787.64	33679.46	यदवेन्द्र सिंह
33		38/11	1.17×5603.30	6555.86	5711.94	843.92	शंकर इन्टरप्राइजेज
34		39/11	16.47×5620.60	92571.28	80406.54	12164.74	शिवा इन्टरप्राइजेज
35		40/11	17.56×5620.60	98697.73	85727.92	12969.81	वैष्णो इन्फ्राटेक
36		25/12	13.43×5647.30	75843.23	65565.26	10277.97	ओम कं0
37	ब्रिक मेशनरी	27/12	9.06×5639.70	51095.68	44230.92	6864.76	पंचशील कं0
38	वर्क इन सीमेंट	39/12	15.90×5616.70	89305.53	77623.80	11681.73	शिवा इन्टरप्राइजेज
39	मोर्टार इन	41/12	16.55×5637.80	93305.59	80797.10	12508.49	शिवा इन्टरप्राइजेज
40	फाउन्डेशन	45/12	43.91×5647.30	247972.94	214368.62	33604.32	उमेशचन्द्र
41	इनकम्प्लीट	46/12	16.23×5614.80	91128.20	79234.86	11893.34	ओम कं0
42	न्यूनतम दर-4882	47/12	5.39×5633.90	30366.72	26313.98	4052.74	वैष्णो इन्फ्राटेक
43		48/12	22.85×5584.20	127598.97	111553.70	16045.27	पवनश्री कं0
44		49/12	17.91×5649.30	101178.96	87436.62	13742.34	नरेन्द्र शर्मा
45		54/12	14.94×5633.90	84170.46	72937.08	11233.38	अरूण सिवाल
46		55/12	14.90×5609.10	83575.59	72741.80	10833.79	अरूण सिवाल
47		58/12	12.56×5630.10	70714.06	61317.92	9396.14	गीताइन्टरप्राइजेजब्रिक

48		62/12	16.57×5643.50	93512.79	80894.74	12618.05	गीता इन्टरप्राइजेज
49		69/12	15.42×5658.80	87258.70	75280.44	11978.26	रिद्धि इन्फ्राटेक
50		44/1	15.72×5630.10	88505.17	76745.04	11760.13	विकास कं0
51		46/1	19.12×5639.70	107831.06	93343.84	14487.22	शंकर इन्टरप्राइजेज
52		58/1	11.89×5614.80	66759.97	58046.98	8712.99	अरूणसिवालगीता
53		68/1	62.58×5643.50	353170.23	305515.56	47654.67	इन्टरप्राइजेज
54		69/1	8.22×5632.00	46295.04	40130.04	6165.00	पंचशील कं0
55		75/1	29.75×5603.30	166698.17	145239.50	21458.67	शिवा इन्टरप्राइजेज
56		76/1	21.45×5635.90	120890.06	104718.90	16171.16	ग्लोबल इन्फ्रा
57		83/1	10.29×5641.60	58052.06	50235.78	7816.28	प्रतापकंठवैणो
58		87/1	16.63×5647.30	93914.60	81187.66	12726.94	इन्फ्राटेक
59		88/1	4.69×5647.30	26485.83	22896.58	3589.25	यदवेन्द्र सिंह
60		89/1	15.68×5647.30	88549.66	76549.76	11999.90	पंचशील कं0
61		118/1	20.42×5632.00	115005.44	99690.44	15315.00	शिवा इन्टरप्राइजेज
62		123/1	4.55×5647.30	25695.21	22213.10	3482.11	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज
63	ब्रिक मेशनरी	125/1	9.82×5632.00	55306.24	47941.24	7365.00	बी0एस0कं0
64	वर्क इन सीमेंट	128/1	10.60×5620.60	59578.36	51749.20	7829.16	गाडकंठमोर्टार
65	इन	130/1	23.35×5647.30	131864.45	113994.70	17869.75	जे0पी0एस0ठेकेदार
66	फाउन्डेशन	139/1	30.28×5624.40	170306.83	147826.96	22479.87	विकास कं0
67	इनकम्प्लीट	149/1	17.67×5624.40	99383.14	86264.94	13118.20	गाड कं0
68	न्यूनतम दर-4882	153/1	18.35×5635.90	103418.76	89584.70	13834.06	सचिन बिन्डर्स
कुल योग						1031888.35	

उपरोक्त विवरणानुसार लगभग छब्बीस प्रकार के दर से एक ही कार्य का भुगतान किया गया है। अतः किया गया उपरोक्त भुगतान 1031888.35 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 12- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों में किसी एक ही कार्य का विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न दर लिया गया है।

क्रम	कार्य का नाम	प्रमाणक	नाप एवं दर	दी गई	धनराशि जो	अधिक दी	नाम ठेकेदार
		सं०/माह	घन मी०में०	धनराशि	दी जानी थी	गई धनराशि	
1	प्रोभाइडिंग,	11/9	28.63×4162.	119158.06	111994.83	7163.23	चाहत कं०
2	लेयिंग	31/9	29×4040.90	117186.10	113442.20	3743.90	कृष्णा बिल्डर्स
3	एण्ड	14/10	50.71×4140	209939.40	198367.38	11572.02	यशपाल सिंह
4	कम्पैक्टिंग	15/10	33.36×4084.90	136272.26	130497.65	5774.61	यशपाल सिंह
5	स्टोन	16/10	38.15×4140.00	157941.00	149235.17	8705.83	यशपाल सिंह
6	एग्रीगेट	57/10	26.57×4151.00	110292.07	103936.52	6355.55	नरेन्द्र शर्मा
7	22.4-53	18/11	36.93×4228.10	156143.23	144462.77	11680.46	चेतन एसोसिएट
8	एम०एम०	20/11	27.02×4173.00	112754.46	105696.84	7057.62	नरेन्द्र शर्मा
9	न्यूनतम	21/11	156.28×4118.00	643561.04	611336.10	32224.94	आर०एस०कं०
10	दर-	25/11	28.90×4173.00	120599.70	113051.02	7548.68	प्रताप कं०
11	3911.80	28/11	33.15×4040.90	133955.83	129676.17	4279.66	कृष्णा बिल्डर्स
12		32/11	31.33×4118.00	129016.94	122556.69	6460.25	चाहत कं०
13		34/11	49.11×4106.90	201689.95	192108.50	9581.45	यदवेन्द्र सिंह
14	प्रोभाइडिंग,	39/11	39.26×4051.90	159077.59	153577.27	5500.32	शिवा इंटरप्राइजेज
15	लेयिंग	40/11	34.95×4051.90	141613.90	136717.41	4896.49	वैष्णो इन्फ्राटेक
16	एण्ड	25/12	30.65×4206.00	128913.90	119896.67	9017.23	ओम कं०
17	कम्पैक्टिंग	27/12	40.18×4162.00	167229.16	157176.12	10053.04	पंचशील कं०
18	स्टोन	39/12	36.34×4029.90	146446.56	142154.81	4291.75	शंकर इंटरप्राइजेज
19	एग्रीगेट	41/12	54.27×4151.00	225274.77	212293.39	12981.38	शिवा इंटरप्राइजेज
20	22.4-53	45/12	99.85×4206.00	419969.10	390593.23	29375.87	उमेशचन्द

21	एम0एम0	47/12	24.85×4129.00	123250.65	97208.23	26042.62	वैष्णो इन्फ्राटे
22	न्यूनतम	49/12	29.51×4217.10	124446.62	115437.22	9009.40	नरेन्द्र शर्मा
23	दर-	54/12	27.22×4129.00	112391.38	106479.19	5912.19	अरुण सिवाल
24	3911.80	55/12	31.24×3985.80	124516.39	122204.63	2311.76	अरुण सिवाल
25		56/12	24.80×4106.90	101851.12	97012.64	4838.48	पंचशील कं0
26		60/12	21.58×4118.00	88866.44	84416.64	4449.80	जे0पी0एस0कं0
27		62/12	38.42×4184.00	160749.28	150291.35	10457.93	गीता इन्टरप्राइजेज
28		44/1	32.48×4106.90	133392.11	127055.26	6336.85	विकास कं0
29		46/1	72.80×4162.00	302993.60	284779.04	18214.56	शंकर इन्टरप्राइजेज
30		49/1	320.23×4007.90	1283449.82	1255022.79	28427.03	गंगा कं0
31		56/1	224.39×4129.00	926506.31	877768.80	48737.51	यशपाल सिंह
32		58/1	43.70×4018.90	175625.93	170945.66	4680.27	अरुण सिवाल
33		59/1	99.85×4206.00	419969.10	390593.23	29375.87	उमेशचन्द
34		61/1	42.87×4162.00	178424.94	167698.87	10726.07	पंचशील कं0
35		63/1	101.56×4206.00	427161.36	397282.41	29878.95	पवन श्री कं0
36		66/1	109.16×4118.00	449520.88	427012.09	22508.79	वैष्णो सप्लायर्स
37		68/1	122.54×4184.00	512707.30	479351.97	33355.33	गीता इन्टरप्राइजेज
38		69/1	32.33×4140.00	133846.20	126468.49	7377.71	पंचशील कं0
39		74/1	20.61×4316.20	88956.88	80622.20	8334.68	शिवा इन्टरप्राइजेज
40	प्रोभाइडिंग,	75/1	36.30×3952.80	143486.64	141998.34	1488.30	शिवा इन्टरप्राइजेज
41	लेयिंग	76/1	51.19×4140.00	211926.60	200245.04	11681.56	ग्लोबल इन्फ्रा0
42	एण्ड	82/1	329.70×4007.90	1321404.63	1289720.46	31684.17	गंगा कं0
43	कम्पैक्टिंग	83/1	28.90×4173.00	120599.70	113051.02	7548.68	प्रताप कं0

44	स्टोन	84/1	29.51×4217.10	124446.62	115437.22	9009.40	नरेन्द्र कुमार
45	एग्रीगेट	88/1	10.08×4140.00	41731.20	39430.94	2300.26	यदवेन्द्र सिंह
46	22.4-53	89/1	30.98×4140.00	128257.20	121187.56	7069.64	पंचशील कं0
47	एम0एम0	118/1	10.35×4140.00	42849.00	40487.13	2361.87	शिवा इन्टरप्राइजेज
48	न्यूनतम	123/1	8.81×4140.00	36473.40	34462.96	2010.44	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज
49	दर-	124/1	48.09×4273.00	205488.57	188118.46	17370.11	शिवा इन्टरप्राइजेज
50	3911.80	125/1	28.43×4140.00	117700.20	111212.47	6487.73	वी0एस0कं0
51		126/1	42.36×4129.00	174904.44	165703.85	9200.59	शिवा इन्टरप्राइजेज
52		127/1	14.06×4151.00	58363.06	54999.91	3363.15	शिवा इन्टरप्राइजेज
53		128/1	22.45×4051.90	90965.15	87819.91	3145.24	गाड कं0
54		130/1	6.57×4273.00	28073.61	25700.53	2373.08	जे0पी0एस0ठेकेदार
55		134/1	44.47×4217.10	187534.44	173957.75	13576.69	पुरू त्यागी
56		136/1	25.55×4393.20	112246.26	99946.49	12299.77	राधाकृष्णइन्टरप्राइजेज
57		137/1	18.28×4151.00	75880.28	71507.70	4372.58	शिवा इन्टरप्राइजेज
58		139/1	42.11×4073.90	171551.92	164725.90	6826.02	विकास कं0
59		140/1	23.74×4029.90	95669.83	92866.13	2803.70	सचिन बिल्डर्स
60		145/1	28.55×4371.20	124797.76	111681.89	13115.87	प्लानिया ट्रेडिंग कं0
61		153/1	35.20×4140.00	145728.00	137695.36	8032.64	सचिन बिल्डर्स
62		159/1	37.05×4273.00	158314.65	144932.19	13382.46	कृष्णा बिल्डर्स
63		15/3	22.30×4184.00	93303.20	87233.14	6070.06	वी0एस0कं0
			कुल योग	706814.09			

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये 24 प्रकार की दरों से ठेकेदारों को 706814.09 का भुगतान किया गया है। अतः किया गया उपरोक्त अधिक भुगतान 706814.09 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 13- आलोच्य वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि एक ही कार्य का विभिन्न ठेकेदारों को विभिन्न दरों से भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार अगले पृष्ठ पर अंकित है।

क्रम	कार्य का नाम	प्रमाणक	नाप एवं दर	दी गई	धनराशि जो	अधिक दी	नाम ठेकेदार
		सं०/माह	घन मी०में०	धनराशि	दी जानी थी	गई धनराशि	
1	प्रोभाइडिंग	45/7	1.50×6550.00	9825.30	8750.70	1074.60	यशपाल सिंह
2	सीमेंट, कंक्रीट	49/7	4.19×6644.00	27838.36	24443.62	3394.74	यशपाल सिंह
3	फार ओपन	54/7	2.82×6644.00	18736.08	16451.32	2284.76	वैष्णो इन्फ्राटेक
4	फाउण्डेशन	67/7	0.88×6089.30	5358.58	5133.74	224.84	प्रताप कं०
5	कम्पलीट	18/8	1.64×6528.30	10706.41	9567.43	1138.98	यशपाल सिंह
6	न्यूनतम दर	43/8	1.62×6419.00	10408.00	9450.75	957.25	शंकर इन्टरप्राइजेज
7	5833.80	48/8	1.50×6473.70	9710.55	8750.70	959.85	यशपाल सिंह
8		62/8	1.26×6408.00	8074.08	7350.58	723.50	ओम कं०
9		63/8	3.49×6506.50	22707.69	20359.96	2347.73	रविन्द्र सिंह
10		11/9	1.17×6550.20	7663.73	6825.54	838.19	चाहत कं०
11		16/9	1.43×6440.90	9210.48	8342.33	868.15	वैष्णो इन्फ्राटेक
12		31/9	1.26×6429.90	8101.67	7350.58	751.09	कृष्णा बिल्डर्स
13		54/9	5.02×6644.00	33352.88	29285.67	4067.21	यशपाल सिंह
14		13/10	1.77×6550.20	11593.85	10325.82	1268.03	यशपाल सिंह
15		14/10	2.15×6528.30	14035.84	12542.67	1493.17	यशपाल सिंह
16		15/10	1.87×6473.70	12105.82	10909.21	1196.61	यशपाल सिंह
17		16/10	1.90×6528.30	12403.77	11084.22	1319.55	यशपाल सिंह
18		19/10	7.48×6506.50	48668.62	43636.82	5031.80	आर०एस०कं०
19		22/10	4.51×6644.00	29964.44	26310.44	3654.00	यदवेन्द्र सिंह

20	प्रोभाइडिंग	29/10	1.71×6440.90	11013.93	9975.80	1038.13	ग्लोबल इन्फ्रा
21	सीमेंट, कंक्रीट	30/10	0.55×6517.40	3584.57	3208.59	375.98	वैष्णो इन्फ्रा
22	फार ओपन	31/10	4.60×6644.00	30562.40	26835.48	3726.92	आर0एस0कं0
23	फाउण्डेशन	52/10	0.88×6089.30	5358.58	5133.74	224.84	प्रताप कं0
24	कम्पलीट	53/10	2.92×6440.90	18807.43	17034.70	1772.73	रविन्द्र सिंह
25	न्यूनतम दर	57/10	0.70×6539.70	4577.51	4083.66	493.85	नरेन्द्र शर्मा
26	5833.80	58/10	1.08×6572.10	7097.86	6300.50	797.36	गीता इन्टरप्राइजेज
27		18/11	2.82×6615.80	18656.56	16451.32	2205.24	चेतन एसोसिएट
28		20/11	2.87×6561.20	18830.64	16743.00	2087.64	नरेन्द्र शर्मा
29		21/11	15.08×6572.10	98118.02	87973.70	10144.32	आर0एस0कं0
30		25/11	1.15×6561.20	7545.38	6708.87	836.51	प्रताप कं0
31		28/11	1.33×6429.90	8551.76	7758.95	792.81	कृष्णा बिल्डर्स
32		32/11	1.38×6506.50	8978.97	8050.64	928.33	चाहत कं0
33		34/11	4.68×6495.50	30398.94	27302.18	3096.76	यदवेन्द्र सिंह
34		38/11	0.57×6089.30	3470.90	3325.26	145.64	शंकर इन्टरप्राइजेज
35		39/11	1.78×6440.90	11464.80	10384.16	1080.64	शिवा इन्टरप्राइजेज
36		40/11	1.49×6440.90	9596.94	8692.36	904.28	वैष्णो इन्फ्राटेक
37		25/12	1.26×6594.00	8308.44	7350.59	957.85	ओम कं0
38		27/12	2.21×6550.20	14475.94	12892.70	1583.24	पंचशील कं0
39		39/12	1.63×6419.00	10462.97	9509.09	953.88	शंकर इन्टरप्राइजेज
40		53/12	3.82×6644.00	25380.08	22285.11	3094.97	अभिनव इन्टरप्राइजेज
41		54/12	1.51×6517.40	9841.27	8809.04	1032.23	अरुण सिवाल
42		55/12	1.25×6375.30	7969.12	7292.25	676.87	अरुण सिवाल

43		58/12	2.20×6495.50	14290.10	12834.36	1455.74	गीता इन्टरप्राइजेज
44		60/12	0.45×6506.50	2927.93	2625.21	302.72	जे0पी0एस0कं0
45		62/12	2.20×6572.10	14458.62	12834.36	1624.26	गीता इन्टरप्राइजेज
46	प्रोभाइडिंग	67/12	4.21×6644.00	27971.24	24560.30	3410.94	वैष्णो इन्फ्राटेक
47	सीमेंट, कंक्रीट	69/12	1.15×6406.40	7367.36	6708.87	658.49	रिद्धि इन्फ्रा
48	फार ओपन	57/1	3.17×6644.00	21061.48	18493.15	2568.33	गीता इन्टरप्राइजेज
49	फाउण्डेशन	58/1	2.21×6408.10	14161.90	12892.70	1269.20	अरूण सिवाल
50	कम्पलीट	68/1	6.30×6572.10	41404.23	36752.94	4651.29	गीता इन्टरप्राइजेज
51	न्यूनतम दर	69/1	0.69×6506.50	4489.48	4025.32	464.16	पंचशील कं0
52	5833.80	74/1	1.25×6791.90	8489.88	7292.25	1197.63	शिवा इन्टरप्राइजेज
53		75/1	3.62×6342.50	22959.85	21118.35	1841.50	शिवा इन्टरप्राइजेज
54		76/1	2.10×6528.30	13709.43	12250.98	1458.45	ग्लोबल इन्फ्रा0
55		83/1	1.15×6561.20	7545.38	6708.87	836.51	प्रताप कं0
56		87/1	1.78×6594.00	11737.32	10384.16	1353.16	वैष्णो इन्फ्राटेक
57		88/1	0.39×6594.00	2571.66	2275.18	296.48	यदवेन्द्र सिंह
58		89/1	1.30×6594.00	8572.20	7583.94	988.26	पंचशील कं0
59		123/1	0.38×6594.00	2505.72	2216.84	288.88	राधा कृष्ण इ0प्राइजेज
60		125/1	1.06×6506.50	6896.89	6183.83	713.06	वी0एस0कं0

61	128/1	0.80×6440.90	5152.72	4667.04	485.68	गाड कं0
62	130/1	4.20×6594.00	27694.80	24501.96	3192.84	जे0पी0एस0ठेकेदार
63	133/1	1.08×6638.10	7169.15	6300.50	868.65	शिवा इन्टरप्राइजेज
64	134/1	2.95×6604.90	19484.46	17209.71	2274.45	पुरु त्यागी
65	137/1	1.43×6638.10	9492.48	8342.33	1150.15	शिवा इन्टरप्राइजेज
66	140/1	3.58×6419.00	22980.02	20885.00	2095.02	सचिन बिल्डर्स
67	149/1	1.87×6462.70	12085.24	10909.21	1176.03	गाड कं0
68	153/1	1.54×6528.30	10053.58	8984.05	1069.53	सचिन बिल्डर्स
योग-			110236.48			

इस प्रकार एक ही कार्य के लिये 26 प्रकार की दरों से ठेकेदारों को 110236.48का अधिक भुगतान किया गया है। जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार है। अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 14- वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि एक ही कार्य का विभिन्न ठेकेदारों को विभिन्न दरों से भुगतान किया गया है। जिसका विवरण अगले पृष्ठ पर अंकित है।

क्रम	कार्य का नाम	प्रमाणक	नाप एवं दर	दी गई	धनराशि जो	अधिक दी	नाम ठेकेदार
		सं0/माह	घन मी0में0	धनराशि	दी जानी थी	गई धनराशि	
1	कन्सट्रक्शन	45/7	57.64×7090.00	408667.60	378810.08	29857.52	यशपाल सिंह
2	आफ	18/8	64.35×7069.00	454890.15	422908.20	31981.95	यशपाल सिंह
3	अनरिइनफोर्सड	43/8	63.34×6967.00	441289.78	416270.48	25019.30	शंकर इन्टरप्राइजेज
4	डावेलज्वाइंट	48/8	58.56×7018.00	410553.00	384856.32	25696.68	यशपाल सिंह

5	वनली पी0सी0	62/8	49.49×6956.00	344252.44	325248.28	19004.16	ओम कं0
6	सी0 आल	63/8	115.56×7049.00	814582.44	759460.32	55122.12	रविन्द्र सिंह
7	कम्पलीट	64/8	119.04×7049.00	839112.96	782330.88	56782.08	आर0एस0कं0
8	न्यूनतम दर	11/9	47.24×7090.00	334931.60	310461.28	24470.32	चाहत कं0
9	6572.00	16/9	54.75×6987.00	382538.25	359817.00	22721.25	वैष्णो इन्फ्राटेक
10		31/9	49.50×6977.00	345361.50	325314.00	20047.50	कृष्णा बिल्डर्स
11		13/10	63.00×7090.00	446670.00	414036.00	32634.00	यशपाल सिंह
12	कन्स्ट्रक्शन	14/10	84.87×7069.00	599946.03	557765.64	42180.39	यशपाल सिंह
13	आफ	15/10	59.22×7018.00	415605.96	389193.84	26412.12	यशपाल सिंह
14	अनरिडिनफोर्सड	16/10	65.31×7069.00	461676.39	429217.32	32459.07	यशपाल सिंह
15	डावेलज्वाइंट	19/10	283.88×7049.00	2001070.12	1865659.36	135410.76	आर0एस0कं0
16	वनली पी0सी0	29/10	64.94×6987.00	453735.78	426785.68	26950.10	ग्लोबल इन्फ्रा
17	सी0 आल	30/10	47.20×7059.00	333184.80	310198.40	22986.40	वैष्णो इन्फ्रा0
18	कम्पलीट	53/10	91.74×6987.00	690987.38	602915.28	88072.10	रविन्द्र सिंह
19	न्यूनतम दर	57/10	45.21×7079.00	320041.59	297120.12	22921.47	नरेन्द्र शर्मा
20	6572.00	58/10	42.11×7110.00	299402.10	276746.92	22655.18	गीता इन्टरप्राइजेज

21		18/11	48.49×7151.00	346751.99	318676.28	28075.71	चेतन
एसोसिएट							
22		20/11	42.91×7100.00	304661.00	282004.52	22656.48	नरेन्द्र शर्मा
23		21/11	284.83×7049.00	2007766.67	1871902.76	135863.91	आर0एस0कं0
24	कन्सट्रक्शन	25/11	49.08×7100.00	348468.00	322553.76	25914.24	प्रताप कं0
25	आफ	28/11	56.15×6977.00	391758.00	369017.80	22740.20	कृष्णा बिल्डर्स
26	अनरिडिनफोर्सड	32/11	52.32×7049.00	368803.68	343847.04	24956.64	चाहत कं0
27	डावेलज्वाइंट	34/11	64.78×7038.00	455921.64	425734.16	30187.48	यदवेन्द्र सिंह
28	वनली पी0सी0	39/11	60.19×6987.00	420547.53	395568.68	24978.85	शिवा इन्टरप्राइजेज
29	सी0 आॅल	40/11	58.04×6987.00	405525.48	381438.88	24086.60	वैष्णो इन्फ्राटेक
30	कम्पलीट	25/12	53.35×7131.00	380438.85	350616.20	29822.65	ओम कं0
31	न्यूनतम दर	26/12	143.06×7131.00	1020160.86	940190.32	79970.54	पवनश्री कं0
32	6572.00	27/12	71.92×7090.00	509912.80	472658.24	37254.56	पंचशील कं0
33		35/12	66.20×6946.00	459825.20	435066.40	24758.80	पंचशील कं0
34		39/12	63.34×6967.00	441289.78	416270.48	25019.30	शंकर इन्टरप्राइजेज
35		41/12	111.02×7079.00	785910.58	729623.44	56287.14	शिवा इन्टरप्राइजेज
36		45/12	94.50×7131.00	673879.50	621054.00	52825.50	उमेश चन्द
37		46/12	49.49×6556.00	344252.44	325248.28	19004.16	ओम कं0
38		47/12	51.06×7059.00	360432.54	335566.32	24866.22	वैष्णो इन्फ्रा

39	48/12	47.72×6792.00	324114.24	313615.84	10498.40	पवन श्री कं0
40	49/12	51.75×7141.00	369546.75	340101.00	29445.75	नरेन्द्र शर्मा
41	54/12	44.67×7059.00	314972.58	293571.24	21401.34	अरुण सिवाल
42	55/12	54.76×6926.00	379267.76	359882.72	19385.04	अरुण सिवाल
43	56/12	49.00×7038.00	344862.00	322028.00	22834.00	पंचशील कं0
44	58/12	33.98×7038.00	239151.24	223316.56	15834.68	गीता इन्टरप्राइजेज
45	60/12	42.76×7049.00	301415.24	281018.72	20396.52	जे0पी0एस0कं0
46	62/12	49.11×7110.00	349172.10	322750.92	26421.18	गीता इन्टरप्राइजेज
47	44/1	57.39×7038.00	403910.82	377167.08	26743.74	विकास कं0
48	46/1	118.83×7090.00	842504.70	780950.76	61553.94	शंकर इन्टरप्राइजेज
49 कन्स्ट्रक्शन	58/1	41.59×6956.00	289300.04	273329.48	15970.56	अरुण सिवाल
50 आफ	59/1	176.68×7131.00	1259905.08	1161140.96	98764.12	उमेशचन्द्र
51 अनरिइनफोर्सड	61/1	71.92×7090.00	509912.80	472658.24	37254.56	पंचशील कं
52 डावेलज्वाइंट	63/1	204.31×7131.00	1456934.61	1342725.32	114209.29	पवन श्री कं0
53 वनली पी0सी0	68/1	205.69×7110.00	1462455.90	1351794.68	110661.22	गीता इन्टरप्राइजेज
54 सी0 आल	69/1	59.32×7069.00	419333.08	389851.04	29482.04	पंचशील कं0
55 कम्पलीट	74/1	35.41×7233.00	256120.53	232714.52	23406.01	शिवा इन्टरप्राइजेज
56 न्यूनतम दर	75/1	22.06×6895.00	152103.70	144978.32	7125.38	शिवा इन्टरप्राइजेज
57 6572.00	76/1	85.52×7069.00	604540.88	562037.44	42503.44	ग्लोबल इन्फ्रा
58	83/1	49.08×7100.00	348468.00	322553.76	25914.24	प्रताप कं0

59	84/1	60.60×7141.00	432744.60	398263.20	34481.40	नरेन्द्रकुमार
60	88/1	16.89×7069.00	119395.41	111001.08	8394.33	यदवेन्द्र सिंह
61	89/1	51.98×7069.00	367446.62	341612.56	25834.06	पंचशील कं0
62	118/1	19.16×7069.00	135442.04	125919.52	9522.52	शिवा इन्टरप्राइजेज
63	123/1	15.42×7069.00	109003.98	101340.24	7663.74	राधा कृष्ण इ0प्रा0
64	124/1	93.82×7100.00	666122.00	616585.04	49536.96	शिवा इन्टरप्राइजेज
65	125/1	47.20×7069.00	333656.80	310198.40	23458.40	वी0एस0कं0
66	126/1	69.51×7059.00	490671.00	456819.72	33851.28	शिवा इन्टरप्राइजेज
67	128/1	36.12×6987.00	252370.44	237380.64	14989.80	गाड कं0
68	134/1	73.99×7141.00	528362.59	486262.28	42100.31	पुरु त्यागी
69	136/1	42.78×7305.00	312507.90	281150.16	31357.74	राधा कृष्ण इ0प्रा0
70	139/1	65.95×7008.00	462177.60	433423.40	28754.20	विकास कं0
71	140/1	33.66×6967.00	234509.22	221213.52	13295.70	सचिन बिल्डर्स
72	144/1	81.32×7141.00	580706.12	534435.04	46271.08	प्लानिया ट्रेडिंग कं0
73	145/1	56.87×7284.00	414241.08	373749.64	40491.44	प्लानिया ट्रेडिंग कं0
74	149/1	88.67×7008.00	621399.36	582739.24	38660.12	गाड कं0
75	152/1	53.11×7110.00	377612.10	349038.92	28573.18	वी0एस0कं0
76	153/1	60.05×7069.00	424493.45	394648.60	29844.85	सचिन बिल्डर्स
77	159/1	73.21×7100.00	519791.00	481136.12	38654.88	कृष्णा बिल्डर्स
योग			38835451.77	36077256.88	2758194.89	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये 25 प्रकार की दरों से ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। अतः किया गया उक्त अधिक भुगतान 2758194.89 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार है। अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 15- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्यों के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि किसी एक कार्य का विभिन्न दरों से विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	कार्य का नाम	प्रमाणक प्रकार	नाप एवं दर	दी गई धनराशि	धनराशि जो दी जानी थी	अधिक दी गई धनराशि	नाम ठेकेदार
		सं०/माह	घन मी०में०	धनराशि	दी जानी थी	गई धनराशि	
1	पी०/एल० स्प्रेडिंग एण्ड	45/7 ब	31.66×4162.00	131768.92	119494.34	12274.58	यशपाल सिंह
2	कम्पैक्टिंग ऑफ	45-63 56/7 अ	11.25×4284.70	48202.88	42296.62	5906.26	भवानी कं०
	एम.एम. साइज स्टोन(अ)	ब	10.88×4283.10	46600.13	41064.38	5535.75	भवानी कं०
	न्यूनतमदर-		3759.70	18/8ब38.15×4140.00	157941.00	143989.54	13951.46 यशपाल सिंह
3	22.4-53 एम.एम. साइज	42/8अ	125.60×3907.30	490756.88	472218.32	18538.56	देव इंटरप्राइजेज
4	स्टोन(ब) न्यूनतम दर-	ब	125.60×3911.80	491322.08	474052.08	17270.00	देव इंटरप्राइजेज
			3774.30				
5	43/8 ब		36.34×4029.90	146446.56	137158.06	9288.50	शंकर इंटरप्राइजेज
6	44/8 अ		301.01×4217.40	1269479.57	1131707.30	137772.27	रिया एसोसियेट
	ब		205.31×4217.10	865812.80	774901.53	90911.27	रिया एसोसियेट
7	48/8 ब		33.36×4084.90	136272.26	125910.65	10361.61	यशपाल सिंह
8	52/8 ब		19.63×3965.30	77838.83	74089.51	3749.32	मुकेश चन्द गुप्ता
9	53/8 ब		20.25×3965.30	80297.32	76429.57	3867.75	मुकेश चन्द गुप्ता
10	54/8 ब		22.14×3965.30	87791.74	83563.00	4228.74	भवानी कं०

11	55/8	ब	6.75×3965.30	26765.77	24576.52	2189.25	भवानी कं0
12	56/8	ब	11.25×3965.30	44609.62	42460.87	2148.75	भवानी कं0
13	57/8	ब	10.91×3965.30	43261.42	41177.61	2083.81	भवानी कं0
14	61/8	अ	139.01×3907.30	543153.77	522635.90	20517.87	गंगा कं0
15		ब	144.84×3911.80	566585.11	546669.61	19915.50	गंगा कं0
16	62/8	ब	29.23×4018.90	117472.44	110322.79	7149.65	ओम कं0
17	63/8	ब	63.53×4118.00	261616.54	239781.28	21835.26	रविन्द्र सिंह
18	64/8	ब	132.60×4118.00	546046.80	500472.18	45574.62	आर0एस0कं0
19	8/9	अ	265.60×4239.80	1126090.88	998576.32	127514.56	मुकेश चन्द गुप्ता
20		ब	265.60×4239.10	1125904.96	1002454.08	123450.88	मुकेश चन्द गुप्ता
21	9/9	अ	225×3907.30	879142.50	845932.50	33210.00	मुकेश चन्द गुप्ता
22		ब	225×3911.80	880155.00	849217.50	30937.50	मुकेश चन्द गुप्ता
23	51/9	अ	44.32×4195.00	185922.40	166629.90	19292.50	नरेन्द्र शर्मा
			45.45×4195.00	190662.75	171543.93	19118.82	नरेन्द्र शर्मा
24	63/9	अ	115.31×3907.30	450550.76	433531.00	17019.76	गंगा कं0
26		ब	113.86×3911.80	445397.55	429741.80	15655.75	गंगा कं0
27	64/9	अ	165.34×4195.00	693601.30	621628.80	71972.50	राजेन्द्र सिंह

28	10/10	अ	118.97×3907.30	464851.48	447291.51	17559.97	विकास कं0
29		ब	118.97×3911.80	465386.85	449028.47	16358.38	विकास कं0
30	13/10	ब	34.71×4162.00	144463.00	131005.95	13457.05	यशपाल सिंह
31	28/10	अ	291.15×4273.50	1244229.52	1094636.65	149592.87	रिद्धि इन्फ्रा
32		ब	291.16×4272.10	1243864.63	1098925.19	144939.44	रिद्धि इन्फ्रा
33	35/10	अ	257.08×4307.10	1107269.26	966468.48	140800.78	कृष्णा बिल्डर्स
34		ब	257.08×4305.10	1106755.10	970297.04	136458.06	कृष्णा बिल्डर्स
35	53/10	ब	50.82×4051.90	205917.56	191809.93	14107.63	रविन्द्र सिंह
36	58/10	अ	19.97×4217.40	84221.47	75081.21	9140.26	गीता इन्टरप्राइजेज
		ब	35.85×4184.00	149996.40	135308.65	5687.75	गीता इन्टरप्राइजेज
37	31/11	अ	525.03×4273.50	2243715.70	1973955.29	269760.41	चाहत कं0
38		ब	478.88×4272.10	2045823.24	1807436.78	238386.46	चाहत कं0
39	37/11	अ	103.26×4116.50	425069.79	388226.62	36843.17	वैष्णो सप्लायर्स
40		ब	109.50×4118.00	450921.00	413285.85	37635.15	वैष्णो सप्लायर्स
	23/12	अ	301.01×4217.40	1269479.57	1131707.30	137772.27	रिया एसोसियेट

41	ब	301.35×4217.10	1270823.09	1137385.30	133437.79	रिया एसोसियेट
36	28/12 अ	123.35×3907.30	481965.46	463758.99	18206.47	सतीश चन्द्र
	ब	121.30×3911.80	474501.34	457822.59	16678.75	सतीश चन्द्र
38	पी0/एल0 स्प्रेडिंग एण्ड 29/12 अ	139.83×3907.30	546357.76	525718.85	20638.91	गंगा कं0
39	कम्पैक्टिंग आफ 45-63	ब	150.37×3911.80	588217.37	567541.49	गंगा कं0
40	एम.एम. साइज स्टोन(अ)30/12 अ		115.85×3907.30	452660.71	435561.24	गंगा कं0
41	न्यूनतमदर- 3759.706	ब	114.25×3911.80	446923.15	431213.77	गंगा कं0
43	22.4-53 एम.एम. साइज31/12अ		234.70×3907.30	917043.31	882401.59	मुकेश चन्द गुप्ता
44	स्टोन(ब) न्यूनतम दर-	ब	228.85×3911.80	895215.43	863748.55	मुकेश चन्द गुप्ता
45	3774.30 32/12	अ	136.94×3907.30	535065.66	514853.32	देव इंटरप्राइजेज
47		ब	137.21×3911.80	536738.08	517871.70	देव इंटरप्राइजेज
48	33/12	अ	44.02×4195.00	184663.90	165501.99	नरेन्द्र शर्मा
49		ब	46.15×4195.00	193599.25	174183.94	नरेन्द्र शर्मा
50	34/12	अ	268.38×4239.80	1137877.52	1009028.28	मुकेश चन्द गुप्ता
51		ब	268.41×4239.10	1137816.83	1013059.86	मुकेश चन्द गुप्ता
52	37/12	अ	222.46×4127.70	918248.14	836382.86	यशपाल सिंह
53		ब	222.93×4129.00	920477.97	841404.70	यशपाल सिंह
54	50/12	अ	337.50×3907.30	1318713.75	1268898.75	सुदेश कं0
55		ब	233.81×3911.80	914617.96	882469.08	सुदेश कं0
56	52/12	अ	122.89×4049.20	497606.19	462029.53	विकास कं0
57		ब	123.00×4051.90	498383.70	464238.90	विकास कं0
58	68/12	अ	253.27×4307.10	1090859.21	952219.22	गाड कं0
59		ब	253.22×4505.10	1090137.42	955728.25	गाड कं0

60	69/12	अ	545.12×4273.50	2329570.32	2049487.66	280082.66	रिद्धि इन्फ्रा	
61		ब	499.08×4272.10	2132119.67	1883677.64	248442.03	रिद्धि इन्फ्रा	
62	49/1	अ	315.17×4004.30	1262035.23	1184944.65	77090.58	गंगा कं0	
63		ब	320.23×4007.90	1283449.82	1208644.09	74805.73	गंगा कं0	
64	56/1	अ	223.94×4127.70	924357.14	841947.22	82409.92	यशपाल सिंह	
65								
66		ब	224.39×4129.00	926506.31	846915.18	79591.13	यशपाल सिंह	
67	66/1	अ	105.16×4116.50	432891.14	395370.05	37521.09	वैष्णो सप्लायर्स	
68		ब	109.16×4118.00	449520.88	412002.59	37518.29	वैष्णो सप्लायर्स	
69	पी0/एल0 स्प्रेडिंग एण्ड 82/1	अ	322.34×4004.30	1290746.06	1211901.70	78844.36	गंगा कं0	
70	कम्पैक्टिंग आफ 45-63	ब	329.70×4007.90	1321404.63	1244386.71	77017.92	गंगा कं0	
71	एम.एम. साइज स्टोन(अ) 117/1	अ	11.25×4284.70	48202.87	42296.62	5906.25	भवानी कं0	
72	न्यूनतमदर- 3759.70	ब	10.88×4239.80	46600.13	41064.38	5535.75	भवानी कं0	
73	22.4-53 एम.एम. साइज 131/1	अ	60.79×4239.80	257737.44	228552.16	29185.28	आर0एस0कं0	
74	स्टोन(ब) न्यूनतम दर-	ब	61.82×4239.10	262061.16	233327.22	28733.94	आर0एस0कं0	
75	3774.30	138/1	अ	122.89×4049.20	497606.19	462029.53	35576.66	विकास कं0

76		ब	123.00×4051.90	498383.70	464238.90	34144.80	विकास कं0
77	143/1	अ	301.01×4217.40	1269479.57	1131707.30	137772.27	रिया एसोसियेट
78		ब	301.35×4217.10	1270823.09	1137385.30	133437.79	रिया एसोसियेट
79	146/1	अ	198.00×3907.30	773645.40	744420.60	29224.80	आर0एस0कं0
80		ब	198.00×3911.80	774536.40	747311.40	27225.00	आर0एस0कं0
81	148/1	अ	221.35×4049.20	896290.42	832209.59	64080.83	भवानी कं0
82		ब	193.89×4051.90	785622.89	731799.03	53823.86	भवानी कं0
83	149/1	अ	112.97×4071.60	459968.65	424733.31	35235.34	गाँड कं0
84		ब	162.66×4073.90	662660.57	613927.64	48732.93	गाँड कं0
85	14/3	अ	200.63×3907.30	783921.60	754308.61	29612.99	वैष्णो सप्लायर्स
86		ब	201.79×3911.80	789362.12	761616.00	27746.12	वैष्णो सप्लायर्स
87					योग-	5306531.48	

उपरोक्त विवरणानुसार दोनों प्रकार के स्टोन एग्रीगेट के क्रमशः 15 एवं 16 प्रकार की दरों से ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। अतः किया गया उपरोक्त 5306531.48 का अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार हैं। अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 16- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.1.21 को क्रेडिटमैक्स मैनेजमेन्ट सर्विसेज को निविदाओं को डाउनलोड एवं अपलोड करने के कार्य के भुगतान में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 7290.00 (40500.00 पर) ली गई है। लेकिन दिनांक 31.3.21 को 32450.00 पर उक्त फर्म से ही मात्र 15.25 की दर से 4950.00 ही जी0एस0टी0 ली गई है। जबकि 18 प्रतिशत की दर से 5841.00 अर्थात् 891.00 कम जी0एस0टी0 ली गई है। अतः उक्त 891.00 जी0एस0टी0 का कम लिया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या 17- आलोच्य वर्ष के निर्माण कार्य के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 24/11.11.20 में प्वाइन्टिंग वीथ सीमेंट,मोर्टार इन 1:3 रेसियो कार्य का प्रकार नहीं खोला गया है,अर्थात फलस प्वाइन्टिंग है,कि रूल्ड प्वाइन्टिंग, क्योंकि दोनों की विभिन्न दरें हैं। इसके अतिरिक्त दर भी अधिक लिया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।-

क्रम	प्रमाणकसं० /दिनांक	कराया गया कार्य	नाप एवं दर स्क्वायर मी०में	दी गई धनराशि	धनराशि जो दी जानी थी	अधिक दी गई धनराशि	नाम ठेकेदार
1	24/11.11.20	प्वाइन्टिंग वीथ सीमेंट,मोर्टार	18.03×218.80	3945.00	2344.00	1601.00	रविन्द्र सिंह

इन 13 रेसियो

उपरोक्त विवरणानुसार 1601.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार है। अधिक भुगतान राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 18- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि डी०पी०आर०सी० निर्माण के प्रमाणक में कराये गये कार्यों में से निम्न कार्यों का अधिक भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम	प्रमाणकसं० /दिनांक	कराया गया कार्य	नाप एवं दर स्क्वायर मी०में	दी गई धनराशि	दिये जाने वाली दर दी	धनराशि जो जानी थी गई	अधिक दी धनराशि	नाम ठेकेदार
1	19/3.12.20.	एस/एफ कोटा स्टोन इन स्कर्टिंग	22.53×920.00	20727.60	750.00	16897.50	3830.10	रिया एसोसियेट
2	19/3.12.20	फिक्सिंग आफ डोर,विन्डो चैखटें	-----	----	-----	-----	-----	-----
		1.डोर फिक्सिंग-	41×300.00	12300.00	135.00	5535.00	6765.00	रिया एसोसियेट
		2.विन्डो फिक्सिंग-	35×270.00	9450.00	100.00	3500.00	5950.00	रिया एसोसियेट
		3.भेन्टीलेटर फिक्सिंग-	18×150.00	2700.00	75.00	1350.00	1350.00	रिया एसोसियेट
3	19/3.12.20	पेन्टिंग आफ जी०आई०पाइप्स	-----	-----	-----	-----	-----	आर०एम०
		1-15एम०एम०डाय०नामिनल	125.×8.76	1095.00	7.50	937.50	157.50	रिया एसोसियेट बोर
		2-20एम०एम०डाय०नामिनल	168.×10.38	1743.84	8.50	1428.00	315.84	रिया एसोसियेट बोर
		3-25एम०एम०डाय०नामिनल	94.25.×13.64	1285.57	11.50	1083.87	201.70	रिया एसोसियेट
		बोर						
		4-32एम०एम०डाय०नामिनल	44.25.×16.19	716.41	12.50	553.12	163.29	रिया एसोसियेट
		बोर						
		5-50एम०एम०डाय०नामिनल	45.00.×22.66	1019.70	18.50	832.50	187.20	रिया एसोसियेट
		बोर योग-	5860.52			4834.99	1025.53	
4	19/3.12.20	पी०/एफ०बाल शल्भ एप्रुभ्ड क्वालिटी का 2 शल्भ का						इसमें शल्भ का नाप नहीं अंकित किया गया है।(15,20,25 एम०एम०) अर्थात किस नाप का भुगतान उपरोक्त दर से किया गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही।

उपरोक्त विवरणानुसार कुल 18920.63 अर्थात् 18921.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः उक्त भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार हैं। अधिक भुगतान राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 19- शशासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 टी०सी०दिनांक 24.06.2014 एवं शासनादेश दिनांक 12.1.2005 द्वारा अनियमितता/भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी रोकने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य दर्शित किये जाने पर प्रतिबंध है। क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गया दर्शाकर भुगतान प्राप्त करने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए जिला पंचायत को दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित कराया जाना चाहिए। ऐसा किया गया है या नहीं, इस आशय का प्रमाण पत्र वर्ष आलोच्य 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता	नाम ठेकेदार	धनराशि
माह-जून'2020			
1	ग्राम सादुल्लापुर लोधी से मढैया तक सी०सी० कार्य	सिद्धि कं०क०	726544.00
2	ग्राम बीघेपुर में स्कूल पुल से सन्ती पुल तक प्रीमिकसिंग कार्य	साकारक०क०	318000.00
3	ग्राम शुक्लमपुरा में ओमपाल के खेत से नरदेव के खेत की ओर खड़जा कार्य	एन०एल०डी०	553894.00
4	ग्राम कल्याणपुर बम्बे के पुल से जनुपुरा सम्पर्क मार्ग बाईपास पर खड़जा कार्य	एन०एल०डी०	139810.00
5	ग्राम हरोड़ा कोठी में गंदे नाले से प्रभा की ट्यूबवेल तक खगोई खेड़ा मार्ग से जितेन्द्र	मंगुमल	346442.00

के चक की ओर खड़जा कार्य

6	ग्राम मुदाफरा में दलित बस्ती के आगे से हापुड किठौर मार्ग पर नाला निर्माण	यश बिल्डर्स	208320.00
		योग-	2293010.00

माह-जुलाई'2020

1	ग्राम सैदपुरा में प्रा0स्कूल से मध्य गंग नहर की तरफ खडंजा कार्य	सौरभ कं0	149804.00
2	ग्राम आलमगीरपुर में ब्रजघाट बल्वापुर रोड से सुलेख के खेत की ओर खडंजा कार्य	सौरभ कं0	77392.00
3	ग्राम रामपुर नियामतपुर दशाहंस के फार्म के पास पीर वाले रास्ते की ओर खडंजा कार्य	नरेन्द्र शर्मा	420102.00
4	मो0सालकरपुर में राजेन्द्र सरदार के फार्म से हरभजन के फार्म की ओर खडंजा कार्य	नरेन्द्र शर्मा	391661.00
5	ग्राम शाहपुर फगौता में राकेश के खेत से श्योदयाल प्रकाश के खेत की ओर अवशेष खडंजा कार्य	ग्लोबल इन	158795.00
6	असौड़ा मेरठ रोड से अण्डरपास के बराबर से रविन्द्र के खेत की ओर खडंजा कार्य	पंचशील कं0	576576.00
7	ग्राम मीरपुर में हसनपुर मार्ग से बाईपास तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	712320.00
8	ग्राम हसनपुर में भादू के खेत से शमसान तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	459088.00
9	ग्राम बदनौली में पाईप की फैक्ट्री से महावीर के खेत की ओर खडंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	506464.00
10	ग्राम जोगीपुरा में असलम के खेत से मालियों की बस्ती की ओर खडंजा कार्य	शिवाइन्टरप्रा0	2124192.00
11	ग्राम फगौता में बाबा की कुटिया से मिलक रोड की ओर अवशेष खडंजा कार्य	ग्लोबल इन	175840.00
12	ग्राम छज्जपुरा में बचैड़ा के खेत से काली सड़क तक सी0सी0 कार्य	भवानीकं0	1580544.00
13	ग्राम जोगीपुरा में जगवीर के खेत से समय सिंह के खेत तक खडंजा कार्य	ग्लोबल इन	311584.00
14	ग्राम रघुनाथपुर में चन्दपुरा जाने वाले रास्ते पर खडंजा कार्य	वी0एस0कं0	665904.00
15	ग्राम खैरपुर खैराबाद मं आनंदा डेयरी से होते हुए ग्राम नयागाँव की ओर खडंजा कार्य	यशपाल सिंह	880432.00
16	ग्राम होशियारपुर गढ़ी में चुनिया विजेन्द्र सिंह के घर से काकोडी अलीपुर मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	यशपाल सिंह	977424.00
17	ग्राम भगवन्तपुर में खडक सिंह नत्थू सिंह के खेत से परवेन्द्र के खेत की ओर खडंजा कार्य	पुरू त्यागी	498064.00
18	ग्राम भिम्यारी में महक सिंह के बाग से चौलहरी सिंह के टयूबवेल की ओर खडंजा कार्य	यशपाल सिंह	643104.00

19	ग्राम ददायरा में महिपाल के चक से खड़जा कार्य	भवानी कं0	574112.00
20	ग्राम सपनावत जुडो में राजेन्द्र सिंह के यहाँ से काली सड़क तक खड़जा कार्य	गाड कं0	720160.00
21	ग्राम टियाला में हापुड किठौर मेन रोड से खालिद के चक की ओर खड़जा कार्य	पंचशील कं0	291536.00
22	ग्राम बछलौता में नरेन्द्र सिंह के चक से गढ़ी बछलौता सम्पर्क मार्ग तक खड़जा कार्य	विकासकं0	1449056.00
23	ग्राम बीबीनगर मार्ग से बिच्छू के केशर की ओर खड़जा कार्य	यशपाल सिंह	351904.00
24	ग्राम सलोनी में वीरेन्द्र के बाग से नटों की बस्ती की तरफ खड़जा कार्य	रविन्द्र सिंह	163042.00
25	ग्राम छपकोली में छपकोली अयादनगर की तरफ से वाल्मिकि शमसानों से होते हुए	यदवेन्द्रसिंह	1013824.00
ग्राम छपकोली की ओर खड़जा कार्य			
26	ग्राम बड़ौदा में वसीम के खेत से निरंजन के खेत की ओर खड़जा कार्य	ग्लोबल इन	751408.00
27	ग्राम बड़ौदा सिंघानी से उमर मोहम्मद के खेत से जफर के खेत की ओर अवशेष खड़जा कार्य	ग्लोबल इन	398272.00
28	ग्राम शेखपुरा में इण्टर कालेज की दीवार के बराबर से टावर तक सी0सी0 कार्य	यशपाल सिंह	794192.00
29	ग्राम हाजीपुर में त्रिलोक के खेत से नया बास मार्ग तक खड़जा कार्य	राधा कृष्ण इ0	141344.00
30	ग्राम हाजीपुर में पूरब दिशा को जाने वाले रास्ते पर ग्राम उदयपुर हाजीपुर वाले खड़जे	राधा कृष्ण इ0	572768.00
से आगे बंगोली की ओर खड़जा कार्य			
31	ग्राम हृदयपुर में आलम के खेत से मो0जाहिद नम्बरदार के खेत की तरफ खड़जा कार्य	मे0गौड़ कं0	221648.00
32	ग्राम भंडगपुर में काली सड़क से अशोक प्रधान के चक की ओर सी0सी0 कार्य	यशपाल सिंह	870800.00
33	ग्राम कुलपुर में कुटी से कल्याणपुर जाने वाले रास्ते पर खड़जा कार्य	मु0च0गुसा	295392.00
34	ग्राम सिगनपुर गोविन्दपुरी सम्पर्क मार्ग से मनोज कुमार मास्टर के बाग से विल्हेरा	रविन्द्र सिंह	998399.00
सम्पर्क मार्ग की ओर खड़जा कार्य			
35	ग्राम कुलपुर में गन्ना सेन्टर से चामड़ की ओर खड़जा कार्य	मु0च0गुसा	347679.00
36	ग्राम मीरनगर सूदना में मा0दीपचन्द के चक से लली सिंह त्यागी के खेत की ओर खड़जा कार्य	विनोद कुमार	587216.00

37	ग्राम एन0एच024 से आर0एस0एस0पी0जी0 कालेज की ओर सी0सी0कार्य	वैष्णो इन्फ्रा	636048.00
38	ग्राम श्यामपुर जट्ट में झाल वाले रास्ते पर रजवाड़े की ओर खडंजा कार्य	नरेन्द्र शर्मा	621703.00
39	ग्राम सलोनी में सलोनी जखेड़ा सम्पर्क मार्ग से नाले की पटरी पर इण्डियन पब्लिक स्कूल की ओर अवशेष खडंजा कार्य	भवानी कं0	102100.00
40	ग्राम जमालपुर में कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते पर खडंजा कार्य	रविन्द्र सिंह	714323.00
41	ग्राम आलमगीरपुर में ललित चौहान के मकान से भोगापुर की सड़क की ओर खडंजा कार्य	नरेन्द्र शर्मा	634895.00
42	ग्राम सिकन्दरपुर में कुड़े के खेत से गोपाल के खेत की ओर खडंजा कार्य	राधा कृष्ण इ0	543266.00
43	सरीफपुर से किठौर जाने वाले मार्ग पर खडंजा कार्य	रिया एस0	1036300.00
44	ग्राम गोहरा में हरिराज त्यागी के चक से मुदाफरा सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	सचिन बिल्डर्स	639971.00
45	ग्राम डोमा टिकरी सुखदेवपुर सम्पर्क मार्ग में खडंजा कार्य	प्रताप कं0	511616.00
46	ग्राम हैदरपुर में पूर्व में लगे खडंजे से नटों की मढ़ैया की ओर खडंजा कार्य	पुरु त्यागी	810527.00
47	ग्राम समाना आस्था रोड से ग्राम छज्जुपुरा सम्पर्क मार्ग की ओर खडंजा कार्य	ब्रह्मपाल सिंह	578144.00
48	ग्राम बहरामपुर बाढ़ली में सरावनी सम्पर्क मार्ग से शमशानों की ओर खडंजा कार्य	ब्रह्मपाल सिंह	590434.00
49	ग्राम भटियाना में सपनावत सम्पर्क मार्ग पर डा0राजकुमार के चक की ओर खडंजा कार्य	शंकर इन्टरप्रा0	534352.00
50	ग्राम बडौदा सिंघानी में अन्जुम के खेत से गढ़ी की तरफ खडंजा कार्य	ग्लोबल इन	1067584.00
योग-			30873305.00

माह-अगस्त'2020

1	ग्राम खैरपुर खैराबाद में विक्रम सिंह के खेत से डामर रोड की ओर खड्जा कार्य	वी0एस0कं0	809872.00
2	ग्राम छतनौरा में मतनौरा की ओर बाईपास की ओर सी0सी0 एवं खड्जा कार्य	शिवा इन्ट0	1082592.00
3	ग्राम श्यामपुर में भुपेन्द्र के चक से हरशरन के चक तक खड्जा कार्य	पवन श्री कं0	859040.00
4	मेरठ रोड पर विरेन्द्र त्यागी के बाग से खड्जा कार्य	पवन श्री कं0	361716.00
5	ग्राम नानपुर फतेहपुर सम्पर्क मार्ग से शमशान घाट की ओर खड्जा कार्य	पवन श्री कं0	452067.00
6	ग्राम श्यामपुर में ओमपाल प्रधान के खेत से मलुकपुर सम्पर्क मार्ग की ओर खड्जा कार्य	पवन श्री कं0	397152.00
7	ग्राम नूरपुर में तालाब से सरपंच के चक तक सी0सी0कार्य	यशपाल सिंह	759584.00
8	ग्राम कमरूचीन नगर में सरकारी ट्यूबवेल से पप्पू मुंशी की ट्यूबवेल की ओर खड्जा कार्य	रिद्धि इन्फ्रा	729680.00
9	ग्राम सिवाया के रजवाहा डासना के पुल से पटरी पर ग्राम शाहपुर फगौता सम्पर्क मार्ग पर खड्जा कार्य	गीता इन्टरप्रा0	760480.00
10	ग्राम सीतादेई में मुख्य काली सड़क मार्ग से चौधरी श्योराज के चक तक खड्जा कार्य	वी0एस0कं0	246880.00
11	ग्राम वीरमपुर में हाजी शराफत के मकान से दरियापुर सम्पर्क मार्ग की ओर खड्जा कार्य	मु0च0गुसा	845152.00
12	ग्राम भगवानपुर में भोपाल की ट्यूबवेल से मदनपाल की ट्यूबवेल की ओर खड्जा कार्य	मु0च0गुसा	977760.00
13	ग्राम जोगीपुरा में जगवीर के खेत से समय सिंह के खेत तक खड्जा कार्य	ग्लोबल इन	47264.00
14	ग्राम सैना में ईदगाह से पूर्व खड्जे से आगे रतुपुरा ईदगाह की ओर खड्जा कार्य	एस0बी0कं0	543909.00
15	मुक्तेश्वरा मुदाफरा सम्पर्क मार्ग से घेरों के सम्पर्क मार्ग की ओर खड्जा कार्य	भवानी कं0	440272.00
16	ग्राम बी0बी0नगर बछलौता सम्पर्क मार्ग से एन0एच09 की ओर प्रीमिक्सिंग कार्य	देव इन्टरप्रा0	1092000.00
17	ग्राम सिमरौली में हरिजन बस्ती से पदम में सिंह के ट्यूबवेल की ओर सी0सी0कार्य	शंकर इन्टरप्रा0	884240.00
18	ग्राम सैना में पूर्व में बनी काली रोड से आगे की तरफ कुराना सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	रिया एसो0	2596160.00
19	ग्राम दहाना में राजपाल की डेरी से नहर तक खड्जा कार्य	ब्रह्ममपाल सिंह	583520.00

20	ग्राम खड़खड़ी में महेश त्यागी के खेत से सुदना की ओर खड़जा कार्य	विनोद कुमार	589120.00
21	ग्राम अयादनगर मं बेली राम नाई के मकान से अहमदनगर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0कार्य	यशपाल सिंह	848848.00
22	ग्राम लोधीपुर शोभन में गढ़ मेरठ रोड से बिजली के सामने से यूल की तरफ खड़जा कार्य	उमेश च0 गुप्ता	955136.00
23	ग्राम पुठ मुख्य मार्ग नटों के मन्दिर से किशन के खेत की ओर इन्टरलाकिंगकार्य	पुरु त्यागी	158654.00
24	ग्राम माधोपुर मौजमपुर पीरनगर औरंगाबाद सम्पर्क मार्गसेहरिजनबस्तीकीओरसी0सी0कार्य	नरेन्द्र कुमार शर्मा	1001501.00
25	ग्राम पलवाड़ा केमिकल फैक्ट्री के बराबर से नाहर सिंह के खेत की ओर खड़जा कार्य	राधा कृष्ण इन्टर0	296464.00
26	ग्राम खिलवाई में इन्दु/आनन्द से हरिराज त्यागी के चक की ओर खड़जा कार्य	गंगा कं0	502880.00
27	ग्राम गालन्द में जसवन्त सिंह के खेत से रिलायन्स रोड भोगापुर तक खड़जा कार्य	गौड़ कं0	1030624.00
28	ग्राम शाहपुर चौधरी में गढ़ शाहपुर रोड से मध्य गंग नहर के पुल की ओर लेपन कार्य	गंगा कं0	1340640.00
29	ग्राम निजामपुर में एन0एच0-24 से टाईल्स फैक्ट्री की ओर सी0सी0 कार्य	ओम कं0	570976.00
30	ग्राम जखैड़ा में सलोनी डेरा मार्ग से रजापुर सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0 व नाली कार्य	रविन्द्र सिंह	1620528.00
31	ग्राम नानपुर में मेरठ रोड से रुद्रा गुरप आफ इन्स्टीच्यूट तक सी0सी0 कार्य	आर0एस0कं0	1758624.00
योग-			25143335.00

माह-सितम्बर'2020

1	ग्राम वैट में कुटी सम्पर्क मार्ग से गं0राम फुलड़ी की ओर लेपन कार्य	मुकेश च0गुप्ता	2695728.00
2	ग्राम गन्दूनगला में खागोई पूर्व में बनी काली सड़क से खागोई की ओर लेपन कार्य	मुकेश च0गुप्ता	2044448.00
3	ग्राम जनुपुरा सम्पर्क मार्ग से नन्द किशोर त्यागी के खेत से लड़पुरा सम्पर्क मार्ग की ओर खड़जा कार्य		
पुरु त्यागी			967456.00

4	ग्राम बड़ोड़ा खुर्द में देहरा बड़ोड़ा सम्पर्क मार्ग से दुर्गा देवी मन्दिर तक सी0सी0कार्य	चाहत कं0	631680.00
5	ग्राम माधोपुर में बम्बे गन्दे नाले पर गाँव की पुलिया से मो0आजमपुर सम्पर्क मार्ग की ओर खडंजा कार्य	आर0एस0कं0	675136.00
6	ग्राम हृदयपुर में आलम के खेत से मो0जाहिद नम्बरदार के खेत से सलीम के खेत की ओर खडंजा कार्य	वैष्णो सप्लायर्स	929936.00
7	ग्राम हुमायूँपुर में महमूदपुर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0कार्य	वैष्णो इन्फ्रा	642992.00
8	ग्राम हृदयपुर में अहसान के खेत से नीयान अहमद के खेत की ओर खडंजा कार्य	वैष्णो सप्लायर्स	925680.00
9	ग्राम गढी में ओमवीर के खेत से अलीपुर सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	कृष्णा बिल्डर्स	597856.00
10	ग्राम नली हुसैनपुर मार्ग से रामवीर सिंह के खेत से बिट्टू के खेत की ओर खडंजा कार्य	यशपाल सिंह	337398.00
12	ग्राम बड़ौदा सिंहानी में मो0अली स्कूल से खुशी मो0 के खेत की ओर खडंजा कार्य	ग्लोबल इन	264880.00
13	ग्राम आरिफपुर मढ़ैया में सरावनी श्यामपुर जट्ट मार्ग की ओर अवशेष खडंजा कार्य	सचिन बिल्डर्स	486976.00
14	ग्राम बागड़पुर से सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	नरेन्द्र कुमार शर्मा	448448.00
15	ग्राम सवाई में नसीम प्रधान के खेत से लेकर जाटव के खेत तक खडंजा कार्य	वैष्णो सप्लायर्स	513072.00
16	ग्राम सादुल्लापुर लोधीपुर शोभन सम्पर्क मार्ग,मौर्य चौधरी के खेत से गंगा बल के खेत की ओर खडंजा कार्य	उमेश च0गुप्ता	311136.00
17	ग्राम लोधीपुर चमरपुरा सम्पर्क मार्ग,शिबू की दुकान से सादुल्लापुर लोधीपुर सामने सम्पर्क मार्ग की ओर ख0कार्य	उमेश च0गुप्ता	810768.00
18	ग्राम मुरादपुर में नया बास हाजीपुर सम्पर्क मार्ग नरेश के खेत से प्रमोद की ट्यूबवेल तक खडंजा कार्य	राधा कृष्ण इन्टर0	669312.00
19	ग्राम गोहरा में कटार नागर के चक से आगे अवशेष खडंजा कार्य	सचिन बिल्डर्स	707840.00
20	ग्राम शाहपुर से सोगढ़ डाबर रोड की ओर लेपन कार्य	गंगा कं0	1066240.00
21	ग्राम बंगोली में कुराना वाले रास्ते पर पूर्व रोड से आगे की तरफ काली रोड निर्माण	राजेन्द्र सिंह	937104.00
योग-			16664086.00

माह- अक्टूबर 2020

1	ग्राम वैट में काली सड़क गुफरान के खेत से शौकत के खेत की ओर खडंजा कार्य	विकास कं0	509824.00
2	ग्राम पीरनगर सुदना में मास्टर दीपचन्द के चक से वली सिंह त्यागी के खेत की ओर खडंजा कार्य	विनोद कुमार	357392.00
3	ग्राम वैट में बम्बे की पुलिया से इस्माईल के खेत की ओर लेपन कार्य	विकास कं0	1125936.00
4	ग्राम झड़ीना सम्पर्क मार्ग जयचन्द डा0 के खेत से मोटा महादेव मन्दिर की ओर खडंजा कार्य	पुरू त्यागी	1262800.00
5	ग्राम मलुकपुर में धर्म सिंह के खेत से कमाल सिंह के खेत तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टर0	764624.00
6	ग्राम नुरपुर में नाममेहर के खेत के सामने से तालाब तक सी0सी0कार्य	यशपाल सिंह	1080321.00
7	ग्राम लुखराड़ा में मेहमई के पूर्व सी0सी0से भोले की चक्की की ओर सी0सी0कार्य	यदवेन्द्र सिंह	1096480.00
8	ग्राम मीरपुर में हसनपुर मार्ग से बाईपास तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टर0	114800.00
9	ग्राम रमपुरा वनखण्डा में रमपुरा में गाँव के बाहर सरकारी नल तिराहे से रणवीर दरोगा के यहाँ तक नाली/सी0सी0	यशपाल सिंह	1354416.00
10	ग्राम समाना में जारचा रोड से गऊशाला की तरफ काली रोड कार्य	रिद्धि इन्फ्रा	3039680.00
11	ग्राम छिजारसी से खेड़ा व एन0एच0-9 तक खडंजा कार्य	आर0एस0क0	1240848.00
12	ग्राम लुहारी में देवी मठ से मूल की ओर सी0सी0कार्य	सुदेश कं0	1380736.00
13	ग्राम मीरपुर में हसनपुर मार्ग से बाईपास तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टर0	114800.00
14	ग्राम चक्रसेनपुर बाबूगढ़ में आबादी से मुख्य मार्ग पर सी0सी0कार्य	ग्लोबल इन	831264.00
15	ग्राम भमेड़ा में शेखपुर बाबूगढ़ सम्पर्क मार्ग से जी0ओ0टावर की ओर सी0सी0कार्य	वैष्णो इन्फ्रा	485520.00
16	ग्राम लाखन से रिलायंस सम्पर्क मार्ग को ग्राम लाखन से जोड़ने हेतु सी0सी0कार्य	आर0एस0कं0	1071056.00
17	ग्राम बंगोली में रनपबल के खेत से कुराना सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	सुदेश कं0	912688.00
18	ग्राम पिपलैड़ा में इंद्रीश के खेत से ईदगाह तक काली सड़क कार्य	गाँड कं0	2657088.00
19	ग्राम छतनौरा में कुचेसर मार्ग से अजब सिंह के मकान की ओर खडंजा कार्य	कृष्णा बिल्डर्स	315616.00
20	ग्राम श्यामपुर में भूपेन्द्र के चक से हरशरण के चक तक खडंजा कार्य	पवन श्री कं0	194880.00

21	ग्राम श्यामपुर में ओमपाल प्रधान के खेत से मलुकपुर सम्पर्क मार्ग की ओर खड़जा कार्य	पवन श्री कं0	399840.00
22	ग्राम नानपुर फतहपुर सम्पर्क मार्ग पर मास्टर ध्यान सिंह के खेत से पावटी सम्पर्क मार्ग की ओर खड़जा कार्य	आर0एस0कं0	770112.00
23	ग्राम लोधीपुर शोभन में ओमप्रकाश के मकान से गढ़ से मेरठ की ओर सी0सी0कार्य	ग्लोबल इन	712320.00
24	ग्राम डोमाटिकरी सुखदेवपुर सम्पर्क मार्ग से खड़जा कार्य	प्रताप कं0	144928.00
25	ग्राम फुलडी में बिज्जी की ट्यूबवेल से बड़े कलुवा के घर की ओर सी0सी0कार्य	रविन्द्र सिंह कं	1298752.00
26	ग्राम बछलौता में प्रा0स्कूल से चौहानों तक सी0सी0कार्य	पंचशील कं0	1859872.00
27	ग्राम हरिनाथपुर कोटा में छोड़िया की ओर अवशेष नाला कार्य	शिवा इन्टर0	555072.00
28	ग्राम रझैड़ा में अमन सिंह के मकान से सैना रझैड़ा सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0कार्य	शिवा इन्टर0	1549856.00
29	ग्राम मतनौरा में जानचन्द के मकान से दलित बस्ती की ओर सी0सी0कार्य	नरेन्द्र कु0शर्मा	681520.00
30	ग्राम हाजीपुर में अटल प्रताप के घर से ग्राम उदयपुर मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	गीता इन्टर0	775102.00
31	ग्राम पारपा की मढ़ैया में प्रा0स्कूल के बराबर से कन्दौला वाले रास्ते पर खड़जा कार्य	अभिनव इन्टर0	316624.00
योग-			28974767.00

माह-नवम्बर'2020

1	ग्राम मतनौरा में आगापुर सम्पर्क मार्ग स्कूल से गाँव की ओर सी0सी0कार्य	चेतन एस0	836528.00
2	ग्राम हिण्डालपुर में बाबूगढी के मकान से शमशान घाट तक खड़जा कार्य	गौड़ कं0	967344.00
3	ग्राम झडीना हिरनपुरा सम्पर्क मार्ग,अमित चौधरी की ट्यूबवेल से हरिजन बस्ती की ओर सी0सी0	नरेन्द्र शर्मा	556864.00
4	ग्राम रझैड़ी में सलोनी सम्पर्क मार्ग से ठाकुर कुँवरपाल सिंह की ट्यूबवेल की ओर खड़जा कार्य	रविन्द्र सिंह	394464.00
5	ग्राम दहीरपुर में बम्बे के पुल से बाबा की तरफ सी0सी0कार्य	प्रताप कं0	693504.00
6	ग्राम नन्दपुर में गुलावटी धौलाना मार्ग से अनमोल के खेत तक खड़जा कार्य	ब्रह्मपाल सिंह	500000.00
7	ग्राम सपनावत नगला से सोती नम्बरदार के खेत से खड़जा कार्य	ग्लोबल इन	883008.00
8	चन्द्रमणि कालेज रोड से ललित त्यागी के खेत से राजेन्द्र यादव के खेत तक खड़जा कार्य	गंगा कं0	859040.00
9	झण्डा विशनरी मार्ग पर सी0सी0कार्य	चाहत कं0	780192.00
10	ग्राम रझैड़ी में कश्यपों की बस्ती से खेड़ा सम्पर्क मार्ग की ओर खड़जा कार्य	मुकेश च0गुप्ता	880880.00
11	ग्राम नली हुसैनपुर में नली बनखण्डा बाईपास से नन्दराम के घर की ओर सी0सी0कार्य	यदवेन्द्र सिंह	1130400.00
12	ग्राम बदनौली कस्तला में काटे से नीरज के खेत की ओर खड़जा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	628880.00
13	ग्राम हृदयपुर से साबी सम्पर्क मार्ग पूर्व प्रिमिक्सिंग कार्य से आगे प्रिमिक्सिंग कार्य	वैष्णो सप्लायर्स	1000000.00
14	ग्राम अकड़ोली में जयपाल के खेत से त्रिलोक चन्द्र शर्मा के खेत तक सी0सी कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	979888.00
15	ग्राम पटना स्थित काली नदी की पटरी पर दीवार निर्माण व मरम्मत कार्य	ग्लोबल इन	669536.00

16	ग्राम मुरादपुर पावटी कुलेवास के मकान से कुटी पावटी मन्दिर की ओर खड्जा कार्य	नरेन्द्र शर्मा	1400000.00
	योग-		13160528.00
	माह-दिसम्बर'2020		
1	गोहरा बाईपास पर महावीर सिंह के घर से बाग की ओर इन्टरलाकिंग कार्य	सचिन बिल्डर्स	372222.00
2	ग्राम सैना में पूर्व में बनी काली रोड से आगे की तरफ कुराना सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	रिया एसो	1195040.00
3	ग्राम नवादा में फरीदपुर नवासा बाईपास पर सी0सी0कार्य	वैष्णो सप्लायर्स	1296960.00
4	ग्राम धौलाना में नई बस्ती जाटवों के पीछे से शमशान घाट की तरफ सी0सी0कार्य	ओम कं0	814362.00
5	ग्राम लोधीपुर छपका में लोधीपुर हैदरपुर खड्कपुर सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	पवन श्री कं0	1328432.00
6	ग्राम हरिनाथपुर कोटा में अशोक के मकान से कोटा मुदाफरा सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	पंचशील कं0	750064.00
7	ग्राम शाहपुर चैधरी में गढ़ शाहपुर रोड से मध्य गंग नहर के पुल की ओर लेपन कार्य	गंगा कं0	806736.00
8	ग्राम शाहपुर से सौगढ़ डाबर रोड की ओर लेपन कार्य	गंगा कं0	608832.00
9	ग्राम छतनौरा में मतनौरा की ओर बाईपास की ओर सी0सी0एवं खड्जा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	1096256.00
10	ग्राम ततारपुर में हरिजन बस्ती से रामकिशन के ट्यूबवेल की ओर सी0सी0कार्य	पंचशील कं0	823366.00
11	ग्राम बड़ैडाखुर्द में देहरा बड़ैडा सम्पर्क मार्ग से धर्मपाल के घर तक खड्जा कार्य	आर0एस0कं0	963424.00
12	ग्राम भिम्यारी में मेन रोड से अम्बे गल्स डिग्री कालेज शिव मन्दिर तक काली सड़क निर्माण कार्य	यशपाल सिंह	2235408.00
13	ग्राम छतनौरा में शैलेन्द्र ठेकेदार के घर से मतनौरा सम्पर्क की ओर सी0सी0कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	1284640.00
14	ग्राम बदनौली में पाईप की फैक्ट्री से महावीर के खेत की ओर खड्जा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	578256.00

15	ग्राम जोगीपुरा में असलम के खेत से मालियों की बस्ती की ओर खडंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	1188096.00
16	ग्राम भगवतीपुर उर्फ लिसडी में यशपाल के खेत से पुराने खडंजे से देवेन्द्र के खेत की ओर खडंजा कार्य	गीता इन्टरप्रा0	359856.00
17	ग्राम लोधीपुर छपका में भूलेराम के खेत से हिरनपुरा झड़ीना सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	उमेश च0गुप्ता	1894928.00
18	ग्राम डिबाई में डिबाई से नानपुर सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	पवन श्री कं0	969808.00
19	ग्राम पसवाड़ा में सम्पर्क मार्ग पर धर्मपाल चौहान के घर की तरफ सी0सी0कार्य एवं नाली कार्य	नरेन्द्र कु0शर्मा	765184.00
20	ग्राम सिकन्दरपुर बागड़पुर सम्पर्क मार्ग पर सोमी के खेत से कुटी की ओर लेपन कार्य	सुदेश कं0	2747248.00
21	सुमेरो वाल्मिकि के मकान से पटना सम्पर्क मार्ग,गाँव ददायरा में शेष खडंजा कार्य	विनोद कुमार	164017.00
22	ग्राम महमूदपुर छतनौरा मुख्य मार्ग से तिगरी सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	विकास कं0	1217664.00
23	ग्राम मुड़िया दहीरपुर सम्पर्क मार्ग से गाँव की ओर सी0सी0कार्य	अभिनव इन्टर0	1413328.00
24	ग्राम छपकौली में शिव मन्दिर से छोईया की ओर सी0सी0कार्य	अरूण सिवाल	603008.00
25	ग्राम जरोठी से कंसल फ्लोर मिल्स की ओर सी0सी0कार्य	अरूण सिवाल	685552.00
26	ग्राम आरिफपुर सरावनी में हापुड़ किठौर सम्पर्क मार्ग से ईदगाह की ओर सी0सी0कार्य	पंचशील कं0	655312.00
27	ग्राम हसनपुर में भाटू के खेत से शमशान तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	59360.00
28	ग्राम खुडलिया को जाने वाले मुख्य मार्ग पर सी0सी0कार्य	गीता इन्टरप्रा0	718704.00
29	ग्राम नन्दपुर में गुलावटी धौलाना मार्ग से अनमोल के खेत तक खडंजा कार्य	ब्रह्मपाल सिंह	288819.00
30	ग्राम नली में महावीर के खेत से सोदान के खेत तक खडंजा कार्य	यदवेन्द्र सिंह	122852.00
31	ग्राम खुलड़िया में रविन्द्र के मकान से मुख्य मार्ग पर राजपान के मकान की ओर सी0सी0कार्य	गीता इन्टरप्रा0	826336.00
32	ग्राम हाजीपुर मार्ग से उदयपुर शमशान तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	1070160.00
33	ग्राम मलुकपुर में धर्म सिंह प्रधान के खेत से रूमाल सिंह के खेत तक खडंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	268296.00
34	सपनावत रजवाहे से सवाजीत के खेत तक खडंजा कार्य	ग्लोबल इन	1037008.00
35	ग्राम सपनावत नगला में मोती नम्बरदार के खेत से खडंजा कार्य	ग्लोबल इन	164976.00
योग-			31374510.00

माह-जनवरी 2021

1	ग्राम पोपई से जनुपुरा मार्ग पर नाजिम के खेत से विरेन्द्र त्यागी के खेत की ओर खडंजा कार्य	पुरु त्यागी	484736.00
2	ग्राम सोगढ में सोगढ झडीना सम्पर्क मार्ग से आली मोडासना वाले के घर की ओर खडंजा कार्य	पुरु त्यागी	350000.00
3	ग्राम मतनौरा में अगापुर सराय में मुख्य मार्ग स गोहरा की ओर सी0सी0कार्य	विकास कं0	714000.00
4	ग्राम बंगोली में दीपक के खेत से जीतन के खेत की ओर खडंजा कार्य	भवानी कं0	253000.00
5	ग्राम बंगोली में ओमप्रकाश की ट्यूबवेल से ब्रज किशोर शर्मा के खेत की ओर सी0सी0कार्य	शंकर इन्टरप्रा0	1264104.00
6	ग्राम झडीना हिरनपुरा सम्पर्क मार्ग से विरेन्द्र के खेत के बराबर से मंगु शर्मा के खेत की ओर खडंजा कार्य राधा	कृष्ण इन्टर0	355840.00
7	ग्राम मुरादपुर में मध्य गंग नहर साइफन के पास से ग्राम मुरादपुर सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	गंगा कं0	3056144.00
8	ग्राम रजापुर में धर्मपाल के खेत से शमशान घाट तक खडंजा कार्य	रविन्द्रा कं0	285376.00
9	ग्राम नयाबास में पुल से लेकर मेम्बर के ट्यूबवेल की ओर खडंजा कार्य	श्री कृष्णाबिल्डर्स	535808.00
10	ग्राम फतेहपुर में स्याना सम्पर्क मार्ग की ओर एन0एच0-9 तक सी0सी0कार्य	गीता इन्टरप्राइजेज	1132096.00
11	ग्राम श्यामपुर में महावीर के खेत से ग्राम खडखडी की तरफ काली सड़क तक सी0सी0कार्य	अरुण सिवाल	842128.00
12	ग्राम जनुपुरा सम्पर्क मार्ग से लड़पुरा सम्पर्क मार्ग की ओर अवशेष खडंजा कार्य	राधा कृष्ण इन्टर0	213584.00
13	ग्राम असौड़ा में रविन्द्र के खेत से दस्तोई रोड तक अवशेष खडंजा	पंचशील कं0	840672.00
14	ग्राम खईया में शुक्लपुरा समाधि से शरीफपुर बाग तक खडंजा कार्य	राधा कृष्ण इन्टर0	481936.00
15	ग्राम लालपुर से सुल्तानपुर ईदगाह सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	राधा कृष्ण इन्टर0	516968.00
16	ग्राम पीतमपुरा कंदोला मार्ग पर शिव मन्दिर की ओर सी0सी0 कार्य	गीता इन्टरप्राइजेज	2748592.00
17	ग्राम ददायरा में मेन चैराहे से कालू तक सी0सी0कार्य	पंचशील कं0	716688.00
18	ग्राम छिजारसी में परतापुर सम्पर्क मार्ग से बलजीत के खेत तक अवशेष खडंजा कार्य	बी0एस0कं0	114800.00

19	ग्राम हिरनपुरा में प्राइमरी स्कूल से पोपई सम्पर्क मार्ग पर खड्जा कार्य	आर0एस0कं0	183848.00
20	ग्राम शाहपुर जट्ट में चैपले वाले प्रा0स्कूल से पवनवीर के चक तक खड्जा कार्य	नरेन्द्र कुमार शर्मा	1022784.00
21	ग्राम खड्कपुर से लोधीपुर छपका सम्पर्क मार्ग की ओर खड्जा कार्य	आर0एस0कं0	66080.00
22	ग्राम हाजीपुर में शिव मन्दिर वाले रास्ते पर शमशान की ओर खड्जा कार्य	शिवा इन्टरप्राइजेज	530096.00
23	मेरठ रोड पर अमित सोप फैक्ट्री तक सी0सी0कार्य	शिवा इन्टरप्राइजेज	636448.00
24	ग्राम मदापुर में ग्राम भोगपुर होते हुए रिलायंस रोड की ओर सी0सी0कार्य	ग्लोबल इन	1096424.00
25	किठौर हापुड सम्पर्क मार्ग से सुखलाल नागर के ट्यूबवेल की ओर खड्जा कार्य	एस0एस0कं0	202608.00
26	टूकलैडी सुखदेवपुर सम्पर्क मार्ग से शीशपाल के खेत तक खड्जा कार्य	गीता इन्टरप्राइजेज	1035440.00
27	ग्राम दस्तोई में जोगीपुरा सम्पर्क मार्ग से सतपाल के ट्यूबवेल की ओर खड्जा कार्य	शिवा इन्टरप्राइजेज	636272.00
28	ग्राम नानपुर में गढ़ मेरठ रोड से पावटी की ओर अवशेष खड्जा कार्य	श्रेया कं0	223888.00
29	ग्राम मटैल में 300' दिशा की ओर से रामकेश के खेत से अहमदनगर सम्पर्क मार्ग की ओर खड्जा कार्य	जाहन्वी एस0	994672.00
30	ग्राम छज्जपुरा में खचैड़ा के खेत से काली सड़क तक सी0सी0कार्य	भवानी कं0	331072.00
31	ग्राम चक सैनपुर,बाबुगढ़ में सी0सी0रोड के दोनों तरफ साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग व अवशेष सी0सी0कार्य	वैष्णो इन्फ्रा	678596.00
32	ग्राम अयादनगर में बेली राम की तरफ से अवशेष सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	यदवेन्द्र कं0	269696.00
33	ग्राम असौड़ा में पीर वाले रास्ते पर भूमिया से विरेन्द्र के खेत तक सी0सी0कार्य	पंचशील कं0	866880.00
34	ग्राम हरनाथपुर कोटा से छोईया तक नाली निर्माण कार्य	सुरेन्द्र कं0	219968.00
35	ग्राम जरौठी श्यामपुर मार्ग पर धर्मकाँटे के पास से डिग्री कालेज की तरफ खड्जा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	791440.00
36	ग्राम हुमायूँपुर में महमूदपुर सम्पर्क मार्ग में अवशेष सी0सी0व साइड पटरी पर खड्जा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	419776.00
37	ग्राम मदापुर मुस्तफाबाद में अब्दुल के खेत की ओर साइड पटरी पर खड्जा कार्य	शिवा इन्टरप्रा0	245952.00
38	हापुड किठौर मार्ग पर रमानन्द सैनी के बाग से नरेन्द्र के खेत तक खड्जा कार्य	विनोद कुमार	724976.00
39	ग्राम लोधीपुर शोभन में ओमप्रकाश के मकान से गढ़ मेरठ रोड की ओर सी0सी0कार्य	ग्लोबल इन	321776.00

40	ग्राम पिथनपुरा में कन्दोला मार्ग पर शिव मन्दिर की ओर पुरानी सी0सी0का अवशेष कार्य राधा कृष्ण इन्टर0	201028.00
41	ग्राम श्यामपुर में काली सड़क से टावर की ओर सी0सी0कार्य	शिवा इन्टरप्रा0 993440.00
42	ग्राम मालपुर में रिजवान के खेत से मदरसा की ओर सी0सी0कार्य	वी0एस0कं0 608292.00
43	ग्राम श्यामपुर जट्ट में श्यामपुर सिलावर मार्ग से झाल की ओर सी0सी0कार्य	शिवा इन्टरप्रा0 901376.00
44	ग्राम नवादा में फरीदपुर नवादा बाईपास सी0सी0रोड की पटरी पर इन्टरलाकिंग कार्य	शिवा इन्टरप्रा0 515760.00
45	ग्राम भटियाना में भटियाना हापुड रोड,पथवारी माता के मन्दिर की ओर सी0सी0कार्य	गाड़ कं0 585984.00
46	ग्राम लाखन से रिलायन्स सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड के दोनों तरफ साईड पटरी पर इ0ला0कार्य जे0पी0एस0कं0	625184.00
47	ग्राम सैना में कुराना सम्पर्क मार्ग की ओर अवशेष काली रोड का निर्माण कार्य	आर0एस0कं0 969248.00
48	ग्राम बड़ैडाखुर्द में देहरा बड़ैडा सम्पर्क मार्ग से धर्मपाल के घर तक खड़ंजा कार्य	आर0एस0कं0 445088.00
49	ग्राम लड़पुरा में ओम भगत जी के मन्दिर से रजवाहे की ओर सी0सी0/नाली कार्य	पुरू त्यागी 1055712.00
50	ग्राम बंगोली हाजीपुर मार्ग से शिव मन्दिर की ओर सी0सी0 कार्य	राधा कृष्ण इन्टर0 606704.00
51	ग्राम गोहरा में मुदाफरा सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0पटरी पर इन्टरलाकिंग कार्य	शिवा इन्टरप्राइजेज 261856.00
52	ग्राम महमुदपुर छतनौरा मुख्य मार्ग से तिगरी सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	विकास कं0 790832.00
53	ग्राम भैना में भोजवीर शर्मा के मकान से गढ़ स्याना रोड की ओर सी0सी0कार्य	विकास कं0 810320.00
54	ग्राम गोहरा में मुदाफरा सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	सचिन बिल्डर्स 473312.00
55	ग्राम झड़ीना में महादेव मार्ग से तपेश्वर मन्दिर की ओर खड़ंजा कार्य	गीता इन्टरप्रा0 1071616.00
56	ग्राम छतनौरा में लिल्लू के घर से सरकारी नल तक सी0सी0पटरी पर इन्टरलाकिंग कार्य	शिवा इन्टरप्रा0 90944.00
57	ग्राम सैना में पूर्व में बनी काली रोड से आगे की तरफ कुराना सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	रिया एसोसि0 1070832.00
58	ग्राम डेहरा में बिजली ट्रांसफार्मर से राजे के मन्दिर की ओर सी0सी0कार्य	एस0बी0कं0 1029056.00

59	ग्राम नया बास में काली रोड(मुकुट के खेत) से शमशान घाट की ओर सी0सी0कार्य	प्लानिया ट्रेडिंग	740096.00
60	ग्राम देहरा में गुलावटी मंसूरी सम्पर्क मार्ग से जंगल की मजार तक काली सड़क कार्य	आर0एस0कं0	2887584.00
61	ग्राम छज्जपुरा में भूड की मढैया मेन रोड से सी0सी0 कार्य	भवानी कं0	1172416.00
62	ग्राम काली में शिशु मन्दिर से राजपाल के खेत तक काली सड़क कार्य	भवानी कं0	2080960.00
63	ग्राम बगैदा हिन्दुवान मे प्रा0स्कूल से राजकीय आई0टी0आई0होते हुए पुल की ओर सी0सी0/काली रोड कार्य	गौड़ कं0	2867536.00
64	ग्राम अक्खापुर में अक्खापुर फत्तापुर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0कार्य	वी0एस0कं0	491568.00
65	ग्राम रसूलपुर में हरिजन बस्ती से राजपाल सिंह के केशर की तरफ सी0सी0कार्य	सचिन बिल्डर्स	797664.00
66	दस्तोई जोगीपुरा सम्पर्क मार्ग से प्रकाशवीर के खेत से देवेन्द्र के खेत की ओर खड़जा निर्माण कार्य बालाजी		229376.00
67	ग्राम हिम्मतपुर में हकन साये के कब्रिस्तान से राजपुर सम्पर्क मार्ग तक खड़जा कार्य	श्री राम कं0	309120.00
68	ग्राम ददायरा में अनिल त्यागी के खेत से सुखपाल के खेत की ओर खड़जा कार्य	भवानी कं0	595840.00
69	ग्राम श्यामपुर में मलुकपुर मेन रोड से ग्राम विगास सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0कार्य	श्री कृष्णाबिल्डर्स	713462.00
70	एन0एच0-24 से सिमरोली बागड़पुर की ओर अवशेष खड़जा कार्य	विकास कं0	15229.00
71	ग्राम खेड़ा में नगला बड़ सम्पर्क मार्ग से हरिजनों की बस्ती की तरफ इन्टरलकिंग कार्य	विपिन कुमार	69294.00
72	ग्राम डिबाई सकलम्पुरा में डिबाई से शिव मन्दिर की ओर इन्टरलकिंग कार्य	विपिन कुमार	135856.00
		योग-	52617749.00

मार्च 2021

1	ग्राम खचरा में अयूब के खेत से ईदगाह तक सड़क निर्माण	वैष्णो सप्लायर्स	1908256.00
		योग-	1908256.00

सम्पूर्ण योग-----

20,30,09,546.00

उपरोक्त विवरणानुसार कार्यक्षेत्र के भीतर का प्रमाण पत्र संलग्न किये बिना ही 20,30,09,546.00 का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 20- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत प्रपत्र-5 की जाँच में पाया गया कि संस्थाओं के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। लेकिन इन संस्थाओं से विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया है। जबकि 30प्र०सरकार द्वारा प्रकाशित गजट,इलाहाबाद दि०-०१ जून 2002 के अनुसार विलम्ब शुल्क लाइसेंस का 50% सहित जमा करने पर लाइसेंस रिन्यू किया जा सकता है। इसका पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क	क्रम	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क	क्रम	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क
1	423422	21020.00	5255.00	15	472682	52570.00	3755.00	29	468252	31530.00	5255.00
2	423451	1220.00	305.00	16	472683	30040.00	3755.00	30	468264	1220.00	305.00
3	214705	52570.00	3755.00	17	472687	22530.00	3755.00	31	468295	15020.00	3755.00
4	214707	15020.00	3755.00	18	204204	50070.00	3755.00	32	468297	15020.00	3755.00
5	214728	1020.00	255.00	19	471768	1520.00	380.00	33	474120	22530.00	3755.00
6	214787	12520.00	3130.00	20	471771	1830.00	457.00	34	474123	1520.00	380.00
7	214798	12520.00	3130.00	21	471808	13530.00	2255.00	35	474146	37550.00	3755.00
8	201547	22530.00	3755.00	22	471812	42040.00	5255.00	36	474149	30040.00	3755.00
9	201548	45030.00	7505.00	23	471878	15820.00	1130.00	37	474153	15020.00	3755.00
10	201563	12520.00	3130.00	24	471959	30020.00	7505.00	38	474155	15020.00	3755.00
11	201584	15020.00	3755.00	25	468231	22530.00	3755.00	39	463016	1220.00	305.00
12	472624	1240.00	155.00	26	468237	30040.00	3755.00	40	463025	460.00	115.00
13	472647	30040.00	3755.00	27	468245	21020.00	5255.00	41	463034	1520.00	380.00
14	472666	13560.00	1130.00	28	468250	42040.00	5255.00	42	463044	22530.00	3755.00
	योग-	255830.	42770.00		योग-	375600.	50022.		योग-	210200.	36780.00

क्रम	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क	क्रम	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क	क्रम	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क
43	463054	44590.00	5567.00								
44	463056	15020.00	3755.00	72	224908	21020.00	5255.00	100	224990	30040.00	3755.00
45	463062	15020.00	3755.00	73	224912	22510.00	3755.00	101	224994	16040.00	2005.00

46	463064	30040.00	3755.00	74	224914	30040.00	3755.00	102	224995	16040.00	2005.00
47	463066	6780.00	1130.00	75	224917	22530.00	3755.00	103	224996	1640.00	205.00
48	463068	42040.00	5255.00	76	224919	22530.00	3755.00	104	224998	22530.00	3755.00
49	463073	15020.00	3755.00	77	224923	22530.00	3755.00	105	225000	6780.00	1130.00
50	463093	15020.00	3755.00	78	224927	37550.00	3755.00	106	453901	42040.00	5255.00
51	207616	25100.00	6275.00	79	224931	15020.00	3755.00	107	453903	22530.00	3755.00
52	207694	460.00	115.00	80	224933	21020.00	5255.00	108	453909	15020.00	3755.00
53	466501	22530.00	3755.00	81	224935	21020.00	5255.00	109	453910	30040.00	3755.00
56	466570	1520.00	380.00	84	224943	15020.00	3755.00	112	453921	45060.00	3755.00
57	473402	6780.00	1130.00	85	224947	15020.00	3755.00	113	453923	30040.00	3755.00
58	473403	18030.00	3005.00	86	224949	15020.00	3755.00	114	453925	30040.00	3755.00
59	473454	22530.00	3755.00	87	224953	22530.00	3755.00	115	453927	13560.00	1130.00
60	473458	22530.00	3755.00	88	224955	22530.00	3755.00	116	453929	30040.00	3755.00
61	473465	37550.00	3755.00	89	224959	15020.00	3755.00	117	453931	63060.00	5255.00
62	473467	42040.00	5255.00	90	224961	15020.00	3755.00	118	453933	30040.00	3755.00
63	473470	30040.00	3755.00	91	224965	22530.00	3755.00	119	453935	45060.00	3755.00
64	473474	22530.00	3755.00	92	224967	30040.00	3755.00	120	453941	45060.00	3755.00
65	473485	2440.00	610.00	93	224969	22530.00	3755.00	121	453943	6780.00	1130.00
66	473487	3050.00	762.00	94	224971	22530.00	3755.00	122	453944	42040.00	5255.00
67	473492	1550.00	387.00	95	224976	22530.00	3755.00	123	453951	15020.00	3755.00
68	473498	1220.00	305.00	96	224982	15020.00	3755.00	124	453953	15020.00	3755.00
69	224902	15020.00	3755.00	97	224984	22530.00	3755.00	125	453956	115610.00	5255.00
70	224904	30040.00	3755.00	98	224986	15020.00	3755.00	126	453958	42040.00	5255.00
	योग-	534770.	83051.00	योग-	618710.	112447.			योग-	869095.	97788.00

127	453966	22530.00	3755.00	155	097542	6780.00	1130.00	183	084257	1830.00	457.00
128	453968	22530.00	3755.00	156	097544	42040.00	5255.00	184	084259	1520.00	380.00
129	453971	45060.00	3755.00	157	097546	15020.00	3755.00	185	108882	12020.00	3005.00
130	453977	15020.00	3755.00	158	097553	30040.00	3755.00	186	126410	3020.00	755.00
131	453981	60080.00	3755.00	159	097555	52570.00	3755.00	187	126412	1220.00	305.00
132	453986	22530.00	3755.00	160	097558	15020.00	3755.00	188	126417	1520.00	380.00
133	453994	4520.00	1130.00	161	097560	37550.00	3755.00	189	126434	15020.00	3755.00
134	453996	15020.00	3755.00	162	097562	31530.00	5255.00	190	126442	15020.00	3755.00
135	453999	90120.00	3755.00	163	097564	21020.00	5255.00	191	098610	1830.00	305.00
136	454000	15020.00	3755.00	164	097572	6780.00	1130.00	192	098635	620.00	105.00
137	105904	1830.00	305.00	165	097574	11300.00	1130.00	193	098637	620.00	105.00
138	105921	3720.00	930.00	166	097575	30040.00	3755.00	194	098646	620.00	105.00
139	105925	1520.00	380.00	167	097577	30040.00	3755.00	195	098683	4520.00	1130.00
140	105934	920.00	230.00	168	097580	45030.00	7505.00	196	095423	2440.00	610.00
141	105962	690.00	115.00	169	097584	48080.00	3005.00		योग	61820.00	15152.00

142	105977	1830.00	305.00	170	097587	12020.00	3005.00	--	---	---	---
143	105995	460.00	115.00	171	097589	9040.00	1130.00				
144	158842	620.00	155.00	172	097590	30040.00	3755.00				
145	158868	1220.00	305.00	173	097596	22530.00	3755.00				
146	097504	15020.00	3755.00	174	097600	42040.00	5255.00	कुल योग	4000030.	589898.00	
147	097511	15020.00	3755.00	175	083334	1700.00	450.00	--	---	---	---
148	097512	15020.00	3755.00	176	083347	620.00	105.00	--	---	---	---
149	097514	15020.00	3755.00	177	083357	1520.00	380.00	--	---	---	---
150	097523	22530.00	3755.00	178	083381	1220.00	305.00	--	---	---	---
151	097525	22530.00	3755.00	179	084209	15005.00	3751.00	--	---	---	---
152	097529	30040.00	3755.00	180	084238	1220.00	305.00	--	---	---	---
153	097530	30040.00	3755.00	181	084241	1510.00	377.00	--	---	---	---
154	097538	21020.00	5255.00	182	084249	1220.00	305.00	--	---	---	---
योग-		511480.	73080.00	योग-		562525.	78828.	--	---	---	---

उपरोक्त विवरणानुसार लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान कुल 589898.00 का विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया है। इससे संस्था की आय एवं सरकार का राजस्व प्रभावित किया गया। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय एओएमओ व मनोज कुमार लेखाकार है। विलम्ब शुल्क ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 21- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 18/3.12.20 द्वारा डिलाईट साउण्ड सर्विस को कोविड-19 के रोकथाम के प्रचार-प्रसार के लिये कुल 97000.00 का भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है। जिस प्रति आपतियाँ इस प्रकार हैं।

क्रम	ग्राम	दिन	दर	धनराशि
1	धौलाना	15	1600.00	24000.00
2	सिम्भावली	15	1600.00	24000.00
3	बहादुरगढ़	15	1600.00	24000.00
4	अन्य	15	1700.00	25000.00
	योग-			97000.00

(क) किस दिनांक से किस दिनांक तक प्रचार किया गया कोई विवरण संलग्न नहीं है। केवल स्वीकृति पत्र पर दिनों की संख्या ही अंकित है।

(ख) निर्धारित दर की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।

(ग) किये गये भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि में प्रमाणक भी संलग्न नहीं किया गया है।

(घ) उक्त साउण्ड सर्विस से किये गये अनुबंध की पत्रावली प्रस्तुत कर दिनों एवं दर की पुष्टि नहीं कराई गई। अतः किया गया 97000.00 का

भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार है। अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 22- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार केडिमैक्स मैनेजमेन्ट सर्विसेज को इ-टेण्डरिंग हेतु निविदाओं के डाउनलोड एवं अपलोड किये जाने हेतु कुल 139240.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रति निम्न आपतियाँ हैं।

क्रम	प्रमाणक सं0/दि0	टेण्डरों की सं0	दिया गया दर जी0एस0टी सहित	धनराशि
1	60/7	100	590.00	59000.00
2	90/1	81	590.00	47790.00
3	23/3	55	590.00	32450.00
	योग-	236	----	139240.00

(क) किये गये भुगतान की पुष्टि हेतु उक्त फर्म का प्रमाणक संलग्न नहीं किया गया है, केवल अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति ही संलग्न है।

(ख) उपरोक्त निर्धारित दर, टेण्डरों की संख्या की पुष्टि हेतु, तथा फर्म से किये गये अनुबंध हेतु पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। अतः किया गया

139240.00 का भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 23- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में काँजी हाऊस,भरना के संचालन एवं पशुओं के भरण पोषण हेतु श्री रविन्द्र सिंह को निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है।

क्रम	प्रमाणक	माह	भरण-पोषण	मजदूरी की	कुल	आय कर	ठेकेदार को
	सं०		की धनराशि	धनराशि	धनराशि		भुगतान
1	1/5.20	फरवरी'20	25350.00	15080.00	139500.00	2790.00	101710.00
1	1/5.20	मार्च'20	32190.00	17980.00	-	35000.00	(जमानत)
		अप्रैल'20	31500.00	17400.00	-	-	-
2	75/7.20	मई'20	32550.00	17980.00	-	3000.00	146960.00
		जून'20	31500.00	17400.00	149960.00	-	-
		जुलाई'20	32550.00	17980.00	-	-	-
3	16/11.20	अगस्त'20	32550.00	17980.00	149570.00	2992.00	146578.00
		सितम्बर'20	31110.00	17400.00	-	-	-
		अक्टूबर'20	32550.00	17980.00	-	-	-
4	113/1.21	नवम्बर'20	31500.00	17400.00	99370.00	1988.00	97382.00
		दिसम्बर'20	32490.00	17980.00	-	-	-
		योग-	345840.00	192560.00	538400.00	10770.	492630.00
						+35000	

उपरोक्त विवरणानुसार 492630.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ हैं।

1.दिनांक 1.5.20 से 31.5.20,दिनांक 1.6.20 से 30.6.20,तथा दिनांक 1.7.20 से 31.7.20 के मजदूरों की उपस्थिति हेतु मस्टर रोल को जिला पंचायत के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। जबकि ठेकेदार से किये गये अनुबंध के विन्दु 11 के अनुसार प्रति कार्य दिवस के आधार पर सत्यापित उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाना था। अतः किया गया कुल भुगतान 53360.00 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा।

2.उक्त काँजी हाऊस की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि भूसा,चोकर,व हरा चारा(समयानुसार फसल पर आधारित बरसीम,ज्वार,बाजरा,मक्का,व चरी आदि) की अच्छीगुणवत्ता की जाँच का प्रमाणपत्र (जिला पंचायत के किसी अधिकारी,या अन्य अधिकारी द्वारा)संलग्न नहीं किया गया है। इससे यह अज्ञात रहा कि ठेकेदार द्वारा किस प्रकार के चारे का उपयोग किया जा रहा है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही।

3.उक्त काँजी हाऊस में चारा,भूसा,चोकर के स्टॉक की स्थिति का भी विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 24- आलोच्य वर्ष के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 30 एवं 31/दि० 20.7.20 द्वारा गुंजन गर्ग एण्ड कं० लि० को क्रमशः 17000 जी०एस०टी० रिटर्न फाइलिंग का तथा 5000.00 रिटर्न फाइलिंग का भुगतान किया गया है। लेकिन उक्त कम्पनी से कोई प्राप्ति संलग्न नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी से कोई अनुबन्ध कर दर का निर्धारण भी नहीं किया गया है। और न ही तीन दूकानों से कोटेशन लेने के उपरान्त ही इस कम्पनी के कम दर होने पर इन्हें कार्य दिया गया है। उपरोक्त कम्पनी से कार्य कराये जाने का बोर्ड द्वारा कोई प्रस्ताव पास किये जाने का भी उल्लेख नहीं है। अतः किया गया कुल 22000.00 का भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 25- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मृत पशु शव निस्तारण, तहबाजारी एवं खनन की माँग एवं वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार बकाया शेष है।

क्रम	मद	पिछली माँग	वर्ष की माँग	कुल माँग	वर्ष में वसूली	वर्षान्त पर शेष
1	मृत पशु शव निस्तारण	1760031.00	820545.00	2580576.00	360894.00	2219682.00
2	तहबाजारी	550150.00	-----	550150.00	31400.00	518750.00
3	खनन शुल्क	10000.00	-----	10000.00	-----	10000.00
	योग-	2320181.00	820545.00	3140726.00	392294.00	2748432.00

इस प्रकार वर्षान्त पर 2748432.00 का बकाया रहा है। जिसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार हैं।

प्रस्तर सं० 26- आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार मृत पशु शव निस्तारण समितियों से निम्न न्याय पंचायत वार रायल्टी का 20 प्रतिशत ही धनराशि निर्धारित की गई। तथा नीलामी उपरान्त कार्यादेश भी निर्गत किया गया है।

क्रम	नाम न्याय पंचायत	कुल निर्धारित रायल्टी	बोर्ड द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत की रायल्टी	अवशेष छह माह की धनराशि जिस पर नीलामी की गई	उच्चतम बोली दाता
1	अच्छेजा	52800.00	10560.00	5280.00	श्री अनिल कुमार/भजनदास
2	कस्तला कासमाबाद, बदनौली	46200.00	9240.00	4620.00	श्री अनिल कुमार/भजनदास
3	बड़ौदासिंहानी, गिरधरपुर तुमरैल,	47423.00	9485.00	4742.00	भटियाना, डहाना
4	असौड़ा, शहमहीउथीन पुर	39895.00	7979.00	3989.00	
5	मीरपुर कला, सिकन्दरपुर काकौड़ी	152368.00	30474.00	15237.00	श्री कमल सिंह/काले
6	नवादा अकडोली	122935.00	24587.00	12293.00	श्री कमल सिंह/काले
7	सिकन्दरपुर, डेहरा रामपुर	40089.00	8018.00	4009.00	
8	शेरपुर, आलमनगर, पलवाड़ा विहनी	27225.00	5445.00	2722.00	श्री समयदीन/राजवीर

9	नगला गज्जू,समाना इकलैडी	42870.00	8574.00	4287.00	श्री उदल सिंह/मानकी
10	नानपुर,दौताई,झडीना	96558.00	19312.00	9656.00	श्री समसदीन/पीरबख्श
11	देवली,ढाना जनुपुरा	46428.00	9286.00	4643.00	श्री रतन सिंह/मनीराम
12	हरौड़ा,जखेड़ा,गन्दूनगला	87692.00	17538.00	8769.00	श्री सोहनपाल/खेमचन्द
13	फुलडेहरा,पीरनगर,दतियाना,बक्सर	105138.00	21028.00	10514.00	श्री कमलेश पाल/नैन सिंह
14	श्यामपुर जट्ट,मुजफ्फरा,बागड़पुर, गोहरा आलमगीर पुर,फतेहपुर, मतनौरा -----	71902.00	14380.00	7190.00	श्री प्रदीप कुमार/परीक्षित
15	धौलाना	35172.00	7034.00	3517.00	श्री उदल सिंह/मानकी
	योग	1014695.00	202940.00	101468.00	

उपरोक्त न्याय पंचायत की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि नीलामी की धनराशि प्राप्त किया जाना अंकित किया गया है। लेकिन धनराशि की प्राप्ति की पुष्टि में कोई रसीद/प्रपत्र-5 संलग्न नहीं किया गया है।

1.क्रमांक 8 पर अंकित न्याय पंचायत की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध संलग्न नहीं है। जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। पर कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

2.क्रमांक 12 पर अंकित न्याय पंचायत की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि,पत्रावली में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की संस्तुति संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त संचालक मंडल की बैठक का विवरण,सदस्यों की संख्या का विवरण,समिति की उपविधियाँ आदि संलग्न नहीं है। लेकिन कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

3.उपरोक्त समस्त पत्रावलियों में कार्यादेश के विन्दु 07,08,09 का पालन किया गया है,या नहीं। कार्य पूरति हुई है या नहीं। जिला पंचायत के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है या नहीं कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 30प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 682 पी0/33.3.14(2)84 दिनांक 10.3.1987,पत्रांक 2203/3.2.797-43बी(8)टी0सी0दिनांक 30.5.1997 पत्रांक 2967/ 1132.2.2002/15बी/4-02 दिनांक 7.10.2002 एवं पत्रांक 3/138/2001-03/85 दिनांक 13.2.2004 द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देश दिया गया था कि मृत पशु शव निस्तारण का आधा भाग (50%) जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें तथा अब तक देय समस्त बकाया धनराशि का अविलम्ब भुगतान किया जाय। इसका पालन न करते हुए समस्त धनराशि 101468.00 जिला पंचायत द्वारा अपने पास ही रखी गई है। जबकि आय का 50%ए 50734.00 ग्राम पंचायतों को दिया नहीं गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों को धन हस्तांतरित न करके शासन के आदेशों के उल्लंघन के साथ साथ ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को प्रभावित किया गया। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं

प्रस्तर सं० 27- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों को बिटुमिन के भुगतान की मात्रा एवं स्टॉक रजिस्टर में अंकित मात्रा में अन्तर रहा है। विवरण निम्न प्रकार है।---

क्रम	नाम ठेकेदार	प्रमाणक संख्या	बिटुमिन की दी गई मात्रा	दर	दिया गया मूल्य	स्टॉक रजि० के अनुसार मात्रा	मूल्य	अन्तर
1	गंगा कं०	29/12	4.95 एम०टी०	44818.80	221853.06	4.75 एम०टी०	212889.30	8963.76
2	गंगा कं०	30/12	3.88 एम०टी०	44818.80	173896.94	3.78 एम०टी०	169415.00	4481.94
3	मु०च०गुप्ता	31/12	7.65 एम०टी०	44818.80	342863.82	7.38 एम०टी०	330762.70	12101.12
3	नरेन्द्र शर्मा	33/12	1.559 एम०टी०	44818.80	69872.50	1.490 एम०टी०	66780.00	3092.50
4	मु०च०गुप्ता	34/12	8.74 एम०टी०	40936.60	357785.88	8.711 एम०टी०	356598.72	1187.16
	योग-			1166272.20			1136445.72	29826.48

इस प्रकार यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। अतः उपरोक्त अधिक दी गई धनराशि 29826.48 के प्रति सम्बन्धित ठेकेदारों के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार हैं। अधिक भुगतान राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 28- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न अखबारों में विज्ञापन दिये जाने का निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है। लेकिन इनके प्रमाणकों के साथ जिला पंचायत कार्यालय का आदेश संलग्न नहीं किया गया है। जिससे यह अज्ञात रहा कि उक्त विज्ञापन किस विषय पर दिया गया है।

क्रम	प्रमाणक सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	धनराशि	अखबार	कार्यालय आदेश सं०
1	38/23.10.2020	650/14.9.20	30833.00	आवाम ए हिन्द	अंकित नहीं
2		यू०पी०आई०/2020-033435	9329.00	अमर उजाला	अंकित नहीं
3	40/23.10.2020	अंकित नहीं	21934.00	दैनिक जागरण	अंकित नहीं
4	अंकित नहीं	11348.00	दैनिक जागरण	अंकित नहीं	
5	10/11.11.2020	जे०डी०2010000010/4.10.2020	93221.00	दैनिक जागरण	अंकित नहीं
6		12868/4.10.2020	46576.00	विधान केसरी	अंकित नहीं

7	11/11.11.2020	1803292874/2.2.2019	9450.00	हिन्दुस्तान	अंकित नहीं
8	21/31.03.2021	1803640224/21.2.2021	4091.00	हिन्दुस्तान	अंकित नहीं
		372/09.03.2021	1914.00	मनस्वी वाणी	अंकित नहीं
9	11/7.20	यू0पी0आई0 1920 259343/29.2.20	6910.68	अमर उजाला	अंकित नहीं
10	12/7.20	यू0पी0आई0 11920 278513/26.2.20	9329.00	अमर उजाला	अंकित नहीं
11		यू0पी0आई0 2021-01/0397/14.5.20	12439.00	अमर उजाला	अंकित नहीं
12		एन0डी0डी0एल0डी0-6776/22.3.20	8686.00	राष्ट्रीय सहारा	अंकित नहीं
13	59/29.7.2020	यू0पी02020-21-026395/22.06.20	10366.02	अमर उजाला	अंकित नहीं
14		आई-424/19.6.2020	6107.00	देशबन्धु	अंकित नहीं
15	22/20.8.20	एम0बी0 02020/07114-29.2.20	2763.00	आज मैं	अंकित नहीं
		योग-	285296.70		

इस प्रकार बिना कार्यालय आदेश अंकित किये, उक्त 285296.70 का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 29- आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार जिला पंचायत की गाड़ी संख्या-यू0पी037 जी 004 में डीजल/पेट्रोल डलवाने का, कार्य कराये जाने का भुगतान किया गया है। लेकिन लौग बुक के पृष्ठों की छाया प्रति संलग्न नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प की पर्ची भी संलग्न नहीं है। जिससे मात्रा एवं दर की स्थिति भी अज्ञात रही।

क्रम	प्रमाणक सं0/दिनांक	बिल सं0/दिनांक	धनराशि	विवरण
1	10/1.6.20	1188/21.3.20	6761.00	कार्य कराना
2	26/20.8.20	149/30.4.18	6013.62	डीजल/पेट्रोल
		220/31.7.18	3104.80	डीजल/पेट्रोल
3	27/20.8.20	बिल संख्या नहीं	11306.65	डीजल/पेट्रोल
4	28/20.8.20	1137/30.11.19	16464.16	डीजल/पेट्रोल
5	29/20.8.20	1264/31.1.20	8576.47	डीजल/पेट्रोल
6	30/20.8.20	1187/31.12.19	14172.84	डीजल/पेट्रोल
7	31/20.8.20	1312/29.2.20	12714.80	डीजल/पेट्रोल

8	32/20.8.20	1381/31.03.2020	4678.86	डीजल/पेट्रोल
9	33/20.8.20	1418/30.4.2020	2298.84	डीजल/पेट्रोल
		1470/11.5.2020	6644.70	डीजल/पेट्रोल
10	34/20.8.20	1533/30.6.2020	12922.56	डीजल/पेट्रोल
11	35/20.8.20	1578/31.7.2020	11564.00	डीजल/पेट्रोल
12	68/30.9.20	1639/31.8.2020	16170.00	डीजल/पेट्रोल
12	68/30.9.20	1639/31.8.2020	16170.00	डीजल/पेट्रोल
13	13/11.11.20	1725/30.4.2020	15529.00	डीजल/पेट्रोल
14	09/2.12.20	715/25.10.2020	767.00	कार्य कराना
15	10/2.12.20	754/27.10.2020	4954.00	कार्य कराना
16	11/2.12.20	720/26.10.2020	4950.00	कार्य कराना
17	15/3.12.20	1763/31.10.2020	12282.00	डीजल/पेट्रोल
18	74/28.12.20	1830/30.11.2020	8141.00	डीजल/पेट्रोल
19	101/12.1.21	1904/31.12.2020	10730.00	डीजल/पेट्रोल
20	103/12.1.21	833/11.12.2020	649.00	कार्य कराना
21	18/31.3.21	1915/11.1.2021	8786.00	डीजल/पेट्रोल

योग-

200181.30

उपरोक्त विवरणानुसार कुल 200181.30 का भुगतान किया गया है। लेकिन पृथक से बजट नहीं बनाये जाने के कारण यह अज्ञात रहा कि उक्त धनराशि बजट की सीमा के अन्तर्गत व्यय की गई है या सीमा से अधिक व्यय की गई है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। इसके अतिरिक्त लाग बुक के पृष्ठों की छाया प्रति संलग्न नहीं किये जाने से यह अज्ञात रहा कि उक्त व्यय की गई धनराशि से यात्राएँ जिला पंचायत के हित में की गई हैं। दो साल पुरानी पर्चियों का भी भुगतान इसी वर्ष में लिया गया है। अतः यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय एओएमओ व मनोज कुमार लेखाकार हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रसतर सं० 30- आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार जिला पंचायत की गाड़ी संख्या-यू0पी037 जी 0023में डीजल/पेट्रोल डलवाने का,कार्य कराये जाने का,तथा बीमे का भुगतान किया गया है। लेकिन लौग बुक के पृष्ठों की छाया प्रति संलग्न नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प की पर्ची भी संलग्न नहीं है। जिससे मात्रा एवं दर की स्थिति भी अज्ञात रही।

क्रम	प्रमाणक सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	धनराशि	विवरण
1	30/18.6.2020	1314/24.2.2020	12100.90	कार्य कराना
2	31/18.6.2020	1382/31.03.2020	8912.80	कार्य कराना
		1469/31.5.2020	8202.50	कार्य कराना
3	32/18.6.2020	1419/30.4.2020	8157.50	कार्य कराना
4	40/11.7.2020	-----	14305.00	बीमा
5	65/28.8.2020	1514/30.6.2020	12543.00	डीजल/पेट्रोल

		1577/31.7.2020	12908.00	डीजल/पेट्रोल
6	20/7.9.2020	0129/7.7.2020	251.00	कार्य कराना
		6939/20.8.2020	4800.00	कार्य कराना
7	67/30.9.2020	1638/31.8.2020	14352.00	डीजल/पेट्रोल
8	14/11.11.20	1715/30.9.2020	11247.00	डीजल/पेट्रोल
9	16/3.12.20	1767/31.10.2020	17692.00	डीजल/पेट्रोल
10	80/28.12.20	1814/30.11.2020	14930.00	डीजल/पेट्रोल
11	100/12.1.21	1903/13.12.2020	13911.00	डीजल/पेट्रोल
12	104/12.1.21	0407/29.12.2020	578.00	कार्य कराना
13	105/12.1.21	डी 1530/18.1.21	4950.00	कार्य कराना
14	106/12.1.21	1485/1.1.2021	4030.00	कार्य कराना
15	107/12.1.21	डी 1451/29.12.20	4600.00	कार्य कराना
16	07/3.3.21	1944/31.1.21	14915.00	डीजल/पेट्रोल
17	16/31.3.21	1944/28.2.21	18195.00	डीजल/पेट्रोल

योग- बीमा+ कार्य कराना एवं डीजल/पेट्रोल-201580.70

उपरोक्त विवरणानुसार कुल 201580.70 में से बीमे की धनराशि 14305.00 को छोड़ते हुए 187275.70 का डीजल डलवाने का भुगतान किया गया है। लेकिन पृथक से बजट नहीं बनाये जाने के कारण यह अज्ञात रहा कि उक्त धनराशि बजट की सीमा के अन्तर्गत व्यय की गई है या सीमा से अधिक व्यय की गई है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। इसके अतिरिक्त लाग बुक के पृष्ठों की छाया प्रति संलग्न नहीं किये जाने से यह अज्ञात रहा कि उक्त व्यय की गई धनराशि से की गई यात्राएँ जिला पंचायत के हित में की गई हैं। पर्चियों के अनुपलब्ध रहने से उपरोक्त दर्शित व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित एवं आपत्तिजनक रहा। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 31- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मानचित्र शुल्क लिये जाने की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सेस लिया गया है।-:

क्रम	स्कूल का नाम	सेस लिये जाने की दर, नाप, कवर्ड एरिया×13000 ×1/100 (स्क्वायर मी०में)	धनराशि	बिल्डिंग एण्ड अदर कंन्सट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर सेस ऐक्ट'1996 के आधार पर दर, नाप, कवर्ड एरिया×13877×1/100 (स्क्वायर मी०में)	धनराशि	अन्तर
1	एच०आर०एम०पब्लिक स्कूल	1542.67×13000/100	201000.00	1542.67×13877/100	214080.00	13080.00
2	जे०पी०पब्लिक स्कूल	1810.99×13000/100	236000.00	1810.99×13877/100	251311.00	15311.00
3	गोहित पब्लिक स्कूल	1131.58×13000/100	147100.00	1131.58×13877/100	157030.00	9930.00
	योग-		584100.00	योग-	622421.00	38321.00

उपरोक्त विवरणानुसार नक्शे की स्वीकृति दिये जाने के दौरान सेस की धनराशि 38321.00 से कम लेकर राजस्व प्रभावित किया गया। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं० 32- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार टेण्डर बिक्री की धनराशि एवं उस पर 18% की दर से जी०एस०टी०का आकलन किया गया है। लेकिन जी०एस०टी०जमा किये जाने की पुष्टि में केवल एक ही चालान पत्रावली में संलग्न है।

क्रम	माह	टेण्डर बिक्री की धनराशि	जी०एस०टी०दिनांक टी०	जी०एस०टी०जमा टी०	जी०एस०टी० जमा नहीं
1	मार्च' 2020	370800.00	66744.00	-----	66744.00
2	जून' 2020	1152349.00	207422.00	-----	207422.00
3	जुलाई' 2020	37968.00	6834.00	-----	6834.00
4	अक्टूबर' 2020	108270.00	19488.00	-----	19488.00
5	नवम्बर' 2020	105465.00	18984.00	-----	18984.00
6	दिसम्बर' 2020	277577.00	49964.00	49964.00	23.1.2021 ----
7	जनवरी' 2021	194064.00	35030.00	-----	35030.00
8	फरवरी' 2021	220909.00	39764.00	-----	39764.00
9	मार्च' 2021	259812.00	46766.00	-----	46766.00
10	योग-	2727214.00	490996.00	49964.00	----- 441032.00

इस प्रकार 441032.00 जी०एस०टी०जमा नहीं किया गया है। तथा धनराशि जिला पंचायत के जिला निधि खाते में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उपरोक्त जी०एस०टी की धनराशि शीघ्र ही नियमानुसार पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री प्रणव पाण्डेय ए०एम०ए० व मनोज कुमार लेखाकार है।

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ का विवरण:-

जिला पंचायत - मुरादाबाद

वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

मण्डल - मुरादाबाद।

प्रस्तर-01

जिला पंचायत में वर्ष 2020-21 में दुकानों, भवनों एवं आवासों का किराया पुराना बकाया किराया सहित कुल रु० 6882742.00 रजिस्टर के अनुसार प्राप्त किया जाना था। किन्तु वर्ष ऑडिट में मात्र रु० 2541559.00 ही किराया प्राप्त किया गया है। इस प्रकार किराया रु० 4341183.00 कम प्राप्त हुआ है। उक्त किराये का विवरण निम्नानुसार है :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दुकानों के प्रकार	गतवर्ष का बकाया	वर्तमान माँग	योग	बकाया के विरुद्ध वसूली	माँग के विरुद्ध वसूली	योग	बकाये में अवशेष	वर्तमान माँग में अवशेष	योग
व्यवसायिक दुकान	1412550	1255488	2668038	501062	709947	1211009	911488	545541	1457029
सरकारी	1881652	934836	2816488	511660	364136	875796	1369992	570700	1940692

भवन									
कालोनी आवास	822373	575843	1398216	176742	278012	454754	645631	297831	943462
कुल योग	4116575	2766167	6882742	1189464	1352095	2541559	2927111	1414072	4341183

कुल बकाया किराये की राशि रु० 4341183.00 में रु० 2927111.00 पुराना किराया बकाया है। बताया गया कि रु० 1901483.00 की आर०सी० निर्गत हो चुकी हैं। किन्तु बकाया वसूली की प्रगति नगण्य है। अविलम्ब सभी बकायेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए बकाया किराये की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

उक्त स्थिति के लिये कर अधिकारी, कार्य अधिकारी, अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-02

दिनांक 31.03.21 को विभव तथा संपत्ति कर रु० 27465404.00 में अत्यधिक मात्रा में धनराशियाँ बकाया पड़ी हैं। जिनकी वसूली हेतु ठोस एवं कारगर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। बकाया धनराशियों की वसूली न होने की दशा में जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति उठानी पड़ रही है। जिसके लिए जिस अवधि में बकाया रही है और वसूली हेतु कारगर कार्यवाही नहीं की गई है। उस समय के पटलकार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा इस प्रति जिम्मेदार हैं। बकाया धनराशियों की वसूली ब्याज सहित हेतु ठोस एवं वैधानिक की जानी चाहिए।

प्रस्तर-03

दिनांक 07.11.20 बाउचर संख्या 14 द्वारा काजी हाँउस के भवन में रिक्त भूमि के किराये के नीलामी हेतु विज्ञप्ति बिल का भुगतान है, परन्तु विज्ञप्ति बिल रु० 2389.00 का प्रमाणक संलग्न नहीं है। जिससे व्यय राशि की पुष्टि नहीं हो रही है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित पटल कार्मिक तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-04

बाउचर संख्या 55 दिनांक 23.11.20 दैनिक हिंदुस्तान बिल नम्बर 1501755764 दिनांक 17.09.14 का रु० 3413.00 का भुगतान है। उक्त बिल वर्ष 2014-15 का है। उक्त बिल का भुगतान पूर्व वर्षों में यानि 2019-20 के पहले हुआ तो नहीं है। यह भी आपत्ति है कि उक्त बिल जिलापंचायत मुरादाबाद के नाम से नहीं है। अतः भुगतान संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जिसकी वसूली ब्याज सहित पटलकार्मिक तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-05

बाउचर संख्या 46 दिनांक 23.04.20 को रु० 6800.00 का भुगतान निम्नानुसार है-

(1) दिनांक 13.07.20 को यूपी/8जे एस/23

झाड़वर शकील कुन्दरकी 5 गाय काजी हाउस स्योडारा से

गौशाला उमरी कला ले जाने हेतु

रु० 3400.00

(2) सलीम झाड़वर कुन्दरकी, गाडी संख्या यू पी बी टी 8329 द्वारा

पांच गाय उक्त गौशाला में स्थानांतरण हेतु दिया गया

रु० 3400.00

योग रु० 6800.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में झाड़वरों से प्राप्ति रशीद न संलग्न होना, व्यय राशि की संदिग्धता का द्योतक है। अतः उक्त व्यय राशि अपुष्ट रही, जिसकी वसूली पटल कार्मिक तथा अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-06

बाउचर संख्या 20 एवं 21 दिनांक 01.10.20 के द्वारा मो० साजिद ट्रेवेल्स पीपलसाना जिला मुरादाबाद को निम्नानुसार अध्यक्ष महोदया के वाहन संख्या यूपी 15बी के 2384 को भुगतान है।

(1) दिनांक 07.08.20 से 31.08.20 तक 25 दिन दर 1838.00 45950

(2) दिनांक 01.09.20 से 11.09.20 तक 14 दिन 1838.00 25732

योग रु० 71682.00

उक्त भुगतान पर आपति निम्न है-

(1) बाहर से वाहन लिए जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा।

(2) बाहर की गाडी लिए जाने हेतु शासन द्वारा अनुमति ली गई या नहीं अस्पष्ट रहा ।

(3) वाहन की निरंतर प्रयुक्त किये जाने पर लागबुक भरी जानी चाहिए थी, जो नहीं किया गया ।

(4) वाहन एजेंसी से किसी प्रकार की संविदा की गई या नहीं, अस्पष्ट रहा ।

(5) क्रमांक 2 पर दर्शित तिथियों की संख्या 11 दिन है जबकि भुगतान 14 दिन का है अर्थात तीन दिन अधिक का भुगतान रु० 5514.00 का भुगतान वैध नहीं है।

अतः रु० 71682.00 का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-07

विकास खंड डिलारी ग्राम अहमदपुर मेन रोड से जिला पंचायत के खडंजे के उपर प्राइमरी पाठशाला तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य की पत्रावली में संलग्न एम० एम०-11 एक ही क्रमांक के 11एमएम-11 संलग्न है जिन पर तिथियाँ विभिन्न अलग अलग अंकित है, जो निम्नवत दर्शित हैं।

क्रम सं०	एमएम-11 क्रमांक	तिथि	मात्रा	मद	गंतव्य स्थान
1	0जे 00682011274	19-04-19	29	बजरी	मुरादाबाद
2	0जे 00883002917	30-04-19	29	20एम एम	मुरादाबाद
3	0जे 00883002917	28-04-19	29	20एम एम	मुरादाबाद
4	0जे 00883002917	28-04-19	29	20एम एम	मुरादाबाद
5	0जे 00883002917	24-04-19	29	20एम एम	मुरादाबाद
6	0जे 00883002917	22-04-19	29	20एमएम	मुरादाबाद
7	0जे 00883002917	20-04-19	29	20एमएम	मुरादाबाद
8	0जे 00883002917	15-04-19	29	20एमएम	मुरादाबाद
9	0जे 00883002917	20-04-19	29	20एमएम	मुरादाबाद
10	0जे 00883002917	19-04-19	29	20एमएम	मुरादाबाद
11	0जे 00883002917	18-04-19	29	20एमएम	मुरादाबाद
12	0जे 00883002917	17-04-19	29	20एमएम	मुरादाबाद

उक्त एमएम-11 क्रम संख्या 2 से लगा 12 तक के एमएम-11 के क्रमांक एक ही है, मात्र तिथि अलग अलग है । मात्र मद (शीर्ष) एक ही है । गंतव्य स्थान भी एक ही दर्शित है। एक ही क्रमांक के 11 एमएम-11 नहीं हो सकते मात्र एक ही होगा इसमें किसी तरह मुहर आदि नहीं दर्शित है मात्र तिथि बदलकर कम्प्यूटर से 11 एमएम-11 निकालकर संलग्न कर दिया गया है। सिद्ध होता है यह बहुत ही गलत तरीका है या कि जानबुझकर त्रुटी की गई सिद्ध होती है, सब

एमएम-11 फर्जी सिद्ध होते हैं, और यह स्पष्ट होता है कि जब एमएम-11 फर्जी है तो बालू, गिट्टी की आपूर्ति कार्य हेतु नहीं हुई तो कार्य भी नहीं हुआ, अर्थात् यह सिद्ध होता है कि फर्जी अभिलेख तैयार करा कार्य की लागत रु० 1705984,00का अपहरण / गबन किया जाना सिद्ध होता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली समान रूप से अभियंता, अवर अभियंता (श्री राजीव सक्सेना) लेखाकार, वित्तीय परामर्श दाता, अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-08

विकासखण्ड ठाकुरद्वारा के ग्राम बथुआखेड़ा में प्राइमरी स्कूल से आगे प्रकाश के मकान से बड़े शमशान तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य में निर्माण पावली में निम्न ईएमएम-11 संलग्न है, जिनमें मंतव्य स्थान काशीपुर, बदायूँ आदि प्रविष्ट है-

क्रम सं०	एमएम-11क्रमांक	तिथि	गंतव्य स्थान
1	आईजे00355013487	03-06-19	काशीपुर
2	आईजे00358018685	05-04-19	काशीपुर
3	आईजे00358018607	01-04-19	काशीपुर
4	जे00068060268	15-06-19	बदायूँ
5	आईजे001118004090	29-05-19	काशीपुर
6	आईजे01118004074	28-05-19	काशीपुर
7	आईजे00355013622	09-06-19	काशीपुर
8	आईजे00355013446	01-06-19	काशीपुर
9	आईजे00355012818	19-03-19	काशीपुर
10	आईजे00355012728	17-03-19	काशीपुर
11	आईजे00355012860	23-09-19	काशीपुर
12	आईजे00355012903	24-03-19	काशीपुर
13	आईजे00355012783	19-03-19	काशीपुर
14	आईजे00355012749	18-03-19	काशीपुर
15	आईजे00451010824	01-04-19	काशीपुर
16	आईजे00358018593	31-03-19	काशीपुर
17	आईजे00355013638	10-06-19	काशीपुर
18	आईजे00355012912	25-03-19	काशीपुर
19	आईजे00355012895	24-03-19	काशीपुर
20	आईजे00355012747	17-03-19	काशीपुर
21	आईजे00355012779	18-03-19	काशीपुर
22	आईजे00355012710	16-03-19	काशीपुर
23	आईजे00355012723	17-03-19	काशीपुर
24	आईजे00355012795	13-03-19	काशीपुर

उक्त ईएमएम-11 में गंतव्य स्थान काशीपुर अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है, कार्य मुरादाबाद का है तो गंतव्य स्थान मुरादाबाद अंकित न होने के कारण उक्त समस्त ईएमएम-11 अवैध सिद्ध होते हैं। अतः उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु-1316900.00 संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा, वित्तीयपरामर्श दाता, अवर अभियंता, अभियंता तथा लेखाकार, तथा पटल कार्मिक उत्तरदायी है जिनसे उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-09

जिलापंचायत अभियंता द्वारा पत्र संख्या 221/निर्माण/2020-21 दिनांक 22.07.20 द्वारा 8 ईएमएम-11 जो उत्तरांचल सरकार द्वारा निर्गत रहे, की पुष्टि हेतु जिला खानी कर्म अधिकारी मुरादाबाद को जाँच हेतु प्रेषित किये गये, जिनमें निम्न ईएमएम-11 अवैध पाए गये।

क्रम सं०	ईएमएम-11 क्रमांक	मात्रा	मद	रायल्टी
1	0जे00418021503	14घन मी०	बालू	770
2	0जे00418021702	14 घन मी०	बालू	770
3	एलसीए1837525	24 घन मी०	बालू	1320
4	एलसीए0454512	23 घन मी०	बजरी	2530
5	0जे00293011074	11 घन मी०	ग्रिट	1760

उक्त ईएमएम-11 वि- खं० बिलारी देहात से शेरपुर माफी की ओर चौधरी जान सिंह जूनियर हाई स्कूल तक नाला कार्य की फाइल में संलग्न रहे ईएमएम-11 के अवैध होने की स्थिति में मुख्य सचिव उ० प्र० के पत्र सं० 3385/86-2015-292/2015 के अनुसार प्रस्तर 3 के अनुसार वैध अभिवहन प्रपत्र (ईएमएम-11) के बिना किया जाता है तो प्रयुक्त खनिज की रायल्टी के साथ खनिज मूल्य (रायल्टी कई गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी थी और राशि शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-102, खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की प्रति जिलाधिकारी को भी प्रेषित की जाय, परन्तु ऐसा नहीं किया गया जो त्रुटिपूर्ण रहा।

इसलिए निम्न दायित्व अभियंता एवं लेखाकार पर निहित होता है, जो निम्नानुसार है -

ईएमएम-11 में दर्शित मात्राखनिज	रायल्टी	रायल्टी की 5 गुना खनिज कीमत
52 घन मी०	बालू 2860	14300
23 घन मी०	बजरी 2530	12650
11 घन मी०	ग्रिट 1760	8800
	योग -7150	35750

इस प्रकार 50-50 % कुल राशि रु० 42900 का श्री कुंवर राजशेखर सिंह अभियंता एवं प्रदीप कुमार लेखाकार से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

(1) वाहन संख्या यू के 04डब्ल्यू-5869 मनोज ट्रेवलस मिशन कम्पाउंड सिविल लाइन मुरादाबाद रु० 1935 प्रतिदिन की दर से किराये पर ली गई किस हेतु, किसके लिए आदि नहीं उद्धृत है, निम्न तिथियों का भुगतान दर्शित रहा। बाउचर संख्या 40 दिनांक 10.08.20 को-

अवधि	राशि
07.07.20	08.07.20 3870.00
09.07.20	10.07.20 3870.00

11.07.20	12.07.20	3870.00
13.07.20	14.07.20	3870.00
15.07.20	16.07.20	3870.00
17.07.20	18.07.20	3870.00
19.07.20	20.07.20	3870.00
21.07.20	22.07.20	3870.00

योग- 30960.00

(2) अध्यक्ष महोदय के किराये के वाहन संख्या 9365 के तेल भुगतान निम्नवत दर्शित है-

तिथि	बिल संख्या	फिलिंग डेट	राशि
10.08.20	8	30-09-19	3675
10.08.20	9	30-09-19	4610
10.08.20	10	30-09-19	4930
10.08.20	11	31-12-19	4095
10.08.20	12	31-12-19	4028
10.08.20	13	31-12-19	3996
10.08.20	14	31-12-19	1332
10.08.20	15	31-12-19	3993
10.08.20	16	31-12-19	3989
10.08.20	17	31-12-19	4344
10.08.20	18	31-01-20	3017
10.08.20	19	31-01-20	4820
10.08.20	20	31-01-20	4139
10.08.20	21	29-02-20	4897
10.08.20	22	29-02-20	2979
10.08.20	23	29-02-20	4327
10.08.20	24	29-02-20	4567
10.08.20	25	30-09-19	2013

योग- 69743.00

उक्त तिथियों को डीजल उक्त फिलिंग तिथि में किराये की गाडी पर व्यय दर्शित रहा, उक्त गाडी कब चली, क्या किराया रहा, अनुबंध लागू बुक अनुपलब्ध रहा। शासन से अनुमति ली गई या नहीं, अस्पष्ट रहा। प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(3)	बिल सं०	अवधि	राशि
	2	23.06.20 24.06.20	3870.00
3	25.06.20 26.06.20	3870.00	
4	27.06.20 28.06.20	3870.00	
5	29.06.20 30.06.20	3870.00	
6	01.07.20 02.07.20	3870.00	
7	03.07.20 04.07.20	3870.00	
8	05.07.20 06.07.20	3870.00	
योग -		27090.00	

उक्त भुगतान वाहन सं० यू के 045869 का किराया अध्यक्ष हेतु भुगतान है, उक्त की किराये की संविदा लागूबुक आदि पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। जिसकी वसूली अपरमुख्य अधिकारी तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

साथ ही साथ यह भी सुझाव है कि गाडी किराये पर लिए जाने से सम्बंधित एक अलग की पत्रावली तैयार कर राखी जानी अपेक्षित है, जिसमें क्रमबद्ध विवरण, लागू बुक शासन से अनुमति सम्बन्धी प्रपत्र एवं किराया बिल आदि का रख रखाव हो। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं जिनसे वसूली अपेक्षित है

प्रस्तर-11

(1) कार्य ग्राम विकास खंड मुढापांडे में ग्राम समधी में दौलारी मुडिया मूलकपुर डामर रोड से शमशान तक

मिट्टी खडंजा निर्माण:-

निर्माण में लागत -445400.00

कार्य प्रारम्भ तिथि -31.10.20

कार्य समाप्ति तिथि- 05.05.21

कार्य पूर्ण होने में लगा समय 6 माह

विलम्ब शुल्क /प्रतिकर - 4454.00

(2) कार्य वि० सं० उजलैट के ग्राम मल्कीवाला डामर रोड से ग्राम गुलडिया बालाजी मंदिर तक मिट्टी खडंजा कार्य-
लागत-1028500

प्रारंभ तिथि- 21.10.20

समाप्ति तिथि - 15.06.21

कार्य पूर्ण होने की अवधि - 7 माह

प्रतिकर - 10285.00

(3) कार्य - वि० सं० ठाकुरद्वाराके ग्राम गुडिया खेड़ी मार्ग से भट्ठे के सामने से हरवीर सिंह के डेरे की ओर मिट्टी खडंजा कार्य

लागत 31600.00

कार्य प्रारंभ तिथि- 21.08.20

कार्य समाप्ति तिथि - 18.01.19

कार्य पूर्ण होने की अवधि 5 माह

प्रतिकर - 7316.00

(4) कार्य - वि० सं० मूढापांडे के ग्राम नबाबपुरा में दौलरी अमर रोड से शमशान तक मिट्टी खडंजा कार्य -
लागत - 1230785.00

कार्य प्रारंभ तिथि - 11.09.20

कार्य समाप्ति तिथि 25.05.21

कार्य में लगा समय 8 माह

प्रतिकर-12308.00

(5) कार्य - वि०खं० बिलारी के ग्राम ज्वालापुर में रामप्रसाद के मकान से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा कार्य:-
लागत 811145.00

कार्य प्रारंभ तिथि- 30.05.19

कार्य समाप्ति तिथि - 10.02.20

कार्य पूर्ण होने की अवधि 9 माह

प्रतिकर - 8111.00

(6) वि० सं० बिलारी के ग्राम शिकारपुर से नसीलपुर सिक्का तक मिट्टी खडंजा कार्य :-
लागत- 1429523.00

कार्य प्रारंभ तिथि- 30.05.19

कार्य समाप्ति तिथि - 02.05.19

कार्य पूर्ण होने की अवधि 5 माह

प्रतिकर - 14295.00

(7) वि० सं० बिलारी के ग्राम रोजा से हरौरा संपर्क मार्ग तक मिट्टी खडंजा कार्य :-
लागत-2374106.00

कार्य प्रारंभ तिथि - 27.06.19

कार्य समाप्ति तिथि - 10.02.20

कार्य पूर्ण होने की अवधि 7 माह 10 दिन

प्रतिकर - 23741.00

(8) कार्य - वि० सं० कुन्दरकी के ग्राम रसूलपुरस हाथीपुर की और लगे खडंजे के शेष आभाग पर मिट्टी खडंजा कार्य :-

लागत 611234.00

कार्य प्रारंभ तिथि- 07.03.19

कार्य समाप्ति तिथि 18.03.20

कार्य पूर्ण होने की अवधि 12 माह

प्रतिकर - 6112.00

(9) कार्य - वि० सं० भगतपुर के ग्राम मल्लपुरा में रोशन रोड से सरकारी ट्यूबवेल पी.डब्लू.डी रास्ते तक मिट्टी खडंजा कार्य -

लागत 496925.00

प्रारंभ तिथि 07.03.19

कार्य समाप्ति तिथि - 20.08.19

कार्य पूर्ण होने की अवधि 5 माह

प्रतिकर-4969.00

(10) वि० खं० बिलारी के ग्राम बनियाठेर से लिंक रोड तक मिट्टी खडंजा कार्य :-

लागत -1020302.00

कार्य प्रारंभ तिथि - 30.05.19

कार्य समाप्ति तिथि - 30.09.20

पूर्ण होने की अवधि 16 माह

प्रतिकर- 10203.00

(11) वि० खं० भगतपुर के ग्राम समदा चतुर्भुज में मेन रोड से वीरेंद्र सिंह की टंकी के सामने से चामुंडा देवी तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य :-

लागत 230974.00

कार्य प्रारंभ तिथि - 07.03.19

कार्य समाप्ति तिथि - 03.01.20

कार्य पूर्ण होने की अवधि 10 माह

प्रतिकर 2310.00

उक्त कार्यों के संविदा अनुसार तीन माह में पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु उक्तकार्यों में तीन माह से अधिक समय कार्य पूर्ण होने में लिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है, समय से कार्य न पूर्ण होने पर ठेकेदार से लागत का 1% प्रतिकर /विलम्ब शुल्क ठेकेदार के बिल से की जानी थी जो संविदा में निर्धारित थी परन्तु ऐसा न करके संस्था/जिलापंचायत को रु० 104104.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। जिसकी वसूली समान रूप से अभियंता, अवर अभियंता, लेखाकार, तथा अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

12. निम्न कैश रसीदों के संकलन रजिस्टर से मिलान करने पर रसीद की प्रविष्टि रजिस्टर में नहीं पायी गई-

कैश रसीद सं०शीर्ष जिससे वसूल राशि प्रविष्टि राशि संकलन रजिस्टरमें नही प्रविष्टि

(1)366290	अलहिन्द ब्रिक्स वर्क्स	6000	6000

(2)13851	कृष्णचन्द्र अग्रवाल	6000	1706
3)13852	प्रकाश चन्द्र	6000	414
S/o कैलाश चन्द्र			

क्रमांक पर वसूल राशि रु० 12000 में से मात्र रु० 6000 की ही प्रविष्टि संकलन रजिस्टर में रही। क्रमांक (2) एवं (3) की राशि वसूल की प्रविष्टि नहीं है। अतः केशबुक से जमा वसूल राशि 2120.00 की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

कार्य का नाम वि० खं० बिलारी के ग्राम सहसपुर में किले के पीछे से करनसिंहके मकान की ओर सी० सीरोड निर्माण में संलग्न गिट्टी, बालू, खनिज के एमएम-11 कार्यालय खनिकर्म मुरादाबाद जिला अधिकारी)को प्रेषित निम्न किये गये जिनमे जिला अधिकारी मादाबाद के पत्रांक 1251/बनिज/2020 दिनांक 03.06.20 अनुसार निम्न एमएम-11 अवैध पाए गये ।

क्रम सं०	ईएमएम-11 क्रमांक	मद	मात्रा	रायल्टी
1	0जे 00820010315	बालू	12 घन मी	660
2	0जे 00820010926	बालू	12 घन मी	660
3	0जे 00355034963	गिट्टी	22 घन मी	3550
4	0जे 11214005020	बजरी	14 घन मी	1540
5	0जे11214004707	बजरी	14 घन मी	1540
6	0जे11214005089	बजरी	14 घन मी	1540
7	0जे 11214004698	बजरी	14 घन मी	1540

ई० एम० एम० 11 के अवैध होने की स्थिति में मुख्य सचिव उ० प्र० केपत्र सं० 3385/86 2015 292/2015 के अनुसार प्रस्तर 3 में उल्लिखित वैध अभिवहन (ईएमएम-11) के बिना यदि कोई कार्य किया जाता है तो प्रयुक्त खनिज की रायल्टी के साथ खनिज मूल्य रायल्टी के 5 गुना की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी थी और धनराशि को निर्धारित शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की प्रति जिलाधिकारी को भी प्रेषित की जाय। परन्तु ऐसा नहीं किया गया, जो त्रुटिपूर्ण रहा ।

ईएमएम-11 अनुसार कुल रायल्टी 11030.00, रायल्टी का पांच गुना खनिज कीमत रु० 55150.00 अतः खनिज मूल्य रु० 55150.00 एवं रायल्टी 11030.00 कुल रु० 66180.00 की वसूली अभियंता, अवरअभियंता, लेखाकार, तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा से समानरूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

(1) कार्य-वि० खं० ठाकुरद्वारा के ग्राम राजपुर केसरिया में राजपुर केसरिया संपर्क मार्ग से शकील के खेत से नहर की पट्टी पर बमनिया की पुलिया तक मिट्टी खडंजा कार्य-

लागत 1209300.00

प्रारंभ तिथि-9-9-20

समाप्ति तिथि-18-1-21

कार्य में लगी अवधि 4 माह व 9 दिन

प्रतिकर 1%-12093

(2) वि० खं० भगतपुर के ग्राम कुरुरझुंडी में जूनियर हाईस्कूल से लकी चौधरी के घर के आगे अलीगंज मार्ग की ओर मिट्टी खडंजा कार्य-

लागत 665952.00

प्रारंभ तिथि - 24-08-20

समाप्ति तिथि - 16-01-21

कार्य में लगी अवधि -5 माह 18 दिन

प्रतिकर -1%-6659.00

(3) वि० ख० बिलारी के ग्राम बिचौला ठुरी रोड से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा कार्य -

लागत -365579.00

प्रारंभ तिथि-08-03-19

समाप्ति तिथि-15-03-20

कार्य में लगी अवधि -1 वर्ष

प्रतिकर 1%-3655.00

(4) वि० ख० भगतपुर के ग्राम निवाडखास में बी० एस० एन० एल० टावर से धारुपुर तक मिट्टी खडंजा कार्य-

लागत 495581.00

प्रारंभ तिथि -07-03-19

समाप्ति तिथि -20-08-19

कार्य में लगी अवधि - 5 माह 13 दिन

प्रतिकर -1%-4955.00

उक्त कार्यों को संविदा अनुसार तीन माह में पूर्ण होना था परन्तु उक्तानुसार तीन माह से अधिक समय लिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः बिलम्ब शुल्क / प्रतिकर ठेकेदार से 1% न लेकर कुल रु० 27362.00 की क्षति जिलापंचायत को पहुंचाई गई। जिसकी वसूली ब्याज सहित अभियंता, लेखाकार तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश (पंचायत राज अनुभाग-03) के शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015-03/2015 दि० 31-07-2015 के प्रस्तर-3 के अनुसार जिलापंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी। जिला पंचायत मुरादाबाद वर्ष 20-21 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा राज्य/केंद्रीय वित्त से प्राप्त धनराशि से करायें गए निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जिला पंचायत द्वारा बहुत छोटे निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अंदर कराए गये हैं। जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्रपंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्रुगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं, जिसकी इप्लिकेसी की संभावना बनी रहती है। विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम नगलिया जटसे शाहाबाद रोड की ओर सी० सी० कार्य	955884
2	ग्राम गुलाडिया में हाईवे से शमशान तक मिट्टी खडंजा कार्य	1247266
3	ग्राम नवादा में उमरी रोड से नहर की पुलिया तक सी० सी० रोड	646082
4	ग्राम लालापुर में ध्यान सिंह के मकान के पास से शमशान तक मिट्टी खडंजा कार्य	2010151
5	ग्राम सदरपुर मतलबपुर रोड से योगेन्द्र सिंह के घर तक सी० सी० रोड	1291321
6	ग्राम चककचनाल में काशीपुर भोजपुर मार्ग से चककचनाल तक मिट्टी खडंजा कार्य	570080
7	ग्राम शिमलाठेर में शिमलाठेर इमरत पुर डामर रोड से गौशाला तक मिट्टी खडंजा	543519

	कार्य	
8	ग्राम राम नगर खागुवाला में अफसर के मकान से शमशान तक मिट्टी खडंजा कार्य	911144
9	ग्राम चतरपुर नकटाखेड़ा में सी० सी० रोड से नदी तक मिट्टी खडंजा कार्य	379017
10	ग्राम इमरतपुर उधौ में ग्राम से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा कार्य	2273224
11	ग्राम खलीलपुर कद्दीम में मैन रोड से श्री ओंकार सिंह की समाधी तक मिट्टी खडंजा कार्य	489886
12	ग्राम नानपुर में ग्राम के बाहर खडंजे से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा कार्य	1721703
13	ग्राम अब्दुल्लापुर लेदा में ग्राम के बाहर पूरब की दिशा में नई बस्ती की ओर मिट्टी खडंजा कार्य	327936
14	ग्राम बिचौला दूकी रोड से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा कार्य	415660
15	ग्राम थावला में कब्रिस्तान वाली मस्जिद से ईदगाह की ओर सी० सी० रोड निर्माण कार्य	731028
16	ग्राम सहसपुर में किले के पीछे से करनसिंह के मकान की ओर सी० सी० रोड	653849
17	ग्राम बुढनपुर में पुलिया से मजार तक मिट्टी खडंजा कार्य	1264171
18	ग्राम महमूदपुर माफी में सिराज फैक्ट्री से शमशान घाट तक सी० सी० निर्माण	596069
19	ग्राम सिरसा ठाठ में सी० सी० टाइल्स कार्य	672909
20	ग्राम महमूदपुर माफी में मस्तन के खेत से पीतम तक मिट्टी खडंजा कार्य	652626
21	ग्राम कलाल खेड़ा में खेमपाल से पासियो वाले शमशान तक मिट्टी खडंजा कार्य	311404
22	ग्राम महमूदपुर तिगरी से अमर रोड से मस्जिद तक सी० सी० कार्य	510856
23	ग्राम नवाबपुरा में दौलारी डामर रोड से शमशान तक मिट्टी खडंजा कार्य	1378480
24	ग्राम धनियाखेड़ा से शमशान घाट तक सी० सी० कार्य	953660
25	ग्राम जमालपुर में मैन रोड से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा कार्य	1538085
26	ग्राम मनोहरपुर में गता फैक्ट्री से टाइल्स रोड तक मिट्टी खडंजा कार्य	593872
27	ग्राम शेरपुर माफी के चौराहे से रामरतन इंटर कालेज तक सी० सी० कार्य	634869
28	ग्राम शाहपुर में मरघटों तक मिट्टी खडंजा कार्य	1378395
	योग -	25653146

अतः रु०25653146.00 अनियमित भुगतान हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा, अभियंता, अवर अभियंता तथा लेखाकार उत्तरदायी होंगे। इनसे उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

सं० 119/23-22(2011-12) न० पा० सहा० प्रथम उ०प्र० क्षेत्रपंचायत एवं जिलापंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा 239 (2) के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में उपनियम -7 के तहत लगने वाली फैक्ट्रियों आदि पर निर्धारित दर से लाईसेन्स शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। लाईसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी। यदि 30 सितम्बर तक नवीनीकरण हेतु शुल्क नहीं जमा किया तो 01 अक्टूबर से नवीनीकरण पर 50% अतिरिक्त शुल्क लेकर नवीनीकरण किया जायेगा। जिलापंचायत वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की निम्न फैक्ट्रियों / फर्मा आदि की लाईसेन्स शुल्क की वसूली 30 सितम्बर के बाद हुई है किन्तु राजस्व निरीक्षकों के द्वारा उन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है।

क्र०सं०	फैक्ट्री	चेक सं०	चेक जमा दिनांक	लाईसेन्स शुल्क	अतिरिक्त देय शुल्क (50%)
1	मै० शाहजहाँ एक्सपोर्ट फरीदपुर	212578	15-10-2020	30000	15000
2	साई स्टेटड प्रोडक्शन लालपुर हमीर	998867	15-10-2020	30000	15000
3	लक्ष्मी शुगरमिल राजा का सहसपुर	329978	15-10-2020	75000	37500
4	विहान बोर्ड प्र० लि० अगवानपुर	242145	15-10-2020	15000	7500
5	आर्ट विजन मेट कंपोनेंट महलकपुर	001763	15-10-2020	30000	15000
6	दलीप गौतम एजेंसी सादिकपुर बिलारी	776369	31-10-2020	12000	6000
7	बिल्डर्स डेवलपर्स लोधीपुर राजपूत	101021	31-10-2020	10000	5000
8	आर के इंडस्ट्रीज मिलक पल्लुपुरा	127300	31-10-2020	5000	2500
9	नंदन स्वीट्स गिन्नौरद माफी	000061	31-10-2020	5000	2500
10	एल आर इंटर प्राठजेज मनोहरपुर	001071	31-10-2020	6000	3000
11	गंगा हैंडीक्राफ्ट पाकबाड़ा	023754	12-11-2020	30000	15000
12	जे.के. एक्सपोर्ट कारपोरेशन मो०पुर बस्तौर	075755	27-11-2020	30000	15000
13	इकोरूट्स फूड इंडिया प्रा०लि० दलपतपुर (वर्ष 19-20)	112569	27-11-2020	6000	3000
14	योगी फिलिंग स्टेशन गोठ बीजना	853834	30-11-2020	5000	2500
15	कामेट हैंडी क्रफ्ट लोधीपुर राजपूत	010643	05-12-2020	30000	15000
16	सरन इम्पेक्स लोधीपुर राजपूत	089651	30-11-2020	30000	15000
17	मै० इंडियन एरामेटिक्स सिठावली	000242	21-12-2020	30000	15000
18	आप वर्ना इकाई डिस्लारी, बेलवाड़ा, भगतपुर	414756	21-12-2020	6000	30000
19	इकोरूट्स फूड इंडिया दलपतपुर	163430	21-12-2020	6000	3000
20	अग्रवाल पैकिंग मनोहरपुर	002359	31-12-2020	10000	5000
21	मै०कोमर्शियल मोटर्स मौलागढ़	31939	31-12-2020	5000 25%	1250
22	मै० एच.एन.आई. मैन्फैक्चर फरीदपुर	704510	11-01-2021	10000	5000
23	फरनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट केसिया	086367	11-01-2021	30000	15000
24	कालोनियल कासेट महलकपुर	007886	01-02-2021	30000	15000
25	कालोनियल कासेट महलकपुर (19- 20)	007885	01-02-2021	30000	15000
26	मिलक फूड लि० अगवानपुर	273596	01-02-2021	30000	15000
27	गंगा हैंडीक्राफ्ट मंगुपुरा	023781	01-03-2021	30000	15000
28	मार्टको एक्सपोर्ट लोधीपुर राजपूत	482643	01-03-2021	30000	15000
29	सागर मेटल इण्डस्ट्रीज मंगुपुरा		20-03-2021	10000	5000
30	रोहित पेपर्स महलकपुर	703994	20-03-2021	8000	4000

31	नबाब फैमिली ढाबा रामपुर रोड भैंसिया	000799	20-03-2021	5000 25%	1250
32	पनाचेइंडिया इन्टनेशनल लोधीपुर राजपुत	05604	20-03-2021	30000	15000
33	विलेज एम.एफ.एक्सपोर्ट लालपुर हमीर (2019-20, 20-21)	470806	20-03-2021	60000	30000
34	एच.आर. डिजाइन पल्लुपुरा घोषी	006880	29-06-2021	30000	15000
35	न्यूमारन इंडिया फर्म मो0 पुर बस्तौर	271058	15-07-2021	30000	15000
36	त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज रानी नागल ठाकुरद्वारा	921887	15-07-2021	75000	37500
37	शोरम सागर बिल्डर्स एवं डेवलपर्स लोधीपुर राजपूत	785617	21-08-2021	10000	5000
38	ए.आर. इंडस्ट्रीज सब्जीपुर	314070	30-09-2021	10000	5000
39	लता इंटर प्राइजेज मनोहरपुर	429459	11-10-2021	30000	15000
40	ब्रासेस इंडिया लोधीपुर राजपूत	033783	15-11-2021	30000	15000
41	एम.एस. मार्क इम्पैक्ट एक्सपोर्ट फर्म नूरपुर 2015-16 से 20-21 तक	041904		180000	90000
				योग -	576500

अतः वर्ष 20-21 की उक्त फैक्ट्रियों से लेट फीस के रूप में रु० 576500.00 की वसूली की जानी चाहिए थी, किन्तु राजस्व निरीक्षकों द्वारा वसूली न करके जिलापंचायत को हानि पहुंचाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी हैं। इस प्रति उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बंधित कर निरीक्षकों (श्री विनोद कुमार, श्री संदीप कुमार, श्री राशिद अली तथा श्री जसपाल सिंह) से की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-17

सं० 119/23-22(2011-12) न० पाठ सहा० उ०प्र० क्षेत्रपंचायत एवं जिलापंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा 239 (2) के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में उपनियम 18 के तहत विभिन्न व्यवसायों पर निर्धारित दर से लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष डे होगा। उपनियम 17 में उल्लिखित है कि लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी, तथा 30 जून तक लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर 01 जुलाई से 25 प्रतिशत शुल्क लेकर नवीनीकरण किया जायेगा। किन्तु निम्न व्यवसायों पर 1 जुलाई के बाद लाइसेंस फीस वसूला गया है और अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	व्यवसाय की दुकान	विकासखण्ड	वसूली दिनांक	लाइसेंस फीस	देय अतिरिक्त शुल्क
1	जानेंद्र सिंह देशी शराब, छजलैट	छजलैट/डिलारी	12-02-2021	6000	1500
2	शकील अहमद देशी शराब डहरा	“ “	“ “	6000	1500
3	नरेशबाबू देशी शराब हकीमपुर	“ “	“ “	6000	1500
4	राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव देशी शराब	“ “	“ “	6000	1500

5	कुलदीप कुमार कोकरपुर देशी शराब	“ “	“ “	6000	1500
6	जितेंद्र सिंह देशी शराब कुडामीरपुर	“ “	“ “	6000	1500
7	निर्मल त्यागी देशी शराब लदावली	“ “	“ “	6000	1500
8	जितेन्द्र पाल सिंह देशी शराब मोढातेहिया	“ “	“ “	6000	1500
9	ग्रीश कुमार पाराशर देशी शराब नवादा	“ “	“ “	6000	1500
10	शोभाराम देशी शराब रायपुर खुर्द	“ “	“ “	6000	1500
11	सुखवीर सिंह देशी शराब सलावा	“ “	“ “	6000	1500
12	नवनीत कुमार देशी शराब धारक नगला	“ “	“ “	6000	1500
13	रामपाल सिंह देशी शराब डिलारी	“ “	“ “	6000	1500
14	किशन लाल देशी शराब जटपुरा	“ “	“ “	6000	1500
15	श्रीमति पम्मी देशी शराब करनपुर	“ “	“ “	6000	1500
16	देवेन्द्र सिंह देशी शराब मनकुआ कसूदपुर	“ “	“ “	6000	1500
17	श्रीमति रिचा खुराना सलेमसराय	“ “	“ “	6000	1500
18	श्रीमति सरोज सुल्तानपुर मुंडा	“ “	“ “	6000	1500
19	करमपाल सिंह मिलकपुर श्योराम	“ “	“ “	6000	1500
20	विजय कुमार बीयर डिलारी	“ “	“ “	6000	1500
21	भूपसिंह बीयर जटपुरा	“ “	“ “	6000	1500
22	श्रीमति शशि देवी बीयर करनपुर	“ “	“ “	6000	1500
23	श्रीमति सावित्री देवी बीयर धारक नगला	“ “	“ “	6000	1500
24	तुषार अग्रवाल रोशनपुर (अग्रेजी)	भगतपुर/बिलारी	19-11-2020	6000	1500
25	राकेश कुमार बिलाकुदान	“ “	“ “	6000	1500
26	गुरमीत सिंह खुराना बिलाकुदान	“ “	“ “	6000	1500
27	श्री संजय कुमार बीयर रोशनपुर	“ “	“ “	6000	1500
28	परवेज कुमार यादव	“ “	“ “	6000	1500
29	ग्रवीश कुमार पाराशर बहोरनपुर नरौली	“ “	“ “	6000	1500
30	अंजनी कुमार बेलवाडा	“ “	“ “	6000	1500
31	संदीप चौधरी भदगावा	“ “	“ “	6000	1500
32	सुनीता जायसवाल बिलाकुदान	“ “	“ “	6000	1500
33	आशीष कुमार गुप्ता वीरमपुर	“ “	“ “	6000	1500

34	अजयवीर सिंह चादगढी	“ “	“ “	6000	1500
35	ओमकार सिंह ग्वारऊ	“ “	“ “	6000	1500
36	इस्त्याग बेग जटगाँव	“ “	“ “	6000	1500
37	अशोक कुमार अग्रवाल कुकुरझंडी	“ “	“ “	6000	1500
38	ध्यान प्रकाश सिंह महेशपुर खेम	“ “	“ “	6000	1500
39	श्री शहनाज मनकूला	“ “	“ “	6000	1500
40	श्री रोहित चौधरी मिलक खावरी	“ “	“ “	6000	1500
41	अनुपम कुमार निवाडखास	“ “	“ “	6000	1500
42	सुरेश चन्द्र नौटियाल रामनगर गंगपुर	“ “	“ “	6000	1500
43	अनंत कुमार पांडे रोशनपुर	“ “	“ “	6000	1500
44	ओमप्रकाश रूस्तमनगर गंगपुर	“ “	“ “	6000	1500
45	श्रीमति गीता गुलारी सरदार नगर	“ “	“ “	6000	1500
46	विजय वर्मा संतिखेडा	“ “	“ “	6000	1500
47	अभिषेक आहूजा जैतपुर	“ “	“ “	6000	1500
48	पवन कुमार झा स्योडारा	“ “	“ “	6000	1500
49	सुमन राठौर गंगपुरा	मुरादाबाद/ठाकुरद्वारा	15-02-21	6000	1500
50	नरेश कुमार नया गाँव बहादर नगर	“ “	“ “	6000	1500
51	श्रीमति शैलजा पत्थर खेडा	“ “	“ “	6000	1500
52	नरेश कुमार पृथ्वीपुर गावड़ी	“ “	“ “	6000	1500
53	अरविन्द कुमार रानी नांगल	“ “	“ “	6000	1500
54	धर्मवीर सिंह रतुपुरा	“ “	“ “	6000	1500
55	इन्द्रजीत सिंह चड्ढा मंगुपुरा जीरो प्वाइंट	“ “	“ “	6000	1500
56	सुमन शर्मा बहलोलपुर	“ “	“ “	6000	1500
57	नरेंद्र सिंह सुरजन नगर	“ “	“ “	6000	1500
58	किशनलाल अभनपुर	कुन्दरकी/मूढापांडे	12-02-21	6000	1500
59	सुनील कुमार अरोड़ा फरहेदी	“ “	“ “	6000	1500
60	प्रमोदकुमार भट्ट हरियाना	“ “	“ “	6000	1500
61	अंजनी कुमार जटपुरा	“ “	“ “	6000	1500
62	श्री ओमकार सिंह मैनाठेर	“ “	“ “	6000	1500
63	श्री कन्यालाल रतनपुर कला	“ “	“ “	6000	1500
64	महेश सक्सेना बूजपुर	“ “	“ “	6000	1500
65	अनंत कुमार पांडे दलपतपुर	“ “	“ “	6000	1500
66	श्रीमति गीता गुलारी जगरामपुरा	“ “	“ “	6000	1500
67	सुरेन्द्र सिंह बिष्ट खाई खेडा	“ “	“ “	6000	1500

68	मोहित आहूजा मूढापांडे	“ “	“ “	6000	1500
69	रजनीश कुमार पांडे नाजापुर	“ “	“ “	6000	1500
70	श्रीमति लीना करेजा रामपुर कलां	“ “	“ “	6000	1500
71	अनंत कुमार पांडे रौंडा चौराहा	“ “	“ “	6000	1500
72	मुनेश गुप्ता शाकटपुरा	“ “	“ “	6000	1500
73	राकेश सिंह सरकडा खास	“ “	“ “	6000	1500
74	श्रीमति सुमन राठौर सिहोराबाजे	“ “	“ “	6000	1500
75	रामनंत शर्मा सिरस खेड़ा	“ “	“ “	6000	1500
76	प्रदीप शुक्ला दलपतपुर	“ “	“ “	6000	1500
77	श्रीमति पुष्पलता छाबड़ा मूढापांडे	“ “	“ “	6000	1500
78	कानसिंह अरोड़ा मौलागढ़	“ “	“ “	6000	1500
79	शोभित नन्द्र गुप्ता स्योहारा बाजे	“ “	“ “	6000	1500
80	विनीत कुमार शर्मा बीयर मुढापांडे	मुरादाबाद/ठाकुरद्वारा	10-11-20	6000	1500
81	सुदेश कुमार अग्रवाल उचागाँव	“ “	“ “	6000	1500
82	श्रीमति सविता यादव दलपतपुर	“ “	“ “	6000	1500
83	सी.एस.पाठक रतनपुर कला	“ “	“ “	6000	1500
84	प्रवीन चौहान रतनपुर कला	“ “	“ “	6000	1500
85	नागेन्द्र कुमार सुरजन नगर	“ “	“ “	6000	1500
86	गुरु संगत सिंह चड़ड़ा गंगुपुरा	“ “	“ “	6000	1500
87	श्रीमति वीना रस्तोगी सुरजन नगर	“ “	“ “	6000	1500
88	सुरेश कुमार मंगुपुरा	“ “	“ “	6000	1500
89	राजीव अग्रवाल लोधीपुर राजपूत	“ “	“ “	6000	1500
				योग -	133500

अतः उक्त शराब की दुकानों से बिलम्ब शुल्क रु० 133500.00 की वसूली न करके कर निरीक्षकों के देवारा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस प्रति उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बंधित कर निरीक्षको (श्री विनोद कुमार, श्री संदीप कुमार, श्री राशिद अली तथा श्री जसपाल सिंह) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

नौका घाट का पुराना बकाया रु० 257000.00 श्री ओम प्रकाश उर्फ भोले पुत्र श्री बुद्धा सिंह से वसूल किया जाना है। किन्तु वर्तमान तक इस धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी है। अतः अविलम्ब उक्त धनराशि की वसूली व्याज सहित श्री ओम प्रकाश से की जाय। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की वसूली व्याज सहित पटल कार्मिक तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों को 10 प्रतिशत जी.एस.टी. भुगतान किया गया है। किन्तु ठेकेदार द्वारा व्यापार कर कार्यालय में 10 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा की गयी अथवा नहीं, संस्था पर इसका प्रमाण नहीं पाया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त धनराशि ₹०158819776.00 का 10 प्रतिशत जी.एस.टी. ₹०15881978.00 जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा, लेखाकार प्रदीप कुमार तथा पटलकार्मिक पवन त्यागी उत्तरदायी हैं जिनसे उक्त धनराशि की वसूली व्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

जिलापंचायत के ठेकेदारों से जी० एस० टी० का भुगतान सीधे व्यापार कर कार्यालय में जमा कराया जाना जिला पंचायत लेखाकार द्वारा बताया गया, जिसका संस्था पर कोई भी विवरण प्रमाणक नहीं पाया गया और न ही इस हेतु कोई लेजर तैयार किया गया है, लेखाकार द्वारा बताया गया कि कितना जी० एस० टी० अमुक ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है व कितना शेष है वह नेट के माध्यम से दर्शित हो जाता है जो नई तकनीक की दृष्टि से औचित्य पूर्ण है, परन्तु इस हेतु संस्था में एक लेजर बनाया जाना अपेक्षित है। ठेकेदार द्वारा 10 प्रतिशत तथा जिसमें संस्था द्वारा 2 प्रतिशत जी० एस० टी० जमा किया जाता है। जी० एस० टी० का खाता न रखे जाने से वास्तविक जमा की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। 2 प्रतिशत जी० एस० टी० जमा का चालान संस्था में होना आवश्यक है तथा ठेकेदार द्वारा 10 प्रतिशत जमा का प्रमाण भी संस्था स्तर पर होना आवश्यक है। इस प्रकार निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त धनराशि ₹०158819776.00 का 2 प्रतिशत जी.एस.टी. ₹० 3176395.00 जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशु पाल शर्मा, लेखाकार प्रदीप कुमार तथा पटल कार्मिक पवन त्यागी उत्तरदायी हैं जिनसे उक्त धनराशि की वसूली व्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-79548661.00

जनपद का नाम- रामपुर

मण्डल का नाम-मुरादाबाद

जिला पंचायत-- रामपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2020.21

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियों

प्रस्तर (1) अनियमित प्रकार से वाहन किराया का भुगतान ₹0 0.34 लाख

दिनांक 04.07.2020 वाउचर सं० 08 से संजीवनी इ०प्र० को वाहन सं० **यू पी 32 एफ एन 1998** का किराया ₹0 33705.00 ट्रांसफर किया गया दर्शित है। यह वाहन जिला पंचायत में प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है फिर भी किराया का भुगतान किया गया है। संप्रेक्षा दौरान पूछने पर बताया गया है कि यह वाहन शासन में प्रयोग किया जाता है जिसका किराया धनराशि प्रति तीन वर्षों में भेजी जाती है, परन्तु लेखा परीक्षा में शासनादेश या आदेश अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि व्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (2) शासनादेश के विपरीत सीमा से अधिक आहरण कर भुगतान किया जाना ₹0 25.00 लाख

कोविड – 19(कोरोना वायरस) के प्रकोप के दृष्टिगत को रखते हुए उ०प्र० सरकार द्वारा कोविड केयर फण्ड बनाया गया है। जिसमें योगदान दिये जाने के सम्बन्ध में उ०-प्र० सरकार द्वारा शासनादेश सं 896/33-3-2020-114/2012टी०सी० दिनांक 06 अप्रैल 2020 जारी किया गया है कि जिला पंचायत अपने निधि से कोविड केयर फण्ड में योगदान कर सकती है।

फलस्वरूप निम्न प्रकार से जिला पंचायत द्वारा धनराशि भेजी गयी है।

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि
1	13.04.2020	648752	1100000.00

2	16.04.2020	548753	1400000.00
3	योग		2500000.00

उक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियां दृष्टिगत रही।

(अ) उक्त दो बार धनराशि भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या शासन ने कहा कि और धनराशि भेजी जाय? यदि शासन ने नहीं कहा तो दोबारा धनराशि भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(ब) उक्त दोनों बार भेजी गयी धनराशि ₹0 दस लाख से अधिक है। नियमानुसार जिला पंचायत में ₹0 10.00 लाख से अधिक के कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि पर स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है इससे कम मूल्य के कार्यों की स्वीकृति की शक्ति अध्यक्ष जिला पंचायत में निहित है। अतः दोनों भुगतान ₹0 10.00 लाख से अधिक है। लेखा परीक्षा में यह भी अवगत कराया गया कि अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि व्यय के उपरान्त बोर्ड में अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है, जिसका पालन जिला पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। अतः भुगतान में नियमों का पालन नहीं किया गया है। अतः धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (3) (अ) डीजल क्रय किये जाने की पुष्टि में लाक बुक उपलब्ध न कराया जाना ₹0 0.99 लाख

जिला पंचायत में यू पी 22 ए एफ 3222 वाहन का प्रयोग अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जो टेण्डर के माध्यम से किराया पर लिया गया वाहन बताया गया है, जिला पंचायत से बार-बार पत्राचार करने के उपरान्त सम्बन्धित फाइल व अनुबन्ध लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त फाइल व अनुबन्ध पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

उक्त वाहन हेतु डीजल क्रय कर निम्न प्रकार जिला निधि खाते से व्यय किया गया है।

क्र. सं.	दिनांक/वाउचर सं०	मद	धनराशि
1	4.5.2020/28	डीजल क्रय	1576.00
2	15.6.2020/28	डीजल क्रय	9578.00
3	20.7.2020/13	डीजल क्रय	18333.00
4	10.9.2020/12	डीजल क्रय	8884.00
5	13.10.2020/40	डीजल क्रय	10196.00
6	7.11.2020/42	डीजल क्रय	7823.00
7	9.12.2020/03	डीजल क्रय	8250.00
8	12.1.2021/41	डीजल क्रय	11861.00
9	3.3.2021/59	डीजल क्रय	7959.00
10	3.3.2021/60	डीजल क्रय	900.00
11	30.3.2021/75	डीजल क्रय	13985.00
12		योग	99345.00

परन्तु सम्बन्धित क्रय के व्यय में लाग बुक लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने/पत्राचार करने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे डीजल क्रय की वास्तविक पुष्टि नहीं होती है।

(ब) जिला पंचायत में टेण्डर के माध्यम से किराये पर यू पी 22 ए एफ 3222 वाहन का प्रयोग अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जिसकी फाइल लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने के कारण ऑनलाइन जांच करने पर पता चला कि ये वाहन जो किराये पर चलाया जा रहा है ये निजी वाहन में रजिस्टर्ड है। नियमानुसार किसी सरकारी विभाग में वाहन का किराये पर चलाये जाने हेतु टेण्डर आमंत्रण, टैक्सी वाहन में रजिस्टर्ड वाहन का किया जाता है। अपर मुख्य अधिकारी द्वारा टेंडर

आमंत्रण टैक्सी वाहन में रजिस्टर्ड वाहन का किया गया परन्तु स्वीकृति अनियमित तरीके से निजी वाहन का किया गया इस प्रकार अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार द्वारा निजी वाहन को कामर्शियल के रूप में बिना राजस्व जमा कराये प्रयोग कराया जा रहा है। जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी की है।

अतः जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जो विगत वर्षों से कर अपवंचना करायी जा रही है, को बकाया सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सम्भव है, इस प्रकार से निर्माण में भी एक ही वांछित ठेकेदार से कई निविदा आमंत्रण फार्म भराकर अपने हिसाब से उच्चदर पर स्वीकृति कर अनियमित प्रकार से लाभ पहुंचाए गये हों।

प्रकरण विभागीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(आ0 सं0 15)

(4) जनरेटर पर डीजल मद में बिना लाग बुक के अनियमित तरीके से व्यय किया जाना ₹0 1.18 लाख

केश बुक के अनुसार जिला निधि खाते से वर्ष 2020-21 दौरान जनरेटर संचालन हेतु निम्न प्रकार से डीजल क्रय किया जाना दर्शित है—

क्र.	दिनांक/वाउचर सं0	मद	धनराशि
1	4.5.2020/22	डीजल क्रय	8927.00
2	4.5.2020/27	डीजल क्रय	5359.00
3	15.6.2020/29	डीजल क्रय	12150.00
4	20.7.2020/12	डीजल क्रय	8587.00
5	8.8.2020/16	डीजल क्रय	10673.00
6	10.9.2020/13	डीजल क्रय	12585.00
7	13.10.2020/39	डीजल क्रय	11306.00
8	7.11.2020/44	डीजल क्रय	11381.00
9	9.12.2020/04	डीजल क्रय	10709.00
10	12.1.2021/40	डीजल क्रय	11471.00
11	2.3.2021/41	डीजल क्रय	9388.00
12	30.3.2021/76	डीजल क्रय	5565.00
		योग	118101.00

उक्त की लाग बुक लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु बार-बार मांगने/पत्राचार करने के उपरान्त अप्राप्त रही। पुष्ट अपेक्षित है। अतः धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0

17)

(5) मेला राठौंडा में व्यय की पुष्टि में नियमानुसार प्रपत्र की अप्राप्ति ₹0 8.88 लाख

मेला राठौंडा में जिला निधि खाते से निम्न प्रकार से कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शित है—

क्र.	दिनांक/वाउचर सं0	मद	धनराशि
1	4.5.2020/34	मेला राठौंडा में विद्युत व्यवस्था श्री आलमज को	166423.00
2	8.5.2020/40	मेला राठौंडा में रंगाई पुताई रा0वि0 से	526460.00
3	6.6.2020/14	मेला राठौंडा में पेयजल व्यवस्था श्री अबरार अहमद को	60225.00

4	20.6.2020/34	मेला राठौडा में रंगाई पुताई में 0 सिंह को	134841.00
5		योग	887949.00

उक्त कार्य पर निम्न प्रकार आपतियां दृष्टिगत रही।

(अ) उक्त चारों कार्य के बोर्ड के पारित प्रस्ताव बार-बार मांगने/पत्राचार करने के उपरान्त अप्राप्त रहे।

(ब) उक्त चारों कार्य के एस्टीमेट व क्रमांक 01,02, व 04 के टेण्डर बार-बार मांगने/पत्राचार करने के उपरान्त अप्राप्त रहे।

(स) उक्त कार्य के एम0बी0 बार-बार मांगने/पत्राचार करने के उपरान्त अप्राप्त रही। (आपति सं0 18)

प्रस्तर (6) नियमों के विपरीत भुगतान नकद किया जाना ₹0 0.44 लाख

मेला राठौडा में अभियंता श्री मौ0 गुलफाम के द्वारा कार्य पर व्यय का निम्न प्रकार भुगतान दर्शित है।

क्र. सं.	दिनांक/बाउचर नं.	विवरण	धनराशि
1	6.6.2020/12	मेला राठौडा में साफ-सफाई के चौकीदार व्यवस्था	10030.00
2	15.6.2020/27	मेला राठौडा में साफ-सफाई की मजदूरी	34300.00
3		योग	44330.00

उक्त भुगतान मस्टररौल के माध्यम से लेबर को किया गया दर्शित है। मस्टर रौल भी विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है जिससे भुगतान में पारदर्शिता का अभाव है।

गांवों में प्रत्येक मजदूर के खाते खोले गये हैं और उन्हीं खातों के द्वारा गांव के मजदूरों का मजदूरी भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः अभियंता श्री मौ0 गुलफाम के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है। अतः उक्त भुगतान की वास्तविक पुष्टि नहीं होती है। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री मौ0 गुलफाम से किया जाना अपेक्षित है। (आ. सं. 19)

प्रस्तर (7) सम्पत्ति व विभव कर की वर्ष की धनराशि का डिमाण्ड में कम दर्शाया जाना ₹0 9.37 लाख

(अ) 30प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 121 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर सम्पत्ति एवं विभव-कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा हो। इसी धारा के अनुसार कर की दर आय पर अधिक से अधिक तीन पैसे प्रति रुपये निर्धारित की जानी थी। किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि ₹0 6000.00 प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होगी। अग्रेतर, बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व बकाये की तरह वसूल करने का प्राविधान इस अधिनियम में था। उक्त नियमावली के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष माह मार्च तक समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए कर निर्धारण सूची के अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी जिससे सम्पत्ति एवं विभव-कर की वसूली की जा सके।

कार्यालय जिला पंचायत रामपुर के वर्ष 2020-21 के सम्पत्ति एवं विभव-कर से सम्बन्धित सूची की जांच में पाया गया कि निम्न प्रकार विकास खण्डवार सूची बनायी गयी है-

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	दुकानों की संख्या	धनराशि
1	बिलासपुर	194	937200.00
2	स्वार	144	506100.00
3	सैदनगर	89	330540.00
4	शाहबाद	118	462900.00

5	चमरौआ	149	565200.00
6	मिलक	158	655200.00
7	योग	852	3457140.00

किसी व्यवसायी द्वारा ड्यू डेट तक उक्त निर्धारण कर पर कोई आपति दर्ज नहीं करायी गयी जिससे स्पष्ट है कि जिला पंचायत रामपुर द्वारा बनायी गयी उक्त सूची ही अन्तिम है और उक्तानुसार ही डिमाण्ड लगाया जाना चाहिए था।

परन्तु प्रपत्र-3(डिमांड वसूली व बिकया) में सम्पत्ति व विभव-कर का करारोपण वर्ष की मांग ₹0 25.20 लाख दर्शाकर अन्तर ₹0 9.37 लाख से डिमांड कम दर्शाकर अपहरण/अनियमितता की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (आ. सं. 20 अ)

(ब) गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष में करारोपण की वसूली का लक्ष्य कम रखा जाना ₹0 0.42 लाख

वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 हेतु कर निर्धारण की जिला पंचायत में बनायी गयी सूची निम्न प्रकार दर्शित है—

क्र. सं.		2019-20		2020-21		कमी	
	ब्लाक का नाम	दुकानों की सं०	धनराशि	दुकानों की सं०	धनराशि	दुकानों की सं० में कमी	धनराशि में कमी
1	बिलासपुर	195	921800.00	194	937200.00	1	-15400.00
2	स्वार	152	508200.00	144	506100.00	8	2100.00
3	सैदनगर	92	327500.00	89	330540.00	3	-3040.00
4	शाहबाद	130	502800.00	118	462900.00	12	39900.00
5	चमरौआ	157	548100.00	149	565200.00	8	-17100.00
6	मिलक	165	691200.00	158	655200.00	7	36000.00
7	योग	891	3499600.00	852	3457140.00	39	42460.00

गत वर्ष कुल 891 दुकानों पर करारोपण किया गया और वर्ष में 852 दुकानों पर ही करारोपण दर्शित है। अन्तर 39 दुकानदारों की संख्या गतवर्ष की अपेक्षा वर्ष में लक्ष्य कम रखा गया और इसी प्रकार धनराशि का लक्ष्य भी गतवर्ष की अपेक्षा वर्ष में ₹0 42460.00 कम रखा गया।

जबकि सरकार द्वारा अगले वर्ष के लिए लक्ष्य कम से कम 15 प्रतिशत अधिक दिया जाता है। इस प्रकार से करारोपण की स्थिति मांग, वसूली, व बकाया हंतु अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार उत्तरदायी हैं (आ. सं. 20 ब)

प्रस्तर(8) जिला पंचायत द्वारा विभिन्न बकायोंदारों से बकाया धनराशि का वसूल न किया जाना ₹ 18.50 लाख

जिला पंचायत द्वारा निम्न प्रकार बकायेदारों की सूची जो विगत कई वर्षों से बकाया है, बनाकर आर०सी० जारी करने हेतु राजस्व विभाग को भेजा गया है, बताया गया है, परन्तु अभी तक वसूली नहीं हुई है, जो निम्न है—

क्र० सं०	नाम बकायेदार	धनराशि	क्र० सं०	नाम बकायेदार	धनराशि
1	श्री हनीफ पुत्र मो० हुसैन ग्रा० लोदीपुर	2150.00	12	श्री मौ० हसीन खां पुत्र वजीरदूला नि० चकफेरी	40000.00
2	श्री दिलीप कुमार पुत्र जोगिन्द्र	38200.00	13	श्री कमल शाह पुत्र मकबूल शाह	55000.00

	सिंह सभापति चर्म औ०स०समिति धमौरा			नि० शाहबाद	
3	श्री जीमल पुत्र रसीद सभापति चर्म औ०स०समिति लौदीपुर नायक	54020.00	14	श्री जावेश राम पुत्र कोमल नि० बगडखां रामपुर	8600.00
4	श्री नजमुल हसन पुत्र सभापति चर्म औ०स०समिति बिलासपुर	18850.00	15	श्री विक्रम पुत्र सुखराम नि० सरावा	5200.00
5	श्री हनीफ पुत्र अब्दुल हफीज मिलक	55700.00	16	श्री शमशाद पुत्र भूरा घाटमपुर	14000.00
6	श्री मो० इन्तजार पुत्र इदरीश लोदीपुर नायक	13910.00	17	श्री फज्जन पुत्र मुन्नू नि० खवडिया मुरादाबाद	13500.00
7	श्री तिलक राज बाली पुत्र किशन चन्द मिलक	100000.00	18	श्री सद्दीक अहमद पुत्र शफी अहमद नि० पजावा	2000.00
8	श्री संजय पुत्र राजू ग्राम बादली	67500.00	19	श्री जयलाल पुत्र इतवारी नि० मोमिन रामपुर	3000.00
9	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी रामपुर किराया	1303923.00	20	श्री विनोद कुमार पुत्र राम प्रकाश नि० पटवाई	1250.00
10	श्री छोटे लाल पुत्र गोकुल नि० मझरा	11000.00	21	श्री फिदाअलरी पुत्र मल्लन निपनिया मिलक	17500.00
11	श्री वीर सिंह पुत्र करन सिंह नि० शाहबाद	25000.00	22	योग	1850303.00

उक्त की आर०सी० जारी करने के उपरान्त यदि फिर भी वसूली नहीं होती है तो नियमानुसार जिला पंचायत को नीलामी कर वसूल किये जाने का प्राविधान है। अतः नियमानुसार वसूली हेतु कार्यवाही हंतु अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार उत्तरदायी हैं।
(आ०सं० 22)

प्रस्तर (9) मृत-पशु-शब निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को न दिया जाना रू० 0.15 लाख शासनादेश सं० 682बी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी(8)95 टी०सी० दिनांक 30.03.1997 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा प्राप्त मृत-पशु-शब निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु हस्तान्तरित की जानी चाहिए।

जिला पंचायत को वर्ष 2020-21 में रू० 0.30 लाख की धनराशि की आय प्राप्त हुई दर्शित है किन्तु इस आय में से नियमानुसार पचास प्रतिशत रू० 0.15 लाख धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी। (आ०सं० 23)
प्रस्तर(10)गाडियों के उपयोग में सरकारी नीतियों का पालन न कर सम्बन्धित खाते में जमा न किया जाना रू० 0.12 लाख

राजकीय व्यय में मितव्ययता के परिप्रेक्ष्य में गाडियों के उपयोग आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण

प्रदेश के विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने तथा अनुत्पादक व्यय को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 19.3.97 को वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये थे।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश सं0710/दस-सं0वि0-मित-2/97 दिनांक 29.05.1999 के अनुसार मोटर कार के लिए ₹0 500.00 प्रतिमाह व जीप के लिए ₹0 400.00 लेखाशीर्षक 00700 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 अन्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए था।

पुनः शासनादेश सं-1/2017-सी0ए0-400/दस/2017-मित0-1/2017 के शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा की जाने वाली प्रति वाहन की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक 24 सितम्बर, 2017 से कार के लिए ₹0 1000.00 प्रतिमाह तथा जीप के लिए 800.00 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाये।

जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा (जो इनटाईटिल हैं) पूरे वर्ष 2020-21 में वाहन का प्रयोग किया है। अर्थात् 12 माह का ₹0 1000.00 प्रति माह की दर से कुल ₹0 12000.00 अपने वेतन से जमा नहीं किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से कर उक्त खाते या विभाग द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 25)

प्रस्तर(11) (क) शासनादेश के विपरीत किया गया निर्माण कार्य और इस पर किया गया भुगतान ₹0 539.98 लाख

शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक जुलाई 31, 2015 में स्पष्ट है कि चतुर्थ राज्यवित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्गत किया गया है जिससे ग्राम पंचायत, क्षेत्रपंचायत व जिला पंचायत में निर्माण में डुप्लीकेसी की संभावनाएं न रहे। इस संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सब्सिडियरिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करें। अतः त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं-

(1) ग्राम पंचायत को जो धनराशि अनुदान कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जाय।

(2) क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि अनुदान कार्यों के लिए दी जाती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के कार्य सम्पन्न कराये जाय।

(3) जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के कार्य सम्पन्न कराये जाय। परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश के विपरीत अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए एक ही ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से कत कतिपय निर्माण कार्य काराया गया है कतिपय निर्माण कार्य काराया गया है जो नियमों के प्रतिकूल हैक-

क्र. सं.	वाउचर नं./दिनांक	विवरण	धनराशि
1	24/15.6.2020	अहमदनगर से बदायुं सीमा मार्ग पर सी0सी0 रोड	492364.00
2	12/18.8.2020	ग्राम घाटमपुर में गौशाला से स्वर्णधाम मार्ग पर सी0सी0रोड	1307554.00
3	41/29.9.2020	विकास खण्ड सैदनगर में ग्राम घाटमपुर में गौशाला से स्वर्णधाम मार्ग पर सी0सी0रोड	1052092.00
4	18/6.10.2020	ककरौआ श्मशानघाट से गांव की ओर सी0सी0रोड	825902.00
5	20/7.10.2020	ग्राम धर्मपुरा बेहटा मार्ग पर अवशेष ख0/पु0नि0	883301.00
6	21/8.10.2020	ग्राम नादगंज से नसरत नगर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा	1101019.00
7	26/8.10.2020	मैनी में मेन रोड से ठाकुर के खेत तक खडंजा कार्य	579487.00
8	27/8.10.2020	गगनपुर सम्पर्क मार्ग पर बाबा के डेरे की ओर खडंजा कार्य	257899.00
9	45/13.10.2020	जिवाईकदीम में गुरुद्वारे से आवादी की ओर खडंजा कार्य	492219.00

10	46/13.10.2020	ग्राम परतपुर से जमापुर की ओर खडंजा कार्य	536818.00
11	47/13.10.2020	जाफराबाद में सम्पर्क मार्ग श्मशान घाट मार्ग पर खडंजा कार्य	487536.00
12	51/19.10.2020	चौखण्डी में काशी मार्ग से मुल्ला के घर मार्ग पर सी0सी0 रोड	321235.00
13	53/19.10.2020	ग्राम जावों वाली गौटिया से बेहटा श्मशान घाट मार्ग पर सी0सी0 रोड	586688.00
14	54/19.10.2020	ग्राम परशुपुरा में मेन रोड से देवीस्थान की ओर सी0सी0रोड	684060.00
15	55/19.10.2020	ग्राम चकफेरी में दौलतपुर सम्पर्क पर खडंजा कार्य	413930.00
16	75/28.10.2020	अहमदनगर प्रा0वि0 से कब्रिस्तान की ओर सीसी0रोड	592590.00
17	76/28.10.2020	नरपतनगर से श्मशानघाट मार्ग पर सी0सी0रोड	500000.00
18	08/3.11.2020	बड़ागांव की गौटिया से केवलपुर मार्ग पर सी0सी0रोड	672735.00
19	09/3.11.2020	पिपरिया रायजादा में प्रा0वि0 से मोड मार्ग पर सी0सी0रोड	400000.00
20	12/3.11.2020	पट्टीबसंत पुर में श्मशानघाट की ओर खडंजा	200000.00
21	10/3.11.2020	ग्राम गुलडियाभाट में मंदिर की ओर खडंजा कार्य	400000.00
22	11/3.11.2020	गांधीनगर में श्मशान घाट मार्ग पर खडंजा कार्य	520199.00
23	12/3.11.2020	बजीनगर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा व नाली निर्माण	529639.00
24	15/3.11.2020	शादीनगर शदरा के बाहर रास्ते पर सी0सी0रोड	873602.00
25	16/3.11.2020	केशोनगली गडरियों वाली से उत्तराखण्ड खडंजा कार्य	911503.00
26	29/4.11.2020	खुशालपुर मुख्य मार्ग पर नाली निर्माण	658822.00
27	30/6.11.2020	कुकरीखेड़ा से वाजिदपुर की ओर सी0सी0रोड/खडंजा कार्य	400000.00
28	31/6.11.2020	मियांगंज से खाना मार्ग पर खडंजा कार्य	828061.00
29	32/6.11.2020	भैसोडी प्रा0पा0 से गांव की ओर खडंजा कार्य	760818.00
30	34/6.11.2020	धीरजनगर बादली मार्ग से जालपुर मार्ग पर खडंजा कार्य	503235.00
31	35/6.11.2020	ग्राम कोशेनगली मार्ग पर श्मशान घाट तक खडंजा कार्य	427103.00
32	41/7.11.2020	मीरापुर मार्ग पर नवाबपुरा मंदिर पर खडंजा कार्य	2242605.00
33	45/7.11.2020	क्योरार में आश्रम से गांव की ओर सी0सी0रोड नाली निर्माण	585912.00
34	50/7.11.2020	ग्राम राजौडा में डामर रोड से मजार मार्ग पर सी0सी0रोड	558271.00
35	51/7.11.2020	ग्राम पटरिया में डामर रोड मझरा की ओर सी0सी0रोड	565156.00
36	56/9.11.2020	ग्राम नारायणपुर पीपली सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	513515.00
37	61/12.11.2020	ग्राम नंदगांव में राजकीय नलकूप मार्ग पर सी0सी0रोड	1005470.00
38	69/13.11.2020	ग्राम अहमदाबाद मार्ग पर कब्रिस्तान मार्ग पर सी0सी0रोड	500000.00
39	72/13.11.2020	ग्राम नवीगंज कदीम से श्मशान घाट मार्ग पर खडंजा कार्य	895477.00
40	73/13.11.2020	ग्राम लाडपुर में बाहर के रास्ते मार्ग पर सी0सी0रोड	500000.00
41	82/20.11.2020	ग्राम शाहपुरदेव में तालाब की दीवार व सी0सी0रोड	789623.00
42	83/20.11.2020	ग्राम मोहम्मदपुर नानकार मार्ग के शेष मार्ग में सी0सी0रोड	802839.00
43	08/17.12.2020	पसापुर से जमापुर की ओर खडंजा कार्य	93947.00
44	09/17.12.2020	प्रेम पब्लिक जु0हा0स्कूल से क्योरार मार्ग पर खडंजा कार्य	284233.00
45	14/17.12.2020	भोवरकी देवीस्थान से हुसेनगंज पर खडंजा कार्य	117516.00
46	16/17.12.2020	ग्राम स्योर मही डेरे की ओर सी0सी0रोड	882684.00
47	21/17.12.2020	ग्राम बगरूआ में जू0हा0स्कूल से मैनपुर मार्ग पर सी0सी0रोड	1048807.00

48	28/17.12.2020	ग्राम कोटरा हरदासपुर में ईदगाह की ओर सी0सी0रोड	607627.00
49	29/17.12.2020	बथुआखेडा में सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड	720067.00
50	30/17.12.2020	मलगोसा से शहपुरा की ओर सी0सी0रोड	488799.00
51	32/17.12.2020	सीकमपुर मार्ग से प्रा0वि0 की ओर सी0सी0रोड	350364.00
52	33/17.12.2020	ग्राम मझरा छिह्न खां से प्रा0वि0से गांव की ओर सी0सी0रोड	507845.00
53	37/17.12.2020	ग्राम भंवरकी सिलाईबड़ा गांव से डेरे मार्ग पर सी0सी0रोड	777809.00
54	41/24.12.2020	ग्राम खेरासी सम्पर्क मार्ग पर मस्जिद मार्ग पर सी0सी0रोड	958657.00
55	44/24.12.2020	ग्राम दबका में सम्पर्क पर सी0सी0रोड	1139711.00
56	45/24.12.2020	ग्राम खामिनगंज में बाजपुर मार्ग पर सी0सी0रोड	871053.00
57	63/24.12.2020	ग्राम लाडपुर में बाहर के रास्ते पर सी0सी0रोड	135184.00
58	64/24.12.2020	ग्राम पिपरिया रायजादा में प्रा0वि0 से मोड पर सी0सी0रोड	285724.00
59	68/26.12.2020	नवीगंज कदीम से शमशान घाट मार्ग पर खडंजा कार्य	185180.00
60	73/26.12.2020	मडैयान कली में देवीस्थान की ओर सी0सी0रोड	864391.00
61	74/26.12.2020	ग्राम मझरा लदोरी में तालाब की ओर सी0सी0रोड	645920.00
62	75/26.12.2020	ग्राम शाहपुरदेव में तालाब की दीवार व सी0सी0रोड	889254.00
63	76/26.12.2020	ग्राम शाहपुरदेव में शमशान घाट मार्ग पर खडंजा कार्य	635621.00
64	78/26.12.2020	ग्राम गगन पुर सम्पर्क पर डेरे मार्ग पर खडंजा कार्य	73996.00
65	80/26.12.2020	ग्राम मनिहारखेडा में डेरे मार्ग पर सी0सी0रोड	1195564.00
66	82/26.12.2020	ग्राम नगली भगवन्त में शमशानघाट मार्ग पर खडंजा कार्य	81550.00
67	83/26.12.2020	विलासपुर डिबिडिबा से डेरे मार्ग पर खडंजा कार्य	166513.00
68	84/26.12.2020	ओरंगानगर खेडा से राजपाल के घर मार्ग पर खडंजा कार्य	355426.00
69	87/26.12.2020	मिलक विचौला प्रा0वि0 से शमशान घाट खडंजा कार्य	618531.00
70	91/26.12.2020	बिजली मार्ग से डेरे की ओर खडंजा कार्य	406612.00
71	93/26.12.2020	ग्राम मोहम्मद नगर मार्ग पर सी0सी0रोड	205413.00
72	94/26.12.2020	मैनी में रोड से ठाकुर के खेत तक खडंजा कार्य	166345.00
73	95/26.12.2020	जाफराबाद में मार्ग से शमशान घाट मार्ग खडंजा कार्य	147628.00
74	96/26.12.2020	परशुपुरा रोड से देवीस्थान मार्ग पर सी0सी0रोड	184074.00
75	29/08.01.2021	सितोरा में गुरुद्वारे की ओर मार्ग पर खडंजा कार्य	413284.00
76	31/08.01.2021	बरखेडा से शमशान घाट मार्ग पर खडंजा कार्य	253855.00
77	62/13.01.2021	क्योरार मही डेरे सम्पर्क मार्ग की ओर सी0सी0रोड	553000.00
78	71/13.01.2021	कुम्हरिया मार्ग से कुम्हरिया मार्ग पर सी0सी0रोड	987022.00
79	73/13.01.2021	अहमदाबाद से कब्रिस्तान मार्ग पर सी0सी0रोड	108597.00
80	76/13.01.2021	गंगापुर में पंचायत मार्ग पर पु0नि0	459737.00
81	77/13.01.2021	काशीपुर मार्ग पर तालाब की ओर सी0सी0रोड	644000.00
82	85/13.01.2021	केशनगली मार्ग से शमशानघाट मार्ग पर खडंजा कार्य	202675.00
83	87/13.01.2021	बथुआखेडा सम्पर्क पर सी0सी0रोड	157090.00
84	88/13.01.2021	सी0आर0पी0एफ0 से एस0एच0 मार्ग पर खडंजा कार्य	215047.00
85	90/13.01.2021	पनवडिया से शमशान भूमि मार्ग पर खडंजा कार्य	1131052.00

86	99/13.01.2021	समोदिया में सरकारी समिति की ओर सी0सी0रोड	685944.00
87	106/13.01.2021	अहमदाबाद रोड से स्कूल तक खडंजा कार्य	302627.00
88	107/13.01.2021	टिकटगंज मार्ग से गांव मार्ग पर सी0सी0रोड	567919.00
89	18/22.02.2021	ग्राम कलूनागर में जानकी के घर की ओर सी0सी0रोड	757666.00
90	31/02.03.2021	ग्राम भैसोडी प्रा0वि0 से गांव की ओर खडंजा कार्य	322813.00
91	37/02.03.2021	ग्राम बगरूबा में शमशान घाट की ओर खडंजा कार्य	306181.00
92	53/03.3.2021	ग्राम तिराहागौंटिया में तालाब की ओर दीवार निर्माण	646435.00
93	54/03.3.2021	ग्राम लालपुर मार्ग से डेरे के खेत तक सी0सी0रोड	641329.00
94	56/03.3.2021	ग्राम नसरतनगर से शमशान घाट की ओर सी0सी0रोड	390373.00
95		योग	53997970.00

1 जिला पंचायत द्वारा गांव की सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप जिला पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की सड़कों का निर्माण (भेन्न पंचायत अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्माण किया जाना चाहिए था) किया जा रहा था। जो उपरोक्त शासनादेश के विरुद्ध हैं।

2 प्राक्कलन के साथ आवश्यक कार्य का एल सेक्शन, क्रास सेक्शन तथा साइड प्लान भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

3 उक्त कतिपय कार्य लम्बाई में 30 मीटर से अधिक होने पर भी प्राक्कलन में लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई/गहराई को एक साथ औसत निकाल कर लिया गया है जबकि प्राक्कलन में चैनेजवार बनाया जाना चाहिए था । इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं।

4)मिट्टी के कार्य में जो दोनों तरफ पटरी ली गयी है उसमें बाटम व टाप की चौड़ाई एक समान एस्टीमेट में दिखाया गया है जो कि सर्वथा असम्भव है, बाटम की चौड़ाई अधिक व टाप की कम होनी चाहिए थी अर्थात अर्थ वर्क में क्वांटिटी वास्तविक नहीं निकाली जा रही है। अतएव इस प्रकार बनाया गया प्राक्कलन अवास्तविक व संदिग्ध है तथा इस पर किया गया भुगतान भी संदिग्ध है।

(5) कतिपय कार्यों के प्रस्ताव भी लेखापरीक्षा में बार.बार मांगने के उपरान्त अप्राप्त होने से कार्यों की पुष्टि भी नहीं हो सकी।

इस प्रकार उपरोक्त आपत्तियों व शासनादेशों का पालन न करने तथा अनियमित प्रकार से बनाये गये प्राक्कलन/एस्टीमेट के आधार पर किये गये भुगतान रू0 539.98 लाख ।

(ख) (I)राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं03082/33-3-2005-100-77/2005 दिनांक 15.12.2005 तथा निदेशक पंचायती राज के पत्रांक शा0-5/741/05-5/19/02 दिनांक 03.01.2005 में निर्देशित किया गया था कि राज्य वित्त आयोग की आबंटित धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर नागरिक सुविधाएं यथा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव तथा उन्नयन पर व्यय किया जायेगा।

जिला पंचायत अभिलेखों के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पूंजीगत कार्यों पर व्यय की गयी थी, आबंटित धनराशि का व्यय मार्ग दर्शिका के अनुसार नहीं किया था।

(II) निर्माण पत्रावलियों के रेण्डम परीक्षण से प्रमाणित होता है कि अधिकांश कार्यों में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व्योरेवार नक्शे का अनुमान नहीं तैयार किया गया, टेण्डर के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का समूचित पालन नहीं

किया गया, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक अंकित नहीं किया गया, निर्माण कार्य व सामाग्री की माप सम्यक रीति से नहीं की गयी, माप पुस्तिकों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का पालन नहीं किया गया तथा एम0बी0 नियमानुसार नहीं बनायी गयी। इस प्रकार उ0प्र0- क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए अनियमित भुगतान किया गया, जिसके लिए अध्यक्ष जिला पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं।

(III) प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए केवल तीन ही टेण्डर प्राप्त हुए, तीन से अधिक क्यों नहीं? तीनों टेण्डरों में पते व रेटों का कम व अधिक अंकित किया जाना, एक ही हस्तलिपि में होना तथा टेण्डर के लिए प्राप्त लिफाफे व टेण्डर पत्र मुड़ा न होना, लिफाफा सील न होना ऐसा प्रतीत होता है तीनों टेण्डर एक ही व्यक्ति द्वारा भरा गया है और मनोवांछित कार्य जिला पंचायत से ले लिया गया, जो संदेह पैदा करता है।

(IV) पुरानी रोडों पर मिट्टी खडंजा या सी0सी0 या डामर रोड बनायी गयी है उसके नीचे लेवल का खुदान नहीं लिया गया है क्योंकि पुरानी रोड सेट होने के बाद उसका लेवल अप-डाउन हो सकता है इसका लेवल समान करने का प्रोसीजर नहीं दिखाया गया है, मिट्टी के कार्य में स्लोप भी नहीं लिया गया है।

इस प्रकार (उपरोक्त आपत्ति क व ख के कारण) बनाया गया प्राक्कलन संदिग्ध प्रतीत होता है तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम—6, 28, 35 व 36 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन हेतु संबंधित जेई एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं।

इस प्रकार उपरोक्त आपत्तियों व शासनादेशों का पालन न करने तथा अनियमित प्रकार से बनाये गये प्राक्कलन/एस्टीमेट के आधार पर किये गये भुगतान रु0 539.98 लाख । (आ0सं0 26)

प्रस्तर(12) जिला निधि खाते में धनराशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी नियमों के विपरीत राज्यवित्त खाते से आहरण कर वेतन मद में भुगतान किया जाना रु0 159.36 लाख

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धांतों का निर्धारण के उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के पैरा-3 त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्मान एवं सुविधाएं के शीर्ष के शासनादेश सं0 1113/33-2-2006-34जी 01टी0सी0-11 दिनांक 20 मार्च 2006 एवं शासनादेश सं0 6368/33-2-2006-34जी/2001 टी0सी0-11 दिनांक 26 दिसंबर, 2006 तथा शासनादेश सं0 02/33-2-2014-34जी 01टी0सी0-11 दिनांक 07 जनवरी, 2014 प्रभावी रहेगा।

उक्त शासनादेश के अनुसार पंचायतों के पदाधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमशः अपनी गांव निधि, क्षेत्रनिधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेगी।

जिला पंचायत के जिला निधि खाता में वर्ष में दिनांक 31.03.2020 को रु0 244.33 लाख व 31.03.2021 को रु0 345.88 लाख अवशेष धनराशि थी अर्थात् पूरे वर्ष 2020-21 में प्रयाप्त धनराशि रहने के बावजूद राज्यवित्त खाते से नियमों के विरुद्ध रु0 159.36 लाख आहरण कर वेतन मद में भुगतान किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

(आ0सं0 27)

प्रस्तर(13) मृत पशु शव निस्तारण मद में आय कम अंकित कर अपहरण किया जाना रु0 0.25 लाख

मृत पशु शव निस्तारण में मद में वर्ष में रसीद बुक से वसूली, पंजिका के अनुसार निम्न प्रकार दर्शित है—

क्रं0सं0	दिनांक	रसीद सं0	धनराशि
1	06.01.2021	310297	5000.00
2	23.03.2021	365190	10000.00
3	23.07.2020	346260	5000.00

4	20.01.2021	263508	10000.00
5	31.03.2021	375973	25000.00
6		योग	55000.00

उक्तानुसार वसूली ₹0 55000.00 दर्शित है परन्तु वर्गीकृत सार रजिस्टर में वसूली ₹0 30010.00 अंकित कर अन्तर ₹0 24990.00 से आय कम दर्शायी गयी है अन्तर का समायोजन/ ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0 28)

प्रस्तर(14) निजी स्रोतों से आय मद में कम अंकित किया जाना ₹0 0.04 लाख

वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत के वर्गीकृत सार रजिस्टर में कतिपय आय मद से निम्न प्रकार आय दर्शित है—

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	प्रकीर्ण/मानचित्र से आय	346000.00
2	प्रकीर्ण से आय	6430858.54
3	.जमानत से आय	625800.00
4	योग	7402658.54

उक्तानुसार आय ₹0 74.03 लाख हुई जबकि प्रगति सूचना वर्ष 2020-21 के त्रैमास चतुर्थ में विविध अन्य स्रोतों+ जमानत से आय ₹0 73.99 लाख अंकित कर अंतर ₹0 0.04 लाख से आय कम दर्शाकर जिला पंचायत के लेखाकार द्वारा व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अवास्तविक व भ्रामक आंकड़े दर्शाये जा रहे हैं। जिस हेतु लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। (आ0सं0 29)

प्रस्तर(15)वाहन सं0 यूपी 22 जी 0515 पर डीजल क्रय किये जाने की पुष्टि में लाग बुक उपलब्ध न कराया जाना ₹0 1.06 लाख

वाहन सं0 यूपी 22 जी 0515_हेतु कैश बुक में निम्न प्रकार जिला निधि खाते से डीजल क्रय किया जाना दर्शित है—

क्र0सं0	दिनांक/वाउचर सं0	मद	धनराशि
1	4.5.2020/23	डीजल क्रय	8270.00
2	4.5.2020/24	डीजल क्रय	8255.00
3	6.6.2020/23	डीजल क्रय	2520.00
4	8.8.2020/15	डीजल क्रय	8780.00
5	10.9.2020/14	डीजल क्रय	5920.00
6	8.10.2020/29	डीजल क्रय	10918.00
7	7.11.2020/43	डीजल क्रय	12727.00
8	9.12.2020/05	डीजल क्रय	4977.00
9	12.1.2021/39	डीजल क्रय	8532.00
10	2.3.2021/40	डीजल क्रय	1127.00
11	24.3.2021/69	प्रीमियम	19066.00
12	24.3.2021/73	डीजल क्रय	15060.00
13		योग	106152.00

अतः उक्त व्यय से सम्बन्धित लागू बुरा बार-बार मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। अतः धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 31)

प्रस्तर(16) अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनियमित रूप से मकान किराया भत्ता लिया जाना ₹0 2.15 लाख .

जिला पंचायत प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने हेतु कुछ आवास निर्मित हैं, जैसे— शीर्ष अधिकारी मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता पद नाम से तथा अन्य कर्मचारियों हेतु आवास का निर्माण किया गया है। नियमानुसार जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को आवास आबंटित होता है उनको वेतन में किराया नहीं मिलता है तथा आवास मरम्मत हेतु नामिनल धनराशि की कटौती वेतन से की जाती है जिला पंचायत के प्रमुख शीर्ष अधिकारियों जैसे मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी ,अभियन्ता के पदनाम से जिला पंचायत कार्यालय में आवास निर्मित है। व्यवहार में इनके नाम के आवास को किसी कर्मचारी को आबंटित नहीं किया जाता है।

अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार के वेतन पंजिका संप्रेक्षा में पाया गया कि उनके वेतन से आवास के धनराशि की कटौती नहीं की जा रही है। संप्रेक्षा में इंगित करने पर बताया गया कि उनके द्वारा आवास का आबंटन नहीं कराया गया है इसलिए आवास किराया की कटौती नहीं की जा रही है, संप्रेक्षा में यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि जिस अधिकारी के पद नाम से आवास निर्मित है। चाहे अधिकारी द्वारा आवास आबंटित कराया जाय या न कराया जाय, उनका मुख्यवास यही माना जायेगा और इन्हें किसी प्रकार का आवास-भत्ता नियमानुसार देय नहीं है।

परन्तु अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार (जो स्वयं में डी0डी0ओ0) द्वारा अनियमित रूप से मकान किराया भत्ता आहरण कर भुगतान निम्न प्रकार लिया गया है जो गम्भीर आपत्ति है।

क्र0सं0	मद	प्रति माह	दिनांक 1.7.2017 से दिनांक 31.3.2021 तक कुल 45 माह	धनराशि
1	मकान किराया भत्ता	4480.00	45	201600.00
2	आवास मरम्मत	290.00	45	13050.00
3	योग			214650.00

उक्त धनराशि ₹0 214650.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुशील कुमार अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 37)

नाम संस्था- जिला पंचायत फतेहपुर

जनपद-फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2020-21

मण्डल-प्रयागराज

प्रस्तर-1 नौकाघाट नीलामी (ठेका) का बकाया धनराशि वर्ष 1951-52 से वर्ष 2006-07 तक का बकाया चला आ रहा है, जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है | उक्त वर्षों के वर्षवार बकाया एवं उसके सापेक्ष का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	बकाया वर्ष	वर्षवार बकाया की धनराशि	बकाया के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में वसूली की धनराशि	31-03-2021 को बकाया अवशेष की धनराशि
1	1951-52 से 1961-62 तक	8411.00	0.00	8411.00

2	1962-63 से 1972-73 तक	43398.78	0.00	43398.78
3	1973-74 से 1983-84 तक	215608.00	0.00	215608.00
4	1984-85 से 1994-95 तक	123144.00	0.00	123144.00
5	1995-96 से 2005-06 तक	634920.00	12000.00	622920.00
6	2006-07	50000.00	0.00	50000.00
	योग	1075481.78	12000.00	1063481.78

नौकाघाट के पट्टेदारों से पट्टे में देय बकाया की वसूली वर्मा फैक्ट्री अधिनियम 1878(1873 का 2) के धारा 09 में यह उपलब्ध है कि उक्त बकाया की वसूली भू-राजस्व की वसूली के जैसे की जानी चाहिए, परन्तु इतने वर्षों से उक्त बकाया चला आ रहा है। वर्ष 2020-21 के सापेक्ष मात्र रुपया 12000.00 की वसूली दर्शित पायी गयी। इस प्रकार दिनांक 31-03-2021 को बकाये का पावना रुपया 1063481.78 रहा। उक्त बकाये की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के साथ उक्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०संख्या-2)

प्रस्तर-2

दिनांक 01-04-2020 को प्रपत्र संख्या-29 के अनुसार बालू, मोरंग की वसूली हेतु बकाया रुपया 3563742.00 अवशेष दर्शित रहा। दिनांक 31-03-2019 को पुराना बकाया रुपया 3580062.00 था तथा वर्ष 2018-19 में मांग 835060.00 थी, जिसकी वसूली जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर के आदेश द्वारा दिनांक 11 मार्च 2019 को रोक दी गयी (ठेका बंद हो गया)। इसलिए वर्ष 2018-19 में मांग रुपया 231960.00 को छोड़कर मांग रुपया 103100.00 वसूली को अनुमन्य दर्शाया गया है। उक्त की वसूली वर्ष 2019-20 में भी नहीं हो सकी तथा वर्ष 2020-21 में भी नहीं हो सकी। रुपया 103100.00 बकाया श्री गौरी शंकर त्रिपाठी पुत्र श्री धर्मपाल त्रिपाठी ग्राम औंस तहसील उत्तरी जिला बाँदा उ०प्र० से वसूल करना है जो अभी तक वसूल नहीं हो सका। लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में श्री गौरी शंकर त्रिपाठी के नाम आर०सी० की कार्यवाही किये जाने का कार्य किया गया। उक्त द्वारा जिलाधिकारी महोदय एवं जिला पंचायत प्रशासक को उक्त का ठेका पूर्ण रूप से बंद होने के कारण उक्त की आर०सी० वापस किये जाने की कार्यवाही का हवाला दिया गया। इस प्रकार दिनांक 31-03-2021 को अवशेष पावना रुपया 3460642.00 रहा। उक्त का वर्षवार बकाया एवं उसके सापेक्ष वसूली का विवरण निम्न प्रकार है

क्र० सं०	बकाया वर्ष	वर्षवार बकाया की धनराशि	बकाया के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में वसूली की धनराशि	31-03-2021 को बकाया अवशेष की धनराशि
01	1997-98	5000.00	0.00	5000.00
02	1999-2000	20750.00	0.00	20750.00
03	2000-01	152500.00	0.00	152500.00
04	2001-02	95500.00	0.00	95500.00
05	2002-03	560392.00	0.00	560392.00
06	2003-04	261500.00	0.00	261500.00
07	2004-05	361000.00	0.00	361000.00
08	2005-06	621000.00	0.00	621000.00
09	2006-07	1333000.00	0.00	1333000.00
10	2009-10	50000.00	0.00	50000.00
11	2018-19	103100.00	आर०सी० की कार्यवाही वापस लिया गया	-
	योग:-	3563742.00	0.00	3460642.00

उक्त बकाये की वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी है | अतः बकाये की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित हैं। (मू०आ०संख्या-4)

प्रस्तर-3

दिनांक 31-03-2021 को प्रपत्र संख्या 29 के अनुसार दुकानों का किराया मद में बकाया चला आ रहा है | दिनांक 31-03-2021 को अवशेष किराया रुपया 720843.00 दर्शित रहा | दर्शित बकाया की धनराशि की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | जनपद- फतेहपुर में जिला पंचायत की कुल 151 दुकानें हैं, किन्तु दुकानों का नवीनीकरण वर्षों से नहीं किया जा रहा है, जिससे दुकानों के किराये में होने वाली वृद्धि की आय से जिला पंचायत को हानि हो रही है, जबकि शासनादेश संख्या 6336/33-03-1997-185 जी/92 दिनांक 27 दिसम्बर 1997 के पैरा-6 के अनुसार निर्धारित किराये में प्रत्येक 03 वर्ष के बाद 25 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाना चाहिए था, किन्तु शासनादेश का उल्लंघन कर दुकानों के किराये से होने वाली आय से हानि पहुचायी जा रही है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी उत्तरदायी है | अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं। (मू०आ०संख्या-4)

प्रस्तर-4

जिला पंचायत फतेहपुर की उपविधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टों का संचालन जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त ईट भट्टों के संचालन हेतु विभिन्न वादों में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार ईट भट्टों का संचालन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति (वायु) तथा स्टेट इनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऐसेसमेंट अथॉरिटी से मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए |

जिला पंचायत के ईट भट्टों से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ईट भट्टों से प्रति वर्ष रुपया 10000.00 की दर से लाइसेंस शुल्क लेकर लाइसेंस निर्गत किए जाने थे | जिला पंचायत फतेहपुर में कुल 372 ईट भट्टे कार्यरत थे, जिसमें से 250 ईट भट्टों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया है | इस प्रकार 121 ईट भट्टों से प्रति ईट भट्टा रुपया 10000.00 की दर से लाइसेंस शुल्क न वसूल कर 1210000.00 की क्षति पहुचायी गयी | इसी प्रकार प्रत्येक ईट भट्टों से रुपया 6000.00 सी०पी० टैक्स वसूल किये जाने का प्राविधान है किन्तु मात्र 178 ईट भट्टों से ही सी०पी० टैक्स वसूल किया गया है | 194 ईट भट्टों से सी०पी० टैक्स वसूल न होने की दशा में जिला पंचायत को कुल रुपया 1164000.00 की क्षति हुई | इस प्रकार लाइसेंस शुल्क व सी०पी० टैक्स वसूल न होने के कारण जिला पंचायत को कुल रुपया 2374000.00 की राजस्व की क्षति हुई है | कुल 372 ईट भट्टों में से मात्र 161 ईट भट्टों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बने हैं तथा उसमें से भी मात्र 20 ईट भट्टों का उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया | शेष ईट भट्टों का बिना अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किये अवैध संचालन होता रहा जो कि जिला पंचायत के संज्ञान में था, किन्तु जिला पंचायत द्वारा इसकी लिखित सूचना प्रशासन को नहीं दी गयी | ईट भट्टों के अवैध संचालन से पर्यावरणीय क्षति पहुची है | उक्त के लिए श्री लालता प्रसाद वर्मा अपर मुख्य अधिकारी मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं | (मू०आ०संख्या-30)

प्रस्तर-5

(क) जनपद फतेहपुर में जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाले पेट्रोल पम्पों की संख्या 61 है जिसमें से 39 पेट्रोल पम्पों से रुपया 10000.00 की दर से लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया है | तथा 22 पेट्रोल पम्पों से लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया गया है जिससे वर्ष 2020-21 में रुपया 10000.00 की दर से 22 पेट्रोल पम्पों से कुल रुपया 220000.00 के राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री पंकज चतुर्वेदी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं |

(ख) पेट्रोल पम्पों से जिला पंचायत फतेहपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल 19 पेट्रोल पम्पों से रुपया 6000.00 की दर से सी०पी० टैक्स वसूल नहीं किया गया है | इस प्रकार रुपया 114000.00 की राजस्व की क्षति हुई है | जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी हैं |

(ग) गैस एजेंसी(एलपीजी) जनपद फतेहपुर में कुल 17 दर्शायी गयी है जिससे लाइसेंस शुल्क 500.00 की दर से प्रति गैस एजेंसी से वसूल किया जाना निर्धारित है। वर्ष 2020-21 में मात्र 7 गैस एजेंसी से लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया है। तथा 10 गैस एजेंसी से रुपया 500.00 की दर से रुपया 5000.00 लाइसेंस शुल्क वसूल न कर राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है। उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम संस्था-जिलापंचायत कौशाम्बी जनपद-कौशाम्बी

प्रस्तर-1 लाइसेंस रजिस्टर की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिसका विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में संलग्न है :-उ०प्र० (जिलापंचायत) तथा (क्षेत्रपंचायत) (शुल्कों और पथकर का आरोपण एवं वसूली)नियमावली 1969 के अनुसार संस्था द्वारा न तो लाइसेंस शुल्क का आरोपण रहा और न ही वसूली की गई है,जिससे वर्ष में राजस्व की क्षति हुई है।

ब्लाक चायल मूरतगंज 125310.00

विकास क्षेत्र सरसवां 350058.00

विकासक्षेत्र:- मंझनपुर 136160.00

वि०ख० नेवादा 163640.00

विकासखण्ड:- कौशाम्बी 90100.00

महायोग:- 885508.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बन्धित ब्लाक के राजस्वनिरीक्षक एवम कार्यालय अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार मालवीय एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करके रु० 885508.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली न होने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मौखिक व लिखित रूपसे किये गये पत्राचार के दिनांक क्रमशः 06.06.2020, 30.01.2021, 06.03.2021, 13.06.2021, 01.07.2021, 30.09.2021, 22.12.2021 23.12.2021, 24.01.2022,के बावजूद भी निर्माण कार्य की नाम मात्र की 87 पत्रावली उपलब्ध करायी गयी (किये गये पत्राचार की छाया प्रति संलग्न)। जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा काल्पनिक पत्रावली तैयार कर ,राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। पत्रावली के आभाव में बिलबुक व अनुदान रजिस्टर के आधार पर निम्नलिखित दर्शित कार्यों का विवरण अंकित किया जा रहा है। दर्शित कार्यों पर भुगतान दर्शित है। कई कार्यों का पी.डब्ल्यू.डी., ग्राम पंचायत, सांसद, विधायक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आदि विभागों द्वारा कराये जाने से इन्कार नहीं किया जासकता। निर्माण कार्य समिति, नियोजन विकास समिति एवं प्रशासनिक समिति की बैठक में किये जाने संबंधित कार्यों की पुष्टि ही की गयी है। इससे स्पष्ट है रु०.84636304.00 का फर्जी कार्य काल्पनिक या दुबारा कार्य दर्शित करके राज की य अनुदान का अपहरण किया है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह एवं अभियन्ता श्री अखिलेश्वरमल्ल से ब्याज सहित बराबर-2 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते हैं जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्रुत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावना बनीरहती है तथा ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण भी नहीं लिया गया है। इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतों सविसिडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जासकता है। वह उसी स्तर पर कराया जाय और उपर के स्तर पर वह न कराया जाय, किन्तु जिला पंचायत के निर्माण कार्य रजिस्टर जाँच में अनुब्ध पाया गया। मूल अधिभार प्रतिवेदन में कुल 60 कार्यों का विवरण दिया गया है जिसमें रु० 14399753.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन न कर राजकीय अनुदान का दुर्विनियोग किया

गया है ।

अतः रुपया 14399753.00 की वसूली अपर मुख्याधिकारी श्री रणमत सिंह व अभियन्ता श्री अखिलश्वरमल्ल से ब्याज सहित बराबर-2 वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-4 कार्यालय में स्थित जनरेटर में डीजल व्यय की पुष्टि में लॉग बुक उपलब्ध कराने हेतु लिखित एवं मौखिक रूप से माँग करने पर उपलब्धन नहीं करायी गयी जिससे जनरेटर में डीजल पर व्यय की पुष्टि नहीं की जास की। जिसका विवरण तिथियों सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	03.06.2020	11072.00
2	01.09.2020	20584.00
3	23.09.2020	39921.00
4	02.11.2020	14928.00
5	20.11.2020	12445.00
6	29.12.2020	8557.00
7	13.01.2021	13356.00
8	20.03.2021	18610.00
	योग:-	139473.00

अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि कुल ₹0 139473.00 अपुष्ट रही । अतः व्यय धनराशि ₹0 139473.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह से अपेक्षित रही । (आपतिसंख्या-4)

प्रस्तर- 5 निम्नांकित तिथियों को भूसा एवं चोकर क्रय किया गया है। उपलब्ध प्रमाणों पर जीएसटीनं. अंकित नहीं है तथा दुकानदार के बिल से अवशेष जीएसटी एवं आयकर की कटौती नहीं कीगयी है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	20.08.2020	9250.00
2	2011.2020	2200.00
3	29.12.2020	25730.00
4	13.01.2021	12650.00
5	20.03.2021	51200.00
6	योग:-	101030.00

अतः आपूर्तिकर्ता से नियमानुसार अवशेष जीएसटी एवं आयकर कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आपतिसंख्या-5)

प्रस्तर-6 .30प्र0 शासनादेश संख्या 1967/11/32-02-2002/15-वी/412 दिनांक 07-10-2002 द्वारा एवं शासनादेश संख्या 3/138/2004-3/05-2003 लखनऊ दिनांक 13-02-2004 द्वारा समस्त जिलापंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृतपशु शवनिस्तारण का आधा भाग जनपद के सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करे, किन्तु वर्ष 2020.01 में

उक्तमद के अन्तर्गत ₹0 1.07 लाख की वसूली की गयी है, जिसे जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत नहीं वितरण किया गया है, जो आपति जनक है। नियमानुसार वितरण किया जाना अपेक्षित है । (आपतिसंख्या-8)

प्रस्तर-7 मांग वसूली त्रैमासिक प्रति आख्या की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्ति से आय, दुकान, भवन किराया, लाइसेन्स, मृतपशु शवनिस्तारण, नौका घाट, सम्पत्ति एवं विभवकर आदि से वसूली हेतु अवशेष ₹0 51.10 लाख बकाया था, आलोच्य वर्ष की कुल मांग 340.67 लाख थी। इस प्रकार वित्तीयवर्ष में कुलमांग ₹0 391.77 लाख की मांग के सापेक्ष आलोच्य वर्ष में मात्र 322.07 लाख की वसूली की जा सकी एवं ₹0 69.70 लाख की वसूली अवशेष है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही ।

जिला पंचायत प्रयागराज

वर्ष – 2020-21

जिला पंचायत प्रयागराज, जनपद- प्रयागराज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार अपहरण एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये, जिनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -1. टी०डी०एस० (आयकर) कम काटकर शासकीय राजस्व की हानि आयकर अधिनियम 1961 के सैक्सन 194(सी) के अनुसार यदि किसी ठेके या उपठेके का प्रतिफल रु० 30000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जाएगी। यह भुगतान की गई राशि पर 2 प्रतिशत के बराबर होगी। जिला पंचायत प्रयागराज के वित्तीय वर्ष 2020-21 के टी०डी०एस० कटौती का विवरण निम्नवत रहा-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	निर्माण कार्यो पर भुगतान की धनराशि	देय आयकर 2प्रतिशत	कुल आयकर जमा / चालान	अन्तर कम
1	2020-21	पंचम राज्य वित्त	40350000.00		10964151.00	
2	2020-21	पन्द्रहवाँ वित्त	44359000.00	11345154.00		381003.00
3	2020-21	राज्य वित्त आयोग	582144180.00			
		योग	666853180.00			
		घटाया-बिदुमिन / एमल्सन क्रय	99595483.00			
		कर योग्य धनराशि योग	567257697.00			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला पंचायत प्रयागराज द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित दर अनुसार टी०डी०एस० कटौती न किये जाने के कारण रु० 381003.00 आयकर कम कोषागार में जमा कर ठेकेदारों को प्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है। जिससे केन्द्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है।

उपरोक्तानुसार कुल व्यय धनराशि रु० 666853180.00 में से रु० 99595483.00 विदुमिन / एमल्सन क्रय इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं हिन्दुस्तान कोल डिपो से क्रय करना दर्शित है। आपति के निराकरण हेतु अन्तरिम आपति पत्र संस्था को निर्गत किया गया, जिसके सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि सरकारी संस्था से क्रय करने पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी, किन्तु इस हेतु कोई शासनादेश माँग के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु० 381003.00 से आयकर की कटौती कम की गई है, जिसकी वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

(मूल० आ० सं०-03)

प्रस्तर - 2. कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती कम किया जाना- उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी। कटौती के पश्चात धनराशि कोषागार में जमा की जाएगी। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के कैश बुक के अनुसार कुल रु० 666853180.00 निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया है। जिसमें से विदुमिन / एमल्सन खरीद एवं दुलाई पर व्यय धनराशि रु० 103367361.00 घटाने के पश्चात रु० 563485819.00 शुद्ध रूप से निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया है। जिस पर नियमानुसार 1प्रतिशत की दर से रु० 5634858.00 लेबर सेस की कटौती किया जाना चाहिए था। किन्तु संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये जमा चालान द्वारा रु० 3522380.00 ही लेबर सेस कटौती की धनराशि कोषागार में जमा की पुष्टि होती है। आपति के निराकरण हेतु अन्तरिम आपति पत्र संस्था को दिया गया, किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार रु० 2112478.00 लेबर सेस

कम कोषागार में जमा है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर भाग में तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता नागेन्द्र त्रिपाठी, अपर मुख्य अधिकारी जितेन्द्र बहादुर, लेखाकार कैलाश नाथ पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है। वसूली के पश्चात धनराशि कोषागार में जमा किया जाना आवश्यक है।

(मूल० आ० सं०-04)

प्रस्तर -3. वर्ष 2020-21 में दिनांक 31.03.2021 को जिला पंचायत प्रयागराज की दुकानों का किराया ₹0 4431031.00 अवशेष दर्शित है जिसका विवरण निम्न है-

स्थान जहाँ दुकाने स्थित हैं।

क्र० सं०		दुकानों की संख्या	01.04.2020 को बकाया किराया	वर्ष 2020-21 की माँग	वर्ष 2020-21 में वसूली	31.03.2021 को अवशेष किराया
1	सिरसा	25	1716189.00	375000.00	374900.00	1716289.00
2	हण्डिया	30	2403135.00	450000.00	455000.00	2398135.00
3	मऊआइमा	04	109000.00	60000.00	157750.00	11250.00
4	जिला पंचायत गेट के पीछे	02	186900.00	30000.00	--	216900.00
5	जिला पंचायत कैन्टीन	01	72017.00	16440.00	--	88457.00
	योग	62	4487241.00	931440.00	987650.00	4431031.00

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सिरसा हण्डिया एवं मऊआइमा से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों में अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है एवं सिरसा की 23 दुकानों का अनुबन्ध विगत कई वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका है। शासनादेश संख्या 6336/33-3-97-185जी / 97 दिनांक 27. 12.1997 के अनुसार किराये में प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 25प्रतिशत की दर से वृद्धि सुनिश्चित किया जाये एग्रीमेन्ट के अनुसार प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात किराये में 50प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ-साथ पुनः नीलामी की प्रक्रिया अपनायी जाए, किन्तु उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु अन्तरिम आपति पत्र संस्था को दिया गया किन्तु कोई अनुपाल नहीं किया गया। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू० आ० सं०7)

प्रस्तर -4. आलोच्य वर्ष 2020-21 में कतिपय विकास खण्डों में संचालित ईट भट्टों के लाइसेन्स शुल्क की वसूली नहीं की गई है। विवरण निम्नलिखित है-

क्र० सं०	नाम विकास खण्ड	ईट भट्टे का नाम	प्रोप्राइटर का नाम पता	कब से वसूली अवशेष है	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	फूलपुर	नाथ ईट उद्योग	भूपेन्द्र कुमार मिश्र पुत्र राधकृष्ण मिश्र तुलसी पट्टी	2020-21	10005 +पेनाल्टी	श्री कमलेश कुमार रा.नि.
2	फूलपुर	शिव ईट उद्योग	राजबहादुर पुत्र स्व० रामफल यादव, खुदामपुर	2016-17 से 2020-21	50025 +पेनाल्टी	श्री कमलेश कुमार रा.नि.
3	फूलपुर	बी. एम. वाई, ईट उद्योग	राम प्रताप यादव पुत्र श्री तुलसी राम यादव, मुबारकपुर	2020-21	10005 +पेनाल्टी	श्री कमलेश कुमार रा.नि.

4	बहादुरपुर	नीलकण्ड इण्टर प्राइजेज	श्री सौरभ सिंह पुत्र श्री गुलाब	2018- 19 से2020- 21	30015 +पेनाल्टी	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह रा.नि.
5	बहादुरपुर	साई बाबा ईट उद्योग	श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता पुत्र पुरुषोत्तम लाल गुप्ता, कसेरुआ खुर्द	2020-21	10005 + पेनाल्टी	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह रा.नि.
6	बहादुरपुर	गुरु कृपा ईट उद्योग	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री राम सूचित सिंह, गोतवा	2020-21	10005 + पेनाल्टी	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह रा.नि.
7	बहरिया	पटेल बिक फिल्ड	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री होरी लाल, बकराबाद	2020-21	10005 + पेनाल्टी	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
8	बहरिया	राज बिक फिल्ड	श्री राजेन्द्र कुमार लाल, पुरेमकदूम पुत्र श्री शंकर	2020-21	10005 + पेनाल्ट	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
9		इन्दरा ईट उद्योग	श्री रणजीत सिंह पुत्र स्व० श्री कैलाश नाथ सिंह, सरायदत्ते	2020-21	10005 + पेनाल्टी	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
10	बहरिया	बाबा ब्रिक फिल्ड	जय सिंह व अमृत लाल पुत्र स्व० श्री मिठाई, फौजशाह	2020-21	10005 + पेनाल्टी	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
11	बहरिया	गरीब नवाज बिक फिल्ड	मो० इस्लाम,	2020-21	10005+जुर्माना	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
12	बहरिया	अटमन इण्टर प्राइजेज बिक्स फिल्ड	नासिरसिद्दीकी, जमुनीडीह	2020-21	10005+जुर्माना	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
13	बहरिया	गांधी ब्रिक फिल्ड	प्रो० बेगम अनवरी पत्नी श्री मो. सद्दीक, सांरगापुर	2020-21	10005+ जुर्माना	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
14	बहरिया	पूनम लक्ष्मी ब्रिक फिल्ड	पूनम सिंह पत्नी निखलेश सिंह. खानपुर	2020-21	10005+जुर्माना	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
15	बहरिया	राजेश ब्रिक फिल्ड	राजेश कुमार पटेल पुत्र श्री लालता प्रसाद, अहिराई	2020-21	10005+जुर्माना	श्री राजेश तिवारी रा.नि.
16	सोरांव	दाता ब्रिक्स फिल्ड	बेनी बहादुर पुत्र किशोर लाल, गोहरी	2020-21	10005+जुर्माना	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
17	सोरांव	अशोक एण्ड कम्पनी	मो. आरिफ पुत्र सदीक मोहम्मद, श्रृंगारपुर, रुदापुर	2020-21	10005+जुर्माना	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
18	सोरांव	अफजल एण्ड कम्पनी	श्री आलिम आदि पुत्र मो. आकिल, श्रृंगारपुर	2020-21	10005+जुर्माना	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
19	सोरांव	गाँधी ईट उद्योग	श्री मो. सद्दीक पुत्र मशीररजा श्रृंगारपुर	2020-21	10005+जुर्माना	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
20	सोरांव	मुदारिसर	श्री अतीक अहमद श्री	2020-21	10005+जुर्माना	श्री प्रवीण

		ब्रिक्स फिल्ड	इसरत अहमद, रूदापुर			प्रकाश रा.नि.
21	सोरांव	न्यू जय कृष्ण ब्रिक्स फिल्ड	विनोद कुमार यादव व रमेश कुमार यादव पुत्र हजारी लाल यादव गोहरी	2020-21	10005+जुर्माना	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
22	सोरांव	आसमाँ ईट उद्योग	श्री रिजवान अहमद पुत्र अवरार अहमद, कोडसर	2020-21	10005+जुर्माना	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
योग					280140.00+जुर्माना	

उपरोक्तानुसार ईट भट्ठा लाइसेन्स रजिस्टर के अनुसार संस्था द्वारा फर्मों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके रु0 280140.00 से जिला पंचायत की क्षति की गई है। जिसके लिए उपरोक्त दर्शित राजस्व निरीक्षक / सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ-साथ कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है

(मूल

० आ० सं० 8)

प्रस्तर -5. वर्ष 2020-21 में कतिपय विकास खण्डों में संचालित कोल्डस्टोरेज लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कोल्डस्टोरेज संस्थाओं से लाइसेन्स शुल्क की वसूली नहीं की गई है-

क्र० सं०	नाम विकास खण्ड	ईट भट्ठे का नाम	प्रोप्राइटर का नाम पता	कब से वसूली अवशेष है	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	बहादुरपुर	राजकुमार व शरद कुमार	श्री राज कुमार ओझा, अन्दावा झूसी, कटका	2018-19 से 2020-21	6060 +पेनाल्टी	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह रा.नि.
2	बहादुरपुर	मे० भोला शीत गृह	प्रवीण केसरवानी, सहसाँ	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह रा.नि.
3	सोराव	आदर्श कोल्डस्टोर एण्ड आइस फैक्ट्री	श्री अनवर अहमद पुत्र स्व० नवाब अली, गद्दोपुर	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
4		शिव कृपा कोल्डस्टोर सुवेदार कोल्डस्टोर	श्री सन्तबक्स सिंह पुत्र स्व० चन्द्रमान सिंह, गद्दोपुर	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
5	सोरांव	सूबेदार कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री	मो. आलिम, गद्दोपुर	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
6	सोरांव	प्रसून कुमार एवं प्रसान्त कुमार ओझा	प्रशान्त कुमार ओझा, गोहरी	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री प्रवीण प्रकाश रा.नि.
7	कौडिहार	विजय कोल्डस्टोर	श्री विजय कुमार केसरवानी, मलाकहरहर	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री विमल चौधरी रा.नि.
8	सैदाबाद	मे० बाबा कोल्डस्टोर	श्री राधेश्याम तिवारी पुत्र स्व० कृष्णानन्द तिवारी, हरीपुर बींदा	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री प्रभात कुमार दूबे रा.नि.

9	मऊआइमा	शालीमार कोल्डस्टोर	श्री मो० शोएब अंसारी, रोजीहान बागी	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री दिनेश चन्द्र रा.नि.
10	मऊआइमा	सागर कोल्डस्टोर	श्री मो० साहेल पुत्र अब्दुल सत्तार, सुल्तानपुर खास	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री दिनेश चन्द्र रा.नि.
11	होलागढ़	मे० आर.वी.एस. शीतालय	श्रीमती रीना शुक्ला पुत्री श्री मातादीन शुक्ला, भगौतीपुर	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री. लवकुश सरोज रा.नि.
12	होलागढ़	अन्नपूर्णा शीतालय	श्रीमती रीना शुक्ला पत्नी श्री चन्द्रकान्त शुक्ला, भगौतीपुर	2020-21	2020 +पेनाल्टी	श्री लवकुश सरोज रा.नि.
योग					28280+पेनाल्टी	

उपरोक्तानुसार कोल्डस्टोरेज एजेन्सियों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके रु. 28280.00 से संस्था को क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिए उपरोक्त राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ-साथ कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है

(मूल ० आ० सं० 9)

प्रस्तर -6 संस्था के निर्माण कार्य अनुभाग द्वारा हस्तगत कार्यों की सूची माँग के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं की गई। उपलब्ध पत्रावलियों एवं सूचनाओं के अनुसार हस्तगत कार्यों का विवरण निम्नवत है -

क्र० सं०	नाम विकास खण्ड	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष जब टेंडर हुआ	स्थिति	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	वर्ष 2020-21 तक भुगतान की धनराशि
1	कोरांव	प्रधान मंत्री सड़क खिडली से बैंक मैनेजर शुक्ला जी के घर की ओर पेन्टिंग मरम्मत कार्य	2018-19	हस्तगत	9.68	840414.00
2	करछना	ग्राम सभा देहली में पूर्व निर्मित जिला पंचायत सड़क का अवशेष भाग मरम्मत कार्य ।	2018-19	हस्तगत	14.72	483000.00
3	मेजा	मेजा उरुवा सम्पर्क मार्ग से ग्राम गहरपुर आँगन बाड़ी केन्द्र की ओर पी. सी. कार्य	2017-18	हस्तगत	10.20	892000.00
4	उरुवा	ग्राम राम नगर टेसहिया का पूरा शिवाकान्त यादव के घर से ओमकार के घर के बगल से होते हुए तालाब की ओर नाली निर्माण कार्य ।	2017-18	हस्तगत	7.00	315000.00
5	कोरांव	लेडियारी में राजेश के घर से	2018-19	हस्तगत	23.18	2093000.00

		हरिजन बस्ती होते हुए पथरपुर नहर काली । सड़क की ओर पेन्टिंग मरम्मत कार्य ।				
6	माण्डा	भरतगंज मुख्य मार्ग से चकडीहा होते हुए मीरजापुर रोड तक मरम्मत कार्य	2018-19	हस्तगत	20.76	1875000.00
7	प्रतापपुर	ग्राम सैदहा साथर में नहर से पंजाब के घर की ओर पेन्टिंग मरम्मत कार्य	2018-19	हस्तगत	12.50	1088000.00
8	करछना	ग्राम डीहा विश्वकर्मा बस्ती से ग्राम 2018-19 कबरा पण्डित मानिक चन्द्र मिश्रा के घर की ओर पी.सी. कार्य।	2018-19	हस्तगत	5.00	260000.00
9	माण्डा	गुलचपा हरिजन बस्ती से रसौली की ओर पी. सी. कार्य	2018-19	हस्तगत	5.29	313000.00
10	कोराव	ओबरी में राकेश सिंह के घर के आगे दर्शनपुर में पुलिया निर्माण कार्य ।	2020-21	हस्तगत	7.00	598000.00
11	करछना	ग्राम सभा नेवादा देशराज तिवारी के घर से शेषमणि तिवारी के मशीन तक पी. सी. मरम्मत कार्य ।	2020-21	हस्तगत	7.50	219000.00
12	कौडिहार	अनापुर नहर की पटरी से दुःखी यादव के घर की ओर पी.सी. कार्य	2020-21	हस्तगत	8.50	755000.00
13	सोरांव	विगहिया नहर पुलिया से लहटी गाँव की ओर पी. सी. मरम्मत कार्य ।	2020-21	हस्तगत	23.08	569000.00
14	धनुपुर	ग्राम सभा मसाडी में कटहरा दूबे राम लीला मैदान होते हुए तालाब से जंघई रोड तक पी. सी. मरम्मत कार्य ।	2020-21	हस्तगत	23.40	1243000.00
15	मेजा	सुहास में गात सुरैचा सम्पर्क मार्ग से नहर चपरो की ओर मरम्मत कार्य	2020-21	हस्तगत	14.50	657000.00
16	मेजा	कोहडार खीरी सम्पर्क मार्ग से मुख्य वस्ती से पहाड़ी महादेव की ओर मरम्मत कार्य।	2020-21	हस्तगत	14.50	1027000.00
17	मेजा	मेजा कोरांव लूतर मार्ग से खौर यादव बस्ती की ओर।	2020-21	हस्तगत	14.50	274000.00

18	माण्डा	वी.पी. मार्ग पावर हाउस से कुखुडी पुलिया तक नहर की पटरी मरम्मत कार्य ।	2020-21	हस्तगत	15.63	933000.00
19	माण्डा	डेगुरपुर महेवा मार्ग से महेवा नहर से हरिजन बस्ती की ओर पी.सी. मरम्मत कार्य।	2020-21	हस्तगत	15.64	924000.00
20	कौंधियारा	पंडितपुर करमा में हथिगनी रोड तक पी.सी. कार्य।	2020-21	हस्तगत	8.75	610000.00
21	होलागढ़	होलागढ़ कल्यानपुर मार्ग से सिंघड़ ग्राम सभा में पण्डित राम कुमार शुक्ल महाविद्यालय तक सी.सी. कार्य	2020-21	हस्तगत	8.93	705000.00
22	कौंडिहार	हथिगहा काली सड़क से लेकर बस्ती की ओर सी.सी. कार्य।	2020-21	हस्तगत	9.00	696000.00
योग					17370414.00	

उपरोक्त समस्त कार्यों की परियोजनानुसार पूर्ण कराने की समय सीमा कार्य प्रारम्भ तिथि से 3 माह के अन्दर करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः समस्त कार्य 3 माह के समय सीमा के अनतर्गत पूर्ण कर लिया जाना था। समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न होने पर बाजारी मूल्य के चढ़ाव होने से हानि होती है। एवं कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जिसका दायित्व संस्था के अपर मुख्य अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता का है। अतः सम्पूर्ण अपूर्ण कार्यों की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल ० आ० सं० 23)

जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर मण्डल -सहारनपुर

प्रस्तर-01- राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम-पीनना, ब्लाक- बघरा में शमशान रोड /बेंच/सी0सी0/इन्टरलाकिंग-टाइल्स के निर्माण पत्रावली की जाँच करने पर निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुए- शासन से स्वीकृति लागत रु0 17,50,000.00

1. मूल अनुमानित लागत रु0 17,50,000.00।
 2. टैण्डर स्वीकृत रु0 16,72,302.00।
 3. न्यूनतम निविदादाता-में विकास मलिक।
 4. संशोधित अनुमानित लागत रु0 18,23,234.00
 5. प्रारम्भ तिथि 19.08.2017, समाप्ति तिथि 02.11.2017
 6. प्रमाणक संख्या/तिथि- 53/22.11.2017
- रु0 18,23,234.00 के संदर्भ में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

- (1) संशोधित इस्टीमेट के अनुसार पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गई।
 - (2) शासन से स्वीकृति कार्य अनुसार सी0सी0 175x4 मी0 तथा इन्टरलाकिंग 100x4 मी0 के विरुद्ध वास्तव में मात्र सी0सी0 156-50x4 मी0 कार्य का भुगतान कुल रु0 18,23,234.00 किया गया है। जबकि शासन से संशोधित कार्य की स्वीकृति नहीं ली गई, न ही शासन से संशोधित लागत की स्वीकृति ही ली गई।
- उपरिलिखित तथ्यों के आधार पर सम्पूर्ण भुगतान रु0 1823234.00 अनियमित पाया गया।

अतः ₹0 1823234.00 की संयुक्त वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियंता, अभियंता एवं वित्तीय परामर्श दाता से संयुक्त रूप वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0 15)

प्रस्तर-02- राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम भैंसी में तालाब की दीवार व मिट्टी खडंजा के निम्न पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुए। विवरण निम्नवत् है-

- (1) मूल अनुमानित लागत ₹0 -06 लाख
- (2) टेन्डर स्वीकृति ₹0 -606347.00
- (3) न्यूनतम निविदादाता - मो0 फिरोज आलम
- (4) समाप्ति तिथि - 13.01.2018
- (6) प्रमाणक संख्या/तिथि -24/07.10.2017 तथा 101/22.02.2018

कुल भुगतान ₹0 606347.00

उक्त के संदर्भ में निम्नलिखित आपत्ति पाई गई।

- (1) मूल इस्टीमेट में तालाब की दीवार एवं मिट्टी खडंजा दर्शित है।
- (2) संशोधित इस्टीमेट में मात्र तालाब की मिट्टी खडंजा दर्शित है।
- (3) एम0बी0 अनुसार ग्राम भैंसी में खडंजा एवं पुलिया कार्य दर्शित है।
- (4) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम भैंसी में तालाब की पुलिया/मिट्टी खडंजा कार्य दर्शित है।

अर्थात् क्रमांक 1 से 4 में दर्शित कार्य में समरूपता न होने से सम्पूर्ण एवं वास्तविक निर्माण को संदेहास्पद बनाता है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी अभियंता अवर अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता से ₹0 606347.00 संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0 16)

प्रस्तर-03-

व्यय प्रमाणक संख्या 65 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बैगराजपुर की नाला सफाई पर व्यय ₹0 49600.00 भुगतान किया गया है। परन्तु भुगतान की पुष्टि में मस्ट्रोल एवं व्यय पत्रावली अनुपलब्ध पाई गई। ऐसी स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता, अवर अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता तथा लेखाकार से ₹0 49600.00 संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0 17)

प्रस्तर-04-

आलोच्य अवधि के निम्नलिखित प्रमाणको के मूल बिल सादे कागज/कैश/क्रेडिट मेमो पर बने हैं। जिनका भुगतान सुरेन्द्र कुमार लिपिक द्वारा लिया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	विवरण	प्रमाणक संख्या/तिथि	धनराशि
1	कूलर व ए0सी0 मरम्मत	78/02.11.2017	11,699.00
2	कार्तिक मेले में रुकने ठहरने की व्यवस्था	80/20.11.2017	40,000.00
3	कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री	55/16.02.2018	22,500.00
		योग	74,199.00

श्री सुरेन्द्र कुमार लिपिक से ₹0 74199.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0 18)

प्रस्तर-05-

13वें वित्त के अंतर्गत ग्राम मुण्डभर में नाला निर्माण के पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुए। विवरण निम्नवत् है।

- (1) मूल अनुमानित लागत ₹0 - 06 लाख

- (2) कार्य - मुंशीराम के मकान से रामपाल तक
 (3) टेन्डर स्वीकृति - 06 लाख
 (4) न्यूनतम निविदादाता - मेसर्स बालाजी एसोसियेट
 (5) संशोधित अनुमानित लागत- 955400.00
 (6) संशोधित कार्य - मास्टर ऋषिपाल से बदन सिंह के मकान तक
 (7) समाप्ति तिथि - 22.01.2018
 (8) कुल भुगतान धनराशि - 953350.00
 (9) शासन से स्वीकृत रू० - 6 लाख

उक्त के संदर्भ में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

- (1) शासन से संशोधित इस्टीमेट की धनराशि एवं संशोधित कार्य की अनुमति नहीं ली गई।
 (2) संशोधित इस्टीमेट के अनुसार पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गई।

उपरिलिखित तथ्यों के आधार पर शासन से स्वीकृत धनराशि से रू० 353350.00 अधिक खर्च किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता, अवर अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं० 19)

प्रस्तर-06-

दिनांक 31.03.2018 मेला शुक्रताल/कावड़ पर रू० 38.86 लाख खर्च किया गया। मेला के विभिन्न कार्यों की 12 फाइलों की जाँच में पाया गया कि 12 टेण्डरों में से 10 टेण्डरों का ठेका श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग को दिया गया। ऐसी स्थिति में टेण्डरों की प्रक्रिया संदिग्ध पाई गई साथ ही पादर्शिता का अभाव था। उक्त अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियंता एवं अवर अभियंता उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। आ०सं० 14,23,29)

प्रस्तर-07-

उ०प्र० शासनादेश संख्या 682 बी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43 बी/(8)/95 टी०सी० दिनांक 30.05.1997 के प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु देय था। परन्तु जिला पंचायत मुजफ्फरनगर द्वारा वर्ष 2017-18 में उक्त मद में प्राप्त रू० 8.59 लाख के 50 प्रतिशत धनराशि रू० 4.295 लाख ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु दिनांक 31.03.2018 तक हस्तान्तरित नहीं किया गया था, जो कि गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। (आ०सं० 11)

प्रस्तर-08-

दिनांक 02.08.2017 को प्रमाणक संख्या-1 के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार लिपिक अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय के पर्दों की धुलाई हेतु रू० 10040.00 का भुगतान किया। परन्तु उक्त भुगतान संबंधित मूल बिल लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में श्री सुरेन्द्र कुमार लिपिक से रू० 10040.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं० 13)

प्रस्तर-09-

अनुदान रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को 13वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत रू० 53994.00 के विरुद्ध संबंधित बैंक खाता संख्या- 86947 (पी०एन०बी०) में बैलेन्स अवशेष शून्य पाया गया। अंतर धनराशि रू० 53994.00 लेखाकार श्री शेरबल सिंह से वसूल कर संबंधित हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं० 20)

प्रस्तर-10-

श्रीमती गुड्डी स्वीपर का सर्विस बुक की जाँच में पाया गया कि जुलाई 2015 में मूल वेतन गलत दर्शित किया गया। जिस कारण जून 2017 तक ₹0 29556.00 का अधिक भुगतान किया गया। जुलाई 2017 से देय भुगतान सही है। साथ ही जुलाई 2017 से ₹0 1500.00 प्रतिमाह वेतन से कटौती की जा रही है। संस्था की गणना के अनुसार अधिक वेतन भुगतान ₹0 31500.00 दर्शित है। जो कि वास्तविक से ₹0 1944.00 अधिक है। अतः श्रीमती गुड्डी स्वीपर से कुल ₹0 29556.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 32)

प्रस्तर-11-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी या सदस्य ने स्वयं निर्माण कार्य की जाँच न कर ली हो। जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के पत्रांक 1084/एस0टी0/16-17 दिनांक 05.11.2016 के अनुसार गाँव बरवाल में विभिन्न स्थानों पर सी0सी0 कार्य अनुमानित मूल्य ₹0 15.50 लाख की कार्य योजना तैयार की गई थी। न्यूनतम निविदादाता फर्म मेसर्स प्रहलाद एण्ड सन्स द्वारा कार्यदेश निर्गत की तिथि 26.12.2016 को कार्य प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक 26.07.2017 को समाप्त किया गया एवं ₹0 1548297.00 का भुगतान प्राप्त किया था (प्रथम/अन्तिम बिल) निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा बिना कार्यपूति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ठेकेदार फर्म मेसर्स प्रहलाद एण्ड सन्स को ₹0 1548297.00 का भुगतान कर दिया गया। जो कि अनियमित है। उक्त के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता जिम्मेदार पाये गये। इस संबंध में आवश्यक कारवाई अपेक्षित है। (आ0सं0 12)

प्रस्तर-12-

दिनांक 31.03.2018 को प्रकीर्ण व्यय मद में ₹0 9593481.00 का व्यय दर्शाया गया है जबकि इस मद में स्वीकृत बजट ₹0 8500000.00 ही था। इस प्रकार ₹0 1093481.00 का अनियमित रूप से अधिक व्यय किया गया है। जिसकी स्वीकृति नहीं ली गई है। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्या अधिकारी लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। (आ0सं0 44)

प्रस्तर-13-

आलोच्य अवधि के ईट भट्ठा लाइसेंस की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित ईट भट्ठा द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया। जबकि आलोच्य अवधि में विगत वर्ष का लाइसेंस शुल्क जमा होने से स्पष्ट होता है कि आलोच्य अवधि में संबंधित ईट भट्ठा कार्यरत रहे। ऐसे ईट भट्ठा मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। जबकि जिला पंचायत द्वारा समय से चालान निर्गत कर दिया जाना चाहिए था। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	लाइसेंस रजि० की क्रम सं०/पृष्ठ सं०	नाम एवं पता	लाइसेंस संख्या	बकाया अवधि	नवीनीकरण शुल्क पेनल्टी के साथ
1	12/2	ब्लाक- बघरा मलवी ब्रिक फील्ड हरमोली	282327	2016-17 एवं 2017-18	10,000.00
2	32/10	ब्लाक-बुढाना किसान ब्रिक फील्ड बुढाना देहात	282353	2017-18	5,000.00
3	18/20	ब्लाक-सदर	283443	2017-18	5,000.00

		पारस ब्रिक फील्ड शाहबुद्दीनपुर			
4	5/40	ब्लाक-चरथावल कुमार ब्रिक फील्ड लुहारीखुर्द	385998	2016-17 एवं 2017-18	10,000.00
5	14/70	ब्लाक-जानसठ संजीव ब्रिक फील्ड गढी जानसठ	188438	2016-17 एवं 2017-18	10,000.00
6	13/70	ब्लाक-जानसठ अलूना ईट उद्योग समाना राजराज	188401	2017-18	5,000.00
7	5/10	ब्लाक-बुढाना साई बाबा ब्रिकस फील्ड बिरामा	177760	2016-17 एवं 2017-18	10,000.00
8	22/10	ब्लाक-बुढाना लक्ष्मी ब्रिक फील्ड अलीपुरा	97722	2016-17 एवं 2017-18	10,000.00
				योग	65,000.00

(आ0सं0 08)

प्रस्तर-14-

संस्था के वर्ष 2017-18 के विनियोजन पंजिका व दिनांक 31.03.2018 के दायित्व एवं सम्पत्ति विवरण के अनुसार 200.20 लाख की सावधि जमा दर्शित थी। संस्था द्वारा अपने पत्रांक मीमो दिनांक 21.09.2017 के द्वारा बैंक को उक्त सावधि जमा को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने हेतु पत्र लिखा परन्तु उक्त सावधि जमा को बैंक द्वारा एक वर्ष के लिए न बढ़ाकर नई सावधि जमा नये नम्बर से बनयी गई। जबकि पुरानी जमा की धनराशि ₹0 200.20 लाख संस्था के किसी खाते में जमा की जानी चाहिए थी परन्तु उक्त धनराशि संस्था के किसी खाते में जमा नहीं हुई और न ही संस्था द्वारा उक्त धनराशि की कैश बुक में ही प्रविष्टि की गयी है।

उक्त परिस्थितियों में पुरानी सावधि जमा से ही नयी सावधि जमा बनाई गई है पुष्टि नहीं होती है। उक्त की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने पर अंकन ₹0 200.20 लाख की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती नूतन शर्मा तथा लेखाकार श्री शेरबल से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 45)

जिला पंचायत, सहारनपुर
अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 की
- गम्भीर आपत्तियों/प्रस्तरों का विवरण -

प्रस्तर-01 दिनांक 03-03-2018 को श्री राकेश कुमार द्वारा कैश रसीद सं0 338978 से कुल 12000.00 रुपये प्राप्त कर पी0एन0बी0 में जमा दर्शित की गई हैं। उक्त रसीद की प्रविष्टि कैश बुक में अंकित नहीं हैं। बैंक जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं। श्री राकेश कुमार से वसूली अपेक्षित हैं। नियमानुसार वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-02 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा जाँच पर उपलब्ध करायी गई वर्ष 2017-18 की सामूहिक ब्लांकवार टैक्स कर विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल सम्पत्ति एवं विभवकर की वसूली अंकन रु0 7723150.12 दर्शित हैं। जबकि लेखाकार द्वारा तैयार की गई कैश बुक एवं मासिक प्रगति लेख के अनुसार कुल सम्पत्ति एवं विभवकर की वसूली अंकन रु0 7663653.50 दर्शाया गई हैं। अन्तर अंकन रु0 59586.62 लेखाकार द्वारा कम दर्शाया गया हैं। लेखाकार योगेन्द्र कुमार एवं सम्पत्ति एवं विभवकर अधिकारी/कर्मचारी(संबंधित) उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर-03 निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से की गई कटौतियाँ टी0डी0एस0 अंकन रु0 3814246.74 (कुल व्यय का 2.24 प्रतिशत) व्यापार कर अंकन रु0 6811226.32(कुल व्यय का 4 प्रतिशत) श्रम उपकर अंकन रुपये-1702806.58 जमा की पुष्टि से संबंधित बैंक खातों का स्टेटमेन्ट(जिससे धन की निकासी कर जमा किया गया) एवं दाखित रिटर्न/मिलन-पत्र/चालान आदि प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं। अन्यथा की स्थिति में स्पष्ट होगा कि कटौती तो कर ली गई किन्तु इन्हें संगत लेखा शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण/गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसकी वसूली अपर मुख्य विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव एवं डा0 सुमनलता से कार्य अवधि के दृष्टिगत उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवं संबंधित वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकारों को भी अवधि के आधार पर समान उत्तरदायित्व निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं। (मूल आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर-04 आबकारी दुकानों (एक्यूरेट फूड एन्ड वेवरेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिला पंचायत सहारनपुर का दिनांक 27-12-2017 चैक सं0 633882 धनराशि 935000.00) प्राप्त हुई, जिसे जिला पंचायत द्वारा 29-12-2017 में पी0एन0बी0 जिला पंचायत निधि में जमा कराई गई। पत्रावली में संलग्न स्टेटमेन्ट के अनुसार उक्त धनराशि दिनांक 02-01-2018 में चैक रिजेक्ट होने के उपरान्त दिनांक 10-01-2018 में प्राप्त हुआ हैं।

उक्त प्रकरण में दो बिन्दु जिला पंचायत के उप विधियों के अनुसार महत्वपूर्ण हैं:-

1. लाइसेन्स की अवधि 01 अक्टूबर से 20 सितम्बर तक होगी।
2. नियम सं0 15 के अनुसार 30 सितम्बर तक लाइसेन्स का नवीनीकरण करायी जाना आवश्यक हैं। इसके पश्चात 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक बिना अर्थ दण्ड के जमा करायी जा सकता हैं। 01 जनवरी से 50 प्रतिशत अर्थ दण्ड लेकर ही लाइसेन्स का नवीनीकरण हो सकेगा।

इस प्रकार जिला पंचायत के नियमों के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से आर्थिक क्षति का प्रकरण हैं। अंकन रु0 935000 का आधा अंकन रु0 467500.00 संबंधित फर्म से वसूली योग्य है।

बिना अर्थ दण्ड वसूली किये सर्व सहमति से लाइसेन्स(अवधि 01-10-2017 से 30-09-2018) प्रपत्र-25 निर्गत किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक हैं। उक्त क्षति की पूर्ति संबंधित अपर मुख्य अधिकारी डा0 सुमनलता सहित प्रकरण में शामिल समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों का समान दायित्व निर्धारित कर किया जाना अपेक्षित हैं। (मूल आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर-05 ठेका रिकशा बोगी तांगा:-

(1) ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अंकन रु0 334800.00 किन-किन तिथियों में किस खाते में जमा कराई गई संबंधित बैंक खातों से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं।

(2) ठेके में प्रतिभागी ठेकेदार (1) ताहिर हसन पुत्र राशिद (2) एहजाज अहमद पुत्र गुलजार अहमद (3) सितम सिंह पुत्र भरत सिंह की धरोहर राशि अंकन रु0 30000 प्रति ठेकेदार की दर से कुल 90000 की प्राप्ति किस तिथि में हुई और किस खाते में जमा की गई पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं।

(3) अनुबंध की अवधि 31-03-2015 से 31-03-2018 दर्शित हैं। अनुबंध की शर्त 18 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि नीलामी के दिनांक को दूसरी किश्त दिनांक 15-03-2016 तक जमा कर ली गयी थी तथा तृतीय किश्त 15 जनवरी 2017 तक जमा करा दी गई थी कि पुष्टि संबंधित खाते से करायी जानी अपेक्षित हैं।

(4) रसीद संख्या 18019 से दिनांक 16-03-2015 से प्राप्त धनराशि अंकन ₹0 111600.00 जिला निधि खाते में किस तिथि में जमा कराई गई खाते से पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है।

(5) स्टाम्प पेपर क्रमांक 815 पर फ्लूड लगाकर क्रय कर्ता का नाम एहजाज अहमद पुत्र (स्पष्ट अंकित नहीं हैं) सहारनपुर अंकित किया गया है। जिससे नाम में हेरा-फेरी की सम्भावना को बल मिलता है।

(6) अनुबन्ध की शर्तों का पूर्णतः पालन न किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक है। उत्तरदायी के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त ठेके की कुल धनराशि अंकन रुपये 334800.00 की वसूली ससमय कर ली गयी थी कि पुष्टि न कराये जाने की दशा में, ठेके की रकम अवशेष रहने की दशा में संबंधित एवं अन्य कर्मचारियों का समान उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर-06 (क) पशु अनुज्ञा शुल्क चैक पोस्ट रायपुर की पत्रावली के साथ संलग्न शर्तों के अनुसार ठेके की अवधि 01-04-2017 से 31-03-2020 तक है। ठेके की कुल रकम अंकन ₹0 290100.00 की वसूली संबंधित से किन-किन तिथियों में करके किस-किस बैंक खातों में जमा कराया गई बैंक स्टेटमेंट सहित पूर्ण प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है।

(ख) दिनांक 24-03-2017 को रसीद सं0 009848 से निलामी के समय कितनी धनराशि वसूली की गई व किस बैंक खाते में जमा कराया गई मूल प्रमाणक सहित बैंक स्टेटमेंट से जमा की पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है।

(ग) दिनांक 15-01-2018 तक ठेके की अगली किश्त वसूल कर अंकन ₹0 96600.00 किस बैंक खाते में जमा कराया गई संबंधित मूल प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर उक्त की पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त धनराशि की वसूली ससमय कर ली गई थी कि पुष्टि न होने की दशा में धनराशि अवशेष होने की दशा में संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व निर्धारित कर दण्डात्मक ब्याज सहित धनराशि वसूली योग्य है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, लेखाकार एवं संबंधित अन्य कार्मिक समान रूप से उत्तरदायी हैं। (मूल आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर-07 (क) पत्रावली में संलग्न शर्तों के अनुरूप पत्रावली पूर्ण नहीं पायी गई।

(ख) रसीद सं0 260538 दिनांक 11-12-2017 से प्राप्त धनराशि अंकन ₹071540.00 किस तिथि में किस बैंक खाते में जमा कराया गई मूल रसीद सहित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर उक्त की पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है।

(ग) द्वितीय वर्ष की किश्त अंकन ₹0 71530.00 दिनांक 31-03-2018 तक प्राप्त कर किस बैंक खाते में जमा कराई गई मूल रसीद सहित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर उक्त की पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है।

(घ) तृतीय वर्ष की किश्त अंकन ₹0 71530.00 दिनांक 31-08-2019 तक प्राप्त कर ली गई की पुष्टि में मूल रसीद सहित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर प्राप्ति एवं बैंक जमा की पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है।

(ङ) ठेकेदार द्वारा स्टाम्प 02-04-2018 में क्रय किया गया है जबकि अनुबंध पर अपर मुख्य अधिकारी डा0 सुमनलता के हस्ताक्षर दिनांक 15-01-2019 में विलम्ब से कराया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अंकन ₹0 214600.00 ससमय ठेकेदार से वसूलकर बैंक में जमा करा दी गई है कि पुष्टि मूल प्रमाणक व बैंक स्टेटमेंट से कराया जानी अपेक्षित है अन्यथा की दशा में ठेके की रकम वसूली हेतु शेष रहने की दशा में संबंधित अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, लेखाकार एवं संबंधित अन्य कर्मचारियों का समान उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित ठेके की रकम वसूल की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-30)

प्रस्तर-08 आलोच्य वर्ष 2017-18 में संस्था की निजी स्रोतों से आय अंकन ₹0 648.75 लाख एवं निजी स्रोतों से आय के सापेक्ष व्यय की गई कुल राशि का योग अंकन ₹0 533.89 लाख दर्शित है। संगत अभिलेख एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर निजी स्रोतों से होने वाली आय-व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नहीं कराया गई। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-09 शासनादेश सं0 4/866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 दिनांक 24-06-2014 भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी रोकने के उद्देश्य से क्षेत्रधिकारी से बाहर कार्य दर्शित करने पर प्रतिबंध है। जिला पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों (निर्माण, मरम्मत आदि) से परिलक्षित होता है कि समस्त कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर ही कराये गये हैं। जो कि शासनादेश/दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(क) जनपद की अन्य कार्यदायी संस्था में से पी0डब्लू0डी0 ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आर0इ0एस0 गन्ना संघ तथा मण्डी परीषद आदि से जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्य उनके द्वारा न तो कराये गये हैं और न प्रस्तावित हैं। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के कराये गये निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी की संभावना प्रबल है। कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों से संबंधित पी0सी0आर0 लेखा परीक्षा तकनीकी भाषा में हैं एवं उसमें केवल धनराशियों का आंकलन किया गया है। उप खनिज कितना-कितना प्रयुक्त होना है, इसका सरल भाषा में तैयार कर संलग्न करना उचित है ताकि नॉन टैक्निकल अधिकारी/कर्मचारी भी प्राक्कलन को समझ सकें।

(ग) शासनादेश संख्या 594/52001/77-टी0सी0 दिनांक 02 फरवरी, 2001 तथा शासनादेश संख्या 389/77-5-2002-1(216)23 दिनांक 05 अगस्त, 2022 एवं शासनादेश सं0 2146/86-2019-52(सा0)/2019 दिनांक 31 सितम्बर, 2019 के अनुसार -

1. कार्यदायी संस्था द्वारा भुगतान से पूर्व ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ई0एम0एस0-2 का सत्यापन क्यूआर0कोड/बार कोड स्कैनर से किया जायेगा। भण्डार से/क्रय से उप खनिज क्रय किये जाने की दशा में प्रस्तुत फर्म निर्गत मुद्रित प्रपत्र एम0एम0-11 का सत्यापन संबंधित जनपद के खनिज अनुभाग से कराया जायेगा।

उपयुक्त सत्यापन कार्यवाही के क्रम में संबंधित ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य में उपयोग किसी उप खनिज का बिना वैध अभिवाहन पास 1 प्रपत्र उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य की रायल्टी का पाँच गुना होगा की कटौती भी ठेकेदार के बिल से किया जाना सुनिश्चित करे।

2. कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त धनराशि को भुतत्व एवं खनिज विभाग के लेखा शीर्षक-0853 अलोह खनन तथा उद्योग 102 खनिज, रायल्टी, शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क 01 में जमा करायेगी व ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग को उपलब्ध करायेगी।

जिला पंचायत द्वार उपरोक्त समस्त नियमों/शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है। ठेकेदारों का भुगतान करते समय रायल्टी जमा चालान व वैध अभिवाहन भी प्राप्त नहीं किया गया है और भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया है।

अतएवं जिला पंचायत के अभियन्ता श्री आलोक चन्द गौड़/अवर अभियन्ता श्री इलमचन्द से निर्माण कार्य में दर्शित उपखनिज देय रायल्टी का आंकलन करते हुए उसका पाँच गुना ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-25)

जिला पंचायत, सहारनपुर **अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की** **- गम्भीर आपत्तियाँ/प्रस्तरों का विवरण -**

प्रस्तर- 10 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से 299.99 लाख कर्मचारियों के पेंशन एवं वेतन पर व्यय की पुष्टि में संगत साक्ष्य एवं अभिलेख अप्राप्त रहे। निजी स्रोतों से आय के बावजूद राज्य वित्त की धनराशि से व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। अपर मुख्य अधिकारी डा0 सुमनलता, वित्तीय परामर्शदाता श्री सत्येन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय से पूर्व बिना शासन की स्वीकृति के भुगतान गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। (मूल आपत्ति संख्या-35)

प्रस्तर- 11

दिनांक 31-03-2019 को प्रकीर्ण मद में अंकन रू0 182436.00 वाद व्यय व रूपये 34319.00 बीमा व्यय कुल योग अंकन रूपये 216755.00 से संबंधित संगत पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा जाँच पर अप्राप्त रहीं। पत्रावलियाँ प्रस्तुत कर अपर मुख्य अधिकारी डा0 सुमनलता, वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार से किये गये व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-37)

प्रस्तर- 12 दिनांक 31-03-2019 को सम्पत्ति एवं विभवकर से संबंधित मूल रजिस्टर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा जाँच पर प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार कुल वसूली अंकन रू0 65.62 लाख दर्शित है। जबकि कैश बुक एवं मासिक लेखे के अनुसार वसूली की धनराशि अंकन रूपये 64.50 लाख दर्शित है। अन्तर की धनराशि 1.12 लाख रही है। अपर मुख्य अधिकारी डा0 सुमनलता, वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार से किये गये व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-38)

प्रस्तर- 13 दिनांक 31-03-2019 को मृत पशु शव निस्तारण मद में कुल वास्तविक वसूली अंकन रू0 18.14 लाख कैश बुक अनुसार दर्शित है। जबकि प्रदत्त सूचनानुसार वसूली की धनराशि अंकन रू0 23.25 लाख की है। अन्तर की राशि 5.01 लाख के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी एवं मूल रजिद्ध प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अपर मुख्य अधिकारी डा0 सुमनलता, वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार से किये गये व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-40)

प्रस्तर- 14 आलोच्य वर्ष 2018-19 में कुल 2497.36 लाख मूल निर्माण कार्य पर अनुदानित राशि का व्यय दर्शित किया गया है। जिसका 4 प्रतिशत व्यापार कर अंकन रू0 99.89 लाख, आयकर 2.24 प्रतिशत अंकन रू0 55.94 लाख होता है। श्रम उपकर 1 प्रतिशत अंकन रू0

24.97 लाख होता है। मूल निर्माण कार्य पर हुए अनुदानित राशि से उक्त तीनों कटौतियों पर जिस बैंक खाते से निकासी कर संगत शीर्षों/विभागों से संगत रिटर्न/मिलान पत्र/चालान आदि से भुगतान/जमा किया गया प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में गम्भीर अनियमितता सम्भावित है। अपर मुख्य अधिकारी डा0 सुमनलमा, वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार से किये गये व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-47,48,49 व 50)

प्रस्तर- 15 आलोच्य वर्ष 2018-19 में संस्था की निजी स्रोत से आय अंकन रू0 822.36 लाख एवं निजी स्रोतों से आय के सापेक्ष व्यय अंकन रू0 533.89 लाख दर्शित है। संगत अभिलेख एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर निजी स्रोतों से होने वाली आय-व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नहीं करायी गयी। लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार का दायित्व निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-44)

जिला पंचायत – चंदौली

मण्डल-वाराणसी

वर्ष -2020-2021

प्रस्तर-1

मनरेगा योजना के अन्तर्गत संस्था द्वारा तैयार किये गये विवरण के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल स्वीकृत लागत रू0 140939000 में से रू0 103846000 अवमुक्त रहा जिसके सापेक्ष रू0 87878169 का ही कार्य कराया शेष दि0 31.03.2021 को रू0 15967831 अवशेष रहा। समय से कार्य न कराकर शासकीय धन को रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 के सी0पी0 टैक्स निर्धारण पंजी की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण के उद्देश्य से जिन मदों/व्यवसायों की प्रविष्टि की गयी थी उनमें मदिरा व्यवसाय भी सम्मिलित था। लेखा परीक्षा में बताया गया कि मदिरा दूकानों की सूची आबकारी विभाग से प्राप्त कर ली गयी है। आबकारी विभाग चन्दौली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 217 दुकानें संचालित थीं, जिनसे वर्ष 2020-21 में लाइसेन्स शुल्क मद में रू0 128720.00 एवं टैक्स मद में रू0 55160.00 की वसूली की गयी-

लाइसेन्स शुल्क मद में देय एवं जमा की स्थिति निम्न विवरण के अनुसार रही-

क्र0सं0	दूकान	दूकानों की सं0	कुल लाइसेन्स शुल्क		जमा शुल्क	कम जमा
			nj	धनराशि		
1	देशी मदिरा	99	750	74250	50300	23950
2	विदेशी मदिरा	66	1000	66000	42300	23700
3	बीयर शाप	50	1000	50000	33920	16080
4	माडल शाप	02	1100	2200	2200	0
	योग	217	-	192450	128720	63730

उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा में मदिरा दुकानों की न्यूनतम कर योग्य आय रू0 2.00 लाख वार्षिक आंकलित की गयी। अतः शासनादेश सं0- 1152/33-2-2017-62जी दिनांक 04 अप्रैल 2018 द्वारा पुनरीक्षित दर रू0 10000.00 प्रति दूकान की दर से वर्ष 2020-21 में इन दुकानों से सी0पी0 टैक्स मद में निम्न विवरण के अनुसार न्यूनतम रू0 2170000.00 निजी राजस्व की क्षति हुई-

1- जनपद में स्थित दूकानों की संख्या- 217

2- कर योग्य आय प्रति दूकान- रू0 200000.00

3- पुनरीक्षित सी0पी0 टैक्स प्रति दूकान - ₹0 10000.00
 4- सी0पी0 टैक्स आरोपण योग्य धनराशि (217*10000)- ₹0 2170000.00
 5- वर्ष में मदिरा की दूकानों से सी0पी0टैक्स की कुल वसूली - 55160.00
 वर्ष में उचित दर पर टैक्स वसूल न किये जाने से संस्था को हुई क्षति- 2114840.00
 इस प्रकार मदिरा दूकानों पर लाइसेन्स शुल्क कम जमा कराकर ₹0 63730.00 एवं सी0पी0टैक्स का उचित निर्धारण न होने के कारण संस्था को ₹0 2114840.00 कुल मिलाकर ₹0 2178570.00 के राजस्व की क्षति हुई जिस अनियमितता के प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में लेबर सेस मद में कुल ₹0 2264559.00 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा दर्शित है किन्तु सम्बन्धित विभाग से इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी है। जमा की पुष्टि न कराकर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

दिनांक 01.04.21 को ठेकेदारों की जमानत शेष (प्रा0) ₹0 21117036.00 रहा। संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में ठेकेदारों से जमानत के रूप में ₹0 814000.00 प्राप्त हुआ है तथा वर्ष में ₹0 2826604.00 वापस किया गया है, और वर्षान्त में ₹0 19104432.00 शेष दर्शाया गया है। परन्तु जमानत पंजिका एवं विवरण सूची द्वारा अवशेष की पुष्टि नहीं कराई गई। जमा की पुष्टि न कराये जाने के प्रति लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

आलोच्य वर्ष में ठेके के अनुबन्ध विलेख हेतु ₹0 100.00 प्रति कार्य की दर से स्टैम्प पेपर ठेकेदारों से लिया जा रहा है जबकि ठेकेदारों से प्रतिभूति के रूप में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 आदि ही प्राप्त की जा रही है। कर एवं संस्थागत वित्त विभाग के शासनादेश सं0 क0नि0-714/11-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार सभी ठेकों के अनुबन्ध विलेख हेतु ₹0 125.00 प्रति हजार की दर से स्टाम्प पेपर की मांग कर संबंधित फर्मों हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित था। इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। विवरण निम्नवत है-

योजना का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की सं0	₹0 100 प्रति कार्य की दर से प्राप्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि	कुल स्वीकृत लागत (हजार ₹0 में)	₹0 125 प्रति हजार की दर से आगणित स्टाम्प शुल्क की धनराशि	अन्तर (5-3)
1	2	3	4	5	6
राज्य वित्त	121	12100	90572	11321500	11309400
केन्द्रीय वित्त	202	20200	193721	24215125	24182825
योग	323	32300	284293	35536625	35492225

अतएव अन्तर की धनराशि ठेकेदारों से न वसूल कर ₹0 35492225.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिस अनियमितता के प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा उत्तरदायी रहे जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-2

प्रस्तर-1 वर्ष 2020-21 में गैंगमैन वेतन के रूप में ₹0 201760.00 का भुगतान मस्टर रोल बनाकर किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी-

1. मस्टररोल पर प्रत्येक मजदूर/ गैंगमैन को 26 दिन की ही हाजिरी ली गयी है तो क्या वर्ष में राजकीय अवकाश नहीं था गैंगमैन की स्वयं द्वारा ली गयी कोई छुट्टी नहीं है।
2. गैंगमैन द्वारा केवल एक कार्य सडकों के किनारे मिट्टी कार्य दिखाया गया है। जिसकी कोई कार्य योजना, फाइल वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है।
3. प्रत्येक मस्टर रोल भुगतान तिथि को ही एक साथ एक ही राइटिंग में बनाये गये हैं जो संदिग्ध है।
4. गैंगमैनों के कार्यों की देख-रेख एवं उपस्थिति किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
5. पटरी मरम्मत कार्य जिला पंचायत द्वारा निर्मित सडकों का किया गया है या अन्य सडकों का भी कोई प्रमाण नहीं है।
6. पटरी मरम्मत सम्बंधी कोई आदेश, स्टीमेट का न होना कार्य की पुष्टि नहीं करता है।
7. इतने गैंगमैन किस आधार पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में क्यों लगाये गये हैं। जबकि जिला पंचायत में गैंगमैन रखे जाने हेतु कोई स्वीकृत पद नहीं है अर्थात् बिना स्वीकृत पद के गैंगमैन रखा जाना अनियमित रहा।

उक्त स्पष्ट है कि गैंगमैन के नाम पर फर्जी तरीके से बिना किसी कार्य को सम्पन्न कराये मजदूरी भुगतान किया जाना पूर्ण तया अनियमित रहा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या ,श्री अखिलेश कुमार एवं लेखाकार श्री राधेरमण की है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 दिनांक 09-03-2021 का बिजली बिल ₹0 551011.00 के सापेक्ष ₹0 50000.00 का भुगतान हुआ है। जिसमें बिल के अनुसार ₹0 30900.00 लेट पेमेंट किया गया है। बिजली बिलों के भुगतान में लापरवाही बरतने के कारण लेट पेमेंट देना पड़ यदि समय से बिलों का भुगतान होता तो इस लेट पेमेंट से बचा जा सकत था। अधिक अनावश्यक भुगतान से संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके सम्बंधित कर्मचारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 भवन दुकान किराया रजिस्टर प्रपत्र-27 वर्ष 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित दुकानों एवं भवनों पर किराये की माँग अवधारित की गयी। लेकिन वर्ष दौरान इन से कोई वसूली नहीं की गयी है और न तो वसूली हेतु कोई प्रयास एवं पत्राचार ही किया गया, जो सम्बंधित कर्मचारी एवं अधिकारी की घोर लापरवाही है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	दुकानकानाम	प्रा० अवशेष	वर्षकीमाँग	योग	आवासीयकानाम
1	सभा भवन के निकट दुकान नं-2	—	7863.00	7863.00	श्रीमती उर्मिला
2	जिला पंचायत दुकान नं-4	—	7863.00	7863.00	श्री शिवशंकर
3	जिला पंचायत दुकान नं-8	90742.00	7863.00	98605.00	श्री रामभरत सिंह
4	दुकान नं०-6 व 7 के बीच	—	1560.00	1560.00	श्री शिवशंकर
5	दुकान नं०-2 व 3 के बीच	—	1560.00	1560.00	श्रीरमेशचन्द्र
6	सभा भवन फ्लैट-1	6362.00	6362.00	12724.00	श्री ठाकुर प्रसाद
7	सभा भवन फ्लैट-3	32683.00	6362.00	39045.00	श्रीराजेन्द्रप्रसाद

8	सभा भवन फ्लैट-4	28256.00	6362.00	34618.00	श्री सुभाष यादव
9	फ्लैट 2,3 केबीचकोठरी	3320.00	1920.00	5240.00	श्री कृष्णानन्द
10	बदलापुर दुकान न0 ए / 2	26084.00	9360.00	35444.00	श्री ईश्वरचन्द
11	बदलापुर दुकान न0 ए / 3	—	9360.00	9360.00	श्री शाहमुहम्मद
12	बदलापुरदुकान न0 बी/ 4	18640.00	7020.00	25660.00	श्री बसन्तकुमार
13	बदलापुरदुकान न0 सी/ 1	—	7020.00	7020.00	श्रीमती ममता शुक्ला
	योग—	206087.0	80475.00	286562.0	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रा0अवशेष एवं वर्ष की माँग सहित कुल बकाया रू0 286562.00 हो गया।
तत्काल वसूली की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 वर्ष 2020-21 में गौशाला पर निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	मद	धनराशि	भुगतानप्राप्तकर्ता
1	09-04-20	भूसा	44710.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
2	13-05-20	भूसा	44980.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
3	13-05-20	लेबर	20000.00	वशिष्ठ कुमार एवं शैलेश
4	18-06-20	भूसा	71099.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
5	09-07-20	पारिश्रमिक	20000.00	वशिष्ठ कुमार एवं शैलेश
6	06-08-20	भूसा/ पशुआहर	92626.00 12900.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
7	16-09-20	भूसा	55349.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
8	16-09-20	पारिश्रमिक	10000.00	वशिष्ठ कुमार एवं शैलेश
9	22-09-20	भूसा	64536.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
10	02-12-20	भूसा	96040.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
11	06-01-21	भूसा	169860.00	श्री सतीश कुमार मौर्या
		योग—	714100.00	

आपत्तियाँ:-

1. गौशाला का निर्माण कहाँ हुआ है तथा किस के आदेश से हुआ है।
2. गौशाला में कितनी संख्या में पशु प्रतिदिन रहे हैं, कोई विवरण नहीं है।
3. भूसा खरीद बिल, प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं है। भूसा का भुगतान किस आधार पर किया गया।
4. भूसा खरीद एवं गौशाला तक पहुँचने का टेंडर किया गया या नहीं फाइल प्रस्तुत नहीं रही।
5. पारिश्रमिक भुगतान की प्राप्ति रसीद एवं श्रमिक चयन किस प्रकार किया गया। प्रमाणित नहीं रहा।
6. गौशाला निरीक्षण एवं देख-रेख किसके जिम्मे रहा तथा खरीद अप्रमाणित रहा।

बिना किसी उचित बिल के भुगतान किस प्रकार किया गया तथा इसका समायोजन हुआ या नहीं पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 दिनांक 06-08-2020 को शहीद तोरण द्वार हेतु रू0 254240.00 का भुगतान श्री प्रदीप कुमार सिंह को किया गया है। यह तोरण द्वार कहाँ पर किसके आदेश से बनवाया गया है तथा तोरण द्वार निर्माण हेतु टेंडर की क्या कार्यवाही हुई। उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली बार-बार मॉगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं करायी

गयी। कार्य पत्रावली उपलब्ध न कराया जाना अनियमित रहा। जिसके लिए लेखाकार श्री राधेरमण यादव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त आयोग वर्ष 2019-20 का अन्तिम अवशेष वेतन सहित ₹0 817230259.00 दर्ज है जो वर्ष 2020-21 का प्रारम्भिक अवशेष होना चाहिए जबकि वर्ष 2020-21 का प्रारम्भिक अवशेष ₹0 827322133.00 दर्शायी गयी है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि ₹0 10091874.00 है। इसी प्रकार बी0आर0जी0एफ0 मद में वर्ष 2019-20 का अन्तिम अवशेष 35104914.00 दर्ज है जो वर्ष 2020-21 का प्रारम्भिक अवशेष होना चाहिए जबकि वर्ष 2020-21 के अनुदान रजिस्टर में ₹0 35167294.00 दर्शायी गयी है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि ₹0 62380.00 परिलक्षित हो रही है। दोनों का योग ₹0 10154254.00 हुआ। विगत वर्ष के अन्तिम अवशेष को अगले वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष में ज्यों का त्यों न दर्शाया जाना अनुदान की धनराशि में हेरा-फेरी किया जाना परिलक्षित होता है, जो एक गम्भीर-अनियमितता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार(राज्यवित्तहेतु) तथा बी0आर0जी0एफ0 मद हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्रीजगप्रसाद मौर्या एवं लेखाकार राधेरमण यादव उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 वर्ष 2020-21 के लाग बुक गाडी नं0 यू0पी0 62 बी0एक्स 1520 के अनुसार दिनांक 01-09-2020 से 30-09-2020 तक लॉग बुक में कुल 2335 किमी0 यात्रा करना दर्शित हैं परन्तु लॉगबुक में गाडी की रिडिंग अंकित नहीं किया गया है एवं यात्रा का विवरण काल्पनिक दर्शित किया जाना प्रतीत होता है इस प्रकार 2335 किमी0 यात्रापर 233.50 ली0 डीजल का भुगतान कर ₹0 19296.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री राधेरमण यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में यह पाया गया कि कार्य कराये जाने में बिलम्ब होने की स्थिति में ठेकेदारों के बिलों से बिलम्ब शुल्क 1%की दर से कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत है—

क्र0 सं0	कार्यकानाम	बिलम्ब शुल्क जो काटा जाना चाहिए	बिलम्ब शुल्क जिसकी कटौती की गयी है।	कम बिलम्ब शुल्क की कटौती
1	कसनही गोदाम से पहसना फर्म पर पिच से आगे पहसना पक्की सडक तक लेपन कार्य।	6908.00	1000.00	5980.00
2	ब्लाक सुइथा कला के अर्सिया में सुनील के घर से राजेश मिश्रा के घर तक होते हुए गैरवाह सम्पर्क मार्ग इण्टर लाकिंग कार्य।	7560.00	900.00	6660.00
3	ग्राम मुरकी मे नूरआलम के घर के पास सडक से कोइनिया पोखरे तक मिट्टी/ खडंजा कार्य।	710.00	500.00	210.00
4	क्षेत्र पंचाय तबरसठी में रनापुर विद्यालय से चिहलवा तालाब तक लेपन कार्य।	5843.00	500.00	5343.00
5	केराकत में परमानन्दपुर पिच मार्ग से बचानू के घर तक खडंजा निर्माण कार्य।	526.00	—	526.00
	योग—	21547.00	2900.00	18647.00

उपरोक्तानुसार विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों के बिलों से बिलम्ब शुल्क की कम कटौती कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 लेखा परीक्षा में विधायक निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड रामनगर में चित वार धौसा ब्राह्मण बस्ती तक सड़क मरम्मत/लेपन कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्नकमियाँ पायी गयी।

- (1) पत्रावली में अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
- (2) प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं०-3583/एम०टी०/60/2007 दिनांक 13-06-2007 के प्रस्तर 5 में वर्णित प्रीमिक्स का पेंटिंग के कार्य हेतु निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण मार्गों पर यदि वियरिंग को हेतु पी०सी० का प्रावधान किया जाता है तो पी० सी० एम० जी० एस० वाई० में अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टापकोट करके पी०सी० व सील कोट कराया जायेगा। परन्तु उक्त कार्य के प्राक्कलन में डब्लू बी०एम० के उपर प्राइम को टकर के उसके उपर टैक को डालकर प्रीमिक्स का पेंटिंग एवं सील कोट का कार्य कराये जाने का प्रावधान शामिल था। जबकि उक्त वर्णित लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार टैक्कोट का कार्य अनुमन्यन ही था। उक्त कार्य पर 959.26 वर्ग मी० टैक्कोट का 13.30 प्रति वर्ग मी० की दरसे 12492.00 का अतिरिक्त भुगतान प्राक्कलन में सम्मिलित कर टैक्कोट पर व्यय रु० 12492.00 खारिज कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या सम्बंधित अभियन्ता एवं लेखाकार राधेरमणयादव व उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 अध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ स्कार्पियों गाड़ी सं० यू०पी० 62 ए०एफ०1555 वर्ष 2020-21 के माह अप्रैल 2020 में लागवुक एवं वाहन पत्रावली के अनुसार वाहन 11 दिन चली है। परन्तु जिला पंचायत द्वारा 24 दिनों का भुगतान रु० 24000.00 दर 1000.00 / दिवस से वाहन मालिक को भुगतान किया गया है। इस प्रकार 11 दिनों का वाहन किराया दर 1000.00 से कुल 11000.00 भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रु० 13000.00 अधिक भुगतान किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या सम्बंधित पटल लिपिक एवं लेखाकार श्री राधेरमण यादव उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-37)

प्रस्तर-11 13वाँ वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में ग्राम हरिहरपुर में बी०एस०पी० इण्टर कालेज सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य पर रु० 527000.00 व्यय किया गया है। जबकि यह योजना विगत वर्षों पूर्व ही समाप्त हो गयी है। जिसके लिए प्रति वर्ष खा परीक्षा प्रतिवेदन में इस धनराशि की वापसी हेतु आपत्ति की जा रही है। जब यह योजना समाप्त हो गयी है तो इस मद की धनराशि से व्यय किया जाना अनियमित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी कार्य योजना से ही उक्त कार्य कराया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में इससे सम्बंधित कोई फाइल प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि कार्य योजना तत्समय की कितनी धनराशि की तथा किस कार्य हेतु थी पुष्टि नहीं हो सकी इस अनियमित व्यय के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग मद में प्रारंभिक अवशेष रु० 827322133.00 रहा। वर्ष रु० 210421041.00 अनुदान एवं रु० 105630723.00 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष में व्यय हेतु कुल रु० 1143373895.00 का धन उपलब्ध रहा। जिसमें से वर्ष दौरान मात्र रु० 418220535.00 ही व्यय हुआ है। शेष धनराशि रु० 725153360.00 में अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक अनुदान एवं ब्याज सहित कुल रु० 190891385.00 प्राप्त हुआ। यदि इस धनराशि को उक्त अवशेष में घटा दिया जाय तो 6 माह से अधिक अप्रयुक्त धन रु० 534261975.00 का उपभोग विकास कार्यों में नहीं किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रु० 534261975.00 का कार्य योजना ही नहीं बनाया गया है। कार्य योजना नहीं

बनाया जाना जिला पंचायत प्रशासन की लापरवाही का धोतक है। उपभोग न होने से विकास कार्य बाधित रहा। जिससे आम जनता को विकास का लाभ नहीं पहुँच पाया। उपभोग न होने के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीजगप्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 15वाँ वित्त टाइड मद में प्रा० अवशेष शून्य एवं वर्ष में ₹0 187605651.00 उपलब्ध होने के बावजूद भी उक्त धनराशि का उपभोग विकास कार्यों में नहीं हुआ है। इसी प्रकार 15वाँ वित्त अनटाइड मद में प्रारंभिक अवशेष शून्य एवं वर्ष में रुपये 187388078.00 उपलब्ध होने के बावजूद भी सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग विकास कार्यों में नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि हेतु कार्य योजना ही नहीं बनाया गया है। जिसके कारण व्यय हेतु धन अवशेष रह गया है। कार्य योजना न बनाया जाना जिला पंचायत प्रशासन की लापरवाही का धोतक है। ₹0 374993729.00 उपभोग न होने से विकास कार्य बाधित रहा। जिससे आम जनता को विकास का लाभ नहीं पहुँच पाया। उपभोग न होने के लिए अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता अखिलेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी०आर०जी०एफ० मदका प्रा० अवशेष ₹0 35167294.00 था वर्ष में अनुदान से आय शून्य रहा तथा व्याज के रूप में ₹0 1518112.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष में उपभोग हेतु ₹0 36685406.00 उपलब्ध होने के बावजूद एस०एम०एस० चार्ज के रूप में ₹0 53.10 का ही उपभोग हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि हेतु कार्य योजना ही नहीं बनायी गयी है। जिसके कारण व्यय हेतु धनराशि अवशेष रह गया। कार्य योजना न बनाया जाना जिला पंचायत प्रशासन की लापरवाही का धोतक है। उपभोग न होने से विकास कार्य बाधित रहा। जिससे आम जनता को विकास का लाभ नहीं मिल पाया। उपभोग न होने के लिए अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता अखिलेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायत सशक्तिकरण मद का प्रारंभिक अवशेष ₹0 72.43 लाख था तथा वर्ष में व्याज के रूप में ₹0 7.3 लाख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ₹0 79.77 लाख उपलब्ध होने के बाद भी उक्तधन का उपभोगन ही हुआ और न ही सम्बंधित विभाग को वापस ही किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण योजना हेतु कार्य योजना ही नहीं बनाया गया है। जिसके कारण धनराशि अवशेष रह गया है। कार्य योजना न बनाया जाना जिला पंचायत प्रशासन की लापरवाही का धोतक है। उपभोग न होने के लिए अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता अखिलेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 अधोमानक निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि ₹0 3229520.00 प्रमुख अभियन्ता लोकनिर्माण विभाग के परिपत्र संख्या- 4619 /एम०टी० /सामान्यवर्ग/160 एम०टी० /2012-13 दिनांक 28-06-2012 के अनुसार आई०आर०सी०सी०पी०- 62-2004 की विशिष्टियों का प्रयोग करते हुए सबबेस में डब्लू बी०एम० / जी०एस० बी० की न्यूनतम मोटाई 7.5 सेंमी० कम्पेक्ट डालकर उसके उपर 125 माईक्रोन की प्लास्टिक शीट डालकर उसके उपर 15 सेंमी० मोटाई का एम०-30 ग्रेड पी०सी०सी० ज्वाइन्ट स्लैब डालकर सी०सी०रोड का निर्माण किया जाना था। जिला पंचायत जौनपुर की लेखा परीक्षा में प्राप्त पत्रावली के अनुसार वर्ष 2020-21 में सी०सी० रोड से सम्बंधित निर्माण कार्यों पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की गयी थी।

क्र०सं०	निर्माण का नाम	स्वीकृत धन	व्यय धनराशि
1	डोभी- ग्राम बरहपुर बहदी मार्ग से राजेन्द्र सिंह के फार्म हाउस से होते हुए हरिजन बस्ती तक सी०सी० कार्य।	18.80 लाख	1677760.00
2	सिकरारा- ग्राम अली शाहपुर सम्पर्क मार्ग से करबला तक	15.55 लाख	1551760.00

सी0सी0 कार्य।		
योग—	—	3229520.00

उक्त विवरण के अनुसार इकाई द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण पर धनराशि 3229520.00 व्यय किय गया था।

- (1) आगणन गठन के पूर्व सी0बी0आर0 का मूल्यांकन एवं यातायात की गणना नहीं की गयी थी। उक्त के आधार पर ही क्रस्टडिजाइन का प्रावधान किया जाना था।
- (2) इकाई द्वारा 10 सेंमी0 का सबबेस में डब्लू बी0एम0 /जी0एस0बी0 डालकर 10 सेंमी का ज्वाईंट डाले जाने का त्रुटि पूर्ण प्राक्कलन तैयार करके उसके अनुरूप सी0सी0 रोड का निर्माण किया गया था।
- (3) सम्बंधित निर्माण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं की गयी थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा सी0सी0 रोड का अधोमानक निर्माण कार्य कराकर धनराशि 3229520.00 का अनियमित भुगतान किया गया। जिसके लिए उत्तरदायी अवर अभियन्ता,अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद - भदोही

मण्डल-विन्ध्याचल

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ

प्रस्तर-01

-जिला पंचायत के डी0सी0 रजिस्टर(कर निर्धारण सूची एवं कार्यवाही रजिस्टर) की जाँच में पाया गया कि संस्था पर सम्पत्ति एवं विभव कर (सी.पी.टैक्स), का बकाया विकास खण्डवार निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	डी.सी. रजिस्टर के अनुसार दर्शित अवधि	सन्दर्भित वर्ष की मांग	पिछला बकाया	योग	वसूली	अन्तिम बाकया
1	भदोही	01.04.2020	1972000	9005703	10977703	1562160	9415543
2	डीघ	से	738360	2124787	2863147	393640	2469507
3	औराई	31.03.2021	1284420	9530459	10814879	936400	9878479
4	अभोली	तक	387010	2415380	2402390	263990	2138400
5	सुरियावां		626630	2659965	3286595	587910	2698685
6	ज्ञानपुर		अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
योग			5008420	25336294	30344714	3744100	26600614

इस प्रकार 31.03.2020 को पांच विकास खण्डों का वसूली हेतु अन्तिम बकाया रु 26600614.00 रहा। जिसमें से विकास खण्ड ज्ञानपुर का सम्पत्ति एवं विभवकर से सम्बन्धित डी0सी0 रजिस्टर(कर निर्धारण सूची एवं कार्यवाही रजिस्टर) वर्ष 2017-18 तक का लेखा तैयार किया गया है। विकास खण्ड ज्ञानपुर में सम्पत्ति एवं विभवकर लेखा तैयार करने की जिम्मेदारी श्री राजन वरिष्ठ लिपिक द्वारा किया जाता है परन्तु लेखा तैयार न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। जिसके कारण विकास खण्ड ज्ञानपुर में 31.03.2021 को वसूली हेतु अन्तिम बकाया के सन्दर्भ में सूचना अप्राप्त रही। इस प्रकार वसूली की शिथिलता एवं विकास खण्ड ज्ञानपुर के डी.सी. रजिस्टर पूर्ण न करने के कारण संस्था की बड़ी धनराशि अशोध्य प्रतीत होती है। इस प्रकार उक्त अनियमितता करके संस्था की आर्थिक क्षति के लिए निम्न अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार रहे।

1. श्री सुभाष चन्द्र भारतीया, अपर मुख्य अधिकारी
2. श्री रमेश कुमार यादव, राजस्व निरीक्षक

3. श्री रमेश चन्द्र रावत, राजस्व निरीक्षक
4. श्री बृज कुमार, सहायक राजस्व निरीक्षक
5. श्री राजनाथ यादव, सहायक राजस्व निरीक्षक
6. श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक
7. श्री राजन, वरिष्ठ लिपिक (विकास खण्ड ज्ञानपुर)

(साधारण आपति सं०- 07)

प्रस्तर-02

-जिला पंचायत भदोही के विकास खण्ड- अभोली के राईस मिल,आटा चक्की, स्पेलर, हालर, लाईसेंस , चिमनी भट्ठा एवं जनरल दुकान, कारपेट, बुनाई केन्द्र , पेट्रोल पम्प व अन्य लाईसेन्स न वसूल कर रु. 22950.00 की संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः लाईसेन्स धारक से अद्यावधि अर्थदण्ड सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नलिखित है :--

क्र. सं.	नाम व पता	लाईसेंस प्रकार	धनराशि
1	नील कमल टेलर्स प्रो. श्री अब्दुल समीर पुत्र श्री नूरमुहम्मद , दुर्गागंज	सिलाई मशीन	100
2	श्री दीपक हलवाई पुत्रश्री रामचन्दर हलवाई , दुर्गागंज	मिठाई	200
3	श्री अशोक कुमार हलवाई पुत्रश्री रामचन्दर हलवाई , दुर्गागंज	इलेक्ट्रानिक	200
4	इरफान साड.ी सेन्टर प्रो. श्री कमालू बाबू पुत्र श्री अकबर अली, दुर्गागंज	कपड़ाछोटी दुकान	250
5	श्री हरिश्चन्द्र मौर्य पुत्र स्व. मातादीन मौर्य , दुर्गागंज	गल्ला , परचून	300
6	श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री वंश राज सिंह , मसुधी , दुर्गागंज	इलेक्ट्रानिक	200
7	श्री कमल नारायण सिंह पुत्र श्री बब्बन सिंह , शेरपुर , दुर्गागंज	गल्ला , परचून , जनरल स्टोर्स	500
8	श्री शोभनाथ बिन्द पुत्र श्री राजाराम बिन्द , दुर्गागंज	गल्ला , परचून	300
9	मौर्या साईकिल स्टोर प्रो. श्री जीलाजीत मौर्य पुत्र श्री राम मूर्ति मौर्य , दुर्गागंज	साईकिल स्टोर	300
10	शंकर मेडिकल स्टोर प्रा.े श्री शिवकुमार जायसवाल पुत्र श्री रमाशंकर जायसवाल , दुर्गागंज	मेडिकल स्टोर	300
11	अनिल स्वीट हाउस प्रो. श्री संजय कुमार पुत्र श्री राम दुलार बिन्द , दुर्गागंज	मिठाई , नमकीन	300
12	श्याधर एण्ड ब्रदर्स प्रो. श्री कृष्ण बहादुर यादव पुत्र श्री महानन्द यादव , दुर्गागंज	बालू , सीमेन्ट पटिया	500
13	मौर्या बिल्डिंग मैटेरियल प्रो. श्री बनवारी मौर्या	बालू , सीमेन्ट	500

	पुत्र श्री रामानन्द मौर्या , मसूधी, दुर्गागंज		
14	एस. बिल्डिंग मैटेरियल प्रो. शिवलाल यादव पुत्र श्री गजराज यादव , बसवापुर	बालू , सीमेन्ट	500
15	श्री इन्द्रजीत यादव पुत्र श्री रामजीत यादव , बसवापुर	गल्ला , परचून	300
16	मौर्या खाद एवं बीज भण्डार प्रो. श्री हरिशंकर मौर्यपुत्र श्री श्रीनेत मौर्य , बसवापुर	खाद -बीज	200
17	श्री शिवशंकर सेठ पुत्र श्री दशरथ सेठ , बसवापुर	आभूषण	500
18	श्री ब्रज लाल मौर्य पुत्र श्री कालिका प्रसाद मौर्य , बसवापुर	मेडिकल स्टोर	300
19	एस.के. बिल्डिंग एण्ड स्टील वर्क्स प्रो श्री सुलेख विश्वकर्मा पुत्र श्री बसन्तलाल विश्वकर्मा , बसवापुर	वैल्डिंग मशीन	200
20	श्री गोविन्द प्रसाद सेठ पुत्र श्री सालिक राम सेठ , बसवापुर	आभूषण	500
21	श्री राहुल गुप्ता व सोनू गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता , बसवापुर	साईकिल मरम्मत	100
22	भैरव मेडिकल स्टोर प्रो. श्री भैरवनन्द यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव , बसवापुर	मेडिकल छोटी	300
23	श्री संजय कुमार मोदनवाल पुत्र श्री राजाराम मोदनवाल , अभोली	मिठाई	200
24	शिवा गारमेंट्स प्रो. श्यामबहादुर बिन्द पुत्र अमरनाथ बिन्द , अभोली	कपड़ाछोटी दुकान	250
25	विजय शंकर यादव पुत्र श्री रामवली यादव , अभोली	परचून	200
26	श्री रामदास व रमाशंकर पुत्र श्री भोलानाथ बनवासी , अभोली	लोहा छोटी	200
27	श्री जलील श्री निजामुद्दीन , अभोली	जूता की दूकान	250
28	ओम् आटो पार्ट्स प्रो. श्री मिथिलेश कुमार पुत्र श्री देवमणि ,अभोली	आटो पार्ट्स	250
29	अलीना शू हाउस प्रो. श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री सहवान अली , अभोली	जूता की छोटी दूकान	200
30	श्री मुहम्मद मुस्लिम पुत्र श्री बफाती लाल , दानूपुर	जूता की छोटी दूकान	200
31	विन्ध्यवासनी फर्नीचर वर्क्स श्री विजयशंकर शुक्ला पुत्र श्री बद्रीनाराण शुक्ला दानूपुर	फर्नीचर	300
32	श्री फूलचन्द्र बिन्द पुत्र श्री रामलखन बिन्द	गल्ल परचून	200

	बिन्द नगर बबई		
33	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र विजयकुमार बिन्द नगर बबई	मिठाई	200
34	श्री गुलचार बिन्द पुत्र श्री रामलखन बिन्द नगर बबई	मिठाई चाय पान सम्मिलित	300
35	श्री अवधेश कुमार गुप्ता पुत्र रमाशंकर गुप्त बिन्दनगर बबई	बर्तन	300
36	आरिफ मेडिकल स्टोर प्रो० श्री आरिफ पुत्र श्री ललालुद्दीनसि० आनन्दडीह	मेडिकल स्टोर	300
37	समीन ट्रेडर्स प्रो० श्री शमीम पुत्र श्री मोहम्मद अली अहमद आनन्दडीह	बर्तन	300
38	लालजी गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार गुप्ता आनन्दडीह	गल्ला परचून	300
39	श्याम मेडिकल स्टोर प्रो० श्री प्रदीप कुमार बिन्द पुत्र श्री भगेलूबिन्द आनन्दडीह	मेडिकल स्टोर	300
	--- अवशेष बाजार -----		
40	आदित्य ज्वेलर्स प्रो० अरविन्द कुमार पुत्र स्व० धनीराम मिश्राइनपुर अभोली	आभूषण	500
41	श्रीमती सुशील देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र विन्द सदलूवीर अभोली	परचून	200
42	सुरेश चन्द्र मौर्य पुत्र राज पति मौर्य प्रयागपुर अभोली	मिठाई नमकीन	300
43	श्री पप्पू जायसवाल पुत्र बद्री प्रसाद जायसवाल कुढ़वा अभोली	गल्ला परचून	300
44	श्रीबम्बा देवी बिल्डिंग मैटेरियल प्रो० श्री नन्हे यादव पुत्र श्री आशा राम यादव नि०- सराय टोला अभोली	बाल सीमेन्ट	500
45	श्री शीतला प्रसाद पुत्र श्री राम फकीर निवासी कान्तीरापुर अभोली	लकड़ी दुकान	300
46	धनश्याम ट्रेडर्स प्रो. श्री तुषारकांत तिरी पुत्र श्री धनश्याम तिवारी नि० मसुधी	लोहा बालू	500
47	श्री राम चन्दर गुप्ता पुत्र भोलानाथ गुप्ता नि० पाली	सीमेन्ट छोटी	300
48	श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री परषोत्तम नि० गौरा अभोली	कपड़ा	250
49	श्री सुभाष चन्द्र मौर्या पुत्र श्री राजपति मौर्य नि० प्रयागपुर अभोली	गल्ला परचूना जनरल स्टोर	400
50	श्री नीरज शुक्ला पुत्र श्री अमरनाथ नि० सेमरा, गौरा	जनरल स्टोर	200

51	श्री असफाक पुत्र श्री सुबराती नि० शेरपुर अभोली	मोबाइल शाप	300
52	श्री उमाकांत बिन्द पुत्र श्री मिठाई लाल बिन्द तुलापुर अभोली	गल्ला परचून	300
53	श्री मिश्री लाल पुत्र खदरेन निव- खयोखर , अभोली	परचून	200
54	श्री विनोद कुमार पुत्र सेवालाल वर्मा बच्छपट्टी , अभोली	गल्ला परचून	300
55	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र सेवालाल जायसवाल बच्छपट्टी , अभोली	आटा चक्की	300
56	श्री धर्मराज बिन्द पुत्र श्री रामसेवक बिन्द नि०- तुलापुर अभोली	किराना गल्ला	300
57	चन्दन जनरल स्टोर प्रो० चन्दन मौर्य पुत्र श्री त्रिभुवन नाथ मौर्य नि०-खयोखर, अभोली	जनरल स्टोर	200
58	भैरवदास पुत्र श्री झुनकू नि० खयोखर अभोली	परचून	200
59	महाशक्ति ईट उद्योग कनकपुर मतेथु प्रो० की राधेश्याम सिंह सदौपुर	चिमनी भट्टा	6000
		योग	22950

(साधारण आपति सं०- 26)

प्रस्तर-03

जिला पंचायत -भदोही , के विकास खण्ड- डीघ के राईस मिल,आटा चक्की, स्पेलर, हालर, लाईसेंस , चिमनी भट्ठा एवं जनरल दुकान, कारपेट, बुनाई केन्द्र , पेट्रोल पम्प व अन्य लाईसेन्स न वसूल कर रु. 49135.00 की संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः लाईसेन्स धारक से अद्यावधि अर्थदण्ड सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नलिखित है :--

क्र. सं.	नाम व पता	लाईसेंस प्रकार	धनराशि
	ईट उद्योग / चिमनी भट्ठा		
1	वी. आर. वाई. ईट उद्योग , तुलसीपुर , तिलंगा प्रो. श्री राकेश कुमार सिंह पुत्र स्व० तेजबहादुर सिंह , घाटमपुर , डीघ	चिमनी भट्ठा	6000
2	यादव ईट उद्योग , वारीपुर प्रो. श्री रविशंकर यादव पुत्र श्री रामशिरोमणि यादव , वारीपुर , डीघ	चिमनी भट्ठा	6000
3	देवेन्द्र ईट उद्योग , गोपालपुर प्रो. श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री जयप्रकाश पाण्डेय , वेरवाँ पहाड.पुर , डीघ	चिमनी भट्ठा	6000
	--- आटा चक्की , स्पेलर , राईस मिल आदि----		
4	श्री मानिक चन्द गुप्ता पुत्र श्री नरगू गुप्ता , वलीपुर	राईस मिल	1000
5	श्री विवेक कुमार केशरवानी पुत्र श्री राम बाबू केशरवानी , कटरा , डीघ	मिनी राईस मिल	1000
6	श्री राम बाबू केशरवानी पुत्र श्री काशीनाथ केशरवानी, कटरा , डीघ	आटा चक्की	300
7	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री शिवबहादुर सिंह , कटरा , डीघ	आटा चक्की	300

8	श्री राकेश कुमार वाजपेयी पुत्र श्री राम शिरोमणि वाजपेयी , छतमी , जी.टी. रोड गोपीगंज	आटा चक्की , स्पेलर	600
9	श्री यासीन अली पुत्र श्री मुहम्मद अली , कलापुर , बिछिया	आटा चक्की , स्पेलर	600
	जनरल दुकान , जंगीगंज बाजार		
10	श्री मनोज कुमार अग्रहरी पुत्र श्री नागर मल्ल अग्रहरी , अग्रहरी	बर्तन	180
11	प्रकाश मेडिकल स्टोर प्रो श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला पुत्र श्री लाल मणि शुक्ला	मेडिकल स्टोर्स	150
12	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री नन्दू प्रसाद	मिठाई नमकीन	300
13	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री नन्दू प्रसाद	जनरल स्टोर विसातवाना	400
14	आशादीप लेडिज कार्नर एण्ड शिवम् कार्नर प्रो. प्रदीप कुमार पुत्र श्री नन्दू प्रसाद	जनरल स्टोर विसातवाना	400
15	श्री मनीष कुमार जायसवाल पुत्र श्री आनन्द कुमार जायसवाल	लोहा	200
16	स्वामी क्षीरसागर , प्रो. श्री रमाशंकर उपाध्याय पुत्र स्व० शीतला प्रसाद उपाध्याय	कपड.ा	250
17	राजश्री इण्टरप्राइजेज प्रो. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री लालचन्द	जनरल स्टोर	200
18	श्री महेन्द्र कुमार व रामशिरोमणि मौर्य पुत्र श्री रामलाल मौर्य	केराना जनरल खाद बीज	600
19	श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व० श्री कुबेर	केराना जनरल	400
20	श्री अशोक कुमार मौर्य पुत्र श्री रामराज मौर्य	जनरल स्टोर विसातवाना	400
21	श्याम ट्रेडर्स प्रो. श्री अजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री श्यामशंकर पाण्डेय	बर्तन की दुकान	200
22	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री शिवशंकर	जनरल स्टोर पान	300
23	श्री शितला प्रसाद जायसवाल पुत्र श्री सीताराम जायसवाल	मशीनरी स्टोर	200
24	श्री रमेश कुमार मौर्य पुत्र श्री बसन्तलाल मौर्य	जनरल स्टोर इलेक्ट्रिक	400
25	श्री अजय कुमार मौर्य पुत्र श्री जयनाथ मौर्य	चाय पान	200
26	श्री आशीष कुमार पुत्र श्री बिन्दू प्रसाद	मिठाई नमकीन	300
27	आदर्श विल्डिंग मैटेरियल प्रो. श्री रविशंकर शुक्ला पुत्र श्री श्रीकांत शुक्ला	सिमेंट पाइप ,पेन्ट व अन्य व्यवसाय	500
28	मालती लेडिज कार्नर प्रो. श्री विजय कुमार मौर्य पुत्र श्री सुनीत मौर्य	जनरल स्टोर विसातवाना	400
29	श्री हजरत अली पुत्र श्री सफी मुहम्मद	लोहा सामान	500
30	श्री शनि मोदनवाल पुत्र श्री तकदीर मोदनवाल	मिठाई नमकीन	300
31	श्री माता प्रसाद पुत्र श्री देवी प्रसाद	आलमारी बक्सा	500
32	श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण दयाल	जनरल स्टोर विसातवाना	400

33	शिव मेडिकल स्टोर प्रो. श्री शिवनारायण दूबे पुत्र श्री रामअछैवर दूबे	मेडिकल स्टोर	150
34	इलाहाबादी टेलर्स प्रो. श्री बच्चे पुत्र श्री हबीब	टेलरिंग हाउस	200
35	श्री देवराज मौर्य पुत्र श्री सुखीराम मौर्य	केराना जनरल	400
36	विशाल स्पोर्ट्स एण्ड फैशन शू हाउस प्रो. श्री प्रेमचन्द जायसवाल पुत्र श्री बुद्धिराम जायसवाल	रेडिमेड कपड.ा	250
37	जायसवाल प्राविजनल स्टोर प्रो. श्री अमित कुमार जायसवाल पुत्र श्री अशोक कुमार जायसवाल	परचून गल्ला	400
38	श्री अनिल कुमार शुक्ला पुत्र श्री त्रिवेणी शंकर शुक्ला	बैग अटैची जनरल स्टोर	400
39	श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री बेचनराम यादव	केराना जनरल स्टोर	400
40	विजय आटोमोबाइल्स प्रो. श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुभाष अग्रहरी	आटो पार्ट्स	200
41	गुड्डु इलाहाबादी टेलर्स प्रो. श्री गुड्डु पुत्र श्री इजुल रऊफ	सिलाई मशीन	200
42	शुभम् इलेक्ट्रिक वर्क्स प्रो. श्री गोपीनाथ अग्रहरी पुत्र श्री दीपचन्द अग्रहरी	इलेक्ट्रिक	200
43	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हृदयनारायण त्रिपाठी	मोबाइल की दुकान	200
44	कीर्ती जनरल स्टोर एण्ड लेडिज कार्नर प्रो. श्री शिवम् तिवारी पुत्र श्री सतीशंकर तिवारी	जनरल स्टोर विसातवाना	400
45	राज इलेक्ट्रिक प्रो. श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मकोई लाल गुप्ता	इलेक्ट्रिक	200
46	श्री रामानन्द मौर्य पुत्र श्री लक्ष्मण मौर्य	मिठाई नमकीन	300
47	चौदसी दवाखाना , संजीवनी सेवा सदन , प्रो. श्री आर.सी.राय बंगाली पुत्र स्व० वैजनाथ बंगाली	दवाखाना	150
48	श्री शंकरलाल पुत्र श्री जगनारायण	इलेक्ट्रिक	200
49	श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द	बर्तन फर्नीचर आलमारी बक्सा	680
50	श्री रामकरन विश्वकर्मा पुत्र श्री जगदेव विश्वकर्मा	लोहा	200
51	ओम मिश्र बुक डिपो एण्ड जनरल स्टोर प्रो. श्री दुर्गेश्वरी प्रसाद मिश्र पुत्र श्री माता शंकर मिश्र	पुस्तक	200
52	श्री रमाकांत बिन्द पुत्र स्व० नान्हू बिन्द	जूता चप्पल	250
53	गोपाल एजेन्सी प्रो. श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री गोपालदास	केराना	200
54	श्री राजेश कुमार अग्रहरी पुत्र श्री शिवलाल अग्रहरी	केराना	200
55	पवन ट्रेडिंग कंपनी प्रो. श्री विद्यासागर जायसवाल पुत्र श्री रामचरन जायसवाल	गल्ला परचून	300
	--- कोइरौना बाजार-----		
56	श्री खुशियाल चन्द पुत्र श्री बनारसी लाल	हार्डवेयर	200
57	श्री गिरीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री नन्दलाल गुप्ता	कबाड. जनरल स्टोर	400
58	श्री दीपक कुमार अग्रहरी पुत्र श्री रामकृपाल अग्रहरी	केराना	200
59	रमेश केराना स्टोर प्रो. श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र स्व० हीरालाल	गल्ला केराना	300

	गुसा		
60	श्री श्रीराम हलवाई पुत्र श्री कालिका प्रसाद हलवाई	मिठाई हार्डवेयर	400
61	बंगाली स्वीट हाउस प्रो. श्री अमरेन्द्र विश्वास	मिठाई	200
62	श्री दिनेश कुमार केशरवानी पुत्र श्री पन्नालाल केशरवानी	कपड़ाछोटी	250
63	श्री सोनू अग्रहरी पुत्र श्री बनारसी अग्रहरी	जनरल स्टोर	200
64	श्री प्रमोद कुमार मोदनवाल पुत्र श्री गुलाबचन्द मोदनवाल	मिठाई नमकीन	300
65	श्री गणेश अग्रहरी पुत्र श्री अमृतलाल अग्रहरी	कपड.ा	250
66	श्री शम्भूनाथ स्वर्णकार पुत्र श्री राधेश्याम स्वर्णकार	आभूषण	500
67	श्री संजय स्वर्णकार पुत्र श्री शम्भूनाथ स्वर्णकार	आभूषण	500
	--- कटरा बाजार---		
68	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामलाल	केराना जनरल स्टोर	400
69	श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री नेम्बूलाल यादव	रेडिमेड कपड.ा	250
70	श्री चन्दन मोदनवाल पुत्र श्री छेदीलाल मोदनवाल	जनरल स्टोर विसातवाना	400
71	श्री कमलेश कांत मौर्य पुत्र श्री शोभनाथ मौर्य , सुभाषनगर	केराना	200
72	श्री रामराज मौर्य पुत्र श्री अमरनाथ मौर्य , नवधन	जनरल स्टोर	200
73	श्री श्रीनाथ एच.पी. गैस ग्राम वितरक प्रो. श्री श्रीनाथ यादव पुत्र श्री रामकरन यादव , नवधन	गैस एजेन्सी	2000
	-----सूफीनगर बाजार-----		
74	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राजाराम	मिठाई नमकीन	300
75	श्री श्रीप्रकाश चन्द्र मौर्य पुत्र श्री रामदास मौर्य	जनरल स्टोर	200
76	श्री सुदामा गुप्ता पुत्र श्री रामनारायण गुप्ता	आटो पार्ट्स	200
77	आकाश वस्त्रालय प्रो. श्री प्रेमशंकर मौर्य पुत्र श्री रामसुचित मौर्य , विट्ठलपुर	कपड इलेक्ट्रिक जनरल स्टोर घड.ी	375
78	श्री रामउजागीर पुत्र श्री भुंवर , बनिया क तारा , सीतामढ.ी	हार्डवेयर	200
79	बहुरानी सुहाग चूड.ी सेन्टर प्रो. श्री अलीमुद्दीन , वहीदानगर	जनरल स्टोर	200
80	आर्या ट्रेड इंडिया प्रो. श्री आशीष कुमार मिश्र पुत्र श्री कड.ेदीन मिश्र , धनापुर	मेडिकल स्टोर	200
81	श्री गेनाप्रसाद शुक्ला पुत्र श्री छविनाथ शुक्ला सीधापुर सामारायपुर	पशुआहार	200
82	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री धनश्याम , इटहरा	केराना जनरल स्टोर	400
83	श्री अजय कुमार केशरवानी पुत्र श्री मोहनलाल केशरवानी , इटहरा	केराना जनरल स्टोर	400
84	श्री गुलाबचन्द मोदनवाल पुत्र श्री जोखनराम मोदनवाल , गोधना	जनरल स्टोर	200
85	श्री अरूण कुमार सेठ पुत्र श्री जटाशंकर सेठ , सेमराध	आभूषण मरम्मत	250
86	श्री रमेश कुमार केशरवानी पुत्र श्री बन्धूलाल केशरवानी , सीतामढ.ी	जनरल स्टोर	200
87	श्री हरिश्चन्द्र केशरवानी पुत्र श्री बबलू केशरवानी , भभौरी , धनतुलसी	केराना	200
88	खुशी इण्डेन ग्रामीण वितरक प्रो. श्री सुजीत कुमार पुत्र श्री	गैस एजेन्सी	2000

	मेवालाल , धनश्यामपुर		
89	श्री विरेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र श्री अमृतलाल जायसवाल , इटहरा	कपड़ाकेराना जूता चप्पल	700
		योग	49135

(साधारण आपति सं0- 27)

प्रस्तर-04 जिला पंचायत भदोही के विकास खण्ड- औराई के राईस मिल,आटा चक्की, स्पेलर, हालर, लाईसेंस , चिमनी भट्ठा एवं जनरल दुकान, कारपेट, बुनाई केन्द्र , पेट्रोल पम्प व अन्य लाईसेन्स न वसूल कर रु. 36000.00 की संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः लाईसेन्स धारक से अद्यावधि अर्थदण्ड सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नलिखित है :--

क्र. सं.	नाम व पता	लाईसेंस प्रकार	धनराशि
1	श्री राजकुमार पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद , बाबू सराय ,	इलेक्ट्रानिक	200
2	श्री रविशंकर मौर्य पुत्र श्री सुखराज मौर्य , बाबूसराय	सीमेन्ट , खाद-बीज	200
3	श्री सदुरू केराना स्टोर प्रा.े श्री बसन्तलाल पुत्र श्री राधेश्याम , बाबूसराय	केराना	200
4	शिवसाई अलंकार मंदिर प्रो. श्री आशीष कुमार पुत्र श्री रामजीत , बाबूसराय	आभूषण	500
5	निर्मल हार्डवेयर प्रो. श्री प्रेम कुमार मौर्य पुत्र बद्रीनाथ मौर्य , बाबूसराय	हार्डवेयर	200
6	श्री सुरजू प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री सोनालू गुप्ता , बाबूसराय	परचून गल्ला	300
7	एस.इण्टरप्राइजेज प्रो. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री अविनाश चन्द गुप्ता , उपरौठ	कुड.ा द्वारा रंगाई	1500
8	श्री फूलचन्द यादव पुत्र श्री नन्हकू यादव , बाबूसराय	आभूषण मरम्मत	200
9	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद , बाबूसराय	केराना	200
10	श्री राज कुमार गुप्ता पुत्र श्री कंचन गुप्ता , बाबूसराय	केराना गल्ला	300
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री सोनू गुप्ता , बाबूसराय	कबाड.	200
12	आजम कारपेट इंडस्ट्रीज प्रो. श्रीमती किस्मत जहाँ पत्नी श्री आजम माधोसिंह	कारपेट	1500
13	विन्ध्य कारपेट डायरेक्टर श्री आदित्य सराफ पुत्र श्री विनोद कुमार सराफ , जी.टी. रोड , औराई	कारपेट	1500
14	शनि कारपेट प्रा. लि. अहिमनपुर , खमहरिया डायरेक्टर- श्री सुरेन्द्र नाथ बरनवाल पुत्र स्व. दामादर बरनवाल	कारपेट	1500
15	आशुतोष यार्न डायर्स प्रो. श्रीमती संगीता गुप्ता पत्नी श्री शिवकुमार गुप्ता , माधोसिंह	ड्राइंग हाउस	1500
16	नेशनल आयर ट्रेडर्स प्रो. श्री अब्दुल याकूब खॉं , जी.टी. रोड , औराई	पेट्रोल पम्प	2000
17	इंडियन एक्सपोर्ट हाउस प्रो. श्री मुस्ताक अहमद महथुआ	कारपेट	1500
18	होम फ्लोरिंग एण्ड रिमोट प्रा. लि. कारपेट एण्ड ड्राइंग एवं	ड्राइंग एवं स्पीनिंग	1500

	स्पाइनिंग , पूरेगुलाब , गोपीगंज डायरेक्टर -श्री सरोज अहमद		
19	सितारा गैस एजेन्सी गिर्दबड.गाँव प्रो. श्री विजय कुमार पुत्र श्री परदेशी राम , गिर्दबड.गाँव , औराई	गैस एजेन्सी	2000
20	दशवन्ती फिलिंग स्टेशन देवकली प्रो श्री प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री रमेश कुमार तिवारी , तुलापुर , जगरनाथपुर	पेट्रोल पम्प	2000
21	रचिन एक्सपोर्ट प्रो श्री रचिन कोठारी पुत्र अनुराग कोठारी , माधोसिंह , औराई	कारपेट	1500
22	सूर्या कारपेट प्रा. लि. डायरेक्टर श्री सूर्यमणि तिवारी पुत्र श्री बेचन तिवारी उगापुर	कारपेट	1500
23	चन्द्रा उलेन प्रा. लि. डायरेक्टर श्री कैलाशनाथ तिवारी पुत्र श्री बेचन तिवारी उगापुर	ड्राइंग हाउस	1500
	---- औराई , कोठरा -----		
24	विपिन कुमार बरनवाल पुत्र श्री रमाकांत बरनवाल औराई	फ्लोरिको व अन्य व्यवसाय	1500
25	संजय वत्रालय प्रो. श्री उमेश चन्द्र पुत्र श्री अविनाश चन्द्र औराई	कपड.ा	250
26	सुषमा स्टील्स प्रो. श्री गया प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ औराई	हार्डवेयर लोहा	400
27	श्री बाबू लाल पुत्र श्री राम निरंजन , औराई	लोहा कबाड.	400
28	श्री अवध कुमार पुत्र श्री सरजू प्रसाद , औराई	केराना	200
29	श्री रवि शंकर पुत्र श्री संतलाल , जी.टी. रोड , औराई	मिठाई	200
30	श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री संतलाल विश्वकर्मा औराई	जलावनी लकड.ी	100
31	जय भोले आटो सेन्टर प्रो विनोद गिरी पुत्र श्री पंचम गिरी औराई	आटो पाटर्स	200
32	श्री सुरेन्द्र जायसवाल पुत्र श्री प्रमोद चन्द्र जायसवाल , औराई	केराना	200
33	शिवा आटो मोबाईल्स , प्रो. श्री शिवानन्द पुत्र श्री दूधनाथ औराई	आटो पाटर्स	200
34	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री दीनानाथ , त्रिलोकपुर , औराई	मिठाई	200
35	श्री दयानन्द तिवारी पुत्र श्री शीतला प्रसाद तिवारी त्रिलोकपुर , औराई	केराना	200
36	श्री हरeram पुत्र श्री विजय कुमार , त्रिलोकपुर , औराई	केराना	200
37	श्री संतोष कुमार जायसवाल पुत्र श्री श्यामलाल जायसवाल घाटमपुर , माधोसिंह	केराना	200
38	श्री अनिल कुमार जायसवाल पुत्र श्री श्यामलाल जायसवाल घाटमपुर , माधोसिंह	केराना	200
39	श्री राजेन्द्र कुमार बरनवाल पुत्र श्री बैकुण्ठ नाथ बरनवाल माधोसिंह	बिजली मरम्मत	200
40	परवेज एग सेन्टर प्रो. श्री परवेज अख्तर पुत्र श्री मुख्तार अहमद माधोसिंह	अण्डा थोक	200
	----- उगापुर बाजार -----		
41	पंकज बुक डिपो प्रो. श्री पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री अजय कुमार सिंह उगापुर	कापी किताब	200

42	श्री खुशी पाल पुत्र श्री शिवनाथ , उगापुर	केराना	200
43	आयुश बुक डिपो प्रो. श्री सुरेन्द्र कुमार , उगापुर	कापी किताब	200
44	श्री विपत उगापुर	साईकिल मरम्मत	200
45	बालाजी वस्त्रालय , उगापुर प्रो. श्री लालजी पुत्र श्री सीताराम ,	कपड.ा	200
46	श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम उगापुर	केराना	200
47	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामचन्दर जायसवाल , उगापुर	केराना	200
48	श्री उमेश कुमार तिवारी पुत्र श्री फूलचन्द तिवारी समधा रौरी उगापुर	गल्ला केराना	200
	----- महाराजगंज बाजार-----		
49	श्री रमाशंकर पुत्र श्री राम जियावन , महाराजगंज	कपडा	200
50	मर्यादी वस्त्रालय प्रो. श्री प्रमोद कुमार चौबे पुत्र श्री गुरुचरन चौबे , महाराजगंज	कपडा	200
51	श्री राजन पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रहरी , महाराजगंज	कपडा	200
52	श्री गोविन्द जायसवाल पुत्र श्री लालजी जायसवाल , महाराजगंज	सीमेन्ट लोहा	500
53	श्री रामजी पुत्र श्री बट्टी राम , महाराजगंज	आभूषण	500
54	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री उमाशंकर , महाराजगंज	खरी चूनी	200
55	पवन जनरल स्टोर , महाराजगंज	जनरल स्टोर बक्सा	200
56	श्री राम चौरसिया पुत्र श्री केशव प्रसाद चौरसिया , महाराजगंज	इलेक्ट्रानिक	200
57	चौरसिया इलेक्ट्रानिक प्रो. श्री श्रीराम चौरसिया पुत्र श्री केशव प्रसाद चौरसिया , महाराजगंज	इलेक्ट्रानिक	200
58	श्री संतोष कुमार अग्रहरी पुत्र श्री गुलाब चन्द अग्रहरी , महाराजगंज	जनरल स्टोर	200
59	श्री बिन्दू पुत्र श्री राजेश , महाराजगंज	बर्तन	300
60	श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री अमरनाथ , महाराजगंज	केराना	200
61	संदीप इलेक्ट्रानिक प्रो. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री उदित नारायण , महाराजगंज	इलेक्ट्रिक	200
62	विजय जनरल स्टोर प्रो. विजय कुमार अग्रहरी पुत्र श्रीफूलचन्द अग्रहरी , महाराजगंज	जनरल स्टोर	200
63	विजय कुमार पुत्र श्री बसन्त लाल , महाराजगंज	हार्डवेयर लोहा	200
64	पाण्डेय बीज भण्डार प्रो. श्री विजयशंकर पाण्डेय पुत्र स्व0 उमाशंकर पाण्डेय , महाराजगंज	खाद बीज	200
65	श्री ज्वाला प्रसाद पुत्र श्री शिवशंकर , महाराजगंज	आभूषण	500
66	राजेश साड.ी सेन्टर प्रो. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जायसवाल , महाराजगंज	कपडा	200
67	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया पुत्र श्री शिवशंकर चौरसिया , महाराजगंज	केराना	200
68	दिलीप मेडिकल प्रो. श्री दिलीप कुमार चौरसिया पुत्र श्री विश्वम्भर नाथ चौरसिया , महाराजगंज	मेडिकल छोटी	300
69	श्री शहजाद पुत्र श्री शुकुला , महाराजगंज	जूता चप्पल	250

70	श्री बेचनराम पुत्र श्री जरीबन्धन भूज , महाराजगंज	हार्डवेयर	200
71	राज मेडिकल स्टोर प्रो. श्री राजकुमार पुत्र श्री मंशाराम , महाराजगंज	मेडिकल स्टोर	300
72	श्री धनी राम गुप्ता पुत्र श्री मेवालाल गुप्ता , कटका	गल्ला केराना	300
		योग	36000

(साधारण आपति सं०- 28)

प्रस्तर-5 जिला पंचायत- भदोही मेंवि० खण्ड -भदोही में राइसमिल आटा चक्की हालर लाइसेन्स चिनी भट्ठा एवं दुकान कारपेट बुनाई पेन्ट पेट्रोलपम्प व अन्य लाइसेन्स न वसूलकर ए० 139760=00 की संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अतः लाइसेंस धारक से अधावधि सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	नाम व पता	लाइसेंस प्रकार	धनराशि
1	श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामधनी गुप्ता टिकैतपुर बरवाँ	आटा चक्की स्पेलर	600
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे पुत्र श्री अमरनाथ दूबे जमुआ चौरी	आटा चक्की स्पेलर	600
3	श्री सर्वजीत सिंह पुत्र श्री प्रेम बहादुर सिंह महबूबपुर	आटा चक्की स्पेलर	600
4	साई ट्रेडर्स प्रो० श्री मोहन लाल पुत्र श्री विलगू लक्षापुर	आटा चक्की	300
5	श्री पन्ना लाल पाण्डेय पुत्र श्री माता प्रसाद पाण्डेय प्रगासपुर नई बाजार	आटा चक्की	300
6	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हीरा लाल गोहिलांव	स्पेलर	300
7	श्री कृष्ण मोहन पाण्डेय पुत्र श्री दयाशंकर पाण्डेय भगवानपुर कनेड़ी	आटा चक्की	300
8	श्री श्यामजी साव पुत्र श्री शंकर साव वरदहा	आटा चक्की स्पेलर	600
9	रमेश डायर्स प्रो० श्री रमेश यादव पुत्र श्री सरजू प्रसाद रयां	काती रंगाई कुड़ा द्वारा	1500
10	मेसर्स डिवाइन टेपीच प्रो० श्री राजीव जायसवाल पुत्र श्री भागवत जायसावल, प्रजापतिपुर	कारपेट	3000
11	मेसर्स आर्ट रग्स प्रो० श्री अरशद अली अंसारी पुत्र स्व० बदरुद्दीन हरिरामपुर	कारपेट	3000
12	मेसर्स इण्डो अमेरिकन रग्स प्रो० श्री फुर्सत अली पुत्र हबी महाजन दुलमदासपुर	कारपेट	3000
13	मनोज डायर्स प्रो० श्री श्यामधर मिश्रा पुत्र जीतराम मिश्रा जमुनीपुर	कताई रंगाई कुड़ा द्वारा	1500
14	मेसर्स एम० ए० मजीद एण्ड ब्रदर्स सरैया	कारपेट	3000
15	मे० मो० उमर एण्ड संस प्रो० श्री० जाकीर आली अंसारी पुत्र मो० उमर दुलमदासपुर	कारपेट	3000
16	मेसर्स आदिल कारपेट कम्पनी प्रो० श्री रफीक अंसारी पुत्र श्री खलील अहमद जमुनीपुर	कारपेट	3000
17	श्यामा कारपेट इण्डस्ट्रीज प्रो० श्री राजकुमार पुत्र श्री माता प्रसाद चौरी	कारपेट	3000
18	मे० अरीब इण्टर नेशनल महबूबपुर प्रो० इकबाल अहमद पुत्र श्री	कारपेट	3000

	मोहम्मद अली महबूबपुर		
19	ए0 आर0 एस0 ड्राईंग- हिम्मतपुर बकुचिया	ड्राइंट हाउस	3000
20	मे0 जनरल -स्पीनर्स , हरियांव	स्पिनिंग मिल्स	3000
21	मेसर्स धीरज कारपेट महबूबपुर	कारपेटकमीशन	1500
22	मेसर्स अग्नि सरैया (कुशियरा)	कारपेट	3000
23	मेसर्स भदोही रग्ग हाउस फत्तुपुर	कारपेट	3000
24	श्री मुस्ताक पुत्र श्री कमरुद्दीन सरौई	कारपेट कमि0	1500
25	मेसस ताहीर कारपेट प्रो0 की वशीम ताहिर अंसारी पुत्र स्व0 ताहरी अली अभयनपुर	कारपेट	3000
26	श्री मुहम्मद अकबर पुत्र सुगुसदीन महबूबपुर	कारपेट कमिशन	1500
27	मे0 मैट टैक्स प्रो0 श्री रईस अहमद पुत्र श्री हाजी एकबाल अहमद कंसरायपुर , रामरायपुर	कारपेट	3000
27	मे0 पी0के0 बराल प्रो0 की प्रबीर कुमार बराल पुत्र श्री अनिल कुमार बराल , ज्ञानपुर रोड , सरैया	कारपेट	3000
29	मे0 अग्नि प्रो0 श्री मेवा लाल पुत्र श्री विनोद मेवा लाल	कारपेट	3000
30	श्री कमलेश कुमार यादव पुत्र श्री कल्लूराम घसकरो	काती रंगाई कुड़ा द्वारा	1500
31	मेसर्स शालीनी एक्सपोर्ट भिखारीपुर	कारपेट	3000
	-----पेट्रोल पम्प-----		
32	मेसर्स तीर्थराज फ्यूल जक्शन प्रो0 श्री विजयानन्द अवस्थी पुत्र तीर्थराज अवस्थी लक्षापुर चौरी	पेट्रोल पम्प	2000
33	मेसर्स जड.ावती फिलिंग स्टेशन प्रो0 श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री सुजीत कुमार चौधरी दुलमदासपुर सरौई	पेट्रोल पम्प	2000
34	मे0के0एम0 फिलिंग स्टेशन प्रो0 श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री मटरू लाल यादव, लीलाधरपुर बभनौटी	पेट्रोल पम्प	2000
35	माँ अम्बिका फ्यूल प्वाइंट प्रो0 श्री हरिशंकर पुत्र स्व0 शिवराम मानिकपुर , चौरी	पेट्रोल पम्प	2000
36	मे0 भारत आटो फ्यूल प्रो0 श्रीमती सन्ध्या मौर्या पत्नी श्री आनन्द कुमार मौर्य कारपेट सीटी अभयनपुर	पेट्रोल पम्प	2000
37	मे0 जय बाबा श्री कमल सर्विस स्टेशन प्रो0 श्रीमती रागिनी सिन्हा बड.ी बभनौटी	पेट्रोल पम्प	2000
	चौरी बाजार , जमुआ चौरी		
39	बनरवाल इण्टर प्राइजेज प्रो0 श्री अंकुर बनरवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द जमुआ चौरी	सीमेन्ट सरिया	500
40	श्री राजपति मौर्य पुत्र श्री सहदेव मौर्य चौरी बाजार परसीपुर	कपड़ा की दुकान	250
41	श्री पवन कुमार पुत्र श्री रामजी िंसंह चौरी बाजार	आभूषण	250
42	श्री बुद्धराम पुत्र श्री शिवप्रसाद चौरी बाजार	मिठाई नमकीन	300
43	श्री दिनेश दुबे पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण कोल्हण चौरी	पशुआहार	200
44	श्री राजकुमार पुत्र श्री सत्यनारायण चौरी	मिठाई, चाट	300

45	श्री श्याम कुमार पुत्र श्री अमरनाथ विश्वकर्मा चौरी	इमारती लकड़ी , सीमेन्ट चादर	500
46	श्री प्रभाकर कुमार पुत्र श्री धनश्यामदास चौरी	आभूषण	250
47	श्री अब्दुलकादिर पुत्र श्री सफी उल्लाह चौरी बाजार	अचैटी बैग	200
48	राजेड्रेस इम्पोरियम प्रो० श्री पन्ना लाल पुत्र श्री झिंगुरी चौरी	कपड़ा की दुकान	250
49	श्री अजीत कुमार पुत्र श्री माता प्रसाद चौरी	बर्तन हार्डवेयर पेन्ट्स	580
50	श्री विष्णु जायसवाल पुत्र श्री शारदा प्रसाद चौरी	बर्तन हार्डवेयर पेन्ट्स प्लास्टिक	580
51	श्री रामकृपाल सेठ पुत्र श्री झिंगुरी सेठ चौरी	आभूषण की दुकान	250
52	श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री ओकारनाथ चौरी	परचून जनरल	400
53	श्री काली प्रसाद पुत्र श्री जयप्रकाश	कपड़ की दुकान	250
54	श्री मदन लाल साव पुत्र चौरी	कपड़ा की दुकान	250
55	सपना जनरल स्टोर प्रो० की संजय कुमार मौर्य पुत्र श्री शोभनाथ चौरी	जनरल स्टोर एवं अन्य	200
56	सेठ द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री बनारसी सेठ चौरी	आभूषण की दुकान	250
57	श्री बसन्त लाल पुत्र श्री जंगीलाल चौरी	गल्ला परचून की दुकान	300
58	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री लउधरसाव चौरी	केराना जनरल	400
59	श्री राकेश पुत्र श्री राधेश्याम चौरी	गल्ला परचून जनरल	500
60	रवि केराना स्टोर्स प्रो० श्री शिवकुमार पुत्र श्री राजकुमार	गल्ला परचून जनरल बर्तन	680
61	श्री राम मेडिकल स्टोर प्रो० की सुखराम चौरी	मेडिकल स्टोर	150
62	मौर्य विल्डिंग मैटेरियल प्रो० श्री राधेश्याम मौर्य पुत्र श्री दुधनाथ जमुआ चौरी	सीमेन्ट बालू	500
63	अमर मेडिकल स्टोर प्रो० श्री अमर नाथ दूबे पुत्र श्री लालता प्रसाद दूबे चौरी	मेडिकल स्टोर छोटी दुकान	150
64	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद चौरी	बेल्डिंग एवं बिजली सामान	200
65	कृष्णा जनरल स्टोर प्रो० श्री राजू गुप्ता पुत्र श्री सदन लाल गुप्ता महुआपुर , चौरी	किराना जनरल	400
66	श्री बचाऊ सेठ दयानन्द सेठ प्रो० श्री दयानन्द सेठ पुत्र स्व० बचाऊ सेठ चौरी	आभूषण की दुकान	250
67	श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र श्री पन्ना लाल चौरी	हार्डवेयर	200
68	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बंशी लाल चौरी	मिठाई नमकीन	300
69	श्री राज कुमार पुत्र श्री बंशी लाल चौरी	मिठाई नमकीन	300
70	श्री सूनन मण्डल पुत्र श्री दशरथ मण्डल चौरी	मिठाई नमकीन	300
71	प्रिंस रेडिमेड इम्पोरियम प्रो० की मनीष मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार मिश्रा चौरी	कपड़ की दुकान	250

72	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगवीर सिंह चौरी	आभूषण की दुकान	250
73	श्री कमलाशंकर गिरी पुत्र श्री हिंगू गिरी चौरी	पशु आहार	200
74	इण्डिया वाच सेन्टर प्रो० श्री कृष्ण भुरारी पुत्र श्री श्याम सुन्दर चौरी	घडी एवं मरम्मत	250
75	जायसवाल इलेक्ट्रानिक प्रो० श्री गोपी जायसवाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद चौरी	इलेक्ट्रानिक सामान	200
76	श्री शीतला प्रसाद पुत्र श्री मुन्नी लाल चौरी	केराना जनरल	400
77	श्री बच्चू लाल हलवाई पुत्र श्री झुलई चौरी	मिठाई एवं लाई	200
78	श्री लालचन्द्र पुत्र श्री यदुनन्दन विश्वकर्मा मानिकपुर चौरी	फरगन मजदूरी बढई	200
79	विशाल बिल्डिंग मैटेरियल्स प्रो० विशाल दूबे मानिकपुर चौरी	सीमेन्ट बालू	500
80	यादव चिकित्सालय क्लिनिक प्रो० की हरिश्चन्द्र यादव पुत्र श्री पुरुषोत्तम यादव चौरी बाजार लक्षापुर , कन्धिया फाटक , धनापुर	क्लिनिक	200
81	श्री मंगला प्रसाद पुत्र श्री पन्नालाल धनापुर कन्धिया	बर्तन की दुकान	180
82	श्री मंगरू गुप्ता पुत्र श्री रामधनी धनापुर कन्धिया	गल्ला परचून	300
83	श्री लालमन गुप्ता पुत्र श्री कल्लूराम धनापुर कन्धिया	गल्ला फेरी	300
84	प्रकाश हार्डवेयर एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स प्रो० श्रीमती तेजा देवी पत्नी श्री मंगला प्रसाद सिंह लक्षापुर	हार्डवेयर एवं बिल्डिंग मैटेरियल	200
85	मिश्रा मेडिकल स्टोर प्रो० की अरूण कुमार मिश्रा पुत्र श्री विकास मिश्रा लक्षापुर	मेडिकल स्टोर	150
86	श्री बनारसी प्रजापती पुत्र श्री मंगरूराम लक्षापुर	मिठाई नमकीन	300
87	श्री लालचन्द्र पुत्र श्री भोलानाथ लक्षापुर	जूता चप्पल	250
89	श्री सियाराम पुत्र श्री रामप्यारे पटेल लक्षापुर	मिठाई नमकीन	300
90	हर्षित ज्वेलर्स प्रो० श्री विजेन्द्र सेठ पुत्र श्री गुरु शरण वर्मा चौरी जमुनीपुर	आभूषण की दुकान	250
91	श्री मनोज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जमुनीपुर	कपड़ा की दुकान	150
92	गीता श्री ज्वेलर्स प्रो० श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री वी०एल० वर्मा जमुनीपुर	आभूषण की दुकान	250
93	न्यू सत्गुरु स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री दूधनाथ यादव जमुनीपुर	मिठाई की दुकान एवं भोजनालय	500
94	दीपक ज्वेलर्स प्रो० श्री राकेश कुमार सेठ पुत्र श्री राधेश्याम सेठ जमुनीपुर	आभूषण की दुकान	250
95	श्री सद्गुरु डेली निड्स प्रो० श्री अवधेश यादव पुत्र श्री जीतलाल यादव जमुनीपुर	गल्ला परचून	300
96	आशा फुट वियर प्रो० श्री प्रेमनाथ पाल पुत्र श्री मटरू पाल जमुनीपुर	जूता चप्पल	200
97	श्री हीरालाल मौर्य पुत्र श्री कैलाश नाथ जमुनीपुर	पकौड़ी टिकियां	200
98	श्रीमती नीरू कौर पत्नी श्री पृथ्वी पाल सिंह जमुनीपुर	कपड़ा की दुकान	250

99	श्रीवत्रम् प्रो० राकेश कुमार यादव पुत्र श्री लालता प्रसाद यादव जमुनीपुर	कपड़ा की दुकान	250
100	रामा हैण्डलूम प्रो० श्रीमती शीला वर्मा पत्नी श्री रूपचन्द्र वर्मा जमुनीपुर	कपड़ा की दुकान	250
101	मेसर्स प्रतिमा हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रो० डा०पी०एस० दूबे पुत्र श्री रामचन्द्र दूबे जमुनीपुर	हास्पिटल	3000
	रेवड़ा परसपुर रोटहं		
102	राजेश आटो मोबाइल्स पो० की अखिलेश पाण्डेय पुत्र श्री सूर्यबली पाण्डेय रेवड़ा परसपुर	आटो पार्ट्स	200
103	पाल केराना स्टोर्स प्रो० श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री बालकृष्ण पाल , रेवड़ा परसपुर	गल्ला परचून	300
104	श्री नन्द लाल पुत्र श्री बैजनाथ रेवड़ा परसपुर	मिठाई नमकीन	300
105	श्री नीलमणि गुप्ता श्री सीतराम रेवड़ा परसपुर	बर्तन की दुकान	180
106	श्री उज्जवल गुप्ता श्री नन्द लाल रेवड़ा परसपुर	गल्ला परचून	300
107	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री दयाशंकर रेवड़ा परसपुर	मिठाई नमकीन	300
108	श्री अच्छे लाल पुत्र श्री पुल्लूराम रेवड़ा परसपुर	मिठाई नमकीन	300
109	श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री हरीराम िंसंह रेवड़ा परसपुर	मिठाई जलपान	300
110	श्री अजय कुमार पुत्र श्री कैलाशनाथ रेवड़ा परसपुर	खराद मशीन	200
111	सत्यम् आटो पार्ट्स प्रो० श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री अश्वनी कुमार रेवड़ा परसपुर	आटो पार्ट्स	200
112	श्री रवि पुत्र श्री किसुन रोटहा वेदमनपुर	जनरल स्टोर	200
113	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री छोटे लाल रेवड़ा परसपुर	मिठाई नमकीन	300
114	प्रभा मेडिकल स्टोर प्रो० श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री तुलसीराम	मेडिकल स्टोर	150
115	श्री श्याम नारायण पटेल पुत्र श्री श्यामनाथ	खाए एंव बोरिंग	250
116	श्री जावीर अली पुत्र श्री बरसाती रोटहा परसीपुर	गल्ला परचूम जनरल	500
117	में० एस०एन० यादव हास्पिटल पो० डा० चिन्मय हर्ष पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद हर्ष , रेवड़ा परसपुर	हास्पिटल	3000
118	जय मांँ शारदा आटो सेन्टर प्रो० श्री अनुप कुमार पुत्र स्व० बालकृष्ण , कंसरायपुर	आटोपार्ट्स	200
119	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री छेदी लाल ममहर	कपड़ा की दुकान	250
120	संतोष वस्त्रालय प्रो० श्री संतोष कुमार पुत्र श्री रामदुलार , ममहर	कपड़ा की दुकान	250
121	श्री मनीष कुमार सेठ पुत्र श्री रामजी सेठ ममहर	आभूषण बर्तन	430
122	भरत बिल्डिंग मैटेरियल वर्क्स प्रो० श्री भरतलाल विश्वकर्मा पुत्र श्री मेवालाल , सरैया	लोहा विल्डिंग	200
123	पूनम वस्त्रालय प्रो० श्री पप्पू मौर्य पुत्र श्री पतिराजमौर्या , ममहर	कपड़ा की छोटी दुकान	250
124	श्री बंश राज बिन्द श्री सीताराम ममहार	अल्मोनियम बिल्डिंग	200
125	श्री उमाशंकर पुत्र अशोक कुमार सरैया	सीमेन्ट सरिया	500
126	श्री छेदी लाल पुत्र श्री भोलानाथ गोहिलाँव	मिठाई नमकीन	300

127	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हीरालाल गोहिलॉव	मिठाई परचून नमकीन	400
128	श्री सन्त लाल पुत्र श्री घुरदुर साव	कपड़ाकी दूकान	250
129	श्री साहब लाल पुत्र श्री शिववर्धन ममहर	मिठाई नमकीन	300
130	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री लोलारख ममहर	लोहा सामन की छोटी दुकान	300
131	श्री धर्मराज विश्वकर्मा पुत्र श्री लोलारख ममहर	लोहा बाक्स आलमारी फर्नीचर	400
132	श्री मंगला प्रसाद पुत्र श्री कमला शंकर सरैया	आभूषण की दुकान	250
133	श्री आमोद कुमार पुत्र श्री घावड़ नयेपुर पिपरीस	लोहा बिलिंडिंग	200
134	श्री सुरेश कुमार मौर्य पुत्र श्री राम बुझावन मौर्या	बिजली सामान व अन्य	200
135	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री माता प्रसाद ममहर	कबाड़ की दुकान	200
136	बजरंग फर्नीचर प्रो० धनश्याम यादव पुत्र श्री शिवनाथ यादव सरैया	फर्नीचर व्यवसाय	200
137	मां शीतला आटो सेल्स प्रो० श्री जीत लाल पाल पुत्र श्री जगधर पाल ममहर	टू व्हीलर मोटर साईकिल	2000
138	में० जयपुर रग्स कम्पनी प्रा० लि० सरैया	कारपेट	2000
	---- भिखारीपुर , फत्तुपुर , जयरामपुर-----		
139	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री सहदेव भिखारीपुर	लोहा बिलिंडिंग	200
140	आकाश वस्त्रालय प्रो० श्री संतोष कुमार पुत्र श्री मेही लाल जयरामपुर	कपड़ा की दुकान	250
141	अमन वस्त्रालय प्रो० श्री संतोष कुमार पुत्र श्री मेहीलाल जयराम	कपड़ा की दुकान	250
142	श्री गणेश चन्द्र पुत्र श्री गोपीनाथ फत्तुपुर विश्वकर्मा मन्दिर	जनरल स्टोर , टाफी बिस्कुट	200
143	दूबे बिलिंडिंग मैटेरियल प्रो० श्री दिनेश दूबे पुत्र श्री राधेश्याम दूबे फत्तुपुर	सीमेन्ट बालू	500
144	श्री हरिशंकर पुत्र श्री फूलचन्द असनांव	कपड़ाकी दुकान	250
145	श्री इरशाद पुत्र श्री साहमद अली असनांव	जनरल बिसातवाना	400
146	श्याम मजी दूबे पुत्र श्री बेचन राम असनांव	कपड़ा की दुकान	250
147	यादव फर्नीचर एण्ड वर्कशाप प्रो० श्री स्वत्रत कुमार यादव असनाव	फर्नीचर की दुकान	200
148	श्री राजाराम पुत्र श्री दूधनाथ असनांव	जूता चप्पल	200
149	ओम बिलिंडिंग प्रो० श्री आशीष कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार असनांव	हार्डवेयर सीमेन्ट बालू	700
150	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री फेक् साव असनांव	बर्तन की दुकान	180
	-----बभनौटी धनवतियां गिरिया -----		
151	लक्ष्मी ज्वेलर्स प्रो० श्री सूर्यमणि पुत्र श्री रामसनेही गिरियां	आभूषण की दुकान	250
152	श्री समरनाथ पुत्र श्री कामता प्रसाद बभनौटी	गल्ला परचून जनरल	500
153	श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र हरियांव	गल्ला परचून	300
154	अमित इलेक्ट्रानिक प्रो० श्री श्यामलाल पुत्र श्री मुन्शी लाल	इलेक्ट्रिक की दुकान	200

	हरियांव		
155	मनोज कुमार पुत्र श्री रवि चन्द हरियांव	गल्ला परचून	300
156	श्री कृष्णानन्द पुत्र श्री श्यामलाल विश्वकर्मा हरियांव	लोहा विल्डिंग एवं फर्नीचर	200
157	श्री मनोज गुप्ता पुत्र श्री मिठाई लाल	खली चूनी चोकर	200
158	श्री महंगू राम विश्वकर्मा पुत्र श्री श्रीराम विश्वकर्मा हरियांव	लकड.ी फरगन	200
159	श्री राजेश कुमार राय पुत्र श्री विन्ध्यवासिनी राय मुंसीलाटपुर	गल्ला परचून जनरल	500
160	श्री लालजी पुत्र श्री मुरलीलाल हरियांव	केराना	200
161	श्री शिवराम बिन्द पुत्र श्री रामसूरत बिन्द हरियांव	गल्ला परचून	300
162	श्री राधेश्याम राय पुत्र श्री राजनाथ राय रामरायपुर	परचून	200
163	मे0 विश्वकर्मा इंजिनियरिंग प्रो. श्री छविनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री बबुआ विश्वकर्मा हरियांव	बालू सीमेंट गिट्टी	500
164	तारा आटो सेल्स प्रो. श्री विधानचन्द यादव पुत्र श्री रामचन्दर यादव हरियांव	महेन्द्रा मोटर साइकिल शोरूम	2000
165	ओंकारनाथ पान भण्डार प्रो. श्री ओमकारनाथ पुत्र श्री तुलसीराम हरियांव	पान एवं जनरल	200
	---- सर्रोई , दुलमदासपुर , रजपुरा ... आदि-----		
166	श्री शिवकुमार पुत्र श्री मिश्रीलाल सर्रोई	जनरल व अन्य	200
167	श्री संजय कुमार मौर्य पुत्र श्री रामअधीन मौर्य प्रगासपुर नईबाजार	परचून गल्ला	300
168	श्री मेहीलाल पुत्र श्री रामनन्दन प्रजापति सर्रोई	केराना	200
169	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मेहीलाल प्रजापति सर्रोई	केराना	200
170	श्री छक्कन मौर्य पुत्र श्री चन्द्रबली मौर्य प्रगासपुर नईबाजार	गल्ला परचून	300
171	श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री जयंती प्रसाद डुडवां धर्मपुरी	केराना	200
172	श्री राधेश्याम पुत्र श्री मेवालाल डुडवा धर्मपुरी	केराना जनरल	400
173	श्री शिवराम पुत्र श्री गुलाबचन्द लखनपुर उर्फ अभयनपुर	केराना जनरल	400
174	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री भोलानाथ रयों	गल्ला परचून	300
175	श्री नूरआलम श्री अहमद अली सर्रोई	गल्ला परचून	300
176	साईन इलेक्ट्रिकल्स प्रो. श्री तनवीर अहमद पुत्र श्री निजाम अली सर्रोई	इनवर्टर बैटरी इलेक्ट्रिनिक्स	500
177	श्री दीलिप कुमार पुत्र श्री रामलखन धनवतियों	परचून	200
178	श्री जवाहिरलाल पुत्र श्री शोभनाथ धनवतियों	परचून	200
179	श्री नन्दलाल पुत्र श्री शोभनाथ धनवतियों	परचून	200
180	श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री पन्नालाल धनवतियों	गल्ला परचून	300
181	श्री सदानन्द गुप्ता पुत्र श्री खब्बर साव धनवतियों	गल्ला परचून	300
182	श्री श्यामकुमार पुत्र श्री परषोत्तम सर्रोई	कपडा	250
183	श्री कमलेश मौर्य पुत्र श्री प्रेमचन्द पिपरी	मिठाई नमकीन	300
184	श्री रोशन सिंह पुत्र श्री बसन्ता सिंह पिपरी	केराना जनरल	300
185	श्रीमती शबाना बानो पत्नी श्री अकरम अली पिपरी	विसातवाना	200

186	श्री ओमप्रकाश पुत्र कमलाशंकर बरवाँ	कपडा व खाद	250
187	श्री बबलू पाण्डेय पुत्र श्री भोलानाथ बरवाँ	गल्ला परचून	300
188	श्री धर्मराज पटेल पुत्र श्री दीपनारायण महादेव कटरा बरवाँ	लोहा वेल्डिंग	200
189	श्री कल्लन चौहान पुत्र श्री रामसूरत चौहान भाला	चायपान	200
190	श्री राजेन्द्र प्रजापति पुत्र श्री हूबलाल बरैला	गल्ला परचून	300
191	मोहन मिष्ठान भण्डार प्रो. श्री मोहनलाल पुत्र श्री सुन्नू हलवाई	मिठाई नमकीन	300
192	श्री सुधाकर प्रसाद पुत्र श्री बाबाप्रसाद बरवाँ	केराना जनरल	400
193	श्री अजय चौरसिया पुत्र श्री काशीराम	पान जनरल स्टोर	200
194	श्री हीरालाल पुत्र श्री रामकिशोर सरौई	काती उलेन यार्न	1500
195	श्री श्रीराम प्रजापति पुत्र श्री रामलखन पिपरीस	केराना	200
196	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र जायसवाल सरौई	गल्ला परचून	300
197	श्री राधेश्याम पुत्र श्री जोखू साव बरवाँ	गल्ला परचून	300
198	गुप्ता मेडिकल स्टोर प्रो. श्री लालचन्द गुप्ता पुत्र श्री ताराशंकर अभयनपुर	दवा की दुकान	150
199	सूर्यभान विश्वकर्मा पुत्र स्व० दूधनाथ रजपुरा	खराद मशीन	200
200	श्री चन्द्रबली पुत्र श्री बलईराम सरौई	जूता चप्पल व अन्य	200
201	श्री रामआसरे पुत्र श्री चन्द्रभान सरौई	चायपान व अन्य	200
202	श्री अब्दुल्ला पुत्र श्री कमरुद्दीन सरौई	जूता की दुकान	200
203	श्री बेचूलाल गुप्ता पुत्र श्री बसन्तलाल सरौई	जूता की दुकान	200
204	प्रेम वस्त्रालय एवं मिष्ठान भण्डार प्रो. श्री प्रेमशंकर पुत्र श्री कड.ेदीन सरौई	कपडाएवं मिठाई	450
205	श्री राजमनी पुत्र श्री केदारनाथ कुकरोठी	गल्ला परचून	300
206	नरेश सोनी आभूषण केन्द्र प्रो. श्री नरेश सोनी सरौई	आभूषण	250
207	श्री ममताप्रसाद पुत्र श्री बाबा पटेल हरिश्चन्द्रपुर	जनरल स्टोर व अन्य	200
208	प्रेम जनरल स्टोर प्रो. श्री प्रेमचन्द्र मौर्य पुत्र श्री सीताराम उर्फ अलगू बरदहॉ	जनरल स्टोर व अन्य	200
209	मौर्या वस्त्रालय प्रो. श्री विद्याधर मौर्य पुत्र श्री रामकिशुन मौर्य बरदहॉ	कपडा	250
210	मौर्या इलेक्ट्रानिक प्रो. श्री श्रीधर मौर्य पुत्र श्री रामकिशुन मौर्य बरदहॉ	बिजली सामान	200
211	श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे पुत्र श्री गौरीशंकर सिरौली	गल्ला परचून	300
212	श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री लल्लन चौहान भाला	गल्ला परचून	300
213	श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नी श्री राजमनी गुप्ता कुकरोठी	आईसक्रीम	500
214	उत्कर्ष इण्टरप्राइजेज प्रो. श्री रुद्रप्रकाश पटेल पुत्र श्री मोहनलाल पटेल	कपडा छोटी	250
215	आनन्द आभूषण प्रो. श्री सावले प्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र सेठ सरौई	आभूषण	250
216	शंकर विल्डिंग मैटेरियल प्रो. श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुन्नु प्रसाद	सीमेन्ट बालू	500

	घमहापुर		
217	श्री सुरेन्द्र कुमार मोदनवाल पुत्र श्री गंगाराम सर्रोई	मिठाई का दुकान	200
218	श्री समसुद्दीन पुत्र श्री शाहमोहम्मद सर्रोई	बिजली मरम्मत	200
219	श्री विष्णु सेठ पुत्र श्री रामसहाय सेठ बरदहों	आभूषण	250
220	श्री शशिभूषण यादव पुत्र श्री हरिशंकर मकदूमपुर	केराना	200
221	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री माताप्रसाद धनवतियां	गल्ला परचून	300
222	मौर्या विल्डिंग मैटेरियल्स प्रो. श्री भोलानाथ मौर्या पुत्र श्री सोमारू राम मौर्या बरदहों	सीमेंट बालू गिट्टी	750
223	श्री कडेदीन मौर्या पुत्र श्री घुरहू मौर्या सर्रोई	गल्ला परचून	300
		योग	139760

(साधारण आपति सं०- 29)

प्रस्तर-6 जिला पंचायत- भदोही मेंवि० खण्ड -सुरियांवा में राइसमिल आटा चक्की हालर लाइसेन्स चिनी भट्ठा एवं दुकान कारपेट बुनाई पेन्ट पेट्रोलपम्प व अन्य लाइसेन्स न वसूलकर रु 92220=00 संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अतः लाइसेंस धारक से अधावधि सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र. सं.	नाम व पता	लाइसेंस प्रकार	धनराशि
1	श्री लल्लन गुप्ता पुत्र श्री चूमेलाल गुप्ता सियरहों मोढ.	जनरल स्टोर बिस्कुट	400
2	गुप्ता हार्डवेयर प्रो. श्री कृष्णचन्द्र गुप्ता , सियरहों , मोढ.	हार्डवेयर पेन्ट बर्तन स्टील छोटी	580
3	श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री राधेश्याम , मोढ.	बिजली सामान	200
4	श्री वेदप्रकाश उपाध्याय पुत्र स्व० जटाशंकर , मोढ.	गल्ला परचून	300
5	श्री कृशना उमर वैश्य पुत्र स्व० गोपीनाथ सियरहों मोढ.	बिस्कुट जनरल	400
6	न्यू राज टेलर्स प्रो. श्री संतलाल पुत्र श्री रामदेव चकजिवरानी मोढ.	सिलाई मशीन	150
7	चौरसिया हार्डवेयर प्रो. श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया मोढ. स्टेशन	हार्डवेयर पेन्ट्स	400
8	श्री शिवप्रसाद दूबे पुत्र स्व० मेघनाथ दूबे मोढ. बाईपास चकजिवरानी	दवाखाना	150
9	गहना ज्वेलर्स प्रो. श्री भाईलाल जायसवाल पुत्र स्व० मेवालाल जायसवाल चकजिवरानी मोढ. स्टेशन	आभूषण की दुकान	250
10	सेठ राजनारायण ओमप्रकाश सर्राफ , मोढ. स्टेशनरोड प्रो. श्री दिनेश वर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल नि. रजपुरा कालोनी भदोही	आभूषण की दुकान	250
11	श्री राधेश्याम पुत्र स्व० कल्लू प्रसाद मोढ. स्टेशन	कपड़ाकी दुकान	250
12	शिवा आभूषण भण्डार एवं विसारती प्रो. श्री शिवकुमार मौर्य पुत्र श्री मिठाई लाल मौर्य मोढ. स्टेशन	आभूषण की दुकान	250
13	श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी श्री बद्रीनारायण मोढ. स्टेशन	कपड़ाकी दुकान	250
14	श्री शिवकुमार उमर वैश्य पुत्र स्व० मन्नालाल	गल्ला परचून जनरल	500
15	शिवश्रृंगार जनरल प्रो. श्री नन्दलाल पुत्र श्री रामचन्दर	विसारती जनरल	400

		परचून	
16	श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री मेहीलाल मोढ. स्टेशन	गल्ला परचून	300
17	श्री विनय कुमार पुत्र श्री नन्हेलाल मोढ. स्टेशन	कपडाकी दुकान	250
18	श्री बद्रीप्रसाद पुत्र श्री केशवप्रसाद मोढ. स्टेशन	विसारती जनरल	200
19	श्री भोलानाथ पुत्र श्री श्यामशंकर मोढ. स्टेशन	कपडाकी दुकान	250
20	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री हनुमानदास सियरहॉ मोढ.	मिठाई नमकीन	300
21	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री आशाराम गुप्ता मोढ. स्टेशन	जनरल चश्मा	200
22	राय डेन्टल क्लिनिक प्रो. श्री सिंगुल राय पुत्र श्री प्रशान्त राय , मोढ. स्टेशन	क्लिनिक	250
23	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लालजी सिपरहा मोढ.	इलेक्ट्रिक मरम्मत विसारती	200
24	अशोक इलेक्ट्रिक मशीनरिंग स्टोर प्रो. श्री अशोक कुमार पुत्र स्व० कन्हैयालाल	मशीन पम्पसेट इलेक्ट्रिक	400
25	श्री संतलाल पुत्र स्व० केदारनाथ मोढ. स्टेशन	मिठाई नमकीन	300
26	श्री राजेश बीज भण्डार प्रो. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री श्रीरामदुलार मौर्य मोढ. स्टेशन	खाद बीज	200
27	श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री फूलचन्द मोढ. स्टेशन	गल्ला परचून	300
28	श्री नन्दलाल चौरसिया पुत्र श्री भोलानाथ मोढ. स्टेशन	जनरल	200
29	श्री मुन्नीलाल पुत्र स्व० कालिका प्रसाद मोढ. स्टेशन	जनरल सामान पान मशाला	400
30	आशीष केराना भण्डार प्रो. श्री मुरारीलाल पुत्र स्व० मन्नालाल मोढ. स्टेशन	गल्ला परचून तेल घी	1000
31	श्री रामकुमार वर्मा पुत्र स्व० बिहारीलाल चकजिवरानी मोढ.	आभूषण मरम्मत की दुकान	250
32	श्री निजाम अली पुत्र श्री कुबुल दर्जी मोढ. स्टेशन	विसारती जनरल	200
33	श्री गनेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल मोढ. स्टेशन	गल्ला परचून तेल घी	1000
34	पन्तनगर बीज भण्डार प्रो. श्री दीनबन्धु दीनानाथ पुत्र श्री श्यामलाल मौर्य मोढ. स्टेशन	खाद बीज	200
35	माँ विन्ध्यवासिनी प्लाई इम्पोरियम् प्रो. श्री महेश प्रसाद पुत्र श्री अमृतलाल नरोत्तमपुर मोढ.	प्लाई एवं फर्नीचर स्टील बक्सा आलमारी हार्डवेयर पेण्ट टी.वी.	1000
36	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री सागरमल मोढ. पुरानी बाजार	जनरल सामान	200
37	श्री दीनानाथ गुप्ता पुत्र श्री हरिशंकर मोढ. स्टेशन	कपडा व बर्तन	430
38	श्री चन्दन जायसवाल पुत्र श्री नारायणदास जायसवाल मोढ. स्टेशन	विसारतीवाना	200
39	महावीर फैशन स्टोर प्रो. श्री अविनाश मौर्य पुत्र श्री रामरोहति मौर्य मोढ. स्टेशन भानूपुर मोढ.	कपडा की दुकान	250
40	श्री भजनलाल पुत्र स्व० मिठाई लाल सियरहा मोढ.	मिठाई नमकीन	300

41	शाह आष्टिकल प्रो. वकील अहमद पुत्र श्री सुबराती चमरूपट्टी मोढ.	चस्मा मरम्मत	150
42	श्री नसरुल्ला पुत्र श्री गफूर सियरहा मोढ.	जूता चप्पल	200
43	कृष्णा फर्निचर प्रो. रामसूरत सोनकर पुत्र श्री रामदुलार सियरहा मोढ.	इमारती लकडी फर्नीचर बाक्स स्टील	500
44	श्री संतोष कुमार पुत्र स्व० राधेश्याम उमरवैश्य मोढ. पुरानी बाजार	गल्ला परचून जनरल	500
45	श्री अमृतलाल जायसवाल स्व० रामचन्द्र सियरहा मोढ.	फर्निचर की दुकान	300
46	श्री कन्हैया लाल पुत्र स्व० मोतीलाल सियरहा मोढ.	आभूषण की दुकान	250
47	अंश मोबाइल शाप रिपेयरिंग सेन्टर प्रो. श्री मुकेश कुमार मौर्य पुत्र श्री भाईलाल वीरापट्टी मोढ.	मोबाईल रिपेयरिंग	200
48	मनोज कोल्डिंक हाउस प्रो. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कालीप्रसाद मोढ. स्टेशन	गल्ला परचून व कोल्डिंक रक	500
49	कुमार केराना स्टोर प्रो. श्री वैजनाथ सरोज पुत्र श्री रामजियावन मोढ.	जनरल परचून	400
50	पाण्डेय मेडिकल स्टोर प्रो. श्री कमल प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री रामचन्द्र पाण्डेय मोढ. स्टेशन	मेडिकल	150
51	श्री बनारसी विश्वकर्मा पुत्र स्व० जगरनाथ मोढ. स्टेशन	साइकिल मरम्मत	200
52	सत्यम् गारमेन्ट्स प्रो. जयप्रकाश मिश्रा पुत्र श्री महेन्द्रनाथ मोढ. स्टेशन नि. नगर पंचायत सुरियांव	कपड़ाछोटी	250
53	सौरभ गारमेन्ट्स मोढ. स्टेशन प्रो. श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री कमलेश जायसवाल	रेडिमेड छोटी दुकान	250
54	श्री सत्यदेव मौर्य पुत्र श्री महेन्द्र कुमार मौर्य मोढ. स्टेशन	विसारती	200
55	श्री राजेश कुमार उमर पुत्र श्री रामलखन उमर मोढ. स्टेशन	केराना की दुकान	200
56	श्री सुभाष सेठ पुत्र स्व० लालता प्रसाद सेठ मोढ. पुरानी बाजार	सोनारी की दुकान	250
57	सिंह डिजल एजेंसी मोढ. प्रो. श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री केदारनाथ सिंह नरोत्तमपुर मोढ.	डिजल फुटकर	500
58	श्री बसन्तलाल पुत्र श्री मूलचन्द नरोत्तमपुर मोढ.	मिठाई	200
59	श्री अमित कुमार उमर वैश्य पुत्र श्री सेवालाल नरोत्तमपुर	परचून	200
	----- करियांव बाजार -----		
60	शिव मेडिकल स्टोर प्रो. श्री बरमलाल मौर्य पुत्र श्री रामअधार करियांव	मेडिकल स्टोर	150
61	श्री रामजस पुत्र श्री जोखूलाल करियांव	गल्ला परचून जनरल	500
62	श्री बनारसी हलवाई पुत्र स्व० मेहीलाल करियांव	गल्ला परचून	300
63	श्री गुलाबचन्द पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र करियांव	विसारती इलेक्ट्रानिक	400
64	श्री राजकुमार मौर्य पुत्र श्री हरिशंकर करियांव	बिस्कुट जनरल	400
65	सूर्यलाल ज्वेलर्स प्रो. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री सुर्यलाल करियांव	आभूषण जनरल	450
66	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सोहनलाल करियांव	कपड़ाव बर्तन	430
67	श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री शिवकुमार करियांव	गल्ला परचून जनरल	500

68	मौर्या इलेक्ट्रिक श्री चन्दू मौर्या पुत्र श्री रामखेलावन करियांव	इलेक्ट्रिक सामान प्रिन्टर्स मशीन	500
69	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री अमरनाथ करियांव	परचून गल्ला	400
70	श्री हरिश्चन्द्र मौर्य पुत्र श्री रामखेलावन करियांव	रेडिमेड कपड़ा जनरल जूता चप्पल	650
71	श्री शिवकुमार गुप्ता पुत्र स्व० सुदुल गुप्ता करियांव	गल्ला परचून जनरल	500
72	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद करियांव	आभूषण विसारती	450
72	श्री माताप्रसाद पुत्र स्व० बिहारीलाल करियांव	मिठाई नमकीन	300
73	श्री राजाराम पुत्र स्व० भगौती प्रसाद करियांव	कपड़ाकी दुकान	250
74	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री छट्ठू राम यादव करियांव	कपड़ाजनरल	450
75	श्री सुरेश चन्द्र हलवाई पुत्र स्व० मुन्नीलाल करियांव	मिठाई नमकीन	300
76	श्रीमती झुन्ना देवी पत्नी श्री नन्दलाल करियांव	मिठाई चाय पान	300
77	श्री कान्ति लाल जायसवाल पुत्र श्री वैजनाथ लालीपुर करियांव	गल्ला परचून	300
78	नीरज खाद व बीज भण्डार प्रो. श्री नीरज कुमार पुत्र श्री शिवचन्द्र करियांव	खाद बीज	200
79	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बबऊ सेठ करियांव	सोनारी	250
80	श्री त्रिभुवन सेठ पुत्र स्व० राधेश्याम सेठ करियांव	आभूषण	500
81	चौरसिया बुक सेन्टर प्रो. श्री संगम चौरसिया पुत्र श्री काशीराम करियांव	स्टेशनरी कापी किताब	200
	----- अभियां बाजार -----		
82	श्री सभाजीत जायसवाल पुत्र स्व० बेचनराम अभियां	चाय पान कोल्ड्रिंक	200
83	गुरुकृपा हार्डवेयर एण्ड मशीनरी स्टोर प्रो. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामधनी विश्वकर्मा अभियां	हार्डवेयर मशीनरी वेल्डिंग मशीन	400
84	श्री राधेश्याम पुत्र स्व० श्री हरिनाथ अभियां	विसातवाना	200
85	मो० हैदरअली पुत्र श्री कमरुद्दीन अभियां	विसातवाना	200
86	श्री अवधनारायण बिन्द पुत्र श्री लालचन्द बिन्द अभियां	गल्ला परचून	300
87	श्री रामाश्रय गुप्ता पुत्र स्व० बसंतलाल गुप्ता अभियां	गल्ला परचून	300
88	श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व० श्यामलाल विश्वकर्मा अभियां	विसातवाना	200
89	श्री कृष्ण कुमार सेठ पुत्र श्री बदलू सेठ अभियां	सोनारी	250
90	श्री राजू मौर्या पुत्र श्री रामकिशोर मौर्या अभियां	गल्ला परचून	300
91	श्री सत्यनारायण पुत्र स्व० रामचन्द्र वर्मा अभियां	सोनारी मरम्मत	250
92	अंश वस्त्रालय प्रो. श्री रामजीत जायसवाल पुत्र श्री बच्चन राम अभियां	कपड़ाकी छोटी दुकान	250
93	श्री राजमणि तिवारी पुत्र श्री रामकिशोर तिवारी अभियां	मेडिकल की छोटी दुकान	250
94	श्री रामनारायण हलवाई पुत्र श्री मूलचन्द हलवाई अभियां	मिठाई	200
95	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० चन्द्रकिशोर अभियां	जनरल स्टोर	200
96	श्री गुलाब हलवाई पुत्र स्व० बलिराम हलवाई अभियां	मिठाई	200

97	श्री प्रदीप कुमार सोनी पुत्र श्री अशोक कुमार सोनी	कपडा	250
98	श्री जितेन्द्र बहादुर प्रजापति पुत्र श्री रामदेव प्रजापति	मेडिकल छोटी	150
99	श्री शिवकुमार बिन्द पुत्र श्री छोटेला बिल्द अभियां	जुता चप्पल छोटी	200
100	श्री ब्रह्मप्रकाश गुप्ता व रवि कुमार पुत्र स्व० माता भीखु गुप्ता अभियां	कपडाछोटी	250
101	श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मिठाईलाल गुप्ता अभियां	केराना	200
	----- महजूदा बाजार-----		
102	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलखन पाण्डेय महजूदा	कपडाछोटी	250
103	श्री सुरेश हलवाई पुत्र श्री राजाराम महजूदा	मिठाई नमकीन	300
104	श्री प्रेम चन्द्र पुत्र स्व० हिंगूलाल महजूदा	गल्ला परचून	300
105	जय माँ विन्ध्यवासिनी प्रो. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मंगरू महजूदा	सोनारी	250
106	आकाश जनरल स्टोर शू सेन्टर प्रो. श्री राजकुमार पुत्र स्व० वैजनाथ महजूदा	जनरल स्टोर जूता की छोटी दुकान	400
	----- कस्तूरीपुर बाजार-----		
107	रामजी मेडिकल स्टोर प्रो. रजनीश उपाध्याय पुत्र श्री ब्रह्मदेव उपाध्याय कस्तूरीपुर	मेडिकल स्टोर	150
108	श्री महेश कुमार पुत्र श्री हीरालाल	गल्ला परचून	300
109	श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री हीरालाल	केराना जनरल	400
110	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री लालजी हलवाई	मिठाई नमकीन	300
111	श्री मनोज कुमार विश्वास पुत्र श्री सर्वेश्वर नि. पो. बगुला जिला द नदिया पं० बंगाल	दवाखाना	150
112	श्री रामलक्ष्मण गुप्ता पुत्र स्व० हरीलाल कस्तूरीपुर	गल्ला परचून जनरल	400
113	लेडिज कार्नेर कस्तूरीपुर प्रो. श्री मुकेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री संतलाल प्रजापति	विसारती	200
114	श्री मुरारीलाल पुत्र श्री हरसू दयाल	गल्ला परचून	300
115	श्री भरतनाथ पुत्र स्व० कालीचरण गुप्ता	गल्ला केराना	300
116	शांति मेडिकल स्टोर प्रो. श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री प्रेमचन्द्र	मेडिकल स्टोर छोटी	150
117	श्री उमापति यादव पुत्र स्व० नाहर यादव	हार्डवेयर	200
118	श्री उमाशंकर सेठ स्व० मुनक्का सेठ	सोनारी मरम्मत	250
119	श्री रामनरेश यादव पुत्र श्री झगड़ू यादव	केराना	200
120	श्री कृपाशंकर पुत्र स्व० नन्दकुमार	सोनारी	250
	----- अवशेष-----		
121	श्री माता प्रसाद साव पुत्र स्व० मेवालाल हरिहरपुर	परचून जनरल चाय पान	400
122	श्री काशीनाथ उपाध्याय पुत्र श्री रामनिहोर नि. वेला	परचून सब्जी	200
123	श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री सोहनलाल लालीपुर	गल्ला परचून	300
124	श्री धनश्याम गुप्ता पुत्र श्री मूलचन्द कुसौडा	गल्ला परचून जनरल	500

125	श्री देवीशंकर मौर्य पुत्र स्व० कोलेश्वर मौर्य वीरभद्रपुर	परचून	200
126	श्री रामा चौहान पुत्र श्री रामनिवास पट्टी वेजांव	परचून	200
127	श्री रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्व० हीरालाल गुप्ता सरायक्षत्रशाह मोढ.	मिठाई नमकीन जनरल केराना चायपान	500
128	श्री राजकुमार बिन्द पुत्र श्री रामदुलार सरायक्षत्रशाह मोढ.	गल्ला परचून	300
129	श्री शिवशंकर तिवारी पुत्र श्री राजनाथ शुक्लपुर डुहियां भोरी	गल्ला परचून	300
130	श्री श्यामधर पुत्र श्री राजनाथ खरगपुर भोरी	गल्ला परचून कोल्ड्रिंक	500
131	सोनी ज्वेलर्स खरगापुर सुरियांवा प्रो. श्री कमलेश कुमार पुत्र स्व० पारसनाथ सेठ नि. महजूदा भोरी	आभूषण	250
132	श्री राजनारायण यादव पुत्र स्व० बेचनराम खरगापुर	रेडिमेड जनरल जूता	450
133	अभय मोबाईल रिपेयरिंग प्रो. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री मेवालाल खरगापुर	मोबाईल रिपेयरिंग फोटो स्टेट	400
134	श्री लालचन्द यादव पुत्र श्री विद्याधर खरगापुर	रेडिमेड परचून	450
135	श्री मंगलाप्रसाद पुत्र श्री रामराज मौर्य कोल्हुआ	चायपान जनरल	200
136	श्री रतनेश मौर्य पुत्र श्री जीतनारायण मौर्य चौथार	लकडी इमारती फर्नीचर	500
137	हरिओम मेडिकल स्टोर रमलेपुर प्रो. श्री आनन्द कुमार उपाध्याय पुत्र स्व० विरेन्द्र उपाध्याय	मेडिकल	150
138	श्री बलराम उमर पुत्र स्व० श्रीनाथ साङ.ा	गल्लापरचून	300
139	श्री रामबाबू उमर पुत्र स्व० संतलाल मर्दनशाहपुर	गल्लापरचून	300
140	बन्टी इंजियरिंग वर्क्स , चौथार प्रो. श्री सूर्यमणि उपाध्याय पुत्र श्री रामासरे , चौथार सुरियांवा	ट्रैक्टर ट्राली मरम्मत विल्डिंग मशीन	400
141	श्री रविशंकर तिवारी पुत्र स्व० केवलाप्रसाद बिहियापुर	खाद बीज बालू मोरंग	280
142	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रायबहादुर सिंह घोरहा भोरी	कपड़ा छोटी	250
143	शिव क्लिनिक प्रो. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामअचल प्रजापति	दवाखाना	150
144	दीनबन्धु केराना स्टोर प्रो. श्री दीनानाथ मिश्रा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद भिखारीरामपुर	गल्ला परचून	300
145	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० कमलाशंकर नेवादा कला अमिलौरी	मेडिकल छोटी	150
146	श्रीमती सोना देवी पत्नी श्री राजेश कुमार नेवादाकला	गल्ला परचून	300
147	श्री राजेश विश्वकर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद सरायक्षत्रशाह	वेल्डिंग मशीन एवं ग्रील जाली	200
148	श्री मुलमुल विश्वकर्मा पुत्र स्व० जोखनराम सरायक्षत्रशाह	फर्नाचर	300
149	श्रीमती रेनू देवी पत्नी श्री विनोद कुमार गौड. सरायभाव सिंहपुर एकौनी	गल्ला जनरल	300
150	श्री गुलाबधर गुप्ता पुत्र स्व० भोलानाथ पट्टीवेजांव	परचून	200
151	श्री सुमीत कुमार पुत्र श्री तेजबहादुर मौर्य विशुनपुर	गल्ला परचून	300
152	श्री ओमप्रकाश वर्मा पुत्र स्व० मुन्नीलाल खरगपुर	आभूषण	250

153	श्री संतोष हलवाई पुत्र स्व० जवाहिर खरगपुर	मिठाई नमकीन	300
154	श्री फूलचन्द विश्वकर्मा पुत्र स्व० सत्यनारायण कुसौडा	इमारती लकड़ी	200
155	श्री रामनाथ दूबे पुत्र श्री विन्ध्यवासिनी सरायक्षत्रशाहपुर	गल्ला परचून	300
156	श्री रामनाथ हलवाई पुत्र श्री सत्यनारायण चौथार	मिठाई नमकीन	300
157	श्री रामजी गुप्ता पुत्र स्व० सीताराम हरिहरपुर	परचून	200
158	अनुराग क्लिनिक प्रो. श्री खेतईराम बिन्द पुत्र स्व० जगमोहन विहियापुर	दवाखाना	150
159	श्री लालचन्द सेठ पुत्र श्री प्रह्लाद सेठ विहियापुर	आभूषण	250
160	श्री पिन्दू सरोज पुत्र श्री उमाशंकर कोल्हुआ पाण्डेयपुर	परचून	200
161	साहू साईकिल रिपेयरिंग प्रो. श्री अभिषेक साहू पुत्र श्री हरिदास साहू विहियापुर	साईकिल रिपेयरिंग	200
162	श्री सहस्र तिवारी पुत्र श्री हरिश्चन्द्र कोकलमऊ	गल्ला केराना	300
163	श्री राजकुमार मौर्य पुत्र श्री पृथ्वीराज मौर्य खरगपुर	विसातवाना	200
164	श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० परषोत्तम गुप्ता चककहुआ	केराना	200
165	श्री इकबाल अहमद पुत्र स्व० बली मुहम्मद मनीगंज	रेडिमेड छोटी	250
166	श्री अमनकुमार पुत्र श्री नन्हे गुप्ता घोरहा	केराना	200
167	श्री महेन्द्र माली पुत्र स्व० रमाशंकर दारापट्टी	गल्ला परचून	300
	---- ईंट भट्ठा उद्योग -----		
168	पवन ईंट उद्योग जमुनीपुर अठगवां उर्फ मोढ. प्रो. श्री कमलेश सिंह पुत्र श्री लालचन्द सिंह महरथा अजयपुर	चिमनी भट्ठा	6000
169	राम ईंट उद्योग कोडर प्रो. श्री रामसिंह पुत्र श्री चिन्तामणि चौहान	चिमनी भट्ठा	6000
170	दिव्य ईंट उद्योग चौगुना प्रो. श्री चन्द्रभूषण तिवारी पुत्र श्री आदित्य नारायण तिवारी	चिमनी भट्ठा	6000
171	साई शीतल ब्रिक्स फिल्ड सिंहपुर प्रो. श्री मनोज कुमार मिश्र पुत्र स्व० शीतला प्रसाद मिश्र सिंहपुर	चिमनी भट्ठा	6000
	---- आटा चक्की , स्पेलर , राईस मिल-----		
172	श्री रमाशंकर बिन्द पुत्र स्व० सरजू प्रसाद मनापुर	आटा चक्की स्पेलर	600
173	श्री दिलीप कुमार साव पुत्र श्री बिलगू साव नि. क्षत्रशाहपुर बनकट	राइस मिल आटा चक्की	1300
174	श्री दीनानाथ उपाध्याय पुत्र श्री शिवशंकर मधुपट्टी	आटा चक्की	300
175	श्री राजदेव मौर्य पुत्र श्री रामशिरोमणि चकिया उर्फ उदई क पुरा	आटा चक्की स्पेलर	600
176	श्री सभाकांत सरोज पुत्र श्री रामलाल भैसहिया लालीपुर	आटा चक्की	300
177	श्री रामजीत यादव पुत्र श्री श्रीनाथ यादव खरगपुर	आटा चक्की स्पेलर	600
178	श्री रामजीत मौर्य पुत्र श्री रामजस कोल्हुआ पाण्डेयपुर	आटा चक्की हालर	600
179	श्रीमती मंजूदेवी पत्नी स्व० रामधनी मौर्य कोल्हुआ	आटा चक्की	300
180	श्री रामधनी यादव पुत्र स्व० रजवन्ता यादव कोछिया	आटा चक्की स्पेलर	600
181	श्री आदेश विश्वकर्मा पुत्र श्री रमाशंकर चकपडरी	आटा चक्की	300
182	श्री दुःखीराम प्रजापति पुत्र श्री सुख्खु अभियां	आटा चक्की स्पेलर	600

183	श्री दिलिप कुमार साव पुत्र स्व० सिलगू साव सराय क्षत्रशाह बनकट	आटा चक्की राइसमिल	1300
184	श्री छविनाथ बिन्द पुत्र श्री मुन्नीलाल ठठरा	आटा चक्की स्पेलर हालर	900
185	श्री गुलाबधर गुप्ता पुत्र स्व० भोलानाथ पट्टीबेजांव	आटा चक्की स्पेलर हालर	900
186	श्री बीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्री हुबलाल महजूदा	आटा चक्की	300
187	श्री रमाकांत बिन्द पुत्र श्री शिवकुमार उगईपुर मोढ.	राइसमिल	1000
188	श्री धनकू बिन्द पुत्र श्री खेदूराम सुरियांवा	आटा चक्की हालर	600
189	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री अमरनाथ खरगपुर	आटा चक्की	300
190	श्री मिश्रीलाल यादव पुत्र स्व० शिवशंकर खरगपुर	आटा चक्की हालर	600
191	श्री जटाशंकर यादव पुत्र स्व० पंचूराम उर्फ रामसनेत कुसौड.ा	आटा चक्की स्पेलर	600
192	श्री विकास साहू पुत्र श्री गरीबगौरी शंकर कौंड.र	आटा चक्की स्पेलर	600
193	श्री धर्मराज पुत्र श्री अशरफी छनौरा	आटा चक्की स्पेलर	600
194	श्री हरिश्चन्द्र व श्री कृष्णचन्द्र पुत्र श्री देवनारायण सिंह बली क पुरा	आटा चक्की	300
195	श्री धर्मराज गुप्ता स्व० गुलाबचन्द गुप्ता विहियापुर	आटा चक्की स्पेलर	600
196	श्री राकेश कुमार मौर्य पुत्र स्व० हंसराज मौर्य लालीपुर	आटा चक्की	300
197	श्रीमती कलावती देवी पत्नी श्री दुर्बली यादव चकखुशहाल	आटा चक्की स्पेलर	600
198	श्री इन्द्रमणि उपाध्याय पुत्र श्री संकठा प्रसाद कस्तुरीपुर	आटा चक्की स्पेलर	600
199	श्री रामसेवक गौतम पुत्र श्री सूर्यबली बहुताचकडाही	आटा चक्की	300
200	श्री बबलू सरोज पुत्र श्री अमृतलाल सरोज	आटा चक्की स्पेलर	600
201	श्री ताराशंकर मिश्र स्व० रामप्रसाद मिश्र बदलीपुर	आटा चक्की	300
		योग	92220

(साधारण आपति सं०- 30)

प्रस्तर-7 जिला पंचायत- भदोही मेंवि० खण्ड -ज्ञानपुर में राइसमिल आटा चक्की हालर लाइसेन्स चिनी भट्ठा एवं दुकान कारपेट बुनाई पेन्ट पेट्रोलपम्प व अन्य लाइसेन्स न वसूलकर रु. 83710=00 संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अतः लाइसेंस धारक से अधावधि सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र. सं.	नाम व पता	लाइसेंस प्रकार	धनराशि
1	श्री उमाशंकर गुप्ता पुत्र श्री हीरालाल गुप्ता , भिदिउरा , ज्ञानपुर	आटा चक्की स्पेलर	600
2	श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री कपूरचन्द गुप्ता पटेल नगर , ज्ञानपुर	आटा चक्की	300
3	श्रीमती मुनरा देवी पत्नी श्री शातला प्रसाद , कोंवल	आटा चक्की	300
4	श्री भरतलाल पुत्र स्व० मानिक चन्द , कोंवल	आटा चक्की	300
5	श्री दयाराम पुत्र श्री भागीरथी , गोसाईं बाजार	राइस मिल	1000
6	उमाशंकर पुत्र श्री हीरालाल भीदिउरा	आटा चक्की स्पेलर	600
7	श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कल्लू गुप्ता , विश्वनाथपुर	मिनी राइस मिल	1000

8	श्री अगनू गुसा पुत्र श्री राम गरीब गुसा , हरिहरपुर	राइस मिल	1000
9	श्री किशोरी लाल पुत्र श्री जगरनाथ , गोसाईबाजार	राइस मिल आटा चक्की	1300
10	श्री नन्हकू बिन्द पुत्र श्री श्रीनाथ बिन्द , सरई मिश्रानी	राइस मिल	1000
11	श्री भरतलाल पुत्र स्व० मानिकचन्द , कांवल , ज्ञानपुर	आटा चक्की	300
12	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री दयाराम , गोसाईबाजार	मिनी राइस मिल आटा चक्की	1300
13	रूद्राक्ष राइस मिल प्रो. श्री आशुतोष पुत्र श्री रामलक्षन उर्फ मजनू , गोसाईबाजार	राइसमिल	1000
14	श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री शिवनाथ , विश्वनाथपुर	राइसमिल	1000
15	श्री रामनिहोर पुत्र श्री लौधर , देवनाथपुर	आटा चक्की	300
16	श्री नन्दलाल पुत्र श्री कड.ेदीन गुसा घूरीपुर , गोपीगंज	आटा चक्की	300
17	श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री भूलन भूज , नथईपुर , बारीगाँव गोसाईबाजार	राइस मिल	1000
18	श्री शेषमणि पुत्र द्वारिका , सुन्दरपुर	मिनी राइस मिल	500
19	श्री जिलाजीत पुत्र स्व० लालमणि गुसा , पटेलनगर	आटा चक्की	300
	----- ईट उद्योग / चिमनी भट्ठा-----		
20	वी.डी.एस ईट उद्योग प्रो. श्री वीर बहादुर सिंह पुत्र श्री राजनारायण सिंह , अकोढ.ा	चिमनी भट्ठा	6000
21	वी.के.एस. ईट उद्योग प्रो. श्री नारेन्द्र बहादुर सिंह , अकोढा	चिमनी भट्ठा	6000
22	एकता ईट उद्योग प्रो. रामसेवक यादव पुत्र श्री शीतला प्रसाद यादव , गरौरा मिश्र , कसिदहॉ	चिमनी भट्ठा	6000
23	जवान ईट उद्योग प्रो. श्री मुस्कमीन पुत्र श्री हनीफ व श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मेवालाल गोंड , कसिदहॉ	चिमनी भट्ठा	6000
24	मंगलम् ईट उद्योग प्रो. श्री हृदयनारायण मिश्र पुत्र स्व० श्यामनारायण मिश्र , कांवल, चककिसुनदासपुर	चिमनी भट्ठा	6000
25	माडर्न ईट उद्योग प्रो. श्री दीपनारायण सिंह पुत्र श्री कैलाशनाथ सिंह , नथईपुर , भगवानपुर चौथार	चिमनी भट्ठा	6000
26	एच. आर. वाई. ईट उद्योग प्रो. श्री हंसराज यादव पुत्र श्री लालता प्रसाद यादव , रोही , रामपुर केशरी	चिमनी भट्ठा	6000
	----- जनरल लाइसेंस , देवनाथपुर-----		
27	श्री विनोद कुमार सेठ पुत्र श्री छोटेलाल सेठ , देवनाथपुर	सोनारी की दुकान	500
28	छोटू बाम्बे कलक्शन , प्रो. श्री मोमिन खान पुत्र श्री सलीम खॉ , देवनाथपुर	कपडा	250
29	श्री रंगबहादुर पुत्र श्री रामकरन , देवनाथपुर	मिठाई	200
30	श्री राहुल मिश्रा पुत्र श्री शिवकांत मिश्रा , देवनाथपुर	जनरल	200
31	श्री धनीराम हलवाई पुत्र स्व० बलराम हलवाई , देवनाथपुर	मिठाई नमकीन	300
32	श्री शक्ति बरनवाल पुत्र श्री हरिशंकर बरनवाल, देवनाथपुर	किराना	200
33	न्यू पोशाक टेलर्स प्रो. मु० खान पुत्र श्री हनिफ , देवनाथपुर	सिलाई मशीन	200

34	श्री संतलाल पुत्र श्री रामलखन , देवनाथपुर	मेडिकल	150
35	श्री शिवकुमार मौर्य पुत्र श्री सजीवन मौर्य , देवनाथपुर	कपड़ाकी छोटी दुकान	250
36	श्री भुआल मौर्य पुत्र स्व० जयनारायण मौर्य , देवनाथपुर	जनरल स्टोर	200
37	श्री हिमांशू बरनवाल पुत्र श्री प्रमोद बरनवाल , देवनाथपुर	परचून गल्ला	300
38	श्री कन्हैया बिन्द पुत्र श्री सुखीराम बिन्द , देवनाथपुर	कबाड.	200
39	श्री सूर्यबली बिन्द पुत्र श्री बनवारी , देवनाथपुर	कबाड.	200
40	मंगला स्वीट हाउस प्रो. श्री राजमणि उमर पुत्र श्री शीतला प्रसाद , देवनाथपुर	मिठाई	200
41	श्री सुरजित कुमार पुत्र श्री सियाराम , देवनाथपुर	सुनारी कपड़ा	500
42	श्री शाहिद पुत्र श्री वली मुहम्मद , देवनाथपुर	गैस वेल्डिंग	200
43	यादव मेडिकल स्टोर प्रो. श्री जवाहरलाल यादव पुत्र श्री रामअधार यादव , देवनाथपुर	मेडिकल	150
44	श्री सियाराम पुत्र श्री रामशिरोमणि , देवनाथपुर	किराना	200
45	रविराज मेडिकल एवं जनरल स्टोर प्रो. श्री दिलिप कुमार पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद , देवनाथपुर	मेडिकल स्टोर्स	150
46	श्री गुलाबचन्द्र पुत्र श्री श्रीराम , देवनाथपुर	किराना	200
47	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री राम लुलारक , देवनाथपुर	बालू सीमेन्ट	500
48	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री लालचन्द्र , देवनाथपुर	किराना	200
49	श्री शगुनलाल मौर्य पुत्र श्री जगनारायण मौर्य , देवनाथपुर	किराना जनरल	400
50	प्रकाश हार्डवेयर प्रो. श्रीमती रीता देवी पत्नी स्व० प्रकाश मौर्य , देवनाथपुर	हार्ड वेयर	200
51	चौदसी दवाखाना प्रो. श्री सुकुमार पुत्र श्री निरंजन	दवाखाना	250
52	संजय प्लाईवुड एवं हार्डवेयर प्रो. श्री संजय कुमार मौर्य पुत्र श्री वंशराज मौर्य , देवनाथपुर	प्लाईवुड फर्नीचर हार्डवेयर	580
53	श्री विश्वनाथ पुत्र श्री माता प्रसाद , देवनाथपुर	किराना जनरल	400
54	प्रभा मेडिकल स्टोर्स प्रो. श्री आनन्द कुमार मौर्य पुत्र श्री रामजी , देवनाथपुर	मेडिकल	250
55	मौर्या हार्डवेयर प्रो. श्री आनन्द प्रकाश मौर्य पुत्र श्री देवराज मौर्य , देवनाथपुर	हार्ड वेयर	200
56	श्री उदयराम मौर्य पुत्र श्री रामप्रसाद मौर्य , देवनाथपुर	कपड़ाजूता चप्पल	450
57	विकास टेलर्स प्रो. श्री श्रीप्रकाश मौर्य पुत्र श्री मेवालाल मौर्य , देवनाथपुर	सिलाई	200
58	रवि मेडिकल स्टोर्स प्रो. श्री रवि कुमार पुत्र श्री जवाहरलाल , देवनाथपुर	मेडिकल	250
59	श्री सभाजीत पुत्र श्री श्यामलाल , देवनाथपुर	किराना जनरल	400
60	देव इंजिनियरिंग प्रो. श्री आकाश बरनवाल पुत्र श्री दीपचन्द्र बरनवाल , देवनाथपुर	हार्डवेयर टाईल्स	450
61	श्रीमती प्रभा देवी पत्नी श्री शिवशंकर , पटेलनगर	परचून जनरल	400

62	शिव इलेक्ट्रिक प्रो. श्री शिवकुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र सेठ , पटेलनगर	इलेक्ट्रिक बर्तन	400
63	श्री संतोष कुमार पुत्र महेन्द्र , पटेलनगर	मिठाई नमकीन	300
64	विश्वकर्मा प्लाईवुड , फर्नीचर प्रो. श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री बच्चू लाल , पटेलनगर	हार्डवेयर प्लाईवुड , फर्नीचर	700
65	श्री सीताराम विश्वकर्मा पुत्र श्री राम अभिलाख , पटेलनगर	फर्नीचर इमारती लकड़ी	500
66	अंसारी पेण्ट एण्ड हार्डवेयर प्रो. श्री शमशेर अली पुत्र श्री अब्दुल , पटेलनगर	हार्डवेयर	200
67	डीलक्स क्लथ सेन्टर प्रो. श्री खुर्सीद आलम पुत्र श्री अब्दुल रसीद , पटेलनगर	कपडा	250
68	श्री राजकुमार पुत्र श्री फूलचन्द्र , देवनाथपुर	किराना जनरल	400
69	श्री अब्दुल मजीद पुत्र श्री इसरत , देवनाथपुर	लोहा	200
70	सत्यम् विल्डिंग मैटेरियल प्रो. श्री श्यामनारायण पुत्र श्री शांता मौर्य , ग्राम -कटेवना , लक्ष्मणपट्टी	बालू सीमेन्ट	500
71	नारायण विल्डिंग मैटेरियल प्रो. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री रामलाल यादव , भद्रपुर , लक्ष्मणपट्टी	बालू सीमेन्ट	500
72	श्री दिव्य प्रकाश पुत्र श्री अजय कुमार , देवनाथपुर	फोटोग्राफी	200
73	दिव्यांशी मेडिकल स्टोर प्रो. श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री पुरजीत नारायण शर्मा , देवनाथपुर	मेडिकल	250
74	श्री हरिशंकर पुत्र स्व0 जंगीलाल , दुलहीपुर	किराना जनरल कपडा	600
75	श्री संजीव कुमार बिन्द पुत्र श्री खेमराज बिन्द , दुलहीपुर	विसारत जूता चप्पल	400
76	श्री शेषमणि पुत्र श्री खेमराज बिन्द , दुलहीपुर	विसारत जूता चप्पल	400
77	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री गिरजा शंकर , दुलहीपुर	मेडिकल	250
78	श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री अमरनाथ , दुलहीपुर	किराना	200
79	श्री राजनाथ यादव पुत्र श्री मिठाई लाल यादव , दुलहीपुर	मेडिकल स्टोर	250
80	श्री अच्युतानन्द दूबे पुत्र श्री जगन्नाथ दूबे , दुलहीपुर	किराना जनरल	400
81	श्री राजेश कुमार पुत्र राजाराम , दुलहीपुर	मिठाई	200
82	श्री भरत दूबे पुत्र स्व0 अमरनाथ , दुलहीपुर	किराना	200
83	श्री सीताराम पुत्र श्री राजकिशोर , दुलहीपुर	मिठाई नमकीन	300
84	श्री शिवशंकर पुत्र श्री श्रीकांत , दुलहीपुर	जनरल विसारत	400
85	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मेवालाल , दुलीहपुर	कपडा	250
86	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री शोभनाथ , दुलहीपुर	रेडिमेड जनरल	450
87	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार , दुलहीपुर	किराना जनरल	400
	----- गड.ेरियापुर-----		
88	श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व0 मुन्नीलाल , गडेरियापुर	सीमेन्ट	300
89	श्री सूरजमल पुत्र श्री मानिकचन्द , गडेरियापुर	जनरल स्टोर	200
90	श्री श्यामधर पुत्र श्री बद्रीप्रसाद , गडेरियापुर	परचून गल्ला	400
91	श्री विजयभान यादव पुत्र श्री रमाकांत यादव , गडेरियापुर	किराना परचून	400

92	श्री अनुराग मौर्य पुत्र श्री राजधर मौर्य , पुरानी मोढ. पो0 मोढ. , गडेरियापुर	मिठाई	200
	----- गोसाई बाजार-----		
93	श्री रामप्रसाद पुत्र श्री सत्यनारायण , गोसाई बाजार	कपडा	200
94	श्री मुन्नालाल पुत्र श्री रामनारायण , गोसाई बाजार	सोनारी	250
95	श्री रामप्रकाश पुत्र श्री सत्यनारायण , गोसाई बाजार	कपडा किराना जनरल	650
96	श्री गौरीशंकर पुत्र श्री जगन्नाथ , गोसाई बाजार	परचून जनरल	400
97	श्री गुलरबधर पुत्र श्री राजाराम , गोसाई बाजार	सिलाई मशीन	200
98	श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री जवाहलाल , गोसाई बाजार	परचून गल्ला	300
99	श्रीमती प्रभा देवी पत्न श्री शिवप्रसाद , गोसाई बाजार	परचून गल्ला जनरल	500
100	श्री अश्वनीय कुमार पुत्र श्री परमानन्द , गोसाई बाजार	परचून	200
101	अनुराग इलेक्ट्रिक प्रो. सुरेश कुमार पुत्र श्री देवकी प्रसाद , गोसाई बाजार	बिजली	
सामान	200		
102	श्री देवकी पुत्र श्री मिठाई लाल , गोसाई बाजार	कबाड.	200
103	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश , गोसाई बाजार	परचून किराना	400
104	श्री लालजी पाण्डेय पुत्र श्री ईश्वरी नारायण पाण्डेय , गोसाई बाजार	बर्तन	250
105	श्री दयाराम पुत्र श्री भागीरथी , गोसाई बाजार	कपडा	250
106	श्री दूधनाथ पुत्र श्री मोतीलाल , गोसाई बाजार	जनरल	200
107	श्री किसमिस लाल पुत्र श्री सीताराम , गोसाई बाजार	जूता चप्पल	200
108	श्री सुभाष चन्द तिवारी पुत्र स्व0 विश्वनाथ , धरांव	बालू सीमेन्ट	500
109	साई ज्वेलर्स प्रो. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद, गोसाई बाजार	सुनारी	250
110	श्री विनय कुमार पाण्डेय पुत्र लालजी, गोसाई बाजार	बर्तन	250
111	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री श्यामनारायण , गोसाई बाजार	मिठाई	200
112	श्री श्यामलाल चौंसिया पुत्र श्री मंगरू चौंसिया , पाली	किराना जनरल	400
113	श्री वैरभ ज्वेलर्स प्रो. श्री संदीप सेठ पुत्र श्री फूलचन्द सेठ , पाली	सोनारी	250
114	विश्वनाथ कृषि उद्योग प्रो. श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा , धरांव , वेदपुर	खाद बीज	200
115	माँ सरस्वती ज्वेलर्स प्रो. श्री अवधेश कुमार सेठ पुत्र श्री वेदप्रकाश सेठ , वेदपुर	सुनारी	250
116	अग्रवाल आटो मोबाइल्स प्रो श्री विनित कुमार अग्रवाल वेदपुर	ट्रैक्टर मरम्मत एवं सर्विस	200
117	गोपाल स्टील प्रो. श्री मुन्नीलाल विश्वकर्मा पुत्र श्री रघुनाथ विश्वकर्मा , धरांव	सीमेन्ट छड. पटिया लोहा वेल्डिंग	500
118	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण , इब्राहीमपुर	कबाड.	200
119	श्री अजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार , इब्राहीमपुर	कबाड.	200

		योग	83710

(साधारण आपति सं0- 31)

प्रस्तर-8 शासनादेश सं.- 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक -31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराया जाना चाहिए था , किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरित आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं , जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं :-

क्रम सं.	कार्य का नाम / विवरण	व्यय की धनराशि	क्रम सं.
1	बिछिया प्रा. विद्यालय से बिछिया चौरामाता मंदिर तक 450 मी. लेपन कार्य	1377824	1
2	संसारापुर से पहलवानवीर बाबा तक 300 मी. सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	367024	2
3	पल्हैया हनुमान मंदिर से चारागाह तक 230 मी. लेपन कार्य	636272	3
4	झौंवा- सिकन्दरा संपर्क मार्ग से सरकारी ट्यूबेल तक 700 मी. लेपन मरम्मत कार्य	632912	4
5	अमिलौर मार्ग से दीना नाथ के घर के तरफ 300 मी. लेपन कार्य	620368	5
6	सरई रजपुतानी यादव के खेत से सरईरजपुतानी पिच रोड तरफ 650 मी. खड.जा कार्य	895888	6
7	सम्मई रजपुतानी सुन्दरवन मार्ग से लालजी यादव के घर के तरफ 550 मी. लेपन कार्य	727328	7
		योग	5257616

उक्त किया गया व्यय शासनादेश के विरुद्ध होने के कारण अनियमित रहा ,सम्बन्धित पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपति सं0- 32)

जिला पंचायत मीरजापुर लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21

प्रस्तर—1 जिला पंचायत मीरजापुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-
खनन विभाग द्वारा जिला पंचायत को सुलभ कराई गई सूची अनुसार जनपद में 127 स्टोन कार प्लाण्ट व 39 स्टोन कटिंग प्लाण्ट है। इस प्रकार कुल 166 प्लाण्ट है। जिनमें 12 बन्द (सीज्ड) हैं। 154 प्लाण्टों से लाइसेन्स शुल्क व कर का रु० 10000.00 प्रति प्लाण्ट जिला पंचायत को वार्षिक देय है। सम्प्रेक्षण वर्ष 2020-21 में मात्र 82 प्लाण्टों से वसूली दर्शित है। इस प्रकार 72 प्लाण्टों से कोई वसूली / आय जिला पंचायत को नहीं हुई है। जिससे संस्था को रु० 720000.00 की आर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिए सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक के साथ कर अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या—05)

प्रस्तर—2 ईट भट्टों की लाइसेन्स पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में 216 भट्टों से लाइसेन्स शुल्क व कर की वसूली हुई है। जिसमें वि०खं० सीखड़ के 20, वि०खं० सीटी के 26, वि०खं० मझवां के 14, वि०खं०

जमालपुर के 25, वि०सं० छानबे के 31, वि०खं० नरायनपुर के 95, वि० खं० पहाड़ी के 4 तथा वि० खं० राजगढ़ के 1 भट्टे से लाइसेन्स शुल्क व कर की वसूली हुई है। अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूची के अनुसार जनपद में कुल 343 ईट भट्टे संचालित हो रहे हैं। जिनमें 216 भट्टों से वर्ष में वसूली हुई एवं 127 ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली नहीं हुई। प्रति ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क व कर का रु० 10000.00 न्यूनतम आरोपण होता है। इस प्रकार रु० 1270000.00 की आर्थिक क्षति संस्था को हुई है। जिसके लिए सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक के साथ-साथ कर अधिकारी उत्तरदायी रहे। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल

आपति संख्या—06)

प्रस्तर—3

शासनादेश के अधीन घाट पथकर वसूली पर रोक के कारण नौका घाट ठेका बन्द है। किन्तु नौका घाट पंजिका अनुसार वर्ष 1952-53 से 2008-09 तक का रु० 437736.00 वर्ष 2013-14 का रु० 25100.00 वर्ष 2016-17 का रु० 53000.00 कुल रु० 511838.00 बकाया है। बकाया वसूली हेतु ठोस एवं सार्थक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या—19)

प्रस्तर—4

अन्त्योदय योजनान्तर्गत वितरित ऋण का रु० 37.95 लाख वसूली हेतु गत वर्षों से बकाया चला आ रहा है। उक्त से सम्बन्धित अभिलेख एवं बकाये ऋण की वसूली हेतु संस्था द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त की वसूली हेतु सार्थक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि शासन को प्रेषित सूचना पुस्तिका में भी इस ऋण को नहीं दिखाया जा रहा है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या—20)

जनपद-सोनभद्र

मण्डल-विन्ध्याचलधाम मण्डल

जिला पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-1

आलोच्य वर्ष 20-21 में जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा ग्राम सभा बगाड़ के बोलता करमटोला में देवमूरत के घर तक सी०सी०रोड मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत वर्ष 2018-19 राज्य वित्त योजनान्तर्गत

विकास खण्ड दुद्धी लम्बाई 90 मीटर

अनुबन्ध/स्वीकृत धनराशि — रु० 549450.00

कार्य प्रारम्भ तिथि- 16.11.2018

समाप्ति तिथि- 15.02.2019

अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित प्रथम भुगतान धनराशि- रु० 478240.00

(सी०जी०एस०टी०+ एस ०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 8540.00

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 42700.00

ठेकेदार मे० गायत्री कन्स० प्रो० गायत्री मिश्रा को भुगतान रु० 401877.00

कुल व्यय भुगतान- रु० 444577.00

भुगतान हेतु अवशेष धनराशि - रु० 72210.00

पत्रावली अवलोकन में दिनांक 04.07.2020 की अवर अभियन्ता श्री विनोद वर्मा द्वारा कार्य स्थिति कर रिपोर्ट लगी है।

उक्त निर्माण कार्य में निम्न गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-

(क) अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार मे० गायत्री कन्स० प्रो० गायत्री मिश्रा से उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री-बालू 38 घन मी०, डाला 37 घन मी०, सुकृत 48 घन मी०, पर रॉयल्टी की कुल धनराशि रु० 101400.00 जमा नहीं करायी गयी जबकि निर्माण कार्य में व्यय की जानी वाली धनराशि रु० 72210.00 ही अवशेष रह गयी है।

(ख) चूँकि कार्य पूर्णता की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2020 को ही रह गयी है। अतएव कार्य विलम्ब से पूर्ण जाने के कारण उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार विलम्ब प्रतिकर, निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 549450.00 का 10 प्रतिशत (अधिकतम) रु० 54945.00 आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।

(ग) प्रतिज्ञापत्र के बिन्दु 3 व 7 का स्टेटमेंट नहीं भरा पाया गया।

(घ) साक्षी का हस्ताक्षर प्रतिज्ञापत्र पर नहीं पाया गया।

अतएव रॉयल्टी के रूप में रु० 101400.00 तथा विलम्ब प्रतिकर रु० 54945.00 कुल रु० 156345.00 ठेकेदार से वसूली कर रॉयल्टी जमा करायी जाये तथा विलम्ब प्रतिकर, जिला पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त की वसूली न किये जाने की दशा में उक्त आपत्ति के लिये संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार वर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी जिम्मेदार रहें।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र/शासन को रु० 156345.00 की हानि पहुँची है। अतएव ठेकेदार से वसूली न होने पर इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०(6)

प्रस्तर संख्या-2

आलोच्य वर्ष 20-21 में जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा कृत कार्य खैरटिया ओम चौराहे से सेक्टर 02 तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य

विकास खण्ड चोपन लम्बाई 400 मीटर

ठेकेदार माँ शारदा कन्सट्रक्सन प्रो० सावित्री सिंह

निर्माण हेतु अनुबन्ध/स्वीकृत धनराशि - रु० 1038378.00

निर्माण कार्य स्वीकृत वर्ष- 2018-19

कार्य प्रारम्भ तिथि- 02.11.2018 व समाप्ति तिथि- 02.01.2019

अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित प्रथम भुगतान धनराशि- रु० 812000.00

आयकर रु० 16313.00, श्रम उपकर रु० 7250.00, विलम्ब प्रतिकर रु० 30.00

(सी०जी०एस०टी०+ एस ०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 14500.00

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 72500.00

ठेकेदार माँ शारदा कन्सट्रक्सन प्रो० सावित्री सिंह को भुगतान रु० 701407.00

कुल व्यय भुगतान- रु० 812000.00

भुगतान हेतु अवशेष धनराशि - रु० 226378.00

पत्रावली अवलोकन में दिनांक 10.09.2020 की अवर अभियन्ता श्री विनोद वर्मा द्वारा कार्य स्थिति की जाँच की गयी है।
उक्त निर्माण कार्य में निम्न गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-

(क) अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार माँ शारदा कन्सट्रक्सन प्रो० सावित्री सिंह से उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री - बालू 61.73 घन मी०, डाला 84.06 घन मी०, सुकृत 445.05 घन मी०, पर रॉयल्टी की कुल धनराशि रु० 429996.00 जमा नहीं करायी गयी जबकि निर्माण कार्य में व्यय की जानी वाली अवशेष धनराशि रु० 226378.00 ही शेष रह गया है।

(ख) दिनांक 04.07.2020 को श्री विनोद वर्मा द्वारा कार्य स्थिति की जाँच की गयी तथा कार्य पूर्ण माना गया। ठेकेदार से कार्य विलम्ब से पूर्ण जाने के कारण उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार विलम्ब प्रतिकर, निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1038378.00 का 10 प्रतिशत (अधिकतम) रु० 103838.00 आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए जबकि मात्र रु० 30.00 वसूल किया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा ठेकेदार से विलम्ब प्रतिकर के रूप में वसूल की जानी वाली धनराशि से रु० 103808.00 कम वसूल किया गया है।

अतएव रॉयल्टी के रूप में रु० 429996.00 तथा विलम्ब प्रतिकर रु० 103808.00 कुल रु० 533804.00 ठेकेदार से वसूली कर उसमें से रॉयल्टी जमा करायी जाये तथा शेष राशि जिला पंचायत खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। उक्त आपत्ति के लिये संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार वर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी जिम्मेदार रहें।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र/शासन को रु० 533804.00 की हानि पहुँची है। जिसकी ठेकेदार से वसूली न किये जाने की दशा में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से की जाये। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०(7)

प्रस्तर संख्या-3

जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा विकास खण्ड चोपन के ग्राम पंचायत घघिया में चबूतरा से लेकर कन्हाई चैरो के घर तक सी०सी०रोड मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 154 मीटर

ठेकेदार मो० शमीम

निर्माण हेतु अनुबन्ध/स्वीकृत धनराशि – रु० 924075.00

निर्माण कार्य स्वीकृत वर्ष- 2018-19

कार्य प्रारम्भ तिथि- 16.11.2018 व समाप्ति तिथि- 15.02.2019

अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित प्रथम भुगतान धनराशि- रु० 700000.00

कार्य विलम्ब से पूर्ण किया गया है व विलम्ब प्रतिकर रु० 245.00 काटा गया है। ठेकेदार से कार्य विलम्ब से पूर्ण जाने के कारण उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार विलम्ब प्रतिकर, निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 924075.00 का 10 प्रतिशत (अधिकतम) (निर्माण कार्य 45 दिन से अधिक विलम्ब होने पर) रु० 92408.00 आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए जबकि मात्र रु० 245.00 वसूल किया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा ठेकेदार से विलम्ब प्रतिकर के रूप में रु० 92163.00 कम विलम्ब प्रतिकर वसूल किया गया है। अतएव अवशेष विलम्ब प्रतिकर रु० 92163.00 ठेकेदार मो० शमीम से वसूली कर जिला पंचायत खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। उक्त आपत्ति के लिये संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार वर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी जिम्मेदार रहें।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र/शासन को रु० 92163.00 की हानि पहुँची है। अतएव ठेकेदार से वसूली न किये जाने की दशा में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से की जाये। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०(9)

प्रस्तर संख्या-4

जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा विकास खण्ड नगवां के ग्राम मउकलों में बुल्लू मौर्या के घर से पप्पू मौर्या के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य

लम्बाई 99 मीटर

ठेकेदार मे० एस० आर० एस० आर० कन्सट्रक्सन प्रा० लि० प्रो० राजेन्द्र पाठक नीरज पाठक

निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध/स्वीकृत धनराशि - रु० 471000.00

निर्माण कार्य स्वीकृत वर्ष- 2018-19

कार्य प्रारम्भ तिथि- 17.12.2018 व समाप्ति तिथि- 16.03.2019

अवर अभियन्ता रमेश राम चौरसिया द्वारा प्रस्तावित भुगतान धनराशि- रु० 351400.00

आयकर रु० 7062.00, श्रम उपकर रु० 3139.00

(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 6277.00

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 31384.00

ठेकेदार मे० एस० आर० एस० आर० कन्सट्रक्सन प्रा० लि० प्रो० को भुगतान रु० 303538.00

योग - रु० 334922.00

कुल व्यय भुगतान- रु० 351400.00

भुगतान हेतु अवशेष धनराशि - रु० 119600.00

दिनांक 03.03.2019 को अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया की रिपोर्ट में पाया गया कि कार्यावधि के दौरान इण्टरलॉकिंग कार्य जगह जगह फटकर उखड़ गया है परन्तु बार बार नोटिस के बावजूद मरम्मत/निर्माण नहीं कराया गया। कार्य अधूरा है, पूर्ण करने/कराने में रुचि नहीं ली जा रही है अतएव उक्त निर्माण कार्य में निम्न गंभीर आपत्तियों प्रकाश में लायी जाती है।

(क) कार्यावधि के दौरान अवर अभियन्ता दिनांक 03.03.2019 को अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया द्वारा रिपोर्ट किये जाने के बाद पत्रावली में दो साल बाद दिनांक 19.02.2021 को अभियन्ता द्वारा रिपोर्ट किये जाने का पत्र है। इस बीच ठेकेदार से कार्य पूर्ण कराने हेतु वार्तालाप का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है जबकि कार्य समाप्ति तिथि से छः (०6) माह बीतने के उपरांत कार्य को नहीं किये जाने/अपूर्ण छोड़ दिये जाने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधानुसार तथा प्रतिज्ञापत्र व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार तत्संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए। ऐसा न करके उक्त धनराशि रु० 351400.00 का दुरुपयोग कर लिया गया है। जिसके लिये ठेकेदार मे० एस० आर० एस० आर० कन्सट्रक्सन प्रा० लि० प्रो० राजेन्द्र पाठक नीरज पाठक व संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी जिम्मेदार रहें।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को रु० 351400.00 की हानि पहुँची है। जिसकी वसूली ठेकेदार से किया जाये। ठेकेदार से वसूली न हो पाने की दशा में उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से की जाये। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) चूँकि ठेकेदार मे० एस० आर० एस० आर० कन्सट्रक्सन प्रा० लि० प्रो० राजेन्द्र पाठक नीरज पाठक द्वारा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। अतएव उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के

अनुसार कार्य के अत्यधिक 45 दिन/06 माह/02 साल विलम्ब हो जाने कारण निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 471000.00 का 10 प्रतिशत (अधिकतम) रु० 47100.00 विलम्ब प्रतिकर आरोपन कर ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में धनराशि रु० 47100.00 की वसूली जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाये। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०(10)

प्रस्तर संख्या-5

जिला पंचायत सोनभद्र की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके जिलानिधि से कराये जाने वाले निम्न मदों में किया गया है।

(क) जि०पं० अधिकारी/कर्मचारी आवास मरम्मत पर व्यय – रु० 97881.00

(ख) पुराना जि०पं० कार्यालय/शौचालय – रु० 279965.00

(ग) जि०पं० कर्मचार आवास मरम्मत पर व्यय – रु० 853929.00

(घ) जि०पं० गेट निर्माण - रु० 310630.00

(ङ) आवास मरम्मत पर व्यय – रु० 320947.00

(च) शिक्षण प्रशिक्षण पर व्यय – रु० 106267.00

(छ) अभियन्ता आवास में विद्युत फिटिंग पर व्यय – रु० 92368.00

(ज) जि०पं० आवासीय कॉलोनी में टाईल्स लगाने पर व्यय – रु० 712975.00

योग – रु० 2774962.00

उपरोक्त मदों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रु० 2774962.00 का उपभोग जिलानिधि से किया जाना चाहिए। जिलानिधि में पर्याप्त धनराशि रहने के बावजूद उक्त धनराशि रु० 2774962.00 उपभोग राजकीय अनुदान जो कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिये आवंटित धन है, से की गयी है। ऐसा करके संस्था के अधिकारियों द्वारा अनियमितता की गयी है जिसके लिये अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, वित्त परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय व लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहें। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०(11)

प्रस्तर संख्या-6

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से वर्ष 2017-18 में 16 परियोजनायें तथा वर्ष 2018-19 में 21 परियोजनायें ऐसी रहीं जिनका कार्य आरम्भ किया गया था। इस प्रकार आलोच्य वर्षान्त तक से राज्य वित्त आयोग मद से कुल 37 परियोजनायें ऐसी रहीं जिय पर कुल रु० 18205546.00 व्यय करके कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। आगे वर्ष 2020-21 में जिलानिधि से स्वीकृत कुल 49 ऐसी परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करके वर्षान्त तक उसे पूर्ण नहीं कराया गया। इन 49 परियोजनाओं पर रु० 11812445.00 व्यय किया गया है। अतएव राज्य वित्त आयोग मद तथा जिलानिधि मद की कुल 86 परियोजनाओं पर कुल रु० 30017991.00 व्यय कर कार्य को अपूर्ण रख कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत (तत्कालीन), श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, वित्त परामर्शदाता श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव (तत्कालीन), श्री अमरनाथ राय व लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहें। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। सामान्य आपत्ति सं०(12)

प्रस्तर संख्या-7

जनपद सोनभद्र की राबर्टसगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत तीनताली स्थित जिला पंचायत का 01 बीघा 12 बीस्वा का कृषि भूखण्ड है, जिसे अनुराग श्रीवास्तव, ओमप्रकाश, जयप्रकाश, रविप्रकाश पुत्र स्व० हीरालाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम बहुअरा तहसील राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र द्वारा कब्जा की गयी है। उनके द्वारा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक किराया के रूप में मात्र रु० 1200.00 प्राप्त करना रोकड़वही में दर्शित है। ज्ञात हो कि उक्त भूखण्ड उक्त कब्जेदारों के पास वर्ष 2004 अथवा उससे भी अधिक समय से कब्जा है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार प्रति 03 वर्ष पर 15 प्रतिशतकी वृद्धि की जानी चाहिये अथवा सालाना निविदा द्वारा उसका बोली लगावाकर किराया निर्धारित किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा कि उक्त भूखण्ड का वार्षिक किराया बाजारू दर कम से कम रु० 12000.00 प्रति बीघा की दर से कुल रु० 18000.00 सालाना की दर से वर्ष 2020-21 में वसूली की जानी चाहिए जबकि मात्र रु० 1200.00 की वसूली की गयी है।

अतएव रु० 16800.00 कम वसूली करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी है। इसके लिये कर अधिकारी श्री निलेश कुमार, क्षेत्रीय कर समाहर्ता, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहें। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं०(13)**

प्रस्तर संख्या-8

आलोच्य वर्ष 2020-21 के वर्षान्त में 31.03.2021 को जिला पंचायत की अनुदान रोकड़वही के अनुसार रोकड़ शेष रु० 389843105.04 रहा तथा बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार अवशेष रु० 393158304.04 रहा। इसप्रकार दोनों अभिलेख में अन्तर रु० 3315199.00 का रहा। जिला पंचायत लेखा अनुभाग द्वारा इस प्रकार की अन्तर की धनराशि का समाधान विवरण पत्र तैयार कर बैंक शाखा से उसकी पुष्टि न कराकर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा व अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी पर रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०(14)

प्रस्तर संख्या-9

कार्य का नाम- ग्राम रायपुर काली मंदिर के पास इण्टरलॉकिंग कार्य लम्बाई 99 मीटर

वित्तीय वर्ष 2018-19 विकास खण्ड नगवां लागत रु० रु०4.71 लाख

ठेकेदार मे० बाबा मिराजशाह इ०प्रा० प्रो० हिदायतुलला खाँ

निर्माण कार्य स्वीकृत वर्ष- 2018-19

अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया

प्रथम प्रस्तावित भुगतान - रु० 378210.00

आयकर रु० 7598.00, श्रम उपकर रु० 3377.00, विलम्ब शुल्क रु० 85.00

(सी०जी०एस०टी०+ एस ०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 6754.00

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 33769.00

ठेकेदार को भुगतान - रु० 326627.00

योग - रु० 360396.00

महायोग - रु० 378210.00

अंतिम बिल प्रस्तुत तिथि 22.12.2019 रही।

अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर कार्य पूर्ण होने में विलम्ब रहा।

अंतिम बिल रु०- 412800.00 + जी०एस०टी० 12 प्रतिशत- रु० 49536.00 योग - रु० 462336.00

प्रथम बिल जो भुगतान हो गया- रु० 378210.00

अवशेष धनराशि - रु० 84126.00

आयकर 2.25 प्रतिशत - रु० 1690.00

श्रम उपकर 01 प्रतिशत – रु० 751.00

विलम्ब प्रतिकर – रु० 1345.00

जी०एस०टी० 02 % - रु० 1502.00

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 7511.00

रॉयल्टी - रु० 12320.00

अंतिम बिल रु० 59007.00 जो भुगतान नहीं किया गया है।

उक्त निर्माण कार्य में निम्न गंभीर आपत्तियाँ प्रकाश में लायी जाती है:-

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य में अवर अभियन्ता द्वारा अंतिम बिल रु० 59007.00 प्रस्तुत किया गया जो भुगतान नहीं किया गया है। कार्य की समाप्ति तिथि 15.02.2019 रही जबकि कार्य विलम्ब से छः(06) माह से अधिक समय बीतने के उपरान्तपूर्ण किया गया है। अतएव विलम्ब प्रतिकर कुल धनराशि का 10 प्रतिशत रु० 47100.00 निर्धारित कर वसूल किया जाना चाहिए जबकि मात्र रु० 1430.00 ही वसूल किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार विलम्ब प्रतिकर से की अवशेष धनराशि रु० 42390.00 जो वसूल नहीं की गई, की वसूली किया जाना अपेक्षित रहा।

(ख) साक्षी का हस्ताक्षर प्रतिज्ञापत्र पर नहीं पाया गया जो अपेक्षित रहा।

अतएव उपर्युक्त आपत्ति के लिये संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहें।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र/शासन को रु० 42390.00 की हानि पहुँची है। जिसकी वसूली ठेकेदार से न हो पाने की की दशा में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से की जाये।

सामान्य आपत्ति सं०(20)

प्रस्तर संख्या-10

कार्य का नाम- ग्राम बैनी मेन रोड से कमलेश पटेल के खेत तक लेपन कार्य

लम्बाई 555 मीटर

वित्तीय वर्ष 2017-18/2018-19

स्वीकृत धनराशि – रु० 868260.00

कार्य प्रा० तिथि – 28.11.2018 व समाप्ति तिथि -28.02.2019

अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया

प्रथम प्रस्तावित भुगतान - रु० 344104.00

आयकर रु० 6913.00, जमानत – रु० 37826.00 श्रम उपकर रु० 3073.00, विलम्ब शुल्क रु० 00.00

(सी०जी०एस०टी०+ एस ०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 6145.00

ठेकेदार श्री राकेश सिंह पुत्र श्री कमला सिंह द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 30724.00

ठेकेदार को भुगतान - रु० 259423.00

योग - रु० 290147.00

महायोग – रु० 344104.00

अवशेष रु० 524156.00

अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया द्वारा प्रथम बिल रिपोर्ट 22.04.2019 को रु० 344104.00 का दिया गया भुगतान जो कर दिया गया है उक्त निर्माण कार्य को किये जाने के क्रम में निम्न गंभीर आपत्तियाँ प्रकाश में लायी जाती हैं।

(क). निर्माण कार्य प्रा० तिथि - 28.11.2018 व समाप्ति तिथि -28.02.2019 रही। अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया द्वारा प्रथम बिल रिपोर्ट निर्माण कार्य की समाप्ति तिथि -28.02.2019 के उपरान्त दि० 22.04.2019 को प्रस्तुत की गई। जिसमें विलम्ब प्रतिकर निर्माण में स्वीकृत धनराशि रु० 868260.00 का 01 प्रतिशत (8683.00) काटकर भुगतान करना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार विलम्ब प्रतिकर रु० 8683.00 काटे बिना अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा द्वारा भुगतान की स्वीकृति देकर भुगतान कर दी जाती है।

(ख). कार्य कराये जाने की समाप्ति तिथि -28.02.2019 से 02 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य अपूर्ण है। अतएव प्रथम रनिंग बिल का भुगतान कर संस्था के अधिकारियों द्वारा संस्था को क्षति पहुँचायी गयी है। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 344104.00 तथा उपरोक्त विलम्ब प्रतिकर रु० 8683.00 कुल रु० 352787.00 की वसूली ठेकेदार श्री राकेश सिंह पुत्र श्री कमला सिंह से किया जाये अन्यथा की दशा में संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया, वित्त परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा। **सामान्य आपत्ति सं०(21)**

प्रस्तर संख्या-11

कार्य का नाम- ग्राम बैनी तालाब से बरहुआ रोड तक लेपन कार्य

लम्बाई 555 मीटर

वित्तीय वर्ष 2018-19

स्वीकृत धनराशि - रु० 868260.00

कार्य प्रा० तिथि - 27.11.2018 व समाप्ति तिथि -27.02.2019

ठेकेदार मे० सिंह इण्टरप्राइजेज प्रो० विष्णुदेव चन्द्रांशु

प्रथम प्रस्तावित भुगतान - रु० 316946.00

आयकर रु० 6368.00, श्रम उपकर रु० 2830.00, विलम्ब शुल्क रु० 00.00

(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 5660.00

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 28299.00

ठेकेदार को भुगतान - रु० 235963.00

योग - रु० 264262.00

महायोग - रु० 316946.00

भुगतान हेतु अवशेष रु० 551914.00

कार्य समाप्ति तिथि -27.02.2019 के बाद दिनांक 08.03.2019 को अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया द्वारा प्रथम रनिंग बिल में अंकन रु० 316946.00 ठेकेदार मे० सिंह इण्टरप्राइजेज प्रो० विष्णुदेव चन्द्रांशु, को भुगतान की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 11.03.2019 को अभियन्ता द्वारा स्वीकृति उपरांत 12.03.2019 को लेखाकार द्वारा स्वीकृति देकर दिनांक 13.03.2019 को भुगतान कर दी जाती है। जबकि कार्य पूर्ण करने की स्वीकृत तिथि 27.02.2019 तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। फिर भी विलम्ब प्रतिकर स्वीकृत धनराशि का 01 प्रतिशत अर्थात् रु० 8683.00 न आरोपित कर भुगतान कर दिया गया। कार्य प्रारम्भ कराए जाने की समाप्ति तिथि 27.02.2019 से (03) तीन से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य अपूर्ण है। जबकि कार्य समाप्ति तिथि से (06) छः माह बीतने के उपरांत कार्य को नहीं किए जाने/अपूर्ण छोड़ दिए के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधानानुसार तथा प्रतिज्ञापत्र व अनुबन्ध की शर्तों

के अनुसार तत्संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिये ऐसा न करके उक्त धनराशि रूपया 316946.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ठेकेदार मे०सिंह इन्टरप्राइजेज प्रो० विष्णुदेव चन्द्रांशु की ठेकेदारी लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिये। इसके लिए संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया, तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहे। उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को रु० 316946.00 तथा रु० 8683.00 की हानि पहुँची है जिनकी वसूली ठेकेदार से किया जाये। ठेकेदार से वसूली न हो पाने की दशा में उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से की जाये। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपति सं० (22)

प्रस्तर संख्या-12

कार्य का नाम ग्राम सरईगाढ़ में जूनियर हाईस्कूल से लालचन्द्र के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।

लम्बाई 137 मीटर ।

वित्तीय वर्ष 2018-19, स्वीकृत धनराशि – रु० 805386.00

कार्य प्रा० तिथि 27.11.2018 व समाप्ति तिथि 26.02.2019

ठेकेदार मे०सिंह इन्टरप्राइजेज प्रो० विष्णुदेव चन्द्रांशु

प्रथम रनिंग बिल/प्रस्तावित भुगतान रु० 697520.00, आयकर रु० 14013.00.

श्रम उपकार रु० 6228.00 , विलम्ब शुल्क रु० 125.00, जमानत रु० 31539.00,

(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 12456.00,

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 62279.00

ठेकेदार को भुगतान - रु० 570880.00,

महायोग - रु० 67520.00,

भुगतान हेतु अवशेष – रु० 107866.00

अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया द्वारा प्रथम रनिंग बिल प्रस्तुत किया गया। जबकि कार्य पूर्ण करने की स्वीकृत तिथि 27.02.2019 है। जिसे अभियन्ता अवर अभियन्ता तथा अपर मुख्य अधिकारी वित्त परामर्शदाता आदि अधिकारीगण द्वारा 19.06.2019 को स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 21.06.2019 को लेखाकार द्वारा वैध पाए जाने पर दिनांक 21.06.2019 को उक्त धनराशि रु० 697620.00 भुगतान कर दी जाती है। उक्त भुगतान की गई धनराशि रु० 697520.00 में रु० 125.00 मात्र विलम्ब शुल्क काटा गया जबकि कार्य समाप्ति तिथि से लगभग 112 दिन विलम्ब रहा। अतएव विलम्ब शुल्क स्वीकृत धनराशि रु० 805386.00 का 10 प्रतिशत अर्थात् रु० 80539.00 काटा जाना चाहिये।

इस प्रकार रु० 80414.00 कम विलम्ब शुल्क काटकर जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गई है। जिसकी भरपायी ठेकेदार से न कर पाने की स्थिति में जिला पंचायत के उपरोक्त अधिकारीगण से वसूल कर किया जाना अपेक्षित रहा।

कार्य के अपूर्ण रहने के बावजूद जिला पंचायत के उपरोक्त अधिकारीगण द्वारा उक्त कार्य कराए जाने के क्रम में प्रथम रनिंग बिल के रूप में रु० 86.6 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान किया जाना अनुचित रहा। ज्ञात हो कि उक्त ठेकेदार मे० सिंह इन्टरप्राइजेज प्रो० विष्णुदेव चन्द्रांशु द्वारा इससे अलग कई कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया है तथा भुगतान प्राप्त कर कार्य पूर्ण कराने में रुचि नहीं ली जा रही है।

इस प्रकार उक्त कार्य को प्रारम्भ कराए जाने की समाप्ति तिथि 26.02.2019 से (03) तीन से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य अपूर्ण है। जबकि कार्य समाप्ति तिथि से (06) छः माह बीतने के उपरांत कार्य को नहीं किए जाने/अपूर्ण छोड़ दिए जाने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधानानुसार तथा प्रतिज्ञापत्र व अनुबन्ध की

शर्तों के अनुसार तत्संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिये। ऐसा न करके उक्त धनराशि रु० 697520.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए ठेकेदार मे०सिंह इन्टरप्राइजेज प्रो० विष्णुदेव चन्द्रांशु की ठेकेदारी लाइसेंस स्वीकृति निरस्त करने जमानत जब्त करने के साथ साथ उक्त भुगतानित रु० 497520.00 तथा रु० 80414.00 कम वसूल की गई। विलम्ब शुल्क की धनराशि की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित रहा। ठेकेदार से वसूली न हो पाने की दशा में जिला पंचायत सोनभद्र के जिम्मेदार अधिकारीगण, अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा से किया जाना अपेक्षित रहा।

सामान्य आपति सं० (23)

प्रस्तर संख्या-13

कार्य का नाम ग्राम कजियारी में लालमोहन के घर से प्रेमनारायन प्रजापति के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।

लम्बाई 129 मीटर

वित्तीय वर्ष 2018-19 स्वीकृत धनराशि रु० 755486.00

कार्य प्र० तिथि 03.01.2019 व समाप्ति तिथि 02.04.2019

ठेकेदार मे० स्वस्तिक प्रो० धर्मेन्द्र सिंह

प्रथम रनिंग बिल/प्रस्तावित भुगतान रु० 244215.00 आयकर रु० 4907.00 विलम्ब शुल्क रु० 03.00

श्रम उपकर रु० 2181.00,

(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 4361.00,

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 21805.00

ठेकेदार को भुगतान - रु० 210958.00

महायोग - रु० 244215.00

भुगतान हेतु अवशेष रु० 511271.00,

अवर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया द्वारा प्रथम रनिंग बिल 22.04.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसे समस्त अधिकारीगण द्वारा स्वीकृति उपरांत 27.05.2019 को भुगतान कर दिया गया है। उक्त कार्य के निर्धारित तिथि 02.04.2019 तक पूर्ण नहीं किए जाने के कारण विलम्ब शुल्क स्वीकृत धनराशि का 01 प्रतिशत अर्थात् रु० 7555.00 काटा जाना चाहिये जबकि मात्र रु० 03.00 ही काटकर जिला पंचायत को रु० 7552.00 की क्षति पहुँचायी गई है। इस प्रकार उक्त कार्य को प्रारम्भ कराए जाने की समाप्ति तिथि 02.04.2019 से (03) तीन से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य अपूर्ण है। जबकि कार्य समाप्ति तिथि से (06) छः माह बीतने के उपरांत कार्य को नहीं किए जाने/अपूर्ण छोड़ दिए जाने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधानानुसार तथा प्रतिज्ञापत्र व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार तत्संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिये। ऐसा न करके उक्त धनराशि रु० 244215.00 का अनियमित रूप से भुगतान कर दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए ठेकेदार मे० स्वस्तिक कं० प्रो० धर्मेन्द्र सिंह की ठेकेदारी लाइसेंस स्वीकृति निरस्त करने, जमानत जब्त करने के साथ साथ उक्त धनराशि रु० 244215.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित रहा। इसप्रकार अवशेष विलम्ब प्रतिकर जो कम वसूल की गई रु० 7552.00 तथा निर्माण कार्य अपूर्ण/अधूरा छोड़ने के कारण दुरुपयोग की गई धनराशि रु० 244215.00 की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित रहा। ठेकेदार से वसूली न हो पाने की दशा में जिला पंचायत सोनभद्र के जिम्मेदार अधिकारीगण यथा अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अपर अभियन्ता श्री रमेश राम चौरसिया, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा से उक्त धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपति सं० (24)

प्रस्तर संख्या-14

कार्य का नाम ग्राम नेमना के जयनारायन सिंह के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य।

लम्बाई 30 मीटर।

वित्तीय वर्ष 2018-19, स्वीकृत धनराशि रु० 1391474.00

कार्य प्रा० तिथि 01.11.2018 व समाप्ति तिथि 02.01.2019

ठेकेदार कार्तिकेय इन्टरप्राइजेज प्रो० शान्ति देवी

प्रथम रनिंग भुगतान - रु० 265440.00

24.04.2019 को द्वितीय रनिंग बिल / प्रस्तावित भुगतान - रु० 463680.00

अवर अभियन्ता - श्री विनोद वर्मा

आयकर रु० 9316.00, श्रम उपकर रु० 4140.00, विलम्ब शुल्क रु० 250.00

(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% - रु० 8280.00

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 41400.00

ठेकेदार को भुगतान रु० 400295.00,

महायोग - रु० 441665.00,

योग- रु० 463680.00

उक्त निर्माण कार्य में निम्न गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-

अनुभव प्रतिज्ञापत्र में दी गई शर्तों के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि 02.01.2019 रही परन्तु (02) दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण है। द्वितीय रनिंग बिल/प्रस्तावित भुगतान में विलम्ब प्रतिकर रु० 250.00 मात्र काटा गया है जबकि कार्य भुगतान तिथि तक 03 महीने से अधिक विलम्ब रहा। अतएव विलम्ब प्रतिकर स्वीकृत धनराशि रु० 1391474.00 का 10 प्रतिशत की दर से रु० 139147.00 काटकर वसूल किया जाना चाहिये। इस प्रकार रु० 138807.00 से कम विलम्ब शुल्क काटकर जिला पंचायत को क्षति गई है। चूँकि कार्य अतिथि तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। जबकि व्यति हो गए। ऐसी स्थिति में दोनों बार के भुगतान में कुल रु० 729120.00 का दुरुपयोग कर लिया गया है। जिसकी जिम्मेदारी संस्था के अधिकारीगण या अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री विनोद वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, वित्त परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा की रही।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को रु० 729120.00 तथा रु० 138897.00 की हानि पहुँची है जिनकी वसूली ठेकेदार कार्तिकेय इन्टरप्राइजेज प्रो० शान्ति देवी से किया जाये अन्यथा ठेकेदार कार्तिकेय इन्टरप्राइजेज प्रो० शान्ति देवी से वसूल न होने की दशा में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है । सामान्य आपत्ति सं० (26)

प्रस्तर संख्या-15

कार्य का नाम जिला पंचायत कर्मचारी आवास मरम्मत कार्य । 2018/19

स्वीकृत धनराशि - रु० 1997870.00

कार्य प्रा० तिथि 01.11.2018 व समाप्ति तिथि 30.01.2019

ठेकेदार मे० सुमन देवी

प्रथम रनिंग बिल भुगतान - रु० 343840.00

द्वितीय रनिंग बिल/प्रस्तावित भुगतान - रु० 898128.00

तृतीय रनिंग बिल/प्रस्तावित भुगतान - रु० 342064.00,

चतुर्थ रनिंग बिल / प्रस्तावित भुगतान - रु० 185568.00

कुल भुगतान - रु० 1769600.00

अवर अभियन्ता - श्री विनोद वर्मा।

उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने की तिथि 30.01.2019 अनुबन्ध पत्र में दर्शित है। परंतु 31.03.2021 तक का समय व्यतित हो जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कराया है। अविलम्ब प्रतिकर स्वीकृत धनराशि रु० 1997870.00 का 10 प्रतिशत की दर से रु० 199787.00 काटकर वसूल किया जाना चाहिये जबकि उपरोक्त चारों प्रस्तावित बिलों में विलम्ब प्रतिकर के रूप में कुल रु० 3905.00 ही काटा गया है। इस प्रकार रु० 198882.00 से कम विलम्ब शुल्क काटकर तथा भुगतानित रु० 1769600.00 का दुरुपयोग कर जिला पंचायत को क्षति पहुंचायी गई है। जिसके लिए जिला पंचायत के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री विनोद वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, वित्त परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहे।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को रु० 1769600.00 तथा रु० 195882.00, कुल रु० 1965482.00 की हानि पहुँच गयी है जिनकी वसूली ठेकेदार मे० सुमन देवी से किया जाये। ठेकेदार से वसूल न होने की दशा में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं० (27)

प्रस्तर संख्या-16

आलोच्य वर्ष 2020-21 में विगत वर्षों की तरह जनपद सोनभद्र में कुल 546 नग हैण्डपम्प जिला पंचायत द्वारा अधिष्ठापन करवाया गया है। जिस पर कुल लागत रु० 45123744.00 रहा। हैण्डपम्प पत्रावली की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत की निजी आय से जिला कमेटी व जिला पंचायत की वित्तीय समिति के प्रस्ताव द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति दी गई है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक वर्ष जनपद के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगाया जाता है। पत्रावली अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भैतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना भुगतान कर दी जाती है। वर्ष दर वर्ष लगाए गए तथा आलोच्य वर्ष में लगाए गए हैण्डपम्प की सूची परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्जकर परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा विगत वर्षों में लगाए गए हैण्डपम्प की स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। इस प्रकार हर साल हैण्डपम्प के नाम पर एक अच्छी धनराशि को कुछ चिन्हित फर्म के माध्यम से संस्था की धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार वर्मा, श्री योगेन्द्र चौहान श्री रमेश राम चौरसिया, वित्त परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय, लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं० (33)

प्रस्तर संख्या-17

कार्य का नाम - नया जिला पंचायत का कार्यालय मरम्मत एवं साज सज्जा का कार्य। वर्ष 2018/19।

स्वीकृत धनराशि - रु० 1000000.00।

कार्य प्रा० तिथि 16.11.2018 व समाप्ति तिथि 15.02.2019,

ठेकेदार मे० सुमन देवी प्रथम रनिंग/प्रस्तावित भुगतान - रु० 352800.00

द्वितीय रनिंग बिल/प्रस्तावित भुगतान - रु० 231840.00

कुल भुगतान- रु० 584640.00

अवशेष धनराशि - रु० 415360.00

उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने की तिथि 15.02.2019 अनुबन्ध पत्र में शर्त के रूप में दर्शित है परन्तु दिनांक 19.09.2019 तक अर्थात् (06) छ माह से अधिक का समय व्यतित हो जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। अतएव विलम्ब प्रतिकर के रूप में स्वीकृत धनराशि रु० 1000000.00 का 10 प्रतिशत की दर से रु० एक लाख (100000.00) मात्र काटकर/वसूल कर भुगतान किया जाना चाहिये जबकि ऐसा न करके उपरोक्त दोनों प्रस्तावित भुगतान में विलम्ब प्रतिकर के रूप में कुल रु० 905.00 की ही कटौती की गई है।

इस प्रकार ₹ 99095.00 से कम विलम्ब शुल्क काटकर तथा भुगतानित ₹ 584640.00/- को व्यय कर (निर्माण कार्य अपूर्ण/अधूरा छोड़ने के कारण) दुरुपयोग कर जिला पंचायत को क्षति पहुंचायी गई है। जिसके लिए जिला पंचायत के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री विनोद वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, वित्त परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहें।

उक्त अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को कुल ₹ 683735.00 की हानि पहुंचायी गयी है जिनकी वसूली ठेकेदार मे० सुमन देवी से किया जाये तथा ठेकेदार से वसूल न होने की दशा में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है | सामान्य आपत्ति सं० (28)

प्रस्तर संख्या-18

कार्य का नाम ग्राम लखनवार कलां ब्रह्मबाबा से संजय के घर तक लेपन कार्य ।

वर्ष - 2017/18 ।

अनुबन्ध/स्वीकृत धनराशि - ₹ 876244.00

कार्य प्रा० तिथि- 16.11.2016 व समाप्ति तिथि 15.02.2019

ठेकेदार श्री श्याम सुन्दर मिश्रा

प्रथम रनिंग / प्रस्तावित भुगतान - ₹ 360435.00,

अवशेष धनराशि - ₹ 515809.00

अवर अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह चौहान

आतिथि तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है तथा कृत कार्य उखड़ गया है, गड़ढा हो चुका है। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं ली जा रही है। जबकि कार्य समाप्ति तिथि से (06) छ. माह बीतने के उपरांत कार्य की नहीं किए जाने/अपूर्ण छोड़ दिए जाने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधानानुसार तथा प्रतिज्ञापत्र/अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार तत्संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिये। ऐसा न करके उक्त प्रथम रनिंग/प्रस्तावित भुगतानित धनराशि ₹ 360435.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए जिला पंचायत के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, वित्त परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहें।

उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर अपूर्ण छोड़ दिए जाने के कारण उस पर व्यय की गई धनराशि के रूप में ₹ 360435.00 की हानि पहुंचायी गयी है जिनकी वसूली ठेकेदार श्री श्याम सुन्दर मिश्रा से किया जाये तथा ठेकेदार से वसूल न होने की दशा में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति सं० (29)

प्रस्तर संख्या-19

कार्य का नाम ग्रामसभा नेवारी में शीतला मंदिर से प्राथमिक विद्यालय तक इन्टरलॉकिंग कार्य ।

लम्बाई 170 मी० , विकास खंड - चतरा , लागत 7.74 लाख

राज्य वित्त योजना।

अनुबन्ध/स्वीकृत धनराशि ₹ 773226.00

कार्य प्रा० तिथि- 16.11.2018 व समाप्ति तिथि 15.02.2018.

ठेकेदार श्री श्याम सुन्दर मिश्रा

प्रस्तावित भुगतान – रु० 536607.00, आयकर रु० 10781.00,
विलम्ब शुल्क रु० 110.00.

श्रम उपकर रु० 4792.00.

(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% रु० 9583.00.

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - रु० 4791200

ठेकेदार को भुगतान रु० 435606 00.

योग- रु० 483518.00.

महायोग रु० 536607.00

अवशेष धनराशि रु० 515809.00

अवर अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह चौहान

दूसरा प्रस्तावित भुगतान – रु० 228128.00. दूसरी एम०बी० तिथि - 03.05.2021.

आयकर रु० 4582.00,

रॉयल्टी जमा रु० 10800.00

श्रम उपकर रु० 2036.00

विलम्ब शुल्क रु० 3810.00 जमा किया गया।

पुनः (सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% रु० 4072:00.

ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10%- रु० 20360.00

ठेकेदार को भुगतान रु० 182468.00

अवशेष धनराशि रु० 5480.00

भुगतान तिथि 25.10.2021

उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने की समाप्ति तिथि 15.02.2019 अनुबन्ध पत्र में शर्त के रूप में दर्शित है। कार्य पूर्ण करने में समाप्ति तिथि 15.02.2019 से 45 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो गया।

अतएव उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार विलम्ब प्रतिकर निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 773225.00 का 10 प्रतिशत (अधिकतम) (निर्माण कार्य 45 दिन से अधिक विलम्ब होने पर रु० 77323.00 आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिये जबकि ठेकेदार से मात्र रु० 3920.00 काटा/वसूला गया है। इस प्रकार जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा ठेकेदार से विलम्ब प्रतिकर के रूप में रु० 75402.00 कम वसूल किया गया है। अतएव अवशेष विलम्ब प्रतिकर रु० 75402.00 ठेकेदार श्री श्याम सुन्दर मिश्रा से वसूली कर जिला पंचायत खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। वसूल न किए जाने की दशा में उक्त आपति के लिए संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहें। उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को रु० 75402.00 की हानि पहुंची है जिसकी वसूली ठेकेदार श्री श्याम सुन्दर मिश्रा से किया जाये। ठेकेदार से वसूली न होने पर इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से की जाना अपेक्षित है। सामान्य आपति सं० (30)

प्रस्तर संख्या-20

कार्य का नाम कराकला बनौली सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर का निर्माण कार्य ।

लम्बाई 30 मीटर ।

राज्यवित्त योजना।

वित्तीय वर्ष 2018-19, स्वीकृत धनराशि - रु० 1637067.00

कार्य प्रा० तिथि - 30.10.2018 व समाप्ति तिथि - 30.01.2019.

ठेकेदार कुसुम ऑटो मोवाईल प्रो कुसुम देवी

प्रस्तावित भुगतान - ₹ 1008034.00,
एमबी० तिथि- 13.03.2019, अवर अभियन्ता - श्री योगेन्द्र सिंह चौहान
जमानत - ₹ 46900.00
आयकर - ₹ 20251.00 , श्रम उपकर - ₹ 9001.06.
(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% - ₹ 18001.00
ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10%- ₹ 90003
ठेकेदार को भुगतान - ₹ 823793.00
योग - ₹ 913796.00,
महायोग- ₹ 1008034.00
विलम्ब शुल्क - ₹ 85.00
अवशेष धनराशि - ₹ 629033.00

दिनांक 31.03.2021/03.06.2021 तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया, की सूचना पत्रावली अवलोकन से ज्ञात होता है। कार्य अभी तक अधूरा व अपूर्ण है। अतएव उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार विलम्ब प्रतिकर निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 1637067.00 का 10 प्रतिशत (अधिकतम) (निर्माण कार्य 45 दिन महीने से अधिक विलम्ब होने पर) ₹ 163707.00 आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिये। जबकि ठेकेदार से मात्र ₹ 85.00 ही काटा/वसूला गया है। इस प्रकार जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा ठेकेदार से विलम्ब प्रतिकर के रूप में ₹ 163622.00 कम वसूल किया गया है। अतएव अवशेष विलम्ब प्रतिकर ₹ 163622.00 ठेकेदार कुसुम ऑटो मोवाईल प्रो कुसुम देवी से वसूली कर जिला पंचायत खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। इस आपत्ति के लिए संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहे। उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को ₹ 163622.00 की हानि पहुंची है। उक्त धनराशि की वसूली ठेकेदार से न होने पर इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से की जाना अपेक्षित है | सामान्य आपत्ति सं० (31)

प्रस्तर संख्या-21

कार्य का नाम एफ०सी०आई गोदाम से मगरदहा मार्ग लेपन कार्य ।
राज्यवित्त योजना । वित्तीय वर्ष 2018-19, विकास खंड- चतरा ।
ठेकेदार - शैल कृपा कम्पनी प्रो आशुतोष मिश्रा
अवर अभियन्ता - श्री योगेन्द्र सिंह चौहान
स्वीकृत धनराशि - ₹ 1741322.00
कार्य प्रा० तिथि 31.10.2018 व समाप्ति तिथि 30.01.2019
प्रथम प्रस्तावित बिल - ₹ 894100.00, एमबी० तिथि- 22.02.2019, जमानत - ₹ 7100.00, आयकर - ₹ 17964.00,
श्रम उपकर - ₹ 7984.00
विलम्ब शुल्क - ₹ 85.00
(सी०जी०एस०टी०+ एस०जी०एस०टी०) जमा 2% - ₹ 15968.00
ठेकेदार द्वारा जमा जी०एस०टी० 10% - ₹ 79837.00
ठेकेदार को भुगतान - ₹ 765247.00,
योग- ₹ 845084.00,
महायोग- ₹ 894100.00,
अवशेष धनराशि - ₹ 847222.00

दिनांक 22.02.2021 तक कार्य पूर्ण न करने का पत्र पत्रावली में संलग्न रहा। वर्तमान समय तक उक्त कार्य अपूर्ण/अधूरा रहा। अवर अभियन्ता/अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि रोड की गिट्टी जगह जगह उखड़ गई है। जबकि कार्य प्रारम्भ हुए (03) तीन साल से अधिक हो गए। अतएव उत्तर प्रदेश सा पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार विलम्ब प्रतिकर निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1741322.00 का 10 प्रतिशत (अधिकतम) (निर्माण कार्य 45 दिन/छः महीने से अधिक विलम्ब होने पर) रु० 174133.00 आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिये। अतएव विलम्ब प्रतिकर रु० 174133.00 ठेकेदार शैल कृपा कम्पनी प्रो० आशुतोष मिश्रा से वसूली कर जिला पंचायत खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। ठेकेदार के विरुद्ध निर्माण कार्य नियमावली 1984 व अनुबन्ध पत्र के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 894100.00 उद्देश्य विहीन कार्य के रूप में दुरुपयोग करने तथा संस्था के अधिकारी द्वारा विलम्ब प्रतिकर का रु० 174133.00 में आरोपित करने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को रु० 1068233.00 की हानि पहुँचायी गई। जिसके लिए संस्था के अभियन्ता श्री शीतला प्र० पांडेय, अवर अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहें। उक्त अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण जिला पंचायत सोनभद्र को हुई हानि की उक्त धनराशि रु० 1068233.00 की वसूली ठेकेदार शैल कृपा कम्पनी प्रो० आशुतोष मिश्रा से किया जाये अन्यथा ठेकेदार से वसूली न होने स्थिति में इन उक्त जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं० (32)**